

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका	02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	08/09
03. Referee Board	10
04. Spokesperson	12
05. Natural Plant Catharanthus Roseous (Sushama Singh Majhi)	14
06. Study of phytoplankton density and Physico-chemical parameters in Mandam-Dhar, Madhya Pradesh, India (Dr. D.S. Waskel, Dr. K.S. Alawa)	16
07. Clove and Its Benefits (Dr. Rajesh Masatkar)	19
08. Antimicrobial Activity and Phytochemical Analysis of Citrus Reticulata Peels Extract (Pramila Kori, Kajal Dasodhi)	21
09. Study of the Influence of Sodium Chloride and Sodium Carbonate on Photodegradation of Methyl Green dye (Dr. David Swami)	24
10. Long-Term Relationship Between Solar Wind Speed and Geomagnetic Activity (Dr. S.K. Khandayat, Dr. Lokendra Kumar Borker)	26
11. Yoga is a Non-Religious Practice of Physical, Mental Fitness and Hectic Lifestyle (Dr. Sonali Singh)	29
12. Impact of Social Networking Sites on Marketing (Dr. Rupesh Pallav)	32
13. Chanderi Sarees: The Exquisite Handlooms of Madhya Pradesh (Dr. Praveen Ojha)	35
14. Photo degradation Study of Black Agricultural Film: Using FTIR Analysis (Dr. Vaishali Lal)	38
15. पर्यावरण और जल प्रबंधन (वन्दना जायसवाल)	41
16. ई प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डॉ. श्रीकान्त दुबे)	45
17. संसदीय लोकतन्त्र, विकास एवं चुनौतियां (डॉ. प्रदीप कुमार भिमटे)	48
18. मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों की विवेचना : एक अध्ययन (डॉ. रेहाना शेख)	50
19. फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में यथार्थवाद (डॉ. मंजुलता चौधरी)	52
20. भारत में पर्यटन क्षेत्र का रुझान और विकास (आर्थिक परिपेक्ष में) (रूपेश अखेपुरिया, डॉ. सुनिल मोरे)	55
21. जैविक खेती - आज की आवश्यकता (डॉ. राजेश बकोरिया)	58
22. कच्छपघातकालीन आर्थिक स्थिति की विवेचना (डॉ. ममता खोईया)	60
23. जनजाति समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का बदलता स्वरूप- (मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में) (प्रो. ममता कनेश)	62
24. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग- भूमिका व प्रभाव कारिता (मुकेश मिश्र)	65
25. पथेर पांचाली : एक व्यथा कथा (डॉ. कल्पना वर्मा)	68
26. स्टिल लाइफ को स्वतन्त्र विद्या के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला चितेरा (डॉ. हेमन्त कुमार राय, अरविन्द कुमार)	74
27. राग-रागिनी पद्धति में राग भैरवी (प्रीति शर्मा, डॉ. अन्जना गौतम)	77
28. आदिवासी बरेली बोलियों में एकवचन एवं बहुवचन का अनुशीलन : एक अध्ययन (डॉ. रजनी सोलंकी)	81
29. भारत में खाद्य सुरक्षा एक संकट (डॉ. जयराम सोलंकी)	84
30. Bio-Chemical Warfare and its Conventions: Future Emerging Threats on Armed Sciences (Santosh Ambhore, Ashok Shrama, Ravi Sukumaran)	86
31. Uses of Solar Energy in the Field of Agriculture (Astha Sharma)	92
32. Importance of Environmental Awareness for the Youth in India (Dr. Seema Sharma)	95
33. Antibacterial Activity of Medicinal Plant Chirchira (Achyranthes aspera Linn.) (Supriya chouhan, Dr. Anil Kumar Gharia)	97

34. राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन योजना - संभावनाएं और चुनौतियां (डॉ. योगेश खण्डेलवाल)	100
35. मध्यप्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का मूल्यांकन एवं प्रभाव (डॉ. जया कैथवास)	102
36. 'सुरंग में सुबह' उपन्यास: राजनीतिक यथार्थ का दस्तावेज (डॉ. बबीता कुमारी)	105
37. भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता : संक्षिप्त विवेचना (मोहन पुरी)	108
38. भारत में महिलाओं के अधिकार एवं सुरक्षा (सुविधा राठौर)	112
39. जनजातीय क्षेत्रों में मानव अधिकार (झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन) (संजु अलावा)	115
40. जनजातीय क्षेत्रों में मौसमी पलायन (अलीराजपुर जिले के संदर्भ में एक अध्ययन) (सज्जनसिंह मौर्य)	117
41. परम्परा व आधुनिकता के सन्दर्भ में युवा महिलाओं के धार्मिक प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय अध्ययन	119
(डॉ. रत्ना त्रिवेदी, श्रीमती आभा सिंघल)	
42. आपदा प्रबंधन में भारतीय ज्ञान परम्परा का संभाव्य योगदान (यश शर्मा)	123
43. सागर जिले में कृषि विकास के स्तर : एक भौगोलिक अध्ययन (प्रो. ए.सी. तिवारी, भावना पटेल)	125
44. पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए अभिनव पहल: ग्रामीण पर्यटन	128
(डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर, डॉ. जी. एल. मालवीय)	
45. इन्दौर संभाग में रोजगार सृजन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका (डॉ. गुरमीत सिंह भाटिया)	132
46. भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर कोविड- 19 का प्रभाव (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक के	133
विशेष संदर्भ में) (छाया शाक्य)	
47. सूज़ा के 'विक्टर न्यूटन' से 'फ्रांसिस न्यूटन सूज़ा' होने तक का सफ़र	136
(डॉ. हेमन्त कुमार राय, अरविन्द कुमार)	
48. नारी शोषण का प्रतीक : वेश्यावृत्ति (वनीता रानी)	139
49. उज्जैन संभाग में उद्यमिता के अवसरों का अध्ययन (डॉ. रुपचंद चौहान)	143
50. निर्वाचन भूगोल के सन्दर्भ में जाति व शिक्षा की भूमिका : भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की केस स्टडी	146
(शुभम ओझा, रजनी गगवानी)	
51. शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में प्रकृति प्रेम और सौन्दर्य बोध (डॉ. ज्योति सिंह, शिव औतार)	151
52. इंडिया आउट अभियान और भारत- मालदीव संबंध (शोभा गौतम)	156
53. धार्मिक क्रियाओं में संलग्न तथा असंलग्न, एकल तथा संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य ...	160
का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. अजय कुमार चौधरी, लक्ष्मी कुमावत)	
54. निराला के कविता में नारी चेतना (डॉ. सुनीता यादव)	166
55. Organic Farming : The Ancient Process for Healthy and Nontoxic Food Stuff	168
(Dr. Madhuri Singhal)	
56. Some Characteristics Of Dual Problem And Dual Simplex Method In Linear Programming	170
(Dhansingh Baminiya, Basanti Muzalda)	
57. A Study of Digitalization in Indian banking Sector (With Special Reference to Problems	173
and Prospects) (Dr. Manohar Das Somani)	
58. भारत में कृषि विपणन की समस्याएं (डॉ. स्मिता देराश्री)	177
59. समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव (राकेश रंजन)	180
60. कामकाजी महिलाएँ और कार्य जीवन संतुलन (नीलम खासकलम)	184
61. मानवीय मूल्यों के संवर्धन में सत्य साईं भजनों की आवश्यकता शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भ में	187
(विवेक कर्महे)	
62. प्रागैतिहासिक कला के विभिन्न युग (डॉ. निशा गुप्ता)	191
63. Green Jewellery: Eco-Friendly Source of Income(Dr. Nidhi, Ms. Nisha)	194
64. Principle of Insanity in Crimminal Law A Socio - Legal Study (Dr. Anuradha Tiwari)	197
65. Review on Ecological Restoration (Mrs. Seema Naik)	201

66.	महाविद्यालय की छात्राओं में सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता का अध्ययन 204 (बड़वानी जिले के संदर्भ में) (डॉ. प्रियंका देवड़ा)	204
67.	A Brief Review on Introduction of Existing Vedic Mathematics (Dalendra Kumar Bhatt)..... 207	207
68.	भारतीय न्यायपालिका की स्वर्णिम विकास यात्रा : आजादी का अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में 209 (डॉ. लोक नारायण मिश्रा)	209
69.	अष्टछाप कवियों का कथक नृत्य में योगदान (डॉ. सुचित्रा हरमलकर, निवेदिता पंडया) 212	212
70.	Job Prospective in the Profession of Physical Education in India (Dayaram Rajpoot) 214	214
71.	डिजिटल मार्केटिंग - एक अध्ययन (डॉ. दिलीप पाटीदार) 216	216
72.	Impact of Jatak Kathayen: Buddhist Literature (Dr. Rajkumari Sudhir)..... 219	219
73.	A Comparative Study on Aggression Between Female Cricket and Volleyball Players 222 (Mr. Anurag Pathak)	222
74.	Role of Artificial Intelligence in Libraries (Kajal Ratan)..... 224	224
75.	भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति : एक अध्ययन (डॉ. योगेंद्र कुमार तिवारी) 227	227
76.	Factors Involving Economical Growth of Entrepreneurship in India 230 (Dr. Preeti Anand Udaipure)	230
77.	वर्तमान बजट 2022-23 की शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिकता तथा नवीन आयाम (मध्यप्रदेश राज्य के 235 विशेष संदर्भ में) (डॉ. रोहित पाटीदार, जितेंद्र बडौले)	235
78.	An Impact of GST on Consumer Buying Behaviour of Branded Clothes with Special 238 Reference to Dombivli City (Dr. Avinash B. Shendre)	238
79.	किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाओं में आक्रामक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. सपना मिश्रा) 243	243
80.	चित्तौड़गढ़ दुर्ग का गौरवशाली इतिहास एवं हिंदी साहित्य (गोपाल लाल जाट, डॉ. हेमेश सिंह सारंगदेवोत) 246	246
81.	Sociology and Menstrual Health (Dr. Santosh Salve, Anand Shukla)..... 250	250
82.	औषधिय पौधों की पहचान (डॉ. सरिता घेंघट) 253	253
83.	भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रति हितग्राहियों के दृष्टिकोण का विश्लेषणात्मक अध्ययन 256 (कार्तिका मेहता, डॉ. एल के त्रिपाठी)	256
84.	Marketing Practices of Fishery Industry in Himachal Pradesh: An Overview (Dr. B. S. Jaswal).... 260	260
85.	माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सामाजिक एवं अकादमिक समस्याओं ... 265 का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. उमा श्रीवास्तव)	265
86.	राष्ट्रवाद के निर्माण में शहीद बिजनिया भील का योगदान (प्रो. धुलसिंह खरत)..... 271	271
87.	राजा परीक्षित का 1842 के बूंदेला विद्रोह में योगदान (विमल चौधरी)..... 275	275
88.	माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक 277 वातावरण के प्रभाव का अध्ययन (सीमा सिन्हा)	277
89.	ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में कुपोषण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन (शालिनी कुमारी) 280	280
90.	ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक निणयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका का अध्ययन 283 (सतना जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. तृप्ति तिवारी)	283
91.	मोरना ब्लॉक में उच्च शिक्षा द्वारा अनुसूचित जाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति- एक समाजशास्त्रीय 287 अध्ययन (मुजफ्फरनगर के संदर्भ में) (डॉ. रतना त्रिवेदी, आजाद सिंह)	287
92.	भारतीय विधि में दृश्यरतिता (खुशबु जैन) 291	291
93.	Religious and Cultural Aspects in Chetan Bhagat's Novels (Chanchal Choubisa) 293	293
94.	Production Linked Incentive (PLI) Scheme (Dr. Savita Gupta) 295	295
95.	गोड़वाड़ सर्किट के प्रमुख ऐतिहासिक दुर्ग (जगदीश कुमार) 298	298
96.	मृच्छकटिकम् में ज्ञान के विविध आयाम (डॉ. एस.एस. गौतम) 303	303

97. म.प्र. के धार जिले में ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात का एक अध्ययन (डॉ. किरण मण्डलोई)	307
98. युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण में अभिकरणों की भूमिका (डॉ. परेश द्विवेदी, कन्हैया लाल लौहार)	309
99. भारतीय कृषि उत्पादकता का अध्ययन (डॉ. प्रतिमा बनर्जी)	312
100. ग्रहों में लोकतंत्र प्रणाली: एक विश्लेषण (हितेश कुमार)	314
101. Munshi Premchand and 'Soz-e-Watan': The Journey from Nawab Rai to Premchand (Dr. Swati Chandorkar, Smt. Shashi Lata Neekhra)	317
102. महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां (डॉ. अनुराधा जैन)	319
103. Analysis of Milk and its Constitution by Physico Chemical Methods (Basanti Jain)	322
104. Impact of Aqua Aerobic Exercise on Heart Rate of Middle Aged Women	324
(Dr. Santosh Lamba, Ashok Mundotiya)	
105. Impact of Yoga Practice on Agility of College Students (Dr. Santosh Lamba, Deepesh Vats)	326
106. An Analysis of Cyber Crime in India with reference to Information Technology Act	329
(Dr. Pushplata Dangi)	
107. ग्रामीण समाज में शिक्षित महिलाओं के जीवन में बदलते समाजिक आर्थिक परिवेश : श्योपुर जिले के संदर्भ में ... (प्रो. जीतेन्द्र गुप्ता)	332
108. जे. एन. के. वि. वि. जबलपुर पुस्तकालय की उपयोगिता पर अध्ययन (पुष्पेन्द्र पाठक, डॉ. विनिता पाण्डेय)	334
109. भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था का इतिहास (डॉ. भावना तिवारी)	337
110. लाला लाजपतराय के कथनों का ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. मंजूला निंगवाल)	342
111. Efficacy of Homoeopathic Medicine for Chronic Suppurative Otitis Media and its Miasmatic Approach (Dr. Bhushan Jain)	344
112. जिला सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. असगर अली आदिल, जेनुलउद्दीन शेख जिलानी)	348
113. Swami Vivekananda's Concept of Political Activity: A Vedantic Approach	351
(Dr. Akhilesh Mani Tripathi)	
114. On NathuLa Pass Border Trade – A Libertarian Perspective	354
(Mr. Jaimine Vaishnav, Dr. Rekha Mali)	
115. जैन धर्म से प्रभावित मूर्तिकला (बृजकिशोर रायकवार, डॉ. शुक्ला ओझा)	357
116. वैदिक कालीन कृषि : भू-ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ. अजय तिवारी)	362
117. भारत में लैंगिक समावेशी समाज (सुमन देवी)	367
118. नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का प्रशासनिक गठन (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)	369
(पवन जोशी, डॉ. अशोक वर्मा)	
119. नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल के कविताओं में ग्रामीण जीवन का यथार्थ (चन्द्रलेखा पुरोहित)	371
120. Water Pollution Laws in India, Their Genesis and Development (Mr. Nityanand Mishra)	374
121. भारत में महिला उद्यमी की समस्याएँ और समाधान (डॉ. बी.एस. मकड़, श्वेता चौहान)	380
122. कक्षा शिक्षण में सहकारी अधिगम की व्यूह रचनाएँ (प्रो. सरोज गर्ग, हर्षलता राठौड़)	384
123. Pearl Cultivation: A New Era of Farming (Aayush Kumar Sadram)	386
124. भारत में संघवाद : सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक स्थिति (कुसुमलता पुरोहित)	389
125. A Study of Emotional Intelligence Among Pupil Teachers in Relation to Their Social Competence and Value Orientation (Sarvesh Sachdeva, Dr. Satpal Swami, Dr. Ritu Bala)	392
126. Perspectives of Poverty Alleviation & Evolution of SHG in India	394
(Dr. Shashank Shekhar Thakur, Sushma Mishra)	
127. पूर्व मध्ययुगीन काल तथा मालवा की वर्ण एवं जातिगत व्यवस्थायें (गुलाबराव डॉंगरे, डॉ. श्रीमती विजेता चौबे)	399
128. Personality Traits: The Predictors for Employability in Service Industry	401
(Dr. Lokendra Vikram Singh)	

129. Comparative Study on Non-Performing Assets (NPAs) between major Indian Public and Private Sector Commercial Banks (Anju Pandia, Dr. Purushottam Gautam)	406
130. गाँधीजी का देश की आजादी में योगदान (डॉ. शकरी चौहान)	417
131. मालवा की लौकिक मूर्ति कला : एक अध्ययन (भाग्यश्री लोदेतिया, डॉ. धीरेन्द्र सोलंकी)	420
132. Impact of Fast Food Intake Among Urban Adolescent Girls (Dr. Kiran Singh)	422
133. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में (डॉ. शुभलेश कुमारी)	425
134. धर्म, साहित्य और मीडिया का दायित्व - राष्ट्रीय उद्देश्य में (डॉ. कुसुम शर्मा)	427
135. MSMEs Sector in India: Current Status and Prospect (Dr. Soniya Rajpoot, Dr. Swati Mathur)	430
136. A Comparative Study of Non-Fund Based Income and Fund Based Income (Priyanka Pamecha, Dr. L.N. Sharma)	434
137. पर्यावरण संरक्षण का विभिन्न विधि में विश्लेषणात्मक अध्ययन (अर्चना शिंदे)	438
138. Convention on Biological Diversity: Threats and Challenges in Biodiversity Conservation (Dr. Jolly Garg, Dr. Shobha Gupta)	441
139. Environmental Protection and Biodiversity Conservation : in the Perspective of Human Rights (Dr. Shobha Gupta, Anant Kumar Garg, Jolly Garg)	445
140. बीसवीं शताब्दी में डूंगरपुर राज्य का राजनैतिक इतिहास (सन् 1901 से 1909 तक) (जयदीप सिंह राठौड़, डॉ. नरेन्द्र सिंह राणावत)	449
141. ऑनलाइन शिक्षा की ज़रूरत और चुनौतियां (डॉ. प्रमिला पुर्बिया)	452
142. बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की उपयोगिता (डॉ. दीपक दुबे, अन्नपूर्णा दुबे)	455
143. मेवाड़ की लोक एवं पारम्परिक कलाओं में निहित प्रतीक रूपों का महत्व (डॉ. गिरिराज जाटव)	459
144. भारत के विभिन्न प्रांतों के नृत्य प्रधान लोकनाट्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. उषम वैष्णव)	461
145. Advantages and Future of Digital Marketing (Dr. Balmukund Baghel)	464
146. Business Restructuring Strategies for Small and Medium Enterprises in India and Taxation Reforms : A Review (CA. Pankaj Shah, Dr. Rajendra Sharma)	467
147. गुर्दे की पथरियां : कारण, रोगलक्षण एवं उपचार (डॉ. आशीष खिमेसर)	475
148. बी.एड. प्रशिक्षुओं में मानवाधिकारों के प्रति लिंग आधारित जागरूकता का अध्ययन (सर्वोत्तम शर्मा)	479
149. नेपथ्य के नायक दीनबन्धु सर छोटूराम का संक्षिप्त जीवन वृत्त (डॉ. दीपक सिंह, राजेश कुमार)	482
150. पंचायती राज में जनजाति महिलाओं की भागीदारी (सलुम्बर पंचायत समिति का एक अध्ययन) (प्रियंका सालवी)	485
151. मेवाड़ महाराणा फतहसिंह का जीवन और व्यक्तित्व परिचय (विनीता पालीवाल)	488
152. कबीर के काव्य में प्रतीक विधान (डॉ. प्रभा शर्मा)	490
153. Specific Performance of Contracts in India (Dr. Saptmuni Dwivedi)	492
154. Law for Offences Against Religion in India (Dr. Sunil Kumar Pandey, Gayatri Yadav, Brijesh Soni)	494
155. Representation of Legal Language Standards and It's Development (Dr. Humera Qureishi, Ritu Singh)	498
156. Trial of Summon Cases: A Critical Study (Dr. Sunil Kumar Pandey, Gayatri Yadav, Aditi Saraiya)	501
157. Legal Language: An Introduction (Dr. Humera Qureishi, Rimsha Jahan)	505
158. भारत में ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका और उत्तरदायित्व (संजय सिंह, डॉ. देवी प्रसाद तिवारी)	508
159. कृषि- हरित क्रान्ति एवं दूसरी हरित क्रान्ति की आवश्यकता (डॉ. पंकज जायसवाल)	511
160. छायावादी कविता और राम काव्य: एक परख (राम की शक्ति पूजा और कामायनी के प्रथम सर्ग का तुलनात्मक अध्ययन) (कवीन्द्र कुमार भारद्वाज)	514
161. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन (डॉ. हरेन्द्र कुमार, अशोक कुमार)	517

162. Nature of Policies and Condition of Agrarian Society in Eastern India and Oudh 523 (Shivam Singh, Dr. S.K. Diwedi)	523
163. Russia - Ukraine War : A Geopolitical Problem (Dr. Kalyanmal Singada)..... 526	526
164. Management of <i>Partheniumhysterophorus</i> Through Vermicomposting (Dr. Neeta Sharma) 532	532
165. The Effect of Cosmic Rays on Weather (Shubhra Tiwari) 536	536
166. आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (सोनिका सुर्यवंशी, मोरे ताराचन्द अम्बर) 538	538
167. Skill Development and Quality of Life in South Rajasthan (Bhawna Shrimali)..... 540	540
168. Gendered Impact of COVID 19: In Special Reference to India (Dr. Saba Agwani)..... 543	543
169. इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक का महिला कहानी लेखन और स्त्री समाज (डॉ. राजेन्द्र सिंह) 546	546
170. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समीक्षात्मक अध्ययन - मध्यप्रदेश राज्य के विशेष सन्दर्भ में 551 (नेहा राठौर, डॉ. जी.एल. खांगोड़े)	551
171. हानिकारक बांध और परियोजनाओं में कैद गंगा (डॉ. मुकेश मारु) 557	557
172. मनरेगा योजना का ग्रामीण विकास एवं रोजगार के संदर्भ में मूल्यांकन (मनोज कुमार, डॉ. गौतमवीर) 559	559
173. भारत में समाजवादी क्रांति के उन्नायक डॉ.राममनोहर लोहिया (डॉ. मंजु मीणा) 564	564
174. भारत में ग्रामीण राजनीतिक जागरूकता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. अनिल कुमार, धर्मपाल सिंह) 567	567
175. महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (विक्रम सिंह) 572	572
176. Emotional Intelligence and Teacher Effectiveness of Primary School's Teachers 576 (Dr. Satish Chand)	576
177. अलाउद्दीन खिलजी की सुधारवादी शासन व्यवस्था: ऐतिहासिक समीक्षा (मुकेश चन्द)..... 580	580
178. A Comprehensive Analysis of Human Rights Laws and Acts in India: Safeguarding Dignity 583 and Equality (Hemant Kumar)	583
179. Role of Nutrition in Sports Performance (Dr. Pravita Khatri) 588	588
180. महिला मानवाधिकार - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. वर्चसा सैनी) 590	590
181. Religion and Social Change: Exploring the Influence of Religion on Social Movements 593 and Reforms in India (Dr. Sandhya Jaipal)	593
182. वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा (डॉ. अंजली जयपाल) 596	596
183. भारत में कृषि विकास और भूमि उपयोग परिवर्तन (डॉ. दिनेश कुमार कटुतिया)..... 598	598
184. Temporal Analysis of Trend and Variability of Annual Rainfall in Balia Catchment, ... 601 Kumaun Himalaya (Vaseem Ahmad, Bhagwati Joshi)	601
185. जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं साम्प्रदायिकता: ज्वलंत समस्याएँ(डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी) 606	606
186. राजस्थान के ग्रामीण आदिवासी व गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता का स्तर 608 (डॉ. भूपेन्द्र सिंह चौहान, वरुण सिंह देवड़ा)	608
187. मालवा के खिलचीपुर राज्य के दिवान दुर्जनसाल एवं दिवान महाराजा शेरसिंह के समय का 611 ऐतिहासिक अध्ययन (डॉ.ओमप्रकाश गेहलोत)	611
188. Consumerism and Changing Lifestyles: A Sociological Analysis of Post-Liberalization 613 India (Sonali Goyal)	613

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur	- Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar	- Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu	- Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi	- Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara	- Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav	- Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas	- Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey	- Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani	- HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam	- HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare	- Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare	- Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay	- Exam Controller, Govt. Kamalraj Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma	- Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav	- Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain	- Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse	- Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain	- Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar	- Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi	- Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav	- HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre	- Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya	- Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel	- Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary	- Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra	- Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma	- Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam	- Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai	- Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare	- HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta	- Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad	- HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra	- HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar	- Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu	- Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson	- Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur	- Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit	- M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav	- Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat	- Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain	- O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi	- Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey	- Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel	- Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar	- Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra	- Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt	- Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma	- Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand	- HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani	- HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel	- HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey	- HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary	- Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan	- Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao	- Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava	- Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa	- Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain	- Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav	- Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya	- Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam	- Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta	- HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta	- Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey	- HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths	-	(1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
		(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
Life Science	-	(1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
		(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statistics	-	(1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
***** Commerce *****		
Commerce	-	(1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
		(4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
***** Management *****		
Management	-	(1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Administration	-	(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
***** Law *****		
Law	-	(1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
		(3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)
		(4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
***** Arts *****		
Economics	-	(1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
		(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
		(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
		(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
		(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
		(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

-
Hindi	-	(1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.) (3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.) (4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.) (5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
English	-	(1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.) (2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
Sanskrit	-	(1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
History	-	(1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
Geography	-	(1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.) (2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
Psychology	-	(1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) (2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
Drawing	-	(1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.) (2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) (3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
Music/Dance	-	(1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.) (2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
***** Home Science *****		
Diet/Nutrition Science	-	(1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.) (2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.) (3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
Human Development	-	(1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.) (2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
Family Resource Management	-	(1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
***** Education *****		
Education	-	(1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka) (2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.) (3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab) (4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana) (5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
***** Architecture *****		
Architecture	-	(1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
***** Physical Education *****		
Physical Education	-	(1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.) (2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.) (3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
***** Library Science *****		
Library Science	-	(1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)
-

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gargade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamalraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)

-
46. Prof. Dr. R.K. Yadav	-	Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta	-	Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey	-	Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar	-	Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel	-	Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta	-	Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash	-	Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava	-	Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai	-	Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya	-	Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain	-	Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
58. Prof. Dr. Niyaz Ansari	-	Govt. College, Sinhaival, Distt. Sidhi (M.P.)
59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel	-	Govt. College, Harda (M.P.)
60. Dr. Suresh Kumar Vimal	-	Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
61. Prof. Dr. Amar Chand Jain	-	Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
62. Prof. Dr. Rashmi Dubey	-	Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. A.K. Jain	-	Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar	-	Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Rajiv Sharma	-	Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava	-	Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela	-	Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
68. Prof. Dr. Balram Singotiya	-	Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Vimmi Bahel	-	Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
70. Prof. Aprajita Bhargava	-	R.D.Public School, Betul (M.P.)
71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan	-	Govt. College, Maksi, Distt. Shajapaur (M.P.)
72. Prof. Dr. Pallavi Mishra	-	Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
73. Prof. Dr. N.P. Sharma	-	Govt. College, Datia (M.P.)
74. Prof. Dr. Jaya Sharma	-	Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi	-	Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
76. Prof. Dr. Ishrat Khan	-	Govt. College, Raisen (M.P.)
77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi	-	Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
78. Prof. Dr. Bhawana Thakur	-	Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma	-	Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
80. Prof. Dr. Renu Rajesh	-	Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.)
81. Prof. Dr. Avinash Dubey	-	Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
82. Prof. Dr. V.K. Dixit	-	Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
83. Prof. Dr. Ram Awadesh Sharma	-	M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.)
84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri	-	Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla	-	Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
86. Prof. Dr. Anoop Parsai	-	Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain	-	Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya	-	Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
89. Prof. Dr. Archana Vishith	-	Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
90. Prof. Dr. Kalpana Parikh	-	S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Gajendra Siroha	-	Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Krishna Pensia	-	Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Pradeep Singh	-	Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
94. Prof. Dr. Smriti Agarwal	-	Research Consultant, New Delhi
-

Natural Plant Catharanthus Roseous

Sushama Singh Majhi *

*Asst.Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Expected to be the basis of many main technological innovations in the 21st century. Research and development in this field is growing rapidly throughout the world. A major output of this activity is the development of new materials in the nanometer scale. A natural product is a chemical compound or substance produced by a living organism - found in nature that usually has a pharmacological or biological activity for use in pharmaceutical drug discovery and drug design. A natural product can be considered as such even if it can be prepared by total synthesis. These small molecules provide the source of inspiration for the majority of FDA-approved agents and continue to be one of the major sources of inspiration for drug discovery. In particular, these compounds are important in the treatment of life-threatening conditions. Natural products may be extracted from tissues of terrestrial plants, marine organisms or microorganism fermentation broths. A crude extract from any one of these sources typically contains novel, structurally diverse chemical compounds, which the natural environment is a rich source of Chemical diversity in nature is based on biological and geographical diversity, so researchers travel around the world obtaining samples to analyze and evaluate in screens or bioassays.

Key word- Innovations, Substance, Pharmaceutical, Natural Product, Majority, Structurally, Tissues, Terrestrial Plants.

Introduction - Expected to be the basis of many main technological innovations in the 21st century. Research and development in this field is growing rapidly throughout the world. A major output of this activity is the development of new materials in the nanometer scale. A natural product is a chemical compound or substance produced by a living organism- found in nature that usually has a pharmacological or biological activity for use in pharmaceutical drug discovery and drug design. A natural product can be considered as such even if it can be prepared by total synthesis. These small molecules provide the source or inspiration for the majority of FDA-approved agents and continue to be one of the major sources of inspiration for drug discovery. In particular, these compounds are important in the treatment of life-threatening conditions. Natural products may be extracted from tissues of terrestrial plants, marine organisms or microorganism fermentation broths. A crude (untreated) extract from any one of these sources typically contains novel, structurally diverse chemical compounds, which the natural environment is a rich source of Chemical diversity in nature is based on biological and geographical diversity, so researchers travel around the world obtaining samples to analyze and evaluate in screens or bioassays.

Description – A natural product is a chemical compound or substance produced by a living organism - found in nature that usually has a pharmacological or biological activity for

use in pharmaceutical drug discovery and drug design. A natural product can be considered as such even if it can be prepared by total synthesis. These small molecules provide the source of inspiration for the majority of FDA-approved agents and continue to be one of the major sources of inspiration for drug discovery. In particular, these compounds are important in the treatment of life-threatening conditions. Natural products may be extracted from tissues of terrestrial plants, marine organisms or microorganism fermentation broths. A crude extract from any one of these sources typically contains novel, structurally diverse chemical compounds, which the natural environment is a rich source of Chemical diversity in nature is based on biological and geographical diversity, so researchers travel around the world obtaining samples to analyze and evaluate in screens or bioassays. This effort to search for natural products is known as bio prospecting.

Materials and Methods - Flowers of Catharanthus Roseus (L) G. Don were collected from a field grown in the Bhopal in the month of May-June, 2008, Leaves and of her plant tissues were carefully removed from the flowers of C. roseus.

The plant collection, 95% ethanol extraction procedure and fractionation of the dried extract using different organic solvents in different proportions by column chromatography was described. Ethanol, chloroform and methanol were of GR Merck grade. hexane LR, benzene was of HPLC grade

(Rankem) while ethyl acetate was obtained from Qualigens, silica-gel. RPMI-1640, Fetal calf serum, Trypsin, PBS, Tryphan blue, Penicillin, Streptomycin, Gentamycin, DMSO, Sulpho rhodamine, Mitomycin C, Paclitaxel (taxol), 5 Fluorouracil, were obtained from sigma chemical Co. USA and rest of the chemicals were of high purity and obtained locally. Tissue culture flasks and 96-Well cell culture plates were obtained from NUNC, Germany.

Synthesis- Not all natural products can be fully synthesized and many natural products have very complex structures that are too difficult and expensive to synthesize on an industrial scale. These include drugs such as penicillin, morphine, and paclitaxel. Such compounds can only be harvested from their natural source - a process which can be tedious, time consuming, and expensive, as well as being wasteful on the natural resource. For example, one yew tree would have to be cut down to extract enough paclitaxel from its bark for a single dose. Furthermore, the number of structural analogues that can be obtained from harvesting is severely limited further problem is that isolates often work differently than the original natural products which have synergies and may combine, say, antimicrobial compounds with compounds that stimulate various pathways of the immune system. Many higher plants contain novel metabolites with antimicrobial and antiviral properties. However, in the developed world almost all clinically used chemotherapeutics have been produced by in vitro chemical synthesis. Exceptions, like taxol and vincristine, were structurally complex metabolites that were difficult to synthesize in vitro. Many non-naturals, synthetic drugs because severe side effects that were not acceptable except as treatments of last resort for terminal diseases such as cancer. The metabolites discovered in medicinal plants may avoid the side effect of synthetic drugs, because they must accumulate within living cells.

Pre-Extraction Operation - The Plants were selected on the basis of their wide local use in traditional medicine.

The leaves are collected from the healthy plant.

Identification – the plant material is identified in a local herbarium.

Anticancer Activity - Cancer, which is characterized by abnormal and autonomous cell proliferation, is a well known disease of this century. Chemotherapy is the most commonly used method for treatment of cancer. But as the chemotherapeutic drugs are highly toxic and possess devastating side effects thus several new strategies are being developed to control and treat cancer. Catharanthus roseus extract exhibited anti-proliferative effects in several cancer cell lines including Shiongi 115, breast cancer MCF-7, prostate cancer PC-3 and DU-145 cells (Kaur et. al., 2005 and Pinmai, 2008). Catharanthus roseus leaves have been found to have in-vitro anti-HIV-1,

ant malarial, ant mutagenic, antifungal, antibacterial and in-vivo hepatoprotective.

Considering the reports on use of Catharanthus roseus in the form of “Triphala” as a potent anticancer drug in ayurveda the present study was taken up for evaluating anti-cancer potential in extract and various fractions of leaves of Catharanthus roseus against human cancer cell lines

Result and Discussions - Samples were evaluated against four cell lines of three different tissues i.e. PC-3, DU-145 (Prostrate), A-549 (Lung) and Colo-205 (Colon) at 100 g/ml. All samples showed cytotoxicity upto depending on the cell lines.

Describes the isolation and structure elucidation of three new alkaloids, 'Bannucine, Gomaline and Rosamine'. Three other compounds isolated have been identified as rhazimol, cathovaline and catharine. Rhazimol and cathovaline have not previously been reported from this plant. A detailed study on the ¹H- and ¹³CNMR spectra of catharine has provided insights into the conformations of the molecule in isolation.

References:-

1. Zhanel GG, Walters M. Noreddin A, et al. The ketolides: a critical review. *Drugs*. 2002; 62:1771-1804. PubMed DOI: 10.2165/00003495-200262120-00006
2. Pastores GM, Barnett NL, Kolodny EH. An open-label, noncomparative study of miglustat in type I Gaucher disease: efficacy and tolerability over 24 months of treatment. *Clin Ther*. 2005; 27:1215-1227. PubMed DOI: 10.1016/j.clinthera.2005.08.004
3. Weinreb NJ, Barranger JA, Charrow J, Grabowski GA, Mankin HJ, Mistry P. Guidance on the use of miglustat for treating patients with type 1 Gaucher disease. *Am J Hematol*. 2005; 80:223-229. PubMed DOI: 10.1002/ajh.20504
4. ITIS (February 2009) <http://www.itis.gov/>
5. Encyclopedia of Life (March 2009) <http://www.eol.org/pages/581125>
6. Armitage, A.M. (2001). *Manual of Annuals, Biennials, and Half-hardy Perennials*. Timber Press, Portland, Oregon.
7. Aquil, F., Ahmad, I. and Mehmood, Z., 2006. *Turk J. Bio.*, 30, p.177
8. Baily, R.W. and Scott, G.E., 1966. *Diagnostic Microbiology* (2 nd ed.), The CV Mosby Co. Saint Louis, Japan.
9. Belal, F., Elashry, S.M., Elkerdawy, M.M. and Elwasseeef D.R., 2001. *J. of Phar and Bio. Ana.*, 26, p. 435.
10. Van Bergen, M. & Snoeijer, W.(1996). *Catharanthus G.Don. The Madagascar Periwinkle and Related Species*. Wageningen Agricultural University Papers 96-3: 1-120.

Study of phytoplankton density and Physico-chemical parameters in Mandam-Dhar, Madhya Pradesh, India

Dr. D.S. Waskel* Dr. K.S. Alawa**

*Department of Zoology, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

**Department of Botany, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

Abstract - In this investigation matter samples were collected Mandam Dhar (M.P.). The phyto plankton density was studied in relation to some physico-chemical parameters and carried out for a two years seasonally from 2020 -21. The physio-chemical parameters are very important factors of environmental, which fluctuates phytoplankton population. the plankton plays a very important role of maintaining the productivity of the water body.

A total number of 25 species of phytoplankton were identified belonging to four groups-Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae and Euglenophyceae. Chlorophyceae groups include 12 species, 6 Cyanophyceae, 5 Bacillariophyceae and 2 Euglenophyceae. These groups are respected in order of dominance as Chlorophyceae >Cyanophyceae> Bacillariophyceae> Euglenophyceae.

Keywords- Phytoplankton, environment, productivity, physico-chemical parameters.

Introduction - Water is essential for the existence of on this planet. Today good quality water has become a precious commodity. it possesses a number of physic-chemical properties that help water to act as the best medium for the life activity.

Plankton refers to microscopic aquatic plants or animals having little or no resistance to water current and living free floating and suspended in open or 'pelagic water'. They play a significant role in aquatic system as consumers. Phytoplanktons are main producers of an aquatic ecosystem which control the Biological productivity. They are ecological significant as they from the basic lake in the food chain of all aquatic animals (Mishra *et al.* 2001).

Material and Methods: The present study was carried out in the Mandam. The physic-chemical parameters are described in table-1. Water samples were done between seasonally (rainy, winter and summer) for two years 2020-21. Physic-chemical parameters were analyzed by following the standards methods of APHA(1992). The samples were taken in glass bottles. The plankton samples were collected following Welch (1953) and Lind (1979) by filtering 40 lit. of water through small plankton net made up to bolting silk no. 25 (64 μ .size). The plankton was identified with help of keys by Smith (1950).

I- Counting of the individual phytoplankton was done by drop count method (Adoni 1985) using the formula
Phytoplankton/lit.= $A \times 1 / L \times n / V$

Where; A= Average no of organism/drop

L= Volume of original sample in ml.

n = Volume of one drop in ml.

V = Total volume of the concentrated sample in ml.

II- $SD = \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n-1}}$

Density = mean + $SD \times 10^2$

where; X = Individual reading of parameter

$\bar{X}$ = Mean of $\sum X$

n = Number of samples

Study area: The Mandam is being constructed at village Jeerabad of Tehsil Gandhwani district- Dhar (M.P.) India. The Dam being built on the Man river drained by the Narmada river is one of the 30 Major dams being built in the Narmada Valley a part of the controversial Narmada Valley development project (NVDP).

The Mandam reservoir planed to benefits mainly the drought prone fisheries tribal areas of Dhar district. the maximum height of the Dam is 49.40 Meters above deepest-foundation level. A two canal system one on either bank to irrigations the project command in 49.09 Meter. and of the earth them will be 33.9 M. a lavel of 300.4 M. For all 3 Dams. The right Bank Canal lakes of the Saddal Dam. No.1 at R.D.1620 M. whiles the left Bank Canal lakes off the dam R.D.240 Meter.

Results and discussion: The physico-chemical parameters of Mandam have been given in table-2. The phytoplankton communities of the present water body were represented mainly four groups viz. Chlorophyceae, Cyanophyceae, Bacillariophyceae and Euglenophyceae (Table-3). in all species of phytoplankton were identified

out of which 12 to Chlorophyceae, 6 to Cyanophyceae, 5 to Bacillariophyceae and 2 to Euglenophyceae respectively. the phytoplankton density was studies in years 2020 -21 (4268 no./lit.) Table-3.

Chlorophyceae: It was the most significant groups having a contribution of 21.20 percent to the total phytoplankton population. the peak of the groups was recorded in the summer season and minimum in the rainy season during the year of investigation.

Cyanophyceae: The Cyanophyceae (blue green algae) is an important and part of the phytoplankton in Mandam. Cyanophyceae comprised second group of phytoplankton with contribution of 10.22 percent. the maximum observed during summer season and minimum in rainy season.

Bacillariophyceae: It accounted for a contribution of 9.28 % the maximum density of Bacillariophyceae was observed during the summer season while the minimum in winter season. the density of Bacillariophyceae population was found to be closely associated with PH.

Euglenophyceae: This group is represented by two species euglena and trchomonous with contribution of 2.31 %. the maximum density observed was summer season while minimum in winter season. phytoplankton density is fairly dependent on quality of water and climate factors of various physico-chemical and biological characteristic must be simultaneously taken in to the for understanding the fluctuations plankton population(Davis, 1955). Temperature, pH, alkalinity and phosphate have been emphasized to be significant factors controlling distributions of Cyanophyceae (Singh1965).

The density of Bacillariophyceae at population was found to be associate with PH. Tripathi & Panday (1990) and Hedge & Sajutha (1997). Reported that high water temperature, phosphate, nitrate, low O₂ and CO₂ supported the growth of euglenophyceae. Water temperature was considered to be important physical factors which influenced the chemical change in water (VASS 1989). the phosphate concentration in water season. The plankton community on which whole aquatic population depends in largely influenced by interaction of a number of physico-chemical factors.

The present study was ensure that variation in the abundance of plankton can be best explained when environmental factors jointly influence thus, it may be concluded that the density of phytoplankton is dependent on different biotic factors either directly or indirectly.

Acknowledgement: The authors are grateful to Dr. H.L.

Fulware, Principal and Dr. D.S. Waskel, Head of Zoology Department Govt. P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to PHE Officer Indore for help during study the Mandam. Special thanks are due to all acknowledgeable for the important information giving regarding the study area.

References:-

1. **APHA (1992).**Standard method for examination of water and waste water. Washington D.C.
2. **Basavaraja Simpi, S.M. Hiremath,K.N.S. Murthy, K.S.Chandarash,APPA, Anil N. Patil, E.T.Puttiah (2011).**Analysis of water quality using physico-chemical parameters Hosahalo tank in S.Himega district, Karnatka, India, 11 (3).
3. **Davis C.C. (1955).** The marine and fresh water plankton, Michigam state Uni.press, East Lansing, USA.
4. **Gupta, S.M. (2003).**Physico-chemical characteristics and analysis of water quality of Bikaner city, Asian Jou.chemical, 15:727.
5. **Gopal Krishana H.M.(2011).**Assessment of Physico-chemical status of ground water sample, Inacotcity, Res.Jou. of chemi.Science, 1(4), 117-124.
6. **Gallardo B., Clavero M., Sanchez M.I.,Vila M.(2016).**Global ecological impacts of invasive species in aquatic ecosysytem. Global change boil, 22:151-163.
7. **Jain M.K., Dadhich L.K., Kalpana S.(2011).** Water quality assessment of Krishanpura Dam, Baran, Rajasthan, India, Nature envi. and pollu.,Tech, 10(3), 405-408.
8. **Johengen T.H. (2014).** Changing ecosystem Dynamics in the Laurentian Great Lake. Bottom up and Top down regulation, Bio. Science, 64:26-39.
9. **Sharma S., Solanki, C.M. Sharma D. and Tail,I. (2013).** Population dynamics of plankton in river Narmada at Omkarreshwar, IJAR 1(1): 11-15.
10. **Singh, B.N. & S. Rai (1999).** Physico-chemical studied of Ganga River at Varansi. Jou. Envi.Pollution, 6:43-46.
11. **Singh, M. (1965).** Phytoplankton oeridicity in a small lake near Delhi.I. Phykos, 4:61-68.
12. **Trivedi R.K. & Goel P.K. (1986).** Chemical and biological method for water pollution studied, Envi. Pub. Karad, 215.
13. **Waskel, D.S. (2015).** Phytoplankton periodicity in relation to abiotic factors in Kapur tank, near Mandu district Dhar (M.P.) India. Jour. Of NSS, Vol.(1): 17-19

Table-1 Seasonal variation of Physio-chemical parameters in Mandam During 2020-21.

S.	Parameters	Year-2020			Year-2021		
		Rainy	Winter	Summer	Rainy	Winter	Summer
1	Turbidity	38.5	18.5	22.6	38.9	22.1	24.8
2	PH	7.2	7.5	7.9	7.3	7.4	8.00
3	TDS	235	228	260	240	226	265
4	Total hardness	181	187	199	176	179	196
5	Total Alkalinity	136	140	158	140	148	162
6	Nitrate	1.99	2.0	1.92	2.0	2.12	1.98
7	Phosphate	2.15	2.05	2.16	2.8	2.4	2.20
8	DO	5.4	5.6	5.2	5.9	7.8	5.1
9	BOD	4.4	4.9	4.40	4.8	4.6	4.30
10	COD	25	28	19	26	28	20

Note:- The value are in mg/lit. except PH

Table-2: Seasonal variation in phytoplankton density in Mandam

Groups	Year-2020			Annual total	Year-2021			Annual total
	Rainy	Winter	Summer		Rainy	Winter	Summer	
I-Chlorophyceae								
Spirogyra sp.	0	2	4	6	3	3	8	14
Zygnema sp.	2	4	3	9	2	6	4	12
Volvox sp	18	12	10	40	20	22	32	74
Chlorella sp.	6	4	12	22	4	3	15	22
Scenedesmus sp	3	4	3	10	2	3	6	11
Pediastrum sp.	2	1	0	3	0	2	1	3
Ulothrix sp	0	0	2	2	1	0	2	3
Oedogonium sp.	4	6	10	20	8	10	17	35
Cosmarium sp.	0	2	0	2	0	4	3	7
Closterium sp.	1	3	4	8	1	3	8	12
Chara sp.	18	20	21	59	20	23	30	73
Hydrodictyon sp.	0	2	3	5	0	3	5	8
Total sp	54	60	74		60	82	131	274
II- Cyanophyceae								
Oscillatoria sp.	2	0	10	12	2	3	12	17
Anabaena sp.	0	2	1	3	0	1	3	4
Nostoc sp.	3	4	7	14	4	7	10	21
Merismopedia sp.	0	0	1	1	0	1	0	1
Microcystis sp.	2	1	1	4	3	2	1	6
Spirulina sp.	1	2	2	5	2	3	5	10
Total sp	8	9	22		11	18	31	59
III-Bacillariophyceae								
Melasiras sp.	0	0	2	2	1	2	1	4
Fragilaria sp.	2	2	4	8	2	3	5	10
Navicula sp.	3	2	1	6	2	1	2	5
Pinnularia sp.	2	3	3	8	0	0	2	2
Amphar sp.	4	0	2	6	0	0	0	0
Total sp	11	7	12		5	6	10	21
IV-Euglenophyceae								
Euglena sp.	0	0	1	1	0	1	2	3
Trachelomonas sp.	1	0	2	3	0	1	2	3
Total sp.	1	0	3	4	0	2	4	6

Clove and Its Benefits

Dr. Rajesh Masatkar*

*Govt. Degree College, Nainpur, Distt. Mandla (M.P.) INDIA

Abstract - Clove is most commonly recognized as a spice used for cooking. Cloves are low in Calories but a rich source of manganese. These are otherwise an insignificant source of nutrients. Cloves are high in antioxidants, including Eugenol, which can help reduce oxidative stress. Studies show that the compounds in cloves may reduce cancer cell growth and promote cancer cell death. Studies show that cloves may promote oral health, thanks to their antimicrobial properties which may help kill harmful bacteria. Some studies show that cloves and the compounds they contain may help reduce oxidative stress and protect the liver. Animal studies have shown that the compounds in cloves may help promote insulin production and lower blood sugar. Clove has also been used for centuries to treat various health concerns. Some of these potential benefits have been evidenced by research.

Keywords – Antioxidants, Detoxify, Eugenol, Antibacterial.

Introduction - Clove are commonly used in Indian homes to enhance the taste of the dishes. Other than it's making the food mouth-watering. It is a medicinal spice that works like magic for the body. Cloves are considered very beneficial for health, especially according to Ayurveda. If consumed on a regular basis, clove with its medicinal properties can help get relief from stomach ailments as well as toothache and throat pain. The clove, which is small in appearance and slightly bitter in taste, is rich in many qualities. An element called Eugenol is found in cloves due to which problems like stress, stomach ailments, Parkinson's disease, body ache and others remain at bay. Cloves have essential elements such as Vitamin E, Vitamin C, Folate, Riboflavin, Vitamin A, Thiamine, Vitamin D, Omega 3 fatty acids in addition to anti-inflammatory, antibacterial properties. Usually, clove can be consumed at any time. But if it is consumed before bedtime, then its benefit is doubled. *Syzygium aromaticum* an evergreen tree that grows in Asia and South America, clove is a spice used in cooking. Rich in antioxidants, vitamins, and minerals, cloves have been used tonically in traditional Chinese medicine and Ayurvedic medicine to strengthen the immune system, reduce inflammation, and aid indigestion.

Objectives – The main objectives are as given below.

1. To clean and detoxify individuals body naturally.
2. To save the individuals from digestive dysfunction.
3. To make the people of the country healthy, strong and provide natural look on their body.
4. To make the people of the country useful in the development of our nation.
5. To increases the economical status of the people.

6. To minimizes the intake of medicines.
7. To reduces the cost of treatment at zero level.
8. To saves the time of people from unnecessary treatments.
9. To improve the immunity of the individuals.

Methodology – To test the clove benefits, I used myself and my wife as are volunteers. We have been eating this clove for five to six months. After consuming what we found we explained in the heading under discussion of this paper.

Nutritional Facts – One teaspoon (2 grams) of ground cloves contains

Calories	: 6
Carbohydrates	: 1 gram
Fiber	: 1 gram
Manganese	: 55% of the Daily Value (DV)
Vitamin K	: 2 % of the Daily Value (DV)

Benefits of Clove – Here are some most important and trialed benefits of clove are present before you.

Powerful Antioxidant – Cloves are rich in antioxidants. Antioxidants are compound that reduce oxidative stress, which can contribute to the development of chronic disease. Cloves also contain a compound called Eugenol which has been shown to act as a natural antioxidant. In fact, a test tube study found that Eugenol stopped oxidative damage caused by free radicals five times more effectively than vitamin E, another potent antioxidant. Including cloves in your diet along with other antioxidant-rich foods can helps improve your overall health.

Kill Bacteria – Cloves have been shown to have antimicrobial properties, meaning they can help stop the growth of microorganisms like bacteria. One test-tube study

showed that clove essential oil killed three common types of bacteria, including *E.coli*, which is a strain of bacteria that can cause food poisoning. The antibacterial properties of cloves could even help promote oral health. In one test tube study, the compounds extracted from cloves were found to stop the growth of two types of bacteria that contribute to gum disease.

To Prevent Cancer – One test-tube study found that clove extract helped stop the growth of tumors and promoted cell death in cancer cells. Another test-tube study observed similar results, showing that concentrated amount of clove oil caused cell death in 80% of esophageal cancer cells. The Eugenol found in cloves has also been shown to have anticancer properties. A test-tube study found that Eugenol promoted cell death in cervical cancer cells. However, keep in mind that these test-tube studies used very concentrated amount of clove extract, clove oil, and Eugenol. Eugenol is toxic in high amounts and overdosing on clove oil may cause liver damage, especially in children, further research is needed to determine how lower amount may affect humans

Regulate Blood Sugar- Research shows that the compounds found in cloves may help keeps blood sugar under control. Cloves and nigericin were found to increase the uptake of sugar from the blood into cells, increase the secretion of insulin, and improve the function of cells that produce insulin. Insulin is a hormone responsible for transporting sugar from your blood into your cells. The proper functioning of insulin is essential for maintaining steady blood sugar levels. Study has shown that the compounds in cloves may help promote insulin production and lower blood sugar.

Promote Bone Health – Some of the compound in cloves have been shown to help preserve bone mass in animal studies. An animal study found that clove extract high in Eugenol improved several markers of osteoporosis and increased bone density and strength. Cloves are also rich in manganese, providing a impressive 30% of the daily value in just 1 teaspoon of ground cloves. Manganese is a mineral that's involved in the formation of bone and incredibly important to bone health. An animal study found that taking manganese supplements for 12 weeks increased bone mineral density and bone growth.

Reduce Stomach Ulcers – Some research indicates that the compounds found in cloves could help treat stomach ulcers. In one animals study, essential oil from cloves was shown to increase the production of gastric mucus. Gastric mucus functions as a barrier and helps prevent erosion of the stomach lining from digestive acids. Though the anti-ulcer effects of cloves and their compounds may be promising, further studies are needed on their effects in humans.

Toothache and Dental Pain – Many of the benefits of clove oil are thought to result from its analgesic, anti-inflammatory and antibacterial effects. Clove oil is perhaps best known

as a remedy for toothache and dental pain. The antibacterial properties of clove may help reduce oral bacteria that can lead to the development of plague, gingivitis, and cavities.

Food Poisoning Prevention – Clove oil has been found to have an antibacterial effect on common food source Gram-negative bacteria such as *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella*, *E.coli*, as well as Gram- positive bacteria such as *Streptococcus*, and *Staphylococcus*. Scientists found that clove bud oil (as well as essential oils of cinnamon and all spice) also helped suppress the growth of *Listeria*, another common bacteria known to cause food-borne illness, indicating clove oil may be helpful in protecting against food poisoning.

Discussion – Although clove is a healthy, one must pay heed to the serving limit. Expert recommends a safe clove dosage of upto 1-2 per day. Taking in large amounts of clove can lead to many health complications. Clove gives relief in cold and cough, clean our throat and it makes our digestive track healthy. My wife and I take 1 to 2 cloves after 1 hr of dinner at night daily.

Findings:

1. Clove lower sugar level.
2. Clove is a powerful antioxidant.
3. Clove controls tooth disorder.
4. Clove toxic to cancer cells.
5. Clove corrects our digestive system.

Suggestion:

1. Eugenol a chemical in clove might slow blood clotting.
2. Do not take large amount of clove oil at once it may cause health disorder.
3. Eugenol is toxic in high amounts.
4. Intake of large amount of clove oil caused serious liver damage.

Conclusion – It is old says that "Health is Wealth". If health is well then all things is in our hand. But being author of this paper I want to expose multi-benefits of Clove in front of you. Eat one thing instead of many things for getting several benefits. In near future my intention is that I want to expose such multi-benefit things before you. So, an individual get more health benefit by eating such super food and doing less exercise.

References:-

1. <https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-cloves>
2. <https://www.verywellhealth.com/the-health-benefits-of-cloves-89050>
3. <https://www.indiatvnews.com/health/eat-2-cloves-with-warm-before-sleeping-at-night-health-benefits-immunity-booster-695932>
4. <https://www.mindbodygreen.com/0-health-benefits-of-cloves.html>
5. <https://www.femina.in/life/food/5-health-benefits-of-cloves-27076.html>

Antimicrobial Activity and Phytochemical Analysis of Citrus Reticulata Peels Extract

Pramila Kori* Kajal Dasandhi**

*Department of Chemistry, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA

**Department of Chemistry, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - The peels Extract of citrus reticulata were screened for its Antimicrobial and Phytochemical Activities. the solvents used for the peels and pulp Extraction were Benzene, Acetone, Methanol, aqueous. the Extract was tested against Infectious diseases causing Bacterial such as E.coli staphylococcus aureus Bacillus subtilis using the well diffusion Method. the Benzene, acetone, aqueous Extract of peels & pulp of citrus reticulata Inhibition against the entire test microbe ranging from 8 to 16 mm diameter inhibitory zone. In present study, Bacterial Extract showed a varying zone of Inhibition of growth of tested organism than Benzene, acetone, aqueous. phytochemical properties of peels & pulp of citrus reticulata obtain from Benzene, acetone, aqueous Extract were investigated. the result confirmed that presence of Antibacterial activity and Phytochemical in shade dried extract of citrus reticulata against the human pathogenic Bacteria.

Keywords- Antimicrobial and Phytochemical activity, citrus reticulata, S.aureus, E.coli, B.Sabtilis.

Introduction - The potential of higher plants as source for new drugs is still largely unexplored. Among the estimated 250,000-500,000 plant species, only a small percentage has been investigated phytochemically and the fraction submitted to Biological or pharmacological screening is even smaller. thus any Phytochemical investigation of a given plant will reveal only a very narrow spectrum of its constituents. Random screening as tool in discovering new Biologically active molecules has been most productive in the area of antibiotics. 1 medicinal plants Represent a Rich source of Antimicrobial agents. 2 Although hundreds of plants species have been tested for Antimicrobial properties, the vast majority of have not Been adequately evaluated. considering the vast potentiality of plants as source for Antimicrobial drugs with reference to Antibacterial activity. in current work the Antimicrobial Activity of various Extracts of a valuable Medicinal plant citrus reticulata is systematically studied on some common pathogenic microorganisms, which may result into the development of potent Natural remedy for many infections after advance studies in future.

Citrus reticulata belongs to rutaceae family and it is commonly known as sweet orange. 3 it is the most commonly grown tree fruit in the world. 4 the sweet orange is an evergreen flowering tree generally growing to 9-10m in height. its fruit is strengthening, cardi tonic, Laxative, anthelmintic and Removes fatigue. 5 it possesses antifilamentary, antibacterial and antioxidant properties. 6 its peels are shiny and leathery, arranged alternatively. oranges

are said to lower cholesterol and aid in the digestion of fatty foods. 7 the vitamin c in oranges is concentrated mainly in the peel and the white layer just under the peel. the peel contains citral, an aldehyde that antagonizes the action of vitamin A. therefore, anyone eating quantities of orange peel should make certain that their dietary intake of vitamin A is sufficient. 8

Material And Methods - Collection of plant Material the peels of citrus reticulata were done from the area around Nagpur, madhya pradesh.

The whole plant and parts were done by Phytochemical Extraction and screening.

A) Extraction of plant- The peels of citrus reticulata were allowed to dry in shade for a week and then grounded into fine powder in mixer grinder. 25 gm of dried powder was subjected to soxhlate Extraction with 200 ml of solvents starting from Benzene followed by Extraction with other solvents Acetone and pure Distilled water in separate ways. Soxhlate process was allowed to carry out till the complete exhaustion of sample material use for Extraction with the maintenance of temperature below the boiling points of the solvents used. the Extract so obtained is subjected to evaporation of solvent to get the Extract in crystalline/slurry from which were suitably diluted and used for preliminary Phytochemical analysis and studies of their Antimicrobial Activity.

B) Phytochemical analysis of the Extract- A small portion of the Extract were subjected to the Phytochemical test using Harbourne's (1983) methods to test for Alkaloids,

glycosides, tannins, saponins, flavonoids, phenolic compound, amino acids.9,10,11.

Test for Alkaloids:- about 2 ml extract and than filled 1ml Mayer's reagent.formation of orange red precipitate indicate.the presence of Alkaloids.

Test for tannins:- about 2ml extract and than added 1% gelatin reagent.it is indicate Brown yellow precipitate.the presence of tannins.

Test for flavonoids:- about 2ml Extracts and then a few drops of NaoH solution is added.yellow precipitate shows the presence of flavonoids.

Test for saponins:- about 2ml extracts shaken with 10ml added distilled water than shake 3 minute.orange precipitate presence shows the presence of saponins.

Test for glycosides:- the extracts with CH₃COOH and with FeCL₃ solutions.and 1drops of ferric chloride solution added.it ring showed Brown yellow ring .it is indicate glycosides.

C) Culture media and Inoculum preparation - Nutrient Agar Broth cultures of the pure culture isolates of staphylococcus aureus,E.coli and Bacillus subtilis were prepared by transferring a loop of Culture into sterile nutrient Broth and incubates at 37°C for 48 hours.A loop full was taken from these Broths and seeded onto sterile nutrient agar plates through sterile cotton swab to develop diffused heavy lawn culture.

D) Antimicrobial Activity- The well diffusion method was used to determine the Antibacterial Activity of the Extracts prepared from the citrus raticulata peels using standard procedure.in this method,first the test Bacteria Broth of Bacteria are used to inoculate on the nutrient agar plates with the help of sterile Cotton swabs to develop the lawn culture.then to these plates 6 mm diameter well are punched in agar plates pre-inoculated with test microorganisms undiluted over night broth cultures should never be used as an inculam.routine direct Application of suitably diluted extracts is poured into the well.the plates were incubated at 37°C for 24 hr. and then examined for clear zones of inhibition.sterile water used as control.

Result and Discussion- Phytochemical analysis of Bioactive compound in Different solvents Extracts of citrus raticulata

The plant peels Extracts in different solvent were screened for the presence of various Bioactive Phytochemical compounds.

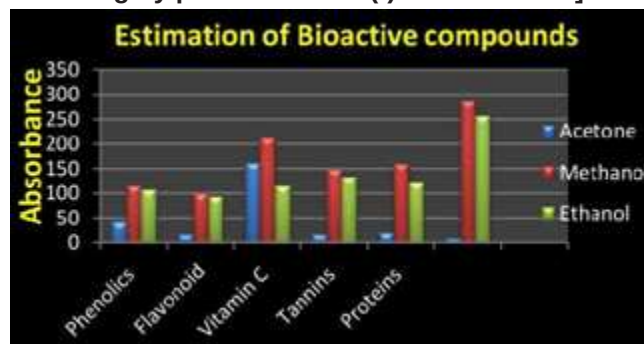
The analysis of Alkaloids, glycosides, tannins, saponins, flavonoids.the Benzene Extract tannins are absent and Alkaloids, glycosides, saponins, flavonoids are present.in aqueous extract Alkaloids are absent and glycosides, tannins, saponins, flavonoids are present.this documented in table 1.

Table -1 :- Phytochemical analysis of citrus raticulata Extracts from peels

Table- 1

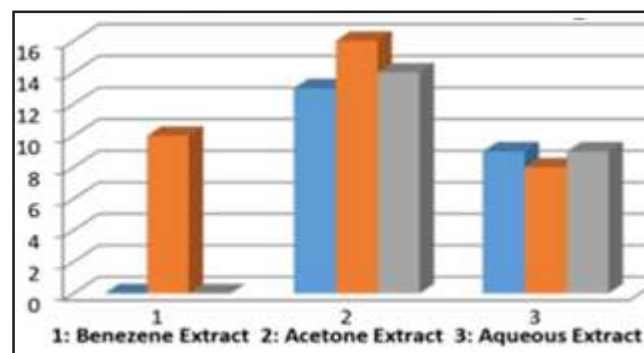
S.	Constituents	Soxhlate extraction of peels samples to citrus raticulata			
		Benzene	Acetone	Methanol	Aqueous extract
1	Alkaloids	-	+2	+2	+2
2	Glycosides	-	-	+	+
3	Tannins	±	+	+5	+
4	Saponins	-	+	+	+3
5	Flavonoids	+4	+2	+5	+5

[(+) means present, (+2 or +3) means prominent , (+) means highly prominent and (-) mean absent.]



Antimicrobial efficacy of different solvent Extract of citrus raticulata is shown.

The result from peels and pulp Extracts of citrus raticulata, acetone Extract shows maximum Antimicrobial Activity against E.coli out of the all test microbes with zone of Inhibition lying in the range of 16 mm approx.on the basis of result depicted in the table 1.the least inhibitory range was 8 mm for aqueous Extract against E.coli but there was no Inhibition observed against S.aureus,B.sabtilis in Benzene peels & pulp Extract.



Graph 2 : screening for Antimicrobial Activity of peels Extracts of citrus raticulata for the three test species.

Conclusion- The Phytochemical analysis revealed the Bioactive compounds which are responsible for the in vitro Antimicrobial of citrus raticulata our all bacterial strains in all Extracts could be Benzene, acetone, aqueous Extract of various parts of citrus raticulata might be exploited as a Natural drug for the treatment of several Infectious diseases caused by these organisms and could be useful in understanding the ralations between traditional cures and

current medications.

Our results showed that in present work that Extracts obtained peels of the plant citrus raticulata using various solvent are Rich sources potent Phytochemicals especially the peels Extract and has inhibitory effects on the experimental microbes. from previous studies and the current work, it is clear that the plants are Rich source of Alkaloids, glycosides, tannins, saponins. these Bioactive complex Phytochemicals can be used for the development of potent drugs, medicines or Antimicrobial agents that can be used for various purpose for human walfare upon further extensive and systematic studies.

References:-

1. Jp Remington, the science and practice of pharmacy, 21st edition, Lippincott Williams and Wilkins, 773-774.
2. V Duraipandiyar, M Ayyanar, Ig Anonymous: in the Wealth of India: A Dictionary of Indian Raw Materials and Industrial products. Vol, 2, CSIR: 116-118, 1998, new Delhi, India.
3. G.D.N. Bakshi, P. sensarama, D.C. pal, J.A Lexicon of Medicinal plants in india. 1999, culcutta : Nayaprokash.
4. F.L. Maimi, J. Morton , J Fruits of Warm climates. 134-142, 1987
5. K.R. Kirtikar, B.D. Basu, J Indian Medicinal plants. Dehradun: Singh and Singh 2. 1984.
6. S Ramachandran, J. Anbu, M. Saravanan, K. Gananasam, S.K. Sridhar, J. indian pharm. Sci, 64: 66-68, 2002.
7. T.B. Cesar, N.P. Aptekmann, Araujomp, C.C. Vinagre, R.C. Maranhao, J nutrition research, 30(10), 689-694, 2010.
8. H. Audrea, Ensminger, J. food & nutrition Encyclopedia, 1, 5-8, 1983.
9. GE Trease, and WC Evans, A textbook of pharmacognosy, Bacillier tinal Ltd, London, 13 edition. 1989.
10. P. kori and P. Alawa, Antimicrobial Activity and Phytochemical analysis of calotropis gignesea Root, latex, Extracts" IOSR journal of pharmacy 2014, 4, 6: 07-11.
11. P. kori and M. Nagar, Antimicrobial Activity and Phytochemical Analysis of Citrus sinensis Leaves Extracts. 'International journal of science and Research 2020, 9: 253-255.
12. Satish, S, DC Moohana, M.P. Ranhavendra and KA Raveesha, Antibacterial Activity of some pathogenic of Aspergillus SP. J. of Agriculture technology, 3, 109-119

Study of the Influence of Sodium Chloride and Sodium Carbonate on Photodegradation of Methyl Green dye

Dr. David Swami*

*Department of Chemistry, S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Methyl Green is the oldest synthetic dye. They are brilliant color due to resonance of unsymmetrical triphenyl carbonium ions and cover a range of shades from blue, including violet and green. Photocatalytic degradation of Methyl Green has been examined in TiO_2 dispersions under visible light. The degradation rates proved to be strongly influenced by sodium chloride and sodium carbonate. The wastewater from dyeing operations also contain considerable Na_2CO_3 and NaCl . It is important to study the influence of chloride and carbonate ion on the treatment efficiency. This study confirms that the present of NaCl and Na_2CO_3 led to inhibition of the photodegradation process.
Keywords- Methyl Green, Degradation, Visible light, Wastewater, Process.

Introduction - Dye pollutants from the textile industry are an important source of environmental pollution. Most of the dyes used in the textile industry are highly stable, toxic, soluble in water and non-biodegradable.⁽¹⁾ The presence of even small amounts of dyes is clearly visible and influences the water quality. Many dyes are difficult to oxidize and decolorize due to their large degree of aromaticity. Advanced oxidation process have emerged as an important class of technologies for the destruction of dyes in aqueous suspensions. TiO_2 is used as effective, inexpensive and nontoxic semiconductor photocatalyst for the degradation of a wide range of organic chemicals and synthetic dyes. It not only degrade the pollutants but also causes their complete mineralization to CO_2 , H_2O and mineral acids.^(2,3) The aim of the present study is to carry out detailed studies of the influence of Sodium Chloride and Sodium Carbonate on photodegradation of Methyl Green dye.

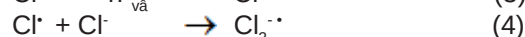
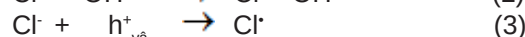
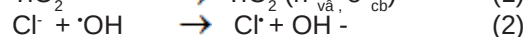
Experimental: Methyl Green was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution ($3.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$) using 300mg of TiO_2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of $30 \pm 0.3^\circ\text{C}$. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for $\frac{1}{2}$ h in order to establish equilibrium

between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing aqueous dye solution and TiO_2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove TiO_2 particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter.

Results and Discussion: An aliquot was taken from the reaction mixture at regular time interval and the absorbance was measured spectra photo metrically at max value of 630 nm. The absorbance of the solution was found to decrease with increasing time. Which indicates that the concentration of Methyl Green dye decreased with increasing time of exposure.

Effect of NaCl and Na_2CO_3 : Sodium chloride usually comes out in the effluent from textile mills as the dyeing process often required high concentration of sodium chloride for the transfer of dyestuff to the fabric. The study of the influence of NaCl has become important in photocatalysis, because it might reduce reaction rates by poisoning the TiO_2 active sites or by scavenging radicals via the chloride ion⁽⁴⁾. The addition of NaCl revealed that the rate of degradation of the dye decreased from $3.37 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ to $1.57 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ with increase in the amount of chloride ions as shown in Fig. 1. In the presence of NaCl , the Cl^- ions migrate to the surface of TiO_2 and scavenge for h^+ and $\cdot\text{OH}$.

The $\text{Cl}_2^{\cdot-}$ formed is capable of oxidising the organic compounds, but at a lower rate than $\cdot\text{OH}$ radicals.



The wastewater from dyeing operations also contains considerable amount of carbonate ions which is used in textile processing operations for adjusting the pH of the dye bath⁽⁵⁾. Therefore it is important to study the influence of carbonate ion on the treatment efficiency. The rate of degradation of the dye gradually decreased from $3.37 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ to $1.71 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ with increasing carbonate ion concentration. This is due to the hydroxyl scavenging property of carbonate ion. Thus the free hydroxyl radical which is a primary source for the photocatalytic degradation decreased gradually with increase in the carbonate ion concentration resulted in the ultimate decrease in the rate of degradation of the dye significantly.

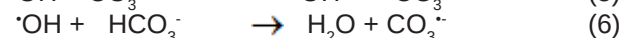


Table 1: Effect of NaCl and Na_2CO_3 : [MG] = $2.5 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$, pH = 10.0 TiO_2 = 100mg/ 100 mL, Light intensity = $20 \times 10^3 \text{ lux}$, Temperature = $30 \pm 0.3^\circ\text{C}$.

[Salt] $\times 10^6$ $\text{mol}^{-1} \text{ dm}^3$	NaCl		Na_2CO_3	
	$k \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^3 \text{ s}^{-1}$	$k \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$	$t_{1/2} \times 10^3 \text{ s}^{-1}$
0.0	3.37	2.05	3.37	2.05
2.0	3.26	2.12	3.22	2.15
4.0	3.07	2.25	3.03	2.28
6.0	2.49	2.78	2.45	2.82
8.0	2.30	3.01	2.26	3.06
10.0	2.14	3.23	2.07	3.34
12.0	1.91	3.62	1.80	3.85
14.0	1.71	4.05	1.57	4.41

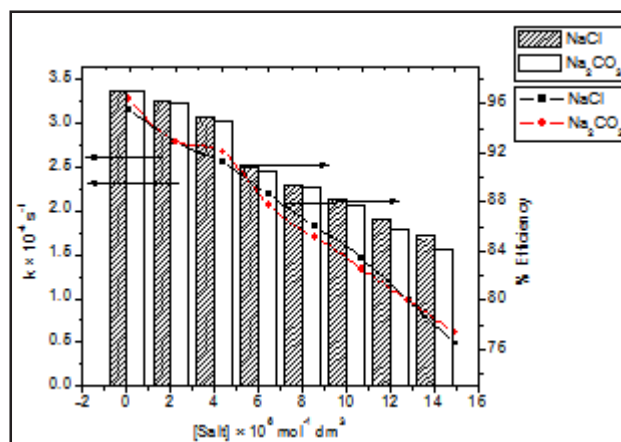


Fig. 1: Effect of Salt NaCl and Na_2CO_3

Conclusion: This study confirms that photo assisted mineralization of Methyl Green dye can be effectively carried out utilizing TiO_2 with visible light. The presence of inorganic salts such as NaCl and Na_2CO_3 hinders the photocatalytic degradation of Methyl Green dye.

Acknowledgement: Author acknowledgment the support and Laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.)

References:-

1. Zollinger H. (Ed.), *Color Chemistry: Synthesis, properties and applications of Organic Dyes and Pigments*, second revised edition, VCH 1991.
2. Curri M.L. & Comparelli R., "Colloidal oxide nanoparticles for the photocatalytic degradation of organic dye", *Material Science Engineering*, 23 (2003) 285.
3. Neppolian B., Choi H.C. Arabindoo B. & Murugesan V., "Solar/UV-induced photocatalytic degradation of three commercial textile dyes", *Journal of Hazardous Materials B*, 89 (2002) 303.
4. Tanaka S., & Saha U. K., *Water Sci. Technol.*, 30 (1994) 47.
5. Zhang W., Xiao X., Sheng G. & Li G., *Appl. Catal. A: General*, 255 (2003) 221.

Long-Term Relationship Between Solar Wind Speed and Geomagnetic Activity

Dr. S.K. Khandayat* Dr. Lokendra Kumar Borker**

*Asst. Prof. (Physics) Govt. College, Lalburra, Balaghat (M.P.) INDIA
**Asst. Prof. (Physics) Govt. College, Panagar, Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract - The relationship between sunspot number and geomagnetic activity has been studied by many authors (Bartels, 1963; Hirshberg, 1973). As spacecraft measurement, became available in the early seventies. It was expected that solar wind properties would be related with geomagnetic activity and would also exhibit a solar cycle variation, since the solar wind is the obvious link with sunspots and activity. Crooker et al 1977 showed that the correlation between 6-month and yearly averages of solar wind speed and geomagnetic activity during solar cycle 20 is remarkably good. This finding raises the question of the role of solar wind speed relative to the southward component of the interplanetary magnetic field in the process of energy transfer from

Keywords-Geomagnetic activity, Solar wind, solar magnetic field, solar-terrestrial relations.

Introduction - The solar wind is a supersonic flow of ionized solar plasma and an associated rem-nant of the solar magnetic field that pervades interplanetary space. It is a result of the huge difference in gas pressure between the solar corona and the interstellar space. This pressure difference drives the plasma outwards, despite the restraining influence of solar gravity. The existence of a solar wind was surmised in the 1950's on the basis that small variations measured in the Earth's magnetic field (geomagnetic activity) were correlated with observable phenomena on the Sun (solar activity). The large-scale structure of the solar wind can be understood in terms of MHD plasma. In 1958 Eugene Parker provided the first MHD solution for the continu-ous solar wind outflow from the corona - the solar wind can be considered the extension of solar corona into interplanetary space. It W'1S first observed directly and definitively by space probes in the mid-1960's. Sinc8 that time we have been able to directly examine the solar wind plasma and the interplanetary magnetic field through in situ observations by many spacecraft in this region. Measurements taken by spacecraft-borne instruments have now yielded a detailed description of the solar wind across an area from inside the orbit of Mercury to well beyond the orbit of Neptune. A view of solar wind is seen in **Figure 1**

The solar wind itself is a fascinating plasma physics laboratory, with many outstanding research problems in its own right. The origin of the solar wind through interaction of the solar magnetic field with the expanding coronal plasma is a major topic in present-day research. However, in this section, we are primarily interested in the solar wind

as the medium through which solar activity (or, in physical terms, changes in the solar magnetic field) is transmitted to planets, comets, dust particles, and cosmic rays that 'stand' in the wind. In particular, the solar wind is the input and controlling influence in the interdisciplinary subject known as solar—terrestrial relations.

Most observations of the solar wind have been made by spacecraft near the orbit of the Earth. Typical values for solar wind parameters at this distance (i.e. 1 AU) are:

Proton density	6.6 cm ⁻³
Electron density	7.1 cm ⁻³
He ²⁺ density	0.25 cm ⁻³
Flow speed (~radial)	450 km S ⁻¹
Proton temperature	1. 2 x 10 ⁵ K
Electron temperature	1.4 x 10 ⁵ K
Magnetic field strength	7 nT
Sonic Mach number	2-10
Alfven Mach number	2-10
Mean free path	~ 1 AU

SOLAR WIND VARIABILITY AND GEOMAGNETIC ACTIVITY - Solar wind is a coronal gas which continuously blows outward radially with supersonic speed, with temperature of million degree (Celsius) near the sun. A space craft measurements became available in the early sixties. It was expected that solar wind properties would be related with geomagnetic activity and would also exhibit a solar cycle variation. Since the solar wind is the obvious link with sunspot solar cycle (Crooker et al 1977). In early stage of study Snyder et al 1963 found a correlation of 0.73 between daily averages of solar wind speed with geomagnetic activity as measured by Skp.

Solar wind measurements in beginning of 1963 shows a remarkable increase in average speed with large amplitude recurrent streams (Bame et al, 1976) which also produce large recurrent increase in geomagnetic activity (Sheeley et al, 1976) A high correlation between solar wind and geomagnetic activity was pointed out by Crooker and Grngaue in 1993. Later Sabbah 2000 reported that the product of V.B is more effective in geomagnetic field variation in comparison to other interplanetary features. The variability of solar wind speed in the ecliptic plane has revealed a tendency for a high speed structure. Several researchers have studied and reported the structure of High speed solar wind streams giving various definitions of them (Mauromichalaki et al., 1988). Shrivastava and Shukla (1993) reported that two different kinds of HSSW streams (FGS and CS) produce increases in geomagnetic activity. They showed that FGS produce much larger increases in Ap values in comparison to corotating or coronal hole associated streams.

Conclusions -In the present study, we have considered the High speed solar wind streams to derive their influence on geomagnetic activity, we have sorted out total 162 high speed solar wind streams for the period of 1996 to 2007. We have further derived the Vswaverage, Vsw maximum, Ap average and Ap maximum values for the period of each streams durations. **Figure 2.** Shows the cross plot between solar wind stream maximum speeds Vsw(max) and Ap average values (Ap average) for the period of 1996 to 2000.

We observed a poor correlation. It indicates that normal values of solar wind streams do not produce significance effect on geomagnetic activity. Hence we have plotted the solar wind maximum speed (Vsw max) Against Apaverage, as shown in **Figure 3.** Distribution of points in figure 3 indicates a normal correlation. Correlation coefficient is also derived as 0.46. Now in our analysis, we have also taken Ap maximum values to correlate with Vsw maximum values. Period of solar cycle 23 (1996 to 2007) also divided in two parts first (1996 to 2000) ascending and second (2001 to 2007) descending. In figure 3 we show the correlation between Ap max and Vsw max values for the period of 1996 to 2000, which cover the ascending phase of solar cycle 23. Scatter of points in Figure 3 shows a normal positive correlation ($r = 0.41$) between these two interplanetary and geomagnetic parameters. Analysis is extended for the period of 2001 to 2007, which cover the descending phase of solar cycle 23. **Figure4.** Shows a better positive correlation ($r=0.54$) between these two interplanetary and geomagnetic indices for the declining phase of solar cycle 23.

References:-

1. Ness, N.F. and Wilcox, M., 1967, Solar Physics, 2, 351
2. Hatton, C.J,1980, Solar Physics, 66 p. 159.
3. Khandayat, S.K., 2011 Solar Source Association with Interplanetary Disturbances and Geomagnetic Field Variations.

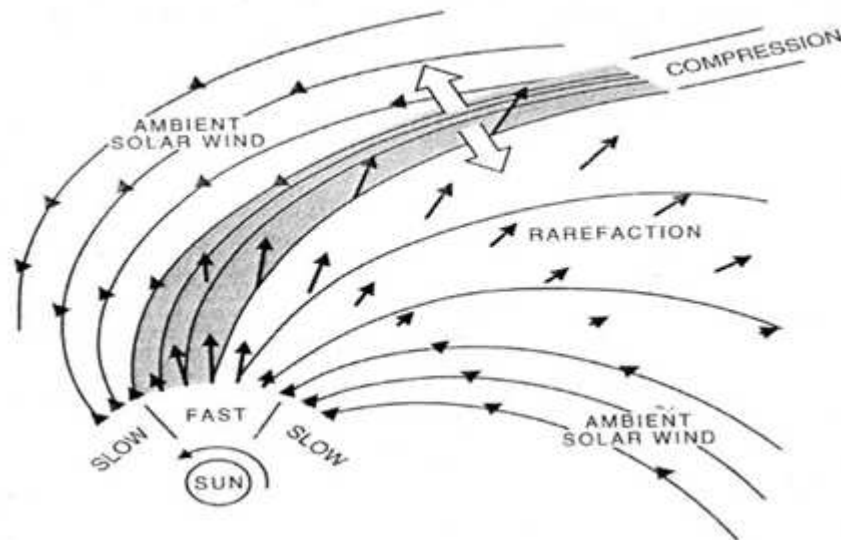


Figure1. Shows the viewof solar wind.

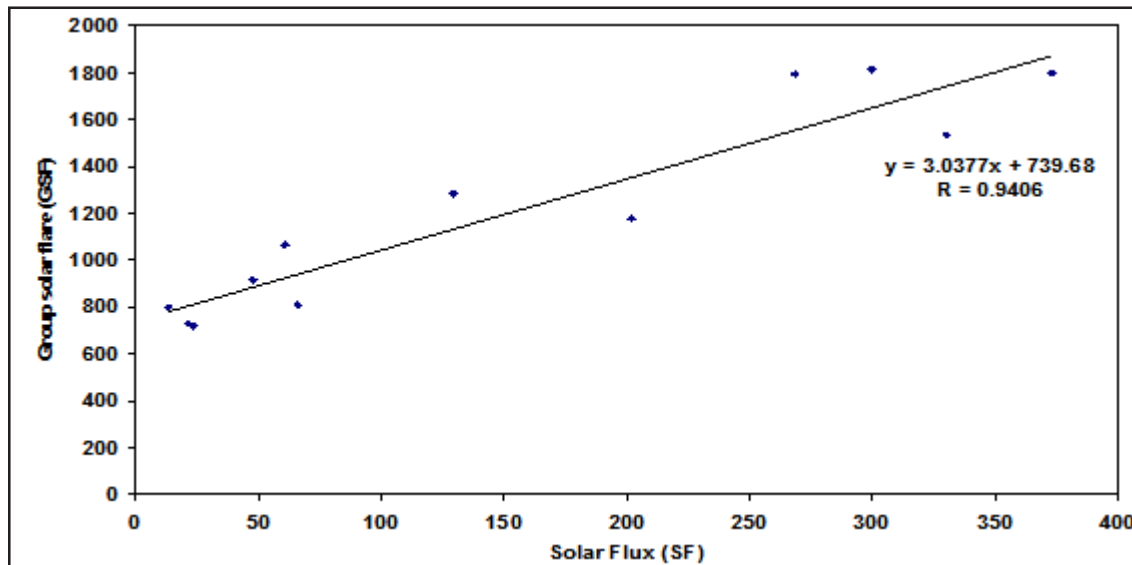


Figure 2. Shows the cross plot between yearly mean values of grouped solar flares and solar flux for the solar cycle 23.

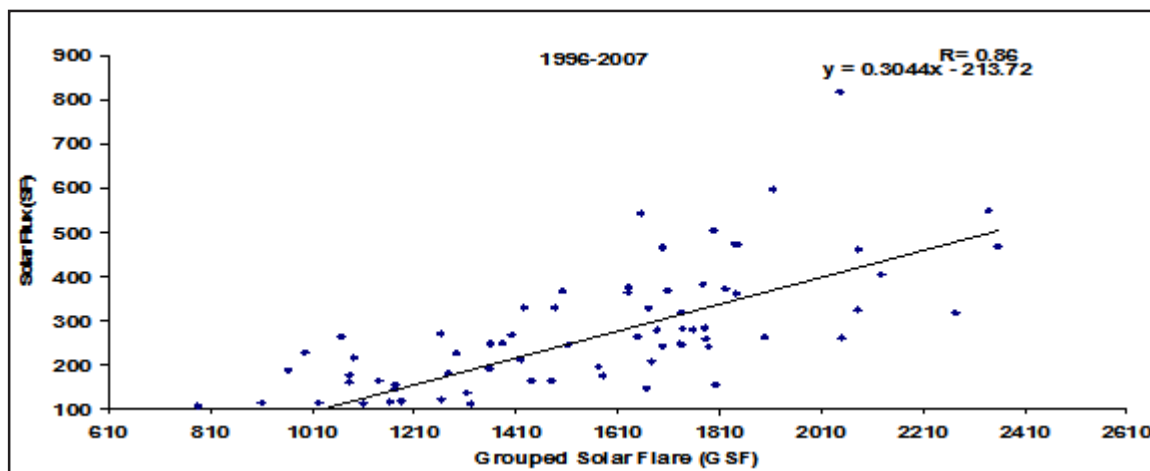


Figure 3. Shows the cross plot between monthly mean values of Grouped solar flares & solar flux for the solar cycle 23

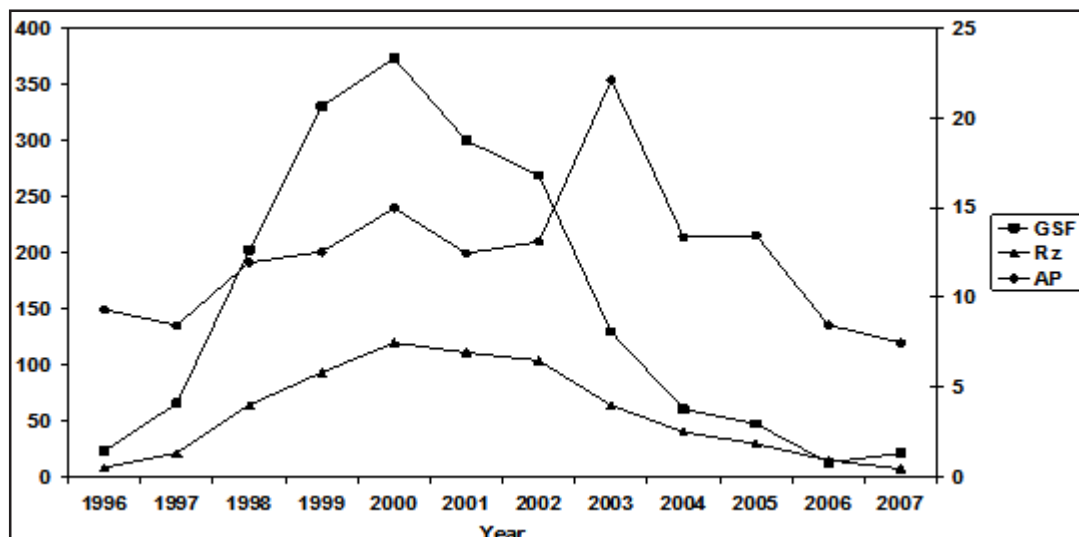


Figure 4. Shows the yearly mean values of Rz, GSF and Ap-index for the period of 1996 to 2007.

Yoga is a Non-Religious Practice of Physical, Mental Fitness and Hectic Lifestyle

Dr. Sonali Singh*

*Department of Physical Education, JKP (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.) INDIA

Abstract - The practice of Yoga is beyond any particular religion, and should be seen as a way of life. The popularity of Yoga is currently exploding across the globe, and millions are turning to Yoga in order to live healthier, happier and more fulfilling lives. Corona lived at home during the pandemic where the person was battling physical and mental illness. Yoga was the only way to keep himself away from this disease while living. then why should that person not belong to any religion. Everyone understood its usefulness and for this purpose. Life these days is very fast paced and hectic; and we all are somehow caught in hustle bustle of modern lifestyles. In the office we have deadlines to meet, work pressures, meetings etc. and even while we reach home, we find it difficult to disengage ourselves from office tensions. We are not able to communicate with our family members in a proper manner; we often let out our frustrations out on them which affects our family life in a big way.

Introduction - By doing Yoga we are able to manage stressful lifestyles which otherwise if not handled in a properly, takes over our body and mind. We always need to strike a balance between our personal and professional lives as unbalanced life creates broken homes, crimes, divorces etc. Stress if not taken care of manifests itself in form of sleeping disorders, migraines, backaches and various other kinds of health disorders. We are not only professionals, we are also the caretakers of our children, who look forward in our direction for moral values and our behavior leaves deep imprints on their young minds. Hence it is quite essential for us to keep the balance of our minds while at home.

By doing yoga regularly you perform even better in your professional life because with a calmer mind you are able to organize your life in a better way. Yoga is for your overall wellbeing; it gives you a healthy body, clarifies to your brain, reduces stress levels and increases your concentration. Yoga suppresses the fluctuations in your brain caused by stress; it puts brakes on mental loops of frustration, anxiety, fear, panic, desires etc. So, for a longer, healthier and stress-free life; imbibe Yoga as a lifestyle.

Effect Of Yoga On Mental Health

Regulates your adrenal glands - Yoga decreases volumes in the cortisol. If it doesn't seem like anything, think about this. Usually, in reaction to an immediate situation, the adrenal glands secrete the cortisol, briefly improving immune function. If even after the crisis the cortisol rates stay high, they can weaken the immune system. Temporary increases in long-term memory cortisol aid, however

consistently elevated rates weaken performance, and can contribute to irreversible brain changes. In fact, toxic cortisol substances have been related to severe depression, osteoporosis (it absorbs calcium and other nutrients from bones and interferes with fresh bone laying), elevated blood pressure, and insulin resistance. High cortisol rates in rats contribute to what researchers term "food seeking activity" (the sort that causes you to eat when you're irritated, frustrated, or stressed out). The body absorbs and distributes such excess calories as fat in the belly, leading to weight gain and risk of diabetes and heart attack.

Increases your self-esteem - Most of them have a consistently weak self-esteem. When you treat such negative-taking medications, overeat, work too long, sleep around-you might be emotionally, psychologically, and morally paying the price for the reduced health. When you adopt a constructive stance and pursue meditation, you'll know whether you're worthy or, as yogic theory says, you're a reflection of the Almighty, first in fleeting glimpses then then in more prolonged experiences. If you consistently train with an aim of self-examination and improvement-not only as a replacement for an aerobics class you will reach a new part of yourself. You will feel feelings of appreciation, remorse, and redemption, as well as a feeling of being part of something greater. Although better health is not the goal of spirituality, it is often a by-product, as numerous clinical studies have recorded.

Create peace of mind -According to Patanjali's Yoga Sutra, meditation quenches the emotional disturbances. To put it another way, it speeds down the inner cycles of

disappointment, guilt, rage, anxiety and attraction that can trigger tension. And because depression causes too many health issues — from migraines and anxiety to lupus, MS, eczema, elevated blood pressure, and heart attacks — if you learn to relax your mind, you are likely to live longer and safer.

Build up your immune system - Asana and pranayama are known to improve immune function but meditation has the greatest research evidence in this field to date. This tends to have a positive impact on the immune system's functioning, improving it when required (for example, increasing antibody rates in reaction to a vaccine) and reducing it when required (for example, minimizing an overly violent immune function in an autoimmune disorder such as psoriasis).

Releases tension in your limbs - Keeping the handset or a steering wheel with a death grip or scrunching your nose as you glance at a computer screen, do you ever see yourself? Such involuntary patterns in the hands, arms, legs, back, and face can contribute to constant discomfort, muscle weakness, and soreness, which can exacerbate stress and deteriorate the mood. You tend to note that you retain stress as you practice yoga: it could be in your mouth, your hair, or your face and neck muscles. If you just tuning in, you may be able to relieve the stress between your tongue and head. For wider muscles, such as quadriceps, trapezius, and buttocks, it can take years to know how to relax.

Maintains your nervous system - Some experienced yogis can exercise exceptional influence over their bodies, many of which are controlled by the nervous system. Scientists have studied yogis who could trigger irregular heart rhythms, produce unique brain-wave patterns and increase the temperature of their hands by 15 degrees Fahrenheit using a meditation technique. If you can use yoga to do that, you may learn to increase the blood flow to the pelvis if you want to get pregnant or relax when you have difficulty sleeping.

Effect Of Yoga On Physical Health

Improvement in flexibility - Some of the first and most noticeable advantages of yoga is increased versatility. You certainly won't be able to brush your toes during the first lesson, never mind performing a backbend. But if you keep to it, you'll experience a slow loosening, and perhaps difficult positions can finally become feasible. You'll also even find that the aches and pains are starting to fade. There is no chance. Due to poor positioning of the thigh and shinbones tight hips will strain the knee joint. Tight hamstrings can cause the lumbar spine to flatten, which may contribute to back pain. And muscle and connective tissue inflexibility, including fascia and ligaments, may cause poor posture.

Makes your posture perfect - Your head is like a bowling ball — big, strong, and circular. When it's positioned directly above an upright spine, the neck and back muscles require even less effort to sustain it. But, push just a few inches

forward and you start straining the muscles. Pick on for eight to 12 hours a day the forward-leaning bowling ball and it's no wonder you're sick of it. And popular tiredness isn't the only question. Bad posture may trigger problems with the back, spine, and other muscles and joints. When you slump, your body can compensate by flattening your neck and lower back with the usual inward curves. This can cause inflammation and degenerative spinal arthritis.

Increase heart rate - You reduce the chances of heart disease and will alleviate stress as you consistently bring the heart rate into the aerobic zone. Although not all yoga is aerobic, it will raise the heart rate into the aerobic zone if you perform it regularly, or take flow or Ashtanga lessons. But also, yoga workouts that do not increase the heart rate and may boost the fitness of the cardiovascular. Researchers also shown that yoga practice reduces the heart rate at rest, enhances endurance and will boost the overall oxygen consumption through exercise — all manifestations at enhanced aerobic fitness. One research showed that participants teaching only pranayama could use less oxygen to do more exercise.

Control blood pressure - If you have high blood pressure, then you can gain from yoga. Two reports of people with hypertension, reported in the British medical journal The Lancet, contrasted Savasana's (Corpse Pose) results to merely sitting on a sofa. Within three months, Savasana was linked with a 26-point decrease in systolic blood pressure (the maximum level) and a 15-point decrease in diastolic blood pressure (the lowest number — and the higher the original blood pressure, the larger the decline).

Conclusion - Yoga affects every body cell. It brings about improved contact between neuron-effectors, improves body energy, increases the optimum functioning of all organ-systems, increases resistance to stress and disease, and brings tranquility, balance; positive attitude and equanimity in the practitioner which makes him lead a purposeful and healthier life.

The effects of enhanced calming feelings, enhanced self-confidence and body image, improved performance, stronger interpersonal interactions, increased attentiveness by yoga and meditation as a way of life promote a positive perspective on existence.

Yoga brings into account not only physical wellbeing but also emotional wellness. Yoga, which stresses the essential, is a great complement to certain human practices that glorify the specific and have constant motivation and happiness base. The "yoga seed" finds fertile land, ideas of good can evolve naturally, taking root gradually but steadily in every part of existence. Using meditation, we learn how to "unwind" through the various calming methods found in the meditation science to offset the tremendous amount of tension and pressure that is part and parcel of everyday life. Meditation allows one to be open to one's own bio-rhythms, one's own mental and emotional bodily periods. "The ideal state of harmonious wellbeing is

harmony with the world. This gives us numerous realistic day-to-day modes of intervention to become mindful of one's self, because psychosomatic conditions cannot be treated without knowledge. The most significant aspect is life satisfaction; the feeling that one's own existence is pleasant, which coincides with traits such as self-esteem, stamina, confidence, self-reliance, healthier behaviors, and pro-social behavior, which is for the most part the hectic life routine of today. Yoga Asana not only controls or redirects bodily action and actions but also activates various organs, muscles and body parts relevant to emotional reactivity or mental condition. The nervous system can be triggered or stimulated by asana, wind, and pose metaphors. Having glanced at the emerging battle for the cut throat, teens face a number of issues. We don't have time to focus with them because of a hectic routine from morning to evening until bed time. We can quickly maintain healthy mental and physical wellbeing with help from practicing Super Brain

yoga. Super Brain Yoga is a method that goes on early for anyone. If you sit, you will get a clear mind and a strong frame.

References:-

1. Basavaraddi, Dr. Ishwar V. (2010). "Yoga Teacher's Manual" Publisher Morarji Desai National Institute of yoga
2. Bhardwaj, A. K. and Agrawal, G. (2013). Yoga practice enhances the level of self-esteem in pre-adolescent school children.
3. Pandya, Dr. P. (2011) "Yogakevegyanika Prayog", Memory enhancement through yoga
4. Pushpendra Kumar (2016) on Effect of Yoga on Mental Health of Adolescents
5. Derebail Gururaja, Kaori Harano, Ikenaga Toyotake, Haruo Kobayashi (2011) on Effect of yoga on mental health: Comparative study between young and senior subjects in Japan

Impact of Social Networking Sites on Marketing

Dr. Rupesh Pallav*

*Assistant Professor, Higher Education (M.P.) INDIA

Abstract - A new era of information technology and World Wide Web services provides the privilege to people to identify and investigate about the products prevailing in the market. Social sites like Facebook, twitter, You Tube are very frequently used by the people. To take the advantage of this technology many companies have their own websites and pages on social networking sites to attract more and more customers. By this method companies can easily get the feedbacks of the actual customers about their product and services. This helps them to know the actual needs and desires of customers. This is one of the best way to capture a large amount of population along with different demographics.

This study is an attempt to evaluate the effectiveness of different advertisement patterns in social marketing sites. To satisfy the research, data has been collected from both the primary and the secondary sources. Secondary data have been collected through the use of internet, consulting past studies on the subject and also books have been used, Primary data has been collected from researcher own observation. The findings of the study will be used by marketers and planners for effective marketing results.

Key words-Social networking sites, social marketing, marketing.

Introduction

Social Marketing- Social marketing was "born" as a discipline in the 1970s, when Philip Kotler and Gerald Zaltman realized that the same marketing principles that were being used to sell products to consumers could be used to "sell" ideas, attitudes and behaviors. Kotler and Andreasen define social marketing as "differing from other areas of marketing only with respect to the objectives of the marketer and his or her organization. Social marketing seeks to influence social behaviors not to benefit the marketer, but to benefit the target audience and the general society."

In other words we can say that Social marketing is the use of commercial marketing strategies and techniques to improve the marketing strategies to capture the high strength of customers.

Current Scenario of Marketing - As far as recent trend is concern the online environment is viewed by peoples from a new perspective. The rapid growth and awareness among the customers, social marketing sites plays an important role for the expansion of marketing tools and techniques. Also the most important role of social marketing sites has changed the way of communication between consumers and organizations. Social marketing sites plays an effective role in the context of promotion, getting feedbacks of the customers, know the need of the customer, and very important the opinions of the customers regarding products

and services. In other words we can say that social marketing sites provides a platform for the marketers between their product/services and customers. By the use of websites, companies easily promotes their products and services which changes the mind setup of consumers. In this way we can say that social marketing sites are very effective and beneficial in marketing.

Moreover by using social sites, customers can also influence other users through reviews of products and services used. Customers are also influenced by other characteristics of social marketing like: company's presentation, company's or brand's presence, payment methods, type of stores, etc.

There are many social sites available on web which are the main source of social marketing are as:

1. Facebook - This is one of the popular social network which is very frequently used by the peoples. It is available in 70 languages with over 800 million approx. users worldwide, and more than 425 million approx. monthly active users logging in with mobile smartphones.

2. On Facebook companies can set their own 'page' where other users can "like" or "dislike" the page itself and any posts on it. As soon as they 'Like' the page the things will then appear on their own profile automatically where their friends also see the same. In this manner the interesting information or content will be automatically distributed everywhere and automatically the promotion can

easily done.

3. Twitter - Like Facebook, Twitter is also very popular social networking site where users post frequent 60 character messages with over 1 billion approx. tweets sent a week.

4. YouTube - This is a Video sharing site owned by Google, with 8 million approx. users each month and 100 million approx. people taking a social action like shares, comments, etc every week.

5. Linked-In - Linked-In is the Business or Occupational focused networking site with over 100 million approx. members worldwide, and 2 million approx. companies profiles worldwide.

6. Google+ - This is also a Social networking site which is launched by Google in 2011, attracting 25 million members in its first month.

7. These five social networking sites are the main source of social marketing which provides a platform between users or consumers and marketers.

Blog: Other than the above services which helps in promoting companies products and services, Blog is also very useful to add a new dimension to your own site. A blog consists of a list of entries where the users and viewers can add their opinions, suggestions, choices, and feedback about the services and products. These comments are very important for marketers because they change a post from an individual into a group discussion.

Objectives of the Study:

1. To study the impact of different Social Networking Sites on Marketing.
2. To conduct a deep review of literature by which emerging factors can be identified for further research in same field.

Review of Literature:

• **Faraz Farooq and Zohaib Jan (2012)** explained in their research that there is a growth of Social Networking websites. These activity and growth opens a new way for the marketers and businessmen to start a new trend for promotional activities about their products and services.

• **Nufazil Altaf (2014)** examined that how social media impacts the overall marketing. Social Web offers lots of facilities to their customers which changes their mind set up. The accessibility and transparency provided by the social web change the decisions of customers dramatically.

Additionally, the research is also very useful to the companies to get new ideas of advertising.

• **M. Nick Hajli, (2014)** examined that in current scenario the internet and the development of social media have created a platform for the interconnectivity of consumers. The study described that the social media increase the level of trust in consumers and indirectly encourage intention to buy through social networking sites.

• **Patarawadee Sema (2013)** found in their study that the Social networking sites provide connectivity, increase interaction level, and enhance awareness and so on for

the consumers as well as for organization. Marketers take this advantage and create marketing strategy for attracting more and more peoples. Hence these advantages give peoples to achieve what they are looking for.

• **Ayda Darban and Wei Li (2012)** said in their study that online social networks, especially Facebook creates many beneficial features by which companies become closer to consumers. The advantage for company is to get more direct feedback from consumers and for consumers to give easily their suggestions and opinion about product and services through Facebook. So the researchers suggest that every specific stores should change their marketing strategy and adopt this new system of marketing.

• **Elisabetaloanas and Ivona Stoica (2014)** examined in their study that the technology helps the peoples to differentiate the products and label either good or bad and more. Therefore many companies create their pages on social networking sites to enhance their marketing strategies. Because this is the best way to know the actual needs of consumers by their feedbacks. However now there is also a competition prevails in the market of social media but finally it is the best way to promote our product and expand our customer group.

• **Dr. Helal Alsubagh (2015)** found that the growth of online social networks enables customers to do many activities. Facebook is the most popular and widely used by the peoples. So the companies promote their products in such type of social sites. Through social media peoples can easily share their views and opinions. And hence this is one of the best way of marketing to capture the large amount of customer group.

• **Ethel Lee (2013)** examined in their study that frequently use of social sites by the peoples gives the great opportunity to the companies. By these sites companies can easily get the opinion and suggestion of the educated consumers which is very fruitful for their product and services. By this process consumers as well as marketers get lots of benefits. Thus we can say that social networking sites are very useful to all in the current trend.

• **Charles-Henri Gros (2012)** said in their study that the marketers have to push marketing strategies toward consumers at each stage to influence their Decision. Follow up is very essential part of marketing to push the customers to purchase the following product. Thus in this study the researchers said that the marketing strategies are very beneficial in the advertising of products and services in social sites.

• **Orzan G. et al (2013)** found in their study that in social sites there must be take care of moral values of the consumers. The environment of social sites must be very familiar for the users. Hence we state that the effect of social influence on consumers' intention to behave in an environmentally friendly manner is small, but significant.

Research Methodology - In this paper the research is conducted with both the primary and secondary database.

In primary source the data is collected by the researchers own observations. And the secondary data is collected with the help of comprehensive literature available in the form of secondary data i.e. Journals, e-journals, Websites, Books, and Newspapers etc. has been taken. The Opinion and views of the Online Marketing Professionals and Experts on the subject were also obtained through personal interactions and telephonic interview.

Implications of study

Implications for Marketers: The study will be most important for the marketers to change their marketing needs as per the existing trend of customers by studying the key factors of social marketing. These factors will be useful for marketers to enhance their marketing strategies to attract more and more consumers.

Implications for the Companies: This research will help company to gain new insights from this perspective and apply it into their marketing system to identify potential pitfalls and opportunities by these factors of social marketing.

Implications for Academicians: They can use it for further research by taking more constraints like system, technologies.

Conclusion - The motive of the research was to know the impact of social marketing sites on the marketing. The accessibility and transparency are the facilities of social marketing which offers users to change their buying decisions according to today's market. As far as recent trend is concern companies and organizations are very interested to do their promotional activities through these social sites to capture large number of customers. Every companies change their marketing pattern of promotion and create their online pages to get the feedbacks and opinions of the customers. This is the best way to connect with our consumers directly. It is beneficial not only for companies but also for consumers to interact about the products and services very easily and friendly. The Current Scenario says that the marketing strategies is changing rapidly like never before, so the researchers said, companies should take care of the interest and taste of the buyers and make their marketing strategies accordingly.

The study shows that social networking sites are the main factor which represents the holistic need in marketing. Presentation and Promotion are the main part of marketing so the of social marketing sites plays a very important role in it. Hence by these results we understand how social marketing sites impacts on marketing.

Findings and Suggestions:

1. The companies should adopt the social networking sites strategy for their promotion in marketing.
2. Advertisements strategies should be changed time to time.

3. Social marketing sites should be used in Presentation.
4. Content about product and services must be clear.
5. Time to time changes in the pages of social sites according to the feedbacks of consumers.
6. Proper marketing research is very important for the ease and comfort of the users.
7. Improve and enhance advertising policies of marketing and use this new way of marketing.

References:-

1. Faraz Farooq and Zohaib Jan (2012), "The Impact of Social Networking to Influence Marketing through Product Reviews"
2. Nufazil Altaf (2014) "Impact of social media on consumers buying decisions" Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management Volume 3, Issue 7, Online ISSN-2277-1166
3. M. Nick Hajli (2014), "A study of the impact of social media on consumers" International Journal of Market Research Vol. 56 Issue 3
4. PatarawadeeSema, (2013) "Does Social Media Affect Consumer Decision- Making?" Johnson & Wales University Scholars Archive @JWU
5. AydaDarban and Wei Li (2012) "The impact of online social networks on consumers' purchasing decision" Jonkoping International Business School Jonkoping University
6. Elisabetaloanãs, IvonaStoica, (2014) "Social Media and its Impact on Consumers Behavior" International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 4, No. 2, Special issue on Marketing and Business Development, e-ISSN 2247-7225
7. Dr. HelalAlsubagh (2015) "The Impact of Social Networks on Consumers' Behaviors" International Journal of Business and Social Science Vol. 6, No. 1; 2015
8. Ethel Lee (2013) "Impacts of Social Media on Consumer Decision- Decision Making Process" TurunAmmattikorkeakoulu, Turku University of Applied sciences.
9. Charles-Henri Gros. (2012) "The influence of Social Media on consumers during their purchase decision-making process and the implications for marketers." Dublin Business School
10. Orzan G., Serban C., Iconaru C. and Macovei O.I. (2013) "Modeling the Impact of Online Social Marketing Campaigns on Consumers' Environmentally Friendly Behavior" Research Journal of Recent Sciences, ISSN 2277-2502, Vol. 2(3), 14-21
11. Dr. Bill Smith, "Defining Social Marketing"
12. Wikipedia.

Chanderi Sarees: The Exquisite Handlooms of Madhya Pradesh

Dr. Praveen Ojha*

*Prof. & Head (Commerce) B.L.P. Govt P.G. College, Mhow (M.P.) INDIA

Abstract - Handloom industry is one of the oldest industry and sources of income in rural India succeeding to the agricultural industry. It has a extended tradition of beautiful and incomparable craftsmanship carried from generation to generation from main weaver of the family to his disciples. With a varied and wealthy historical traditions and diverse influences in the past, handloom sector in India gives a broad variety of textile and linked design and products in the majority part of the country. This wholly different and amazingly prosperous techniques and styles were established during various times under the pressure of diverse cultural influences. Madhya Pradesh has exclusive handloom background known as Chanderi Sarees from Ashoknagar District in Madhya Pradesh. With exceptional traditional history and affluent design multiplicity together offers exclusive silk and cotton based sarees. This study is an effort to recognize consciousness among the consumers in Madhya Pradesh in relation to these goods belonging to their state.

Historical Significance of Chanderi Saree - Fascinatingly, Chanderi fabric has been discussed in the Vedas wherever it believed that Krishna's cousin Shishupal was the one to begin the fabric. Amazingly, records by Jesuit priest visiting Marwar between 1740 and 1761 have been seen saying that Chanderi sarees enjoyed royal patronage. In the commencement, the craft was trained typically by Muslim weavers. In 1350, while the Koshti weavers from Jhansi migrated to the city of Chanderi, the craft stirred with them. By the 17th century, Chanderi was recognized as the core of Chanderi textile when the Mughals recognized a 'karkhana' devoted to the craft.

The Mughal period indicated the golden period of Chanderi weaving. There is an interesting narrative about the Mughal King Akbar connecting this beautiful textile. Akbar once recieved a length of Chanderi fabric packed inside a tiny hollowed bamboo. When he stretched out this piece of fabric, he was astonished to see its real length. It was sufficient to wrap a grown elephant. It is also refered in 'Maasir-i-Alamgiri' that was written by Saqi Must'ad Khan. Accordingly, Aurangzeb used it to craft 'khilat', a ceremonial robe. Chanderi weaves were another time invigorated in 1910 when the royal family of 'Scindia' determined to enlarge its patronage. It was the time that gripping gold thread motifs were initiated to Chanderi weaving that gave it its royal look.

Introduction - Chanderi is a tiny town in Ashoknagar district of Madhya Pradesh. It is approximately 230 km from Bhopal. The next-door railway station is Lalitpur in Uttar Pradesh

which is approximately 40 km from Chanderi. Chanderi has population of about 300000. With around 3500 looms vigorously working, almost 60% of this population is directly or indirectly dependent on handloom production. Chanderi is one of the well known clusters of India, mainly well-known for its sarees, made with silk and cotton. CHANDERI SAREES are elegant, gauzy and soft in cotton or in blend of cotton with silk with a gold or silver border and motifs. Chanderies are beautiful to look at, the colour are invariably soft, suitable and reposeful with frivolity, gaiety romance and glamour.

The Chanderi Fabric - Chanderi is a village of looms and a popular of them are located in 'Bahar Shahar'. Here, the streets are creased with noisy looms where artisan starts claiming ownership of at least 2 to 4 looms. Raw materials are taken by the artisans from chief traders in India and abroad (Japan, Korea and China) in order to create rich Chanderi fabrics. The traditional Indian fabric of Chanderi is recognized for its sheer texture, its luxurious drape and light weight. There are largely three types of material produced by the Chanderi: pure silk, silk cotton and chanderi cotton. There has been a major alteration in the motif designs of Chanderi over the years. Today, in addition to peacocks, florals and ancient coin design, Chanderi is also moved in modern geometric pattern. The manufacturing of Chanderi fabric takes place with the weaving in of zari and silk. It is mainly done in old-fashioned cotton yarns and the final product is a shimmering and glorious textured fabric.

Raw materials used

1. Cotton – the cotton yard for weft is produced from Coimbatore. The specifications are 100 number for normal weft and 120 for border. The rates are 450/500 pr kg.
2. Silk – mulberry silk is used as wrap. These are purchased from Bangalore dealers. The rates are very high. It was about 1300 per kg. One kg comprises roughly 3 bundles of silk.
3. Zari – Zari is used in weaving the beautiful borders of Chanderi sarees. It is purchased from Surat (Gujrat) at the rate of 1000 per kg.

Characteristic of Chanderi

1. Motifs or Buttis - The buttis or motifs on Chanderi fabric are largely hand woven on handloom, with needles. Different needles are used to make different motifs. Weavers design these buttis with gold, silver and copper. Motifs twisted using chanderi weaving is encouraged from nature and include Swans, fruits, gold coins and heavenly bodies. From traditional buttis of flowers, lotus, peacock to modern geometric patterns, today one can find beautiful motifs like 'Nalferma', 'Jangla', 'Dandidar', 'Chatai', 'Mehndi wale haath' etc. Color palette of sarees are ruled by soft pastel hues, vibrant combinations of black and red, turquoise and navy blue, white and fuchsia also exist.

2. Transparency- Transparency or sheer texture is a exclusive feature of Chanderi material that differentiates it from others produced crossways India. The transparency of fabric is for the reason that of the use of single Flature quality of yarn. When glue of a raw yarn is not alienated from it, the non-degumming renders a transparency and shine to the finished fabric which produces a Flature yarn.

3. Fashion Connect - From ancient days, Chanderi fabric have a particular position in the Indian handloom industry. Usually, this material was used to weave the nine yard drapes. But now, with combination of traditional and modern weaving techniques, Chanderi textile is widely used by fashion designers to create Indo-western dresses, tops and tunics.

How to identify a Chanderi saree:

1. The butis are entirely handwoven on the handloom and are frequently coated with gold, silver or copper dust.
2. Chanderi sarees will always be accessible in soft hues.
3. The glossy texture and shine differentiate an original Chanderi saree from the fake ones.
4. A handwoven Chanderi will definitely have an uneven surface.
5. These motifs make the chanderi unique as machine spun weaves easily come out over time.

Reasons for the development of this industry:

1. Encouragement by hindu and muslim rulers:- The Scindiyas supported Chanderi sarees weaving industry. With their wide help the weaver did not have to go out of Chanderi. In 1922, Madhavrao Sindhiyas visited Chanderi and helped the weavers. In 1939, after the 2nd world war he took over the liability and the art survived.

2. A ready market for expensive & artistic fabric :-

The excellence of the Chanderi sarees are described at the time of emperor Jahangir when Chanderi Muslins 15 yards in length and one yard in width weigh, simply 900 gram. Expert weaver will take almost 5 months to weave a piece with this size. The costs of such fabric were very high, but due to the presence of many royal families, ready markets were obtainable and art flourished.

3. NO custom duty was charged :- The cottage industry was appreciated more for the major reason that no custom duty was charged on raw materials used in Chanderi fabrics. Also no custom duty was forced on material produced thus; the industry could progress and flourish.

4. Sizing's raw material was available free of cost:- Koli kanda (wild onion) used for sizing cotton grown in the jungles of chanderi was given free of cost.

5. Easy marketing :- The marketing of products was simple and easy, the main market was Gwalior.

Chanderi sarees and its artistry - The Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act of 1999 protects the Chanderi sarees from being copied as of the special silk yarn and limited design which is used to make them. India has over 3500 looms operational today and thousands who are dependend on this craft directly or indirectly, to earn a living.

These days, it's not simple to find a true cotton Chanderi saree as of using different cost-effective raw materials. The majority retailers don't supply these because they are priced higher than the mixed material. Chanderi is one of the most secluded crafts by the Government, fashion houses, renowned designers, and Bollywood stars who approve this textile frequently. Young people are using this ancient fabric proudly and not only the Chanderi sarees but tunics, kurtis, scarves, and many more. Fashion lovers around the world adore to experiment with this stuff due to its versatility and its effortless adaptability to new styles.

Process of manufacture of Chanderi saree

(1) Designing- The designs are initial painted on a plain sheet of paper with required colors, that are transformed on graph papers. These papers are called NAKSHA or TALIM. There are weavers who propose the design according to their likes and dislikes and suggested by the customers.

(2) Purchasing Of Yarns- The count of cotton yarns for Chanderi Sarees was 100s-120s and the silk was of denier 20/22. The businessmen and the co-operative society bought cotton from Madras, Bombay and Ahmedabad and occasionally from Madurai. The silk was bought from Kashmir and Bangalore. The co-operative society imported silk from China, Brazil, Japan and Korea. The zari former used was of pure gold and silver bought from Agra, but now it is rarely used. The tested zari of finest variety from Surat is used by weavers. Warp length of 12 sarees is bought and weft of 2 to 3 sarees at a time.

(3) Dyeing Of Yarns- Dyes at Chanderi were purchased

from Bombay, Atul, Delhi and Bulsar. They were dyed at co-operative society. The dyed yarns were used for weaving. Sarees were made by adjusting the dyed yarn for the blueprint in the sarees. To produce stripers or checks Vat dyes, Naphthol dyes and Acid dyes are used at Chanderi.

(4) Sizing Of Yarn- Koli kanda is used for sizing is powdered, and a paste is completed with soft water to this a quantity of water is added and the required consistency is obtained by stirring constantly with a bamboo stick. The dyed yarns silk and cotton were stretched on these sticks and the size was useful with brushes two or three layers were applied and it was allowed to dry in the Sun.

(5) The Weaving Process- The weavers of chanderi are of Shilpi castes took pride to inherit this profession. For weaving the cotton is worn as the weft yarn and silk is used as warp yarns or the, "TANA". Often gold and silk is mixed in the fabric of the sarees. The border is usually of gold thread. The yarns that are gummed silk are wet as warping. This increases the fineness are more gauzy in appearance. The looms that are used are the fly shuttle pit loom, the 3 shuttle nal pherva method that requires two weavers on the loom. The method is very old and has given mode to very common throw shuttle pit loom. These sarees are woven in plain weave.

(6) The Finishing Process- The Chanderi sarees are given a calendering procedure for finishing with a kundi, beating down over a wood block with mallet that makes the weft and wrap more compact and gives surface shine.

Conclusion - In the current years, fashion designers have worked personally with Chanderi weavers to design fashionable closet essentials. The sheer texture, glossiness and fineness of the fabric has captivated a lot of creative minds of the fashion industry. Eminent designer like Sanjay Garg and Rahul Mishra have added a stylish twist to this

fabric with their own creations. Now, there are contemporary designs like dresses, jackets, trench coats and shrugs woven in this handloom fabric with traditional motifs. Creative imaginations doesn't settle here as designer Vijay Balhara's fancy for this material led him to showcased resort wear woven in Chanderi, at Lakme Fashion Week 2011. In Bollywood, actresses like Mini Mathur, Kareena Kapoor and Vidya Balan are often draped in this handloom fabric. In the movie English Vinglish, Sridevi's look in Chanderi cotton sarees was cherished. When Kareena Kapoor was seen in gold and black traditional Chanderi, hearts fluttered at the natural beauty and elegance. Soham Dave, a top fashion designer works entirely with Indian handlooms and Chanderi is one of his favourites. Some fashion houses have reintroduced the value of this ancient fabric, and now we see young people proudly wearing their heritage, not just in the form of Chanderi sarees, but also scarves, kurtis, tunics and more. The versatility of this material and its easy flexibility to new styles makes it an experimental preferred for fashion lovers all over the world.

References:-

1. Handloom Industry In India – K.S. Suresh Kumar
2. Handloom Industry In Madhya Pradesh – K.R. Nanekar
3. Indian Textiles – John Gillow
4. Sarees of India - N. N. Mahapatra
5. https://www.india1001.com/blogs/1001_crafts/6380038-the-famous-chanderi-fabric
6. <http://planning.up.nic.in/Go/BOOK-Manufacturing/4.22.%20MANUFACTURING%20PAPER-22.pdf>
7. <https://www.faridagupta.com/blog/everything-you-need-to-about-chanderi.html>
8. <https://ijariie.com> > AdminUploadPdf
9. <http://www.craftmark.org/cms/public/uploads/1595673468.pdf>

Photo degradation Study of Black Agricultural Film: Using FTIR Analysis

Dr. Vaishali Lal*

*Asst. Professor, Govt. Home Science P. G. College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - In present study we have taken ultra violet radiation effect on LDEP film which we used as Black Agricultural Film. The physico-chemical structural changes in the irradiated film were monitored by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) analysis. In the present study the decrease in IR absorption bands indicated the splitting of group and decrease in peaks is due to consumption of hydrocarbon chromophore that indicates the breakdown of polymer chain.

Keywords- LDPE (Low Density Polyethylene), PE film (Polyethylene Film), FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy).

Introduction - Polyethylene's that are being used every day in our life are become something very needful in our packaging industry and its roles in our daily activities are irreplaceable. Whether we are aware of it or not, polyethylene plays an important part in our life. Polyethylene versatility allows it to be used in everything, from transportation parts, to doll parts, from soft drink bottles to the refrigerators they are stored in polyethylene help make our life easier and better without any doubt. This includes plastic wrap to protect agricultural crops.

Polyethylene film is also used extensively in the agricultural industry where it has many applications. For one thing, it is used to protect crops and seeds from pests and disease. This material also helps to prevent the escape of moisture and heat.

Photo-oxidative/Radiation Degradation - The absorption of radiation by polymers, or their impurities, due to exposure to sunlight or high energy radiation. The highest energy UV waves of the solar spectrum can break the chemical bonds in polymers resulting in photo-degradation. Thermo oxidative degradation differs from thermal degradation in that random scission occurs in the polymer backbone rather than randomly and/or at the chain end.

Thermal degradation of polymers refers to chemical changes affecting polymers exposed to elevated temperatures without the simultaneous involvement of any other compound. All polymers can be degraded chemically by heat; however polyolefins such as PE and PP are known to be sensitive to thermal oxidation because the high temperatures used during manufacturing generate impurities in the material. The two different mechanisms of polymer degradation are de-polymerization and statistical

fragmentation of chains. When heated to the extent of bond rupture, polymers will follow three major pathways: side-group elimination, random scission and de-polymerization. Polyolefins such as PE and PP do not de-polymerize.

Chemical Degradation - Refers to corrosive chemicals, gases or liquids. Ozone, atmospheric pollutants, and acids like nitric, sulfuric, and hydrochloric will attack and degrade most polymers through chain scission and oxidation.

Biological Degradation - Specific to only a few polymer types, this is a process where bacteria, fungi, yeasts, and enzymes degrade a polymer through an attack of certain functional groups such as some stabilizers and plasticizers. Fourier transform infrared spectroscopy is a spectroscopic method used to detect structural changes in polymeric materials at the molecular level. A polymer specimen is subjected to infrared radiation in successively decreasing frequencies. The amount of infrared radiation absorbed at each frequency is indicated in a spectrum showing which molecules vibrate in a specific mode at a particular frequency. Polymer structure is determined by identifying the peaks using a reference library of spectra. Changes observed in the spectra can be used as an indicator of oxidation.

Experimental Work

Materials: Materials were used for this study was the Agricultural grade PE Film. In this work UV effect were studied.

Preparation of UV Irradiation Chamber: For irradiation process locally assembled irradiation chamber is used. Irradiation chamber is consisted of a wooden box of dimension 91.44 × 60.96 cm. A UV source i.e., 3 UV tube (Philips, 3×20 = 60W) connected to power supply is fixed in

the upper side of box in such a way that radiation coming from the source covers the whole inside portion of box. The chamber was covered by black carbon paper so that the radiation is not emitted out and is completely absorbed by the sample placed inside.

UV Irradiation of the films Three UV lamps each of 12W and with wavelength 200-400 nm were used to irradiate the films in a UV-cabinet. The distance of the sample from the light source was 30 cm and the temperature inside the cabinet was $30 \pm 1^\circ\text{C}$.

PE films samples of $2\text{ cm} \times 2\text{ cm}$ were cut off and irradiate by UV source for different time hour, it is observed that irradiation results in a brittle of the PE film sample.

Result and Discussion

As data shown in Table (1 and 2) and Graph(1 to 6)- At 0 hour it was observed that in case of UV irradiate Black Agricultural PE Film a band appears in the region of $2853\text{--}2962\text{ cm}^{-1}$ for Hydrocarbon Chromophore, a peak found at 2876.06 cm^{-1} for C–H stretching alkane and second band appears in the region of $1445\text{--}1485\text{ cm}^{-1}$ Hydrocarbon Chromophore and peak at 1470.98 cm^{-1} C–H for bending Alkane– CH_2 –, another band appear at $1370\text{--}1380\text{ cm}^{-1}$ for Corresponding Hydrocarbon Chromophore, peak observed at 1377.79 cm^{-1} C–H bending alkane– CH_3 –, another band appears in the region $1000\text{--}1400\text{ cm}^{-1}$ for Corresponding halogen containing for C–X stretching vibration and peak at 1017.83 cm^{-1} for C–F for stretching vibration and a peak at 719.96 cm^{-1} for C–Cl while after 25 hours it was observed that peak at 2876.06 cm^{-1} for hydrocarbon chromophore not found.

The peaks that were generated at 1470.98 cm^{-1} , 1377.79 cm^{-1} , 1017.83 cm^{-1} , 719.96 cm^{-1} at 0 hour were later reduced to 1416.43 cm^{-1} , 1377.57 cm^{-1} , 1017.91 cm^{-1} , 719.81 cm^{-1} respectively after **25 hours**. After **50 hours** a new band appears in the region $2853\text{--}2962\text{ cm}^{-1}$ corresponding to hydrocarbon chromophore and peak at 2907.83 cm^{-1} for C–H for stretching alkane the peaks that were generated 1470.98 cm^{-1} , 1017.83 cm^{-1} were later increase to 1471.17 cm^{-1} , 1017.85 cm^{-1} . Some peaks that were generated 1377.79 cm^{-1} , 719.96 cm^{-1} were later reduced to 1377.53 cm^{-1} , 719.85 cm^{-1} . After **75 hours** the peak at 2907.83 cm^{-1} was increase to 2920.14 cm^{-1} and the peaks that were generated 1470.98 cm^{-1} , 1377.79 cm^{-1} , 719.96 cm^{-1} were later reduced to 1467.74 cm^{-1} , 1377.78 cm^{-1} , 719.88 cm^{-1} respectively after UV treatment.

After **100 hours** of UV exposure we observed that in black PE a peak at 2929.50 cm^{-1} found for hydrocarbon chromophore were increased and peaks at 1462.86 cm^{-1} , 1377.55 cm^{-1} , 1017.70 cm^{-1} were reduced. After **125 hour** the peak at 2929.50 cm^{-1} were disappeared and also peaks at 1417.12 cm^{-1} , 1377.74 cm^{-1} , 1017.87 cm^{-1} , 719.91 cm^{-1} were reduced.

Conclusion: Samples exposed for 25 hours, 50 hours, and 75 hours do not show brittle, while 100 hours and 125 hour irradiate samples show brittle. As the irradiation time

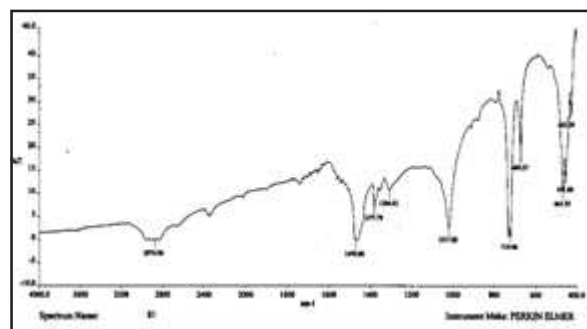
increased the intensity of brittleness is found to be increased, to evaluate the effect of irradiation time on degradation. It is worth mentioning that the selection of 100 hours and 125 hours of intervals was due to obvious detectable change by UV irradiation. Structural change was detected by FTIR spectroscopy. In the present study the decrease in IR absorption bands indicated the splitting of group and decrease in peaks is due to consumption of hydrocarbon chromophore that indicates the breakdown of polymer chain.

Tables and Graphs:

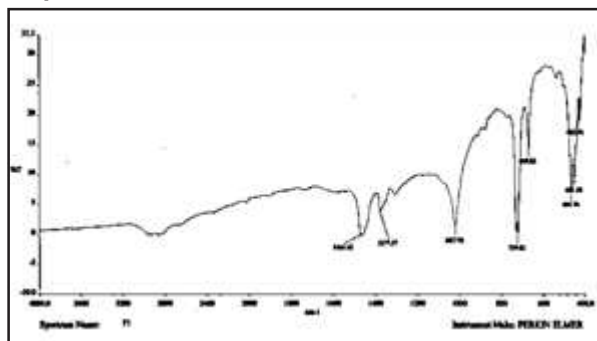
Table 1: List of additional peaks observed in FTIR spectra for Black Agriculture film, without UV exposure.

S.	Range cm^{-1}	Groups [New Peaks Observed]
1	2876.06	Hydrocarbon Chromophore [C–H Stretching, Alkane]
2	1470.98	Hydrocarbon Chromophore [C–H Bending, Alkane– CH_2 –]
3	1377.79	Hydrocarbon Chromophore [Alkane– CH_3 –]
4	1017.83	Miscellaneous Chromophoric Groups [Halogen Containing C–X Stretching Vibration C–F]
5	719.96, 669.27	Miscellaneous Chromophoric Groups [Halogen Containing C–X Stretching Vibration C–Cl]

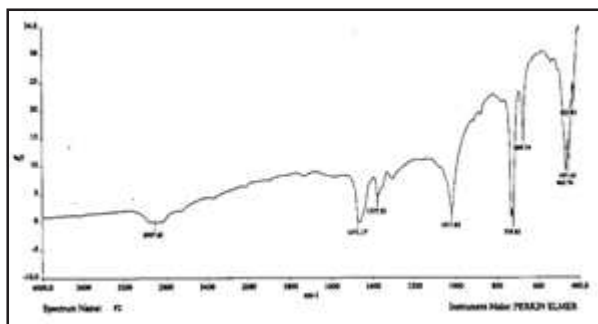
Table 2 (see in next page)



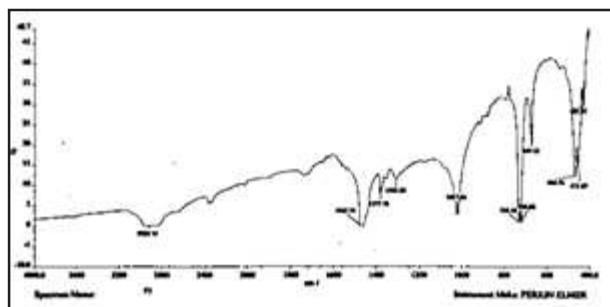
Graph 1 FTIR Spectra of Black Agriculture film without UV exposure



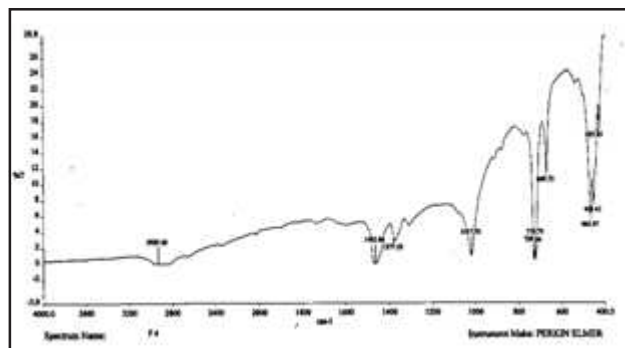
Graph 2 FTIR Spectra of Black Agriculture film after 25 hours of UV exposure



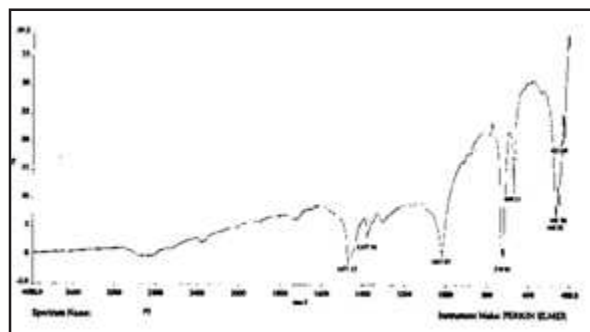
Graph 3 FTIR Spectra of Black Agriculture film after 50 hours of UV exposure.



Graph 4 FTIR Spectra of Black Agriculture film after 75 hours of UV exposure



Graph 5 FTIR Spectra of Black Agriculture film after 100 hours of UV exposure



Graph 6 FTIR Spectra of Black Agriculture film after 125 hours of UV exposure

References:-

1. Andrew J. Peacock, "Handbook of Polyethylene Structures Properties and Applications", Marcel Dekker, Inc New York., PP, 67, (2000).
2. Cornelia Vasile&MihaelaPascu, "Practical Guide Polyethyl", Rapra Technology Limited, Shawbury, SY4 4NR, UK, PP, 39, (2005).
3. Dana E. Perrin & James P. English, "Handbook of Biodegradable Polymers", Overseas Publishers Association, Amsterdam B.V., PP, 7, (1997).
4. Nicole M. Stark, "Effect of Weathering Variables On The Lightness Of High Density Polyethylene Woodflour Composites", The Eighth International Conference On Woodfiber–Plastic Composites, Madison, Wisconsin, USA, May 23 – 25, (2005).
5. A. P. Alekhin, A. G. Kirilenko, R. V. Lapshin, R. I. Romanov and A. Sigarev, "Nanostructured Carbon Coatings on Polyethylene Films", Russian Journal of Applied Chemistry, Vol. 76, No. 9, PP, 1497 –1501, (2003).
6. A.M. Ollick and A.M. Al–Amri, "Weathering Effects On Mechanical Properties of Low and High Density Polyethylene PipesUsedIn Irrigation Networks", Alexandria Eng. Journal Egypt Vol. 42 No. 6, pp, 659 – 667, (2003).
7. Jack G. Calvet and James N. Pitts, "Experimental method in Photo Chemistry", John Wiley & Sons, N.Y., pp, 78, (1980).

Table 2: FTIR analysis for Black Agriculture film,with UV exposure.

S.	Hours	Peaks Intensity(Increase / Decrease) Compare with Pure Black Agriculture film					
		Range cm ⁻¹					
1	25	2876.06	1461.43	1377.57	1017.91	719.81, 669.85	
2	50	2907.83	1471.17	1377.53	1017.85	719.85, 669.74	
3	75	2920.14	1467.74	1377.78	1017.86	719.88, 669.12	
4	100	2929.50	1462.86	1377.55	1017.70	729.36	719.75, 669.73
5	125	2929.50	1471.12	1377.74	1017.87	719.91, 669.21	

पर्यावरण और जल प्रबंधन

वन्दना जायसवाल *

* असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) शशि भूषण बालिका विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - पर्यावरण और जल प्रबंधन आपस में एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ये एक-दूसरे के पूरक हैं। आज पर्यावरण के समक्ष उपस्थित समस्याओं में से एक समस्या बेहतर जल प्रबंधन के अभाव की समस्या है। बेहतर जल प्रबंधन के अभाव में गर्मियों में जहाँ सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिनकी वजह से पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, सम्पूर्ण जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं वर्षा ऋतु में मानसून के समय बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इससे भी मानव जाति समेत पूरी जैव विविधता के समक्ष खाद्य सुरक्षा संकट, ऊर्जा आपूर्ति, आवास, गरीबी व बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उचित जल प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण किया जा सकता है। जल प्रबंधन के अभाव में पर्यावरण के सम्पूर्ण स्वरूप को नहीं समझा जा सकता है।

पर्यावरण, एक ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। इसमें वह सभी भौतिक, रासायनिक व जैविक तत्वों का समावेश है जो किसी जीवधारी को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के अन्तर्गत जैविक एवं अजैविक दोनों ही तत्व आते हैं। जैविक तत्वों के अन्तर्गत सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव जन्तु तक आते हैं। अजैविक तत्वों में मृदा, प्रकाश, जल आदि आते हैं। इन सभी जैविक व अजैविक तत्वों के संतुलित योगदान से ही बेहतर पर्यावरण का निर्माण होता है। वर्तमान समय में जल प्रबंधन के अभाव के कारण पर्यावरणीय चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

उद्देश्य:

1. पर्यावरण एवं जल प्रबंधन के सम्बन्धों को जानना।
2. पर्यावरण अनुकूलन में जल प्रबंधन की भूमिका को जानना।
3. जल प्रबंधन के उपायों से अवगत होना।
4. बेहतर जल प्रबंधन के अभाव के कारण पर्यावरण के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को जानना।

जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। यह पृथ्वी के लगभग 71 प्रतिशत भाग पर फैला है, परन्तु समस्त जल का 97.2 प्रतिशत से अधिक भाग समुद्री जल के रूप में खारा है और 2.2 प्रतिशत हिमनदियों के रूप में जमा हुआ है। इस प्रकार केवल 0.6 प्रतिशत मृदुजल धरातल या भूमिगत रूप में है। इसी 0.6 प्रतिशत जल का प्रयोग मानव पेयजल के रूप में करता है। यह जल दो रूपों में मिलता है - एक तो भूमिगत जल के रूप में दूसरा सतही जल के रूप में नदियों, झीलों एवं तालाबों में। इस प्रकार जल संसाधन के दो प्रमुख स्रोत हैं -

- धरातलीय जल
- भूमिगत जल

नदियाँ धरातलीय जल का प्रधान स्रोत हैं। देश में नदी प्रणाली का औसत प्रवाह 1869 क्यूबिक किमी० अनुमानित है। इसमें से उपयोग में आने वाली सतही जल 690 (32 प्रतिशत) क्यूबिक किमी० है। बाकी बचे 1179 क्यूबिक जल का उपयोग नहीं हो पाता है और ये सीधे जाकर महासागरों में प्रवाहित हो जाते हैं। नदियों के अतिरिक्त सहायक नदियाँ, तालाब, तलैया आदि धरातलीय जल के स्रोत हैं। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुयी वर्षा पर निर्भर करती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बड़े हैं। इनमें धरातलीय जल संसाधनों का 60 प्रतिशत जल पाया जाता है। दक्षिण भागीय नदियों में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतम भाग काम में लाया जाता है लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी सम्भव नहीं हो सका है।

भूमिगत जल के अन्तर्गत भारत में कुल वार्षिक परिपूर्ण भू-जल की मात्रा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा कुल वार्षिक भू-जल उपलब्धता 399 बिलियन क्यूबिक मीटर है। वर्तमान में भू-जल का विकास 58 प्रतिशत तक हो गया है, परन्तु देश में भूमिगत जल का वितरण सर्वत्र समान नहीं है क्योंकि इसे प्रदेश की जलवायवीय दशाएँ, उच्चावच, भूगर्भिक संरचना तथा जलीय दशाएँ प्रभावित करती हैं।

जल ही जीवन है अर्थात् जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल अनिवार्य तत्व है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का जितना प्रयोग करते हैं उससे कहीं ज्यादा जल प्रदूषित होकर बर्बाद हो रहा है। नदियों के जल का संचयन की व्यवस्था न होने के कारण महासागरों में प्रवाहित हो जाता है। भारत जैसे बड़े राष्ट्र के लिये एक समय जल संसाधनों का दोहन कर अपनी ऊर्जा आवश्यकताएँ पूरी करना आवश्यक था इसलिये ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया गया, जो जल्द से जल्द भारत की आर्थिक-सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। लेकिन इसके फलस्वरूप आज भूमिगत जल स्तर कम होता जा रहा है। ग्रीष्मकाल में पानी की कमी और उससे पैदा होने वाली समस्याएँ बढ़ रही हैं। जल प्रबंधन की समस्या पर्यावरण की व्यापक अवधारणा से जुड़ी है। वर्षा ऋतु के समय प्रति वर्ष भारत के किसी न किसी भाग में बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है, इससे पूरा जनजीवन प्रभावित होता है, अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, पर्यावरण का हास होता है। इन सभी समस्याओं के लिए बेहतर जल प्रबंधन के अभाव की समस्या

जिम्मेदार है। अतः आवश्यक है कि जल प्रबंधन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाये।

जल संसाधनों को नियोजित और इष्टतम प्रयोग ही जल प्रबंधन है। जल प्रबंधन के अन्तर्गत पानी से सम्बन्धित समस्याओं जैसे- सूखा, बाढ़, भूजल स्तर का कम होना, जल प्रदूषण जैसी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है।

अभी तक सरकार के द्वारा इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किये गए हैं - **राष्ट्रीय जल नीति** - राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 2012 में राष्ट्रीय जल नीति बनायी थी। इस नीति के तहत देश में जल स्रोतों के संरक्षण, विकास एवं उनके रख-रखाव के लिए कई सिफारिशें दी गयी थीं। इसमें मुख्य जोर राष्ट्रीय जल संरचना कानून पर है, अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के सर्वोत्कृष्ट विकास के लिये व्यापक योजना, विभिन्न कार्यों के लिए पानी के उचित इस्तेमाल के लिए मानदण्ड स्थापित करना, प्रत्येक राज्य द्वारा जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना और जल के पुनः इस्तेमाल और री-साइकिल करने का प्रोत्साहन देना है। इस नीति में सामुदायिक सहभागिता पर भी जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय जल मिशन - जलवायु परिवर्तन और सम्बन्धित विषयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) की तैयारी की है, जिसके अन्तर्गत आठ राष्ट्रीय मिशनों के जरिये जलवायु परिवर्तन के असर से उपजी चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयारियाँ की जाएंगी। इनमें से एक राष्ट्रीय जल मिशन है। राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य लक्ष्य है 'जल संरक्षण, अपव्यय से बचाना और समेकित जल स्रोत विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के अन्दर और बाहर जल की बराबर आपूर्ति करना।'

राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन - गंगा घाटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ 400 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। इससे भारत की 28 प्रतिशत जलापूर्ति होती है और इसके दायरे में भारत का 26 प्रतिशत भू-क्षेत्र के साथ 43 प्रतिशत जनसंख्या आती है। गंगा का प्रमुख प्रवाह पाँच राज्यों से होकर निकलता है उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल होते हुए 2525 किमी० की यात्रा तय करता है। गंगा घाटी पूरी तरह जलीय सभ्यता है, जहाँ नदी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिये जल संरक्षण और उसकी विध्वंसक क्षमता पर रोक लगाना स्थायी एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से जरूरी है। लेकिन आज गंगा गम्भीर रूप से प्रदूषित एवं पर्यावरण की दृष्टि से बेहद तनावपूर्ण कारण बन चुकी है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जीवन शैली में विकास और औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के कारण विराट गंगा कई रूपों में दुर्दशा का सामना कर रही है। गंगा को साफ करने के प्रयास पहले भी हो चुके हैं, जिनके मिले-जुले नतीजे रहे हैं। गंगा एक्शन प्लान (जीएपी) की शुरुआत 1985 में हुयी थी और अगले दो दशकों में इसे दो चरणों (जीएपी 1 और जीएपी 2) के आधार पर आगे बढ़ाया गया। इस योजना का प्रमुख फोकस शहरी व्यर्थजल अवसंरचना पर था और इसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी) और सम्बन्धित नगरीय व्यर्थ जल अवसंरचना के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया। प्रस्तुत डाटा के अनुसार शहरी और औद्योगिक विकास के कारण फैलने वाले प्रदूषण के कारण समग्र तौर पर कार्यक्रम के आधार पर जल की गुणवत्ता को स्थायी रखा जा सका या उसमें सुधार देखा गया। हालांकि इसके अमलीकरण में कई सीमाएँ भी रहीं -

1. अपर्याप्त निवेश,
2. स्थापित क्षमता का अधूरा निवेश,
3. स्थानीय निकायों का अल्प स्वामित्व,
4. दीर्घकालिक विलंब और कमजोर संप्रेषण, जिस कारण जनसम्पर्क असफल रहा।

2015 में 20,000 करोड़ रुपये की निर्देशात्मक राशि के साथ 'नमामि गंगे' नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत पिछली और मौजूदा परियोजनाओं को समाहित किया गया है तथा कई नई शुरुआतें भी इसका हिस्सा रही हैं। 2016 में, गंगा नदी (पुनर्नवीकरण, रक्षण और रख-रखाव) प्राधिकरण आदेश 2016, एनजीआरबीए को नमामि गंगे के तौर पर एक प्राधिकरण में भी बदला गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को भी एक प्राधिकरण के रूप में बदला गया है।

जल क्रान्ति अभियान - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 2015-16 से 2017-18 तक के लिये जल क्रान्ति अभियान की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य देश में सभी सहभागियों को एकजुट कर समग्र प्रयास से जल संरक्षण और रख-रखाव करना था ताकि यह जनआन्दोलन के तौर पर सामने आये।

जल संभर प्रबंधन - जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भूमि जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अन्तर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे- अन्तःखण तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भूमि जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अन्तर्गत सभी संसाधनों - प्राकृतिक (जैसे- भूमि, जल, पौधे और प्राणियों) और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को शामिल किया जाता है। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं।

नीति आयोग की @ 75 कार्यनीति और जल प्रबंधन - वर्ष 2018 में नीति आयोग ने अभिनव भारत @75 के कार्यनीति जारी की थी जिसके तहत यह निश्चित किया गया था कि वर्ष 2022-23 तक भारत की जल संसाधन प्रबंधन रणनीति में जीवन, कृषि, आर्थिक विकास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिये पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल सुरक्षा की सुविधा होनी चाहिए।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की शुरुआत देश में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता के लक्ष्य से 1996-97 में की गई थी। इसका लक्ष्य यह भी था कि जिन राज्यों के पास ऐसी योजनाओं के लिये उचित स्रोत नहीं है या जहाँ यह पूर्ण होने वाले हैं, उन्हें भी तुरन्त सहायता पहुँचाई जा सके।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत 2015-16 से की गयी। इसका लक्ष्य सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र को जल उपलब्ध कराना, खेत जल के इस्तेमाल में मितव्ययिता बरतना, स्थायी जल संरक्षण अभ्यासों को अपनाना आदि रहा है। इस योजना के मुख्य लक्ष्यों में क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश अभिसरण, खेत में जलापूर्ति को बढ़ावा और सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र में विकास, खेत में मौजूद जल के इस्तेमाल में सुधार, जिससे वह व्यर्थ न जाये और उसकी अवधि तथा प्रसार दोनों की उपलब्धता बढ़े,

जलभृत का पुनःभरण और जलसंरक्षण से जुड़े स्थायी उपायों का आरम्भ, किसानों और जमीनी स्तर पर कार्यकारियों के लिये जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल एकत्रीकरण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना और सूक्ष्म सिंचाई में निजी निवेश को बढ़ावा देना है।

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन – राष्ट्रीय जल नीति जल संसाधन प्रबंधन में सहभागिता के भाव पर जोर देती है। यह देखा गया है कि सिंचाई व्यवस्था और सिंचाई जल के प्रभावी इस्तेमाल के लिए लाभार्थियों की सहभागिता बहुत कारगर साबित होती है। सिंचाई व्यवस्था में किसानों के सहयोग से उसके कार्यान्वयन और रख-रखाव की जिम्मेदारी हस्तान्तरण में और जल उपभोक्ता संघों को उनके अधिकार क्षेत्रों जल शुल्क एकत्र करने में भी मदद मिलती है।

बाढ़ प्रबंधन योजनाएँ – भारत में बाढ़ द्वारा बारम्बार तबाही होती है। लगभग प्रत्येक वर्ष देश के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ आती है। इससे निजी और सार्वजनिक जान-माल का नुकसान तो होता ही है, साथ ही अवसंरचना पर भी गहरा असर पड़ता है और लोगों में मनोवैज्ञानिक एवं संवदेनीय तौर पर भी गहरा असर पड़ता है। 1980 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र का अनुमान लगाया था, जिसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ प्रबंधन कार्यकारी समूह ने बढ़ाकर 49.815 मिलियन हेक्टेयर कर दिया था। बाढ़ के प्रकोप से मानव जीवन, भूमि और सम्पत्ति को बचाने के लिये पिछले पाँच दशकों से राज्य सरकारें बाढ़ प्रबंधन कार्यों में लगी है।

इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जल प्रबंधन हेतु केन्द्रीय भूजल बोर्ड, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों की स्थापना, प्रशिक्षण एवं क्षमता का विकास, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, बेतवा नदी बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय जल एवं भू-प्रबंधन संस्थान, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, तुंगभद्रा बोर्ड, अपर यमुना नदी बोर्ड, जल संसाधन सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय जल अकादमी, राजीव गाँधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, फरक्का बैराज परियोजना, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, बड़े बांधों का नेशनल रजिस्टर, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला की स्थापना की गयी।

जल संरक्षण का प्रश्न पर्यावरण के व्यापक संरक्षण के सवाल जुड़ा है। हम जल के अतिरिक्त पर्यावरण के बाकी घटकों की उपेक्षा कर जल-संरक्षण पर कोई विचार-विमर्श नहीं कर सकते। पर्यावरण संरक्षण कोई एकांगी नहीं, बल्कि बहुआयामी विचार है। आखिर हमारे पर्यावरण में जल प्राकृतिक तौर पर जल चक्र की प्रक्रिया से उपलब्ध होता है। जल चक्र जलीय परिसंचरण द्वारा निर्मित एक चक्र होता है जिसके अन्तर्गत जल महासागर से वायुमण्डल में, वायुमण्डल से भूमि पर और भूमि से पुनः महासागर में पहुँच जाता है। जल चक्र की इस प्रक्रिया में पर्यावरण के अन्य घटक भी शामिल होते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते महासागरों के तापमान में तेजी से उतार-चढ़ाव आएगा तो यह स्पष्ट है कि जल के वाष्पन की स्वाभाविक प्रक्रिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर धरती पर उपलब्ध जल कम होगा तो वनों के अस्तित्व के लिये यह स्वयं में खतरा होगा। कुल मिलाकर पर्यावरणीय प्रक्रियाओं में असंतुलन होने से ही उपलब्ध जल संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है। अगर पर्यावरण का हर घटक संतुलन की प्रक्रिया में रहे तो जल प्रदूषण भी स्वयं नियंत्रित हो जाएगा। जल प्रबंधन हेतु कुछ पर्यावरणानुकूल उपाय

निम्नलिखित रूप से दिये जा रहे हैं –

1. वर्षा जल संचयन विधि (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) – पानी का सबसे निर्मल परिष्कृत स्वरूप है, आसमान से आने वाला जल। इसे हम नदी, नाले, समुद्र में बहने से रोक सकते हैं। यह स्रोत है कि एक घण्टे की वर्षा भी बारह मास का पानी दे सकती है। इस तरीके का लाभ उठाकर रेगिस्तानी इलाकों राजस्थान, गुजरात के घरों में, ऊँचे-ऊँचे किलों में वर्षा के पानी को इसी तकनीक का प्रयोग कर जल को रोका जा सकता है। वहाँ कभी-कभी पानी गिरता है, फिर वर्ष भर उसका उपयोग करते हैं। इन घरों में बिना किसी तोड़-फोड़ के छत के जल को एक ही पाइप में संग्रहित कर फिल्टर के माध्यम से घर में स्थित ट्यूबवेल या टैंक में डाला जाता है। यदि छत से पानी के निकास के तीन-चार स्थान हैं तो उन सबको जोड़कर एक पाइप में एकत्र कर इसे फिल्टर से जोड़कर टैंक में जोड़ देते हैं। वर्षा ऋतु में जब अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि पर बहने लगता है, उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को वाष्पीकरण एवं निष्पंदन की हानियों से बचाकर फसलोत्पादन के उपयोग में लेना वॉटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इस प्रकार से एकत्रित पानी का उपयोग शुष्क मौसम में तब किया जाता है, जब फसलों की सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस विधि में पानी प्राकृतिक निचलें क्षेत्रों तथा तालाबों में एकत्रित किया जाता है। आवश्यकतानुसार ऐसे तालाबों के क्षेत्रफल एवं गहराई बढ़ाई जा सकती है।

2. तैरते पदार्थों का उपयोग – तालाबों में एकत्रित जल की वाष्पीकरण से होने वाली हानि को रोकने के लिए क्षेत्रों में उपलब्ध पानी पर तैरने वाले पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, ताकि जल एवं वायुमण्डल का सम्पर्क टूट जाये और वाष्पीकरण की क्रिया कम से कम हो पाये। तालाब की निचली सतह से रिसाव द्वारा जल की हानि को रोकने के लिये अगर सम्भव हो तो सीमेंट व कंक्रीट की सहायता से पक्का बनवा देना चाहिए अन्यथा तालाब की निचली सतह से जल के रिसाव की हानि कम करने के लिए एक 8-10 सेमी0 मोटी भूसे के पर्त लगाकर उसके ऊपर 8-10 सेमी0 मोटी पर्त चिकनी मिट्टी की लगा देनी चाहिए।

3. अधिकाधिक वृक्षारोपण – भारत में वृक्षारोपण के महत्व को साल 1952 में बनी पहली राष्ट्रीय वन नीति में रेखांकित किया गया था, लेकिन वृक्षारोपण के लिये तब से लेकर आज तक चली योजनाओं ने कोई बहुत उल्लेखनीय सफलता हासिल नहीं की है। वर्तमान में भारत में 20 प्रतिशत वन क्षेत्र है। एक अनुमान के अनुसार भारत की एक अरब से अधिक आबादी और वनों के बीच संतुलन रखने के लिये 1000 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण की आवश्यकता होगी। इसलिए वृक्षारोपण का कोई विकल्प नहीं है। वास्तव में वृक्ष और वन जल प्रदूषण पर काबू पाने में हमारी मदद करते हैं। प्रवाहमान जल की गन्दगी को वृक्ष रोक लेते हैं। वे जल के बहाव को धीमा करते हैं जिससे जमीन जल का बहुत सा हिस्सा सोख लेती है। जब की गति धीमी होने से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बाँध रखती हैं जिससे बड़ी मात्रा में मिट्टी का कटाव नहीं होता। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान और नदियों को बचाने के लिये जनजागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत करना एक अच्छी पहल है। इसका उद्देश्य वृक्षारोपण अभियान से न सिर्फ देश की नदियों के किनारों को मजबूत करना बल्कि बाढ़ और मिट्टी के कटाव की संभावनाएँ भी कम करना है।

4. बाँध से सम्बन्धित नहरों का विकास करना – वर्षा ऋतु में नदियों

का जल स्तर बढ़ने पर बाँधों पर दबाव बढ़ता है, जिस वजह से बाँधों को खोल दिया जाता है, जिससे बाढ़ जैसी अनियंत्रित स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। इससे निपटने के लिये बाँध से जुड़े हुए छोटे-छोटे नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि बढ़े हुए जल स्तर को कम किया जा सके। इन नहरों के माध्यम से अतिरिक्त जल की निकासी की व्यवस्था की जा सके। इस अतिरिक्त जल को तालाबों, गढ़ों व खेतों में संचित किया जा सकता है।

जल संरक्षण के कुछ वैश्विक मॉडल – जल संरक्षण के लिये पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से वैश्विक मॉडल विकसित हुये हैं, जिन्होंने जल को बचाने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. कैलीफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अपनी इमारत के ऊपर एक ऐसी हरित छत का निर्माण किया है जो प्रत्येक वर्ष लाखों गैलन पानी के साथ बहने वाले प्रदूषित कचरे को पर्यावरण में जाने से रोकती है, साथ ही पानी की रिसाइक्लिंग कर उसे शहर भर की आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाती है।
2. ब्राजील में छतों से गटर में गिरने वाले बारिश के पानी को फिल्टर करने की कुछ अनोखी तकनीकें विकसित की गयी हैं। इस तकनीक के जरिये छतों से गिरने वाले पानी को एल्युमिनियम के बड़े पात्र में रखे हुए हजारों पौधों के माध्यम से स्वच्छ बनाया जाता है।
3. अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के प्रयास – अमेरिकी पर्यावरण सुरक्षा

एजेंसी (ईपीए) ने साल 1990 के दशक से विभिन्न अमेरिकी शहरों में जल के संरक्षण के व्यापक अभियान आरम्भ किये थे। इन अभियानों के तहत पानी की कमी को लेकर व्यापक जागरूकता फैलायी गयी, लीकेज और आपूर्ति के दौरान बर्बाद होने वाले जल संरक्षण के लिये नीतियाँ विकसित की गयी। पानी के मोटरों की तकनीक को भी उन्नत बनाया गया। नार्थ कैरोलीना जैसी जगहों पर घरेलू उद्देश्य से इस्तेमाल होने वाले पानी का भी हिसाब-किताब रखने की नीति विकसित की गयी। साल 1990 के दशक से ही न्यूयार्क के घरों में पानी की खपत कम करने वाले शौचालयों का निर्माण कराया गया।

उपर्युक्त कारकों के अलावा विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी के विलवणीकरण और शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों से कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल प्रबंधन की समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत 2019
2. NCERT Class-12, Part-2, Geography
3. India Water Portal
4. गुप्ता, एम0एल0, शर्मा, डी0डी0, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन
5. गोयल, एम0के0, पर्यावरणीय शिक्षा

ई-प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी

डॉ. श्रीकान्त दुबे *

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय गृहविज्ञान स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - ई-प्रशासन यानी सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त शासन व्यवस्था ने प्रशासन में कंप्यूटर, इंटरनेट, ई मेल जैसे माध्यमों ने अपनी गहरी पैठ स्थापित कर ली है। शासन की समस्त सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। इस व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी भी कहा जा रहा है। आज का प्रशासन वास्तव में ऑनलाइन प्रशासन है। दूरसंचार संसाधनों के तेजी से हुए विकास के साथ-साथ देश में इंटरनेट का प्रसार भी तेजी से हुआ है, विगत कुछ वर्षों में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कई सरकारी वेबसाइट तैयार कराई गई हैं तथा उन्हें समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है। आज प्रशासन का कोई भी विभाग उसकी वेबसाइट से जाना जा सकता है, यही कारण है कि आज आम नागरिक ऑनलाइन कार्य सुविधाजनक मानता है।

प्रस्तावना - राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनशील है। परंपरागत शासन व्यवस्था का स्थान लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था ने ले लिया एवं लोककल्याणकारी शासन व्यवस्था सुशासन में तब्दील होकर अब सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त होकर ई-प्रशासन हो गई है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की कल्पना बिना सूचना प्रौद्योगिकी के नहीं की जा सकती। वर्तमान सूचना क्रांति ने प्रशासन एवं नागरिकों के मध्य प्रभावी संबंधों का सृजन किया है, जिसमें पारदर्शिता एवं त्वरित निर्णय व कार्य सम्पादन संभव हो सका है।

सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग - प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी तीन रूपों में प्रयोग में लाई जा रही है -

1) **नौकरशाही एवं नागरिकों के मध्य संबंध** - अब वह समय समाप्त हो गया जब कार्यपालिका कागजी प्रक्रियाओं में जनता को उलझा कर रखती थी, अब नौकरशाही व्यवस्था त्वरित निर्णयों के लिए बाध्य हो गई है। नागरिकों की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

2) **समूचा प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक** - वर्तमान व्यवस्था प्रभावकारी सेवा वितरण, गुणवत्तापूर्ण सेवा एवं ऑनलाइन सेवा के रूप में पहचानी जाती है। नागरिक उसके कामकाज संबंधी सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त करता है एवं ऑनलाइन आवेदन कर त्वरित लाभ प्राप्त कर रहा है।

3) **सभी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध** - नागरिकों को शासन की सभी सुविधाएं बहुत कम शुल्क पर घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं। उसे सफर करना हो, लाइसेंस बनवाना हो, बैंकिंग सेवा हो, कहीं आवेदन करना हो, फसल बेचना हो, निविदा भरनी हो, व्यापार संबंधी कार्य हो, स्थानीय प्रशासन के लाभ या सुविधाएं प्राप्त करनी हो, कर देना हो आदि समस्त सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है।

सूचना प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति के कारण - प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति निम्नांकित कारणों से परिलक्षित होती है -

1) **शासन की जटिलता** - परंपरागत शासन व्यवस्था एक कठोर एवं

जटिल व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी, वहीं वर्तमान व्यवस्था सरल एवं त्वरित प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। अ परंपरागत व्यवस्था में शासन की मंशा नागरिक तक पहुंचने एवं नागरिक की मांग शासन तक पहुंचने में काफी लंबा समय लगता था एवं कई बार वे गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन वर्तमान प्रशासन सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह कार्य क्षण भर में करने में सक्षम है। यही कारण है कि शासन को त्वरित एवं पारदर्शी निर्णय लेने में बिलकुल भी विलंब नहीं होता है, वहीं नागरिक अपनी मांग शासन तक तत्काल प्रेषित करने में सक्षम है।

शासन में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव का ऐतिहासिक विकास - प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव क्रमशः निम्नांकित अनुसार देखा जा सकता है -

1) **1970 में चुनाव प्रक्रिया** - सूचना प्रौद्योगिकी का शासन में सर्वप्रथम प्रयोग चुनाव व्यवस्था में निर्वाचन आयोग ने किया। निर्वाचन आयोग ने इसके प्रयोग से डेटा विश्लेषण एवं मतगणना के कार्य को सुगम, त्वरित एवं पारदर्शी बनाया, इससे चुनाव परिणाम तेज गति से जारी किए जाने लगे। जहां मतगणना में कई दिन लगते थे वह कुछ घंटों में की जाने लगी, परिणामस्वरूप निर्वाचन आयोग कम संख्याबल के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम, त्वरित व पारदर्शी बना सका।

2) **इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना** - 1970 में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग के रूप में पृथक विभाग की स्थापना की। इस विभाग का कार्य प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रभावी बनाना था, इसकी स्थापना से शासन अपनी निर्णय निर्माण प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने की ओर अग्रसर हो सका।

3) **राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना** - 1977 में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना की जिसे हम एन आई सी के रूप में दैनंदिनी व्यवस्था में अग्रसर पाते हैं। एन आई सी ने शासन में ई तंत्र को प्रभावी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई।यही कारण है की वर्तमान समय में एन आई सी के बगैर प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती।नागरिक सुविधाओं के प्रदाता के रूप में इसने अपनी पृथक पहचान बनाई है। इसका योगदान महत्वपूर्ण है।

4) राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना - 1987में शासन ने एन आई सी ई टी की स्थापना की। इसे हम वर्तमान समय में डेटा का उपयोग करने के लिए जानते हैं। आज बिना नेटवर्क के ई शासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।समय के साथ इसमें हमने अभूतपूर्व प्रगति देखी है।

5) ई शासन आयोग की स्थापना -1990 में ई शासन आयोग की स्थापना की गई।इस आयोग का कार्य था शासन व्यवस्था को ई शासन में तब्दील करना।आयोग ने इस कार्य को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।आयोग में ऐसे विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया जिनका सूचना प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रभाव था।

6) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 - इस अधिनियम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता दी गई, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी गई तथा साइबर अपराधों के संबंध में विभिन्न कानूनी प्रावधान किए गए। 2008 में इस अधिनियम को संशोधित कर इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए। जिनमें साइबर आतंकवाद तथा डाटा संरक्षण से संबंधित कई प्रावधान हैं।

विभिन्न स्तंभ - ई-प्रशासन चार स्तंभों पर आधारित है-

1) नागरिक- किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रशासन के निर्माण, प्रशासन में परिवर्तन एवं प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार नागरिक ही है।

2) प्रक्रिया -लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को एक विशेष व्यवस्था माना गया है यह संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था एक प्रक्रिया पर आधारित होती है जिसमें प्रशासन एवं नागरिकों के मध्य संबंध सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।

3) सूचना प्रौद्योगिकी- प्रशासन को ई-प्रशासन में परिवर्तित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व सूचना प्रौद्योगिकी का है, वर्तमान में समूची प्रशासनिक व्यवस्था सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर आधारित होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर आधारित है।

4) संसाधन- किसी भी प्रशासनिक संरचना के लिए संसाधनों की प्रचुरता उसकी सफलता का एक बड़ा माध्यम है विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्था इसीलिए सफल है क्योंकि उन्होंने शासन व्यवस्था के लिए समुचित संसाधनों का निर्माण किया है।

सहभागिता- ई-प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका 4 आधारों पर परिलक्षित होती है जो एक दूसरे के सह भागी है -

1) G to G सरकार से सरकार -यह व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है जहां संघ की सरकार एवं राज्यों की सरकार तथा राज्यों की सरकार एवं स्थानीय सरकारों के मध्य प्रशासनिक सामंजस्य स्थापित करने में सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है

2) G to C सरकार से नागरिक -किसी भी प्रशासनिक संरचना की भूमिका तभी सार्थक मानी जाती है जब वह वहां के नागरिकों के लिए समुचित आवश्यकता की पूर्ति का साधन बने। नागरिकों को सभी सेवाएं प्राप्त हो सके यह प्रशासन का दायित्व माना गया है वहीं दूसरी ओर नागरिकों के प्रशासन में सजग भूमिका इस पक्ष का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है।

3) G to B सरकार से व्यापार- यह अंतर्संबंध प्रत्येक राष्ट्र की

प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि प्रशासन एक उन्नत व्यापार की स्थापना करने या व्यापारी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण में भागीदार नहीं बनता है तो वह प्रशासन कभी भी सफल नहीं हो सकता।

4) G to E सरकार से कर्मचारी -प्रशासनिक व्यवस्था के दो भाग माने गए हैं एक संरचना एवं दूसरे संरचना में दायित्वों का निर्वहन करने वाले कर्मचारी, अच्छा प्रशासन एवं दक्ष व कुशल कर्मचारी सफलता के पूरक हैं।

डिजिटल इंडिया की पहल- डिजिटल इंडिया भारत सरकार एवं नागरिकों को एक दूसरे से जोड़ने की अभिनव पहल है। इस व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग का है। डिजिटल इंडिया के नो आधार स्तंभ है - इनमें ब्रॉडबैंड हाईवे,मोबाइल कनेक्टिविटी,पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार,सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी तक सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरियों के लिए आई टी तथा अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम सम्मिलित है।

मौजूदा योजनाओं में सरकार ने 100000 करोड़ की राशि खर्च की है।13000 करोड़ की नई योजनाएं प्रारंभ की है। 250000 से अधिक गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधाएं स्थापित की है। आम लोगों के लिए वाईफाई हॉटस्पॉट तथा आईटी क्षेत्र में विभिन्न रोजगारों का निर्माण किया है। सभी सरकारों में ई-प्रशासन लागू किया गया है।

ई-प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ - सूचना प्रौद्योगिकी के बिना ई-प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती सूचना प्रौद्योगिकी से ई-प्रशासन को निम्नांकित लाभ प्राप्त हुए हैं-

1) प्रशासनिक दक्षता में सुधार- ईप्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग होने के कारण प्रशासन दक्ष एवं कुशल हुआ है, परंपरागत प्रशासन के स्थान पर यह प्रशासन ज्यादा प्रभावी एवं लाभकारी है।

2) आंकड़ों की उपलब्धता- सूचना प्रौद्योगिकी के कारण सरकार को आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जिससे सरकार को योजनाओं के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है।

3) कॉमन डाटा का निर्माण- सरकार को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कॉमन डाटा निर्मित करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं जो योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं

4) प्रक्रियाओं का सरलीकरण- प्रशासन में ऑनलाइन व्यवस्था प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दृष्टि से बड़ी कारगर साबित हुई है, प्रशासन निर्धारित समय में अपने लक्ष्य पूर्ण करने की ओर आसानी से अग्रसर हो जाता है।

5) अनावश्यक खर्चों में कटौती -सूचना प्रौद्योगिकी के कारण प्रशासनिक बैठकें ऑनलाइन होती हैं, नागरिकों से संवाद भी ऑनलाइन आसानी से होते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान ऑनलाइन होता है ,जिससे अधोसंरचनात्मक खर्चों में कमी आई है।

6) व्यापार में वृद्धि- डिजिटलीकरण के कारण व्यापार उन्नत हुआ है। व्यापारियों की सभी आवश्यकताएं ऑनलाइन पूर्ण हो जाती हैं तथा करो का संग्रहण भी ऑनलाइन सुविधाजनक होता है

ई-प्रशासन के समक्ष चुनौतियां - ई-प्रशासन कई मायनों में सफलता का पर्याय है किंतु प्रशासन प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की सफलता के लिए निम्नलिखित तत्व बाधक है-

1) **विद्युत प्रवाह में अवरोध**– विभिन्न दूरदराज के क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत प्रवाह का ना होना सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में बाधक सिद्ध होता है ,बिना विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

2) **इंटरनेट की समस्या**– यह दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है, विभिन्न क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां सभी प्रकार के नेटवर्क आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं या तो नेटवर्क का बार बार आना जाना या लगातार ना रहना एक महत्वपूर्ण समस्या है।

3) **महंगा इंटरनेट**– इंटरनेट विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में अभी भी अधिक महंगा है, जो निजी इंटरनेट प्रदाता सेवाएं हैं वह मुनाफा कमाने के लिए अधिक दरों पर इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं।

4) **महंगे उपकरण**– सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग उपकरणों के द्वारा ही संभव है किंतु भारत में उपकरणों के निर्माण की लागत अधिक होने के कारण यह महंगे होते हैं एवं सभी के लिए सुलभ नहीं होते हैं

5) **लागत में वृद्धि** – सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए हर स्तर पर एक सेटअप का निर्माण करना आवश्यक होता है, जो एक बड़ी धनराशि के द्वारा ही संभव है।

6) **गोपनीयता भंग होने का खतरा** –साइबर अपराध या नागरिकों के व्यक्तिगत दस्तावेजों या जानकारीयों की सुरक्षा के समुचित प्रबंध न होने के कारण गोपनीयता भंग होने का खतरा बराबर बना रहता है।

7) **सभी की पहुंच तक नहीं**– सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तो बहुत हुआ है लेकिन अभी भी भारत के रिमोट क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी आम नागरिक तक नहीं पहुंच सकी है।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग हेतु सुझाव –प्रशासन को सफल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग करने हेतु निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं:

1) **ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार**– भारत के शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का समुचित विस्तार नहीं हो पाया है, इसके कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अभी भी सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों से वंचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विस्तार कर सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है

2) **सभी के लिए प्रभावी दक्षता का निर्माण**– ई-प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी को तभी सफल बनाया जा सकता है जब जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा तकनीकी क्षमता से युक्त हो जाए।

3) **क्लाउड कंप्यूटिंग व्यवस्था**– सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक कारगर बनाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एक अच्छा माध्यम है, इसके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।

4) **क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग**– भारत के क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करता है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी में क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व न दिए जाने के कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों से वंचित है ,इसलिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी में बढ़ाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष –ई-प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है ,इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विगत कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रशासन को दक्ष, कुशल, त्वरित ,पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। नागरिकों का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित हुआ है ,नौकरशाही की नागरिकों के लिए भूमिका बढ़ी है, शासन जवाबदेह हुआ है तथा अधिकांश सेवाएं व्यक्ति को आसानी से सुलभ होती हैं। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से करने में सक्षम हुआ है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का उपयोग नागरिक बड़े सुविधाजनक तरीके से कर रहा है। बैंकिंग, रेलवे, व्यापार व्यवसाय, कार्यालयीन कार्य, कृषि सेवा से संबंधित कार्य, छात्राओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षाएं, टेंडर, पासपोर्ट, गोपनीय प्रतिवेदन तथा शिकायतें जैसी ऑनलाइन सुविधाएं नागरिकों के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध है। प्रशासन के द्वारा इन्हें लगातार प्रभावी बनाने के उपाय किए जा रहे हैं। कुछ अवरोधों को दूर कर लिया जाए तो निश्चित रूप से ई-प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और सूचना प्रौद्योगिकी के बिना प्रशासन की कल्पना नहीं की जा सकती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अवरुधी एवं अवरुधी, भारतीय प्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
2. चक्रवर्ती विद्युत, प्रकाश चंद्र, भारतीय प्रशासन: विकास एवं पद्धति, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. एम पी ए, ई शासन, गुल्लीबाबा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
4. हेल्पिन, डिजिटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ई गवर्नेंस इन डेवलपिंग नेशंस, आई पी ए ग्लोबल।
5. कुमार पुनीत, जैन विनोद कुमार, द एस्टेंसेस ऑफ ई गवर्नेंस, सीआरसी प्रेस, यू एस ए।
6. ओझा डी, सत्यप्रकाश, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. गार्सन, जी डेविड, पब्लिक इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस, जॉन्स एंड बर्टलेट, यू एस ए।
8. अग्रवाल कमलेश एन, तिवारी मुरली डी, आई टी एंड ई गवर्नेंस इन इंडिया, मैकमिलन यू एस ए।

संसदीय लोकतन्त्र, विकास एवं चुनौतियाँ

डॉ. प्रदीप कुमार भिमटे *

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, लालबर्वा, जिला- बालाघाट (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत दुनिया के महान लोकतंत्र में से एक है। क्योंकि विश्व ने अनेक शासन पद्धतियों को देखा एवं अनुभव किया है, तत्पश्चात् द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अनेक नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया ताकि देश में बेहतर शासन पद्धति अपनाई जा सके। इसी तहत संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश में विकास के नये आयाम बनते जा रहे हैं। भारतीय संविधान में जनमानस के अनुरूप समाज के वंचित वर्ग, पिछड़े वर्ग एवं विकास के मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को समानता के स्तर पर लाने एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जनप्रतिनिधियों के द्वारा विचार विमर्श के समस्या समाधान पर बल दिया गया है। ताकि भारतीय जनता कि आस्था एवं गहन विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। इसके लिए जरूरी है, कि संसद एवं विधान मण्डलों में तथ्यात्मक एवं तर्कसंगत और प्रासंगिक मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष नियमानुसार चर्चा करके जनता के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समस्याओं को पूर्ण करने के लिए पहल करे। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सम्पत्ति, सुख की प्राप्ति एवं सम्मान के लक्ष्यों का हासिल करने का पूरा अधिकार होगा। इतनी ऊँची महत्वाकांक्षाओं के लिए ठोस आधार भूमि भी थी।

शब्द कुंजी – संसदीय लोकतंत्र, जनप्रतिनिधि, बहस, मंत्रीमण्डल।

प्रस्तावना – भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह लोकतंत्र संख्या बल के साथ ही अपनी विविधता के साथ विलक्षणता लिए हुए है जिसमें विभिन्न धर्मों की मान्यताएँ, सम्प्रदाय, भाषाएँ, जातियाँ, रीतिरिवाज, वेशभूषा, खानपान, रहन-सहन आदि के बावजूद एक समग्र दृष्टिकोण के साथ भारत के नागरिक जीवन जी रहे हैं। इसके पिछे भारतीय संविधान द्वारा अपनाए गए संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था है। जिसमें भारतीय जनमानस की गहरी निष्ठा है, सम्मान है। संसदीय लोकतंत्र में विविधता का अपना महत्व एवं स्थान होता है। भारत में ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थाओं का अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका का अभिन्न संबंध होता है। तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका का प्रधान होता है, एवं वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रीमण्डल जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तथा वह पद पर तब तक आसीन रह सकता है, जब तक कि लोकसभा में उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपनाने के पीछे यह सोच थी कि भारत की परिस्थितियों के अनुसार शासन व्यवस्था का इससे बेहतर ढांचा हो नहीं सकता। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, सम्पत्ति, सुख की प्राप्ति एवं सम्मान के लक्ष्यों का हासिल करने का पूरा अधिकार होगा। इतनी ऊँची महत्वाकांक्षाओं के लिए ठोस आधार भूमि भी थी।

संसदीय व्यवस्था का विकास – संसदीय लोकतंत्र में जनमानस की आवाज की अभिव्यक्ति के लिए संसद एवं राज्य विधान मण्डल ही सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं एवं उसके समाधान के लिए विचार विमर्श करते हैं।

भारत की तरह सात एवं आठ दशक पहले स्वतंत्र हुए एशिया एवं

अफ्रिका के अनेक राष्ट्रों से तुलना करे तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारत एक बेजोड़ एवं महान देश है। यदि हम अपने पड़ोसी देशों पर दृष्टि डालें तो लगभग सभी राष्ट्रों के संविधान बदल चुके हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार आदि देशों में कई-कई नए संविधान आ चुके हैं, लेकिन भारत का मूल संविधान आज भी ज्यों का त्यों है, तथा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसने विविधता भरे देश को यह सम्भाले हुए है।

इस संसदीय लोकतंत्र को अपनाने के पीछे हमारे संविधान निर्माताओं में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'हम अब तक प्राप्त अनुभव के प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते हैं' लम्बे वाद-विवाद के बाद संविधान सभा में जब संसदीय शासन प्रणाली के पक्ष में निर्णय लिया गया तो मुख्यतः दो प्रश्न उठाये गए पहला, लोकतांत्रिक संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत सबल कार्यपालिका किस प्रकार बनायी जा सकती है? दूसरा किस प्रकार की कार्यपालिका देश की परिस्थितियों के अनुकूल है? इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए के.एम. मुंशी ने यह अभिमत प्रकट किया कि शक्तिशाली एवं लोचपूर्ण सरकार ब्रिटेन में विद्यमान है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति मंत्रीमण्डल में निहित होती है, जो निम्न सदन के बहुमत पर आधारित है। डॉ. बाबा साहब आम्बेडकर ने लोकतंत्र की बहुत ही सुंदर परिभाषा देते हुए कहा कि 'यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, तो वह नष्ट हो जायेगा। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है वह जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मान्यता देता है। जिसमें ये दोनों अलग-अलग ना माने जाकर त्रिमुर्ति के रूप में माने जाते हैं। वे इस त्रिमुर्ति का एकीकरण हैं। इस अर्थ में यदि एक को हम दूसरे से अलग कर दें तो लोकतंत्र का आषय निष्फल हो जाएगा। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता।'।

भारत में संसदीय व्यवस्था का क्रियांवयन- पिछले सात दशकों से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी भारत की संसदीय शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक पद्धति से संचालित हो रही है। विगत कुछ वर्षों से देश की राजनीति के क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है। इससे आम जनता के मन में खेद, क्षोभ, ग्लानि तथा नेतृत्वकर्ता के प्रति अजीब सोच बन रही है। सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के अवमूल्यन, राजनीतिक दलों के विघटन और आये दिन नेताओं के दल बदल की प्रवृत्ति ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और मजबूत करने तथा सुधार की ओर अग्रसर होने वाली नीतियों के क्रियांवयन पर बल देने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

संसद एवं राज्य विधानमण्डलों में कार्य संचालन के दौरान होने वाली त्रुटियों पर ध्यान देने से गतिरोधक को कम कर सकते हैं- संसद और राज्य विधानमण्डलों की बैठके न होना तथा गतिरोधक उत्पन्न कर उन्हें कार्य न करने देने की प्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी होना। संसद का ठप होना बहुत ही दुःखद है, लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पवित्र स्थल में बिल पास होते हैं। जनप्रतिनिधि बहस करते हैं, लेकिन इसे शोरगुल करके अवरोध खड़ा करना नुकसान देय सिद्ध हो रहा है। देश की जनता के बारे में जनप्रतिनिधियों को ज्यादा सोचने की जरूरत है।

आकड़ों पर नजर डाले तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है, लोकसभा की घटती बैठके

क्र.	वर्ष	कार्यदिवस
1	1952-57	677
2	1957-62	581
3	1984-89	485
4	1991-96	423
5	2004-09	332
6	2009-14	357
7	2015-2019	317

संसद में हंगामों में से महत्वपूर्ण कार्य बाधित होना- संसद में कामकाज के दौरान हंगामा खड़ा करना या संसदों के निलंबन के आधार पर संसद में हो-हल्ला करना चर्चा से बचना, गाली-गलौच, हो-हिंसा हो या असंसदी के पास पहुंचकर पर्चे दिखाना या नारे लगाना यह सही नहीं कहा जा सकता है, अभी हाल में ही संसद के शीतकालिन सत्र में जो 29 नवम्बर से 23 दिसम्बर 2021 तक चलना था, 12 संसदों के निलंबन को वापिस लेने की मांग पर हंगामों के कारण सत्र को दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। मौजूदा सत्र में लोकसभा में 82 प्रतिशत एवं राज्यसभा में 48 प्रतिशत ही कामकाज हुआ। इस प्रकार संसद में हंगामे के कारण महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न नहीं हो पाते हैं। जिससे की लोकतंत्र की बुनियादी नींव मजबूत नहीं हो पाती है जबकि प्रजातंत्र में विपक्ष का काम सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना एवं सरकार को देश के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए कार्य करना होता है।

विपक्ष की भूमिका विरोध के लिए विरोध करना नहीं होना चाहिए। उन्हे रचनात्मक एवं सकारात्मक कार्य के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक दूसरे पर आरोपों से समय की ही बर्बादी होती है, एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर बहस नहीं हो पाती है। जिससे जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों पर कम होते जा रहा है। संसद को विचार विमर्श का सर्वोच्च महत्वपूर्ण स्थल बनाए

रखने के लिए पक्ष-विपक्ष को सार्थक पहल करने की महती जरूरत है।

प्रश्नकाल की समयावधि में चर्चा जरूर हो- संसदीय प्रक्रिया में संसद की बैठक का पहला घंटा प्रश्न काल का होता है। प्रश्नकाल इसलिए होता है। जिसमें विपक्ष प्रश्न पुछकर सत्ता पक्ष को जवाबदेही बना सके पर देखा जाता है, कि यह भी हंगामों की भेट चढ़ता जा रहा है। पन्द्रहवीं लोकसभा में प्रश्नकाल का 57 प्रतिशत समय हंगामों की भेट चढ़ गया था। इसलिए प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष को प्रश्नकाल में चर्चा जरूर करना चाहिए ताकि जवाबदेह के साथ कार्य हो सके।

भारत की बढ़ती आबादी, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा प्राप्ति में असमानता, जातिवादी मानसिकता, क्षेत्रवाद आदि अनेक मुद्दों पर तथ्यात्मक चर्चा संसद में होनी चाहिए ताकि देश के वंचित वर्गों की समस्याओं को दूर किया जा सके। देश की एकता एवं अखण्डता के लिए मिलजुल के प्रयास करने की जरूरत है ताकि असमाजिक तत्वों एवं देश को कमजोर करने वाली ताकतों को विफल कर सके। देश में संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवैधानिक मर्यादा के भीतर रहकर आचरण करना जरूरी है। प्रायः देखा गया है कि निम्न स्तरीय भाषा, निजी आरोप-प्रत्यारोप अमर्यादित शब्द तथा झूठे वादे आदि से संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचती है।

निष्कर्ष- भारत देश की परिस्थितियों के लिए संसदीय लोकतंत्र ही बेहतर सिद्ध हो रहा है, क्योंकि यहा का जनमानस आस्थावान समझदार है, समन्वयवादी है साथ ही आषावादी भी है।

केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन कर सही नीतियों का निर्धारण करें। ताकि संसदीय लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ हो सके। प्रसिद्ध विचारक मूर्धन्य राजनीतिज्ञ डॉ० राममनोहर लोहिया ने अपने विचार रखते हुए कहा था कि संसदीय पद्धति हमारी धरोहर है, विशिष्ट राजनीतिक पूंजी है। संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा आज भारत एक सशक्त लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। संसद में बहस हो राष्ट्रीय हित सर्वोपरी हो साथ ही संसदीय गरिमा के लिए सभी प्रतिबद्ध हो एवं सामाजिक लोकतंत्र को प्रतिस्थापित करने के लिए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए नितियों का सही दिशा में क्रियांवयन हो सके ऐसा प्रयास सभी भारतीय जनमानस को करना है, ताकि समृद्ध संसदीय परम्पराए चलती रहे और देश का बेहतर विकास किया जा सके। लोगों में राजनीतिक चेतना का होता आवश्यक है ताकि जनआकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों को पूर्ण किया जा सकता है, एवं भारतीय संसदीय लोकतंत्र की विशिष्टता सारे विश्व में कायम रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. वैदिक, वेदप्रकाश: दैनिक भास्कर 01 दिसम्बर 2021, पेज 08
2. डॉ. फाडिया, बी.एल: भारत में लोकतंत्र कैलाश पुस्तक सदन 2010, पेज 45-54
3. दैनिक भास्कर अगस्त 2015
4. दैनिक भास्कर दिसम्बर 2021
5. विधायिनी अंक 1 मार्च 2009 पेज 17
6. डॉ. आम्बेडकर के विचार, म.प्र हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पेज 19-22
7. कोठारी रजनी, भारत में राजनीति, 2017 पेज 34
8. डॉ. बसु दुर्गादास, भारत का संविधान एक परिचय पेज 24-25

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों की विवेचना : एक अध्ययन

डॉ. रेहाना शेख *

* सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) भारतीय महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – आज राजनीति विज्ञान के क्षितिज पर प्रजातंत्र का सूर्य अपनी पूर्ण प्रखरता के साथ समूचे विश्व को आलोकित कर रहा है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है तथा आज भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है।

भारत का यह गौरव है कि यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है इसलिए संविधान निर्माताओं ने निष्पक्ष व स्वतंत्र निर्वाचनों के लिए पृथक से निर्वाचन मशीनरी की स्थापना की जिसे 'निर्वाचन आयोग' का नाम दिया गया है।

संविधान निर्माता, नागरिकों के इस राजनीतिक अधिकार को पूर्णतः सुरक्षित करने को उत्सुक थे। अतः उन्होंने संविधान का एक पूरा भाग 15 चुनावों से ही सम्बद्ध किया। इस भाग में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनावों के संबंध में विभिन्न संविधानिक व्यवस्था की गई है।

मतदान व्यवहारवादी का अध्ययन बीसवी सदी की ही एक प्रक्रिया है सर्वप्रथम फ्रांस में 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया इसके बाद अमेरिका में दो विश्वयुद्धों के बीच के काल में और ब्रिटेन में महायुद्ध के बाद मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। भारत में भी मतदान व्यवहार का अध्ययन द्वितीय आम चुनावों के बाद किया जाने लगा।

मतदान व्यवहार से हमारा अभिप्राय यह है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होते हैं। मतदान व्यवहार में प्रथम तो यह अध्ययन किया जाता है कि कौन से तत्व व्यक्ति और कौन से तत्व उसे इस संबंध में निरुत्साहित करते हैं। द्वितीय स्तर पर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित एक गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है। जो अनेक आंतरिक और बाहरी तत्वों से प्रभावित होती है मतदान व्यवहार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है चुनाव से पूर्व व पश्चात् मतदाताओं से संपर्क स्थापित कर मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।¹ स्वाभाविक रूप से मतदान व्यवहार के अध्ययन में क्षेत्रीय भिन्नता, अध्ययन का आधार, मतदाताओं के उत्तर नहीं मिलते, व्यय साध्य प्रक्रिया अनेक कठिनाईयाँ आती हैं। इन कठिनाईयों को पूर्ण रूप से दूर किया जाना तो सम्भव नहीं है, वास्तव में ये समस्याएँ केवल भारतीय परिक्षेत्र की समस्याएँ नहीं हैं, यह समस्याएँ विश्व के अधिकतर हिस्से में देखने को मिलती हैं।² भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न हैं :-

भारत ने जातिवाद मतदान को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व रहा है यह प्रथम आम चुनाव 2002 के चुनावों में देखी जाती है भारत के समस्त क्षेत्र इस तत्व से प्रभावित हुए हैं।³ मतदाताओं की आर्थिक स्थिति मतदान व्यवहार को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करती है यदि मतदाता की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो साधारणतया तथा वह सत्तारूढ़ दल को ही मत देता है अन्यथा विरोधी दल को सत्तारूढ़ दल के आचरण और क्रियाकलापों का मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।⁴ चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल यदि जनहित के कार्यों में अधिक रुचि लेता है लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की उचित व्यवस्था करता है और शांति व व्यवस्था की स्थिति बनाये रखता है तो मतदान सामान्यतः शासक दल के पक्ष में और विरोधी दलों के विपक्ष में होता है।⁵

भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व का है प्रथम तीन आम चुनावों में कांग्रेस की सफलता का एक मुख्य कारण पं. जवाहरलाल नेहरू का प्रभावशाली नेतृत्व और व्यक्तित्व था। भारतीय मतदाताओं का सामान्य वर्ग कम और प्रबुद्ध वर्ग अधिक राजनीतिक दलों की विचारधारा कार्यक्रम और नीति से प्रभावित होता है।⁶

भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं जिनकी मतदान व्यवहार की अपनी कुछ विशेषता है मुसलमानों का संकीर्ण और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण ही बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है।⁷ मतदान व्यवहार के नियामक तत्वों में इतिहास की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। इतिहास में वर्तमान की जड़े एवं भविष्य के बीज होते हैं।⁸ मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण नियामक तत्व है सामाजिक संगठन विकासशील देशों में सामाजिक संगठनों की भूमिका निर्णायक महत्व की होती है व राजनीति की स्थिति गौण होती है निर्वाचन में मतदाताओं का व्यवहार बहुत कुछ वहाँ के सामाजिक संगठनों की भूमिका पर निर्भर करता है रूडोल्फ का मत है कि 'सामाजिक संगठन व राजनीति दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।'¹⁰ युद्ध में सफलता-असफलता भी मतदान व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। 1962 ई. में चीन के हाथों में पराजय को मतदाता भूले नहीं और 1967 ई. में कांग्रेस के भाग्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। 1989 में चुनावों से पूर्व तक अखिल भारतीय स्तर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वालो मुद्दा कभी नहीं बन सका था। 1989 के चुनाव में उत्तर भारत में कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा। भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति भी प्रबल है। पंजाब में अकाली दल 1967 से 1971 तक तमिलनाडु में डी.एम.के और 1977 के चुनावों में अन्ना डी.एम.के की सफलता इस

क्षेत्रवादी प्रवृत्ति का परिचय देती है।

भारत में भाषा का तत्व मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है आज भी हमारे मतदाताओं की मानसिकता में वर्ण व्यवस्था बनी हुई है। समाज आज भी चार वर्णों में बंटा हुआ है आज की राजनीति में जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और जाति का वर्ण व्यवस्था से गहरा संबंध है मतदान व्यवहार सामन्तशाही व्यवस्था का अथवा भूतपूर्व राजा-महाराजाओं और जागीरदारों का प्रभाव लम्बे अरसे तक रहा। मतदान व्यवहार में धर्म की भी महत्वपूर्ण भूमिका है अकाली दल, हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग आदि साम्प्रदायिक दल ही हैं ये दल धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर वोट मांगते हैं। चुनाव में अनाप शनाप खर्च किया जाने वाला धन भी मतदान व्यवहार को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है आयु, शिक्षा तथा लिंग भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जहां शिक्षित लोग अपने विवेक से कम आयु के मतदाता विकासवादी दल को तो महिलाएं अधिकतर अपने परिवार के कहने पर मत देती हैं।¹²

निष्कर्ष - राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसी भ्रामक धारणा व्याप्त है कि भारत की महिला अपने मताधिकार का प्रयोग औचित्य अथवा विवेक के साथ नहीं कर सकती क्योंकि वह अशिक्षा, गरीबी, जातिगत द्वेष, धर्मान्धता परिवार आदि की शिकार है, लेकिन प्रथम चुनाव से लेकर अब तक भारतीय महिला का जो मतदान व्यवहार रहा है। उससे इसी तथ्य की पुष्टि होती है कि उपर्युक्त भ्रामक मत केवल उन्हीं लोगों का है जो भारतीय महिलाओं के मन मस्तिष्क को नहीं समझते जिन्हें भारत की महिला मतदाताओं के चरित्र एवं चिंतन का बोध नहीं है। अभी तक भारतीय महिला मतदाताओं ने अपने मतदान में जिस विवेक और कुशलता का परिचय दिया है कुछ अपवादों को छोड़कर मतदान में जिस विवेक और कुशलता का परिचय दिया है कुछ अपवादों को छोड़कर अनुशासनप्रियता प्रदर्शित की है और मताधिकार की कीमत समझी है। अतः यह कह सकते हैं भारतीय महिलाओं का मतदान व्यवहार लोकतंत्र

के लिए आधार स्तम्भ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जी.पी. नेमा, भारत में राज्यों की राजनीति, जयपुर : कॉलेज बुक डिपो, 2004, पृ. 265
2. कार्ल.जे. फ्रेडरिक, कान्सटीट्यूशनल गवर्नमेंट एण्ड डेमोक्रेसी, दिल्ली : आक्सफोर्ड एण्ड आय.बी.एस., 1966 पृ. 259
3. मॉरिस जोन्स, इण्डियन गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स, लंदन, 1970
4. ओ.पी. गोयल, पॉलिटिक्स कास्ट एण्ड वोटिंग बिहेवियर, जयपुर : पालिटिकल साइंस रिव्यू, 1969
5. एस.पुरी, तुलनात्मक राजनीति, जालंधर - न्यू ऐकेडमिक पब्लिशिंग, 2002, पृ. 572
6. एस.पी. वर्मा एण्ड इकबाल नारायण, वोटिंग बिहेवियर इन ए चेन्जिंग सोसायटी, 1973
7. दिनेशचन्द्र चतुर्वेदी, भारतीय शासन और राजनीति, नई दिल्ली: मीनाक्षी प्रकाशन, 1986, पृ. 253
8. मॉरिस जोन्स, इण्डिया गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स, लंदन, 1957
9. इकबाल नारायण, स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, मेरठ : मीनाक्षी प्रकाशन, 1967
10. राम जोशी एवं कीर्तिदेव देसाई, डोमिनेन्स विद डिफरेन्स स्ट्रेन्थ एण्ड चेलेंजर्स, मुम्बई : इकानॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, भाग 8, 1973, पृ. 189
11. रजनी कोठारी, दि कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया, एशियन सर्वे, भाग - 4, 1964
12. रूडोल्फ एण्ड रूडोल्फ, माडर्निटी ऑफ ट्रेडिशनस, शिकागो : युनिवर्सिटीज प्रेस, 1967

फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में यथार्थवाद

डॉ. मंजुलता चौधरी *

* सह. प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, आलोट (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – फणीश्वरनाथ रेणु ग्रामीण जनजीवन के यथार्थवादी कथाकार हैं। उनकी आत्मा गाँवों में बसती थी क्योंकि गाँव का हर वह व्यक्ति या पहलू जैसे गाँव का गरीब किसान, मजदूर या जमींदार, राजनीतिक की भूमिका निभाने वाले पहलवान तथा उसके हाव भाव या उसके अन्दर की भावनाएँ यह एक दूसरे के प्रति जो दया का भाव रखते हैं इन सब का चित्रण रेणुजी ने इस प्रकार किया है जैसे वह इन लोगों के बीच में बसते हो। यह हिन्दी साहित्य के पहले कहानीकार और उपन्यासकार हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का चित्रण वैज्ञानिक तरीके से किया है। जब पिछड़े क्षेत्रों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रवेश होता है तो पुराने अंधविश्वासों के कारण विरोध होता है रेणुजी ने इसी सामाजिक जड़ता, अज्ञानता, तथा सांमंती मानसिकता में नये यथार्थवाद को प्राथमिकता देते हुए अपनी रचनाओं का सृजन की। रेणुजी ने ग्रामीण समाज के यथार्थ की और संकेत भी किया है।

हिन्दी साहित्य में गांव, किसान, खेत, खलियान आदि का चित्रण कोई नया नहीं था। मुंशी प्रेमचन्दजी की रचनाओं में हमें गाँव का चित्रण मिलता है। ग्रामीण जीवन की कथा लिखकर ही प्रेमचन्दजी कथा सम्राट बने। प्रेमचन्दजी के बाद गाँव अपनी समग्रता में रेणुजी की कहानियों में ही स्थान पाता है। उनके पात्र हमें अपनी उस आंचलिक दुनिया के बीच ले जाते हैं जो भारतीय गाँवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रेणुजी ने अपनी कहानियों के द्वारा हमारी चेतना को नया आयाम दिया है। उनका साहित्यिक नजरिया हिन्दी साहित्य के सामान्य नजरिये से कुछ हटकर है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के रागात्मक तत्व को बचाने की कोशिश की है। प्रेमचन्दजी की ग्रामीण परिकल्पना से अलग अंचल की नई स्थापना लेकर रेणुजी साहित्य जगत में आए और उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा गांव ही नहीं अपितु ग्रामीण जीवन के सम्पूर्ण परिदृश्य को अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवंत किया। प्रेमचन्दजी से इन्होंने मेहनतकश तबके से जुड़ने की परम्परा को आत्मसात किया है। वह अपने दिल की बात पूरी रागात्मकता के साथ करते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि हमें अपने परिवेश में शामिल कर ले। रेणुजी ने अपनी रचनाओं के पात्र गढ़े नहीं हैं अपितु उनकी रचना की है। यही कारण है कि जब हम इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो घटनाओं के दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। और हम सीधे यथार्थ से जुड़ जाते हैं। इनकी प्रत्येक रचनाओं में हमें एक अनुठी सी संवेदना मिलती है। रेणुजी जब अपनी दुनिया के चित्र उकेर रहे होते हैं तब वह इतने तन्मय हो जाते हैं कि उनके शब्द, चित्र और चेतना मिलकर एकाकार हो जाती है।

रेणुजी की रचनाओं में प्रेमचन्दजी की सामाजिक यथार्थवादी परम्परा

मिलती है। प्रेमचन्दजी के बाद हिन्दी साहित्य में आंचलिकता या ग्रामीण जीवन के पात्रों को रेणुजी ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। इनकी कहानियाँ हमें भारत के उस जीवन से जोड़ती हैं जो हाशिए पर है। इनकी कहानियाँ हमें भारत के मेहनतकश गरीब मजदूरों के बीच ले जाती हैं। उनकी रचनाओं जीवन की विविध छवियाँ में ऐसे आत्मसात हो जाती हैं जैसे यह सब उनके आस पास ही घटित हो रहा हो। फणीश्वरनाथ रेणु स्वतन्त्र भारत के प्रख्यात कथाकार रहे हैं। इन्होंने अपनी एक नई पहचान प्रदान की। इन्होंने उपन्यास के साथ हिन्दी कथा में नई परम्परा को जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से शक्तिवान, प्राणवान तथा नया आयाम ग्रहण कर प्रस्तुत हुआ है। और नगर तथा ग्राम के विवादों से अलग एक नई संस्कृति व गरिमा को लेकर चला है।

हिन्दी साहित्य में आंचलिक रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठित रेणुजी बहुचर्चित रहे। इन्होंने हिन्दी में न केवल आंचलिकता को नई दिशा दी अपितु गांव की संस्कृति और लोक जीवन को केन्द्र में लाकर खड़ा कर दिया। जिस प्रकार प्रेमचन्दजी को भारत के आमजन के प्रति गहरी संवेदना थी उसी प्रकार की संवेदना हमें रेणुजी की रचनाओं में मिलती है। रेणुजी की कहानियाँ बनी बनाई परिपाटी से हटकर कुछ नए जीवन यथार्थ को अपनी तरह से उठा रही थी। रेणुजी का गांवों के प्रति दृष्टिकोण मानवीय है। वह समाज के व्याप्त गरीबी, भुख, अंधविश्वास और रूढ़ियों को देखते हैं रेणुजी के रचनाओं के पात्र कर्मठ, स्वाभिमान और संघर्षशील हैं। इनकी रचनाओं में आर्थिक अभाव तथा विवशता से जुझता समाज यथार्थ के धरातल पर उभर कर सामने आता है। इनके पात्रों की अस्मिता अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं इनकी कहानियाँ ऐसे बेजुबान, बेसहारे, असहनीय पीड़ा में जीते मनुष्य की भाव संवेदना को उजागर कर रही थी जिनकी और अधिकांश लेखकों का ध्यान नहीं था। साथ ही वह ग्रामीण समाज के रीतिरिवाज, रहनसहन, तथा प्रवृत्तियों और संस्कृति का भी चित्रण ग्रामीण परिवेश की बहुरंगी छटा के साथ करते हैं। उनकी ग्रामीण अंचल की जीवंतता ही पाठकों की संवेदना को जागृत करती है और ग्रामीण जीवन और उसके परिदृश्य से साक्षात्कार कराती है।

रेणुजी अपने साहित्य में आंचलिकता, मानवीयता, राष्ट्रीयता, लोक संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक यथार्थवाद, लोक चेतना आदि कई पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत किये हैं। और मानवीयता को सबसे उपर रखा है। इनकी कहानियाँ पढ़ते समय शब्द अदृश्य होने लगते हैं और पाठक के मन में परिवेश मूर्तमान होकर उभरने लगता है जिसमें राग भी है और

अनुराग भी। रेणुजी ने हिन्दी साहित्य में स्थापित प्रेमचन्द द्वारा आंचलिक धरातल को विस्तार दिया और उसी वजह से आंचलिकता को विशेष पहचान मिली। रेणुजी का गांव या ग्रामीण परिवेश तथा जीवन दोनों ही और लोक रंगों से रंगे हुए हैं। रेणुजी का ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण समाज, और जीवन संघर्ष को देखने का नजरिया प्रेमचन्दजी से अलग है। प्रेमचन्दजी ग्रामीण जनजीवन को दिखकर लौटा लाते हैं। परन्तु रेणुजी ग्रामीण जीवन में रच बस जाते हैं। यही इनकी रचनाओं की विशेषता है। यही कारण है कि प्रेमचन्द की छवि ग्रामीण परिवेश की दृष्टा के रूप में है। और रेणुजी की ग्रामीण जीवन के चितरे बन जाते हैं। प्रेमचन्दजी के पास चिंतन है। जबकि रेणुजी के पास में जनसंघर्ष का अनुभव।

प्रेमचन्दजी और रेणुजी दोनों ही ग्रामीण जीवन व ग्रामीण परिवेश के रचनाकार हैं पर ग्रामीण परिवेश व ग्रामीण समाज को देखने का नजरिया अलग अलग है। उनकी रचनाओं में गांव का परिवेश कच्चे और अनघट रूप में मिलता है। रेणुजी ने भारतीय समाज को तीन श्रेणियों में रखकर अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। ग्राम समाज, नागरिक समाज और राजनीतिक समाज। उसमें से उनकी रूचि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जो मानवीय है सुन्दर है और लोकतान्त्रिक है उसके प्रति है। जिस प्रकार प्रेमचन्दजी को भारत के आमजन को लेकर गहरी संवेदना है उसी प्रकार हमें रेणुजी के साहित्य में भी मिलता है। किसान के जीवन में जो सुख दुख है। उसके विचारों में जो आनन्द है। वही प्रेमचन्दजी के साथ हमें रेणुजी के साहित्य में भी मिलता है। रेणुजी की किसानों के प्रति जो अन्तरंगता है वह लेखक के रूप में रेणुजी को एक परिपक्वता प्रदान करती है। रेणुजी गांव के जितने भी लोगों से मिले हैं वे उनसे मिली सहृदयता और प्रेम से स्वयं को समृद्ध करते हैं।

रेणुजी की कहानियाँ अपनी बुनावट, प्रकृति, शिल्प और स्वाद में हिन्दी कहानी की परम्परा में एक नई पहचान लेकर उपस्थित होती हैं। इनसे एक नई कथा धारा का प्रारम्भ माना जा सकता है। इनकी कहानियाँ प्रेमचन्दजी के धरातल की होकर भी उससे भिन्न हैं कथा साहित्य में प्रेमचन्दजी की जिस परम्परा की चर्चा होती है उसे रेणुजी ने अपने लेखन के आरम्भ में ही जान लिया था। प्रेमचन्दजी की विरासत की चुनौती यशपाल और रेणु दोनों ने ही स्वीकार की है। यशपाल ने जहाँ शहरी मध्यवर्ग को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है वहीं रेणुजी ने प्रेमचन्दजी के यथार्थ जीवन को महत्व देते हुए रचनाएँ की हैं। इनका संपूर्ण साहित्य प्रेमचन्द की तरह ग्रामीण समाज के निम्नवर्ग पर केंद्रित होने के बाद भी प्रेमचन्द के जैसा नहीं है।

रेणुजी की कहानियों को हम दो भागों में बाटकर समझ सकते हैं। एक वर्ग उन कहानियों का है जिसकी कथाभूमि ग्रामांचल की है। दूसरे वर्ग में वह कहानियाँ आती हैं जो महानगरों की कथाभूमि को लेकर चली हैं। उनकी प्रायः सभी चर्चित कहानियाँ तीसरी कसम, रसप्रिया, लालपान की बेगम, पंचलाईट, संवादिया आदि ग्रामांचल की कहानियाँ हैं। टेबुल, आजाद परिदे, जलवा, लफडा, अब्बिखोर, आदि शहरी जीवन से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनकी शहरी जीवन से जुड़ी कहानियों में वह सजगता नहीं मिलती है जो रेणुजी की अपनी विशेष पहचान है। इनकी कहानियों में प्रकृति के साथ रागात्मकता व तादात्म्य का भाव सबसे अधिक मुखर होकर आया है। इनकी हर कहानी में एक गीत है जिसमें दर्द और बेचैनी है और जीवन को समेटने की छटपटाहट है। कहानियों में आंचलिक अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इनकी कहानियों में मार्मिक और सजीव चित्र दोनों होते हैं। रेणुजी कहते हैं 'मेरे साधारण पाठक मेरी स्पष्टवादिता तथा सपाटबयानी से सदा संतुष्ट हुए हैं और साहित्य के

राजदार पंडित कथाकार, आलोचक ने हमेशा नाराज होकर मुझे एक जीवन दर्शनहीन, अपदार्थ, अप्रतिबद्ध, व्यर्थ, रोमांटिक प्राणी प्रमाणित किया है।'

रेणुजी वर्तमान यथार्थ के साथ जातीय स्मृतियों और परम्पराओं का संस्कार साथ लेकर चले हैं यह हिन्दी के प्रथम आंचलिक रचनाकार हैं उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर वहाँ के जीवन और वातावरण के साथ प्रकृति का भी सजीव अंकन किया है। इनके पात्र अनेक सामाजिक विकृतियों तथा त्रासद स्थितियों से जुझते हुए अपनी मानवीय गरिमा को बचाये रखते हैं। इनके पात्र असहाय, अनपढ़, गरीब, पीड़ित और अंधविश्वासी हो सकते हैं किन्तु संवेदनशीलता के स्तर पर नगरों, महानगरों के सभ्य कहे जाने वाले महापुरुषों से निश्चय ही श्रेष्ठ है।

हिन्दी कहानियों में प्रेमचन्द के बाद ग्रामीण छवियाँ कम मिलने लगी थी। साहित्य में जो आधुनिक प्रवृत्तियाँ उभर रही थी उनके लिए नगरीय मध्यवर्ग का परिवेश अधिक उपर्युक्त था। आजादी के बाद नई कहानी आन्दोलन पूरे तौर से मध्यवर्ग पर ही टिका हुआ था। जिनकी जड़ें नगरीय जीवन में थी उन दिनों ग्रामीण परिवेश या पृष्ठभूमि के साथ कोई लेखक हिन्दी में नहीं था। ऐसे में रेणुजी ही ठेठ ग्रामीण परिवेश और पूरे आंचलिक वातावरण के साथ हिन्दी कहानी के परिदृश्य पर उभरकर आए और अपनी रागात्मकता से हलचल पैदा कर दी। इन्होंने हिन्दी में आंचलिक कथा की नींव रखी यह अज्ञेयजी के समकालीन कवि और उनके परम मित्र थे। इसी कारण इन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का प्रेमचन्द की संज्ञा दी गई है। इनकी कृतियों में हमें आंचलिक पदों का प्रयोग देखने को मिलता है।

यह राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। रेणुजी बहुत ही कम उम्र से तरह-तरह के आन्दोलन में भाग लेते रहे। स्वाधीनता संघर्ष से लेकर जन आन्दोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी। प्राकृतिक आपदाओं में भी वह पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते थे। यही कारण है कि उनका व्यापक जन समुदाय से जुड़ाव था उन्होंने एक स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में अपनी पहचान बनाई और इस चेतना का वह जीवन पर्यन्त पालन करते रहे। और सत्ता दमन ओर शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते रहे उनका आन्दोलनकारी रूप सत्ता की साधना करने के लिए नहीं बल्कि उससे उन्हें संघर्ष के रास्ते पर चलना सीखा। रेणुजी सिर्फ सृजनात्मक व्यक्तित्व के स्वामी ही नहीं बल्कि एक सजग देश के नागरिक व देश भक्त भी थे।

रेणुजी का मानना था कि रोटी का अपना महत्व है लेकिन यह सब कुछ नहीं है। किसी प्रगतिवादी कहानीकार की तुलना में इनकी कहानियों में सर्वहारा जनमन की धड़कन हमें अधिक विश्वसनीयता के साथ सुनाई देती है। लेखन शैली पर चर्चा करे तो इन्होंने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। जिसमें पात्रों के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण हमें लुभावने रूप में देखने को मिलता है। इनकी लगभग हर रचना में पात्रों की सोच घटना प्रधान होती थी इनकी लेखन शैली प्रेमचन्दजी से काफी मिलती जुलती है।

1. ठेस कहानी में सिरचन निम्न जाति का कारीगर है किन्तु कामचोर नहीं है। उसे दौलत नहीं चाहिए प्रेम से सुस्वादु भोजन मिल जाए तो उसकी शिल्प का कमाल कोई भी देख सकता है। मानू की चाची ने उसका अपमान किया था उसने तो नहीं यही सोचकर वह उसके लिए शीतलपाटी बनाता है।
2. लालपान की बेगम कहानी में रेणुजी ने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि एक स्त्री भी अपने जीवन को अपनी इच्छा अपनी शर्तों पर जीना चाहती है।

3. पंचलाइट कहानी में रेणुजी में पंचों द्वारा पेट्रोलैक्स का खरीदना तथा उसके जलाने के लिए किए गए प्रयास को बताया है। गोधन जिसे जाति बिरादरी से इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि वह सिनेमा का गीत गाता है किन्तु जब पंचों द्वारा पेट्रोलैक्स नहीं जल पाती है, गोधन द्वारा पेट्रोलैक्स जलाई जाने पर उसे माफ कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि तुमने बिरादरी की इज्जत रख ली। इस कहानी में रेणुजी ने ग्राम सुधार की कोशिश कर ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्रण किया है।
4. रसप्रिया कहानी में लोक संस्कृति और आंचलिकता का रंग साफ दिखाई देता है। इस कहानी में रेणुजी ने एक अद्भुत प्रेमकथा को बताया है। इस कहानी में अधिकांश प्रेमकथा जैसी ट्रेजेडी से कुछ अलग है इसमें हमें समाज के आर्थिक सामाजिक अंतर्संघर्ष और उसमें कलाकार की नियति पर सोचने पर विवश करती है। मिरदंगिया को रसप्रिया के लिए जो प्यास है वह वास्तव में कहानीकार के मन में लोक संस्कृति की प्यास का सूचक है। लेखक मिरदंगिया के माध्यम से लोक गीत को जीवित रखना चाहता है।
5. तीसरी कसम कहानी में रेणुजी ने ग्रामीण व शहरी समाज को आत्मीयता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यह अंचल की कथा है। जहां जीविकापार्जन का साधन कृषि और पशु पालन है। हिरामन और हीराबाई इस कहानी के मूल पात्र हैं। हिरामन गाड़ीवान है जो हीराबाई नर्तकी से प्रेम करने लगता है। हिरामन अशिक्षित है दोनों ही अलग अलग परिवेश में जीवन व्यतीत करने वाले पात्र हैं इस कहानी में लेखक ने भारतीय ग्रामीण जीवन का उसके संपूर्ण आन्तरिक यथार्थ के साथ चित्रण किया है।
6. संवादिया रेणुजी की कालजयी कहानी है इसमें रेणुजी ने संवाद पहचाने वाले की मनोदशा का चित्रण किया है। कहानी में हरगोविन्द है जो संवादीय का काम करता है। जिस गाँव में वह रहता है उसी गाँव की हवेली की बड़ी बहू उसे अपने मायके अपना संवाद भेजने के लिए बुलाती है और अपना संवाद देकर भेज देती है किन्तु हरगोविन्द बड़ी बहू के द्वारा जो संवाद दिया जाता है उसे न देकर सकुशल होने का संवाद देकर लौट आता है। बहू द्वारा जो संवाद दिया जाता है वह उनके मायके में इस कारण नहीं दे पाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके गाँव की इज्जत खराब हो।
इस प्रकार रेणुजी के साहित्य में हमें देशज भाषा और शिल्प अधिक मिलता है। रेणुजी की हिन्दी जनमानस की हिन्दी है। इनकी हिन्दी खड़ी

बोली की अपेक्षा जनवादी है। रेणुजी की भाषा अंचल की बहुभाषिक है। जिसमें ग्रामीण अंचल की बोली पंचमेली है। जिसे लोग देशज भाषा या ठेठी बोली कहते हैं। जिस समय रेणुजी का लेखन कार्य चल रहा था। उस समय हिन्दी खड़ी बोली का दौर था। इन्होंने अंचल की भाषा विशेष का, अधिक से अधिक प्रयोग किया। यह प्रयोग इतना सार्थक रहा कि वहां के लोगो की इच्छा आकांक्षा, रितिरिवाज, पर्व त्यौहार, सोच विचार को पूरी तरह से पाठकों के सामने उपस्थित करता है। हिन्दी साहित्य में आंचलिकता की शुरुआत बहुत पुरानी रही है। परन्तु आंचलिक शब्दों के साथ रेणुजी हिन्दी साहित्य में अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अतः अंचल की बोलियों का समावेश हमें रेणुजी की रचनाओं में मिलता है। दृश्यों को चित्रित करने के लिए रेणुजी ने उसमें ग्रामीण जीवन के गीत, लय, ताल, वाद्य, ढोल, खंजडी नृत्य, आदि का प्रयोग कर उसे सुन्दर बनाने का प्रयास किया है। रेणुजी में अपनी रचनाओं में मिथक, लोकविश्वास, अंधविश्वास किंवदन्तियाँ, लोकगीत आदि को भी स्थान दिया है।

रेणुजी ने स्वतन्त्रता पूर्व तथा उसके पश्चात के गाँवों का चित्रण किया है स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किस प्रकार छटपटाहट तथा स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद देश प्रेम का मोहभंग की स्थिति का चित्रण बखूबी किया है। इनकी कहानियों में राग विराग, प्रेम, दुख, करुणा, हास, उल्लास आदि का समग्र चित्रण मिलता है। इनकी रचनाएँ ग्रामीण जीवन के करीब या यथार्थ रूप में देखी जा सकती हैं।

रेणुजी ने हिन्दी साहित्य को 63 कहानियाँ दी हैं। रेणुजी ने जिस समय अपनी लेखन कला का विकास किया है उस समय पत्रपत्रिका का अधिक प्रचलन था और उनकी यह रचनाएँ पत्र पत्रिका के माध्यम से ही प्रकाशित होती थी। इनकी कहानियाँ अपनी संरचना, प्रकृति, शिल्प और रस में हिन्दी कहानियों की परम्परा में एक अलग ही पहचान लेकर चली। वस्तुतः नई कहानियों की नई कथा धारा का प्रारम्भ रेणुजी की कहानियों से होता है। रेणुजी कहानियाँ लिखते नहीं बुनते हैं। उनकी बुनावट का यह कसाव ही उनकी कला का उत्कर्ष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रेणु रचनावली प्रथम भाग राजकमल प्रकाशन।
2. <https://www.hindilibraryindia.com/biography>
3. फणीश्वरनाथ रेणु। Biography of Phanishwar Nath 'Renu' in Hindi
4. Biography Of Phanishwar Nath Renu In Hindi:
5. इंटरनेट द्वारा

भारत में पर्यटन क्षेत्र का रुझान और विकास (आर्थिक परिपेक्ष में)

रूपेश अखेपुरिया* डॉ. सुनिल मोरे **

* शोधार्थी (वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय महावीर महाविद्यालय, पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – सकल राजस्व और विदेशी मुद्रा आय के मामले में पर्यटन सबसे बड़े सेवा उद्योगों में से एक है। इसकी भूमिका और किसी देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने में महत्व अच्छी तरह से रहा है दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। भारत में, पर्यटन उद्योग में उच्च दर से बढ़ने और परिणाम सुनिश्चित करने की क्षमता है बुनियादी ढांचे का विकास। यह अपने पिछड़े और आगे के माध्यम से अन्य आर्थिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखता है कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, हस्तशिल्प, परिवहन, निर्माण, और इसी तरह। यह देश की राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया में भी एक प्रमुख योगदानकर्ता है और इसके संरक्षण को प्रोत्साहित करता है प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य असीमित व्यावसायिक अवसरों का पता लगाना है पर्यटन उद्योग में उद्यमिता और पर्यटन व्यवसाय में प्रवेश करने वाले उद्यमियों के लिए एक गाइड।

शब्द कुंजी – पर्यटन व्यवसाय, विदेशी पर्यटक, पर्यटक आया

प्रस्तावना – यात्रा और पर्यटन भारत का अभिन्न अंग रहा है संस्कृति और परंपरा पर्यटन उद्योग सबसे जीवंत है। तृतीयक गतिविधि और भारत के उद्योगों के समक्ष भारत के पर्यटन उद्योग को क्षमता और प्रदर्शन की जरूरत है इसके सामाजिक-आर्थिक परिमाण के संदर्भ में आंकने के लिए। इस पेपर चर्चा करता है कि कैसे भारत दुनिया में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है, जो कि नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने और पर्यटकों के लिए मूल्य बनाने से प्रेरित है। इसका उद्देश्य को बदलना था जोर देकर विदेशी पर्यटकों के प्रति रवैया और व्यवहार इस पहलू पर कि अतिथि को उच्च सम्मान में रखा गया है भारत में प्राचीन काल से। यह के प्रभाव की भी जांच करता है की पर्यटन पर भारत का आर्थिक विकास, आर्थिक विकास में योगदानकर्ता, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग की भूमिका, विदेशी बनाम घरेलू पर्यटक। पेपर यह भी पता लगाता है कि सरकार की नीतियों और समर्थन से भारत में पर्यटन में जबरदस्त वृद्धि हुई है सब स्तर पर। हाल ही में कई घटनाएं हुई हैं जो ओलम्पिक, आईपीएल क्रिकेट मैच, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक है।

पर्यटन समस्या – पर्यटन न केवल महत्व की एक आर्थिक गतिविधि है क्योंकि जितना यह एक देश कमाता है, और विदेशी मुद्रा प्रदान करता है। रोजगार, यह प्रतिकूल व्यापार संतुलन को भी ठीक कर सकता है और क्षेत्रीय असंतुलन, क्योंकि वे दोनों श्रम प्रधान हैं और पूंजीगहन गतिविधियाँ। यह सामाजिक का एक महत्वपूर्ण माध्यम है सांस्कृतिक विकास, स्थायी सद्भावना को बढ़ावा देने में सक्षम और दुनिया के राष्ट्रों के बीच दोस्ती। यह भी मदद करता है देश के क्षेत्रीय विकास और एक साधान के रूप में कार्य करता है सामाजिक शिक्षा और लोगों के बीच बेहतर समझ की देश के विभिन्न क्षेत्रों के। लंबे समय में, सबसे विकास के क्षेत्र में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैली के बीच समझ। पर्यटन

बुनियादी ढांचे के विकास में मूल रूप से एक निजी क्षेत्र की गतिविधि। निजी भागीदारी समय की मांग है। बहुत अक्सर, पर्यटन और पर्यावरण संघर्ष में हैं। बहुत से स्थान देश के भीतरी इलाकों में सड़कें, रेलवे या हवाई मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है। अत्यधिक नौकरशाही भी देरी करती है नए होटल और परिवहन परियोजनाएं। पर्यटकों का अक्सर आर्थिक शोषण किया जाता है, और भारत में आपराधिक तत्व बना सकते हैं भारत का दौरा जो महिलाओं और बुजुर्ग पर्यटकों के लिए असुरक्षित है।

पर्यटन एक व्यवसाय के रूप में – पर्यटन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है क्योंकि आय पर्यटकों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के खर्च से उत्पन्न होती है। इसलिए पर्यटन उद्योग कई देशों की भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सदी की शुरुआत में, पर्यटन एक में बदल रहा था व्यापार, हालांकि दो विश्व युद्धों के कारण, सदी के पूर्वार्द्ध में यह धीमा हो गया। इन मुश्किलों के बाद, पर्यटन एक स्थान से व्यक्तिगत स्थानान्तरण का द्योतक था आय के लिए दूसरे के लिए, उपभोक्तावाद के प्रयोजनों के लिए के रूप में आर्थिक भलाई और तकनीकी प्रगति का परिणाम है। पर्यटन ने नई आदतों और विभिन्न व्यवहार और जीवन मॉडल के साथसाथ समय की एक अलग अवधारणा को जन्म दिया है।

भारत में पर्यटन आगामी उद्योग के रूप में – भारत में पर्यटन बुद्ध, गांधी का घर और दली लामा का आसन, भारत में तीर्थ स्थान के रूप में कुछ विशेष प्रकार के पर्यटकों को लंबे समय से आकर्षित किया गया है। लेकिन 4,000 मील से अधिक समुद्र तट के साथ, हिमालय के एक हिस्से और बॉम्बे और दिल्ली जैसे महानगरों में, आकर्षित करने के लिए कई अन्य आकर्षण हैं पर्यटक। एक युवा देश के रूप में, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद 1947 में ब्रिटेन से, भारत प्रक्रिया के बीच में है अपने पर्यटन उद्योग का सम्मान, विकास और विस्तार करना और मैसेजिंग। भारत में पर्यटन का सुदृढीकरण और सुगमता प्रदान करना पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य है।

पर्यटन अवसरचना में वृद्धि करना, वीजा व्यवस्था को सरल बनाना, पर्यटन सवा प्रदाताओं की सेवाओं में तत्ता मानकों का आश्वासन, वर्ष के 365 दिन पर्यटक गतव्य के रूप में देश को प्रदर्शित करना, स्थायी पर्यटन का संवर्धन आदि कुछ नीतिगत योजनाएं हैं, जिन पर निरंतर काम करने की आवश्यकता है ताकि भारत में पर्यटन को बढ़ाया जा सके तथा सुगम बनाया जा सके।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. भारत में पर्यटन क्षेत्र की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
2. भारत में पर्यटन की प्रवृत्तियों और विकास का विश्लेषण करना।
3. ग्रामीण पर्यटन का विकास।
4. निष्कर्षों के आधार पर सुझाव देना।

पर्यटन क्षेत्रों के कार्य प्रणाली :

विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार, 21वीं सदी में विकास क्षेत्र हैं

1. संस्कृति और विरासत
2. पारिस्थितिकी पर्यटन
3. साहसिक यात्रा
4. विशेष रुचि यात्रा
5. खेल पर्यटन
6. स्वास्थ्य और कल्याण
7. परिभ्रमण

भारतीय पर्यटन की मुख्य विशेषताएं – भारतीय पर्यटन के क्षेत्र और मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. पर्यटन उद्योग को एकीकृत करने वाले जीडीपीसी में वृद्धि बल।
2. हमारी सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित, बनाए रखने और समृद्ध करने में मदद करना।
3. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि।
4. पर्यटन के लिए सभी उपायों को और अधिक नवीन प्रोत्साहन देना।
5. अधिक पर्यटन शिक्षा प्रदान करना।
6. स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में वृद्धि।
7. स्वास्थ्य देखभाल उद्योगों में प्रगति।
8. बहुसामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां।
9. होटल उद्योग में वृद्धि।
10. ग्रामीण पर्यटन पर ध्यान दें।
11. अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निजी क्षेत्रों को प्रेरित करना।

साहित्य की समीक्षा :

क्रेग यंग और डंकन लाइट ने उस उत्तर-समाजवादी का निरीक्षण किया पूर्वी और मध्य यूरोप में समाज नई जगह बना रहे हैं समाजवाद के अंत और 'यूरोप में वापसी' को इंगित करने के लिए पहचान। ये प्रक्रियाएं आर्थिक रणनीतियों से भी जुड़ी हुई हैं यूरोपीय और वैश्विक एकीकरण पर केंद्रित, यूरोपीय संघ प्रवेश और आकर्षित करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाना संसाधन, विशेष रूप से, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। समाजवादी स्थान के बाद की पहचान बनाने के प्रमुख प्रवचन इस प्रकार अक्सर एक 'सामान्य यूरोपीय विरासत' की 'पुनर्खोज' पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संकेत है कि पूर्व समाजवादी राष्ट्र वास्तव में हमेशा से रहे हैं 'यूरोपीय' हो गया। हालांकि, समाजवाद की विरासत अभी भी है परिदृश्य में मौजूद है और तेजी

से फिर से उभर रहा है, विशेष रूप से विरासत पर्यटन उद्योग के माध्यम से, बाधित करने के लिए और स्थान की पहचान के समाजवादी आख्यानो को चुनौती दें। यह कागज़ 'कम्युनिस्ट विरासत' के बढ़ते महत्व पर विचार करता है पर्यटन 'सांस्कृतिक विरासत के एक रूप के रूप में पर्यटन और अन्वेषण आर्थिक विकास और यूरोपीय एकीकरण के लिए इसके निहितार्थ।' पीटर शॉफिल्ड ने उत्तर आधुनिक विरासत पर्यटन का खुलासा किया बाजार परिपक्व हो गया है और समकालीन व्यस्तता अतीत से विषयों की बढ़ती संख्या जिसके परिणामस्वरूप परिभाषित करने के लिए विभिन्न मानदंडों का उदय हुआ है और पसंदीदा की लोकप्रिय छवियों के संदर्भ में विरासत की व्याख्या करना इतिहास इस संदर्भ में, दृश्य मीडिया-थीम वाली विरासत उत्पाद पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं विकास। मैनचेस्टर का 'हॉलीवुड ऑफ द नॉर्थ' टूर, जो शहर की छवि को उसके सिनेमैटोग्राफिक में फिर से बनाता है अतीत और वर्तमान नए उत्पाद विकास का एक उदाहरण है व्याख्या और एक वैकल्पिक पर्यटक अनुभव के माध्यम से वह स्थान जो शहरी विरासत के युग के आने का प्रतिनिधित्व करता है पर्यटन।

भारत में पर्यटन उद्योग के रुझान और विकास – विदेशी मुद्रा अर्जित करने में अंतराष्ट्रीय पर्यटन का महत्व और इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देने के साथ-साथ अंतराष्ट्रीय सद्भावना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

तालिका 1 वर्ष 2010 से 2020 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन की व्याख्या करती है।

तालिका 1

वर्ष	भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन में)	पिछले वर्ष की तुलना में (%) प्रतिशत बदलाव
2010	5.78	11.8
2011	6.31	9.2
2012	6.5	4.3
2013	6.97	5.9
2014	7.68	10.2
2015	8.03	4.5
2016	8.80	9.7
2017	10.04	14.0
2018	10.56	5.2
2019	10.93	3.5
2020	2.74	74.9

स्रोत :- आप्रवासन ब्यूरो और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि तालिका 1 से देखा जा सकता है कि की संख्या का वर्णन करें तो विगत वर्ष 2010 से 2020 तक पर्यटक भारत पहुंचे। पर्यटकों की संख्या 2010 में 5.78 मिलियन थी जो पिछले वर्षों की तुलना लगातार बढ़ी है। वर्ष 2019 में भारत में आने वाले अनिवासी भारतीयों के आगमन की संख्या 6.98 मिलियन थी। वर्ष 2010 से 2020 के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ी है यह के स्तर को दर्शाता है हर साल से आय में धीरे धीरे वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) 2020 के दौरान एफटीए 24.62 मिलियन (जनवरी - नवंबर) (अनतिम) था जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 74.6 प्रतिशत कम है। 2020 के दौरान, ई-पर्यटक वीजा पर कुल 8.38 मिलियन विदेशी पर्यटक आए (जनवरी - नवम्बर), जो पिछले वर्ष

की समान अवधि की तुलना में 67.2 प्रतिशत कम है।

तालिका 2 भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (मिलियन अमरीकी डॉलर में) में, वर्ष की तुलना में (%) प्रतिशत बदलाव की व्याख्या करती है।

तालिका 2

वर्ष	भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	वर्ष की तुलना में (%) प्रतिशत बदलाव
2010	14490	30.1
2011	17707	22.2
2012	17971	1.5
2013	18397	2.4
2014	19700	7.1
2015	21013	6.7
2016	22923	9.1
2017	27310	19.1
2018	28586	4.7
2019	30058	5.1
2020	6958	76.8

स्रोत :- आप्रवासन ब्यूरो और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 2 से पता चलता है कि भारत में पर्यटन उद्योग के माध्यम से आय की राशि का पता चलता है। रुपये से आय में लगातार वृद्धि हुई है। 2010 में 14490 मिलियन से 2019 में 30058 मिलियन आय हुई है। अध्ययन अवधि के दौरान यह बिस गुना बढ़ गया है। वर्ष 2020 के दौरान आय पिछले वर्षों की तुलना में 76.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। आय का स्तर हर साल से धीरे-धीरे बढ़ा है। विदेशी मुद्रा आय (एफईई) जनवरी 2020 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 44,203 करोड़ रुपये (अंतिम आकलन) थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15.6 प्रतिशत कम है। जनवरी 2020 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 6.159 बिलियन अमरीकी डॉलर (अंतिम अनुमान) थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17.1 प्रतिशत कम है।

तालिका 3 :- भारत में पर्यटन उद्योग की प्रवृत्तियों और विकास को स्पष्ट करती है।

वृद्धि (प्रतिशत में)	2016-17	2017-18	2018-19
जीडीपी में शेयर (प्रतिशत में)	5.04	5.00	5.00
प्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	2.62	2.6	2.6
अप्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	2.42	2.4	2.4
जॉब में शेयर (प्रतिशत में)	12.2	12.29	12.95
प्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	5.32	5.36	5.65
अप्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	6.88	6.93	7.3
पर्यटन के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरीयां (मिलियन में)	75.71	80.54	88.72

टिप्पणी : उपरोक्त अनुमानों को एन, एस, ए 2020 का प्रयोग करके अपडेट किया गया है

स्रोत- आप्रवासन ब्यूरो और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 3 भारत में पर्यटन उद्योग की प्रवृत्तियों और विकास को स्पष्ट

करती है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में हर बार वृद्धि की गई वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 विश्लेषण अवधि के दौरान जैसे 5.04, 5.00 और 5.00 प्रतिशत क्रमशः। इसी तरह पर्यटन के सभी पहलुओं को बढ़ाया गया विश्लेषण अवधि के दौरान आगमन, आय, हवाई परिवहन, होटल और यात्रा खुदरा मूल्य। पिछले 3 वर्षों में सोशल मीडिया पर स्थायी प्रचार प्रसार के कारण मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के अनुयायियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मंत्रालय के सोशल कुछ लोकप्रिय सोशल मीडिया के वर्तमान अनुयायियों की संख्या नीचे दी गई है।

ट्विटर - 2-4 मिलियन अनुयायियों

फेसबुक - 2-06 मिलियन अनुयायियों

इंस्टाग्राम - 342-8 हजार अनुयायियों

यूट्यूब - 85-3 हजार सब्सक्राइबर

प्रथम श्रेणी के शहरों में सभी 4 और 5 सितारा होटलों में से 80 प्रतिशत भारत ने 2020 तक सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली थी। अग्रणी भारतीय एयरलाइन जेट एयरवेज ने सोशल मीडिया पर डाला इसके विपणन का केंद्र, जिसमें 10 विभिन्न विभाग शामिल हैं उपभोक्ताओं को लक्षित करने वाली अपनी सोशल मीडिया गतिविधियों में।

अध्ययन के सुझाव - भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं और इससे आर्थिक विकास में वृद्धि होगी:-

1. पर्यटन संगठनों के क्षमता निर्माण में सहायता करना
2. नए निजी क्षेत्र के पर्यटन निवेश आकर्षण को प्रोत्साहित करना
3. ग्रामीण पर्यटन की समग्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करें।
4. क्षेत्रीय पर्यटन उद्योग के लिए अवसर को बढ़ावा।
5. पर्यटन के माध्यम से लोगों को अधिक रोजगार प्रदान करते हैं। यह देश के लिए और अधिक आर्थिक विकास पैदा करता है।

निष्कर्ष - पर्यटन किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभिन्न तरीकों से मदद करता है। पर्यटन एक सेवा उद्योग है, उन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इस सेवा उद्योग के लिए मानव श्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर्यटन उद्योग का अधिकांश क्षेत्र श्रमगहन है, और इसके लिए अपेक्षाकृत कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है अधिकांश नौकरियां। पर्यटन में नौकरियां हमेशा आकर्षक और अत्यधिक सम्मानित होती हैं। यह एक संयुक्त क्षेत्र है, जो एक में आय उत्पन्न करता है बड़ी संख्या में गतिविधियां जैसे सेक्टर और उपक्षेत्र, जैसे होटल और अन्य आवास इकाइयाँ, ट्रेवल एजेंट और टूर ऑपरेटर, परिवहन सेवाएँ, पर्यटक रिसॉर्ट और कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सुविधाएं जिनमें जिज्ञासु, हस्तशिल्प के लिए बिक्री आउटलेट शामिल हैं, स्मृति चिन्ह, और इतने पर। पर्यटन क्षेत्र की अक्सर आलोचना की जाती है केवल कम वेतन, मौसमी रोजगार प्रदान करना है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि पर्यटन न होता तो भारत में बहुत से श्रमिक बेरोजगार होते।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. <https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-09/Hindi%20Tourism%202021.pdf>
2. www.tourismmbc.com/marketingandsales.
3. www.smallbusinessbc.ca
4. www.incredibleindia.org
5. <https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/four.html>
6. <https://tourism.gov.in/sites/default/files/2021-09/Hindi%20Tourism%202021.pdf>

जैविक खेती - आज की आवश्यकता

डॉ. राजेश बकोरिया *

* सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - जनसंख्या वृद्धि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक भीषण समस्या है, बढ़ती जनसंख्या हेतु खाद्यान्न आपूर्ति हेतु अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों ने विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग करना प्रारंभ किया, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही है, बढ़ती जनसंख्या एवं आय में वृद्धि हेतु उत्पादन का बढ़ाना बहुत आवश्यक है इसी कारण किसान खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं जिससे लागत तो बढ़ी है साथ ही जल, वायु, भूमि एवं संपूर्ण वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। किसान मंहगे उर्वरकों कीटनाशकों को खरीदने से कर्ज में डूब रहे हैं, और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और रसायनयुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से शारीरिक विकलांगता, कैंसर एवं अन्य भयानक बीमारियां मनुष्यों को होने लगी हैं।

इन समस्याओं से निपटने के लिए आज हमें विशेष प्रकार की कृषि को अपनाने की आवश्यकता है जो कृषि उत्पादन को बढ़ा सके, मिट्टी की गुणवत्ता सुधार सके, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में सक्षम हो, जल, वायु, भूमि एवं वातावरण प्रदूषण को कम कर सके, मानव स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें और कृषि लागत को कम करके अधिक उत्पादन प्रदान कर सकें, इस कृषि को हम जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जानते हैं।

जैविक खेती, खेती की वह विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बिना या कम से कम उपयोग करके हम फसलों को पैदा करते हैं।

जैविक खेती से अभिप्राय ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर प्राकृतिक या जैविक खादों एवं जैविक रोग नियंत्रकों का प्रयोग किया जाता है।

जैविक खेती वह कृषि पद्धति है जो मिट्टी को स्वस्थ व जीवन्त रखते हुए रसायनों का पूर्ण बहिष्कार करती है एवं पशु मानव एवं भूमि के स्वास्थ्य को स्थिरता प्रदान करती है।

जैविक खेती में उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग नहीं किया जाता एवं इस प्रकार की कृषि में दलहनी फसलों, फसल चक्र मिश्रित खेती, जीवांश खादों, फसल अवशेषों, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्टिंग आदि का प्रयोग किया जाता है।

(अ) जैविक खेती से किसानों, मिट्टी एवं पर्यावरण को बहुत अधिक लाभ है यहाँ हम कुछ लाभों के बारे में चर्चा करेंगे:

1. भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है।
2. फसलों के सिंचाई अंतराल में वृद्धि हो जाती है।
3. रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो जाती है जिससे फसल उत्पादन में कम लागत लगती है।
4. फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है।
5. बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग अधिक है अतः किसानों की आय भी बढ़ जाती है।

इसी प्रकार हम

(ब) जैविक कृषि से मिट्टी को होने वाले लाभ की बात करें तो हम देखते हैं कि -

1. जैविक खादों के प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है।
2. मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है।
3. मिट्टी से वाष्पीकरण कम होने लगता है।

और यदि हम पर्यावरण की बात करें तो जैविक कृषि से पर्यावरण को बहुत अधिक लाभ है -

1. भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है।
2. कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने लगता है जिससे बीमारियां कम होने लगती हैं।
3. मिट्टी और खाद पदार्थों में पानी के द्वारा होने वाला प्रदूषण कम हो जाता है।
4. फसलों के उत्पादन की लागत कम हो जाती है।
5. जैविक कृषि से पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाता है।

वर्तमान में जैविक खेती की आवश्यकता क्यों है, इसके अनेक कारण हैं देश की बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन, शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि रसायनों एवं उर्वरकों का अधिक प्रयोग साथ ही जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। आज अधिक लागत, एवं विपणन सुविधाओं की कमी के कारण खेती लाभकारी हो रही है। कृषि योग्य भूमि की सीमित संभावनाओं के कारण जैविक कृषि के द्वारा कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। परम्परागत स्त्रोतों के उपयोग से कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा तथा किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

जैविक खेती किसानों एवं पर्यावरण दोनों के लिए ही लाभदायक है

जैविक खेती से किसान कम लागत में उच्च गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त कर सकते हैं, जैविक खेती की सहायता से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, जैविक खेती प्रदूषण रहित होता है इसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कम होता है जैविक खादों के प्रयोग से वातावरण शुद्ध होता है, जैविक खेती से मृदा में लंबे समय तक नमी बनी रहती है जिससे सिंचाई हेतु कम पानी की आवश्यकता होती है, जैविक खेती के कारण पशुपालक को बढ़ावा मिलेगा उनका महत्व एक बार फिर से बढ़ जावेगा, फसल अवशेष का निपटारा भी एक प्रकार की समस्या है जैविक कृषि में फसल अवशेषों का उचित उपयोग किया जाता है, जैविक कृषि के उत्पादों की गुणवत्ता रासायनिक कृषि की तुलना में कई गुणा बेहतर होती है अतः जैविक उत्पाद बाजारों में अधिक दाम में बिकते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से जैविक उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इनके उपयोग से विभिन्न रोगों से बचा जा सकता है, जैविक खेती की लागत बहुत कम आती है जैविक खाद कम दामों में तैयार हो जाता है, जैविक कृषि मिश्रों की सुरक्षा होती है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण मिट्टी की

उर्वरता भी बढ़ जाती है।

उक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिदृश्य में यह प्रतीत होता है कि आज का जमाना जैविक खेती का ही है हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। हमें वर्तमान में जैविक कृषि का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करना चाहिए इसके प्रचार प्रसार हेतु झांकी, पोस्टर, बेनर, कठपुतली प्रदर्शन जैविक हाट एवं विशेषज्ञों द्वारा जैविक खेती पर व्याख्यान आदि के द्वारा बढ़ावा देना चाहिए।

नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत जैविक कृषि को व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, यह बच्चों का सबसे अधिक पसंदीदा विषय बन गया है।

अतः हम कह सकते हैं कि जैविक खेती वर्तमान समय की एक महती आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैविक खेती के सिद्धान्त - राजेश दत्त, घनश्याम द्विवेदी एवं सुनील कुमार तिवारी।

कच्छपघातकालीन आर्थिक स्थिति की विवेचना

डॉ. ममता खोईया *

* शा. स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – कच्छपघात राजाओं ने 950 ई. से 1050 ई. तक राज्य किया। लगभग 200 वर्षों के उनके शासनकाल में निर्मित भव्य स्मारकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ रही होगी। उस समय कृषि एवं व्यापार उन्नत अवस्था में रहे होंगे। कृषि से संबंधित उपकरणों की शब्दावली के बारे में हमें जानकारी मिलती है जैसे उस समय अनाज की नाप बरहिया, पिया और गौन थी। 10 बरहिया का एक पिया, 20 पिया की एक गौन। इस बरहिया में लगभग तीन चौथाई किलो अनाज आता था। बरहिया बांस, लकड़ी या पीतल का होता था। बांस से निर्मित बरहिया को वंशोपक कहा जाता था।¹

महाराजाधिराज विक्रमसिंह ने जैन मंदिर के निर्माण एवं उसकी सेवा-पूजा के लिए व्यवस्था की थी कि महाचक्र नामक ग्राम की चार गौणी गेंहू बोए जाने योग्य भूमि इस मंदिर को दी जाए एवं किसानों को प्रति गौणी पर एक वंशोपक बरहिया अनाज मंदिर को देने का आदेश दिया था। पाषाणपल्ली नामक ग्राम से प्राप्त समस्त कर पद्मनाथ मंदिर को दान में दिए गए थे। इस ग्राम में नमक की खदान भी थी। पाषाणपल्ली ग्राम की धरती के उपर तथा नीचे पाताल तक की भूमि से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं मंदिर को दान में दी गई थी। 'आकाशपातालसमुद्रगंतच' इस रूप में आज के कानूनों में भी भूमि की परिभाषा दी जाती है। वर्तमान में पाषाणपल्ली ग्राम की पहचान संभव नहीं है, हालांकि यह ग्राम काफी बड़ा रहा होगा।

कच्छपघात राजाओं ने व्यापार-वाणिज्य को भी प्रोत्साहन दिया। वज्रदामा के समय में कश्मीर का पण्डित दिवाकर मिहिर नरवर आया था। उसने लिखा है कि वज्रदामा के राज्य में चोर-डाकुओं का भय नहीं है। यहां शिल्प-व्यापार का बड़ा केन्द्र है। दूर-दूर से व्यापारी यहां व्यापार करने के लिए आते हैं। शासन का बहुत ही उत्तम प्रबंध किया गया है।² इसके अलावा मणिकण्ठ ने भी लिखा है कि पद्मपाल ने परिपन्थियों डाकुओं का उन्मूलन किया था। मध्ययुग में व्यापारियों के लिए यह परिपन्थी बहुत बड़ा संकट उपस्थित करते थे, जो राजा इन डाकुओं का दमन करने में असमर्थ होता था, उसके राज्य का व्यापार नष्ट हो जाता था। बड़े-बड़े सार्थ उसके राज्य में व्यापार करने से कतराते थे। पद्मपाल द्वारा इन डाकुओं को नष्ट किए जाने के कारण ग्वालियर और सुहानिया व्यापार के प्रमुख केन्द्र बन गए थे।³

ग्वालियर भारत के उस मार्ग पर स्थित था जो सिरोंज एवं नरवर, ग्वालियर, धौलपुर होते हुए दिल्ली को जाता था। इसका वर्णन मंडेलसलॉन ने सन् 1635 ई. में तथा टेवर्नियर ने सन् 1671 ई. में अपने यात्रा विवरणों में करके इसे एक कस्बे में रूप में बताया है।⁴ शेरशाह के शासनकाल में एक

अन्य सड़क आगरा-ग्वालियर से महोबा तक, जो कि बुंदेलखण्ड एवं बुरहानपुर होते हुए दक्षिण से सिरोंज तक जाती थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य मार्ग जो देहली, मालवा, ग्वालियर एवं नरवर होकर जाता था।⁵ अतः ग्वालियर से गुजरने वाली सड़कें भारत के अन्य राज्यों से सम्पर्क एवं संबंध बनाए रखने में भी सहयोग देती थी।

मनोरथ कायस्थ के विवरण से हमें यह भी ज्ञात होता है कि सन् 1100 ई. के पहले से ही ग्वालियर में लिखने की सामग्री का उपयोग होने लगा था। काजल एवं माजूफल आदि द्रव्यों से घोंटी गई मसि बहुत अलंकृत मसिपात्रों में भरी जाती थी और उसमें बरू की लेखनी रखने का भी स्थान होता था। उस समय बहीखातों एवं शासनादेशों का कागज ग्वालियर में उपलब्ध था। दान कागज एवं ताम्रपत्र पर भी अंकित किए जाते थे।⁶ कच्छपघात राजाओं ने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत सिक्कों को भी जारी किया। महीपाल एवं वीरसिंह देव के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। इनके सोने एवं चांदी के प्राप्त सिक्कों के आधार पर इनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कच्छपघातों की ग्वालियर शाखा के महीपाल ने कुछ वीणा प्रकार के सिक्के चलाए। गुप्त साम्राज्य के बाद 7वीं-8वीं सदी से 11वीं-12 सदी के बीच हमको इन सिक्कों में बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। प्रतिहार, पाल, कच्छपघात, चौहान, परमार आदि के समय में इन सिक्कों में काफी बदलाव आया।⁷ महीपाल के कुछ सोने एवं करीब 400 चांदी के सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर देवी का अंकन है। इस काल में सामान्य आकार तथा वजन के देवी प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। हम महीपाल के सिक्कों का दो आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं-पहला देवी चरणयुक्त सिक्के, दूसरे देवी चरणहीन सिक्के। महीपाल के चांदी के सिक्के उसके सोने के सिक्कों की तुलना में अधिक अलंकृत नहीं हैं। प्रथम श्रेणी के सिक्के में तीन लाईन उत्कीर्ण हैं। इसमें देव शब्द तीसरी लाईन में है। दूसरी श्रेणी के सिक्कों में केवल दो लाईन हैं। इसमें देव शब्द नहीं है।

बड़ौदा म्यूजियम में महीपाल के 60 ग्रेन वजन के सिक्के संग्रहित हैं। कच्छपघात राजाओं के छोटे आकार के सिक्के नहीं मिले हैं। महीपाल के चांदी के सिक्के आकार में बड़े हैं।⁸ झांसी से महीपाल के 313 चांदी के सिक्के खोजे गये हैं।⁹ जो कि ग्वालियर से बहुत निकट है। इसकी काफी संभावना है कि ग्वालियर के कच्छपघात वंशीय महीपाल से संबंधित हो। इसका शासनकाल 1093 ई. से 1104 ई. है।

कनिंघम ने महीपाल के एक चांदी के सिक्के का वर्णन किया है। एम.एन. जोशी को झांसी क्षेत्र से 24 सिक्के मिले थे। इन सिक्कों में 19 अशुद्ध चांदी के तथा अन्य मिश्रित तांबे के हैं। एक सोने का सिक्का मिला है। यह

स्वर्ण सिक्का वीरसिंहदेव का हो सकता है, जो कि नरवर के कच्छपघात राजा थे।¹⁰ यह सिक्का कलकत्ता के अजीत घोष संग्रहालय में है। के.एन.दीक्षित के अनुसार इन सिक्कों पर वीरसिंहदेव का नाम अंकित है। उन्होंने सिक्कों पर अंकित छवि को विष्णु माना है, जिनके हाथ में चक्र व गदा है।

के.एन.दीक्षित के अनुसार लखनऊ म्यूजियम एवं गोरखपुर से प्राप्त सिक्कों में वीरसिंहदेव का नाम अंकित है। पदमासन मुद्रा में देवी का अंकन है एवं देवी के हाथ में चक्र व गदा है। के.एन.दीक्षित के अनुसार यह विष्णु की छवि है। अजीत घोष संग्रहालय में जो घुड़सवार प्रकार के सिक्के हैं, वे नरवर षाखा के कच्छपघातवंशीय राजा वीरसिंहदेव के ही हैं। इस राजा ने नरवर से 1177 ई. का एक ताम्रपत्र जारी किया था। इसमें इसे महाराजाधिराज कहा गया है यह सिक्का ग्वालियर से मिला है। के.एन.दीक्षित का विचार है कि दो अन्य विष्णु प्रकार के सिक्के दूसरे शासक के होने चाहिए। इनके अनुसार घुड़सवार प्रकार के सिक्के ग्वालियर एवं विष्णु प्रकार के सिक्के गोरखपुर से मिले हैं। अतः अलग-अलग शासकों के हो सकते हैं हमारा विचार है कि यह तीनों सिक्के नरवर के कच्छपघात वंशीय राजा वीरसिंहदेव के होने चाहिए।

उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि कच्छपघात राजाओं की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। तभी उन्होंने सास-बहु मंदिर व

ककनमठ मंदिर, कदवाहा जैसे भव्य मंदिर निर्मित करवाये। इतने अल्पकाल में इतने भव्य भवनों का निर्माण करना उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. द्विवेदी, हरिहरनिवास-ग्वालियर दर्शन, ग्वालियर 1980 पृ. 191
2. मंडावा, देवीसिंह-कछवाहों का इतिहास, जोधपुर 2001 पृ. 3
3. गजेटियर ऑफ इंडिया म.प्र. मुरैना 1996 पृ. 368
4. द्विवेदी, हरिहर विठ्ठल-कार्पस इन्सक्रिप्शन इण्डिकेरम भाग 2 नई दिल्ली, 1991 पृ. 540-548
5. लुअई-ग्वालियर गजेटियर, ग्वालियर 1909 पृ. 312
6. सरहिन्दी, याहया-बिन-तारीख-ए-मुबारकशाही, कलकत्ता 1931 पृ. 40 अनुवाद के.के. वासु
7. वीणा-वाणी-ओमप्रकाश चौरसिया, नई दिल्ली पृ. 191
8. राय, पी.सी.-द कोईनऐज ऑफ नार्दन इंडिया, नई दिल्ली 1980 पृ. 69-74
9. गोपाल, लल्लनजी-अर्ली मिडीवल कार्डन टाइप्स ऑफ नार्दन इंडिया, वाराणसी 1966 पृ. 44, 81
10. न्यूमिसमैक्स सप्लीमेंट भाग 46 पृ. 333

जनजाति समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का बदलता स्वरूप- (मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

प्रो. ममता कनेश *

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - प्रस्तुत शोध अध्ययन अलीराजपुर जिले में निवासरत जनजाति भील, भीलाला, बारेली एवं पटेलिया समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बदलते स्वरूप का अध्ययन करना है। वर्तमान में इस समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। अतः जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन करने वाली दशाएं एवं परिवर्तित आयाम का अध्ययन मुख्य उद्देश्य है।

प्रस्तावना - भारत में अनेक प्रकार की जाति, जनजाति, समुदाय, धर्म पाए जाने के कारण इसे विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत में जाति तथा जनजातियाँ आदिकाल से निवास करती आयी हैं। जाति, धर्म और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इनकी वेशभूषा, त्यौहार, भाषा, रीति-रिवाज और संस्कृति भी पृथक है। भारत में लगभग 8.61 प्रतिशत आबादी जनजातियों की है। ये जनजातियाँ मैदानों से लेकर जंगलों, पहाड़ों, ढ़ीपीय और वनीय क्षेत्रों, अगम्य व दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती हैं। इनका जीवन, रहन-सहन, खान-पान संस्कृति तीज-त्यौहार और जीवनशैली सब अपनी विशिष्टताएं लिए हुए हैं। कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प वन्य औषधीय और खाद्य पादपों आदि के संकलन, संरक्षण के साथ-साथ ये श्रम से भी जुड़े हैं।

जनजाति का अर्थ - जनजाति विशेष भौगोलिक स्थान पर रहने वाले लोगों का वह समूह है, जो समान पूर्वज, समान संस्कृति, समान भाषा, समान वेशभूषा व समान देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। एक साथ समूह बनाकर निवास करते हैं।

राल्फ लिन्टन के अनुसार, 'सामान्यतया जनजाति ऐसी टोलियों का समूह है, जिसका एक सानिध्य वाले भु-खण्ड अथवा भु-खण्डों पर अधिकार हो और जिसमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन समानता, निरन्तर सम्पर्क तथा कतिपय सामूदायिक हितों में समानता या समरूपता पायी जाती हों।'

वास्तव में जनजाति शब्द अंग्रेजी के ट्राइब (Tribe) शब्द का हिन्दी रूपांतरण है जिसका तात्पर्य ऐसे मानव समूह से है जो सरल जीवन-यापन करते हुए अपनी एक पृथक लोक संस्कृति को संजोये हुए हैं।

जनजाति समाज का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन

सामाजिक संगठन - पश्चिमी मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले की मुख्य जनजाति भील जनजाति है। भील जनजाति चार उपजनजातियों में विभाजित है-भील, भीलाला, पटेलिया एवं बारेली (बारिया)। प्रत्येक उपजाति में अने गोत्र पाए जाते हैं। जिनकी अलग-अलग कुलदेवी होती है। विवाह अवसर पर इन्हीं कुलदेवी की पूजा की जाती है। इन जनजातियों में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रत्येक गाँव में नियंत्रण, निगरानी के अलावा सामूहिक कार्यों के निष्पादन हेतु कुछ पद निर्धारित किए जाते हैं। गाँव का प्रमुख पटेल कहलाता है, जो विशिष्ट व सम्मानीय व्यक्ति होता है।

पटेल का कार्य मुख्य रूप से ग्राम में होने वाले विवाद की स्थिति या गाँव में होने वाले किसी भी पर्व अथवा समारोह का निर्णय लेना होता है। विवाह के समय दुल्हे को तैयार करना जिसे पगड़ी बाँधना कहते हैं यह कार्य भी गाँव के पटेल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर गाँव में कोई बारात आती है तो उसका स्वागत भी गाँव के पटेल के द्वारा ही किया जाता है। किसी-किसी गाँव में पटेल के स्थान पर यह सारे कार्य तडवी के द्वारा किये जाते हैं। तडवी पद भी पटेल के पद के समान्तर होता है। इस जनजातीय समाज में धार्मिक विश्वास के साथ-साथ जादू-टोना का भी प्रचलन देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है तो उसका उपचार ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जिसे बडवा के नाम से जाना जाता है जो रोगी को झाड़-फुक के द्वारा उपचारित करता है। बडवा जादुई क्रियाओं में दक्ष होता है। यह भुत, प्रेत बाधाओं संबंधी भय से लोगों को राहत दिलाता है। इन जनजाति समाज में पुजारा नामक पद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुजारा समाज के विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करने का कार्य करता है। गाँव के सारे लोक देवताओं की पुजा-अर्चना पुजारा के माध्यम की जाती है। विवाह समारोह के सारे संस्कार भी पुजारा के द्वारा ही सम्पन्न किए जाते हैं। एक तरह से पुजारा गाँव का पुरोहित होता है। इसके अलावा गाँव में एक कोटवाल होता है। जो गाँव के पटेल द्वारा घोषित सूचना को गाँव वालों तक पहुँचाने का कार्य करता है। जिसे गाँव का चौकीदार कहा जाता है।

परिवार - भील, भीलाला, पटेलिया तथा बारेली समाज में मुख्य रूप से एकल परिवार ही पाया जाता है। विवाह के कुछ समय तक पुत्र अपने पिता के साथ रहता है, परन्तु पारिवारिक कलह, पर्याप्त सुविधा नहीं मिलना तथा एक श्रम करने के कारण अपने पिता से अलग होकर अपना गुजारा करने लगता है। पिता के द्वारा सभी पुत्रों को संपत्ति का समान बँटवारा कर दिया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में नाला करना कहा जाता है। अलीराजपुर जिले की प्रमुख समस्या रोजगार की होने के कारण तथा विवाह, उजबन आदि में अधिक व्यय होने से नव-विवाहित अक्सर गुजरात राज्य में रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं इससे परिवार का आकार एकल रूप में ही स्थापित होता है। संरचनात्मक दृष्टि से परिवार का रूप एकल होता है, परन्तु

प्रकार्यात्मक रूप से सभी भाई-बंधु आपस में विशेष अवसरों, संस्कारों के आयोजन में सभी शामिल होते हैं।

विवाह – अन्य समाजों की भाँति झिल, झिलाला, बारेली, पटेलीया समाजों में परम्परात्मक तरीके से सम्पन्न होता है। इन समाजों में विवाह संबंधी परम्पराएँ एवं रीति-रिवाज संबंधी पद्धतियाँ अलग-अलग अंचलों में अलग-अलग पाई जाती हैं। मंगनी, हल्दी लगाना मंडप, चवरी, बारात, विदा जैसे कार्यक्रम होते हैं। इनमें वधू मूल्य का चलन है। परम्परागत विवाह की प्रचलित रीति के अलावा इन समाजों में और विवाह के मान्य रूप हैं

धरणा विवाह– यह विवाह इन समाजों में बहु पत्नी विवाह को मान्यता देती है। धरणा शब्द का अर्थ पकड़ (अपहरण) करके ले जाना होता है। इस विवाह में जो लड़की पंसद आ जाती है उससे विवाह करने हेतु लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता है। इस विवाह में वधु मूल्य के अतिरिक्त गुनाह (जुर्माना) लिया जाता है जो प्रचलित वधु मूल्य के लगभग दोगुना होता है।

नातरा विवाह – इन सभी जनजातीय समाजों में विधवा विवाह का प्रचलन है। इसे नातरा विवाह कहते हैं। इसमें परम्परागत तरीके से विवाह की रस्म नहीं की जाती बल्कि लड़की को सिर्फ कपड़े पहनाकर लड़के के घर ले आते हैं। लड़के के घर पर दुल्हन लाने के बाद बकरे की बली दी जाती जिसे नातरा पुजन कहा जाता है। इस विवाह में भोजन घर के अन्दर ही पकाया जाता है और अपने कुल के सदस्यों को घर के भीतर ही भोजन करवाया जाता है तथा बचे हुए भोजन को घर के अन्दर ही गहरा गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। जो नातरा भोजन को ग्रहण करता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी-भी अंधेरे में भोजन नहीं कर सकता है।

घर-जमाई विवाह– अलीराजपुर जिले की जनजातीय समाज में घर-जमाई विवाह का प्रचलन भी देखने को मिलता है। इस विवाह में दामाद पत्नी के माता-पिता के निवास स्थान पर रहता है। इन समाजों में इस विवाह का प्रचलन का कारण लड़की का कोई भाई नहीं होना है जो पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सके। इसी कारण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी दामाद को बनाया जाता है।

लुगडा-लाडी विवाह– इन समाजों में विवाह से सम्बन्धित व्यय अधिक होने से कुछ परिवार व्यय का वहन नहीं कर पाते हैं इसलिए लुगडा-लाडी विवाह किया जाता है। इस प्रथा के अन्तर्गत विवाह संबंध तय होने पर लड़के वाले नाते-रिस्तेदारों के साथ लड़की वालों के यहाँ लड़की के लिए वस्त्र लेकर जाते हैं एवं लड़के-लड़की का गठजोड़ कर देते हैं।

वस्त्राभूषण– अलीराजपुर जिले की जनजाति के लोगों को रंग-बिरंगे वस्त्र पहनना पंसद करते हैं। पुरुष वर्ग सर पर लाल, सफेद, पिले रंग के साफे पहनते हैं, कमीज तथा धोती पहनते हैं, महिलाएं घाघरा, चोली, लुगडा पहनती हैं। युवतियाँ घाघरा, चोली के साथ ऊदनी पहनती हैं। महिलाएं समूह में बाजार जाती हैं तथा एक ही रंग के वस्त्र के पुरे समूह के लिए खरीदती हैं। वस्त्र के अतिरिक्त यहाँ गहने मुख्य रूप से चाँदी के बने होते हैं। पुरुष गले में साँकल, हाथ नाहरमुखी (चाँदी के कड़े) एवं अँगुठी पहनते हैं। स्त्रियाँ टांगली, हार, हटका, बास्टीया (बाजुबंद) करंदी, कावली, हाथ सांकला, अँगुठी, कन्दोरा, रमझोल, कडी, झेलो आदि आभूषण धारण करती हैं।

खान-पान– जनजातीय समाज का खान-पान मुख्य रूप से साधारण ही होता है। यह मुख्य रूप से मोटा अनाज-मक्का, बाजरा, ज्वार, आदि का उपयोग भोजन के प्रमुख खाद्यान्न के रूप में करते हैं। इसके अलावा गेहूँ, चावल, चना,

उड़द, तुवर, कुलथी भी खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मक्के की राबडी, थुली इनका प्रमुख भोजन है। यहाँ कुछ जनजाति माँसाहारी भी हैं। पेय के रूप में महुआ की दारू (शराब) और ताडी (ताड़ के वृक्ष से निकाला जाने वाला पेय) का सेवन करते हैं।

उत्सव, पर्व एवं धार्मिक जीवन– जनजातीय समाज त्योहार एवं उत्सव को बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। अलीराजपुर जिले के जनजातीय समाज के प्रमुख उत्सव के रूप में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। भगोरिया होली के आठ दिन पूर्व प्रारंभ हो जाते हैं। फसल बोने के बाद प्रथम त्योहार के रूप में दिवासा मनाया जाता है। नये अनाज को उपयोग करने से पहले नवाई मनाई जाती है। परिवार में सुख-शांति स्थापित करने एवं मन्नत पुरी करने हेतु नाच-पाटला, इंदल, पिठोरा, चूल चलना आदि उत्सव भी मनाये जाते हैं। इसके अलावा होली, रक्षाबंधन, दिवाली, नवरात्री आदि त्योहार भी मनाते हैं। इन समाजों में अनेक देवी-देवताओं में विश्वास की परंपरा है। घर के अन्दर लकड़ी का खंभा लगाया जाता है, जिसे धारण कहा जाता है, धारण परिवार का कुल देवता होता है। बाबा देव, कुहाजा देव, शीतला माता झिलट बाबा, हनुमान, शंकर, गणेश, राम, कृष्ण, काली, अम्बा आदि इनके प्रमुख देवी-देवता हैं।

नृत्य और संगीत– अलीराजपुर की जनजातीय समाज लोक नृत्य और लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करते हैं। ये पारंपरिक नृत्य के बहुत शोकीन होते हैं। विवाह, उत्सव, त्योहार आदि पर नृत्य और लोकगीत के माध्यम से अपनी एकता स्थापित करते हैं। होली के पूर्व मनाया जाना वाला पर्व भगोरिया के अन्तर्गत समूह बनाकर नृत्य करते हैं। दिवाली के समय डोहा, छल्ला आदि नृत्य किये जाते हैं। विवाह के समय प्रत्येक संस्कार के लिए लोकगीत गाया जाता है। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र-ढोल, मांदल, कुंडी, ढोलगी, फेफरीया, ढाँक, कामडी, बाँसूरी, थाली, काँसे से बने घुँगरू आदि हैं।

आर्थिक जीवन– अलीराजपुर जिले की जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदरा, चना, उड़द, मूँग, मठ, कुलथी आदि यहाँ की मुख्य फसल हैं। कटोरीवाड़ा क्षेत्र के आस-पास चावल की फसल होती है। सिंचाई सुविधा नहीं मिलने के कारण यहाँ कृषि एवं कृषि से जुड़ा व्यवसाय पिछड़ा हुआ। कृषि के अतिरिक्त आय के प्रमुख साधन के रूप में मुर्गी पालन, बकरी पालन, शहद गोंद, महुआ का संग्रहण, महुआ से बनी शराब, ताडी, आम, सिताफल आदि हैं।

जनजाति समाज में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का बदलता स्वरूप– पश्चिमी मध्य प्रदेश की इस प्रमुख जनजाति में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का बदलता स्वरूप के अध्ययन पर जो परिवर्तित आयाम दिखाई देते हैं, वे निम्नानुसार हैं-

1. **जनजातीय सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन**– जनजातीय समाज की अपनी स्वयं की सामाजिक व्यवस्था होती है जो कि गोत्र पर आधारित होती है। आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव के कारण अलीराजपुर जिले के समीपस्थ क्षेत्रों में जनजातीय समाज नगरीय एवं औद्योगिक इकाईयों के समीप बस गए। इसके अलावा शासकीय सेवाओं में जाने के कारण भी अलग-अलग नगरों में जा कर बस गए और नगरीय जीवन-शैली को अपना लिया। इसका प्रमुख प्रभाव उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक पड़ा। ये नगर की स्वतंत्र जीवन-शैली के अनुरूप ढल गए। इनके इन क्षेत्रों में बस जाने के परिणामस्वरूप ये गोत्रीय बंधन, संयुक्त परिवार, कुल के बंधन से बाहर निकल आये हैं। इस प्रकार से सम्पूर्ण

जनजातीय समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया है। एक वर्ग अभी भी अपनी पुरानी सामाजिक व्यवस्था को अपनाये हुए है, तो दूसरा वर्ग नवीन व्यवस्था के अनुरूप जीवन-शैली में ढल गया है।

2. जनजाति सामाजिक संबंधों में परिवर्तन- आधुनिकीकरण की व्यवस्था ने यहाँ के जनजातीय समाज के परस्पर सामाजिक संबंधों पर भी अपना प्रभाव दिखाया है। एक परिवार, एक फलिया एवं एक गाँव में रहने की वजह से सामाजिक संबंधों का पारस्परिक आदान-प्रदान, उत्सवों, त्यौहारों के अवसरों पर होता था। परन्तु जब कोई जनजातीय परिवार, नगरीय एवं अन्य क्षेत्रों में बस जाता है तो उनके परिवार से मेल-मिलाप कम हो जाता है। दूर बस जाने के कारण अपने गाँव बार-बार आना-जाना मंहगा होता है। परिणामस्वरूप सभी उत्सवों, त्यौहारों एवं कार्यक्रमों में शामिल होना संभव नहीं होता है। इस प्रकार का व्यवहार उनके परिवारिक, सजातीय, नातेदारी संबंधों को प्रभावित करता है।

3. जनजाति विवाह में परिवर्तन- समाज में विवाह अपनी जाति के नियमों के अनुसार ही किया जाता रहा है किन्तु आधुनिक साधनों एवं संसाधनों का विकास होने के कारण भील, भिलाला, बारैला, पटलिया जनजाति ने अपनी विवाह पद्धति में परिवर्तन किया है। नये-नये रीति-रिवाजों का प्रचलन बढ़ी है। प्रारम्भ में विवाह आयोजन साधारण, कम व्यय एवं खान-पान सादा होता था जबकि वर्तमान में विवाह में भोजन व्यवस्था आधुनिक नगरीय समाजों की भाँति किया जाने लगा। पारम्परिक वध यंत्रों के स्थान पर बैंड बाजा, डी.जे. साउण्ड को महत्व दिया जाने लगा है। परम्परागत रीति-रिवाजों के स्थान पर पण्डितों के द्वारा विवाह सन्पन्न किये जाने लगे जिससे पारम्परिक तरीकों को धीरे-धीरे भुलाने लगे हैं। दुल्हा-दुल्हन की पोशाकों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। पारम्परिक दुल्हन को सफेद झुल्या (साडी) एवं लाल रंग का घाघरा पहनाया जाता था परन्तु वर्तमान में सफेद साडी के स्थान पर लाल साडी एवं लहंगा का प्रचलन बढ़ा है। साथ ही दुल्हन को महगें उपहार दिए जाने का प्रचलन हो जाने से जनजातीय समाज पर अधिक व्यय का भार पड़ा है।

4. सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन- जनजातीय संस्कृति का एक विशेष महत्व एवं पहचान है, जो अन्य संस्कृतियों से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ की जनजाति में इनके विश्वास, व्यवहार, रीति-रिवाज, परम्पराएं विधि, परम्परागत ज्ञान, कला, संगीत, नृत्य, पहनावा आदि कलाएँ होती हैं। आधुनिकता के प्रभाव में आने से नई-नई संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तथा पुरानी संस्कृति को भुलते जा रहे हैं। वर्तमान समय में नृत्य, लोकगीत को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। बालक-बालिकाएँ जो कि समीपस्थ नगरीय एवं कस्बाई स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं वे आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विश्वास, व्यवहारों, परम्पराओं, आधुनिक पहनावा को भी अपना रहे हैं।

5. आर्थिक जीवन में परिवर्तन- जनजातीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि एवं वनों पर आधारित थी परन्तु वर्तमान समय में कृषि एवं वनों पर आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान उद्योगों पर आधारित बाजार अर्थव्यवस्था ने ले

लिया है। मासिक वेतन लाभ एवं बचत की अवधारण ने जोर पकड़ा है। नगरीकरण औद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण सेवा क्षेत्र, लघु उद्योगों फुटविक्रेता, गुमटी, दुकान, तुफान, टाटा मेजिक, पिकअप, ऑनलाईन सेन्टर आदि कार्यों की ओर आकर्षित किया है। कृषि आधारित व्यवस्था में भी अत्यधिक परिवर्तन आया है। कपिल धारा कुँआ योजना, के तहत यहाँ के आसपास के गाँवों में सिचाई की व्यवस्था होने से सब्जी उगाना, पसंद करते हैं। लघु वनोप जैसे-महुआ, आम, सिताफल, ताड़, वृक्ष की ताड़ी, सिन्दे, जामून आदि समीपस्थ बाजारों में बेचते हैं जिससे उन्हें तुरन्त और अधिक पैसा प्राप्त होते हैं। तीर, धनुष दराते, सुपडा, टोपली, पाटी, चोमल, अनाज भरने के लिए कण्डगी (बाँस की कोठी) तवला, तावी आदि का उपयोग मुख्य रूप से सभी जनजाति के लोग करते हैं। इन सभी वस्तु का निर्माण आधुनिक तरीके से किया जाता है जिससे उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है।

6. धार्मिक जीवन में परिवर्तन- सामान्यतः सभी जनजातियाँ प्रकृति पूजक होती हैं। अलीराजपुर की सभी जनजातीय समाज पारम्परिक देवी देवताओं की आराधना करते थे, परन्तु अधुनिकता एवं शिक्षा के प्रभाव के कारण प्राकृतिक देवी-देवता के स्थान पर हिन्दू देवी-देवता की पुजा-अर्चना करने लगे हैं। पारम्परिक त्यौहारों का महत्व कम होने लगा है। होली, दिवाली, रक्षा-बन्धन मुख्य त्यौहार के रूप में मनाने लगे हैं। व्याधियों एवं बीमारियों के दौरान ये बड़वा के पास झा-फूक से उपचार करते थे परन्तु नगरीय सम्पर्क में आने से डॉक्टर और दवाओं से उपचार करने लगे हैं।

निष्कर्ष- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अलीराजपुर की जनजाति पुरुष एवं महिलाएं जो कि नगरों के सम्पर्क में हैं शिक्षा, औद्योगिकीकरण के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। यह प्रभाव इन समाजों को एक ओर विकास की राह दिखाता है, तो दूसरी ओर पारम्परिक जीवन-शैली, संस्कृति से इन्हे दूर कर रहा है। इन परिवर्तनों के बावजूद जिले के कुछ जनजातीय युवा सदस्यों ने अपनी पारम्परिक संस्कृति को बचाने एवं उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी ली है। 9 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस, टांटया मामा जयंती, बिरसा मुण्डा जयंती को बड़े उत्साह एवं पारम्परिक तरीके से मनाया जाता है। पारम्परिक परिधान, एवं पारम्परिक भोजन बना कर इन दिवसों को मनाना इनकी एकता को प्रकट करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. जैन, राजेन्द्र झाबुआ के भीलों की संस्कृति नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन 2008
2. डॉ. श्रीनाथ शर्मा, जनजातीय समाज, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 2017
3. डॉ. संदिप श्रीराम पाईकराव, डॉ. ए.डी., आदिवासी समाज और संस्कृति 2018
4. डॉ. माधवीलता दुबे, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2021
5. वर्मा, एम.एल. भीलों की सामाजिक व्यवस्था, नई दिल्ली, राधा पब्लिकेशन 2011

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग- भूमिका व प्रभाव कारिता

मुकेश मिश्र *

* शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मानव अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है। मानव और अधिकार, मानव वह है। जिसमें मानव जाति में जन्म लिया है। उससे किसी तरह से धर्म जाति लिंग जन्म स्थान मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता तथा अधिकार उन सुविधाओं को कहते हैं। जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना सकते हैं। इन अधिकारों के बिना मानव का जीवन असंभव हो जाएगा इस प्रकार इन दो शब्दों में इतना प्रगाढ़ अंतर्संबंध है। जिनको अलग नहीं किया जा सकता, अगर मानव का अस्तित्व है। तो उनको अधिकार भी प्रदान करना आवश्यक है। इन अधिकारों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है

मानव अधिकार क्या है- मानव अधिकार मूल अधिकार और स्वतंत्रता हैं। जो हर व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त है। यहां तक कि जब तक व्यक्ति अपने मां के गर्भ में भी रहता है, उसको भी मानव अधिकार प्राप्त है। मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। यह अधिकार पशुओं, पक्षियों और वृक्षों को प्राप्त ना होकर सिर्फ मानव को प्राप्त होते हैं। मानवाधिकारों का जन्म प्राकृतिक अधिकारों के बहुत करीब माना जाता है। मानवाधिकारों के जन्म के पहले भी प्राकृतिक अधिकार जो कि मनुष्य को प्रकृति से ही मिले हैं, प्राप्त थे यह अधिकार मनुष्य में निहित है। यह अधिकार मनुष्य में ऐसे ही निहित हैं। जैसे उसके शरीर की खाल का रंग, यह अधिकार मनुष्य के जन्म के साथ ही पैदा होते हैं।

जॉन लॉक कहते हैं:- कि सभी मनुष्य जन्म से ही स्वाधीन और विचारवान हैं। इस प्रकार जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक का अधिकार, और विवेक पर अमल करने का अधिकार यह सभी प्राकृतिक अधिकार हैं। और यही सब मानव अधिकार भी हैं। मानव अधिकार वह मौलिक व अन्य संक्रमण अधिकार है। जो सरकार के कृत्य से भी छीने नहीं जा सकते हैं। मानव अधिकार वह अधिकार है। जो प्राकृतिक हैं, और प्रकृति में अंतर्निहित है। तथा जिनके बिना मानव जीवित नहीं रह सकता है। मानव अधिकार व्यक्ति को अपने गुणों, ज्ञान, प्रतिभा और अंतर्विवेक का विकास करने में सहायक होते हैं। यह नैसर्गिक अधिकार होते हैं, इन्हें विधाइका व सरकार के कार्य द्वारा छीना नहीं जा सकता है।

मानव अधिकार का इतिहास- ऐसा प्रतीत होता है, कि मानवाधिकारों की उत्पत्ति अभी का विषय है। परंतु इसकी जड़े अतीत से हैं। मानवाधिकारों का विकास का क्रम बहुत पुराना ना होकर लगभग 800 वर्ष पुराना है। परंतु इसके पहले भी बेबीलोनियन विधियों जो लागू के उरोकाघीना 3280

ईस्वी पूर्व, अक्कड़ के सारगून 2300 ईस्वी पूर्व और बेबीलोन के हम्मूराबी 1792 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व के शासन काल में मानव अधिकार की जड़े प्रख्यापित की गई थी। भारत में वेद काल में चारों वेद मानव संरक्षण का कार्य करते थे। चीन में लाओ जी और कन्फ्यूशियस के विधिशास्त्र में, यूनान के नगर अपने नागरिकों को बराबर की अधिकार प्रदान करते थे। और रोम के सिविल विधि भी मानवाधिकारों से संबंधित थे। मानवाधिकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थामस पेन ने किया था। इंग्लैंड के सम्राट जान द्वारा 15 जून 1215 में अंग्रेजी सामंतों को मैग्नाकार्टा के द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए गए, इसे ही मानवाधिकारों का प्रथम पत्र माना जाता है सनेह सनेह इस धारणा का विकास हुआ। 1628 में पिटीशन ऑफ राइट्स, 1689 में बिल ऑफ राइट्स द्वारा ब्रिटिश व्यक्तियों को मैग्नाकार्टा की परिधि में लाया गया। फिर 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, 1789 में फ्रांसीसी घोषणा इन सभी घोषणाओं के बाद मानवाधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पूरे विश्व को महसूस की जाने लगी तथा विश्व के विभिन्न देशों जैसे स्विट्जरलैंड, नार्वे, डेनमार्क ने भी अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया जिसमें निम्न मानव अधिकार घोषित किए गए।

- 1 सामान्य अधिकार।
- 2 सिविल व राजनैतिक अधिकार।
- 3 आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार।

इसके बाद मानवाधिकारों के अंतरराष्ट्रीय बिल का निर्माण किया गया जो 4 दस्तावेजों से मिलकर बना है। पहला मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 दूसरा सिविल व राजनैतिक अधिकारों की अंतराष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 तीसरा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतराष्ट्रीय प्रसंविदा 1966 चौथा सिविल और राजनीतिक अधिकारों की अंतराष्ट्रीय प्रसंविदा का ऐच्छिक प्रोटोकॉल 1966, तथा 23 जून 1976 को अंतरराष्ट्रीय बिल ने विधि का रूप धारण कर लिया भारतीय संविधान के निर्माता स्पष्टतया मानवाधिकारों की धारणा से प्रभावित है। इसीलिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित अधिकारों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया संविधान के भाग 3 में सिविल व राजनैतिक अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया तथा आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा

गया भारत ने मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं का समर्थन किया था और जो राज्य इन प्रसंविदाओं का समर्थन करते थे यह उन पर बाध्यकारी प्रभाव रखते थे। इन्हीं प्रसंविदाओं के प्रतिफलार्थ भारत के राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को पारित किया यह अधिनियम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करते हैं।

शोध का उद्देश्य:

1. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करना।
2. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का मानवाधिकार के संरक्षण में योगदान का अध्ययन करना।
3. आयोग का बेहतर योगदान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।
4. मानवाधिकार के संरक्षण में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन करना।
5. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार के परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करना और सुझाव देना।
6. मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अधिकारों के प्रवर्तन में आ रही समस्याओं के निदान हेतु उपाय खोजना।
7. मानवाधिकार आयोग के कार्यों का आलोचनात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि- प्रस्तावित शोध प्रविधि के अंतर्गत पुस्तकालय अनुसंधान प्रविधि का प्रयोग किया गया है मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित विधि पुस्तकें पत्र पत्रिकाएं का अध्ययन किया गया तथा अभिलेख अवलोकन पद्धति का उपयोग कर मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे न्यायाधिकरण सरकारी बोर्डों विभिन्न सरकारी संगठनों के पास संधारित और सहज रूप से उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन एवं अध्ययन कर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया गया है।

राज्य मानव अधिकार आयोग- राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के उप धारा 1 के खंड क में दी गई है इसके अनुसार राज्य आयोग से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग है मानवाधिकार के उल्लंघन से पीड़ितों का आसान व नजदीकी पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से जरूरतमंद पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से तथा मानवाधिकार के उल्लंघन का पता लगाने व समुचित सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सितंबर 1995 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग को गठित करने वाला प्रथम राज्यों में से एक था आयोग 187 संस्था है जो कि अपने सदस्यों की नियुक्ति स्टाफ अनुसंधान दल की योग्यता कार्यकाल खुद ही तय करता है आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है

आयोग की संरचना

1. अध्यक्ष - हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश
2. सदस्य- हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रह चुका हो
3. सदस्य- जिलाधीश हो या रह चुका हो
4. सदस्य -मानवाधिकार के मामलों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति

आयोग का मुख्यालय- राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय साधारणतया राज्य की राजधानी में होगा या ऐसे ही स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करें।

आयोग की अधिकारिता - मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार राज्य कमीशन ऐसे मामलों की जांच कर सकता है। जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची दो व तीन के विषय है। राज्य मानवाधिकार आयोग उन मामलों की जांच नहीं करेगा जिन पर राष्ट्रीय आयोग या अन्य आयोग मामले की जांच कर रहे हो, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग की अधिकारिता समस्त भारत में रहेगी परंतु धारा 36 के परंतु के अधीन रहते हुए जिसके अनुसार पहला जो अन्य आयोग के समक्ष लंबित मामले हो दूसरा अधिकारों के उल्लंघन के 1 वर्ष के समय बीत जाने के बाद आयोग कोई सुनवाई नहीं करेगा।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

राज्यपाल द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर की जाती है

अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि

अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति के 3 से 5 वर्ष तक या 70 वर्ष तक अपनी सेवा प्रदान करते रहेंगे, यह पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

मानवाधिकारों के हनन संबंधी आरोपों के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आयोग विश्वसनीय सूचना के आधार पर स्वयमेव या अत्याचार के शिकार व्यक्ति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रार्थना पर मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले अथवा लापरवाही के लिए लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत की जांच अन्वेषण करा सकता है। यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो न्यायालय की स्वीकृति से मामले को हस्तक्षेप कर सकता है।

जांच वा अन्वेषण में निम्न शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

- 1 क : गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं शपथ पर जांच करना।
ख: दस्तावेजों को प्रकटीकरण का आदेश देना।
ग: शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।
घ: किसी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति की गवाही प्राप्त करने हेतु कमीशन जारी करना।

2. आयोग के आदेश ना मानकर जानकारी देने से इनकार करने पर धारा 176, 177 दंड संहिता के तहत अपराध माना जाएगा।

3. आयोग दीवानी न्यायालय माना जाएगा परंतु जब आयोग के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 179, 178, 228 के तहत अपराध किया जाता है। तो आयोग उन बिंदुओं की रचना कर जो अपराध का निर्माण करते हैं। मामले की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देगा। तथा वह मजिस्ट्रेट मामले को इस प्रकार सुनवाई करेगा जैसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 346 के तहत मामला उसे सौंपा गया हो।

4. राजपत्रित अधिकारी के पद का अधिकारी या उसके ऊपर के पद का अधिकारी किसी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश कर सकेगा। जहां आयोग को मामले से संबंधित कोई साक्ष्य या दस्तावेज मिलने की संभावना हो तथा उस दस्तावेज की अधिग्रहण और उसकी प्रति धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आयोग को प्रदान करेगा। आयोग के समक्ष समस्त कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी तथा आयोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 26 के तहत सिविल न्यायालय माना जाएगा।

5. कमीशन यदि आवश्यक समझे तो जिस राज्य से शिकायत प्राप्त हुई है, उसी राज्य के आयोग को शिकायत अंतरित की जा सकती है।

मानव अधिकार संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग का योगदान

मानव अधिकार संरक्षण के लिए भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित किया गया जिसके धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान है। राज्य आयोग स्वसासी संस्था है। जो कि अपने कर्मचारियों अधिकारियों और अपनी जांच आदि की प्रक्रिया खुद ही निर्धारित करता है। मानव अधिकारों के पालन हेतु आयोग मानव अधिकारों के हनन की ओर विशेष कर ध्यान दिया है। उसके कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। उदाहरण के लिए हिरासत में मृत्यु, बलात्कार, यंत्रणा आदि को रोकने में मानव अधिकार आयोग की महती भूमिका है। कोई भी राज्य सरकार मानव अधिकार आयोग स्थापित कर सकता है। अर्थात् यह एक बाध्यात्मक प्रावधान ना होकर राज्यों के लिए एक स्वैच्छिक प्रावधान है। राज्य चाहे तो आयोग की स्थापना करें और चाहे तो ना करें यह राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है इसी वजह से अभी तक केवल कुछ ही राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कर पाए हैं। जैसे: पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आसाम व मध्य प्रदेश तथा अब धीरे-धीरे अधिकतर राज्यों ने आयोग की स्थापना की है।

निष्कर्ष एवं सुझाव:

- 1 मानव अधिकार आयोग के पास मानव अधिकार के हनन से संबंधित मामले की जांच करवाने के लिए कोई तंत्र नहीं है। ज्यादातर मामलों में वह सरकार को जांच करवाने का आदेश देता है। जिस वजह से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है। क्योंकि राज्य ही मानव अधिकार का हनन करता है। वह अपने खिलाफ क्यों जांच करेगा इस प्रकार आयोग को जांच करने के लिए खुद की एजेंसी होनी चाहिए, जिससे वह मानवाधिकारों के हनन से संबंधित मामलों की खुद ही निष्पक्ष जांच कर हनन का पता लगा सके।
- 2 हर एक मामले में आयोग को अपने निर्णय को लागू करवाने के लिए मात्र सिपारिस करने का ही अधिकार है। आयोग किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार आयोग के निर्णय को बाध्यकारी प्रभाव से लागू करना चाहिए जिससे उसका निर्णय प्रभावकारी हो और मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जा सके।
- 3 मानवाधिकार के उल्लंघन के एक साल बाद आयोग किसी मामले में

जांच नहीं कर सकता है। इस प्रकार बहुत सी शिकायतें बिना जांच के रह जाती हैं। इसलिए इस 1 साल की परिसीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे मानवाधिकारों के हनन को रोका जा सके।

- 4 सरकार को मानवाधिकार आयोग अपनी सिफारिश करता है। क्योंकि ये सरकार पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखती है। सरकार ऐसी सिफारिश को या तो पूर्णतया या आंशिक रूप से खारिज कर देती है इस प्रकार सरकार निरंकुश प्रकार से कार्य करती है। आयोग की सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होनी चाहिए, जिससे मानव अधिकारों के हनन पर पूर्णतया अंकुश लगाया जा सके।
- 5 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वाली चयन समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। जिससे आयोग के सुझावों का सरकार के प्रति झुकाव होता है। चयन समिति में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों की दखलअंदाजी को हटाना चाहिए और सिविल सोसायटी के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश, संस्कृति की विविधता के बावजूद भी अधिकारों को समान रूप से प्राप्त करता है। अधिकारों के उपयोग में लोगों के बीच किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं है। मानवाधिकारों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के संरक्षण के लिए सरकारों को प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को और ज्यादा शक्तियां प्रदान करने की आवश्यकता है। जिससे वे संस्थाएं निष्पक्ष स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हुए मानव अधिकारों के संरक्षण में महती भूमिका निभा सके मानव अधिकारों के संरक्षण में कार्य करने वाली गैर सरकारी संगठनों को भी और अधिक अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. अग्रवाल डॉक्टर एच ओ अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार
2. कपूर डॉक्टर एस के मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि
3. उपाध्याय डॉक्टर जय जय राम मानव अधिकार
4. विकीपीडिया
5. गूगल

पथेर पांचाली : एक व्यथा कथा

डॉ. कल्पना वर्मा *

* अध्यक्ष (हिन्दी) आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – पथेर पांचाली उपन्यास में बंगाल के निम्न मध्य वर्ग की कहानी है। एक अति साधारण परिवार को लेकर कथा का ताना-बाना बुना गया है। मूल कथा कुछ इस प्रकार प्रथम दृष्टि में सामने आती है कि हरिहर राय निश्चिन्दिपुर के रहने वाले थे। इन्दिरा पुरखिन उनकी ममेरी बहन थी। हरिहर राय के पिता रामचन्द्र जसड़ा विष्णुपुर के रहने वाले थे। दूसरी शादी उनकी निश्चिन्दिपुर में हुई थी। शादी के बाद रामचन्द्र ससुराल में ही बस गये। उन्हें लगा था कि उनके ससुर बृज चक्रवर्ती मालदार आसामी हैं पर ससुर की मृत्यु के बाद रामचन्द्र की वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं था। पिता के बाद हरिहर वहीं ननिहाल में रहने लगे।

इन्दिरा की उम्र पचहत्तर की थी। विधवा होने के बाद से अपने ममेरे भाई के घर पर ही रहती थी। हरिहर की पुत्री उसे बहुत अच्छी लगती थी। छः साल की बच्ची पर इन्दिरा का स्नेह इसलिए भी था कि उसकी अपनी बेटी विश्वेश्वरी मर चुकी थी। हरिहर की पत्नी सर्वजया से इन्दिरा की थोड़ा भी नहीं बनती थी।

जसड़ा विष्णुपुर के पुराने जमींदार चौधरी के खानदान ने हरिहर राय के पूर्वज विष्णु राम राय को कुछ जमीन दे दी थी। विष्णुरामराय वहीं बस गये थे। उनके पुत्र वीरू राय लूटपाट कर के धन इकट्ठा करते थे। उनके पास बहुत सारे लठैत थे। निश्चिन्दिपुर गाँव के उत्तर में एक कच्ची सड़क थी चुआडांगा। वह नवाबगंज होते हुए सानाडांगा के मैदान तक जाती थी। वहाँ छिपने के लिए जंगल भी थे। वहीं वीरूराय अपने लठैतों के साथ राहजनी करते थे। एक बार एक ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ कालीगंज से टाकी श्रीपुर, अपने घर जा रहा था। अपनी बेटी के शादी के लिए उसने कुछ धन इकट्ठा किया था कि वह लुटेरों के चंगुल में फँस गया। उसने वीरू राय से बहुत विनती की कि उन्हें छोड़ दे। कम से कम बेटे को छोड़ दे। लेकिन उन लोगों ने दोनों को मार कर लूट लिया। इस घटना का सम्बन्ध लेखक ने अन्धविश्वास के साथ जोड़ा है कि वीरू राय दशहरे के आस-पास अपने परिवार के साथ नाव पर हलूदबेड़े से अपने घर जा रहे थे। सफर कई दिन का था। बीच-बीच में रुक कर खाना-पकाना, एवं अन्य क्रियाएँ की जाती थीं। खारी नदी के किनारे जब वे लोग रुके थे तब वीरू राय का इकलौता बेटा गायब हो गया। नदी में घड़ियाल थे। अन्दाजा लगाया गया कि लड़का घड़ियाल का शिकार बन गया होगा। पुत्र शोक में वीरू राय की मृत्यु हो गयी। एक विचित्र बात हुई कि उनके परिवार की बड़ी सन्तान अधिक जीवित नहीं रहती थी। लोगों ने कहा कि वंश को ब्राह्मण का शाप लग गया है। हरिहर की माँ बाबा तारकेश्वर के दर्शन के लिए गयीं। वहाँ के सन्यासी से ताबीज लेकर आयीं। उनका

विश्वास था हरिहर राय इसी लिए जीवित रहे।

उधर निश्चिन्दिपुर में इन्दिरा सर्वजया से लड़ कर घर छोड़ कर कहीं चली गयी थी। बितिया दुर्गा उसकी याद में दुखी रहती थी। इसी बीच सर्वजया ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेखक ने यहाँ कथा के विस्तार में बितिया की बाल दशा को दर्शाने के लिए बिल्ली के बच्चे का सहारा लिया है। जब नवजात शिशु जन्म के बाद रोया तो बितिया को लगा कि बिल्ली के बच्चे रो रहे हैं। इन्दिरा का कमरा गन्दा हो चुका था। उधर कोई जाता नहीं था। दुर्गा को अपनी फूफ़ी की बहुत याद आती। कहीं से इन्दिरा को बच्चा होने का समाचार मिलता है तो वह वापस लौटती है। हरिपालित के घर पर थोड़ा रुकती है सुस्ताने के लिए तो दुर्गा वहाँ से हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। घर आ कर बच्चे को देखकर आशीष देती है और अपने कमरे को ठीक ठाक करती है। यहीं वह अपने पति को भी याद करती है जिससे लेखक ने इन्दिरा के अतीत के परिचय के लिए जगह बनायी है। पहली मुलाकात शादी के बाद, दूसरी जब बेटी विश्वेश्वरी दो साल की थी तब कुछ मीठा खिलाने के समय और तीसरी उनकी मृत्यु के समाचार के समय। ब्रज चाचा का लड़का निवारण सोलह साल की आयु में ही ऐसा बीमार हुआ कि उसकी मृत्यु हो गयी। माँ बेटे के शोक में व्याकुल रही। बेटा पानी बिना मरा था, उसने भी पानी पांच दिनों तक नहीं पिया। अन्त में डेढ़ साल के भीतर वह भी चल बसी।

दुर्गा का भाई दस महीने का हो गया था नीचे के दो दाँत निकल आये थे। खुश होकर हंसता तो जे जे कहता और दुखी होता तो न न की ध्वनि निकलती। मुन्ना बहुत प्यारा था। सर्वजया उसे अपना भरपूर प्यार दे रही थी। लेखक ने एक नया भाव यहाँ जोड़ा है कि बच्चा भी तो माँ को बहुत कुछ देता है। 'उसके पास कानी कौड़ी नहीं होती, पर उसकी मनमोहक हंसी, बचपन की लीलाएँ, चांद सा मुखड़ा तुतलाकर बोलना और नाराज होना, कौन इन सबका दाम चुका सकता है?'

यहीं पर हरिहर और जया का प्रेम भाव भी है। जब जया मुन्ना को पति के पास छोड़ जाती है तब पहले तो वह ध्यान नहीं देता पर बच्चे का सौन्दर्य बाल सुलभ हरकतें, गौरैया को देख कर खुश होना, उसे लुभा लेती है और वह पुरानी मुलाकात याद करता है। सर्वजया का सौन्दर्य ही पाया है उसके बेटे ने। अपनी ससुराल में छोटी साली वीणा का प्रकरण तथा जया की सहेली मौलश्री का प्रकरण वह याद करता है।

इन्दिरा पुरखिन को लौटे छः सात महीने हो गये थे। सर्वजया को दुर्गा का उस इन्दिरा से निश्छल प्रेम अच्छा न लगता। उसके खराब व्यवहार से इन्दिरा को अपने दामाद चन्द्र का ध्यान आता है। बेटी तो नहीं रही। यदि वह

अपने दामाद के पास भंडारहाटी चली जाए तो जया की उपेक्षा से उसे मुक्ति मिलेगी। वह दामाद के घर जाती है। शाम को पहुंचने पर बैलगाड़ी देख कर चौबीस पच्चीस साल का राघू नाम का लड़का बाहर आता है। उसके पीछे एक वृद्ध। इन्दिरा दामाद को पहचान लेती है और बताती है कि वह उसके पास रहने के लिए आयी है। चन्द्र मजुमदार ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी से एक लड़की थी जो विधवा होकर वापस आ गयी थी। नाम था हेमवती। उसी ने इन्दिरा की आवभगत की। दूसरी बहुओं को उसका वहाँ रुकना नहीं जंचा। दस-बारह दिनों में ही वह वापस सर्वजया के घर आ गयी। पहले तो मुन्नी उसके जाने पर नाराज थी पर बाद में वह उसके पास आने लगी। इन्दिरा जाड़े में राम गांगुली नाम के पड़ोसी से मिलने के एक लाल ओढ़ने की गरम चादर ले आती है तो सर्वजया खरी खोटी सुना देती है कि उसके साथ रहना हो तो इधर-उधर से मांगने न जाए। पर इन्दिरा उस चादर को ओढ़कर संतुष्ट रहती है। किसी की परवाह नहीं करती।

गरम चादर की तरह ही इन्दिरा मुहल्ले की दासी मालकिन से जंगली शरीफा ले आती है यह कह कर कि पैसे कल दे देगी। सर्वजया से जब दासी मालकिन पैसे लेने आती है तो वह क्रोध में आ जाती है। जंगली शरीफा तो यों ही सब जगह मिल जाता है, खरीदने की क्या जरूरत पड़ी। जया के आरोपों के कारण इन्दिरा फिर घर छोड़ कर निकल जाती है। बाएं हाथ में छोटी सी पोटली, दाहिने हाथ में पीतल की चादर वाला लोटा। बगल में फटी चटाई, यही उसकी गृहस्थी थी। पहले दो महीने नवीन घोषाल के घर रही फिर तीन-चौड़ी घोषाल के घर पहुँची। वहाँ से पूर्ण चक्रवर्ती के घर। जहाँ जाती कुछ दिन सब मुहल्ले के नाते आव भगत करते फिर हाथ खींच लेते। इन्दिरा को आशा थी कि सर्वजया नहीं तो हरिहर जरूर उसे बुला लेगा। बाद में लोगों ने चिन्ता ग्वालिन की अधगिरी झोंपड़ी में उसे पहुंचा दिया। दिन भर खाने की तलाश में भटकने और भूखे पेट सो जाने के कारण इन्दिरा को बुखार रहने लगा। एक दिन दुर्गा बिहारी चक्रवर्ती की बेटी राजी के साथ चड़क का मेला देखने जाती है तो अपनी माँ से छिप कर इन्दिरा फूफी से मिलने आती है। उसके लिए मेले से खाने का सामान भी लाती है। उसी की सलाह पर जब इन्दिरा वापस जया के घर लौटती है तो जया उसे आगे-पीछे का ताना दे कर निकाल देती है। पालित खानदान के बड़े से छप्पर के नीचे खलिहान के बगल में इन्दिरा जा कर गिर जाती है। वहीं उसका प्राणान्त होता है।

शगुन के रूप में सरस्वती पूजा की शाम नीलकंठ दर्शन का उल्लेख है। इन्दिरा पुरखिन की मृत्यु के चार-पांच साल बाद हरिहर राय अपने बेटे अपू के साथ नीलकंठ देखने जाते हैं अब हरिहर अंधे हो चुके हैं। घोर संसारी बाल बच्चे दार हैं। अपू पहली बार किताब में ख से खरगोश देखता है। प्रकृति कि साथ लेखक का करीबी रिश्ता है। पूरे उपन्यास में बंगाल की हवा, धरती, पेड़, पहाड़ का जिक्र है। 'मैदान की झाड़ियाँ, सरपत, जंगली करेमा, सोंदाल और झाड़बेरी से भरी हुई थीं। करेमा वाली लताओं ने सब झाड़ियों के ऊपर वाले हिस्से को अपने हरे पत्तों से छा लिया था। भीतर ठंडी छाया बनी रहती थी। इन तरह-तरह के कांटों की झाड़ियाँ और नीले रंग की जंगली अपराजिता सूर्य की रोशनी की ओर मुंह उंचा किये खिली हुई हैं। दिन ढल रहा है। उस समय की छाया में स्निग्ध बन भूमि की श्यामलता, चिड़ियों का चहचहाना, चारों तरफ प्रकृति के द्वारा खुले हाथों बिखराया हुआ सौन्दर्य यह धारणा उत्पन्न करता था कि राजा की तरह भंडार लुटाकर दान किया जा रहा है। कहीं पर जरा भी गरीबी की आड़ लेने की चेष्टा नहीं है और न मध्यम वर्ग की कंजूसी है।'

अपू पहली बार घर से दूर आया है। एडविन लारमर की कोठी उसके लिए अजूबा होती है क्योंकि घर पर ही उसके बारे में सुनता रहा था। माँ की अनुपस्थिति में अपू का अपने संग्रहीत खिलौनों का देखना, खुश होना, बहन भाई का कच्ची अमियाँ तेल नमक लगा कर खाना महात्वपूर्ण हो जाता है। तब जब माता-पिता दोनों ही अतिरिक्त बन्धनों में बच्चों को पाल रहे होते हैं। हरिहर दोपहर में लौट कर बताते हैं कि दशहरा गाँव का एक सट्रोप उससे दीक्षा लेना चाहता है। वह चाहता है कि हरिहर ब्राह्मण उसके गाँव में बस जाए तो गाँव की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जमीन, जगह, धन, आदि देने के लिए तैयार है। सर्वजया को यह प्रस्ताव सही समझ में आता है क्योंकि इस जगह वे तंगी में जी रहे हैं।

अपू को विवेकशील और भावुक बालक के चरित्र में बांधा गया है। जो वस्तु उनकी पहुँच से दूर रहती, उसमें बालक का मन अधिक केन्द्रित होता। जैसे नीला आकाश, उड़ने वाली चील, पतंग, कोठी वाला मैदान आदि। कर्ण का चरित्र महाभारत में उसे सब से अधिक भाता। महाभारत की लड़ाई के उपादानों में कमी नज़र आती। बाल सुलभ-चेष्टाओं के चलते दुर्गा और अपू खेतों में जाकर बेर शरीफे तोड़ते हैं। सफेद कली की नथ पहनते हैं। बन्दर का नाच देखते हैं। भुवन मुखर्जी जैसे सम्पन्न परिवार का उल्लेख है जब चीनीवास द्वारा मिठाई बेची जा रही है और हरिहर राय के घर से होकर वह भुवन मुखर्जी के घर जाता है। वहाँ आनन्द राय की संझली बहू दशहरे के उपलक्ष्य में ढेर सारी मिठाइयाँ खरीदती है। अपू और दुर्गा को वहाँ गरीब होने के ताने सुनने पड़ते हैं। दुर्गा भाई को समझाती है कि चीनीवास की मिठाई अच्छी नहीं होती। पिताजी से चार पैसे लेकर वे दोनों रथयात्रा देखेंगे।

अपू कई दिनों से बीमार था। जब भूख लगी तो माँ से खाना देने की जिद करने लगा। घाट पर घूमने की भी इच्छा जाहिर की उसने। पर माँ ने भाद परवल खिला कर शान्त किया तब तक भुवन मुखर्जी के घर की संझली बहू अपनी बेटी दूनु और देवर के लड़के सत्तू के साथ आयी। दुर्गा पर अपनी बेटी की गुड़िया की माला और बाग के आमों की चोरी का इल्जाम लगाया। दुर्गा के गुड़िया वाले बक्से में से चीजे मिल भी गयीं। सर्वजया को संझली मालकिन का आरोप खल गया कि माँ चोर है तो बेटी वैसे ही बनेगी। क्रोध में आकर उसने दुर्गा को पीटा और घर से निकाल दिया। बोली 'जा चली जा हमेशा के लिए चली जा। फिर कभी इस घर में पैर न रखना। आफत कहीं की। मर जाए तो सप्तर्षि पेड़ के नीचे दे आऊँ।'

अपू जो बहन के लिए बेचैन था उसे सब जगह ढूँढ़कर लौटा था, उसे समझ में नहीं आया कि दीदी को दोबारा सजा क्यों मिल रही है। माँ के दूध देने पर रो दिया। सर्वजया ने अपनी पुत्री की आदत जान कर उसे बताया कि किसी सहेली के घर बैठी होगी, आ जाएगी। वह लौट भी आती है और भाई को भेदी मानते हुए कहती है कि माला के बारे में सन्तू को उसी ने बताया होगा। पर अपू दुर्गा की कसम खाकर कहता है कि सन्तू ने बिना पूछे, मना करने पर भी गुड़िया का बक्सा खोल देख लिया था। माँ के डर से पीते के पेड़ के नीचे दुर्गा का विधि विधान से पुण्यपोखर का व्रत करना अपू को कुछ विशेष लगा। पर आनन्द उसे दीदी के साथ जंगल में घूम घूम कर जंगली फल खाने में ही आता था। सिंघाड़े के ताल से सिंघाड़ा न तोड़ पाने पर जब भाई बहन आगे बढ़ते हैं तो अपू को एक चमकदार वस्तु मिलती है। दुर्गा उसे हीरा समझती है। घर लाकर सर्वजया को दिखाती है। सर्वजया हरिहर से बताती है तो वह उस पत्थर को गांगुली को दिखाने जाता है। लौट कर बताता है कि वह झाड़फनूस का एक टूटा हुआ काँच का टुकड़ा है। सर्वजया उसे

अपनी गरीबी दूर करने का साधन मान चुकी थी, निराश हो गयी।

अपू नटखट था। माँ को खिजाने में उसे आनन्द मिलता था। बैसाख की दोपहर में उस दिन भी जब वह आठ साल का था माँ को खाना बनाते समय मसाले के लिए परेशान कर रहा था। इसी प्रकार आँधी पानी झेल कर बच्चे नारियल लाते हैं जो सङ्गली मालकिन के बाग में गिरा था। मगर उसके सरापने पर सर्वजया वापस लौटवा देती है वह नारियल। नारियल पूरे परिवार के लिए खाद्य सामग्री ही नहीं पकवान भी था जो मुफ्त में मिल गया था पर अनजाना डर मनुष्य के भीतर होता है उसके कारण सर्वजया खुश होते हुए भी नारियल रख नहीं पाती।

प्रसन्न पण्डित की पाठशाला में बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए अपू वहाँ जाना नहीं चाहता। उसे लगता की जो बच्चे शैतानी अधिक करते हैं उन्हें सजा के तौर पर यहाँ भेजा जाता है। इसलिए पूस की एक सुबह जब सर्वजया उसे पाठशाला जाने के लिए कहती है तो वह कहता है 'मैं कभी घर नहीं लौटने का, कभी नहीं, देख लेना।'

यहाँ पर लेखक ने मास्टर प्रसन्न पाण्डेय के माध्यम से पाठशाला के वे दृश्य दिखाये हैं जो अमूमन गाँवों में होते हैं। चूँकि पंडित की परचून की दुकान भी वहीं थी इसलिए पढ़ाने के साथ-साथ वह सौदा भी दे आता था ग्राहक के आने पर। इस बीच बच्चे मास्टर को चिढ़ाने का उपक्रम करते, स्लेट पर चित्र या चिह्न बनाते, और मार भी खाते। पाठशाला शाम को लगती थी। उसी समय दीनू पालित या राजूराय और सबसे अधिक राजकृष्ण सान्याल के आने से गपशप भी होती थी। अपू को पढ़ाई से अधिक इस गप को सुनने में आनन्द आता था। बाल मन में एक कल्पना लोक उपस्थित हो जाता था। चाहे वह जमीन से गड़ा धन निकालने की बात हो या किसी यात्रा अनुभव की, अपू के लिए वह एक मायावी लोक होता था। वह तत्काल अपने बड़े होने की प्रतीक्षा करने लगता। जब वह सब कुछ अकेले कर सकेगा, देख सकेगा।

अपू घर नहीं आया तो दुर्गा उसे ढूँढती अनन्दा राय के घर जाती है। वहाँ पहले से ही सास बहू और बेटे की बहस चल रही थी काम को लेकर। वहाँ से निकल कर पांचू बनर्जी के घर की तरफ जाती है। वापस घर लौट कर सर्वजया को गोकुल उसकी बहू की मारपीट का किस्सा सुनाती है। पीतम नाम के आदमी को बरतनों की मरम्मत करता देखकर दुर्गा घर के टूटे बरतन मरम्मत के लिए उसे दे आती है। वह एक रात सब लेकर भाग जाता है। सर्वजया अब बरतन के मामले से भी गरीब हो जाती है। दिन भर अपू दोस्त नीलू के साथ घूम कर घर लौटता है तो उसकी पसन्द का खाना खत्म हो चुका होता है। गुरुसे में फिर घर से निकल जाता है और चाहता है कि माँ मना कर लौटा लाए उसे। अंधेरे से डर कर उसका आत्माभिमान दूर हो जाता है और वह लौट आता है।

अपू पहली बार पिता के साथ घर से दूर घूमने जाता है। रेल की पटरी उसके लिए कौतूहल है। पहली बार वह पिता के साथ अपने घर से दूर दो लोहे बराबर दूरी पर बंधे देखता है। ये धरती पर क्यों बिछे हैं? यह उसका प्रश्न होता है। पटरी पर भागती रेलगाड़ी देखने की इच्छा उसकी पूरी नहीं होती। चलते-चलते पिता पुत्र शिष्य लछमन महाजन के घर पहुँच गये। वहाँ उन्हें आदर के साथ ठहराया गया। लछमन महाजन के छोटे भाई की पत्नी ने जब पोखर के किनारे केले के बाग में अपरिचित अपू को घूमते देखा तो उसे रोक लिया। यह जान कर कि वह जेठजी के गुरु का पुत्र है अपने घर ले गयी। घर की सम्पन्नता देखकर अपू विस्मित हो गया। उधर बहू ने अपू को मोहन भोग खिलाया। उसका स्वाद बच्चे के लिए नया था। बहू बच्चे की भोली मासूम

सूरत पर मुग्ध थी। बच्चे के लिए सुस्वादु व्यंजन ही परम निधि थे। शायद पिता इसीलिए उसे साथ ले आए थे। ज्यों ज्यों वह दुनिया देख रहा था त्यों त्यों उसे सब आवश्यक भी लग रहा था। अमला दीदी से मिलना, ताश खेलना, पकवान खाना अपू के जीवन के नये अनुभव थे। वापस घर लौट कर अपने अनुभव माँ और दुर्गा के साथ साझा करता है। टेलीग्राफ का तार जो उसने कहीं से उठाया था, टूटा मिलता है तो वह विचलित हो जाता है। बहन-भाई को जंगल में घूमने में मजा आता था। अपू अपनी बात कटने पर हर बार घर छोड़ देने की बात करता, पर बाल हठ के बाद लौट आता। अपू को रामायण, महाभारत के साथ वीरांगना काव्य पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता। अन्ध विश्वासों पर आश्चर्य होता। पिता खुश होते कि अपू संस्कारी बन रहा है। जिस रात खाना बनता भाई-बहन, मान लेते कि त्यौहार है वरना सुबह ही बनता था बचा हुआ रात में खाते थे।

गाँव में हर बड़ा किसान छोटे को दबाता है। धन और जमीन दोनों मामलों में। आनन्दराय ने भी यही किया था कि अपने भाई के हिरसे को उसकी अनुपस्थिति में अपना बना लिया। जब पैमाइश होने लगी तब किसी ने उस प्रवासी भाई को पत्र लिख दिया। उसका बेटा पैमाइश के समय आ गया और आनन्दराय को उसका हिस्सा छोड़ना पड़ा। नीरन ने गोकुल की बहू को नहीं देखा था। लैम्प टूट जाने के कारण वह उसके कमरे में थी, तभी वह आता है और गोकुल की बहू से मिलता है। अपनी हम उम्र पाकर भाभी से कुछ बातें भी कर लेता है। गोकुल की बहू से दुर्गा की बातचीत अच्छी रहती। पर सखी मालकिन के डर से वे दोनों चुपके-चुपके बात करतीं। इस बार दुर्गा जब चिवड़ा मांगने आती है तो गोकुल की बहू ने कहा कि नरेन से उसका ब्याह करा दें तो जोड़ी अच्छी रहेगी। दुर्गा शरमा कर भाग जाती है।

थोड़ा बड़ा होने पर अपू मल्लाहों के बच्चों के साथ कौड़ी खेलता है। वहाँ हार जाने पर मारपीट होती है तो नीरन उसे बचाता है। डांटता है और समझाता है कि कल से उसकी पाठशाला में वह पढ़ने आये। यह पाठशाला नरेन ने आनन्दराय की चौपाल में खोली थी। अपू वहाँ पढ़ने जाने लगता है सर्वजया मधुसंक्रान्ति के दिन नरेन को खाने पर बुलाती है। अपनी सामर्थ से अधिक बढ़कर मोटे चावलों का भात, पपीते का रसा, कच्चे गूलर की सब्जी, केले के गुदे की पंचमेल तरकारी, झींगा मछली का शोरबा, केले के बड़े और खीर बनाती है। नीरन किसी तरह वह खाता है। दुर्गा परोसती है। अपू के लिए वह भोजन पकवान से कम नहीं है क्योंकि ऐसा भोजन रोज नहीं बनता। वापस घर लौटने पर नीरन से गोकुल की बहू दुर्गा के लिए पूछती है। दोबारा दुर्गा से नीरन की भेंट जंगल में होती है। वह भटक जाता है और दुर्गा उसे राह दिखाती है। दुर्गा के सौन्दर्य पर उसे अचरज होता है कि ग्रामीण परिवेश में यह निश्चल सौन्दर्य कहाँ से आया? इसी तरह गोकुल की बहू की मासूमियह भरी बातों का भी उसे इन्तजार रहता। आभूषण दे कर नीरन से अपने भाई को देने के लिए पाँच सौ रुपये भी गुप्त रूप से लेती है।

भुवन मुखर्जी की कन्या रानी की शादी है। शादी की रैनक आतिशबाजी सोचकर दुर्गा को रोमांच हो रहा था। नीरन के प्रकरण ने उसमें कुछ हलचल पैदा करती थी। सुदर्शन कीड़ा जो देवता माना जाता था, उससे दुर्गा ने अपने घर के साथ नीरन बाबू के लिए भी मंगल कामना की। घर पर आने पर गुड़िया के बक्से में शीशे को लेकर अपू से लड़ाई भी होती है। माँ के बक्सा फेंक देने पर अपू स्तब्ध रह जाता है। प्रेमांकुर की झलक बड़ी सादगी से लेखक ने दिखायी है।

अपू का पुस्तक प्रेम उसे पिता के बक्से को खोलने के लिए बाध्य करता

है। सर्व दर्शन संग्रह नाम की किताब पुरानी थी लेकिन अपू को पसंद आयी तो चुपके से उसे पढ़ता है। 'गिद्ध के अण्डे के अन्दर कुछ दिनों तक पारद धूय में रखना चाहिए, बाद में यदि मनुष्य चाहे तो उस अण्डे को मुंह में रख कर अन्तरिक्ष में विचरण कर सकता है।'

इन पंक्तियों ने अपू को विस्मित कर दिया कि हम उड़ भी सकते हैं। चरवाहे से उसने गिद्ध का अण्डा मंगवाया। चार पैसे में दो अण्डा खरीद लिया। इन पैसे के लिए उसे दीदी के साथ संघर्ष का सामना भी करना पड़ा। रात के अंधेरे में दुर्गा से वे अण्डे टूट जाते हैं और अपू का स्वप्न भी टूट जाता है।

गाँव के बूढ़े बाबा नरोत्तम दास के पास अपू निसंकोच जाता है। उसकी तुलना चैतन्य महाप्रभु से की जाती तो वह प्रेमभक्ति चन्द्रिका किताब में चैतन्य की तस्वीर देर तक देखता। बीच में वन भोजन प्रथा का उल्लेख है जिसमें श्रियां कुलुइचण्डी व्रत के वनभोजन के लिए गाँव के पीछे वाले मैदान में जाती थीं। पकवान वहीं बनातीं। अपू के घर वाले गरीब होने के कारण नहीं जाते क्योंकि वहाँ साधारण खाना नहीं पकता। अपनी शादी की चर्चा में दुर्गा को भय था कि कहीं उसका मायका छूट न जाए। वह सचमुच वन में मोटा चावल, बैंगन का भरता और आलू बनाती है। नमक न होने पर भी स्वतन्त्रता के अहसास से गरीब बीनी के साथ बैठ कर खाना उसे आह्लादित कर देता है। अपू जिज्ञासावश चुरचुर भी पीता है पर उसे केवल स्वाद लेना था। आगे वह अपने बचे चार चुरचुरों को छिपा देता है। पी नहीं पाता।

गोकुल की पत्नी ने नीरन से रूपया लेकर कहीं भेजा है इस बात को लेकर घर में कलह का वातावरण बन जाता है। नीरन गाँव छोड़ कर चला जाता है। पर सर्वजया को उम्मीद रहती है कि एक दिन वह दुर्गा के लिए जरूर आएगा। रानी की शादी के बाद सब मेहमान चले गये। जो रह गये थे उनमें टूनी नाम की लड़की से दुर्गा का परिचय हो गया था। टूनी की माँ की सोने की सिन्दूर की डिबिया नहीं मिल रही थी तो सखी मालकिन ने तुरन्त दुर्गा को चोर करार दिया। उसका कहना था कि वह पहले से ही चोरी करती थी और आज उसके पीछे कोई आया भी नहीं। मार खाकर रोती हुई दुर्गा घर जाती है मगर डिबिया कहाँ है यह नहीं बता पाती।

चड़क पूजा, नील पूजा जैसे आस्था के प्रकरण हैं। बच्चे भी इसका आनन्द लेते हैं। रानी पुंटी टूनी अपू दुर्गा-एक बड़ी मण्डली है बच्चों की जो बड़ों से सुनी कहानियाँ अपने हिसाब से बना लेती है और खुश होती है। नीलमणि हाजरा की पार्टी नौटंकी करती थी। दुर्गा को जाने की अनुमति नहीं थी पर जब वह सुनती है कि वह पार्टी आ रही है तो जाने का रास्ता ढूँढ़ने लगती है। लेखक का वाक्य प्रयोग बहुत प्रभावी है यहाँ- 'एकाएक सुनायी पड़ा कि आज शाम को नौटंकी का दल आएगा। सुनते ही जैसे ढेर सा खून फेफड़े से एकदम छलांग मारकर सिर में पहुँच गया।'

घर पर सब काम पूरे कर के अपू को नौटंकी देखने की अनुमति मिल जाती है। दुर्गा भी माँ के साथ बाद में जाती है। भाई के हाथ दो पैसा रखना दुर्गा का भातृ प्रेम है। अपू के लिए नौटंकी अचम्भा थी। उससे भी बड़ा अचम्भा तब होता है उसे जब नौटंकी के पात्रों को पान की दुकान पर पान खाते या सामान्य बातचीत करते देखता है। यहाँ तक कि नौटंकी में काम करने वाले अनाथ अजय को वह घर भी ले आता है। सर्वजया उसे भरपेट खिलाती है, उसका गाना सुनती है। उसकी कथा से अपू स्वयं को बहुत छोटा महसूस करता है। उसके कहने पर अपू गाता है और प्रशंसा पाता है। अपू अजय अच्छे मित्र बन जाते हैं। अजय अपू को अपनी नौटंकी के दल से मिलवाता है। नौटंकी का मालिक अपू का गाना सुन कर अपने दल में शामिल होने के

लिए कहता है। अपू का उत्साह बढ़ता है पर यह जान कर कि अभी वह छोटा है तो सखी या कोई बाल कलाकार का पात्र उसे मिलेगा, तो वह शान्त हो जाता है क्योंकि उसके मन में सेनापति या राजा बनने की चाह है।

हरिहर अक्सर बाहर रहता था। पुरोहिती की आमदनी बहुत कम थी पर जब भी आता बहुत उम्मीद भरी बातें करता। लेकिन समय बीत रहा था, उनके घर की स्थिति अच्छी होने के बजाए बद से बदतर होती जा रही थी। सर्वजया नीरन के पिता राज्येश्वर बाबू से पत्र व्यवहार के लिए हमेशा हरिहर से कहती। हरिहर समझता था कि बड़े लोग उसकी गरीबी को जानते हैं, क्यों बेटी को अपनाएंगे फिर भी आश्वासन देकर चला जाता रोजी-रोटी के लिए। दुर्गा बीमार रहने लगी। अक्सर बुखार हो जाता, फिर भी माँ से तरह-तरह के स्वाद का खाना बनाने के लिए जिद करती रहती। अपू दीदी के बीमार पड़ने और पिता के बाहर रहने से उच्छ्वल हो गया था। पढ़ता कम था स्याही बनाने या काल्पनिक कहानियाँ लिखने, या जंगल में घूमने में अधिक मन लगाता था। पिता के द्वारा दी गयी किताबों के पात्र उसे अच्छे तो लगते थे पर अनुकरण नहीं कर पाता।

पिता ने इस बार केवल पाँच रुपये भेजे थे। सर्वजया अपू को जिम्मेदारी देती है कि डाकिये का पता लगाये। अपू को भी पिता द्वारा भेजे जाने वाले पैसे की अहमियत समझ में आ चुकी थी इसलिए डाकिये की बाट जोहता रहता है। पानी तूफानी गति से बरस रहा था। घर के बरतन बेंच कर बच्चों का पालन करने की नौबत आ गयी थी। फिर भी घर में पकाने के लिए कुछ नहीं होता था। घर टपक रहा था। सो अलगा सब चीजें गीली हो रही थी। जंगली फल या सब्जी जो मिल जाए अब सर्वजया लाती थी क्योंकि दुर्गा को बुखार था। हरिहर की भी चिन्ता थी कि क्यों खत नहीं लिख रहे। निवारण की माँ से अनाज उधार लेती है। बरसात से रसोई की दीवार गिर जाती है। सर्वजया को छत की चिन्ता में नींद नहीं आती। सुबह नीलमणि मुखर्जी के घर के पीछे के दरवाजे को भड़भड़ाती है। सर्वजया घबराहट में कहती है कि एक बार उसके बड़े जेठजी घर चल के देख लें कि दुर्गा को क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद नीलमणि, उनका बड़ा लड़का फणीन्द्र, पत्नी और दो लड़कियाँ अपू के घर आते हैं। दुर्गा बुखार से बेसुध कुछ बड़बड़ा रही थी। नीलमणि अपने बेटे को शरत डाक्टर को बुलाने भेजते हैं। डाक्टर आकर दवा देता है। हरिहर का पता नहीं चलता। दवा से लाभ नहीं होता। अपू पट्टियाँ बदलता है। डाक्टर भी चिन्तित हो जाता है। उस मलेरिया के बुखार से दुर्गा की मृत्यु हो जाती है। हरिहर को चिढ़ी भेजी जाती है पर उसे मिलती नहीं। इस लिए वह आता भी नहीं है।

हरिहर घर से निकला तो गवाड़ी कृष्णनगर गया। वहाँ काम तो नहीं मिला साथ लाए पैसे भी खत्म हो गये। दो महीने से घर कुछ भेज नहीं पाया था। किसी शुभ घड़ी में रक्षित महाशय के कहने पर वह एक धनी महाजन के घर जाता है। वहाँ रहने और पूजा-पाठ का इन्तजाम हो जाता है। दशहरे पर कुछ रुपये जमा कर के घर लौटता है। दुर्गा के लिए साड़ी और आलता, अपू के लिए किताबें तथा टीन की रेलगाड़ी लाया था। बच्चों के विषय में पूछता है। रोते हुए सर्वजया दुर्गा की मृत्यु की खबर देती है।

हरिहर दशहरे पर आया था। अब तो जाड़ा भी समाप्त हो रहा था। सर्वजया की इच्छा थी कि गाँव छोड़ दे अन्य किसी स्थान पर जा कर बस जाएं वे लोग। गाँव में उसके रिश्तेदार खुद को श्रेष्ठ मानते थे। यह बात सर्वजया को खलती थी। नीलमणि राय का बड़ा बेटा सुरेश अपू की उम्र का था। लेकिन मजबूत और पढ़ा लिखा था। कोई रास्ता न मिलने पर सर्वजया सोचती कि

बड़ा होकर अपू पुरोहित ही बन जाए। सबसे कहती भी है कि अपू का जनेऊ हो जाने के बाद सब उससे ही पूजा पाठ कराएं। अपू को किताबों से बहुत प्रेम था। इसलिए किताब के लिए वह सत्तू के साथ दोपहर में जंगल में बैठकर मछलियों की रखवाली के लिए तैयार हो गया। रखवाली के बदले उसने प्रणय प्रतिमा, सरोज, सरोजिनी, कुसुम कुमारी, यौवन में योगिनी, दस्यु दुहिता, प्रेम परिणय, अमृतमय विष, गोपेश्वर की गुप्त कथा जैसी पुस्तकों को पढ़ने का आनन्द प्राप्त किया। माँ से हमेशा डांट भी खाता था कि दूसरों की मछलियों की रखवाली किताबों की लालच में करता है। कहानियाँ लिखने का भी उसे शौक था। लिखता था इसपर भी माँ नाराज होती। सर्वजया चाहती थी कि अपू बड़ा होकर पुरोहिती करे। घर पक्का बन जाए। उसकी शादी हो जाए। अभी तो खाने के ही लाले थे। किसी के श्राद्ध से आया भोजन उनका पकवान था। धीरे-धीरे लोगों के यहाँ न्यूता जीमना, बांधकर खाना लाना, पिता के साथ यजमानों के घर जाना और मछलियाँ पकड़ना उसका रोज का काम हो गया। पटु उसका मित्र बन गया था। उसी के साथ डोंगी में बैठकर इछामति नदी में यात्रा करता और पढ़ी हुई कहानियों के लोक में भ्रमण करता। यहाँ लेखक ने यह दिखाते का प्रयास किया है कि पेट की भूख के सामने आदर्शों का कोई मूल्य नहीं होता।

सर्वजया और हरिहर ने काशी बसने का निर्णय ले लिया। मानता पूर्ण हो। इसके लिए गंगानन्दपुर की सिद्धेश्वरी से उसने मानता मानी थी। कोई वहाँ जा नहीं सकता था सो जिद कर के अपू ने पूजा पूरी करने का निर्णय लिया। एक आकर्षण वहाँ अपनी फूफी से मिलने का भी था। गंगानन्द पुर पहुँच कर जब वह फूफी के घर पहुँचता है तो वहाँ अठारह-उन्नीस साल की लड़की को पाता है। वहाँ उसका सत्कार होता है। फूफी दुर्गा के लिए दुख प्रगट करती है। पड़ोसियों से उसका परिचय कराती है कि ये अपू उसका भतीजा है। फूफा कुंज चक्रवर्ती शाम को आये। उन्हें देखकर अपू को डर लगा। फूफी के घर गुलकी से उसका मेल-जोल रहा। अनाथ लड़की पर अपू को बहुत सहानुभूति थी। निवारण मुखर्जी की पत्नी गुलकी की दूर की ताई लगती थी। वह बच्ची को ढंग से खाना भी नहीं देती थी यह सोचकर अपू दुखी हो जाता। शनीश्चर के दिन अपू सिद्धेश्वरी देवी के मन्दिर में पूजा चढ़ाने गया। फिर उसके फूफा ने उसके वापस जाने का प्रबन्ध कर दिया। कुछ दिनों की परिचित अनाथ गुलकी उसकी स्मृति में कायी दिनों तक रही।

बैसाख में हरिहर ने निश्चिन्दपुर छोड़ने का निश्चय कर लिया। सामान जो ले जाने लायक था बांध लिया, बाकी वहीं बैचकर कर्ज चुका दिया। गाँव के बड़े बूढ़ों ने हरिहर को समझाने की कोशिश भी की कि गाँव में सब सस्ता है, शहर में पैसे अधिक चाहिए होंगे जीवन यापन के लिए। चड़क का मेला लगता है तो अपू वहाँ से बांसुरी लेता है। बिना कहीं से सीखे अपनी कोशिश से बजा भी लेता है। चड़क के दूसरे दिन वे वहाँ से सामान बांधकर निकल जाते हैं। एक घटना अपू को हिला देती है कि कलशे के भीतर से सोने की सिन्दूर की डिबिया जो संझली मालकिन के घर से चोरी हुई थी मिल जाती है। दीदी की वह चोरी अपू सब से छिपा जाता है। धीरु गाड़ीवान के बैल गाड़ी से रात के दस बजे वे स्टेशन पहुँचते हैं। रात भर कोई गाड़ी नहीं थी। सुबह की गाड़ी से उन्हें निकलना था। सात बजे गाड़ी आयी। जल्दी-जल्दी उसमें सारा सामान लादा गया। गाड़ी चली तो अपू की एक इच्छा पूरी हुई रेलगाड़ी को देखने की, उसपर बैठने की। मांझेरपाड़ा स्टेशन पीछे छूट गया। अपू को गाँव की स्मृतियाँ हिलोड़ने लगीं। दोपहर के बाद रानाघाट के स्टेशन पर गाड़ी बदली गयी। अपू जंगले के अन्दर से दिनभर भागते दृश्यों को देखता

रहा। नईहारी स्टेशन पर गाड़ी फिरसे बदली गयी। गंगा जी का पुल पार करते समय सूर्यास्त हो रहा था। बैङ्गल स्टेशन पर फिर उन्हें उतरना पड़ा। अपू मन्त्रमुग्ध सा लाल हरे सिम्बल, इंजन, पटरी, गाड़ियाँ देखता रहा। कुछ देर में काशी जाने वाली गाड़ी आ गयी। ऊपर सामान चढाकर सब बैठ गये। फिर अन्ततः वे काशी पहुँच गये।

काशी पहुँचे पन्द्रह दिन बीत गये। बांस के फाटक की गली में नीचे की मंजिल में हरिहर रहने लगे। पुराना कोई परिचित वहाँ नहीं था। अब तक सर्वजया ने बनारस के सभी स्थान लगभग देख लिए थे। आड़गघाट का जुगल किशोरी जी मन्दिर, काशी विश्वनाथ मन्दिर, अन्नपूर्णा जी का मन्दिर, दशाश्वमेध घाट का लाल मन्दिर आदि उसके लिए स्थापत्य कला का अजूबा थे। वहाँ अपू का परिचय पलटू से हुआ। पलटू अच्छी तरह से बात नहीं कर पाता था इसलिए उसे बांधकर रखा जाता। काशी में हरिहर के पुस्तक ज्ञान की कद्र हुई। वह कथा सुनाने लगे। आमदनी बढ़ गयी। अपू ग्रामीण परिवेश में रमा था। काशी का परिवेश बिल्कुल भिन्न था। उसके हम उग्र पढ़ने की बात करते। यजमानी जैसे शब्द उनके लिए अपरिचित थे। अपू वहाँ बने मित्रों को यह बताने में शर्म महसूस करता कि उसके पिता कथा वाचक हैं। एक दूसरे कथा वाचक से हरिहर की बात-चीत होती है। अपने घर लाकर उसे चाय-पानी कराते हैं। बताते हैं कि वे पहले काशी में ही पढ़ते थे। फिर अपने गाँव चले गये। अब लौटें हैं।

हरिहर गाँव की खुली हवा में रहते थे अब मजबूरी के कारण काशी में घुटन भरे बन्द कमरों में रह रहे हैं। लेकिन पेट के लिए यह समझौता जरूरी था। हाँ अपू में एक परिवर्तन हुआ। उसने अपने पिता से स्कूल जाने की इच्छा प्रगट की। हरिहर ने स्कूल में नाम लिखवा दिया। पाँच साल बाद अपू ने स्कूल जाना शुरू किया। कथावाचक रामधन अपू पर विशेष स्नेह दिखाने लगा। कभी कौड़ियाँ लाता तो कभी उसे न्यूते पर ले जाने की बात करता। सर्वजया को लगा कि उसका कोई है नहीं इसलिए अपू पर स्नेह है। न्यूता जाने वाले दिन वे अपू को पहले अपने घर ले जाते हैं वहाँ उसे सन्तरा खाने को देते हैं। फिर न्यूता ले जाते हैं। संकरी गलियाँ पार कर के जिस घर में उन्हें जाना था वहाँ अंधेरा था। एक आदमी लेटा था। उसे बताने पर कि राम यश पंडित आये हैं वह भीतर से पत्ताल लाकर उनके सामने रखता है। मोटी-मोटी पूड़ियाँ, बेस्वाद बैंगन की सब्जी कड़े-कड़े लट्ठ। राम यश तो तारीफ करके खा गया पर अपू को स्वादहीन खाना और स्वादिष्ट कहने का अर्थ बोध हो गया कि आदमी को खाना ढंग से नहीं मिलता। फिर रामयश कथा वाचक अपने गाँव चला जाता है। उसी महीने के अन्त में अचानक रामयश की तबियत खराब हो जाती है। उस समय अपू नन्दबाबू के घर पर किताब पढ़ने गया था। एक महीने से उसका यही क्रम था। नन्द बाबू का कपड़े पर इत्र लगाना, लाल पानी पीना, स्त्री के साथ बैठना अपू के लिए मायने नहीं रखता था। महत्व केवल किताबों का था। पर उसके आने से नन्द बाबू की आजादी भंग होती थी इसलिए वे उसपर झल्लाते थे। अपू जब लौटा तो पिता बुखार के कारण लेटे थे। अपू ने अपने लेखन और स्कूल से निकलने वाले पत्र के विषय में भी बताया। हरिहर उसके लेख को पढ़कर प्रसन्न होते हैं। लेख छपवाने के लिए अपू को पैसे भी दे देते हैं।

हरिहर की बीमारी बढ़ रही थी। हरिहर का जमा धन समाप्त हो रहा था। सर्वजया के प्रति नन्दबाबू की निगाह गलत होने लगी थी। पान के बहाने से वह सर्वजया के पास आने जाने लगा। अपू ग्यारह वर्ष का था। नन्दबाबू की हरकतें उसकी समझ से बाहर थी। हरिहर बाबू की तबियत गिरती गयी और

अन्ततः वर्षा काल में उनका देहान्त हो गया। अपू ने मणिकर्णिका घाट पर उनका अन्तिम संस्कार कर दिया।

हरिहर राय की मृत्यु के बाद किसी तरह एक महीना बीता। काशी में गुजारे की समस्या बढ़ रही थी। गाँव में घर के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसने यह दृढ़ निश्चय किया कि गाँव नहीं जाएगी चाहे यहाँ भीख मांग कर खाना पड़े। तभी रामकृष्ण मिशन के दफ्तर से उसे पता चला कि एक रईस को ब्राह्मण स्त्री घर की देख-रेख के लिए चाहिए। अपू के साथ वह वहाँ जाकर काम करने और रहने लगती है। एक रसोई बनाने वाली का नाम मोक्षदा था। उस घर पर सर्वजया सबके साथ काम करने लगी पर अभ्यास न होने के कारण बहुत कुछ उसे सुनना पड़ता। एक बार जल भी जाती है। बड़े घर में शादी का आयोजन होता है। नाटक-नौटंकी की व्यवस्था भी होती है। अपू आगे बैठ जाता है देखने के लिए। गिरीश सरकार उसे अपमानित कर के भगाते हैं तो वह निरीह सा वहाँ से हट जाता है। आशय यह कि गरीब को मनोरंजन का अधिकार नहीं था।

काशी में रह कर रसोइये की नौकरी कर के सर्वजया को अनुभव होता है कि चाहे वह गरीब ही रही हो पर अपने घर में वह स्वामिनी थी। यहाँ दूसरे के घर में तो नौकर से भी बदतर स्थिति में है। शादी की चहल पहल में मझली बहू का ध्यान अपू की ओर गया। वह सीढ़ी के नीचे खड़ा उत्सव का आनन्द ले रहा था। मझली बहू ने अपू और उसकी माँ की कहानी सुनी। शादी के बीच एक सम्पन्न वृद्धा को देखकर सर्वजया को इन्दिरा पुरखिन की याद आ जाती है। बड़ा खराब व्यवहार किया था सर्वजया ने उसके साथ। शायद उसी का फल आज वह भुगत रही थी। मझली बहू की लड़की लीला से अपू का परिचय होता है। वह अपू को अपने पढ़ने के कमरे में ले जाती है। अपू बहुत खुश होता है। फिर दोनों अपने-अपने गीत सुनाते हैं। लीला अपू के कमरे में उसकी किताब देखने जाना चाहती है। अपू बड़े संकोच के साथ वहाँ ले जाता है। मोक्षदा लीला को वहाँ देखकर अपू को उल्टा सीधा सुनाती है। अपू की छपी कहानी वाली पत्रिका लीला माँ को दिखाती है। अपू को बताती है कि माँ को कहानी बहुत अच्छी लगी। दोनों बच्चे मिल जुल कर किताब पढ़ते हैं, एक

गिलास से दूध पीते हैं। अपू के जीवन में यह एक अनुभव होता है विचित्र सा आश्चर्य जनक किन्तु सत्य।

अपू का जनेऊ सर्वजया किसी तरह जेठ मास में करवा देती है। लीला कलकत्ता चली गयी थी। उसकी दी किताबें पढ़ कर वह दिन बिता रहा था। अचानक वह लौट आती है तो अपू कहता है- 'वाह, तुम तो अच्छी रहीं। कह गयी कि कलकत्ता से सोमवार को आऊँगी, पर कितने ही सोमवार निकल गये, लौटने का नाम नहीं लिया'।

तेरह साल का अपू और ग्यारह साल की लीला की दोस्ती अपने ही तरह की निश्छल थी। फिर माँ के साथ लीला कलकत्ता चली जाती है। अपू एक छोटे स्कूल में पढ़ने जाने लगता है। गाँव में पला बढ़ा अपू शहर के वातावरण में दुखी रहता है। इस पर घर के लड़कों से हुई लड़ाई में अपू को मार भी पड़ती है। अपू के लिए यह विशेष था कि पहली बार किसी ने उसपर हाथ उठाया था। अपू वहाँ से वापस गाँव जाने की बात सोचता है, फिर सोचता है कि गाँव में तो कुछ बचा नहीं। काशी जा कर कथावाचन का काम करेगा। ब्राह्मण होकर भी गरीब होने के कारण उसे जो यातना सहनी पड़ रही है उससे तो मुक्ति मिलेगी।

उपन्यास की पूरी कथा गरीब गृहस्थ जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है। अपू के चरित्र में जीवन की बहुतेरी सच्चाइयों को पिरोया गया है। बड़े होते अपू के माध्यम से यह लगता है कि इन्सान जैसे-जैसे दुनियादारी सीखता है वैसे-वैसे उसकी आवश्यकताएं भी जन्म लेने लगती हैं। खिलौने-मिठाई से आगे भी दुनिया है यह बात समझ में आने लगती है। यदि संसाधनों की कमी हो तो नशा भी करना बड़ा काम लगता है। अपू के चरुट छिपाने का प्रकरण ऐसा ही है। अपू केन्द्रीय पात्र है। उसके चारों ओर घटने वाली घटनाएं किसी त्रासदी से कम नहीं हैं। लेखक ने इसी त्रासदी के बीच से जन जीवन को निखारा है। कथा दुःखान्त कही जाएगी फिर भी आनन्द के कई क्षण उसमें मिल जाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

स्टिल लाइफ को स्वतन्त्र विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला चित्तेरा

डॉ. हेमन्त कुमार राय* अरविन्द कुमार **

* असोसिएट प्रोफेसर (चित्रकला) एम. एम. एच. कॉलेज, गाजियाबाद (उ.प्र.) भारत

** रिसर्च स्कॉलर (चित्रकला) एम. एम. एच. कॉलेज, गाजियाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - भारतीय चित्रकला में आरा से पहले शायद ही किसी कलाकार ने वस्तु चित्रण (स्टिल लाइफ) पर इतना काम किया हो जितना कि आरा ने किया। आरा ने वस्तु चित्रण को मुख्य विषय के रूप में अपनाकर अनेक प्रयोग किए। उन्होंने वस्तु-चित्रण को यथार्थवादी रूप न देकर अभिव्यंजनावादी अथवा अतिथार्थवादी रूप दिया, जिस वजह से उनके वस्तु-चित्र मानवाकृतियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते दिखाई पड़ते हैं। कभी इन वस्तु-चित्रों का आकार मानवाकृतियों के समकक्ष जान पड़ता है, तो कभी इतना विशाल दिखाई पड़ता है कि उनके सामने मानवाकृतियों का महत्व गौण हो जाता है। अपने इन्हीं विशिष्ट प्रयोगों के चलते आरा 'स्टिल-विशेषज्ञ' के रूप में विख्यात हुए। उनसे प्रभावित होकर अनेक चित्रकारों ने इस विधा को अपनाया और यूरोप की तरह भारतीय चित्रकला में भी वस्तु-चित्रण को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ।

शब्द कुंजी- के. एच. आरा, वस्तु-चित्रण, लार्जर दैन लाइफ, स्टिल-विशेषज्ञ, ब्लेड का प्रयोग, पतले रंग, आरा।

प्रस्तावना - के. एच. आरा ने अपनी कला यात्रा की शुरुआत सामाजिक, ऐतिहासिक प्रसंगों एवं दृश्यचित्रों से की थी किन्तु उन्हें पहचान मिली उनके वस्तु-चित्रण एवं निर्वसनाओं के चित्रों से। प्रकृतिवाद की सीमा के भीतर रहते हुए, विषय के तौर पर आरा वस्तु-चित्रण एवं निर्वसन महिलाओं का चयन करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे। आरा के आरंभिक चित्र काफी भिन्नता लिए हुए थे। जबकि उनके बाद के चित्र किसी एक ही विषय, खासकर 'स्टिल-लाइफ' अथवा 'निर्वसनाओं' पर जाकर सिमट जाते हैं, जैसे यही उनकी मंजिल थी। उन्होंने विधिवत कला की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी अतः उनके अधिकांश चित्रों में मानव शरीर-शास्त्र की समझ, कार्यकुशलता एवं तकनीकी दक्षता की कमी दिखाई पड़ती है, इन सब कमियों के बावजूद उनके चित्र अपने आप में एक नए युग की शुरुआत करते हैं। खासकर उनका वस्तु-चित्रण एवं निर्वसनाएं।

आरा ने गरीबी और बेबसी को बहुत नज़दीकी से देखा था। मुंबई जैसे शहर में अपनी जीविका चलाने के लिए इन्हे बहुत संघर्ष करना पड़ा। अतः गरीब, संघर्षशील और सर्वहारा वर्ग के प्रति इन्हे प्राकृतिक रूप से विशेष सहानुभूति थी। आपने आरंभिक चित्रों में आरा ने इस वर्ग को अपने चित्रों में विशेष रूप से स्थान दिया है।

40 के दशक से ही उनके चित्रों में बदलाव आना शुरू हो गया और धीरे-धीरे विषय के तौर पर इन्होंने फलों, फूलों, फूलदानों, वृक्षों, सड़कों, रास्तों, पुलों एवं महिलाओं इत्यादि का चित्रांकन आरंभ किया। इनके जलरंग चित्रण में वस्तु-चित्रण प्रमुख था जिनमें 'मिट्टी के बर्तन', 'फूलदान', 'पुष्प-गुच्छ', 'अंगूर', 'सेब' और 'शराब के प्याले' प्रमुखता से चित्रित किए गए थे। जो रंग-योजना इन्होंने प्रयुक्त की थी, वह प्रखर थी और एक गत्यात्मक बल उत्पन्न करती थी जो हमें नैव या लोक कलाकारों के चित्रों से संबद्ध करती थी।

आरा ने 1950 में अपने वस्तु-चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की थी और इस प्रदर्शनी से ही उनके नाम पर 'स्टिल विशेषज्ञ' होने की चिप्पी लग गयी। यद्यपि आरा के कुछ चित्रों पर घनवादी चित्रकार 'पाब्लो पिकासो', फाववादी कलाकार 'हेनरी मातिस' और 'जॉर्ज राउल'; इतालवी चित्रकार 'मोदिग्लिआनी' एवं फ्रेंच चित्रकार 'पॉल सेजां' इत्यादि का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इक्का-दुक्का चित्रों पर 'पॉल वली' और 'वासिली कैडिन्स्की' का भी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, तथापि वे जल्दी ही अपनी एक निजी शैली इखितयार कर लेते हैं।



आरा, वाल्टर लैंगहेमर की बेबाक इम्पैस्टो तकनीक से भी बेहद

प्रभावित थे। जो कोकोशका की अभिव्यंजनावादी शैली के समीप थी। आरा का विधिवत कला शिक्षा ग्रहण न करना भी उनके लिए फायदेमंद ही सिद्ध हुआ क्योंकि इसी वजह से वह बेहिचक विषय चयन, तकनीक एवं शैली के प्रयोग का स्वतंत्र दृष्टिकोण अपना सके। यद्यपि आरा के शुरुआती वस्तुचित्रण पर **जेजां (चित्र 1)** एवं **हेनरी मातिस** जैसे यूरोपियन कलाकारों की कला का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है तथापि शीघ्र ही वे इससे उबरकर अपनी एक निजी शैली विकसित कर लेते हैं। आरा के जैसा वस्तु-चित्रण विश्वभर में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। शनै-शनै उनके वस्तुचित्रों की पृष्ठभूमि में खुली खिड़की, दरवाजे अथवा रोशनदान (**चित्र 2**) से बाहर दिखते दृश्य उपस्थित होने लगते हैं। वस्तु-चित्रण के साथ खुली खिड़की से दिखते बाहरी दृश्य की अवधारणा आरा ने संभवतः **हेनरी मातिस** से ही ग्रहण की। मातिस के 'रूम विद अ वाइलिन', 'इंटीरियर विद अ गोल्डफिश बाउल', 'इंटीरियर विद अ वाइलिन', 'द इजीप्टियन कर्टेन' एवं 'रेड इंटीरियर : स्टिल लाइफ ऑन अ ब्लू टेबल' इत्यादि चित्रों के अनुशीलन से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।



यह दृश्य यहीं तक सिमटकर नहीं रह जाते बल्कि उनके वस्तु-चित्रों सहित बंद कमरों से निकलकर खुले आसमान का हिस्सा हो जाते हैं। उनके इस प्रकार के चित्रों में अग्रभूमि में वस्तुचित्रण तथा पृष्ठभूमि में दृश्यचित्रण किया गया है, जिन्हें न तो पूर्ण रूप से वस्तु-चित्रण की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही दृश्यचित्रण की। अतः उनके ऐसे चित्रों को दृश्यात्मक वस्तुचित्रण (स्टिल लाइफ लैंडस्केप) (**चित्र 3**) कहना ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है।

वस्तु-चित्रों के साथ उनके प्रयोग यहीं तक सीमित नहीं रहे बल्कि उनकी परिवर्तित शैली के साथ निरंतर बदलते रहे। बीच-बीच में उनके वस्तु-चित्रों के साथ मानवाकृतियाँ उजागर होने लगीं। कभी-कभी ये मानवाकृतियाँ इतनी छोटी होती थी कि उनके समक्ष आरा के वस्तु-चित्रण संबंधी चित्रित आकार दानवाकारों जैसे प्रतीत होते। मानों उन्हें जानबूझकर 'लार्जर दैन ह्यूमन लाइफ' (**चित्र 4**) दिखाया गया हो। धीरे-धीरे ये मानवाकृतियाँ महिलाओं, विशेषकर निर्वसनाओं में तब्दील होने लगीं और देखते ही देखते इन्होंने मुख्याकार ग्रहण करना आरंभ कर दिया। अब; कभी ये आरा के वस्तु-चित्रण की अग्रभूमि में मुख्य आकृति का स्थान ग्रहण करती और कभी पृष्ठभूमि में जाकर वस्तु-चित्रण को मुख्याकार (**चित्र 5**) प्रदान करतीं। इस प्रकार आरा का वस्तु-चित्रण विभिन्न स्वरूप ग्रहण करते हुए उनकी एक विशिष्ट एवं अभूतपूर्व शैली के स्वरूप में परिणित हो जाता है। भारतीय कला परिप्रेक्ष्य में वस्तु-चित्रण को मुख्य रूप से अपनाने वाले प्रथम कलाकार आरा ही हैं। यही नहीं, वस्तु-चित्रों को इतनी विविधता के साथ चित्रित करने

वाले कलाकारों में भी संभवतः वह न केवल भारत के बल्कि **विश्व के प्रथम कलाकार** हैं।

अपने एक लेख में कला समीक्षक **जगमोहन** ने, आरा से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए उनके वस्तु-चित्रों के विषय में लिखा था, 'फ्रांसिस न्यूटन के माध्यम से मुझे कृष्णजी हवलाजी आरा के बारे में पता चला, जो शीतल कुंज में उसी जगह रह रहे थे..... रहने की जगह इतनी सीमित थी कि यह देखने में जेल की कोठरी जैसी थी। लेकिन जो चित्र उन्होंने एक प्रकार की मेजेनाइन (परछती) में लगाए थे, वे इतने सारे थे, कि जब उन्होंने उन्हें एक-एक करके दिखाया, तो थोड़ी ही देर में जैसे उनकी एक रंगीन दुनियां हमारे सामने थी, गमले और प्याले, बर्तन, फूल और फूलदान।'।

आरा वस्तु-चित्रण के मोह से कभी उभर नहीं पाये। उनके अधिकांश चित्रों में वस्तु-चित्रण किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा, फिर चाहे वे उनके दृश्य-चित्र हों, पौराणिक चित्र हों, व्यक्तिचित्र हों अथवा उनके द्वारा चित्रित महिलाएं। कभी स्वतंत्र, कभी दृश्यचित्र के साथ और कभी महिलाओं, खासकर निर्वसनाओं के साथ उनका वस्तु-चित्रण आंख-मिचौली करता रहता है। इसी तरह उनकी निर्वसनायें भी चित्रण की इस आंख-मिचौली में आरा का भरपूर सहयोग करती हैं। ये निर्वसनायें भी कभी स्वतंत्र रूप से उजागर होती हैं तो कभी वस्तु-चित्रण के साथ।



इनकी चित्रण तकनीक स्वच्छंदता प्रकट करती थी। उन पर कम से कम रेखाओं और रंगों के प्रयोग से चित्र बनाने की धुन सवार दिखाई देती है। इसीलिए उनके बहुत से चित्र हड़बड़ाहट अथवा जल्दबाजी में बनाए गए प्रतीत होते हैं। कभी वह जलरंगों से चित्रण करते हैं, कभी ट्यूब से ही रंगों को सीधे चित्राधार पर लगाकर, उन्हें बाद में, इच्छानुसार चित्रतल पर फैलाते हैं अथवा ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर उसे इम्पैस्टो की तरह प्रयुक्त करते हैं। जलरंगों अथवा तैल रंगों का प्रयोग वह सैद्धांतिक तौर पर करने के बजाय अपने ही मनोभावों के अनुरूप करना पसंद करते हैं। जो उन्हें कई बार तो अशिक्षित होने का दोषी करार देता है और कभी उन्हें एक आधुनिक कला के एक आदिम चित्रकार के रूप में स्थापित करता है। कहीं-कहीं रंगों को बहा दिया गया है। जल रंगों को ग्वाश रंगों के साथ प्रयुक्त करना आरा की मुख्य विशेषता रही है।

आरा समय-समय पर अपने चित्रों में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहे हैं मसलन **उन्होंने अपने अनेक चित्रों में ब्लेड से अथवा हाथ के अंगूठे से भी कार्य किया।** चित्र को जल्दी पूरा करने के लालच में उन्होंने बहुत बार अपने चित्रों में फूल इत्यादि की पंखुड़ियों एवं पत्तियों को अंगूठे से ही पूर्ण कर दिया है। वस्तुतः रेखांकन और वॉश चित्रण पद्धति से अपनी कला यात्रा की शुरुआत करने वाले आरा ने बहुत समय तक यथार्थवादी चित्रण किया। फिर कुछ समय तक बिना तूलिका के ही सीधे जल रंगों से

चित्रण किया। तैल रंगों में स्थिर जीवन के चित्र बनाए तथा नव नारी चित्रण किया। कुछ समय के लिए जब 'कट-कैनवस' के नए ट्रेंड ने जोर पकड़ा तो आरा ने भी इस तकनीक से कई कलाकृतियों का निर्माण किया। उनका बनाया एक कट-कैनवस तो काफी सराहा गया। 'कट-कैनवस' शब्द कैनवस पर बनाई गयी उन कलाकृतियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिन्हें वांछित प्रभाव देने के लिए एक अथवा अधिक स्थानों से काट दिया जाता है।

इस दृश्य जगत की आकृतियाँ उनकी कला में आकर अपना सरलतम रूपाकार ग्रहण कर लेती हैं। उनके फूलों और स्थिर-जीवन के चित्र अपने सरलतम स्वरूप में प्रकट होकर दर्शक को संभवतः सर्वाधिक आकर्षित करते हैं। आरा का कला संसार यथार्थवादी न होकर काल्पनिक है। उनके चित्रों में तकनीकी दक्षता की अपेक्षा सरलीकरण अथवा सहजानुभूति का लालित्य अधिक है। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है जो उन्हें अन्य कलाकारों से अलग करती है। यही विशेषता कालांतर में न केवल अनेक कलाकारों को प्रभावित करती है बल्कि समकालीन कला में संभावनाओं के नए द्वार भी प्रशस्त करती है।

40 के दशक में आरा के काम में काफी भिन्नता देखने को मिलती है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक जन-जीवन के चित्र, दृश्यचित्र, मछली बाजार के चित्र, मुंबई के रास्तों के भिखारी एवं मंच-प्रदर्शन (दक्षिण के नृत्यों पर आधारित श्रृंखला) के चित्र प्रमुख हैं। जिनमें मुख्यतः भीड़भाड़ वाले संयोजन बनाए गए हैं। जबकि 50 के दशक में ऐसे संयोजनों का स्थान वस्तु-चित्रण ने ले लिया। इसके बावजूद मानवाकृतियों से उनका लगाव बना रहा और यह उनके वस्तु-चित्रण में भी दिखाई पड़ता रहा, फिर धीरे-धीरे वस्तु-चित्रण उनके चित्रों से गायब होने लगा और इनमें चित्रित मानवकृतियों का स्थान निर्वसनाओं ने ले लिया। 60 के दशक में ये निर्वसनायें स्वतंत्र स्थान ग्रहण करने लगीं और यह दशक मुख्यतः इन्हीं नव नारी चित्रों को समर्पित रहा। इस दशक में भी यह वस्तु-चित्रण के प्रति अपना मोह त्याग नहीं पाये और इनके ऐसे चित्रों में वस्तु-चित्रण के इनके चिरपरिचित आकार उपस्थित होते रहे।



1950 में केवल 'स्टिल लाइफ' पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी हुई जिससे आरा 'स्टिल-विशेषज्ञ' कहलाए जाने लगे। 1952 में 'जहांगीर आर्ट गैलरी' के उद्घाटन पर आयोजित कला प्रतियोगिता-प्रदर्शनी में इन्होंने

'दो जग' नामक चित्र प्रदर्शित किया जिस पर इन्हें न केवल स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ बल्कि इन्हें 2000 रुपये का नकद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

आरा के सबसे महत्वपूर्ण चित्रों में उनके वे चित्र हैं जो उन्होंने पचास और साठ के दशक में बनाए। जैसे, 1952 में निर्मित 'खिड़की की रोशनी', 1953 में निर्मित 'पुष्प', 1954 में निर्मित 'स्टिल लाइफ', 'नीला बर्तन', 'प्रातःकालीन नाश्ते की मेज', 1961 में 'लाल पुष्प' 1962 में सृजित 'नीला फूलदान', 1963 में निर्मित 'बसंत का त्यौहार', 1967 में 'दहकते फूल', 1969 में निर्मित 'चार फूलदान' एवं 1976 में सृजित 'कहीं ऐसा न हो कि हम उसे भूल जायें' इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण चित्रों में शामिल हैं। उपरोक्त वर्णित ये सभी चित्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की निजी संपत्ति हैं। उनके अन्य सुप्रसिद्ध चित्रों में 'हरा सेब', 'लाल मेज', 'चीनी बर्तन', 'टोकरे में रखे पात्र', एवं 'सुसज्जित पात्र' हैं जो चटख रंगों (पीले, हरे, काले, गुलाबी और नीले) के सम्मिश्रण से बड़े सुंदर बने हैं। आरा ने अनेक महत्वपूर्ण चित्रों का निर्माण किया जिनमें सामान्य जन-जीवन के चित्र, वस्तु-चित्र एवं निर्वसनाएं प्रमुख हैं। उनका चित्र संसार इन्हीं सब के इर्द-गिर्द घूमता रहा, वस्तुतः वस्तु-चित्र उनकी कला का सिरमौर रहे। आरा ने जितने भी चित्र बनाए हैं, उनमें से बहुत कम चित्रों को उन्होंने शीर्षक प्रदान किए हैं। उनके अधिकांश चित्र, शीर्षकहीन हैं। उनके चित्रों को जो शीर्षक प्रदान किए गए हैं, वे मुख्यतः कला समीक्षकों अथवा कला दीर्घाओं द्वारा दिये गए हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए यह आवश्यक भी था। बहरहाल वस्तु-चित्रण को जो स्थान और सम्मान आरा के चित्रों में प्राप्त हुआ वह भारतीय कला ही नहीं वरन सम्पूर्ण वैश्विक कला में अन्यत्र दुर्लभ ही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. विनोद भारद्वाज : बृहद आधुनिक कला कोश, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
2. डॉ. गिराज किशोर अग्रवाल : आधुनिक भारतीय चित्रकला, संजय पब्लिकेशन्स, आगरा, 2015
3. डॉ. ममता चतुर्वेदी : समकालीन भारतीय कला, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 2012
4. डॉ. रीता प्रताप : भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, राजस्थान हि. ग्रं. अकादमी, जयपुर, 2008
5. प्राण नाथ मागो : भारत की समकालीन कला- एक परिप्रेक्ष्य, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 2012
6. Kishore Singh : Mumbai Modern: Progressive Artists' Group 1947-2013, Delhi Art Gallery, 2013
7. Geeta Kapur : Contemporary Indian Artists, Vikas Publications, New Delhi, 1978
8. Jagmohan : The Bombay Art Scene in the Late Forties, The Bombay Art Society Journal, Volume 9, Nos 2-3, August-November 1980

राग-रागिनी पद्धति में राग भैरवी

प्रीति शर्मा * डॉ. अन्नना गौतम**

* शोधकर्ता (संगीत) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

** विभागाध्यक्ष, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश - इस शोधपत्र में राग भैरवी की राग-रागिनी पद्धति में व्याख्या की गई है। विद्वानों द्वारा उसका स्त्रीस्वरूप, व्यक्तित्व, गुण और प्रकृति आदि मुखरित हुआ है। इसका सांगीतिक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी - राग-रागिनी, भैरवी, प्रकृति, वनिता, पुरुष राग।

प्रस्तावना - भैरवी को भैरव से भी प्राचीन एवं स्त्री गुणज्ञ माना है। भैरवी एक प्राचीन राग है जैसा कि स्वामी प्रज्ञानानन्द ने कहा है - “भैरवी भैरव से भी प्राचीन राग है उनका मत इस तथ्य पर आधारित है नाट्य लोचन नारद भैरवी का तो उल्लेख करते हैं किन्तु भैरव का नहीं।” प्रज्ञानानन्द जी के तथ्य में हमें सत्यात्मकता दिखती है कि भैरवी अवश्य ही भैरव से प्राचीन होगी। शोधकर्ता का यह दृष्टिकोण है कि प्राचीन काल में परिवार, समाज मात्र सत्तात्मक होता था। स्त्री की परिवार में विशेष भूमिका होती थी तो इस कारण भैरवी की पार्वती से तुलना की गई है, इसे पार्वती समान माना गया है। शिवसृष्टि के जन्मकर्ता पालक है, तो माँ पार्वती सभी कष्टों को अपने में समाने वाली, संवेदनशील है क्योंकि स्त्री में यह गुण होता है जो कि अपने परिवार के कष्टों का संहार करते हुए आगे ले जाती है।

इसकी प्राचीनता का एक और कारण यह सामने आया कि जब हम प्रकृति का दर्शन करते हैं तो प्रकृति में जब पुरुष ने जन्म लिया, तो प्रकृति का जन्म पहले माना गया है। पुरुष का जन्म बाद में माना गया है क्योंकि प्रकृति का गुण है सहनशीलता, कोमलता, क्षमा, दयाभाव जो गुण प्रकृति के हैं वही गुण भैरवी के हैं। प्रकृति और भैरवी को आपस में जोड़ा गया है। अतः भैरवी का जन्म भैरव से भी प्राचीन माना गया है क्योंकि भैरव को मेल माना जाता है इसलिए पुरुष की उत्पत्ति प्रकृति के बाद हुई है। इसलिए मान सकते हैं भैरवी भैरव से प्राचीन होगी अतः भैरवी का स्त्री रूप में वर्णन मिलता है व इसकी प्राचीनता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।

मध्यकाल में हमें पश्चिम के अनुसार 13वीं शताब्दी में भैरव तथा भैरवी का एक साथ उल्लेख प्राप्त होता है। दोनों रागों का स्वरूप 13वीं शताब्दी में स्थापित हो चुका था। शोधकर्ता के मन में यह प्रश्न उठता है जब यह दोनों राग स्थापित हो चुके थे तो क्या स्वरों, भावों के वर्गीकरण के आधार पर ही राग को स्त्री, पुरुष माना जाने लगा? जिन रागों में गंभीरता, विशालता, कठोरता, आदि भावों का प्रतीकात्मक शब्द पुरुषवाचक व चंचलता, संकोच, कोमलता, आदि भाव स्त्रीवाचक राग माने जाने लगे? उसकी पद रचना में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के आधार पर अथवा स्वर लगाव के आधार पर स्त्री या पुरुष माना गया। जब हम मध्यकालीन इतिहास पर दृष्टि डालते हैं, हमने देखा कि मुगलकाल में एक राजा की अनेक रानियाँ होती थी। यही जब हम सतयुग में देखते हैं तो राम के समय में एक भार्या का रूप दृष्टिगत होता है।

महाभारत के समय तक एक भार्या का वर्णन है परन्तु महाभारत के युद्ध के पश्चात् पुरुष प्रजाति पद्धति विध्वंस में नष्ट हो गई तो महिलाएँ अधिक होने से एक पुरुष को मजबूरीवश अनेक भार्या रखने की प्रथा ने जन्म लिया मान सकते हैं। उस समय सामाजिक परिस्थितियाँ व सामाजिक वातावरण इस तरह का था जिसमें राजाओं द्वारा एक से अधिक भार्याएँ रखी जाती थी। मध्यकालीन संगीत विद्वानों ने इन्हीं सब तथ्यों का अनुकरण करते हुए संगीत में भी रागों की इस प्रकार परिकल्पना की गई जिसमें एक राग की अनेक भार्याएँ, पुत्र, पुत्रवधुएँ थी।

‘संगीत रत्नाकर’ दो मार्गों का ऐसा मिलन स्थल है, जिसके एक ओर भरत की ग्राम-मूर्च्छना-जाति व्यवस्था है और दूसरी ओर मध्ययुगीय राग रागिनी-वर्गीकरण प्राप्त होता है।

‘राग’ और ‘रागिनी’ यह दो शब्द पुरुष और स्त्री के वाचक हैं। गंभीरता, विशालता, कठोरता आदि भावों का प्रतीकात्मक नाम ‘पुरुष’ और चंचलता, संकोच, कोमलता, प्रेम, हास, दुःख, आदि भावों का नाम स्त्री रखा गया है। सर्वप्रथम 1350 ई. में लिखे गए जैने ग्रन्थकार सुधाकलश के ‘संगीतोपनिषद्सारोद्धार’ द्वारा राग-रागिनी वर्गीकरण का आरम्भ मान सकते हैं। इसमें छः रागों को राग व छः स्त्री रूपों को रागिनी न कहकर ‘भाषा’ कहा गया है। यह ग्रन्थ संगीत रत्नाकर से भी प्राचीन है। अतः सर्वप्रथम इसी ग्रन्थ में रागों को पुरुष रूप में व सम्बद्ध रूपों को स्त्री माना गया है। रागिनी के स्थान पर इनको भाषाएँ कहा गया है।

‘संगीतोपनिषद्सारोद्धार’ के नाम -

राग	भाषाएँ
श्री	गौरी (गौड़ी), कोला (कोलाहल), गांधारी (आंधाली), द्विविडी, मालकोसिका (मालवकैशिकी), देवगांधारी।
वसंत	हिंदोला (आंदोला), कोसिका (कैशिकी), पद्ममंजरी (प्रथममंजरी), गुंडवी (गुंडगिरी), देशाख्या (देवशाखा), रामगिरि (रामग्री)।
भैरव	भैरवी, गुर्जरी, भाषा, वेलावली, कर्णाटी, कलहंसा (रक्तहंसा)
पंचम	त्रिगुणा, खंभावती (स्तंभतीर्थी), आभेरी (आभीरी), ककुभा, विराटी (वइराडी), सावेरी (साभेरी)।

मेघ बंगाली (बंगाला), माधुरी (मधुरा), कामोदा, साधका (चोक्षसाटिका), देवघी (देवगिरी), देवमाला (देवाला)।
नटनारायण त्रोटकी (तोटिका), मोटकी (मोटिका), नट्टा, दुम्बी (डुम्बी), गांधारी (मल्हारी), सिंधुमल्हारी।
संगीतोपनिषद् सारोद्धार में भैरव राग की भाषाएँ के रूप में राग भैरवी प्राप्त होती है।

दामोदर कृत 'संगीत दर्पण' (1600 ई.) में राग-रागिनी के तीन मतों का उल्लेख किया गया है- (1) सोमेश्वर मत, (2) हनुमत मत, (3) रागावर्णव मत

इसमें उन्होंने राग व उनकी रागिनियों के नाम दिये हैं। तीनों मतों में राग नाम व उनकी रागिनी की संख्याओं में अन्तर प्राप्त होता है। पहले मत में प्रत्येक 6-6 रागिनी है परन्तु दूसरे व तीसरे में 5-5 प्राप्त होती है।

तीनों ही मतों में अलग-अलग रागिनियों का प्रयोग किया गया है। इसके शास्त्रीय आधार पर पण्डित दामोदर ने किसी प्रकार चर्चा नहीं की।

पं. पुंडरीक बिहल ने अपनी पुस्तक 'रागमाला' में छह पुरुष राग, तीस रागिनी और तीस पुत्र-राग का वर्णन प्राप्त होता है। उन्होंने सभी पुरुष राग, स्त्री राग व पुत्र रागों का विस्तृत वर्णन दिया है। पुरुष और स्त्री का निर्णय राग में प्रयुक्त भाव, रस और रूप द्वारा किया जाता है। राग मालकोश को सुनते ही प्रतीत होता है, पुरुष राग है व भैरवी को सुनते ही प्रतीत होता है कि वह स्त्री राग है। बिहल का मानना है कि जब तक श्रोताओं में भावुकता का भाव नहीं होगा तब तक वह राग के पुरुषत्व व स्त्रीत्व की अनुभूति नहीं कर सकता है। पंडित जी ने स्त्री राग, भैरवी का परिचय देते हुए कहते हैं- भैरवी शुद्ध भैरव की वनिता है। उसको 'धन्यासीमेल जाता' अर्थात् धन्यासी मेल जन्य माना जाता है। धन्यासी मेल का स्वर समूह 'धनिरिगविधुगा' है- चतुःश्रुतिक ऋषभ, साधारण गन्धार, चतुःश्रुतिक धैवत, कैशिक निषाद और शेष स्वर शुद्ध है। स रे म प ध नि सां। (यह स्वरावली 'सदराग चन्द्रोदय के श्री राग मेल एवं 'राग मंजरी' के मालवकैशिक मेल की है)। भैरवी रागिनी सम्पूर्ण है। इसमें षड्ज, ग्रह, अंश और न्यास है। इसका गायनकाल प्रातःकाल है।²

यह अति मधुर एवं लोकविश्रुत रागिनी है। चंचल प्रकृति की होने से इसमें तुमरी, होली इत्यादि सामान्य प्रबंध गाए जाते हैं। वादी स्वर पंचम और सम्वादी स्वर षड्ज है। उत्तरांग-प्रधान है कोई पंचम वादी और ऋषभ संवादी, तो कोई गन्धार वादी और निषाद संवादी मानते हैं। इसका गान-काल सर्वकालिक माना गया है। इसे मध्यरात्री के मध्याह्न में भी गाते हैं। पंडित जी के अनुसार षड्ज वादी व पंचम सम्वादी मानकर इसे गाते हैं।

आरोह - स, रे ग, म प, ध नि सां।

अवरोह - सां, नि ध प, म ग, रे सा।

राग प्रधान अंग - सा, रे ग, म प।

नारद कृत 'संगीत मकरन्द' में रागों को 'पुल्लिंग', 'स्त्रीलिंग' और नपुंसक लिंग वर्गीकरण द्वारा बांटा गया है। नारद के अनुसार पुरुष राग-21, स्त्री राग-24 व नपुंसक राग 13 माने हैं। संगीत मकरन्द के 17 राग वर्तमान में भी प्रचार-प्रसार में हैं जिसमें भैरवी रागिनी भी प्राप्त होती है। नारद ने ही अपने ग्रन्थ में सर्वप्रथम राग रागिनियों को भिन्न-भिन्न प्रहरों में गाने का समय निर्धारित किया है।

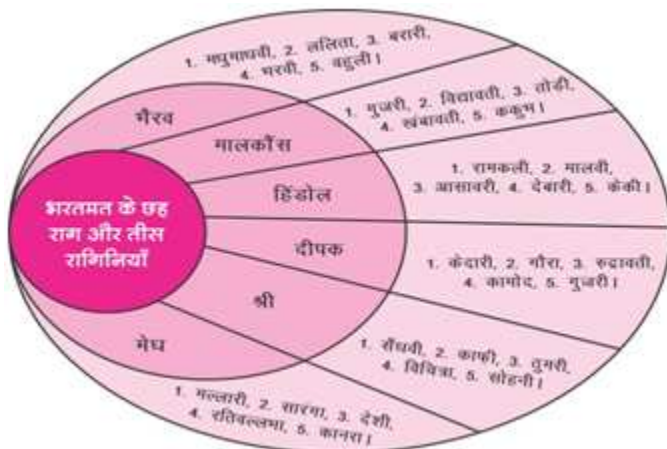
सम्पूर्ण भारत में राग-रागिनी वर्गीकरण का प्रचार-प्रसार रहा है। प्राचीन ग्रन्थकारों द्वारा राग-रागिनी वर्गीकरण के अन्तर्गत राग-पुत्र व

पुत्र वधुएँ, इस प्रकार वर्गीकरण प्राप्त होता है। इसमें मुख्यतः चार मत प्राप्त होते हैं- शिवमत, भरतमत, कृष्णमत (कल्लिनाथ), हनुमन्मत। शिवमत व कल्लिनाथ मत में छह राग 36 रागिनियाँ, भरत और हनुमन्मत में 6 राग और 30 रागिनियों का वर्गीकरण प्राप्त होता है-

शिव-मत (सोमेश्वर-मत) के छह राग और छत्तीस रागिनियाँ



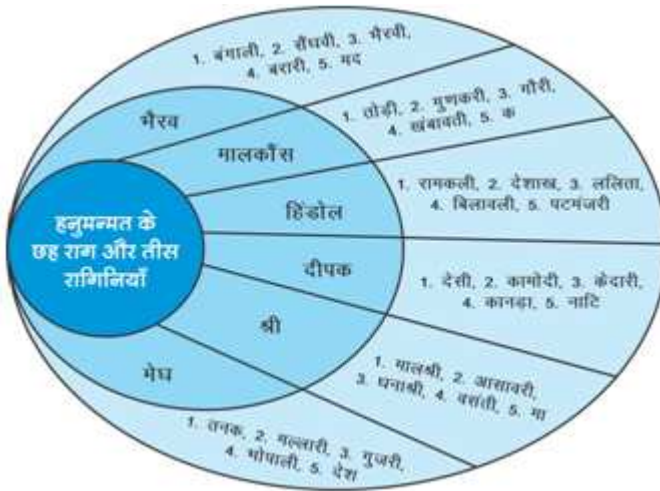
भरतमत के छह राग और तीस रागिनियाँ



कल्लिनाथमत के छह राग और छत्तीस रागिनियाँ



हनुमन्मत के छह राग और तीस रागिनियाँ



भैरवी

चंद्रमु खीऽभैऽ स्वीमृग नैऽनीऽ। अतिलाऽ वऽण्यव तीऽमधु
बैऽनीऽ।

शुऽभव सनरऽ किमकंऽ चुकितना। धाऽरेऽ बैऽठीऽ रऽत्नसिं
हाऽसन।।

शिवसभ ऽक्षपूऽ जतप्रस ऽन्नमन। लिऽहा ऽथकर ताऽलब जाऽवता।
भैऽरव कीऽनाऽ रीऽऽऽ भैऽरवा कीऽनाऽ रीऽऽऽ भैऽरव कीऽनाऽ।।
री (सम)

उपसंहार- अतः सम्पूर्ण अध्ययन से ज्ञात हुआ है- कि रागरागिणी वर्गीकरण 'संगीत रत्नाकर' से भी प्राचीन है। हमें सर्वप्रथम 'संगीतसरोद्धार' में यह वर्गीकरण राग 'भाषाएँ' के रूप में प्राप्त होता है जो कि 12वीं सदी के उत्तरार्द्ध में व 13वीं सदी के शुरू में लिखा गया था। सुधाकलश में भैरवी को भैरव की प्रथम भाषा के रूप में वर्गीकृत किया है। पुण्डरीक बिहल ने रागों में भाव का सुन्दर वर्णन किया है। पंडित जी ने भैरवी को 'धन्यासीमेल जन्य' माना है व भैरव की वनिता के रूप में भैरवी का सुन्दर वर्णन किया है। राग-माला में रागरागिणी और पुत्र का वर्णन है। 'राग विबोध' में राग-रागिणी वर्गीकरण है तथा संगीत मकरन्द में रागों को 'पुल्लिंग', 'स्त्रीलिंग', 'नपुंसकलिंग' के रूप में वर्णित किया है। तथा प्राचीन ग्रन्थकारों ने चार मर्तों में (शिवमत, भरतमत, कल्लिनाथमत, हनुमतमत) में वर्गीकृत किया है जिसमें भैरवी को भैरव की रागिणी के रूप में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कलाकार स्वरों के माध्यम से आराधना द्वारा राग-रागिणी के सजीव दैवीय रूप को

स्वर्ग से इस धरा पर अपनी साधना से बुला सकता है व उसी रूप में स्वरों का लगाव व कल्पना को विस्तार दिया जाता है। चित्रकारों द्वारा उसका राग ध्यान रूप में वर्णन किया गया है। संगीत विद्वानों द्वारा राग-रागिणी की कल्पना नायक-नायिका के रूप में की गई।

यहाँ इन सभी तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि भैरवी में कोमल स्वरों की प्रधानता होने से इसे भार्या के रूप में ही स्वीकार किया जाये। भैरवी, गुर्जरी, सैन्धवी, बाङ्गली, आदि रागों को ही भैरव की भार्या क्युं माना, किसी और राग को क्युं नहीं? किन्तु इतना आवश्यक है कि राग-रागिणी पद्धति ने विशेषतः राग भैरवी के स्त्रीत्व को उजागर किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. गर्ग, लक्ष्मीनारायण, 'संगीत', राग-रागिणी अंक, संगीत कार्यालय, हाथरस, पृ. 68
2. वही
3. गर्ग, लक्ष्मीनारायण, 'संगीत', शोध लेख अंक, जनवरी-फरवरी, 1995, संगीत कार्यालय, हाथरस, पृ. 53
4. गर्ग, लक्ष्मीनारायण, निबन्ध संगीत, संगतसिंह द्वारा लिखित चित्रकला में राग, पृ. 432
5. भातखण्डे, पं. विष्णुनारायण, क्रमिक पुस्तक मालिका, भाग-2, रामाबाई दत्तात्रय, भातखण्डे (बम्बई), पृ. 396
6. गर्ग, डॉ. लक्ष्मीनारायण, निबन्ध संगीत, संगीत कार्यालय, हाथरस, पृ. 465

आदिवासी बारेली बोलियों में एकवचन एवं बहुवचन का अनुशीलन : एक अध्ययन

डॉ. रजनी सोलंकी *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, पानसेमल, जिला बड़वानी (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मनुष्य का प्रथम मानसिक विकास उसकी मातृभाषा में से ही होता है। इसे भाषा का गर्भगृह ही कहा जा सकता है। आदिवासी बारेला के द्वारा बोली जाने वाली बोलियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं है। परन्तु उसकी अपनी वाचिक परम्परा रही है। बारेला की बारेली बोलियों में मिठास है, अपनत्व है। बारेली, राट्वा बोली एवं बारला बोली सुनने एवं बोलने में तो अलग लगती है। किंतु उसके अधिकांश शब्द एक समान ही हैं। जबकि पाल्या बोली सुनने, बोलने में बारेली राट्वा बोली एवं बारला बोली से बिल्कुल भिन्न है। इन बोलियों को बोलने वालों को हम कुछ सीमित क्षेत्र तक नहीं बांध सकते हैं। बारेली बोली में एकवचन एवं बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, जो आधुनिकता के इस दौर में खत्म होने के द्वार पर हैं। जिसे संग्रह कर सुरक्षित रखना अतिआवश्यक है। यदि समय रहते हुए इन बोलियों को बचाया नहीं गया तो इन बोलियों के लुप्त होने की आशंका बनी रहेगी।

शब्द कुंजी – बारेली बोलियाँ, भाषा, एकवचन, बहुवचन एवं साहित्य आदि।

प्रस्तावना – आदिवासी जीवन एकक जीवन पद्धति है। जिसमें जीवन के सभी अंग आपस में जैविक रूप से संबंधित हैं। मृतप्रायः हो रही बोलियों के जीवन संघर्ष को अनुभूत करना आज प्रत्येक भाषा वैज्ञानिक के लिए आवश्यक है। भाषा जीवन जीने के सभी अंगों को मुखर करती है। आज केन्द्र सरकार की आदिवासी अकादमी जैसी संस्थाएँ आदिवासी भाषा के संरक्षण व संवर्धन के प्रश्न पर सक्रीयता से विचार कर रही हैं। गाँव वाले लोक तथा गाँव के बाहर के अ-लोक के संदर्भ में आदिवासियों की भाषा के बारे में विचार करने का समय आ गया है। वर्तमान समय में कोई भी समुदाय एकक भाषिक समुदाय नहीं है। सामान्यतया आज प्रत्येक व्यक्ति द्विभाषी या त्रिभाषी है। आदिवासी अंचल भी इस तथ्य से अलग नहीं है। लोक भाषा को लेकर कतिपय विचार प्रचलन में हैं। लोक और उनकी भाषा में कोई फर्क न ही होता है। किंतु आज इस विचार को मान्य नहीं किया जा सकता है। एक ही गाँव में कई लोक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 'किसी भी संस्कृति का आधारभूत घटक उसकी भाषा होती है।' बोली समाज प्रबोधन कर समाज का विकास कर भाषा को टिकाये रखना चाहिये। किसी एक काल में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन अपने प्रभाव एवं व्यापकता में अपेक्षाकृत सीमित होते हैं।

आज आदिवासी समाज पुराना वाला बंद व सीमित समाज नहीं रहा है। यह शाश्वत सत्य है। इसलिए सांस्कृतिक पहचान बनाये रखने के लिए भाषा का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस बदले हुए परिवेश व परिस्थितियों में आदिवासी जगत को अपनी मौलिकता व विशेषता हो बचाये रखने की जंग लड़ना पड़ रही है। इस पहचान को बनाये रखने के पीछे उसका आज तक टिका हुआ सामाजिक आचार विचार का आग्रह है। विवाह, मृत्यु तथा जन्म आदि संस्कारों को वह आज भी उसी तरह से निभा रहा है। ऐसा वह कई सहस्राब्दियों से करता आ रहा है।

आदिवासी मजदूर कहीं पर भी हो किंतु अपनी रस्मों के लिए वह अपने

गाँव जाना अधिक पसंद करता है। आज भी अपनी जमीन से जुड़ाव ही उसकी शक्ति व ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। मां, माटी, मानुस, जंगल और जानवर आज भी उसके जीवन के आधारभूत सत्य हैं। आज पूरे विश्व में वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के कारण से आदिवासी समाजों पर बहुत ही गंभीर व आमूलचूल प्रभाव हो रहे हैं। आज उनकी जीवन पद्धति, जमीन, जंगल, जल तथा जानवरों पर खतरा मंडरा रहा है। इसके कारण से उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ता जा रहा है। एक तरह से निवृंश होने की ओर कतिपय समुदाय बढ़ रहे हैं। उस स्थिति में कतिपय को अपनी पहचान को बचाये रखने के संकट का सामना कर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति इसी कारण अपने अनेक पक्षों में रूढ़िवादी सी दीख पड़ती है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, आस्ट्रेलिया, एशिया तथा अनेक द्वीपों और द्वीप समूहों में आज भी आदिवासी संस्कृतियों के अनेक रूप देखे जा सकते हैं।

वचन – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है। यह दो प्रकार का होता है, एकवचन और बहुवचन। बारेली बोलियों में भी हिन्दी के समान ही एकवचन और बहुवचन होते हैं।

बारेली बोली – आदिवासी बारेला की बारेली बोली म.प्र. के खरगोन जिले की भगवानपुरा, झीरन्या, भीकनगाँव तहसील के गाँवों में, बड़वानी जिले की पाटी, सेंधवा, निवाली, पानसेमल, वरला आदि तहसील के गाँवों में तथा देवास जिले की बागली तहसील के गाँवों में तथा महाराष्ट्र के धुलिया जिले की शिरपुर तहसील के गाँवों में, जलगाँव जिले की चोपड़ा तहसील के गाँवों में तथा नन्दूरबार जिले की शाहदा तहसील के गाँवों में बोली जाती है।

एकवचन –

राट्वा बोली	पाल्या बोली	बारलाबोली	हिन्दी
पुरुष	छोरो	शुरू	लड़का
पुराय	छोरी	शुरी	लड़की
छिंदरो	छितरु	लुगड़ो	कपड़ा

कुकड़ कुकड़ा कुकड़ मुर्गा
बहुवचन – शब्द के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है।

राट्वा बोली	पाल्याबोली	बारलाबोली	हिन्दी
पुख्या	छोरा	शुरा	लड़के
पुरायटा	छोरिया	शुरिया	लड़कियाँ
छिंदरा	छितरा	लुगड़ा	कपड़े
कुकड़ा	कुकड़ा	कुकड़ा	मुर्गे

1. बारेली राट्वा बोली एवं बारला बोली में एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए वाक्य के अंत में '**उकारान्त**' के स्थान पर '**आकारान्त**' हो जाता है।

एकवचन	हिन्दी	बहुवचन	हिन्दी
केवड़ु	केड़ा	केवड़ा	केड़े
बुकड़ु	बकरा	बुकड़ा	बकरे
कुकड़ु	मुर्गा	कुकड़ा	मुर्गे
घुइलु	घोड़ा	घुइला	घोड़े
चुट्टु	चोर	चुट्टा	चोर
मोटु	बड़ा	मोटा	बड़े
पेहलु	पहला	पेहला	पहले
पुखु	लड़का	पुख्या	लड़के (राट्वा)
षुरु	लड़का	शुरा	लड़के (बारला)
नाइलु	छोटा	नाइला	छोटे (राट्वा)
आयतलु	छोटा	आयमला	छोटे (बारला)
पाहनतरु	मेहमान	पाहनतरा	मेहमान
कोसु	कैसा	कोसा	कैसे
भालु	भाला	भाला	भाले
कुतरु	कुत्ता	कुतरा	कुत्ते
गोदड़ु	गधा	गोदड़ा	गधे

2. राट्वा बोली एवं बारला बोली में स्त्रीलिंग में एकवचन और बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में प्रायः **अकारान्त** को **आकारान्त** करने पर बहुवचन बनता है।

एकवचन	हिन्दी	बहुवचन	हिन्दी
बेहणीस	बहन	बेहणीस्या	बहनें (राट्वा)
पुराय	लड़की	पुरायटा	लड़कियाँ (राट्वा)
बायर	पत्नी	बायरा	पत्नियाँ (राट्वा)
बोणीह	बहन	बोणीहा	बहनें (बारला)

3. राट्वा बोली पाल्या बोली एवं बारला बोली में ईकारान्त स्त्रीलिंग सज्ञा शब्दों के अंत में '**ई य को या**' में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है।

एकवचन	हिन्दी	बहुवचन	हिन्दी
काकी	काकी	काकीया	काकियाँ
छुरी	लड़की	शुरिया	लड़कियाँ
नौदी	नदी	नौदीया	नदियाँ
थावी	थाली	थावीया	थालियाँ

4. बारेली पाल्या बोली में '**ओकारान्त**' को '**आकारान्त**' में बदलकर

एकवचन से बहुवचन बनाया जाता है।

एकवचन	हिन्दी	बहुवचन	हिन्दी
केतलो	कहता	केतला	कहते
बोकड़ो	बकरा	बोकड़ा	बकरे
कुकड़ो	मुर्गा	कुकड़ा	मुर्गे
डबड़ो	डब्बा	डबड़ा	डब्बे
घोड़ो	घोड़ा	घोड़ा	घोड़े
उगंवलो	नहाया	उगंवला	नहाये
ठोकतलो	मारता	ठोकतला	मारते
बेहतलो	बैठता	बेहतला	बैठते
आवतलो	आता	आवतला	आते
वारलो	अच्छा	वारला	अच्छे
बीजो	दूसरा	बीजा	दूसरे
अमथो	ऐसा	अमथा	ऐसे
उठतलो	उठता	उठमला	उठते
जागतलो	जागता	जागतला	जागते
केकड़ो	केकड़ा	केकड़ा	केकड़े
मांगतलो	मांगता	मांगतला	मांगते
देखतलो	देखना	देखतला	देखने
गदड़ो	गधा	गदड़ा	गधे

5. बारेली पाल्या बोली में '**उकारान्त**' को '**आकारान्त**' में बदलकर एकवचन से बहुवचन बनाया जाता है।

एकवचन	हिन्दी	बहुवचन	हिन्दी
मोड़ु	मुँह	मोड़ा	बहुत से मुँह
केवु	कहना	केवा	कहने
जवु	जाना	जवा	जाने
मेलवु	रखना	मेलवा	रखने
पेरवु	पहनना	पेरवा	पहनने
पुछवु	पुछना	पुछवा	पुछने
ईटड़ु	ईट	ईटड़ा	ईटे
तावु	ताला	तावा	ताले

निष्कर्ष – आदिवासी बोलियों की अपनी विशेषता है कि इनमें प्रयुक्त शब्द के प्रकार में अधिकांश ध्वन्यात्मक है। उदाहरण के लिए कुकड़ी और कुकड़ो याने मुर्गी व मुर्गा। किंतु हिन्दी भाषा के प्रभाव से अब इन शब्दों के साथ मुर्गी व मुर्गा शब्द ने भी प्रवेश कर लिया है। हिन्दीकरण से मूल शब्द की प्रोक्ति पहचान लुप्त होती जा रही है। हिन्दी सिविलाईजेशन के प्रभाव से भाषा की मूल पहचान के ही विकृत होने या लुप्त होने का आसन्न उत्पन्न हो गया है। आदिवासी एवं बारला की बोलियों के अपने कुछ नियम हैं। इन बोलियों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखना अतिआवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्री जगदीश डावर, ग्राम भूरापानी तहसील निवाली जिला बड़वानी म.प्र.।
2. श्रीमती सुरक्षा आर्य, ग्राम कुंजरी तहसील निवाली जिला बड़वानी म.प्र.।
3. कु. सविता धार्वे, ग्राम पिपलोद तहसील पानसेमल जिला बड़वानी म.प्र.।

4. श्री खजान सोलंकी, ग्राम चाटली तहसील निवाली जिला बड़वानी म.प्र.।	म.प्र.।
6. डॉ० यशोदा चौहान, ग्राम गोंगवाड़ा तहसील पानसेमल जिला बड़वानी म.प्र.।	8. श्री गोसा पेंटर, ग्राम आडगाँव तहसील शाहदा जिला नंदूरबार महाराष्ट्र
7. श्री गंगाराम जाधव, ग्राम सावरियापानी तहसील पाटी जिला बड़वानी	9. श्री सेवाराम सोलंकी, ग्राम जोगवाड़ा तहसील निवाली जिला बड़वानी म.प्र.।
	10. कु. कविता अहिरे, ग्राम गवाडी तहसील निवाली जिला बड़वानी म.प्र.।

भारत में खाद्य सुरक्षा एक संकट

डॉ. जयराम सोलंकी *

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय गणेश शंकर विद्यार्थी महाविद्यालय, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जलवायु परिवर्तन के देशों की खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहा है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य व कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि उचित तापमान सूखा बाढ़ और मिट्टी की प्रवृत्ता में कमी के कारण मध्य पूर्व के देशों में कृषि को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु में आए परिवर्तन वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए बहुत डरावना है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग रिपोर्ट आ गई है इंटरनल पेंट चेंज किया था जून 2021 में जारी 4000 पन्नों की एक अन्य रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज के असर का व्यापक का पेश किया था जिसमें यह भविष्यवाणी की गई थी कि 2050 तक आज की तुलना में 8000 करोड़ से अधिक लोगों पर भूख का सलाम होगा इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में भुखमरी के प्रति संवेदनशील आबादी की 80% केवलबरहाल विनय रिपोर्टों आंकड़ों के विश्लेषण के सामने आया है कि विश्व के बढ़ते तापमान व जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है फसल चक्र आने में उतर जा रहा है जिससे संपूर्ण विश्व में खाद्य सुरक्षा एक चुनौती बन रही एक अनुमान के अनुसार 40 सप्ताह पड़ता है तो इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा अफ्रीकी और खाद्य सुरक्षा एक अहम चुनौती बन रही है एक अनुमान के अनुसार अगर 2040 तक तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ता है तब तक उनकी पैदावार पर एक उसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा इतना नहीं नहीं बढ़ते कार्बन उत्सर्जन से इस शताब्दी में विश्व में झगड़े भुखमरी बाढ़ और जनसंख्या के प्लान में भी बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हैं इसलिए ग्लोबल वार्मिंग नहीं किया जा सकता है कि उत्पादन में संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञात हो कृषि पद्धतियों पूरी तरह मौसम की परिस्थितियों पर आधारित है एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि अगर इसी तरह तापमान बढ़ेगा तो दक्षिण एशियाई देशों में अच्छी पैदावार में भी 30% तक गिरावट आ सकती है यदि तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होती है तो गेहूं की उत्पादकता में कमी आएगी ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है कि तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड के उत्पादन में 500 टन की कमी होगी ऐसा अनुमान जलवायु रवि की फसलों को अधिक नुकसान होगा इसके अतिरिक्त वर्षा आधारित को अधिक नुकसान होगा क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण वर्षा की मात्रा में कमी होगी जिसके कारण किसानों को जल हेतु जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा इसलिए विकास की त्वचा आदि में यह हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संपूर्ण विश्व की अधिकांश जनसंख्या को आयोजित का प्रमुख आधार कृषि है साफ है यदि इस तरह से हम प्राकृतिक प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ करते हैं तो अधिकांश जनसंख्या के लिए रोजी-रोटी की

व्यवस्था करना मुश्किल हो जाएगा मालूम हो देश में कितने 40 वर्षों में हो रही वर्षा की मात्रा में निरंतर गिरावट आ रही है बीसवीं सदी के और प्रारंभ में औसत वर्षा 141 सेंटीमीटर थी क्यों 90 के दशक में कम होकर 119 सेंटीमीटर रह गए उत्तरी भारत में पेयजल संकट तीन बोलत होती जा रही है यहां प्रत्येक 3 साल में आकाश व सूखा की काली छाया मंगाती है यही नहीं गंगोत्री ग्लेशियर प्रतिवर्ष 30 मीटर की दर से सिकुड़ रहा है ऐसा अनुमान दिया है कि वर्ष 2030 तक गंगा सुख सकती है देश के विभिन्न क्षेत्रों में बिस्तर में तिरुपति तूज दर्ज की जा रही है जिसके कारण खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा है गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण प्रश्नों के उत्पादन में कमी हो रही है अपितु उत्पादन की गुणवत्ता में भी हादसे हो रहा है अनाज व अन्य खाद्य फसलों में पोषक तत्व और प्रोटीन की कमी हो जाएगी जिसके कारण संतुलित और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना निवासन मात्र बनकर रह जाएगा भारत के लिए यह और ज्यादा चिंता का विषय है क्योंकि हमारे देश की 70% जनता खेती वह से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है कृषि ही नहीं उनके जीवनयापन का मुख्य स्रोत है वहीं भारत की जनसंख्या भी अभी 1.05% की सालाना दर से बढ़ रही है 2030 तक की जनसंख्या 1.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या और पेट भरने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में अनेक समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन न सिर्फ आजीविका पानी की आपूर्ति और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही हैं बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भी चुनौती खड़ी कर रही है ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि क्या भाई क्या भारत जलवायु परिवर्तन के खतरों के बीच आने वाले समय में इतनी बड़ी जैसे का पेट भरने के लिए तैयार है भारत और चीन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें से सबसे प्रमुख है न सिर्फ भारत बल्कि देश के सामने चुनौतियां हैं जैसे-जैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं हमें बड़ी तत्परता से काम करने की जरूरत है साथ में जलवायु परिवर्तन के पहरावा खतरों से निपटने के लिए Rahul Naniji का क्रियान्वयन शादी शीघ्र किया जाना आवश्यक है हम सबको मालूम है कि 2050 तक विश्व की आबादी लगभग 9.5 अरब हो जाएगी इसका स्पष्ट मतलब है कि हमें द्वारा अतिरिक्त लोगों के लिए 70% ज्यादा खाना पैदा करना होगा इसलिए खाद्य व कृषि प्राणी को जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलज्यादा लचीला रख बीवर्नीद टिकाऊ बनाने की जरूरत थी इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना होगा और इस क्षेत्र के बाढ़ होने वाले ऑप्शन में कमी कमी के साथ ही फसल भंडारण पैकेजिंग और 1 जुलाई व विवरण की प्रक्रियाओं

के साथ ही जरूरी बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार करना होगा स्पष्ट है कि ग्लोबिंग वार्मिंग एवं खाद्य सुरक्षा परस्पर एक दूसरे से संबंधित है आता एक चुनौती के समाधान हेतु दूसरे का समुचित प्रबंधन सुमांजलि है यह आवश्यक है कि कृषि के विभिन्न तरीकों का वर्णन करा संबंधित उत्पादक व पर्यावरण की कम से कम क्षति पहुंचाने वाली तकनीकों का प्रयोग किया जाए साक्षी कैसी के फैलाव को रोकने के लिए किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार व अंतरराष्ट्रीय वयों में आशावादी बदलाव मानी है इसके साथ इसके लिए विश्व स्तर पर कृषि एवं पर्यावरण शोध में संबंधित तंत्र की आवश्यकता है तभी हम आने वाले समय में 9 मिलियन से अधिक की कुल जनसंख्या का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शासक पर्यावरण से द्वारा

उत्पन्न संकट से भी बच सकते हैं

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सत्यम सुंदरम भारतीय अर्थव्यवस्था 2011
2. डॉ. विजय कवि मंडल कृषि अर्थशास्त्र 2010
3. मिश्र एवं पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था 2011
4. योजना आयोग 2011 आर के पुरम नई दिल्ली
5. दैनिक जागरण 11 एक 2012 एवं 17 एक 2012 रीवा
6. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल दिसंबर 2009 डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली
7. इंडिया इकोनामिक टाइम्स अगस्त 2011

Bio-Chemical Warfare and its Conventions: Future Emerging Threats on Armed Sciences

Santosh Ambhore* Ashok Shrama** Ravi Sukumaran***

*Department of Chemistry, Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

** Department of Military Science, Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

*** Department of Biochemistry, Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Biological Warfare, also known as germ warfare, is the deliberate use of disease causing biological agents such as protozoa, fungi, bacteria, protests or viruses to kill or incapacitate humans or other animal or plant kingdom. Biological weapons are often referred to as bio weapons are living organisms or replicating entities (virus) that reproduce or replicate within their host victims. A biological weapon uses a living organisms or its toxic agent. It needs a delivery device both conventional and unconventional. A chemical weapon uses the toxic properties of chemicals. It is inexpensive to produce. Thousands of chemicals can be weaponised. It needs both conventional and unconventional means of delivery device. Biological weapons are unique in their invisibility and their delayed effects. These factors allow those who use them to inculcate fear and cause confusion among their victims and to escape undetected. A biowarfare attack would not only cause sickness and death in a large number of victims but would also aim to create fear, panic, and paralyzing uncertainty. Its goal is disruption of social and economic activity, the breakdown of government authority, and the impairment of military responses.

Chemical warfare is different from the use of conventional weapons or nuclear weapons because the destructive effects of chemical weapons are not primarily due to any explosive force. The offensive use of living organisms is considered biological warfare rather than chemical warfare; however, the use of nonliving toxic products produced by living organisms is considered chemical warfare under the provisions of the Chemical Weapons Convention. Under this convention, any toxic chemical, regardless of its origin, is considered a chemical weapon unless it is used for purposes that are not prohibited. Chemical warfare agents can be used to inflict immediate casualties or to deny access to areas or physical assets through surface contamination. In some situations, the lethality, persistence, and psychological effects of Chemical warfare agents may make them attractive options compared to conventional weapons.

Keywords- weapons, micro-organisms, pathogens, biological, chemical, defense.

Introduction - The potential use of chemical or biological weapons against the nations interests is a disturbing threat for our defense policy makers. Both chemical and biological weapons are considered "weapons of mass destruction," are those unconventional weapons that are capable of a high order of destruction and/or of being used in such a manner to kill large numbers of people. While the term "weapons of mass destruction," typically includes nuclear weapons along with chemical and biological weapons, this overview focuses on the chemical and biological warfare threat since the potential threat from these weapons is generally considered to be more likely than the threat of nuclear weapons.

This paper explains the concepts of biological and chemical warfare and its states of development, its utilization, and the attempts to control its proliferation throughout history. The threat of biological and chemical

terrorism is real and significant; it is neither in the realm of science fiction nor confined to our nation all world as well.

History- On numerous occasions during the past 2000 years, the use of biological and chemical agents in the form of disease, filth, and animal and human cadavers has been mentioned in historical recordings as mentioned here -

Time	Event
600 BC	Solon uses the purgative herb hellebore during the siege of Krissa
1155	Emperor Barbarossa poisons water wells with human bodies in Tortona, Italy
1346	Tartar forces catapult bodies of plague victims over the city walls of Caffa, Crimean Peninsula (now Feodosia, Ukraine)
1495	Spanish mix wine with blood of leprosy patients to sell to their French foes in Naples, Italy
1675	German and French forces agree to not use

- 1710 "poisonous bullets"
- 1710 Russian troops catapult human bodies of plague victims into Swedish cities
- 1763 British distribute blankets from smallpox patients to Native Americans
- 1797 Napoleon floods the plains around Mantua, Italy, to enhance the spread of malaria
- 1863 Confederates sell clothing from yellow fever and smallpox patients to Union troops during the US Civil War
- World War I German and French agents use glanders and anthrax
- World War II Japan uses plague, anthrax, and other diseases; several other countries experiment with and develop biological weapons programs
- 1980–1988 Iraq uses mustard gas, sarin, and tabun against Iran and ethnic groups inside Iraq during the Persian Gulf War
- 1995 Aum Shinrikyo uses sarin gas in the Tokyo subway system

Chemical and Biological Weapons-

Chemical Weapons-

Toxins- These are a group of highly noxious chemicals that are produced by living organisms. Although products of living organisms, toxins are considered by some to be chemical weapons as their effects do not require replication in the human. Over 500 exist, but in one analysis of 395 toxins only 17 were found to be suitable for battlefield (and therefore terrorist) use, because of manufacturing problems and lack of chemical stability as an aerosol. Those most likely to be used are botulinum toxin, ricin and saxitoxin, although Iraq is known to have been experimenting with aflatoxin and *Clostridium perfringens* toxins.

Ricin- Ricin is a protein derived from the seeds of the castor bean plant, *Ricinus communis*. Waste from the commercial production of castor oil contains 5% ricin, making it easy for such a substance to fall into the hands of bioterrorists. Structurally, ricin consists of two polypeptide chains, one of which binds to the surface of cells, the other catalysing the *N*-glycosidic cleavage of a specific adenine residue from 28S ribosomal RNA, interrupting protein synthesis. Ingestion produces abdominal pain and diarrhoea. Inhalation of high doses is rapidly fatal; lower doses are associated with drowsiness, confusion, convulsions, coma, extreme weakness, respiratory failure and cardiovascular collapse, progressing to multiple organ failure and death within 36–72 h. Treatment is supportive. An avian ricin antitoxin has been developed for use in animals.

Nerve agents- Nerve agents are anticholinesterases of high potency. They were first mass-produced in Germany in April, 1942 (tabun gas). Each year, organophosphate insecticides, which are structurally related, cause several hundred thousand casualties worldwide. The four most commonly produced agents are sarin (GB, isopropyl

methylphosphonofluoridate), soman (1,2,2-trimethylpropyl methyl-phosphonofluoridate), VX gas (*O*-ethyl-*S*-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonothiolate) and tabun (ethyl *N,N*-dimethylphosphoramidocyanidate). However, there are several other nerve gases that have been chemically modified in order to penetrate gas-protection suits and to persist after deployment. Impure sarin has been produced by several terrorist organizations and states with terrorist links, and is considered one of the more likely agents to be deployed deliberately.

The nerve agents are ester or amide derivatives of phosphonic acid and are structurally related to organophosphate insecticides (such as malathion). They inactivate acetyl cholinesterase (AChE) by alkyl phosphorylation of a serine hydroxyl group at the esteratic site of the enzyme. Inactivation of AChE prevents the hydrolysis of acetylcholine, which accumulates at muscarinic, nicotinic and central nervous synapses. At muscarinic synapses, AChE inactivation causes miosis, ciliary body spasm (at high doses causing eye pain), glandular hypersecretion (salivary, bronchial and lachrymal), sweating, bradycardia (or atrioventricular block, QT prolongation), bronchoconstriction, vomiting, severe diarrhoea and urinary and faecal incontinence. AChE inactivation at nicotinic receptors produces skeletal muscle paralysis (initial fasciculations followed by weakness and muscular paralysis). The adrenal medulla is stimulated, causing tachycardia and hypertension. At central nervous cholinergic synapses, AChE inactivation causes irritability, giddiness, ataxia, fatigue, amnesia, hypothermia, lethargy, seizures, coma and respiratory depression.

Blood agents - Blood agents, notably hydrogen cyanide and cyanogen chloride are metabolic poisons that are fatal within 15 min after a lethal dose. Hydrogen cyanide is a colourless liquid that smells of almonds. It is disseminated as a vapour, but because of its high volatility it is rapidly dispersed throughout the atmosphere to non-toxic concentrations. Hydrogen cyanide poisoning is encountered more commonly after industrial spillage or house fires. Cyanides are potentially available to terrorists, being widely used in industry.

Blistering agents (vesicants) - There are two main classes of vesicant. Arsenicals, such as lewisite (2-chlorovinyl dichloroarsine), are more volatile and have sharp, irritating odours. Conjunctival exposure causes immediate eye pain. Mustards, such as mustard gas and nitrogen mustard, are poorly volatile, practically odourless and cause no initial eye pain. The debilitating and lethal complications of mustard gases make their use far more likely than that of arsenical vesicants.

Mustard gas [bis (2-chloroethyl) sulphide] is a colourless or pale yellow oily liquid, that smells faintly of mustard or garlic. The threshold for odour sensation is 1.3 mg m⁻³, which is significantly below battlefield concentrations (approximately 25 mg m⁻³), allowing several minutes of

detection before incapacitating or lethal doses are reached [IC_{50} 200–1000 mg min m^{-3} (concentration that incapacitates 50% of those exposed) and LC_{50} 1500 mg min m^{-3}]. Atmospheric release occurs through explosive aerosolization. Because of its low volatility, mustard gas has greater clinical effects in hotter climates, but it persists longer in more temperate climates. Its persistence places medical responders at greater risk of intoxication; the wearing of protective clothing (including respirators), together with decontamination of both casualties and responders, is essential.

Choking agents

Choking agents are the classical agents of chemical warfare. Chlorine and phosgene ($COCl_2$) were first used (often in combination) in 1915. However, their acrid smell and respiratory irritancy acted as early warning signals for exposed troops, who were able to don effective gas masks before severe poisoning occurred; their use was superseded by blistering agents in 1917. Chlorine and phosgene are widely used as intermediaries in manufacturing processes (e.g. synthesis of plastics) and poisoning may be encountered after industrial accidents.

Chlorine is a greenish-yellow gas with a distinctive smell and is denser than air. As its odour threshold of 0.08 p.p.m. occurs below that associated with toxicity, the sense of smell usually provides adequate warning of atmospheric chlorine. It is an oxidizing agent, and reaction with water liberates hypochlorous acid, hydrochloric acid and oxygen free radicals, all of which cause tissue damage. Initial ophthalmic exposure rapidly produces eye pain, blepharospasm and lachrymation.

Vomiting agents and incapacitating agents

Although vomiting agents (such as adamsite and diphenylchloroarsine), tear gases [such as 2-chlorobenzalmalononitrile (CS gas) and capsaicin spray] and psychoactive drugs (such as LSD and cannabinoids) may be severely debilitating, they are less likely to require intensive care treatment than the chemicals described.

Biological Weapons

Anthrax- *Bacillus anthracis* is an aerobic, Gram-positive, rod-shaped, spore-forming bacterium that primarily infects herbivores (particularly cattle, sheep, goats and horses). The reservoir of *B. anthracis* is the soil and the organism is distributed worldwide. Sporadic outbreaks occur in parts of Asia and Africa. The spores can remain viable for decades—released onto Gruinard Island (off the coast of Scotland) in 1941, anthrax spores persisted until decontamination was carried out in 1986. Susceptible livestock that ingest the spores while grazing have a high mortality rate and, in the process of dying, bleed from the respiratory tract and bowel, further contaminating the environment. Humans usually contract anthrax through close contact with infected animal products, particularly hair and hides.

Anthrax spores were incorporated into weapon

systems by the USA in the 1950s. Iraq admitted to having developed anthrax weapon delivery systems in 1995. In 1979, 66 people died after an airborne leak of anthrax spores from a military facility, south of Sverdlovsk (Ekaterinburg), in the USSR. Fifty kilograms of aerosolized *B. anthracis* released two miles upwind of a population centre of 500 000 unprotected people, would kill an estimated 95 000 people, effecting 24.7 billion dollars worth of damage.

Plague- *Yersinia pestis* is an anaerobic, Gram-negative coccobacillus. Plague is transmitted to humans in one of three ways: by flea vectors (usually *Xenopsylla cheopsis*) from rodent reservoirs, by animal-to-human droplet infection or by human-to-human droplet infection. There is documented evidence of the use of plague as a biological weapon as far back as the fourteenth century, when the Tatars catapulted cadavers infected with plague into the city of Kaffa (now Feodosiya in the Ukraine). Between 100 and 500 organisms constitute an infectious dose. Bubonic, septicaemic or pneumonic forms of infection are recognized, the last being the most likely result of deliberate epidemic. After an incubation period of 2–3 days, the victim develops pneumonia, associated with malaise, high fever, myalgia, haemoptysis and sepsis. Patchy consolidation is seen on chest radiography. Dyspnoea, stridor and cyanosis rapidly ensue, necessitating mechanical ventilation, with organ support for coexistent MOF. Precautions against droplet infection should be taken. *Y. pestis* infection may be suspected on finding a Gram-negative coccobacillus in peripheral blood, sputum or lymph-node specimens, and confirmed by culture of the organism from blood and sputum, immune fluorescence or ELISA.

Viral haemorrhagic Fevers- Viral haemorrhagic fever (VHF) describes a range of symptoms that are caused by infection with a variety of RNA viruses. *Arenaviridae* give rise to Lassa, Junin and Machupo fevers, *Bunyaviridae* to Rift Valley fever, Hantavirus fever and Crimean–Congo fever, *Filoviridae* to Ebola and Marburg disease and *Flaviviridae* to yellow fever and dengue fever. VHF viruses are usually transmitted from infected animal reservoirs to man by arthropod vectors.^{48, 88} All VHF viruses are highly infectious when delivered by aerosol (one to 10 organisms produce clinical infection) and have high morbidity and mortality rates (up to 90% with Ebola-Zaire), even after treatment.

Viral encephalitides- Three members of the genus *Alphavirus* (of the family *Togaviridae*) cause viral encephalitis in humans: Venezuelan, Eastern and Western equine encephalitis viruses (VEE, EEE and WEE respectively). They are highly infectious (10–100 organisms cause clinical symptoms) and stable when weaponized. Mortality may be as high as 75% (EEE). VEE inevitably produces symptomatic infection, with chills, high fever, malaise, myalgia and vomiting.

Tularaemia- Tulareamia (rabbit fever, deer fly fever) is caused by *Francisella tularensis*, a small, aerobic, intracellular Gram-negative coccobacillus. Transmission to humans normally takes place after inoculation by arthropod vectors. The ingestion of infected meat or inhalation of aerosolized bacteria may also result in infection, which may be produced by as few as 10–50 organisms.

Smallpox

In 1763, the British, under Sir Jeffrey Amherst, used smallpox in an attempt to eradicate hostile North American tribesmen: 'You will do well to try and inoculate the Indians by means of blankets, as well as to try every other method that can serve to extirpate this execrable race'.

In 1980, the World Health Organization declared that smallpox had been eradicated. However, cessation of routine vaccination has increased the susceptibility of the population to variola infection.¹⁵, 60 Variola is highly infective (10–100 organisms cause infection) when aerosolized and stable when weaponized, and has a high mortality rate (3% in the vaccinated, 30% in the unvaccinated, death resulting mainly from broncho-pneumonia)

Glanders- Glanders (farcy, equinia) is caused by *Burkholderia mallei*, a Gram-negative bacillus. It is usually a disease of equines, but has been studied as a biological weapon by the USA and the USSR, the latter producing a weaponized form. The Germans were known to have deliberately contaminated livestock and animal feed in Romania, Mesopotamia and France during the First World War with *B. mallei* (and *Bacillus anthracis*). Aerosolization of *B. mallei* markedly increases its infectiousness. One to 10 organisms is sufficient to produce infection after inhalation. Acute and chronic forms exist.

Q fever, brucellosis and *E. coli* O157

Q fever⁷⁷, 104 is caused by the rickettsial organism *Coxiella burnetii* and brucellosis by bacteria of the genus *Brucella* (particularly *B. suis*) [18]. *Escherichia coli* O157.H7 causes severe food poisoning. All three organisms produce unpleasant symptoms and may cause fatalities, but their use as biological weapons is for the purpose of incapacitating a population or fighting force.

Biological Weapons Convention- The Biological Weapons Convention (BWC), or Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC), is a disarmament treaty that effectively bans biological and toxin weapons by prohibiting their development, production, acquisition, transfer, stockpiling and use. The treaty's full name is the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction.

Having entered into force on 26 March 1975, the BWC was the first multilateral disarmament treaty to ban the production of an entire category of weapons of mass destruction. The Convention is of unlimited duration. As of April 2021, 183 states have become party to the treaty. Four

additional states have signed but not ratified the treaty, and another ten states have neither signed nor acceded to the treaty. The BWC is considered to have established a strong global norm against biological weapons. This norm is reflected in the treaty's preamble, which states that the use of biological weapons would be "repugnant to the conscience of mankind". This norm is demonstrated by the fact that not a single state today declares to possess or seek biological weapons, or asserts that their use in war is legitimate.

Chemical Weapons Convention- The Chemical Weapons Convention (CWC), officially the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, is an arms control treaty administered by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), an intergovernmental organization based in The Hague, The Netherlands. The treaty entered into force on 29 April 1997, and prohibits the large-scale use, development, production, stockpiling and transfer of chemical weapons and their precursors, except for very limited purposes (research, medical, pharmaceutical or protective). The main obligation of member states under the convention is to effect this prohibition, as well as the destruction of all current chemical weapons. All destruction activities must take place under OPCW verification. As of March 2021, 193 states have become parties to the CWC and accept its obligations. Israel has signed but not ratified the agreement, while three other UN member states (Egypt, North Korea and South Sudan) have neither signed nor acceded to the treaty. Most recently, the State of Palestine deposited its instrument of accession to the CWC on 17 May 2018. In September 2013, Syria acceded to the convention as part of an agreement for the destruction of Syria's chemical weapons. As of February 2021, 98.39% of the world's declared chemical weapons stockpiles had been destroyed. The convention has provisions for systematic evaluation of chemical production facilities, as well as for investigations of allegations of use and production of chemical weapons based on intelligence of other state parties.

Some chemicals which have been used extensively in warfare but have numerous large-scale industrial uses (such as phosgene) are highly regulated; however, certain notable exceptions exist. Chlorine gas is highly toxic, but being a pure element and extremely widely used for peaceful purposes, is not officially listed as a chemical weapon. Certain state-powers (e.g. the Assad regime of Syria) continue to regularly manufacture and implement such chemicals in combat munitions. Although these chemicals are not specifically listed as controlled by the CWC, the use of any toxic chemical as a weapon (when used to produce fatalities solely or mainly through its toxic action) is in-and-of itself forbidden by the treaty. Other chemicals, such as white phosphorus, are highly toxic but

are legal under the CWC when they are used by military forces for reasons other than their toxicity.

Chemical and Biological Weapons Status at a Glance

-Despite the progress made by international conventions, biological weapons (BW) and chemical weapons (CW) still pose a threat. More progress has been made by Chemical Weapons Convention (CWC) states-parties and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in the destruction of declared CW stockpiles. Progress on the implementation of the Biological Weapons Convention (BWC), however, has been slower due to the lack of a formal verification mechanism.

There are 183 states parties to the BWC, including Palestine, and four signatories (Egypt, Haiti, Somalia, and Syria). Ten states have neither signed nor ratified the BWC (Chad, Comoros, Djibouti, Eritrea, Israel, Kiribati, Micronesia, Namibia, South Sudan and Tuvalu). There are 193 states parties to the Chemical Weapons Convention. Israel has signed but not ratified the convention and Egypt, North Korea, South Sudan have neither signed nor ratified the CWC.

Below is a list of states believed to currently possess or have once possessed biological and/or chemical weapons and their current status. Some states have officially declared BW or CW programs, while other programs have been alleged to exist by other states. Therefore, both official declarations and unofficial allegations of chemical and biological weapons programs are included below.

CHINA- China states that it is in compliance with the CWC. China declared in 1997 that it had a small offensive CW program that has now been dismantled, which has been verified by over 400 inspections by the OPCW as of 2016. The U.S. alleged in 2003 that China has an “advanced chemical weapons research and development program.” However, these allegations have decreased in magnitude in recent years and the State Department’s 2019 report on compliance with the CWC cited no such concerns.

Approximately 350,000 chemical munitions were left on Chinese soil by Japan during the Second World War. Work with Japan to dispose of these is ongoing.

INDIA- State declaration: India declared in June 1997 that it possessed a Chemical Warfare stockpile of 1,044 metric tons of mustard agent. India completed destruction of its stockpile in 2009.

Conclusion- Biological weapons are unique in their invisibility and their delayed effects. These factors allow those who use them to inculcate fear and cause confusion among their victims and to escape undetected. A biowarfare attack would not only cause sickness and death in a large number of victims but would also aim to create fear, panic, and paralyzing uncertainty. Its goal is disruption of social and economic activity, the breakdown of government authority, and the impairment of military responses. As demonstrated by the “anthrax letters” in the aftermath of

the World Trade Center attack in September 2001, the occurrence of only a small number of infections can create an enormous psychological impact-everyone feels threatened and nobody knows what will happen next. The choice of the biowarfare agent depends on the economic, technical, and financial capabilities of the state or organization. Smallpox, Ebola, and Marburg virus might be chosen because they have a reputation for causing a more horrifying illness. Images on the nightly news of doctors, nurses, and law enforcement personnel in full protective gear could cause widespread public distraction and anxiety.

Chemical warfare (CW) agents can be used to inflict immediate casualties or to deny access to areas or physical assets through surface contamination. In some situations, the lethality, persistence, and psychological effects of CW agents may make them attractive options compared to conventional weapons. Also, many CW agents or their precursors are readily available due to their industrial uses. Chemical warfare agents are relatively fast-acting, and some agents are very difficult to defend against. As better methods of detection, protection, and decontamination have evolved, adversaries have developed new CW agents to defeat these improved defensive measures. Over the past hundred years, CW agents have been used many times, often during wartime but also to quell insurrections or commit acts of terrorism. As governments have continued to regulate the conduct of war through various diplomatic vehicles, a growing global consensus has emerged that these weapons should be banned from traditional combat operations. Chemical agent” is a “chemical substance that is intended for use in military operations to kill, seriously injure, or incapacitate mainly through its physiological effects.” In other words, chemical agents are toxic chemicals that have been used as weapons or were developed specifically to be used as weapons.

Historically, biological weapons have been used against civilians and the military. Many countries began developing intense bio-weapons programs in the early half of the 1900’s. The collapse of the Soviet Union left many scientist without work and seeking employment from ‘rogue’ states. Some countries have declared bio-weapons capability and other have maintained secret programs.

References:-

1. “Angola Joins the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons”. *OPCW*. Retrieved 1 May 2016.
2. “Chemical Weapons Destruction”. *Government of Canada – Foreign Affairs, Trade and Development Canada*. 16 October 2012. Archived from the original on 18 May 2015. Retrieved 15 May 2015.
3. “OPCW by the Numbers”. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Retrieved 9 February 2021.
4. “Status of the Biological Weapons Convention”. *United Nations Office for Disarmament Affairs*. Retrieved 7 February 2021.

5. "Text of the 1925 Geneva Protocol". United Nations Office for Disarmament Affairs. Retrieved 9 February 2021.
6. Arora DR, Gautam V, Arora B. Biological warfare: Bioterrorism. Indian J Med Microbiology 2002;
7. Article XIII, Biological Weapons Convention. Treaty Database, United Nations Office for Disarmament Affairs.
8. Arun Kumar R, Nishanth T, Ravi Teja Y, Sathish Kumar D. Biothreats - Bacterial warfare agents. J Bioterr Biodef 2011; 2: 3.
9. Cross, Glenn; Klotz, Lynn (3 July 2020). "Twenty-first century perspectives on the Biological Weapon Convention: Continued relevance or toothless paper tiger". *Bulletin of the Atomic Scientists*. 76 (4): 185–191.
10. Danchin A. (2002) Not every truth is good. The dangers of publishing knowledge about potential bioweapons. EMBO Rep., 3, 102–104.
11. Harris S. (1992) Japanese biological warfare research on humans: a case study of microbiology and ethics. Ann. N.Y. Acad. Sci., 666, 21–52.
12. Harris S. Japanese biological warfare research on humans: a case study of microbiology and ethics. Ann N Y Acad Sci. 1992;666:21–52.
13. Henderson, D.A. (1999). The looming threat of bioterrorism, Science 283: 1279 – 1281.
14. Jeffrey K. Smart, History of Biological and Chemical Warfare: An American Perspective, accessed.
15. McDade JE. Global infectious disease: Surveillance and response. Australian Journal of Medical Science 1997; 18: 2-9. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology. July-December 2013, Vol. 7, No. 2 41
16. Miller, J. (1999). In Soviet Dump, Deadly germs live on, International Herald Tribune, Paris, 3 June.
17. Nye, Jr., J.S. and Woolsey, R.J. (1997). Head the nuclear, biological and chemical terrorist threat, International Herald Tribune, Paris, 5 June.
18. Office of Technology Assessment (1993). Proliferation of weapons of mass destruction: assessing the risks, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 50.
19. Purver, R. (1995). Chemical and biological terrorism: the threat according to the open literature, CSIS / SCRS.
20. Scott, S.J. and Shea, J. (1999). Anthrax feared in Afghanistan outbreak, The Americam Reporter, 5, Febru
21. Sitanshu Sekhar Kar, HK Pradhan, B Pattnaik. Bioterrorism: How prepared are we? IndianJournal of Medical Specialities 2012; 3(1): 43-48.
22. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) The Problem of Chemical and Biological Warfare, Vol 4: CB Disarmament Negotiations, 1920–1970. New York: Humanities Press; 1971.
23. United Nations Office for Disarmament Affairs. Archived from the original on 15 February 2021. Retrieved 15 February 2021.

Uses of Solar Energy in the Field of Agriculture

Astha Sharma*

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - Renewable energy and farming are a winning combination. Wind, solar and biomass energy can be harvested forever, providing farmers with a long-term source of income. Renewable energy can be used on the farm to replace other fuels or even sold as a cash crop. It is one of the most promising and important opportunities in the field of agriculture/farming sector. It has been said that "anything that can be generated from a barrel of oil can be generated from biomass. Agriculture plays a vital role in the Indian economy. Over 70 per cent of the rural households depend on agriculture. Agriculture is an important sector of Indian economy as it contributes about 17% to the total GDP and provides employment to around 58% of the population.

Solar energy can be used in agriculture in a number of ways, saving money, increasing self-reliance, and reducing pollution. Solar energy can cut a farm's electricity and heating bills.

India lying in tropical belt has an advantage of receiving peak solar radiation for 300 days, amounting 2300-3,000 hours of sunshine equivalent to above 5,000 trillion kWh, which if utilized wisely could be proven game changer in the agriculture sector.

This paper therefore discusses briefly the various applications of solar energy technologies that can be used in agriculture sector which can help to double the farmers income.

As in the pre independent india the condition of the farmers were very vulnerable and the income from farming does not led to any significant change in the livelihood of the farmers.. Thereafter in the post-independence india there was a huge change in the farmers condition as they were provided with the subsidies, various reforms in the agriculture sector and various land reforms took place but till today we witness, farmers situation no better, still this area requires a huge transformation and government led policies that are more and more beneficial for the farmers in enhancing there living conditions.

The current government's agenda of doubling farmer incomes by raising productivity and cutting down costs, and going for diversification towards high value agriculture, is

potentially a welcome departure in this context and we are guided by this shift. Solar energy is one of the solution for doubling farmers income.

As Renewable energy-such as solar, wind, and biofuels can play a key role in creating a clean, reliable energy future. The benefits are many and varied, including a cleaner environment.

Electricity is often produced by burning fossil fuels such as oil, coal, and natural gas. The combustion of these fuels releases a variety of pollutants into the atmosphere, such as carbon dioxide (CO₂), sulfur dioxide (SO₂), and nitrogen oxide (NO₂), which create acid rain and smog. Carbon dioxide from burning fossil fuels is a significant component of greenhouse gas emissions. These emissions could significantly alter the world's environment and contribute to global warming.

Renewable energy, on the other hand can be a clean energy resource. Using renewables to replace conventional fossil fuels can prevent the release of pollutants into the atmosphere and help combat global warming. For example, using solar energy to supply a million homes with energy would reduce Co₂ emissions by 4.3 million tons per year, the equivalent of removing 850,000 cars from the road. Renewable energy is energy which comes from natural resources such as sunlight, wind, rain, tides, and geothermal heat, which are renewable and natural replenished.

India ranks the second position in terms of population that accounts to 17% of the world's overall population. India is globally ranked 3rd in consumption of energy. In terms of installed capacity and investment in renewable energy and As of September 2021, India had 101.53 GW of renewable energy capacity and represents ~38% of the overall installed power capacity.

As India is expected to be **8% of global solar capacity by 2035**. With the future potential capacity of 363 Gigawatts (GW), India can be a global leader in term of encashing energy sector advantages.

1. India lying in tropical belt has an advantage of receiving peak solar radiation for 300 days, amounting 2300-3,000 hours of sunshine equivalent to above 5,000

trillion kWh.

2. India facing problems in fulfilling its energy demand, solar energy can play an important role in providing energy security.
3. Debate of global warming and climate change is compelling the world to move from fossil based energy towards clean and green energy.
4. With its pollution free nature, virtually inexhaustible supply and global distribution, solar energy is very attractive energy resource.
5. India's commitment as part of **INDC at Paris climate deal** to reduce the emissions intensity of its GDP by **33 to 35% by 2030 from 2005 level**.
6. To achieve about **40 per cent cumulative electric power** installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030, with the help of transfer of technology and low cost international finance, including from Green Climate Fund.
7. The establishment of International Solar Alliance (ISA) of more than 122 countries initiated by India, most of them being sunshine countries, which lie either completely or partly between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn to promote solar energy.
8. To mobilize more than US \$ 1000 billion of investments needed by 2030 for massive deployment of solar energy, and pave the way for future technologies adapted to the needs.

Scenario of Solar Energy in India:

1. **India lying in tropical belt** has an advantage of receiving peak solar radiation for **300 days**, amounting **2300-3,000 hours** of sunshine equivalent to above **5,000 trillion kWh**.
2. **Solar power in India is a fast developing industry as part of the renewable energy in India.**
3. India has established nearly **42 solar parks** to make land available to the promoters of solar plants.
4. The sector also has immense **potential to create new jobs**; 1 GW of Solar manufacturing facility generates approximately 4000 direct and indirect jobs.
5. In addition solar deployment, operation and maintenance creates additional recurring jobs in the sector.
6. Advancements are underway for storage, which has the potential to revolutionise this sector globally, till then **dependence on fossils can be reduced** by gradually increasing the share of renewables.
7. India facing problems in fulfilling its energy demand, **solar energy can play an important role in providing energy security.**
8. Debate of global warming and climate change is compelling the world to move from fossil based energy towards clean and green energy.
9. With its pollution free nature, virtually inexhaustible supply and global distribution, **solar energy is very attractive energy resource.**

Need of solar energy:

1. India energy demands is largely fulfilled by non-renewable source of energy.
2. The scarcity of these fossil resources stresses the need for renewable energy sources.
3. Abundance of solar energy can fulfill India clean energy demands.
4. India is dependent on imports to fulfill its energy demands, thereby incurring huge expenditure and uncertainty with regards to energy security.
5. India being a developing economy needs proper electricity for industrial growth and agriculture.
6. India also needs self sufficiency and minimal cost in power generation, assured regular supply, which will boost industries and economy.
7. The problem of power cuts and unavailability of electricity especially in rural area, leads to improper human development.
8. Mostly energy demands are fulfilled by subsidized kerosene, leading to loss for exchequer.
9. India's large part of energy demand is fulfilled by thermal energy largely dependent on fossil fuels.
10. It also causes environment pollution.
11. Solar energy is clean form of energy resource, which can be a substitute.

AGRICULTURAL APPLICATIONS OF SOLAR ENERGY AND DOUBLING FARMERS INCOME Solar energy can supply and or supplement many farm energy requirements. The technology through which solar energy is converted into electric energy:

- **Solar Photovoltaic:** Solar photovoltaic (SPV) cells convert solar radiation (sunlight) into electricity. A solar cell is a semi-conducting device made of silicon and/or other materials, which, when exposed to sunlight, generates electricity.
- **Solar thermal:** Solar Thermal Power systems, also known as Concentrating Solar Power systems, use concentrated solar radiation as a high temperature energy source to produce electricity using thermal route.

Significance of solar energy as a power generating unit:

1. Solar Energy is available throughout the day which is the peak load demand time.
2. Solar energy conversion equipments have longer life and need lesser maintenance and hence provide higher energy infrastructure security.
3. Low running costs & grid tie-up capital returns (**Net Metering**).
4. Unlike conventional thermal power generation from coal, they do not cause pollution and generate clean power.
5. Abundance of free solar energy in almost all parts of country.
6. No overhead wires- no transmission loss

Challenges :

1. India's solar story is largely built over **imported**

products.

2. India's **domestic content requirement** clause is facing legal challenge at WTO.
3. India is facing challenge to balance **Prioritising domestic goals and WTO commitments**.
4. The **dumping** of products is leading to profit erosion of local manufacturers.
5. Indian domestic manufacturers aren't technically and economically strong to compete with Chinese companies.
6. China's strong manufacturing base is giving stiff challenge to domestic manufacturer.
7. **Land availability** in India for solar plant is less due to high population density.
8. India's **solar waste** is estimated to be around 1.8 million by 2050 also needs to be tackled.

Harnessing Solar Energy With Agriculture- India faces the challenge of overcoming its energy crisis and increasing its economic growth while being environmentally responsible. In pursuit of renewable energy generation, India has launched the **International Solar Alliance** and set a target of producing **100 GW of solar power**. Government has launched **Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan** (KUSUM) scheme to harness the solar energy.

KUSUM scheme seeks to replace all diesel pump-sets with solar pumps and the excess power generated through solar panels will be purchased by state governments at a price that gives the farmer a good profit.

Another solution for doubling the income of farmers is Encouraging farmers to grow "**Solar Trees**" on their lands, can provide with the twin benefits:

Solar Trees at a height of about 10-12 feet will provide enough sunlight to plants below. It does not impact their productivity as there is ample sunlight coming from the sides for photosynthesis. Thereby the farmer can keep growing two irrigated crops.

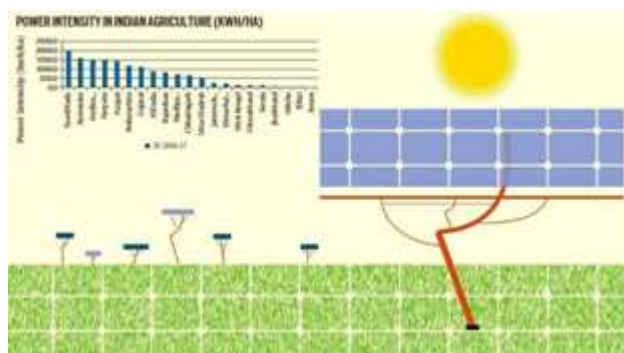
And the solar tree generates a lot of excess power that can be purchased by the state government. Therefore there can be increased income augmentation. In one acre land, 500 Solar Trees can be planted. Solar Trees are being deployed in many countries from Japan to China to Germany.

The Solar Tree is much like that of a real tree, where

solar panels (act like leaves) connected through metal branches using sunlight to make energy. Solar trees need nearly 100 times less space to produce the same amount of electricity as a horizontal solar plant.

For eg:

Central Mechanical Engineering Research Institute (CMERI), in West Bengal's Durgapur, has designed and developed, a solar tree that takes up only four square feet of space and produces about three kilowatts of power.



Conclusion: As the present scenario is dynamic and it is the right time when we change ourselves according to the need of change of time.

As we are heading towards new world its which has new challenge, its obvious we should take new solution to our problems, and solar is one such solution for the energy demand that we need.

Farmers can double their income by installing solar energy system and generating electricity and also supplying surplus energy to through grid in order to generate more income.

References:-

1. Pib.gov.in
2. Book: Utility scale of solar power plant guide for developers and investors
3. The hindu (Newspaper and website)
4. Indian express (Newspaper and website)
5. www.ceew.in/ feasibility assessment of agriculture solar micro grids delhi case study
6. Ministry of New And Renewable Resources
7. Mp.gov.in
8. Rums.mp.gov.in

Importance of Environmental Awareness for the Youth in India

Dr. Seema Sharma*

*Professor (English) Govt. Sanskrit College, Ujjain (M.P.) INDIA

Introduction - Today environmental problems and their solutions are not only important for any one country but for the whole world. The main responsibility is on the young generation. Therefore the youth in our country has to play an important role in solving the problems related to the environment.

It is said that family is the first school for every person where he learns how to deal with problems in life. To respect our surroundings, and to do something, to protect our atmosphere, to keep it pure, we learn these things from our family. If our parents love our environment and try to serve it for the next generation, it is natural that a child learns these samskars or moral values from our family.

Moral values or moral education have become necessary in everyone's life, as we notably live for ourselves, but we have other species also, living on our planet.

Our ancient literature including the Vedas are full of environmental awareness.

It is said, भूमि माता, पुत्रोऽहं पृथिव्याः

This means that the land is our mother and nature is the mother and we all are children. We must take care of our mother.

With the progress of society we have made progress in the field of science and technology but we have created a distance with our mother "Nature". We do not care for the preservation of nature. As Wordsworth, the great Romantic poet has said about the reality :-

"One impulse from a vernal wood
May teach you more of a man
Of moral evil and good,
Than all the sages can".¹

Nature has given us so many beautiful things but we do not have time to appreciate them. We think that the progress we have made is sufficient but the reality is that we have left so little for the next generation. We have cut the trees, we have made our environment polluted, no pure air to breathe, no pure water to drink, no pure vegetables to eat. We have given so many diseases such as respiratory diseases, diseases related to stomach infection, cancer and disease related to eyes, ear and throat. We have created

an insecure atmosphere in which they cannot enjoy natural life, the children, who are the future of our next generation have to struggle a lot to be aware of such diseases, children at school level are suffering from many such diseases.

The need for moral education : The life which we have made complicated for the next generation needs some changes in our basic system. The first one is to provide moral education to our students. They are the future of our nation and our society. Whatever they learn from their family and society, they give it back to the society. The first thing that they learn from family is to love every human being. If they love every one on the earth, they will try to save the planet, not only for human beings but for other species too.

The first motto of moral education is to

(1) To save the planet - With the increase in population, the world is undergoing changes. Large amount of population needs large amount of resources, the resources are of two types :

(I) Renewable (II) Non renewable resources.

Renewable sources like air, water, solar energy are the resources which can be renewed but the non renewable resources are the resources which are not made by human beings. If we use them too much they will be extinguished like petrol, we must try to save them.

The over use of every resource results in the loss of such resources and it results in the extinction of species living in our planet. For example the cutting of forests results in the extinction of lion and other wild animals, which depend upon the forests.

Moral education gives our children guidance to keep balance in nature and follow the policy of "live and let others live".

II Cleanliness : The awareness for hygiene. In our ancient culture, we have same rules to follow in our homes. We pay a lot of attention on the cleanliness of our atmosphere like not to touch the drinking water earthen pots with dirty hands. We have to clean our hands before eating. We have to keep our kitchen clean by preparing food after taking bath. There are the common rules followed in every family like not to use shoes in the kitchen. There

are our 'sanskars' or our moral values.

III Importance of trees and rivers in our life : Trees and rivers are worshipped in our society. We live in a country where plantation has a deep value in our life. Some plants and trees are our gods. Rivers are also considered holy as the Ganga, the Yamuna, the Shipra.

"The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep".

The lines above are in our blood since our childhood.

The importance of Tulsi in every Indian home is well known. Since ancient times Tulsi has been worshipped daily. It attained a religious custom forever to worship Tulsi and to nourish it in every home, like a family member. Tulsi is very important for our environment. It gives fresh air controls VAT, PITTA AND COUGH in our body. [Vastukala aur Bhavan Nirman page no.190]²

It was because of these reasons that such plants and trees were placed at high position. Till now, Banyan Peepal, Neem, Ashok are protected and nurtured in our country.

This reflects the importance of Vastu and its scientific authenticity. The trees around us not only filter the air around us but provide shelter to birds and animals. As it is said in the Vasturatnakar about what is Shubh about the trees and about the directions in which the tree is to be planted.

'द्राक्षापुष्पकमंडपं च तिलकान्कृष्णां वपेदाडिर्मी
सौम्यादेः शुभदः कपित्थ कवटावौ दुम्बराश्च वत्थकौ'

[shloka42, Grihopakaranam page no.69]³

This means that plantation of trees like Shami, Bel, Ashok, Bakul, Champa, Draksha (angur), Chandan are considered shubh (lucky).

In the North direction Kaith, in the East Vat (banyan), in the South Gular and in the West Peepal's plantation is considered good.

The plantation of trees can be done according to Rashis

Rashi	Tree
Mesh (Aris)	Khadir
Vrish	Gular
Mithun	Apamarg
Karka	Palash
Simha	Aak
Kanya	Durva
Tula	Gular
Vrischik	Khadir
Dhanu	Peepal
Makar	Shami

Kumbh Shami
Meen Kush

This shows the plantations of trees if done according to the Rashi (the sign of Zodiac) is more favourable for a persons future. ⁴

Trees Suitable For Homes : According to shastras Bel, Anar, Nagkeser and Nariyal are lucky for the homes. The plants, which are full of fragrance are good near the houses.

Varahamihir, who is a world known scholar, (the great Jyotishi and the great astrologist), explained about the different types of trees in the Granth Vrihatsanhita. He has mentioned about 136 types of trees. He describes the ways of watering the trees, the ways of getting wealth by implanting of trees, how to keep the trees healthy, this shows that his knowledge about the trees was, memorable. [Vrihatsanhita, chapter, Dakargladhyaya, Vrishayurvedad hyaya]⁵

At the end we can say that the Vastushastra is attracting the young generation as it has a lot to give to the worshippers of environment and nature. We can save our Earth by saving trees.

As it is said

नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः।
शुष्ककाष्ठं च मूर्खं च न नमन्ति कदाचन।⁶

From such moral values we can create a new world where environment plays an important role. From early childhood children can be inculcated with such values so that they can live in pure atmosphere.

References:-

- 1 William wordsworth "The tables turned", Tyrical Ballads.
- 2 वास्तुकला और भवन निर्माण डॉ. उमेशपुरी ज्ञानेश्वर रणधीर प्रकाशन हरिद्वीप, पेज न. 190
- 3 वास्तुरकार: by Dr. Vindhyeshwari Prasad Dwvedi, Choukhamba Sanstent series officer Varanasi, P.No.69
- 4 Future Samachar (Periodical future point limited Delhi (Vastu evam vrisksharvpam atale by pandit Sharad Tikali) P.No.48, 49.
- 5 Paryavaran Vastu by Dr. Bhojraj Dwevech Diamond pocket Books (ud) p.no.70
- 6 Ibid. p.no.3
- 7 Indian writing in English KR Srinivasa Iyengar sterling publishers private limited 1996, p.no.360.
- 8 Malgadi Landsapes penguin books 1992, P.No.52 (The English Teacher).

Antibacterial Activity of Medicinal Plant Chirchira (*Achyranthes aspera* Linn.)

Supriya Chouhan* Dr. Anil Kumar Gharia**

*Asst. Prof., Deptt. Of Chemistry, SBN Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

** Deptt. Of Chemistry, P.M.B .Gujarati Science College, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - We know about number of listed and non listed, (folk) information regarding the antimicrobial activity of herbs, shrubs, plants, parts of trees and plants like their leaves, Flower, root and woods to retain effective natural products, as bark of *azadiracta indica* is used to cure wounds and cuts on skin in a case of normal injuries. It is clear from the old time that our ancestors were aware about the different plants species which were in use from the very beginning to cure different health issues. But the drawback of this information is that a systematic literature is not available. Therefore now scientists are working to setup their finding in the development of suitable remedial molecules of different diseases and disorder in human being.

Keywords- antimalarial, antileprotic, cardiogenic, antibacterial, anti-inflammatory, hepatoprotective.

Introduction - *Achyranthes Aspera*: *Achyranthes aspera* Linn. is important medicinal plant which is as an antiarthritic, diuretic, antimalarial, antileprotic, cardiogenic, antibacterial and antiviral agent¹⁻⁴. WHO more than 80% of the world population relies on traditional herbal medicine for their health care⁵. World Health Organization has made an attempt to identify all medicinal plants used globally and listed more than 20,000 species⁶. *Achyranthes aspera* Linn. is an important medicinal herb found as a weed throughout India. It is known by different names such as *apamarga*, *latjeera* and *rough chaff tree*. It is an erect or procumbent annual or perennial herb, 1 to 2 meters in height, often with a broody base commonly found as a weed of roadsides^{7,8,9}. The whole plant of *Achyranthes aspera* is traditionally used in the treatment of skin problems asthma, rheumatism and gastric disorders¹⁰⁻¹¹. The alcoholic extract of the plant is reported to have hepatoprotective properties¹². plant synthesizes a variety of chemical compounds performing defense mechanism.

Determination of antibacterial activity of Chirchira (*Achyranthes aspera* Linn.) plant:- *Achyranthes aspera* Linn. is one of the most important herbs used in the herbal medicine and Ayurveda in India. In English *Achyranthes aspera* Linn is also known as Prickly chaff flower and *Chirchita*, *Latjeera* or *Apamarga* in local language. It is a very important plant for its large number of medicinal properties. The users have declared this plant as a house of medicinal treasure and stated its beneficial role in case of cough, cold, asthma, in labour pain, bleeding, snake bite and skin diseases. The plant widely used in anti-inflammatory, antifungal, hepatoprotective, antitussive and

also used in healing and antibacterial properties. Plant are very rich in availability of secondary metabolites, such as Terpenoid, Tannins, Alkaloids, Flavonoids and Saponins.

Material and methods :-

(i) Plant Material: *Achyranthes aspera* was collected in the month of August from the college campus, Barwani. After collection the leaves were picked and it was air dried under shade and grounded to obtain uniform powder using mixer and grinder.

(ii) Preparation of plant extract : The freshly cut plants were sorted out as stem and leaf and flower and dried under shade in the room with active ventilation at ambient temperature and pulverized into powder form using mechanical grinder later on homogenized using mesh size of 40. The powders (2 kg) were separately percolated using solvents like Chloroform, Ethyl acetate and Ethanol. The obtained miscella was then concentrated using a vacuum rotary vapor under reduced pressure. The dark brownish semisolid extract was preserved in tightly closed container and used for analysis.

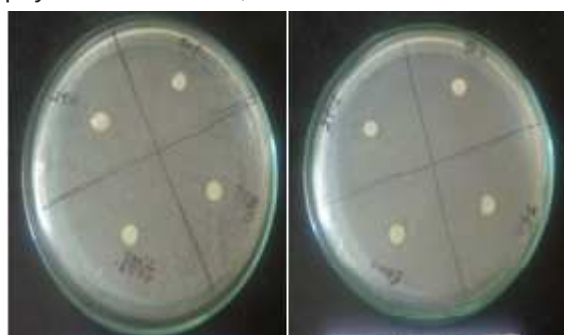
(iii) Antibacterial assay : Antibacterial assay procedure involve the Agar well diffusion method, in which 25 ml of nutrient Agar medium was poured on petri plates and left for allowing it to solidify. Now *E-coli* ATCC 2065, *Pseudomonas aeruginosa* MTCC 741, *Streptococcus aureus* MTCC 3160, *Bacillus subtilis* ATCC was poured uniformly. This was allowed to dry for 5-10 minutes and excess inoculum was drained away. Diameter of well agar in this is 5 mm. A sterilized cork borer is used to prepare such well of required diameter. Each well were filled with 5ml, 10 ml, 15ml and 20 ml plant extract using standard

micropipette . The standard antibiotic disc used was Levofloxacin for *E-coli* , *Pseudomonas aeruginosa* and streptomycin for *Streptococcus aureus* , and *Bacillus subtilis*.

Table :- Antibacterial activity of *Achyranthes aspera* leaf extract

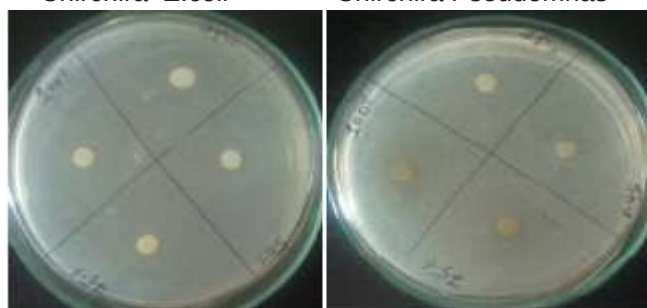
Conc.extract (mg/ml)	Zone of inhibition (mm)			
	Ec	Pa	Sa	Bs
25%	13	14	11	10
50%	12	10	16	12
75%	14	11	10	11
100%	11	11	12	13

Ec = *E.coli* , Pa = *Pseudomonas aeruginosa* , Sa = *Staphylococcus aureus* , Bs *Bacillus subtilis*



Chirchira *E.coli*

Chirchira *Pseudomonas*



Chirchira *S. aureus*

Chirchira *Subtilis*

Fig :- Plates showing Zone of inhibition of Chichira plant extract.

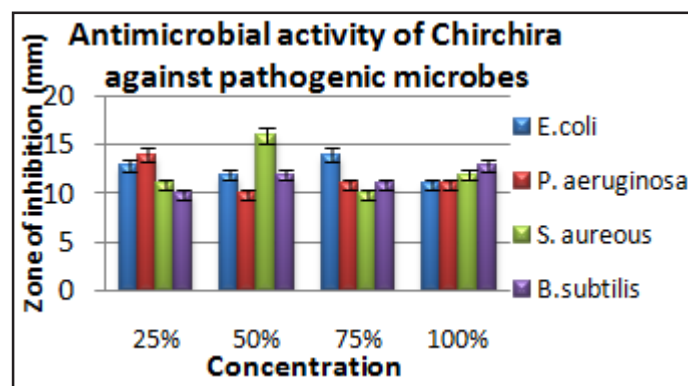


Fig No :- Graph showing antibacterial activity of Chirchira leaves extract

Result and discussion- The zone of inhibition obtained

on applying extracts prepared with *Achyranthes aspera* is listed in the table no. 16 Ethanol extract showsd maximum antibacterial activity against *Escherechia coli* followed by *Pseudomonas aeruginosa*. Looking to the concentration range *Pseudomonas aeruginosa* shows maximum zone of inhibition with the 25% extracts while *Escherechia coli* with 75%. In range of 50% and 100% extracts maximum zone of inhibition we got with *Streptococcus aureus* and *Bacillus subtilis*. Also least zone of *B.subtilis*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, and both *P. aeruginosa* and *E. coli* in the concentration range of 25%, 50%, 75% and 100% respectively.

All extracts in all rages of concentration are active enough to cause zone of given in above table in mm unit. The pattern of zone of inhibition depends upon the extraction process and extraction solvents used¹³ . It is also reported in available literature that the solvent polarity affects the zone of inhibition¹⁴. Several investigators have reported that the ethanolic extracts of leaves of *Achyranthes aspera* has significant antimicrobial activity against the gram positive and gram negative bacterial and fungal species¹⁵ .

References :-

1. Meredith, S. K., V. M. Taylor and J. C. Mc Donald , 1991. Occupational respiratory disease in the united kingdom in 1989. A report to the British Thoracic society and the society of occupational Medicine by the SWORD project group . Br,I Ind. Med., 48: 292-298.
2. Contreras,G.,R. Rousseau and M. chanyeung. 1994 . short report: Occupatinal respiratory diseases in British columbiaoccup Environ . Med., 51: 710-712.
3. Blanc, P., 1987. Occupational asthma in a national disability survery. Chest 92: 613-617.
4. Ojha, D. and G. Singh, 1968. Apamarga (*Achyranthes aspera*) in the treatment of leprosy. Lep. Rev., 39 : 23-30.
5. A .Vijayan, V . B , Liju , J .v. John, Reena, B. Parthipan and C. Renuka . 2007. Indian Journal of Traditional Knowledge. 6 : (4) , 589- 594.
6. S. Srivastav , P. Singh. G. Mishra, K.K. Jha and R. L. Khosa , J. Nat . Prod . Plant Resour., 2011.1 (1) , 1-14.
7. Jitendra B. Jain , Sheetal C. Kumane , S. Bhattacharya. 2006. flora of Madhya Pradesh and Chattisgarh -A Review Indian Journal of Traditional knowledge, 5 (2). 237-242.
8. Anonymous. The wealth of Scientific & Industrial Research, New Delhi. 2005. 55-57.
9. R. Zafar. 2009. medicinal plants of Indian . CBS Publishers & distributors, 1-15.
10. Khare , CP. 2007 Indian Medicinal plants. Springer, 11-13.
11. Nadkarni KM, 2009.Indian material Medica Bombay popular prakashan. Vol I: 21.
12. Khanna , A. K., R. Chander, C. Singh , A.K. Srivastava and N.K. Kapoor , (1992).Hypolipidemic activity of

- Achyranthes aspera Linn. in normal and triton induced hyperlipidemic rats. Ind. Exp. Bol., 30: 128-130.
13. Murugan M. Mohan V. R and Tharmodharan V. Phytochemical screening and antibacterial activity of *Gymnema sylvestre* (Retz) R. Br ex. Schltes and *Morinda pubescens* J.E. Smith var. *pubescens*. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, (2012); 1(1)- 121-124.
 14. Goyal P, Khanna A, Chauhan A, Chauhan G and Kaushik P (2008). In vitro evaluation of crude extracts of *Catharanthus roseus* for potential antibacterial activity. *Int J Green Pharm* 2: 176-81.
 15. M.T. Alam, M.M. Karim, and Shakila N. Khan. Antibacterial activity of Different Organic Extracts of *Achyranthes Aspera* and *Cassia Alata*, (2009) *J.Sci. Res.* 1 (2) 393-398 .

राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन योजना - संभावनाएं और चुनौतियां

डॉ. योगेश खण्डेलवाल*

* सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) शा. कुसुम महाविद्यालय, सिवनी, मालवा जिला - नर्मदापुरम (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - भारत ने अपने विकास के लिये आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया है। आर्थिक नियोजन में वित्त की उपलब्धता एक अनिवार्य घटक है। वित्त की निर्बाध आपूर्ति और उपलब्ध संसाधनों का समुचित विदोहन किसी भी राष्ट्र को विकासशील देशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में स्थान दिला सकता है। भारत सरकार द्वारा अपने उद्योगों के विकास हेतु वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कई प्रभावशाली कदम उठाए गये हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन योजना के रूप में एक नवाचार किया है, जिसके संभावित सकारात्मक परिणाम भारत को प्रगति पथ पर एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। यह योजना भारत की आर्थिक निवेश नीति का एक रणनीतिक स्वरूप है, जिसके अनुसार सरकार केवल कुछ ही विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी तथा शेष क्षेत्रों को निजी निवेशकों के लिये उपलब्ध करा सकेगी।

शब्द कुंजी - राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन योजना - अवधारणा, संभावनाएं और चुनौतियां।

प्रस्तावना - भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइप लाइन योजना, केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों की मुद्राकरण पाइप लाइन है। राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन, नीति आयोग द्वारा अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित की गई है, जो कि केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्राकरण से जुड़े अध्यादेश पर आधारित है। राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की 4 वित्तीय वर्ष की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के माध्यम से 6 लाख करोड़ की कुल मुद्राकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मुद्राकरण के माध्यम से अवसंरचना निर्माण को संभव बनाना है, जिससे क्षमता के लिहाज से अपने-अपने क्षेत्रों के उत्कृष्ट सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सहयोग से देश के सामाजिक आर्थिक विकास को संभव बनाया जा सके और देश के नागरिकों की जीवनशैली और गुणवत्ता में सुधार हो।

अध्ययन की आवश्यकता - किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी संभव और सफल हो सकता है, जब देश के विकास में योगदान देने वाले सभी क्षेत्र अपने उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करें। प्रस्तुत अध्ययन देश के आर्थिक विकास के लिये वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली विभिन्न संभावनाओं के विश्लेषण और इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइप लाइन योजना के प्रमुख कारकों पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता इसलिये भी प्रतीत होती है कि ऐसे कौन से कारक हैं, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण क्षेत्र अपनी परिसंपत्तियों का भरपूर विदोहन नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जिनकी परिसंपत्तियों का मुद्राकरण किया जाकर देश के आर्थिक ढांचे की बुनियाद सुदृढ़ की जा सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य - तेजी से विकसित होते भारत देश के लिए वित्त एक अत्यावश्यक तत्व है। वित्त की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जिसमें से एक है- सरकारी संस्थानों की

संपत्तियों का मुद्राकरण। भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइप लाइन योजना की गहन विवेचना करना तथा इसके लाभ तथा चुनौतियों की विवेचना करना इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

मुद्राकरण का आशय - किसी परिसंपत्ति को वैध मुद्रा में बदलना मुद्राकरण कहलाता है। मुद्राकरण व्यवहार में सरकार एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित धनराशि तथा संपत्ति में विनियोग के बदले किसी संपत्ति से आय प्राप्ति का अधिकार निजी संस्था को हस्तांतरित कर देती है। इस विधि के अतिरिक्त मुद्राकरण के अन्य मॉडल भी हैं, जो देश में अत्यधिक लोकप्रिय हो चुके हैं, जैसे - PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप), OMT (ओपरेट मेन्टेन ट्रान्सफर), TOT (टोल ओपरेट ट्रान्सफर), OMD (ओप्रेशनस मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट) आदि। OMT (ओपरेट मेन्टेन ट्रान्सफर) तथा TOT (टोल ओपरेट ट्रान्सफर) मॉडल का प्रयोग हाइवे प्रोजेक्ट में तथा OMD (ओप्रेशनस मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट) मॉडल का एअरपोर्ट प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसी तरह से PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के अंतर्गत भारत में कई बिजली परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं।

परिसंपत्तियों के मुद्राकरण के लिए प्रमुख क्षेत्र : मुद्राकरण योजना के अंतर्गत संपत्तियों के मुद्राकरण के लिए निम्न तीन प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं -

1. **जोखिम रहित और ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां** : इस योजना में उन जोखिम रहित और ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है जिनसे राजस्व अधिकारों पर निर्भर आय के स्थाई स्रोत हैं। परिसंपत्तियों का प्राथमिक स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा तथा इसके कारोबार अवधि के समापन पर परिसंपत्तियों को सार्वजनिक प्राधिकरण को वापस मिल जायेगी।

2. **मुद्राकरण हेतु संपत्तियों का अनुमानित मूल्य** : वित्त वर्ष 2021-25 के दौरान 4 वर्ष की अवधि में एनएमपी के अंतर्गत कुल संपत्ति का अनुमानित मूल्य 6 लाख करोड़ है। यह अनुमानित मूल्य केंद्र सरकार द्वारा एनएमपी के अंतर्गत प्रस्तावित 43 लाख करोड़ का 14 प्रतिशत है।

3. मुद्रीकरण से संबंधित मंत्रालय : मुद्रीकरण योजना में 12 से अधिक मंत्रालयों की 22 से अधिक सम्पत्ति श्रेणियां शामिल है। जिसमें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, वेयरहाउसिंग, गैस पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और परेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, हॉस्पिटैलिटी और आवास शामिल हैं।

मुद्रीकरण योजना में संबंधित मंत्रालयों की हिस्सेदारी : मुद्रीकरण योजना में अनुमानित मूल्य के आधार पर कुल पाइपलाइन मूल्य में 83 प्रतिशत हिस्सेदारी केवल शीर्ष पांच क्षेत्रों की है। इन पांच शीर्ष क्षेत्रों की हिस्सेदारी तथा उनकी परिसम्पत्तियां निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं -

तालिका - 1: मुद्रीकरण से संबंधित मंत्रालयों की हिस्सेदारी

क्र.	क्षेत्र	परिसम्पत्तियां	हिस्सेदारी
1.	सड़क	26,700 कि.मी.	27 प्रतिशत
2.	रेलवे	2,8608 कि.मी. रेल लाइन तथा 15 रेलवे स्टेशन	25 प्रतिशत
3.	बिजली	6 GW	15 प्रतिशत
4.	तेल एवं गैस पाइप लाइन	8,154 कि.मी. नेचुरल गैस पाइपलाइन तथा 3,930 कि.मी. पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन	08 प्रतिशत
5.	दूरसंचार	2.86 लाख कि.मी. फाइबर लाइन और 14,917 टावर	06 प्रतिशत

स्रोत: www.India.gov.in राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन (एनएमपी वॉल्यूम 1 तथा 2), वर्ष 2021

क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था - इस योजना के अंतर्गत समग्र रणनीति के रूप में संपत्ति आधार का बड़ा हिस्सा सरकार के पास रहेगा। सम्पत्ति मुद्रीकरण को कुशलता के साथ और प्रभावी प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित करने के क्रम में सरकार द्वारा आवश्यक नीति और नियम के हस्तक्षेप के माध्यम से इस कार्यक्रम को समर्थन दिया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत कार्यक्रम संचालन के तौर तरीके को व्यवस्थित करना, निवेशक भागीदारी को प्रोत्साहन देना और व्यवसाय क्षमता को सुगम बनाना आदि शामिल हैं।

भारत में मुद्रीकरण परियोजना : संभावनाएं - केन्द्र सरकार परिसम्पत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे को बेहतर गुणवत्ता, संचालन और रखरखाव के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र और निजी निवेशक, दोनों के लिए मूल्यवर्धन करने वाला एक साधन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना का उद्देश्य सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढांचे के माध्यम से आम नागरिकों को समावेशित और सशक्तिकरण के व्यापक और दीर्घकालीन सपने को पूरा करना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार मुद्रीकरण पाइप लाइन परियोजना के अंतर्गत किसी भी संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। यह परियोजना ब्राउनफील्ड परियोजनाओं के बारे में है। यह उन संपत्तियों के सम्बंध में है, जहां निवेश पहले ही किया जा चुका है। एक ऐसी पूर्ण संपत्ति जो या तो बेकार है या यह पूरी तरह से मुद्रीकृत नहीं है या जिनका उपयोग कम हुआ है, उन संपत्तियों में निजी भागीदारी लाकर हम इसे बेहतर तरीके से मुद्रीकृत करने में सक्षम होंगे और बुनियादी ढांचे के निर्माण में और

निवेश सुनिश्चित करेंगे।

परियोजना के अंतर्गत मूल्य के आधार पर वार्षिक चरण में 0.88 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य वाली 15 प्रतिशत संपत्तियों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में लागू करने की परिकल्पना की गई है। एनएमपी के अंतर्गत चयनित संपत्तियां और लेन-देन कई साधनों के माध्यम से कार्यान्वित होने का अनुमान है तथा इनमें सार्वजनिक - निजी भागीदारी, छूट जैसे प्रत्यक्ष अनुबंधित साधन और अवसंरचना, निवेश ट्रस्ट जैसे पूंजी बाजार साधन आदि शामिल हैं। साधन का चयन सेक्टर संपत्ति की प्रकृति, लेनदेन के समय बाजार स्थितियां, लक्षित निवेशक विवरण और परिपालन के स्तर, संपत्ति के स्वामी द्वारा रखे जाने वाले निवेश नियंत्रण आदि के द्वारा तय किये जाने का प्रावधान है।

चुनौतियाँ - इस परियोजना के क्रियान्वयन में परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के मार्ग में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियाँ जो कि परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को प्रभावित कर सकती हैं तथा परियोजना के क्रियान्वयन में बाधक हो सकती हैं, निम्न हैं -

1. संपत्तियों से संभावित प्राप्य राजस्व के सही आंकलन की अनुपलब्धता।
2. संपत्तियों की क्षमताओं के सही आंकलन की अनुपलब्धता।
3. विवाद निवारण तंत्र की अनुपलब्धता।
4. प्रमुख हाइ-वे के अतिरिक्त अन्य हाइ-वे के प्रति विनियोगकर्ताओं की अरुचि।
5. निजीकरण की धीमी रफ्तार।

समाधान - भारत सरकार द्वारा एनएमपी ढांचे में कई चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। परिसंपत्तियों से संभावित प्राप्य राजस्व के सही आंकलन हेतु पृथक से बोर्ड बनाने हेतु प्रावधान किया गया है। विवादों के निवारण हेतु विवाद निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त सभी हितधारकों से उनकी उचित भूमिका निभाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस परियोजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में संभावित समस्याओं का समाधान होने पर परियोजना से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष - भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी सफलता या असफलता भविष्य के गर्भ में समाहित है। इस योजना के अध्ययन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि परिसम्पत्तियों का मुद्रीकरण संपत्तियों के विनिवेश से बेहतर विकल्प है। इस योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की सुसंप्रदाय संपत्तियों का मुद्रीकरण करके आय अर्जित की जा सकती है तथा उस आय को देश की कई योजनाएं- परियोजनाओं में निवेशित किया जा सकता है। इस योजना की सफलता के लिये यह परम आवश्यक है कि सभी हितधारक अपनी अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन (एनएमपी वॉल्यूम 1 तथा 2), वर्ष 2021।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था दत्ता गौरव एवं महाजन अश्विन एस.चन्द्र एंड कंपनी नई दिल्ली।
3. टाइम्स ऑफ इण्डिया नई दिल्ली।

मध्यप्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा का मूल्यांकन एवं प्रभाव

डॉ. जया कैथवास*

* सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) शा. कुसुम महाविद्यालय, सिवनी-मालवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का अहम योगदान होता है। स्वतंत्रता के पश्चात् से ही भारत की शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत प्रारंभ से ही क्रियाशील रहा है। शिक्षा राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। समाज और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। समाज के लोगों में नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। जब मनुष्य में मन, कर्म और वचन से संस्कृति की रक्षा के भाव जागृत होते हैं, तब ही समाज और राष्ट्र का चहुंमुखी विकास हो पाता है, इसीलिये शिक्षा को मानव समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का कारक माना जाता है। अतः राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी हो जाता है।

महात्मा गांधी ने कहा है कि 'महिला समाज का एक अभिन्न अंग है। जब मनुष्य शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, किन्तु यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।' यदि हम अपने राष्ट्र को उँचा उठाना चाहते हैं तो हमें बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता हेतु प्रयास करना चाहिये। महात्मा गांधी के उपरोक्त कथन में राष्ट्र के विकास के लिये महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। यह सर्वमान्य तथ्य भी है कि महिला शिक्षा के प्रयासों में महिला के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास सहित सर्वांगीण विकास समाहित है। सरकार की योजनाओं को सफल तभी माना जा सकता है जब इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हों।

यदि भारत में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करें, तो हम पाते हैं कि वैदिक काल में बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाते थे। वहीं मध्यकाल में बालिका शिक्षा का मूल्यांकन करें, तो हम पाते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, जबकि वर्तमान काल में महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। आज बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा ग्रहण करने का समान अधिकार है।

अध्ययन की आवश्यकता – यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि एक बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य की स्थिति का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि मध्यप्रदेश में महिला साक्षरता की दर 59.20 प्रतिशत है। यह दर राष्ट्रीय औसत महिला साक्षरता दर 65.5 प्रतिशत से कम है। सरकारी प्रतिवेदनों के अनुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत महिलाएं निरक्षर हैं,

जिन्हें साक्षर बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सघन प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में बालिका शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो वर्तमान में बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करती हैं। इन योजनाओं में गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, लाइली लक्ष्मी योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, शासकीय विद्यालयों में गणवेश वितरण, मध्याह्न भोजन योजना, सर्वशिक्षा अभियान आदि प्रमुख हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं के संचालन के पश्चात् भी हम पाते हैं कि बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति में प्रचुर मात्रा में असमानताएं विद्यमान हैं। मध्यप्रदेश के कई जिले अभी ऐसे हैं, जिनमें बालिकाओं की शैक्षणिक स्थिति बालकों की तुलना में अत्यंत ही पिछड़ी हुई स्थिति में है। इसके अतिरिक्त उन जिलों में जहाँ बालिका शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ है, वहाँ कौन से ऐसे कारक हैं, जिनके कारण लिंगानुपात में अधिक अंतर नहीं है। प्रस्तुत शोधपत्र में मध्यप्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली सरकार की योजनाओं का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य – प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य मध्यप्रदेश सरकार की बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं का विश्लेषण करते हुए प्रदेश की बालिकाओं के इस संदर्भ में सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास का मूल्यांकन करना है। प्रस्तुत शोधपत्र के अध्ययन के उद्देश्य निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समाहित हैं –

1. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख योजनाओं का विश्लेषण करना।
2. मध्यप्रदेश में बालिका शिक्षा की स्थिति एवं स्तर का मूल्यांकन करना।

शब्द कुंजी – बालिका शिक्षा, मध्यप्रदेश सरकार की योजनाएं, मध्यप्रदेश में बालिकाओं का सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 – प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया है, जो 1 अप्रैल 2010 से मध्यप्रदेश में प्रभावशील है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र के माध्यम से निम्न दो योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है –

- (अ) सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम
- (ब) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

(अ) सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम – प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु सर्वशिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश की बसाहट के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 06 से 11 वर्ष आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर 01 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक शाला तथा 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 03 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक शाला की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य 06 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को शाला में नामांकन कराना, शाला त्यागी दर कम करना तथा बालक-बालिकाओं के बीच भेदभाव को समाप्त करते हुए सामाजिक असमानताओं को इस स्तर पर समाप्त करना है।

(ब) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की छोटी-छोटी बसाहटों में रहने वाली बालिकाओं की माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने के लिये प्रदेश में 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों से प्रतिवर्ष लगभग 28800 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।

प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये 324 बालिका छात्रावास भी स्थापित किये गये हैं जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 23 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं।

उपर्युक्त योजनाओं को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिये निम्न योजनाओं का समावेश भी मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है –

1. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं गणवेश वितरण योजना – प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों, पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त बालक एवं बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं गणवेश वितरित किया जाता है। गणवेश वितरण हेतु प्रति बच्चा दो गणवेश हेतु 400 रुपये का चैक प्रदान किया जाता है।

2. निःशुल्क सायकल वितरण योजना – प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु पांचवी कक्षा उत्तीर्ण करके छठवीं कक्षा में अध्ययन करने हेतु दूसरे ग्राम में जाने वाले बालक एवं बालिकाओं के लिये निःशुल्क सायकल वितरण की योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2300 रुपये प्रति सायकल का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में शासन द्वारा स्वयं सायकल क्रय करके बालक-बालिकाओं को प्रदान की जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना से वर्ष 2019-20 में 1.81 लाख बालक-बालिकाएं लाभान्वित हुए हैं।

3. विकलांग बच्चों के लिये विशेष प्रयास – इस योजना के अंतर्गत 60 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। दिव्यांग बच्चों को आवश्यक उपकरण प्रदान करने के साथ-साथ दृष्टि बाधित छात्रों के लिये कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें ब्रेल लिपि में भी तैयार की गई हैं।

4. सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति वितरण – इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के बालक-बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

5. स्कूल चलें हम अभियान – सर्वशिक्षा अभियान को प्रोत्साहित एवं सुदृढ़ बनाने हेतु 'स्कूल चलें हम' अभियान चार चरणों में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 39 हजार प्रेरकों का पंजीकरण किया गया है। अभियान का उद्देश्य 06 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान करके उन्हें उनकी आयु के अनुरूप शालाओं में पंजीकृत कराना, उनकी निरंतर

उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

6. शिक्षा का अधिकार – प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश सरकार में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू है, जिसके क्रियान्वयन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 26 मार्च 2011 को यनिःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011 जारी किये गये हैं। इन नियमों के अंतर्गत अशासकीय शालाओं की प्रवेशित कक्षा में वांछित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं।

7. स्वच्छ विद्यालय अभियान – इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक शासकीय विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके लिये सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से राशि एकत्र कर भारत सरकार द्वारा 35 हजार शौचालय यूनिट बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध 58 हजार से अधिक शौचालय यूनिट तैयार किये गये हैं।

लाडली लक्ष्मी योजना – मध्यप्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2007 से किया जा रहा है। इस योजना को क्रियान्वित किये जाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

1. बालिका जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को विकसित करना।
2. प्रदेश के लिंग अनुपात में सुधार करना।
3. प्रदेश की बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करना।
4. प्रदेश की बालिकाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
5. प्रदेश की बालिकाओं के भविष्य की मजबूत आधारशिला तैयार करना।

लाडली लक्ष्मी योजना हेतु पात्रता की शर्तें:

1. बालिका के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों तथा आयकरदाता नहीं हों।
2. बालिका के माता-पिता की दो या कम संतानें हों।
3. योजना में पंजीकरण से पूर्व बालिका के माता-पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।
4. यदि बालिका परिवार की प्रथम संतान है तो उसका जन्म 1 अप्रैल 2008 को अथवा उसके पश्चात् हुआ हो।
5. बालिका का पंजीयन उसके जन्म के एक वर्ष के अंदर आंगनबाड़ी केन्द्र पर कराया हो।

गांव की बेटी योजना – इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं का शिक्षा का स्तर बढ़ाने तथा उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को उनके उच्च शिक्षा अध्ययन काल में 500 रुपये प्रति माह की दर से अधिकतम 10 माह के लिये 5000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह योजना उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं पर लागू है।

निष्कर्ष – मध्यप्रदेश में साक्षरता दर में एक बड़ी असमानता रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में 76.10 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 50.30 प्रतिशत था, जो कि एक बड़ा अंतर माना जा सकता है। वर्ष 2001 की जनगणना के बाद के दशक के दौरान मध्यप्रदेश में साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसका श्रेय मध्यप्रदेश सरकार की शैक्षणिक एवं सामाजिक जनकल्याण योजनाओं के

क्रियान्वयन को दिया जा सकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 69.32 प्रतिशत है, जो कि वर्ष 2001 में 63.70 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में महिला साक्षरता की दर 50.30 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 59.20 प्रतिशत हो गई है। इस दौरान महिला साक्षरता की दर में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में पुरुष साक्षरता की दर 76.10 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 78.73 प्रतिशत हो गई।

वर्ष 2011 की गणना के अनुसार यदि मध्यप्रदेश के पाँच सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों - भोपाल (74.9 प्रतिशत), जबलपुर (74.4 प्रतिशत), इन्दौर (74 प्रतिशत), बालाघाट (69 प्रतिशत) और ग्वालियर (67.4 प्रतिशत) का विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि सरकार द्वारा चलाई गई शैक्षणिक योजनाओं - गांव की बेटी योजना, लाइली लक्ष्मी योजना आदि ने बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण इन जिलों में महिला साक्षरता की दर में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में वृद्धि दर्ज की गई है।

वर्ष 2011 की गणना के अनुसार यदि मध्यप्रदेश के पाँच सर्वाधिक

लिंगानुपात वाले जिले - बालाघाट (1021), अलीराजपुर (1009), मण्डला (1005), डिंडोरी (1004), झाबुआ (989) का विश्लेषण करें, तो हम पाते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी शैक्षणिक योजनाओं के परिणामस्वरूप बालिकाओं के लिंगानुपात में वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में वृद्धि दर्ज की गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, 2019-20, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय।
2. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, 2020-21 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय।
3. वार्षिक प्रतिवेदन, 2020-21, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
4. वार्षिक प्रतिवेदन, 2020-21, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
5. वार्षिक प्रतिवेदन, 2020-21, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

‘सुरंग में सुबह’ उपन्यास: राजनीतिक यथार्थ का दरतावेज

डॉ. बबीता कुमारी *

* सहायक आचार्य, श्री आर्य विद्यापीठ कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – साहित्य में समाज के राजनीतिक पक्ष को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए साहित्यकार ‘मिथिलेश्वर’ ने ‘सुरंग में सुबह’ उपन्यास की रचना की। ‘सुरंग में सुबह’ उपन्यास उनका प्रमुख राजनीतिक उपन्यास है। जिसमें उन्होंने राजनीति के समस्त पक्षों का यथार्थ प्रस्तुत करने की कोशिश की है। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात् भारतीय संविधान में देश को पूर्ण स्वतंत्र सत्ताशील लोकतंत्र घोषित किया गया। इस पूर्ण सत्तावादी जनतंत्रीय लोकतंत्र का आर्द्ध समस्त देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता एवं अवसर की समानता देना तथा सभी नागरिकों में व्यक्ति के सम्मान और राष्ट्रीय एकता को बनाये रखते हुए भातृत्व का प्रसार करना था। इस सिद्धांत द्वारा देश में जनतंत्र की स्थापना हुई लेकिन धिनीनी राजनीति ने अपराध नामक एक ऐसे नाजायज बच्चे को जन्म दिया जो पाँच-छः दशकों में वह पूर्णतः बलिष्ठ और पुष्ट हो चुका है। जिसने देश की आत्मा, उसके सांस्कृतिक मूल्यों तथा संस्कृति को विपन्न और विशाक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राजनीति में इन विघटित होते मूल्यों का पर्दाफाश मिथिलेश्वर ने अपने उपन्यास में प्रस्तुत किया है।

प्रस्तावना – समाज में राजनीति का प्रभाव सदा रहता है। जीवन एवं समाज का स्वरूप निर्मित और निश्चित करने में राजनीति की भूमिका निर्णायक रही है। वर्तमान युग राजनीति का युग है। भारतीय जन-जीवन में प्रत्येक व्यक्ति राजनीति शक्ति के द्वारा परिचालित हो रहा। समाज में भावों की जड़ता, रूढ़िवादिता पुरानी सामाजिक संरचना को तोड़कर गति पैदा करने वाली शक्ति राजनीतिक चेतना होती है जो समाज को उसके स्वातंत्र्य और हितों की पहचान कराती है। राजनीति समाज की दिशा निर्धारित करती है और समाज राजनीति की इस भांति दोनों ही एक दूसरे से प्राण-रस ग्रहण करते हैं। राजनीतिक निर्णयों ने समाज को सर्वाधिक प्रभावित किया है। सामाजिक मूल्यों के स्वरूप निर्धारण की दृष्टि से राजनीतिक मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज तक हमारी राजनीति में काफी उतार चढ़ाव आये हैं जो अनेक दल और गुटों में विभक्त होती चली गई।

मिथिलेश्वर ने समाज की गतिविधियों में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप से कलुषित होते पवित्र सामाजिक मूल्यों, प्रभु वर्ग के राजनीतिक पाखण्ड, समकालीन राजनीति में सर्वोच्च पद पाने के लिए अनैतिक माध्यमों का इस्तेमाल तथा भारतीय राजनीति के विकृत रूप का यथार्थ वर्णन प्रस्तुत किया है। वस्तुतः ‘सुरंग में सुबह’ उपन्यास में मिथिलेश्वर जहाँ भारतीय राजनीति के तलघर की यात्रा करते हैं वहीं समाज में राजनीतिक अंधविश्वास से जूझते हुए निम्न-वर्ग तथा सामाजिक बदलाव के लिए छटपटाती सामान्य जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों और अन्तर्विरोधों को भी सफलतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं।

‘सुरंग में सुबह’ उपन्यास में मिथिलेश्वर ने राजनीति का प्रतिनिधित्व करने वाले, जनता की आशा और आकांक्षाओं का केन्द्र राजनेता के चरित्र को उघाड़ कर रख दिया है। राजनेता का चरित्र अमोघ शक्ति होता है लेकिन वही चरित्र दिशाहीन एवं स्वार्थपरता में लिप्त रहने पर समाज के नैतिक मूल्यों को पतनशीलता की ओर ले जाता है। उपन्यास में ऐसे ही वर्ग का प्रतिनिधित्व

करने वाला राजनेता राव मानवेन्द्र बाबू है। जो हमेशा कथनी और करनी में अन्तर करके जनता को गुमराह करता है। चुनावी दौर में झूठे आश्वासनों की वर्षा करता है और सीट प्राप्त करने पर कोई भी आश्वासन पूरा नहीं करता है। राव मानवेन्द्र के साथ रहने वाला तथा जाग्रत युवा-वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला चरित्र जनार्दन जब जनता को दिये आश्वासनों को पूरा न करने के बारे में पूछता है तो राव मानवेन्द्र स्पष्ट कर देता है- ‘सरकार के पास जादू की कोई छड़ी नहीं होती जनार्दन कि लोगों की हर माँग पूरी कर दे। अपने सीमित साधनों में हमारी सरकार जितना कर रही है, वह बहुत है। हमारे लोग लालची कम नहीं हैं। उनकी माँग बनी रहे, तभी तक हमारा महत्त्व भी बना रहता है.....। राजनीति समझने की चीज होती है जनार्दन ! जो राजनीति की समझ नहीं रखते वे जनता के लिए अपना खजाना लुटा कर भी जनता के नेता नहीं बन पाते.....।’¹

वहीं दूसरी तरफ राजनेता कदम नागर चुनावी दौर में समाज में हो रहीं हत्याओं को समूल नष्ट करने का झूठा संकल्प समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाता है- ‘आये दिन होने वाली हत्याओं और नरसंहारों ने मेरे संवेदनशील मन को आहत कर रखा है। मारने वाले जानते हैं कि उन्होंने किसी एक का सफाया किया है, जबकि एक हत्या एक पूरे परिवार को हताहत कर देती है। हत्याएँ कभी समाधान नहीं बनतीं। एक हत्या तो कई हत्याओं को जन्म देती है। हत्याओं की विनाश लीला से त्रस्त समाज को देखते हुए अब मैंने हत्याओं से निपटने के लिए सख्त निर्णय ले लिया है।’²

राजनेताओं द्वारा सामयिक पहलू को राजनीति का आधार बनाकर जनता को भ्रमित किया जाता है। जनता में पहले असंतोष और खून-खराबे करवाते हैं और बाद में स्वयं ही वहाँ पर शांति बहाल कराके अपना मतदान खाता बढ़ाते हैं। काशी में दो धर्मों के बीच राव मानवेन्द्र दंगे करवाते हैं। दंगे के बाद जनता की सहानुभूति लेने के लिए तुरन्त वहाँ पहुँच जाते हैं। स्थानीय नेता गुरु गंभीर वाणी में मानवेन्द्र से कहता है- ‘आपके संकेत पर हमने खूब सोच-समझकर

काम कर दिया नेताजी ! ऐसा गुल खिलाया की सारे विरोधी चित हो गये। आपके नाम का और पार्टी का डंका इस पूरे शहर में बजवा दिया ।³

मिथिलेश्वर ने राजनेता के साथ राजनीतिक पार्टियों के यथार्थ का वर्णन भी बहुत ही सटीक किया है। राजनीतिक पार्टियों को उनकी चुनावी रणनीति ही प्रेरित करती है। विजय प्राप्त करने के लिए पार्टियाँ अनेक हथकंडे अपनाती हैं। जिसने समाज को आम सहमति और पारस्परिक सम्मान से वंचित कर दिया है। पार्टियाँ अपना टिकट उन सदस्यों को देती हैं जो मोटी रकम देता है। सम्पत्ति के बल पर कर्मठता और काबिलियत जैसे अनेक गुणों को खरीद लिया जाता है। 'सुरंग में सुबह' में वर्णित 'जनदेश पार्टी' के द्वारा जुझारू और संघर्षशील जनार्दन को टिकट न देकर डॉ. अरविन्द को पैसे के बल पर टिकट दे दिया जाता है। जनदेश पार्टी के मुखौटे को इंगित करते हुए जनार्दन का दोस्त उमेश कहता है- 'अध्यक्ष ने एक साथ दो शिकार किया है.....। पैसे लेकर उसने अपनी थैली भर ली है और पार्टी को बता दिया है कि नन्दिता का अक्वल काट प्रस्तुत कर दिया.....।' ⁴

वर्तमान राजनीति का मूल उद्देश्य समाज के सभी स्तरों पर राजनीति का पहरा कायम करना है। वर्तमान युग में यह सब दर्शनीय है। 'सुरंग में सुबह' में लेखक द्वारा इस स्तर की धिनीनी राजनीति का पर्दाफाश राव मानवेन्द्र व उसके विपक्षी नेता आर-अण्डमान को लेकर किया है। राव मानवेन्द्र अपने विपक्षी नेता को अपने पक्ष में लेने के लिए अपनी रूपशी बेटी नन्दिता को उसके सामने परोस देता है। नन्दिता का उपभोग करके आर-अण्डमान राव मानवेन्द्र के पक्ष में अपना बहुमत देता है। राजनीति में फूँक-फूँक कर पैर रखकर अपनी चाल चलने वाला अण्डमान एक दिन नन्दिता के साथ जैविक सुख प्राप्त करके ढह जाता है। अण्डमान अपनी अनुभूति को व्यक्त करते हुए मानवेन्द्र से कहता है- 'तूने मुझे कभी अपने साथ गिनकर नहीं देखा राव। तेरे जैसे खूसट से मैं भी नहीं जुड़ता। पर भाभी जी और इस नन्दिता को छोड़कर अब मैं अलग नहीं हो सकता।'⁵

आधुनिक युग में राजनीति ने अपना मुँह मगरमच्छ के समान विशाल बना लिया है। इसलिए राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। स्वार्थी तत्व राजनीति का चोला पहनकर गिद्धों की तरह समाज को नोच रहे हैं। जनता में राजनीतिक ढल जातिवाद एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारकर वह अपना फायदा करते हैं। इनसे सम्बन्धित भ्रान्तियाँ फैलाकर वह जनता का मत अपने पक्ष में करते हैं। अपनी अमानवीयता का प्रदर्शन कर साम्प्रदायिक दंगों को करा, लाशों का ढेर लगा कर अपनी रोटी कमाते हैं। 'सुरंग में सुबह' में इसी अमानवीयता को चित्रित कर लेखक ने इसके मध्य पिसती निरीह जनता की पीड़ा को व्यक्त किया है। राव मानवेन्द्र द्वारा काशी में दो धर्मों के बीच कराये गये दंगा का दृश्य जनार्दन प्रकट करता है- 'युवा लड़की को वे हमलावार मुहल्ले के एक खडहर में ले गये थे। फिर हैवानों और वहशियों की तरह उस पर टूट पड़े थे। बलात्कार के दौरान ही उस मासूम के प्राण-पखेरू उड़ गये थे। सड़क के किनारे पड़ी उसकी नब्ब लाश से बलात्कार की जघन्यता का पता सबको चल गया था.....।' ⁶

हमारी राजनीति का प्रत्येक घटक फिसलन की ओर अग्रसर है। वह अपने सिद्धांतों को छोड़कर स्वार्थ-लिप्सा और सुविधा भोगी सिद्धांतों को अपनाये हुए है। उसे सामान्य जन-जीवन से कोई सरोकार नहीं है। 'सुरंग में सुबह' में राजनीति को मुखौटे से बाहर लाने वाली मीडिया के यथार्थ का वर्णन किया है। व्यक्ति जीवन में मीडिया की सच्ची भूमिका की समझ तथा साथ ही सामान्य जन और मीडिया के टूटते आत्मिक सरोकार का चित्रण

हुआ है। सामान्य जन से उसका सरोकार नहीं है। सम्पन्न लोगों के काम और उनकी खुशी व गमगीन खबरें ही मीडिया का लक्ष्य बन गया है। छविपुर में भाषण के दौरान 'लोकेन्द्र पार्टी' की नेत्री नन्दिता पर जनार्दन द्वारा हमले की झूठी अफवाह को मीडिया इतना विस्तार देती है जिससे उसकी पतनशीलता का सच उजागर होता है जनार्दन के लिए संवेदनहीन और स्वेच्छाचारी बन जाना आज की मीडिया का सच होता है लेकिन जनार्दन का मित्र घनश्याम मीडिया के वास्तविक रूप और पतनशीलता को व्यक्त करता है- 'मीडिया को पूरी तरह संवेदनहीन नहीं कहा जा सकता है। उसने संवेदना की अपनी प्राथमिकताएँ बदल दी हैं। अब उसके केन्द्र में गाँव के किसान-मजदूर और जमीनी सच्चाइयाँ नहीं रहीं, सत्ता-प्रतिष्ठान के लोग, बड़े उद्योगपति, बड़े खिलाड़ी, बड़े फिल्मकार और बड़े घराने हैं.....। गाँव के किसान-मजदूरों की हत्याएँ, आत्म हत्याएँ, विवश-लाचार ग्रामीण स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार तथा ग्रामीण बालिकाओं की खरीद-फरोख्त जैसी घटनाओं पर मीडिया का फोकस नहीं। अभी पिछले दिनों मीडिया के लिए एक बड़े शेयर दलाल की रिश्तेदार विलासी युवती का अपने ड्राइवर के साथ भाग जाना एक बड़ी खबर थी। एक बड़े घराने की युवती का माँ बनना मीडिया के लिए असाधारण घटना थी। मीडिया ने इन खबरों को अच्छी नोटिस ली थी। यहाँ मीडिया पूरी तरह संवेदनशील है लेकिन बिहार के एक गाँव में सामन्ती जुल्म और अधिकारियों की उपेक्षा से एक पूरा परिवार अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ, यह खबर मीडिया के दायरे में कोई महत्त्व नहीं रखती है।' ⁷

राजनीति का एक मजबूत पक्ष मतदाता होता है जो जैसी राजनीति को बढ़ावा देता है वही राजनीति पनपती है। मतदाता पर निर्भर करता है कि राजनेता चुनते समय कैसी मानसिकता का प्रयोग करता है। राजनेता पद पाने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद सभी रास्ते अपनाता है। 'सुरंग में सुबह' में मतदाता की रूढ़िगत मानसिकता, बुजुर्गियत व रूप आकर्षण के वषशीभूत होकर मतदाता द्वारा अपने मत का दुरुपयोग करने का सच सामने आया है। लोकेन्द्र पार्टी की नन्दिता के प्रति जनता की रूढ़िगत मानसिकता मतों के दुरुपयोग में सहायता करती है। जनार्दन के गाँव छविपुर में राजनेता राव मानवेन्द्र की अच्छी छवि बनी रहती है। उसके चलते ही उनकी बेटी नन्दिता की तरफ गाँव के बुजुर्ग लोगों का झुकाव रहता है। वह अपनी बुजुर्गियत मानसिकता के चलते वर्तमान नेता की अच्छाई का विचार नहीं करते। गाँव वालों की रूढ़ मनोवृत्ति को यह वाक्य स्पष्ट कर देते हैं- 'एकदम मानवेन्द्र बाबू पर गयी है.....।' ⁸

'बांस की कोठ से बांस नहीं निकलेगा तो क्या सरकण्डा फूटेगा.....।' ⁹

'गिरहबाज की औलाद खउदा नहीं होती.....।' ¹⁰

'लोग बूझते थे कि मानवेन्द्र बाबू का परिवार साफ हो गया। बाकिर खून का प्रभाव आ ही गया बेटी पर !'⁸

देश की स्वतंत्रता से पूर्व जनमानस आजादी के सुनहरे स्वप्न में अपनी गुलामी और दासता से मुक्त जीवन जीने की इच्छा लिए जी रहा था। आम जनता कुछ बेहतरी की उम्मीद लगाये हुए थी लेकिन आधुनिक राजनीति का नेतृत्व मात्र सत्ता-सुख और स्वार्थ के घेरे में सिमट गया है। लोगों का राजनीति से विश्वास उठता चला जा रहा है। युवा-वर्ग में राजनीतिक चेतना का उदभव होता जा रहा है। राजनीति के अविष्वासी घेरे को काटने के लिये युवा-वर्ग का मन तत्पर और बेचैन हो उठा है। मिथिलेश्वर ने 'सुरंग में सुबह' उपन्यास में युवा-वर्ग का राजनीति से मोह-भंग का चित्रण और सच्ची राजनीति करने का आह्वान किया है। उपन्यास का पात्र जनार्दन युवा-

वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक स्थितियों के आंकलन और विश्लेषण के बाद एक निष्कर्ष पर पहुँचता है- 'राजनीति के इस पूरे तिकड़म को बेनकाब करने की जरूरत है। इस पूरी राजनीति प्रक्रिया को बदलकर ही समाज में बेहतरी बहाल की जा सकती है.....।' ⁹

राजनीति को बदलने की छटपटाहट जब युवा शिक्षित मन में जागृत हो जाती है वह धीरे-धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। जनार्दन और उसके साथी भ्रष्ट राजनीति को बदलने का संकल्प लेते हैं। इस लक्ष्य को अंजाम तक पहुँचाने के लिए संगठन की अनिवार्यता महसूस करते हैं- 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता.....। अपनी व्यक्तिगत और फुटकर लड़ाई को एक बड़े संगठन का रूप देकर ही हम अपने उद्देश्य को सही मुकाम तक पहुँचा सकते हैं.....। एकता और संगठन की असीमित शक्ति के समक्ष कोई व्यक्तिगत और फुटकर शक्ति नहीं टिकती। परिवर्तन की बेहतरी के राजनीतिक कार्य अकेले नहीं किए जा सकते.....।' ¹⁰

हमारे लोकतंत्र में व्याप्त विकृतियों को समाप्त करके ही हम बेहतर राजनीति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लोकतंत्र एक आश्चर्यजनक पहलू बना हुआ है। जनता के नाम पर जनता की इच्छा के खिलाफ लोग यहाँ विजयी होते हैं। जनता का साथ निभाने का आश्वासन देकर वह जनता को बीच रास्ते छोड़ देते हैं। आज के लोकतंत्र में 'लोक' गायब है और सिर्फ 'तन्त्र' ही बचा है। 'सुरंग में सुबह' का कामेश आधुनिक लोकतंत्र की व्याख्या करता हुआ कहता है- 'इस स्थिति में वाकई लोकतंत्र है कहाँ ? अगर हम इसे जातितंत्र, गुंडातंत्र और धर्मतंत्र कहें तो यह ज्यादा सटीक होगा.....।' ¹¹

मिथिलेश्वर का उपन्यास 'सुरंग में सुबह' राजनीति का महत्वपूर्ण दस्तोवेज है। इसके माध्यम से लेखक लोकतंत्र की विकृतियों और उसकी बेहतरी के लिए किये गये सुधारों को दर्शाता है। जनार्दन और उसके साथी लोकतंत्र की बदहाली व्यवस्था को बदलने के लिए युवा-वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे लोकतंत्र के सभी अंग विकृत हो गये हैं इसलिए युवा यदुषरण कहता है- 'ऊपर से नीचे और बाहर से भीतर तक हमारी व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। आज जो जहाँ और जिस क्षेत्र में है वहीं से यह महसूस कर रहा है कि ईमानदारी की सजा जेल और बेईमानी का पुरस्कार है, इसलिए अब जरूरत सिर्फ महसूस करने भर की ही नहीं, उस महसूस को कार्य-रूप देने की है.....।' ¹²

मिथिलेश्वर के उपन्यास के माध्यम से शिक्षित युवा-वर्ग की जागरूक भूमिका से ग्रामीण जनता में जागरूकता के दर्शन होते हैं। ग्रामीण जनता अपने लोकतंत्र को भ्रष्ट करने वाले राजनेता और उनकी राजनीति को समझने लगती है। 'लोकेन्द्र पार्टी' की युवा-नेत्री नन्दिता चुनाव प्रचार के दौरान जनार्दन के गाँव छविपुर में निर्धनों को रुपये और कम्बल बंटवाती है। जनार्दन द्वारा इसका विरोध करने पर जनता अपनी सूझबूझ का परिचय देती हुई जनार्दन से कहती है- 'तुम निफिकिर रहो जनार्दन! अभी चाहे कोई जो कहे, जो कुछ दे ले, हमारा मत वहीं गिरेगा जहाँ तुम चाहोगे। वह मुफ्त में कम्बल और रुपये बँटवा रही है तो हम क्यों झटक दें ? उसकी चालाकी पर ही हम हँस रहे हैं ! वह हमें निरा बुद्धू समझ रही है.....।' ¹³

इन सब विचारों से जनता की चेतना शीलता से उनके जाग्रत होते विचारों का आंकलन हो जाता है। धीरे-धीरे जनता में भ्रष्ट राजनीति के प्रति आक्रोश पैदा होने लगता है। जनता का आक्रोश शासन की नींव हिलाकर रख देता है। जनता चाहे तो इसे समूल नष्ट कर सकती है। जनता का ऐसा ही

आक्रोश पुलिस प्रशासन के खिलाफ उपन्यास में चित्रित किया गया है-

'हर जोर जुल्म के टक्कर में।'

'संघर्ष हमारा नारा है।'

'इस भ्रष्ट पुलिस प्रशासन को'

'बदलना है.....बदलना है.....।' ¹⁴

उपन्यास का पात्र बुजुर्ग गिरधारी काका विकसित होती समझ का परिचय देते हुए भ्रष्ट पुलिस की तुलना अंग्रेजों की पुलिस से करते हुए कहते हैं.....'अंग्रेजों की पुलिस भी इसी तरह देशभक्तों को बलवाई करार देकर पकड़ने आती थी.....। अंग्रेज चले गये, पर यहाँ की अंग्रेजियत नहीं गयी.....।' ¹⁵

मिथिलेश्वर ने उपन्यास में जाग्रत जनता के संघर्ष का चित्रण कर उस संघर्ष के परिणाम पूर्वानुमान लगाकर युवा-पात्र जनार्दन के माध्यम से अपनी बात की अभिव्यक्ति प्रदान की है- 'वह दिन भी आयेगा जब सामयिक और अवसरवादी लहर से अलग टिकाऊ जनाधार पर जमीनी पार्टियाँ सत्ता में आएँगी, तब सत्ता लूट का यह खेल खत्म हो जायेगा.....। हमारा संघर्ष निरर्थक नहीं हो सकता.....। यहाँ की जनता और लोकतंत्र को तिकड़मों के आधार पर देर तक भ्रमाया नहीं जा सकता.....।' ¹⁶

निष्कर्ष - मिथिलेश्वर ने 'सुरंग में सुबह' उपन्यास में युगीन राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्र प्रतिबिम्बित हो उठा है। उन्होंने राजनीतिक चेतना पर प्रकाश तो डाला ही है साथ ही राजनीतिक प्रपंच का बहुरंगी यथार्थ प्रकट हुआ है। मिथिलेश्वर ने बिहार के गाँवों में हो रहे नर-संहारों और राजनेताओं द्वारा उस पर रोटी सेंकने तथा इनकी जनक राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाकर हाथ-झाड़ती राजनीति का परिदृश्य चित्रित है। 'सुरंग में सुबह' उपन्यास राजनीतिक उपन्यास होते हुए युवा-वर्ग की संघर्ष यात्रा का दस्तावेज भी है। युवाओं द्वारा लोकतंत्र प्राप्ति की इस जटिल लड़ाई को लेखक ने 'सुरंग' और उस लड़ाई के बेहतर परिणाम को 'सुबह' की संज्ञा प्रदान करते हुए भ्रष्ट राजनीति की अन्तिम परिणति से समाज को बचाने का प्रयास किया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. सुरंग में सुबह, मिथिलेश्वर, पृ.सं. 65, भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली, संस्करण-2006
2. वही, पृ.सं. 337-338
3. वही, पृ.सं. 50
4. वही, पृ.सं. 263
5. वही, पृ.सं. 86
6. वही, पृ.सं. 48
7. वही, पृ.सं. 299
8. वही, पृ.सं. 277
9. वही, पृ.सं. 60
10. वही, पृ.सं. 118
11. वही, पृ.सं. 234-235
12. वही, पृ.सं. 373
13. वही, पृ.सं. 274
14. वही, पृ.सं. 356
15. वही, पृ.सं. 315
16. वही, पृ.सं. 383

भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता : संक्षिप्त विवेचना

मोहन पुरी *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) बी.के.एस.एन. शास.पी.जी. कॉलेज, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - वर्तमान में जब राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीयता जैसे शब्दों पर हर मोर्चे पर बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में भारतीय राष्ट्रीयता के अंकुरण स्वरूप की तरफ ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। भूमण्डलीकरण ने भले ही बाजार व्यवस्था से सम्पूर्ण विश्व को एक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया पर राजनीतिक एवं आर्थिक जैसे अन्य गंभीर मुद्दों पर आज भी सम्पूर्ण विश्व बाँटा हुआ है। खुद की अस्मिता को पाने के लिए सारा संसार लालायित है। राष्ट्रीयता किसी भी देश की अस्मिता का सर्वोच्च शिखर होता है। राष्ट्रीयता की हुंकार भले ही स्वयं के अहंकार से निकलती है, परन्तु किसी देश की एकता एवं अखण्डता के लिये यह आवश्यक तत्व है। असल भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता का बीजवपन छुपा हुआ है ऐसे में आवश्यक है कि साहित्य में राष्ट्रीयता की तलाश की जाए तथा भारतीय साहित्य का विहंगम अध्ययन किया जाए। प्रस्तुत शोध आलेख में भारतीय साहित्य में पनपे राष्ट्रीयता के विभिन्न बीज तत्वों की पड़ताल करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना - बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब भूमण्डलीकरण का दौर शुरू हुआ तब उसके विस्तार और प्रभाव को देखकर एक बार लगा कि एक दिन राष्ट्र और राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का अस्तित्व धुंधला पड़ जाएगा। वैश्वीकरण के आगोश में हर देश अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती का ख़ाब सजाने लगा था। मुनाफे की इस होड़ को हर मर्ज की दवा कुछ समय के लिए मानी गयी। सरकारें वैश्वीकरण के प्रभाव में यह समझने लगी थी कि कल्याणकारी राष्ट्र की उत्तम कल्पना 'विश्व ग्राम की अवधारणा' के बिना असंभव है। प्रारंभिक दिनों में ऐसा लग रहा था कि अब केवल अंग्रेजी जैसी कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को ही महत्व मिलेगा लेकिन कुछ ही समय में यह ग़लतफहमी दूर हो गई। एक देश की वस्तुएँ जब दूसरे देश में जाकर बिकने लगी तो लोकल बाजार पर वर्चस्व जमाने के लिए उस देश को अन्य देश की भाषा सीखनी पड़ी। अपनी भाषा की अनिवार्यता को देखकर जापानी पहले से अधिक जापानी हो गया और एक भारतीय पहले से अधिक अपनी भारतीय भाषा के महत्व को समझने लगा। क्योंकि तब उसकी भाषा उसके रोजगार और रोटी से जुड़ गई। इसलिये हम देखते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ दूसरे देशों में पहुँची उस समय लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वहाँ की स्थानीय भाषा को सीखने लगी। यही कारण है कि हमारी हिन्दी अब ब्रिटेन और अमेरिका में पढ़ाई जाने लगी है और हम चीनी भाषा सीखना चाहते हैं क्योंकि वह एक बड़ा बाजार है। लेकिन वैश्वीकरण का जादू अब उतरता दिखाई पड़ने लगा है। हर राष्ट्र यह महसूस करने लगा है कि उसका काम उन देशों में होने लगा है जहाँ मजदूरी सस्ती है। साथ ही उसके प्राकृतिक स्रोत का प्रवाह भी सस्ते दामों पर वहाँ पहुँच रहा है। वैश्वीकरण अभी तो पासपोर्ट और वीजा प्रणाली को तोड़ भी न पाया था कि हर सरकार फिर से राष्ट्र और राष्ट्रवाद की बातें करने लगीं। उन्हें लगा कि इससे दूर होकर न केवल हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा बल्कि हम दुनिया में बुरी तरह से पिछड़ जाएँगे। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता एक नैसर्गिक देन है जिससे कोई देश और समाज अलग नहीं रह सकता। असल में राष्ट्रीयता

किसी भी देश की आत्मा है जिसके बिना राष्ट्र रूपी शरीर का कोई महत्व नहीं है। भारतीय राष्ट्र की आत्मा की पड़ताल करनी है तो हमें भारतीय साहित्य का दरवाजा खटकाना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रीयता का मूल स्रोत साहित्य ही है। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में राष्ट्रीयता के बीज बिंदु देखे जा सकते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में दक्षिण भारतीय भाषाएँ पंजाबी, बांग्ला एवं मराठी भाषाओं का राष्ट्रीय रुझान समझने का प्रयास किया गया है।

भारतीय साहित्य में राष्ट्रीयता की पड़ताल करने से पहले राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में व्यापित मूलभूत अंतर को समझना आवश्यक है। अक्सर आम जनता इन तीनों शब्दों को एक ही मानकर चलती है। पर ऐसा नहीं है। आपस में जुड़े होने के बावजूद राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता में पर्याप्त विविधता है। राष्ट्र जहाँ स्थूल तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें भूमि, जाति, भाषा-संस्कृति, इतिहास तथा सामूहिक स्वार्थों से लोग परस्पर बंधे होते हैं। वहीं राष्ट्रीयता के मूल में लोगों की समरस भावना विद्यमान रहती है। राष्ट्र को अगर शरीर माना जाये तो राष्ट्रीयता उस शरीर में निवास करने वाली आत्मा है। ए.आर. देसाई की माने तो 'राष्ट्र और राष्ट्रीयता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो संयुक्त रूप से राष्ट्रवाद की भावना आम जनता में प्रसारित करने का काम करते हैं, भावनात्मक, संवेगात्मक और प्रेरणादायक अभिव्यक्तियाँ राष्ट्रवाद के मूल में मौजूद हैं। असल में इन्हें सींचने का कार्य राष्ट्रीयता द्वारा ही संभव है।'¹

भारतीय साहित्य में प्रारंभ से ही राष्ट्र शब्द पर चर्चा हुई है। राज्य को समझ लेने के बावजूद भारतीय ऋषि मुनियों ने राष्ट्र की परिभाषा, जन्म, विकास और उसकी निर्मिति पर चर्चा की है। इसलिये हमारी बोलचाल की भाषा में स्वराष्ट्र (सौराष्ट्र) और महाराष्ट्र शब्द का उपयोग होता है। भारत के किसी भी क्षेत्र को राज्य के नाम से पुकारा गया हो यह ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलता। 'राष्ट्र होने की पहली शर्त उसकी स्वतंत्रता है और दूसरा वह जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा होना चाहिए। भारत में प्राचीन जनपद और यूनान के स्पार्टा इस श्रेणी में आ सकते हैं। निर्जीव वस्तुओं को अधिक

महत्व न देकर उसमें जीती जागती व्यवस्था का जो नामकरण किया गया वह सही अर्थों में राष्ट्र है।²

यूरोप में राष्ट्र शब्द भले ही तीन सौ वर्ष पहले जन्मा हो। लोकतंत्र की सोच ने इस शब्द और भावना को गति दी इसलिये पश्चिम में यह शुद्ध रूप से राजनीतिक शब्दावली कही जा सकती है। लेकिन भारत में राजनीतिक राष्ट्र से पहले भी सांस्कृतिक राष्ट्र की कल्पना मौजूद थी। पश्चिम में राष्ट्र के मूल में राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों को देखा जा सकता है, जबकि भारतीय राष्ट्र का जन्म सांस्कृतिक धरातल पर सर्वप्रथम हुआ। 'भारत की राष्ट्रीय चेतना वेदकाल से अस्तित्वमान है। अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त में धरती माता का यशोगान किया गया है। 'माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्याः' (भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ) विष्णुपुराण में तो राष्ट्र के प्रति का श्रद्धाभाव अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देता है। इस में भारत का यशोगान 'पृथ्वी पर स्वर्ग' के रूप में किया गया है।³

'अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महागणे।

यतोहि कर्म भूरेषा ह्यतोऽन्या भोग भूमयः॥

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत-भूमि भागे।

स्वर्गापस्वर्गास्पदमार्गे भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥'⁴

वैदिक काल में राष्ट्र की परिकल्पना 'पशु धान्यहिरण्य राजते तेति राष्ट्रम्' के रूप में की गयी है। राष्ट्र के विकास की यात्रा साहित्य के विविध गलियारे से होकर सुसंगठित हुई है। भारतीय साहित्य की जब बात की जाती है तो अक्सर दक्षिण भारत के साहित्य को राष्ट्रीयता के मापदंड पर कम ही आँका जाता है। पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बारीकी से अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि दक्षिण भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परम्परा 'संगम युगीन' साहित्य से ही विद्यमान है। सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रमाण हमें भक्तिकाल में दिखाई देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में स्पष्ट लिखा है कि य'दक्षिण का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला।⁵ दक्षिण भारत से प्रसारित 'अलवार और नयनार' भक्ति पद्धतियों ने सम्पूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान दक्षिण भारत के साहित्यकारों ने जनता को राष्ट्रीय भावना की नई दिशा प्रदान की। तमिल भाषा में सुब्रह्मयम भारती, टी. वी. कल्याण सुंदरम्, वेडुनर डोरेस्वामी, तेलुगु भाषा में -पांडुरंग राव, महाकवि पोतन्ना जैसे अनेक रचनाकारों ने राष्ट्रीय एकीकरण की नींव को गहराई से रोपित करने का प्रयास किया है।

कन्नड साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम यहाँ के साहित्य का अविभाज्य अंग रहा है। कन्नड के आदि कवि पंप का पद 'आरंकुसमिटटोड नेनवुदेन्न मनं वनवासी देशमम्' उनके साहित्य में राष्ट्रीयता के प्रति प्रेम और जागरूकता का उज्ज्वल प्रतीक है। कवि 'राधवांक' ने किसी न किसी संदर्भ का उपयोग करके कर्नाटक की तुंगभद्र नदी और पंपा क्षेत्र की राष्ट्रीय भावना को उजागर किया है। आंडर्या कवि ने कर्नाटक प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का वर्णन किया है। कनकदास ने 'मोहन तरंगिणी' में विजयनगर की समृद्धि का वर्णन किया है। कर्नाटक में बड़ी मात्रा में शिलालेखों पर लिखे साहित्य में राष्ट्रीयता के दर्शन होते हैं।

'मलयाली साहित्य के राष्ट्रीय हस्ताक्षर महाकवि उल्लूर के साहित्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता और

सांस्कृतिक एकता यानी तीनों के संगम का नाम राष्ट्र है। जब उसमें चेतना का अंकुर फूटता है तो वह राष्ट्रीय साहित्य में पल्लवित होने लगता है।'⁶

मलयालम की उपलब्ध रचनाओं में सबसे पुराना काव्य 'रामचरितम्' है। महाकवि उल्लूर के कथनानुसार यह 12वीं शताब्दी में लिखी हुई रचना है। उसके रचनाकार यवीर रामवर्मा हैं जो तिरुअनंतपुरम् के शासक रहे थे। 14वीं और 15वीं शताब्दी में लिखी गई 'गणेशवाक' कृतियाँ राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। माधव पणिक्कर, शंकर पणिक्कर और राम पणिक्कर यह तीनों एक ही परिवार के थे। भगवद्गीता, भारत माला, रामायण, भारत भागवत और शिवरात्रि महात्म्य जैसे प्रख्यात ग्रंथ के साथ-साथ माधव पणिक्कर ने गीता रहस्य को अपनी टीका में व्यक्त किया है। य' 16वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में 'एषुत्तच्छन' का आविर्भाव हुआ। केरल जो छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ था और जिन्हें पुर्तगीज तथा अरब आपस में लडाकर अपना स्वार्थ साध लेते थे, उन्हें संगठित होने और राष्ट्रीय शक्ति को पुनर्गठित करने का कार्य इस महान् साहित्यकार ने किया है।⁷

पंजाबी साहित्य को यदि 'राष्ट्रीयता की कोख' कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंजाबी के लोक संगीत और लोक साहित्य में राष्ट्रीयता सराबोर है। 'गुरुवाणी और संत वाणी' को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। जो भाई गुरुदास से शुरू होकर गुरु गोविंदसिंह की चंडी दीवार से होते हुए शाह मोहम्मद तक एक दृष्टि उभारती है। यह परंपरा बाद में लोक गीतों के रूप में शेख फरीद तक आती है। इन सबसे पहले गुरु नानक देव की वाणी को भला कौन नजरअंदाज कर सकता है। 'अपने राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से ऊपर और आदर्श मानना पंजाबी साहित्य का महत्वपूर्ण पहलू समझा गया है। प्रभजीत कौर, विश्वनाथ तिवारी, सुखपाल वीरसिंह हसरत सोहेलकर से लेकर जसबीर सिंह अहलूवालिया, सोहनसिंह मीशा और भगवंत सिंह ने अपनी रचनाओं में स्वदेश प्रेम स्पष्ट दिखाता है। पंजाबी साहित्य केवल राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नहीं है, बल्कि यहाँ भारतीय दर्शन और अध्यात्म की भी परंपरा रही है। आर्य समाज ने पंजाब के जीवन में समाज सुधार की लहर पैदा की और पंजाब के क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय, भगवतसिंह और सुखदेव बनकर राष्ट्रीयता की लहर को परवान चढ़ाया...।'⁸ कौन होगा जो पंजाबी के इस गीत को भूल जाए।

'पगडी संभाल ओ जट्ट पगडी संभाल ओए।

हिंद है मंदर तेरा तू इस दा पुजारी ओए'॥

राष्ट्रीयता के बीजवपन काल की शुरूआत बांग्ला साहित्य से मानी जाती है। बांग्ला ने सांस्कृतिक दमन और राष्ट्रीयता के अपमान के जो दृश्य देखे थे उसकी पीड़ा उसके साहित्य में बड़ी मार्मिकता के साथ झलती है। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद जहाँ बांग्ला की विरासत है, वहीं उसका साहित्य संघर्ष, देशप्रेम और क्रांति का संगम है। 1867 में 'जातीय' (राष्ट्रीय) मेले के श्री गणेश नाम से जिस आयोजन का शुभारंभ हुआ था वह वास्तव में श्री राजनारायण बसु के इस मंतव्य से ही प्रेरित प्रभावित था कि शिक्षित बांग्लावियों में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए। इस मेले में गाए गए प्रभात गीत के प्रणेता भारतीय सिविल सर्विस सर्वप्रथम भारतीय सदस्य श्री सत्येन्द्रनाथ ठाकुर थे। उन गीतों में सभी भारतीयों से यह अनुरोध किया गया था कि वे मिलकर एक स्वर में भारत का गुणगान करें। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का श्री गणेश आगे चलकर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोकमान्य तिलक ने किया। ब्रम्ह समाज (1774-1833) अपना प्रभाव स्थापित कर चुका था जिसका मुख्य ध्येय जर्जर भारत की

धूल झाड़ कर उसे फिर से राष्ट्रीयता के प्रवाह में शामिल होने के लिए सजग करना था। 'बंगाल में जागरूकता के कारण 12वीं, 13वीं शताब्दी से कविता, नाटक और उपन्यास के रूप में राष्ट्रीयता का साहित्य में आविष्कार होता रहा। इसी शृंखला में आगे चलकर श्री बंकिमचंद्र चटोपाध्याय ने 'आनंदमठ' नामक अपने जग विख्यात उपन्यास में राष्ट्रवाद का भव्य चित्र प्रस्तुत करने का कीर्तिमान स्थापित किया। धर्म और राष्ट्रीयता का ऐसा सुंदर समागम किसी अन्य जगह देखने को नहीं मिलता। हिन्दू राष्ट्रवाद ने बंगला साहित्य में प्रविष्ट होकर व्यक्ति स्वातंत्र्य का पल्लवन किया।⁹ इसमें स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद के अध्यात्म की छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगी। श्री रामेंद्रसुंदर त्रिवेदी तथा श्री ब्राह्म बांधव का राष्ट्रवादी चिंतन, सुधारवाद की प्रेरणा से प्रेरित है। राष्ट्रीयता की बात कहने वालों में सर्वश्री ईश्वरचंद्र गुप्त, कालीप्रसाद सिन्हा, नलिनचंद्र सेन, हेमचंद्र बंद्योपाध्याय, रंगलाल बंदोपाध्याय आदि अग्रणी रहे। दीनबंधु पाठक ने अपने नाटक 'नीलदर्पण' में यूरोपियन खेतिहरों द्वारा किये जा रहे अत्याचार तथा दमन का यथार्थ चित्रण किया। रेवरेंड लॉग ने इसका अंग्रेजी रूपांतरण छापकर यूरोपियन अधिकारियों में तहलका मचा दिया। इसके नतीजे में रेवरेंड को एक मास का कारावास भुगतना पड़ा। इस घटना ने राष्ट्रवादी लोगों के हौंसले बुलंद किये। नतीजे में बंगला राष्ट्रवाद तेजी से विकसित होने लगा। हिन्दू पेट्रियट और अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन इसका नतीजा था। इस समय के राष्ट्रवादी साहित्य में 'सोना बंगला' शब्द की गूँज सुनाई पड़ी। दैनिक पत्र 'वंदे मातरम्' और दैनिक 'युगांतर' ने यूरोपियन संस्कृति के आवरण को नष्ट कर बंगालियों को भारत के विशुद्ध राष्ट्रवाद के दर्शन करवाए। गणेश देवेस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक 'यदेशेर कथा' अपने समकालीन समय की सबसे क्रांतिकारी पुस्तकों में से एक मानी जाती है। अपने प्रतिबंधित आवरण के बावजूद बंगाल और राष्ट्रीय एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जातीय मेले की तरह श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बंग भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्यौहार को बंगाल निवासियों के पारस्परिक भाईचारे तथा एकता का प्रतीक बनाकर इस त्यौहार का राजनीतिक उपयोग आरंभ किया। 1905 में उनकी प्रसिद्ध कविता मातृभूमि वंदना का प्रकाशन हुआ। जिसमें वे लिखते हैं.....।

हे प्रभु,
मेरे बंगदेश की
धरती नदिया वायु फूल सब पावन हों,
हे प्रभु,
मेरे बंग देश के,

हर भाई, प्रत्येक बहन के उर अंतः स्थल,

अविच्छन्न, अविभक्त एक हों (बंगला से हिन्दी अनुवाद)¹⁰

लेकिन आर्थिक रूप से ब्रिटिशों ने जिस प्रकार राष्ट्र को शोषण किया और हमारी राष्ट्रीयता को नीलाम करने की कोशिश की उसके विरुद्ध आवाज उठाने वालों में रजनीकांत सेन, कालीप्रसाद, सत्येन्द्रनाथ दत्त, कार्तिकचंद्र, विजयचंद्र, मजूमदार और सैयद अबू मोहम्मद आदि लेखक आगे आए। रजनीकांत सेन का आव्हान था कि अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए यदि वंदे मातरम् गाते-गाते मर जाना पड़े तब भी पीछे हटने का विचार न करें। बंग-भंग आंदोलन प्रारंभ होने के दो दिन पूर्व रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अंग्रेजों से सवाल किया कि 'क्या सचमुच आप में इतनी शक्ति है कि आप इसे तोड़ सकते हैं' 'क्या आप सचमुच यह मानते हैं कि हमारा जीवन आपकी संपत्ति है

जिसे आप इच्छानुसार बना और बिगाड़ सकते हैं...।'¹¹ 'अपने उपन्यास 'गोरा' में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भारतीयों के उस वर्ग की आलोचना की है जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते। मराठी की भाँति बंगला नाटक भारत की सदियों से चली आने वाली राष्ट्रीयता को उजागर करने में अग्रणी रहे। श्री गिरीशचंद्र घोष द्वारा लिखित 'सिराजुद्दौला', 'मीर कासिम' और 'छत्रपति शिवाजी' इसके उत्तम नमूने हैं। श्री द्वेजेंद्रलाल राय कृत 'प्रताप सिंह' दुर्गादास और 'मेवाड़ पतन' तथा श्री किरोड़ी प्रसाद विद्याविनोद का प्रतापदित्य, 'पछिनी', 'पलासीर', 'प्रयाश्चित' तथा 'नंद कुमार' उन क्रांतिकारी विचारों के प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने बंगला राष्ट्रवाद को प्रचारित प्रसारित करने में महत्व की भूमिका अदा की। श्री नजरूल इस्लाम और शरदचंद्र चटोपाध्याय ऐसे साहित्यिक कर्मयोगी थे जिनके सामने राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के अतिरिक्त कोई विचार नहीं था।

महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिस पर उत्तर तथा दक्षिण भारत में हुए परिवर्तनों का साथ-साथ प्रभाव पड़ने लगता है। महाराष्ट्र के पिछले दो हजार वर्षों के राजनीतिक इतिहास पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होगा कि यहाँ जो राज्य स्थापित हुए थे उन में उत्तर तथा दक्षिण के शासनों का चमत्कारिक मेल था। इनमें प्रमुख हैं- सातवाहन, पूर्व चालुक्य, राष्ट्रकूट, उत्तर चालुक्य, यादव, मुगल, मराठा और अंग्रेज। इन आठों शासनकाल के साहित्य का अध्ययन करें तो पता लगता है कि मराठी साहित्य राष्ट्रीयता और राष्ट्र चेतना का संगम रहा है। मराठी भाषा साहित्य का स्पष्ट अस्तित्व जिसमें उपलब्ध होने लगा था वह था यादव राजाओं का शासनकाल जिसकी अवधि ईस्वी सन् 1150 से 1350 तक मानी जाती है। यादव वंश के राजाओं में रामचंद्र यादव के शासन काल में मराठी साहित्य की विशेष समृद्धि हुई। इस काल में दो महान् कवियों संत ज्ञानेश्वर तथा संत नामदेव का आविर्भाव हुआ। 'संत ज्ञानेश्वर तथा संत नामदेव ने सम्पूर्ण उत्तर भारत में सांस्कृतिक उत्थान की नई लहर पैदा की। जातिवाद की दीवारों को तोड़ने में इन दोनों संतों का भारी योगदान रहा। अब तक चली आ रही मर्यादित राष्ट्रीयता को उन्होंने अपने उदात्त मानवीय जीवन मूल्यों को आधार बनाकर भारत के विशाल भाग में फैलाने का आंदोलन चलाया। जिससे उत्तर भारत में संत कबीर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे।'¹² 'महानुभव पंथ' इसी दौर में विकसित हुआ जो पंजाब से सीमा प्रांत तक फैल गया। जातिवाद को नष्ट कर उन्होंने राष्ट्रीयता की नींव को मजबूत किया। नामदेव और ज्ञानेश्वर ने जन भाषा में काव्य सर्जन करके आम आदमी को अपने आंदोलन से जोड़ा। राष्ट्रीय चेतना को प्रचारित प्रसारित करने का यह अनूठा कदम था। सन् 1318 में यादव वंश समाप्त हो गया। इसके पश्चात् यहाँ बहमनी काल प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के आक्रमणों ने महाराष्ट्र को दहला दिया। महाराष्ट्र राजनीतिक दृष्टि से अशांत और अस्थिर हो गया था। मराठी के स्थान पर फारसी आ गई और मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा था। ऐसे में उस काल में एकनाथ, दासोपंत, भानुदास, जनार्दन स्वामी, नरसिंह सरस्वती, गंगाधर विष्णुदास, नामा और रंगनाथ जैसे संतों ने महाराष्ट्रीयन संस्कृति का अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना के साथ-साथ महाराष्ट्र की जनता में स्वाभिमान, देश भक्ति, शौर्य तथा पराक्रम की जो भावना भर दी थी उससे प्रेरित होकर अनेक मराठा सरदारों ने न केवल शिवाजी के स्वराज्य की रक्षा की बल्कि उसे आगे बढ़ाया और फैलाया। पेशवा युग में मराठा साम्राज्य वैभव के शिखर पर पहुँच गया था। राष्ट्रीय चेतना पर इसका प्रभाव कैसे न

पड़ता? 'इस युग में राष्ट्रीयता के वाहकों की दो धारा स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। एक आध्यात्मिक संस्कृति तो दूसरी समयामयिक राजनीति परिस्थितियों से प्रभावित। प्रथम धारा के कवियों में श्रीधर, महीपती, मोरोपंत, अमृतराय, निरंजन माधव आदि थे। दूसरी धारा में रामजोशी, अनंतफंदी, लहरी मुकुंदा, होनाजीबाल, प्रभाकर, सगनभाऊ और परशुराम जैसे बड़े कवि शामिल थे। मंडाले जेल में लोमान्य तिलक ने 'गीता रहस्य' लिखकर राष्ट्रीयता को जो नया आयाम दिया उसे भारतीय साहित्य कभी नहीं भूल सकता। मराठी साहित्य की सभी विधाएँ राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रही। 'किंचक वध' जैसे नाटक को कौन भूल सकता है? यह नाटक मराठी वांगमय की आत्मा है। इसके बलबूते पर राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद को जो प्रेरणा मिली वह हमारे गौरवशाली इतिहास का एक भाग है। 'वीर सावरकर ने सेल्यूलर जेल में 1857 के गदर को जिस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष में परिवर्तित किया यह अपने आप में उनके देशप्रेम को दर्शाता है।'¹³ साहित्य में राष्ट्रीयता को खोजना है तो मराठी साहित्य को पढ़ना होगा और पढ़ना होगा। महाराष्ट्र के कोने-कोने से आये साहित्यकार इस तथ्य से अवगत हैं कि राष्ट्रीयता की चिंगारी को महाराष्ट्र के साहित्यकारों ने ही दावानल में परिवर्तित किया है। आओ मिल कर गाएँ...। 'जय-जय महाराष्ट्र देश'॥ भारत में प्रचलित हजारों बोलियों और सैकड़ों भाषाओं में राष्ट्रीय अमरता के पदचिन्हों को साहित्यिक नजर से देखा जा सकता है। राष्ट्रीयता में विकास और विध्वंस दोनों के बीज छुपे हैं। असल में राष्ट्रीयता दो धारी तलवार है। इसका उपयोग आज के राष्ट्र कितनी सतर्कता से करते हैं, इसी बात पर इसकी सार्थकता टिकी है। वैश्वीकरण ने विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को चुनौती जरूर प्रदान की परन्तु विश्व को राष्ट्र और राष्ट्रीयता के घेरे से मुफ्त करने में आज वो नाकाम ही दिखती है। आज के मनुष्य ने सामूहिक राष्ट्रीयता के नए रास्ते ईजाद कर लिए हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर दो-दो विश्वयुद्ध की आग में जलने के बाद भी सम्पूर्ण विश्व राष्ट्रवाद की चपेट में आता जा रहा है। युक्रेन और रूस का युद्ध इसके ताज़ा परिणाम हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयता के बुनियादी ढाँचे को समग्रता से समझने की जरूरत है। आज स्वाधीनता के दौरान उपजी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वार्थ विहीन राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। आज हमें भारतीय साहित्य में मौजूद राष्ट्रीय मूल्यों को ग्रहण करने की जरूरत है, ताकि आने वाली मनुष्यता तक राष्ट्रीयता का

स्वच्छ इतिहास और प्रयोग पहुँचाया जा सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ऐ.आर. दसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, दिल्ली, पापूलर प्रकाशन, पृष्ठ- 17, मुद्रित।
2. जितेन्द्र श्रीवास्तव, भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन और राष्ट्रवाद, नई दिल्ली, प्रकाशन संस्थान, पृष्ठ- 13 मुद्रित।
3. श्रीवास्तव, भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन और राष्ट्रवाद, नई दिल्ली, प्रकाशन संस्थान, पृष्ठ- 14 मुद्रित।
4. डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था और राजतन्त्र, दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, संस्करण 2011, पृष्ठ-32, मुद्रित
5. रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ-54, मुद्रित।
6. कृष्ण कुमार गोस्वामी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, प्रथम संस्करण 2008, पृष्ठ-441, मुद्रित।
7. देवशंकर नवीन, अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, प्रथम प्रकाशन 2016, पृष्ठ- 184, मुद्रित।
8. डॉ. आरसू, साहित्यानुवाद : संवाद और संवेदना, दिल्ली, वाणी प्रकाशन, संस्करण 1995, पृष्ठ-37, मुद्रित।
9. देवशंकर नवीन, अनुवाद अध्ययन का परिदृश्य, नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, प्रथम प्रकाशन 2016, पृष्ठ- 184, मुद्रित।
10. बंगाली राष्ट्रीय साहित्य, विकीपीडिया डॉट कॉम, 2013, आनलाईन
11. गणेशशंकर विद्यार्थी, देश की बात, प्रकाशन विभाग, दिल्ली, संस्करण 2005, पृष्ठ-7 मुद्रित।
12. रामविलास शर्मा, भारती संस्कृति और हिंदी प्रदेश, इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण 2001, पृष्ठ-56, मुद्रित।
13. डॉ. विपिन चन्द्र, आधुनिक भारत का इतिहास, नई दिल्ली, ओरियंट ब्लैकस्वान प्रायवेट लिमिटेड, पुनर्मुद्रित 2012, पृष्ठ-76, मुद्रित।
14. आनलाईन अन्य वेबसाइट।

भारत में महिलाओं के अधिकार एवं सुरक्षा

सुविधा राठौर *

*शोधार्थी (समाजशास्त्र) समाजशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – हमारे समाज का महिला वर्ग जब तक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा उनकी सुरक्षा के सभी प्रयास पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकते। महिलाएँ 21 वीं सदी में होते हुए भी पिछड़ी रहेगी। सरकार द्वारा महिलाओं को उनके अधिकार एवं न्याय दिलाने के लिये जिन कानूनों का श्रृंखला किया गया है उन्हें जानना तथा उनके लिये महिलाओं में जागरूकता लाने के बाद ही वे सफल हो सकेंगे। घरेलू हिंसा हो या कार्यस्थल पर उत्पीड़न, दहेज प्रथा हो या अस्वस्थता या विपत्ति के समय सहायता, या पुरुषों के समान उत्तराधिकार की बात हों, जब तक महिलाएँ इन अधिकारों को नहीं जानेगीं वे किसी भी क्षेत्र में स्वयं को सुरक्षित नहीं रख सकती। अतः सरकार के साथ-साथ महिलाओं का भी यह कर्तव्य है कि उठें, जागें, और अपने अधिकारों को जाने तथा स्वयं को सुरक्षित रखें, और संपूर्ण महिला वर्ग को अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनाए।

शब्द कुंजी – महिला सुरक्षा, अधिकार, जागरूकता।

प्रस्तावना – वर्तमान में हमारे देश का सबसे अहम एवं चिंतनीय मुद्दा है महिला सुरक्षा तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से अब तक महिलाओं की उन्नति एवं उन्हें न्याय दिलाने हेतु अनेक कानूनों का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया गया। किन्तु इन सबके बावजूद आज भी महिलाएँ इन प्रयासों का लाभ लेने में पिछड़ी हुई हैं। इसका कारण महिलाओं में अशिक्षा या हमारे समाज की रूढ़िवादिता है। शिक्षा की कमी की वजह से महिलाएं अपने हित के लिए बनाए गए कानून को पूरी तरह जान तथा समझ नहीं पाती हैं वहीं यदि कुछ समझ भी पाए तो परिवार व समाज का कट्टरपंथी रवैया उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। ऐसी कई महिलाएँ हैं जो आगे बढ़ी भी हैं और लाभान्वित भी हुई हैं, किन्तु इनकी संख्या नगण्य ही पायी गई है।

महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सबसे अहम कर्तव्य हमारे संविधान का है। संविधान में सभी नागरिकों के अधिकारों की ग्यारंटी की व्यवस्था की गई है, तथा सभी को समानता की नजर से देखा जाता है। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर किसी से भी किसी भी प्रकार का भेदभाव व असमानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भी क्यों हमारे समाज में नारी की स्थिति अत्यंत ही दयनीय एवं विचारणीय बनी हुई है? घर हो या घर के बाहर महिला स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं महिला सुरक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, किन्तु जब तक महिलाएँ अपने अधिकारों को नहीं जानेगीं तथा उनसे अनभिज्ञ रहेगीं वे सशक्त नहीं हो सकती।

देश में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने एवं सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली बनाने हेतु भारत सरकार ने गृह मंत्रालय में 28 मई 2018 को महिला सुरक्षा प्रभाग की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य सभी रूपों में न्याय को तीव्र करना तथा प्रशासन के माध्यम से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करना तथा अधिक सुरक्षा की भावना का विकास करना है। इसके साथ ही न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी का प्रयोग तथा आई.टी.

के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

महिला सुरक्षा प्रभाग के व्यवहारिक विषयों में देश की महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अनेक परियोजनाओं का समन्वयन तथा क्रियान्वयन किया जा रहा है। महिलाओं को अपराधिक न्याय दिलाने हेतु कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए अपराध व अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, (CCTNS), इंटर आपरेबल, क्रिमिनल, जस्टिस सिस्टम (ICJS), यौन अपराधों के लिए जॉच ट्रैकिंग सिस्टम (ITSSO), यौन अपराधियों पर, राष्ट्रीय डाटाबेस (N.D.S.O), आदि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के आंकड़े जारी करना, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो से संबंधित सभी मामलों की जॉच की व्यवस्था करना। महिलाओं की तस्करी को रोकने तथा कम करने के लिए प्रोटोकाल की व्यवस्था की गई है। भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं के प्रति आदर सम्मान व उन्हें पुज्यनीय माना गया है किन्तु समय के बदलने के साथ-साथ महिलाओं की स्थिति में उत्थान की बजाय पतन होता गया और महिलाएँ असुरक्षित हो गईं भले ही वे सभी क्षेत्रों में पुरुषों के कंधे से कंधा मिला कर कार्य कर रही हैं, परन्तु जहाँ सुरक्षा की बात है तो वे असुरक्षित ही हैं। प्रत्येक महिला का अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से अपना जीवन जीये, वह कहीं भी आने-जाने के लिए स्वतंत्र हो किंतु वे इन सबके साथ सुरक्षित भी हों। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ महिलाएँ सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, दिन हो या रात महिलाओं को घर से बाहर निकलने में भी सोचना पड़ता है। दूसरे नंबर पर मुंबई सुरक्षा के लिहाज से सबसे असुरक्षित माना गया है अहमदाबाद तथा बेंगलूर भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित, शहरों की सूची में शामिल हैं। महिलाओं को घर के बाहर तथा घरों के अंदर सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा कई कानूनों का क्रियान्वयन किया गया जिनमें से निम्न हैं –

1. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 – इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेने, देने या दहेज की मांग करने चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष तथा

दहेज के लेन-देन में सहयोग करने वालों को 5 वर्ष कैद की सजा तथा जुर्माने के तौर पर 15000 का प्रावधान है। किसी भी स्त्री को दहेज हेतु प्रताड़ित करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अंतर्गत महिला के पति या रिश्तेदार को दहेज या कोई भी किमती वस्तु की मांग पर 3 वर्ष की कैद व जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही यदि महिला के पति व ससुराल वाले उसके स्त्रीधन को सौंपने से मना करते हैं तो उन्हें धारा 406 के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान है। यदि विवाह के सात वर्ष के भीतर महिला की असामान्य परिस्थिति में मौत हो जाये और यह साबित हो कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत महिला के पति व ससुराल वालों को 7 वर्ष की सजा (कम से कम) तथा आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कर संशोधन अधिनियम 1984 व 1986 में दहेज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है – “दहेज का अर्थ है प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गई ऐसी कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो कि सुरक्षा के लिहाज से विवाह के समय अभिभावक पक्ष द्वारा किसी पक्ष को या विवाह के समय एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को विवाह से पहले या विवाह के पश्चात् स्वेच्छा से दी गई हो।”

2. घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम, 2005 – यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू हुआ है, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर उन्हें न्याय दिलाना है। इस कानून के अन्तर्गत वह महिला शिकायत कर सकती है जिनको परिवार के लोग प्रताड़ित कर रहे हो या किये जाने की संभावना हो साथ ही यदि आस पास के पड़ोस में किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही हो तो कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत पुलिस से कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को चिकित्सीय सहायता, आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता तथा, वैधानिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। महिलाये अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या प्रताड़ना चाहे वह मानसिक, शारीरिक लैंगिक हो या आर्थिक के संबंध में शिकायत कर सकती है। इसके साथ ही अधिनियम के अन्य प्रावधान है-

धारा - 14 में पीड़ित महिला यदि चाहे तो अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता से परामर्श ले सकती है।

धारा - 16 में पीड़ित महिला यदि चाहे तो कार्यवाही बंद कमरे में की जा सकती है।

धारा - 17 में पीड़ित महिला को सांझी गृहस्थी में रहने का अधिकार होगा चाहे वह उसका हक रखती हो या नहीं।

धारा - 18 में पीड़िता को संरक्षण का अधिकार है महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही हो या होने की संभावना हो तो वह उनके लिए संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार रखती है।

धारा - 19 में पीड़ित महिला को उसी के घर में या प्रत्यर्थी के खर्च पर कहीं भी निवास का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाने का प्रावधान है।

धारा - 20 में आर्थिक सहायता पीड़ित महिला व उसके बच्चों को जरूरत के अनुसार ठ के लिए सहायता का प्रावधान है जो की प्रत्यर्थी द्वारा दिया जाएगा।

धारा - 21 में अभिरक्षा का आदेश के अंतर्गत पीड़ित महिला व उसके बच्चे की अभिरक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है।

धारा - 22 में पीड़ित महिला को घरेलू हिंसा के दौरान की गई किसी भी प्रकार की मानसिक या भावनात्मक हिंसा के एवज में प्रतिकर का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है।

3. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 – यह अधिनियम 1956 में भी था किंतु इसमें लड़के व लड़किया के लिए भेदभाव पूर्ण नियम थे। इस वजह से इसमें संशोधन कर नविन हिंदू उत्तराधिकार कानून 9 सितंबर 2005 को भारत में लागू हुआ इसमें लड़के तथा लड़की दोनों को बराबरी का अधिकार दिया गया। लड़कियों को उनके पिता की अर्जित तथा पेटक दोनों प्रकार की संपत्ति में बराबर का अधिकार प्राप्त होने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तथा, लड़कियों को जन्म से ही लड़को के समान सहदायिक माना गया है।

4. कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 – यह अधिनियम, 9 दिसम्बर, 2013 से प्रभाव में आया है तथा यह कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध तथा निवारण हेतु बनाया गया है। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होगा। इसके अंतर्गत कार्य स्थल पर महिला के सहकर्म या किसी भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा महिला की इच्छा के खिलाफ उसे छुने की कोशिश करना शारीरिक संबंध बनाने की मांग करना या शारीरिक संबंध बनाने के लिए परेशान करना या जबरदस्ती करना, अश्लील बातें करना या अश्लील फिल्में दिखाना या देखने के लिए मजबूर करना आदि इस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है तथा इसके लिए कोई भी महिला अपने कार्य स्थल के व्यक्ति की शिकायत कर सकती है। हर महिला को यह जानकारी होना आवश्यक है कि उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी संस्थान की है।

6. मातृत्व लाभ बिल एक्ट, 2017 – यह अधिनियम, 27 मार्च, 2017 से लागू हुआ है। 1961 में भी यह एक्ट बन गया था किंतु इसमें मातृत्व अवकाश मात्र 3 महीने का था जिसे 2017 में संशोधित कर 3 माह से बढ़ा कर 6 माह का कर दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कामकाजी महिला को मातृत्व अवकाश देने का लाभ प्रदान किया गया है। यह सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों संस्थाओं के लिए लागू होता है। तथा मातृत्व लाभ का अवकाश प्राप्त करने वाली महिलाओं को उनकी नौकरी के सभी अधिकार तथा अवकाश के दौरान पूरी तनख्वाह प्राप्त होने का अधिकार है। तथा यह भी उन्हीं संस्थाओं में लागू होगा जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो। यह लाभ महिलाओं का आपेक्षित प्रसव के 8 सप्ताह पूर्व तथा प्रसव के बाद शेष अवकाश लिया जा सकता है। बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं पर भी यह अधिनियम लागू होता है।

उक्त उल्लेखित वे अधिनियम हैं जिनकी जानकारी प्रत्येक महिला को होना चाहिए जिससे की वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके तथा इन्हीं अधिकारों की सहायता से स्वयं को सुरक्षित रख सकें।

निष्कर्ष – महिलाओं को उकने अधिकार दिलाने तथा उनकी सुरक्षा हेतु बनाए गए कानून समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति को ऊँचा उठाने में काफी हद तक सहायक है। जिनका लाभ प्राप्त कर महिलाएँ विपत्ति के समय स्वयं की रक्षा कर सकती हैं, चाहे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक या दहेज की मांग आदि किसी भी प्रकार की समस्या हो वे अपने अधिकारों की मांग कर सकती हैं। इसलिये महिलाओं को अपने अधिकारों को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। एक जागरूक महिला अपने परिवार की अन्य

महिलाओं को जागरूक कर सकती है तथा यह एक परिवार से दूसरे परिवार एवं समाज की प्रत्येक महिला तक जागरूकता पहुँचा सकती है। अतः सरकार के साथ-साथ प्रत्येक महिला का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे स्वयं की सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए लड़ना सीखे तथा अपने अधिकार प्राप्त करने की कोशिश करें। समाज की रूढ़ियों एवं परंपराओं से बाहर निकलकर अपना व अपने महिला वर्ग को अधिकारों के लिए जगाएं एवं सुरक्षा हेतु सशक्त बनाएँ, तभी वे अपना एवं भविष्य की महिलाओं को समाज तथा पुरुषों के हाथ की कठपुतली बनने से बचा सकती है। प्रसिद्ध विचारक अरस्तु का कथन सत्य ही है कि 'नारी की उन्नति या अवनति पर ही देश की उन्नति या अवनति निर्धारित होती है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. [https:// vikaspedia.in](https://vikaspedia.in)
2. <https://www.dristiias.com>
3. <https://www.hmoob.in>
4. हुजा, एल,एस, 'डॉरी सिस्टम इन इंडिया : एकेस स्टडी', दिल्ली एशिया प्रेस, 1966
5. ह्युमन राइट्स लॉ नेटवर्क, 'घरेलु हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम, 2005 हैण्डबुक', 2013
5. mha.gov.in गृह मंत्रालय
6. नारायण, प्रकाश, 'दहेज प्रथा और महिलाएँ : हिंसा उत्पीड़न एवं शोषण', बुक एनक्लेव, जयपुर, 2009
7. शर्मा, श्रीमती पूजा, 'महिलाएँ एवं मानवाधिकार', सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012

जनजातीय क्षेत्रों में मानव अधिकार (झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन)

संजु अलावा *

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र) भारत

शोध सारांश - मानव अधिकार वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त होने चाहिए। इस संबंध में आर.जे. विसेंट का विचार है कि 'मानव अधिकार वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त हैं। इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।' अतः मानव अधिकार मानवीय समाज में ही अन्तर्निहित हैं तथा इन अधिकारों की अनिवार्यता मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव रही है।

शब्द कुंजी - मानव अधिकार, जनजातीय, संरक्षण।

प्रस्तावना - मानव अधिकारों की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है, जितनी कि मानव जाति, समाज और राज्य की। मानव अधिकारों की धारणा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव सुख से है, जिसमें विकास के क्रम में सामाजिक सुख, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुख का स्वरूप धारण कर लिया गया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मान्यता प्रदान करने से मानव अधिकारों का स्वरूप विष्वव्यापी हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मानव गौरव एवं गरिमा की रक्षा का दायित्व कल्याणकारी सरकार का है। अतः राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के लिए संस्थागत एवं व्यक्तिगत, सरकारी तथा गैर सरकारी समस्त स्तरों पर प्रयास किए जा रहा है। प्रत्येक मानव समाज में व्यक्ति के गौरव और गरिमा, व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों को परिभाषित करने का सक्रिय प्रयास किया गया है। सामाजिक नैतिकता, व्यक्तिगत मूल्यों, सामाजिक पद्धति, जन्म, लिंग अथवा देवी शक्तियाँ इन मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।

शोध विषय का चयन - मनुष्य के जन्म लेने के साथ ही उसके अस्तित्व को बनाये रखने के लिए कुछ अधिकार उसको स्वतः मिल जाते हैं और वह उनका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए गए और उनको लागू करना या करवाने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ कागजी दस्तावेज बनकर रह गए हैं। आज भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में लोगों को पूरी तरह से अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने से यह स्पष्ट कि मानवाधिकार में जनजाति वर्ग के अधिकारों पर समय-समय पर काफी प्रकाश डाला गया है, परंतु जनजाति वर्ग के लोगों को अधिकार सम्पन्न किये जा रहे हैं या उनके क्रियान्वयन के लिए जो विचार या अधिकार सम्पन्न किये जा रहे हैं, जो अभी तक पूर्ण आकार नहीं ले सके हैं। इन तथ्यों के आधार पर ही **जनजातीय क्षेत्रों में मानव अधिकार (झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन)** नामक विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. जनजाति वर्ग की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का

अध्ययन करना।

2. मानवाधिकार के प्रति जनजातियों में जागरूकता की स्थिति का पता लगाना है।

अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र - इस शोध कार्य से यह ज्ञात हो सकेगा कि जनजातीय क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संबंध में लोगों को कितनी जानकारी है और वे उनके मानवीय अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं? इस प्रकार से यह शोध कार्य जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के लोगों, नीति निर्धारकों एवं नवीन अनुसंधानकर्ताओं के लिए बहुत लाभदायक होगा। इस शोध कार्य के लिए मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य झाबुआ जिले का चयन किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झाबुआ जिले की कुल जनसंख्या 1025048 है, जिसमें 515023 पुरुष एवं 510025 महिलाएँ हैं। जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 819818 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत है।¹ इसी कारण से जिले को जनजातीय बाहुल्य जिला घोषित किया गया है।

निर्दर्शन प्रक्रिया - इस शोध कार्य के लिए निम्न प्रकार से निर्दर्शन प्रक्रिया अपनाई गई है-

क. अध्ययन के समग्र - अध्ययन के समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

ख. अध्ययन की इकाई - समग्र में से अध्ययन की इकाई के रूप में झाबुआ जिले के जनजाति परिवारों में से उन परिवारों को शामिल किया गया, जो किसी भी शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।

उत्तरदाताओं का चयन - इस शोध कार्य की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदाताओं का चयन शोध कार्य के निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य प्रतिचयन विधि** से किया गया है।² झाबुआ जिले से कुल 245 उत्तरदाताओं का चयन **दैव निर्दर्शन पद्धति** से किया गया है।³ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिले स्तर से कुल 20 उत्तरदाता, तहसील स्तर से कुल 75 उत्तरदाता और ग्राम पंचायत स्तर से कुल 150 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। इस प्रकार जिले से कुल 245 जनजाति उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन

की इकाई के रूप में किया गया।

आँकड़ों का संकलन— इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत — इस शोध कार्य के लिए प्राथमिक आँकड़ों का संकलन अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से किया गया है।⁴ वहीं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन विभिन्न मानक पुस्तकों, शोध-प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध, विभिन्न शोध पत्र एवं पत्रिकाओं, विभिन्न विभागों के प्रकतवेदनों, भारत की जनगणना-2011, झाबुआ जिले की सांख्यिकी पुस्तिकाओं, शासकीय तथा अशासकीय विभागों की अधिकृत वेबसाइट्स से प्राप्त आँकड़ों एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया है।

इस प्रकार संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

1. आयु के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 60.82 प्रतिशत उत्तरदाता 25-50 वर्ष के हैं।
2. शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 55.51 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित हैं।
3. शिक्षा के स्तर के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार शिक्षित उत्तरदाताओं में से 43.09 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं, जबकि 26.88 प्रतिशत उत्तरदाता माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं।
4. वैवाहिक स्थिति के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में 92.25 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं।
5. परिवार के स्वरूप के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार 75.10 प्रतिशत

उत्तरदाता एकाकी परिवार प्रणाली में रहते हैं।

6. परिवार में सदस्यों की संख्या के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवार में 4 से अधिक सदस्य हैं।
7. मकान के स्वरूप के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार 68.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर/मकान कच्चे हैं।
8. मानवाधिकारों की जानकारी होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के कुल उत्तरदाताओं में से 78.37 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मानवाधिकारों की जानकारी है।
9. मानवाधिकारों का संरक्षण करने वाली संस्थाओं के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार मानवाधिकारों की जानकारी रखने वाले कुल उत्तरदाताओं में से 48.44 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अभिमत है कि मानवाधिकारों का संरक्षण मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जाता है।

उपसंहार — उपर्युक्त विवेचन एवं निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के जनजातीय बाहुल्य झाबुआ जिला शिक्षा की दृष्टि से भले ही अच्छी स्थिति में नहीं हो, लेकिन यहाँ के सर्वाधिक लोगों को अपने मानवाधिकारों की जानकारी है और यह तथ्य एक विकासात्मक दृष्टिकोण का नवीन आयाम प्रस्तुत कर रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका-2016
2. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)
3. शुक्ल, एस.एम., सहाय, एस.पी. (2005) सांख्यिकीय के सिद्धांत, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा (उ.प्र.)
4. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)

जनजातीय क्षेत्रों में मौसमी पलायन (अलीराजपुर जिले के संदर्भ में एक अध्ययन)

सज्जनसिंह मोर्य *

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह हम सभी जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है और भारत की सर्वाधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं। वर्ष 2011 की भारत जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है, जिसमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है एवं शेष 31.16 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। स्वतंत्र भारत की वर्ष 1951 की पहली जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या क्रमशः 83 प्रतिशत और 17 प्रतिशत था। जो वर्ष 2001 की जनगणना में क्रमशः 74 प्रतिशत एवं 26 प्रतिशत हो गया। इन आँकड़ों के आधार पर स्पष्ट है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है।¹

शब्द कुंजी – पलायन, जनजातीय, मौसमी।

प्रस्तावना – देश के ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की तरफ पलायन करने का सिलसिला नवीन नहीं है। गाँवों में कृषि भूमि में निरंतर कमी होने, जनसंख्या बढ़ने एवं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आजीविका की तलाश में ग्रामीण लोग से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। साथ ही गाँवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, आवास, संचार एवं स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाएँ नगरों की तुलना में कम हैं, जिसके चलते रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों को नगरों की ओर विवश होना पड़ता है। इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ गाँवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण शोषण एवं उत्पीड़न से मजबूर होकर भी ज्यादातर लोग नगरों की ओर पलायन करते हैं। निर्धन अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हमारे देश में 'गाँव से शहरों' की ओर पलायन की प्रवृत्ति अधिक है।

शोध विषय का चयन – गाँव एवं शहर की जीवन शैली अलग-अलग होती है। गाँव से शहर में मौसमी पलायन होने से शहर के संसाधन जल्दी समाप्त हो जाते हैं, जो निकट भविष्य में और अधिक विकट समस्या पैदा कर सकते हैं। शहर में आबादी के बढ़ते दबाव को रोकने के लिए सरकार एवं प्रशासन को गाँवों में रोजगार पैदा करने चाहिए, जिससे गाँवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सके। मौसमी पलायन के कारण क्या जनजाति वर्ग के लोगों की संस्कृति प्रभावित हुई है ? क्या मौसमी पलायन का जनजाति वर्गों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है ? क्या शासकीय योजनाओं के कारण मौसमी पलायन में कमी हुई है ? इन सब महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही हम 'मौसमी पलायन करने वाली अनुसूचित जनजाति के परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में)' नामक शोध विषय का चयन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. चयनित जनजाति उत्तरदाताओं की आर्थिक-सामाजिक स्थिति का

अध्ययन करना।

2. मौसमी पलायन के विभिन्न प्रभावों का अध्ययन करना।

अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र – अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा मौसमी पलायन किए जाने पर आधारित इस शोध कार्य का महत्व यह है कि इस अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौसमी पलायन करने वाले जनजातीय परिवारों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और मौसमी पलायन की स्थिति से उनके जीवन में क्या बदलाव आता है ? अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का चयन किया गया है। मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित अलीराजपुर जिला दिनांक 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से अलग होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अलीराजपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 3,182.00 वर्ग कि.मी. है और जनसंख्या घनत्व 229 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अलीराजपुर जिले की जनसंख्या 728,677 है। जिले में स्त्री-पुरुष अनुपात 1009 है अर्थात् प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएँ हैं। 2001-2011 के दशक में जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 19.4 प्रतिशत थी।²

निर्दर्शन प्रक्रिया – मौसमी पलायन करने वाली अनुसूचित जनजाति के परिवारों का समाजशास्त्रीय अध्ययन से संबंधित इस शोध कार्य में निर्दर्शन प्रक्रिया इस प्रकार से अपनाई गई है-

1. **अध्ययन के समग्र** – अध्ययन के समग्र के रूप में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की 05 तहसीलों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों को शामिल किया गया है।

2. **अध्ययन की इकाई** – समग्र में से अध्ययन की इकाई के रूप में अलीराजपुर जिले की 05 तहसीलों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में से कुल 150 परिवारों का चयन किया गया है।

उत्तरदाताओं का चयन – शोध कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं का चयन शोध कार्य के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर **सोद्देश्य**

प्रतिचयन विधि से किया गया है।³ शोध कार्य के लिए उत्तरदाताओं के रूप में जिले की 05 तहसीलों में पलायन करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों में से कुल 150 परिवारों का चयन किया गया है। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिले की प्रत्येक तहसील से कुल 30 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार जिले से कुल 150 (5 x 30) उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन की इकाई के रूप में किया गया है।

आँकड़ों का संकलन— इस शोध कार्य की पूर्ति के लिए प्राथमिक आँकड़ों एवं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन किया गया है।

आँकड़ों के संकलन के स्रोत— इस शोध कार्य के लिए **प्राथमिक आँकड़ों** का संकलन अध्ययन क्षेत्र से चयनित उत्तरदाताओं से साक्षात्कार-अनुसूची के माध्यम से किया गया है।⁴ वहीं द्वितीयक आँकड़ों का संकलन विभिन्न मानक पुस्तकों, शोध-प्रबंध एवं लघु शोध प्रबंध, विभिन्न शोध पत्र एवं पत्रिकाओं, विभिन्न विभागों के प्रकतवेदनों, भारत की जनगणना-2011, अलीराजपुर जिले की सांख्यिकी पुस्तिकाओं, शासकीय तथा अशासकीय विभागों की अधिकृत वेबसाइट्स से प्राप्त आँकड़ों एवं अभिलेखों के आधार पर किया गया है।

इस प्रकार संकलित किए गए प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण एवं सारणीकरण के बाद में तथ्यों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए, जिसके आधार पर शोध कार्य की प्रतिपूर्ति की गई है।

अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

1. आयु के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार इस महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए अध्ययन क्षेत्र से चयन किए गए ज्यादातर उत्तरदाता 20-40 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।
2. शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार चयनित अध्ययन क्षेत्र अलीराजपुर जिले के ज्यादातर उत्तरदाता अशिक्षित हैं।
3. शिक्षा के स्तर के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाता प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय तक की शिक्षा प्राप्त हैं।

4. वैवाहिक स्थिति के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार इस शोध कार्य के लिए चयनित सर्वाधिक उत्तरदाता विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
5. परिवार के स्वरूप के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के जनजातीय परिवारों के ज्यादातर लोग एकल परिवार में रहते हैं।
6. परिवार में सदस्यों की संख्या के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवार में 4-6 सदस्य हैं।
7. मकान के स्वरूप के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के ज्यादातर उत्तरदाताओं के घर/मकान कच्चे हैं।
8. पानी के स्रोत के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदाताओं के यहाँ पानी का स्रोत हैण्डपंप है।
9. मौसमी पलायन से संस्कृति पर प्रभाव होने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार मौसमी पलायन से उत्तरदाताओं की संस्कृति प्रभावित नहीं होती है।
10. शासकीय योजनाओं से मौसमी पलायन में कमी आने के संबंध में प्राप्त तथ्यों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र के ज्यादातर उत्तरदाताओं के अनुसार शासकीय योजनाओं से मौसमी पलायन में कमी नहीं आई है।

उपसंहार— उपर्युक्त विवेचन एवं निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के जनजातीय बाहुल्य अलीराजपुर जिले के जो परिवार मौसमी पलायन करते हैं, उनके पलायन करने से उनकी संस्कृति पर मौसमी पलायन का कोई प्रभाव नहीं होता है और वहीं शासकीय योजनाओं से भी पलायन पूरी तरह से रूक नहीं पाया है। लेकिन इसके अनेक कारण भी हो सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनगणना-2011
2. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका-अलीराजपुर
3. शुक्ल, एस.एम., सहाय, एस.पी. (2005) सांख्यिकीय के सिद्धांत, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा (उ.प्र.)
4. सिंह, श्यामधर (1982), वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूल तत्व, कमल प्रकाशन, इन्दौर (म.प्र.)

परम्परा व आधुनिकता के सन्दर्भ में युवा महिलाओं के धार्मिक प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. रत्ना त्रिवेदी* श्रीमती आभा सिंघल**

* एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) मुन्नालाल एवं जयनारायण खेमका गर्ल्स कालेज, सहारनपुर (उ.प्र.) भारत

** शोधार्थी (समाजशास्त्र) मुन्नालाल एवं जयनारायण खेमका गर्ल्स कालेज, सहारनपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - भारतीय समाज में धर्म नामक संस्था इतनी अधिक प्रभावशाली रही है कि इसने संपूर्ण सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। धार्मिक संस्थाओं का समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक समाज में धर्म को संस्कृति के एक आवश्यक भाग के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। प्रत्येक समाज में चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें धर्म से सम्बन्धित कुछ मूल्य, विश्वास, परम्पराएँ, मान्यताएँ व प्रतिमान होते हैं जो उस धर्म से सम्बन्धित व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। परन्तु परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस परिवर्तन से धर्म भी अछूता नहीं रहा है। भारत में पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैज्ञानिक शिक्षा व नवीन तकनीकी का प्रसार होने से धर्म से सम्बन्धित मूल्य, विश्वास, परम्पराएँ, मान्यताएँ व प्रतिमान भी प्रभावित होते रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय समाज में परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं के आने से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की युवा महिलाओं के धार्मिक प्रतिमानों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया गया है और यह पाया गया है कि वर्तमान समय में युवा महिलाओं के धार्मिक प्रतिमानों का महत्व अभी भी बना हुआ है।

प्रस्तावना - धर्म की अवधारणा सर्वकालिक व सार्वभौमिक समाज की सशक्त संस्था रही है जिसकी केन्द्रीय धुरी विश्वास पर आधारित है। वह विश्वास जिसे समाज द्वारा विवेकशीलता के आधार पर संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाता है तथा जिसके स्वरूप में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म ठहराववाद का पोषक है बल्कि वह समय चक्र के तथा सामाजिक परिवर्तन के साथ भी सामंजस्य स्थापित करता है। धर्म अलौकिक शक्ति, वस्तु, सत्ता, काल, स्थान व अन्य अलौकिक तत्वों से जुड़े विश्वासों व व्यवहारों की एक अन्तर्सम्बन्धित व्यवस्था है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इस धर्म को स्वीकार करने वालों के व्यवहार व हित समागत रहते हैं। यह संबंध ऐसा है जिसे धर्म को मानने वाले अपने सार्वभौमिक व निजी जीवन में गंभीरता से आत्मसात करते हैं। एडवर्ड टायलर (1871) कहते हैं कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। इन्होंने विश्वास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार माना है। एच०एम० जानसन (1983) के अनुसार धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तत्व अलौकिक शक्ति, वस्तु अथवा सत्ता में विश्वास है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स (1859) ने धर्म को सिद्धान्त या दर्शन की प्रणालियों के रूप में देखा था। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक धर्म अपने ढंग से मरने के बाद जीवन की व्याख्या करता है। रैडार्लफ ब्राउन (1952) तथा मैलिनोवस्की (1937) ने धर्म में धार्मिक क्रियाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना है।

वस्तुतः धर्म विश्वास की व्यवस्था है। विश्वास से ही धर्म का आरम्भ होता है भले ही इसे कर्मकाण्ड या अनुष्ठान से बनाए रखा जाए। आधुनिक समाजों में अधिकतर अनेक धर्म होते हैं इसलिए विश्वासों की भिन्नता भी अधिक देखने को मिलती है।

धार्मिक व्यवहार या कर्मकाण्ड धर्म के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये व्यवहार मूलतः अलौकिक वस्तुओं से विश्वास को बनाए रखने के लिए होते हैं।

उदाहरण के लिए पूजा करना, नमाज पढ़ना, चर्च में प्रार्थना करना या गुरुद्वारे में अरदास सुनना आदि। जानसन (1983) का मानना है कि विभिन्न प्रकार के धार्मिक व्यवहार एक धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं व ये उनके जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करते हैं। परन्तु वर्तमान समय में विज्ञान, तकनीकी, धर्मनिरपेक्षीकरण, औद्योगीकरण व नगरीकरण आदि के कारण धर्म के रूप व उनके कार्यों में परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान व तकनीकी के विकास के कारण व्यक्ति कार्य और कारण सम्बन्ध के बिना किसी भी धारणा तथा वस्तु को स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि आज व्यक्ति के विचारों व विश्वासों में परिवर्तन आ रहा है। आज व्यक्ति धार्मिक ग्रन्थों पर अपने को आश्रित न करके स्वयं के अवलोकन व परीक्षण पर निष्कर्ष निकाल रहा है। विज्ञान की उन्नति ने बुद्धिवाद व प्रमाणिकता का विकास किया है जिसके कारण धार्मिक परम्पराओं को बहुत अधिक आघात पहुँच रहा है। धर्म और धार्मिक परम्पराओं में होने वाले परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए परम्परा को समझना आवश्यक हो जाता है।

डॉ० डी०पी० मुखर्जी (1958) ने लिखा है कि अंग्रेजी शब्द के ट्रेडिशन की उत्पत्ति ट्रादेरे (Tradere) से हुई है इसका अर्थ है कि एक दूसरे को देना। परम्परा एक अनुक्रम या इतिहास है। परम्पराओं के स्रोत धार्मिक ग्रन्थ, साधुओं व महात्माओं के उपदेश आदि होते हैं। प्रो० मुखर्जी (1958) ने कहा है कि परम्परा कुछ भी नहीं बल्कि संरक्षण करने की क्रिया है। प्रो० रामकृष्ण मुखर्जी ने The Sociologist and Social change in India today (1962) में डॉ० डी०पी० मुखर्जी के विचारों के आधार पर परम्परा की परिभाषा देते हुए लिखा है कि परम्परा एक भूला हुआ तथ्य है जिसे जनता पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रहण करती रहती है। डॉ० एस०पी० नागेन्द्र (1971) ने लिखा है कि धर्म व परम्परा तत्सम हैं। इन्होंने लिखा है कि जो भी कुछ

परम्परा में है उसे आदरपूर्ण स्वीकार किया जाता है और यह समाज में पवित्रता भी बनाए रखती है।

दूसरी ओर आधुनिकता आधुनिक होने के गुण को कहते हैं। परम्परा को त्यागकर नए परिवर्तनों, आधुनिक ज्ञान तथा तार्किकता को ग्रहण करना ही आधुनिकता है। आधुनिकता स्थानीय बंधनों से संबंधित न होकर विश्वव्यापी मनोवृत्ति से प्रभावित होती है। एम.एस.ओ. गोरे (1971) ने लिखा है आधुनिकता एक जटिल अवधारणा है क्योंकि जिन समाजों को हम आधुनिक कहते हैं, उनमें भी पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। डॉ. श्यामाचरण दुबे (1988) का मानना है आधुनिकता एक प्रक्रिया है जिसमें परम्परागत समाज प्रौद्योगिकीकरण पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होता है।

आधुनिकता अतार्किक विचारों से मुक्त होकर तार्किक विचारों को विकसित करती है। प्राथमिक सम्बन्धों के स्थान पर व्यक्तिवादी मूल्यों का विकास करती है। प्रदत्त पदों से मुक्ति पाकर अर्जित पदों की महत्ता को स्वीकार करती है। वृद्धों की अपेक्षा युवक और युवतियों को अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करती है। इसके अतिरिक्त आधुनिकता में पुराने कार्य यन्त्रों के स्थान पर नवीन यन्त्रों व खादों का उपयोग होता है। स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन व उपयुक्त चिकित्सा की महत्ता में वृद्धि होती है। नवीन तकनीकी से निर्मित आवागमन व संचार के साधनों में वृद्धि होती है तथा नगरीकरण व औद्योगिकीकरण का विकास होता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। आधुनिकता व विशेषीकृत ज्ञान में वृद्धि होती है। द्रव्यीकरण विस्तृत होता है आर्थिक वृद्धि होती है। विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारी तन्त्र की वृद्धि होती है।

इस प्रकार परम्परा एवं आधुनिकीकरण को स्पष्ट करने के बाद इसमें अन्तर समझना भी आवश्यक हो जाता है। परम्परा का सम्बन्ध एक लम्बे समय से संचित ज्ञान के उस भण्डार से है जो निरन्तर मानव समाज का मार्गदर्शन करता है। परम्पराएं अतीत में मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव जीवन का विकास करने के लिए तथा मानव के कल्याण के लिए आदर्श प्रतिमान के रूप में विकसित की गई थी तथा ये आदर्श प्रतिमान और मूल्य के रूप में दिखाई देती हैं। क्योंकि यह आदर्श मूल्य व प्रतिमान मानव कल्याण के लिए उपयोगी है इसलिए ये व्यक्तियों के व्यवहारों में आदर्शों, मनोवृत्तियों के रूप में ढल जाते हैं। आने वाली पीढ़ी को ये आदर्श मूल्य, प्रतिमान विरासत के रूप में मिलने लगते हैं तथा इस प्रकार इसकी निरन्तरता बनी रहती है। परम्परा में न तो तर्क होता है तथा न ही वैज्ञानिकता होती है और इसमें परिवर्तन भी सम्भव नहीं होता। परम्परा का आधार नैतिकता होती है। दूसरी ओर आधुनिकता का अर्थ नवीन व्यवहारों, नवीन आदर्शों व व्यवहार के नए प्रतिमानों से है जिसका आधार नैतिक न होकर तार्किक व वैज्ञानिक होता है। इनमें जो आदर्श, मूल्य व प्रतिमान परम्पराओं से प्राप्त होते हैं उनका अन्धानुकरण नहीं किया जाता। इसमें विचारों की बहुलता पाई जाती है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को यह भी स्वतन्त्रता होती है कि वह परम्परागत मूल्यों, आदर्शों व प्रतिमानों का पालन करे या ना करें।

उद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य जिला मुजफ्फरनगर में परम्परा व आधुनिकता के सन्दर्भ में युवा महिलाओं में धार्मिक प्रतिमानों का अध्ययन करना है।

निर्देशन- प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला मुजफ्फरनगर

की कुल 1,950,078 महिलाओं में से 100 युवा महिलाओं का चुनाव द्वैव निदर्शन पद्धति के माध्यम से किया गया है। जिला मुजफ्फरनगर की कुल जनसंख्या 4,143,512 है इसमें पुरुषों की जनसंख्या 2,193,434 है तथा महिलाओं की जनसंख्या 1,950,078 है।

अनुसन्धान पद्धति- प्रस्तुत अध्ययन में जिला मुजफ्फरनगर से 100 युवा महिलाओं का चयन किया गया है। इसमें 50 युवा महिलाएँ हिन्दू धर्म से तथा 50 युवा महिलाएँ मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं। अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया है तथा निदर्शन में चुनी गई महिलाओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया है तथा द्वितीयक तथ्यों का संकलन पुस्तकालय, इन्टरनेट, पत्र तथा सरकारी रिपोर्ट की सहायता से किया गया है।

तालिका-1: निदर्शन में चयनित युवा महिलाओं का विवरण :-

क्र.संख्या	धर्म	युवा महिलाओं की संख्या
1.	हिन्दू	50
2.	मुस्लिम	50
योग		100

तालिका-2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 2 से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है तथा नष्ट नहीं होती जो 84 प्रतिशत है। इनमें 39 प्रतिशत युवा महिलाएँ हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं तथा 45 प्रतिशत युवा महिलाएँ मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है तथा नष्ट नहीं होती।

तालिका-3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 3 से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकाण्ड/उपासना का सहारा लेना चाहिए जिनका प्रतिशत 85 है। इनमें से 40 प्रतिशत युवा महिलाएँ हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं तथा 45 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकाण्ड/उपासना का सहारा लेना चाहिए जो 45 प्रतिशत है।

तालिका-4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 4 से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि विज्ञान है कि विज्ञान के युग में ग्रह दशाओं की बात करना सही है जो 80 प्रतिशत है। इनमें से 36 प्रतिशत युवा महिलाएँ हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं तथा 44 प्रतिशत युवा महिलाएँ मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वाधिक मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि विज्ञान के युग में ग्रह दशाओं की बात करना सही है जो 44 प्रतिशत है।

तालिका-5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 5 से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि दान पुण्य, तीर्थ यात्रा करने से अगले जन्म में सुख प्राप्त होता है जो 71 प्रतिशत है। इनमें से 37 प्रतिशत युवा महिलाएँ हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं तथा 34 प्रतिशत मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक हिन्दू धर्म से सम्बन्धित युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि दान पुण्य तीर्थ यात्रा करने से अगले जन्म में सुख प्राप्त होता है जो 37 प्रतिशत है।

तालिका-6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 6 से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि धार्मिक प्रतीक के धागे, माला, ताबीज, अंगूठी पहनने से व्यक्ति की रक्षा होती है जो 90 प्रतिशत है। इनमें 44 प्रतिशत युवा महिलाएँ हिन्दु धर्म से सम्बन्धित हैं तथा 46 प्रतिशत युवा महिलाएँ मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में सर्वाधिक मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित युवा महिलाएँ यह मानती हैं कि धार्मिक प्रतीक के धागे, माला, ताबीज, अंगूठी पहनने से व्यक्ति की रक्षा होती है जो 46 प्रतिशत है।

निष्कर्ष:

- अधिकांश युवा महिलाओं का मानना है कि मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद भी रहती है तथा नष्ट नहीं होती है जो 84 प्रतिशत है। इनमें 39 प्रतिशत हिन्दु युवा महिलाएँ हैं तथा 45 प्रतिशत मुस्लिम युवा महिलाएँ हैं।
- अधिकांश युवा महिलाओं का यह मानना है कि अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकाण्ड/उपासना का सहारा लेना चाहिए जो 85 प्रतिशत है। इनमें 40 प्रतिशत हिन्दु युवा महिलाएँ हैं तथा 45 प्रतिशत मुस्लिम युवा महिलाएँ हैं।
- अधिकांश युवा महिलाओं का मानना है कि विज्ञान के युग में ग्रह दशाओं की बात करना सही है जो 80 प्रतिशत है। इनमें 36 प्रतिशत हिन्दु युवा महिलाएँ तथा 44 प्रतिशत मुस्लिम युवा महिलाएँ हैं।
- अधिकांश युवा महिलाओं का मानना है कि दान पुण्य, तीर्थ यात्रा करने से अगले जन्म में सुख प्राप्त होता है जो 71 प्रतिशत है। इनमें 37 प्रतिशत हिन्दु युवा महिलाएँ तथा 34 प्रतिशत मुस्लिम युवा महिलाएँ हैं।
- अधिकांश युवा महिलाओं का मानना है कि धार्मिक प्रतीक के धागे, माला, ताबीज, अंगूठी पहनने से व्यक्ति की रक्षा होती है जो 90 प्रतिशत है इनमें 44 प्रतिशत हिन्दु युवा महिलाएँ तथा 46 प्रतिशत मुस्लिम युवा महिलाएँ हैं।

उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू युवा महिलाओं में आधुनिकता के प्रभाव के कारण धार्मिक प्रतिमानों का महत्व धीरे-धीरे कम हो रहा है। परन्तु मुस्लिम युवा महिलाओं पर हिन्दू युवा महिलाओं की तुलना में आधुनिकता का प्रभाव कम पड़ा है जिसके कारण उनकी धार्मिक प्रतिमानों

और विश्वासों पर आस्था आज भी बनी हुई है और उनमें बहुत कम परिवर्तन हो रहा है। परन्तु अन्त में यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों धर्म की युवा महिलाएँ धार्मिक प्रतिमानों को महत्व देती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. मिश्र, डॉ०के०के० (1978) 'समाजशास्त्र के मूल तत्व' मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, नई दिल्ली।
2. पाण्डेय, डॉ० रवि भूषण (2008) 'अवधारणात्मक समाजशास्त्र', अकादमिक प्रतिभा गीता कालोनी, दिल्ली।
3. जैन, डॉ० जे०डी० (1977) 'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन' एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड, रामनगर, नई दिल्ली।
4. हैलन, डॉ० जी०सी० (1983) 'समकालीन भारतीय समाज : परम्परा और परिवर्तन' रोहिणी पब्लिकेशनस, शास्त्री नगर मेरठ
5. Dube, S.C. (1988) 'Modernization and development' Vistarpublishation, New Delhi.
6. Marx, Karl (1859) 'Karl Marx- Contributions of the critique of political Economy' Progress Publishers, Moscow.
7. Edward, Tylor (1871), 'Primitive Culture' Vol II. London.
8. Brown, Redcliff (1952) 'Structure and function in Primitive Societies' The Free Press Glencoe Illinois.
9. Malinowski, B. (1937) 'Magic, Science, Religion and other Essays' Glencoe Illinois.
10. Mukerji, D.P. (1958) 'Diversities' People's publishing house, New Delhi.
11. Mukerji, Ram Krishan (1962). 'The Sociologist and Social change in India Today' Prentice Hall of India.
12. Nagendra, Dr. S.P. (1971) 'The Concept of Ritual in Modern Sociological Theory' Academic Journal of India.
13. Gore, M.S. (1971) in A.R. Desai (Ed.) 'Essays on Modernization of Underdeveloped Societies' Vol. II, Thacker and Co. Mumbai.
14. Johnson, H.M. (1983) 'Sociology' Allied publishing Pvt. Ltd. New Delhi.

तालिका-2: मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद भी रहने और नष्ट नहीं होने के सम्बन्ध में युवा महिलाओं की राय

क्र.	मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद भी रहने तथा नष्ट न होने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय	हिन्दु युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	मुस्लिम युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	योग	प्रतिशत
1.	मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद भी रहने और नष्ट न होने की सही मानते हैं।	39	45	84	84%
2.	मनुष्य की आत्मा मृत्यु के बाद भी रहने तथा नष्ट न होने को सही नहीं मानते हैं।	11	05	16	16%

तालिका-3: अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकाण्ड / उपासना का सहारा लेने सम्बन्ध में युवा महिलाओं की राय

क्र.	अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकाण्ड/उपासना का सहारा लेने के संबंध में उत्तरदाताओं की राय	हिन्दु युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	मुस्लिम युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	योग	प्रतिशत
1.	अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकाण्ड/उपासना का सहारा लेना सही मानते हैं।	40	45	85	85%
2.	अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्मकाण्ड/उपासना का सहारा लेना सही नहीं मानते हैं।	05	10	15	15%

तालिका-4: विज्ञान के युग में ग्रह दशाओं की बात करना सही होने के सम्बन्ध में युवा महिलाओं की राय

क्र.	विज्ञान के युग में ग्रह दशाओं की बात करना सही होने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय	हिन्दु युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	मुस्लिम युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	योग	प्रतिशत
1.	विज्ञान के युग में ग्रह दशाओं की बात करना सही मानते हैं।	36	44	80	80%
2.	विज्ञान के युग में ग्रह दशाओं की बात करना सही नहीं मानते हैं।	14	06	20	20%

तालिका-5: दान-पुण्य, तीर्थ यात्रा करने से अगले जन्म में सुख प्राप्त होने के सम्बन्ध में युवा महिलाओं की राय

क्र.	दान-पुण्य, तीर्थ यात्रा करने से अगले जन्म में सुख प्राप्त होने के सम्बन्ध में युवा महिलाओं की राय	हिन्दु युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	मुस्लिम युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	योग	प्रतिशत
1.	दान-पुण्य, तीर्थ यात्रा करने से अगले जन्म में सुख प्राप्त होने को सही मानते हैं	37	34	71	71%
2.	दान-पुण्य, तीर्थ यात्रा करने से अगले जन्म में सुख प्राप्त होने को सही नहीं मानते हैं।	13	16	29	29%

तालिका-6: धार्मिक प्रतीक के धागे, माला, ताबीज, अंगूठी पहनने से व्यक्ति की रक्षा होने के सम्बन्ध में युवा महिलाओं की राय

क्र.	धार्मिक प्रतीक के धागे, माला, ताबीज, अंगूठी पहनने से व्यक्ति की रक्षा होने के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं की राय	हिन्दु युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	मुस्लिम युवा महिला उत्तरदाता की संख्या	योग	प्रतिशत
1.	धार्मिक प्रतीक के धागे, माला, ताबीज, अंगूठी पहनने से व्यक्ति की रक्षा होने को सही मानते हैं।	44	46	90	90%
2.	धार्मिक प्रतीक के धागे, माला, ताबीज, अंगूठी पहनने से व्यक्ति की रक्षा होने को सही नहीं मानते हैं।	06	04	10	10%

आपदा प्रबंधन में भारतीय ज्ञान परम्परा का संभाव्य योगदान

यश शर्मा *

* सहायक प्राध्यापक (संस्कृत ज्योतिष) शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - विश्व में मानव संसाधन सबसे बड़ी पूँजी है और उसकी आकस्मिक मृत्यु बहुत ही बड़ी हानि है। एशिया में सन् 1900-2001 के बीच 735 प्रतिशत मृत्यु प्राकृतिक आपदा के कारण हुई (IFRC 2002)। प्राकृतिक आपदाएँ मानव संसाधन की हानि का सबसे बड़ा कारण हैं। विश्व में प्राकृतिक आपदाएँ अधिकतर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सबसे अधिक होती हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्र 3.3 मिलियन² किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो हिमालय से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है, पूर्व में गुजरात से लेकर पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में भारतीय समुद्र स्थित है। भारत की तटीय सीमा मुख्य भूमि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को मिलाकर 75166 किलोमीटर है। उत्तर में स्थित हिमालय भारतीय प्रायद्वीप के लिये एक प्राकृतिक सीमा रक्षा की तरह काम करता है, जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इस तरह भारतीय स्थलाकृति बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि इसके उत्तर में उंचे पर्वत, मध्य में समतल भूमि, दक्षिण में पठारी क्षेत्र स्थित है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं की सूचना 1500 ईसवी पूर्व से पहले भारतीय ग्रंथों में कथाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। भारतीय आपदाओं की सूचना का संग्रहण 500 वर्ष से अधिन का नहीं है। जिसके अनुसार भारत प्राकृतिक आपदाओं से बहुत अधिक प्रभावित है। 2001 में एशिया की कुल प्राकृतिक आपदाओं से हुई मृत्यु में केवल भारत में ही 70 प्रतिशत मृत्यु और ये समस्या समय के साथ बहुत अधिक प्रभावशाली और विनाशकारी होती जा रही है क्योंकि कुछ समय से ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित नहीं थे, वो भी होने लगे हैं। उत्तरपूर्वी भारत में पाँच रेक्टर का भूकंप चाल ही चौथे महीने, छह रेक्टर का भूकंप हर नौ महीने में लगभग होता है।

सन् 1950 में असम में 8.6 रेक्टर का भूकंप आया था। लगभग 30 साल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, परन्तु उन्हें कम करने के लिये व उनसे बचने के लिये, उनके आने पर जल्दी से जल्दी उससे निपटने के लिये एक आपदा प्रबंधन की आवश्यकता भी महसूस की गई, जो विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिये विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के माध्यम से कार्य करें तथा आपदाओं से क्षेत्र में राहत कार्य शीघ्र से शीघ्र शुरू कर सकें, जिसके लिये समाज, सरकारों, स्वयं सेवा संगठन आदि को साथ काम करने की आवश्यकता है। 1900 ई. में भारतीय सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय योजना निकाली थी, जोखिम मानचित्रण व भेद्यता मूल्यांकन, मानव

संसाधन विकास, पूर्व चेतावनी प्रणाली, भूकंप उपकरण नेटवर्क को मजबूत करना, जागरूक समाज और अन्य गतिविधियाँ प्रारम्भ की गई। 19 अगस्त 1999 में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति आपदा प्रबंधन पर सिफारिशों के लिये स्थापित की गई थी जो एक संस्थागत प्रणाली थी, जिसने विश्व स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रणाली और एसी हितकारकों के साथ परामर्श की एक शृंखला स्थापित कर उनका अध्ययन किया था। जिसने अपनी सिफारिश 2001 में प्रस्तुत की, जिसमें आपदाओं के पूर्व आपदाओं का प्रबंधन ही मुख्य विषय के रूप में प्रस्तावित था। इसी समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप 2005 का अधिनियम और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारियों व समितियों की क्रमिक स्थापना आज हम देखते हैं। भारतीय वित्त आयोग ने पिछले सौ सालों में विभिन्न आपदा राहत मुद्दों व चिंताओं को संबोधित किया है तथा आपदा राहत कोष की स्थापना का कार्य भी किया है, परन्तु 11वें वित्त आयोग (2000-2005) ने आपदा पूर्व आपदा के निवारण से संबंधित योजना पर जोर दिया है, जो केवल राहत कोष देने वाला या आपदा के बाद कार्य करने वाला तंत्र नहीं था। उसने हेजल मैपिंग, पारदर्शी राहत वितरण प्रक्रिया व राष्ट्रीय आपदा आकस्मिता निधि की स्थापना जैसे उल्लेखनीय कार्य किये। भारतीय योजना आयोग ने दसवें योजना वर्ष में आपदा प्रबंधन एवं विकास के स्थान पर विकसित सुरक्षित राष्ट्रीय विकास की चर्चा भी की। इसके लिये सूचना प्रसार, अनुसंधान के लिये व्यापक मापदंडों, रणनीतियों को निर्धारित किया। आपदा के बाद पुनर्निर्माण, प्रशिक्षण और शिक्षा, सामुदायिक स्तर की पहल और संस्थागत व्यवस्था की भी चर्चा उसमें मिलती है।

2001 भुज (गुजरात) भूकंप राष्ट्रीय शासन प्रणाली के लिये आँख खोलने वाला था, क्योंकि उसमें मानव जीवन और संपत्ति का स्पष्ट नुकसान, आजीविका, सामाजिक पूँजी और आर्थिक विकास को अगण्य नुकसान हुआ था तथा बचे हुये बुनयादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के पुनर्वास और पुनर्निर्माण में बहुत अधिक लागत की आवश्यकता थी तथा उसके लिये वर्षों के समय की आवश्यकता थी। इससे बचने के लिये भुज भूकंप के बाद अक्टूबर 2001 में योजना आयोग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, भवन संहिता और उपनियम तथा उच्च शक्ति समिति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया, परन्तु इन सभी में भारतीय प्राचीन साहित्य में प्राकृतिक उपायों को संज्ञान में नहीं लिया गया। 2011 में गृह मंत्रालय से प्रकाशित 'DISASTER MANAGEMENT IN INDIA' पुस्तक में कहीं भी प्राचीन काल में आपदाओं से बचने के लिये जो उपाय वर्णित है, उनकी चर्चा अनुपलब्ध है। भारतीय शास्त्रीय अध्ययन परम्परा में ज्योतिष शास्त्र की

सहायता से विभिन्न प्रकार की आपदाओं के होने से पहले उनकी संभाव्यता व उनकी तीव्रता का पूर्वानुमान संभव है। इस तरह भारतीय ज्ञान परम्परा के सहयोग से भारतीय आपदा में सुधार हो सकता है, जो 2001 में भुज के बाद होने वाली समस्याओं से लड़ने में बहुत ही सहायक उपकरण सिद्ध हो सकता है। सभी प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप बहुत ही अधिक विनाशकारी होता है। भूकंप को परिभाषित करते हुए शास्त्रों में इसके कई कारण कहे गये हैं, जैसे कश्यप ऋषि के अनुसार समुद्र की गहराईयों में रहने वाले विशालकाय जीवों के कारण भूकंप आता है।

वारुणोऽस्योपरि पृथ्वी सशैलवनकानना।

स्थिता जलसत्त्वाश्च सक्षोभाश्चलयन्ति ताम्।¹

इसी तरह गंगाचार्य ने धारण करने वाले दिग्गजों के थकने पर जब वह आराम के लिये रुकते हैं, तब भूकंप आते हैं-

चत्वारः पृथ्वीं नागा धारयन्ति चतुर्दिशम्।

वर्धमानः सुवृद्धाश्चातिवृद्धश्च पृथुश्रवाः॥

वर्धमानो दिशं पूर्वा सुवृद्धो दक्षिणां दिशम्।

पश्चिमामतिवृद्धिस्तु सौम्याशां तु पृथुश्रवाः॥

नियोगाद् ब्रह्मणो ह्येते धारयन्ति वसुन्धराम्।

ते श्वसन्ति यदा शान्ताः स वायुः श्वसितो महान्॥

वेगान्महीं चालयन्ति भावभवाय देहिनाम्।²

वशिष्ट ऋषि ने भूकंप का कारण पृथिवी के वायुमंडल में भ्रमणशील तीव्र प्रवहमान वायु को माना है। परन्तु पराशर आदि ऋषियों के अनुसार इन्द्र के सभी पर्वतों के पंख काटने के बाद शुभ-अशुभ फल के ज्ञान के लिये वायु, अग्नि, इन्द्र व वरुण दिन-रात के क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में पृथिवी को कंपित करते हैं-

गिरिभिः पुरा सपक्षीर्वसुधाप्रपतद्भिश्च।

आकम्पिता पितामहमाहामरसदसि सव्रीडम्॥

भगवन्नाम ममैतत्त्वया कृतं यदचलेति तन्न तथा।

क्रियतेऽचलैश्चलद्भिः शक्ताहं नास्य खेदस्य॥

तस्याः सगग्निदगिरं किञ्चित् स्फुरिताधरं विनतमीषत्।

साश्रुविलोचनमाननमालोवय पितामहः प्राह॥

मन्युं हरेन्द्र धात्र्याः क्षिप कुलिशं शैलपक्षभङ्गं गाय।

शक्रः कृतमित्युक्त्वा मा भैरिति वसुमतीमाह॥

किन्त्वनिलदहनसुरपतिवरुणाः सदसत्फलावबोधार्थम्।

प्राग् द्वित्रिचतुर्भागेषु दिननिशोः कम्पयिष्यन्ति॥³

शास्त्रों में भूकंप के चार प्रकार कहे गये हैं- 1- वायव्य मण्डल, 2- आग्नेय मण्डल, 3- इन्द्र मण्डल, 4-वरुण मण्डल। ग्रन्थों में भूकंप का मण्डल निर्धारण करने के लिये नक्षत्रों की सहायता ली गयी है। जैसे उत्तराफाल्गुनी,

हस्त चित्रा, स्वाती, पुनर्वसु, मृगशिरा, अश्विनी नक्षत्रों में भूकम्प आने पर वह वायव्य मण्डल में परिगणित होता है। वायव्य मण्डल के भूकम्प में लक्षण सात दिन पहले दिखने लगते हैं- धूम से व्याप्त आकाश, सूर्य कि किरणें मन्द, वृक्षों को उखाड़ देने वाली हवाएँ। शास्त्रों में इनका फल या इससे होने वाला संभाव्य परिणाम भी वर्णित है- धान्य, वृष्टि और वन की औषधियों का नुकसान, व्यापारी वर्ग को पीडा, शस्त्र से आजीविका पाने वाले, कवि, स्त्री, संगीतकार, शिल्पकार आदि जनवर्ग प्रभावित होता है। सौराष्ट्र, कुरु, मगध, दशार्णव मत्स्य देश के निवासी प्रभावित होते हैं। भारतीय शास्त्रों में वर्षा का आकलन बहुत ही व्यापक है क्योंकि वर्षा का ज्यादा होना या कम होना दोनों ही स्थिति से आपदा को जन्म देता है। वर्षा अगर ज्यादा हो तो बाढ़, महामारी आदि की समस्या, कम हो तो सूखा, अकाल, दुर्भिक्ष की समस्या होती है, जिससे जनजीवन अधिक प्रभावित होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बाद वर्षा का आकलन करना चाहिये, क्योंकि आषाढ मास में सूर्य कर्क राशि में संक्रमण करता है, जो दो बातों को बताता है, पहली की कर्क संक्रान्ति को सबसे बड़ा दिन होता है तथा दूसरी कर्क संक्रान्ति को सूर्य विश्व मानचित्र पर परम उत्तर आता है। आषाढ मास में चन्द्रमा जब रोहिणी नक्षत्र पर आता है, तब दो-तीन दिन तक आकाश में मेघ, वायुवेग, विद्युत, इन्द्रधनुष, प्राकृतिक शब्दों (पशु, पक्षियों की ध्वनियाँ) आदि तथा चंद्रमा की आकाश में रोहिणी नक्षत्र के साथ विभिन्न स्थितियों के अध्ययन के आधार पर अग्रिम मासों में वर्षा की स्थिति को कहना चाहिये। पुनः चन्द्रमा तथा रोहिणी नक्षत्र के योग काल में वायु की दिशा व गति के आधार पर अग्रिम चार मास पर्यन्त वर्षा की स्थिति का ज्ञान कर सकते हैं। अकाल एक अत्यन्त विपद आपदा है, जिसका प्रमाण भारतीय जनगणना में 1921 को देखने को मिला, जिसमें जनगणना वृद्धिदर ऋणात्मक थी। भारतीय परम्परा में स्वती चन्द्रमा योग के माध्यम से फसल की स्थिति का ज्ञान सम्भव होता है। इसी प्रकार उल्का परिवेश (इन्द्रधनुष आदि), गन्धर्वनगर (प्रिजमसिटी), आदि के माध्यम से विभिन्न आपदाओं का पूर्वानुमान संभव है तथा समयानुसार उनके संबंधित निवारक उपायों का सम्यक् व सम्पूर्ण विकास संभव हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कश्यपः, भट्टोत्पलटीका, बृहत्संहिता, भूकम्पलक्षणविचाराध्यायः, श्लो. 1
2. गर्गः, भट्टोत्पलटीका, बृहत्संहिता, भूकम्पलक्षणविचाराध्यायः, श्लो. 1
3. बृहत्संहिता, भूकम्पलक्षणविचाराध्यायः, श्लो. 3-7
4. बृहत्संहिता, रोहिणीयोगविचारः, श्लो. 4
5. बृहत्संहिता, रोहिणीयोगविचारः, श्लो. 2 1
6. स्वातीयोगविचारः, श्लो. 5

सागर जिले में कृषि विकास के स्तर : एक भौगोलिक अध्ययन

प्रो. ए.सी. तिवारी* भावना पटेल**

* विभागाध्यक्ष (भूगोल) शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय महाविद्यालय, बांदरी, जिला सागर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - कृषि में नवीन तकनीकों व विधियों का उपयोग आज के युग की पहचान बन चुका है। वर्तमान में विभिन्न आधुनिक पद्धतियों के उपयोग से कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों को भी कृषि के अनुकूल बना लिया जा चुका है। जो क्षेत्र कृषि की दृष्टि से पिछड़े थे, आज वे कृषि समृद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं यद्यपि कृषि की नवीनतम पद्धतियों के उपयोग से कृषि विकास हुआ है, परन्तु सभी क्षेत्रों में इसकी विकास दर समान नहीं रही है। आज भी किसी भी क्षेत्र का कृषि विकास उसके भौतिक, सामाजिक-आर्थिक परिवेश पर निर्भर करता है। जो उस क्षेत्र में कृषि विकास के स्तर को निर्धारित करते हैं, जिससे कृषि के विकास स्तरों में विभिन्नता पाई जाती है।

शब्द-कुंजी - कृषि विकास, आधुनिक कृषि पद्धतियाँ, उन्नत बीज, कृषि यंत्र, खाद उर्वरक।

प्रस्तावना - आधुनिक कृषि तकनीकी, उपकरण, निवेश, कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करना तथा उत्पादकता में वृद्धि कृषि विकास कहलाता है। कृषि विकास किसी भी क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक तन्त्र की गुणवत्ता का द्योतक है। वर्तमान में सिंचाई सुविधाओं के विकास, आधुनिक कृषि यन्त्रों के उपयोग, उन्नत बीजों के उपयोग, खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग, जैविक तकनीकी, कृषि सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसरण आदि के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र में कृषि विकास सम्बन्धी बदलाव आ रहे हैं। कृषि के विकास के साथ-साथ एक ही क्षेत्र में कृषि विकास के स्तरों में विभिन्नता पाई जाती है, जो कि उस क्षेत्र के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है।

अध्ययन क्षेत्र - सागर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर-मध्य भाग में स्थित है। अध्ययन क्षेत्र सागर संभाग के दक्षिण-पश्चिम भाग में स्थित है। सागर जिला 23°10' उत्तरी अक्षांश से 24°27' उत्तरी अक्षांश तथा 78°04' पूर्वी देशान्तर से 79°21' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले की उत्तरी सीमा पर उत्तरप्रदेश का ललितपुर जिला, दक्षिणी सीमा पर नरसिंहपुर एवं रायसेन, पश्चिमी सीमा पर विदिशा, पूर्वी सीमा पर दमोह, उत्तर-पूर्व में छतरपुर एवं उत्तर पश्चिम में अशोकनगर जिला स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10252 वर्ग कि.मी. है। सागर जिला 9 तहसीलों एवं 11 विकासखण्डों में विभक्त है। 2011 की जनगणना के अनुसार सागर जिले की जनसंख्या 23,78,295 है, जिसमें 12,54,251 पुरुष तथा 11,24,044 महिलाएँ हैं। जिले का जनसंख्या घनत्व 232 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी., लिंगानुपात 896 तथा साक्षरता 77.5 प्रतिशत है।

सागर जिले में कुल कार्यशील जनसंख्या 2011 के अनुसार 1006035 है, जो कुल जनसंख्या का 42.30 प्रतिशत है, जिसमें कुल पुरुषों की संख्या 682077 (54.29 प्रतिशत) एवं महिलाओं की संख्या 323958 (28.87 प्रतिशत) है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 203600 कृषक हैं, जिनका प्रतिशत 20.24 प्रतिशत है, कृषक जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या 166420 (24.40 प्रतिशत) एवं महिलाओं की संख्या 37180

(11.48 प्रतिशत) है। जिले में 378560 व्यक्ति कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, जिनका प्रतिशत 37.63 प्रतिशत है, इसमें 240073 पुरुष (35.20 प्रतिशत) एवं 138487 (42.75) महिलाएँ हैं।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. सागर जिले के विकासखण्डवार विभिन्न कृषिगत नवीन विधियों के उपयोग को जानना।
2. सागर जिले के विकासखण्डवार पाई जाने वाली भिन्नता के कारणों को जानना।
3. सागर जिले में कृषि विकास के स्तरों को व उनके कारणों को जानना।

विधितंत्र - प्रस्तुत शोध पत्र हेतु द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। द्वितीयक आँकड़ों का संकलन सागर जिले के गजेटियर तथा जिला सांख्यिकीय पुस्तिका सागर से किया गया है। इस शोध पत्र हेतु 2015-16 के कृषिगत आँकड़ों तथा आवश्यकतानुसार मानचित्रण तकनीक का उपयोग किया गया है। जिले में कृषि विकास के स्तर ज्ञात करने के लिए केण्डाल की कोटि गुणांक विधि का उपयोग किया गया है।

कृषि विकास के स्तर - सागर जिले में कृषि नवाचार से कृषि विकास की ओर अग्रसर हुई है। सागर जिले में सभी विकासखण्डों में कृषि नवाचार के प्रभाव समान रूप से नहीं पड़े हैं। जिले के कुछ विकासखण्डों में विकास अधिक हुआ है, तो कुछ विकासखण्ड पिछड़े हुए हैं। सागर जिले में कृषि विकास के स्तर को जानने के लिये कृषि नवाचार के विभिन्न साधनों के उपयोग को केण्डाल की कोटि गुणांक विधि के उपयोग द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

1. **उच्च विकसित क्षेत्र** - उच्च विकसित क्षेत्र में 0-5.0 कोटि के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। इसमें सागर जिले के सागर विकासखण्ड कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक विकसित है। यहाँ कोटि का स्तर 3.7 है। सिंचित क्षेत्र का 61.38 प्रतिशत, आधुनिक कृषि यन्त्रों का घनत्व प्रति हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 21 ट्रेक्टर, 180 विद्युत पम्प, 24 डीजल पम्प उपलब्ध हैं। उन्नत बीजों के

अंतर्गत 27.93 प्रतिशत क्षेत्र है। उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिये देशी खाद के अलावा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आधुनिक कृषिगत निवेश अधिक होने से यह विकासखण्ड अधिक विकसित है। सागर विकासखण्ड जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ सरलता से आधुनिक कृषिगत निवेशों की उपलब्धता होना, बाजार सुविधा तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकसित होने से यहाँ कृषि विकास का स्तर उच्च है।

2. मध्यम विकसित क्षेत्र – मध्यम विकसित में कोटि स्तर 5.1 से 6.0 है। जिले के मध्यम विकसित क्षेत्र में देवरी, केसली, खुरई, बण्डा, शाहगढ़ विकासखण्ड आते हैं। सिंचित क्षेत्र में शाहगढ़ विकासखण्ड सर्वाधिक 65.09 प्रतिशत, देवरी में 56.47 प्रतिशत है। इसी तरह कृषि यन्त्रों की उपलब्धता में ट्रैक्टर का घनत्व सर्वाधिक खुरई विकासखण्ड में 31, शाहगढ़ विकासखण्ड में 24, देवरी विकासखण्ड में 20, केसली विकासखण्ड में 15 तथा बण्डा विकासखण्ड में 14 प्रति हजार हेक्टेयर है। इसी तरह विद्युत पम्प एवं डीजल पम्पों की उपलब्धता में देवरी व केसली प्रमुख क्षेत्र है। उन्नत बीजों के उपयोग की दृष्टि से बण्डा विकासखण्ड का 27.45 प्रतिशत, खुरई में 26.01 प्रतिशत, केसली में 25.65 प्रतिशत, देवरी में 22.72 प्रतिशत तथा शाहगढ़ में 15.48 प्रतिशत क्षेत्र आता है। मध्यम विकसित क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में होता है। खुरई विकासखण्ड कृषि उत्पादन की दृष्टि से जिले का अग्रणी क्षेत्र है। यह समतल उपजाऊ मैदानी, काली मिट्टी, वाला क्षेत्र है, जो प्रमुख गेहूँ का उत्पादक क्षेत्र है।

3. अल्प विकसित क्षेत्र – अल्प विकसित क्षेत्र में कोटि स्तर 6.1 से अधिक है। सागर जिले के जैसीनगर, राहतगढ़, रहली, बीना, मालथौन विकासखण्ड अल्प विकसित क्षेत्रों में आते हैं। बीना विकासखण्ड को छोड़कर अन्य सभी विकासखण्डों में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कम है। बीना विकासखण्ड में सिंचित क्षेत्र 56.31 प्रतिशत तो अधिक है किन्तु अन्य साधनों के उपयोग में अभी भी पिछड़ा है, जैसे ट्रैक्टरों का घनत्व सबसे कम बीना विकासखण्ड में ही 8 ट्रैक्टर प्रति हजार हेक्टेयर है, वहीं उन्नत बीजों के अन्तर्गत भी 16.49 प्रतिशत क्षेत्र ही आता है। सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में राहतगढ़ एवं शाहगढ़ विकासखण्ड आते हैं। रहली विकासखण्ड भी कृषि

विकास के स्तर में पिछड़ी हुई स्थिति में है। यहाँ सिंचित क्षेत्र 36.40 प्रतिशत है, आधुनिक कृषि यन्त्रों की उपलब्धता भी इस विकासखण्ड में कम है। यहाँ अल्प विकास होने का कारण यहाँ कृषकों द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक करना तथा व्यापारिक फसलों के प्रति कृषकों का रुझान कम होना है। इसके साथ ही कृषकों का सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होना है।

निष्कर्ष – सागर जिले में आधुनिक कृषि निवेशों की मात्रा में सराहनीय वृद्धि हुई है, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, उर्वरक, सिंचाई साधन, यंत्रीकरण प्रत्येक क्षेत्र में नवीन तकनीकों का उपयोग बढ़ा है। जिले में आधुनिक कृषिगत नवाचारों के अभिग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन व उत्पादकता पर भी देखने को मिला है। विगत कुछ वर्षों से कृषकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है कृषकों का रुझान खाद्यान्नों फसलों से व्यापारिक फसलों की ओर भी आकर्षित हुआ है। यद्यपि सागर जिले के कुछ विकासखण्डों में कृषि विकास अधिक हुआ है तथा कुछ विकासखण्डों में विकास की गति धीमी है, लेकिन सागर जिले की कृषि में नवाचारों के अभिग्रहण के फलस्वरूप कृषि विकास में तीव्रता आई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

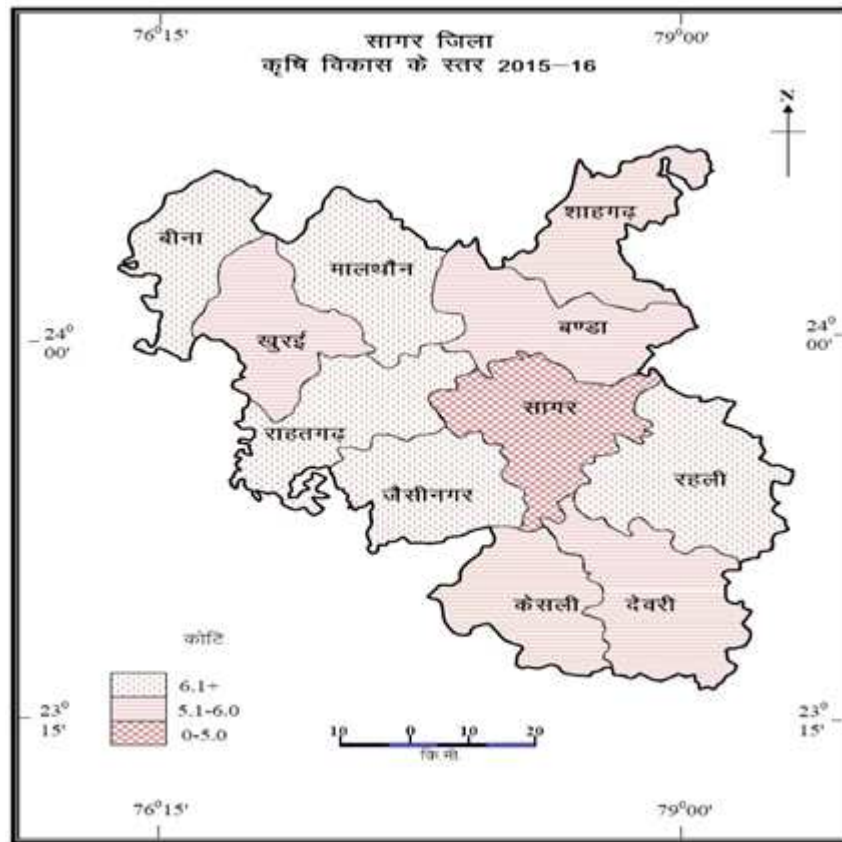
1. जिला गजेटियर, सागर
2. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, सागर, 2017-18
3. शर्मा, श्री कमल एवं कुमार प्रमिला, (2008), कृषि भूगोल, मध्यप्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
4. पटेल, भावना (2009), कृषि पर हरित क्रांति का प्रभाव : सागर जिले (म.प्र.) का अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर।
5. Bhargava, Archana (1985), Resources and Planning for Economic Development of Sagar Division, Ph.D., Dr. Hari Singh Gour University, Sagar (M.P.).
6. Jain, C.K. (1922), Adoption of Modern Farm Technology in Madhya Pradesh in Noor Mohammad (ed.), *New Dimensions in Agricultural Geography* Concept Publishing Company., Vol. 6, pp.163-184.

तालिका 1: सागर जिला : कृषि विकास के स्तर 2015-16

विकासखण्ड	सिंचित क्षेत्र		ट्रैक्टर		विद्युत पम्प		डीजल पम्प		उन्नत बीज		कोटि	
	प्रतिशत	कोटि	घनत्व	कोटि	घनत्व	कोटि	घनत्व	कोटि	प्रतिशत	कोटि	प्रतिशत	कोटि
सागर	61.38	2	21	4	180	1	24	9.5	27.93	2	18.5	3.7
जैसीनगर	35.28	10	20	3.5	95	2	25	8	23.94	7	32.5	6.5
राहतगढ़	36.40	9	22	3	62	7	24	9.5	26.74	4	32.5	6.5
रहली	48.45	5	16	7	74	4	17	11	19.05	9	36	7.2
देवरी	56.47	3	20	5.5	69	5	32	6	22.72	8	27.5	5.5
केसली	45.97	6	15	8	79	3	34	5	25.65	6	28	5.6
बीना	56.31	4	8	11	35	9.5	44	4	16.49	10	38.5	7.7
खुरई	38.21	7	31	1	52	8	28	7	26.01	5	28	5.6
मालथौन	29.83	11	12	10	35	9.5	55	1	29.02	1	32.5	6.5
बण्डा	37.09	8	14	9	63	6	47	2.5	27.45	3	28.5	5.7
शाहगढ़	65.09	1	24	2	29	11	47	2.5	15.48	11	27.5	5.5

स्रोत : जिला सांख्यिकी पुस्तिका, सागर, 2017-18, पृ.30-33।

मानचित्र क्र. 1



स्रोत : जिला सांख्यिकीय पुस्तिका से प्राप्त आँकड़ों पर आधारित।

पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास के लिए अभिनव पहल: ग्रामीण पर्यटन

डॉ. खुमेश सिंह ठाकुर* डॉ. जी. एल. मालवीय**

*सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शा. कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला- विदिशा (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) सुभद्रा शर्मा शा. कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला- विदिशा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - ग्रामीण पर्यटन वह पर्यटन है जो ग्रामीण जीवन शैली, वहां की संस्कृति परंपरा, लोक साहित्य, हस्तशिल्प और विरासत को दर्शाता है। इसके अन्तर्गत कृषि पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक पर्यटन शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का ग्रामीण जीवन से परिचय कराना और विभिन्न आयाम बताना है। किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत हो। पर्यटन और प्रकृति संरक्षण का प्रबंध इस ढंग से करना कि एक तरफ पर्यटन और परिस्थितिकी की आवश्यकताएं पूरी हो और दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार नए कौशल, आय और महिलाओं के बेहतर जीवन-स्तर सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे में जब पर्यटन विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उद्योग बन चुका है, ग्रामीण पर्यटन एक संभावनाओं से परिपूर्ण विकल्प के रूप में सामने आया है। ग्रामीण पर्यटन में निवेश केवल रोजगार एवं आमदनी बढ़ाने के तौर पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का भी प्रभावी माध्यम हो सकता है। हमारे देश में हर राज्य क्षेत्र और गांव की अपनी भाषा, संस्कृति, परम्पराएँ, रीति-रिवाज, वेशभूषा और खान-पान के तौर तरीके हैं। गांवों का प्राकृतिक परिवेश और सहज-सरल जीवन पर्यटकों को आत्मिक आनंद देता है और उसे जड़ों से जुड़ने का एहसास होता है। यहीं अनुभव ग्रामीण पर्यटन को असीम संभावनाओं का क्षेत्र बनाता है।

प्रस्तावना - 'जार्ज बर्नाड शॉ के अनुसार भारतीय जीवन शैली प्राकृतिक और असली जीवनशैली की दृष्टि देती है। हम खुद को अप्राकृतिक मास्क से ढक कर रखते हैं। भारत के चेहरे पर हल्के निशान रचियता के हाथों के हैं।' उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति का केनवास न सिर्फ विशाल है बल्कि विविधतापूर्ण रंगों एवं संकल्पों-विकल्पों का संयोजित रूप है जहां कई सदियों से सहिष्णुता, सहयोग और अहिंसा पुष्पित-पल्लवित होकर इसे विशिष्ट बनाती है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। भारत का ग्राम्य जीवन असली भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। हमारे गांव देश की संस्कृति और परम्पराओं का खजाना है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां इतनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता देखने को मिले। हरे-भरे खेत, बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां घने जंगल, सुनहरे तट, रेतीले मरुस्थल भारत को सही मायने में 'अतुल्य' गंतव्य बनाते हैं।

हमारे गांव, देश की संस्कृति और परम्पराओं का खजाना है। महानगरों की गहमा-गहमी से दूर गांवों में जीवन को सहज रूप से जीने का अवसर मिलता है जो किसी के भी मन में नई स्फूर्ति का संचार करता है। हमारी अनोखी कलाओं और शिल्प के सिद्धहस्त कलाकार और दस्तकार गांवों में ही निवास करते हैं। पर्यटन एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें कई तरह का पर्यटन शामिल होता है। मोटे तौर पर गांवों में इसके तहत दो तरह की गतिविधियां प्रमुख हैं। पहली, कृषि पर्यटन यानी वह सेटअप जिसमें पर्यटकों को खेती के तौर-तरीकों का अनुभव कराया जाता है और दूसरा, ग्रामीण पर्यटन जिसमें पर्यटकों को ग्रामीण जन-जीवन को महसूस करने का अवसर मिलता है।

ग्रामीण पर्यटन वह पर्यटन है जो ग्रामीण जीवन-शैली, वहां की संस्कृति, परम्परा, लोक साहित्य, हस्तशिल्प और विरासत को दर्शाता है।

इसके अन्तर्गत कृषि पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक पर्यटन शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का ग्रामीण जीवन से परिचय कराना और विभिन्न आयाम बताना है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पीढ़ियों से शहर में रह रहे हैं और जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। कम प्रदूषण, कम आबादी, प्राकृतिक वस्तुएं, कम तकनीकी आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लोगों को ग्रामीण पर्यटन की ओर आकर्षित करती हैं।

ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा- कोई भी ऐसा पर्यटन जो ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और ग्रामीण स्थलों की धरोहर को दर्शाता हो, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचता हो, साथ ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच संवाद से पर्यटन अनुभव के अधिक समृद्ध बनने की संभावना हो, उसे 'ग्रामीण पर्यटन' कहा जाता है। ग्रामीण पर्यटन अनिवार्यता एक ऐसी गतिविधि है, जो देश के ग्रामीण इलाकों में संचालित होती है। यह बहु-आयामी है, जिसमें खेती-बाड़ी, संस्कृति, प्रकृति, साहस, पर्यावरण आदि का समुचित तालमेल होता है। गांवों में पुरातत्व कला, ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों, कवियों, समाज सुधारकों, कलाकारों, तीर्थ स्थानों, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य प्रकार के समाज और संस्कृति उन्नायकों के जन्म व कर्मस्थलों को विकसित करके उन्हें पर्यटक-स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।²

'ग्रामीण पर्यटन' की अवधारणा हमारे देश में अपेक्षित नई है। ग्रामीण पर्यटन से अभिप्राय यह है कि सैलानी ऐतिहासिक स्थलों या शहरों में भव्य स्मारकों व अन्य इमारतों, समुद्र तटों व नदियों के किनारे बसे मनोरम स्थलों, पर्वतीय स्थानों और वनाच्छादित प्राकृतिक क्षेत्रों के साथ-साथ देश के ग्रामीण अंचलों में बिखरी पड़ी अनछुई प्राकृतिक छटा, सांस्कृतिक संपदा और वहां के जन-जीवन के प्रदूषण-मुक्त वातावरण में आनंद ले सकते हैं।

ग्रामीण पर्यटन की दिशा में हो रही प्रगति से समूचे उद्योग में एक तरह ताजगी और आत्मीयता का संचार होता दिखाई दे रहा है।

‘पर्यटन का जो रूप ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और ग्रामीण स्थानों पर विरासत की झांकी दिखाता है, स्थानीय समुदाय को आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्रदान करता है तथा पर्यटन के अधिक समृद्ध अनुभव के लिए पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है, उसे ‘ग्रामीण पर्यटन’ कहते हैं।’ ग्रामीण पर्यटन का यह विचार निश्चित रूप से भारत जैसे देश के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण पर्यटन के विकास से ग्रामीण जन समुदाय अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सक्षम हो सकता है। साथ ही आजीविका के अधिक विकल्प, ग्रामीण समुदाय की आमदनी बढ़ाने और लुप्त होती जा रही ग्रामीण कला-विधाओं के संरक्षण में भी ग्रामीण पर्यटन मददगार है तथा ग्रामीण पर्यटन से गांव के लोग मेहमानों की संस्कृति के सम्पर्क में आते हैं जिससे उनकी जानकारीयों का दायरा बढ़ता है। इस तरह संस्कृति और परम्पराओं के आदान-प्रदान में भी ग्रामीण पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जागरूकता का बढ़ता-स्तर, विरासत एवं संस्कृति में बढ़ती दिलचस्पी, बेहतर पंहच और पर्यावरण के प्रति समझ के कारण ग्रामीण पर्यटन के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है।

विकसित देशों में इसके कारण पर्यटन की नई शैली ने जन्म लिया है, जिसमें तनावमुक्त और स्वस्थ जीवन शैली का अनुभव करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा की जाती है। ग्रामीण पर्यटन का विचार इसी से पनपा है। ग्रामीण पर्यटन को अनुभववात्मक पर्यटन का मौका मुहैया कराने तथा पर्यटन में विविधता लाने और ग्रामीण समुदायों के आय का स्तर बढ़ाकर उनकी मदद करने एवं कला के खतम होते स्वरूपों को बचाने का प्रभावी रूप माना गया है।³

पर्यटकों को नए तरह के अनुभव दिलाने में ग्रामीण पर्यटन बेहद उपयोगी है। यही नहीं ग्रामीण पर्यटन स्थानीय उत्पादों के विपणन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, गांवों में ही रोजगार के नए अवसरों के सृजन से शहरों की ओर पलायन में कमी आती है और सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों का आर्थिक महत्व समझ आने पर उनका संरक्षण करने के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है।⁴

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, जिस कारण कई-नई समस्याएं जन्म ले रही हैं, ऐसी अवस्था में ग्रामीण पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ग्रामीण पर्यटन का प्रारम्भ केवल पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया गया, अपितु गांव को स्वावलंबी बनाने हेतु और धारणीय विकास के लिए किया गया, अधिकांश ग्रामीण पर्यटन स्थल यूएनडीपी के एनडोजेनस टूरिज्म के अंतर्गत लिए गए जिससे बड़े पैमाने पर निवेश आया है। इस परियोजना से स्थानीय विरासत और संस्कृति को बल मिला है और साथ ही ग्रामीण लोगों का अपनी सभ्यता और संस्कृति से पुनर्परिचय भी हुआ है।⁵

भारत में कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि जन मानस में रची-बसी एक पुरातन संस्कृति है। कृषि पर्यटन एक ऐसा उद्यम है जिसमें कृषि और पर्यटन के बीच विवेकपूर्ण और संतुलित सामंजस्य स्थापित करके पर्यटकों के मनोरंजन एवं विश्राम की व्यवस्था की जाती है। कृषि पर्यटन वास्तव में पर्यटन का नया स्वरूप है, एक ऐसा स्वरूप जिसमें देश की माटी की महक है और यह वह सब कुछ उपलब्ध कराता है जिसकी एक पर्यटक

उम्मीद रखता है, जैसे वह आराम से और सुकून से रह सके, वहां उसे कुछ नया और रोमांचक देखने को मिले, कुछ ऐसा हो जो वो कर सके और कुछ खरीदने का अवसर भी हो, और इन सबके साथ मनोरंजन भी हो।⁶

इको पर्यटन का अर्थ है पर्यटन और प्रकृति संरक्षण का प्रबंध इस ढंग से करना कि एक तरफ पर्यटन और परिस्थितिकी की आवश्यकताएं पूरी हो और दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार, नये कौशल, आय और महिलाओं के लिए बेहतर-स्तर सुनिश्चित किया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर्यटन वर्ष हमें विश्व-स्तर पर इको पर्यटन की समीक्षा का अवसर प्रदान करता है ताकि भविष्य में इसका स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त साधनों और सस्थागत ढांचे को मजबूत किया जा सके। इसका अर्थ है कि इको पर्यटन की खामियां और नकारात्मक प्रभाव को दूर करते हुए इससे अधिकतम आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इको पर्यटन प्राकृतिक क्षेत्रों की वह दायित्वपूर्ण यात्रा है जिससे पर्यावरण संरक्षण होता है और स्थानीय लोगों की खुशहाली बढ़ती है। स्पष्टतः इन परिभाषाओं में तीन पहलुओं को रेखांकित किया गया है- प्रकृति, पर्यटन और स्थानीय समुदाय। पर्यावरण अनुकूल गतिविधि होने के कारण इको पर्यटन का लक्ष्य पर्यावरण मूल्यों और शिष्टाचार को प्रोत्साहित करना और निर्बाध रूप प्रकृति का संरक्षण करना है। इस तरह, यह परिस्थितिकी विषयक अखंडता में योगदान करके वन्य जीवों और प्रकृति को लाभ पहुंचाता है स्थानीय लोगों की भागीदारी उनके लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित करती है जो आगे चलकर उन्हें बेहतर-स्तर और आसान जीवन उपलब्ध कराती है।⁷

पर्यटकों में ग्रामीण पर्यटन के प्रति आकर्षक के प्रमुख उत्प्रेरक

- प्राकृतिक वातावरण, शुद्ध हवा, पानी एवं रसायनरहित कृषि भोजन उत्पाद।
- लोक कला एवं संस्कृति के प्रति आकर्षण।
- ग्रामीण कला और शिल्प का संरक्षण एवं विकास।
- उद्यमिता, रोजगार, स्वरोजगार एवं आजीविका के नए अवसरों का सृजन।
- गरीबी उन्मूलन, सामुदायिक विविधिकरण एवं सामाजिक भाईचारा।
- प्रतिस्पर्धा, आधुनिक शहरी जीवनशैली एवं मानसिक तनाव।
- युवाओं को आजीविका के नए अवसर।

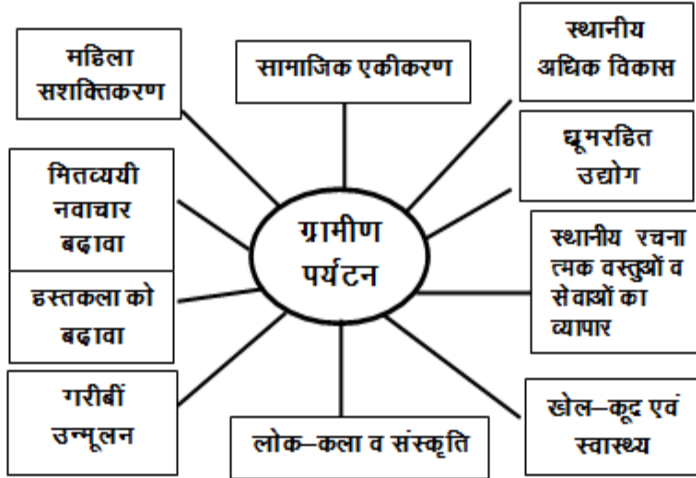
ग्रामीण पर्यटन महत्वपूर्ण क्यों है ?

- भारत अपने गांव में बसता है। उसके पास आजीविका का कोई भी वैकल्पिक जरिया मौजूद नहीं है।
- ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर गांवों से शहरों की ओर पलायन को घटाया जा सकता है।
- ग्रामीण पर्यटन से गांव में रहने वाले युवाओं समेत कुशल और अकुशल दोनों तरह के कामगारों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की अपार क्षमता है।
- यह ग्राम स्तर के संसाधनों और परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग का अवसर मुहैया कराता है।
- यह महिलाओं को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में योगदान करने का बेहतरीन अवसर देकर उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देता है।
- यह ग्रामीण खान-पान, त्यौहारों और पोशाकों का प्रचार-प्रसार करता है।
- यह ग्रामीणों के बनाए कला और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए राष्ट्रीय/

- अन्तर्राष्ट्रीय मंच मुहैया कराता है।
- यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के अलावा इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है।
- ग्रामीण पर्यटन आदिवासियों और अन्य समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा देता है।

भारत में ग्रामीण पर्यटन प्रबंधन एवं प्रोत्साहन- भारत के विभिन्न राज्यों में पर्यटन विशेषकर ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने एवं उनके समग्र बेहतर प्रबंधन के द्वारा पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा एवं दशा देने हेतु नीतिगत कदम उठाए गए हैं। ग्रामीण पर्यटन का सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय रूप से समग्र विकास में योगदान को आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है-

आरेख-ग्रामीण पर्यटन का योगदान



ग्रामीण पर्यटन ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में योगदान देता है। यह दस्तकारी, मनोरंजन, कुटीर उद्योग आदि क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। ग्रामीण पर्यटन, संस्कृति की रक्षा और उसका पोषण करता है और स्थानीय कलाकारों, दस्तकारों, नृतकों और रंगकर्मियों को बढ़ावा देता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर भी सद्भावना और मैत्री विकसित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत बनाता है।⁹

ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत अनंत है लेकिन अभी तक इसके महत्व को पूरी तरह से आंका नहीं गया है। ग्रामीण तौर-तरीकों में सब स्वाभाविक एवं विशिष्ट है। अभिवादन व स्वागत तिलक से लेकर, विदाई गीत के साथ विदा होने तक पर्यटन एक नई संस्कृति में भाव-विभोर रहेगा। भारतीय ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत जहां संभावनाओं के क्षितिज खोलती है वही अगर इसका संरक्षण व संवर्धन नहीं हुआ तो यह अपने स्वरूप को खो देगी।⁹

तालिका-1 ग्रामीण पर्यटन स्थल एवं प्रसिद्ध कला/कलाकारी

क्रं.	कला/कलाकारी	ग्रामीण क्षेत्र
1.	पोचमपल्ली साड़ी या इकत (सूती व रेशम)	यदाद्री, भुवनगिरी जिला-तेलंगाना
2.	हस्तशिल्प-बांस की बेत इत्यादि	रेगों, पूर्वी सियाग, अरुणाचल प्रदेश
3.	दर्पण (शीशा) कार्य/डाई	होडका, कच्छ गुजरात
4.	टोपी और शॉल बुनाई	नगगर, कुल्लू हिमाचल प्रदेश

5.	पत्थर की मशीनरी, लकड़ी पर नक्कासी और संगीत वाद्य यंत्र	बनवासी, उत्तरी कन्नड़, कर्नाटक
6.	फाइबर शिल्प-फल केले से संबंधित	अनीगुंडी (पहले किश्किंधा नाम से प्रसिद्ध कोप्पल जिला-कर्नाटक)
7.	लटैना शिल्प	चौगन, मंडला मध्य प्रदेश
8.	चंदेरी साड़ी	प्राणपुर, अशोकनगर, मध्य प्रदेश
9.	लकड़ी और पत्थर का शिल्प	सोंधा, दतिया, मध्य प्रदेश
10.	शॉल बुनाई	मोकोक चुंग, नागालैण्ड
11.	पाषाण शिल्प और पट्टवस्त्र	खुराजपुर, पुरी ओडिशा
12.	कालीन	लस्बेन, उत्तरी सिक्किम
13.	साड़ी बुनाई	मुकुटमणीपुर, बांकुरा पश्चिम बंगाल

स्रोत- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

भारत में गांव विरासत, संस्कृति और अनुभवों के ऐसे महासागर हैं, जिन तक पर्यटकों की पहुंच अभी शेष है। भारत में शायद ही कोई गांव हो, जिसका किसी न किसी नदी से सांस्कृतिक रिश्ता न हो। हर नदी के अपने कथानक हैं, गीत-संगीत हैं, लोकोत्सव हैं। नदी में डुबकी लगाते, राफटिंग-नौका विहार करते, मछलियों को अठखेलियां करते देखते हुए घंटों निहारते हमें जो अनुभूति होती है, वह एक ऐसा सहायक कारक है, जो किसी की भी नदियों की ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। किन्तु इस पूरे आकर्षण को नदी, गांव और नगर के बीच सम्मानजनक रिश्ते की पर्यटक गतिविधि के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। भारत के गांव महज सामाजिक इकाइयां न होकर पूर्णतया सांस्कृतिक इकाइयां हैं। हमारे गांवों की बुनियाद सुविधा नहीं, रिश्तों की नींव पर रखी गई है। भारतीय गांवों में मौजूद कला, शिल्प, मेले, पर्व आदि कोई उद्यम नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है। रिश्ते-नाते, संस्कृति, विरासत और अपनी प्राकृतिक धरोहरों को संजोकर रखने के कारण भारत के 60 हजार गांव अभी भी तीर्थ ही हैं। भारतीय गांवों में पर्यटन और पर्यटकों के रुझान का विकास इसी भाव और अपेक्षा के साथ करना चाहिए।¹⁰

तालिका-2 ग्रामीण पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत

क्रं.	सांस्कृतिक स्थल/विरासत	क्षेत्र
1.	ईश्वर की अपनी रचना नाम से प्रसिद्ध-कोनसीमा गोदावरी नदी डेल्टा क्षेत्र (तटीय परिस्थितिकी पर्यटन)	पूर्वी गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश
2.	पुट्टपर्ती- आध्यात्मिक	अनंतपुर आन्ध्र प्रदेश
3.	देहिग-पटकाई क्षेत्र- संस्कृति और पर्यावरण पर्यटन	तिनसुकिया, असम
4.	बाबा बरोह-गुरुकुल संस्कृति	कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
5.	मोराची चिंचोली- सूफी परम्परा और संस्कृति	पूणे, महाराष्ट्र
6.	लोक नृत्य-मुखराई	मथुरा, उत्तर प्रदेश

स्रोत- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सुझाव:

1. सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्थानीय लोगों एवं युवाओं के

- पर्यटन संबंधी कौशल उन्नयन पर विशेष जोर।
2. ग्राम पंचायतों को पर्यटन से संबंधित विषयों पर जानकारी प्रदान कर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहन।
3. निजी क्षेत्र को स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के अन्तर्गत पर्यटन प्रोत्साहन संबंधी विभिन्न पहलों जैसे साहसिक खेल-कूद, व्यापार मेला, संगीत, कला, भोजन महोत्सव इत्यादि के आयोजन हेतु प्रेरित करना।
4. पर्यटन स्थल की उनकी विशेषतानुसार ब्रांडिंग (अलग पहचान) विशेषतानुसार चित्रण (पोजिशनिंग) और लक्ष्यीकरण (टार्गेटिंग) पर जोर।
5. गांवों को शहरों से जोड़ती मूलभूत बुनियादी अधोसंरचनाएं विकसित करने पर जोर।
6. रोजगार, स्व-रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु निवेश आकर्षित करने पर जोर।
7. जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु सभी हितग्राहियों का एकीकृत रूप से प्रयास।
8. पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं एवं अन्य को प्रोत्साहित करने हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करना।
9. पर्यटन क्षेत्र में सूचना-संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को बढ़ावा।
10. स्थानीय गतिविधियों जैसे साहसिक खेल-कूद, प्रकृति पर्यटन, मेलों और त्यौहारों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा।
11. पर्यटकों के अनुभव को समझकर सेवाओं व सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।
12. छोटे और माध्यम स्तर के उद्यमों को पर्यटकों को आकर्षित करने वाले उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रेरित करना।
13. स्थानीय नौकरी और आय सृजन पर जोर, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष विचार (पर्यावरण संरक्षण आदि)।
14. पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास।

निष्कर्ष- किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत हो। पर्यटन और प्रकृति संरक्षण का प्रबंध इस ढंग से करना कि एक तरफ पर्यटन और परिस्थितिकी की आवश्यकताएं पूरी हो और दूसरी तरफ स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार, नए कौशल, आय और महिलाओं के लिए बेहतर-स्तर सुनिश्चित किया जा सके। यहां एक विकल्प ये है कि किसानों के साथ-साथ अन्य गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए और इस मामले में 'ग्रामीण पर्यटन' एक मजबूत माध्यम नजर आता है। ग्रामीण विकास की संभावनाओं के दोहन के उद्देश्य से पर्यटन के सिद्धान्त के ईर्द-गिर्द एक मजबूत समेकित विकास रणनीति निश्चित तौर पर उपयोगी होगी। पर्यटन नीति का बुनियादी उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन और बहुरंगी ग्राम्य जीवन को बढ़ावा देकर गांववासियों के विकास और उनके जीवन की स्थितियों में

सुधार लाने के अलावा उनकी आमदनी को बढ़ाना है।

जब भारतीय संस्कृति, उसके रंगों, विविधता एवं सहजता की बात आती है तो हमारा ध्यान बरबस भारत की 'आत्मा' अर्थात् गांवों की ओर चला जाता है। गांवों में आज भी भारतीय संस्कृति मूर्त-अमूर्त कलाओं के रूप में, जीवनशैली के रूप में संयोजित है। जो न सिर्फ विदेशी बल्कि भारतीय शहरी जीवनशैली में जीवन यापन कर रहे यायावरों के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। ऐसे में जब पर्यटन विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उद्योग बन चुका है, ग्रामीण पर्यटन एक संभावनाओं से परिपूर्ण विकल्प के रूप में सामने आया है।

ग्रामीण पर्यटन में निवेश केवल रोजगार एवं आमदनी बढ़ाने के तौर पर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का भी प्रभावी माध्यम हो सकता है। हमारे देश में हर राज्य, क्षेत्र और गांव की अपनी भाषा, संस्कृति, परम्पराएँ, रीति-रिवाज, वेशभूषा और खान-पान के तौर-तरीके हैं। गांवों का प्राकृतिक परिवेश और सहज-सरल जीवन पर्यटकों को आत्मिक आनन्द देता है और उसे अपनी जड़ों से जुड़ने का एहसास होता है। यह अनुभव ग्रामीण पर्यटन को असीम संभावनाओं का क्षेत्र बनाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह जसपाल, दत्ता तनिमा रावत अनुपमा : ग्रामीण पर्यटन का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65, अंक : 6, अप्रैल 2019, पृ. क्र. 13
2. डॉ. तिवारी के एन : ग्रामीण भारत में इको पर्यटन, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65, अंक : 6, अप्रैल 2019, पृ. क्र. 19
3. रूस्तगी विकास : समृद्ध ग्रामीण धरोहर का परिचायक ग्रामीण पर्यटन, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65, अंक : 6, अप्रैल 2019, पृ. क्र. 6
4. कुमार पवन, नवीन कुमार : ग्रामीण विविधता के विविध रंग, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65, अंक : 6, अप्रैल 2019, पृ. क्र. 48
5. श्रीवास्तव मुकेश कुमार : पूर्वोत्तर भारत में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएं, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65, अंक : 6, अप्रैल 2019, पृ. क्र. 39
6. सक्सेना जगदीप : कृषि पर्यटन अनुकूल दशाएं, अपार संभावनाएं, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65, अंक : 6 अप्रैल 2019, पृ. क्र. 15-16
7. डॉ. तिवारी के. एन. : ग्रामीण भारत में इको पर्यटन, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65 अंक : 6, अप्रैल 2019, पृ. क्र. 20
8. सिंह नरेन्द्रपाल : ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित होता पर्यटन उद्योग, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65, अंक : 6, अप्रैल 2017, पृ. क्र. 36
9. कुमार नवीन, कुमार पवन : ग्रामीण विरासत के विविध रंग, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65, अंक : 6, अप्रैल 2019, पृ. क्र. 50
10. तिवारी अरुण : अतुल्य नदी-अतुल्य गांव, कुरुक्षेत्र, वर्ष : 65, अंक : 6, अप्रैल 2019, पृ. क्र. 30-31

इन्दौर संभाग में रोजगार सृजन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका

डॉ. गुरमीत सिंह भाटिया *

* सहायक प्राध्यापक, श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, गुमाश्ता नगर, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – बहुराष्ट्रीय निगम वह है, जो एक साथ अनेक देशों में कार्य करता है, जिनका प्रबन्ध एवं पूँजी स्वामित्व बहुराष्ट्रीय होता है। बहुराष्ट्रीय निगम अपना व्यवसाय तो एक से अधिक देशों में संचालित करती है, परन्तु उसका नियंत्रण उस देश द्वारा किया जाता है, जिस देश में वह स्थापित होती है या जहाँ पर उनका मुख्यालय होता है।

उदारीकरण के तहत, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पदार्पण सम्पूर्ण देश में हुआ। इन्दौर संभाग में प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत उपलब्धता के कारण बहुतायत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ। इसके मुख्य कारण, इन्दौर संभाग की अनुकूल जलवायु, कच्चे माल की आसान उपलब्धता, कुशल श्रम उपलब्धता एवं सुगम यातायात आदि हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इन्दौर संभाग में आगमन से रोजगार के अवसरों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है।

इन्दौर संभाग में प्रदत्ता रोजगार– इन्दौर संभाग को प्रदेश के सबसे विकसित संभागों में जाना जाता है। इन्दौर संभाग में प्रमुख रूप से इन्दौर, धार, अलिराजपुर झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिले आते हैं। इन्दौर संभाग का कुल क्षेत्रफल 48,484 वर्ग किलोमीटर है। इन्दौर संभाग की कुल जनसंख्या 99,24,854 है, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात 51:48 है। संभाग का औसत साक्षरता दर 53.73 प्रतिशत है। इन्दौर संभाग में लगभग 150 विभिन्न क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ एवं उनकी शाखाएँ स्थापित हैं। परन्तु साधनों की सीमित उपलब्धता के कारण, सम्पूर्ण कंपनियों की रोजगार उपलब्धता का पता लगाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में प्रत्येक क्षेत्र की कुल 13 कंपनियों का अध्ययन कर प्राप्त आँकड़ों एवं तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है।

चयनित 13 कंपनियों की क्षेत्रवार संक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार है :-

1. मशीनरी सम्बन्धि उपकरणों का निर्माण करने वाली कम्पनी	02
2. टायर का निर्माण करने वाली कम्पनी	01
3. उर्जा निर्माण करने वाली कम्पनी	01
4. शीतल पेय निर्माण करने वाली कम्पनी	01
5. कंज्यूमर प्रॉडक्ट निर्माण करने वाली कम्पनी	01
6. वाहन निर्माण करने वाली कम्पनी	02
7. दवाई निर्माण करने वाली कम्पनी	01
8. बैंकिंग सम्बन्धि कार्य करने वाली संस्थाएँ	02
9. बीमा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएँ	02

उक्त कंपनियों का अध्ययन प्रश्न तालिका का निर्माण करके किया गया एवं निष्कर्ष स्वरूप, जो परिणाम सामने आए, उनका संक्षिप्त विश्लेषण निम्न प्रकार है :-

अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि, चयनित 13 कंपनियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लगभग 12,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान किया गया। शोध द्वारा पता लगा कि, संभाग में सबसे अधिक रोजगार हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में निष्कर्ष सिर्फ 13 कंपनियों के अध्ययन के आधार पर निकाले गए हैं। यदि सम्पूर्ण संभाग में स्थापित 150 कंपनियों का अध्ययन किया जाए, तो संभाग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या लाखों में होगी।

कृषि एवं कृषि उपज विपणन के क्षेत्र में भी इन बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बहुतायत में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तैयार उन्नत किस्म के बीज एवं खाद की उपलब्धता से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है एवं परिणामस्वरूप, कृषकों एवं कृषि से जुड़े अन्य लोगों की आमदनी में वृद्धि हुई है। अतः कहा जा सकता है कि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कृषि के उत्थान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

निष्कर्ष– सम्पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात्, निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इन्दौर संभाग में आगमन के पश्चात् संभाग के रोजगार अवसरों में काफी वृद्धि हुई है। संभाग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के पूर्व एवं आगमन के पश्चात् की रोजगार की स्थिति का सभी दृष्टिकोणों से अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष सामने आता है कि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सभी क्षेत्रों में, चाहे वह क्षेत्र उत्पादन से सम्बन्धित हो या सेवा से सम्बन्धित हो, रोजगार की उपलब्धता को सृजित किया है। उच्च एवं शिक्षित वर्ग को आगे बढ़ने एवं तरक्की करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। रोजगार की उपलब्धता बढ़ने से संभाग में आवासित प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित एवं खुशहाल हुआ है और उसके जीवन-स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि भी हुई है।

अतः कहा जा सकता है कि, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश में आगमन से सम्पूर्ण देश, सम्पूर्ण प्रदेश एवं सम्पूर्ण इन्दौर संभाग लाभान्वित हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर कोविड-19 का प्रभाव (आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक के विशेष संदर्भ में)

छाया शाक्य*

*शोधार्थी, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - आज वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है और उसे हराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। कोविड-19 जैसी महामारी को हराने के लिए भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 से देश में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा की और फिर भारत सरकार द्वारा इसे 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद भी शासन द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा करने के बाद और भी बढ़ाया गया। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो कोविड-19 महामारी का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर के हुआनान मछली बाजार में देखने को मिला जबकि भारत में कोविड-19 का पहला मामला 30 जनवरी 2020 में केरल में सामने आया था इसके बाद भारत में दिन प्रतिदिन कोविड-19 के मामले बढ़ते गए और करोड़ों लोग इस महामारी से प्रभावित हुए एवं लाखों लोगों की मौत भी हुई।

इस महामारी से बचाव हेतु देश में प्रवेश करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मार्ग वायु मार्ग एवं रेलमार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया गया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक 21 दिनों के लिए पूर्ण तालाबंदी की घोषणा कर दी गई और समय-समय पर कोविड-19 के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए प्रयास किए जाने लगे एवं शासन द्वारा टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से किया जाने लगा। कोविड-19 के कारण देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा जिसके कारण अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हुई। वर्ष 1930 के बाद यह सबसे खराब वैश्विक मंदी रही जिससे प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ जिसमें बैंकिंग क्षेत्र भी शामिल है। बैंकिंग क्षेत्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है और बैंक व्यावसायियों को वित्त प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं।

बैंक द्वारा विस्तार एवं निवेश से संबंधित कार्य मुख्य रूप से किए जाते हैं। बैंकों का बाजार में सबसे ज्यादा वित्त होता है और साथ ही अंश बाजार में प्रमुख भागीदारी भी है।

कोविड-19 के पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी कोविड-19 का प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र पर भी बहुत ज्यादा पड़ा है। बैंक विशेषज्ञों का मानना है कि बैंक को इस बार अपने दिए गए ऋणों में अधिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है और इसे ठीक होने में लंबा समय लग सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. बैंकों के लाभ एवं आय तथा एन.पी.ए. पर होने वाले प्रभावों का पता लगाना।
2. आर्थिक संकट एवं चुनौतियों के समक्ष सुधार के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए प्रभावी उपायों का पता लगाना।

शोध पद्धति- शोध पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक एवं निजी क्षेत्र की आई.सी.आई.सी.आई. बैंक पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए द्वितीय समंकों पर आधारित है। शोध पूर्ण करने में समाचार पत्र-पत्रिकाओं, इंटरनेट एवं प्रकाशित शोध पत्र-पत्रिकाओं, रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, विश्व बैंक का प्रतिवेदन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समय-समय पर जारी विभिन्न प्रतिवेदन इत्यादि के माध्यम से द्वितीय समंक एकत्रित किए गए हैं।

भारत का बैंकिंग क्षेत्र- दुनिया भर के लोग बैंकिंग क्षेत्र पर भरोसा करते हैं उन्हें पता है कि बैंक के पास उनका पैसा सुरक्षित रहता भारतीय बैंकिंग क्षेत्र लगभग 200 वर्ष पुराना है वर्तमान में भारत में लगभग 100 से ज्यादा निजी, सार्वजनिक एवं सहकारी बैंक अपना व्यवसाय कर रही हैं और इन बैंकों की शाखाओं का जाल संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। 1991 में सुधारों की शुरुआत हुई और बैंकों का विस्तार एवं आधुनिकरण पर जोर दिया है। वर्तमान में बैंकिंग क्षेत्र दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा क्षेत्र बनने के लिए अग्रसर है।

बैंकों का कुल शुद्ध लाभ एवं बैंकों की कुल आय (करोड़ों में)

वर्ष	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक		भारतीय स्टेट बैंक	
	कुल शुद्ध लाभ	कुल आय	कुल शुद्ध लाभ	कुल आय
2017	9801.00	73660.00	10484.00	210979.00
2018	6777.00	72385.00	-6547.00	265100.00
2019	3363.00	77913.00	862.00	279643.00
2020	7932.00	91246.00	14488.00	302545.00
2021	16193.00	98087.00	20410.00	308647.00
कुल	44066.00	413291.00	39697.00	1366914.00

स्रोत: बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2017 से 2021।

निजी क्षेत्र की आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में कुल आय में वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2018 की कुल आय वर्ष 2017 की तुलना में कम रही वहीं शुद्ध लाभ में वर्ष 2019 और 2020 में अचानक कमी आई जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था का धीमा होना ही हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ने अपने शुद्ध लाभ एवं शुद्ध आय को नियंत्रण में रखा और उसे बढ़ाया। इसका मुख्य कारण हम कह सकते हैं कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की तुलना में भारतीय स्टेट बैंक के पास ग्राहकों की संख्या और बैंक पर उनका विश्वास है जिससे इस महामारी के दौरान भी बैंक आंशिक रूप से प्रभावित हुई।

बैंकों का सकल एन.पी.ए. एवं शुद्ध एन.पी.ए. (करोड़ों में)

वर्ष	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक		भारतीय स्टेट बैंक	
	सकल एन.पी.ए.	शुद्ध एन.पी.ए.	सकल एन.पी.ए.	शुद्ध एन.पी.ए.
2017	42159.00	25216.81	177866.00	58277.38
2018	53240.18	27823.56	223427.00	110854.70
2019	45676.04	13449.72	172750.00	65894.74
2020	40829.00	9923.24	149092.00	51851.30
2021	40841.00	9117.66	126389.00	37119.10
कुल	222745.22	85530.69	849524.00	323997.22

स्रोत: बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2017 से 2021।

कुल जमा पर सकल एन.पी.ए. एवं शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (प्रतिशत में)

वर्ष	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक		भारतीय स्टेट बैंक	
	सकल एन.पी.ए. अनुपात	शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात	सकल एन.पी.ए. अनुपात	शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात
2017	8.74	5.43	9.11	5.19
2018	9.90	5.43	10.91	5.73
2019	7.38	2.19	7.53	3.01
2020	6.04	1.54	6.15	2.23
2021	5.33	1.24	4.98	1.50
कुल	37.39	15.83	38.68	17.66
अधिकतम	9.90	5.43	10.91	5.73
न्यूनतम	5.33	1.24	4.98	1.50
औसत	7.47	3.16	7.73	3.53

स्रोत: बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट, वर्ष 2017 से 2021

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में वर्ष 2017 में शुद्ध एन.पी.ए. 25216.81 करोड़ रुपये था जो घटकर वर्ष 2021 में 9117.66 करोड़ रुपये हो गया उसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वर्ष 2017 में शुद्ध एन.पी.ए. 58277.38 था जो घटकर वर्ष 2021 में 37119.10 हो गया। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक की कुल जमा पर सकल एन.पी.ए. व शुद्ध एन.पी.ए. का अनुपात वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक अंशतः कम होता रहा। कोरोना काल के दौरान एन.पी.ए. में कमी आने की मुख्य वजह 2020 में किस्त देने वालों को कुछ महीने की रियायत दी गई तथा इसके साथ ही बैंकों ने इस अवधि में ऋण कम दिया गया, लेकिन

इसके मुकाबले बैंकों में जमा होता रहा इन दो प्रमुख कारणों के अलावा बैंकों की तरफ से ऋण की वसूली के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाना भी इसका मुख्य कारण है। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ समय बाद जब ऋण की किस्त देने से जुड़ी रियायतें सरकार देना बंद कर देगी, तो एन.पी.ए. के तेजी से बढ़ने की संभावना है। कोरोना के कारण कई व्यापारियों की व्यावसायिक गतिविधि बंद हो गयी हैं। जिसका सीधा असर एन.पी.ए. पर पड़ेगा।

कोविड-19 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिए गए प्रभावी निर्णय- भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऋण देने वाली संस्थाओं से कहा कि वह कोविड-19 महामारी संकट को देखते हुए तरलता को बढ़ाने के लिए ऋण भुगतान किस्त की ऋणधारक को 3 माह की मोहलत दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के चलते हैं यह मोरटोरियम दिया था जो 31 अगस्त 2021 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 6 अगस्त 2021 को जारी समीक्षा पॉलिसी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणधारक को 2 वर्ष का अतिरिक्त समय अपनी ऋण किस्त जमा करने हेतु दिया गया इसमें यहां स्पष्ट है कि यह सुविधा उन्हीं ऋणधारकों को दी जाएगी जो वास्तव में कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए। भारतीय रिजर्व बैंक की यह पॉलिसी मोरटोरियम के रूप में ना होकर पुनः ऋण संरचना (Loan Restructuring) है जिसमें ऋणधारक के ऋण को 2 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर ऋण किस्तों को छोटा कर ऋण अवधि बढ़ाई जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक मुख्य घोषणा यह भी थी कि जो व्यक्ति सोना (Gold) गिरवी रख कर जो ऋण दिया जा रहा था वह सोने की कुल कीमत का 75 प्रतिशत था जो बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः ऋण संरचना पॉलिसी में सभी प्रकार के ऋणों को शामिल किया है चाहे वहां होम लोन, कार लोन हो या एजुकेशन लोन और आरबीआई द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस योजना के तहत उन्हीं दिन धारकों को लाभ दिया जाएगा जिनका ऋण कोरोना काल के पहले सुचारु रूप से चल रहा था जिन ऋण धारकों का ऋण कोरोना काल के पूर्व में खराब था उन्हें यह सुविधा नहीं दी जाएगी।

उपसंहार- कोरोना काल में भी बैंकों द्वारा सामान्य प्रदर्शन किया गया इसका कारण बैंकों द्वारा कोरोना काल भी सतत कार्य किया जाना एवं ऋण धारियों के प्रति शासन का नर्म रुख भी है। कोविड-19 महामारी के दौरान बैंकों द्वारा अपने संचालन व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए जिसके द्वारा कोविड-19 के लिए जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन हो सके। बैंकों ने कोविड-19 काल में डिजिटल बैंकिंग का भरपूर उपयोग किया और बैंकों के ग्राहक भी इससे जुड़े और बैंकों का उपयोग किया डिजिटल बैंकिंग माध्यम बैंकों के लिए लाभप्रद माध्यम है। कोविड-19 काल में बैंकों ने बीमा सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध कराई। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है जिसका असर कुछ वर्षों में देखने को मिलेगा जब शासन जनता को दी गई विभिन्न प्रकार की वित्तीय छूटें बंद कर देगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एन.कुमार (2016) चयनित बैंकों का एक तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
2. डॉ. संजय भयानी (2006) नए भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन एक तुलनात्मक अध्ययन (जर्नल ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च)

3. गुप्ता, अग्रवाल, (2004) 'वित्तीय संस्थान और बाजार', कल्याणी प्रकाशक, नई दिल्ली।
4. पुरी, वी. के. (2019) भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालय प्रकाशन, मुम्बई।
5. चिंतन-अनुचिंतन रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक प्रकाशित वर्ष 2017 एवं 2018।
6. आईसीआईसीआई बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक।
7. भारतीय रिजर्व बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017 से 2020।
8. विभिन्न प्रकार के हिंदी एवं इंग्लिश दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं.
9. <https://www.moneycontrol.com>.
10. <https://www.wikipedia.org>

सूजा के 'विक्टर न्यूटन' से 'फ्रांसिस न्यूटन सूजा' होने तक का सफ़र

डॉ. हेमन्त कुमार राय* अरविन्द कुमार **

* असोसिएट प्रोफेसर (चित्रकला) एम. एम. एच. कॉलेज, गाजियाबाद (उ.प्र.) भारत

** रिसर्च स्कॉलर (चित्रकला) एम. एम. एच. कॉलेज, गाजियाबाद (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - सूजा का परिवार उनके जन्म से ही अनेक विपत्तियों में घिरा रहा। सूजा के पिता एवं बहन की मृत्यु, बढ़ते कर्ज एवं गम्भीर आर्थिक स्थिति ने उनकी माँ 'मारिया' को काम तलाशने के लिए मजबूर कर दिया। सूजा की बीमारी और ईडीपस ग्रन्थि के अधिक सक्रिय होने के फलस्वरूप सूजा के व्यवहार में हुए असामान्य परिवर्तन ने उनकी मुश्किलें और बढ़ दीं, जो कालान्तर में सूजा के निष्कासन का कारण भी बनी। इन्हीं विषम परिस्थितियों में सूजा को दिव्य प्रकोप से बचाने के लिए मारिया ने गोवा के एक चर्च के पादरी के नामांश को इनके नाम में जोड़ने का फैसला किया। और इस तरह वह 'विक्टर न्यूटन' से 'फ्रांसिस न्यूटन सूजा' के नाम से जाने जाने लगे।

शब्द कुंजी- सूजा, विक्टर न्यूटन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ईडीपस, निष्कासन, मारिया, भारतीय चित्रकार, एफ. एन. सूजा, ब्लैच ज़मीरा।

प्रस्तावना - फ्रांसिस न्यूटन सूजा (12 अप्रैल 1924 - 28 मार्च 2002) : फ्रांसिस न्यूटन सूजा गोंयकन मूल के एक कलाकार थे। वे बॉम्बे के 'प्रगतिशील कलाकार समूह' के संस्थापक सदस्य और स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे चित्रकार थे जिसने पश्चिम में अपनी कला का परचम लहराया। प्रगतिशील कलाकार समूह के अगुआ चित्रकार फ्रांसिस न्यूटन सूजा अथवा एफ. एन. सूजा का जन्म कोंकणी मूल के एक रोमन कैथोलिक ईसाई परिवार में 12 अप्रैल 1924 को गोवा के एक गाँव **सालीगाओ** में हुआ था। इस समय गोवा पुर्तगाल के आधीन था। इनके बचपन का नाम '**विक्टर न्यूटन**' था। इनके नाम में निहित '**न्यूटन**' शब्द अक्सर इनके यूरोपियन होने का भ्रम पैदा कर देता था, जबकि ये मूल रूप से भारतीय थे। इनके पिता '**जोजेफ न्यूटन**' का पूरा नाम 'जोजेफ विक्टर एनीकेटो डी सूजा' उर्फ '**न्यूटन डे सूजा**' तथा माता का नाम 'लीलिया मारिया सेसिलिया एंट्यून्स' उर्फ '**लिली मैरी**' था। इनके पिता जोजेफ अंग्रेजी के अध्यापक थे। पहले इनका परिवार **एसोलना** में रहा करता था। इनके दादा जी एसोलना, साल्सेट में स्थित एक ग्रामीण स्कूल के प्रिंसिपल थे। यह स्कूल उनके पूर्वजों ने स्थापित किया था। बाद में काम के सिलसिले में सूजा का परिवार सालीगाओ चला आया था।

सूजा अपने एक लेख में बताते हैं कि उनके दादा-दादी एक नंबर के पियन्कड़ थे। शराब की खुमारी उनपर अक्सर चढ़ी रहती। उनके ये तमाम गुण उनके पोते-पोतियों को विरासत में मिले थे। जबकि सूजा के पिता एक पियन्कड़ माता-पिता की संतान होने के बावजूद शराब को छूते तक नहीं थे। उन्होंने अपने विवाह पर शुभ समझी जाने वाली '**टोस्ट-वाइन**' को भी चखा तक नहीं था। सूजा के जन्म के केवल तीन माह पश्चात ही इनके पिता का देहांत हो गया। इस समय सूजा के पिता '**न्यूटन डे सूजा**' की उम्र महज 24 साल थी। सूजा की एक बड़ी बहन भी थी जो उनसे दो साल बड़ी थी। उसका नाम '**ब्लैच ज़मीरा**' था। इस घटना के अगले ही वर्ष सूजा की बड़ी बहन ज़मीरा का भी देहांत हो गया। इसी विपदा के समय घर की सारी

जिम्मेदारी इनकी माता **मारिया** पर आ गई। अपने वैधव्य की विकट विपत्ति का सामना करते हुए वह भावनात्मक और आर्थिक तनाव से जूझ रही थी।

सूजा के बेहतर भविष्य, बढ़ते कर्ज और गिरवी रखे घर को छुड़ाने के मानसिक दबाव में, मारिया ने मुंबई जाने का फैसला किया। सूजा इस समय मात्र एक वर्ष के ही थे, जब उनकी माँ उन्हें लेकर मुंबई आ गयीं। उन्होंने कुछ दिन टाइपिस्ट का काम किया लेकिन इस काम में उनका मन नहीं लगा; क्योंकि वस्त्र निर्माण कला और नीडल वर्क में उनकी ज्यादा रुचि थी। अतः उन्होंने अपनी सिलाई की एक दुकान खोली और ड्रेस बनाने का काम करने लगीं। सुईकारी हस्तशिल्प में पर्याप्त निपुण होने के कारण ज़ल्द ही उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को भी सिखाना शुरू कर दिया। व्यावसायिक उद्देश्य से अपने काम को मारिया ने 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ नीडल क्राफ्ट एंड डेमोस्ट्रिक साइंस' के रूप में तब्दील कर दिया।

पर वक्त को शायद अभी मारिया की और भी कड़ी परीक्षा लेनी थी। बालक सूजा को मुंबई का मौसम रास नहीं आ रहा था। वह बीमार हो गए और चेचक का शिकार हो गए। उनके बचने की कोई उम्मीद न थी, जिस कारण उनकी माँ ने उन्हें वापस गोवा भेजने का निश्चय किया। गोवा में, मारिया ने चर्च में बालक सूजा के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद सूजा की हालत में सुधार हुआ, यह देख मारिया ने सूजा को उनके दादा-दादी के पास छोड़ा और आर्थिक कारणों से स्वयं मुंबई आकर अपने काम में व्यस्त हो गयीं। उन्होंने सूजा के जीवन के लिए ईश्वर का आभार प्रकट करते हुए गोवा के एक संरक्षक संत, **सेंट फ्रांसिस जेवियर** के नाम पर सूजा के नाम में '**फ्रांसिस**' शब्द जोड़ने का निश्चय कर लिया क्योंकि उन्हें लगता था कि सूजा का जीवन उन्हीं के आशीर्वाद से बच पाया है और शायद ऐसा करने से बालक 'न्यूटन' पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी तथा उन पर कोई विपत्ति नहीं आयेगी।

आर्टियाना प्रकाशन का एक कला समीक्षक अपनी पुस्तक '**एफ. एन.**

सूजा में लिखता है कि, 'सूजा के चेचक रूपी मौत के मुंह से बाहर आ जाने के बाद उनकी माँ ने शपथ ली कि वह न केवल अपने पुत्र का नाम बदलकर संत फ्रांसिस के नाम पर रखेगी बल्कि वह उसे प्रोत्साहित करके एक जेसुइट पुजारी बनाने की हर संभव कोशिश करेगी।', 'और इस तरह बालक न्यूटन का नाम **'विक्टर न्यूटन'** से **'फ्रांसिस न्यूटन'** हो गया।'

1942 तक सूजा; 'फ्रांसिस न्यूटन' के नाम से ही जाने जाते थे। 1942 में उन्होंने पहली बार अपने नाम के आगे **'सूजा'** शब्द जोड़ा, और तभी से इनका नाम **'फ्रांसिस न्यूटन सूजा'** हो गया। यह बात अलग है कि ये आज भी 'सूजा' के नाम से अधिक मशहूर हैं।

सूजा की जानलेवा बीमारी ने उन्हें शायद यह इजाजत देकर छोड़ा था कि वह गोवा के असंख्य मनोभावों को ग्रहण कर आत्मसात करें और उन्हें अपने जीवन के कैवस पर उकेर दें। उन्हें एक कट्टर कैथोलिक परिवार मिली थी। जब उनकी दादी उन्हें चर्च के प्रताड़ित संतों की कहानियाँ सुनाती तो वह चर्च के रुतबे और दबदबे पर सम्मोहित हो जाया करते थे। कई बार वह इन कहानियों से अपने जीवन और परिवार में घटित दुःखद घटनाओं को जोड़कर देखने लगते। उनकी कल्पनाओं में धीरे-धीरे संतों को दी जाने वाली यातनाएं उभरने लगीं, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ईश्वर कोई भयभीत सत्ता है जो अपने भक्तों को भय और श्रद्धा से भर देता है। यह कहना भी शायद गलत न होगा कि उन्होंने अपनी कल्पना में उपजे इन मनोभावों को आत्मसात कर लिया।

जैसा कि बाद के वर्षों में सूजा ने अपने आत्मकथात्मक लेख **'शब्द और रेखाएँ'** में अपने आरंभिक जीवन के विषय में उपरोक्त बातों का जिक्र करते हुए लिखा है, 'एक स्वप्निल संसार : प्रेतात्माओं के इर्द-गिर्द बुना गया एक मायाजाल, जिसमें स्वर्ग के देवदूत, सूर्य, चंद्रमा, और सितारों को बड़े प्रेम के साथ दिव्यता का काल्पनिक जामा पहनाया गया था। मैं घंटों तक इन तथाकथित भूत-प्रेतों, आत्माओं, पिशाचों, संतों, परियों और देवदूतों के साथ वार्तालाप किया करता था।'

1937 में, 13 वर्ष की उम्र में ही सूजा अपनी माँ के पास वापस मुंबई आ गए। वहाँ उन्होंने पाया कि प्राकृतिक वातावरण के लिहाज से गोवा मुंबई के मुकाबले ज्यादा बेहतर था। एक ओर गोवा में जहाँ मनमोहक वातावरण था वहीं दूसरी ओर, मुंबई में औद्योगिक धुआँधाड़ अधिक थी। मुम्बई सिटी उन्हें एक भयंकर हिसक जीव जैसी प्रतीत होने लगी जो दिन-रात अपने विनाशकारी कार्यों में लगी हुई थी। गोवा के रमणीय, सुखद वातावरण के बाद मुम्बई शहर की रात-दिन की उन्मादी गति ने किशोर सूजा को जीवन की वास्तविक सच्चाई से जैसे खबरू करा दिया।

सूजा की किशोरावस्था में ही उनमें एक असामान्य व्यक्तित्व के लक्षण परिलक्षित होने लगे थे, जो उनके व्यक्तिगत जीवन से आरंभ होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अपनी माँ के प्रति सूजा का समर्पण बहुत ही गहरा था, इतना गहरा कि यह शायद **'सिगमंड फ्रायड'** के **'ईडिपस ग्रंथि'** के सिद्धान्त की पराकाष्ठा तक पहुँच गया था। पुत्र की अपनी माता के प्रति कामवासना को जाग्रत करने वाली ग्रंथि ईडिपस ग्रंथि कहलाती है। प्राचीन यूनानी किवंदतियों में ईडिपस की कथा भी मनुष्य के अंतरमन में छिपी हुई कामवासना की एक ग्रंथि का सांकेतिक प्रतिनिधित्व करती है। पुरुष की प्रथम कामवासना का लक्ष्य माता और प्रथम हिंसा और घृणा के भाव का लक्ष्य पिता होता है। इसी कामवासना की भावग्रंथि को सिगमंड फ्रायड ने ईडिपस ग्रंथि के नाम से संबोधित किया।



सूजा, 1984 में, अपने एक लेख में ईडिपस ग्रंथि जैसा ही कुछ स्वीकार भी करते हैं। जिसे उनकी एवं **अजीज कूर्था** की पुस्तक **'फ्रांसिस न्यूटन सूजा : ब्रिजिंग वेस्टर्न एंड इंडियन मॉडर्न आर्ट'** में भी छापा गया था। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने बाथरूम के दरवाजे में एक बहुत छोटा छेद कर दिया था जिससे कि वह अपनी माँ को नहाते हुए भी देख सकें। यहाँ तक कि जब उनकी माँ अपनी सिलाई की दुकान में महिला ग्राहकों के वक्षस्थलों एवं अन्य हिस्सों का माप लिया करती थी, तब भी सूजा की यह ताक-झांक जारी रहा करती थी। उस समय भी वह महिलाओं के विभिन्न अंगों की शारीरिक संरचना को आत्मसात किया करते जो कालांतर में उनके चित्रों में मुख्य रूप से उभरकर सामने आई।

वहाँ, मुंबई में, अन्य क्षेत्र के एक अन्वेषक जोड़े का सूजा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा जिससे उन्होंने भी अपना अन्वेषण पहले की अपेक्षा और तेज कर दिया। हालांकि उनका अन्वेषण महिलाओं की संरचना को लेकर अधिक था। उनका अधिकांश समय स्त्री देह के अनुशीलन में ही व्यतीत होता, कभी यह अनुशीलन आंखों में होता, कभी कागज पर और कभी दिवास्वप्नों में, यहाँ तक कि कभी-कभी तो उनके सो जाने पर भी, सारी-सारी रात उनके मन-मस्तिष्क में। इस समय सूजा, 'सिगमंड फ्रायड' के इच्छापूर्ति सिद्धान्त, जिसे उन्होंने **'लिबिडो थ्योरी'** के रूप में परिभाषित किया है, के वशीभूत होकर दिन प्रतिदिन कला की ओर उन्मुख हो रहे थे, फ्रायड का कथन, **'कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है।'...**; सूजा की कला पर संभवतः पूर्णतः सटीक बैठता है। अगर उनकी दमित वासनायें कला में रूपांतरित न हुई होती अर्थात् उनकी यह उत्तेजक ऊर्जा कला में न खपी होती तो संभवतः वह एक मानसिक दिवालिया घोषित कर दिये गए होते।

बहरहाल, गोवा से मुंबई आने के बाद उन्हें एक विशुद्ध कैथोलिक चर्च में प्रवेश दिलाया गया। वह बचपन में ईसाई भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। चर्च का उन पर बहुत प्रभाव था। यह बात अलग है कि बालक सूजा के मन पर चर्च की प्रार्थना और धार्मिक उपदेशों से कहीं ज्यादा असर वहाँ के विशाल भवनों के स्थापत्य, सुनहरे रंगों में रंगी संतों की काष्ठ प्रतिमाओं, अलंकृत क्रॉस, रंगीन काँच की खिड़कियों के प्रकाश से उत्पन्न सतरंगी छटा, छतों एवं खंभों पर उकेरे गए भित्तिचित्रों ने डाला। चर्च का यह रहस्यमयी वातावरण

उन्हे अधिक आकर्षित किया करता था। संभवतः यहीं से उनके हृदय की माटी में कला के बीजारोपित हुए। सूज़ा भी यह स्वीकार करते हुए कहते हैं कि : 'यह गोवा का एक रोमन कैथोलिक चर्च था जिसे देखकर सर्वप्रथम उनके मस्तिष्क-पटल पर रूपाकारों और उन्हे निर्मित करने के विचार प्रकट हुए। जैसा कि उनकी माँ ने ईश्वर से वादा किया था कि वह उन्हे जेसुइट पादरी बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगी अतः 1937 में, सूज़ा को बॉम्बे के एक जेसुइट स्कूल में भेज दिया गया।....., यद्यपि वह पादरी बनने के बारे में गंभीरता से ही सोच रहे थे और लैटिन का भी सम्पूर्ण अध्ययन कर रहे थे किन्तु स्कूल चलाने वाले जेसुइट्स ने स्कूल अनुशासन के प्रति उनकी उदासीनता और कला में निहित उनकी योग्यता में कुछ भी ऐसा नहीं पाया जो ईश्वरीय हो अथवा जेसुइट बनने लायक हो। स्कूल के शौचालय में भेदे चित्र बनाते हुए पकड़े जाने के बाद से ही स्कूल प्रशासन को अक्सर उन पर यह संदेह बना रहा कि वह शायद आगे भी स्कूल के शौचालय में भेदे चित्र बनाएगा, उनका निरीक्षण करेगा और यहाँ तक कि बाद में उन्हें सही करने की कोशिश भी करेगा।'

'यद्यपि उन्होंने दावा किया था कि वह चित्र वहाँ पहले से बना था और उन्होंने बस उस चित्र में सुधार करने की चेष्टा की थी, लेकिन विद्यालय के अधिकारियों ने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया और उन्हें निष्कासित कर दिया गया।' और इस तरह दो वर्षों में ही अयोग्य एवं अवांछनीय छात्र

के रूप में स्कूल प्रशासन से निष्कासित कर दिए जाने के साथ ही उस तथाकथित नवोदित पादरी के संक्षिप्त कैरियर का अंत हो गया जिसकी चाह में उनकी माँ ने उन्हे 'सेंट जेवियर्स हाई स्कूल' में दाखिला दिलाया था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. विनोद भारद्वाज : बृहद आधुनिक कला कोश, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
2. डॉ. गिराज किशोर अग्रवाल : आधुनिक भारतीय चित्रकला, आगरा, 2015
3. रीता प्रताप : भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, जयपुर, 2008
4. प्राण नाथ मागो (हिन्दी अनुवाद-सौमित्र मोहन) : भारत की समकालीन कला- एक परिप्रेक्ष्य, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली, 2012
5. Kishore Singh : Mumbai Modern: Progressive Artists' Group 1947-2013, Delhi Art Gallery, 2013.
6. Geeta Kapur : Contemporary Indian Artists, Vikas Publications, New Delhi, 1978.
7. Aziz Kurtha : Francis Newton Souza (1924-2002) : Bridging Western and Indian Modern Art , Mapin Publishing, Ahmedabad, 2006.

नारी शोषण का प्रतीक : वेश्यावृत्ति

वनीता रानी *

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणगढ़, अंबाला (हरियाणा) भारत

शोध सारांश – वेश्यावृत्ति समाज की वह घृणित व्यवस्था है जिसने नारी सम्मान के आगे एक प्रश्न चिन्ह का कार्य किया है। यह समस्या लगभग सभी देशों, कालों और समय में अपने अलग-अलग रूपों में स्थापित रही। यह समस्या कई अन्य समस्याओं की जड़ है इससे समाज में नैतिकता का पतन होता है। परंतु यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें कोई भी नारी अपनी इच्छा से नहीं जाना चाहेगी। इसके लिए कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण उत्तरदाई रहते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो मात्र कानूनों और नियमों से सुलझाई नहीं जा सकती। इसके लिए समाज में नैतिकता के प्रसार के साथ-साथ समाज के मूल्यों और मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है। वेश्यावृत्ति एक बहुआयामी समस्या है जिसके कारण कई समस्याएं जिनमें बलात्कार, घरेलू हिंसा, नारी की खरीद-फरोख्त, बाल यौन शोषण, विवाहेतर संबंध इत्यादि प्रमुख हैं। सरकार को इस दिशा में कड़े और सख्त कानून बनाने के साथ-साथ सख्त सजा का प्रावधान करने की आवश्यकता भी है। सरकार इस तथ्य को मद्देनजर रखकर इस दिशा में प्रयास करें कि यदि समाज का एक हिस्सा दर्द, तकलीफ, घुटन और बेबसी में जी रहा है तो उस देश, समाज और सरकार की सफलताएं और उपलब्धियां बेमानी हैं।

शब्द कुंजी – ऑल बंगाल विमेन यूनियन, नेशनल क्राइम ब्यूरो, रेड लाइट एरिया, केंद्रीय जांच ब्यूरो, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, आख्या।

प्रस्तावना – प्राचीन काल से नारी को माता और देवी की संज्ञाओं से विभूषित अवश्य किया जाता है और नारी को पुरुष का पूरक भी माना जाता है। नारी को परिवार की वह इकाई माना जाता है जिसके बिना परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु इसके बावजूद महिलाएं समाज में प्रत्येक स्तर पर निम्न दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं भी समाज में वर्षों से पुरुष के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। परंतु समाज ने पुरुष प्रधानता, संकुचित मानसिकता, भय और दुर्बलता के कारण महिला को कभी वह सम्मानजनक स्थान प्रदान नहीं किया जिसकी सदा से वह अधिकारिणी रही है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है या उनके लिए प्राचीन समय से अब तक कोई संघर्ष नहीं हुआ। महिलाओं के अधिकारों, उन्नति, उत्थान और विकास की चर्चा हर युग, हर काल, हर समय में हुई है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए परंतु प्रश्न उठता है कि समान अधिकारों के बावजूद समाज में महिलाओं की दुर्दशा में 10 से 15 फीसदी की कमी आई है। जिन महिलाओं ने इन अधिकारों का उपभोग किया है उनका प्रतिशत बहुत कम है। आज भी महिलाएं कन्या भुण हत्या, दहेज उत्पीड़न, विधावा विवाह, पर्दा प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, बाल यौन शोषण, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, महिलाओं की खरीद फरोख्त, कार्यस्थल पर शोषण, छेड़छाड़ इत्यादि अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं। इन समस्याओं में सबसे घृणित रूप है वेश्यावृत्ति अर्थात् महिलाओं को वस्तुओं की तरह खरीदना बेचना और इसी से जुड़ी समस्या है बाल यौनाचार। इस अध्ययन का यही उद्देश्य है कि समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाए।

वेश्यावृत्ति का अर्थ – वेश्यावृत्ति या जिस्मफरोशी एक किस्म का कारोबार

होता है जिसमें पैसों के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं। इस कारोबार को करने वाले शख्स को 'वेश्या' कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार वेश्यावृत्ति वह है जो पैसे या अन्य मूल्यवान सामग्री के तात्कालिक भुगतान के बदले परिचित या अपरिचित किसी भी व्यक्ति के साथ यौनाचार करें। वेश्यावृत्ति आज के युग की या केवल भारत की समस्या नहीं है अपितु यह आदिकाल से ही करीब-करीब हर समय, हर देश में पाई जाती रही है। यह सदैव समाज की सच्चाई के रूप में स्वीकार की जाती रही है और कानून और परंपराओं द्वारा इसका नियमन होता रहा है। सामंतवादी समाज में यह जहां कुलीन वर्ग की कलात्मक रुचि और गौरव प्रदर्शन का माध्यम थी वही आधुनिक समाज में विवशता, मानसिक विकल्प और निरंतर बढ़ती आंतरिक कुंठा के कारण क्षणिक उपचार का प्रतीक है। सामाजिक परिस्थितियां बदलती रही किंतु यह समस्या सदैव ना खत्म होने वाली और अप्रभावित रही।

वेश्यावृत्ति : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – प्राचीन देशों में वेश्यावृत्ति धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संबंध रही है। इसे हीन नहीं माना जाता था। मिस्र, सीरिया, बेबिलोनिया, पर्शिया आदि देशों में देवियों की पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक अमर्यादित वासनात्मक प्रवृत्तियों की प्रमुखता रहती थी तथा देव स्थान व्यभिचार के केंद्र बन गए थे। यहूदियों में यह प्रथा केवल प्रवासी महिलाओं तक सीमित थी। यहूदी स्त्रियों के लिए यह वर्जित थी। प्राचीन यूनान में वेश्यालयों पर राज्य का अधिकार था। वेश्याओं का परिधान विशिष्ट होता था और सार्वजनिक स्थलों पर उनका प्रवेश निषिद्ध था। वह धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकती थी। कालांतर में अनेक नियमों द्वारा उन पर नियंत्रण की कोशिशें हुईं परंतु सभी व्यर्थ रही। रोमवासियों ने

वेश्याओं के लिए पंजीकरण आवश्यक किया हुआ था। वह राजकीय कर देती थी। वेश्यालय पर राजकीय नियंत्रण था और वेश्यागमन निंदनीय माना जाता था। ईसाईयों ने वेश्याओं के पुनरुत्थान और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने हेतु प्रयास किया। सम्राट जस्टिनियम की महिषी थियोडोरा ने जो स्वयं वेश्या का जीवन व्यतीत कर चुकी थी, पतिता स्त्रियों के लिए एक सुधार गृह की स्थापना की। रोम में वेश्यालय का संचालन दंडनीय था।

भारत में भी वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत और प्रसिद्ध लेखकों, कवियों की रचनाओं से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से भारत में भी वेश्यावृत्ति का अस्तित्व है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इन्हें राजतंत्र का अभिन्न अंग माना। वैदिक काल की अप्सराएं और गणिकाएं मध्य युग में देवदासिया और नगर वधुएं तथा मुस्लिम काल में वीरांगनाएं और वेश्याएं बन गईं। वेश्यावृत्ति 16 वीं और 17 वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली कॉलोनी में हुआ करती थी। यहां पर जापानी दासिया हुआ करती थी। जिनमें अधिकांश जापान की महिलाएं और कम उम्र की लड़कियां होती थी। जिन्हें दासी बनाकर उनके साथ भोग किया जाता था। पुर्तगाली व्यापारी इन लड़कियों को जापान से भारत लाते थे। यही कारण है कि गोवा सदियों से देह व्यापार का गढ़ बना हुआ है। मध्य युग में इनका अलग वर्ग बनता चला गया और कला प्रियता के साथ कामवासना संबंध हो गई पर यौन संबंध सीमित थे। कालांतर में सीमित यौन संबंध द्वारा जीविकोपार्जन में असमर्थ वेश्याओं को बाध्य होकर अपनी जीविका हेतु लज्जा और संकोच त्याग कर अश्लीलता की उस स्तर तक गिरना पड़ा जहां पाशविक प्रवृत्ति प्रबल होती है। 19वीं तथा 20 सदी की शुरुआत में अंग्रेज यूरोप और जापान से लड़कियों को लेकर आते थे और इन लड़कियों पर अंग्रेजी सैनिकों को यौन सुख पहुंचाने का दबाव डालते थे।

अंग्रेजी शासन में वेश्यावृत्ति बीसवीं सदी के आते-आते क्रूर होती गई और अंग्रेजों ने भारतीय लड़कियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूरोप से आई वेश्याएं जब अपनी सेवाएं देने में अक्षम हो जाती तो उन्हें सैनिकों की सेवा और भोजन बनाने में लगा दिया जाता था। वेश्यावृत्ति वैदिक काल से लेकर वर्तमान युग तक चलती आ रही है परंतु हर युग में इसका स्वरूप और प्रकृति में परिवर्तन होता रहा है। अगर भारतीय संदर्भ में देवदासी प्रथा का मूल्यांकन किया जाए तो यह कुप्रथा दक्षिण भारत में 11 वीं सदी से आरंभ मानी जाती है। इस संदर्भ में इतिहासकार प्रोफेसर करुणासागर वोहरा के अनुसार आदिकाल से देवदासी के कई वर्ग थे जिनमें विकीता, भरीत्या, भक्ता, हस्तता, अलंकारा प्रमुख हैं और इन वर्गों के अंतर्गत आने वाली देवदासियों की अलग-अलग श्रेणियां भी थी।

वेश्यावृत्ति के लिए उत्तरदाई महत्वपूर्ण कारण - वेश्यावृत्ति एक ऐसा व्यापार है जिसमें कोई भी महिला स्वयं अपनी इच्छा से जाना नहीं चाहेगी और यही कारण है कि इसके कई अन्य कारण उत्तरदाई होते हैं।

1. वेश्यावृत्ति का सबसे बड़ा कारण आर्थिक होता है अनेक स्त्रियों अपनी और अपने आश्रितों की भूख शांत करने के लिए विवश होकर इस प्रवृत्ति को अपनाती हैं। जीविकोपार्जन के अन्य साधनों के अभाव में धनी वर्ग द्वारा प्रस्तुत विलासिता भी उन्हें वेश्यावृत्ति की ओर खींचती है। कानपुर के एक अध्ययन के अनुसार 65 फीसदी वेश्याएं आर्थिक कारण वश इस वृत्ति को अपनाती हैं ऐसा उदाहरण बंगाल की चुकरी प्रथा है।

2. वेश्यावृत्ति के पीछे अन्य कारणों में सामाजिक मान्यताएं, रूढ़ियां व त्रुटिपूर्ण नीतियां भी कार्य करती हैं। विवाह संस्कार के कठोर नियम, देहेज प्रथा, विधवा विवाह प्रतिबंध, सामान्य चारित्रिक भूल के कारण सामाजिक बहिष्कार, बेमेल विवाह, तलाक प्रथा का अभाव आदि इस घृणित प्रवृत्ति को अपनाने में सहायक हैं।
 3. वेश्याओं की बेटियां समाज द्वारा त्याज्य होने के कारण यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के लिए मजबूर हैं। अर्थात् वेश्याओं की कन्याएं अपनी मां की वृत्ति अपनाने के लिए बाध्य हो जाती हैं।
 4. 1988 में ऑल बंगाल विमेन यूनियन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में वेश्यावृत्ति के कारणों का आश्चर्यजनक खुलासा हुआ जिसमें बताया गया कि -
 5. 1.5 फीसदी महिलाएं माता पिता के कहने से इस धंधे में आती हैं।
 6. 8 फीसदी वेश्याओं ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें बड़े व्यापारियों को बेच दिया था जिसके कारण वे देह व्यापार में हैं।
 7. 13.8 फीसदी लड़कियां दोस्तों के चक्कर में पड़कर वेश्या बन जाती हैं।
 8. 23 फीसदी महिलाएं अनजान व्यक्ति और दलालों के चंगुल में फंसकर वेश्यावृत्ति को अपनाने के लिए मजबूर हो जाती हैं।
 9. 13 फीसदी महिलाएं रिश्तेदारों के कारण इस धंधे में आ जाती हैं।
 10. 10 फीसदी महिलाएं या तो प्यार में धोखा खाकर या शादी का झूठा वायदा करके उन्हें इस व्यापार में धकेल दिया जाता है।
 11. बीबीसी वर्ल्ड ट्रस्ट के द्वारा कराए गए एक अध्ययन में घरेलू हिंसा भी वेश्यावृत्ति में जाने के लिए लड़कियों को प्रेरित करती है। शुरुआत में जब घर में गाली गलौज होती है और माता पिता भाई बहन साथ नहीं देते तो ऐसे में लड़कियां वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर होती हैं।
 12. नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 18 फीसदी महिलाओं का 13 से 18 वर्ष की आयु में कौमार्य भंग हो जाता है और बलात्कार के पश्चात उन्हें बेच दिया जाता है। जिसके कारण बाद में वे मजबूरन देह व्यापार में आ जाती हैं ऐसी लड़कियों का प्रतिशत 6 फीसदी है।
 13. नेशनल क्राइम ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के प्रति अपराधों के कुल 15043 केस दर्ज किए गए जिनमें लड़कियों की अगवाही के केस अधिकतम मात्रा में थे।
 14. नेशनल क्राइम ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 371503 केस महिलाओं के विरुद्ध रजिस्टर किए गए। जिसमें घरेलू हिंसा, बलात्कार और पति और अन्य संबंधियों द्वारा हिंसात्मक रवैया के केस प्रमुखता में थे।
 15. वेश्यावृत्ति का एक अन्य प्रमुख कारण मनोवैज्ञानिक भी है। कतिपय महिला और पुरुषों में कामवासना की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है जिसकी तृप्ति मात्र वैवाहिक संबंध द्वारा संभव नहीं होती। उनकी कामवासना की स्वतंत्र प्रवृत्ति उन्मुक्त यौन संबंध द्वारा पुष्ट होती है। विवाहित पुरुषों के वेश्यागमन तथा विवाहित स्त्रियों के विवाहेतर संबंध में यही प्रवृत्ति क्रियाशील रहती है।
- इन कारणों में से कोई भी कारण जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो नारी को वेश्यावृत्ति की ओर धकेल देता है। और उनका जीवन नारकीय हो जाता है। भारत में वेश्यावृत्ति या देह व्यापार अभी भी अनैतिक देह व्यापार कानून के तहत आते हैं। समय-समय पर इसकी कानूनी मान्यता को लेकर चर्चाएं गरम होती रहती हैं। परंतु बगैर कानूनी मान्यता के भी पूरे देश में यह

व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है।

वेश्यावृत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े – वेश्यावृत्ति की समस्या प्रतिदिन अपने पैर पूरे देश में फैला रही है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से की जा सकती है कि देश में आज कुल 1170 रेड लाइट एरिया है। इसमें व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा धंधा वाला एरिया है कोलकाता और मुंबई। अकेले मुंबई का रेड लाइट एरिया ही करोड़ों रुपयों का साप्ताहिक बाजार है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर एक के बाद एक गांव और कस्बे हैं जहां वेश्यावृत्ति का व्यापार फल- फूल रहा है। इन इलाकों को देवदासी बेल्ट भी कहा जाता है। देश में सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता का सोनागाची इलाका है। दूसरे नंबर पर मुंबई का कामतीपूरा। फिर दिल्ली की जीबी रोड, आगरा का कश्मीरी मार्केट, ग्वालियर का रेशमपुरा, पुणे का बुधवारपेट, वाराणसी का महुआडिया, सहारनपुर का नककासा बाजार, मुजफ्फरपुर का चतुर्भुज स्थान, आंध्र प्रदेश का पेदापुरम और गुड्डिबड़ा, इलाहाबाद का मीरागंज, नागपुर का गंगा-जमुना और मेरठ का कबाड़ी बाजार वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। इन स्थानों पर लाखों लड़कियां हर रोज बिस्तर पर परोसी जाती हैं। वेश्यावृत्ति से जुड़े अन्य मुद्दों में बाल यौन शोषण और महिलाओं की तस्करी भी शामिल है। इन मुद्दों का आधार वेश्यावृत्ति ही है।

एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार देश में यौन कर्मियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। 1997 में यौन कर्मियों की संख्या 2000000 थी। जो 2003-04 में 3000000 हो गई। 2006 में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट में 90 फ्रीसदी यौन कर्मियों की उम्र 15 से 35 साल के बीच की है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरांचल में 12 से 15 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों को भी वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। भारत में बाल यौन शोषण तीव्र गति से बढ़ रहा है। आश्चर्यजनक बात है कि देश में 12 लाख से ज्यादा बच्चियां वेश्यावृत्ति के कार्य में लिप्त हैं। यह खुलासा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में हुआ जो मई 2009 में प्रकाशित की गई। सीबीआई की रिपोर्ट जिसे गृह सचिव ने जारी किया था के अनुसार 10 करोड़ महिलाएं वेश्यावृत्ति में फंस चुकी हैं इनमें से 40 फ्रीसदी बच्चियां शामिल हैं। और इनमें से 90 फ्रीसदी लड़कियां देश के एक कोने से दूसरे कोने में बेची जाती हैं। इस रिपोर्ट में एक शर्मनाक तथ्य उजागर हुआ कि वर्ष 2000 के बाद धार्मिक स्थलों में स्थित होटलों धर्मशाला यात्री शिविरों में लड़कियां अपनी यौन सेवाएं देने को मजबूर हैं। परंतु ऐसे स्थानों पर कितनी लड़कियां सेवाएं दे रही हैं इस संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं है। परंतु तथ्य और आंकड़े निश्चित नहीं हैं।

यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने 2018 में तस्करी पर अपनी आख्या प्रस्तुत की जिसमें यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार लोगों में अधिकतर महिलाएं थी। एक रिपोर्ट के अनुसार तस्करी से निपटने हेतु मामलों में मुंबई, पुणे, ठाणे कमिश्नरेट सबसे कमजोर माना जाता है। पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, मुंबई, कोलकाता बच्चों और महिलाओं के गुम होने में सबसे आगे रहा है। 2010 में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार इसी वर्ष पश्चिम बंगाल में महिलाओं की खरीद-फरोख्त के आंकड़े 8000 तक पहुंच गए हैं। परंतु गैर सरकारी कंपनियां इन आंकड़ों को गलत मानती हैं। उनके अनुसार यह आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मानव खरीद-फरोख्त के कुल 4709 केस दर्ज किए गए जिनमें से 2222 बच्चों के और 2487 युवाओं के थे। इसके अतिरिक्त 4680 पीड़ितों को मानव खरीद-फरोख्त में लगे लोगों के

चंगुल से छुड़ाया गया। कुल 4966 लोगों को 1714 मानव खरीद-फरोख्त संबंधी केस में गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल में सालों पहले समाप्त हो चुकी बाल विवाह की परंपरा अभी भी 39.40% के साथ जीवित है। ऐसा राज्य जो प्रगतिशील क्षेत्र में गिना जाता है परंतु दूरदराज के इलाकों में सदियों पहले लुप्त परंपराओं के अंश आज भी बिखरे पड़े हैं। इसका कारण पश्चिम बंगाल में महिलाओं की तस्करी संबंधी मामलों में प्रतिदिन हो रही वृद्धि को माना जा सकता है।

वेश्यावृत्ति संबंधी निदान – वेश्यावृत्ति की समस्या समाज की ऐसी समस्या है जो कई समस्याओं की जड़ है। यह एक बहुआयामी समस्या है। इस समस्या को समझने के लिए अन्य समस्याओं के साथ इसका अध्ययन करना पड़ता है। तभी इसके कारणों और उपायों को सुनिश्चित किया जा सकता है। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण गरीबी है क्योंकि इसके कारण माता-पिता अपनी बच्चियों को बेचने, नौकरी की तलाश करती हुई युवतियों का दलालों के चक्कर में फसना, पैसों के लिए किसी भी पुरुष पर विश्वास करके उससे विवाह करना, पैसों के लिए अपना शरीर बेचना, कच्ची उम्र में जिस्मफरोशी के लिए मजबूर होना इत्यादि गरीबी के कारण ही होता है। इसके लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास करती है परंतु जनता में इस समस्या के प्रति जागरूकता के अभाव में इस दिशा में जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। जैसे महिला आयोग और 6 विभागों ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाने का फैसला लिया गया कि सब मिलकर गांव में, शहरों में इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाएं। इसके लिए करीब 10000000 की मंजूरी भी दी गई। परंतु फिर भी समस्या का हल होने के स्थान पर यह बढ़ती ही जा रही है।

इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को न केवल कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अपितु उसे कठोरता से लागू करने की भी आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह इसी पेशे में लगी महिलाओं को उचित रोजगार देकर उन्हें समाज में एक सामान्य जीवन को जीने के लिए प्रेरित करें। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु कुटीर उद्योग लगाने के लिए उन्हें विशेष सहायता प्रदान की जाए। उनकी संतान इस दलदल में ना फंसे इसके लिए सरकार को विशेष योजनाओं को कार्यान्वित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को इस घृणित व्यापार में जाने से रोका जा सके। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि मनुष्य के पास उसका हल ना हो और इस समस्या का भी हल निकाला जा सकता है यदि सरकार, समाज और पीड़ित महिलाएं एक साथ इस दिशा में प्रयास करें तो समाज से वेश्यावृत्ति जैसी घृणित प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा इसके विरुद्ध जो भी नियम और कानून बनाए जाएं वह इतने सशक्त और गंभीर होने चाहिए ताकि जो मनुष्य नारी को इस प्रवृत्ति में धकेलता है वह ऐसा कार्य करने से पहले सौ बार सोचे। इसके अतिरिक्त आने वाली पीढ़ी में नैतिक नियमों के प्रसार की अति आवश्यकता है ताकि इन नैतिक नियमों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ी इस घृणित कुप्रथा से सदा के लिए बचाई जा सके। और एक स्वच्छ सशक्त और नैतिकता से पूर्ण समाज का निर्माण हो सके और नारी के सम्मान और मर्यादा की रक्षा की जा सके।

निष्कर्ष – वेश्यावृत्ति की समस्या न केवल देशव्यापी है, अपितु विश्वव्यापी भी है। यह समस्या एक बहुआयामी समस्या है। अतः इसके निवारण हेतु सरकार को बहुआयामी उपायों को सोचना होगा और इस समस्या से छुटकारे

हेतु सरकार को कठोर नियम और कानून बनाने होंगे और समाज में नैतिक नियमों का प्रचार प्रसार करना होगा तभी इस घृणित व्यवस्था से समाज को निजात दिलवाई जा सकती है। लाखों महिलाओं को इस समस्या की दलदल से बाहर निकाला जा सकता है। इस समस्या हेतु सरकार के उपाय ही पर्याप्त नहीं होंगे अपितु पूरे समाज को इस समस्या हेतु आगे आना होगा क्योंकि जब तक समाज में लोगों की मानसिकता परिवर्तित नहीं होगी तब तक इस समस्या से समाज को मुक्त नहीं किया जा सकता। समाज को उन सभी महिलाओं को भी मुक्त हृदय से अपनाना होगा जो इस घृणित व्यापार में लिप्त थी और उन्हें समाज में एक सम्माननीय सदस्य की तरह स्थान देना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2020-21
2. मनीषा 'हम सभ्य औरतें' सम्यक प्रकाशन 3320-21, जटवाड़ा नेताजी, सुभाष मार्ग दरियागंज नई दिल्ली, भारत प्रथम संस्करण 2002, पृष्ठ 49
3. <https://hi.m.wikipedia.org>
4. <https://m.jagran.com>
5. <https://hindi.oneindia.com>
6. <https://www.gaonconnection.com>
7. यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट 2018

उज्जैन संभाग में उद्यमिता के अवसरों का अध्ययन

डॉ. रुपचंद चौहान *

* एम.कॉम., पी-एच.डी. 397, महात्मा गाँधी मार्ग, नयापुरा, बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – उद्यमिता आर्थिक विकास तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल मंत्र है। उद्यमिता से बाहर और उद्यमिता के बिना कुछ संभव नहीं है। उद्यमिता के लिए अवसरों की पहचान आवश्यक है क्योंकि उद्यमिता के अवसर उस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक एवं अन्य संसाधन पर निर्भर करते हैं। प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता समान नहीं होती है, किसी क्षेत्र में प्राकृतिक एवं अन्य संसाधन अधिक तो किसी क्षेत्र में कम होते हैं। कार्यशील जनसंख्या में बढ़ोतरी भी उद्यमिता के अवसर पर निर्भर करती है। उज्जैन संभाग में प्राकृतिक संसाधनों – वन एवं प्रमुख खनिजों का अभाव है तथा अन्य संसाधनों – कृषि जिसमें सभी फसलों का उत्पादन बहुतायत में होता है। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन – वन, खनिज एवं अन्य संसाधन – कृषि (जिसमें फसलों) पर आधारित उद्यमिता के क्या अवसर हैं। इस शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता के अवसरों का अध्ययन किया गया।

शब्द कुंजी – उद्यमिता, अवसर।

प्रस्तावना – उद्यमिता जोखिम एवं साहस का कार्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता है। उद्यमी अपने सृजनात्मक व्यवहार तथा कल्पनाशीलता से अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है तथा नये-नये साहसिक कार्य करता है। इस हेतु वह व्यावसायिक अवसरों की पहचान करता है।

प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम की पहचान के साथ अवसर की पहचान, उसकी व्यावहारिकता एवं लाभदायकता का परीक्षण करने के उपरांत ही उपक्रम की स्थापना का निर्णय लिया जाता है।

व्यावसायिक विचार अनेक विकल्पों के मध्य चयनित होते हैं यथा – निर्माणी या सेवा उद्यम स्थापित किया जाए अथवा खाद्य या कृषि उद्योग स्थापित किया जाये।

किसी भी क्षेत्र में उद्यमिता के अवसर उस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों पर निर्भर करते हैं। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्राकृतिक एवं अन्य संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं उन क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसर अधिक विद्यमान होते हैं तथा जिन क्षेत्रों में ये साधन न्यूनता में उपलब्ध हैं वहाँ उद्यमिता के अवसर कम होते हैं।

उज्जैन संभाग में भी प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों पर आधारित उद्यमिता के अवसर उपलब्ध हैं। इस शोध पत्र में उज्जैन संभाग में उद्यमिता के अवसरों का अध्ययन किया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा :

- बी. आर. नलवाया (1998) ने 'पश्चिम निमाड़ जिले में उद्यमिता विकास की योजनाएँ एवं संभावनाएँ' शोध प्रबंध में प्राकृतिक संसाधनों एवं उपलब्ध अधोसंरचना का अध्ययन कर बताया कि जिले में कृषि, खनिज, वन संपदा एवं स्थानीय मांग पर आधारित उद्योगों से संबंधित इकाईयों की संभावनाएँ विद्यमान हैं।
- डॉ. दरखशा अन्जुम (2011) ने 'रूरल इन्टरप्रिन्योरशिप इन जम्मू एण्ड कश्मीर : अपार्युनिटीज एण्ड चैलेंजेस' शोध पत्र में कृषि, वनस्पति, हस्तशिल्प, हथकरघा, मशरूम में ग्रामीण उद्यमियों के लिए

क्षेत्र, अवसर और चुनौतियों का अध्ययन कर बताया कि देश के ग्रामीण विकास में ग्रामीण उद्यमिता प्रतिष्ठित क्षेत्र है।

शोध का उद्देश्य – उज्जैन संभाग में उद्यमिता के अवसरों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना – उज्जैन संभाग में प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों पर आधारित उद्यमिता के अवसर उपलब्ध हैं।

शोध अध्ययन प्रणाली – प्रस्तुत शोध पत्र में उज्जैन संभाग में प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों पर आधारित उद्यमिता के अवसरों का अध्ययन कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि इनसे संबंधित किन – किन क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसर उपलब्ध हैं। समस्त अध्ययन के लिए उज्जैन संभाग के उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर जिले के जिला सांख्यिकी कार्यालय की जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013 तथा शाजापुर, नीमच जिले की जिला सांख्यिकी कार्यालय की जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2010 एवं भू – अभिलेख कार्यालय से 2013 की स्थिति में प्राप्त प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों की जानकारी को आधार बनाया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण – उज्जैन संभाग मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। उज्जैन संभाग में 31 मार्च 2013 की स्थिति में 06 जिला मुख्यालय, 06 जिला पंचायत, 34 जनपद पंचायत/विकासखण्ड, 45 तहसीलें, 10 नगरपालिका तथा 2757 ग्राम पंचायतें हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार उज्जैन संभाग की कुल जनसंख्या 8682330 है जिसमें पुरुष जनसंख्या 4441988 तथा स्त्री जनसंख्या 4240342 है। संभाग की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 6200608 तथा नगरीय जनसंख्या 2481722 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उज्जैन संभाग में नगरीय जनसंख्या की तुलना में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है।

इसी प्रकार उज्जैन संभाग में कुल जनसंख्या 8682330 में से 4004246 कार्यशील जनसंख्या है जो कि कुल जनसंख्या का 46.12 प्रतिशत है। जिसमें कृषक जनसंख्या 1295449, खेतिहर मजदूर जनसंख्या

851245, पारिवारिक उद्योग में कार्यशील जनसंख्या 48362, सीमांत कार्यशील जनसंख्या 986157 तथा अन्य कार्यशील जनसंख्या 823033 है। विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता के अवसरों की जानकारी प्रदान करके कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि की जा सकती है।

उज्जैन संभाग में प्राकृतिक संसाधन - वन, खनिज एवं अन्य संसाधन - कृषि (जिसमें फसलों) पर आधारित उद्यमिता के अवसर उपलब्ध है।

प्राकृतिक संसाधन- प्राकृतिक संसाधनों की उद्यमिता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें वन, खनिज क्षेत्र शामिल है। सामान्यतः उद्यमिता प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित होती है।

वन :- उज्जैन संभाग के वन क्षेत्र को तालिका क्र. 01 में दर्शाया गया है-

तालिका क्र. 01: उज्जैन संभाग के वन क्षेत्र की जानकारी

(हेक्टर में)

जिला	वन क्षेत्र	कुल वन क्षेत्रफल (ग्रामीण पत्रकानुसार)	वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत
उज्जैन	3149	609874	0.51
देवास	206636	701307	29.46
शाजापुर	6188	618618	01.00
रतलाम	32882	486007	06.76
मन्दसौर	40593	551806	07.35
नीमच	94413	393565	23.98
योग	383861	3361177	11.42

स्रोत - जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013, जिला उज्जैन, देवास, रतलाम, मन्दसौर एवं भू अभिलेख कार्यालय, जिला शाजापुर, नीमच।

उपरोक्त तालिका क्र. 01 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में कुल 383861 वर्ग हेक्टर वन क्षेत्रफल है जो उज्जैन संभाग के कुल क्षेत्रफल 3361177 वर्ग हेक्टर का 11.42 प्रतिशत है। उज्जैन संभाग में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल 206636 वर्ग हेक्टर देवास जिले में है तथा सबसे कम वन क्षेत्रफल 3149 वर्ग हेक्टर उज्जैन जिले में है।

उज्जैन संभाग के रतलाम एवं मन्दसौर जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें बबूल, तैदू, शीशम, सागोन आदि के वृक्ष मुख्य हैं। इन पर आधारित कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, लकड़ी चीरने के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

खनिज :- उज्जैन संभाग में पाये जाने वाले खनिजों की जानकारी को तालिका क्र. 02 में दर्शाया गया है

तालिका क्र. 02: उज्जैन संभाग में पाए जाने वाले खनिजों की जानकारी

जिला	प्रमुख खनिज	गौण खनिज
उज्जैन	गेरू, लाल मिट्टी, खड़िया	पत्थर, मुरम, रेत, फर्शी पत्थर
देवास	गेरू, लाल मिट्टी, खड़िया	पत्थर, मुरम, रेत, फर्शी पत्थर
शाजापुर	गेरू, लाल मिट्टी, खड़िया	पत्थर, मुरम, रेत, फर्शी पत्थर
रतलाम	गेरू, लाल मिट्टी, खड़िया	पत्थर, मुरम, रेत, गिट्टी
मन्दसौर	गेरू, लाल मिट्टी, खड़िया	पत्थर, मुरम, रेत, फर्शी पत्थर
नीमच	गेरू, लाल मिट्टी, खड़िया	पत्थर, मुरम, रेत, फर्शी पत्थर

स्रोत-जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013 जिला उज्जैन, देवास, रतलाम, मन्दसौर एवं जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2010, जिला शाजापुर, नीमच।

उपरोक्त तालिका क्र. 02 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में प्रमुख

खनिज के रूप में गेरू, लाल मिट्टी, खड़िया, पाए जाते हैं तथा गौण खनिज के रूप में पत्थर, मुरम, रेत, फर्शी पत्थर, गिट्टी आदि पाए जाते हैं। गौण खनिजों का उपयोग निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है तथा प्रमुख खनिजों की अनुपलब्धता के कारण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रति अरुचि है।

अन्य संसाधन- प्राकृतिक संसाधनों की तरह अन्य संसाधन - कृषि भी उद्यमिता विकास में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये संसाधन भी उद्यमिता के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

कृषि - कृषि प्रधान देश भारत के हृदय स्थल म.प्र. के मालवा के पठार पर स्थित उज्जैन संभाग कृषि प्रधान क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। यहाँ प्रमुख फसलों के रूप में अनाज, दालें और तिलहन का उत्पादन किया जाता है।

प्रमुख अनाज :- गेहूँ, मक्का, ज्वार, धान।

प्रमुख दाल :- चना, उड़द, तुअर

प्रमुख तिलहन :- सोयाबीन, अलसी, मुंगफली, तिल, राई व सरसो।

उज्जैन संभाग में प्रमुख अनाज के रूप में गेहूँ, प्रमुख दालों के रूप में चना तथा प्रमुख तिलहन के रूप में सोयाबीन के बोये गये क्षेत्र को तालिका क्र. 03 में दर्शाया गया है-

तालिका क्र. 03: उज्जैन संभाग में प्रमुख फसलों के बोये गये क्षेत्र की जानकारी

(हेक्टर में)

जिला	गेहूँ	चना	सोयाबीन	कुल
उज्जैन	204840	183335	458822	846997
देवास	169544	112935	340532	623011
शाजापुर	126239	135793	371100	633132
रतलाम	103248	73810	221556	398614
मन्दसौर	86845	25809	27776	140430
नीमच	42218	11802	126236	180256
योग	732934	543484	1546022	2822440

स्रोत-जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2013 जिला उज्जैन, देवास, रतलाम एवं मन्दसौर एवं भू अभिलेख कार्यालय जिला शाजापुर एवं नीमच

उपरोक्त तालिका क्र. 03 से स्पष्ट होता है कि उज्जैन संभाग में गेहूँ, चना, सोयाबीन, का कुल बोया गया क्षेत्र 2822440 हेक्टेयर है जिसमें गेहूँ 732934 हेक्टर, चना 543484 हेक्टर, सोयाबीन 1546022 हेक्टर क्षेत्र में बोये गए हैं। गेहूँ और चना की तुलना में सोयाबीन का बोया गया क्षेत्र अधिक है।

इस प्रकार संभाग में सभी फसलों अर्थात् अनाज, दलहन और तिलहनों को बोया जाता है जिससे इन पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं।

परिकल्पना की पुष्टि- उज्जैन संभाग में प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों पर आधारित उद्यमिता के अवसर उपलब्ध है, परिकल्पना पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होती है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से यहाँ वन एवं प्रमुख खनिजों का अभाव है। इन पर आधारित उद्योगों की संभावनाएँ कम हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है तथा अनाज, दलहन और तिलहन का उत्पादन बहुतायत में किया जाता है जिससे इन पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं।

निष्कर्ष - उज्जैन संभाग में प्राकृतिक संसाधनों- वन एवं प्रमुख खनिजों का अभाव होने के कारण इन पर आधारित उद्योगों की संभावनाएँ कम तथा

अन्य संसाधनो - कृषि (जिसमे फसलों)- अनाज,दलहन,तिलहन का उत्पादन बहुतायत मे होने से इन पर आधारित उद्योगो की अपार संभावनाएँ हैं। उपरोक्त आधार पर उद्यमिता के अवसरों की जानकारी प्रदान कर कार्यशील जनसंख्या मे वृद्धि की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जैन एवं शर्मा (2011), 'उद्यमिता के मूलाधार', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
2. डॉ. गंगेले एवं जैन (2009), 'उद्यमिता विकास', म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. बी.आर. नलवाया (1998), 'पश्चिम निमाड़ जिले मे उद्यमिता विकास की योजनाएँ एवं संभावनाएँ', (शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
4. डॉ. दरखशा अन्जुम (2011), 'रूरल इन्टरप्रिन्योरशिप इन जम्मू एण्ड कश्मीर : अपार्चुनिटीज एण्ड चैलेन्जेस'(शोध पत्र), इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स ,इकॉनामिक्स एण्ड मैनेजमेन्ट, वाल्युम नं. 1 ,इश्यू नं. 4 , (अगस्त), ISSN no.2231-4245
5. रुपचंद चौहान (2016), 'उज्जैन संभाग मे उद्यमिता विकास मे उद्यमिता विकास केन्द्र (CEDMAP) के योगदान का अध्ययन'(शोध प्रबंध), विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
6. उद्यमिता समाचार पत्र, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र.,भोपाल।
7. स्वरोजगार मार्गदर्शिका, उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र.,भोपाल।

निर्वाचन भूगोल के सन्दर्भ में जाति व शिक्षा की भूमिका : भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की केस स्टडी

शुभम ओझा* रजनी गगवानी**

* पूर्व विद्यार्थी, मा.ला.व. राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

**शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – प्रस्तुत लेख में निर्वाचन भूगोल के संदर्भ में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले दो विपरीत प्रभाव वाले कारकों जाति व साक्षरता दर पर केंद्रित अध्ययन किया गया है। जाति जहाँ व्यक्ति की सामाजिक पहचान का प्राथमिक, पारंपरिक व रूढ़िवादी तत्त्व है। वहीं शिक्षा व साक्षरता आधुनिक, तार्किक व पहचान का तुलनात्मक रूप से नवीन कारक है। एक ओर जहाँ जाति व्यक्ति के चयन को सीमित विकल्प प्रदान करती है। वहीं शिक्षा एक मतदाता को विस्तृत सोच के साथ अन्य समुदायों के प्रति संवेदनशील बनाती है और चुनावी राजनीति को और अधिक समावेशी बनाती है। अतः यह आवश्यक है कि मतदान को प्रेरित करने वाले दो विलोम कारकों के प्रभाव को जाना जाये। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखकर हमारे द्वारा केस स्टडी करते हुए राजस्थान के भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। जहाँ जातीय कारक भी सक्रिय रहा है और शिक्षा के प्रति मतदाताओं का रुझान भी रहा है।

1. निर्वाचन भूगोल का अर्थ एवं विकास– वर्तमान में भूगोल का झुकाव मानव केंद्रित विषयों की ओर रहा है उसमें एक ओर महत्वपूर्ण विषय निर्वाचन भूगोल है। निर्वाचन भूगोल के सामान्य अर्थ की बात करें तो किस प्रकार से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां वहाँ के निर्वाचन पर प्रभाव डालती है उसका अध्ययन हम सामान्य रूप से भूगोल के इस भाग में करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस के निर्वाचन पर भौगोलिक कार्य किया गया। वहाँ इस शाखा पर महत्वपूर्ण कार्य एंड्रे सेग्रैड ने किया इसी कारण इन्हें निर्वाचन भूगोल का जनक कहते हैं। राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन के अध्ययन का वास्तविक प्रारंभ जे.आर.वी. प्रेसकोट के लेख 'The function and method of electoral geography' से होता है। (प्रेसकोट, 1959 : 296) इसके बाद अनेक शोध पत्र प्रकाशित हुए। इसी आधार पर बुस्टीड ने निर्वाचन के अध्ययन को 'मानव भूगोल के सामान्य क्षेत्र में नवीन विचारों के प्रादुर्भाव' के रूप में व्यक्त किया। (बुस्टीड, 1983) 1979 में टेलर और जॉन्सटन द्वारा लिखित पुस्तक 'Geography of Election' प्रकाशन हुआ। (टेलर एंड जॉन्सटन, 1979)

मतदान व्यवहार के संदर्भ में सोजा ने लिखा है- 'राजनीतिक भूगोल के किसी भी पहलू से अधिक, समकालीन भौगोलिक अनुसंधान की नई मुख्य धारा के वैचारिक और पद्धतिगत जोर को प्रतिबिंबित करने के लिए मतदान व्यवहार का अध्ययन स्पष्ट रूप से शुरू हो गया' (सोजा; 1989) निर्वाचन भूगोल के विकास के क्रम में मूर ने अपने शब्दों में कहा 'यदि

चुनावी भूगोल राजनीतिक भूगोल की एक मौलिक शाखा है, तो इसका विकास समग्र रूप से विषय में प्रासंगिक तकनीक, मॉडल और सिद्धांतों के विकास की अधिक सामान्य आवश्यकता के संबंध में अनुपातहीन रहा है।' (मूर, 1975:204)

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्वाचन के भौगोलिक दृष्टिकोण पर नजर 1960 के दशक के बाद ही गया। भारत में निर्वाचन भूगोल का प्रारम्भ कुछ समय के पश्चात हुआ। भारत में इस दिशा में अध्ययन को आगे ले जाने का कार्य के.जेड.अमानी, बी.एल.सुखवाल एवम आर.डी.दीक्षित ने किया।

भीलवाड़ा का भौगोलिक परिचय

1. स्थिति– भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 है। भीलवाड़ा जिले का विस्तार 25°0 से 27 ° 50' उत्तरी अक्षांश तथा 74° 3' से 75° 25' पूर्वी देशांतर तक है। भीलवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 10,508.85 है। इसकी औसत ऊंचाई 421 मीटर (1381 फीट) है। भीलवाड़ा के उत्तर में अजमेर जिला, दक्षिण में चित्तौड़गढ़ व उदयपुर जिला तथा मध्यप्रदेश राज्य की सीमा लगती है। जबकि पूर्व में बूंदी जिला व पश्चिम में राजसमन्द जिला स्थित है। जिसे की इस नक्शे के माध्यम से समझा जा सकता है :



स्रोत: Map Of Bhilwara In Rajasthan

<https://images.app.goo.gl/ivffnm5qjhn42YpU6>

जिले से बहने वाली प्रमुख नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी,

मेनाली, चंद्रभागा और नागडी हैं। जिले में कोई प्राकृतिक झील नहीं है, लेकिन तालाबों और बांधों की संख्या है, इसलिए यह जिला राजस्थान राज्य में सबसे अधिक सिंचित है। इसमें आजाद नगर के पास एक कृत्रिम तालाब मानसरोवर झील (तालाब) है। भीलवाड़ा जिले पर केंद्रित मानचित्र निम्न है :



स्रोत: bhilwarDistrictmaphttps://images.app.goo.gl/bqKDfuHibuUtyRuH9

भौगोलिक दृष्टि से भीलवाड़ा विधानसभा पर दृष्टिकोण दिया जाए तो यह क्षेत्र मैदानी प्रकार का है कहीं कहीं अरावली की पहाड़ियाँ भी हैं परन्तु वहाँ पर बस्तियों का अभाव है इस कारण भौगोलिक प्रभाव के दृष्टिकोण से ज्यादा निर्वाचन पर प्रभाव नहीं पड़ता है भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भौगोलिक प्रभाव से ज्यादा निर्वाचकों पर आर्थिक प्रभाव ज्यादा है।

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका 1 आंकड़ों के आधार पर भीलवाड़ा की जलवायु पर दृष्टिकोण डालें तो भीलवाड़ा में सर्वाधिक तापमान मई जून एवं अप्रैल माह में रिकॉर्ड किया जाता है तथा न्यूनतम तापमान दिसंबर-जनवरी एवं फरवरी माह में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। इस आधार पर भीलवाड़ा में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है परन्तु सापेक्ष आद्रता की बात करें तो वह सर्वाधिक जुलाई अगस्त एवं सितंबर माह में तथा जनवरी माह में रिकॉर्ड की जाती है। (सापेक्ष आद्रता = निरपेक्ष आद्रता / आद्रता सामर्थ्य $\times 100$) भीलवाड़ा में औसत वर्षा 23.17 इंच दर्ज की गई है जबकि औसत वर्षा के दिनों की बात करें तो 26.8 दिन जो है वर्षा औसत होती है।

इतिहास व जनसांख्यिकी

भीलवाड़ा कपड़ा - हथकरघा शहर के रूप में प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा जिले के इतिहास के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। जिसके आधार पर कहा जा सके, इसकी स्थापना कब व किसके द्वारा की गई। भारतीय पौराणिक कथाओं से भीलवाड़ा का उल्लेख महाभारत में मिलता है। जिसके अनुसार, अर्जुन सभी गोपियों के साथ द्वारका जाते समय यहाँ से गुजरे थे। भीलवाड़ा के सांस्कृतिक इतिहास का पता स्कंद पुराण में वर्णित नागर ब्राह्मणों से मिलता है। बताते हैं कि भीलवाड़ा का इतिहास 11 वीं सदी का है। इसके नामकरण के सम्बन्ध में प्रचलित किंवदंती के अनुसार, यहाँ भील जनजाति के लोग निवास करते थे। सदियों से यह भील जाति का क्षेत्र रहा है। जिन्होंने मेवाड़ के महाराजाओं खासकर राणा प्रताप की मदद की थी। इस प्रकार भीलवाड़ा का नामकरण स्थानीय शासक भीलराज के नाम पर पड़ा है। (हिंदी डॉट कॉम) एक अन्य संस्करण में कहा गया है कि वर्तमान भीलवाड़ा शहर में

एक टकसाल थी। जहाँ भीलवाड़ा के नाम से प्रचलित सिक्के ढाले जाते थे और इसी के नाम से जिले का नाम पड़ा। (राजस्थान सरकार) प्राचीन कालक्रम के अनुसार गुहिल और चौहान शासकों का यहाँ राज था। भीलवाड़ा शाहपुरा रियासत के एक भाग के रूप में मेवाड़ राज्य का हिस्सा था। वर्ष 1858 में भीलवाड़ा के सांगानेर गांव में क्रांतिकारी तात्या टोपे व अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। संयुक्त राजस्थान के रूप में मेवाड़ व शाहपुरा रियासत का विलय हो गया व 1949 में भीलवाड़ा जिला अस्तित्व में आया। (राजरास डॉट इन)

भीलवाड़ा जिले की जनसांख्यिकीय

कुल जनसंख्या	24,08,523	12,20,736(M)	11,87,787(F)
	21.60% (U)	78.7 % (R)	
लिंगानुपात	973 (Avg.)	932 (U)	984 (R)
साक्षरता दर	61.37 : (Avg.)		
	63.7% (M)	40.29% (F)	
	87.7% (U)	56 % (R)	

अनुसूचित जाति 16.9%

अनुसूचित जनजाति 9.5 %

जनघनत्व 230 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.

कुल कार्यशील जनसंख्या (दीर्घकालिक कर्मी) 8,83,329

कुल सीमांत जनसंख्या (अल्पकालिक कर्मी) 2,64,836

कुल अकार्यशील जनसंख्या (गैर कर्मी) 12,60,358

जिले की कुल जनसंख्या 24,08,523 है। जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 3.51 प्रतिशत है। (जनगणना, 2011) जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4,07,947 है जो कि राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 3.34 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जनजाति की जिले में जनसंख्या 2,9,273 है जो कि राज्य की कुल 2.48 प्रतिशत है। जिले में हिन्दू धर्म के अनुयायियों की प्रधानता है। वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले जिले की कुल जनसंख्या का 5.60 प्रतिशत है। अन्य धर्मों के अनुयायियों का जिले में जनसंख्या प्रतिशत इस प्रकार है :

धर्म-वार जनसंख्या

क्र	धर्म	जनसंख्या (प्रतिशत में)
1.	हिन्दू	92.49
2.	मुस्लिम	5.60
3.	ईसाई	0.10
4.	बौद्ध	0.01
5.	जैन	1.46
6.	कोई धर्म नहीं	0.1
7.	सिख	0.10

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

वर्तमान समय में भीलवाड़ा जिले में 6 नगरपालिकाएं : गुलाबपुरा, गंगापुर, जहाजपुर, मांडलगढ़, आसीन्द व शाहपुरा व 1 नगर परिषद है। जिसमें से भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र नगर परिषद क्षेत्र में शामिल है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 118.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत भीलवाड़ा नगर परिषद की 79.50 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू, 14.23 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम, 0.33 प्रतिशत जनसंख्या ईसाई, 0.33 प्रतिशत जनसंख्या सिख, बौद्ध धर्म के अनुयायी 0.33, जैन आबादी 5.47 प्रतिशत है। मांडलगढ़ में 74,184 परिवारों में 339,483 व्यक्ति निवासरत

हैं तथा लिंगानुपात 922 है। यहाँ की साक्षरता दर 82.20 प्रतिशत है। यहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 47,692 तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 4,488 है। कुल कामगारों की संख्या 1,26,575 है। इसमें से 1,15,095 मुख्य तथा 11,480 सीमांत कामगार हैं। मुख्य कामगारों में 3,042 कृषक, 1,734 खेतिहर मजदूर, 4,515 घरेलू उद्योग तथा 1,05,804 व्यक्ति अन्य कार्यों में संलग्न हैं। जबकि सीमांत कामगारों में 709 कृषक, 616 खेतिहर मजदूर, 734 घरेलू उद्योग तथा 9,421 अन्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त करते हैं। (जनगणना, 2011 रु 302-307)

भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक परिचय - राजस्थान विधानसभा वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 34 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 स्थान आरक्षित हैं। अब तक राज्य विधानसभा के पंद्रह आम चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। भीलवाड़ा जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से एक भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र भी है। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भीलवाड़ा तहसील का आंशिक भाग 'भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र' सम्मिलित है। (परिसीमन आयोग, 2008 : 363) भीलवाड़ा उपखंड में एक तहसील, विकास खंड सुवाणा व एक नगर परिषद क्षेत्र है। जिसमें कुल 24 ग्राम पंचायत तथा 116 ग्राम शामिल हैं। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की संख्या 180 है तथा यहां पर कुल 226 मतदान केंद्रों में 2,76,772 मतदाता पंजीकृत हैं। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र संख्या (180) के साथ इसकी भौगोलिक अवस्थिति का चित्रात्मक प्रदर्शन निम्न नक्शे के माध्यम से किया गया है :



स्रोत: इंडियामैप <https://images.app.goo.gl/Tvj7oLVsX9DvqwsM6>
वर्ष 1952 से 2018 तक हुए राजस्थान विधानसभा चुनावों में भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पर दलीय प्रदर्शन व विजेता उम्मीदवारों को प्राप्त मतों का संक्षिप्त विवरण है : (चुनाव आयोग, भारत)

तालिका 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 2 का विश्लेषण करने पर मालूम पड़ता है कि भीलवाड़ा जिले में द्वि - दलीय राजनीति का प्रचलन रहा है। इसके अतिरिक्त इच्छासर्वी सदी में तो यह क्षेत्र भाजपा की सुरक्षित सीट बन कर उभरा है। केंद्र व राज्य सरकार में दलीय समीकरण से अप्रभावित रहते हुए इस क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विजयश्री प्राप्त करते रहे हैं।

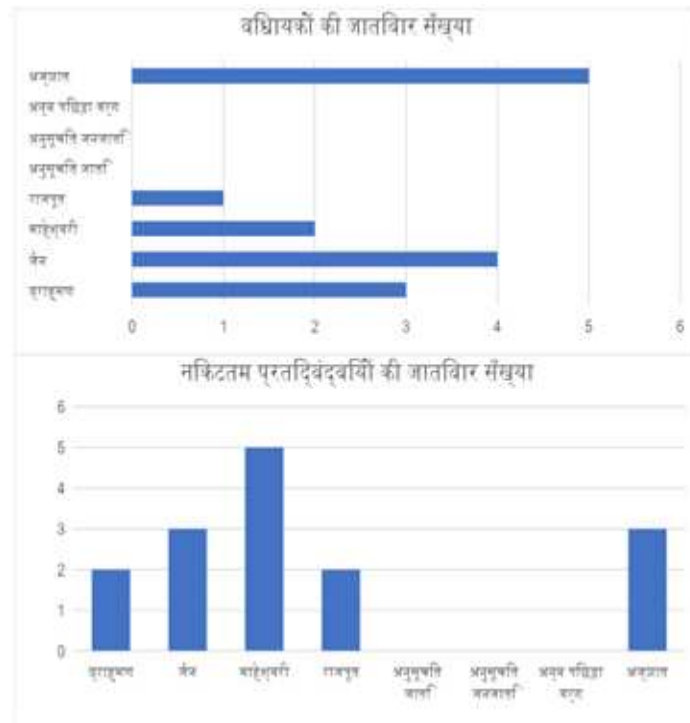
निर्वाचन पर भौगोलिक प्रभाव - चुनावों पर भौगोलिक परिस्थितियों व अवस्थिति व स्थिति काफी प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मतदान

की प्रवृत्तियां व प्रेरक भिन्न-भिन्न रहते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यावरण व सांस्कृतिक स्थितियां भी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार व चुनावों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार नारे लगाना भी निर्वाचन भूगोल का ही एक अंग है जिससे कि वोटर प्रभावित होता है। दलों द्वारा सुरक्षित सीट पर ज्यादा ध्यान देना भी भूगोल व निर्वाचन के पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। केविन आर. कॉक्स ने अपनी पुस्तक 'प्रोग्रेस इन ज्योग्राफी' (1969) में भूगोल के मतदान व्यवहार पर प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया है। इसके अंतर्गत चुनावों में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रत्याशियों को प्राप्त मत, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, शैक्षिक, व्यवसायिक स्थिति के अनुसार श्रेणीवार मतों को प्रदर्शित किया जाता है। मतदान को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में मतदान केंद्र से मतदाता के निवास स्थान की दूरी, भूस्वामी को उसके अधीन कार्य करने वाले काश्टकारों द्वारा मत मिलना, समाचार भेजने और पाने वाले का संबंध भी महत्वपूर्ण होता है जैसे ; माता-पिता, बच्चे, पति-पत्नी का अधिकांशतः सहमति से मतदान किया जाता है। समान जाति/नृजातीय पहचान वाले व्यक्तियों द्वारा अपनी ही जाति/नृजाति के पक्ष में मतदान करना, शिक्षित व अशिक्षित व्यक्तियों के मतदान व्यवहार में भिन्नता भी भौगोलिक जनसांख्यिकी व मतदान व्यवहार के मध्य सम्बन्ध को दर्शाती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल, निर्वाचन को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ही ना सिर्फ मतदान व्यवहार बल्कि निर्वाचन प्रशिक्षण व विशेष प्रशासनिक प्रबंध किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, सीमावर्ती व पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया निष्पादित करने हेतु विशेष व्यवस्था की जाती है तथा वहाँ मतदान प्रतिशत व मतदान प्रवृत्तियां भी समतल क्षेत्रों की तुलना में भिन्न होती है। इसी क्रम में भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चुनावों पर भौगोलिक कारक के रूप में 'जाति व साक्षरता' स्तर के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :

1. जाति - भारतीय राजनीति पर जातीय प्रभाव व दोनों के मध्य सम्बन्ध सर्वमान्य है। दलीय राजनीति में पदों के आवंटन से लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। इस पक्ष का समर्थन करते हुए रजनी को लिखते हैं कि 'भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है। अतः ना चाहते हुए भी राजनीति को जातीय संस्था का उपयोग करना ही पड़ता है।' (कोठारी, 1970 : 228) विशेष रूप से स्थानीय राजनीति में तो जातिगत कारक निर्धारक भूमिका रखते हैं। इस सम्बंध में ग्रेनविल ऑस्टिन के इस कथन का उल्लेख करना प्रासंगिक है कि ; 'स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में उसी प्रकार भूमिका अदा करते हैं, जिस प्रकार पश्चिमी देशों में दबाव गुटा।' (ऑस्टिन, 1966 : 47) भारतीय राजनीति पर जातीय प्रभाव के आच्छादन के परिणामस्वरूप भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी राजनीति जातीय कारक से मुक्त नहीं हो पाई है व कोई भी दल उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर करता है। वर्ष 1952 से लेकर 2018 तक हुए राजस्थान विधानसभा चुनावों में भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधियों की जातीय पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर मालूम पड़ता है कि इक्का - दुक्का चुनाव को छोड़ दें तो इस क्षेत्र में तो सिर्फ विजेता बल्कि निकटतम प्रतिद्वंद्वी भी सवर्ण ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवार भी उच्च जातियों के सवर्ण व्यक्ति थे। पिछले पृष्ठों में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर

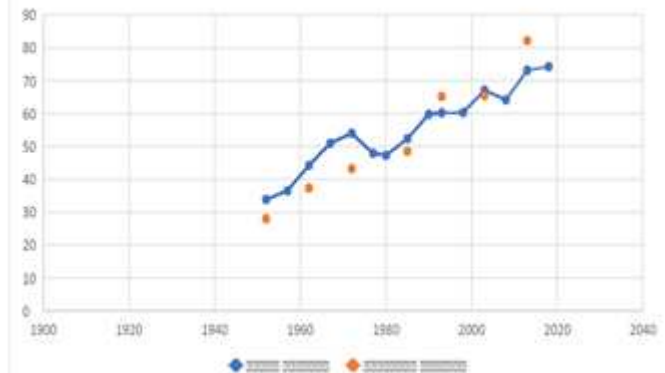
अब तक हुए 15 विधानसभा चुनावों में भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विजयी उम्मीदवार व उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वियों के जातीय समीकरण का विश्लेषण नीचे चित्रात्मक रूप से किया गया है।



इस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र पर जातीय प्रभाव पूरी तरीके से हावी रहा है एवं कोई भी दल इस कारक की उपेक्षा करने की स्थिति में नहीं है।

2. शिक्षा: शिक्षा मानव संसाधन का एक महत्वपूर्ण मापक है। इसका स्तर जानने का पैमाना साक्षरता है। साक्षरता के माध्यम से शिक्षा के स्तर जाना जा सकता है। शिक्षा का व्यक्ति के मतदान व्यवहार पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। एक ओर अमित आहुजा तथा प्रदीप छिब्बर जैसे विद्वान साक्षरता व राजनीतिक जागरूकता तथा मतदान व्यवहार के मध्य कोई विशेष अंतर स्वीकार नहीं करते करते हैं। (आहुजा एवम छिब्बर, 2012) इससे पूर्व बी.एम. सिरसीकार ने वर्ष 1977 में सम्पन्न आम-चुनाव के दौरान सर्वेक्षण के आधार पर पूणे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का अध्ययन किया। जिससे मालूम पड़ा कि भारत में अधिकांश लोगों को लोकतंत्र पर, राजनीतिक दलों तथा चुनावों में भी विश्वास है। इसका एक दिलचस्प नतीजा सिरसीकर ने यह बताया कि शिक्षितों की तुलना में कम शिक्षित लोग लोकतंत्र में अधिक विश्वास है। दूसरी ओर कई विद्वानों का मानना है कि शिक्षा मनुष्यों में नागरिक कर्तव्यों व उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करती है। शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा अन्य लोगों में योग्यता व आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। अमेरिका, फिनलैंड, मेक्सिको, ब्रिटेन तथा इटली में हुए अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। वर्तमान के तकनीकी युग में वास्तव में शिक्षा का महत्व बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया व चुनाव प्रचार के वर्चुअल तरीकों ने भी एक शिक्षित व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों से तुलनात्मक रूप से अधिक जोड़ा है। शिक्षा व मतदान के प्रति रुझान के मध्य सहसंबंध को जानने के लिए साक्षरता प्रतिशत के संदर्भ में भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1952 से 2018 तक हुए

विधानसभा चुनावों का विश्लेषण किया गया है।



उपर्युक्त तथ्यों का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जैसे जैसे भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में साक्षरता का स्तर बढ़ा है वैसे वैसे यहाँ लोगों लोकतंत्र के महायज्ञ में भागीदारी बढ़ी है व मतदान प्रतिशत तथा साक्षरता प्रतिशत के मध्य अधिक अंतर नहीं रहा है। राजस्थान निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर विधायकों के दिए हुए शपथ पत्र का अध्ययन करने पर मालूम पड़ता है कि इस बढ़ती हुई शिक्षा ने मतदाताओं का शिक्षित प्रतिनिधियों के प्रति रुझान बढ़ाया है। परिणामस्वरूप भीलवाड़ा के विधायक चार्टर्ड अकाउंटेंट व विश्वविद्यालय स्नातक हैं।

निष्कर्ष – निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भौगोलिक विशेषताओं का व्यक्ति की राजनीतिक पसंद व मतदान प्रवृत्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। स्थानीय स्तर पर चुनावों में यह कारक मतदाता को अधिक प्रभावित करते हैं क्योंकि इस स्तर व्यक्ति उम्मीदवार के बारे अधिक जानकारी रखता है। उसकी जातीय प्रस्थिति, शैक्षणिक स्तर व कामकाज इत्यादि से वह भलीभांति परिचित होता है। इसलिए यहाँ मतदाता का चयन जनसांख्यिकी विशेषताओं से प्रभावित होना स्वभाविक है। प्रस्तुत अध्ययन में देखा गया कि मतदाता का स्व ण जाति प्रति विश्वास अधिक होता है वहीं शिक्षा व मतदान प्रतिशत में भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है। जैसे जैसे साक्षरता का स्तर बढ़ेगा लोगों की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी भी सकारात्मक रूप से बढ़ेगी। अतः आवश्यकता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ मतदान प्रतिशत न्यून है वहाँ विद्यालय व महाविद्यालयों में नामांकन बढ़ाया जाए। जिससे कि लोगों में अपनी राजनीतिक भूमिका सम्बन्धी जागरूकता में अभिवृद्धि हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहुजा अमित एवं छिब्बर प्रदीप. (2012). वाय द पुअर वोट इन इंडिया? इफ आई डोन्ट वोट, आई एम डेड फॉर द स्टेट. रिप्रिंजर साइंस+ बिजनेस मीडिया एल.एल.सी
2. ऑस्टिन, ब्रेनविल. (1966). द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन : कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन. ऑक्सफोर्ड : क्लेरेंडन प्रेस रू न्यूयॉर्क.
3. कोठारी, रजनी. (1970). कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स. ओरिएंट ब्लैकस्वान : नई दिल्ली.
4. टेलर, पी. जे. एवं जॉन्सटन रॉन. (1979). ज्योग्राफी ऑफ एलेक्शन्स. रूटलेज : लन्दन
5. निर्वाचन आयोग, भारत। <https://eci.gov.in/files/category/88-rajasthan/>
6. निर्वाचन आयोग, राजस्थान। <https://ceorajasthan.nic.in/>

- Election%20Results%20and%20Statistics.aspx
7. प्रेसकोट, जे. आर. वी. (1959). द फंक्शन्स एंड मेथड्स ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी. एनल्स ऑफ द असोसिएशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफी. वोल्यूम रु 49, इशु रु 3. विले ऑनलाइन लाइब्रेरी
 8. बुस्टीड, एम. ए. (1983). डिवलपमेंट इन पोलिटिकल ज्योग्राफी. एकेडमिक प्रेस : लन्दन
 9. भीलवाड़ा प्रशासन, राजस्थान सरकार <https://bhilwara.rajasthan.gov.in/jankalyan-category-and-entry-type/28/2/2>
 10. भारतीय मौसम विज्ञान संगठन।
 11. राजस्थान विधानसभा का इतिहास, राजस्थान विधानसभा <https://rajassembly.nic.in/OverviewRajLegislature.aspx>
 12. राजरास डॉट कॉम <https://www.rajras.in/rajasthan/districts/bhilwara/>
 13. सोजा, एडवर्ड. (1989). ज्योग्राफीज : द रिसर्च ऑफ स्पेस इन क्रिटिकल सोशल थ्योरी. वर्सो प्रेस : लन्दन

तालिका 1

जलवायु : भीलवाड़ा की जलवायु की विशेषताएं निम्न सारणी के माध्यम से समझी जा सकती हैं :

Climate data for Bhilwara (1981–2010, extremes 1962–2005)													
Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
Record high °C (°F)	32.0 (89.6)	36.7 (98.1)	41.2 (106.2)	44.8 (112.6)	47.8 (118.0)	47.0 (116.6)	42.5 (108.5)	39.2 (102.6)	40.5 (104.9)	41.5 (106.7)	36.0 (96.8)	33.3 (91.9)	47.8 (118.0)
Average high °C (°F)	23.7 (74.7)	27.1 (80.8)	33.2 (91.8)	38.0 (100.4)	41.3 (106.3)	40.2 (104.4)	33.9 (93.0)	31.2 (88.2)	32.9 (91.2)	34.2 (93.6)	30.2 (86.4)	25.2 (77.4)	32.6 (90.7)
Average low °C (°F)	7.2 (45.0)	9.3 (48.7)	15.7 (60.3)	20.9 (69.6)	25.3 (77.5)	26.3 (79.3)	24.1 (75.4)	22.7 (72.9)	22.0 (71.6)	17.7 (63.9)	12.2 (54.0)	8.2 (46.8)	17.6 (63.7)
Record low °C (°F)	−0.3 (31.5)	1.7 (35.1)	6.3 (43.3)	11.8 (53.2)	16.9 (62.4)	16.5 (61.7)	15.0 (59.0)	16.0 (60.8)	15.5 (59.9)	10.0 (50.0)	5.0 (41.0)	0.9 (33.6)	−0.3 (31.5)
Average rainfall mm (inches)	5.7 (0.22)	2.2 (0.09)	3.9 (0.15)	7.0 (0.28)	13.4 (0.53)	41.6 (1.64)	208.3 (8.20)	232.1 (9.14)	55.7 (2.19)	10.5 (0.41)	6.5 (0.26)	1.6 (0.06)	588.6 (23.17)
Average rainy days	0.4	0.2	0.1	0.5	1.3	2.8	7.9	8.9	3.4	0.7	0.3	0.2	26.8
Average relative humidity (%) (at 08:30 IST)	70	60	56	50	49	60	77	82	77	62	64	69	65

तालिका 2

वर्ष	विधायक	दल	प्राप्त मत	निकटतम प्रतिद्वंद्वी	दल	प्राप्त मत
1952	तेज मल	कांग्रेस	6659	गणेश लाल	भारतीय जनसंघ	5725
1957	कमला बाई	कांग्रेस	10145	गणेश लाल	भारतीय जनसंघ	6211
1962	निर्मला देवी	कांग्रेस	13727	बंसीलाल पटवा	भारतीय जनसंघ	5730
1967	आर. पी. लाछा	कांग्रेस	20769	गणेश लाल	भारतीय जनसंघ	10373
1972	भौवत लाल भदादा	कांग्रेस	23447	अर्जुन लाल चाचानी	भारतीय जनसंघ	12162
1977	कौशल किशोर जैन	जनता पार्टी	26532	देवेन्द्र सिंह	कांग्रेस	1266
1980	बंसीलाल पटवा	बीजेपी	22319	कैलाश व्यास	कांग्रेस (आई)	21205
1985	प्रणवीर	कांग्रेस	32829	बंसीलाल पटवा	बीजेपी	30757
1990	बंसीलाल पटवा	बीजेपी	58232	रामप्रसाद लढ्ठा	कांग्रेस	32675
1993	जगदीश चन्द्र दरक	भाजपा	59474	कैलाश व्यास	कांग्रेस	44451
1998	देवेन्द्र सिंह	कांग्रेस	70479	रामरीछपाल नुवाल	भाजपा	47819
2003	सुभाष बहेड़िया	भाजपा	73635	देवेन्द्र सिंह	कांग्रेस	57958
2008	विठ्ठलशंकर अवरुथी	भाजपा	59490	ओमप्रकाश नारानीवाल	कांग्रेस	42213
2013	विठ्ठलशंकर अवरुथी	भाजपा	91582	रामपाल सोनी	कांग्रेस	45466
2018	विठ्ठलशंकर अवरुथी	भाजपा	93198	ओमप्रकाश नारानीवाल	निर्दलीय	43620

शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में प्रकृति प्रेम और सौन्दर्य बोध

डॉ. ज्योति सिंह* शिव औतार**

* प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (हिंदी) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में प्रकृति सौन्दर्य बोध इस शोध पत्र का वर्ण्य विषय है। इसकी शोध परक विवेचना करने के पूर्व इसके सार रूप पर संक्षिप्त प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में प्रकृति सौन्दर्य बोध की यथार्थ परक झांकी देखी जा सकती है। शमशेर बहादुर सिंह जी के काव्य में प्रगतिवादी चेतना प्रारम्भ से ही प्रकट रही है। इस शोध लेख में शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में प्रकृति सौन्दर्य बोध की शोधात्मक विवेचना की गई है।

‘प्रकृति मानव की चिर सहचरी है मनुष्य जन्म से मरण तक उसके सानिध्य में रहता है। वह जब जगत का प्रथम प्रकाश देखता है तो वह प्रकृति के अंक में अपने को पाता है, जीवन यापन के दिन भी उसे प्रकृति की गोद में ही बिताने पड़ते हैं और मृत्यु के बाद भी उसका पंचभूत निर्मित शरीर प्रकृति के इन पंचत्वों में पुनः मिलकर एक हो जाता है।’

प्रकृति कवियों का प्रिय विषय रहा है। जिसमें सामान्यतः सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु वर्णन आदि को उन्होंने प्रकृति वर्णन के माध्यम से व्यक्त किया है। कुछ कवियों ने इसका वर्णन अधिक किया है और किसी ने कम लेकिन शायद ही ऐसा कोई कवि हो जिसने प्रकृति पर न लिखा हो। शमशेर प्रकृति के उन्मुक्त चित्रकार तो नहीं हैं, पर प्रकृति उनकी मनःस्थिति के अनुसार अपना सौन्दर्य खोलती है।

शमशेर जब ‘ऊषा’ की बात करते हैं, तब वह मानो जागरण की चेतना में सराबोर हो उठते हैं। ऊषा में उनके सारे वर्णन उल्लास से भरे हैं। इस कविता का सारा सौन्दर्य इसकी रंग-सृष्टि में है। भोर से लेकर सूर्योदय तक का वर्णन शमशेर ने किया है इतनी तीव्रता और गति से, आकाश में रंग बदलते हैं, उससे होड़ लेते हुए शमशेर कहते हैं-

‘प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे

भोर का नभ

राख से लीपा हुआ चौका

(अभी गीला पड़ा है)

बहुत काली सिल जरा-से लाल केसर से

कि जैसे धूल गयी हो

स्लेट पर या लाल खड़िया चाक

मल दी हो किसी ने

नील जल में या किसी की

गौर झिलमिल देह

जैसे हिल रही हो

और

जादू टूटता है इस ऊषा का जब

सूर्योदय हो रहा है।¹²

प्रातः बेला मंगलसूचक मानी जाती है और ऊषा काल में रंगों का यह खेल पूरे वातावरण को सराबोर कर देखने वाले को चमत्कृत कर देता है और इसी चमत्कार का शमशेर ने ‘ऊषा’ कविता में वर्णन किया। जब कवि ‘ऊषा’ की बात करता है, तब मानो वह जागरण की चेतना में सराबोर हो उठता है।

प्रसाद ने ऊषा-नागरी को ‘अम्बर पनघट’ पर ‘ताराघट’ डुबाते और लतिका को ‘रस गागरी’ लाते हुए देखा था-

‘अम्बर पनघट में डुबो रही

तराघट ऊषा नागरी।.....

लो यह लतिका भी भरलायी

मधु मुकुल नवल रस गागरी।¹³

परन्तु शमशेर ने प्रातःकालीन नीलिमा को बताने के लिए नीले शंख को चुना है और इस कविता में मंगल-सूचक बिन्दुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। ‘शंख-ध्वनि’ मांगल्य का प्रतीक है। नीले शंख का उपमान नीलकंठ की याद दिलाता है। उसके बाद आकाश राख के रंग का हो जाता है जिससे राख से लीपे हुये चौके का स्मरण आता है प्रातःकालीन चौका लीपा इस बात का स्मरण कराता है कि घरों में कामकाज का समय हो गया और जो काली सिल पर केसर धूल गया हो और जो रंग मिश्रण बना वही है यह आकाश। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दिया हो। यहाँ पर इसका अर्थ है कि सिल की स्याही और केसर की लाली दोनों हल्की पड़ जाती है, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है। आकाश में उजाला हो रहा है। शंख-सी नीलिमा थी वो अब गायब हो चुकी है एक गौर झिलमिल देह गंगा-यमुना के संगम का संकेत देती है साथ ही ‘गौर’ देह का आशय मान-देह के साथ भी जुड़ा है। प्रकृति से जोड़कर शमशेर इसे मानवीय स्पर्श का रूप देते हैं।

शमशेर ने ऊषा का तटस्थ वर्णन किया है। जब ‘ऊषा’ उनके भीतर प्रविष्ट हो जाती है तब उसको सिर्फ देखा ही नहीं जा सकता बल्कि उसे महसूस भी किया जा सकता है-

जागरण की चेतना से मैं नहीं उठा

सूर्य मेरी पुतलियों में स्नान करता

केश वन में झिलमिला कर डूबते हैं

कमल

मधु चेतन कुमार दल

जागरण की चेतना से।⁴

सूर्योदय कवि के लिए इस हद तक चेतनामय है कि वह उसकी स्थिरता में थोड़ी गति, थोड़ी जीवन्तता लाने का प्रयास करते हैं। वहीं शमशेर ने एक और कविता 'सुप्रभात नन्दन' में सूर्य के उदय होने का आभास उत्पन्न किया है। 'यह प्रात गुमसुम ही था' कविता में शमशेर कहते हैं-

'प्लेट का अस्पष्ट निकट मेज पर ही
खिल रहा है दाढ़िमा प्रात
गुमसुम।'⁵

शमशेर की कवितायें प्रकृति-चित्रों का अक्षय भण्डार हैं। -ऊषा', 'धूपय', 'दूब' 'संध्या', 'बादल', 'रात्रि', 'सागर तट', 'धूप कोठरी' के आइने में खड़ी, 'बसन्त आया', 'सावन', 'ये लहरे घेर लेती हैं', जैसी अनेक कविताओं में प्रकृति के सजीव चित्र खींचे हैं।

शमशेर जब धूप की बात करते हैं तो धूप का मोहक रूप प्रस्तुत करते हैं। कवि कल्पना करता है कि धूप कोठरी के आइने में खड़ी मुस्करा रही है और अचानक ही उसे याद आ जाता है बचपन में देखा उदास माँ का मुख। जीवन के सारे रंगों, स्पर्शों, दृश्यों, छोटी-छोटी प्यारी घटनाओं, मुस्कानों, सुखों में भी, जो कवि के मन पर जो बात छाई रही वह है उदास माँ की स्मृति, जिसे उसने बचपन में देखा है-

'धूप कोठरी में आइने में खड़ी
हँस रही है
परदर्शी धूप के पर्दे
मुस्कराते
मौन आँगन में
मोम सा पीला
बहुत कोमल नभ
एक मधुमक्खी हिलाकर फूल को
बहुत नन्हा फूल
उड़ गयी
आज बचपन का
उदास माँ का मुख
याद आता है।'⁶

वह धूप जो कोठरी के आइने में खड़ी हँस रही है वही उन्हें थपेड़े भी मारती है। केले के हाथों से वही धूप थिरक रही है अपने कुसुम चरणों से और धरती का हिया इसी धूप की चुस्कियाँ ले रहा है-

'धूप थपेड़े मारती है थप-थप
केले के हाथों से पातों से
केले के थभो पर
× × ×
नींद भरी आलस की भोर का
कुंज गदराया है
यौवन के सपनों से
अभी अनजान मानो
× × ×
चुम्बन की मीठी पुचकारियाँ
खिला रहीं कलियों को फूलों को हँसा रहीं
× × ×

कुसुमों से चरणों का लोच लिए

थिरक रही हैं
भीनीं भीनीं
सुगंधियाँ
वयों न उसासे भरे
धरती का हिया
धूप की चुस्कियाँ।'⁷

शमशेर की कविताओं में सौन्दर्य का विस्तार है और धूप उनकी कविताओं में चपल और क्रियाशील बन जाती है। धूप उनके लिये धूप से ज्यादा भी बहुत कुछ है-

'अपनी अजब -सी खनक और चमक लिए

गोरी गुलाबी धूप

एक शोख आँख मारती-सी गिरती है।'⁸

धूप उनके लिए केवल गोरी और गुलाबी नहीं है, उसमें एक खनक है, जो सामान्य नहीं अजीब है उसमें एक चमक भी है। इतनी अधिक वह चंचल है कि 'एक शोख आँख मारती सी' गिरती है।

शमशेर की कविता में 'दिन' आता है तो अपनी प्रेयसी के स्मरण के साथ। दिन में वह किशमिशी गोरापन देखते हैं तो ऐसी ही प्रेयसी की गोद याद आ जाती है लेकिन वह यह भी जानते हैं कि कुछ भी, कोई भी सम्बन्ध अन्त तक नहीं रहता, वह अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुम मुझे झूठे सपने न दिखा, मैं जानता हूँ वस्तुस्थिति क्या है। मैं मानता हूँ कि तुम शाश्वत हो, और शाश्वत है यह जिन्दगी, वह कहते हैं कि तब भी मुझ पर रहम करो ओर चली जाओ, क्योंकि मैं शाश्वत नहीं हूँ-

'दिन
किशमिशी रेशमी गोरा

मुस्करात

× × ×

क्या वही तो तू नहीं है मन घ

× × ×

गोद यह

रेशमी गोरी, अस्थिर

× × ×

जा

ओ बहार

जा!

मैं जा चुका कब का

तू भी.....

ये सपने न दिखा।

जाविदानी है अगर्चे तू

जाविदानी है अगर्चे जिन्दगी

फिर भी

रहम कर।'⁹

शमशेर की 'सुबह' अत्यन्त अमूर्त सुबह है उनके लिए सुबह तब होती है जब आकाश में बैठा वह पत्थर (सूर्य) सजग होकर अपने आप ही पसरने लगता है। यह सिर्फ अदृश्य से दृश्य होता पत्थर है जिसके 'पसरने' से जो उसका आलोक फैलता है वही हमें जागरण का संदेश देता है-

‘जो कि सिकुड़ा हुआ बैठा था, वो पत्थर
सजग-सा होकर पसरने लगा
आप से आप।’¹⁰

शमशेर की कवितायें प्रकृति-चित्रों का अक्षय भण्डार हैं। उनकी कविताओं में शाम, सागर, ऊषा, रात, पूर्णिमा, बादल, गुलाब आदि के चित्र मिलते हैं। शमशेर की अपनी प्रकृति है। प्रकृति के सुन्दर रूप का शमशेर ने अनोखा वर्णन किया है। जब बादलों से पूर्णिमा का चाँद निकलता है, तब आसमान गलने लगा है और वहाँ गुलाबों का दरिया उमड़ने लगता है-

‘चाँद निकला बादलों से पूर्णिमा का
गल रहा है आसमान
एक दरिया उमड़ कर पीले गुलाबों का
चूमता है बदलों के झिलमिलाते
स्वप्न जैसे पाँव।’¹¹

यहाँ यह ‘गल रहा आसमान’ से स्पर्श का बोध है। पूरा आसमान एक दम मुलायम हो जाता है आसमान चिकना है लेकिन जब गलने की बात आती है, तब पूरी सृष्टि ही बदल जाती है। आसमान तो गल ही जाता है, पर चाँद का रूपान्तरण हो जाता है- पीले गुलाबों के दरिया में, जो उमड़कर बादलों के पाँवों को चूमता है।

शमशेर ने ऋतुओं और उत्सवों पर बहुत नहीं लिखा है। बसन्त की बात करते हैं तब फूलों, पत्तों, वृक्षों, हवाओं पर आये बसन्त की बात नहीं करते, लेकिन बसन्त जिस तरह युवतियों पर छाया है, उसका वर्णन करते हैं।

‘फिर बाल बसंत आया, फिर लाल बसंत आया
फिर आया बसंत
फिर पीले-गुलाबों का रस-भीने गुलाबों का
आया बसन्त
सौ चाँद से मसले हुये जोवन पर
शृंगार की बजती हुई रागिनियाँ
रसरज की मधुपुरी की गलियों में
सौ नूरजहाँ सौ पद्मिनियाँ
फिर लारीं बसन्त
उन्मत्त बसन्त आया।’¹²

‘सावन’ कविता में अपनी प्रिया की स्मृति ही कवि के मानस पटल पर छाई रही। इस कविता में शमशेर का संवेदनशील इन्द्रियबोध, देखते ही बनता है। आसमान एक मैली-धुली हाथ की खादी सा है जिसमें मटियाला धुँधला बादल का पर्दा है उसमें कहीं हल्का सा नीलदिया गया है और उसके पीछे से वह मौन गुलाबी झलक उभरी, मद्धिम हुई और मिट गयी। शमशेर की इस कविता को पढ़कर यह पता चलता है कि ‘सावन के आरम्भिक अंश में बाहरी वातावरण की बात है, आकाश और घटाओं की बात है-

‘मैली हाथ की धुली खादी
सा है।
आसमान।
जो बादल का पर्दा है
वह मटियाला धुँधला धुँधला
एक सार फैला है लगभग
कहीं कहीं तो जैसे
हल्का नील दिया हो।

× × ×

मौन गुलाबी झलक
एकाएक उभरकर ठहरी

फिर मद्धिम होकर मिट गयी।’¹³

जब कवि स्मरण के लिए अपने अंदर प्रविष्ट होता है, तो वह सावन भी अलग सा प्रतीत होता। हालांकि वह कहते हैं-

‘यह जोलाई की पन्द्रह तारीख
बादल का है राज।’¹⁴

‘सावन’ कवि को अकेलेपन का अहसास दिलाता है और ‘सावन’ का रूप-रंग और प्रिया की स्मृति उसको इतना बेसुध कर देती है कि-

‘सावन आया है
खूब समझता हूँ मैं
सावन की ये पलके
मूँद रही हैं मुझको।’¹⁵

शमशेर के लिये आसमान ही सावन की पलकें हैं। कवि को सावन की ये पलकें ही मूँद लेती हैं और वह बेसुध हो जाते हैं और बीच में ही उनकी समाधि टूटती है कवि उस स्मृति की यातना से पीड़ित होकर कहता है-

‘देखो, रात
बिछलन से भरी हुई है
(तारे जुगनू होने चले गये हैं)
चाँद-चाँद सा दिल में है, बस
दिल, कि बहकती हुई रात है.....)

यह रात फिसलन से भरी

× × ×

ये घटा नाच रही है।

तुम कहाँ हो?

मैं खुद तो नहीं

या खामोश

सुलगता हुआ पहरा

या फानूस ?

तुम कहाँ हो? यह घटा नाच रही है।’¹⁶

शमशेर की पूरी कविता में सावन का सौन्दर्य उन पर इस तरह चढ़ा हुआ है कि वह अपनी अमूर्त प्रेमिका से सवाल करते हैं कि-

‘यह सावन
क्यों आया है?

यह सावन क्यों आया, है ?

तुम एक सवाल की हद हो

तुम एक सवाल की हद हो

मेरे लिए,

मेरे लिए

यह सावन

क्यों छाया ?

..... यह सावन

× × ×

तुम मेरे लिए

मेरी हृद हो मेरी हृद हो

तुम
मेरे

लिए ¹⁷

शमशेर ने सावन 'गीत' शीर्षक कविता में सावन का एक मोहक चित्र प्रस्तुत किया है यह गीत दो अर्थों को प्रकट करता है जो उसका सौन्दर्य दुगुना कर देती है-

'सावन की उनहार
ऑगन पर
मधु बरसे, हुन बरसे,
बरसे स्वाँति धार
ऑगन पारा
सावन की उनहारा'¹⁸

इस कविता का आशय सुख, समृद्धि और उल्लास से भरा है। सावन है बारिश हो रही है। बारिश आकाश से पानी की जगह अमृत बरसा रही है। 'धार' से आशय है कि स्वर्ण की बारिश हो रही है, और पानी तो, अमृत है जब यह खेतों पर पड़ेगा तो धान उगेगे वह भी सोने के धान। जब धान बिकेंगे तो समृद्धि लायेंगे ओर समृद्धि भी स्वाँति-धार' वाली होगी ढेर की ढेर। उनकी यह कविता सावन 'मधु' और 'हुन' दोनों की बारिश कर रहा है। अतः यह समृद्धि की बात है।

शमशेर ने 'होली' को भी अपने काव्य में शामिल किया है। होली में 'धूल' गुलाब है जैसे रंगी हुयी 'सुबह' है। उनकी होली, उनकी एकदम निजी है। उसके रंगों में डूबना, उनसे खेलना वह हर किसी के बस की बात नहीं है। शमशेर कहते हैं-

'एक ही ऋतु हम
जी सकेंगे
× × ×
यह सब कुछ है
इसी ऋतु में
इसी युग में
इसी
हम में'¹⁹

शमशेर के यहाँ शाम सर्वत्र है। 'शाम' उनकी उदासी को प्रतिबिम्बित करती हुयी हमारे सामने आती है। आकाश में, पहाड़ों में, चेहरे और समग्र जिस्म में शाम उनके काव्य में विशेष रूप से लक्षित होती है। 'शाम' उनकी रचना संसार का आत्मीय क्षण है। जिसमें वे उदास होते हैं। शाम को चित्रित करने वाली हर कविता विगत याद से भरी है, उदास है।

शमशेर ने सूर्यास्त का वर्णन अत्यन्त मनोहरता से किया है। सागर जल में फेनिल लहरे हैं, और वे तमाम फूल जो जल में बहाये हैं लहरों के साथ-साथ वे उन्हें लहरा रहे हैं और उन लहरों के बीच सूर्य डूबता दिख रहा है। समुद्र की सतह और सतह के भीतर का विस्तार शमशेर कहते हैं-

'थाह लेता
विशद
जल विशद
विशद'

पीली पतझड़ी उदास- मुख का स्मरण लेकर आती है तो कई बार सलोने

जिस्म के लिए उन्हें शाम का बहता हुआ दरिया याद आता है। जिस्म का वह उभार दरिया के उमड़ने के करीब का - फिर वह दरिया शाम का। यह शाम चेहरे पर अंकित हो जाती है, जल रूप में, उसमें कश्तियाँ डोलने लगती हैं-

'चेहरे को शामों में
होठों की कश्तियाँ हौले-हौले हौले-हौले
खिलती हैं'²⁰

आगे और एक कविता में शमशेर कहते हैं-

'शाम के जल में ढलती है
मौन चतुर्दिक
से सारी सृष्टियाँ
× × ×

मैं इस तरह मुस्कराया'
जैसे शाम के पानी में डूबते पहाड़
गमगीन मुस्कराते हैं'²¹

शाम शमशेर के लिए एक विस्तार, एक गहराई, एक साँवलापन, और एक गीलापन लेकर आती है। शमशेर की कविताओं में शाम का बार-बार वर्णन आता है वह एक उदासी, एक ठहराव का बोध कराती है। 'शाम' कविता-चेतना का पर्याय बनकर आती है।

शाम का यह अँधियारा उनके लिए आवश्यक है। उन्हें संतोष देता है। तभी तो यह शाम उनकी व प्रेयसी के सीने पर ठहरकर उनके अन्दर कुछ समानता, कुछ अपनत्व खोज रही है-

'तुम छोटा-सा हो लाल
धिरा फैलाव लहर हल्की-सी,
जिसके सीने पर ठहर शाम
कुछ अपना देख रही हो उसके अन्दर.....
....अँधियाला'²²

एक ओर कविता में शमशेर कहते हैं-

'सूर्य मेरी अस्थियों के मौन में डूबा
गुठल जड़ें
प्रस्तरों के सघन पंजर में
मुड़ गयी।

व्योम में फैले हुए महाराव के विस्तार
स्तूप औ 'मीनार नभ को धामने के लिए
उठते गये'²³

यही शाम का अँधियारा उनकी छतों, दीवारों पर कोहरे की तरह छाया है-

'कमरे में आया
शाम का कोमल अँधियाला:
दीवारों पर, छत पर, -चुप-चुप
कुहरे-सा काला कुछ
उदास मन छाया।
मेरे सूने घर में धीरे-धीरे डूबा।
उसका मन'²⁴

सौन्दर्य लोक में विचरण करने वाले कवि शमशेर ने मानवीय इन्द्रियों को तृप्त करने वाली प्राकृतिक छवियों के अंकन में अद्वितीय सिद्ध पाई है। प्राकृतिक उपादानों में वर्ण-गंध-रंग-रूप-स्पर्श-स्वाद-ध्वनि आदि के चित्रण में शमशेर की विशेष रुचि थी और उनका रुझान रूपवाद-प्रभाववाद

की ओर भी था। उनकी रचनाओं में प्रकृति-चित्रण के साथ नारी-सौन्दर्य के रूप भी मिलते हैं। प्रकृति के कुछ उदाहरण दृष्टान्त हैं-

यह समुन्दर की पहाड़
तोड़ती है हाड़ तट का-

अति कठोर पहाड़।

× × ×

ढँदनी की उँगलियाँ चंचल

निष्कर्ष - कहा जाता है कि शमशेर का आत्मसंघर्ष निजी प्राइवेट रहा है। शमशेर एक ओर प्रकृति सौंदर्य और प्रणय जीवन के कोमल चित्र प्रस्तुत करते हैं तो दूसरी ओर मध्यवर्गी किसान, मजदूरों के जीवन का चित्र। शमशेर बहादुर सिंह जी की कुछ छोटी छोटी कविताओं का अपना सौन्दर्य है। प्रकृति के अछूते सौन्दर्य को सहज लोक बिम्बों के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह इस तरह उजागर कर देते हैं कि एक तीव्र प्रभाव मूर्त हो उठता है। जहाँ बहुत से कवि प्रकृति के महीन सौन्दर्य को उभारने के लिए महीन पच्चीकारी करते हैं, वहाँ शमशेर बहादुर सिंह उसे अनायास हमारे संवेदनो के लिए सुलभ बना देते हैं। इस प्रकार उक्त शोध पत्र के विषय की शोधार्थक विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह के काव्य में प्रकृति सौन्दर्य बोध की चेतनाएं विद्यमान हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. प्राचीन प्रमुख कवियों का मूल्यांकन, प्रोफेसर विमल, पृष्ठ संख्या 251, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 13, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 13, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. लहर, जयशंकर प्रसाद, पृष्ठ संख्या 18, भारती भंडार इलाहाबाद।
5. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 118, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।
6. इतने पास अपने, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 63, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 150, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 150,

- राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. कुछ और कविताएं, भुवनेश्वर, पृष्ठ संख्या 58, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 130.131, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
11. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 17, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
12. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 140, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
13. कुछ कवितायें व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं 0 140, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
14. कुछ कवितायें व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं 0 140, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
15. कुछ कवितायें व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं 0 141, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
16. कुछ कवितायें व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं 0 141-144, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
17. कुछ कवितायें व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं 0 144, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
18. कुछ कवितायें व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं 0 60, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
19. कुछ कवितायें व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं 0 116, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
20. कुछ कवितायें व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं 0 46, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
21. कुछ कवितायें व कुछ और कविताएं, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं 0 46, राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली।
22. शाम-सुबह - इतने पास अपने, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ सं. 61, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
23. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 119, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
24. टूटी हुई बिखरी हुई, शमशेर बहादुर सिंह, पृष्ठ संख्या 18, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

इंडिया आउट अभियान और भारत- मालदीव संबंध

शोभा गौतम *

*सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान) सेठ मुरलीधर मानसिंहका राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

शोध सारांश – नवंबर 2018 में मालदीव में मोहम्मद इब्राहिम सोलिह के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद भारत-मालदीव संबंधों में सुधार का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। दोनों देशों द्वारा आर्थिक एवं सैन्य क्षेत्र में संबंधों के नए आयाम स्थापित किए गए। किंतु इसी दौरान मालदीव में कुछ विशेष राजनीतिक वर्गों द्वारा भारत के खिलाफ विशेष रूप से सोशल मीडिया पर इंडिया आउट अभियान प्रारंभ किया गया। इंडिया आउट अभियान ने भारत- मालदीव संबंधों के समक्ष नई चुनौती पैदा की है। प्रस्तुत शोध पत्र में इंडिया आउट अभियान के विभिन्न पक्षों के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। इंडिया आउट अभियान को लेकर मालदीव के विभिन्न राजनीतिक वर्गों का दृष्टिकोण एवं इस अभियान से भारत मालदीव संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

शब्द कुंजी – इंडिया आउट अभियान, सोशल मीडिया, दृष्टिकोण, प्रभाव।

प्रस्तावना – भारत और मालदीव के मध्य प्राचीन काल से भाषायी, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क रहे हैं। दोनों देशों के संबंध मधुर, सौहार्दपूर्ण एवं बहुपक्षीय रहे हैं। वर्ष 1988 में भारत द्वारा अब्दुल गयूम के शासन को श्रीलंका विद्रोहियों के तख्तापलट के प्रयासों से बचाने हेतु भारत द्वारा की गई 'ऑपरेशन कैवटस' की कार्यवाही से भारत मालदीव संबंधों में परस्पर विश्वास और घनिष्ठता में वृद्धि हुई। भारत द्वारा वर्ष 2008 में मालदीव में लोकतंत्र स्थापना का स्वागत किया गया और प्रथम लोकतांत्रिक चुनावों में भारत द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2008 से ही दोनों देशों के मध्य संबंधों में गर्मजोशी का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। मालदीव द्वारा भारत प्रथम की नीति अपनाई गई, तो भारत ने भी पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत मालदीव के साथ संबंधों को प्राथमिकता प्रदान की। वर्ष 2012 में मोहम्मद नशीद के तख्तापलट के बाद राष्ट्रपति वहीद हसन के काल में और वर्ष 2013 से अब्दुल्ला यामीन के शासनकाल में भारत मालदीव संबंधों में तनाव दृष्टिगोचर होने लगा। किंतु पुनः नवंबर 2018 में मोहम्मद सोलिह के मालदीव के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत मालदीव संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि दिखाई देती है। इसी बीच मालदीव में विपक्षी दल द्वारा प्रारंभ किया गया 'इंडिया आउट अभियान' भारत मालदीव संबंधों के इस मधुर काल में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है?

यामीन काल और भारत- मालदीव संबंध- राष्ट्रपति यामीन के काल में राष्ट्रपति यामिन के चीन समर्थक होने के कारण, मालदीव का झुकाव चीन की ओर अधिक नजर आता है। इसी काल में भारत द्वारा मालदीव में किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश जीएमआर अनुबंध जो कि राष्ट्रपति वहीद हसन के काल में भारत के साथ रद्द कर दिया गया था चीन की कंपनी को दे दिया गया। यामीन के शासनकाल के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा मालदीव की यात्रा की गई। जो कि चीन के किसी राष्ट्रपति की पहली मालदीव यात्रा थी। यामीन के सत्ता में आने पर चीन और मालदीव ने अच्छे संबंध स्थापित किए। यामीन शासनकाल के दौरान चीनी कम्युनिस्ट

पार्टी ने देश में कई छात्रवृत्तियों, सेमिनारों और विनिमय कार्यक्रमों का वित्तपोषण किया। यामीन के कार्यकाल के दौरान मालदीव द्वारा चीन से अनुमानित 1.3 बिलियन डॉलर का ऋण लिया गया, जिसका उपयोग देश के हवाई अड्डे और 'सिनमेल फ्रेंडशिप ब्रिज' के निर्माण में किया गया।

राष्ट्रपति सोलिह और भारत मालदीव संबंध- वर्ष 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में यामीन चुनाव हार गए और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह नए राष्ट्रपति बने। मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह 2018 में अपने चुनाव के बाद से 'इंडिया फ्रेंड' नीति का पालन कर रहे हैं। मालदीव ने भारत को सुरक्षा साझेदारी एवं विकास सहायता में पहली प्राथमिकता बनाया है। भारत मालदीव में एक बुनियादी ढांचा परियोजना का वित्तपोषण कर रहा है जिसमें माले को तीन पड़ोसी द्वीपों से जोड़ने हेतु पुल का निर्माण किया जाएगा। भारत दक्षिणी मालदीव के अड्डू में भी अपनी उपस्थिति विकसित कर रहा है। भारत ने अड्डू में एक नई पुलिस अकादमी का निर्माण किया गया है। भारत की यहां एक भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की योजना भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मालदीव को अध्यक्ष पद दिलाने में मदद करने के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर पैरवी की है।

इंडिया आउट अभियान- मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के पद पर चुने जाने के बाद से पिछले तीन वर्षों में, मालदीव में ट्विटर पर हैशटैग 'इंडिया आउट' ट्रेंडिंग के साथ भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का नेतृत्व सरकारी आलोचकों द्वारा किया जाता है, जो सोलिह सरकार पर 'भारतीय जूते को जमीन पर उतारने', और इस तरह द्वीप राष्ट्र की 'संप्रभुता से समझौता' करने का आरोप लगा रहे हैं।

अभियान का प्रारंभ सोलिह सरकार के इस फैसले के विरोध में हुआ कि उसने भारत द्वारा मालदीव को भेंट किए गए दो हेलीकॉप्टर वापस लौटाने से इनकार कर दिया।

भारत ने 2010 और 2015 में मालदीव को दो धरुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एलएफ) दिए थे। जिनमें से दोनों का उपयोग समुद्र की खोज

और बचाव कार्यों, समुद्री मौसम की निगरानी और द्वीपों के बीच रोगियों को एयरलिफ्ट करने के लिए किया जाना था। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) में कुछ लोगों ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि इन हेलीकॉप्टरों ने देश में सैन्य उपस्थिति का प्रारंभ किया है। मालदीव सरकार ने 2016 में भारत से हेलीकॉप्टर वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दो साल बाद, जैसे ही सरकार बदली, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने आदेशों को रद्द कर दिया और इन हेलीकॉप्टरों के ठहरने की अवधि और उपयोग को बढ़ा दिया गया।

विपक्षी सांसद और पीपीएम के उपाध्यक्ष मोहम्मद सईद ने कहा: 'हम भारत या भारत के लोगों के खिलाफ नहीं हैं। हमारे लोग बॉलीवुड में बहुत अधिक हैं, हमें भारतीय व्यंजन बहुत पसंद हैं। समस्या यह नहीं है। एटोल में भारतीय सेना की उपस्थिति की खबरें हैं और सरकार इसे स्पष्ट नहीं कर रही है।'²

उथुरु थिलाफल्हू परियोजना और इंडिया आउट अभियान— 2016 में, दोनों सरकारों द्वारा 'हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों के साझा रणनीतिक और सुरक्षा हितों' को बढ़ाने के लिए रक्षा सहयोग के लिए एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के अंतर्गत भारत और मालदीव ने फरवरी 2021 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत को सिफवा:— उथुरु थिलाफल्हू (यूटीएफ) में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल तटरक्षक बल के बंदरगाह का विकास करना था। भारत ने रक्षा खरीद के लिए मालदीव को 50 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया। इस अवसर पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि यूटीएफ बंदरगाह परियोजना मालदीव की तटरक्षक क्षमता को मजबूत करेगी। तथा मालदीव के रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने कहा कि 'विकसित डॉकयार्ड और बंदरगाह मालदीव को अपने दम पर हमारे समुद्री हितों की रक्षा करने का अवसर देगा, जिससे हमारी संप्रभुता बढ़ेगी।'³ इसके तुरंत बाद मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार के खिलाफ विरोधा शुरू हो गया।

फरवरी 2021 में हस्ताक्षरित भारत के साथ उथुरु थिला फल्हू (यूटीएफ) बंदरगाह विकास समझौते पर सरकार की आलोचना करते हुए पीपीएम के उपाध्यक्ष मोहम्मद सईद ने कहा कि इस समझौते में कोई पारदर्शिता नहीं है और सरकार सदन में बहुमत होने के बावजूद, संसद में समझौते की शर्तों को प्रकट नहीं कर रही है। स्पष्ट है कि सरकार द्वारा इस समझौते की शर्तों को गुप्त रखना भी विपक्षी दलों में संदेह का कारण बना। अतः यह कहा जा सकता है कि इस समझौते ने 'इंडिया आउट' अभियान को नवीनीकृत कर दिया है। तथा इसे मालदीव में भारतीय सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है। इसी तरह का प्रतिरोध जून 2020 में सामने आया, जब भारत ने दक्षिणी अंडु एटोल में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की।

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति यामीन को 2018 में सत्ता खोने के बाद, 2019 में 1 मिलियन डॉलर का गबन करने के लिए, पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई और 5 मिलियन डॉलर का जुमनि की सजा सुनाई गई। यामीन ने जेल से रिहा होने के बाद 'इंडिया आउट' अभियान का नेतृत्व करना प्रारंभ किया। यामीन और उनके समर्थकों ने समझौते को मालदीव में भारतीय सैनिकों को तैनात करने का एक तरीका बताया और सोलिह शासन पर देश की संप्रभुता से समझौता करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर 'इंडिया आउट' अभियान शुरू किया। मालदीव सरकार ने बार-बार कहा

कि भारत मालदीव में किसी भी सैन्य कर्मों की तैनाती नहीं करेगा। भारत में केवल एक रखरखाव और उड़ान चालक दल होगा जो एंबुलेंस, बचाव और निगरानी कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली तीन डोर्नियर उड़ानों का संचालन करेगा।

सरकार की प्रतिक्रिया— सरकार ने 'इंडिया आउट' अभियान को खारिज कर दिया है। मालदीव सरकार द्वारा भारत के प्रति नफरत फैलाने के लिए गुमराह और निराधार जानकारी फैलाने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की गई तथा इंडिया आउट अभियान के लिए व्यक्तियों के एक छोटे समूह और कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व को उत्तरदायी माना गया। सोलिह सरकार ने कहा कि 'यह पुष्टि करता है कि अपने सभी अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ देश के लंबे समय से संबंध परस्पर सम्मान और समझ के सिद्धांतों पर आधारित हैं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार हैं। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह की बातचीत मालदीव की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर नहीं करती है और न ही कमजोर करेगी।'⁴

मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने विपक्ष के अभियान को 'असभ्य...सबसे खतरनाक अभियान' बताया, जिसने 'आंतरिक स्थिरता को बाधित' किया और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए और मालदीव में रहने वाले विदेशी नागरिकों और विदेश में रहने वाले मालदीव के नागरिकों के लिए खतरा पैदा किया।⁵

भारत विरोधी अभियान में चीन की भूमिका— मालदीव में चलाए जा रहे भारत विरोधी अभियान में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति यामीन चीन के समर्थक रहे हैं। यामीन जब वर्ष 2013 में राष्ट्रपति बने तो पहली बार 'इंडिया आउट' नारा रचा गया। जब यामीन सत्ता में थे तब चीन और मालदीव में घनिष्ठ संबंध थे। यूटीएफ परियोजना की घोषणा के बाद एक बार फिर मालदीव में इंडिया आउट अभियान शुरू किया गया। अतः यह अनुमान लगाया गया है कि चीन ने संभवतः इस अभियान को वित्त पोषित किया होगा।⁶

मालदीव में चीनी दूतावास के प्रवेश द्वार के बाहर 'इंडिया आउट' आंदोलन के समर्थकों की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें समर्थकों ने अपनी ट्रेडमार्क लाल टी-शर्ट पहन रखी थी, जिस पर 'इंडिया आउट' लिखा हुआ था। चीनी दूतावास ने एक दिन बाद ट्विटर पर आलोचना का जवाब देते हुए कहा कि वे 'हमेशा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत का पालन करते हैं।' मालदीव वॉयस की रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटी मीडिया वेबसाइटों को आज एक राजनीतिक अभियान चलाने के लिए वित्त पोषित किया जा रहा है, यदि यामीन फिर से सत्ता हासिल करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से चीन को लाभान्वित करेगा।⁷

इस अभियान का राजनीतिक कारण— मालदीव में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यामीन की भारत विरोधी बयानबाजी 2018 में सोलिह से मिली अपमानजनक हार के बाद उनके राजनीतिक करियर को पुनर्जीवित करने की एक चाल है। व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार और चीन की और स्पष्ट झुकाव उनकी तानाशाही सरकार की विशेषता रही क्योंकि यामीन के पास अब सत्ता में लौटने का कोई मुद्दा नहीं है अतः मालदीव में भारत विरोधी भावना निर्मित करके वह इस मुद्दे से राजनीति में आगमन करना चाह रहे हैं।⁸

मालदीव के प्रमुख सांसद मोहम्मद असलम ने कहा कि यामीन के नेतृत्व में 'इंडिया आउट' अभियान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के लिए जेल से बाहर आने के बाद अपना खोया हुआ समर्थन हासिल करने के लिए

उनका राजनीतिक खेल था। असलम के अनुसार यह अभियान इस देश के राष्ट्रीय हित के बिल्कुल विपरीत है और यह मालदीव की स्थापित विदेश नीति और दोनों देशों के लोगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ है।

अपने निकटतम पड़ोसी के खिलाफ जिसने हमेशा जरूरत पड़ने पर मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और जो लगातार मालदीव के लोगों का समर्थन और सहायता करता रहा है, अपने राजनीतिक खेल के लिए जनता के दिमाग में, नफरत और शंका निर्मित करना बिल्कुल भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।⁹

सरकार द्वारा इंडिया अभियान रोकने के प्रयास- सोलह शासन भारत विरोधी अभियान को विफल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। नई दिल्ली और माले के बीच संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए हाल ही में पीपुल्स मजलिस में 'मालदीव और विदेशी देशों के बीच स्थापित राजनयिक संबंधों को प्रभावित करने वाली कार्रवाइयों का मुकाबला करने पर विधेयक' प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में देश के विदेशी संबंधों को खतरे में डालने वाले राजनीतिक आंदोलनों के लिए दंड का प्रावधान है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद और प्रवक्ता इम्तियाज फाहमी के अनुसार, 'यह बिल ऐसी गतिविधि का अपराधीकरण करने का प्रयास करता है जो हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है।' 'इंडिया आउट' अभियान से सरकार और एमडीपी के एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचने की चिंता है, जिन्होंने कई बार हमारी मदद की है।

इंडिया आउट अभियान का भारत मालदीव संबंधों पर प्रभाव- इस अभियान ने मालदीव में रहने वाले भारतीयों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, भारत के शिक्षकों को दो अलग-अलग द्दीपों पर 'इंडिया आउट' के नारे लगाने वाले लोगों द्वारा निशाना बनाया गया।

विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव, मालदीव अब्दुल गफूर मोहम्मद ने कहा है कि यह केवल भारत ही नहीं था जो चिंता व्यक्त कर रहा था, बल्कि अन्य देशों ने भी जिन्होंने मालदीव में दूतावास स्थापित किए हैं, उन्होंने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई है और सुरक्षा को मजबूत करने का अनुरोध किया है।

भारतीय प्रवासी मालदीव की श्रम अर्थव्यवस्था की मुख्य जीवन-रेखा में से हैं, जो देश का मुख्य पर्यटन क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर करता है, जो अब मुख्य रूप से भारत से और अधिक बांग्लादेश से हैं। भारतीय मालदीव में पर्यटन क्षेत्र में काम करने के अलावा शिक्षक, नर्स और स्टोर सहायक, हाउसमेड आदि विभिन्न रूपों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मालदीव में घटित इस तरह की घटनाओं ने लगभग 26000 प्रवासी समुदायों को असुरक्षित महसूस कर आया है विशेष रूप से इंडिया आउट अभियान के दौरान भारतीय शिक्षकों के साथ उत्पीड़न के घटनाओं से प्रवासी समुदाय स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

अन्य दलों की प्रतिक्रिया- पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला गयूम ने कहा कि मेरी राय में, केवल भारत ही नहीं, किसी भी पड़ोसी या मित्र राष्ट्र के खिलाफ प्रचार नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या मिस्र, किसी को भी किसी देश को नीचा दिखाने का अभियान नहीं चलाना चाहिए।

जुमहूरी पार्टी ने कहा कि 'जुमहूरी पार्टी का मानना है कि मालदीव की

स्वतंत्रता और संप्रभुता सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अच्छे संबंध बनाए रखना है। चूंकि देश के पास सीमित संसाधन हैं और अत्यधिक विदेशी आयात पर निर्भर हैं। इस संबंध में, ज़ुमहूरी पार्टी का मानना है कि दोनों देशों के नागरिकों के साथ एक पड़ोसी और लंबे समय तक चलने वाले सहयोगी के लिए 'इंडिया-आउट' की मांग करना बहुत बड़ा अन्याय है।¹⁰

इसी तरह की भावनाओं को व्यक्त करते हुए, अधालथ पार्टी ने एक बयान में कहा: 'हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जब राष्ट्र को विकास और जीवन शैली को प्राप्त करने के लिए पड़ोसी और मित्र देशों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता हो, जिसकी मालदीवियों को आवश्यकता है।' 'अधालथ पार्टी एक राजनीतिक दल द्वारा पड़ोसी और वैश्विक भागीदारों के प्रति लोगों के दिलों में नफरत फैलाने के लिए किए गए प्रयासों की निंदा करती है। पार्टी देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं पड़ोसी भारत के प्रति पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में नागरिकों के बीच नफरत फैलाने के लापरवाह कृत्य पर चिंता जताती है।'

मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ अली जहीर ने यामीन के अभियान पर तीखा हमला करते हुए कहा: 'हमारा ध्यान देशों के साथ स्थापित संतुलित द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और पड़ोसी देशों जो सरकार के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं के साथ घनिष्ठ संबंधों को जारी रखने पर है।' जहीर ने भारत के साथ मालदीव के विशेष संबंधों का जिक्र करते हुए कहा 'मैं विशेष रूप से उस पहल का उल्लेख करना चाहता हूं जो भारत ने महामारी के दौरान मालदीव को सहायता प्रदान करने के लिए की थी।'¹¹

निष्कर्ष- निष्कर्ष रूप में मालदीव में एक विशेष राजनीतिक वर्ग द्वारा चीन के प्रभाव में आकर चलाया जा रहा इंडिया आउट अभियान राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित अभियान दिखाई देता है। वर्तमान समय में जबकि भारत और मालदीव सरकारों के पारस्परिक संबंध सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। मालदीव में गलत और भ्रामक सूचनाओं के आधार पर भारत विरोधी भावना को जन्म देना किसी भी तरह दोनों ही देशों के हित में नहीं कहा जा सकता। किसी विशेष राजनीतिक उद्देश्य से मालदीव में बनाए जा रहे इस तरह के भारत विरोधी वातावरण को रोकने हेतु आवश्यक है कि दोनों ही देशों के जनमानस को आपस में जोड़ा जाए। मालदीव की जनता के मन में यह विश्वास हो कि भारत मालदीव का सुरक्षा प्रदाता एवं सच्चा सहायक है ना कि मालदीव में सैन्य उपस्थिति स्थापित करने का महत्वाकांक्षी देश।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Srinivanan,M,(2021, December 27).The 'India Out' campaign in the Maldives. The Hindu. <https://www.thehindu.com/news/international/the-india-out-campaign-in-the-maldives/article38046584.ece>
2. Srinivasan,M,(2021, December 20).India Out' campaign in Maldives intensifies with Yameen's backing. The Hindu. <https://www.thehindu.com/news/international/india-out-campaign-in-maldives-intensifies-with-yameens-backing/article37996175.ece>
3. Moorthy, N.S.(2022,February 25).Maldives: Taking on 'India Out' campaign in word and deed. ORF OF <https://www.orfonline.org/expert-speak/maldives-taking-on->

- india-out-campaign-in-word-and-dee
4. Sanjana Shenoy, S.(2022,March 28).Anti-India Campaign In Maldives: Here's What It Is All About. Curlytales. <https://curlytales.com/anti-india-campaign-in-maldives-heres-what-it-is-all-about/>
5. Anti-India campaign in the Maldives possibly sponsored by China.(2022,March 22). The print. <https://theprint.in/world/anti-india-campaign-in-the-maldives-possibly-sponsored-by-china-report/868984/?amp>
6. Tiwari, S.(February 16, 2022).Anti-India Protest By Pro-China Camp Creates A Firestorm In Maldives: Can New Legislation Quell The Unrest? The EUR Asian times.<https://eurasianimes.com/anti-india-protest-by-pro-china-camp-creates-a-firestorm-in-maldives-can-new-legislation-quell-the-unrest/?amp>
7. Banka, N.(January 10, 2022). Explained: Why political parties in Maldives are pushing back against `India Out' protests. The Indian express.https://indianexpress.com/article/explained/explained-why-political-parties-in-maldives-are-pushing-back-against-india-out-protests-7712525/lite/#aoh=1648890_6092450&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=From%20%251%24s
8. Moorthy. N.S,(January 29, 2022)Maldives: Where is Abdulla Yameen's `India Out' campaign heading? First post. <https://www.firstpost.com/world/maldives-where-is-abdulla-yameens-india-out-campaign-heading-10329531.html>
9. Chaudhry,D.R (2022, January 4).Maldives hits out at ex-President India out campaign . Economic Times. <https://m.economictimes.com/news/india/maldives-hits-out-at-ex-presidents-india-out-campaign/articleshow/88679575.cms>
10. Maldives bill on `India Out' campaign to neutralize relations between two countries.(2022, February 17).ANI. <https://www.aninews.in/news/world/asia/maldives-bill-on-india-out-campaign-to-neutralize-relations-between-two-countries20220217013851/>
11. Laskar.R.H.(Dec 27, 2021).More parties in Maldives oppose `India Out' campaign led by Abdulla Yameen. Hindustan times.<https://www.hindustantimes.com/world-news/more-parties-in-maldives-oppose-india-out-campaign-led-by-abdulla-yameen-101640613469124.html>

धार्मिक क्रियाओं में संलग्न तथा असंलग्न, एकल तथा संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. अजय कुमार चौधरी* लक्ष्मी कुमावत**

* सह आचार्य (मनोविज्ञान) राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

**शोधार्थी (मनोविज्ञान) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – बुजुर्ग परिवार की प्रमुख शाखा होते हैं। इनके पास जीवन का सम्पूर्ण अनुभव होता है। हमारी धार्मिक संस्कृति का सम्पूर्ण ज्ञान होता है। बुजुर्ग परिवार में ही नहीं बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। इनके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाये रखने के लिए कई प्रयास किये जा सकते हैं। जिसमें से एक धार्मिक क्रियाओं में संलग्नता प्रमुख है। प्रस्तुत शोध पत्र धार्मिक संलग्नता, असंलग्नता का बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। अध्ययन हेतु उदयपुर शहर के 120 एकल तथा संयुक्त परिवार में रहने बुजुर्गों को यादृच्छिक आधार पर न्यायदर्श के रूप में चयनित किया गया। जो धार्मिक क्रियाओं में संलग्न तथा असंलग्न रहते हैं। धार्मिक क्रियाओं में संलग्नता का तात्पर्य कम से कम 2 घंटे की धार्मिक संलग्नता। मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन हेतु जगदीश एवं श्रीवास्तव द्वारा निर्मित मेंटल हेल्थ इंडेक्सी का उपयोग किया गया। अध्ययन के परिणाम यह बताते हैं, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहने वाले बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न रहने वाले बुजुर्गों की तुलना में अच्छा होता है।

मानसिक स्वास्थ्य – मानसिक स्वास्थ्य हमारी अच्छी भावनात्मकता का वर्णन करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, और हम रोजमर्रा के तनावों से कैसे सामना करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। किसी व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो किसी में बुरा। यह कई प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। किसी में यह जल्दी ठीक हो जाता है, परंतु किसी में दीर्घकालिक रूप से रहता है।

बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य – बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य समस्या होना वृद्धावस्था का एक भाग समझकर ध्यान नहीं दिया जाता है। मानसिक समस्या होना वृद्धावस्था का भाग नहीं है। कुछ बुजुर्गों में सेवानिवृत्ति के बाद भी अच्छा मानसिक स्वास्थ्य पाया जाता है, परंतु कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं – जैसे एकल परिवार का बढ़ता चलन, जीवनसाथी की मृत्यु, सेवानिवृत्ति के बाद दोस्तों व समाज में कम संपर्क होना, पैसे की कमी, कार्य करने की अक्षमता से हीन भावना होना आदि कई कारण होते हैं, जो बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

बुजुर्गों में सबसे मुख्य कारण अवसाद व अकेलापन है –

अवसाद – हर चार बुजुर्ग लोगों में से एक में अवसाद के लक्षण होते हैं। बुजुर्ग दूसरों का हस्तक्षेप करना कम ही पसंद करते हैं इसलिए इनका उपचार किया जाना आवश्यक है। वृद्धावस्था में अवसाद खराब स्वास्थ्य का एक प्रमुख कारण हो सकता है और उन पर शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। बुजुर्ग विशेष रूप से उन कारकों के प्रति संवेदनशील होते हैं जो अवसाद की ओर ले जाते हैं जैसे कि शोक, शारीरिक अक्षमता, बीमारी और अकेलापन आदि कई कारक होते हैं।

अकेलापन – बुजुर्ग विशेष रूप से अकेलेपन और सामाजिक अलगाव और उनके साथ होने वाले स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एकल परिवार, जीवनसाथी की मृत्यु और सेवानिवृत्ति आदि।

संयुक्त परिवार में बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य – अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिवार प्रमुख इकाई होती है। खासतौर पर बुजुर्गों के लिए परिवार आवश्यक है। संयुक्त परिवार प्रणाली बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी साबित होती है। बुजुर्ग अपनी ज़्यादातर जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके होते हैं। उन्हें अपनी बात सुनने वाला कोई चाहिए होता है। इसमें संयुक्त परिवार अच्छी भूमिका निभाते हैं।

भारत में मानसिक रूप से बीमार रिश्तेदारों के इलाज में परिवारों को शामिल करने की एक लंबी परंपरा रही है। 1957 में, अमृतसर मानसिक अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक डॉ. विद्यासागर ने परिवार को मानसिक रूप से बीमार सदस्य के उपचार में शामिल किया। उन्होंने परिवार के सदस्यों को अपने मरीजों के साथ रहने की अनुमति दी। उन्होंने दिखाया कि मरीज तेजी से ठीक हो गए और उन्हें घर वापस ले जाया गया।

एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य – बुजुर्ग अपने बच्चों और पोते-पोतियों से शारीरिक, सामाजिक और साथ ही वित्तीय रूप से समर्थन के लिए निर्भर होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली में इस सहायता का प्रावधान, विशेष रूप से शारीरिक सहायता अधिक व्यावहारिक है। एक एकल परिवार प्रणाली में रहने वाले बुजुर्गों को संयुक्त परिवार प्रणाली में रहने वालों की तुलना में अवसाद से पीड़ित होने का अधिक खतरा हो सकता है। क्योंकि एकल परिवार के सदस्य अपने-अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। बुजुर्गों को ज्यादा समय नहीं देने के कारण उनको अकेलापन महसूस होता है। इसके साथ ही उनमें कई प्रकार के मानसिक विकार होने लगते हैं। एकल परिवार प्रणाली बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करती है।

साहित्य की समीक्षा

V. Ramachandran, M. Sarada Menon et al (1981) के अध्ययन का उद्देश्य बुजुर्गों के परिवारों और उनके रहने की स्थिति का विस्तार से अध्ययन करना था। यह अध्ययन 60 वर्ष से अधिक आयु के 181 बुजुर्गों पर किया गया, जिसमें 50 अवसाद और चिंता जैसे कार्यात्मक विकारों से और 11 कार्बनिक मस्तिष्क सिंड्रोम से पीड़ित थे। 120 मानसिक रूप से सामान्य थे। परिणाम में पाया गया कि परिवार और रहने की स्थिति बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं।

Ayla K & Kanwal S (2018) के अध्ययन का उद्देश्य वृद्धावस्था में अकेलेपन के स्तर पर पारिवारिक संरचना के प्रभाव का पता लगाना था। इस उद्देश्य के लिए इनके द्वारा तीन परिकल्पनाएं तैयार की गईं।

1. संयुक्त परिवार प्रणाली के भीतर रहने वाले वृद्धावस्था के लोग एकल परिवार प्रणाली में रहने वालों की तुलना में कम अकेलापन महसूस करते हैं।
2. एकल परिवार प्रणाली संयुक्त परिवार प्रणाली के विपरीत बुजुर्ग लोगों में अधिक अकेलेपन की भविष्यवाणी करती हैं।
3. पुरुषों की बजाय दोनों परिवार प्रणालियों में महिलाओं में अधिक अकेलापन होने की संभावना है। जिला हरीपुर के एकल और संयुक्त परिवारों में रहने वाले 246 लोगों का आँकड़े एकत्रित किये गए। The Translated version of UCLA Loneliness Scale (Version 3) द्वारा अकेलेपन का मापन किया गया। परिणाम में पाया गया कि संयुक्त परिवार में रहने वाले वृद्धावस्था के लोग एकल परिवार प्रणाली में रहने वालों की तुलना में कम अकेलापन महसूस करते हैं। इसके अलावा अकेलेपन के स्तर को बढ़ाने में एकल परिवार प्रणाली की भूमिका अधिक है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अकेलेपन का स्तर अधिक है।

M Bhuvneshkumar, KR John et al (2018) के अध्ययन का उद्देश्य अवसाद की व्यापकता का अनुमान लगाना और उन कारकों का आकलन करना जो बुजुर्गों में अवसाद से जुड़े हैं। यह अध्ययन 690 बुजुर्गों पर जुलाई 2014 से जुलाई 2015 तक कटनकुलथुर ब्लॉक में क्रॉस-अनुभागीय अध्ययन किया गया। घर-घर साक्षात्कार एक पूर्वनिर्धारित, पूर्व-परीक्षणीय प्रश्नावली का उपयोग करके आयोजित किया गया। Geriatric Depression Scale-30 का उपयोग करके अवसाद का मूल्यांकन किया गया। परिणाम में पाया गया कि सामाजिक आर्थिक स्थिति और एकल परिवार कारक अवसाद से काफी जुड़े हुए थे।

Sureswari Das (2012) के अध्ययन का उद्देश्य ओडिशा में परिवार व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को जानना व बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर इस तरह की प्रवृत्ति के प्रभाव और उनके परिवार के समर्थन के बारे में बुजुर्गों की धारणा की जांच करना था। इसके साथ ही बुजुर्गों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग के पैटर्न की जांच करना। यह अध्ययन ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के संतोषपुर गाँव के 60 वर्ष से अधिक की आयु के 100 बुजुर्गों पर किया गया। परिणाम में अधिकांश बुजुर्गों ने माना कि परिवार प्रणाली का स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

कार्य-प्रणाली- प्रतिदर्श- इस शोध के लिए प्रतिदर्श चयन के लिए सुविधानुसार प्रतिदर्श (Convenience Sampling) का प्रयोग किया गया। प्रतिदर्श चयन के लिए राजस्थान के उदयपुर, जिले से याहच्छिक आधार पर कुल 120 प्रतिदर्श का चयन किया गया जो कि न्यायदर्श परिकल्प (Sample Design) के अनुसार है। यह प्रतिदर्श 60-80 वर्ष के

2 प्रकार के बुजुर्गों से लिया गया। इनमें से 30 बुजुर्ग धार्मिक क्रियाओं में संलग्न तथा 30 धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न थे। उसी प्रकार 30 एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्ग तथा 30 संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्ग थे। धार्मिक क्रियाओं में संलग्न बुजुर्ग कम से कम 2 घंटे संलग्न रहते थे इस बात का ध्यान रखा गया।

शोध परिकल्प- इस शोध के लिए 2X2 कारक परिकल्प (Factorial design) का उपयोग किया गया।

	एकल परिवार वाले बुजुर्ग (B ₁)	संयुक्त परिवार वाले बुजुर्ग (B ₂)
संलग्नता-(A ₁)	समूह I (A ₁ B ₁) N=30	समूह II (A ₁ B ₂) N=30
असंलग्नता-(A ₂)	समूह III (A ₂ B ₁) N=30	समूह IV (A ₂ B ₂) N=30

स्वतंत्र चर- धार्मिक क्रिया कलाप (संलग्नता/असंलग्नता)

बुजुर्गों का प्रकार (एकल परिवार वाले बुजुर्ग/संयुक्त परिवार वाले बुजुर्ग)

आश्रित चर- मानसिक स्वास्थ्य

उपकरण विवरण- मानसिक स्वास्थ्य कारकों के मापन हेतु Dr. Jagdish तथा Dr. A.K. Srivastava द्वारा निर्मित मेटल हैल्थ इंडेक्सी (M.H.I.) का प्रयोग किया गया। इसमें कुल 56 प्रश्न हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य के 6 क्षेत्रों का मापन करते हैं। इस सूची की विश्वसनीयता (0.73) हैं, तथा वैधता (0.54) हैं।

आकड़ों का संग्रहण- आकड़ों के संग्रहण हेतु सर्वे शोध विधि का प्रयोग किया गया। सबसे पहले 120 बुजुर्गों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया, तथा उनसे पर्सनल बायो डाटा इंडेक्सी भरवाई गई। उसके बाद उनसे मेटल हैल्थ इंडेक्सी (M.H.I.) भी भरवाई गई तथा प्राप्त आंकड़ों का 't' test द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया।

आकड़ों का विश्लेषण

सारणी संख्या 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी 1 को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के सकारात्मक आत्म-मूल्यांकन का मध्यमान 30.767 तथा धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के सकारात्मक आत्म-मूल्यांकन का मध्यमान 25.933 प्राप्त हुआ। 't' का मान 7.564 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसका तात्पर्य यह है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों व धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के सकारात्मक आत्म-मूल्यांकन में सार्थक अंतर होता है। मध्यमान अंकों को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों का सकारात्मक आत्म-मूल्यांकन, धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की तुलना में अधिक होता है।

सारणी को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के वास्तविकता का प्रत्यक्षण का मध्यमान 19.967 तथा धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के वास्तविकता का प्रत्यक्षण का मध्यमान 22.933 प्राप्त हुआ। 't' का मान 4.947 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसका तात्पर्य यह है, कि

एकीकरण, धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की तुलना में अधिक होता है।

सारणी को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के स्वायत्तता का मध्यमान 20.933 तथा धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की स्वायत्तता का मध्यमान 12.900 प्राप्त हुआ। 't' का मान 12.146 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसका तात्पर्य यह है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले व असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की स्वायत्तता में सार्थक अंतर होता है। मध्यमान अंकों को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों का स्वायत्तता, धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की तुलना में अधिक होता है।

सारणी को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की समूह उन्मुख अभिवृत्ति का मध्यमान 37.133 तथा धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की समूह उन्मुख अभिवृत्ति का मध्यमान 29.800 प्राप्त हुआ। 't' का मान 11.333 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसका तात्पर्य यह है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले व असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की समूह उन्मुख अभिवृत्ति में सार्थक अंतर होता है। मध्यमान अंकों को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की समूह उन्मुख अभिवृत्ति, असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की तुलना में अधिक होती है।

सारणी को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की पर्यावरणीय दक्षता का मध्यमान 34.067 तथा धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की पर्यावरणीय दक्षता का मध्यमान 27.767 प्राप्त हुआ। 't' का मान 9.619 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसका तात्पर्य यह है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले व असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की पर्यावरणीय दक्षता में सार्थक अंतर होता है। मध्यमान अंकों को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की पर्यावरणीय दक्षता, असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की तुलना में अधिक होती है।

धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की मानसिक स्वास्थ्य के कारकों का कुल योग का मध्यमान 188.567 तथा धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की मानसिक स्वास्थ्य के सभी कारकों के योग का मध्यमान 153.100 प्राप्त हुआ। 'ज' का मान 22.415 प्राप्त हुआ जो कि 0.01 स्तर पर सार्थक है। इसका तात्पर्य यह है, कि धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले व असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर होता है। मध्यमान अंकों को देखने पर स्पष्ट होता है, कि धार्मिक क्रियाओं में

संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य, धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की तुलना में अच्छा होता है। क्योंकि धार्मिक क्रियाओं में संलग्नता तथा संयुक्त परिवार अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य कारक होते हैं।

निष्कर्ष:

1. धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एकल परिवार में रहने वाले व असंलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर होता है। धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य (सकारात्मक आत्म-मूल्यांकन, वास्तविकता का प्रत्यक्षण, व्यक्तित्व का एकीकरण, स्वायत्तता, समूह उन्मुख अभिवृत्ति, पर्यावरणीय दक्षता) धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की तुलना में अच्छा होता है।
2. धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले व असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर होता है। धार्मिक क्रियाओं में संलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य (सकारात्मक आत्म-मूल्यांकन, वास्तविकता का प्रत्यक्षण, व्यक्तित्व का एकीकरण, स्वायत्तता, समूह उन्मुख अभिवृत्ति, पर्यावरणीय दक्षता) धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की तुलना में अच्छा होता है।

References:-

1. Ayla, K. & kanwal S. (2018). Levels of Loneliness and Family Structure among Geriatrics, *Journal of Forensic Psychology*. Retrieved from <https://www.longdom.org/open-access/levels-of-loneliness-and-family-structure-amng-geriatrics-2475-319X-1000135.pdf> on 17/06/2021
2. Bhuvaneshkumar, M., John, K R., & Logaraj, M. (2018) A study on prevalence of depression and associated risk factors among elderly in a rural block of Tamil Nadu, *Indian Journal of Public Health*, 62(2), 89-94.
3. Das, S. (2012). *The Role Of Family In Health and Healthcare Utilization Among Elderly*. National Institute of Technology Rourkela, Odisha.
4. <https://www.beyondblue.org.au/the-facts/what-is-mental-health>
5. <https://www.independentage.org/get-advice/health/mental-health/your-mental-health>
6. <https://www.mentalhealth.org.uk/your-mental-health/about-mental-health/what-mental-health>
7. Ramachandran, V., Menon, M.S., & Ramamurthy, B. (1981). Family Structure and Mental Illness In Old Age, *Indian Journal of Psychiatry*, 23(1), 21-26.

सारणी1: धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं असंलग्न तथा एकल परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की मानसिक स्वास्थ्य की तुलना

		N	माध्य	मानक विचलन	औसत अंतर	माध्य अंतर	t	p मान
सकारात्मक आत्म- मूल्यांकन	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	30.767	2.609	0.476	4.833	7.564	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	25.933	2.333	0.426			
वास्तविकता का प्रत्यक्षण	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	19.967	2.312	0.422	2.967	4.947	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	22.933	2.333	0.426			
व्यक्तित्व का एकीकरण	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	28.867	2.403	0.439	0.067	0.109	0.914
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	28.800	2.355	0.430			
स्वायत्तता	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	18.800	2.295	0.419	4.800	7.715	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	14.000	2.519	0.460			
समूह उन्मुख अभिवृत्ति	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	24.467	2.543	0.464	1.600	2.532	0.014
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	26.067	2.348	0.429			
पर्यावरणीय दक्षता	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	29.833	2.335	0.426	4.633	7.558	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	25.200	2.413	0.440			
कुल	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	152.700	5.984	1.092	9.767	5.554	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं एकल परिवार के बुजुर्ग	30	142.933	7.547	1.378			

सारणी 2: धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं असंलग्न संयुक्त परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की मानसिक स्वास्थ्य की तुलना

		N	माध्य	मानक विचलन	औसत अंतर	माध्य अंतर	t	p मान
सकारात्मक आत्म-मूल्यांकन	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	32.933	2.651	0.484	6.633	10.367	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	26.300	2.292	0.418			
वास्तविकता का प्रत्यक्षण	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	22.500	2.502	0.457	0.800	1.292	0.202
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	23.300	2.292	0.418			
व्यक्तित्व का एकीकरण	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	41.000	2.519	0.460	7.967	12.267	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	33.033	2.512	0.459			
स्वायत्तता	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	20.933	2.392	0.437	8.033	12.146	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	12.900	2.721	0.497			
समूह उन्मुख अभिवृत्ति	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	37.133	2.675	0.488	7.333	11.333	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	29.800	2.325	0.425			
पर्यावरणीय दक्षता	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	34.067	2.463	0.450	6.300	9.619	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	27.767	2.609	0.476			
कुल	धार्मिक क्रियाओं में संलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	188.567	6.621	1.209	35.467	22.415	0.000
	धार्मिक क्रियाओं में असंलग्न एवं संयुक्त परिवार के बुजुर्ग	30	153.100	5.592	1.021			

निराला के कविता में नारी चेतना

डॉ. सुनीता यादव *

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, गोपालपुर, जिला-सीहोर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मानवतावादी सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला उदत्तीस सूर्य की भौति हिन्दी साहित्य में आज भी दैदीप्यापन है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला वास्तव में निराले ही थे। उन्होंने अपने समय की हर समस्या को न केवल साहित्य का विषय बनाया, बल्कि उसे सशक्त अभिव्यक्ति भी दी। निराला ने तत्कालीन समाज में व्याप्त साम्राज्यवादी शक्तियों के अमानवीय दृष्टिकोण और अर्थिक शोषण को अपने साहित्य में मुखरित किया है।

निराला अपने साहित्य में सामान्य जन के गौरव और गरिमा के पक्षधर है। “हमारी पूरी अभिजात्य परम्परा को नकारते हुए, सदियों से उपेक्षित और मनुष्यत्व के गौरव से वंचित भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग की पहचान पर सवाल उठाते हैं। साहित्य में ‘नायक पूजा’ की परम्परा उस मनुष्य को अपनी प्रतिभा से स्थापित करते हैं जिसकी ओर देखना भी द्विज वर्ग गंवारा नहीं करता।”¹

हमारे सम्पूर्ण समाज में यदि सबसे अधिक उपेक्षित अपमानित और शोषित यदि कोई है तो वह है शुद्ध और स्त्री ये दोनों वर्ग समाज में एक स्वतंत्र, सचेत ‘व्यक्ति’ के रूप में पहचाने न जाकर एक उपयोग और इस्तेमाल की जाने वाले के रूप में अस्तित्ववान थे और आज भी हैं। पुरुष प्रधान समाज में नारी की अपनी कोई पहचान थी और न अस्तित्व ‘निराला साहित्य का अध्ययन करने के पश्चात स्पष्ट होता है कि पितृसत्तात्मक आचार संहिता की यातना की शिकार नारी की दर्दनाक स्थिति का अनुभव वह बहुत पहले ही कर चुके थे। ‘जो स्त्री विमर्श आज साहित्य का प्रमुख विषय है। उससे भी अधिक संतुलित स्त्री विमर्श की उपस्थिति निराला साहित्य में मिलती है निराला ने स्त्री विमर्श को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रस्तुत किया।’²

निराला ने अपने साहित्य में नारी को मानवीय गौरव से सम्मानित किया है निराला की कविता ‘तोड़ती पत्थर में नारी का जो चित्र खींचा है, जो दृष्ट्य है, ‘वे सड़क के फुटपाथ पर जेठ की दोपहरी में गुरु, हथोड़े से पत्थर को तोड़ते हुए देखते हैं और उसे प्रिये-कर्म-रत’ देखकर मुग्ध होते हैं। उसके श्याम तन-पर-बर्धों-योवन का एकदम नया चित्र खींचते हैं। ‘पहली बार किस कवि ने ‘मजदूरिन को यह गौरव दिया ‘यह कविता एक सावली मजदूर युवती का अनुप्रवेश कराती है।’³ यह जो युवती का चित्र है यह यथार्थ तो है ही, मगर कितने लोग हैं जो इस रूक्ष यथार्थ को गौराविन्त करते हैं, या उस दृष्टि से देखते भी हैं जिससे निराला ने देखा है।

“श्यामतन, भर, बंधा यौवन
नत नयन, प्रिय-कर्म-रत मन,
गुरु हथोड़ा हाथ,
करती बार-बार प्रहार

देखते देखा मुझे तो एक बार

सुनी मैंने वह नहीं जो भी सुनी झंकार।”⁴

कवित स्त्री और श्रम और उसके संघर्ष को पहचान दिलाती है ‘तोड़ती पत्थर कविता श्रमिक वर्ग की स्त्री को देखने की नई दृष्टि प्रदान करती है, प्राय विपरीत स्थितियों में जी तोड़ मेहनत करने वाले वर्ग के प्रति, उनकी दयनीय स्थिति के प्रति दया और करुणा से भरे रचना संसार में यह अनोखी कविता है जो उनके जबरदस्त जीवट को सलाम करती है।

अतएव यह कवि को “उस दृष्टि से देखती है जो मार खाई हुई है किन्तु रोई नहीं।” यह उसके शोषित किन्तु अपराजेय संकल्प की दृष्टि है।

‘विधवा’ कविता में निराला समस्त भारत की विधवाओं को गौरविन्त करते हैं, स्वयं विधवायें अपने गौरव की लड़ाई नहीं लड़ती हैं। “भारतीय समाज में सबसे अधिक पराधीन नारियाँ ही थी। उन्हें किसी मामले में न निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी और न विकल्प चुनने का अवसर उन्हें दिया जाता था वे सदा ही दूसरों के निर्णयों पर, दूसरों द्वारा चुने गए विकल्पों पर बिना किसी विचार और संकल्प के चल देना ही उनकी नियति, निराला इस स्थिति से परिचित थे।”⁵

“वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी
वह दीप शिखा सी शांत, भाव में लीन,
वह क्रूर-काल-तांडव की स्मृति-रेखा सी
वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन
दलित भारत की ही विधवा है।”

“जीवन स्थिति और जीवन दशा के बीच से परम्परागत दृष्टि को हटाकर निराला मानवीय दृष्टि को रख देते हैं। इसलिए उनकी कविता में विधवा, कुलक्षिणी-अभागिनी नहीं बल्कि पवित्रतम है। कवि उसे इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी कहता है।”⁷ समाज में विधवा के लिए ‘पूजा-सी’ सम्बोधन चुनौती की तरह है निराला उसे ‘दीपशीखा’ सी शांत भाव में लीन’ रूप में भी देखते हैं। ‘दीपशीखा’ प्रतीक अपने आप में महत्वपूर्ण है। दीपक की लौ अपने को दग्ध करके दूसरों को आलोकित करती है। ‘वह क्रूर काल-

तांडव की स्मृति रेखा सी' है काल ने क्रूरता पूर्वक जो ताड़ण्व किया स्त्री का वैधव्य उसका परिणाम है। उसकी स्मृति है।

'प्रेयसी' नामक कविता की नायिका इसी तरह एक जड़ और रूढ़िग्रस्त समाज की युवती है, उसे प्रेम हो जाता है। दोनों भिन्न वर्ग और जाति के हैं, हमारा समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता, परन्तु निराला प्रयेसी को एक स्वतंत्र विकल्प चुनने वाली युवती के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहा स्वयं विकल्प चुनती है और उसको आचरित करती है, उसकी समस्या सामाजिक है। परम्परा जाति और धर्म के नाम पर अभिमान पाले हुए हमारा समाज 'मुक्त जीवन' की प्रतिष्ठा के लिए नारी जाति में साहस और विवेक की प्रतिष्ठा आवश्यक मानते हैं प्रयेसी कविता नारी जाति के स्वतंत्र संकल्प, विवेकपूर्ण निर्णय और साहसपूर्ण आचरण को व्यक्त करती है।

“दोनों हम भिन्न-वर्ग

समझे यह नहीं लोग
व्यर्थ अभिमान को।
रूढ़ि धर्म के विचार,
कुल, मान, शील, ज्ञान
उच्च प्राचीर ज्यों घेरे जो थे मुझे

चल दी मैं मुक्त साथ।¹⁸

'रत्नावली' 'तुलसीदास' की रत्नावली तो नारी के परम्परागत रूप से उसे मुक्त करके नये मानवीय रूप में प्रतिष्ठित करती है हमारे समाज में नारी विशेषकर पत्नी के रूप में मात्र वासना की पूर्ति का उपकरण थी। सामंतीय समाज में तों उपभोग मात्र ही उसका कार्य था। यही कारण था कि उसके सौन्दर्य को कृत्रिम उपकरणों से सजाया जाता था, परन्तु निराला नारी के उस रूप की मूर्ति को तोड़ते हैं और रत्नावली के माध्यम से अपने विवेक से ज्ञान, से तुलसीदास को एक सही दिशा देती है। 'रत्नावली' पत्नी का एकदम नया रूप है फिर पति की शारीरिक प्रेम की भावना को धिक्कारने का यह हृदय पुरुष की हाड़-चाम प्रियता पर नारी का धिक्कार सामंतीय समाज में एक नया ही दृष्य उपस्थित करता है और सौन्दर्य और वासना की प्रति मूर्ति नारी को नए मानवीय गौरव से सम्मानित करता है उसमें विवेक और ज्ञान की प्रतिष्ठा है।

‘धृक् धाए तुम यो अनाहूत
धो दिया श्रेष्ठ कुल-धर्म धूत,
राम के नहीं काम के सूत कहलाए।

कैसी शिक्षा, कैसे विरमा पर आए।¹⁹

'सरोज समृति' कविता पिता द्वारा पुत्री की मृत्यु पर लिखा शोक गीत है, पिता द्वारा पुत्री की मृत्यु पर विलाप करना अपना पितृत्व की निरर्थकता

का अनुभव कर उसे कविता के रूप में व्यक्त करना स्त्री के प्रति उनके उदार हृदय का साक्षात्कार है। जिसे निराला 'सरोज समृति' में व्यक्त करते हैं

“धन्य में पिता निरर्थक था
कुछ भी तेरे हित कर न सका

लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर
हारता रहा मैं स्वार्थ समटा।¹⁰

'वर दे वीणा वादिनी वर कविता में वह स्त्री को शक्ति के रूप प्रतिष्ठित करते हैं, वह स्त्री को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, तभी तो वह ज्ञान की देवी सरस्वती से विनती करते हैं कि ज्ञान का नवीन प्रकाश कर संसार को नई गति प्रदान करें।

“वर दे वीणा वादिनी वर दे
प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत मे भर दे।
वर दे वीणा वादिनी वर दे
चीर स्वतंत्र नव अमृत।¹¹

स्त्री का मातृ रूप सदा से ही सम्मान का अधिकार रहा है। वह स्त्री को मातृत्व की अतुलनीय शक्ति समझते हैं जिसने संपूर्ण मानव सृष्टि का सर्जन किया है।

निराला की इन रचनाओं में समस्त नारी जाति के विभिन्न रूपों को मनुष्यत्व के पद पर प्रतिष्ठित किया है, निराला की इन रचनाओं में स्त्री के प्रति उनकी दृष्टि सच्ची मानवतावादी दृष्टि है। उनके नारी-पात्र शोषणकारी को बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र वातावरण में साँस लेने को तत्पर है उसकी सामंतीय छवि को तोड़कर मानव जाति के विकास की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला और उनका काव्य-डॉ. सजीव कुमार जैन, कैलाश पुस्तक सदन
2. क्रांतिकारी निराला साहित्य में स्त्री विमर्श सुमन www.sahchar.com
3. आधुनिक काव्य, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला और उनका काव्य-डॉ. सजीव कुमार जैन, कैलाश पुस्तक सदन
4. अनामिका कविता कोश सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला राजकमल प्रकाशन
5. सूर्यकान्त त्रिपाठी आधुनिक काव्य निराला और उनका काव्य-डॉ. सजीव कुमार जैन, कैलाश पुस्तक सदन
6. विधवा कविता सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला-आधुनिक काव्य
7. निराला चेतना का स्त्री पक्ष-रजनी दिसोदिया samalochan.blogspot.com 2021/3
8. निराला की कविता में स्त्री मुक्ति का स्वर-नीरज कुमार streekaat.com 2015/8
9. अनामिका कविता कोश सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला-राजकमल प्रकाशन
10. अनामिका कविता कोश सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला-राजकमल प्रकाशन
11. वही
12. वही

Organic Farming : The Ancient Process for Healthy and Nontoxic Food Stuff

Dr. Madhuri Singhal*

*Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Introduction - Farming is both challenging and exciting. We have compiled knowledge about how things grow and why some growing methods might be preferred over other methods. The following information is offered to help expand awareness of methods of organic farming and sustainable agriculture. There are many concerns about how long farming will continue using current conventional methods.

Organic Farming is a production system where all kinds of agricultural products are produced organically, including grains, meat, dairy, eggs, fibers such as cotton, flowers and processed food products. Organic farming avoids are largely exclude the use of synthetic fertilizers, pesticides, growth regulators and livestock feed activities. In ancient times people depend upon natural manure like cow dung.

Components of organic farming- It largely rely upon crop rotations, crop residues, animal manures, legume, green manure, on/off farm organic waste, mechanical cultivation, mineral bearing rocks and aspects of biological control of pests and diseases to maintain soil productivity and till to supply plant nutrients. The components of organic farming are

1. Organic manures
2. Non-chemical weed control and
3. Biological pest and disease management

Scope of Organic Farming:

1. A sustainable agricultural system which maintains and improve soil fertility so as to guarantee for adequate food security in the future.
2. It relies upon resources from its own area which is not depended much on imported resources.
3. It helps in maintaining the stability of natural ecosystem

Concepts:

1. Building up of biological soil fertility
2. Control of pests, diseases and weeds through development of an ecological balance within the system and by use of bio-agents and various cultural techniques.
3. It recycles all waste and manure within the farm.

Eco-Farming- It is the farming mutually reinforcement ecological approaches to food production. It aims at the

maintenance of soil chemically, biologically and physically the way nature would do if left alone. Soil would then take proper care of plants growing on it. Feed the soil, not the plant is the watchword and slogan of ecological farming

Principles:

1. The three inter-related principles are
2. Mixed farming
3. Crop rotation
4. Organic cycle optimization

Organic Vs Inorganic Fertilizers

Organic Fertilizers	Inorganic Fertilizers
Three common forms: animal manure, green manure and compost	Does not add humus to the soil, resulting in less ability to hold water and support living organisms (earthworms, beneficial bacterial, and fungi, etc)
Improves soil texture, adds organic nitrogen, and stimulates beneficial bacterial and fungi	Lowers oxygen content of the soil thereby keeping fertilizer from being taken up efficiently
Improves water-holding capacity of soil	Supplies only a limited number of nutrients (usually nitrogen and phosphorus)
Helps to prevent erosion	Requires large amounts of energy to produce, transport and apply. Release nitrous oxide (N ₂ O) - a greenhouse gas

Permaculture:

1. Bill Mollison, an Australian ecologist, and one of his students, David Holmgren, coined the work "Permaculture" in 1979. It is a contraction of "permanent agriculture" or "permanent culture".
2. It is defined as a design system for creating sustainable human environments. It uses ecology as the basis for designing integrated systems of food production, housing appropriate technology and community development.
3. Permaculture is built upon and ethic of caring for the

earth and interacting with the environment in mutually beneficial ways.

4. A central theme in Permaculture is the design of ecological landscapes that produce food. Emphasis is placed on multi-use plants, cultural practices such as sheet mulching and trellising and the integration of animals to recycle nutrients and graze weeds.

Characteristics:

1. It is one of the most holistic, integrated system analysis and design methodologies found in the world.
2. It can be applied to create productive ecosystems from the human-use standpoint or to help degraded ecosystems recover health and wildness.
3. It can be applied in any ecosystem, no matter how degraded.
4. It values and validates traditional knowledge and experience.
5. Incorporates sustainable agriculture practices and land management techniques and strategies from around the world.
6. It is a bridge between traditional cultures and emergent earth-tunes cultures.
7. It promotes organic agriculture, which does not use pesticides.
8. It aims to maximize symbiotic and synergistic relationships between site components.
9. It's design is site specific, client specific and culture specific.

Integrates Farming System- Integration of farm enterprises such as cropping systems, animal husbandry, fisheries, forestry etc, for optimal utilisation of resources bringing prosperity to the farmer. According to the availability of land, type of land, water, capital, resources, technical skill of the farmer, market facilities etc., and the components of farming system are to be chosen and adopted for better results.

Benefits of Integrated Farming System:-

1. Steady income other than income from regular cropping.

2. Risk coverage due to subsidiary allocation in the event of unexpected crop failures.
3. Employment opportunity
4. Higher productivity
5. Augmented returns and recycling of organics
6. Easily adopted by marginal and sub-marginal farmers
7. General uplift of farm activities
8. Better utilisation of land, labour, time and available manures in the farm.
9. compounds for weed management is based on routine physical cultivation, crop rotations, mulches, and planting cover crops in combination with cultivation.

References:-

1. Appropriate Technology Transfer for Rural America (www.attra.org),
2. <http://www.rain.org/~sals/my.html>. Cavigelli, M.A., S.R. Deming, L.K. Probyn, and R.R. Harwood (eds.). 1998. Michigan field crop ecology: Managing biological processes for productivity and environmental quality. Michigan State University Extension Bulletin E-2646, 92 p. Coleman, E. 1995.
3. The New Organic Grower: A Masters Manual of Tools and Techniques for the Home and Market Gardener. Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, VT. 340 pgs. Maddoff, F. and H. van Es. 2000 (2nd edition). Building Soils for Better Crops. SAN Handbook Series Book 4, Sustainable Agriculture Publications, Burlington, VT. 230 pgs. Ogden, S. 1999.
4. Straight Ahead Organic. Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, VT. Parnes, R. 1990. Fertile Soil: A Grower's Guide to Organic and Inorganic Fertilizers. AgAccess, Davis CA. 190 pgs. USDA Natural Resources Conservation Service. 2000 (revised). Soil Biology Primer. Published by Soil and water Conservation Society (www.swcs.org) USDA NRCS Soil Quality Institute Web Site <http://www.statlab.iastate.edu/survey/SQL/> For information on Soil quality and the Soil Biology Primer

Some Characteristics Of Dual Problem And Dual Simplex Method In Linear Programming

Dhansingh Baminiya* Basanti Muzalda**

*Department of Mathematics, Govt P.G. College, Khargone (M.P.) INDIA

**Department of Mathematics, Govt. College, Khaknar (Burhanpur) (M.P.) INDIA

Abstract - Every linear programming problem has associated with it another linear programming problem. From both the theoretical and practical point of view, the theory of duality is one of the most important concepts in linear programming. There are a number of important relationships between the solution to the original problem and its dual. These are useful in investigating the general properties of the optimal solution to a linear program and in testing Whether a Feasible solution is optimal

The optimal solution of either problem reveals information concerning the optimal solution of the other. if the optimal solution of the other if the optimal solution to one is known, then the optimal solution to the order is readily available. This fact is important because the situation can arise where the dual is easier to solve than the primal. We solve the dual, we use principle of Duality. So We solve the primal problem by simple method and read the solution of the dual problem from the optimal table of the primal problem.

Keywords -Duality, Dual, primal, simplex method, Dual Simplex, optimal solution.

Introduction - The dual simplex method is of great importance, as it can be even more efficient than the Simplex method and Serve as a basic tool to solve integer or mixed linear programming problems.

The concept and theorems of duality were first proposed by famous mathematician von Neumann. In October 1947, he made foundational discussions on the topic in a talk with George B. Dantzig and in a working paper, finished a few weeks later. In 1948 Dantzig provided a rigorous proof on the duality theorems in a report. Subsequently, Gale Kuhn and Tucker (1951) formulated the duality theorems and proved them using farkas lemma independently. Gale (1956) Goldman and Tucker (1956 a, b) discussed theoretical properties of the dual problem Systematically.

As. was stressed the simplex tableau is just a concise expression of a linear programming problem itself and all such tableaus created by the primal or dual simplex algorithm are equivalent in the sense of their representation of the linear programming problem.

In summary, elementary transformations generate equivalent simplex tableaus. on the primal side the right – hand sides give primal basic solutions and the bottom rows give primal reduced objective functions. On the dual side, the right- hand sides Render dual reduced objective functions and the bottom rows dual basic solutions We first derive its revised version based on equivalence

between the simplex tableau and the revised simplex tableau, just as what we have done for deriving the Simplex method from its tableau version Then we derive it alternatively to reveal the fact that it essentially solves the dual problem.

The dual simplex algorithm is an attractive alternative as a solution method for LP problems. Since the addition of new constraints to a problem typically breaks primal feasibility but not dual feasibility, the dual simplex can be deployed for rapid re optimization, without the need of finding new primal basic feasible solutions. This is especially useful in integer programming. Where the use of cutting plane techniques require the introduction of new constraints at various stages of the branch- and _ bound/ cut/ price algorithms.

PRELIMINARIES

Definition 1. Difference $C^T x - b^T y$ between, the primal and dual objective values is duality gap between x and (y, z)

Definition 2. If $x^T z = 0$, x and (y, z) are Complementary; if $x + z > 0$, in addition the two are strictly complementary.

Quantity $x^T z$ is termed complementary residual.

Theorem1. The dual of the dual is the primal

Theorem 2 . If the k -th constraint in a primal is a perfect equality then primal is a perfect equality then the corresponding dual variable is unrestricted in sign.

Theorem 3. If the variable X_j in a primal is unrestricted in

sign then the corresponding j -th constraint of the dual is a perfect equality.

Theorem 4. if x^*, y^* are primal and dual feasible solution with same objective function value then x^* is primal optimal Solution and y^* is dual optimal solution.

Theorem 5. [weak Duality] - if x is a feasible solution of
Max $z = c^T x$ S.t. $Ax \leq b$

$$x \geq 0$$

& y is any dual feasible solution of

$$\text{Min } z^* = b^T y \quad \text{S.t. } A^T y \geq C^T$$

$$y \geq 0$$

Then $Z \leq Z^*$ I.e. $c^T x \leq b^T y$

Theorem 6. [Strong / Basic / Fundamental Duality]

If $(X_B, 0)$ is a primal optimal solution then $\exists$ a dual optimal solution y^* such that

$$C_B X_B = b^T y^*$$

Example 1. Write the dual of the given primal problem

$$(P) \quad \text{Min } z = 4x_1 + 6x_2 + 18x_3$$

$$\text{S.t. } x_1 + 3x_2 \geq 3$$

$$x_2 + 2x_3 \geq 5$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$(D) \quad \text{max } Z^* = 3y_1 + 5y_2$$

s.t.

$$1.y_1 + 0.y_2 \leq 4$$

$$3.y_1 + y_2 \leq 6$$

$$2.y_2 \leq 18$$

$$y_1, y_2 \geq 0$$

Example 2. (p) Min $Z = 3x_1 + x_2$

S.t.

$$x_1 - 2x_2 + 4x_3 \geq 4$$

$$3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 \leq 6$$

$$x_1 + x_5 \geq 8$$

$$x_i, s_i \geq 0 \quad \forall i = 1 \text{ to } 5$$

$$(D) \quad \text{Max } Z^* = 4y_1 + 6y_2 + 8y_3$$

$$y_1 + 3y_2 + y_3 \leq 3$$

$$-2y_1 - y_2 \leq 1$$

$$4y_1 - y_2 \leq 0$$

$$-2y_2 \leq 0$$

$$y_3 \leq 0$$

$$y_2 \leq 0, \quad y_1, y_3, y_4, y_5 \geq 0$$

Example 3. Write the dual of the primal problem

$$\text{Max } Z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$$

S.t.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Also verify that dual of dual is primal

Solution The standard form of primal is

$$\text{Max } z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3$$

s.t.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 2$$

$$-2x_1 + x_2 - 3x_3 \leq -2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$(D) \quad \text{Min}^* = 5y_1 + 2y_2' + 2y_2''$$

s.t.

$$1y_1 + 2y_2' - 2y_2'' \geq 5$$

$$2y_1 - 1y_2' - 1y_2'' \geq 12$$

$$1y_1 + 3y_2' - 3y_2'' \geq 4$$

$$y_1, y_2', y_2'' \geq 0$$

Thus letting $y_2 = y_2' - y_2''$, The new variable y_2 which is the difference between two non-negative variables, becomes unrestricted in sign depending upon the relative values of non-negative variables y_2' & y_2'' .

Thus the dual problem reduces to

$$\text{Min } Z^* = 5y_1 + 2y_2$$

s.t.

$$1y_1 + 2y_2 \geq 5$$

$$2y_1 - 1y_2 \geq 12$$

$$1y_1 + 3y_2 \geq 4$$

$y_1 \geq 0$ & y_2 unrestricted in sign.

This new form of the dual has as many variables as the numbers of constraints in the Primal.

Lemma 1. [farkas] assume $A \in R^{m \times n}$ and $b \in R^m$

The feasible region p is nonempty if and only if

$$b^T y \geq 0 \quad \forall y \in \{y \in R^m : A^T y \geq 0\}$$

Lemma 2. The duality gap and Complementarily residual of x and (y, z) are equal ; x and (y, z) are complementary iff their duality gap equals Zero .

Corollary 1. If the primal (Dual) have an unbounded solution the dual (primal) is infeasible

Corollary 2. If the primal (Dual) is infeasible then dual (primal) must be unbounded or infeasible.

Corollary 3. If x is an optimal solution to the primal an optimal solution to the dual is give by $W_{opt} = B^{-1} C_B$, Where B is the primal optimal basis .

MAIN RESULT

Example . Write the dual of the Lpp

$$\text{Max } z = 3x_1 + 2x_2$$

s.t.

$$x_1 \leq 4$$

$$x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \leq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

and find an optimal solution of the dual problem

Solution. The given problem is in the standard form so to write its dual, introduce dual variable y_1, y_2, y_3 corresponding to the respective constraints and the dual problem is

$$\text{Min } Z^* = 4y_1 + 6y_2 + 5y_3$$

s.t.

$$y_1 + y_3 \geq 3$$

$$y_2 + y_3 \geq 2$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Now in order to solve the dual, we use principle of Duality. So we solve the primal problem by simplex method and read the solution of the dual problem from the optimal table of the primal probe. The primal problem after introducing slack variables S_1, S_2, S_3 becomes

$$\text{Max } Z = 3x_1 + 2x_2 + 0.S_1 + 0.S_2 + 0.S_3$$

$$\text{s.t. } x_1 + S_1 = 4$$

$$x_2 + S_2 = 6$$

$$x_1 + x_2 + s_3 = 5$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

The simplex tableau is

	Cj		3	2	0	0	0
B.V	C _B	X _B	x ₁	x ₂	s ₁	s ₂	s ₃
s ₁	0	4	1	0	1	0	0
s ₂	0	6	0	1	0	1	0
s ₃	0	5	1	1	0	0	1
	Zj- c _j		-3	-2	0	0	0
			↑				

	Cj						
B.V	C _B	X _B	x ₁	x ₂	s ₁	s ₂	s ₃
x ₁	3	4	1	0	1	0	0
s ₂	0	6	0	1	0	1	0
s ₃	0	1	0	1	-1	0	1
	Zj- c _j		0	-	3	0	0
				2↑			

	Cj		3	2	0	0	0
B.V	C _B	X _B	x ₁	x ₂	s ₁	s ₂	s ₃
x ₁	3	4	1	0	1	0	0
s ₂	0	5	0	0	1	1	-1
X ₂	2	1	0	1	-1	0	1
	Zj- c _j		0	0	1	0	2

$$\text{All } Z_j - C_j \geq 0$$

Therefore, optimal table is reached and optimal solution of the dual problem is

$$y_1 = Z_1 - C_1 = 1$$

$$y_2 = Z_2 - C_2 = 0$$

$$y_3 = Z_3 - C_3 = 2$$

and optimal cost of the dual = optimal cost

$$\text{of primal} = 3 \times 4 + 2 \times 1$$

$$= 12 + 2$$

$$= 14$$

APPLICATION- One of the most important applications of the dual simplex is in large – scale optimization particularly large – scale mixed integer programming. Traditionally , if the relaxation of a general mixed integer programming problem does not satisfy the original integrality requirements, then some mixture of variable branching and addition of valid inequalities happens, until the branch and bound /cut /price implementation converges to the optimal solution. Notice that branching on a fractional variable creates two sub_ problems, each of which has an additional constraint –a bound on the branching variable, which destroys the primal feasibility of the original problem similarly, the addition of a valid inequality to the problem breaks primal feasibility. However, in the dual space, the problem remains feasible, since the addition of a row in the primal is equivalent to the addition of a column to the dual.

References:-

1. ping- qi pan, Duality principle and Dual simplex method. southeast university (china) (2014) , 1- 24 .
2. mihai Banciu, Dual simplx , Bucknell university (2011), 1- 14
3. D Nagesh Kumar , Revised simplex method duality of L P Problems and sensitivity analysis, 1-33.
4. Omoyajowo A.C, Dual simplex method , 1-15 ,
5. Robert E. bixby solving real – world lineag programs: A decade and more of prograss operation research , 50(2) : 3-15, 2002 .

A Study of Digitalization in Indian banking Sector (With Special Reference to Problems and Prospects)

Dr. Manohar Das Somani*

*Professor (Commerce) BLP Government P.G College, Mhow, Indore(M.P.) INDIA

Abstract - The Induction of information technology has changed every aspect of human life and business which does not need to be accentuated more. It is digitalization that entitles banks in matching the high expectations of customers who are more demanding and are also more techno-savvy compared to their counterparts of the yester-years especially the young customer. Through our study, we found that the upturn in the use of digital services has created enormous potential and advantages such as anytime and anywhere banking facility, immediate payment and settlement mechanism helps in faster transactions, protecting the environment through green banking, help banks in managing customer relationship management, contributing to the evolution of financial inclusion but along with that it has some challenges like cyber-security, legal altercation, proficient personnel, customer literacy for e-services and connective problem which are needed to be handle with sensitive and attentive supervision.

Keywords- Digitalization, Indian banking sector, USSD, UPI, AePS.

Introduction - Digitalization simply means the conversion of data into a digital state with the adoption of newer technology. It reduces the error by humans and encourages loyalty for the customer. Today all banks are heavily investing in digital initiatives to deal with the competitive advantage and provide the most to their customers. Additionally, digitization adds to intelligence with a solid database that helps banks to be competitive and approaching customer effectively by providing good customer services like banking from home, faster transaction, and saving time.

The digital revolution in the Indian banking sector has set the stage for an unmatched increase in financial activity throughout the world. The rise of technology and the development of its worldwide networks have significantly reduced the cost of transferring funds across the globe. The sector that has been most primordially affected by the digital developments in the Indian banking sector. Digitalization has become a very important business resource as its absence could result in poor management decisions and ultimately business failure. It has opened up new products, new services, new markets, and efficient communication channels for the banking industry. Online e-banking, mobile banking, and internet banking, Unified Payment Interface (UPI), *99# USSD, Paytm are just a few examples.

Digitalization has also provided the banking industry with the potential to deal with the challenges the banks are posed. It has been a cent point of recent financial sector

reforms aimed at increasing the reliability of financial operations with speed and a verge to strengthen the banking sector.

It is digitalization that entitles banks in matching the high expectations of customers who are more demanding and are also more techno-savvy compared to their counterparts of the yester-years especially the young customer because they demand banking facilities which can be instant, anytime and anywhere.

Digitalization has also facilitated the introduction of new delivery channels in the form of UPI, Automated Teller Machines (ATMs), Net Banking, Mobile Banking, and the like. Further, digitalization has assumed such high levels that it is no longer possible for banks to manage their technology implementations on a standalone basis with the digital revolution, banks are increasingly interconnecting their computer system across the branches and also to other geographic locations with high-speed network infrastructure, and setting up the local area and wide area networks with the internet connectivity. As a result, information channels and networks are growing day by day. During the first phase of Indian banking sector reform, a need was to develop an institution which can provide IT supports to banks and financial institution. The foundation of digitalization was laid by the Rangarajan Committee's two reports in the year 1984 and 1989, which strongly recommends computerization of banking system and following the recommendation of the committee, In March 1996 as an Autonomous Centre for Development and

Research in Banking Technology, the Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) was established. Later on, following the technology development initiatives, another organisation was founded in 2008 called National Payment Corporation of India (NPCI) which is an umbrella organisation for operating retail payment and settlement systems in India established by the collaboration of the Reserve Bank of India (RBI) and Indian Banks' Association (IBA) under the provision of Payment and Settlement System Act, 2007, to make a robust infrastructure for payment and settlement in India and enabling all Indians to go digital (IDBRT, 2021).

Review of Literature

The study of (Avasthi & Sharma, 2001) reveals that advances in technology are set to change the face of the banking business along with that technology has transformed the delivery channels by banks in retail banking. The study also explored the challenges that banking institutions and its regulatory face.

Janki (2002) analyzed that how technology is affecting the employee's productivity and reported that there is no doubt technology has changed the operating efficiency and customer services. The focus on technology will increase new products, strengthen risk management, etc. At last, he concluded that technology and digitalization are the only tools to achieve their customer needs.

Rao (2002) analyzed the impact of new technology on the banking sector and revealed that the technology is changing the way the business is done and open new vistas for doing the similar task differently in the most cost-effective way. Tele-banking and internet banking are making forays such that branch banking may give to home banking.

Arora (2003) highlighted the significance of bank transformation and found that technology has a definitive role in facilitating transactions in the banking sectors and the impact of technology implementation has resulted in the introduction of new products and services by various financial institutions in India.

Vasiljeva & Lukanova (2016) founds that banks are interested in investing in digitization for improving process efficiency and process automation straight-through processing levels along with creating a secure centralised communication network, suitable for new market demands. According to their primary survey, they found that the most interesting Fintech area for customer is payment services. The study of (Madhushree, et al., 2018) concluded that IT offers enormous potential and various opportunities for the Indian banking sector. It provides a cost-effective, rapid, and systematic provision of services to the customer with developing the business sector in benefited relation.

Sardana & Singhania (2018) concluded that the inventions are not at par that has changed the banking business as dramatically as the technological revolution. Banks in a different country are revamping the digitalization but in India an 'internet only' model or 'pure' digital bank is

bleak because 'brick and mortar' branches provide the Indian customers, especially the old aged people, a sense of security and confidence.

Muhammad et al. (2021) in their study stated that e-banking technologies such as ATM, internet-banking, mobile-banking, telephone-banking has helped in decreasing traditional interaction with the bank employees and also other day-day window transaction workload.

Objective of the Study- The purpose of this study is to focus on the various problems and prospect of digitalization in Indian banking sector.

Digital Initiatives in Indian Banking Sector- Presently India is moving fast towards digital services and is growing day by day, and some of the digital initiatives that are available today for faster and mobile banking services are given below:

1. ***99#:** It is a common USSD code across all telecommunication that brings banking services to every common man and facilitates instant interbank account to account fund transfer.

2. **National Financial Switch (NFS):** NFS is an ATM network that has introduced a sub-membership model which enables smaller, regional banks including RRBs and local co-operative banks to participate in the ATM network.

3. **Unified Payments Interface (UPI):** It is a system that enables the operation of multiple bank account in a single application that caters to the "Peer to Peer" collection request and scheduled and paid money as per requirement and convenience.

4. **Cheque Truncation System (CTS):** CTS has a decrease in time scales i.e., clearing of the cheque is settled together on T+1 basis, in this system the physical instrument is truncated at presenting bank end.

5. **Aadhaar Enabled Payment System (AePS):** For speeding financial inclusion in the country AePS have been developed which allows online interoperable transactions at PoS (Point of Sale system) using the Aadhaar authentication through the business correspondent of any bank.

6. **Immediate Payment Service (IMPS):** IMPS is used for transferring funds in real time and offers instant 24*7 interbank electronic fund transfers which can be accessed on multiple channels.

7. **RuPay Contactless:** It provides a mechanism for including Low Value Payments (LVPs) within the gambit of electronic payment along with that it offers the unique proposition of One Card for all payment by using NFC technology.

8. **Plastic cards:** It is issued to customers by bank in form of debit card, credit card or smart card, shopping card, etc. It uses the process of making payment at POS, cash withdrawals from ATM machines and online internet payment.

9. **Electronic Fund Transfer:** Electronic Fund Transfer (EFT) is the system of fund transfer between the banks

without the involvement of the bank staff and done over a computerised network. There are two types of EFT namely- NEFT stands for National Electronic Fund Transfer and RTGS stands for Real Time Gross Settlement.

10. Autopay: Recently NCPI has launched Autopay system for recurring payments by which enable customer to automatically pay recurring payment such as electricity bills, EMI, OTT subscriptions using various UPI platforms.

11. e-RUPI: e-RUPI is a type of contactless prepaid e-voucher by users can do seamless transaction without a card, digital payment app or internet banking access.

The electronic payment system is growing day by day, CTS technology has made cheque clearing services fast and increasing in the uses. IMPS is also has shown an upturnover the months. The use of UPI is significantly increased and there is a significant upturn in the volume of UPI since demonetization. USSD is also growing in volume day by day. All these together are showing that with the development of digital initiative, their uses have been also increasing day by day and are facilitating the customer (Chart 1& Table1)

Table 1: Details of Uses various Electronic Payment System

Date	CTS *	IMPS*	UPI*	USSD**
Nov-16	87.1	36.2	0.3	7.0
Dec-16	130.0	52.8	2.0	102.2
Jan-17	118.5	62.4	4.2	314.3
Feb-17	100.4	59.7	4.2	224.8
Mar-17	119.2	67.4	6.2	211.2
Apr-17	95.3	65.1	6.9	188.9
May-17	97.1	66.7	9.2	192.6
Jun-17	91.9	65.8	10.2	198.9
Jul-17	92.2	69.1	11.4	190.7
Aug-17	92.1	75.7	16.6	191.8
Sep-17	92.2	82.9	30.8	202.7
Oct-17	94.4	88.1	76.8	184.6
Nov-17	96.3	89.5	104.8	182.4
Dec-17	94.6	98.0	145.5	179.9
Jan-18	96.7	99.6	151.7	172.8

*Volume in million, **Volume in thousand

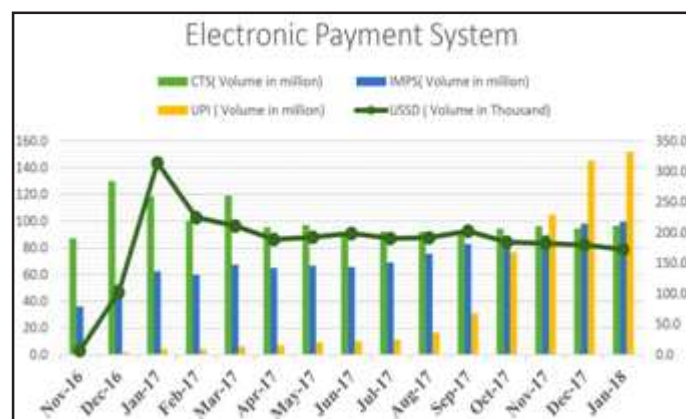


Chart 1: Source-<https://www.ncpi.org.in/statistics>, NPCI

(Statistics)- Excel Output

Prospects of Digitalization of Banking:

1. Anytime and Anywhere Banking: Due to digitalization in the banking sector, customers can avail banking services handy and 24* cash withdrawals by using ATM, which is available all around. The customer can also transfer money from one bank to another with just one click without visiting a bank branch.

2. Immediate Payment and Settlement: By using digital services offered by the banks, a customer can do the fast transaction from one bank to another with low transaction costs.

3. Promoting Green Banking: all e-banking services are helping in the conservation of natural resources by saving paper, energy and expenditure. Green banking is a banking activity that helps in reducing carbon footprints, promoting environment-friendly practices, and sustainable development. Green banking is also paperless banking where we use less paper for availing banking services.

4. Enhanced Customer Relationship Management (CRM): CRM is considered as a critical means of developing and maintaining customer loyalty with focusing upon migrating low value customers towards profitability (Srinivasan, 2016). The e-services help banks in managing the customer requirement and offering them to gain their loyalty and providing satisfaction.

5. Enhanced Financial Inclusion: AePS is one of the digital initiatives that has enhanced financial inclusion and offers the banking services to the vulnerable by using the Aadhaar number such as cash withdrawal, cash deposit, balance inquiry, fund transfer, mini statement, etc. The information technology has also helped to transfer funds of various schemes directly to the beneficiaries' account called Direct Benefit Transfer (DBT) and decreasing the leakages.

Problem Associated with Digitalization of Banking:

1. Cyber- Security: Internet and mobile banking services are vulnerable to siphoning off the money by the perpetrator of computer crime. So, there is a need to take care of security-related concerns, which can help in providing seamless and fear-less banking service to the customer.

2. Legal Altercation: Legal altercation can be a skyrocket as the outcome of siphoning off cash electronically by the hacker, which is becoming a major challenge to Indian banks to tackle because these are making a threat to people for using IT-enabled services.

3. Proficient Personnel: There is a need to strengthen proficient personnel who are capable of handling and supervising application software and database to provide efficient and seamless customer support for digital arduous.

4. Customer Literacy for e-services: The technology transformation has created fear-factors among the user due to unawareness, security concerns, and unfamiliar technology.

5. Connective Issue: All IT-enabled services are required to be accessible through the internet but in India majority

of people are residing in the village and are more vulnerable to the connectivity problem, which is a challenge for Indian banks to reach the most vulnerable society with their digital initiatives.

Suggestion to Overcome the Problems of Digitalization of Banking:

1. The Cyber-security related issue can be handled by increasing the skilled cyber-security professional along with increasing the encryption level by banking, and customers should also need to be careful at time latching to vulnerable websites and advertisements.
2. The Legal altercation is one of the major challenges in digital banking services that can be solved by increasing the awareness about the product and procedure of banking services to customers while giving access to the digital services.
3. Because the digital banking platform is based on enhanced and new technology, the banks need to have dedicated proficient personnel for giving complete details and aware customers about digital product and services and also understand, handled customer concern in an efficient way.
4. The banks also need to have dedicated customer care lines that can handle, listen and solved customer complaints with digital services in a time bound manner.
5. For the efficient use of digital banking services, there is a need of robust network expansion in all parts of the country, and especially in village areas, that can only be done by making regulations for telecoms to develop a robust network in the most vulnerable society.

Conclusion - Digitalization has provided the banking industry with the potential to deal with the challenges the banks are posed. It is a central point of recent financial sector reforms aimed at increasing the reliability of financial operations with speed and a verge to strengthen the banking sector. The research brought to light the fact that with the benefits of digitalization, there are challenges associated with it. With the upturn in the use of digital services, we identified that digitalization has enormous potential and advantages such as anytime and anywhere banking facility, immediate payment and settlement mechanism helps in

faster transactions, protecting the environment through green banking, help banks in managing customer relationship management, contributing to the evolution of financial inclusion but along with that the study also identified that digitalization facing challenges like cyber- security, legal altercation, proficient personnel, customer literacy for e-services and connective problem which are needed to be handle with sensitive and attentive supervision.

References:-

1. Arora, K. (2003). Indian Banking Managing Transformation through IT. Indian Banking Association Bulletin, 25(3), 134-138.
2. Avasthi, G. P., & Sharma, M. (2001). Information Technology in Banking: Challenges for Regulations. Prajnan, 29(4), 17-22.
3. DBRT. (2021, June 17). Institute for Development and Research Banking Technology. Retrieved 2021, from IDBRT: <http://www.idrbt.ac.in>
4. Janki, B. (2002). Unleashing Employee Productivity: Need for a Paradigm Shift. Indian Banking Association Bulletin, 24(3), 7-9.
5. Madhushree, L. M., Radhakrishnan, R., & Aithal, P. S. (2018). Impact of Information Technology (IT) on Banking Sector. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.3456861
6. Muhammad, S. M., Mohammed, F., Baballe, S., & Jimoh, M. (2021). Human Resource Digitization And Employee Performance of deposit Money Banks in Bauchi. The Strategic Journal of Business & Change Management, 8(2), 115-125.
7. Rao, N. V. (2002). Changing Indian Banking Scenario: A Paradigm Shift. Indian Banking Association Bulletin, 24(3), 12-20.
8. Reserve Bank of India. (n.d.). RBI. Retrieved July 2, 2020, from RBI: <https://www.rbi.org.in/>
9. Sardana, V., & Singhania, S. (2018). Digital Technology in the Realm of Banking: A Review of Literature. International Journal of Research in Finance and Management, 1(2), 28-32.
10. Srinivasan, G. (2016). Customer Relationship Management Model for Banks. Journal of Internet Banking and Commerce, 21(5).

भारत में कृषि विपणन की समस्याएं

डॉ. रिमता देराश्री *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आगरा मालवा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आर्थिक विकास की किसी भी बनावट में कृषि का विकास एक अभिन्न अंग होना चाहिए। कृषि के बेहतर प्रदर्शन के लिए विपणन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं कृषि। भारत में कृषि विपणन की चार प्रणालियाँ हैं जैसे गाँव में बिक्री, मंडी में बिक्री, बाजार में बिक्री और सहकारी विपणन। कृषि विपणन में परिवहन लागत, अशिक्षित बाजार की आधारभूत संरचना, बाजार की जानकारी की कमी, प्रसंस्करण इकाइयों की कमी, भंडारण सुविधाएँ, मूल्य में उतार-चढ़ाव प्रमुख समस्याएँ हैं। संतोषजनक कृषि विपणन के लिए बिचौलियों को खत्म करना, पर्याप्त भंडारण सुविधा, साहूकारों से मुक्ति, पर्याप्त परिवहन सुविधाएँ, ऋण और प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता आदि आवश्यक हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि कृषि विपणन में सुधार के लिए फसल बीमा और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। भारत में इन सभी समस्याओं में से सबसे अधिक किसानों द्वारा परिवहन शुल्क की एक बड़ी समस्या के रूप में है। यह शोध पत्र भारत में कृषि विपणन की समस्याओं की खोज पर आधारित है। शोध पत्र के माध्यम से कृषि विपणन की समस्याओं के सुधार के लिए सुझाव पर प्रकाश डाला गया है। एक कुशल विपणन प्रणाली लागत को कम करती है और समाज के सभी वर्गों को अधिकतम लाभ देती है। विपणन प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए कुशल विपणन, उत्पादकों के लिए बेहतर आय और उपभोक्ताओं को बेहतर संतुष्टि सुनिश्चित कर सकता है।

शब्द कुंजी – कृषि, विपणन, समस्याएँ, किसान।

प्रस्तावना – देश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20 प्रतिशत योगदान देता है और लगभग 43 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है। आर्थिक विकास के किसी भी डिजाइन में कृषि का विकास एक अभिन्न अंग होना चाहिए। कृषि के बेहतर प्रदर्शन के लिए विपणन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वयं कृषि। सिंचाई सुविधाओं, उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और पौधों की सुरक्षा के उपायों के उपयोग से, कृषि में तकनीकी सुधार आदि से महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। फिर भी खेती में वृद्धि की दर अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है, इसका मुख्य रूप से श्रेय विपणन सुविधाओं और सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए विपणन सुधार को कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय नीति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। कृषि विपणन अनिवार्य रूप से समग्र विपणन प्रणाली का एक उपसमुच्चय होने के कारण किसानों द्वारा कृषि आदानों की खरीद में शामिल सभी गतिविधियों, एजेंसियों और नीतियों को संबद्धित करता है और कृषि उत्पादों को खेतों से उपभोक्ता-निर्माता - निर्यातकों तक ले जाता है। एक कुशल विपणन प्रणाली लागत को कम करती है और समाज के सभी वर्गों को अधिकतम लाभ देती है। एक कुशल विपणन प्रणाली किसान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है समय-समय पर विभिन्न प्रशासनिक और विधायी उपायों को अपनाकर कृषि विपणन के आयोजन में अच्छी प्रगति हुई है। कृषि विपणन में परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। ये गतिविधियाँ किसी भी देश में कृषि वातावरण के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में कृषि उपज मंडी समिति फसल कटाई के बाद फसलों की पहली

बिक्री की अनुमति देती है। किसानों द्वारा फसल की बिक्री मंडियों, विनियमित बाजार व यार्डों में करने के लिए जोर दिया गया है। एक संगठित विपणन प्रणाली किसान को बेहतर आय सुनिश्चित करती है। यह बाजार की कीमतों को भी स्थिर करता है। यह उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के हितों की रक्षा करता है लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश विकासशील और अविकसित देशों में कृषि विपणन अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं है और किसानों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य – वर्तमान अध्ययन भारत में कृषि विपणन की समस्या का अध्ययन करने के लिए किया गया है।

आंकड़ों के स्रोत – प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। आँकड़े कृषि विभाग के जर्नल, समाचार पत्रों और प्रकाशनों से एकत्र किए गए हैं।

शोध क्रियाविधि – वर्तमान शोध पत्र एक वैचारिक पत्र है जिसका उद्देश्य भारत में कृषि विपणन की विभिन्न समस्याओं की खोज करना है।

कृषि विपणन की समस्याएँ

- **भंडारण की सुविधा का अभाव** – गांवों में किसानों के लिए उचित भंडारण और गोदाम की सुविधा नहीं है जहाँ वे अपनी कृषि उपज का भंडारण कर सकें। हर साल 15 से 30 प्रतिशत कृषि उपज या तो चूहों से या बारिश के कारण उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस प्रकार किसान अपनी अधिशेष उपज को फसल के तुरंत बाद बहुत कम और अलाभकारी मूल्य पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। गांवों में भंडारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। इसलिए किसान अपने उत्पादों को फिट, मिट्टी के बर्तनों, स्टोर हाउस आदि में स्टोर करने के लिए मजबूर हैं। भंडारण

के इन अवैज्ञानिक तरीकों से काफी अपव्यय होता है। लगभग 1.5 प्रतिशत उपज सड़ जाती है और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। इस कारण गाँव के बाजार में आपूर्ति बढ़ जाती है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, केंद्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगम की स्थापना से स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है।

● **संकट बिक्री** – अधिकांश भारतीय किसान बहुत गरीब हैं और उनके पास उचित ऋण सुविधाओं के अभाव में अपनी उपज की बेहतर कीमत की प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। भी कम कीमत पर ही अपनी फसल को बेच देते हैं।

● **परिवहन की कमी** – ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सड़क परिवहन सुविधाओं के अभाव में भारतीय किसान अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेचने के लिए नजदीकी मंडी नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार, वे अपनी उपज को गांव के बाजार में ही बेचना पसंद करते हैं।

● **प्रतिकूल मंडियां** – मंडी की स्थिति भी किसानों के अनुकूल नहीं है। मंडियों में किसानों को अपनी उपज के निपटान के लिए इंतजार करना पड़ता है जिसके लिए भंडारण की कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार, किसानों को बिचौलिए या दलाल की मदद लेनी होती है जो लाभ का एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं और सौदे को अपने पक्ष में या अरहति या थोक विक्रेताओं के पक्ष में अंतिम रूप देते हैं।

● **बहुत अधिक मध्यस्थ** – भारतीय कृषि विपणन का एक व्यक्ति दोष बहुत अधिक बिचौलियों की उपस्थिति है और उनके द्वारा किसानों की अपेक्षा एक तरफ ये बिचौलिए कम कीमतों पर उपज खरीदकर किसानों का शोषण करते हैं और दूसरी ओर, वे अधिक कीमत पर ग्राहकों को विक्रय करते हैं ये बिचौलिए अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर गरीब किसान का अनुचित लाभ उठाते हैं। डीएस सिंधु द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि चावल के मामले में बिचौलियों की संख्या 31 प्रतिशत, सब्जियों के मामले में 29.5 प्रतिशत और फलों के मामले में 46.5 प्रतिशत थी।

● **दोषपूर्ण तेल और तराजू** – कृषि विपणन का सबसे बड़ा दोष बाट और तराजू के कारण उत्पन्न होता है। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ईंटों का उपयोग वजन के रूप में किया जाता है और शहरी बाजारों में भी दोषपूर्ण वजन पाए जाते हैं। इस प्रकार किसानों के अनाज को अपने लाभ के लिए भारी वजन से तौला जाता है। अधिकांश व्यापारी अनाज की खरीद-बिक्री के लिए अलग-अलग तौल रखते हैं।

● **निरक्षरता और किसानों में एकता की कमी के कारण** – भारतीय किसान अधिकतर अनपढ़ हैं जिन्हें साहूकार, व्यापारियों व बिचौलियों द्वारा उनके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख बनाना आसान है, इसी तरह किसानों में एकता की कमी भी उनके शोषण का कारण बनती है क्योंकि भारतीय किसान ग्रामीण इलाकों में दूर के इलाकों में फैले हुए हैं। वे एक-दूसरे से मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ हैं, परिणामस्वरूप, उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है।

● **वित्तीय संसाधनों की कमी** – ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वित्तीय संसाधनों का अभाव है जिसके कारण उनकी आपातकालीन आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में किसान अपनी उपज को पकने से पहले ही बेच देते हैं। इसी तरह कुछ वित्तीय सुविधाएं जैसे पंपिंग सेट, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि के लिए ऋण पर किस्तों का मासिक या त्रैमासिक आधार पर भुगतान करना पड़ता है जिसके कारण उन्हें उत्पाद को

जल्द से जल्द बेचना पड़ता है। जिस प्रकार वित्तीय सहायता का अभाव किसानों के लिए एक समस्या है, उसी प्रकार ऋण की प्राप्ति भी उन्हें समस्या में डालती है।

● **ब्रेडिंग और मानकीकरण की कमी** – कृषि उपज की विभिन्न किस्मों को ठीक से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। आमतौर पर प्रचलित प्रथा को ढेरा बिक्री के रूप में जाना जाता है जहां उपज के सभी गुणों के ढेर को एक ही लॉट में बेचा जाता है। इस प्रकार, बेहतर गुण पैदा करने वाले किसान को बेहतर कीमत प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बेहतर बीजों का उपयोग करने और बेहतर किस्मों का उत्पादन करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।

● **उत्पादन संग्रह** – छोटे किसानों से उपज का संग्रह बहुत महंगा है और एक कठिन प्रक्रिया है कुशल विपणन के लिए यह एक बड़ी समस्या है।

● **बाजार समाचार** – हमारे देश में अधिकांश किसान अशिक्षित हैं और उन्हें बाजार की स्थितियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए किसान अपने उत्पाद की वास्तविक कीमत प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

कृषि विपणन में सुधार के उपाय:

● **परिवहन सुविधाओं में सुधार** – सरकार को सड़क सुविधाओं में वृद्धि करनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ा जाना चाहिए। इससे किसान अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं के हाथों में बाजार में बेच सकेंगे।

● **ऋण सुविधाओं में वृद्धि** – सरकार को छोटे किसानों को ऋण सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, निस्संदेह सभी वाणिज्यिक बैंक किसानों को यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं है।

● **भंडारण सुविधाओं को बढ़ाना** – सरकार किसान को भंडारण सुविधाओं के लिए ऋण प्रदान करे। सरकार को चाहिए कि वह विभिन्न सामानों का भण्डार रखने के लिए भी दुकानों का निर्माण करे। भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।

● **बाजार सुधार** – सरकार को देश में बाजार व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। मंडी समिति का पुनर्गठन किया जाए। बाजार निरीक्षक कृषि उत्पादों की कीमतों की जांच करें। सख्त कानून पेश किए जाने चाहिए।

● **नया बाजार** – सरकार को उत्पादक केंद्रों के पास नए बाजारों का निर्माण करना चाहिए। इससे किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा।

● **कोल्ड स्टोरेज** – यह संगठित बाजारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फल और सब्जी जैसे खराब होने वाले सामानों के लिए बहुत उपयोगी हैं कि सरकार को कोल्ड स्टोरेज के दायरे का विस्तार करना चाहिए।

● **बाजार की जानकारी** – बाजार की मांग और आपूर्ति की स्थिति किसानों को रेडियो, टीवी, समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। सरकार को इस तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

● **उत्पाद की ब्रेडिंग** – विभिन्न एजेंसियां हैं जो कृषि उत्पाद की ब्रेडिंग में करती हैं विपणन प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें अपने संगठनों का विस्तार करने की आवश्यकता है।

● **कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय** – सरकार द्वारा प्रारंभिक कदम बाजार को विनियमित करने और एक स्वच्छ पारदर्शी और सरल विपणन रणनीति की योजना बनाने के लिए था, इस विनियमन ने किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की मदद की लेकिन इसे अभी भी ग्रामीण बाजारों की पूरी क्षमता का एहसास करने की जरूरत है। दूसरा उपाय परिवहन सुविधाओं, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज गोदाम आदि का निर्माण, हालांकि मौजूदा बुनियादी ढांचा बढ़ती मांग को पूरा कर रहा है परंतु फिर भी

सुधार की जरूरत है तीसरा पहलू यह है कि उत्पाद के लिए उचित मूल्य तय करना, अंतिम नीति है जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के अधिशेष स्टॉक के भंडारण के लिए पीडीएस के माध्यम से खाद्य स्टेपल और चीनी का वितरण, ये सभी उपाय आय की रक्षा के लिए थे किसानों और वंचितों को रियायती दर पर कृषि उत्पादों की खरीद, ई चौपाल आदिद्य हालांकि कृषि विपणन में सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद निजी व्यापारियों का अभी भी कृषि बाजारों पर वर्चस्व है।

कृषि विपणन में सुधार के लिए सुझाव- सरकार को सभी मौजूदा कानूनों, विनियमों, नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करने की आवश्यकता है ताकि कृषि वस्तुओं में बाजार की ताकतों में बाधा डालने वाले सभी कानूनी प्रावधानों को हटाया जा सके।

सहकारी विपणन समिति के संचालन को क्रेडिट प्रोसेसिंग से जोड़ा जाना है। और अन्य कृषि समितियाँ या विभिन्न समितियों की गतिविधियों के बीच उचित समन्वय के माध्यम से बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों को बढ़ावा देना चाहिए।

विनियमित बाजार को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि उनकी संख्या में उचित वृद्धि हो और सभी आधुनिक विपणन सुविधाएं बाजार यार्ड में प्रदान की जा सकें।

वायदा बाजारों को पूरी तरह कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए और मूल्य संकेतों को प्राप्त करने और बाजार और मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने के लिए हाजिर बाजार को उनके साथ जोड़ा जाना चाहिए।

विपणन के वैकल्पिक ढांचे के रूप में प्रत्यक्ष विपणन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे किसानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।

कृषि विपणन में राज्य की भूमिका बाजार नेटवर्क के प्रचार और विनियमन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, जिसका लक्ष्य उनकी दक्षता में सुधार करना भी होना चाहिए।

निष्कर्ष- उत्पादक केंद्रों से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक विपणन की

लंबी श्रृंखला में हर स्तर पर सुधार की जरूरत है। विपणन प्रणाली की दक्षता में सुधार के लिए कुशल विपणन, उत्पादकों के लिए बेहतर आय और उपभोक्ताओं को बेहतर संतुष्टि सुनिश्चित कर सकता है। कुशल विपणन प्रणाली द्वारा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर आवश्यक गुणवत्ता प्रदान करने वाला कृषि उत्पाद प्राप्त हो सकता है जिसके द्वारा उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों को लाभ प्राप्त हो सकता है एक कुशल वितरण प्रणाली का महत्व एवं किसान उपभोक्ता के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. जैन एस. सी., (2018), विपणन के सिद्धांत, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
2. कात्यायन अरुण, (2021), फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, कुशल पब्लिकेशन एंड डिसट्रीब्यूटर्स
3. बेहरा यू.के., सिंह रणबीर, साबू पी.के. (2021) कृषि प्रणालियां, ब्रिलियन पब्लिशिंग
4. बंसल राजीव, (2015), विपणन प्रबंध, एसबीपीडी पब्लिकेशंस, आगरा
5. सिन्हा कुमार संतोष, (2020), कृषि, एस डी आर इनोवेस प्राइवेट लिमिटेड
6. कुमार डॉक्टर महेश, (2019), प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल आफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज, वॉल्यूम 5/ ईशु 4 /अक्टूबर- दिसंबर 2018, पेज 296- 299.
7. पूर्ति ललिता, खादुआ परीक्षिता, (2020), प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स आफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया- एन एनालिसिस, जर्नल आफ इंजीनियरिंग साइंस, वॉल्यूम - 11/ इश्यू- 2/ फरवरी/ पेज-312-315
8. <https://www.researchgate-net>
9. <https://www.economicdiscussion-net>
10. <https://www.insightsoindia-com>

समाज पर सोशल मीडिया का प्रभाव

राकेश रंजन *

*शोधार्थी (शिक्षा) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

शोध सारांश – पहले उस व्यक्ति को मानसिक रोगी समझा जाता था, जो समाज तथा परिवार विरोधी कार्य करता था पर ऐसा वह क्यों कर रहा है इसका ज्ञान उसे स्वयं नहीं होता था। दौरे पड़ना, वस्त्र-विहीन हो जाना ये सब भूत-प्रेत के उत्पात माने जाते थे और तन्त्र-मंत्र द्वारा मानसिक चिकित्सा की जाती थी। अशिक्षित क्षेत्रों में आज भी ऐसा किया जाता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में संवेगात्मक परिपक्वता का प्रमाण देता है, वैसे व्यक्तियों में भय, क्रोध, ईर्ष्या, जैसे संवेगों को नियंत्रण में रखने और उनकी वांछनीय ढंग से व्यक्त करने की क्षमता होती है। वह भय, क्रोध और ईर्ष्या से अस्त-व्यस्त नहीं होता।

सोशल मीडिया का प्रयोग आज के संदर्भ में यथोचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। कुछ बिचौलिये इसका दुरुपयोग कर समाज में अंतरद्वंद को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसकी भनक प्रत्येक इंसान को नहीं जो पाती, वे इसकी सत्यता की बिना जाँच किये किसी भी फोटो, पोस्ट, विडियो का हस्तान्तरण आसानी से कर देते हैं। स्वाभाविक है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण समाज में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी। फलस्वरूप कोई व्यक्ति क्रोधित या आक्रामक होगा तो वह अपनी क्रोध अथवा आक्रामकता का प्रदर्शन किस प्रकार करेगा, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

शब्द कुंजी – मानसिक रोगी, मानसिक चिकित्सा, संवेगात्मक परिपक्वता, भय-क्रोध और ईर्ष्या, नियंत्रण, अंतर्द्वंद, आक्रामकता, प्रदर्शन, असमंजस।

प्रस्तावना – अपने सामान्य अर्थों में शिक्षा सीखने का एक रूप है जिसमें ज्ञान, कौशल, मूल्य, मान्यताओं और लोगों के एक समूह की आदतों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानान्तरित करती है। आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक शैक्षिक तकनीक की सहायता से शिक्षा औपचारिक या अनौपचारिक रूप ले सकता है।

सुकरात के शब्दों में “शिक्षा का मतलब सार्वभौतिक वैद्यता के विचारों से बाहर लाना है जो हर आदमी के मन में अव्यक्त है।”

शिक्षा का स्वरूप साकारात्मक एवं नाकारात्मक दोनों हो सकती है।

साकारात्मक शिक्षा :- मैं साकारात्मक शिक्षा वैसी शिक्षा को कहूँगा जो मन से होता है और जो बच्चों को कर्तव्यों और उत्तरेदायित्वों से अवगत कराता है।

नाकारात्मक शिक्षा :- मैं नाकारात्मक शिक्षा वैसी शिक्षा को कहूँगा जो अंगों को सही करने के लिए ज्ञान के सीधे साधन होते हैं और जो अर्थ के उचित अभ्यास के कारण रास्ता तैयार करने का प्रयास करते हैं। एक नाकारात्मक शिक्षा गुण नहीं देती है।

“एक मीठी गंध के साथ एक फूल को विकसित होना चाहिए।”

वहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षक को फूल रूपी छात्रों में ज्ञान रूपी गंध डालने का सफल प्रयास किया जाना चाहिए जिससे फूल की खूबसूरती में चार चाँद लग जाए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बदलते विश्व समाज की मांग के अनुसार आधुनिक समाज में शिक्षक की भूमिका में भी उचित बदलाव आना चाहिए।

“मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन मेरे शिक्षक ने मुझे जीवन दिया है।”

–सिकन्दर महान

“खुद वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।”

–महात्मा गाँधी

शिक्षा मानव के गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया है। इसके द्वारा मानव की अंतर्निहित योग्यताओं को विकसित करके समाज सम्मत बनाया जाता है। कुछ एक प्रश्न उठते हैं, क्या बालक को कुछ भी है उसी रूप में विकसित किया जाना चाहिए या उसे हजारों बातों की सांस्कृतिक सामाजिक विरासत के मानदण्ड के अनुसार विकसित कर स्वस्थ समाज की रचना में योग देना चाहिए। इसका सीधा सा उत्तर है– व्यक्ति तथा समाज दोनों सापेक्ष हैं। एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना इनका अस्तित्व नहीं है।

एक राष्ट्र अथवा समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन मानव है। कोई भी राष्ट्र उन्नति के पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है, जब उस राष्ट्र के प्रत्येक मानव को यह सुविधा प्राप्त हो कि वह स्वतंत्रता पूर्वक उतना विकास कर सके जितना कि उसमें क्षमता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियाँ होती हैं, जब इन शक्तियों को फलने-फूलने के अवसर मिलते हैं, तो उनका विकसित होती है। जिस प्रकार वट-वृक्ष का सार विकास लघु रूप से छिपा रहता है। प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत भिन्नता होने के कारण विकास की क्षमताएँ अलग-अलग होती हैं। इन क्षमताओं को संगठित के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र में शिक्षा का व्यापक प्रसार हो। प्रत्येक समय विद्यालय और अभिभावक अपने बालकों के व्यक्तित्व विकास की समीक्षा करता हो।

अर्थ :- शिक्षा के ही द्वारा समाज अपनी संस्कृति की रक्षा करता है और सभ्यता के रथ को आगे बढ़ाता है। जीवन की उत्कृष्टता शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। बालक की व्यक्तित्व प्रगति उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास तब तक भली प्रकार नहीं हो पाता जब तक वह शिक्षा न ग्रहण करे।

समाज में सुख-समृद्धि लाने का कार्य भी शिक्षा ही करता है।

शिक्षा की कुछ परिभाषाएँ

1. **स्वीन्डनाथ टैगोर के अनुसार** - “उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन् हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है।”

2. **विवेकानन्द के अनुसार** - “मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता: को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।”

3. **महात्मा गाँधी के अनुसार** - “शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर मन तथा आत्मा में अन्तर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है।”

शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य- वर्तमान शिक्षा के बाल-केन्द्रित होने के कारण बालकों का सर्वांगीण विकास ही वर्तमान शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालकों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को उचित दिशा में पूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान किया जाता है। शिक्षा के इस उद्देश्य की पूर्ति में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान (Mental Health Science) की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जब तक प्रबन्धन, प्राचार्य तथा शिक्षक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ न हो तब तक कवे सर्वांगीण विकास के लिए उचित दिशा में अभिप्रेरित करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिये शिक्षकों व छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है।

मानसिक स्वास्थ्य

अर्थ :- मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ ‘पहला सुख निरोगी काया एवं न स्वस्थ तो मन स्वस्थ’ अर्थात् शरीर सुख ही सबसे बड़ा सुख है और शरीर के स्वास्थ्य रहने पर मन भी स्वास्थ्य तथा मस्तिष्क के स्वास्थ्य रहने को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं।

उदाहरण :- मन के अस्वस्थ रहने पर मन खिन्नाता रहेगा, मन की स्थिरता काम के प्रति रुचि कम कर देगी तथा रुचि का अभाव बेकारी या उदासीनता पैदा करेगा और चूँकि आलस या उदासीनता शारीरिक है, अतः अंत में स्पष्ट दिखाई दे जायेगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर तथा मन का आपस में गहरा संबंध है। मन अमूर्त हो सकता है। अतः हमारी शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को प्रभावित करती है।

मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा

हैडफिल्ड के अनुसार :- “सम्पूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं सन्तुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं।”

कुप्पुस्वामी के अनुसार :- “मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ दैनिक जीवन में मानव इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं एवं आदतों से सन्तुलन बनाये रखने की योजना है। इसका अर्थ जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने तथा उनको स्वीकार करने की योग्यता है।”

मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता :- हैडफिल्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है :-

1. **पूर्ण अभिव्यक्ति :-** मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए अर्थात् उसके मूल्य एवं अर्जित प्रवृत्तियों का दमन नहीं किया जाना चाहिए।
2. **संतुलन :-** मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति को किसी प्रकार को कोई मानसिक संघर्ष उत्पन्न न हो, जिससे उसमें किसी प्रकार की भावना ग्रंथि का जन्म हो सके।

बालकों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रकार:

1. सहनशीलता का अभाव
2. आत्मविश्वास का अभाव
3. सांवेगिक अस्थिरता
4. समायोजन शक्ति का अभाव
5. आत्म-सम्मान के ज्ञान का अभाव
6. आत्म-मूल्यांकन की क्षमता का अभाव
7. काल्पनिक दुनिया में विचरण
8. व्यवसाय से असंतुष्टि
9. निर्बल इच्छा शक्ति

मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक- बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जो निम्न हैं:-

1. मनोवैज्ञानिक कारक
2. बहु-कारक
3. वातावरणीय कारक
4. सामाजिक कारण
- क. घर में संबंध
- ख. विद्यालय में संबंध
- ग. समाज में संबंध

1. **मनोवैज्ञानिक कारक :-** मनोवैज्ञानिक कारणों में आत्म-मूल्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत यह देखने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यक्षीकरण व दृष्टिकोण को विकसित कैसे करते हैं? उनकी पसंद-नापसंद क्या है? वह अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति कितना सचेत रहता है? उसका सामाजिक अन्त क्रिया किस प्रकार की है?

2. **बहु-कारक सिद्धांत :-** मनोवैज्ञानिकों ने इसे छात्र के मानसिक परेशानियों का कारण बताया है। परन्तु कुछ मेधावी विद्यार्थियों का मानना है कि व्यक्ति तब परेशान होता है जब उस पर एक से ज्यादा तत्व हावी हो जाते हैं।

3. **वातावरणीय कारक :-** विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जब बालक किसी कारणवस स्कूल परिवर्तन करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है।

4. **आर्थिक कारण :-** आर्थिक कारण विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को परीक्षा रूप में प्रभावित करते हैं तथा किसी सीमा तक ये कारण हमारे मनोवैज्ञानिक कारण कारणों को भी प्रभावित करती है।

जैसे :- जब बालक बड़ा हो जाता है तो वह स्वयं सचेत हो जाता है।

5. **सामाजिक कारण :-** सामाजिक कारणों को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाता है।

क. घर

ख. विद्यालय

ग. समाज

विद्यालय के कार्यक्रमों में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव-

विद्यालय के कार्यक्रमों का छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।

1. परीक्षाओं तथा प्रतियोगिता का प्रभाव
2. अनुपयोगी पाठ्यक्रम
3. कक्षा में बालकों का आलोचना

4. शिक्षक का कक्षा में पढ़ने की विधि और छात्रों के प्रति व्यवहार
5. कक्षा पर शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव
6. शिक्षक का कक्षा में समस्याओं की चर्चा करना, तथा
7. कक्षा की समस्याओं के निवारण सम्बंधी उपचार।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. विद्यार्थियों में सोशल नेटवर्किंग के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. के छात्रों में उच्च सोशल नेटवर्किंग का उनके मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. के छात्रों में उच्च सोशल नेटवर्किंग का उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. के छात्रों में निम्न सोशल नेटवर्किंग का उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना।
6. छात्रों में निम्न सोशल नेटवर्किंग एवं उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना।
7. छात्रों में सोशल नेटवर्किंग का उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना।
8. छात्रों में सोशल नेटवर्किंग का उनके मानसिक स्वास्थ्य के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमन :

1. यह अध्ययन रामगढ़ जिले के स्नातक स्तर के स्नातक के विद्यार्थियों के अध्ययन तक सीमित है। प्रस्तुत अध्ययन में कुल 120 छात्र एवं छात्राओं का चयन किया गया है।
2. प्रस्तुत माध्यम में 60 छात्र एवं 60 छात्राओं तक ही सीमित किया है। जो कि इस शोध अध्ययन में मानसिक स्वास्थ्य एवं सोशल नेटवर्किंग तक लिया गया है।
3. यह अध्ययन केवल स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं पर ही किया गया है। जिनकी आयु 18 से 22 वर्ष तक सीमित है।

निष्कर्ष - किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में सबसे अच्छी पुस्तक किसी इंसान का चेहरा है। यहाँ इंसान का मतलब तो आप सभी बखूबी समझते होंगे। एक व्यक्ति जो छल-प्रपंच करनेवाला है और दूसरा वह जो इन छल प्रपंच को सहता है या उसे देखकर एवं सुनकर नजरअंदाज करता है। प्राचीन काल से ही मानव और दानव शब्दों को हमलोग सुनते आ रहे हैं पर वर्तमान में बुराई की संख्या इतनी बढ़ी और सोशल मीडिया ने जिस तरह से तकनीकों का सदुपयोग कर समाजिक ढाँचे को मजबूती प्रदान करने की ओर प्रयत्नशील है, वह काबिले तारीफ है। आज हमलोग Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram के यूजर हैं। हमारी एक्टिविटी इन नेटवर्किंग साइटों पर एक पुस्तक का रूप ले रही है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जहाँ लोग अधिक समय सोशल नेटवर्किंग साइट पर बिता रहे हैं और अपने बुद्धि-विवेक के अनुसार अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं सभी लोग चाहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। इस जगह पर लोगों का चाहना 'पसंद' है यानी 'पसंद' के लिए वे किसी भी पोस्ट को शेयर अथवा लाइक पोस्ट कर देते हैं और समाज में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। अच्छी पुस्तक किसी इंसान के चेहरे को कहने का मतलब स्पष्ट है कि आप कौन हो और कैसे हो? यह कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं बता सकता बल्कि आप और हम

खुद ही बता सकते हैं और इसलिए भी कहा गया है :-

"दूसरो की जय से पहले खुद की जय करें।"

अर्थात् दूसरो के दामन में झाँककर देखने से पहले अपने दामन में झाँककर देखना चाहिए। और इसलिए भी महात्मा गाँधीजी ने कहे हैं :-

"सच्ची दुर्बलता बाहरी नहीं है, अंदर की ही है।"

आपके चेहरे से अच्छी पुस्तक आपको दुनिया के किसी भी पुस्तकालय में नहीं मिलेगी। आपकी अच्छी सोच और समझ दुनिया से छल-प्रपंच को दूर करने में सक्षम है। वर्तमान में यह देखा जा रहा है हमलोग सत्य और अहिंसा के मार्ग से उपर उठकर मारने और काटने पर उतारू हैं। हमें विश्वपटल पर इस सोच को बढ़ावा देकर ईर्ष्या और तृष्णा शब्द को ही खत्म कर देना है, जिससे कि सामाजिक अवरोधों को समाप्त कर समाज में एक नयी उर्जा भरने का कार्य किया जाना चाहिए। इतिहास गवाह हैं कि हमें युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और न ही होनेवाला है, चाहे वह किसी भी प्रकार का युद्ध क्यों न हो मानव और मानवता दोनों ही इस सृष्टि की अद्भूत रचना हैं वर्तमान परिदृश्य में मानव अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपनी मानवता को ही भूल गया। मानव भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए दौड़ा जा रहा है, जिस दिन मानव थोड़ा रुककर मानवता को भी अपने साथ लेकर चलने लगेगा। उन दिन से मानवता को शर्मसार नहीं होना पड़ेगा।

सोशल नेटवर्किंग साइट जिस तरह से दुनिया में उथल-पुथल मचाने में अहम भूमिका निभा रही है, वह अंदरूनी कलह और क्लेश की भावना को बढ़ावा दे रही है। आज हम अपनी ही संवेदनाओं में संवेदनशील नहीं हैं, तो औरों का क्या विचार हो सकता है-इसका अंदाजा शायद सभी नहीं लगा सकते? चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को ख्याति प्राप्त है। लेकिन क्या कभी हम इस स्तंभ को मजबूत करने की ओर प्रयास करते हैं अथवा कितना सार्थक प्रयास करते हैं?

जरा सोचिए अगर हम अपने घर की देखभाल न करें तो क्या होगा? इसका सीधा सा उत्तर है घर कमजोर होकर गिर जाएगा अर्थात्, घर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा हम सभी के अंदर यह भावना आनी चाहिए कि सभी को एकमत होकर चलना है, तभी हमारे समाज और मानव जाति का अस्तित्व कायम रह सकेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो वह दिन दूर नहीं अब हमें यह जमीन भी नसीब नहीं होगा। हमारे चिथड़े उड़े होंगे आकाश में और कोई होनेवाला नहीं, कोई हँसनेवाला नहीं और न ही कोई गिल-शिकवे करनेवाला। न ही इंसान और न ही कोई भी जीव रहेगा। आखिर स्वार्थ की चिंता में इतना गिर गए हैं कि औरों की दुख और तकलीफ हमें दिखाई नहीं देता या दिखाई देने पर भी हमउ से नजरअंदाज करते हैं?

लोकतंत्र के स्तंभों को सही करने के लिए हमें स्वयं श्रेष्ठ समझने वाली बात को छोड़ देनी चाहिए और विश्वपटल पर एक होकर मानव सभ्यता को बचाने एवं विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज के समय में अगर आप गौर किए होंगे तो अधिकतर इंसान कोई भी Application को Download करता है तो उस Application को Active करने से पहले उसके Term and Condition को ठीक से पढ़ता भी नहीं है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें किसी भी विषय वस्तु का उपयोग करने से पहले कम से कम उसके Term and Condition को तो जरूर ही ध्यान पूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए आज कई युवा न चाहते हुए भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब अगर किसी देश के युवा बेवजह

पेशानी से जुड़ते रहें तो उस देश को विकास के पथ से भटकाने का प्रयास लोकतंत्र को तोड़ने की एक चाल हो सकती है। इसमें सबसे अहम भूमिक आज Android Mobile निभा रहा है, जिसे विभिन्न उम्र के लोगो द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, पर वह कितना हानिकारक अथवा लाभदायक है, उसकी भनक उन्हें नहीं लगती। वे उस Android Mobile अच्छाईयों से नहीं बल्कि बुराईयों से अधिक प्रभावित होते हैं और युवा इसे ग्रसित होते जा रहे हैं। यह एक भयावह बीमारी है, जो भविष्य को और पेंचिदा बना देगी। बहुत सारे अनुसंधानों में पाया गया Social Media समाज में कि हद तक नकारात्मकता को बढ़ावा दे सकता है या बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

हम सभी ने यह जरूर पढ़ा होगा की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यहाँ इससे तो एक बात सामने निकल की आई कि हमें जरूरत पड़ी, हम लोगों ने सोचा, इसलिए तरह-तरह के भोग और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो पाये। लेकिन विज्ञान और तकनीकों का प्रयोग समाज में समरसता के लिए किया जाना चाहिए न कि उसे और पेंचिदा बनाने के लिए। आविष्कार कभी बुरा नहीं होता, उसका प्रयोग/उपयोग किस कदर किया जा रहा है। यह बात बेहद चिंतनीय है। आज विज्ञान और तकनीक का ही परिणाम है कि हम सभी घर बैठे-बैठे दूर-दराज लोगों से संपर्क साध सकते हैं, Video Calling भी अब आसान हो गया है। हम सभी को इस तकनीकों का सदुपयोग कर आनेवाली चुनौतियों से खुद को निपटने के लिए तैयार करना चाहिए।

जब से 4 जी लॉच हुआ है तब से और भी अधिक लोग मोबाईल सेवाओं से जुड़े हैं। अब अगर यहां हम सभी अपनी जवाबदेही को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम बेहतर सेवा चाहते हैं पर उस सेवा के दौरान असंख्य गलतियाँ करते हैं, जिसका असर समाज पर पड़ रहा है लोग कुछ भी पोस्ट और कमेंट कर देते हैं, इसमें कही न कहीं व्यक्तित्व की आजादी जिम्मेवार है। व्यक्तित्व की आजादी नहीं थी तब हमारा जीवन कैसा था और जब व्यक्तित्व की आजादी है, तब हमारा समाज किस ओर जा रहा है? यह समीक्षा करने का विषय है। हमें आजादी का वास्तविक मतलब नहीं पता और होगा भी कैसे? हमलोग तो स्वतंत्र वातावरण में पैदा हुए हैं; उन्हें यह नहीं पता कि इस स्वतंत्रता की कितनी कीमत हमारे बुजुर्गों ने चुकाई है। आज के युवा स्वतंत्रता वातावरण में जन्म लेने के कारण अपनी आजादी का दुरुपयोग करते हैं और कही न कही समाज के कुछ बुद्धिजीवी इस Youth Power (युवा शक्ति) को गुमराह करने का व्यवस्थित तरीका अपनाकर अपना राजनैतिक परचम लहराने में समक्ष हैं। कुछ लोग पैसे के लालच अथवा अभाव में भी भटकाव की ओर अग्रसर हैं। सोशल मीडिया पर अधिकांश लोग अपनी बातें लिखते हैं और अपनी संवेदनाओं को जाहिर करते हैं। यह एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि बदलते सामाजिक परिवेश में बेरोजगारी के कारण लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पलायन हो रहा है। हमें उन सभी से जुड़े रहने का एक अच्छा माध्यम Social Media है। दूर रहकर भी पास होने का अहसास हमें Social Media ही कराता है।

कोई भी नियम या कानून लागू होता है, तो नकारात्मक स्वभाव के लोग ये समझने में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि इसको नजरअंदाज कैसे किया जाय या इससे कैसे बचा जाए? लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा कि कोई भी नियम या कानून हमारे समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भविष्य की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, जिससे आनेवाला समय

स्वस्थ और स्वच्छ हो। कुछ लोग कानून लागू होने के पहले से उसका तोड़ निकालने के प्रयास में लग जाते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, कि हम और आप आनेवाली पीढ़ी को क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए बेहद आवश्यक तत्व है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोगों का सोचना होता है कि मेरा जीवन अच्छे से कट रहा है, दूसरों का क्या है?

सोशल मीडिया और मीडिया के बारे में अध्ययन में यह पाया कि हमें सभी के प्रति सकारात्मक सोच रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गलती करनेवाले व्यक्तियों को आवश्यक हतोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन इस कदर भी नहीं कि वह उसकी निराशा में तब्दील हो जाए। हम और आप एक शिक्षक के तौर पर उसे आँख दिखाने और मारपीट करने के बेहतर प्यार की भाषा में समझा सकते हैं। अगर ऐसा है, तो सोचिए कि आपके और हमारे लिए वह कितनी गरिमा का विषय है? हमारे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे प्रयास से किसी का जीवन सुलझ गया और वह समाज के लिए बेहतर होगा। कल के बेहतर समाज की की कल्पना हम आज कल लें, तो हमें आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं होगी। हम सभी हमेशा खुशहाल रहेंगे। हम बेहतरी के लिए दुनिया के कोने-कोने में जाते हैं, कुछ लोग वित्तीय कारणों से नहीं जा पाते हैं, लेकिन उनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमें उन प्रतिभाओं को निरंतर ढूँढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो कि समाजिक स्थिरता और गतिशीलता दोनों को कायम रख सके।

जिस प्रकार हम प्रदूषण की समस्या से जुझ रहे हैं, उसी तरह हमें दिमागी प्रदूषण का भी इलाज करना सुनिश्चित करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. गुप्ता एस.पी. (2003) "सांख्यिकीय विधियाँ" शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद
2. भटनागर डॉ.आर.पी. (2004) "शिक्षा अनुसंधान" ईगल बुक्स इंटरनेशनल मेरठ।
3. कपिल.एच.के. (2004) "अनुसंधान विधियाँ" हरी प्रसाद भार्गव बुक हाउस आगरा।
4. डॉ. अस्थाना विपिन एवं अस्थाना श्वेता "मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन" विनोद पुस्तक मंदिर आगरा 2005.
5. डॉ. लाल रमन बिहारी एवं डॉ. जोगी सुरेशचन्द्र (2006) "शिक्षा मनोविज्ञान एवं पारंपरिक सांख्यिकीय" आर. लाल. बुक डिपो मेरठ।
6. डॉ. माधुर एस. एस. (2007) "शिक्षा मनोविज्ञान" विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2
7. डॉ. भार्गव महेश (2007) "आधुनिक मनोविज्ञान" परीक्षण एवं मापन, एच. पी. भार्गव बुक हाउस 4/230 कचहरी घाट आगरा।
8. पाण्डेय कल्पलता एवं एस.एस श्रीवास्तव "शिक्षा मनोविज्ञान" एवं भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण।
9. चौबे एस.पी : सामान्य मनोविज्ञान के मूल तत्व।
10. डॉ. पाठक पी.डी. शिक्षा और मनोविज्ञान।
11. विश और नागपाल (1970)- असफल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन।
12. Satish Suryawanshi (2004) "Scale Attitude of towards social networking Site" Sagar (MP)

कामकाजी महिलाएँ और कार्य जीवन संतुलन

नीलम खासकलम *

* वरिष्ठ व्याख्याता, एम.ओ.एम. इन्दिरा गांधी शायकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रत्येक समाज में महिलाओं की महती भूमिका है। महिलायें समाज की मुख्य धुरी हैं। माँ बहन, बेटी, पत्नी की भूमिका के साथ, वर्तमान में सहकर्म की भूमिका भी निभा रही है। पारिवारिक भूमिका के निर्वहन के साथ कार्यस्थल पर भी अपना किरदार बखूबी निभा रही है। आर्थिक परिस्थितियों एवं सामाजिक मांगों ने दुनिया का परिदृश्य परिवर्तित कर दिया। इस नवयुग में महिलाओं ने नवरूप में स्वयं को स्थापित किया है। घर, कार्यस्थल एवं सामाजिक मान्यताओं का परिपालन बड़ी कार्यकुशलता, सौम्यता व सहजता से निर्वहन कर रही है। इस भूमिका में जीवनरूपी तराजू के दोनों पलड़ों को संतुलित करने में प्रयासरत है। कामकाजी महिलाओं के समक्ष आने वाली कठिनाइयों और उनका निराकरण वह एक जादूगर की तरह करती हैं। आत्मानुशासन, संयम, व अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग कर कार्य जीवन संतुलन करने में प्रयासरत है।

प्रस्तावना – कार्य जीवन संतुलन (वर्क लाइफ बैलेंस) जीवन जीने के तरीके को परिभाषित करता है। यह कार्य और व्यक्तिगत जीवन का समुच्चय है। मनुष्य जीवन के कई पहलू हैं जो कि व्यक्तिगत जीवन के साथ कामकाजी जीवन से जुड़े हुए हैं। वर्क लाइफ के दो पहलू हैं- काम जो निजी जीवन में हस्तक्षेप करता है और निजी जीवन जो काम में हस्तक्षेप करता है। जीवन के इन्हीं बहुआयामी पहलुओं के बीच सामंजस्य ही कार्य जीवन संतुलन है। घर की चार दीवारी से निकल महिलाएँ सरकारी, गैर सरकारी, उद्यमी एवं अन्य सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। निःसंदेह सहजता से हर दिन विभिन्न किरदार निभाती महिलाएँ किसी भी समाज का स्तंभ हैं। 1970 के दशक में पश्चिमी देशों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में बढोत्तरी हुई। इससे घरों में पूर्णकालिक उपस्थिति कम होने से परिवार-समाज के स्तर पर संतुलन का अभाव दृष्टिगोचर होने लगा। दशक के अंत में पहली बार ब्रिटेन में 'नियोजित माता संगठन' द्वारा 'कार्यजीवन संतुलन' की व्यावहारिक उपयोगिता महसूस की गयी। उस समय कार्यस्थल और पारिवारिक जीवन के बीच महत्व का विवेचन किया गया।

व्यावसायिक संगठनों में मशीनीकरण के कारण प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी गयी। परिणामस्वरूप बचे कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ा जिससे 1977 से अमेरिका में कार्यस्थल पर कार्य के घंटों में लगातार बढोत्तरी हुई। 1986 में अमेरिका में पहली बार 'कार्य-जीवन संतुलन' व्यवहार में आया जिसके द्वारा यह व्याख्या करने का प्रयास हुआ कि किस प्रकार कार्य-सम्बद्ध प्राथमिकताओं के कारण लोग असम्यक जीवन शैली अपनाने लगे हैं। जिसने निजी अभिरुचि, परिवार, समाज और आध्यात्मिक विकास आदि का पीछे ढकेल दिया है। दूर-संचार साधनों में हुई प्रगति से जहाँ काम को सगुम होना था वहीं स्थिति विपरीत दिखाई दे रही है। मोबाइल और लैपटॉप से जुड़ी कार्यकारी महिला कार्यालय से वापसी यात्रा के दौरान कार्यालयीन कार्य करते हुए घर पहुंच कर भी उसी में व्यस्त हो जाती हैं। कार्य अब किसी भी समय और किसी भी स्थान पर पूरा किया जा सकता है।

वर्तमान में बढ़िया मजदूरी, सुविधा जनक कार्य के घंटे तथा स्वास्थ्यप्रद कार्य दशाओं का महत्व बढ़ गया है। कार्य जीवन संतुलन अर्थात् किसी कार्य का पर्यावरण लोगों के लिए कितना अनुकूल एवं कितना प्रतिकूल है। जिसके बारे में जे. रिचर्ड एवं जे. लॉय के अनुसार, 'किसी कार्य संगठन के लोग किस सीमा तक अपनी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संगठन में अनुभव करते हैं।' कार्य जीवन संतुलन में कार्यरत संगठन, स्थल, उसका कार्य वातावरण, नियोजित सहकर्म, पारिवारिक परिवेश, पारिवारिक सदस्य व स्वयं शामिल होते हैं। इन्हीं के बीच बेहतर संतुलन से क्षमताओं का सही व उचित विद्वहन होता है।

वर्कलाइफ बैलेंस को प्रभावित करने वाले घटक

1. पर्याप्त व न्यायपूर्ण मजदूरी:- सभी कर्मचारियों को पर्याप्त व न्यायपूर्ण मजदूरी दी जानी चाहिए। महिला व पुरुष का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी चाहे महिला हो या पुरुष इस सकारात्मक माहौल में अपनी पूर्ण दक्षता से कार्य करेंगे।

2. सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद कार्य दशाएँ:- संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उन्हें सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद कार्यदशाएँ उपलब्ध कराना चाहिए। वर्तमान में ऐसी कार्यदशाएँ कानूनी रूप से अनिवार्य हो गई हैं। उत्पादक द्वारा स्वयंमेव ही उत्तम कार्यदशाएँ उपलब्ध कराने से महिला कर्मचारी का मनोबल ऊँचा हो जाता है।

3. मानवीय क्षमताओं का अधिकतम उपयोग एवं विकास के अवसर:- किसी भी संगठन में ऐसी नीतियों का विकास किया जाना चाहिए जिससे मानव क्षमताओं का श्रेष्ठतम उपयोग किया जा सके। संगठन में कार्यरत महिलाओं के क्षमतानुरूप कार्य एवं विकास के अवसर उपलब्ध होने से उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है जिससे वे दुगुनी कार्यक्षमता व स्वप्रेरणा से कार्य करने में सक्षम होती हैं।

4. वृत्ति विकास के अवसर:- संगठन में कार्यरत महिलाओं की क्षमताओं, ज्ञान एवं योग्यताओं के आधार पर भविष्य में वृद्धि के अवसर

प्रदान किया जाने चाहिए। वेतन या वृत्ति विकास से मनोबल में वृद्धि होती है।

5. कार्मिकों में सामाजिक एकीकरण:- संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारियों में सामाजिक एकीकरण की भावना का विकास किया जाना चाहिए। वर्गभेद व लिंगभेद के रूढ़िवादी विचार को कर्मचारियों के मन में नहीं आने देने चाहिए जिससे स्वयं उत्साहित होकर कार्य करते हैं।

6. कार्य संगठन की संवैधानिकता:- संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिए जिससे वे अपनी इच्छाओं की संतुष्टि कर सकें। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए ताकि प्रबंध की प्रत्येक क्रियाओं को चुनौती दी जा सके। महिला कर्मचारियों को गोपनीयता, बोलने की आजादी तथा समता को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

7. कार्य एवं जीवन किस्म:- कार्य एवं जीवन किस्म कार्य, अकार्य और पारिवारिक पहलुओं में संतुलित सम्बन्धों का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में किसी तरह का तनाव कार्य के घंटे, असुविधाजनक कार्य के घंटे, व्यावसायिक तनाव, स्थानान्तरण तथा छुट्टियों आदि द्वारा तनाव नहीं होना चाहिए।

8. कार्य की सामाजिक प्रासंगिकता:- संगठन के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य की सामाजिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। यदि किसी कार्य की सामाजिक प्रासंगिकता होगी तो संगठन में कार्य करने वाली महिला कर्मचारी अधिक उत्साह एवं जोश से उस कार्य को सम्पन्न करेंगी।

कार्य जीवन किस्म के प्रमुख मुद्दे:- जहाँ कर्मचारी संघ कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दिलाने का श्रेय लेती है, वही प्रबंध उनको बेहतर तनख्वाह, लाभ तथा सुविधाएं दिलाने का श्रेय लेता है। कार्य जीवन किस्म के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं-

1. रोजगार में वेतन एवं स्थायित्व:- अच्छा वेतन कर्मचारी संतुष्टि के अन्य तत्वों को महत्वहीन कर देता है। वेतन प्रदान करने के विभिन्न विकल्पों में जीवन निर्वाह की लागत, आयकर के स्तर एवं दर में वृद्धि तथा व्यावसायिक दर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भारत में रोजगार में स्थायित्व बहुत अधिक पाया जाता है। यद्यपि मानव संसाधन विकास के लिए भी यह आवश्यक है कि महिला कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व हो।

2. पेशेवर दबाव:- दबाव किसी व्यक्ति की भावनाओं, विचारों, प्रक्रिया तथा दैनिक स्थिति में तनाव की स्थिति होती है। यह दबाव कार्य की प्रकृति, कार्य की दशाओं, कार्य के घंटे, कार्य प्रक्रिया में रुकावट, कर्मचारी की योग्यता तथा कार्य की आवश्यकताओं से उनके मिलान के कारण होती है। दबाव मुख्यतः अविवेकीकरण उत्तेजना, निराशा, अस्थिर व्यवहार, टीम निर्माण, शारीरिक कमजोरी एवं मानसिक स्थिति के कारण होता है। यह उत्पादकता को बुरी तरह प्रभावित करता है। अतः महिला कर्मचारियों में इस प्रकार की समस्या को पहचान कर उसका निदान अत्यन्त आवश्यक होता है।

3. शिकायत प्रक्रिया:- यदि संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायत को सही एवं उचित तरीके से दूर किया जाता है, तो वे संगठन के प्रति अधिक लगाव रखती हैं। वे अपने कार्य को अच्छी तरह सम्पादित करती हैं, जिससे कार्य जीवन किस्म को बेहतर किया जा सकता है। वर्तमान में महिला कर्मचारियों के लिए संरक्षणों के प्रावधानों से कार्य जीवन संतुलन में सुविधा हुई है।

4. संसाधनों की पर्याप्तता:- संगठनों के अंदर महिला कर्मचारियों के लिए इतने संसाधन मौजूद होने चाहिए जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से

की जा सके। इससे महिला कर्मचारियों में संतुष्टि का भाव जाग्रत होता है तथा कार्य जीवन संतुलन को उन्नत बनाया जा सकता है।

5. पदोन्नति में वरिष्ठता एवं योग्यता:- सामान्यतः क्रियात्मक स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर तथा प्रबन्धन स्तर के लोगों को वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाती है। पदोन्नति की नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ स्पष्ट एवं न्यायपूर्ण होनी चाहिए जिससे कार्य जीवन संतुलन उच्च स्तर का सुनिश्चित किया जा सके।

6. रोजगार में स्थायित्व:- अस्थायी रूप से कार्यरत महिला कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना पायी जाती है जबकि स्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों के अन्दर सुरक्षा की भावना पायी जाती है इस सुरक्षित भावना के कारण कार्य जीवन संतुलन बेहतर होता है।

संगठनात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम:- संगठनात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का उद्देश्य महिला कर्मचारियों की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित करने के साथ स्वस्थ रहना और उसको बेहतर बनाना होता है इन कार्यक्रमों में शारीरिक सुरक्षा, मानसिक तनाव, परिवार नियोजन आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किए जाने के कारण अनुपस्थिति, अयोग्यता, अस्पताल के भर्ती, अत्यधिक कार्य का भार तथा समय पूर्ण मृत्यु को कम किया जाता सकता है।

8. पहचान:- किसी भी महिला कर्मचारी को एक मानव के रूप में पहचाने जाने के कारण कार्य जीवन संतुलन में सुधार होता है। भागीदारी प्रबन्धन, सम्मानित एवं पुरस्कृत करने, महिला कर्मचारियों को उनकी उपलब्धि की प्रशंसा करने, कार्य संवर्धन, कार्य में प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति प्रदान करना, कार्य की बेहतर स्थितियाँ, क्लब अथवा संगठनों की सदस्यता, वाहन प्रदान करना, छुट्टियों में घूमने की सुविधा जैसे कार्यों से महिला कर्मचारियों की पहचान में वृद्धि होती है जिससे कार्य जीवन किस्म उन्नत होता है।

9. भागीदारी प्रबन्धन और कार्य पर नियंत्रण:- कर्मचारी संघ तथा कर्मचारी मानते हैं कि प्रबंध में भागीदारी तथा निर्णय लेने में की भागीदारी कार्य जीवन संतुलन को उन्नत बनाती है। महिला कर्मचारी भी महसूस करती हैं कि यदि उन्हें रचनात्मक एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए तो वे अपने कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर तथा अपने कौशल के उपायों से कार्य में वास्तविक रूप से अधिक सहयोग कर सकती हैं।

10. अनुकूल कार्मिक एवं परिवेक्षण संबंध:- सौहार्दपूर्ण महिला कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक संबंध महिला कर्मचारी के अन्दर संगठन के प्रति वफादारी, समाज से लगाव तथा कार्य परिणामों में उपलब्धि को पैदा करता है जिससे कार्य जीवन संतुलन उन्नत होता है।

निष्कर्ष:- वैचारिक रूप से काम और परिवार के बीच संवर्धन द्वि-दिशात्मक है। यह कार्य पारिवारिक संवर्धन और परिवार कार्य-संवर्धन के रूप में दिखाई देता है। कार्य पारिवारिक संवर्धन तब होता है, जब काम में शामिल होने से कौशल व्यवहार या सकारात्मक मनोदशा मिलती है जो पारिवारिक जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है। परिवार कार्य-संवर्धन तब होता है जब परिवार के क्षेत्र में शामिल होने के परिणाम स्वरूप सकारात्मक मनोदशा, सफलता अथवा समर्थन की भावना उत्पन्न होती है जो काम पर समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करती है। अत्यधिक आत्मविश्वास की अनुभूति से काम में अधिक उत्पादकता होती है। कार्य पारिवारिक संवर्धन में व्यक्तित्व लक्षण जैसे बहिर्मुखता और अनुभव सकारात्मक रूप से संबंधित है। सकारात्मकता स्वयं, परिवार व समाज को

उन्नति के शिखर पर आरुढ़ करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. 'सिद्धान्तों में विकास और कार्य परिवार के उपाय', के. एम. लवासानी और पी. मोवाहडी, 2014.
2. 'कामकाजी माताओं के औपचारिक कार्य स्थल सामाजिक नेटवर्क के लिए सैद्धान्तिक नींव का एक अन्वेषण', जेनीफर शुल्स, जीन हिम्बी, 2010 जर्नल ऑफ बिजनेस एण्ड इकोनॉमिक्स रिसर्च,
3. 'कार्य पारिवारिक संतुलन साहित्य की समीक्षा और विस्तार', जे. एच. ब्रीनहॉस और टी. डी. एलन, 2011.
4. 'प्रभावी कार्य/जीवन रणनीतियाँ कामकाजी जोड़ें काम करने की स्थिति, लिंग और जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समस्याएँ', पी. मोएन और वाई. यू 2000.

मानवीय मूल्यों के संवर्धन में सत्य साईं भजनों की आवश्यकता शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सन्दर्भ में

विवेक कर्महे*

* शोधार्थी (संगीत गायन) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मनुष्य जीवन कई पुण्यों के परिणाम – स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। भारतीय शिक्षा व संस्कृति के अंतर्गत एक मनुष्य अच्छा मनुष्य (मानव) बने, एक नागरिक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देशभक्त कहलाता है। यद्यपि प्रकृति से ही सारे गुण व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं जिनका विकास अनुकूल परिवेश और पर्यावरण में ही संभव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य यह छः शत्रु मानव पर हावी होकर उसे दानव की ओर प्रवृत्त कर देते हैं। ये छः शत्रु दुर्गुणों की ओर ले जाकर उसका पतन कर देते हैं। वर्तमान में अत्यावश्यकता यह नहीं है कि नई सामाजिक व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था धर्मों में बदलाव किया जाए बल्कि जीवन मूल्यों की सही समझ होना सबसे महत्वपूर्ण है। इसे मूल उद्देश्य मानकर श्री सत्य साईं ने कहा है – कि बाल विकास में बाल का अर्थ बच्चे और विकास का अर्थ सुधार यानी बच्चे की चेतना का सुधार।

बाल मन में भक्ति का प्रवाह करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बाल विकास हैं बाल विकास ऐसा प्रवेश द्वार हैं जो मूल्य शिक्षा प्रदान करता है श्री सत्य साईं भजन भक्ति व साधना है। प्रेम भाव से गुणगान करना भक्ति गीत है। भक्ति उन सबके लिए एक साधना है जो इस में भाग लेते हैं भक्ति संगीत सीधे हृदय में सृजित होता है होठों या जीभ से नहीं। यहां आंतरिक स्वतः स्फूर्त आनंद विभोरता है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रशंसा व सराहना की परवाह नहीं की जाती। इस हेतु स्थिरता संत चरित्र निर्भयता समर्पण और अहम रहित होना है इसको कैसे बढ़ाया जाए ताकि भक्ति का विस्तार होकर बालपन से ही मानवीय मूल्यों की नींव सुदृढ़ हो सके श्री सत्य साईं संगठन के अंतर्गत एक विधि प्रदान की गई है। आध्यात्मिक पोषण की एक समय सारणी बनाओ ठीक उसी प्रकार जैसे शारीरिक पोषण के लिए जप व ध्यान का नाश्ता, पूजा का दोपहर का भोजन, धर्म ग्रंथ पढ़ने की शाम की चाय तथा भजनों का रात का हल्का भोजन यदि तुम यह समय सारणी अपना लो तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी और सुबह तरोताजा उठोगे।

भजन गायन से क्या लाभ है भजन गायन से अनेकों लाभ हैं भजन गायन को एक विधि एक ढंग एक तरीका माना जाता है जिसके द्वारा हमारे मस्तिष्क को अनंत मूल्यों तक विकसित किया जा सकता है भक्ति संगीत सत्य का अनुभव करने की इच्छा जागृत करता है भगवान के वैभव को प्रत्यक्ष कराता है। भजन गायन मानव को अपने अंदर और गहरा खोजने को प्रेरित करता है ताकि वह अपनी वास्तविकता के अनुसार रह सके और

जब इस खोज की इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो मार्ग सहज हो जाता है व्यक्ति को केवल यह स्मरण करवाना शेष रह जाता है कि वह स्वयं दिव्य है।

एक स्थान पर श्री सत्य साईं कहते हैं याद रखो भगवान की प्रशंसा में गाया गया हर गायन एक तलवार की तरह आलस्य की गांठों को काट देता है। यह एक उत्तम समाज सेवा है, जो सब को भगवान के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाती है जो सदा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं।

शोधार्थी होने के नाते मेरे मन में कुछ प्रश्न उभर कर आते हैं जैसे – व्यक्ति किस आयु से भजन गायन प्रारंभ करें? क्या 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष की आयु से भजन गायन प्रारंभ करें? मेरे प्रश्न का समाधान सत्य साईं बाल विकास गुरु डॉ. अपर्णा तिवारी के साक्षात्कार के द्वारा प्राप्त हुआ कि भजन गायन बचपन से ही प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए जिसे निरंतर रखा जाना चाहिए वृद्धावस्था तक स्थगित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मस्तिष्क का भोजन है।

सामूहिक भक्ति गान क्या है? और क्यों किया जावे? – सहज ही यह प्रश्न भी उभर कर आता है कि भक्ति गान अर्थात् भजन एक प्रकार से हमारी आंतरिक तरंग है लेकिन सामूहिक भक्ति गान क्या है और क्यों किया जाए? एक स्थान पर श्री सत्य साईं कहते हैं कि (यह उनका परामर्श भी है) भगवान के वैभव को उंची आवाज में गायन करो तथा वातावरण को दिव्य अनुराग से भर दो इसी कारण मैं भगवान के सामूहिक गायन पर बल देता हूँ। मान लो कि भजन से उत्तम कुछ नहीं है। यह कितना आनंददायक है। जब अनेकों आवाज एक साथ भगवान का नाम लेती है तब एकत्व का कैसा अनुभव होता है इससे निकलने वाला प्रकंपन हृदय को प्रकंपित कर देता है।

सामूहिक गायन से प्रकंपन की लहरें मिलती हैं। यह लहरे वातावरण में जाकर प्रदूषित वायु की शुद्धि करती है। आज का वातावरण कई प्रकार के खराब विचारों और भावनाओं से प्रदूषित है जब तुम सामूहिक गायन के माध्यम से भगवान का गुणगान करते हो तो वातावरण के खराब जीवाणु समाप्त हो जाते हैं तथा मानव एंटीबायोटिक के द्वारा उपचारित होकर उनकी शुद्धि हो जाती है। जब सामूहिक रूप से एक सी भक्ति पूर्ण भावनाओं के साथ ताली बजाते हुए गाते हो तो तुम आनंद से परिपूर्ण हो जाते हो। लय व ताल के समन्वय के साथ गायन कानो को आनंद देता है। प्रेम सहित भगवान का नाम हृदय और आत्मा से गाओ।

भजन किस भाषा में गाया जाए?

मेरे मन में आए इस प्रश्न का उत्तर कि भजन किस भाषा में गाया जाए?

साक्षात्कार के दौरान मेरे गुरु से इस प्रश्न पर लंबी और विस्तृत चर्चा हुई। जिसका सार यह है कि वास्तव में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि, किस भाषा में गाया जा रहा है केवल हृदय से तथा भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा व मन से किया जा रहा हो पर कंपन केवल मन से आता है।

परिवार के सदस्यों के साथ भजन क्यों करें ?

पारिवारिक भजन को सत्य साई संगठन की आचार संहिता के एक बिंदु के रूप में रखा गया है। एक साधारण व्यक्ति के मन में भी यह प्रश्न उठता है कि पारिवारिक भजन ही क्यों? मेरे अभिभावक, गुरु एवं वरिष्ठ जनों से साक्षात्कार के दौरान इस प्रश्न पर कई तर्क दिए गए।

मानव परिवार में जन्म लेता है और पारिवारिक वातावरण में जो कुछ सीखता है उसे स्वयं में आत्मसात करता जाता है। परिवार के प्रारंभिक वातावरण का बच्चे के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार को सामाजिक सुधार तथा आध्यात्मिक बोध की आधारशिला रखनी चाहिए। बिना दृढ़ पारिवारिक आधारशिला के बाह्य जगत का और आध्यात्मिक रूप से विकास संभव नहीं है। यदि परिवार के सभी सदस्यों का एक ही ध्येय होता है तथा वे पूर्ण सहयोग से कार्य करते रहते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट कम ही आएगी। इस प्रकार का आदर्श परिवार एक दोष रहित शिक्षा केंद्र बन जाता है। जहां हर सदस्य सुखी जीवन जीना सीखता है परंतु, जब तक एक परिवार एक साथ कुछ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं करते तब तक इस प्रकार का आदर्श परिवार असंभव है। एक साथ गाने से व्यक्ति एक दूसरे के साथ ताल में आने लगते हैं वह समूह समन्वय लाने का प्रयास करता है धीरे-धीरे परिवार के सदस्य समन्वित होते जाएंगे।

भजन सप्ताह में एक बार क्यों ?

श्री सत्य साई संगठन की आचार संहिता में परिवार को मिलकर सप्ताह में एक बार भजन अवश्य करना चाहिए। यहां पर मेरे मन में प्रश्न कौंधता रहा कि सप्ताह में एक ही बार भजन क्यों? साक्षात्कार के दौरान मैंने पाया कि केवल नियमित व अनुशासित पारिवारिक सानिध्य तो परिवार को मिलकर कम से कम सप्ताह में एक बार भजन अवश्य करना चाहिए।

घर से ही क्यों प्रारंभ करें?

भजन का प्रारंभ घर पर ही अर्थात् परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर ही प्रारंभ किए जाने पर अधिक बल दिया गया है 'मनसा वाचा कर्मणा' की एकता आपसी तालमेल पारिवारिक शुद्ध वातावरण इत्यादि की आवश्यकता हेतु घर से ही भजन प्रारंभ किए जाना चाहिए जब घर में सामंजस्य है तो देश व्यवस्थित होगा जब देश व्यवस्थित होगा तो विश्व शांति होगी। जब परिवार के विचारों में समन्वय हो जाता है तो कर्मों में भी समझ में आ जाता है यहां आज के परिवेश अति अति आवश्यक भी है।

भजन विचारों को किस प्रकार को संगत करता है?

भजन के माध्यम से मूल्यों का संवर्धन व्यक्ति में परिपूर्णता स्थापित करता है। मेरे मन में यह तर्क कि व्यक्ति के मन में उठने वाले विचार भजन की दिव्य तरंगों से वातावरण के प्रभाव से कैसे सुसंगत कर सकता है जबलपुर के वरिष्ठ भक्त आदरणीय उपाध्याय जी का मानना है कि भजन गायन से ध्यान व एकाग्रता आती है जब भगवान के प्रति विचार बनता होगी तो विचार शुद्ध होंगी यदि विचार शुद्ध है तो वाडीवर कर बता शुद्ध हो जाएंगे व्यक्ति पूर्णतया शुद्ध हो जाएगा।

श्री सत्य साई ने भी कहा है जब भी हृदय में धर्म तथा सच्चरित्र था रहेगी तो उत्तम गुण विकसित हो जाते हैं उत्तम गुणों से सच्चरित्रता आती है। व्यवस्था

तथा अनुशासन से विश्व शांति मिल जाती है अतः शांति व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करती है।

जब व्यक्ति में विचार वाणी कार्य की सुसंगतता या एकता आती है तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तब यह शुद्धि का प्रयास अतिरिक्त समूह संगीत संकीर्तन द्वारा समूह या समाज तक ले जाया जा सकता है। यहां तक और तर्क उभरकर आता है कि कीर्तन व संकीर्तन में अंतर पाया जाता है? कीर्तन व्यक्ति रूप से स्वयं द्वारा की गई प्रार्थना की पूर्ति हेतु किया जाता है। संकीर्तन संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए किया जाता है इसे सामाजिक भजन भी कहा जा सकता है। संकीर्तन अनेकता में एकता के दर्शन कराने का ध्येय रखता है जब सभी भाग लेने वाले एक स्वर में एक साथ गाते हैं तो उसे संकीर्तन कहा जाता है।

सांस्कृतिक सन्दर्भ में मानवीय मूल्यों का संवर्धन- 'मानव जाति की सेवा का अवसर परमेश्वर का प्रसाद समझो। पूर्ण कृतज्ञता से करो क्योंकि स्वयं परमेश्वर तुम्हारी उस सेवा को स्वीकार करते हैं- ग्रहण करते हैं।'

संस्कृति को जानने हेतु संगीत ही उसकी पहचान है फिर चाहे वह भारतीय संस्कृति हो या विदेशी संस्कृति। संगीत वह माध्यम है जिससे हम धर्म व अध्यात्म से जुड़ते हैं हर प्राणी संगीत से असीम आनंद को प्राप्त करता है केवल मानव ही नहीं वरन प्रत्येक प्राणी संगीत से आकर्षित होकर आनंद और परम शांति को प्राप्त करता है भारतीय शास्त्रीय संगीत इस परम सुख को प्राप्त करने की दिशा में श्रेष्ठ उदाहरण है। वेदों में भी संगीत की उपयोगिता वर्णित की गई है उदाहरण के लिए, देव गणों की स्तुति गान, नारद की वीणा, मां सरस्वती की वीणा, श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी का स्वर, विभिन्न देवताओं के शंख, डमरु यह सभी विभिन्न वाद्य भारतीय संगीत व संस्कृति की पहचान है उपरोक्त उदाहरणों से सिद्ध होता है कि भारतीय संगीत व संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं।

'बंसीधरा कन्हैया घनश्याम सुंदरा' यह भजन कृष्ण की मनमोहक बांसुरी की याद दिलाते हैं 'डम-डम-डम-डम डमरू बजे' यह भजन शिवजी के डमरू की याद दिलाते हैं। 'वीणा वादिनी सरस्वती मां' यह भजन मां सरस्वती की वीणा को याद दिलाते हैं।

मानव जीवन की प्रथम अवस्था में संस्कृति की जड़ों को स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है तभी हम सही अर्थों में मानव जीवन को विकसित कर सकते हैं। इस लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु भावपूर्ण संगीत और धर्म आचरण दोनों आवश्यक हैं। बाल्यावस्था अत्यंत उपयुक्त अवस्था है, जिसमें परिवार के वरिष्ठ जन बच्चों को संगीत के माध्यम से सदाचरण सिखाते हैं- उदाहरण के लिए लव कुश ने गुरुकुल में राम कथा गायन किया श्री कृष्ण जी ने संगीतमय रास को स्थान दिया। शोधार्थी होने के नाते सत्य साई भजनों के सांगीतिक अनुशीलन का प्रारंभ कहां से हुआ इस प्रश्न के समाधान हेतु हमें श्री सत्य साई का निर्देशन प्राप्त हुआ है कि बालक की छोटी उम्र से ही उसे नाद ब्रह्म ओमकार बोलने का अभ्यास कराया जाता है जिससे मन पवित्र होता है स्वर परिमार्जित होता है तत्पश्चात् उन्हें वेदों से उद्धृत संगीतमय पदों का गायन कराते हैं।

प्रातः कालीन प्रार्थना

कराबो वसते लक्ष्मी कर मधये सरस्वती

कर मूले तु गोविंदरू प्रभाते कर दर्शन।

पृथ्वी वंदना

समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले

विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्वमे ।

स्नान के समय

गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती ,

नमदि सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ।

इसी प्रकार सूर्य उपासना सायं काल में दीप की प्रार्थना रात्रि चयन करते समय क्षमा प्रार्थना इत्यादि प्रार्थनाओं को संगीतबद्धता प्राप्त होने से संस्कृति का पोषण होता है बाल मुख से सत्य साई भजनों की शुरुआत हो जाती है जब नाम संकीर्तन करते हैं तो इस अभ्यास से ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों और अवतारों से अवगत होते हैं विशेष बात यह है कि इन्हीं भजनों के माध्यम से उनकी जिज्ञासा वेद पुराण रामायण और गीता के ज्ञान की ओर प्रवृत्त होती है । विभिन्न संतों- आदि गुरु शंकराचार्य, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई विभिन्न संतों के भक्तिमय गीतों से पूर्ण परिचय प्राप्त होता है। यह हमारी संस्कृति के विकास में और उसकी स्थापना में पहला कदम है इसका परिणाम यह होगा कि किशोरावस्था में पदार्पण करते ही कर्तव्यनिष्ठ, सेवाभावी, संवेदनशील, अनुशासन प्रिय बनकर देश के श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण हो सकेगा।

बाल्यावस्था से युवावस्था में आकर अपने परिवार, मित्र जन एवं भावी पीढ़ी के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मेरी कल्पना में बुनियादी गुणों को आत्मसात कर भारतीय संस्कृति में उल्लेखित चारों आश्रम- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के अनुसार मानव जीवन सार्थकता को प्राप्त होगा । हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में त्यौहारों की श्रृंखला की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तो विभिन्न पर्व और त्योहार जैसे मकर संक्रांति, वसंतोत्सव, महाशिवरात्रि, होली, गणेश उत्सव, दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपावली इत्यादि त्योहारों को पूर्ण सांगीतिक वातावरण में उत्साह के साथ मनाया जाता है। ग्रामीण अंचलों में भी लोक कथाओं को लोकगीतों के माध्यम से मनाया जाता है विभिन्न त्योहारों पर सत्य साई भजनों का आयोजन किया जाता है। क्रिसमस ईद आदि त्योहारों पर सर्वधर्म भजनों के साथ कार्यक्रम संपन्न होते हैं जो पूरे उत्साह के साथ संपूर्ण विश्व में आयोजित किए जाते हैं। इन पर्वों के माध्यम से सामाजिक व सांस्कृतिक समरसता उत्पन्न होती है जो राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाती है ।

सत्य साई भजनों के साथ ही मूल्य गीत व देशभक्ति गीत भी संस्कृति के पोषण में सहायक होते हैं- जैसे राग बिलावल पर आधारित एक मूल्य गीत-

हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं

रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं ।

बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली

प्यारे -प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं ।

कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी

गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं ।

गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी

जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं ।

इसी प्रकार - सभी भाषाएं तेरे नाम सभी दुनिया ही तेरा धाम

मूल्य गीत राग भैरवी पर आधारित है ।

राग भैरवी पर आधारित,

‘ऐ मालिक तेरे बंदे हम’

राग केदार पर आधारित

‘हमको मन की शक्ति देना’

मूल्य गीत है।

राग भैरवी पर ही आधारित मूल्य गीत-

‘हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है।’

इसी प्रकार के अनेक मूल्य गीत हैं जो मनुष्य में प्रेम, आदर्श, देश-भक्ति, आत्मविश्वास, सर्वधर्म समन्वय के साथ संस्कृति का संरक्षण करते हैं। मूल्यों के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण कड़ी सत्य साई के सर्वधर्म भजनों की है जिनमें सांगीतिक चेतना भरपूर है सर्वधर्म भजनों का मूल उद्देश्य आपसी सौहार्द पूर्ण वातावरण निर्मित करना है । सभी धर्मों का मूल संदेश सभी के हृदय में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम एवं अहिंसा को स्थापित कर सच्चे मानव धर्म को आचरण में लाना है ।

सर्वधर्म भजनों के अंतर्गत राग बिलावल पर आधारित एक सर्वधर्म भजन-

राम हरे साई कृष्ण हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे

अल्लाह ईश्वर साई हरे नानक यीशु बुद्धहरे

जोराष्ट्र महावीर साई हरे सर्वधर्म प्रिय साई हरे ।

राग बिलावल पर ही आधारित सर्व धर्म भजन—

बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि

राग बिलावल में ही ‘गुरु नानक जी की जय जयकार’ सर्व धर्म भजन है ।

राग भैरवी में सर्वधर्म भजन —

मंदिर में तुम राम हो साई, मस्जिद में अल्लाह हो अकबर,

गुरुद्वारे में तू गुरु नानक, मंदिर में तुम साई साई ,

बोलो राम एक ही नाम —

प्रेम ईश्वर है ईश्वर प्रेम में

हर धड़कन में तू ही समा है

तू ही प्रेम है

राम, रहीम, कृष्ण, करीम

जोहराष्ट्र यीशु नानक

कोई भी नाम जप ले रे मनवा ।

ईश्वर एक है ।

इस प्रकार के भजन उपर्युक्त उद्देश्य को पूर्ण करते हैं । विशेष पर्व, त्यौहार , जयंती - नवरात्रि ,गुरु नानक जयंती , महावीर जयंती ,साई जन्मोत्सव के अंतर्गत नगर संकीर्तन (प्रभात फेरी) एवं पालकी यात्रा निकाली जाती है । जो हमारे पर्यावरण को पवित्र कर भक्तिमय बनाती है । ब्रह्म मुहूर्त में ताल राग के साथ गाए जाने वाले सत्य साई भजन उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं दिनांक 11-12 नवंबर को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में अखंड भजन होते हैं जो वैश्विक एकता का परिचायक है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. सन्मुख - श्री सत्य साई बाल विकास केन्द्रीय कार्यालय प्रशान्ती निलयम श्री सत्य साई सेवा संगठन म.प्र. एवं छ.ग।
2. सेवा - प्रकाशक श्री सत्य साई सेवा संगठन म.प्र. इन्दौर।
3. द आर्ट ऑफ जॉय फुल लिविंग- पृष्ठ 147
4. सत्य साई स्पीक्स पी 100 वाल्युम 16
5. सनातन सारथी मार्च 1988 पेज नम्बर 68
6. सनातन सारथी जनवरी 1995 पेज 26
7. श्री राम कथा रस वाहिनी।

8. श्री भागवत वाहिनी।
9. चिन्न कथा भाग 1 व 2

साक्षात्कार:-

1. डॉ. उषा व्यास वरिष्ठ बालविकास गुरु रतलाम।

2. डॉ. डी. आर. साघ वरिष्ठ साई डिवोटी खण्डवा।
3. श्री अरूण माण्डले वरिष्ठ भजन गायक इन्दौर।
4. डॉ. उषा नायर वरिष्ठ बाल विकास गुरु भोपाल।
5. डॉ. अपर्णा तिवारी राज्य शैक्षणिक प्रभारी जबलपुर।

प्रागैतिहासिक कला के विभिन्न युग

डॉ. निशा गुप्ता *

* एसोसिएट प्रोफेसर, जे०के०पी० पी०जी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय कला में यहाँ के मस्तिष्क और हस्तकौशल का सर्वोत्तम प्रमाण पाया जाता है। भारतीय कला की सामग्री वैसे ही समृद्ध है जैसी भारतीय साहित्य, धर्म और दर्शन की। भारतीय कला के वातायन द्वारा हम यहाँ के शिल्प, मूर्तियों, चित्रों और खिलौनों का साक्षात् दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और उनमें छिपी हुई मानसिक कल्पना एवं प्रतिभा से भी परिचित हो सकते हैं।

यद्यपि भारतीय कला विश्व कला के मंच पर अपना पद प्राप्त काफी देर से कर पायी, किन्तु अब उसका सौन्दर्य और अर्थ विद्वानों और रसिकों के मन में पूरी तरह बस गया है। भारतीय कला और वास्तु के सम्बन्ध में कई इतिहास ग्रन्थ पहले लिखे जा चुके हैं। फर्ग्युसन, स्मिथ, कुमार स्वामी और पारसी ब्राउन के लिखे हुए ग्रन्थ बहुगुण विशिष्ट हैं और आज भी उनका सम्मान है। किन्तु अधिकांश वर्णात्मक हैं और उनमें कला के अर्थों पर विचार प्रायः नहीं है। उनमें स्थापत्य और वस्तुशिल्प का विचार अलग-अलग किया गया है।

शब्द कुंजी – हस्तकौशल, ऐतिहासिक, लोकभाषा, पाषाण, जीवनदर्शन।

प्रस्तावना – मानव जीवन की भाँति कला के उदय का इतिहास भी बड़ा रहस्यमय, विराट और अज्ञात है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में अपनी आँखें खोली, उस समय से ही उसने अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने की कोशिश की और इसको फलीभूत करने हेतु उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारु बना सकें। यहीं से मनुष्य की ललित भावना जाग उठी और उसने अपनी मूक भावनाओं को अनपढ़ पथरों के यंत्रों तथा तूलिका से टेढ़ी-मेढ़ी रेखाकृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। आज आदिमानव की ये कला-कृतियाँ उसके जीवन को कोमलतम भावनाओं और संघर्षमय जीवन की सजीव झाकियाँ प्रस्तुत करती हैं। मानव ने इन चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा एवं प्रगति को अंकित किया है। साथ ही उसकी इस कलाभिरुचि पर अनूठा प्रकाश पड़ता है।

इन्हीं असंख्य चित्राकृतियों के अवशेषों के आधार पर चित्रकला की एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हुई है – किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठफलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लम्बाई, चौड़ाई, गोलाई तथा उँचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है।

वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह निश्चित हो पाया है कि पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य से हुआ। इसके शनैः शनैः ठण्डा होने पर कीट-पतंगे, मछलियों, जानवरों आदि का अविर्भाव हुआ और कालक्रम के चक्र से उसकी आकृति की बनावट में भी बदलाव व अन्तर आते रहे। मानव का आज जो रूप है वह वनमानुष का ही सुधरा रूप है। चित्रकला का भी विकास मनुष्य के विकास के साथ-साथ ही सम्भव हो पाया है।

प्रागैतिहासिक मानव ने किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया। इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं। इन्हीं के आधार पर जीव का यह विकासक्रम चार भागों में विभाजित

किया जा सकता है – (1) ऐजोईक युग, (2) पेलोजोईक युग, (3) मेसोजोईक युग, (4) सिनोजोईक युग।

(1) ऐजोईक युग – इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जैव ही था। यह जैव आज से लगभग एक अरब पचास करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ।

(2) पेलोजोईक युग – इस युग में जीव सर्वप्रथम अकशेरुकी (Invertebrates) प्राणियों जैसे सिलार, स्पंज, रेंगने वाले जीवधारियों, पक्षियों तथा विशालकाय वृक्षों और जंगलों के रूप में विकसित हुआ।

(3) मेसोजोईक युग – इस युग में कशेरुकी जीवों का विकास हुआ जिन्हें सरीसृप (Reptiles) कहते हैं।

(4) सिनोजोईक युग – इस युग में आज पाये जाने वाले जीवों का विकास हुआ। इसमें स्तनधारी जीव (Mammals) उत्पन्न हुए जिनमें वनमानुष भी था, जिसका बदला रूप आज के मानव जैसा है। मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 20,00,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। यही सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष और अन्तिम चरण माना जाता है।

प्रागैतिहासिक युग के मानव की कला के नमूने विश्व में बहुत जगह मिले हैं और भारत में भी वे अनेक स्थानों पर पाये गए हैं। उस कला के तिथिक्रम का निर्णय कुछ कठिन है, किन्तु उसकी निजी विशेषताओं के आधार पर उसका अलग ही अस्तित्व प्रतीत होता है जिससे उसे मानवीय कला की पहली सीढ़ी कह सकते हैं। प्रागैतिहासिक संस्कृति का मानव पाषाणयुगीन प्राणी था। हजारों वर्षों की लम्बी अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधानुसार कर सकते हैं।

1) पूर्व पाषाण काल या पुरातन प्रस्तर युग, 'मेगालिथिक एज' (Megolithic Age) (30,000 ई० पूर्व से 10,000 ई० पूर्व)

2) मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग, 'मेसोलिथिक एज' (Mesolithic Age) (10,000 ई० पूर्व से 10,000 ई० पूर्व)

3) उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग, 'नियोलिथिक एज' (Neolithic Age) (3,000 ई० पूर्व)

1) पूर्व पाषाण युग की कला - उस युग में मानव कन्दमूल फल के आधार से या आखेट से अपना निर्वाह करता था। इसके लिए वह पत्थर के बने हुए भोंडे और भौयरे औजारों से काम लेता था जो उन पशुओं के अस्थिपंजरों में मिले हैं, जो अब नामशेष हो गए हैं। इस युग के मानव को अपनी चतुर्दिक परिस्थिति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता था, फिर भी उसमें सोचने और करने की क्षमता थी जिससे वह अपने अनुकूल जीवन-विधि का निर्माण कर सका।

मद्रास, उड़ीसा, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के कई विशेष स्थान मिले हैं। मद्रास में चिंगलपुट जिले के आतिरमपक्कम नामक स्थान में बिना हथके पत्थर की वसूलियाँ हजारों की संख्या में पाई गई हैं। इसी प्रकार धाड़वाड़ में मलप्रभा नदी के किनारे ख्याद नामक स्थान में, हैदराबाद में पैठण के समीप मूँगी नामक स्थान में भी पूर्व पाषाण युग के मानव के अवशेष पाए गए हैं। वह मानव चट्टानों से सुरक्षित स्थानों या पर्वतकन्दराओं में नदियों के समीप निवास करता था। इस गुहाओं को लोकभाषा में आज भी 'दरी' कहते हैं। ऐसे स्थानों पर उसे छॉटने और तराश के बनाने के लिए वह प्रायः बूझा पत्थर काम में लेता था। उसके औजारों के दो रूप थे। किसी खड़ पत्थर या अनगढ़ टुकड़े को लेकर वह उसे दूसरे पत्थर की टक्कर से छॉटता था, उसके फलस्वरूप एक भारी नुकीला गाभा तैयार हो जाता था और दूसरी ओर उससे छॉटी हुई छोटी-बड़ी कत्ताले बचती थी। इसके लिए हम प्राचीन संस्कृत साहित्य के आधार पर दो परिभाषित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, पहले को 'वाशी' और दूसरे को 'शिली' कहना उचित होगा। ऋग्वेद में 'अश्मनमयी वाशी' का प्रयोग आता है और ऐसा ज्ञात होता है कि वह अवश्य इसी प्रकार के पत्थर के औजारों के लिए प्रयुक्त था। दूसरी संज्ञा हमने शिलीमुख शब्द से ली है। संस्कृत में शिलीमुख वाण को कहते हैं। यह उस तरह का बाण रहा होगा जिसके सिरे पर 'शिली' या पत्थर की नुकीली कत्ताले बाँध कर लगाई जाती थी।

उत्तर पश्चिमी भारत में सिन्धु की एक छोटी शाखा - नदी सोहान है। उसकी पहचान श्री ऑरल स्टाइन ने ऋग्वेद की सुषोमा नदी से की थी जो ठीक जान पड़ती है। सुषोमा की घाटी में और कश्मीर प्रदेश के करेवा नाम भूगर्भीय भ्रकॉँ या पहलदार प्रस्तरों में भारतीय प्रागैतिहासिक मानव के सबसे प्राचीन औजार गाभे और कत्तालों के रूप में मिले हैं।

भारत में सर्वप्रथम 'ब्रसफुट' नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजारों की खोज मद्रास के समीप 'पल्लावरम' नामक स्थान में की थी। इसके पश्चात् प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे 'सोआ', 'नर्मदा', 'साबरमती नदी' की घाटियों से मिले हैं। इसके अलावा 'उड़ीसा', 'मैसूर' एवं 'मद्रास' आदि भी ऐसे प्रान्त हैं, जहाँ प्रस्तरयुगीन औजार व हथियार मिले हैं। इस प्रकार भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है, जहाँ अनेक पुरातन प्रस्तरयुगीन स्थलों की खोज हुई है। अगर इस प्रकार कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिणी भारत में चेन्नई के पास 'अंगोला चिंगलेपुत' तथा 'कुपाडा क्षेत्र' तक सीमित रहा। इस समय का मनुष्य क्वार्ट्जाइट मनुष्य (Quartzite Man) के नाम से पुकारा जाता था।

कुछ वर्ष पूर्व ही मध्यप्रदेश के 'मेरोना' जनपद के 'पहाड़गढ़ शियोरपुर' कलाक्षेत्र में करीब 25,000 वर्ष पुराने चित्र प्रोफेसर डी०पी०एस० दारिकेश

ने खोजे हैं, जिनके विषय, 'शिकारी' व 'शिकार' हैं, जो गेरु व सफेद रंग में बने हैं।

2) मध्यपाषाण काल - पूर्व पाषाण और नवपाषाण युग के बीच का काल मध्यपाषाण युग था। इस युग में पत्थर के बहुत नन्हें औजार बनाए गए। इन्हें एक, दो या अधिक संख्या में किसी हथके में लगाकर काम में लाया जाता था। इन नन्हें टुइयों चकमकी कत्तलों को भी सचमुच 'शिली' कहना चाहिए, क्योंकि ये बाण के सिरे पर लगाने से गहरा छेदती थी। इसके लिए चकमक (अ० फिल्ट), हकीक (अ० कार्नेलियन), बूझा (अ० क्वार्ट्स), यशब (अ० अगेट), कर्कतन (कैल्सीडोनी) आदि संग काम में लाए जाते थे। इन नन्हें औजारों के नमूने इस प्रकार हैं - चाकू जैसे फल जो कभी-कभी दाँतेदार भी मिलते हैं, चन्दबान, तिकोनिया कतरने, खुरचना या पलटा या रॉपी (अ० स्कॉपर)। गुजरात की नर्मदा घाटी और गोदावरी के निचले प्रदेश में ये अंगुष्ठनुमा नन्हें औजार पाए गए हैं। अंतिम स्थान में हाथ के बने हुए भोंडे बर्तन भी उनके साथ मिले हैं। तिथिक्रम की दृष्टि से यह भी उल्लेखनीय है कि नन्हें औजार नवपाषाण युग और कभी-कभी ऐतिहासिक युग के साथ भी मिले-जुले पाये जाते हैं। ब्रह्मगिरी नामक स्थान में मध्यपाषाण और नवपाषाण युग की संस्कृति का सिलसिला आरम्भिक ऐतिहासिक युग के साथ मिला हुआ है।

यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता, अपितु यह समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन व नव प्रस्तर युग के समय जीवन के संधिकाल वाला समय जाना जाता है। इस समय में मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। यहीं नहीं उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा की जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी हुआ। 'मध्य प्रदेश', 'गुजरात', 'सिन्ध', 'आन्ध्रप्रदेश' व 'कश्मीर' आदि प्रदेशों में प्राप्त परिष्कृत औजारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रस्तरयुगीन मानव सौन्दर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरन्तर प्रयासरत रहा था।

3) नवपाषाण युग - पूर्व पाषाण युग की संस्कृति दीर्घकालीन थी। लगभग पाँच लाख वर्ष से दस या सात सहस्र वर्ष ई० पूर्व तक उसका काल माना जाता है। इसकी तुलना में नवपाषाण युग की आयु कुछ सहस्र वर्ष ही थी, एवं उसका छोर भारत की ऐतिहासिक संस्कृतियों के साथ मिला हुआ है। नव-पाषाण युग का मानव कृषि करने लगा था। कृषि में उत्पन्न किए हुए अन्न से उसका निर्वाह होता था। वह अपने लिए हाथ से बर्तन-भाँडे, विशेषतः भोजन बनाने के लिए, तैयार करता था। नव-पाषाणयुगीय औजार घिसकर चिकने बनाए जाते थे।

इन औजारों में पत्थर की वाशी, फरसे, बसूले और बड़े हथौड़े या मूँगे तैयार किये जाते थे। पत्थर की चिकनी बनाई हुई हथेदार कुल्हाड़ी पूर्वपाषाणयुगीय मानव की विशेषता थी। ऋग्वेद में दो सार्थक शब्द आए हैं - 1. अश्मनमयी वाशी, और 2. आयसी वाशी। वाशी से ही हिन्दी शब्द बसूला या बसूली बने हैं। यह ही पूर्वपाषाणयुगीन मानव के काटने या तक्षणकिया का औजार था। जैसा ऋग्वेद में कहा है - वाशी भिस्तक्षताश्मनमयीभिः। त्वष्टा देवता को हाथ में 'आयशी वाशी' करने वाले कहा गया है। पूर्वपाषाणयुगीन मानव को धातुओं का परिचय नहीं था अतएव: वह केवल पत्थर के औजारों से काम लेता था। दक्षिण भारत में उसके बाद आने वाले लोगो को लोहे का परिचय प्राप्त हुआ किन्तु उत्तरी भारत में पूर्व पाषाण युग के बाद ताम्रयुग की संस्कृति का विकास हुआ, जैसा कि सिंधुघाटी

में पाया जाता है। वेद में ताँबे को ही आयस कहा है। आगे चलकर जब पत्थर में भी लोहे का आविष्कार हुआ तब लोहे को कृष्णायस (काला ताँबा) और ताँबे को लोहायस (लाल ताँबा) कहने लगे। इनमें से ताम्रयस का ताम्र (ताँबा) और लोहायस का लोह (लोहा) बच गया। अतएव: ऋग्वेद के समय में आयशी वाशी का अर्थ ताँबे का वसूलीनुमा औज़ार भी था। सिन्धुघाटी की सभ्यता में पत्थर की वाशी और ताँबे की वाशी साथ-साथ मिली है। वैसी ही ऋग्वेद के आर्यों में भी इन दोनों का एक साथ प्रयोग चालू था। किन्तु पत्थर को पीछे छोड़कर ताँबे का रिवाज बढ़ रहा था। ऋग्वेद में त्वष्टा देवता को 'आयस परशु' अर्थात् ताँबे का फसरा प्रयोग में लाने वाला कहा गया है। वाशी से

काम करने वाले के लिए 'वाशी मान्' विशेषण प्रयुक्त हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. वाशुदेवशरण अग्रवाल : भारतीय कला (प्रारम्भिक युग से तीसरी शती इसवी तक), वाराणसी (काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, 1966)
2. डॉ० रीता प्रताप : भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास।
3. अरविन्द कुमार सिंह : प्राचीन भारतीय मूर्तिकला एवं चित्रकला, म०प्र० ग्र०अ०, 1994
4. शर्मा डॉ० लोकेश चन्द्र : भारत की चित्रकला का संक्षिप्त इतिहास।
5. डॉ० श्याम सुन्दर दूबे : लोक चित्रकला परम्परा एवं रचना दृष्टि।

Green Jewellery: Eco-Friendly Source of Income

Dr. Nidhi* Ms. Nisha**

*Assistant Professor & Head (Home Science) CISKMV Fatehpur- Pundri (Haryana) INDIA

**Assistant Professor (Home Science) CISKMV, Fatehpur- Pundri (Haryana) INDIA

Abstract - Humans have been making jewellery for centuries. Jewellery evolved from a form of currency to reflect fashion and art. It has symbolised wealth with the use of precious gemstones and has religious significance. Now jewellery is more an artistic expression and a fashion statement. It becomes a tool and material which is affordable and available. Focus has been shifted from symbolism and status to design, creativity and artistic expressions. It becomes now primarily a statement of personal expression. Today we are facing many challenges to manage various forms of textile waste in which boutique waste is also a main contributor. Using boutique waste in making jewellery is a beautiful solution to make best utilization of skill, creativity in making sophisticated, elegant jewels and generating income for empowerment. These are developed from the desire to give new life to waste boutique material seeing beauty, poetry and magic in rejection. Now sustainability is the best solution to manage textile waste. So these green jewellery or sustainable jewels are not beautiful but original. These jewellery represent a symbol that embodies the commitment to safeguard the environment.

Keywords- Sustainable jewellery, creativity, artistic expression.

Introduction - Jewellery becomes a form of saving and the symbol of status. All humans have used jewellery for a number of different reasons such as social status and personal status, as a signifier of some form of affiliation, whether, ethnic, religious or social.

Jewellery has always played a great role in enhancing our beauty and look. It has always been a way of adding style to your body and clothing. It is often used for creating the perception of wealth, or as a means to make a statement of values without any explanation. It looks very trendy or different or as a sign of creativity and unity. A variety of alternative materials are available for jewellery making and they are also used for eco-friendly approaches.

Most jewellery is made from potentially harmful material like beads, gemstones, etc. as compared to waste textile. Exploration and adaptation of the concept of using boutique waste is recommended for jewellery production to ensure environmental sustainability. Sustainable jewellery or sustainable approaches by the use of textile boutique waste is a unique concept and more environmentally safer.

Sustainable jewellery means jewellery items become more and more valuable than the simple beaded jewellery. Sustainable jewellery is an eco-friendly and innovative approach for the new entrepreneur. They can also use sustainable material for jewellery making and open a future for new sustainable design thinking. Sustainable jewellery is the beautiful and creative source of generating income

opportunities for empowerment. In the world of fashion experimenting, creating and adapting to new trends that too of eco-friendly in perfectly acceptable sustainable jewellery made by boutique waste in both fashionable and eco-friendly. This is more interesting and unique.

What is Eco-friendly Jewellery?

Jewellery with very less or no impact on the environment, including minimal carbon footprint, is considered eco-friendly. Eco-friendly jewellery constitutes ornaments made from recyclable materials, gemstones, pearls, and synthetic diamonds. Vintage jewellery is also one of the examples of eco-friendly wear. Considering the ecological impact of jewellery, mined and assembled in industries, is an important step towards eradicating numerous hazards this process has on our environment. Apart from eco-friendly jewellery, another very important aspect to consider, when buying, is whether the jewellery is ethical. So let us understand the ethical aspects of jewellery. Conflict-diamonds is a term that most of us must have heard of. The diamonds mined in regions marred by civil war, turmoil, and agitation are referred to as conflict diamonds. The precious stones excavated in such areas are collected by poor workers, who are paid less, and in violation of human rights laws include child labourers too. The revenue from selling off diamonds, to industries all over the globe, is utilized in purchasing weaponry to further subjugate the occupied land. This is the most important and near-home

definition of jewellery that is unethical and exploits the lives of every worker involved. (Green Clean Guide.Com)

Objectives:

1. To learn the different techniques of Jewelry- making .
2. To explore the uses of different kind textile waste to make attractive and interesting jewellery .
3. To explore the ideas and more practice of techniques leading to more skill and ability in jewellery making.

Characteristics of boutique waste jewellery:

1. Any printed, coloured, embroidered, embellished or textured fabric can be used
2. Left out fabric can be collected easily.
3. Reuse of the fabric in the main attraction here is sustainable..
4. Surface ornamentation and surface embellishment gives a boom for styling.
5. Textile jewellery can be worn by anyone: required of ethnic or style.
6. Matching jewellery can be developed by the use of left out fabric from dresses.

Textile waste and their sources- Fabric that could produce apparel and other utility items. Textile waste is produced on every phase of the textile manufacturing unit like; spinning, garment manufacturing, weaving etc. Waste textile includes pieces of cotton, silk, blends and other fabric from the boutique and other old clothes that are no longer of use to their owner. Sourcing textile waste is a fun and inspiring process that will shape your ideas and creativity. When sourcing textile waste, visit boutique, textile mills and factories (Apparel and home furnishing), check your wardrobe, get in touch with recyclers.

The major classification on textile waste are following:

Pre- consumer textile waste (production waste): pre-consumer textile waste is generated from the first phase of the supply chain. Pre- consumer textile waste includes small pieces of fabric, scraps, damaged or defective fabric samples, leftover fabric from the cutting process. Boutique waste is also included in pre-consumer textile waste.

Post-consumer textile waste: are Clothing and garments that do not require any more and are discarded. Faded fashion defective garments, household articles also come under the post-consumer textile waste.

Types of Jewellery prepared

Generally five types;

1. Necklaces or pendants
2. Earrings
3. Bracelets and bangles
4. Rings
5. Brooches

Required material for jewellery making with textile waste- Boutique or textile waste, Cardboard (Base material), Fabric glue, Fabric colour, Brushes, Hooks, loops, studs, stoppers etc.

Step by step process of jewellery making- Jewellery is not only a great way to add to your existing accessory

collection but makes for a great gift too! Making it yourself adds a special meaning to the gift and makes it even more special for the person.

Step 1: Choose the Textile waste for making jewellery and draw the shape on cardboard and cut out the piece. Tracing the shape and cutting out the fabric for making earrings and pendant. Paste the fabric on Cardboard surface and making the hole after drying.

Step 2: Once you have decided on your colours and design, create a colour palette and draw the design on the surface of the jewellery. Now apply colours in the localised area of the design with the help of brush.

Step 3: Attach the hooks or the chain on your earrings and pendant respectively.

Step 4: Once you're done, you can go a step further and add any other embellishments of choice on it and then, you're ready to flaunt your hand-made jewellery!

Market Acceptability- Everyone wants to look unique and noticeable. This can be satisfied by the sustainable jewellery which completes the look of personality. As because of its versatility it can be worn with both Western and Indian Traditional attire: Available with various brands on both platforms. An important aspect is the market acceptability for this new product. Sustainability means being consciously aware of each purchase and to know how a piece of jewellery is made and supporting brands which respect the ethical standard and all proper practices. Today young generations are increasingly liking sports based on their beliefs and they are ready to accept new and innovative products which are available in the market.

Sustainable jewellery is the product aiming to decrease environmental impact and to introduce new and innovative designs for the customers. Customers who love eco-friendly products love sustainable jewellery as an alternative to other jewellery. Recently customers look for new and unique designs and unusual combinations of textile material and different surface embellishment techniques.

Conclusion- It is a noble idea to combine both useful and creativity in a single product to produce Eco-friendly jewellery. The development of jewellery from Boutique waste would provide an enterprise to the new generation. No wonder people purchase this unique creativity and flaunt it as their way of expression. Sustainable jewellery making is a challenge for the manufacturer and designers because making production has the minimum possible damaging impact on our health and environment. The entrepreneur can start his or her enterprise with very less investment. Jewellery designing is the best utilisation of waste fabric and the customers who have different and unique choices always buy this unique and innovative jewellery. jewellery is a form of art and of 'ITSELF'.

References:-

1. <https://www.pinterest.com/pin/519391769495400629/>
2. <http://www.itc.polyu.edu>
3. <https://youtu.be/wjJ8DOGfGhc>

4. <http://ncert.nic.in/textbook/pdf/kehcl>
5. greencleanguide.com
6. <https://www.bongonari.com>
7. <https://www.google.com/url>
8. <https://www.google.com/amp/s/www.fibre2fashion.com/industry-article/8696/harmful-effects>
9. <https://gurhan.com/blogs/tales-truths-transparency/sustainable-jewelry-jewelry-industry>
10. Kakkar,N.(2015). Development of accessories from reusable knitwear waste.M.sc. Thesis, Punjab Agriculture University, Ludhiana,Punjab(INDIA)
11. Kaur,G and Kaur D(2015). Development of jewellery from solid waste. Asian J.Home Science 10(1):190-195
12. Topalian,J (1995). Textile waste recycling. Tex. Trends, 37:39-43

Principle of Insanity in Crimminal Law

A Socio - Legal Study

Dr. Anuradha Tiwari*

*Principal, Dr. Kailasnath Katju Law College, Ratlam (M.P.) INDIA

Introduction - A person of unsound mind (defence of insanity) under Indian Penal Code 1860.

Unsoundness of mind – The word unsoundness of mind has not been defined in this Code. Unsoundness of mind is a state of not being mentally sound and normal. It means a state of mind in which an accused is incapable to know the nature and consequences of the act committed.

There are four kinds of persons who may be said to be not of sound mind (non compos mentis)

- Idiot: born fool
- Lunatic: who at interval gets mental disorder?
- Unsound due to illness.
- Drunken or intoxicated person : it may due to drink

Idiot: - An idiot is one who lost his mental power. A person who does not possess any rational thinking capacity & complete lost his memory from his birth without lucid intervals. An idiot is also one who cannot count twenty or tell the days of the week or who does not know his father or mother or the like.

Lunatic: - A lunatic is a person affected with mental disorder only at a certain perods& with lucid interval. Between the gaps he possesses rational thinking & normal behavior. Lunacy is temporary but madness is permanent.

Unsound due to illness: - A person made non compos mentis by illness is excused in criminal cases from such acts are committed while has the influence of his disorder. Any mental disorder which has manifested itself in violence & is prone to recur is disease of mind.

Drunken or intoxicated person: - Drunkenness is not excuse but delirium tremens caused by drinking from drunkenness, if it produces such a degree of madness, even for a time as to render a person incapable of distinguishing right from wrong, afforded a ground of excuse from criminal responsibility.

Meaning & Definition – Insanity: - According to Stephen ‘**unsoundness of mind**’ is equivalent to insanity means a state of mind in which one or more of the functions of feeling, knowing, emotion and willing is performed in an abnormal manner or is not performed at all by reason of some disease of the nervous system, Insanity includes lunacy.

Legal Provision of Indian Penal Code 1860

Sec. 84 Act of a person of Unsound mind- Nothing is an offence which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong of contrary to law.

Ingredients:-

- Act must be done by a person of unsound mind.
- Such person must be incapable to knowing,
 - the nature of the act,
 - that the act was contrary to law,
 - that the act was wrong.
- Such incapacity must be by reason of unsoundness of mind of the offender.
- The incapacity of knowing the nature of act must exist **at the time of doing of the act** constituting the offence.

Principles /MC Naughten’ Principle of Insanity:- In 1843, Daniel MC Naughten, a Scotsman killed Edmond Drummond, the Private Secretary of Sir Robert Peel, then the Prime Minister of England. MC Naughten was under an insane delusion that Sir Robert Peel had injured him and mistaking Drummond for Sir Robert Peel he shot and killed him. He was tried for murder before Chief Justice Tindol.

On behalf of the accused, the Defence Counsel pleaded that the accused due to insanity was not able to know that he was violating the law of God and Man. It was established that the accused lost the power of control, while committing the offence, as he was laboring a delusion i.e. (precaution mania) and medical report was produced.

Mc Naughten was acquitted on ground of insanity. This case created a sensation and a serious debate took place in the House of Lords. The House of Lords invited all the 15 Law Lords, & gave five questions to formulate the law of insanity on the basis of replies. Fifteen Law Lords formulated some principles which later became famous as ‘MC Naughten Principles of Insanity’.

They are the following:

- Every insanity is not a legal insanity unless it is of such a tenor that he is rendered incapable of knowing the

nature of his act or that what he is doing is wrong or against law.

2. The court shall presume the absence of such insanity.
3. The burden of proving the insanity of such a tenor shall always be on the accused.
4. The presence of insanity should be at the time commission of the offence. The insane persons are said to be non compos mentis i.e. not of sound mind.

Case Laws - Test of Insanity

In R.V/s Arnold (1724 (16)) decided the case based on the test that 'if he was under the visitation of God, and could not distinguish between good and evil, and did not know what he did though he committed the greatest offence yet he could not be guilty of any offence.

S.K. Nair V/s State of Punjab 1997 Cr. LJ 772 (SC) :-

Facts of the Case :- Where the accused was trying to assault a person with a dagger; the deceased caught hold of his and told him that he will report to the superiors, to which the accused reported that the deceased would not live to report & assaulted the deceased with dagger inflicting 19 injuries upon him resulting in his death on spot, even assuming that the accused is a paranoid, it could not be said that the accused was incapable to understand the implication of his acts when he committed murder. Even if it is assumed that in the case of paranoid, the ordinary test of lucid interval as applicable in the case of patients with unsound mind, is not to be applied, and a paranoid is likely to be seized of sudden bouts of impulsive feats for which temporarily he becomes completely incapable of his activities, & such sudden bouts may also disappear within a very short time.

Principle:- It has been revealed from the evidence adduced that at the time of commission of the said offences, the accused did not completely lose his sense of understanding.

Govind Ramchandra Jadhav V/S State of Maharashtra 1996 Cr. LJ 4186 (Bom.) :-

Fact of the Case - An accused was a police constable posted at Kalyan. Two days before incident he was seen on the railway platform at Pune. On the day of incident he was found to be coming in and going out of railway police station at Pune. When deceased was in the verandah the accused suddenly took out a knife and stabbed the deceased. After the incident when he was overpowered and forced inside the railway police station he lifted kit box and went towards female officers for assaulting them. Subsequently when he was interrogated by the Inspector he was found mentally unable & was sent to Sassoon Hospital. He was kept under observation for seven days. The doctor found him suffering from paranoid schizophrenia and was referred to Mental hospital, Yerwada where he was kept for six and had years.

Principle - It was held that the prosecution has failed to prove the requisite intention on the part of the appellant which is necessary to convict him for offences U/Sec. 300 of IPC. On the contrary there was sufficient evidence on

the record to infer that the appellant by reason of unsound mind at the time of the alleged offence, was incapable of knowing the nature of the act or that he was doing what was either wrong or contrary to law, as laid down in sec 84 of the IPC.

Distinguish between Medical Insanity and legal Insanity (see in last page)

Conclusion:

1. **Burden of proof** – rest on the accused.
2. **At the time of doing act:** - it is an important phrase the accused must have been insane, at the time of doing the wrongful act.
3. **Nature of the act:** -. If accused knew that he was acting contrary to law rationalization is sufficient to comprehend what he is doing, he must be always be presumed to intend the consequences of the action he takes.
4. **Liability of two kinds :-**
5. **Dementia naturalis, i.e. individuals who are insane from birth,**
6. **Dementia adventitia or accidental's** i.e. individual who becomes insane after his birth. Every type of insanity would not come under legal insanity unless there is evidence to the effect that the mind was destroyed as a result of unsoundness of mind.
7. **Delusion or Hallucination:** - It is a state of mind where a person may be perfectly sane in respect of everything, but may be under delusion in respect of one particular idea.
8. **Impulse and insanity :- In Sidheswari V/s State of Assam(1981) Cr.LJ 1005 (Gau)** where the accused killed her ailing child of three was also some evidence elicited in cross- examination to show that the accused had suffered from some mental derangement two years prior to the incident. It was held that the murder was committed on a sudden impulse or as a mercy killing was no ground to her benefit of Sec. 84 of the IPC.
9. **Irresistible impulse** – regular quarrel In ParapuzhaThamban V/s State of Kerala (1989 Cr.LJ. 1372 (Ker.)) the accused injured his child and wife picked up a quarrel with him for not doing anything to make a money in order to run the family, the court did not consider it as insanity.
10. **Agitation of Mind: -In Gourishankar V/S State of Maharashtra 1965 Cr. LJ. 68 (Bom.LR)236.** The court was held that agitation of the mind does not necessarily lead to an inference that it had affected his mental capacity.
11. **Over sensitiveness of mind or character :- In BhudhaDattuUmavane V/S State of Mah.(1985 Cr.L.J. 844 (Bom))** there was a very trivial quarrel between brothers on the issue of cultivation of the field ; the brothers did not take their meals the accused in a half went out a sleep with his cousin but came in the morning in normal condition. He brought an axe from his cousin and gave a normal answer to his father that he wanted to go out in the wood, no one noticed of abnormal behavior he delivered a forcible blow

on the helpless brother who was sleeping with a blanket over his head. Resultantly the victim died he plead a sensitiveness of his mind or character made him to react. Court held that only sensitiveness of mind do not constitute a defence.

12. Extreme anger: - In SrikantAnadRaoBhosale V/s State of Mah. 2002 Cr.L.J. 4356 SC a police constable hit his wife with grinding stone on her head in a quarrel. Insanity of the appellant at the time of commission of crime was pleaded in his defence. Accused was being treated for unsoundness of mind since 1992 and was diagnosed as suffering from paranoid schizophrenia. He made no attempt to hid or run away. In the light of evidence the court believed that the accused was under a delusion.

13. The anger theory on which reliance has been placed by the prosecution cannot rule out under schizophrenia attack. It has been observed that the crime was not committed as a result of extreme fit of anger. However he would be entitled to the benefit of Sec. 84 as the accused was incapable to know the nature and consequences of act by reason of unsoundness of mind.

14. Insanity as result of smoking Ganja:- In Amar Singh V/s State AIR 1955 Punj.13 (DB) It was held that a mere loss of self- control due to excessive drinking or smoking ganja does not entitle him the cloak of immunity provided under sec. 84.

Recommendation:

1. The **M'Naghten rule** (pronounced, and sometimes spelled, **McNaughton**) is any variant of the 1840s jury instruction in a criminal case when there is a defence of insanity:
2. that every man is to be presumed to be sane, and ... that to establish a defence on the ground of insanity, it must be clearly proved that, at the time of the committing of the act, the party accused was labouring under such a defect of reason, from disease of the mind, as not to know the nature and quality of the act he was doing; or if he did know it, that he did not know he was doing what was wrong.^{[1]: 632}
3. The rule was formulated as a reaction to the acquittal in 1843 of Daniel M'Naghten on the charge of murdering Edward Drummond. M'Naghten had shot Drummond after mistakenly identifying him as UK Prime Minister Robert Peel, who was the intended target.^[2] The House of Lords asked a panel of judges, presided over by Sir Nicolas Conyngham Tindal, Chief Justice of the Common Pleas, a series of hypothetical

questions about the defence of insanity. The principles expounded by this panel have come to be known as the "M'Naghten Rules", though they have gained any status only by usage in the common law and M'Naghten himself would have been found guilty if they had been applied at his trial.^{[3][4]}

4. The rules so formulated as *M'Naghten's Case* 1843 10 C & F 200^[5] have been a standard test for criminal liability in relation to mentally disordered defendants in common law jurisdictions ever since, with some minor adjustments. When the tests set out by the Rules are satisfied, the accused may be adjudged "not guilty by reason of insanity" or "guilty but insane" and the sentence may be a mandatory or discretionary (but usually indeterminate) period of treatment in a secure hospital facility, or otherwise at the discretion of the court (depending on the country and the offence charged) instead of a punitive disposal.
5. The insanity defence is recognized in Australia, Canada, England and Wales, Hong Kong, India, the Republic of Ireland, New Zealand, Norway and most U.S. states with the exception of Idaho, Kansas, Montana, Utah, and Vermont but not all of these jurisdictions still use the M'Naghten Rules. States that disallow the insanity defence still allow defendants to demonstrate that they are not capable of forming intent to commit a crime as a result of mental illness.

Suggestions:

1. Rejection of plea on ground of unusual behavior of the accused.
2. When it seems that there is a sufficient ground of insanity is available, in favor of accused, allow him for treatment in secure hospital facility.
3. The pleas of insanity should be testify in strict manner the fake medical certificate becoming an obstacle of defence. The accused creating astray in front of legal authority & getting wrongful benefit of the defence.

References:-

1. Dr. S.R Myneni Law of crimes 2nd edition 2015
2. RatanlalDhirajLal IPC
3. R.N. Shukla IPC
4. Dr. HS Gour IPC
5. Dr. Rega Surya Rao 2nd Edition 2021
6. Wikipedia website
7. I Pleader website
8. Law.Com website etc.

Distinguish between Medical Insanity and legal Insanity.

Sr.	Medical Insanity	Sr.	Legal Insanity
1	It is a mental disease namely the reasoning capacity of a man to such an extent as to render him incapable of understanding the nature and consequences of his act.	1.	It excludes from the purview, the insanity caused due to emotional and volitional factors. It is only the insanity must be particular kind that will excuse a man from criminal liability.
2.	Medical Insanity means the accused's consciousness of the bearing of his act on those affected by it.	2	The accused consciousness in relation to himself.
3.	Medical Insanity deals with person's previous and present conduct and behavior.	3.	Whereas legal insanity deals with the wrong doer who must be under unsoundness of mind at the time of the incident, and he does not know the nature and effects.
4.	The medical witness states the existence, character and extent of the mental disease.	4.	The legal insanity is the disease made out comes within the legal condition which justify and acquittal on the ground of insanity.
5.	Medical insanity is solely depends upon medical ground	5.	Legal insanity requires facts to be prove in court of law.
6.	Medically a person may be certified sane or insane as the case may be.	6.	Legally he will be held insane only is he successfully proves the requirement of the law u/sec 84 of the IPC.
7.	The burden is shifted on physician to certify a person.	7.	The burden of proving the insanity rests on the accused & onus can be discharged by producing evidence as to his conduct shortly prior to the offence & his conduct at the time or immediately afterwards by evidence of his mental condition & other relevant fact.

Review on Ecological Restoration

Mrs. Seema Naik*

*Assistant Professor (Botany) Govt. Girls College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Present paper is related with the review of ecological restoration. In the present scenario ecosystem degradation is a burning problem. So it's urgent need to restore the ecosystem and conserve the biodiversity. Because biodiversity plays the significant role in maintaining the ecological balance. Many ecologists work on ecological restoration and explain the reasons of biodiversity loss and the impact of degraded ecosystem on the environment. They are also describe the need of ecological restoration with the effective mechanism of restoration.

Key words- Degradation, Ecosystem, Restoration, Ecological balance.

Introduction - Interaction between living beings and environment is important for the maintenance of functional ecosystem on the earth. Ecosystem services play the significant role in the maintenance of life on the earth. Which are Provisioning services to provide food and water, Regulating services to regulate the ecological balance and flood control, Through cultural services it's provide recreation and as a supportive services it's maintain nutrient cycles. So we can say that healthy ecosystems supports the biodiversity, and biodiversity is essential for the proper ecosystem functioning. But unfortunately in recent years rapid alteration and degradation observed in the various ecosystem of the earth, which is responsible for the loss of diversity. In all ecosystem specially mountain ecosystem require a immediate attention. In Indian sub continent Himalayas and Western Ghats are important mountain ecosystem, which is famous for their endemic spp. **Subramanyam and Hayar (1974)**, reported total 3500 flowering plant in Western Ghats, in which 1500 species are endemic.

So for the conservation of biodiversity many technique are in practices. But the degraded ecosystem require the ecological restoration.

Ecological restoration is "the process of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed" (SER, 2004). and according to the **Society for Ecological Restoration (1993)** "ecological restoration is the process of reestablishing to the extent possible the structure, function, and integrity of indigenous ecosystems and the sustaining habitats that they provide."

Ecosystem management and ecological restoration are focused on preventing and repairing ecosystem degradation.

Reasons of Degradation of Ecosystem and loss of

Biodiversity- study of degraded ecosystem suggests these Rate of degradation will accelerate (Dale et al., 2001; Settle et al., 2014). Over 5% of global forest cover was lost between 1990 and 2005, and current deforestation rates are nearly 9 million ha per year (Sandker et al., 2017). If this processes continue then it will be put question mark on the life. Besides deforestation many other factors are also responsible for degradation. Angelstam, 1998; Gromtsev, 2002; Nilsson and Wardle, 2005; Price et al., 2013 studied that Fire is the principal natural disturbance in boreal forests. Boreal and Mediterranean forest faces the major ecological changes due to climatic warming and other anthropogenic stressors. Dam construction is the another reason of the destruction of natural ecosystem. Specially in the catchment area many plants and animals became vulnerable to extinction, due to habitat loss. Study of **The Tanaji sagar dam's** by catchment area indicate the alteration of ecosystem. and it affect the whole life of the native people and their life style.

Impact of Degraded Ecosystem (Environmental Consequences)- Degraded ecosystem causes the ecological disturbance and affected the recycling of material. It is responsible for the various environmental issue like global warming, low precipitation, lower soil fertility and polluted air etc. all these changes causes the loss of biodiversity. and decreasing biodiversity is alarming condition for the life on the earth. Deforestation, rising temperature, drought, fire and other ecological disturbance are reducing forest cover on the earth. and these decreasing area of forest cover unable to supply the important ecosystem services. Landslide is a another problem of the deforestation. and the construction obstructs become the barrier in the free flow of Ganga which affect the ecosystem of Gangetic valley's. Soumaya sandeep and Shruti Pandey

observed during the study of Tehri dam, the change in the chemical nature of water, especially in reference of dissolved oxygen and turbidity. and the People of old Tehri village, who are adopted to lived at an average altitude of 1,115 feet above sea level. but due to relocation of New Tehri, The community has faced the difficulty during the adaptation to life 5,085 feet above sea level, which affect their biological clock.

Need of Ecological Restoration- Biodiversity is the responsible for the maintenance of ecological balance and preservation of natural environment. biodiversity boosts ecosystem productivity where each spp., no matter how small or big, all have an important role to play. so we can say that greater diversity ensure natural sustainability for all life form. it is also helpful in the maintainance of soil structure and its fertility. it regulate the cycle of micro and macro nutrient. it forms humus and increase the water holding capacity.

Healthy ecosystems can better withstand and recover from a variety of disaster. The indirect value of biodiversity could be due to the fixation of carbon through photosynthesis, water recycle, soil formation, absorbing and decomposing pollutants. ecological theory suggests that high spatial environmental area of heterogeneity support high biodiversity (Tilman 1982; Huston 1994) and high biodiversity should feedback to increase habitat diversity.

Efforts for Ecological Restoration- In the various region of the earth different ecologist taken initiating step for the restoration processes. and international agency is also launched the restoration programme, like Biodiversity Action Plan (BAP) is an internationally recognized programme provide the information about threatened species and habitats, and defined the plan to protect the diversity and restore biological systems. and in the catchment area existing plant wealth maintain through sustainable Afforestation programme. various technique evolved by the scientist for restoration eg. soil amendments and tree shelters (Earnshaw et al. 2016; Löf 2017; Olliet et al. silvicultural planting schemes (Owings et al. 2017; Burney and Jacobs 2018; Maltoni et al. 2019) will help to ensure cost-effective restoration. mining is responsible for the landscape disturbance so it require the mine recalamation and some noval innovation for land restoration (MacDonald et al. 2015; Zapico et al. 2018), to ensure functioning soil.

According to the permaculture project following steps of ecological restoration may be helpful in the recovery of degraded ecosystem.

Mechanism of Ecological Restoration:

1. First step is collect the information about the current condition of ecological resources.
2. Explain the history of degraded land with proof, like old photograph and historical literature, maps etc.
3. Prepare a Plan for the ecological restoration of degraded land and reveiw the literature of related system, and visit the restored natural system, which

may be useful for Planing

4. Execute the plan and decide the target for different steps according to the resources and management system, which will be helpful to achieve the future target.
5. Now implement the plan to achieve the goals. Decide the task and allotted to skilled person, explain the method and given the schedule to fulfil the requirement, estimate the total costs.
6. Design a Evaluation programme to evaluate the success of the restoration.
7. Obtain the funds from funding agency.
8. Prepare reports that explain the project and results.
9. Evaluate the programme time to time by adding new information and ideas into the plan, revising goals, and change tasks according to requirement.
10. Communicate and educate the society and affected people to provide basic information and adjust their activity with the restoration process.

Conclusion- In present scenerio degraded ecosystem is alarming condition for the life on the earth. so it is a time to awake and change our life style according to environment and save the natural resources. and for the degraded ecosystem we should try to restore them. for these a national level ecosystem survey should be carried out periodically by the government, non-government and international organisations and identify the degraded ecosystem, make a plan for restoration including the endogenous people as a part of monitoring and evaluation. Conducting this survey will helpful in the planing and restoration of degraded system. innovative and sustainable approach of green environment with reference to conservation of biodiversity and by creation of **biodiversity Parks** system services are the suite of ecosystems provide to humanity benefits.

In last we can say that the Ecological Restoration is helpful to save the degraded ecosystem and maintain the ecological balance. it is essential processes because without the ecosystem and it's supportive services we can not imagin the life on the earth.

References:-

1. Hugh D. Safford, V. Ramo'n Vallejo "Ecosystem management and ecological restoration in the Anthro-pocene: integrating global change, soils, and disturbance in boreal and Mediterranean forests", Department of Evolutionary Biology, Ecology and Environmental Science, University of Barsilona, Spain P-286-297.
2. Margaret M. Moore, W. Wallace Covington, Peter Z. Fule, Stephen C. Hart, and Thomas E. Kolb. "Ecological Restoration Experiments (1992-2007) at the G. A. Pearson Natural Area, Fort Valley Experimental Forest" USDA Forest Services RMRS, 2008, P -55
3. Sandeep K. Shukla¹ and Devendra N. Pandey² "Environmental Restoration around the Rihand Dam", International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 11, November 2012 1

- ISSN 2250-3153
4. Palle Madsen, Marek Metslaid, Johanna Witzell, Douglass F. Jacobs "Restoring forests: regeneration and ecosystem function for the future", Magnus Lof1 . New Forests (2019) 50:139–15 <https://doi.org/10.1007/s11056-019-09713-0>.
 5. Wallace Covington, William A. Niering, Ed Starkey, and Joan Walker. "Ecosystem Restoration and Management: Scientific Principles and Concepts",
 6. Asif Saleem "A Synthesis of Restoration Practices for Degraded Croplands in Dryland Regions", University of British Columbia, 2019 P.No. 17 to 25
 7. James Aronson^{1,2}, Neva Goodwin³, Laura Orlando⁴, Cristina Eisenberg⁵, Adam T. Cross⁶ "A world of possibilities: six restoration strategies to support the United Nation's Decade on Ecosystem Restoration." the journal of the society for ecological restoration, 2020
 8. Soumaya sandeepa and shruti pandey "A case study of tehri dam", P.No. 12 to 15
 9. Dr. Arvind kumar Singh "Biodiversity park; An innovative approach for green environment". Vol. V, Issue 1, January 2017, P.No 9-11
 10. Dissertation on Biodiversity and ecosystem .P.No. 14 to 17
 11. <https://www.permacultureproject.com/wp-content/uploads/2015/02/10-Steps-Ecologic-Site-Planning.pdf>

महाविद्यालय की छात्राओं में सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता का अध्ययन (बड़वानी जिले के संदर्भ में)

डॉ. प्रियंका देवड़ा *

* सहायक प्राध्यापक (होम साइन्स) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सोशल मीडिया संचार और संपर्क का सबसे प्रभावी माध्यम है ऐसी वेबसाइट अथवा एप्लीकेशन जिनके द्वारा आप लोगों से इंटरनेट के माध्यम से संपर्क में रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम वहाट्सएप ट्विटर सोशल मीडिया के कुछ प्रभावी माध्यम हैं कोई भी व्यक्ति इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट खोल कर इनका इस्तेमाल कर सकता है। आज का युग सोशल मीडिया का युग है अपने मोबाइल फोन से एक एप्लीकेशन के द्वारा हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। संचार और संपर्क कभी इतना सरल नहीं था आज इंटरनेट के इस युग में पूरी दुनिया आपके एक छोटे से मोबाइल फोन में सीमित हो गयी है। ऐसे कई एप्लीकेशन हैं जिनके माध्यम से आप दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आपके किसी अपने के बारे में कोई खबर हो या दुनिया के किसी कोने से कोई ब्रेकिंग न्यूज आपको को चंद मिनटों में मिल जाती है। किसी से बात करनी हो या या किसी से मिलना हो वहाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से संभव हो गया है।

1. **फेसबुक** :- फेसबुक की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। आज फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है दुनिया में सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाले भारत में हैं।
2. **वहाट्सएप** :- साल 2009 में वहाट्सएप की शुरुआत हुई थी। देखते ही देखते यह सबसे ज्यादा पॉपुलर एप बन गया वहाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोग आसानी से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं।
3. **ट्विटर** :- साल 2006 में ट्विटर को लांच किया गया था। इस एप की पॉपुलरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की दुनिया के कई बड़े सेलिब्रिटी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस एप के माध्यम से आप कम से कम शब्दों में अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
4. **इंस्टाग्राम** :- इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग एप है। साल 2010 में इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई और आज यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एप्लीकेशन है इस एप पर आप अपने शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि सुन्दर चित्रों और फोटोज के माध्यम से दुनिया से जुड़ते हैं यही इसकी पॉपुलरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है।

सोशल नेटवर्किंग साइट के फायदे और नुकसान

सकारात्मक प्रभाव:

शिक्षा :- सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग सूचना और ज्ञान साझा करने के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से जानकारी कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।

व्यापार :- व्यापार के नजरिये से सोशल नेटवर्किंग साइट वर्तमान समय में एक वरदान साबित हुआ है। वेबसाइट, ब्लॉग या सोशल ग्रुप बना कर आप अपने सभी संभावित ग्राहकों को आसानी से लक्षित कर सकते हैं। पारंपरिक तरीकों के मुकाबले सोशल नेटवर्किंग साइट अभी प्रभावशाली और सस्ता माध्यम है।

नयी सोच :- सोशल नेटवर्किंग साइट एक मंच प्रदान करता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, विचारों और सुझावों को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट हमें यह मौका देता है की हम अपनी बात नए तरीके से प्रस्तुत कर सकें। चित्र, इन्फोग्राफिक्स या वीडियो जैसे आकर्षक तरीके अपना कर विचार प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :- अपने विचार, सुझाव या भावना व्यक्त करना अभिव्यक्ति कहलाती है। सोशल नेटवर्किंग साइट अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर हमारी अभिव्यक्ति पर हमें प्रतिक्रिया भी हमें तुरंत मिल जाती है। सकारात्मक प्रतिक्रिया से हम प्रोत्साहित होते हैं। वहीं हमारी जानकारी गलत है तो उस पर भी तुरंत सुधार संभव है।

जागरूकता :- सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से किसी विचार या मुद्दे पर जागरूकता पैदा करना आसान हो गया है। एक एप्लीकेशन के द्वारा पूरी दुनिया से संपर्क आसानी से हो जाता है। किसी भी विषय पर जागरूकता फैलना इतना सरल कभी नहीं था।

नकारात्मक प्रभाव:

छात्र के जीवन पर सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। यदि हम बिना सूझ बूझ के इन प्लेटफॉर्मों को अत्यधिक उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम नकारात्मक होंगे।

बेवकूफी :- सोशल नेटवर्किंग साइट प्लेटफॉर्म का उपयोग समझदारी से करना जरूरी है। कुछ भी पोस्ट करने से पहले इस बात का ज्ञान होना जरूरी है की यह सामाग्री पोस्ट करने योग्य है भी या नहीं। युवा पीढ़ी अपरिपक्वता के चलते खुद को स्मार्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। किन्तु कई बार उनके द्वारा पोस्ट की गयी सामग्री से वे बेवकूफ साबित होते हैं।

व्याकुलता :- व्याकुलता छात्र के जीवन पर सोशल नेटवर्किंग साइट के सबसे नकारात्मक प्रभावों में से एक है। अपना अधिक समय सोशल नेटवर्किंग साइट प्लेटफॉर्म पर बिताने वाले छात्र पोस्ट, शेयर और लाइक को लेकर अत्यधिक व्याकुल नजर आते हैं। इस प्रकार की व्याकुलता छात्रों के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है।

समय की बर्बादी :- छात्र जीवन में यदि कोई सबसे कीमती चीज होती है

तो वह छात्रों का समय होता है। किन्तु इस बात से अनजान कुछ छात्र अपना अधिक समय सोशल नेटवर्किंग साइट पर व्यतीत करते हैं। समय का यह दुरुपयोग छात्रों के भविष्य के लिए घातक साबित होता है। समय बचाने के लिए बनाए गये स्मार्ट फोन आज समय बर्बाद करने के प्रमुख उपकरण बन गए हैं।

डिप्रेशन :- आज सोशल नेटवर्किंग साइट एक व्यसन की तरह हो गया है। छोटी उम्र के यह छात्र आसानी से इस व्यसन के आधीन हो जाते हैं। देर रात तक इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट पर समय बिताना, सर्फिंग, चौटिंग की वजह इनका बाहरी दुनिया से जैसे संपर्क टूट सा गया है। इस प्रकार की परिस्थियाँ छात्रों में अवसाद और डिप्रेशन को जन्म देती हैं।

स्वास्थ्य पर असर :- लंबे समय तक इंटरनेट और मोबाइल फोन पर काम करने से आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। मोबाइल डिवाइस की स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन से उत्पन्न होनी वाली रोशनी आंखों को शुष्क करती है। बिना ब्रेक के लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना आपकी पीठ को कठोर बना सकता है, धीरे-धीरे, और तेजी से अगर ध्यान नहीं रखा गया तो दर्द और भी बढ़ सकता है।

उद्देश्य :

1. छात्रों में सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. छात्रों में सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता का विकास करना।

परिकल्पना - प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पना थी- 'जागरूकता कार्यक्रम द्वारा छात्रों में सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता में सार्थक रूप से विकास होगा।'

न्यादर्श - प्रस्तुत अध्ययन की समष्टि महाविद्यालय में अध्ययन करने वाली छात्राएँ थी। इन छात्राओं की समष्टि में से न्यादर्श के रूप में उद्देश्यपरक न्यादर्शन तकनीक द्वारा कुल 30 महाविद्यालयी छात्राओं का चयन किया गया। इन विद्यार्थियों की उम्र 18-22 वर्ष के मध्य थी। इन विद्यार्थियों में शहरी एवं ग्रामीण दोनों आवासीय पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी सम्मिलित थे। इन विद्यार्थियों का सामाजिक-आर्थिक स्तर काफी हद तक एक जैसा अर्थात् मध्यम था।

उपकरण - प्रस्तुत अध्ययन हेतु महाविद्यालय की छात्राओं से सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता से संबंधित प्रदत्त एकत्रित किये गये इस परिवर्ती के आकलन हेतु शोध करता द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया इस जागरूकता परीक्षण में सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित मुक्त अंत वाले प्रश्नों में से कुल 9 लघुउत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था। परीक्षण की अवधि 30 मिनट थी।

प्रदत्त संकलन - सर्वप्रथम न्यादर्श हेतु चयनित छात्राओं के महाविद्यालय प्राचार्य से शोध कार्य हेतु अनुमति ली गयी। न्यादर्श की संख्या अनुरूप शोध के आश्रित चर के आकलन हेतु आवश्यक 'जागरूकता प्रश्नावली' की छायाप्रतियाँ प्राप्त कर ली गयी। इसके पश्चात् चयनित छात्राओं को

मौखिक रूप से दिशा-निर्देश देकर अध्ययन का उद्देश्य स्पष्ट किया गया। न्यादर्श हेतु चयनित छात्राओं को जागरूकता कार्य द्वारा पढ़ायी जाने वाली विषयवस्तु पर आधारित पूर्व-परीक्षण प्रश्नावली का प्रशासन किया गया। तत्पश्चात् सभी विद्यार्थियों को जागरूकता के अन्तर्गत व्याख्यान (Lecture) विधि के माध्यम से छात्राओं को सोशल नेटवर्किंग साइट हेतु जागरूक बनाने का प्रयास किया गया। व्याख्यान के पश्चात् समस्त छात्राओं से एक पश्च-परीक्षण प्रश्नावली भरवायी गयी।

सारणी 1.1

सारणी 1.1 में सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित जागरूकता के लिए छात्राओं द्वारा दिए गए प्रत्येक प्रश्न के सही एवं गलत उत्तरों की संख्या एवं उनके प्रतिशत दिए गए हैं। तालिका से ज्ञात होता है कि अधिकांश प्रश्नों पर गलत उत्तर देने वाली छात्राओं की संख्या एवं उनका प्रतिशत मान, सही उत्तर देने वाली छात्राओं की संख्या और उनके प्रतिशत मान से अधिक है। अर्थात् सोशल नेटवर्किंग साइट जागरूकता कार्यक्रम से पूर्व छात्राओं को सोशल नेटवर्किंग साइट के संबंध में बहुत कम ज्ञान था। अतः यह निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि छात्राओं में सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता का स्तर बहुत अधिक नहीं पाया गया।

सारणी 1.1 से पुनः स्पष्ट होता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट जागरूकता कार्यक्रम के पश्चात् सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित जागरूकता प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न पर छात्राओं सही उत्तर देने का प्रतिशत मान 78.92 या उससे उच्च है। यह प्रदर्शित करता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट जागरूकता कार्यक्रम के पश्चात् छात्राओं के सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता से संबंधित ज्ञान स्तर में वृद्धि हुई है और छात्राओं के सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता के स्तर में विकास हुआ है। अतः यह निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि छात्राओं में जागरूकता कार्यक्रम द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता स्तर में सार्थक रूप से विकास पाया गया।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध से निम्न दो परिणाम प्राप्त हुए:

1. उपचार के पूर्व छात्राओं में सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता स्तर बहुत अधिक नहीं पाया गया।
2. सोशल नेटवर्किंग साइट जागरूकता कार्यक्रम द्वारा छात्राओं में, सोशल नेटवर्किंग साइट के प्रति जागरूकता स्तर में सार्थक रूप से विकास पाया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह शंकर (2005) इंटरनेट और आधुनिक पुस्तकालय, दिल्ली पूर्वांचल प्रकाशन।
2. मल्होत्रा महेंद्र (2012) मीडिया : सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सरोकार, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन
3. गुप्ता विनीता (2015) : संचार और मीडिया शोध, नई दिल्ली, वाणी प्रकाशन।

सारणी 1. 1% प्रश्नवार महाविद्यालय छात्राओं को सोशल नेटवर्किंग साइट की जानकारी प्रदान करने के पूर्व और पश्चात् प्रतिशत को दर्शाती तालिका

क्रं.	प्रश्न	सोशल नेटवर्किंग साइट के संबंध में जानकारी प्रदान करने के पूर्व प्रतिशत मान		सोशल नेटवर्किंग साइट के संबंध में जानकारी प्रदान करने के पश्च प्रतिशत मान	
		सही उत्तर देने वाली छात्राओं की संख्या व प्रतिशत	सही उत्तर नहीं देने वाली छात्राओं की संख्या व प्रतिशत	सही उत्तर देने वाली छात्राओं की संख्या व प्रतिशत	सही उत्तर नहीं देने वाली छात्राओं की संख्या व प्रतिशत
1	आप सुचना के लिए किस नेटवर्किंग साइट का उपयोग करते हो?	23 (88.46%)	03 (11.54%)	26 (100%)	00 (00%)
2	आप कितने समय तक नेटवर्किंग साइट का उपयोग करते हो?	18 (69.23%)	08 (30.77%)	22(84.62%)	04(15.38%)
3	क्या आप अपने विकास से जुडी सुचना सोशल नेटवर्किंग साइट से प्राप्त करते है?	06 (23.08%)	20 (76.92%)	20(78.92%)	06(21.08%)
4	क्या आपको नेटवर्किंग साइट के सन्देश प्रभावित करते है ?	10 (38.46%)	16 (61.54%)	26(100%)	0(00%)
5	क्या आप विकास से जुडी जानकारीयां नेटवर्किंग साइट पर शेयर करते हो?	18 (69.23%)	08 (30.77%)	22(84.62%)	04(15.38%)
6	क्या आप को लगता है की सोशल मीडिया से विकास में मदद मिलती है ?	11 (42.31%)	15 (57.69%)	26(100%)	0(00%)
7	क्या सोशल नेटवर्किंग साइट द्वारा युवा हितों का संरक्षण हो रहा है ?	22 (84.52%)	04 (15.38%)	26(100%)	0(00%)
8	क्या सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी बाधाओं को कम करते है ?	16 (61.54%)	10 (38.46%)	20(78.92%)	06(21.08%)
9	क्या सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा दी गई जानकारी प्रमाणित होती है ?	11(42.31%)	15 (57.69%)	21(80.77%)	03(11.53%)

A Brief Review on Introduction of Existing Vedic Mathematics

Dalendra Kumar Bhatt *

*Assistant Professor, Govt. College Anjad, Distt. Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - In the present era, there is an unannounced competition, accursed in the world to faster in the race one has mathematically strong. For this situation Vedic Mathematics plays an important role to help you can address any problem in seconds. One of the main purposes of this research is to implementation of Vedic mathematics to understand into simpler manner.

Introduction

Vedic Mathematics - There is so much evidence that shows that Indians played such a large role in the history of mathematics. In ancient Indian mathematic, the most important contribution by renowned Indians likes Aryabhata, Baudhayan, and Medhatithi and Sri Bharti Krishna Tirathji maharaj etc.

Vedic Mathematics was discovered from the Vedas between 1911 and 1918 by Sri Bharti Krishna Tirathji (1884-1960). According to Sri Bharti Krishna Tirathji maharaj all of Vedic Mathematics is based on sixteen sutras or formulas and 13 sub-sutras derived from Atharva Veda. Because the origin sources of the Sutras were found in Ancient Indian Vedas. That's why it is called Vedic Mathematics. Word "Vedas" which literarily means the fountainhead of all limitless knowledge. Vedas are considered to be one of the oldest forms of written literature include information from many subjects like Astronomy, Medicine, Architecture, Ancient technique for quick Calculations, foundation of Algebra, Geometry, basic framework for Numerical Analysis.

Vedic Mathematics includes only 16 Sutras they are very easy to remember, no hard to use and have simple way to understand them for anyone. Vedic Mathematics describes the easy way method of solution which helps in directing the student to simple technique of solution of the problems. Most important sources for Vedic Mathematics are found in Astronomy, Astrology.

Importance of Vedic mathematics- Technique of Vedic Mathematics enhances our understanding of mathematics problem to the student in every aspects of problem has an easy solution. Technique of solution of Vedic Mathematics helps anyone to solve problem faster. Vedic Mathematics used for solving mathematical problems in simpler manner. It caters to shortcuts, besides techniques to master numerical calculations in a fraction of seconds. By

application of these techniques, it is possible to calculate ten to fifteen times quicker than normal methods. It's Improve logical thinking process to gets enhanced and finger counting.

Vedic Mathematics provides the techniques for solving mathematics problem using a flexible refined and efficient mental system. One of the main purposes of Vedic mathematics is to transform the calculations into simpler manner.

Vedic mathematics provides important to have fast and efficient mechanism to implement mathematical functions. Vedic mathematics plays always an important role to make algorithms to simplify the mathematics and hence is perfect solution for the problem stated. Vedic mathematics provides more than one method for basic operations like multiplication and division.

Advantages of using Vedic Mathematics- In this era, there is competition, and all in the contest need to faster in the race one has mathematically strong. For this situation Vedic Mathematics plays an important role to help you can address any problem in seconds.

Vedic Mathematics is the mathematics which we discovered from Indian Vedas. And the modern math is a part of Vedic mathematics.

Vedic Mathematics leads to greater technique of mathematics, greater flexibility of mind, increased mental agility and will make you much better in mathematics.

Vedic Mathematics is flexible refined and efficient mental system, which means anyone can study and take advantage of its results. Structure of the Vedic Mathematics and its sixteen sutras or formulas and 13 sub-sutras are direct and easy. In the Vedic system the calculus of huge sums can often be solved immediately by anyone.

Why Vedic Mathematics is certainly more integrated?

1. Logical thinking process gets easy enhanced.

2. It reduces burden of rapid counting.
3. It helps everyone to solve problems faster.
4. Time saved can be used to solve other questions.
5. It provides us one word answer.
6. Its magical tool helps us to reduce large work and provides finger counting.
7. It increases concentration.

Summary and Future Work- Since, There is so much evidence that shows that Indians played such a large role in the history of mathematics, which gone be write-off so it should be studied. It's time to reform the research to develop more powerful and easy applications of the Vedic sutras in geometry, calculus, and computing. So I conclude that, not only does it seem that "there is still much scope for the study of Vedic Mathematics. Multiplication and Division have innumerable applications which can be implemented using Vedic Mathematics. The basic concepts of mathematics can undoubtedly generate interest in a subject that is generally dreaded by anyone.

References:-

1. Jagadguru Swami Sri Bharati Krisna Tirthaji Maharaja, "Vedic mathematics", Motilal Banarsidass Publishers Pvt Ltd, Delhi, 2009.
2. Jain, Laxmi Chandra. Basic mathematics. Jaipur: Rajasthan Prakrit Bharti Sansthan; New Delhi: Sitarambhartia Institute of Scientific Research, 1982.
3. Kulakarni, Raghunatha Purushottama. Geometry according to Sulba sutra. Pune: Tilak Maharashtra Vidyapitha, Vaidika Samsodhana Mandala, 1983.
4. Pandit, M. D. Mathematics as known to the Vedic Samhitas. 1st ed. Delhi, India: Sri Satguru Publications, 1993.
5. Prakash, Satya. A critical study of Brahmagupta and his works. New Delhi: Indian Institute of Astronomical & Sanskrit Research, 1968.
6. Honey Durga Tiwari, Ganzorig Gankhuyag, Chan Mo Kim, Yong Beom Cho, "Multiplier design based on ancient Indian Vedic Mathematics", 2008 International Conference
7. Parth Mehta, Dhanashri Gawali, "Conventional versus Vedic mathematical method for Hardware implementation of a multiplier", 2009 International Conference on Advances in Computing, Control, and Telecommunication Technologies.
8. Prabir Saha, Arindam Banerjee, Partha Bhattacharyya, Anup Dandapat, "High Speed ASIC Design of Complex Multiplier Using Vedic Mathematics", Proceeding of the 2011 Technology Symposium 14-16 January, 2011, IIT Kharagpur.
9. Anvesh Kumar, Ashish Raman, Dr. R.K. Sarin, Dr. Arun Khosla, "Small area Reconfigurable FFT Design by Vedic Mathematics", 2010 IEEE.
10. Himanshu Thapliyal, M.B Srinivas, "An Efficient Method of Elliptic Curve Encryption Using Ancient Indian Vedic Mathematics", 2005 IEEE.

भारतीय न्यायपालिका की स्वर्णिम विकास यात्रा : आजादी का अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में

डॉ. लोक नारायण मिश्रा *

* सहायक प्राध्यापक (विधि) शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना - यतो धर्मस्ततो जयः
अर्थात् जहा धर्म है वहाँ जय (जीत) है।**

भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने उद्देश्य वाक्य के साथ निरंतर न्याय हित में नित नए सोपानों को तय कर रहा है, आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब हमें आवश्यक है कि हम शासन के प्रमुख स्तंभ न्यायपालिका में हुए बदलाव एवं विकास पर चर्चा करें। भारतीय न्यायपालिका आजादी के पश्चात स्वतंत्र स्तंभ के रूप में लगातार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। प्राचीन सोच यह कि न्याय केवल राज्य तंत्र का गुलाम है तथा न्याय पाने का अधिकार केवल धनिक वर्ग तक सीमित है की परिकल्पना को बदलकर भारतीय न्यायपालिका ने नवीन अवधारणा के विकास की ओर अग्रसर किया है, वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका का उद्देश्य न्याय चला गरीब के द्वार संकल्पना के साथ अग्रसर है इस बीच इन 75 वर्षों में कई बार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य किसी विधि के पालन या विधायिका के साथ विधि निर्माण को लेकर मतभेद भी पैदा हुए परंतु जैसा कि शासन का उद्देश्य जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना न्याय हित में समाज का परिशोधन आदि अनेक विषय ऐसे हैं जहाँ शासन के सभी स्तंभ के साथ न्यायपालिका ने भी विकास यात्रा पूर्ण की है। सन 1951 में शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ के बाद से लेकर सबरीमाला प्रकरण तथा अयोध्या प्रकरण तक आज विभिन्न मामलों में न्यायालय ने राज्य में शांति सौहार्द तथा न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान अध्ययन में हम न्यायपालिका के उन सभी प्रकल्प का अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा न्यायपालिका ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अपना योगदान निभाया है।

व्यक्तिगत वाद हित से लोकहित तक- न्यायालय का पारम्परिक दृष्टिकोण यह रहा है की न्याय केवल पीड़ित के आवेदन पर ही प्रदान किया जाये परन्तु न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न हुआ की ऐसे प्रकरण पर जहा भारत की अधिकांश आबादी निरक्षर एवं न्यायालय की प्रक्रिया से अवगत नहीं है, वहाँ न्याय का सामान वितरण हो पाना संभव नहीं है और यदि सामान्य गरीब और अंतिम नागरिक तक न्याय नहीं पहुँचता तब हम अपने आजादी के सही मायने को प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसी अवधारणा का विकास माननीय न्यायाधीश पीएन भगवती जी ने 80 के दशक में किया है जिसका उद्देश्य सामान्य नागरिक तक न्याय को पहुँचाना था। इस कार्य में एक और महत्वपूर्ण नाम है जिसने इसके विकास में अपना योगदान दिया है

जस्टिस कृष्णा अय्यर जिन्होंने भारत में लोकहित वाद के विकास को गति दी न्यायालय की मान्यताएं हैं की ऐसी समाजसेवी संस्थाएं एवं लोग जो अपना हित सामाजिक कार्य में रखते हैं वह अन्य किसी की ओर से न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकते हैं भले ही उनका कोई व्यक्तिगत हित ऐसे कार्य में ना हो, साथ ही न्यायालय ने इस अवधारणा का विकास किया की न्याय केवल अमीरों की चौखट की दासी न बन जाए इसलिए आवश्यक है कि प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए ताकि सामान्य जन न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरण को लेकर प्रस्तुत कर सके एवं न्याय प्राप्त कर सकें, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक पत्र या पोस्ट कार्ड न्यायालय के समक्ष भेजता है जिसमें उसकी व्यथा का विवरण हो तो न्यायालय उसे लोकहित वाद मानेगा एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ के प्रकरण में माननीय न्यायालय ने यह बात स्पष्ट कर दी है। मुंबई कामगार सभा के प्रकरण से लेकर वर्तमान तक न्यायालय का क्रेडिट बिंदु लोकहित रहा है।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में न्यायालय प्रतिक्रिया का विकास- ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका ने केवल मानवीय बिंदु को अपने क्षेत्राधिकार का आधार माना है बल्कि यह 75 वर्षों में सामान्य प्रकरण के अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण, सामान्य प्राणी के अधिकार, मानव अधिकार आदि विषयों पर अपने दृष्टिकोण से वृहद विकास किया है परिणाम स्वरूप राज्य द्वारा पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के प्रति उदासीन रवैया को माननीय न्यायालय ने लापरवाही माना है एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने हेतु यूनिनयन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ के मामले में माननीय न्यायालय ने पूर्ण दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह निर्धारित किया कि खतरनाक वस्तुओं का संग्रह भले ही प्राधिकार से किया गया हो परंतु उस से होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति संग्रहणकर्ता को करना होगा इसके अतिरिक्त प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, एहतियात का सिद्धांत, लोक विश्वास का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, गरीबी उन्मूलन में पर्यावरण की सहायता, स्वस्थ पर्यावरण का मौलिक अधिकार, लोकहित का सिद्धांत आदि सिद्धांत प्रतिपादित करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समूची पृथ्वी के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। गौरव की बात है आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव 75 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तब हमारी न्यायपालिका गंभीर विषयों पर संवेदनशील है।

प्रशासनिक सुधार के विषय पर न्यायालय दृष्टिकोण का विकास- स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक वर्षों पर न्यायालय का कार्यक्षेत्र केवल उन

विषयों तक सीमित रहता था जो पक्षकारों के मध्य विवाद से उत्पन्न होते थे एवं न्यायालय के समक्ष पक्षकार स्वयं उपस्थित करते थे व्यक्तिगत पक्षकार तथा कुछ मामलों में राज्य प्रतिनिधित्व करते थे परंतु विगत 75 वर्षों में जो महत्वपूर्ण सुधार विकास न्यायालय की पद्धति में हुआ है वर्तमान समय में सामान्य कामकाज के अतिरिक्त प्रशासनिक सुधार शासन की कार्यप्रणाली एवं सामान्य जन के प्रति शासन की संवेदनशीलता आदि विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय देकर एक जिम्मेदार एवं अनुभवी न्यायपालिका होने का परिचय दिया है विभिन्न न्यायालय में प्रकरण चाहे वह यस आर मुंबई का प्रकरण अथवा चाहे वह केशवानंद भारती का प्रकरण है न्यायालय के निर्णय से यह बात सिद्ध होती है की निरंकुश शासक के प्रति संतुलन या नियंत्रण की जिम्मेदारी का निर्वाह भारतीय न्यायपालिका ने इन 75 वर्षों में बखूबी निभाई है। भविष्य में शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ, गोलकनाथ बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के प्रकरण को न्यायपालिका के स्वर्णिम गाथा के रूप में याद किया जाएगा।

पारिवारिक विधियों एवं समाज सुधार के क्षेत्र में न्यायालय दृष्टिकोण का विकास – प्रारंभिक वर्षों में न्यायालय का नजरिया इस बात तक सीमित था की पारिवारिक विधियां केवल व्यक्तिगत धर्म के आधार पर संचालित की जानी चाहिए उन पर न्यायालय हस्तक्षेप सीमित मात्रा में किया जाए ताकि सामाजिक संगठन बना रहे। परंतु जब न्यायालय में समय अंतराल के पश्चात यह देखा की सामाजिक बुराईयां परिवारों को दीमक की तरह चाट रही है जिसके कारण पारिवारिक विघटन सामाजिक सुरक्षा एवं राष्ट्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो न्यायालय में अपने नजरिए पर विकास करते हुए पारिवारिक विधियों को संशोधित करने का कार्य प्रारंभ किया है विभिन्न प्रकरण जैसे गीता हरिहरन बनाम एसबीआई जहां एक महिला को बच्चे का प्राथमिक संरक्षक घोसित किया शाहबानो प्रकरण में एक मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकार प्रदान किया समय-समय पर विभिन्न बुराईयों जैसे तिहरा तलाक संदर्भ में – सायरा बानो प्रकरण, महिलाओं के प्रति क्रूरता, महिलाओं को मंदिर जाने का अधिकार संदर्भ में – सबरीमाला प्रकरण, आपसी सहमति से हिंदुओं का पारिवारिक विघटन हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम 1976 के धारा 13 बी आदि प्रकरणों में न्यायालयीन दृष्टिकोण के विकास का परिचय प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय नीति एवं नवीन तकनीकी से संबंधित अवधारणा का विकास – समय के साथ न्यायपालिका ने आधुनिक तकनीकों को आत्मसात किया है ऑनलाइन सुनवाई, कोर्ट की कार्यवाही को वेबसाइट के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। पहले जहां किसी भी निर्णय की प्रति प्राप्त करने में महीनों समय लगते थे वर्तमान में कोई भी व्यक्ति संबंधित निर्णय को वेबसाइट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकता है कोर्ट की कार्यवाही पारदर्शी बनाना, कार्यवाही का लाइव प्रसारण संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से किया जाना आदि तकनीकी विकास की दृष्टि से उपलब्धियों में से एक है। समाज पर पड़ने वाले तकनीकी के प्रभावों के प्रति समय-समय पर न्यायपालिका सचेतक की भूमिका निभाती है श्रेया सिंघल के बाद में तकनीकी के माध्यम से किए गए अभिव्यक्ति को सुरक्षित करने हेतु न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है साइबर क्राइम के विरुद्ध समय-समय पर शासन को अवगत करा के एवं सुधारों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना महत्वपूर्ण कार्य न्यायपालिका द्वारा

किया जा रहा है। जस्टिस पुतास्वामी के प्रकरण में गोपनीयता के अधिकार को मूल अधिकार निरूपित किया है तथा साथ ही यह स्पष्ट किया की गोपनीयता के अधिकार को राज्य विधि बना कर भी नष्ट नहीं कर सकती यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है तथा राज्य इसका सम्मान करें।

मूल अधिकारों के विकास में न्यायालय का योगदान – स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात भारत में मूल अधिकार बाल अवस्था में थे परंतु इन 75 वर्षों में मूल अधिकारों को भारतीय न्यायपालिका ने एक वृहद अवधारणा के रूप में विकसित किया है जहां स्वस्थ पर्यावरण से लेकर मानव के गरिमा पूर्ण जीवन, आवास का अधिकार, स्वास्थ्य जल का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार, निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार, अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, प्राइवसी का अधिकार, बलात्कार पीड़ित महिला को प्रतिकार पाने का अधिकार आदि मूल अधिकारों का विकास न्यायालय ने समय-समय पर न्याय हित एवं सामान्य जन के हित में प्रतिपादित किया है भविष्य में भारत के इतिहास के स्वर्णिम गाथाओं में इसे स्थान प्राप्त होगा।

केंद्र राज्य संबंधों के विकास में न्यायपालिका का योगदान – विगत 75 वर्षों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने सत्ता के दो केंद्र के मध्य आपसी सामंजस्य बढ़ाने एवं सामूहिक गतिविधियों से राज्य एवं देश के विकास को प्रेरित करने का कार्य किया है विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से चाहे वह कावेरी जल विवाद हो या विभिन्न राज्यों की सीमाओं से संबंधित या कर के आवंटन का विवाद हो ऐसे प्रकरण में न्यायपालिका ने सामंजस्य बनाने का कार्य किया ताकि सामान्य कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाए बिना शासन का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके।

निष्कर्ष – आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब शासन के विभिन्न अंगों के साथ-साथ न्यायपालिका के विकास का अवलोकन करना भी अवश्यभावी हो जाता है क्योंकि किसी भी देश की कार्यप्रणाली के मध्य संतुलन का कार्य न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। किसी ने सही कहा है कि वह राज उतना ही समृद्ध साली होगा जहां सामान्य जन को न्याय तथा निरंकुश शासन का अभाव हो इन दोनों ही अवधारणाओं के विकास में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शायद यही कारण है कि हमारे साथ आजाद होने वाले कई देशों तुलना की जाए तो हमारी स्थिति बेहतर मिलती है हमारे साथ आजाद होने वाले कई देशों में आज प्रजातंत्र खतरे में है, मानव अधिकार ऋणआत्मक बिंदु पर हैं, परंतु हम वर्तमान में दुनिया की सर्वाधिक विविधता वाले देश में रहने के बावजूद आज विश्व के प्रमुख विकसित लोकतंत्र वाले देशों में गिने जाते हैं, जिसका कारण यह है कि हमारे देश में निरंकुश शासन को स्थान नहीं दिया गया संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को स्थापित किया गया है। न्यायपालिका ने पिछले 75 वर्षों में अपनी भूमिका का बड़ी सजगता के साथ निर्वाह किया है सामान्य शासन के विभिन्न क्षेत्रों पर्यावरण, प्रशासनिक दक्षता, मूल अधिकारों का सामान्यीकरण के साथ-साथ शासन व्यवस्था, राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य संबंध, अंतरराष्ट्रीय परंपराओं का निर्वहन आदि क्षेत्रों में न्यायपालिका ने अविस्मरणीय योगदान किया जिसे इन 75 वर्षों की यात्रा में शामिल किया जाना चाहिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज हम लोकतंत्र को इसीलिए बचा पाए क्योंकि हमारे पास एक स्वतंत्र

एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है जो कि विश्व के अन्य देशों से भिन्न है।

हम आशा करते हैं भविष्य में भी हमारी न्यायपालिका एक समृद्धशाली देश के निर्माण में अपना निरंतर योगदान देगी और हम न्यायपालिका के इस गौरवशाली परंपरा को कायम रखने में अपना योगदान देंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. केशवानंद भारती प्रकरण 1973 4SCC 225
2. पुत्तास्वामी प्रकरण – WRIT PETITION NO. - 494 of 2012
3. शाहबानो प्रकरण – AIR 1985 SC 945

अष्टछाप कवियों का कथक नृत्य में योगदान

डॉ. सुचित्रा हरमलकर* निवेदिता पंड्या**

* विभागाध्यक्ष (कथक नृत्य) शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – अष्टछाप कवियों की रचनाओं और पदों की अमिट छाप कथक नृत्य पर बहुत गहरी है। यही नहीं, यह अष्टछाप की ही विशेषता है कि मध्यकाल के विद्वेष, घृणा और पारस्परिक वैमनस्य के जलते वातावरण में इन्होंने धर्म, दर्शन, भक्ति, काव्य और नृत्य-संगीत आदि कलाओं की ऐसी विमल स्रोतस्विनी बहाई, जिससे सहृदय आज तक रससिक्त और आनन्दमग्न होते आए हैं। यह अष्टछाप ही है जिनकी प्रेरणा से समस्त भारतीय जीवन कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गया; चारों ओर मंदिरों में कृष्ण-संकीर्तन की पवित्र, मधुर और संगीतमय ध्वनि गूँज उठी। अष्टछाप निःसंदेह हमारे जीवन में जीवन संचारिणी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। यह हमारे धार्मिक, सामाजिक, कला जगत, साहित्यिक तथा सम्पूर्ण सांस्कृतिक जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इनकी रचनाओं और पदों ने हर विद्या को कृष्णमय बना दिया है। आज साहित्यों और संस्कृतियों का अधिकतर भाग कृष्णभक्ति से ओतप्रोत है।

सन् 1602 में आठ संगीतज्ञ भक्त-कवियों की एक मंडली की स्थापना हुई, उस संगठन का नाम 'अष्टछाप' रखा गया। उस मण्डली के चार सदस्य कुंभनदासजी, सूरदासजी, कृष्णदासजी, परमानंददासजी जो श्री बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे तथा अन्य चार गोविंदस्वामी, छीतस्वामी, चतुर्भुजदासजी और नंददास जी यह सभी विठ्ठलनाथ जी के शिष्य थे। इन सभी महान अष्ट कवियों ने अपना सम्पूर्ण जीवन श्रीकृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया तथा गोवर्धन में निवास कर श्रीनाथ जी के कीर्तन के लिये अनगिनत पदों की रचनाएँ की, जिससे कृष्ण भक्ति का प्रचार-प्रसार तो हुआ ही साथ ही नृत्य और संगीत जगत को भी समृद्धि प्राप्त हुई थी।

'अष्टछाप की स्थापना में गोसाईं विठ्ठलदास जी का उद्देश्य यही था कि प्रभु-लीला गान से सम्बन्धित पदों का गायन मंदिरों में ठाकुरजी की झांकियों के समय प्रतिदिन होता रहे। अष्टछाप की स्थापना के साथ संगीत कीर्तन की उचित व्यवस्था हुई। अष्टछाप के प्रायः सभी कवि संगीत कला के मर्मज्ञ थे। अतः उन्होंने भिन्न-भिन्न राग-रागिनियों में संगीतमय पदों की रचना की। इनके पदों द्वारा कीर्तन की व्यवस्था करने वाले कीर्तनकारों को संगीत शास्त्रानुसार गान, वाद्य, लय, स्वर, ताल आदि का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक था। कीर्तन की इस योजना से संगीत कला का विशेषतः संगीत की ध्रुपद आदि शैलियों का बहुत विकास हुआ। तानसेन जैसे विश्व प्रसिद्ध गायक भी सूरदास आदि अष्टछाप कवियों की कला से प्रभावित हुए।'

अष्टछाप के कवियों और उनकी रचनाओं को शास्त्रीय रूप प्राप्त हुआ और इनके पदों का कथक नृत्य में भाव प्रस्तुति के लिये प्रयोग होने लगा।

काव्य माधुरी, प्रेम और संगीत-नृत्य कला की सरस झंकार ने उस युग में ऐसा प्रभाव डाला कि हिन्दु और मुस्लिम दोनों ही कृष्ण भक्ति में डूब गये अतः कथक नृत्य की धारा जो दो भागों में विभक्त थी – दरबारी नृत्य और मंदिरों का नृत्य दोनों में अष्टछाप कवियों की रचनाएँ नृत्य प्रस्तुति में शामिल होने लगी। अनेक कीर्तन, पद संग्रह, राग-रागिनियों की पुस्तकों के रूप में गायक समाज में अष्टछाप की रचनाएँ सुरक्षित रहीं और अब भी सुरक्षित हैं।

कथक नृत्य के भाव पक्ष में तुमरी का अत्यधिक महत्व है। तुमरियों में शृंगार रस की प्रधानता होती है। अष्टछाप कवियों में सूरदास जी, नन्ददास जी और परमानंददास जी के काव्यों में शृंगार रस के विभिन्न प्रसंगों के अनेक सुन्दर शब्द चित्र, भावचित्र और ध्वनिचित्र देखने को मिलते हैं इसलिए इनकी रचनाओं को कथक नृत्य में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इन रचनाओं को गीतों के माध्यम से तथा कवित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन अष्टछाप कवियों के अनेक छन्द व पद आज कथक नृत्य में भाव प्रदर्शन के लिये प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

अष्टकवियों ने मुख्यतः पदों की रचना की है। अष्टछाप कवियों में नन्ददास की यह भी एक विशेषता है कि उन्होंने दोहा-चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा, कवित, सवैया आदि कई छन्दों का सफल प्रयोग किया है। उनमें विभिन्न राग-रागिनियाँ पाई जाती हैं जिसे गीत का स्वरूप देकर कथक नृत्य में प्रयोग किया जाता है। नन्ददास जी की रचनाओं में कृष्ण भक्ति और शृंगारिक भाव परस्पर देखने को मिलते हैं। उदाहरण स्वरूप –

“रसमय सुरसुति के पग लागौ।

अस अच्छर घो इहि वर मांगौ॥

सुन्दर कोमल वचन अनूठे।

कहत सुनत समुझत इति मीठे॥

नाहिन उधरे गूढ़ न ऐसे।

मरहठ देस-वधू-कुच जैसे॥

रस विहीन जे अच्छर सुनहीं।

ते अच्छर फिरि निज सिर धुनहीं॥

बाला – स्मित कयच्छ अरु लाजा।

अंधरे बालम फै किहि काजा॥

ज्यों तिय सुरत समय सितकारा।

निफत जाहि जौ वधिर भतारा॥

कवि अच्छर अरु तरुनि – कटाछै।

ए दोऊ सुलग लगे हिय आछै॥

जो हिय अच्छर - रस नहि भिदै।

सो हिय अर्जुन बान न छिदै।¹²

अष्टछाप कवियों पर कृष्ण रास लीला का अत्यधिक प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि रचनाएँ व पद कृष्ण रास सम्बन्धित रहीं हैं और वहीं कथक नृत्य की ओर देखें तो यहाँ भी रास नृत्य व कथक परस्पर इतने एकरूप हैं कि इनका अलग-अलग विवेचन करना लगभग असम्भव है। रास तथा कथक नृत्य के काव्य पक्ष में छन्दों का प्रयोग होता है और अष्टछाप कवियों ने अपनी सभी रचनाएँ छन्दों के रूप में ही प्रस्तुत की है।

कथक नर्तक अपने प्रदर्शन में नृत्य पक्ष के प्रस्तुतिकरण में बदलाव के तौर पर कविता को पढ़कर उन पर प्रस्तुति कर समा बांधते हैं और वहीं अष्टछाप कवि, भक्ति रस में डूब कर कवित्त के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे। कवियों ने रास से सम्बन्धित अनेक कवित्तों की रचना की जो विभिन्न कथक नृत्य आचार्यों द्वारा प्रयोग में लायी गई है।

अष्टछाप के कवि कुंभनदास जी ने 22 पदों की रचना रास सम्बन्धित लीलाओं पर ही की है जिन्हें भाव प्रस्तुति में प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरणार्थ -

“रास में गोपाल लाल नाँचन मिलि भामिनी।

अंस-अंस भुजनि मेलि, मंडल मधि करत केलि,

कनक - बेलि मनु तमाल स्याम संग स्वामिनी॥

उरप निरप, लाग-डाट ब्रज-तात थेई - थेई था

सुधर सरस राग तैसी ए सरद जामिनी।

‘कुंभनदास’ प्रभु गिरिधर नटवर - वपु - भेष धरे,
निरखि - निरखि लज्जित कोटि काम-कामिनी॥¹³

‘सूरदास’ जी अष्टछाप कवियों में मुकुटमणि माने जाते हैं उन्होंने कला साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनकी रचनाओं का सर्वाधिक प्रयोग कथक नृत्य में किया जाता है।

नृत्यत है दोउ स्यामा - स्यामा।

अंग मगन पिय तै प्यारी अति, निरखि चकित ब्रज - बाम।

तिरप लेत चपला सी चमकति, झमकत भूषण अंग।

या छबि पर उपमा कहूँ नाही, निरखत बिबस अनंग॥

श्री राधिका सकल गुन पूरन, जाके स्याम अधीन।

संग ते होत नहीं कहूँ न्यारे, भए रहत अति लीन॥

रस-समुद्र मानौ उछलति भौ, सुंदरता की स्वानि।

‘सूरदास’ प्रभु रीझि थकित भए, कहत न कछू बखानि॥

इसी तरह अष्टछाप कवि बल्लभ संप्रदाय के अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति कृष्णदास जी रहे। उन्होंने काव्य, नृत्य और संगीत की दृष्टि से रास संबंधी अनेक महत्वपूर्ण रचनाएँ रची हैं। उनका रास विषयक एक पद है जिसमें कथक नृत्य के तकनीकी शब्दों का प्रयोग हुआ है और अनेक ऐसे पद हैं जिसमें कथक के मूल शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे तततत थेई, धिलांग, उरप-तिरप, लांग-डाट आदि। ऐसे ही यहाँ कुछ पदों और कविता का उल्लेख है -

“नाँचनि गोपाल संग, प्रेम सहित रास-रंग,

ततथेई ततथेई कहित घोष - नागरी।

रूप-रासि अंग-अंग, देति तान वर सुधंग,

लास्य भेद निपुन कोक रस - उजागरी॥

लेति सुलप-उरप-तिरप, नव उरज बदन फिरति,

मुखरित मनि - दाम मिलई अलग लागरी।

‘कृष्णदास’ प्रभु गिरिधर रीझि लिये सुबस किये,

तरनि - तनया तीर बधू गुनन - आगरी॥¹⁴

रास रच्यौ बन कुँवर - किसोरी।

मंडल विमल सुभग वृंदावन, जमुना - पुलिन श्याम घन घोरी॥

बाजत वेणु - - किन्तरी, कंकन - नूपुर - किकिन सोरी॥

ततथेई ततथेई सब्द उधरि पिय, भलें बिहारी - बिहारनि जोरी॥

बरहा मुकट चरन तट आवत, धरै भुजन में भामिनी कोरी।

आलिंगन - चुबन - परिरंजन, ‘परमानंद’ डारत तून तोरी॥

नंददास जी द्वारा रचित एक रास सम्बन्धी पद है जो कथक नृत्य में भाव प्रदर्शन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है -

निरत गिरिधरन संग रंग भरी नागरी

वृंदावन रम्य जहाँ, बिहरत पिय - प्यारी तहाँ,

मंडल रचिरास रसिक जुबती बन - बाग री॥

बाजत अनहद मृदंग, लाल बिना गति सुधंग

अंग-अंग लग्यौ निरखि जग्यौ रंग - राग री॥

ततथेई शब्द करत सकल नृत्य भेद सहित।

सुलप सची उरप-तिरप लेत नागरी॥

बाँह जोड़ी करी कुँवारी, नवल पिय सौ नवल प्यारी

दामिनी सी दरसै रूप - गुनन आगरी॥

प्रेम-पुंज गोकुलनारी, ससि सौ सुभग चारी,

बिरहत विपिन विलास बड़े जुभाग री॥

मास षट बिहार तेते, निमिष हू न जाने केते,

‘नंददास’ प्रभु संग रैन रंग जाग री॥

अष्टछाप काव्य का क्षेत्र सीमित है। इनका विषय केवल कृष्ण लीलाएँ ही रहा है। अष्टछाप कवियों के पदों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें भाव-प्रविणता बहुत पाई जाती है। अष्टछाप का भाव पक्ष बहुत सबल है इसलिये कथक नृत्य में भाव प्रदर्शन में इनके पदों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सूरदास, परमानंददास और नंददास कवियों ने शृंगार, भक्ति और वात्सल्य रस को शिखर तक पहुँचाया है। शृंगार रस के विभिन्न प्रसंगों के अनेक सुन्दर शब्द चित्र, भावचित्र और ध्वनिचित्र सूरदास, नंददास तथा परमानन्ददास के पदों में देखने को मिलते हैं। जिन्हें कथक नृत्य में बखूबी प्रदर्शित किया जा सकता है। सभी प्रकार की अष्टनायिकाओं - स्वकीया, परकीया, अज्ञान, यौवना, मुग्धा, मध्यमा, प्रौढ़ा, उद्धा, खण्डिता आदि का वर्णन इनके पदों में मिलता है।

अष्टनायिकाओं की व्याख्या कथक नृत्य में उत्कृष्ट रूप से अभिव्यक्त की जाती है, इनकी भावभिव्यक्ति के लिये नर्तक द्वारा अष्टछाप कवियों की रचनाओं का प्रयोग सर्वाधिक दिखलाई देता है। काल, अवस्था और परिस्थितियों के अनुसार राधा-कृष्ण की रूप माधुरी के अनेक शब्द चित्र अष्टछाप पदों में प्राप्य है जिनके प्रयोग से निश्चित तौर पर कथक का भाव पक्ष समृद्ध हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यकालीन कृष्ण काव्य पृष्ठ-39
2. मध्यकालीन कृष्णकाव्य पृष्ठ-80
3. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृष्ठ-213
4. ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृष्ठ-214

Job Prospective in the Profession of Physical Education in India

Dayaram Rajpoot*

*Sports Officer, Government College Kasrawad, District- Khargone (M.P.) INDIA

Abstract - In this paper, physical education graduates and post graduates obtain skills which furnish them for employment in a broad range of career opportunities, including other sections of education, national and regional sports and recreation organizations, local government, the health and fitness industry and sports coaching. Physical Education is an integral part of Education. It starts in the human life from conception of the child in the mother womb. Physical Education is the education which is gained through the physical activities in various conditions and its related responses. Through Physical Education the all round development of the individuals can be made. Physical Education is the most diverse subject. Students have to study all kind of subject right from Philosophy to Information Technology. Physical Education provides a solid foundation preparing an individual to pursue a variety of careers, from chiropractic to teaching, from recreation leadership to athletic training, and from dance therapy to sports management. Today, Physical Education professionals have a very important role to play in the future of the health of our nation and the world.

Keywords- Physical Education Entrepreneur, Psychologist, Sports Columnist, Chiropractor, Therapist.

Introduction - Physical Education deals with the frame of the human body, taken during basic and secondary education that encourages psycho-motor learning in play or movement exploration setting to promote health. The aims and objective of physical education depend to a great extent on the political, economic and social changes that take place in a society like the development of organic fitness, the development of neuro- muscular skill, the development of character and personality, to prepare highly qualified leaders in the field of physical education and sports. The physical education has a major role to play a role in school system. Without physical education program, we can never hope for a child's wholesome development. Now-a-days, professionals in the field of physical education and sports have good opening in this areas. In the C.B.S.E, curriculum physical education is compulsory subject in the +2 level. Moreover, physical education is of equal important for all students from class's nursery to 10th standard. For this the candidates should have some skills like information of human movements, health and physical activity, Information of another academic discipline of interest to individual, awareness of the holistic nature of health and movement, coaching motivation and teaching skills, interpretive and analytical thinking, leadership and organization skills, interpersonal skills, critical reflection.

Physical Education helps to students:

1. Learn skills in a variety sports, games, dance, swimming, and outdoor pursuits for own enjoyment and

to share with others in many ways.

2. Develop creativity, leadership, organization, management and communication skills which are most important in any interaction in career.
3. Come to understand the science of the human body and how it works, especially the musculoskeletal system, the nervous system, the respiratory system – and the cardiovascular system – and learn how to apply this knowledge to improve sports or dance skills, to repair injury, or to make appropriate exercise and nutrition decisions.
4. Understand and apply principles of healthy living, physically, mentally, emotionally, spiritually, socially, and environmentally.

Career Prospects: The scenario has changed somewhat. A career in physical education has started bringing a plethora of job opportunities.

i. Physical Education Teacher: Physical education teacher will teach health education and physical education in the schools. Coaching of different games and sports is also the one duties of physical education teacher in schools. Apart from this they have the responsibility to monitoring of students, lunch, hall, attending faculty and parent-teacher conferences, and meeting organizing annual sports etc.

ii. Assistant Professor, Associate Professor and Professor: In the college or universities can be worked as Assistant Professor, Associate Professor and Professor as per qualified to teach physical education in various

specialized area of subjects.

iii. Sports Officer, Director of Physical Education and Sports:

In the college or universities can be worked as Sports Officer, Director of Physical Education and Sports. They are assigned to look after the various developmental aspects in the field of Physical Education and sports, organizing various sports competitions etc.

iv. Inspector of Physical Education in Government Dept. and Private sector.

v. Manager /Instructor of Health Club and Fitness centre.

vi. Career in Sports Management & Journalism: Sports Event Manager, Sports Development Manager, Sports Marketing Manager, Sports-celebrity Manager, Sports Journalist, Sports Writer, Sports Columnist, Sports Editor

vii. Police and paramilitary officers

viii. Officers in Indian defense service

ix. Chiropractor : Chiropractors diagnose and treat patients whose health problems are associated with the muscular, nervous and skeletal system, especially the spine. They take the patient's medical history. They can specialize in sports injuries, nutrition etc.

x. Exercise Therapist: Exercise therapist provide services that help restore function, improve mobility, relieve pain and prevent or limit permanent physical disabilities of people suffering from injuries or diseases.

xi. Occupational Therapist: Occupational therapist helps people to improve their ability to perform tasks in their daily living and working environment. They work with individuals who have conditions that are mentally, physically, developmentally or emotionally disabling. They may also known as counselor.

xii. Athletic Trainer: Athletic trainers are one of the first health care providers when injuries occur. They are heavily involved in the rehabilitation and recognition of injuries. They often help to prevent injuries by advising on the proper use of equipment and applying protective devices. Athletic trainers works under the supervision of licensed physician and in corporation with other health care providers.

xiii. Fitness Specialist, personal fitness trainer, fitness director: Fitness workers lead, instruct, and motivate individuals or groups in exercise activities, including cardiovascular exercise, strength training, and stretching. They work in commercial and nonprofit health clubs, country clubs, hospitals, universities, resorts, and clients' homes. Increasingly, fitness workers also are found in workplaces, where they organize and direct health and fitness programs for employees of all ages.

xiv. Recreation worker: People spend much of their leisure time participating in a wide variety of organized recreational activities, such as arts and craft, the performing arts, camping, sports, and outdoor adventure activities. Recreation workers plan, organize, and direct these activities in local playgrounds and recreation areas, parks, community centers, religious organizations, camps, theme

parks, and tourist attractions.

xv. Dance and aerobics Instructor

xvi. Online Platforms: There is no dearth of jobs on online platforms like YouTube, Zoom, Google Meet, WebEx etc. Required: Tech-savvy, Good Communication skills, Online Video consultations, YouTube videos

xvii. Career as an Entrepreneur: Sports Academies, Sports Equipment Manufacturing, Publishing House, Aerobic Training Centers

xviii. Sports Management: Athletic administration, Sports agents, Program director in community sports programme, Sports marketing, Fitness management, Sports event management

xix. Geriatric Fitness Specialist: Geriatrics refers to the clinical aspects of aging and comprehensive health care of older persons. A geriatric fitness specialist is a combination of a fitness worker and an exercise therapist.

xx. Athletic Coach: A physical education professional can be a coach of any game and sports considering his/her specialization and interest. They can design the coaching programme. They can engage in various schools, colleges, universities, clubs etc.

Conclusion- A wide range of career options are already available. Physical education based job market to grow in near future. All the above are the important bright career prospective after having the physical education qualification. Students can opt according to their interest. Even no steps have been taken by our state Govt. to provide the facilities and opportunities to the students. Moreover India has the policy but no have proper implementation. So this is the time to review once again for making a proper policy to uplift the standard of the physical education in the country to strengthen the sports culture as well as the providing the career opportunities for the betterment of sports personalities and physical education professionals.

References:-

1. Kamlesh M.L. **Psychology in physical education and sports**. New Delhi, Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd. 1987.
2. Killingsworth, R., J. Earp, and R. Moore. Sept.-Oct. 2003. Supporting Health through Design: Challenges and Opportunities. American Journal of Health Promotion. Vol. 18, No. 1, pp. 1-2.
3. Dr. Prof. T.F Gulhane IOSR Journal of Sports and Physical Education (IOSR-JSPE) e-ISSN: 2347-6737, p-ISSN: 2347-6745, Volume 1, Issue 5 (May-Jun. 2014), PP 21-22 www.iosrjournals.org
4. **National Council for Teacher Education (NCTE)**, Near Metro Station, New Delhi
5. **University Grant Commission, New Delhi**. <https://ugc.ac.in>
6. **Sports authority of India**, New Delhi.- <https://www.yas.nic.in>.
7. Syam Narayan Singh Sharirik Shiksha Ek Samagra Adhyayan khel Sahitya Kendra Edition 2018

डिजीटल मार्केटिंग - एक अध्ययन

डॉ. दिलीप पाटीदार *

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - 'डिजिटल मार्केटिंग' संभावित ग्राहकों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचना अर्थात अपने उत्पाद एवं सेवाओं संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में भेजना। इस माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए Internet, SEO (Search Engine Optimization), Websites Ad, Google Ad, Youtube Ad, Facebook Ad, Twitter Ad, Instagram Ad, Blogging Ad, Whatsapp Ad, Text Ad, Display Ad, POP-UP/POP-Under Ad, Chat Ad, Mobile Ad, Web Banner Ad, Trick Banner, Online Classified, Ad Word आदि का उपयोग किया जाता है। परंपरागत विपणन धीरे-धीरे आधुनिक/डिजिटल माध्यमों को अपना कर वर्तमान आधुनिक आवश्यकताओं से कदम से कदम मिलाकर आधुनिक भविष्य की दिशा में प्रगतिशील है। वर्तमान समय में अधिकांश उपभोक्ता डिजिटल संसाधनों से परिपूर्ण और अपने दैनिक जीवन के आवश्यक एवं उपयोगी कार्य आधुनिक संसाधनों के माध्यम से डिजिटल रूप से करते हैं।

डिजिटल मार्केटिंग कुछ आधारभूत संसाधनों के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों में सफल हो सकती है, इन संसाधनों की बात करें तो इनमें Internet, Search Engine, Websites, Computer Laptop, Mobile आदि आधुनिक डिजिटल वाहकों का होना आवश्यक है साथ ही संभावित उपभोक्ताओं का इनका आवश्यकता अनुसार उपयोग करना भी एक अनिवार्य शर्त है।



डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता:- 'परिवर्तन' जिससे शायद ही कोई निर्जीव या सजीव अछूता रहा हो अर्थात समय के साथ परिवर्तन अपने आप में एक शाश्वत सत्य है उसी प्रकार मार्केटिंग के क्षेत्र में भी परिवर्तन होना ही था हम मार्केटिंग में परिवर्तन के आधुनिक रूप डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता की बात करें तो परंपरागत मार्केटिंग में Dore-To-Dore Marketing, Face Marketing, Personal Advertising & Sales, Product Sampling, Conferences, Exhibition, Personal

Advertising & Sales, Product Sampling, Conferences, Exhibition, Print Media-News Paper, Banner, Pamplate, Television, Radio, Fax, Email, Networking आदि माध्यम से उत्पादकों/विक्रेताओं द्वारा अपने उत्पाद सेवा संबंधी जानकारी जनता तक पहुंचाकर उपभोक्ताओं की खोज की जाती थी।

निरंतर विकास और परिवर्तन की परंपरा अनुसार विपणन क्षेत्र भी अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचने के माध्यम में आधुनिक परिवर्तन एवं सुधार करता गया। परंपरागत विपणन माध्यमों से व्यापार का क्षेत्र क्षेत्रीय सीमाओं तक ही सीमित होता था उसमें भी विज्ञापन एवं विक्रय लागत उत्पाद एवं सेवाओं के मूल्य में अनावश्यक वृद्धि कर मांग एवं उपभोग को सीमित करती थी। उद्यमिता विचारधारा ने विपणन को ग्राहकों तक पहुंचने के नये-नये माध्यम से अवगत कराया और यह क्रम डोर टू डोर विज्ञापन-विक्रय से प्रारंभ होते हुए प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, वीडियो, रेडियो, नेटवर्किंग के बाद आज डिजिटल मार्केटिंग तक पहुंच गया है। वर्तमान डिजिटल मार्केटिंग के माध्यमों की बात करें तो Internet, SEO (Search Engine Optimization), Websites Ad, Google Ad, Youtube Ad, Facebook Ad, Twitter Ad, Instagram Ad, Blogging Ad, Whatsapp Ad, Text Ad, Display Ad, POP-UP/POP-Under Ad, Chat Ad, Mobile Ad, Web Banner Ad, Trick Banner, Online Classified, Ad Word आदि माध्यमों से अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा रहा है।



डिजिटल मार्केटिंग की सफलता की बात करें तो वर्तमान में उपभोक्ता जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है विपणन उसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस उपभोक्ता तक अपने उत्पाद/सेवा एवं अन्य सुविधाओं

संबंधी जानकारी 24/7 पहुंचा रहा है डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग उत्पादकों/विक्रेताओं के लिए तो लाभदायक है ही साथ ही बाजार के राजा उपभोक्ताओं के लिए भी अपनी आवश्यकताओं संबंधी उत्पाद एवं सेवाओं की जानकारी जैसे- विक्रेता, उपलब्धता, उपयोगिता, गुणवत्ता, विविधता, मूल्य, स्थान, विक्रय उपरांत सुविधा, उपयोग संबंधी सुविधाएं के दृष्टिकोण से हितकारी है। इस प्रकार डिजिटल मार्केटिंग वर्तमान समय की मांग है और इसकी सुविधाएं एवं लाभदायकता विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं दोनों को ही आकर्षित कर रही है।

डिजिटल मार्केटिंग के सकारात्मक पहलू – डिजिटल मार्केटिंग उत्पादन एवं मार्केटिंग से जुड़े समस्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है इस संबंध में हम बात कर तो- उत्पादकों/विक्रेताओं के दृष्टिकोण से बात करे तो डिजिटल मार्केटिंग में अपने उत्पाद/सेवाओं के विज्ञापन के कई सुविधानुसार माध्यम माध्यम उपलब्ध हैं, आपको बस इस बात का पता लगाना है कि आपका संभावित उपभोक्ता किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकांश उपयोग करता है बस उसी माध्यम से आप कम से कम समय और लागत में अपने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं उसे अपने उत्पाद का रंग-रूप, गुणवत्ता, मूल्य, विविधता, उपयोगिता, स्थान, उपलब्धता, गारंटी-वारंटी, विक्रय उपरांत सेवा आदि के संबंध में बताकर या दोहराकर कर सच इंजन के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर क्रय आर्डर एवं भुगतान हेतु प्रेरित कर सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका विज्ञापन-दल ग्राहक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप में विज्ञापन करके उपभोक्ताओं को क्रय हेतु प्रेरित कर रहा है। कम समय और कम लागत में विश्वस्तर पर उपभोक्ता सृजित करना निश्चित ही यह उत्पादकों/विक्रेताओं के लिए 'संजीवनी' ही है।

उपभोक्ता की दृष्टिकोण से बात करें तो वर्तमान में अधिकांश उपभोक्ता किसी ना किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने दैनिक कार्य एवं मनोरंजन हेतु आवश्यक एवं निरंतर रूप से करते हैं क्योंकि डिजिटल माध्यमों पर स्थानीय से लेकर विश्वस्तर तक की समस्त प्रकार सुविधाएं एवं जानकारी कम से कम समय में उपलब्ध हो जाती हैं, हम अपनी आवश्यकतानुसार एवं उपयोग की दृष्टि से अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर वैश्विक स्तर से जुड़ सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं संबंधी आवश्यक जानकारी अधिकांश विक्रेताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है हम अपनी सुविधानुसार कम से कम समय एवं लागत में कई प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं से में से अपनी आवश्यकता अनुसार चयन करके क्रय कर सकते हैं।

वर्तमान में ऑनलाइन विक्रय में लगी गई कंपनियों द्वारा होम डिलीवरी, होम डिलीवरी के बाद भुगतान, एक निश्चित समय में वापसी जैसी अकल्पनीय क्रय सुविधाएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई है जो निश्चित ही ग्राहक को 'बाजार का बादशाह' साबित करती हैं।

डिजिटल माध्यम से किए गए व्यवहार संबंधी आवश्यक जानकारीयां डिजिटल रूप में सेव होती हैं जो भविष्य में डिजिटल क्रय विक्रय से संबंधित किसी विवाद के समय वैधानिक दायित्व निर्धारण में भी सहयोग प्रदान करती है।

डिजिटल मार्केटिंग नकारात्मक पहलू – डिजिटल मार्केटिंग के उपयोग में व्याप्त कमियों की बात करें तो ऑनलाइन माध्यम से उपभोक्ता को अपनी वस्तु के क्रय हेतु तैयार करना एक बहुत मुश्किल काम है इसमें बार-बार

उपभोक्ता को रिकाल किया जाता है इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती की उपभोक्ता वस्तु क्रय करेगा क्योंकि उपभोक्ता विक्रयकर्ता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं रहते, न ही वस्तुओं को भौतिक रूप से देख पाते हैं उपभोक्ताओं को इसकी विश्वसनीयता हेतु तैयार करना बहुत ही जटिल कार्य होता है, यहीं से उपभोक्ताओं के साथ छल कपट की संभावना जन्म लेती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी की बात करें तो अनैतिक व्यापार में लिप्त फर्म उपभोक्ताओं को क्रय प्रस्ताव के समय जो वस्तु दिखाती है डिलीवरी पर वस्तु के रंग रूप डिजाइन गुणवत्ता कीमत में अवांछित परिवर्तन करके अनैतिक लाभ की कोशिश करते हैं, इसी के साथ ही ऑनलाइन भुगतान के कारण कई उपभोक्ता वित्तीय छल कपट के भी शिकार हो चुके हैं। उपभोक्ताओं से ऑनलाइन छल कपट के प्रतिदिन नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं ऐसे मामले डिजिटल मार्केटिंग के प्रति उपभोक्ताओं में उदासीनता को बढ़ावा देती है। डिजिटल माध्यम से क्रय हेतु उपभोक्ताओं को Internet, Search Engine, Websites, Computer, Laptop, Mobile आदि आधुनिक डिजिटल वाहकों का उपयोग करना आना एक अनिवार्य शर्त है, जो डिजिटल मार्केटिंग के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करे तो स्थानीय स्तर के व्यापारी एवं छोटे व्यापारियों के विकास में डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ा अवरोधक है जो इनके बाजार हिस्से को दिन-ब-दिन काम करके अतिरिक्त समस्याएं उत्पन्न कर रहा है।

उपसंहार – वर्तमान बाजार की बात करें तो 'डिजिटल मार्केटिंग' का उपयोग दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है सामान्य भाषा में कहें तो परंपरागत विपणन का स्वरूप आधुनिक विपणन में बदलता जा रहा है। आज बड़ा बाजार हिस्सा डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से व्यापार संपन्न कर रहा है जिसका सकारात्मक प्रभाव व्यापार एवं उपभोक्ताओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके लाभ हानि बिंदुओं पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं फिर भी संक्षिप्त रूप से देखें तो डिजिटल मार्केटिंग ने स्थानीय फुटकर एवं छोटे व्यापार जगत के समक्ष अतिरिक्त समस्याएं उत्पन्न कर दी है, जिसमें बाजार हिस्सा कम होना ऐसे व्यापारियों की आर्थिक एवं मानसिक चिंता का प्रमुख कारण है इन समस्याओं के समाधान की दिशा में परंपरागत व्यापार तरीकों में बदलाव हेतु इस क्षेत्र में आवश्यक संशोधन एवं सुधार की अनिवार्य आवश्यकता है। वहीं उपभोक्ता की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करने के साथ ही इसमें व्याप्त छल कपट कारकों से असहज महसूस कर रहा है। अगर हम व्यापार में 'डिजिटल मार्केटिंग' का शत-प्रतिशत उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आधुनिक विपणन संसाधनों की उपलब्धता को सहज, सुगम एवं सरल बनाना होगा, इसके उपयोग संबंधी शिक्षा का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना होगा, डिजिटल व्यवहार हेतु जागरूकता अभियान चलाना होगा तथा डिजिटल व्यवहारों की सुरक्षा एवं वैधानिकता को मजबूत एवं मानक रूप देना होगा इन प्रयासों से हम डिजिटल मार्केटिंग को आदर्श एवं मान्य रूप दे सकते हैं, फिर भी वर्तमान समय में व्यापार व्यवहार में डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग आश्चर्यजनक, सुखद एवं प्रगतिशील है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

Books :-

1. Michael miller (2012) "B2B DIGITAL MARKETING" ISBN-13:978-0-7897-4887-4
2. Jerry Wind & Vijay Mahajan "Global Strategies From The Worlds Leading Experts" ISBN-0-471-36122-4
3. Chaffey D, Smith P (2008) E-marketing excellence:

planning and optimizing your digital marketing,
Routledge. 4th edn., pp 580–593

Juornal ,Volume 9,Issue 1,Page No.388-394.

Websites :-

Research paper :-

1. Kumar Deepak 2020 “The Study of Significance of Digital Marketing Tools In The Promotion of E-Commerce Websites” Palarchs Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17(19,) Page No 10411-10425. 2. Kumar Kishore 2019 “A Study Of The Growth Of Digital Marketing In Indian Scenario” Pramana Research	1. collections>digital marketing">www.economictimes.indiatimes.com>collections>digital marketing 2. http://www.businessworld.in/article/The-Role-Of-Vernacular-Content-In-Digital-Marketing/03-11-2018-163381/ 3. customer>research">www.livemint.com>customer>research

Impact of Jatak Kathayen: Buddhist Literature

Dr. Rajkumari Sudhir*

*Asst. Professor (English) Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - *Jataka* is a type of literature from India also known as the Jatakas or the Jataka tales. They contain stories of the previous lives of Gautama Buddha. These include Buddha in both animal and human forms. These stories are extremely popular and are valued in all branches of Buddhism.

Introduction - The Jataka tales are important because, in every story, Buddha exhibits some virtue to inspire and set an example for all humanity. These texts clearly illustrate the concept of reincarnation, which is also important in Hindu and yogic philosophy.

Jataka, (Pali and Sanskrit: "Birth") any of the extremely popular stories of former lives of the Buddha, which are preserved in all branches of Buddhism. Some *Jataka* tales are scattered in various sections of the Pali canon of Buddhist writings, including a group of 35 that were collected for didactic purposes. These 35 constitute the last book, the Cariya Pitaka ("Basket of Conduct"), of the Khuddaka Nikaya ("Short Collection"). Beyond this, a Sinhalese commentary of the 5th century that is questionably attributed to a Buddhist scholar named Buddhagosa and called the *Jatakavannana*, or *Jatakakatha*, gathers together about 550 *Jataka* stories, some of which are quite brief while others are as long as novelettes.

Each tale begins by noting the occasion that prompted its telling and ends with the Buddha identifying the lives of the people in the introductory story with those of people from the past. There is humour in these stories and considerable variety. The future Buddha may appear in them as a king, an outcast, a god, an elephant—but, in whatever form, he exhibits some virtue that the tale thereby inculcates.

Scriptures & Texts:

Oral Tradition: The Buddha's teaching was oral. He taught for 45 years, adapting the teaching to suit the group he was addressing, and there is duplication in the texts. The language he used is understood to be Magadhi.

The Sangha memorized the teachings, and there were group recitations at festivals and special occasions. The teachings were rehearsed and authenticated at the First Council, and were handed down from generation to generation accurately by means of these group recitations. The oral tradition continues today. The Sangha chant selected texts at ceremonies and sometimes the lay people

join in. The chanting is considered to be sacred act, in addition to reminding and teaching the Dhamma.

Pali Canon: The teaching was written down first at the Fourth Council in Sri Lanka about 25 B.C.E. in Pali. The writing was in three sections, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka and Abhidhamma Pitaka, following the division at the Councils, and is called the Tipitaka (three baskets).

The Vinaya Pitaka consists of the 227 rules of conduct and discipline applicable to the monastic life of the monks and nuns. It is divided into three parts and, in addition to the rules, give accounts of the circumstances under which a rule was promulgated and exceptions of the rule.

The Sutta Pitaka consists of the main teaching or Dhamma. It is divided into five Nikayas or collections. These are the long teachings (Digha Nikaya), medium length teachings (Majjhima Nikaya), groups of shorter teachings according to common topics (Samyutta Nikaya), a collection arranged to subjects discussed (Angutta Nikaya) and a collection of a variety of shorter texts in verse and prose.

The Abhidhamma Pitaka consists of seven books called the higher or further teaching. This is a philosophical analysis and systematization of the teaching and seems to be the scholarly activity of the monks.

The writing was on strips of dried palm leaves cut into rectangles and etched with a metal stylus and rubbed over with carbon ink. A thread was passed through the pages to keep them in order and elaborately painted wooden covers fixed at the ends. This is done even today and is considered to be a meritorious activity.

The Pali Canon has been recited, checked and agreed at the Councils. The whole of it has been translated into English. The Pali Canon was put on a single CD-Rom disk which is published by the American Academy of Religion and Scholar's Press in Atlanta, USA.

Sanskrit Canon: The Buddha advised the monks to teach in the different languages of the people. The oral teaching continued in India in forms of oral Sanskrit. At the Fourth

Council in India in the 1st century C.E. the teaching was written down in Sanskrit and was known as the Sanskrit Canon. There were different versions of the Sanskrit Canon, all similar in form and content. Both the Pali and the Sanskrit Canons can be traced to the common original teaching of the Buddha.

The Sanskrit Tripitaka, or Canon, displayed the same three divisions as the Pali Canon, namely:

VinayaVaibasha – monastic rules

Sutra vaibasha – the Dharma, the five Agamas corresponded to the five Nikayas of the Pali Canon, and

AbhidharmaVaibasha – the scholarly philosophical analysis which differed from the corresponding section of the Pali Canon.

The Sanskrit Canon does not exist in a complete form in India, but does exist in translations in Chinese, Japanese and Tibetan. Sections of it have been unearthed by archaeologists in Central Asia.

Mahayana Texts: With the growth of the Mahayana, new Sutras were written. The teaching in the Sanskrit Canon was incorporated into the Mahayana teaching. The new Sutras were based on the existing texts but new material was added to incorporate the Mahayana ideas.

Of the many new Sutras written, nine are considered particularly important. Four of the most popular and important are:

Prajnaparamita Sutras (Wisdom, Perfection Sutra), which set out the teachings of Emptiness (Sunyata).

SaddharmaPundarika Sutra (Lotus Sutra), which explains the one-ness of the teachings and praises the Bodhisattva. Mahayana considered this to be the supreme teaching, and it is considered the most important Sutra in China and Japan.

Vimalakirtinirdesa Sutra, which explains that a layperson can become a Bodhisattva.

Sukhavati Sutra teaches that Buddha Amida's land was open to all believers.

Tantric Texts:

With the growth of Tantric Buddhism, new Tantric texts came into being dealing with new ideas. They deal with:

Kriyatantra – ceremonies and rites,

Caryatantra – practical rites,

Yoga tantra – practice of yoga,

Anuttarayogatantra – higher mysticism.

Tantric Buddhism and now Tibetan Buddhism (Vajrayana school) emphasize personal teaching and these texts are difficult to read and understand since they need to be complemented by oral teaching. Examples of tantric texts are:

Hevajra Tantra, Guhyasamajatantra (Union of the triple body of the Buddha) and Kalacakratantra (Wheel of Time).

Chinese, Korean and Japanese Texts: Buddhism came to China in the 1st century C.E.. The development of Buddhism in China and the recording of the teaching as the Chinese Canon is one of the great achievements of

human civilization.

The Sanskrit texts of different traditions were taken to China and the translation of the texts into Chinese went on from 200 C.E. to about 1200 C.E.. At first non-Chinese, and later Chinese monks, working individually and in teams, carried on the translation work. State translation projects were established. Original Chinese Sutra were added.

The Chinese Tripitaka, or Canon, was compiled and followed the same pattern. There was the Vinaya, Sutra and Abhidharma Pitakas, and it included the original Chinese Sutras. About the 8th century the Chinese invented wood block printing to make multiple copies of the Sutras. The oldest printed book in existence is the Diamond Sutra dated 868 C.E.

The vast Chinese Canon is in the process of being translated into English. The Chinese Tripitaka was translated into Korean about 10th century C.E. and later the Korean Tripitaka was printed. The Chinese Tripitaka was brought to Japan and copied. Sutra copying became an important religious activity in Japan. It was published in the 17th century C.E.. The Chinese Tripitaka and the Pali Tripitaka have been translated into Japanese last century.

Tibetan and Mongolian Canon: The Sanskrit texts were translated into Tibetan and were edited in the 14th century in 333 volumes. The Tibetan literature is in two parts:

Kanjur (Translation of the Word of the Buddha) includes the Vinaya, Sutra and Abhidharma and also the Tantric texts.

Tanjur (Translation of Commentaries) consists of commentaries on the main texts, hymns and also writings on medicine, grammar and so on.

The first edition was published in Beijing in 1410 C.E.. Only a small portion of the Tibetan Canon has been translated into English. The Tibetan Tripitaka was translated into Mongolian in the 18 century C.E..

Commentaries: In addition, as a result of Buddhist study and scholarship, there is a vast amount of commentarial matter published over 2,500 years by Asian scholars in the different countries.

The Jataka Tales in Practice and Literature: Through the centuries these stories have been much more than fairy tales. They were, and are, taken very seriously for their moral and spiritual teachings. Like all great myths, the stories are as much about ourselves as they are about the Buddha. As Joseph Campbell said, "Shakespeare said that art is a mirror held up to nature. And that's what it is. The nature is your nature, and all of these wonderful poetic images of mythology are referring to something in you." ("Joseph Campbell: The Power of Myth, with Bill Moyers," PBS)

The Jataka Tales are portrayed in dramas and dance. The Ajanta Cave paintings of Maharashtra, India (ca. 6th century CE) portray Jataka Tales in narrative order so that people walking through the caves would learn the stories.

Jatakas in World Literature: Many of the Jatakas bear a

striking resemblance to stories long familiar in the West. For example, the story of Chicken Little—the frightened chicken who thought the sky was falling—is essentially the same story as one of the PaliJatakas (Jataka 322), in which a frightened monkey thought the sky was falling. As the forest animals scatter in terror, a wise lion discerns the truth and restores order.

The famous fable about the goose that laid golden eggs is eerily similar to PaliJataka 136, in which a deceased man was reborn as a goose with gold feathers. He went to his former home to find his wife and children from his past life. The goose told the family they could pluck one gold feather a day, and the gold provided well for the family. But the wife became greedy and plucked all the feathers out. When the feathers grew back, they were ordinary goose feathers, and the goose flew away.

It is unlikely Aesop and other early storytellers had copies of the Jatakas handy. And it's unlikely that the monks

and scholars who compiled the Pali Canon more than 2,000 years ago ever heard of Aesop. Perhaps the stories were spread by ancient travelers. Perhaps they were built from fragments of the first human stories, told by our paleolithic ancestors.

Conclusion: Many *Jatakas* have parallels in the *Mahabharata* ("Great Epic of the Bharata Dynasty"), the *Panca-tantra* (animal fables), the *Puranas* (collections of legends), and elsewhere in non-Buddhist Indian literature. Some turn up again in such places as Aesop's fables. The *Jataka* stories have also been illustrated frequently in sculpture and painting throughout the Buddhist world.

References:-

1. <https://www.britannica.com/facts/Jataka>.2021
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Jataka_tales.2021
3. <https://www.learnreligions.com/the-jataka-450050>.2021

A Comparative Study on Aggression Between Female Cricket and Volleyball Players

Mr. Anurag Pathak*

*Sports Officer, Govt. Kusum P. G. College, Seoni, Malwa (M.P.) INDIA

Abstract - The purpose of the study was to compare the degree of aggression between intercollegiate cricket and volleyball players. Sixty female cricketers (N=30) and volleyball (N=30) players from the different colleges who was affiliated to Jiwaji University, subjects had represented in the intercollegiate tournament conducted by Jiwaji University, Gwalior in the academic year 2016-17. Subjects were selected randomly for the purpose of the study. The age of the subjects were ranging 18 to 25 years. Criterion measure chosen to test the hypothesis was the scores obtained in Sports Aggression Inventory by Anand Kumar and Prem Sanker Sukla. For the purpose of analysis of data 't' test was employed to compare the degree of aggression between cricket players and volleyball players. The result of the study shows that the significant difference between the mean of the cricket and volleyball players on the scores of aggression since the obtained value of 't' (2.13) was higher than the tabulated value of 't' (2.01) at 0.05 which was required to be significant at (58) degree of freedom with 0.05 level of significant.

Keywords- Comparative, Aggression, Cricket and Volleyball players.

Introduction - Aggression exists on a continuum with what is commonly called assertiveness, although the terms are often used interchangeably among laypeople, e.g. an aggressive salesperson. The word aggression comes from the Latin word aggress, 'ad' (to or towards) and gradere (walk). Literally then the word means to "to walk towards and approach", to move against or to move with intent to hurt and harm. Most psychologist describe aggression in term of behaviour Aggressive behaviour is associated with distractive acts, sexual attracts, prejudice, genital activities, drug and alcohol addictions, sports and exercise 'crying' complaining, waging war and so forth. There is no simple behaviour that may be described under the rubric aggression Sports are old as human society and it has achieved a universal status in modern society. The acquisition of new knowledge, for betterment of performance of human organism relation to physical, motor and psychological quality in process of saturation to strive for still better is a million dollar to the expert of sport. Psychological as a behavioural science has made it contribution for improving sports performance. It has helps coaches more effectively and athlete to perform more proficiently. This psychological aspect of sports is gaining much attention among sports administrators. Basketball today is one of the popular and highly paid sports in the world. Today in modern cricket competitive era, every cricket competition has become fundamental mode of human expression as they are one of the very important functions

by which National and International recognition and prestige is gained. Form its very simple form, cricket has emerged in highly organized activity of Indian society and it has become a complex social and cultural phenomenon. Cricket has permeated most of our social institution including education, economics, art, politics, law, mass communication and International diplomacy. Aggressive behaviour is an overt verbal or physical act that can psychologically or physically injures another person or oneself. Aggressive behaviour is non-accidental, aggress or intends on injury and the behaviour selected for this is under his or her control. The nature of aggression in sports should be considered the degree of ambiguity regarding aggression in sports. That is in some sports direct aggression in the form of physical acts against the person of another player is encouraged within rules. Most aggression in sports results from frustration. This frustration is the result of various motives being blocked. Those motives which are predominate in sport and which generate aggression when wasted, they revolve around achievement dominance power, recognition, prestige and excellence. Aggression has been a part of sports domain. Outside of wartime, sport is perhaps the only setting in which acts of interpersonal aggression are not only tolerated but enthusiastically applauded by large segment of society. Sports competition without "aggression" is a body without soul, competition and aggression are twins. There is clear evidence that, in general aggression is more boisterous

game, may help performance because it arouses players overly to put in harder effort, and “do or die” for the success of the team. Contrarily there is also indication, and valid too, that aggression committed by players in certain contexts situation or position may impels performance of individual skill as well as successes of the team.

Methodology: Sixty female cricketer (N=30) and volleyball (N=30) players from the different colleges affiliated to Jiwaji University, Gwalior (M.P.) subjects had represented in the intercollegiate tournament conducted by Jiwaji University, Gwalior, (M.P.) in academic year 2016-17 were selected as subjected were randomly for purpose of the study. The age of the subjects were ranging 18 to 25 years.

Criterion measure: The criterion measure chosen to test the hypothesis was the scores obtained in Sports Aggression Inventory by Mr. Anand Kumar and Prem Sankar Shukla.

Description of Aggression Test: Sports aggression Inventory consists of 25 items in which 13 items are keyed “YES” and 12 are keyed “NO”.

Administration of the Test: The aggression questionnaire was distributed to the cricket players and volleyball players of intercollegiate tournaments 2012-13 of Cricket and Volleyball held at CSJM University, Kanpur and CCSPG College, Heonra. To ensure maximum cooperation from the subjects, the research scholar had a meeting with the selected subjects in presence of their respective coaches. Subjects were oriented and explained regarding the purpose and the procedure of the questionnaire.

Scoring of Questionnaire: Maximum score for each statement was one. Score obtained for each statement was added up which represent an individual's total score on aggression.

Statistical Method: For the purpose of analysis of data ‘t’ test was employed to compare the degree of aggression between cricket players and volleyball players.

Findings: The data was analyzed by using ‘t’ test. The significant of mean difference was found between scores obtained on aggression by cricket players and volleyball players of intercollegiate tournament. Data has been presented in table 1.

Table 1: Significance Difference of Mean and Aggression Between Intercollegiate Level Cricket and Volleyball Players

Variable	Group Mean		Mean Diff.	Dm	‘t’ test
	Cricket Players	Volleyball Players			
Aggression	14.30	13.17	1.13	0.53	2.13*

*Significant at 0.05 level of significant $t_{0.05}(58) = 2.01$

It is obtained from the table 1 that there was a significant difference between the mean of the cricket and volleyball players on the scores of aggression since the obtained value of ‘t’ (2.13) was higher than the tabulated value of ‘t’ (2.01) at 0.05 which has required to be significant. Graphical representation of the data pertaining to this has been presented in figure 1.

Discussion of Findings: The mean value (14.30) of cricket players on aggression was found higher than the volleyball players of intercollegiate tournaments 2018-19, which revealed that cricket players were more aggressive in comparison to the volleyball player. The researcher was unable to locate the literature to support the above findings however reason for cricket players being more aggressive would be the behaviour of Virat Kohali's nation on the field have been criticized by all.

From taking to swearing, aggression on the cricket field has many shades. Remember how Harbhajan Singh screamed into Shreesanth in IPL tournament. Aggression on the cricket field has come into the limelight ever since this episode. The young players of intercollegiate cricket teams might be initiating him would be other reasons for aggression.

References:-

1. Cratty Bryant J. (1983). Psychological and Superiors Athlete.
2. London: Mac Millan Company Ltd.
3. Cratty Bryant J. (1983). Psychological in Physical Education and Sports, Guide line for Coaches and Athletes. U.S.A. Englewood Cliff.
4. Kamlesh M.L. (1987). Psychological in Physical Education and Sports. New Delhi: Metropolitan Book Co. Ltd.
5. Kocher K.C. and Pratap V. (1972). “Aggressive and Violence in Sports”, International Journal Sports Psychology, 27: April.
6. Robert G.C., (1986). Experience Nine-Aggression: Live Experience in Sports Psychology. USA, Human Kinetics Publication.
7. Silva John M. et. al (1984). Psychology Foundation of Sports. USA, Human Kinetics Publication.
8. Tencnbaum Gershon et. al (1997). Aggression and Violence in Sports: An ISSP Position Stand, “The Sports Psychologist. U.S.A.: Englewood Cliff.

Role of Artificial Intelligence in Libraries

Kajal Ratan*

*Librarian, Govt. Girls College, Seoni Malwa, Hoshangabad (M.P.) INDIA

Abstract - With up to the minute information explosion, artificial intelligence needs to be introduced. Artificial Intelligence are new trends for libraries of using computer for any service. The development of innovative technologies has changed the way information is consumed, accessed, processed, and distributed. It's about programming a computer to perform human-like tasks. The role of artificial intelligence in the library is to think, act, and develop computer systems or machines that actually compete with human intelligence, and it is clear that this will have a major impact on the library. These include lending services (loading and unloading reading materials, membership registration), library statistics generation, cataloguing and classification, directory assistance, and intelligent retrieval for reading books and shelf look (through) robots. Artificial intelligence will significantly improve library functioning, activities increasing the relevance of libraries in an ever-changing digital society.

Keywords: AI in libraries, Recent trend in library, AI Tools & Technique.

Introduction - Intelligence is the ability to think and learn facts and skills and also apply them when necessary. The prospect of developing computers or machines that perceive, learn, reason and behave like human beings has fascinated many people. Humans are born with an innate ability to perceive, reason/think and act, which develops and improves over time as a result of so many factors. Intelligence in humans is measured by the Intelligence Quotient (IQ) obtained through series of aptitude test focusing on different aspects of intellectual functioning. Similarly, developing intelligent computers that perceive, think and behave like humans is the crux of Artificial Intelligence. Intelligence in computers or machines depicts their ability to accomplish specific task in the presence of variability and monitor its environment and appropriately adjust its actions based on what it has sensed as prerequisites for intelligence. Intelligences in machines is an anthropomorphism in that intelligence is defined by the criterion that the actions would appear intelligent if a person were to do it (McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 2007). According to Ex Libris (2019), intelligence in machines not only gives such devices the ability to learn but they are also configured to improve with use to perform functions better without being explicitly programmed because they are built to recognize and imbibe patterns efficiently on much higher scales than humans.

Artificial intelligence already touches many of our daily computing activities, most of the computer systems and mobile phones being developed today have artificial

intelligence features and we have probably used them not knowing that they are intelligent machines. Examples of Artificial intelligence in computers are speech recognition, natural language processing, self-driving or autonomous cars, machine learning, deep learning and robotics. Artificial intelligence works based on perceptual recognition unlike human beings that operate on deep cognition. The power and advantage of Artificial intelligence lies in the fact that computers can recognise patterns efficiently at a scale and speed that human beings cannot.

The development of societies in recent times have been facilitated by the growing demand of access to information, and libraries are the prime source in providing this access. The paradigm shift in the format and dynamics of information and knowledge as a result of the rapid advancement in computer technology and software applications especially artificial intelligence, have shifted libraries to a demand of the commensurate supply of the same technologies. Unless libraries begin to exploit the new technologies and innovate their information and services delivery, they may face obsolescence in this era.

Artificial intelligence is used in many areas such as medicine, military, business, education, gaming, libraries etc. The idea of creating artificial intelligence systems in libraries dates back to 1990. These intelligent library systems provide knowledge-122

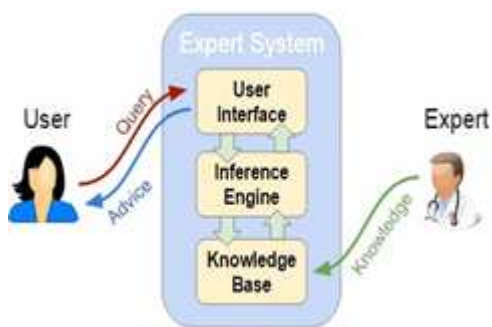
Artificial Intelligence in Libraries based services to both the library staff and patrons (Asemi&Asemi, 2018). Application of artificial intelligence in library system

encompasses descriptive cataloguing, subject indexing, reference services, technical services, shelf reading, collection development, information retrieval system etc. These has gone beyond Natural Language Processing (NLP), and knowledge-based services. With the advancement in artificial intelligence programming, creating a smart library is not only a possibility but a matter of time. Corroborating this assertion, Corke (2013) reported that researchers and experts in the field of artificial intelligence are creating intelligent systems which can think and behave like librarians – library robots.

Technology of Artificial intelligence is used in multiple fields like in army, pedagogics, medicine, Agriculture, Sports and libraries etc. AI concerns to libraries because it is used for collecting, organising, managing and dissemination the huge collection information for whole society. As we know that the demand and need of the society is increasing day by day and library is the prime source for providing information in a better way to fulfil the desire need of the end users. Application of artificial intelligence in library enhance its technical services, information retrieval system, reference service and indexing service. With the help of AI tools and technique libraries smoothly performs their activities and services. Artificial intelligence focuses on machine learning, deep learning, speech recognition, robotics and natural processing language.

Implementation of Artificial intelligence in Libraries

1. Expert system: Expert system is computer software that provides experts guidance, recommendations, judgment, and results to particular problem. It assists librarians in recognising and improving library operations and services. The expert system is built to respond to user questions using keywords or phrases. The quality of library operations and services is improved by a well-programmed expert system. For example, ask a Librarian, the expert system acts as a replacement for a librarian.



2. NLP: It enables computer for comprehend the verbal concepts contained in the inquiry or answer. Its aim is to develop and construct a computer that can analyse, understand, and generate natural language. Development of 'thinking' computer systems is used to automatically translate foreign language material.

3. Robotics: A robot is a mechanical device that automates library operations under direct human

supervision, a defined in advance programme, or a pre-defined general guideline utilising AI technology.

One of the current trends in AI use in libraries is the use of robots in library activities. Robots have the ability to access a wide collection of information available on the internet, whereas in the past, finding reading material was a hard and often time-consuming procedure. Book Bot, for example, is a robotic book retrieval device.

4. Pattern Recognition: The process of matching a new stimulus to previously remembered sensory patterns for eg: QR Code, Barcode and Biometrics etc.



Artificial intelligence in Library information Services and activities:

1. NLP system in libraries helps the foreign students to searching information in Multilanguage database.
2. Portable pc reader offerings for the handicapped user.
3. Smart document delivery services.
4. Library using RFID technology for circulation of the reading material. It consists of RFID tags, antenna, and labels which contains the details about the reading material. These tags helps in stock verification which is to be done with the help of hand handled device.
5. Computerised drop box service for returning the library material timely.
6. Self-check in check out through machine.

AI Based Reference Management Tools

Pointer: Pointer helps to users directly for reference sources

Research: It is a computerised tool for practicing reference librarians and information scientists.

Plexus: Tool for Public Libraries.

Challenges of executing AI in libraries:

1. Lack of technical skilled library staff to operate AI system in libraries.
2. Requirement of infrastructure in developing countries.
3. Insufficiency funding to develop or obtain an AI system in the library. Because hardware and software budgets are always limited, there are always limits on the types of systems that libraries can buy or develop.
4. The cost of maintaining an artificial intelligence system in the library is also an issue.
5. Irregular electricity supply to power libraries, especially local AI systems.
6. The intrinsic complexity of developing an expert / artificial intelligence system.
7. Intelligent systems lack this common foundation of human knowledge, severely limiting the types of activity they can execute.
8. A limited number of artificial intelligence experts among library automation vendors. The field of artificial intelligence is complex and requires specialized professionals.
9. Ethics and Transparency societal and ethical concerns to be addressed while implementing AI. Technology is improving quickly and what is impossible today can become possible tomorrow.

Merits of AI in libraries:

1. It saves the time of the user as well as staff, user to find relevant information and for staff to perform library activities in a less time.
2. Always provide accurate results.
3. Artificial intelligence in libraries increases the researcher productivity.
4. Performs same work multiple times in same manner.
5. It removes geographical barrier and facilitate any time anywhere access of resources.
6. The space occupied in storage of reading material decrease due to digitization of documents.
7. Enhance the efficiency of performing library activities.
8. Deeper data analysis can be easily done with AI.
9. Attract user with faster service

Demerits of artificial intelligence in libraries:

1. It increases the unemployment in the society as AI system has the ability to replace human's jobs.
2. Lack of human touch, as some users prefer to express emotions through human interactions rather than machine interactions.
3. Excessive reliance on AI systems can lead librarians to forget the basic principles of managing library

operations such as classification and cataloguing.

4. AI corrupt younger generations, increase health issues and also making human lazy.

Conclusion: Artificial intelligence will take libraries at the different level around the world. In developing countries, the discussions and adoptions AI are limited. The adoption of AI in libraries should become a regular and continuous process. Due to the demand of the library user in that digital era it is mandatory for library professionals to accept the challenge of implementing AI in library services and activities to fulfill the requirements of their users. It will enhance the Productivity of the researcher to do research in a better way. The future of artificial intelligence in library is brighter and the next step in the evolution of intelligence.

References:-

1. R. K. Das and M. S. U. Islam, "Application of Artificial Intelligence and Machine Learning in Libraries: A Systematic Review," *arXiv preprint arXiv:2112.04573*, 2021
2. I. M. Omame and J. C. Alex-Nmecha, "Artificial intelligence in libraries," in *Managing and adapting library information services for future users*, IGI Global, 2020, pp. 120–144.
3. I. M. Omame and J. C. Alex-Nmecha, "Artificial Intelligence in Libraries:," in *Advances in Library and Information Science*, N. E. Osuigwe, Ed. IGI Global, 2020, pp. 120–144. doi: 10.4018/978-1-7998-1116-9.ch008.
4. A. Asemi, A. Ko, and M. Nowkarizi, "Intelligent libraries: a review on expert systems, artificial intelligence, and robot," *Library Hi Tech*, 2020.
5. K. C. A. Khanzode and R. D. Sarode, "Advantages and Disadvantages of Artificial Intelligence and Machine Learning: A Literature Review," *International Journal of Library & Information Science (IJLIS)*, vol. 9, no. 1, p. 3, 2020.
6. B. Massis, "Artificial intelligence arrives in the library," *Information and Learning Science*, 2018.
7. S. Vijayakumar and K. N. Sheshadri, "Applications of artificial intelligence in academic libraries," *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, vol. 7, pp. 2347–2693, 2019
8. IGCSE ICT. 2022. 6.12 Expert Systems - IGCSE ICT - Learnlearn.co.uk. [online] Available at: <<https://learnlearn.uk/igcseict/6-12-expert-systems/>> [Accessed 5 February 2022].

भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति : एक अध्ययन

डॉ. योगेंद्र कुमार तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (विधि) शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था जिन प्रमुख अंगों अर्थात् कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका पर निर्भर करती है उनमें सामंजस्य स्थापित करने तथा उस राज्य के नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण एवं विधि शासन को स्थापित करने के लिए जो तत्व या कारक सबसे महत्वपूर्ण हैं वह हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

जब हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हम सबके ध्यान में आते हैं उनमें से प्रमुख हैं न्यायपालिका का विधायिका एवं कार्यपालिका से पृथक होना तथा न्यायाधीशों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नियुक्ति आदि। भारतीय न्याय व्यवस्था में विद्यमान प्रमुख आधार संघ की न्यायपालिका अर्थात् उच्चतम न्यायालय एवं राज्यों की न्यायपालिका अर्थात् उच्च न्यायालय है।

उच्चतम न्यायालय के संबंध में जो प्रमुख स्थापित अवधारणा है वह है कि उच्चतम न्यायालय संविधान एवं मौलिक अधिकारों का प्रमुख संरक्षक है। जब भी संविधान के निर्वचन की या नागरिक अधिकारों की संरक्षण की बात आती है तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ही एक मात्र विकल्प के रूप में दिखायी देते हैं। भारतीय संविधान के मूल आधार अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संविधान के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का स्वतंत्रता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना अत्यन्त आवश्यक है। किसी भी संघात्मक संविधान का एक प्रमुख लक्षण संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। ऐसा विभाजन प्रायः एक लिखित संविधान के माध्यम से किया जाता है, जिसका एक प्रमुख उदाहरण भारतीय संविधान है। शक्ति विभाजन में संतुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक है विवाद की स्थिति में संविधान का स्पष्ट एवं निष्पक्ष निर्वचन किया जाये। संघीय व्यवस्था में संविधान के निर्वचन का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है भारतीय संविधान में यह कार्य उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है। अनुच्छेद 124 के अनुसार 'उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और जब तक संसद विधि द्वारा संख्या विहित नहीं करती तब तक 07 से अधिक अन्य न्यायाधीश होंगे। सन् 1977 में न्यायाधीशों की संख्या 18 किया गया जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल था। सन् 1986 में 25 एवं सन् 2009 में 30 न्यायाधीशों की संख्या की गयी। वर्तमान में मुख्य न्यायमूर्ति को मिलाकर कुल न्यायाधीशों की संख्या

31 है।'

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र ऐतिहासिक अनुसंधान प्रविधि अंतर्गत पुस्तकालय अनुसंधान विधि से पूरा किया गया है। इसमें द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। जिसमें विधि विषय विशेष तौर पर संवैधानिक विधि की पुस्तकों, समाचार-पत्र, पत्रिकाओं के आधार पर अध्ययन किया गया है।

शोध उद्देश्य – प्रस्तुत शोध के अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण प्रक्रिया का अध्ययन करना।
2. यह अध्ययन करना कि वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली की वास्तविक स्थिति क्या है।
3. न्यायिक स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए आवश्यक नियुक्ति प्रक्रिया का अध्ययन करना।
4. न्यायिक नियुक्तियों को लेकर उत्पन्न विवादों एवं उसके संबंध में न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करना।
5. न्यायिक नियुक्तियों संबंधित निर्णयों एवं विधियों का अध्ययन कर वर्तमान परिस्थिति में उपयुक्त सुझाव देना।

भारतीय संविधान अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय ने मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। साथ ही अनुच्छेद 216 के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है।

संविधान लागू होने के समय से लेकर आज तक लगातार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर अनेकों विवाद उद्भूत हुए। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर विभिन्न न्यायिक निर्णयों एवं संविधान संशोधनों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि संविधान लागू होने के कई वर्षों तक न्यायाधीशों की नियुक्ति ने राष्ट्रपति अर्थात् कार्यपालिका का ही वर्चस्व रहा है। किन्तु धीरे-धीरे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति ने न्यायपालिका अर्थात् कॉलेजियम का वर्चस्व हो गया। तत्पश्चात् 99 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया किन्तु 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 99 वां संविधान संशोधन 2014 को अविधिमान्य घोषित करते हुए शून्य घोषित

कर दिया। जिसके पश्चात् वर्तमान में कॉलेजियम के माध्यम से पुनः न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से ही होती है।

राष्ट्रपति अर्थात् कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति - अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श से करेगा जिनसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे। इसप्रकार राष्ट्रपति न्यायाधीशों के परामर्श उपरांत न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का प्रावधान संविधान में है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति एक औपचारिक शक्ति है क्योंकि इस मामले में राष्ट्रपति मंत्रीमंडल की सलाह से कार्य करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर सर्वप्रथम प्रमुख रूप से संवैधानिक विवाद उद्भूत हुआ 25 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिये गये निर्णय के बाद परम्परा से हटकर सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों श्री जे.एम.शेलट, श्री के.एस.हेगडे तथा श्री एन. गोवर की वरिष्ठता को दरकिनार कर मुख्य न्यायमूर्ति पद पर श्री अजित नाथ रे की नियुक्ति किया। इस नियुक्ति के पश्चात् तीनो वरिष्ठ न्यायाधीशों ने अपने कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। सरकार के इस निर्णय की व्यापक आलोचना प्रारंभ हो गयी। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता संघ ने इस निर्णय के विरोध में कहा कि मुख्य न्यायमूर्ति पद पर श्री ए.एन. रे की नियुक्ति राजनैतिक आधार पर की गयी थी जिसमें वरिष्ठता एवं योग्यता की कोई परवाह नहीं की गयी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नष्ट करना चाहती है।

एस.पी.गुप्ता बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1982 एस.सी. 149) के मामले में जिसे न्यायाधीश स्थानांतरण के वाद के नाम से भी जाना जाता है। उक्त वाद में भारत के विधि मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजे गये एक परिपत्र की जिसके द्वारा न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण तथा प्रस्तावित नियुक्ति के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करने को कहा गया था, कि विधि मान्यता को चुनौती दी गयी थी। उच्चतम न्यायालय की 07 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने 04 न्यायाधीशों के बहुमत के साथ यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 124 में प्रमुख परामर्श का तात्पर्य पूर्ण एवं प्रभावी परामर्श है किन्तु परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसप्रकार 1982 में पारित इस निर्णय में राष्ट्रपति अर्थात् कार्यपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति में प्रमुखता प्रदान की। अर्थात् मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार को प्रमुख शक्ति प्राप्त हो गयी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम का उद्भव- संविधान लागू होने के पश्चात् से न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर लगातार चल रहे विवादों में कार्यपालिका ही प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित होती रही। किन्तु 1993 एवं 1999 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये 02 महत्वपूर्ण वादों में वर्षों तक स्थापित कार्यपालिका के वर्चस्व को समाप्त करते हुये न्यायपालिका एवं कॉलेजियम की प्रमुखता को स्थापित किया।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड बनाम भारत संघ के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस.पी.गुप्ता बनाम भारत संघ के निर्णय को पलट दिया। न्यायालय ने 09 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-2 के बहुमत से निर्णय दिया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में परामर्श का मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को परामर्श

जो बाध्यकारी होगा। इसप्रकार इस मामले के पश्चात् न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य होगा तथा राष्ट्रपति इस परामर्श का मानने के लिए बाध्य होगा साथ ही निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के पद पर वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जायेगी।

इन रि प्रेसिडेन्सियल रिफ्रेन्स के बाद (ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 1) के मामले में 09 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय की 09 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति श्री एस.पी.भरूचा ने 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड के मामले में स्थापित बाध्यकारी परामर्श प्रक्रिया को अधिक विस्तार दिया। साथ ही अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से गठित होने वाले कॉलेजियम की सलाह पर ही राष्ट्रपति को कार्य करना चाहिए।

इसप्रकार केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति एवं 03 वरिष्ठ न्यायाधीशों के त्यागपत्र के बाद शुरू हुआ नियुक्ति विवाद, एस.पी.गुप्ता (1982) के मामले में कार्यपालिका को प्राथमिकता देना। उसके पश्चात् सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड (1993) के बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को महत्वपूर्ण मानना तथा बाद में इन रि प्रेसिडेन्सियल (1999) के बाद में कॉलेजियम अर्थात् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं 04 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति को बाध्यकारी बनाना आदि से अन्त में यह स्थापित हुआ कि न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण में कॉलेजियम अर्थात् न्यायपालिका ही सर्वोच्च है।

99 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2014 एवं वर्तमान स्थिति - 1999 में राष्ट्रपति के निर्देश पर गठित 09 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के पश्चात् यद्यपि न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण को लेकर चल रहा गतिरोध काफी हद तक समाप्त हो गया है। किन्तु समय-समय पर न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे संस्था के गठन को लेकर विचार-विमर्श चलता रहा। 1987 में विधि आयोग ने भी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने का सुझाव दिया था साथ ही इसके संबंध में 1990 में मंत्री द्वारा एक विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किया गया लेकिन लोकसभा में भंग हो जाने से यह विधेयक पारित नहीं किया जा सका।

एस.पी.गुप्ता (1982) के वाद में न्यायाधीश पी.एन. भगवती ने भी आस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने की सलाह दी थी।

एक लंबे समय से चल रहे विवाद एवं राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति की मांग को देखते हुए भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा अनुच्छेद 124 (2), 127 एवं 128 में संशोधन कर दिया गया साथ ही 03 नये अनुच्छेद 124 'क', 'ख' एवं 'ग' जोड़े गये।

इस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जिसका गठन निम्नानुसार होगा :-

1. भारत का मुख्य न्यायमूर्ति - अध्यक्ष पदेन

2. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति - सदस्य पदेन से ठीक नीचे वरिष्ठता के 02 न्यायाधीश
 3. केन्द्रीय विधि मंत्री - सदस्य पदेन
 4. प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं नेता प्रतिपक्ष से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विख्यात व्यक्ति
- अनुच्छेद 124 'ख' के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग के निम्न कर्तव्य है :-

1. भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना।
2. एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा अन्य न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की सिफारिश करना।

इस प्रकार 99 वें संविधान अधिनियम 2014 के प्रावधान अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश का अधिकार राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग को प्राप्त हो गया।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एशोसिएशन बनाम भारत संघ (ए.आई.आर.2015, एस.सी. 5457)- उक्त वाद में उच्चतम न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 5 सदस्यी न्यायपीठ ने 4.1 के बहुमत से निर्णय दिया। न्यायाधीश चेलमेश्वर ने विसम्मत निर्णय दिया और संशोधन को संवैधानिक कहा।

उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण माना और निर्धारित किया कि चूंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है इसलिए मूल ढांचे के उल्लंघन में किया गया 99 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित किया जाता है। साथ ही 99 वें संशोधन के पूर्व विद्यमान स्थिति अर्थात् कॉलेजियम के माध्यम से ही नियुक्ति की जायेगी।

इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण कॉलेजियम अर्थात् भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाले समूह के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।

निष्कर्ष - संविधान लागू होने से लेकर वर्तमान तक के संवैधानिक संशोधनों, विधियों एवं न्यायिक निर्णयों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य समय-समय पर अनेक विवाद उत्पन्न हुए। इन विवादों के केन्द्र में हमेशा राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका से लिये जाने वाला परामर्श एवं उसकी बाध्यता रही। एक तरफ कार्यपालिका अपने कार्यों में किये जाने वाले हस्तक्षेप से नाराज होकर वरिष्ठता को दरकिनार कर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्ति करती है, तो दूसरी तरफ न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड वाद (1982)

में परामर्श को बाध्यकारी बनाकर न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका के प्रमुख को स्थापित करना चाहती है। वही कार्यपालिका विधायिका के माध्यम से 99 वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान करती है जो न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के समन्वय से नियुक्ति की बात करता है लेकिन न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड वाद (2015) के द्वारा इस संशोधन को न्यायिक स्वतंत्रता के मूल ढांचे के आधार पर शून्य घोषित कर इन रि प्रेसिडेन्सियल वाद (1999) में स्थापित कॉलेजियम व्यवस्था को ही न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण हेतु उपयुक्त माना। परिणामस्वरूप वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा बनायी गयी व्यवस्था जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति एवं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के माध्यम से की जा रही है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर समय-समय पर उत्पन्न विवादों के अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित करने के लिये न्यायाधीशों की नियुक्ति को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखना उचित है किन्तु न्यायपालिका का पूरी तरह से एकाधिकार भी उचित नहीं है इसलिए एक निष्पक्ष राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग के गठन की दिशा में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। जिससे भारत में न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित रहे।

सुझाव - संबंधित अध्ययन एवं उससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्न सुझाव प्रस्तुत है :

1. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र प्रणाली का विकास करना।
2. वर्तमान में चल रही कॉलेजियम व्यवस्था एवं पूर्व में 99 वें संशोधन द्वारा गठित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के समन्वय से एक राष्ट्रीय न्यायिक समिति का गठन किया जाना चाहिए।
3. उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पूर्णतः कॉलेजियम पद्धति से न्यायपालिका का एकाधिकार स्थापित हो गया है अतः कॉलेजियम व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए।
4. कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों के मध्य समन्वय स्थापित कर एक प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए ताकि न्यायिक नियुक्तियों में निष्पक्षता स्थापित हो जिससे न्यायिक स्वतंत्रता स्थापित रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पांडे - डॉ. जय नारायण - भारत का संविधान
2. वसु - डॉ. दुर्गा दास
3. त्रिपाठी - डॉ. जी.पी. - भारत का संवैधानिक इतिहास
4. उपाध्याय - डॉ. जय जय राम - भारत का संविधान
5. ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 1
6. ए.आई.आर.2015, एस.सी. 5457
7. ए.आई.आर. 1993, एस.सी. 1303
8. ए.आई.आर.1982 एस.सी. 149

Factors Involving Economical Growth of Entrepreneurship in India

Dr. Preeti Anand Udaipure*

*Assistant Professor, Government Narmada College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

Abstract - The development of entrepreneurship has a significant impact on the economic development of a country. A successful entrepreneur's success is dependent on the environment variables that influence their actions and hence lead to a successful entrepreneurship. These environmental aspects include factors such as social, economic, legal, political, and technological factors. The socio-economic aspects are the most important critical factors influencing entrepreneurial behaviour and the operation of a firm, indicating the need of conducting research and exerting appropriate impact.

Entrepreneurship is the process of creating new jobs and wealth in the economy, which is often accomplished through small business management. Entrepreneurs may encounter difficulties in carrying out these responsibilities as a result of several circumstances that influence their participation in entrepreneurial activity. Economic growth and scholarly capital are connected to expanded open doors on the lookout for individuals of a country through the act of entrepreneurship. The chances provided by entrepreneurship help to raise the living standards of the general public, which has a positive impact on the nation's wealth and economy. The goal of this article is to investigate the factors that encourage entrepreneurship in India. It identifies the factors that contribute to a successful entrepreneurial venture. Entrepreneurial aspirations have also been taken into consideration. Secondary research has been used to study a wide range of issues and themes in depth.

Keywords: Entrepreneurship, Factors that impact entrepreneurship, Socio-economic factors, Economic growth.

Introduction - It is necessary to review the definitions of entrepreneurship from previous research on the issue in order to fully comprehend the concept. The economist Joseph Schumpeter (J.) emphasised in the early twentieth century that entrepreneurship was simply too crucial a component of capitalism to be overlooked. He asserted that innovation, or the use of an idea to produce a new product or service, was the driving force behind the emergence of new demand for goods and services in the marketplace. Consequently, the market was not flawless but rather chaotic as a result of the frequent appearance of entrepreneurs entering the market with new technologies. When the neoclassical market was destroyed by this process of "creative destruction," it was replaced by a dynamic market in which buyer and supplier behaviour changed on a consistent basis. It was these entrepreneurs that created innovations in order to generate fresh demand, and it was their efforts that served as the mechanism for wealth generation and distribution. According to Collins and Moore (1970) in the for-profit literature, entrepreneurship is "the catalytic force in society that puts into action new companies, new combinations of production and exchange." Entrepreneurship is a hotly discussed topic.

Historically, small-scale companies in modern India have been a shining example of success; they have risen to prominence in the face of mounting threats from large-scale industries within the country as well as from multinational corporations from overseas. Small-scale units account for around 95 percent of total industrial units and create more than 7500 items with related technology ranging from traditional to state-of-the-art, according to the United Nations (Suryanarayana & Krishnamohan, 2005, p.11).

The high rate of unemployment in most developing nations today has become a source of significant concern not just for individuals, but also for governments and other stakeholders, as well as for international organisations. As a result of this phenomena, the problem of entrepreneurship has received a great deal of attention in recent years. Because entrepreneurship contributes to economic growth and development in the form of job creation, wealth creation, the development of innovation, and so on and so forth, it has gained popularity. This is in accordance with the assertion made by Audresch and Thurik (2004), who assert that entrepreneurship has emerged as a powerful engine of economic and social development around the world.

Entrepreneurship: People and entrepreneurship have

generally been interwoven angles that have filled in as the establishment for a singular's feeling of having a place and improvement locally. It is expressed as the demonstration of carrying advancement that uses the open doors with greatest protecting or endeavors by tolerating social, monetary, and mental dangers joined. Entrepreneurship is mostly held back nothing advancement, freedom and fulfillment. At times it goes past the assets for procuring the particular goal. It is referred to as the underlying stages as an independent venture that might experience outstanding growth assuming fitting procedures and arranging with the assets are utilized. The imaginative thought stays the groundwork of drives that further changed into a plan of action and association.

Daigram (see in last page)

Entrepreneur: The as a matter of first importance appearance of the word Entrepreneur had happened in Cantillon's text. Entrepreneurs, workers, and owners are just a few of the economic aspects that are presented in this section. Entrepreneurs, according to the statement, are the ones who take the consideration of the certainty of their businesses into mind. It initially continues in a state of nonpredictability, despite the presence of ideas and alternatives. Through the use of numerous sensitive and scarce resources, it contributes ideas to the business model. It makes each of the potential outcomes a reality with the help of relational abilities and experience on a case by case basis. It imbues the business idea into endeavors, no matter what the dangers and benefits implied in the venture. Every time an entrepreneur comes up with a new business idea, it is distinguished by the introduction of some novel or revolutionary concepts. It also generates a variety of opportunities and options for other types of businesses. When concepts are combined, they can produce a new associated alternative with a fresh perspective. It enlists the assistance of individuals or experts in order to make the idea work in conjunction with the suitable business strategy.

Literature Review

Understanding the past work on the factors that influence the establishment of a new endeavour helps to lend credibility to the current paper on the subject. Many academics have contributed to the development of this concept. Monetary freedom, the craving to enhance family pay, consolation from family and other empowering support gatherings, the capacity to enjoy a sporting action, the augmentation of credit from providers, and oppressive practices are among the factors distinguished by Young and Welsch (1993) in their review.

The findings of Startien and Remeikien (2008) suggest that there are a variety of factor groups that influence the gender gap in entrepreneurship, including demographic factors such as immigration, economic factors such as labour market conditions and unemployment, institutional and government factors such as capital availability,

organisational factors such as culture, and social and psychological factors such as discrimination and stereotypes. In contrast, Gaddam, S. (2007) believes that there are two elements that influence entrepreneurship: external influences and internal factors. By examining their research, Rani, B., and Rao, D. (2007) conclude that the factors that influence women's entrepreneurship are: a desire to be self-employed (in the business sector), a desire to achieve prestigious status through profit motives, a profit motive for using professional expertise, a profit motive for employing others, the education or economic status of a husband or father, work-family conflict, making productive use of free time, and taking advantage of government initiatives.

Besides, as per Peberdy and Rogerson (2000), the progress of another endeavor is subject to the state of explicit conditions happening inside the limits of individual country states, each of which has its own distinct set of economic, political, and social aspects. In their review, O'Sullivan and Dooley (2009) observed that these factors have suggestions for instruction and ability bases as well as levels of hazard, admittance to business sectors, and admittance to an assortment of assets like sources of info and work as well as subcontractors, mastery, organizations, capital, and monetary assets.

Another major aspect that influences entrepreneurship activities is the economic environment in which they take place. According to the findings of the study conducted by Luiz (2002), there is a statistically significant association between economic factors and entrepreneurial growth. This means that economic factors have an influence on entrepreneurship activities and growth. It means that when there is a conducive or supporting economic environment for business, it booms and expands at a faster rate.

Entrepreneurship Impact on Economic Growth

Technology Innovation: According to Schumpeter, innovation is believed to be a criterion for determining the level of entrepreneurial activity. The goal of the innovation process is to develop new products or services that provide value to a group, an individual, society, industry, or organisation as a whole. The capacity to develop is additionally viewed as a trait of organizations and business visionaries. Entrepreneurship fosters innovation and creativity in the development of products and services, which have a direct impact on the economic status of a country [1]. Exogenous growth models, such as technological improvement, are considered to be independent economic motivators because they are exogenous in nature. The accumulation of external technology and capital advancement was responsible for the country's economic prosperity in the past few decades.

Start-ups Impact on Economic Growth: As part of their entrepreneurial endeavours, the entrepreneurs launch new enterprises as start-ups, with the goal of starting a new business based on their original ideas. Individual and

professional development prospects in the market have increased as a result of start-ups and small businesses. Startups provide a large number of employment prospects and jobs, which boosts the income level of the population at the same time that the country's economic growth is increasing. Total national output (GDP) increments because of the sponsorship of new organizations and associations that are laid out at an unobtrusive level yet with inventive thoughts. The importance of start-ups and their contribution to economic development cannot be overstated, as they will help to strengthen the country's entrepreneurship culture, which will in turn help to increase the country's competitiveness. Entrepreneurs can also entice investors to their start-up ideas by putting their own money into the venture.

Growth of Employment: Opportunities for employment are increased as a result of the encouragement of entrepreneurship, and this, both directly and indirectly, contributes to the country's economic progress. New firms have increased the rate of employment growth, and entrepreneurial opportunities have increased as a result of this growth. This has resulted in an improvement in the poverty line in the country, which is aided by increased government revenue. The government's revenue climbed as the income level of the people living in the country increased. Through self-employment, entrepreneurs and their development can achieve economic independence. Entrepreneurs have a role in the creation of wage-employment and self-employment opportunities, which helps to alleviate unemployment problems in the country while also improving the overall economic situation.

Research Methodology: According to Dawson (2019), the key rule that will administer your exploration is the examination strategy. It turns into the overall technique to directing examination on your issue, and it characterizes which research strategy you will use to play out your exploration. An exploration technique contrasts from an examination strategy in that examination techniques are the devices you use to acquire your information, whereas research methodologies are the tools you use to conduct your research (Dawson, 2019).

Research design: The Quantitative Analysis have been done where main data is collected by a survey. Quantitative examination (QA) is a procedure for understanding way of behaving that utilizes numerical and factual demonstrating, estimation, and exploration. Quantitative investigators use numbers to address a given reality. Quantitative investigation is utilized to measure, assess, and esteem monetary instruments, as well as to gauge genuine world events. We have applied a regression test to check the impact of Entrepreneurship on Economic Growth of India.

Tools for Data analysis:

1. Descriptive Statistics has been used to find out the central tendency.
2. Regression has been applied to check the impact of

Entrepreneurship on Economic Growth of India.

Hypothesis:

H01: There is a negative impact of Entrepreneurship on Economic Growth of India.

H02: There is a positive impact of Entrepreneurship on Economic Growth of India.

Data Analysis

Descriptive Statistics: An expressive measurement is an outline measurement that quantitatively depicts or sums up highlights from a bunch of information, while illustrative insights alludes to the method involved with utilizing and dissecting those insights.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Economic Growth of India	3.60	.904	50
Entrepreneurship	3.62	.945	50

Table: 1. Descriptive Statistics

In the above table 1 we can see the mean value is approximate 4, which can be said that the concept of Entrepreneurship is prevailing in the Economic Growth of India.

Linear Regression:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.888 ^a	.788	.470	76134.413

a. Predictors: (Constant) Entrepreneurship

Table: 2. Linear Regression

As indicated in table no. 2 we can see that R square value is 0.788, which means that our Independent variable (Entrepreneurship) causes 78.8% change in dependent variable (Economic Growth of India).

Correlations

		Economic Growth of India	Entrepreneurship
Pearson Correlation	Economic Growth of India	1.000	.296
	Entrepreneurship	.296	1.000
Sig. (1-tailed)	Economic Growth of India	.	.018
	Entrepreneurship	.018	.
N	Economic Growth of India	50	50
	Entrepreneurship	50	50

Table: 3. Correlation Table

In this table we can see the relationship between the Variables. The association between the Entrepreneurship and Economic Growth of India with ($r=0.296$).

Table: 4. ANOVA Table (see in last page)

In table no. 4, Anova shows that p-value is 0.370 which is more than 0.05; thus we express that there is no huge connection between our Independent variable

(Entrepreneurship) and dependent variable (Economic Growth of India).

Table: 5. Coefficient Table (see in last page)

It shows the coefficient result as indicated that:

- 0.296 Which means that the change in Independent variable (Entrepreneurship) by one unit will bring about the change in dependent variable (Economic Growth of India) by 0.296. furthermore, the Beta value is positive, which indicated the positive relationship between the Independent variable (Entrepreneurship) and dependent variable (Economic Growth of India).

Result and Discussion: According to the findings of this study, socio-social factors significantly affect entrepreneurship movement (Akhter and Sumi, 2014; Olowa and Olowa, 2015; Onodugo and Onodugo, 2015). Islamic religious culture, for example, encourages hardwork, discourages interest on loans and the consumption of alcohol. In addition, other social and cultural aspects encourage frugality and saving, provide assistance to the poor, and foster work ethic and respect for human dignity in the workplace (Akhter & Sumi, 2014; Onodugo & Onodugo, 2015). However, there are findings which revealed that socio-cultural factors ranked the least among those having an influence on entrepreneurial activities. This serves as a contrast to the result obtained in the study (Wube, 2010; Akhter & Sumi, 2014).

After analyzing the Regression test we can say there is positive impact of Entrepreneurship on the Economic Growth of India i.e. hypothesis H02 is accepted and H01 is rejected.

Conclusion: According to the findings of the study, economic variables have a significant impact on the activities of entrepreneurs. It has been shown that a high degree of entrepreneurial activity has a considerable impact on the performance of an enterprise. Furthermore, socio-cultural elements have a significant and direct impact on the activities of aspiring entrepreneurs. After all is said and done, there is no doubt that in order to attain great entrepreneurship performance, favourable socio-cultural conditions must be created, as well as strong economic policies being implemented.

Economic growth is dependent on the living standards and work conditions of the population, which are both improved and developed as a result of the opportunities afforded by entrepreneurial activity. The motivation behind this study was to inspect the connection among entrepreneurship and economic growth. Start-up companies increase employment opportunities, which in turn enhances the overall wealth status of the country. According to the findings of the research, technical innovation is also encouraged by entrepreneurship, and this results in a high output from a small amount of input.

In addition to the parents' educational and economic backgrounds (including whether or not they have become wealthy during their lifetime), factors such as the role and

extent of government involvement, as well as the availability of capital, have a significant impact on the development of entrepreneurship.

References:-

1. B. Bilgin, P. Magne, P. Malysz et al., "Making the Case for Electrified Transportation," IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol.1, no.1, pp. 4–17, 2015.
2. A. Emadi, "Transportation 2.0," in IEEE Power & Energy Magazine, vol. 9, pp. 18–29, IEEE, 2011.
3. M. Neaimeh, G. A. Hill, Y. Hübner, and P. T. Blythe, "Routing systems to extend the driving range of electric vehicles," IET Intelligent Transport Systems, vol. 7, no. 3, pp. 327–336, 2013.
4. R. Abousleiman and O. Rawashdeh, "Tabu search based solution to the electric vehicle energy efficient routing problem," in Proceedings of the 2014 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, ITEC 2014, USA, June 2014.
5. U. F. Siddiqi, Y. Shiraishi, and S. M. Sait, "Multi-constrained route optimization for Electric Vehicles (EVs) using Particle Swarm Optimization (PSO)," in Proceedings of the 2011 11th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications, ISDA'11, pp. 391–396, Spain, November 2011.
6. M. Sachenbacher, M. Leucker, A. Artmeier, and J. Haselmayr, "Efficient energy-optimal routing for electric vehicles," in Proceedings of the 25th AAAI Conference on Artificial Intelligence and the 23rd Innovative Applications of Artificial Intelligence Conference, AAAI-11 / IAAI-11, pp. 1402–1407, USA, August 2011.
7. D. Hooda and N. Kumar, "An efficient itinerary management scheme for electric vehicles using ACO," in Proceedings of the 2016 International Conference on Inventive Computation Technologies, ICICT 2016, India, August 2016.
8. S. Zhang, Y. Luo, and K. Li, "Multi-objective route search for electric vehicles using ant colony optimization," in Proceedings of the 2016 American Control Conference, ACC 2016, pp. 637–642, USA, July 2016.
9. T. M. Sweda and D. Klabjan, "Finding minimum-cost paths for electric vehicles," in Proceedings of the 2012 IEEE International Electric Vehicle Conference, IEVC 2012, USA, March 2012.
10. B. Zhang, T. Chen, and W. Su, "Optimal routing and charging of an Uber-like electric vehicle considering dynamic electricity price and passenger satisfaction," in Proceedings of the 2016 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific, ITEC Asia-Pacific 2016, pp. 543–548, Republic of Korea, June 2016.
11. D. Alves, J. van Ast, Z. Cong, B. De Schutter, and R. Babuska. Ant colony optimization for traffic dispersion routing. Proceedings of the 13th International IEEE

- Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC 2010), 2:683–688, Sept 2010.
12. B. A. Bremdal and S. Grasto. Seasonal impacts of EV charging on rural grids. A Case-Study from Hvaler, Norway. IEVC 2014, Florence, December 17-19.
 13. C. Cassandras and S. Pourazarm. Optimal routing of energy-aware vehicle in networks with inhomogeneous charging nodes. Proc. of 22nd IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation, pages 674–679, June 2014.
 14. J. Dallmeyer, R. Schumann, A. Lattner, and I. Timm. Dont go with the ant flow: Ant-inspired traffic routing in urban environments. Technical report, Institute of Computer Science Goethe University Frankfurt.
 15. M. Dorigo and T. Stutzle. "Ant colony optimization. MIT Press, Bradford, 2004.
 16. F. Ho and P. Ioannou. Traffic flow modeling and control using artificial neural networks. Control Systems, IEEE, 16:16–26, 1996.
 17. P. Kromer, J. Martinov, M. Radecký, R. Tomis, and V. Šnításek. Ant colony inspired algorithm for adaptive traffic routing. Technical report, Department of Computer Science, VSB - Technical University of Ostrava.
 18. S. Pourazarm, C. G. Cassandras, and A. Malikopoulos. Optimal routing of electric vehicles in networks with charging nodes: A dynamic programming approach. Electric Vehicle Conference (IEVC), 2014 IEEE International, December 2014.
 19. R. Putha, L. Quadrioglio, and E. Zechman. Comparing ant colony optimization and genetic algorithm approaches for solving traffic signal coordination under oversaturation conditions. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 27:14–28, 2012.
 20. T. Wang, C. Cassandras, and S. Pourazarm. Energy-aware vehicle routing in networks with charging stations. Control and Automation (MED), 2014 22nd Mediterranean Conference of, June 2014.

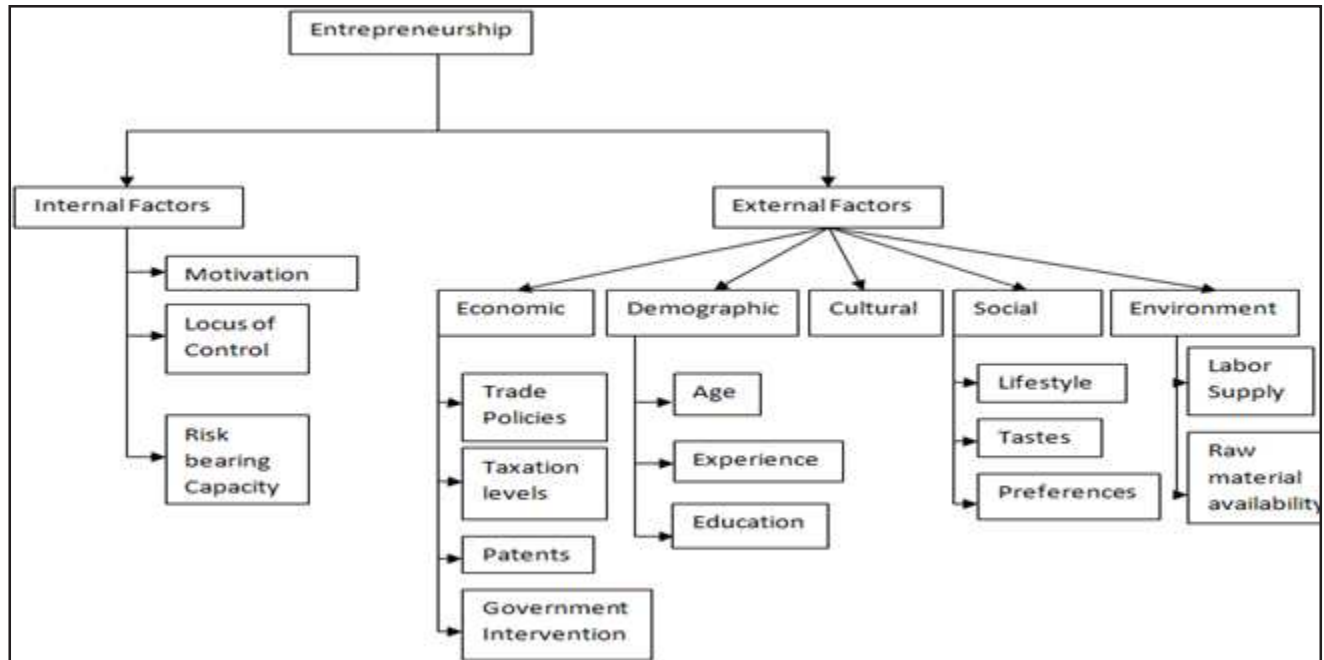


Table: 4. ANOVA Table

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.512	1	3.512	4.620	.037 ^b
	Residual	36.488	48	.760		
	Total	40.000	49			

a. Dependent Variable: Economic Growth of India

b. Predictors: (Constant), Entrepreneurship

Table: 5. Coefficient Table

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.575	.493		5.226	.000
	Entrepreneurship	.283	.132	.296	2.149	.037

a. Dependent Variable: Economic Growth of India

वर्तमान बजट 2022-23 की शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिकता तथा नवीन आयाम (मध्यप्रदेश राज्य के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. रोहित पाटीदार* जितेंद्र बड़ौले**

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

** अतिथि विद्वान (वाणिज्य) शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - “बजट” किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का आयना होता है। बजट के मतव्य वस्तुतः अनुमानित होते हैं न कि वैश्विक। बजट निर्माण सरकारी मिशनरी की एक निरन्तर प्रक्रिया होती है। बजट से आशय आय और व्यय के लेखा जोखा से होता है। बजट, सबका होता है। आम व्यक्ति से लेकर सरकारें तक का बजट बनाती हैं ताकि आय-व्यय का लेखा जोखा तो रखा ही जा सके और प्राथमिकताओं के क्षेत्रों को पूरा किया जा सके। आम आदमी के विपरीत यदि सरकार का बजट बचत का है, तो यह माना जाता है कि उसके पास प्रगति की कोई योजनाएं नहीं हैं और यदि घाटे का बजट है तो सरकार बहुमुखी विकास की ओर कदम बढ़ा रही है। यह सरकारों का काम है कि वह घाटे के बजट के बाद भी, आम जनता को कष्ट दिए बिना, किस प्रकार से अपनी विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए धनराशि जुटाती है। इसी प्रयास, व्यवस्था को बजट अथवा आय-व्यय कहा जाता है।

बजट का महत्व एक प्रभावशाली प्रक्रिया के रूप में निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। किसी भी राष्ट्र की सरकार की आर्थिक नीतियों एवं प्रगति उसके बजट के परिप्रेक्ष्य में की जाती हैं। बजट एक ऐसा आधार स्तम्भ है, जिसके बिना राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति की कल्पना संभव नहीं है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का सही आंकलन उसके बजट नीतियाँ तथा बजट के मूल आधार को देखकर किया जा सकता है। बजट से धन के असमान विवरण को दूर किया जा सकता है। बजट में ही करारोपण से धन प्राप्त करके उसे विकास कार्यों एवं प्रगति हेतु व्यय किया जाता है। राष्ट्र में सम्पन्न वर्ग पर कर लगाकर उस कर को निर्धन वर्ग पर व्यय किया जाता है ताकि असमानता को दूर किया जा सके। यदि समाज में परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो सार्वजनिक ऋण की मदद से उसके प्रभाव को कम किया जाता है।

बजट का उद्देश्य : “बजट” मूलतः एक भावी नीति है जो कि अतीत के आंकलन के आधार पर इसे तैयार किया जाता है। ‘बजट’ वित्त का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि एक प्रभावकारी साधन है जिसमें बैंक के अनुमान प्रस्तुत किये जाते हैं। बजट जिसे मौद्रिक प्रारूप में बनाया जाता है। बजट के प्रमुख उद्देश्य निम्न लिखित प्रकार से हैं।

1. यह विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय एवं न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करता है।
2. यह सामाजिक एवं आर्थिक नीति का उपकरण है, जिसका कार्य निर्धारण, वितरण तथा स्थिरीकरण है।

3. यह सरकारी कार्यों और सेवाओं के कुशल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है।
4. यह सरकारी विभागों की विभिन्न गतिविधियों को एक योजना के अधीन लाकर उनको एकीकृत करता है और इस प्रकार प्रशासनिक प्रबन्धन एवं समन्वय को आसान बनाता है।
5. आय व्यय का अनुमान आंकलन एवं लेखा देयता।
6. भावी आर्थिक विकास और चहुँमुखी उन्नति।
7. नियोजन संबंधी विभिन्न उद्देश्य।
8. विभिन्न योजना से संबंधित।
9. कार्यात्मक विस्तृत दृष्टिकोण।
10. राजकीय नीति का हथियार।
11. कार्यकलाप बजट नीति निर्धारण।
12. सरकार का अधिकार तथा आर्थिक दृष्टिकोण।

वर्ष 2022-23 के लिए घोषित केन्द्रीय बजट सरकार की राजकोषीय स्थिति पर महामारी के प्रभाव और नीतिगत विकल्पों को आकार देने वाले संदर्भ के बारे में एक दूरदृष्टि रखने का अवसर प्रदान करता है। इस बजट में ‘पूँजीगत व्यय में 35 प्रतिशत की वृद्धि’ है जो कल्याणकारी खर्च के बदले भौतिक बुनियादी ढांचे में अधिक से अधिक सार्वजनिक निवेश पर आधारित विकास की एक स्पष्ट नीति दिशा को दर्शाता है। कोरोना महामारी के संदर्भ में इन विकल्पों के आर्थिक तर्क-घटती जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद), बढ़ती असमानता, लगातार बेरोजगारी पर व्यापक रूप से बहस की गई है लेकिन ये विकल्प एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी प्रस्तुत करते हैं।

बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट से लिया गया है फ्रेंच में बोगेट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है। बजट सरकार के आय और व्यय का एक वार्षिक विवरण है। बजट को स्वीकृति प्रदान करने हेतु विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय प्रणाली विवरण को लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रावधान दिए गए हैं तथा साथ ही बजट पर बहस करने के लिए अनुकूल अवसर दिये गये हैं। वास्तव में “बजट लोकतंत्र सरकार का आधार स्तम्भ है।”

बजट निर्माण की प्रक्रिया : बजट निर्माण एक अत्यन्त विस्तृत एवं जटिल प्रक्रिया है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की रहती है। बजट निर्माण हेतु प्रक्रिया सामान्यतः बजट प्रस्तुति के

समय से 6 से 7 माह पूर्व ही प्रारंभ कर दी जाती है। जिसे निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न किया जाता है-

प्रथम चरण : बजट का प्रावधान अथवा रूपरेखा तैयार करना।

द्वितीय चरण : बजट का दस्तावेज तैयार करना (आय-व्यय का विवरण)।

तृतीय चरण : संसदीय चर्चा के बाद संसदीय अनुमति प्राप्त करना।

चतुर्थ चरण : बजट का क्रियान्वयन।

पंचम चरण : वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण।

नई शिक्षा नीति, 2020 को अंगीकार करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बना है। जिसने जुलाई, 2021 से ही इसे लागू करने का ऐलान कर दिया था इसकी झलक भी विधानसभा में पेश किए गए बजट में दिखी है। नई आइटीआइ खोलने की घोषणा और 10 का सुट्टीकरण करने को बजट प्रस्ताव में शामिल करना स्वरोजगार की ओर युवाओं को ले जाने का लक्ष्य दिखाई देता है। विश्वविद्यालयों में इन्व्यूबेशन सेंटर स्थापित करने में उन्हीं विश्वविद्यालयों का उल्लेख है जिन पर काम चल रहा है। प्रदेश में सरकारी और निजी मिलाकर 40 विश्वविद्यालय संचालित है। इन सभी के लिए इन्व्यूबेशन सेंटर की पहल होनी चाहिए ताकि युवाओं के लिए और अधिक बेहतर माहौल दिया जा सके।

नई शिक्षा नीति में कम्प्युनिटी कॉलेज पर भी फोकस है, जिसका उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। जिस तरह से प्रदेश का औद्योगिकरण हुआ है और स्वरोजगार को लेकर रुझान बढ़ रहा है, इस तरह का प्रयोग आवश्यक है। विकसित देशों में यह प्रयोग बहुत लोकप्रिय है। परंपरागत शिक्षा के साथ तकनीकी ज्ञान अधिक जरूरी हो गया है। इसमें औद्योगिक समूह व दूसरे सेवा के क्षेत्र अपनी रिक्वायरमेंट देकर पाठ्यक्रम चालू करवा सकते हैं। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा में भी बड़े बदलाव की दरकार है, इस दिशा में सरकार ने स्मार्ट क्लास, स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसे प्रयोगों को बजट में जगह दी है। 360 नए सीएम राइज स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव है, पर जो मौजूदा ढांचा है उस पर भी सुधार होना चाहिए।

मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के बजट मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के विस्तार में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है निजी विश्वविद्यालय की संख्या 40 हो गई है। इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा विश्वविद्यालयों में इन्व्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। 100 उच्च शिक्षा संस्थानों में 200 स्मार्ट क्लास तथा 75 कम्प्यूटर लेब का कार्य पूर्ण किया गया है। 10345 करोड़ का प्रावधान सरकारी प्राथमिक स्कूलों की स्थापना के लिए किया गया है वहीं 2109 करोड़ का प्रावधान कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय के लिए किया गया है। इसी तरह शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकंडरी शालाओं के लिए 3160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1237 करोड़ रुपए का प्रावधान मेडिकल कॉलेजों, संबद्ध अस्पतालों के लिए किया गया है। अब मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों की गहन चिकित्सा इकाई में 4446 बिस्तरों का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के केन्द्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल एक लाख चार हजार 277 करोड़ रुपए का आवंटन शिक्षा क्षेत्र में कई संभावनाओं के द्वार खोलता है। जो पिछले वित्तवर्ष से 11,053.41 करोड़ रुपए यानी 12 प्रतिशत अधिक है। वित्तवर्ष 2022-23 में स्कूल शिक्षा के लिए आवंटन 63,449.93 करोड़ रुपए रखा गया है,

जो वित्तवर्ष 2021-22 की तुलना में करीब नौ हजार करोड़ रुपए है। वहीं समग्र शिक्षा के लिए 37,383.36 करोड़ आवंटित किया गया है जो पिछले वर्ष के बजट के आवंटन की तुलना में 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तवर्ष 2022-23 में शिक्षा विभाग को 40,828 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 6.6 प्रतिशत अधिक है। वहीं उच्च शिक्षा के लिए 40,828 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस वित्तवर्ष में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नए बजट में यह है कि डिजिटल एजुकेशन पर विशेष जोर दिया गया है। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाना है जिससे कि शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित सभी तरह के सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों और संस्थानों को नई शिक्षा नीति से जोड़ कर शिक्षा का कार्याकल्प करने में मदद मिलेगी। केन्द्र सरकार ने नए भारत के निर्माण के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल करते हुए नई योजना के तहत डिजिटल विश्वविद्यालयों की स्थापना करके घर-घर शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किए हैं। इससे जहां छात्र अपनी मातृ या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे वहीं उन्हें वह सभी शिक्षा संबंधी सामग्री मिल पाएगी जो उनके लिए आवश्यक होगी।

तालिका क्रमांक 01 : मध्यप्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में बजट (रु. करोड़ में)

क्र.	विभाग	वित्तवर्ष 2021-22 बजट अनुमान	वित्तवर्ष 2022-23 बजट अनुमान	वृद्धि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत में)
1	स्कूली शिक्षा विभाग	25,953	27,792	7
2	उच्च शिक्षा विभाग	3,468	3,513	1
3	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग	1,375	1,538	12
	कुल योग	30,796	32,843	7

स्रोत : <https://www.finance.mp.gov.in>

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। पिछले दो वित्तवर्ष के आंकलन में पाया गया है कि यह वृद्धि लगभग 7 प्रतिशत है जो कि मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर भागीरथी प्रयास साबित होंगे। नवीन शिक्षा नीति लागू कर मध्यप्रदेश में शिक्षा के नवीन आयाम स्थापित किए हैं।

निष्कर्ष : देश की 40 प्रतिशत आबादी 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब भी जीडीपी का महज तीन प्रतिशत शिक्षा के मद में व्यय किया जाता है। जबकि नई शिक्षा नीति में जीडीपी का कम से कम छह प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाना है। नई शिक्षा नीति, 2020 को अंगीकार करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बनकर वर्ष 2021 से ही इसे लागू कर दिया है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कदम साबित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश संदर्भ : जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, 2012 पृ. 611	कॉसमास पब्लिकेशन, दिल्ली
2. यामिनी अय्यर : सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर), नई दिल्ली	4. पत्रिका, मध्यप्रदेश बजट, 2022-23 दिनांक 10 मार्च, 2022
3. भारतीय अर्थव्यवस्था एससीईआरटी सार : बर्णवाल, महेश कुमार,	5. राजएक्सप्रेस, इंदौर
	6. https://www.finance.mp.gov.in

An Impact of GST on Consumer Buying Behaviour of Branded Clothes with Special Reference to Dombivli City

Dr. Avinash B. Shendre *

*Head (Economics) Pragati College of Arts and Commerce, Dombivli East, Distt. Thane (Maharashtra) INDIA

Abstract - Goods and Service Tax (GST) is an indirect tax regime, implemented on 1st July, 2017. GST is a comprehensive, multistage, destination based tax that is levied on every value addition. Under GST, tax is levied at the rate of 0%, 5%, 12%, 18% and 28% depending on the HSN Code of various goods and services. (Prof. Krishna Jaimin Desai, March 2018) The research paper on consumer buying behavior of branded clothes in Dombivli East was undertaken with the objectives to study the impact of Goods & Service tax on consumer buying behaviors and to know the factors influencing the consumer for purchasing branded clothes. For meeting the objectives primary data was collected from 40 consumers by preparing questionnaire, interview schedule & personal interaction with them. The study is about the impact of GST on selected branded textile products, like Levis, Raymond, Puma etc. This research paper attempts to study the change in buying behaviour after implementation of GST. GST charged on Branded clothes is at 12% from 1st January, 2022. The customers prefer to buy the products on the basis of price and quality. It is also found that the branded companies are not providing any special offers and discount after the GST.

Keywords- Consumer Buying Behaviour, Branded clothes, GST.

Introduction - A brand is defined as an on the whole experience of a customer that distinguishes a product from its rivals in the perception of customers. Branding is a set of communication and marketing methods that distinguishes a company's product from its competitors. The main intention of developing a brand name is to create enduring consciousness in the minds of customers. Under GST, manmade apparels costing up to ₹ 1000 attracts 5% GST which is lower than 7% charged earlier under the old indirect tax regime. It is also true that on manmade apparels of more than ₹ 1000 attracts higher GST rate of 18% which is certainly higher than the existing 7%, thus, making branded clothes costlier. Now with increase in tax liability on the branded clothes it is worth finding out if this will impact the buying behaviour of the customers. (Prof. Krishna Jaimin Desai March 2018)

Goods and Service Tax (GST) is an indirect tax regime, implemented on 1st July, 2017. GST is a comprehensive, multistage, destination based tax that is levied on every value addition. Under GST, tax is levied at the rate of 0%, 5%, 12%, 18% and 28% depending on the HSN Code of various goods and services. GST is the most ambitious and remarkable indirect tax reform in India's post-Independence history. Its objective is to levy a single national

uniform tax across India on all goods and services. GST has replaced a number of Central and State taxes, made India more of a national integrated market, and brought more producers into the tax net. By improving efficiency, it can add substantially to growth as well as government finances. Implementing a new tax, encompassing both goods and services, by the Centre and the States in a large and complex federal system, is perhaps unprecedented in modern global tax history.

History Of GST: The history of the Goods and Services Tax (GST) in India dates back to the year 2000 and culminates in 2017 with four bills relating to it becoming an Act. Under the reign of Prime Minister Vajpayee in the year 2000, the very first discussion on GST Law was Flagged Off. But, even after recommendations from various government committees, the government was not able to implement it. Moreover, under the current government, in the year 2014, the GST bill was cleared in the Lok Sabha as a 122nd constitution bill; and in the year 2016, it was passed in the Rajya Sabha as well, hence finally paving the way for GST framework in the country.

The GST Act aims to streamline taxes for goods and services across India. The implementation of the Goods and Services Tax (GST) in India was a historical move, as

it marked a significant indirect tax reform in the country. The amalgamation of a large number of taxes (levied at a central and state level) into a single tax is expected to have big advantages. One of the most important benefit of the move is the mitigation of double taxation or the elimination of the cascading effect of taxation.

GST Policy & Rules:

1. Application in Form GST TRAN -1 ('Transition application form') to be filed within 60 days from the appointed date for transitioning credit of taxes and duties paid under the existing law.
2. Open market value of the underlying supply to be determined by making a reference to the price at which an identical supply is made at the same time where the parties are not related and price is the sole consideration.
3. For goods imported into India, the place of supply shall be the location of the importer; the place of supply for export goods shall be the location outside India.
4. The Amendment Bill will alter the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975 and the Central Excise Act, 1944 in consonance with the GST Laws.
5. Invoice or debit note issued in respect of recoveries of tax payable under Section 74, Section 129 and Section 130. Invoice to clearly mention "input tax credit not admissible".
6. Duty on import of goods to be levied under the Customs Act. Accordingly, enabling provisions have been introduced to levy IGST and GST compensation cess on import of goods into India.
7. Composition scheme must be opted for on a pan India basis. The option lapses on the day such aggregate turnover cross the prescribed limit.

Objectives Of The Study- Following are the objectives of the study:

1. To understand awareness level of consumer after implementation of GST.
2. To study whether there is any change in preference of branded clothes after implementation of GST.
3. To identify the factors which leads to brand preference of a branded clothes.
4. To Study the relationship between price & quality to brand preference after GST.
5. To analyze whether there is any change in consumer behavior after GST.

Research Methodology: This Research paper is basically descriptive & analytical. The data collection is made through both the sources that is primary sources & secondary sources.

A. Primary Sources: The primary source of collecting data is from the respondent. This data is collected from 40 respondents from the adopted area. The complete primary information is collected from the respondents by preparing questionnaire, interview schedule & personal interaction

with them.

B. Secondary Sources: The secondary data has been collected from the books, journals, magazines, reports & by visiting to national reputed websites.

Review Of Literature

1. Nayyar & Singh, February, 2018 In this study, they concluded that all the sectors in Indian Economy will bear the impact of GST. It will improve tax collections and boost economic development. They further emphasised that there is a need for more analytical based research for successful implementation of GST.

2. Abda, 2017 He concluded in his research that the advantages of implementing GST are more as compared to its disadvantages. In long run, prices of essential products will decrease and will give relief to consumers, producers and the government in future.

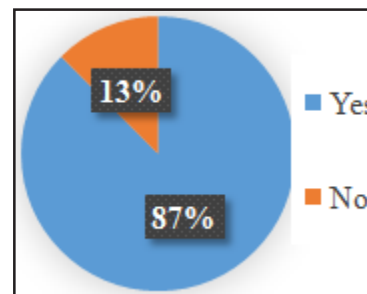
3. Khan & Soni, 2018 This Research Paper concluded that implementing GST will shift the present unorganized textiles business towards organized market and that there will be a positive impact on the textile industry. It also opined that due to GST certain textiles products will become more expensive.

4. Prabha, Bhuvneswari, & Nandida, 2018 The Study concluded that almost there is no change in the consumer buying behaviour due to transition from VAT to GST in most of the cases. Provisions, Textiles & Leather Industry remains nonchalant. Buying aptitude for cosmetic products and beverages showed a down trend.

Data Analysis & Interpretation:

1. Change in preference for branded clothes after implementation of GST:

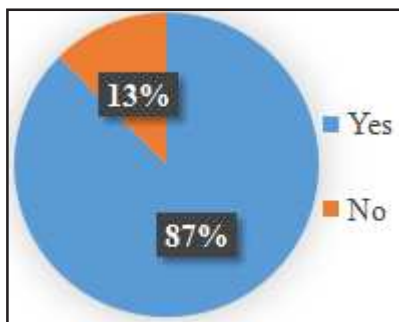
Graph No. 1



Explanation: The above pie chart indicates 87% respondents feels that there is change in preference for purchase of branded clothes after implementation of GST & only 13% respondents feel that there is no effect on their preference for purchase of branded clothes after implementation of GST. From the above pie chart it is clearly evident that majority of the customers change their brand after implementation of GST.

2. Change in Offer & Discount after implementation of GST:

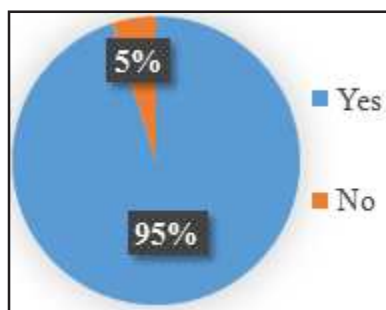
Graph No. 2



Explanation: Above pie chart states that 87%, respondents feels that there is change in offer & discount after implementation of GST & only 13% respondents feel that there is no effect on offer & discount after implementation of GST. Majority of the respondents are feel that there is change in offer & discount after implementation of GST. Because prices of branded clothes are increase.

3. Implementing GST will cause increase in price of goods and services:

Graph No. 3

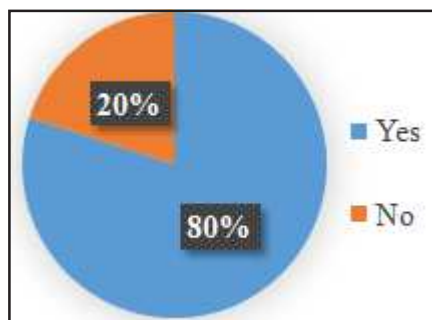


Explanation: Above pie chart shows that 95% respondents thinks that there is increase in price of goods & services after implementation of GST & only 5 respondents thinks that there is no effect on price. Majority of the respondents are think that there is increase in price of goods & services after imposing GST on goods as well as services.

4. Awareness about increase in GST rate from 1st January, 2022:

Responses given to the above question are recorded classified and presented in the following table:

Graph No. 4



Explanation: Above pie chart states that 80% respondents are aware about increase in GST rate from 1st January, 2022 and only 20% respondents didn't aware about the increase in GST rate from 1st January 2022. Majority of the

respondents are aware about the change in the GST rate from 1st January, 2022 onwards. The GST Council recommended to introduce GST rate changes from January 2022 in order to correct the inverted duty structure in the Footwear and Textile Sector.

• **Current tax Rates of Gst V/s New GST Rates:**

Apparel retailers, hit by rising cotton yarn and acrylic prices, said the upcoming hike in the goods and services tax (GST) on clothes and footwear could dampen demand. The government recently notified an increase in GST on these products from 5% to 12%, effective 1 January. Ludhiana-based apparel retailer Madame said it could hike prices by 10-11% starting February and March.

Following table shows that Current tax Rates of Gst V/s New GST Rates:

Table No : 1

Current Tax Slabs	Rates	Products & Services
Up to 9%	5%	Edible oil, spices, tea, coffee
9% - > 15%	12%	Computers, processed food, Clothes
15% - > 21%	18%	Soaps, oil, shaving sticks
21%	28%	Most white goods such as LED TV sets

Source: Government, PWC (Combined central and State Taxes)

• **Brand consciousness drive growth:** Building awareness is a critical component for any marketing plan that includes a desire for growth. It's imperative when launching new products and services and obtaining repeat purchases. That's why your work in brand awareness doesn't stop after one sale. You need to stay top-of-mind to encourage repeat purchases and loyalty.

Following table shows that brand consciousness drive growth:

Table No : 2

Particulars	Size (Rs. Crores)	Share of branded apparels
Domestic apparels market	1,25,000	40%
Category- Wise market		
Women's Traditional wear	34200	Low
Men's formal wear	31900	High
Kid's wear	10100	Low
Casual - Jeans	8600	Medium
Casual - T Shirts	6400	Low
Women's western wear	2100	High

Source : CRISIL Research

Category wise share of branded apparels is relative to the share in total apparels market

• **India's Clothing, Textile, Fashion, Accessories Market:** 2004: It was valued at Rs 10,900 crores. The share of organized retail has steadily grown to 18.9% in 2006, with the apparel and accessories sector showing a year on year growth rate of 30.3% during 2005-2006. Apparel and accessories retailing is the largest segment of organized retailing in India, constituting 39% of total organized retailing

business, which values approximately at rs 55,000 crores (USD 12.4 billion).

Following table shows that India's Clothing, Textile, Fashion, Accessories Market:

Table No : 3

Year	Total Sector	Organised Segment
2004	80000	10900
2005	88500	14000
2006	98000	18500

Source: India Retail Report by Images & F&R 2007

● **Weighted Average Effective GST Price:** The fact that state governments have been given a guaranteed revenue growth under the GST framework has created a moral hazard for the GST Council. There are repeated demands for reducing GST rates on all kinds of commodities from time to time, which have the effect of lowering the weighted average GST rate and therefore overall revenue collections. Against the revenue neutral rate of 15.3% which was recommended by the Arvind Subramanian Committee, weighted average GST rate has been falling continuously and was just 11.6% in July and September 2019. An IMF analysis of GST, which was done on behalf of the 15th Finance Commission indicated that the current effective tax rate is around 11.8%.

Following table shows that India's Weighted average Effective GST Price:

Table No : 4

Particulars	Price (In %)
Subramanian Committee Recommendation	15.3%
May 2017	14.4%
November 2017	12.6%
January 2018	12.2%
July 2018	11.8%
December 2018	11.6%
July and September 2019	11.6%
IMF Study done for 15 th finance commission	11.8%

Source: RBI Report 'State finances: A Study of 2019-20' and 15th Finance Commission Report

● **GST and its' impact on Indian textile and clothing industry:** Local producer and buyer of manmade fibre and manmade yarn will face a great challenge for 18% GST tax. According to table 1, while silk and jute are totally freed from the GST purview, the rate structure for the textiles is decided respectively 5 percent and 18 percent for cotton fiber and manmade synthetic fiber. The GST rate on apparels is also decided on a category basis, as Apparels below INR 1000 will be attracting 5 percent GST and exceeding INR 1000 will be taxed at 12 percent.

Following table shows that GST Levvy on textile & apparel:

Table No : 5 (see in last page)

Major Findings:

1. GST is an initiative which was done to have transparency and accountability in terms of supply of goods and services.

2. Rates of GST play an important role with respect to buying behavior of the customer and also perception of end customers.
3. It is to be found that majority of the customer think that implementation of GST cause increase in price of goods and services.
4. It is to be found that majority of the respondents are aware about increase in GST rate from 1st January, 2022 from 5% to 12%.
5. It is to be found that consumers prefer to purchase branded apparels because of its high quality of apparels.
6. It is to be found that Majority of the customer change their preference for purchase of branded clothes after implementation of GST.
7. The maximum number of respondents chosen for studying impact of GST on branded cloth Majority of the customers are changed their brand due to the high price.
8. Under the study some customers are mostly preferred quality in their life style.
9. It is to be found that there is upward trend in the cost after arrival of GST and downward trend in the change in cost of products.
10. It is to be found that consumers prefer to purchase branded apparels because of its high quality of apparels.

Conclusion: From the above analysis one can conclude that implementation of GST has definitely affected the preference or buying behavior of branded clothes. (Gupta, 2017) The introduction of GST has resulted in removal of exemptions for the textile industry which saw protests by various associations and players in the textile industry. Considering the intent of GST and peculiar manner of operation of textile industry, it may take slightly longer for textile industry to off-set the initial hiccups of GST and grow at a competitive pace. But as far as branded clothes are concerned after GST, there is change in the consumer preference for these products. The study examined the impact of GST on branded clothes. The study conducted on selected branded textile products, like Levis, Raymond, puma etc. This study helps to know the impact of GST, the factors which influence brand preferences and the relationship between price & quality of products, customer behaviour after implementation of GST. To find the offers and discounts provided by the company for the branded product after Implementation of GST.

Suggestions:

1. Government will launch a massive awareness campaign to educate consumers about GST so that they are not fleeced by traders in name of the new tax.
2. Consumers do not perceive newspaper and magazines as an important source to know what is new in clothing but consumers may take the help of Online shopping application to know what is new in clothing.

3. Social Media Network should be used as a marketing platform so as to market brands and to attract more young consumers.
4. Clothing's price also has an important impact on buying decision of customer. Product prices should have in a reasonable range so that customer from most of the level may buy.
5. The proposed GST regime is a half-hearted attempt to rationalize indirect tax structure. The government of India should study the GST regime set up by various countries and also their fallouts before implementing it.
6. Consumers are brand conscious now days. They purchase the apparels on the basis of brand image and uniqueness of the brand. So companies may increase their market share by creating point of difference from their competitors and developing a good brand image in the minds of consumers.
7. The consumers are less loyal towards national brands of apparels as compare to international brands so national brands have to improve the brand image among the consumers of branded apparels.
8. Due to increase in purchasing power of consumers, they spend great share of their income on purchase of branded apparels and in coming years the market of branded apparels will increase tremendously as a result branded apparels companies have to set the strategies which keep the consumers loyal towards their brand so that consumers will not switch off to other brands.
9. Social Media Network should be used as a marketing platform so as to market brands and to attract more young consumers.
10. Brand preference should be created through effective good advertisement and brand loyalty programmers. Advertisement has been the major source of information for many respondents. There should have a tone of freshness, style and energy conveyed through the advertisement.
11. Clothing's price also has an important impact on buying decision of customer. Product prices should have in a reasonable range so that customer from most of the level may buy.
12. More emphasize can be given on discounts and offers to attract more customers and transparency in GST for the goods and services can contribute to the sales growth of the company. Further steps are to be taken by the retailers to provide credit facilities for the consumers to increase repetitive purchases in the store.

References:-

1. Jafarilballaskar and Haidar Abbas (2014), Consumer Perception of Branded Garments in Indian Apparel Industry, Journal of Business Administration and Management Sciences Research Vol. 3(6), pp. 101-105, June 2014, ISSN 2315- 8727, 2014 Apex Journal International
2. KhareArpita (2011), Mall shopping behaviour of Indian small town consumers, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 18, Issue 1, January 2011, ISSN 0969-6989
3. Islam Md. Mazedul, Muhammad Mufidul Islam, Abu Yousuf Mohammad Anwarul Azim, Md. Russel Anwar and Md. Mijan Uddin (2014); Customer Perceptions in Buying Decision Towards Branded Bangladeshi Local Apparel Products; European Scientific Journal March 2014 edition vol.10, No.7 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
4. PunitPurohit (2007): Real Garmenting, Storai, Retailers Association of India, Mumbai, Volume 3 No. 1, March – April 2007, p- 25
5. Ainapure (2018), Indirect Tax- Introduction of Goods and Services Tax, ISBN 978-93-91381-65-3
6. <https://cleartax.in/s/gst-law-goods-and-services-tax>
7. <https://gstcouncil.gov.in/brief-history-gst>
8. <https://caknowledge.com/key-features-gst-benefits-gst/>
9. <https://www.thenewsminute.com/article/clothes-textiles-footwear-get-more-expensive-gst-hiked-5-12-157979>
10. <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1685332>

Table No : 5

Particulars	Rate	UptoRs 10,000	Exceeding Rs 10,000
Apparel	5%	5%	12%
Silk & Jute	0%	5%	12%
Cotton & natural fiber	5%	5%	12%
Manmade fiber	18%	5%	12%
All categories of yarn	5%	5%	12%
Manmade yarn	18%	5%	12%
Dyeing and printing units	18%	5%	12%
Embroidery and other job work services	18%	5%	12%
Fabric irrespective of fiber	5%	5%	12%

Source: Ministry of textiles

किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाओं में आक्रामक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सपना मिश्रा *

* प्राचार्य, मायादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एजुकेशन, देवास (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत अध्ययन किशोरावस्था के बालक एवं बालिकाओं में आक्रामक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस हेतु अध्ययन हेतु किशोर बालक एवं बालिकाओं का यादृच्छिक न्यादर्श विधि से चयन किया गया जिसमें 26 बालक एवं बालिकाओं का चयन किया गया जिसमें 13 बालक एवं 13 बालिकाएं थीं जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष तक रखी गई। प्रस्तुत समस्या के लिए आक्रामकता सूची (Aggression Inventory AI) एम.के. सुल्तानिया द्वारा निर्मित है, उपयोग की गई है। इस सूची में 67 आइटम या कथन हैं। जिसमें 59 कथन शत्रुता को मापते हैं और 8 कथन अपराध बोध को मापते हैं। आक्रामकता सूची की विश्वसनीयता 0.80 पायी गई है। प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण mean, t-test द्वारा किया गया। बालक एवं बालिकाओं के आक्रामकता की तुलना के लिए t का मान 7.31 पाया गया df 24 तथा 0.5 स्तर पर t का मान 2.06 है। गणना द्वारा प्राप्त t का मान 7.1 के निश्चित मान 2.6 से अधिक है। अतः परिकल्पना (किशोर बालक एवं बालिकाओं के आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर पाया जाएगा) अस्वीकृत नहीं की जा सकती है।

प्रस्तावना – किशोरावस्था बालक के विकास क्रम में आने वाली वह अवस्था है जिसमें प्रविष्ट करने पर बालक न तो बालक रह जाता है न ही प्रौढ़। किशोर बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों यथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक में ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था महत्वपूर्ण परिवर्तनों की अवस्था होती है, जिसमें पहुँचकर बालक तीव्र गति से विकास की पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगता है। विंग्स एवं हंट के अनुसार “किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करने वाला एक ही शब्द परिवर्तन है।” यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक होता है। आज के किशोरों के आक्रामक व्यवहार की समस्या पहले से कहीं ज्यादा अधिक प्रासंगिक है। आक्रामकता का विकास जैविक और मनोवैज्ञानिक दोनों कारणों से प्रभावित होता है। कई बार किशोरों को परिवार में गलत फहमी के कारण आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करना पड़ता है। इसके बाद मीडिया, आदि बालक एवं बालिकाओं में आक्रामक व्यवहार का कारक है।

आक्रामकता एक मानवीय व्यवहार है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है। आक्रामकता का प्रदर्शन शारीरिक या मौखिक रूप से किया जाता है। आक्रामकता लैटिन शब्द एग्रेसिया से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ ‘हमला’ होता है। एडलर ने आक्रामकता को एक वृत्ति के रूप में माना लेकिन यह एक जैसा नहीं है। एडलर के अनुसार आक्रामकता आत्मसुरक्षा और स्वयं की पुष्टि है। इनके अनुसार आक्रामकता हावी होने और वंश करने में आग्रह करता है। कई बार ऐसा आता है पकड़ों कि यह एक आम धारणा है कि आक्रामकता हमेशा हताशा का परिणाम है। दूसरी श्रेणी शारीरिक रूप से किसी को प्रभावित नहीं कर सकती है, जो काफी मानसिक पीड़ा, असुविधा, चिंता और मनोवैज्ञानिक दर्द का कारण बनती है। मिशेल (1981) के अनुसार “किसी

की क्षति पहुँचाने के लिए प्रेरित व्यवहार को आक्रामकता कहते हैं।”

बर्कोविट्स (1992) व अन्य ने तीन प्रकार से आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित किया – प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और शाब्दिक। प्रत्यक्ष आक्रामकता के अंतर्गत शारीरिक रूप से किया जाने वाला व्यवहार आता है – जैसे मारना, पंचिंग, काटना आदि। अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत बहिष्कार, सामाजिक विलगन, अफवाह फैलाना, दूसरों के राज खोलना आदि आते हैं। शाब्दिक आक्रामकता के अंतर्गत छोटों द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली देना, दूसरों को धमकी देना आदि। साडी, हॉनरमण्ड, नाइजिरियन और अस्कारी (2012) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में आक्रामकता कम करने हेतु भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन नामक शीर्षक में शोध के दौरान निष्कर्ष रूप में पाया कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण के प्रभाव से छात्रों की आक्रामकता कम करने तथा सामाजिक अनुकूलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। चेन, हुआंग, वांग और चांग (2012) ने बच्चों में आक्रामकता सहकर्मी संबंध तथा अवसाद के बीच संबंधों का अध्ययन नामक शीर्षक से अपना शोध किया और पाया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आक्रामकता दोनों ही बच्चों के किशोरावस्था में पहुँचने पर सहकर्मी संबंधों में कमी करती है तथा अवसाद को बढ़ावा देती है। जोशी चंद्रवती और रिजवान मुहम्मद (2015) के किशोरों के आक्रामक व्यवहार का शैक्षिक स्थिति पर प्रभाव अध्ययन नामक शीर्षक पर अपना शोध किया और निष्कर्ष में पाया कि छात्रों का आक्रामकता स्तर छात्रों की तुलना में अधिक पाया गया। निम्न शैक्षिक निष्पत्ति वाला छात्रों में से उच्च आक्रामकता स्तर पाया गया। जोहल और कौर (2015) ने ‘किशोरों के आक्रामक व्यवहार तथा माता-पिता के व्यवहार के बीच संबंधों का अध्ययन’ नामक शीर्षक में निष्कर्ष पाया गया कि माता-पिता के दुर्व्यवहार तथा किशोरों के आक्रामक व्यवहार के बीच सकारात्मक सार्थक संबंध होता है, साथ ही यह भी पाया गया कि

माता-पिता का व्यवहार छात्रों की तुलना में छात्राओं के प्रति कुछ मामलों में अधिक दुर्भावपूर्ण होता है। डॉ. निशा श्रीवास्तव एवं रुचि यादव (2015) ने अपने शीर्षक 'सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों के आक्रामक व्यवहार में तुलनात्मक अध्ययन' के निष्कर्ष रूप में पाया गया कि सरकारी व गैर सरकारी व्यवहार में सार्थक अंतर पाया गया।

उद्देश्य :

1. किशोर बालकों के आक्रामकता स्तर का अध्ययन करना।
2. किशोर बालिकाओं के आक्रामकता स्तर का अध्ययन करना।
3. किशोर बालक एवं बालिकाओं के आक्रामकता स्तर की तुलना करना।

परिकल्पना :

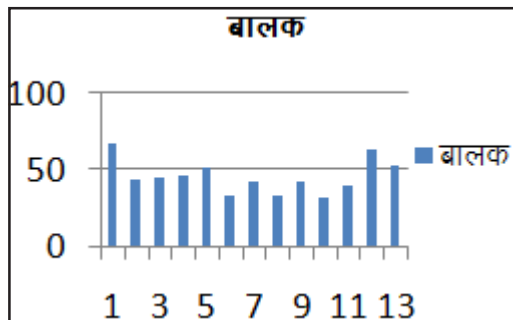
1. किशोर बालकों का आक्रामकता स्तर समान नहीं पाया जाएगा।
2. किशोर बालिकाओं का आक्रामकता स्तर समान नहीं पाया जाएगा।
3. किशोर बालक एवं बालिकाओं के आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर पाया जाएगा।

प्रविधि- अध्ययन हेतु किशोर बालक एवं बालिकाओं का यादृच्छिक न्यादर्श विधि से चयन किया 26 बालक एवं बालिकाओं का चयन किया गया जिसमें 13 बालक एवं 13 बालिकाएं थी जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष तक रखी गई। प्रस्तुत समस्या के लिए आक्रामकता सूची (Aggression Inventory AI) एम.के. सुल्तानिया द्वारा निर्मित है, उपयोग की गई है। इस सूची में 67 आइटम या कथन हैं। जिसमें 59 कथन शत्रुता को मापते हैं और 8 कथन अपराध बोध को मापते हैं। आक्रामकता सूची की विश्वसनीयता 0.80 पायी गई है।

निष्कर्ष एवं विवेचना - प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण mean, t-test द्वारा किया गया। विश्लेषण के आधार पर प्राप्त परिणामों की विवेचना की जाएगी। प्रदत्तों के विश्लेषण का परिणामों के उद्देश्यों के अनुसार वर्णित किया गया।

प्रथम उद्देश्य - "किशोर बालकों के आक्रामकता स्तर का अध्ययन।"

इस हेतु एम.के. सुल्तानिया द्वारा निर्मित आक्रामकता सूची का (AI) का प्रशासन किशोर बालकों पर किया गया। फलांकन कुंजी की सहायता से फलांकन के उपरांत प्रदत्तों का संकलन किया गया। प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण ग्राफ द्वारा किया गया है। ग्राफ 1.1 के अनुसार बालकों के फलांक में अंतर पाया गया अर्थात् परिकल्पना "बालकों के आक्रामकता स्तर में अंतर पाया जाएगा" स्वीकृत की जाएगी। बालकों के आक्रामकता फलांक में अंतर दंडरेख 1.1 में प्रदर्शित है।

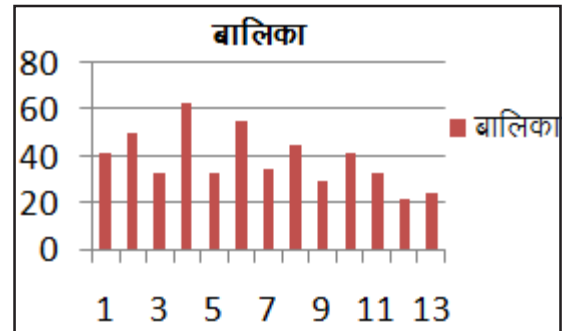


ग्राफ 1.1 बालकों के आक्रामकता स्तर

द्वितीय उद्देश्य - किशोर बालिकाओं के आक्रामकता स्तर का अध्ययन।

इस हेतु एम.के. सुल्तानिया द्वारा निर्मित आक्रामकता सूची का (AI)

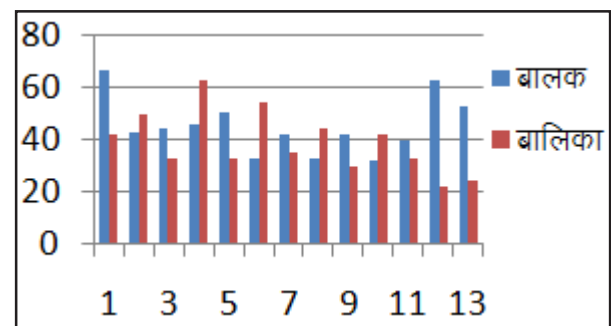
प्रशासन किशोर बालिकाओं पर किया गया। फलांक कुंजी की सहायता से फलांकन के उपरांत प्रदत्तों का संकलन किया गया। प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण दंडरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया। ग्राफ 1.2 के अनुसार बालिकाओं के फलांक में अंतर पाया गया अर्थात् परिकल्पना "बालिका के आक्रामकता स्तर में अंतर पाया जाएगा" स्वीकृत की जाएगी। बालिकाओं के आक्रामकता फलांक में अंतर दंडरेख 1.2 में दर्शाया गया है।



ग्राफ 1.2 बालिका के आक्रामकता स्तर

तृतीय उद्देश्य - किशोर बालक एवं बालिकाओं के आक्रामकता स्तर की तुलना करना।

इस हेतु एम.के. सुल्तानिया द्वारा निर्मित आक्रामकता सूची (AI) का प्रकाशन किशोर बालक बालिकाओं पर किया गया। फलांकन कुंजी की सहायता से फलांकन के उपरांत प्रदत्तों का संकलन किया गया प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण परीक्षण टी-टेस्ट द्वारा किया गया। बालक एवं बालिकाओं के आक्रामकता की तुलना के लिए t का मान 7.31 पाया गया df 24 तथा 0.5 स्तर पर t का मान 2.06 है। गणना द्वारा प्राप्त t का मान 7.1 के निश्चित मान 2.6 से अधिक है। अतः परिकल्पना (किशोर बालक एवं बालिकाओं के आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर पाया जाएगा) अस्वीकृत नहीं की जा सकती एवं परिणाम ग्राफ 1.3 के अनुसार प्रदर्शित है।

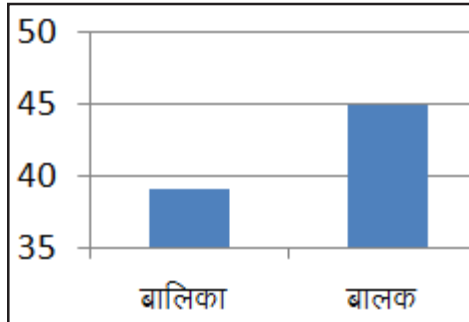


ग्राफ 1.3

उपर्युक्त विवेचना एवं विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना "किशोर बालक एवं बालिकाओं के आक्रामकता स्तर में सार्थक अंतर पाया जाएगा" सत्य सिद्ध होती है। अर्थात् परिकल्पना अस्वीकृत नहीं की जा सकती। इस संदर्भ में किशोर बालक का आक्रामकता का मध्यमान ($m = 45$) एवं बालिकाओं का आक्रामकता का स्तर मध्यमान ($m = 39$) से सार्थक उच्च स्तरीय पाया गया। मध्यमानों का यह विवरण ग्राफ क्र. 1.4 में दंडरेख के रूप में दिया जा रहा है।

तालिका 1.4 बालक एवं बालिका का आक्रामकता फलांक

आक्रामक व्यवहार	माध्य
कुल प्राप्तांक	बालिका 39
	बालक 45



ग्राफ क्र. 1.4

उपसंहार – माता-पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। स्वावलम्बन की भावना का विकास करना। किशोरों के चरित्र को आदर्श रूप प्रदान करना। प्राध्यापक द्वारा किशोरों की आवश्यकता के अनुरूप एवं उनकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षण पद्धति अपनाएँ। किशोर की मित्रता किन लोगों से है अथवा उसकी संगत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बालक एवं बालिकाओं को समान स्तर से आँकना चाहिए। बालकों की हठ को हमेशा पालकों को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हठ जब पूरी नहीं

होती तो बालक आक्रामकता व्यवहार करने लगते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए.के.सिंह (2012), मनोविज्ञान समाज शास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास
2. एल.बी. त्रिपाठी, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पद्धतियाँ, एच.पी. भार्गव, बुक हाउस, आगरा (P-10-13)
3. एच.के. कपिल, (1991) सांख्यिकी के मूलतत्त्व (सामाजिक विज्ञान) में विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
4. राजेन्द्र प्रसाद सिंह और जितेन्द्र कुमार उपाध्याय (2015), विकासात्मक मनोविज्ञान, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास
5. श्रीवास्तव डी.एन.और प्रीति वर्मा (2012) मनोविज्ञान शिक्षा और अन्य सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी, आगरा, निोद पुस्तक मंदिर
6. Anstasi A (1968), Psychological Testiny, New York The Macmill on company, "A social psychological study of family model parent child interaction and aggression
7. Ami N. wanp N Sanker, R.Raghvi R & Chimaya R (2017) "Aggression Amony annamalai University student. Global Journal of Intellectual and Development Disabilities (3) 1.4
8. Buss Ast. and Durkee A (1957) "An Inventory for assesting different kinds of hostality. Journal consulting psychology".

चित्तौड़गढ़ दुर्ग का गौरवशाली इतिहास एवं हिंदी साहित्य

गोपाल लाल जाट* डॉ. हेमन्त सिंह सारंगदेवोत**

* शोधार्थी (हिंदी) मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

** सहायक आचार्य (इतिहास) संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.) भारत

प्रस्तावना – चित्तौड़गढ़ शक्ति-भक्ति-त्याग-तप और बलिदान की धारा के रूप में इतिहास एवं साहित्य में प्रसिद्ध रही है। कर्नल टॉड ने मेवाड़ सहित राजपुताना के वीरों की गाथाओं को एथेंस-स्पार्टा के वीरों के तुल्य बताकर अपनी लेखनी में पिरोया है। हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर को मेवाड़ का मेराथन कहा है। चित्तौड़गढ़ प्राचीन व मध्ययुगीन। थापत्य शैली सहित आधुनिक कालीन। थापत्य के मिश्रण का प्रतीक रहा है। भारतीय इतिहास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है जिसके साथ त्याग-बलिदान की अनेकों गाथाएं जुड़ी हुई हैं। स्वतंत्रता और स्वाभिमान के पर्याय रहे इस दुर्ग के अनेकानेक प्रेरक प्रसंगों को जनमानस श्रद्धाभाव से नित्य स्मरण करते रहे हैं। साहित्यकारों ने इस बलिदानी वसुधा की माटी को चांदी से अधिक महंगा माना है।

आवे न सोनो औल में, हुए न चांदी होड़।

रगत थाप मंदी रही, माटी गढ़ चित्तौड़।।

मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति ने इसके इतिहास, संस्कृति व आदर्शों को बहुत प्रभावित किया है। राजनीतिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी-पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान का दक्षिणी-पश्चिमी भू-भाग मेवाड़ राज्य के रूप में सुविख्यात रहा है।

भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाने वाले चित्तौड़ राज्य के योद्धा जननायक महाराणा प्रताप के सन्दर्भ में लाहौर के कवि हरिकृष्ण विजय ने लिखा है कि

‘सूर्य झुका, झुक गए कलाधर, झुके गगन के तारे।

निखिल विश्व के शीश झुके, पर झुके न प्रताप प्यारे।।’

यह ‘मेढपाट’ मेवाड़ राज्य राजस्थान में विलीनीकरण से पूर्व राजस्थान के दक्षिण में 23°49’ से 25°28’ उत्तर अक्षांश तथा 73°1’ से 75°49’ पूर्व देशान्तर के मध्य में स्थित रहा है। भारतीय संघ में विलीनीकरण से पूर्व इसका क्षेत्रफल 12691 वर्गमील (2043.626 वर्ग कि.मी. या 22032.92 वर्ग किमी) था।

हिंदुआ सूरज की उपाधि से विभूषित मेवाड़ राज्य का उद्भव छठी शताब्दी ई. के उत्तरार्द्ध में गुहिल या गुहिलोत वंश की स्थापना से होता है जिसके संस्थापक गुहिल थे। गुहिलोत अपने को सूर्यवंशी मानते हैं और अपनी वंशावली अयोध्यापति रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश से जोड़ते हैं। राजपुताना के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित मेवाड़ राज्य गुहिलोत सिसोदिया शासकों द्वारा 7वीं शताब्दी ई. से शासित रहा है।



मेवाड़ राज्य की राजधानी रहा चित्तौड़गढ़ दुर्ग 24.8879° उत्तरी अक्षांश और 74.6451° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। राजपूती बलिदान और गौरव का प्रतीक यह दुर्ग सदियों से राजस्थान की गौरव गरिमा का प्रतिनिधित्व करता आया है। अप्रतिम वीरता, स्वाभिमान, आन-बान पर मिटने की लालसा का प्रतीक यह विशाल दुर्ग राजस्थान में ही नहीं किन्तु सारे विश्व में अद्वितीय स्थान रखता हुआ स्वाभिमान एवं स्वातंत्र्य प्रेरणा के लिए जाना जाता है।

गिरता न कभी चेतक – तन पर

राणा प्रताप का कोड़ा था।

वह दौड़ रहा अरि-मस्तक पर

या आसमान पर घोड़ा था।।

जो तनिक हवा से बाग हिली

लेकर सवार उड़ जाता था।

राणा की पुतली फिरी नहीं

तब तक चेतक मुड़ जाता था।।

चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तीन जौहर-साके संपन्न हुए हैं एवं यह धारा सतीत्व की रक्षार्थ जौहर और बलिदान की केसरिया परंपरा के लिए जानी जाती है। प्रथम जौहर महारावल रत्नसिंह की पत्नी महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में सोलह हजार क्षत्राणियों के साथ विक्रम संवत् 1360 भाद्रपद शुक्ला तेरस 25 अगस्त 1303 ई. को कुम्भा महल में हुआ माना जाता है। द्वितीय जौहर महाराणा विक्रमादित्य के समय स्व. महाराणा सांगा की पत्नी राजमाता कर्मावती के नेतृत्व में विक्रम संवत् 1592 चैत्र शुक्ला चौथ सोमवार 8 मार्च 1535 ई. को तेईस हजार क्षत्राणियों के साथ माना जाता है। तृतीय जौहर

महाराणा उदय सिंह के समय जयमल राठौड़ व पत्ता चुण्डावत के नेतृत्व में चार माह के युद्ध के बाद सामंतों की स्त्रियों ने पत्ता जी की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में विक्रम संवत् 1624 चैत्र कृष्ण ग्यारस सोमवार 23 फरवरी 1568 ई.को सात हजार क्षत्राणियों के साथ अनेक स्थानों पर हुआ माना जाता है, जिसकी स्मृति में प्रति वर्ष जोहर मेले का आयोजन किया जाता है। चित्तौड़ के महान कवि नरेन्द्र मिश्र अपनी कालजयी कविता 'गोरा बादल' में उद्धृत करते हैं : -

दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुरबानी।
जिसके कारण मिट्टी भी है चन्दन राजस्थानी ॥
स्वतन्त्रता के लिए मरो राणा ने पाठ पढ़ाया था ।

इसी वेदिका पर वीरों ने अपना शीश चढ़ाया था ॥
तुम भी तो उनके वंशज हो, काम करो, कुछ नाम करो।
स्वतन्त्रता की बलिवेदी है, झुककर इसे प्रणाम करो॥

इतिहास में वीर प्रसविनी के रूप में विख्यात रही इस धारा पर बाप्पा रावल, महर्षि हारित, प्रताप, सांगा, कुम्भा, जयमल, पत्ता, गौरा-बादल, चुंडा जैसे अनेक अद्वितीय योद्धाओं के जन्म से यह पुनीत-पवन हुई है। पन्नाधय के त्याग, कर्मावती के शौर्य और मीरा की भक्ति शाश्वत चिरस्मरणीय है।

महाकवि श्यामनारायण पाण्डेय अपने काव्य ग्रन्थ 'जोहर' में इस पावन- पुनीत धरा को तीर्थराज के रूप में उल्लेखित करते हुए कहते हैं : -

मुझे न जाना गंगासागर, मुझे न रामेश्वर, काशी ।
तीर्थराज चित्तौड़ देखने को, मेरी आँखें प्यासी ॥

स्थानीय भूगोलविदों के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मेसा के पठार पर स्थित माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार चित्तौड़ का यह दुर्ग 152 फीट ऊँची अरावली पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी पर अवस्थित है जिसका झुकाव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस पहाड़ी शृंखला के शिखर भाग की आंतरिक लंबाई 3 मील तथा पहाड़ी की सर्वाधिक केन्द्रीय चौड़ाई 1200 सौ फीट है। अपनी प्राचीरों द्वारा 690 एकड़ भूमि घेरकर यह विशाल दुर्ग गर्व से अपना मस्तक ऊँचा किये खड़ा है।

इस दुर्ग की मुख्य विशेषता इसकी अकूत जल संपदा है। अतीत में घोर सूखे, अकाल और दो वर्ष से अधिक लंबे घेरे के बावजूद किले के हजारों लोगों और पशुओं की पेयजल की जरूरत की पूर्ति होती रही और दुर्ग में जल की कमी नहीं हुई। दुर्ग में अनगिनत जल स्रोतों की उपलब्धता है। दुर्ग की कुल भूमि के 40 प्रतिशत भू-भाग पर जल संसाधनों रूपी तालाब, कुण्ड, बावडियाँ व अन्य छोटे स्रोत हैं जिनकी औसत गहराई 2 मीटर के आसपास है। इन जल संसाधनों में लाखों लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है जो कि दुर्ग में रहने वाली पचास हजार सैनिकों की संख्या व नागरिकों के लिए चार वर्ष के लिये पर्याप्त थी। इसके साथ ही गोमुख कुण्ड जैसा तीर्थ स्थान सैकड़ों वर्षों से जन आस्था का केन्द्र बना हुआ है जो कि जल दृष्टिकोण से कभी भी सूखता नहीं है और जिस पर और शोध कार्य नवीन तथ्यों को प्रकाशित कर सकता है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग पर स्थित गोमुख में जल कभी नहीं सूखता।

चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संत निर्भयनाथजी की महिमा और गोमुख की पवित्रता सुवासित रही है। मेवाड़ में इनके सन्दर्भ में यह उक्ति बहुप्रचलित है कि -

झरना झरे गोमुख पड़े निर्भयनाथ की ठौर।
करोड़ वर्ष तप करे जद पावे चित्तौड़ ॥

एक ओर से गंभीरी नदी से घिरा और मेसा पठार पर स्थित इस दुर्ग के उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी ओर मैदानी भाग है, पूर्वी और तीन मील के पश्चात् ही लंबी और ऊँची पहाड़ी श्रेणी और घाटी है जो कि चंबल की पूर्वी दिशा तक फैली हुई है। इस दुर्ग की परिधि (तलहटी पर) 12.87 किलोमीटर के आसपास है, दुर्ग का संपूर्ण व्यास 11 किलोमीटर है, तथा समुद्रतल से उसकी ऊँचाई 1850 फीट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी लम्बाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है तथा यह देश के सबसे विशाल दुर्गों में से एक है।

इसके विषय में जन-जन के मुख से निम्नलिखित पंक्तियाँ आज भी सुनी जाती हैं कि -

‘गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़
बाकि सब गढ़ैया’

प्राचीन भारतीय सैन्य स्थापत्य और दुर्ग-स्थापत्य के संदर्भ में निर्मित किये जाने वाले दुर्गों के विविध प्रकारों में से यह 'गिरि दुर्ग' प्रकार का दुर्ग है जो कि विशाल अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। दुर्गों के अन्य सभी प्रकारों में यह सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग है जिसे 'महादुर्ग' कहा जाता है। इतिहासकार कविराजा श्यामलदास रचित ग्रंथ 'वीर विनोद' के अनुसार यह चित्तौड़ का किला एक प्राचीन दुर्ग है। प्राचीन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन मगध साम्राज्य के मौर्यवंश के ही वंशज राजा बृहद्रथ के पुत्र चित्रांगद मौर्य ने करवाया और उन्हीं के नाम पर यह दुर्ग चित्रकूट कहलाया। 'चित्तौड़गढ़' शब्द 'चित्रकूट' का ही अपभ्रंश है। मेवाड़ के प्राचीन सिक्कों पर चित्रकूट का उल्लेख है। यह प्राचीन किला मौर्य अथवा मोरी राजपूतों के राजा चित्रांगद की राजधानी थी। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड द्वारा खोजा गया वि. स. 770 के एक शिलालेख में उक्त मौर्य शासक का उल्लेख आया है।

इस दुर्ग पर भारत के विविध राजपूत वंशों यथा मौर्य, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य सोलंकी, गुहिलोत इत्यादि का समय-समय पर अधिकार रहा। परन्तु 8 वीं शताब्दी से गुहिलोत मेवाड़ राज्य व चित्तौड़गढ़ के स्वामी के रूप में विख्यात रहे और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से मेवाड़ के गुहिल वंशी शासकों ने नागदा व आहड़ के बाद इसे अपनी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध कर दिया।

वैयाकरण पतंजलि ने अपने ग्रन्थ में माध्यमिका का उल्लेख किया है। सुज्ञात है कि चित्तौड़गढ़ से उत्तर दिशा में मात्र 11 किलोमीटर दूर स्थित मज्झमिका या माध्यमिका नगरी तीसरी शती ई. पू. से पांचवी शती तक समृद्ध नगरी रही थी, जहाँ से भग्नावशेष अथवा खंडहर जैसे कलात्मक अवशेषों, दुर्ग संरचना, यज्ञ वेदिकाओं की प्राप्ति होती है। मज्झमिका शुंग शासकों की राजधानी थी। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के भारत में नगरी अथवा माध्यमिका या मज्झमिका एक समृद्ध नगर के रूप में प्रसिद्ध रहा था जहाँ से पंचमार्क सिक्के भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। देश में चित्तौड़गढ़ ऐसा महत्वपूर्ण दुर्ग है जहाँ पर मोरी या मौर्य (7वीं- 8वीं सदी ईसा पूर्व), गुर्जर प्रतिहार (9वीं सदी), परमार व चालुक्य (10-11वीं सदी) आदि का शासन रहा। दिल्ली सल्तनत के खिलजी शासकों का 14वीं सदी के प्रारम्भिक दो दशकों तक और इसके बाद गुजरात शासक बहादुर शाह गुजराती का 1535-36 ई. में अल्पकाल के लिए चित्तौड़ दुर्ग पर शासन रहा। अंत में मुगल शासक अकबर व जहाँगीर का भी शासन इस दुर्ग पर 1568 ई. से 1615 ई. तक रहा। इसके बाद मराठा आक्रमणों का सामना

भी इस दुर्ग ने अजेयता के साथ किया था।



20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराणा भूपाल द्वारा निर्मित भूपाल भवन (चित्तौड़)

प्रारम्भ में ये दुर्ग खुले पहाड़ पर था जिसके पूर्व दिशा में स्थित सूरजपोल ही सबसे प्राचीन दरवाजा था। कवि खेतल ने 17 वीं शताब्दी में इसे 'विकराल पोल' के रूप में उल्लेखित किया है। परन्तु बाद में मेवाड़ महाराणा कुंभा ने 15 वीं शताब्दी में यहाँ दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ परकोटे सहित सात विशाल दरवाजे बनवाये और नई प्राचीरों को जोड़ा एवं तंग रास्तों की जगह चौड़ा रथ मार्ग बनवाया जिसमें से प्रथम प्रवेश द्वार पाडलपोल उल्लेखनीय है। प्रवेश द्वारों पर वीर बलिदान की यादों के स्मारक भी स्थित हैं जो साहित्य के सृजन में रसों के रंग भर देते हैं। प्रतापगढ़-देवलिया रावत बाघ सिंह और पत्ताजी चुण्डावत के स्मारक उल्लेखनीय हैं। नागदा, आहड़ के पश्चात् मेवाड़ महाराणा कुम्भकर्ण अर्थात् कुम्भाजी के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के चारों ओर प्राचीरों का निर्माण करवाया गया। गढ़ की प्राचीर एवं दरवाजों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर बाद में इन्हें नए ढंग से बनवाया। द्वारों के निर्माण के संबंध कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है।

राजस्थानी के महान कवि कन्हैया लाल सेठिया अपनी कविता 'धरती धोरां री' में कहते हैं :-

ई रो चित्तौड़ो गढ़ लुंठोय
यो तो रण वीरां रो खूंटो...

पूर्वी दिशा के प्रवेश द्वारों सहित चित्तौड़ दुर्ग के पश्चिमी रथ मार्ग को सात अवरोधाक द्वारों क्रमशः पाडलपोल, भेरोपोल, हनुमान पोल, गणेशपोल, लामणपोल, जोडलापोल एवं रामपोल आदि के माध्यम से सुरक्षित किया गया। इन प्रवेश द्वारों की निर्माण योजना और व्यवस्था प्राचीन सैन्य व्यूह रचना और मध्यकालीन दुर्ग स्थापत्य की दृष्टि से मौलिक प्रतीत होती है। ये सभी द्वार इस प्रकार परस्पर सुदृढ़ दीवारों से जोड़े गये हैं कि विशाल दरवाजों के मजबूत किवाड़ों को तोड़े बिना शत्रु दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। यही नहीं, जोडलापोल के पास ऐसा सँकरा मार्ग है कि वहाँ बलपूर्वक किसी भी शत्रुसेना को सरलतापूर्वक वहाँ दबता से रोका जा सकता है और अपने प्रतिरोध में सफल हुआ जा सकता है। चित्तौड़गढ़ से स्थानांतरित होकर 1560 ई. के दशक में राजधानी केंद्र उदयपुर जाने से पूर्व तक प्रायः 800 वर्ष तक ये गढ़ मेवाड़ राज्य की राजधानी के रूप में रहा। राजधानी भले ही उदयपुर चली गयी लेकिन चित्तौड़गढ़ की महिमा अक्षुण्ण बनी रही। इतिहास गवाह है कि इस धरा ने लगभग एक हजार वर्ष

तक निरंतर अपने स्वाभिमान और स्वातंत्र्य की रक्षार्थ अनेकानेक बलिदान दिए हैं जो विश्वभर के लिए प्रेरणीय हैं।

राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त अपने काव्य ग्रन्थ 'भारत भारती' में कहते हैं

विख्यात है जौहर जगत में, आज भी इस लोक में।
हम मग्न हैं उन पद्मिनी-सी, देवियों के शोक में॥
क्षत्रिय स्त्रियाँ निज धर्म पर, जलती हुई डरती नहीं।
सांत सर्व सतीत्व शिक्षा, विश्व में मिलती नहीं ॥

भारतीय स्वतंत्रता के लिए आदर्श रहा 'चित्तौड़गढ़' राजस्थान के मेवाड़ पर्यटक परिपथ में भी सम्मिलित है जिसे 'मेवाड़ सर्किट' कहा जाता है। राजस्थान आने वाला प्रत्येक तीसरा पर्यटक चित्तौड़गढ़ भ्रमण हेतु अवश्य आता है। पर्यटन दृष्टि से चित्तौड़ राज्य के प्रमुख। थलों के अंतर्गत सम्मिलित रहा है जिसे 'राजस्थान का गौरव' भी कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग सांस्कृतिक - ऐतिहासिक पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक प्रसिद्ध रहा है। इस दुर्ग पर विभिन्न समय कालों में निर्मित दर्शनीय स्थल विद्यमान रहे हैं। जैसे कि विजय स्तम्भ, जैन कीर्ति स्तंभ, जयमल फत्ता महल, कुंभा महल, कुंभश्याम मंदिर, महासती स्मारक, कालिका माता मंदिर, पद्मिनी महल, राजकीय संग्रहालय, गोमुख सरोवर, मोहर मगरी, हिरण पार्क एवं इसका सुदृढ़ परकोटा आदि। इन पर्यटक स्थानों का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्त्व रहा है। इसके साथ ही यह क्षेत्र देश में रहने वाले लोगों को अखण्डता, विविधताओं में एकता दर्शन कराने के आदर्श को एहसास कराता रहेगा तथा आने वाली शताब्दियों तक चित्तौड़गढ़ सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। भारत के इतिहास में चित्तौड़गढ़ की अतुलनीय भूमिका रही जिसे देशवासी हमेशा श्रद्धा के साथ पूजनीय स्वरूप में याद रखेंगे। इसके साथ ही पर्यटन विभाग चित्तौड़गढ़ द्वारा पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएँ देने का प्रयास जा रहा है।

साहित्यकार नरेन्द्र मिश्र की निम्नलिखित भावपूर्ण पंक्तियाँ माँ पद्मिनीजी और गोरा-बदल के बलिदानी व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि ही है कि -

उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था।
और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था।
आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई।
उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई।
गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी।
उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियाँ खोई थी
धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी
जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी।
जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी॥

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. श्याम नारायण पाण्डेय, भारतीय साहित्य के निर्माता, कृष्णचन्द्र लाल, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2000 ई.
2. गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग - 1, राजस्थानी ग्रंथागार जोधापुर, 2015 ई.
3. अहमद शाहीद, मध्ययुगीन राजपूताने की शासन प्रणाली, अपोलो प्रकाशन, जयपुर, 2006
4. भंडारी सुखसंपत्ति राय, भारत के देशी राज्य (प्रताप शोध प्रतिष्ठान,

- उदयपुर में संग्रहित)
5. <https://bharatmap-in/map/rajasthan/chittorgarh/chittorgarh&fort-html>
 6. कृष्णचन्द्र लाल, भारतीय साहित्य के निर्माता, श्यामनारायण पाण्डेय, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 2000
 7. मिश्र, रतनलाल, राजस्थान के दुर्ग (प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर में संग्रहित)
 8. James tod, William Crooke, Annals and Antiquities of Rajasthan, vol-3, Motilal Banarasidass, Delhi, 2018
 9. मोहनलाल गुप्ता, उदयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर 2011ई.
 10. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत, बाठेड़ा (मेवाड़) के सारंगदेवोतों का राजनीतिक इतिहास, मेवाड़श्री प्रकाशन, चित्तौड़गढ़, 2021ई.
 11. संपादक ब्रजमोहन जावलिया, मोहब्बत सिंह राठौड़, मज्झिमिका, खेलकूत चित्तौड़ एवं उदयपुर की गजल, प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर, 2015ई.
 12. रचयिता उम्मेद सिंह राठौड़, ऐतिहासिक गढ़ चित्तौड़, शार्दूल स्मृति संस्थान, भीलवाड़ा (राज.), 2003ई.
 13. हेमेन्द्र सिंह सारंगदेवोत, कानोड़ (मेवाड़) - देवउमगा (मगध) के सारंगदेवोतों का राजनीतिक इतिहास, मेवाड़श्री प्रकाशन, चित्तौड़गढ़, 2021ई.
 14. शिवचरण मेनारिया, उत्तर मुगलकालीन मेवाड़, संघी प्रकाशन, जयपुर, 986 ई.
 15. कविराज श्यामलदास, वीर विनोद, भाग - 1, महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ट्रस्ट, उदयपुर
 16. ए.वी.स्मिथ, अकबर (प्रताप शोध प्रतिष्ठान, उदयपुर में संग्रहित)
 17. Editor pratibha, Lyncean, Journal of cultural and historical studies, Vol-8, January & July 2015, Ajmer, 2015
 18. श्याम नारायण पाण्डेय, जौहर, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2012 ई.
 19. जौहर स्मृति संस्थान, चित्तौड़गढ़ में अंकित आलेख
 20. सं. लोकेन्द्र सिंह चुण्डावत, रचयिता उम्मेद सिंह राठौड़, ऐतिहासिक गढ़ चित्तौड़, शार्दूल स्मृति संस्थान, भीलवाड़ा, 2003
 21. सं. श्यामसुंदर जोशी, चित्तौड़गढ़ दर्शन, प्राइम पब्लिकेशन, भीलवाड़ा, 1998
 22. अर्सकिन के.डी., राजपुताना गजेटियर्स जि.2-ए, मेवाड़ रेजीडेंसी, 1908ई.
 23. श्रीकृष्ण जुगनू, महाराणा प्रताप के प्रेरक प्रसंग, आर्यावर्त संस्कृति संस्थान, दिल्ली, 2021
 24. श्रीकृष्ण जुगनू, चित्तौड़गढ़ का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर 2022

Sociology and Menstrual Health

Dr. Santosh Salve* Anand Shukla**

*Asso. Professor, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA
** PhD Scholar, Madhyanchal Professional University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - People often think that sociology does not have any concern with health and hygiene. They feel wonder when they realise the relevance of social sciences to health issues. It becomes a great challenge when we talk about women's health and it is more specifically challenging to discuss the nexus between social science and menstrual health. Why is hygiene necessary for good social health? Why is the knowledge of modern ways to be hygienic necessary? Why do we only depend upon medical sociology to make our females happy, healthy and hygienic? What does sociology have to do with menstrual medicine or menstrual health? The present paper is a small attempt to answer all these questions. It also explains the characteristics of social problems with regard to menstrual health issues. This paper aims to answer these questions. It starts with the meaning of sociology and its links to health studies—a definition and brief history of sociology and topic description of the discipline. It also highlights how menstrual health problems are conceived as social problems, which are the core focus of sociological studies.

Keywords- Adolescence, females, Health Care, menstruation, myth, society, social science, Social transition.

Introduction - Generally health related issues are considered as a part of medical Science but it is a subject matter of sociology with the advancement in the sociological dimensions. The paper then attempts to re-explain the topical description of sociology (first advanced by Auguste Comte 1830) and includes some current issues. The topical descriptions specifically include social values related to the social health made for inhibition of disease. It is the scientific study of society, including patterns of social relationships, social interaction, and culture. The term *sociology* was first used by Frenchman Auguste Comte in the 1830s when he proposed a synthetic science uniting all knowledge about human activity. It is one of those sciences in which all things, from human interactions between two people to the complex relationships between nations or multinational corporations can be studied. It assumes that human actions are patterned and individuals may have room for choices. It makes the society aware of the social processes that influence the way humans think, feel, and behave plus having the will to act can help individuals to shape the social forces they face.

It may also be defined as the scientific study of social relations, institutions, and society (Smelser 1994). In addition, sociology can be defined as the scientific study of the dynamics of society and their intricate connection to patterns of behaviour. It focuses on social structure, how the structures interact to modify human behaviour, actions, opportunities, and how the patterns of social existence engender social problems.

Change into the subject matter of Sociology: On the

basis of the above definitions we can say. Sociology is the study of society. These studies are the set pattern of any society which is called institutions. These institutions are like pillars that hold up society as constituent parts of the society. These parts are interdependent and interrelated with specialised functions towards the survival of the society. This is why human society is often referred to as a social system. Every institution fulfils some functional imperatives. The family institution supports the procreation and socialisation of new members of society while the economic institution deals with the production and exchange of goods. The economic institution employs people from the family institutions, and the family in turn needs the goods and services produced by the economic institution. The health institutions are organised to cater to the well-being and survival of human beings.

Sociologists believe that its subject matter may change according to our social surroundings, influencing thoughts and action. The rise of the social sciences developed in response to social changes. In the sixteenth and seventeenth centuries several new social issues entered as a subject matter of society. The living standard, social implementation of fundamental rights and changing social values became a part of sociology at that time. It was the time when Europeans were exploring the world and voyagers returned from Asia, the Americas, Africa, and the South Seas with amazing stories of other societies and civilizations. Widely different social practices challenged the view that European life reflected the natural order of God.

In the eighteenth and nineteenth centuries, the whole world changed rapidly. Western Europe was rocked by technical, economic, and social changes which was giving birth to a changed social order. Science and technology were developing rapidly. James Watt invented the steam engine in 1769, and in 1865 Joseph Lister discovered that an antiseptic barrier could be placed between a wound and germs in the atmosphere to inhibit infection. These and other scientific developments spurred social changes and offered hope that scientific methods might help explain the social as well as the natural world. This trend had changed the subject matter of sociology which was a more general growth in rationalism.

The 19th century gave complete new social problems to society. The subject matter of sociology then changed according to the need of time and the current theme of the 2008 meeting of the Association for Sociology was "Engaging Sociology: Applied Sociology's Past, Present, and Promise." It was under the need of Applied and Clinical social practices. The theme suggests that sociology has an applied part which is directly related to the society. It has given a record of gradual changes in the subject matter of sociology according to the need of time.

We can't trespass the contribution of nineteenth century social reformers who contributed in changing cultural beliefs and social responses by giving the changed concepts of sociology. The people such as Francis Galton, Adolphe Quetelet, and Charles Booth are those Founding Fathers of this discipline who enriched the subject matter of sociology by giving the concepts of medical care and hospitals, sociology of psychiatry, social transition and health care.

The changes into traditional social order has changed the problems and remedial perspective of sociology. Sociology of bioethics, health policy and politics then came into existence. Sociology of illness, social epidemiology, sociology of dying and death, and medical education then additionally accepted as a part of sociology.

Adolescence Problems and Sociology: Adolescence, on the above basis, can also be a part and parcel of Sociology and social institutions. The problems of this period, which is called the period of transition and puberty, is the problem of social science. Problematic adulthood is a great barrier in the creation of a responsible society. Menstruation cycle problem is one of the puberty- issues and therefore can be considered as an important issue of social science or sociology.

Sociology and Menstrual Health: Menstruation should be discussed as an important issue of sociology because it is the natural part of the reproductive cycle. It is the time in which blood from the uterus exits through the vagina (Lal 2012) . It is an inner phenomenon of female body that first occurs in little lass usually between the age of 10 and 13 years and alarms about the arrival of puberty

Despite being an indicator of the onset of puberty, it is true

that society still treats it in an ambiguous way. This has always been surrounded by secrecy and myths as a phenomenon unique to girls. Taboos surrounding menstruation exclude women and girls from many aspects of social and cultural life. Some of these are helpful, but others have potentially harmful implications. (Stefanie 2008) Even in India it is a taboo. More mention of this topic is still prohibited. The cultural and social limitations influences appear to be a hurdle for advancement of knowledge on this subject (Patil et al. 2011). In many parts of India, cultural menstruation is still considered to be an impure and dirty time (Chawla 2014). Even Vedas have its evidence.

The origin of this myth dates back to the Vedic times and is often linked to Indra's slaying of Vritras. For, it has been declared in the Veda that guilt, of killing a Brahmana-murder, appears every month as menstrual flow as women had taken upon themselves a part of Indra's guilt. (Chawla 1992) Further, in many of the Asian Countries, women are considered impure. They are restricted from entering the holy places. They are prohibited from participating in normal life and they are not allowed to participate in any ritual during the menstruation period. According to these myths a lady must be "purified" before she is allowed to return to her family and day to day chores of her life. Even rural India still has the belief that the body of Menarche emits a smell or some rays that are so badly powerful that it has the power to turn food bad. Menstruation, in this way, is associated with impurity and pollution and menstrual blood has led to women being banned from social places, party places and even their own kitchens, temples, and other public spaces while on their periods.

The imaginary beliefs and ill knowledge regarding Menstruation around whole Asia has filled the continent with so many disorders. Every village has a great number of ill girls due to inadequate sanitation. The social and cultural limits during the periods caused the psychological fatigue and a report by Chandra Mauli suggests that nearly 23 million girls drop out of school annually due to lack of proper menstrual hygiene management facilities. Sanitation facility in close proximity provides a considerable level of comfort for girls who suffer from severe cramping or dysmenorrhea. (Mauli et al. 2017) Besides, it also ensures that a female gets enough privacy in order to clean up properly, and maintain better hygiene. When women do not have access to proper sanitation and hygiene facilities, it creates a higher risk for contagion for any infectious disease. Access to safe sanitation is extremely important for women and girls during their menstrual cycles.

A survey report by S. Puri suggests that up to 50% of women experience some form of digestive distress during their periods. This distress also demands the availability of easily accessible sanitation facilities. It is important to prioritize better toilets and washing facilities in schools and homes, and to provide accurate information around menstruation, to ensure the right to education, equality and

well-being for girls. (Puri et al 2006)

Menstruation is a subject that should be openly discussed. It is not a medical issue but a sociological issue which makes the need for hygiene, safe water and sanitation especially important for women. In such conditions, access to safe water, sanitation and hygiene can be a matter of life and death. According to a report published by Jal Sewa Charitable Foundation Report (2020-21) Water Aid, "illnesses related to a lack of water, basic sanitation and hygiene were responsible for the deaths of almost 800,000 women around the whole country in a single year making it the fifth biggest killer of women behind heart disease, stroke, lower respiratory infections and chronic obstructive pulmonary disease.

Conclusion: The history of sociology and its gradual development has drawn the conclusion that comes to be taught and remembered, that is an understandable suggestion. The argument of this paper, however, is that the discipline of sociology itself Studies social problems. It suggests that including Social institutions like kinship, economic, political, education, and religious institutions the life of adolescent girls should be treated as a big issue of sociology. The data suggests that the menarche's condition does not tend to appear very good, even at some places, it is the same as it was earlier in life. The sanitary, nutritional, and economic conditions of our society should be improved. And we should include the adolescence ceremony of the girls under the institutions which are like pillars that hold up society because they are the constituent parts of the social system (society).

We should make the ladies aware for better health management during menstruation. The historical association of menstruation with evil spirits should stop the practices influenced by the old concepts (in which women used to bury the cloths they use to absorb period blood) should be restricted. Menstruation should be accepted scientifically. The girls should know that the actual cause of menstruation is ovulation followed by missed chances of pregnancy that results in bleeding from the endometrial

vessels and is followed by preparation of the next cycle.

References:-

1. Chawla J, Matrika The Mythic Origins of the Menstrual Taboo in the Rig Veda. 1992. [Last accessed on 2014 Aug 09]. Available from: <http://www.matrika-india.org/Research/MythicOrigins.html>
2. -Mouli, Chandra, Patel V, Mapping the knowledge and understanding of menarche, menstrual hygiene and menstrual health among adolescent girls in low- and middle-income countries. SV.Reprod Health. 2017 Mar 1;14(1):30. doi: 10.1186/s12978-017-0293-6.PMID: 28249610
3. Dictionary of the Social Sciences, Article: Sociology. Edited by Craig Calhoun. 2002. New York : Oxford University Press.
4. Patil R, Agarwal L, Khan MI, Gupta SK, Vedapriya DR, Raghavia M, et al. Beliefs about menstruation: A study from rural Pondicherry. Indian J Med Specialities. 2011;2:23-6
5. Smelser, N. (1994). Sociology. Cambridge: Blackwell.
6. Stefanie Kaiser. Menstrual Hygiene Management. 2008.
7. Available from: <http://www.sswm.info/content/menstrual-hygiene-management>
8. Lal Limphy (2012) Wateraid.org. Module one: Menstrual Hygiene Basics.
9. Available from:
10. http://www.wateraid.org/~media/Files/Global/MHM%20files/Module1_HR.pdf .
11. Chawla J, Matrika The Mythic Origins of the Menstrual Taboo in the Rig Veda. 1992. [Last accessed on 2014 Aug 09]. Available from: <http://www.matrika-india.org/Research/MythicOrigins.html> .
12. Puri S, Kapoor S. Taboos and Myths associated with women health among rural and urban adolescent girls in Punjab. Indian J Community Med. 2006;31:168-70.
13. Jal Sewa Charitable Foundation Report (2020-21) <https://www.wateraid.org/sites/g/files/jkxoof271/files/2022-01/India%20FY20-21%20annual%20report.pdf>

औषधिय पौधों की पहचान

डॉ. सरिता घेंघट *

* सहायक प्रध्यापक (वनस्पतिशास्त्र) शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, गंजबासौदा, विदिशा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – पृथ्वी पर पेड़ पौधे या वनस्पतियां कुदरत का दिया वरदान है जिनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है- पेड़ पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इससे ना केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि जीव जगत में अपना संतुलन बनाए रखते हैं औषधिय पौधे ना केवल औषधि महत्व के होते हैं बल्कि यह हमारे आय का स्रोत भी हैं यह हमारे शरीर को निरोगी बनाए रखने में औषधिय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है यही वजह है कि भारतीय पुराणों उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में भी इनके उपयोग के बारे में साक्ष्य मिलते हैं इससे प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियों के माध्यम से विभिन्न चिकित्सकों द्वारा मानव के रोगोपचारों हेतु अमल में लाया जाता है यही नहीं जंगलों में अपने आप उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के कारण लोगों द्वारा इनकी पूजा-अर्चना की जाने लगी जैसे तुलसी, पीपल, नीम इत्यादि।
शब्द कुंजी- औषधिय पौधों, चिकित्सा, जड़ी बूटियों आयुर्वेद।

प्रस्तावना – हजारों साल पहले भारत के महान ऋषियों ने जीवन के ज्ञान के लिए आयुर्वेद की स्थापना की जिसका मुख्य लक्ष्य आयुर्वेद के ऋषियों द्वारा सभी बीमारियों और उपयोग किए जाने वाले पौधों के लिए उनके आस-पास की प्राकृतिक दुनिया को देखने वाली दवा और उपचार के लिए एक के रूप में माना जाता है। भारत में चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली चिकित्सा में पौधे के अर्क का वर्णन करते हुए 4500 से 600 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की प्रारंभिक आयु तक चली गई है, हर्बल दवाओं की उपचारात्मक प्रभावकारिता ने 2500 से 600 ईसा पूर्व आयुर्वेद के मूल्यांकन का नेतृत्व किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान 'सभी वेदों-ऋग, यजुर, साम और अथर्व ने आयुर्वेद के विकास में योगदान दिया है।'

ऋग्वेद में 67 हर्बल औषधियों का उल्लेख है, याजुर वेद 81 और अथर्ववेद के बारे में 290 हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान इकोनामिक बॉटनी उन पौधों का अध्ययन है जो मनुष्य द्वारा भोजन पेय पदार्थ चिकित्सा-वस्त्र-आश्रय और अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ग्रीक और रोमन वर्तमान समय की कई दवाओं से परिचित थे जैसा कि हिप्पोक्रेटस (460-370 ईसा पूर्व), अरस्तू (384-322 ईसा पूर्व), थियोफ्रेस्टस (370-287 ईसा पूर्व), प्लिनी द एल्डर (ई. 23-79), डायोस्कोराइडस (50-100 ईस्वी) और गैलन (131-201 ईस्वी)। उन्होंने औषधीय जड़ी-बूटियों के बारे में विस्तार से लिखा, प्रत्येक पौधे के विवरण के साथ उनके नाम, चित्रण, उनके उपचारात्मक गुणों और दवाओं की तैयारी के लिए जटिल विवरण भी दिए। हिप्पोक्रेटस, 'चिकित्सा के जनक' रोगों के लिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे।

चरक संहिता मुख्य रूप से चिकित्सा से संबंधित थी, दूसरी ओर, सुश्रुत संहिता, सामान्य सिद्धांतों और उपचार के विवरण पर ज्ञान की उन्नत स्थिति से संबंधित थी। इसकी व्यवस्था में यह अधिक व्यवस्थित था। हालांकि मुख्य रूप से शरीर रचना विज्ञान और सर्जरी से संबंधित है, लेकिन इसमें सामान्य रोगों जैसे बुखार, दस्त, फेफड़ों के रोग आदि से निपटने के लिए

चिकित्सीय (उत्तर तंत्र) पर एक व्यापक अध्याय शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, अष्टांग हृदय संहिता, सिद्धांतों और चिकित्सा के अभ्यास के लिए बेजोड़ है।

लोक वनस्पतिकी अथवा मानव जाति वनस्पति विज्ञान जिसको कि लोग अपने क्षेत्र में स्वदेशी या लोकल जो पौधे होते हैं, उसके उपयोग को कैसे करते हैं इसकी जानकारी हमें मानव वनस्पति विज्ञान में देखने को मिलती है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान वह शाखा है जिसमें प्राचीन पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों की उपयोगिता पर कार्य किया जाता है। विज्ञान के द्वारा जीवन में पौधों का सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक महत्व का अध्ययन करते हैं इसके अतिरिक्त अध्ययन से और पौराणिक साहित्य में वर्णित पेड़ पौधों का ऐतिहासिक ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है विदेशी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और इसमें विशेष सहयोग प्रदान किया इस विषय पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के माध्यम से पौधों के बारे में काफी जानकारी प्रस्तुत की तथा अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किए। अनुसंधान संस्थान में आदिवासियों के पौधों के उपयोग को बताया गया है जिसमें सभी जानकारी नहीं रखता लेकिन इसका अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान से थोड़ा भिन्न होता है आदिवासी लोग आज भी जड़ी बूटियों द्वारा अनेक रोगों की चिकित्सा करते हैं जो हर्बल औषधि आती हैं।

भारत में अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं वनस्पति मानव जाति वनस्पति विज्ञान की परिभाषा जॉन हर्षवर्धन 18 सो 95 ने सर्वप्रथम एथनोबॉटनी शब्द का प्रयोग वनस्पति विज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र पर परिसीमन करने और पौधों के उपयोग का वर्णन करने के लिए किया था उनके अनुसार आदिवासियों द्वारा अनेकों जन औषधि वस्त्र और सजावट के लिए उपयोग किए गए पादपो या पादपो से उत्पन्न उत्पादों का व्यवस्थित अध्ययन है और पौधों से संबंधित विषय के रूप में परिभाषित किया गया था।

कुदरत के दिये गये वरदानों में पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड़-पौधे मानवीय जीवन चक्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें न

केवल भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ती ही होती बल्कि जीव जगत से नाजुक संतुलन बनाने में भी ये आगे रहते हैं कार्बन चक्र हो या भोजन श्रृंखला के पिरामिड में भी ये सर्वोच्च स्थान ही हासिल करते हैं। इनकी उपयोगिता को देखते हुए इनको अनेक संवर्गों में बांटा गया है। इनमें औषधीय पौधे न केवल अपना औषधीय महत्व रखते हैं आय का भी एक जरिया बन जाते हैं। हमारे शरीर को निरोगी बनाये रखने में औषधीय पौधों का अत्यधिक महत्व होता है यही वजह है कि भारतीय पुराणों, उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों में इसके उपयोग के अनेक साक्ष्य मिलते हैं। यही नहीं, जंगलों में खुद ब – खुद उगने वाले अधिकांश औषधीय पौधों के अद्भुत गुणों के औषधि पौधों का विश्लेषण बीमारियों में उपचार हेतु कई किताबों की रचना की है जिसका उपयोग हम मनुष्य के जन्म के लिए करते हैं औषधि पौधे जड़ी बूटियाँ और उनके वनस्पतिक नाम निम्न प्रकार हैं – तुलसी, पीपल, आक, बरगद तथा नीम इत्यादि। प्रसिद्ध विद्वान चरक ने तो हरेक प्रकार के औषधीय पौधों का विश्लेषण करके बीमारियों में उपचार हेतु कई अनमोल किताबों की रचना तक कर डाली है जिसका प्रयोग आजकल मानव के कल्याण करने के लिए किया जा रहा है। औषधीय पेड़ – पौधे, जड़ी – बूटियाँ और उनके वानस्पतिक नाम निम्न हैं।

1. **नीम (Azadirachta indica):** एक चिपरिचित पेड़ है जो 20 मीटर की ऊँचाई तक पाया जाता है इसकी एक टहनी में करीब 9-12 पत्ते पाए जाते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं और इसका पत्ता हरा होता है जो पक्क कर हल्का पीला – हरा होता है। अक्सर ये लोगो के घरों के आस – पास देखा जाता है।
2. **तुलसी (Ocimum sanctum):** तुलसी एक झाड़ीनुमा पौधा है। इसके फूल गुच्छेदार तथा बैंगनी के होते हैं तथा इसके बीज घुठलीनुमा होते हैं। इसे लोग अपने आंगन में लगाते हैं।
3. **ब्राम्ही / बेंग साग (Hydrocotyle asiatica):** यह साग पानी की प्रचुरता में सालो भर हरी भरी रहने वाली छोटी लता है जो अक्सर तालाब या खेत माय किनारे पायी जाती है। इसके पत्ते गुदे के आकार (1 / 2-2 इंच) के होते हैं। यह हरी चटनी के रूप में आदिवासी समाज में प्रचलित है।
4. **ब्राम्ही (Cetella asiatica):** यह अत्यंत उपयोगी एवं गुणकारी पौधा है। यह लता के रूप में जमीन में फैलता है। इसके कोमल तने 1-3 फीट लम्बी और थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठ होती है। इन गांठों से जड़े निकलकर जमीन में चली जाती है। पत्ते छोटे, लम्ब, अंडाकार, चिकने, मोटे हरे रंग के तथा छोटे-छोटे होते हैं सफेद हल्के नीले गुलाबी रंग लिए फूल होते हैं। यह नमी वाले स्थान में पाए जाते हैं।
5. **हल्दी (Curcuma longa):** हल्दी के खेतों में तथा बगान में भी लगाया जाता है। इसके पत्ते हरे रंग के दीर्घाकार होते हैं। इसका जड़ उपयोग में लाया जाता है। कच्चे हल्दी के रूप में यह सौन्दर्यवर्द्धक है। सुखे हल्दी को लोग मसले के रूप में इस्तेमाल करें हैं। हल्दी रक्तशोधक और काफ नाशक है।
6. **चिरायता / भुईनीम (Andrographis paniculata):** छोटानागपुर के जंगलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला 1-3 फीट तथा उसकी अनेक शाखाएँ पतली – पतली होती है। इसकी पत्तियाँ नुकीली, भालाकर, 3-4 इंच लम्बी तथा एक से सवा इंच चौड़ी होती है। फूल छोटे हल्के गुलाबी और सफेद रंग के होते हैं यह बरसात के दिनों में पनपता है

और जाड़े में फल तथा फूल लगते हैं। यह स्वाद में कड़वा होता है।

7. **अडूसा (Adotoda vasica):** यह भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह सालों भर हरा भरा रहनेवाला झाड़ीनुमा पौधा है जो पुराना होने पर 8-10 फीट तक बढ़ सकता है। इसकी गहरे हरे रंग की पत्तियाँ 4-8 इंच लम्बी और 1-3 इंच चौड़ी है। शरद ऋतू के मौसम में इसके अग्र भागों के गुच्छों में हल्का गुलाबीपन लिए सफेद रंग के फूल लगते हैं।
8. **सदाबहार (Catharanthus roseus):** यह एक छोटा पौधा है जो विशेष देखभाल के बिना भी रहता है।
10. **हडजोड़ा (Tinospora cordifolia):** हडजोड़ा / अमृता एक लता है। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के तथा हृदयाकार होते हैं। मटर के दानों के आकार के इसके फल कच्चे में हरे तथा पकने पर गहरे लाल रंग होते हैं। यह लता पेड़ों, चाहरदीवारी या घरों के छतों पर आसानी से फैलती है। इसके तने से पतली पतली जड़ें निकल कर लटकती है।
11. **हडजोड़ा (तलीकी रिवीरसिंश्रीकी):** हडजोड़ा का यह प्रकार गहरे हरे रंग में पाया जाता है। ये गुठलीदार तथा थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठे होती है। इसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं। जोड़ों के दर्द तथा हवी के टूटने तथा मोच आने पर इसका इस्तेमाल किये जाने के कारण इसे हडजोड़ा के नाम से जाना जाता है।
12. **करीपत्ता (Mauraya koengii):** करीपत्ता का पेड़ दक्षिण भारत में प्रायः सभी घरों में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः भोजन में सुगंध के लिए इस्तेमाल किये उनद जाते हैं। इसके पत्तों का सुगंध बहुत तेज होता है। इसकी छाल गहरे धूसर रंग के होती है इसके पत्ते अंडाकार, चमकीले और हरे रंग के होते हैं। इसके फूल सफेद होते हैं एवं गुच्छेदार होते हैं। इसके फल गहरे लाल होते हैं जो बाद में बैंगनी मिश्रित कालापन लिए होता है।
13. **भुई आंवला (Phyllanthus niruri):** यह एक अत्यंत उपयोगी पौधा है जो बरसात के मौसम में यहाँ – य जन्मते हैं। इस पौधे की ऊँचाई 125 इंच ऊँचा तथा कई शाखाओं वाले होते हैं। पत्तियाँ आकार में आंवले की पत्तियों की सी होती है और निचली सतह पर छोटे छोटे गोल फल पाए जाते हैं। यह जाड़े के आरंभ होते होते पक जाते हैं और फल तथा बीज पककर झड़ जाते हैं और पौधे समाप्त होते हैं।
14. **घृतकुमारी / ग्वारपाटा (Aloe vera):** यह एक से ढाई फूट ऊँचा प्रसिद्ध पौधा है इसकी ढाई से चार इंच चौड़ी, नुकीली एवं काटेदार किनारों वाली पत्तियाँ अत्यंत मोटी गूदेदार होती है पत्तियों में हरे छिलके के नीचे गाढ़ा, लसलसा रंगीन जेली के सामान रस भरा होता है जो दवा के रूप में उपयोग होता है।
15. **महुआ (Madhuka indica):** महुआ का वृक्ष 40-50 फीट ऊँचा होता है। इसकी छाल कालापन लिए धूसर रंग की तथा अन्दर से लाल होती है। इसके पत्ते 5-9 इंच चौड़े होते हैं। यह अंडाकार, आयताकार, शाखाओं के अग्र भाग पर समूह में होते हैं। महुआ के फूल सफेद रसीले और मांसल होते हैं। इसमें मधुर गंध आती है। इसका पका फल मीठा तथा कच्चा में हरे रंग का तथा पकने पर पीला या नारंगी रंग का होता है।
16. **आंवला (Phyllanthus emblica):** इसका वृक्ष 5-10 मीटर ऊँचा होता है। आंवला स्वाद में कटु, तीखे, खट्टे, मधुर और कसैले होते हैं। अन्य फलों की अपेक्षा आंवले में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। उसके फूल पत्तीओं के नीचे गुच्छे के रूप में होती है। इनका रंग हल्का हरा

तथा सुगन्धित होता है इसके छाल धूसर रंग के होते हैं। इसके छोटे पत्ते 10-13 सेंटी मीटर लम्बे टहनियों के सहारे लगा रहता है इसके फल फरवरी - मार्च में पाक कर तैयार हो जाते हैं जो हरापन लिए पिला रहता है।

17. **कंटकारी / रेंगनी (Solanum Xanthocarpum)** : यह परती जमीन में पाए जाने वाला काटेदार हलकी हरी जड़ी है। इसके काटेदार पौधे 5-10 सेंटी मीटर लम्बी होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के पाए जाते हैं। इसके फल के भीतर असंख्य बीज पाए जाते हैं।

18. **जामुन (Engenia jambolana)** : जामुन एक उत्तम फल है। गर्मी के दिनों में जैसा आम का महत्व है वैसे ही इसका महत्व गर्मी के अंत में तथा बरसात में होता है। यह स्वाद में मीठा कुछ खट्टा कुछ कसैले होते

हैं। जामुन कर रंग गहरा बैंगनी होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Oommachan, M. (1977): The flora of Bhopal J.K. Jain Brothers, Bhopal.
2. Trivedi, P.C (2004) Medicinal Plants (utilization and conservation)book Aavishkar Publishers Distributors Jaipur.
3. Jain ,S. K., (1991) Dictionary of Indian Folk medicine and Ethnobotany .Deep publication, New Delhi. ISBN: 8185622000.
4. Jain.S.K.(1987). A manual of Ethnobotany. Scientific Publishers, Jodhpur, India.ISBN 8185046603.

भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रति हितग्राहियों के दृष्टिकोण का विश्लेषणात्मक अध्ययन

कार्तिका मेहता* डॉ. एल के त्रिपाठी**

* व्याख्याता, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज, इंदौर (म.प्र.) भारत

** डीन, छात्र कल्याण विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र जी मोदी जी का एक स्वर्णिम स्वप्न है। इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में रूपांतरित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दायरे में डिजिटल भुगतान प्रणाली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके फलस्वरूप हितग्राही सुविधाजनक, सरल, उचित, त्वरित और सुरक्षित रूप से लेनदेन को सम्भव बना रहे हैं। प्रस्तुत शोधपत्र में विभिन्न आय वर्ग आयु एवं शैक्षणिक स्तर के व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं से डिजिटल भुगतान के सम्बन्ध में उनके दृष्टिकोण ज्ञात कर, डिजिटल भुगतान प्रणाली का सम्पूर्ण विश्लेषण किया गया है।

शब्द कुंजी – डिजिटल भुगतान, व्यापारी, उपभोक्ता, भुगतान माध्यम, लाभदायकता, सुविधा।

प्रस्तावना – डिजिटल भुगतान एक ऐसा लेनदेन है जो ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। इसमें मुद्रा भौतिक रूप से हस्तांतरित नहीं की जाती है, अर्थात् राशि का आदान-प्रदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। नवम्बर 2016 में आर्थिक सुधार के परिपेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए एवं 1000 रुपए के नोटों के प्रचलन पर रोक लगा कर विमुद्रीकरण से नागरिकों को परिचित करवाया लेकिन उससे पहले ही वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारम्भ कर भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का शंखनाद कर दिया था। विमुद्रीकरण के समय से डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रचलन में वृद्धि होने लगी, जिसकी गति वैश्विक महामारी कोरोना के काल में और अधिक तीव्र हो गयी। कोरोना काल में डिजिटल भुगतान को संक्रमण कम करने की दृष्टि से लेनदेन का सर्वोच्चतम माध्यम माना जाने लगा।

शोध साहित्य की समीक्षा – डिजिटल भुगतानों में पारदर्शिता होती है तथा नगद की चोरी होने के भय से भी मुक्ति मिलती है। डिजिटल भुगतान सहित डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का दायित्व इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा गया है। यह विभाग बैंकों, केन्द्रीय एवं राज्य मंत्रालयों के साथ हितग्राहियों को भी पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित कर रहा है।

आशीष बाघा ने वर्ष 2018 में अपने शोध 'A study on the future of Digital payment in India' में ज्ञात करने का प्रयास किया कि डिजिटल भुगतान के प्रति हितग्राहियों का दृष्टिकोण कैसा है। वे किस प्रकार की समस्याओं को वहन करते हैं, डिजिटल भुगतान का कौनसा तरीका उपयोग में लेते हैं एवं इसका क्या भविष्य है। शोध में उन्होंने यह पाया कि डिजिटल भुगतान का भविष्य उज्ज्वल है, यदि हितग्राहियों को आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता, शिक्षा एवं कैशबैक ऑफर से अवगत करवाया जाये।

मालुसरे ललिता बाबुलाल ने अगस्त 2019 में 'Digital payment

methods in India: A study of problems and prospects' ने अपने शोध में डिजिटल भुगतान प्रणाली एवं कैशलेस लेनदेन की अवधारणा एवं इसके प्रभावों का अध्ययन किया है। इनसे सम्बंधित समस्याओं को भी अवगत करवाया गया है। शोधपत्र में द्वितीयक समंको के आधार पर विश्लेषण कर यह ज्ञात किया गया कि विभिन्न भुगतान मोड होने के बाद भी हितग्राहियों में डिजिटल साक्षरता का स्तर निम्न है। जोखिम एवं सुरक्षा से सम्बंधित समस्याएं भी डिजिटल भुगतान प्रणाली के विकास में बाधक हैं।

रुवी भारत ने दिसंबर 2020 में अपने शोध 'Digital payment system in India and it's scope in the post&pandemic era' में डिजिटल भुगतान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है। शोधपत्र में वैश्विक महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान को अपनाने, हितग्राहियों द्वारा नगद भुगतान से होने और उन्हे होने वाली सुविधा का अध्ययन कर यह ज्ञात किया गया है कि वैश्विक महामारी के दौरान डिजिटल भुगतान प्रणाली विमुद्रीकरण की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो गई है।

राशि सिंघल ने फरवरी 2021 में 'Impact and importance of Digital payment in India' अपने शोध में डिजिटल भुगतान प्रणाली से हितग्राहियों को होने वाले लाभ तथा प्रभाव का अध्ययन किया है। ऑनलाइन भुगतान के माध्यमों को बताते हुए शोधकर्ता ने द्वितीयक डेटा का विश्लेषण किया है। शोध के अंतर्गत यह ज्ञात किया गया है कि युवाओं में डिजिटल भुगतान के प्रति उत्साह में वृद्धि हुई है उन्हे अन्य व्यक्तित्वों को भी इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इसे भारत देश वैश्विक और आधुनिकीकरण में भी प्रगति और विकास की ओर अग्रसार होगा।

डॉ. डी एस बोरकर अविनाश गलांडे ने वर्ष 2020 में अपने शोध 'Digital payment: The canvas of Indian Banking Financial System' में विभिन्न प्रकृति के डिजिटल भुगतान मोड का अध्ययन किया है तथा भारतीय वित्तीय प्रणाली में इसके योगदान को ज्ञात करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों का विशालान किया है। यह ज्ञात किया की

डिजिटल भुगतान, नागद भुगतान की तुला में अधिक श्रेष्ठ है। इसे किसी प्रकार की नगद धोखधड़ी का भय सम्पत हो जाता है तथा भुगतानकर्ता के पास भुगतान की सत्यता का प्रमाण होता है। डिजिटल भुगतान का भविष्य भारत में उज्ज्वल है याद तकनीकी विकास, वित्तीय साक्षरता अवम देश के विभिन्न क्षेत्रों के आधारभूत संरक्षण में सुधार किया जाए।

K. Suma Vally and K. Hema Divya ने वर्ष 2018 में 'A study on digital payments in India with Perspective of consumer's Adoption' ने अपने शोधपत्र में उत्तरदाताओं की आयु, शिक्षा और आय के दृष्टिकोण से यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि इनका डिजिटल भुगतान प्रणाली पर क्या प्रभाव होता है। शोध अध्ययन में यह ज्ञात किया गया की आयु का डिजिटल भुगतान प्रणाली से सकारात्मक सम्बन्ध है जबकि आय के किसी भी स्तर से डिजिटल भुगतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही हितग्राहियों के शैक्षणिक स्तर का डिजिटल भुगतान प्रणाली से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी व्यक्ति नवीन अनुसंधानों को आत्मसात करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बैंकों को प्रभावपूर्ण तकनीक एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने ग्राहकों को आवश्यक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, फलस्वरूप डिजिटल भुगतान प्रणाली का अधिक विकास किया जा सके।

सूचना बुलेटिन, लोकसभा सचिवालय, शोध एवं सूचना प्रभाग ने दिसम्बर 2017 में अपने लेख 'डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और भारत को लेनदेन में नगदी का कम प्रयोग करने वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना' में डिजिटल भुगतान के कारणों, हितग्राहियों एवं सरकार को होने वाले लाभों, डिजिटल भुगतान के माध्यमों तथा इसकी लोकप्रियता से सम्बंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया है। लेख में डिजिटल भुगतान में आने वाली समस्याओं के साथ-साथ उनके समाधानों का भी वर्णन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके प्रचलन में वृद्धि के लिए सरकार को निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों की सहायता लेने पर विचार करना चाहिए।

आर के गाँधी ने अपने लेख भुगतान प्रणाली-अगला पड़ाव पर मार्च 2017 (भरिबै बुलेटिन) में भारत में कार्ड भुगतान की उपयुक्तता का वर्णन करने साथ-साथ क्यूआर कोड के शुभारम्भ की प्रशंसा की है। विमुद्रीकरण के फलस्वरूप डिजिटल भुगतान में वृद्धि को मानते हुए उपयोगकर्ताओं के कार्य को सरल बनाने, डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रति विश्वास, परिचालनों तथा ग्राहक संरक्षण में वृद्धि जैसे सुझाव दिए हैं। इस लेख में उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है।

शोध का उद्देश्य- प्रस्तुत शोधपत्र में शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रति भारतीय हितग्राहियों के दृष्टिकोण को ज्ञात करने के साथ-साथ डिजिटल भुगतान से होने वाले लाभों, हनियों एवं उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले माध्यमों को ज्ञात करना है।

शोध की परिकल्पना- यह परिकल्पना की जाती है की

1. डिजिटल भुगतान प्रणाली से हितग्राहियों की सुविधा में वृद्धि हुई है।
2. डिजिटल भुगतान प्रणाली के प्रति हितग्राहियों के दृष्टिकोण में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
3. डिजिटल भुगतान प्रणाली के उपयोग में महिला और पुरुषों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

शोध की क्रिया विधि- प्रस्तुत शोधपत्र में डिजिटल भुगतान प्रणाली की प्रगति और हितग्राहियों के दृष्टिकोण को ज्ञात करने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों को संकलित कर माध्य, बहुलक, ग्राफ, टी-टेस्ट एवं अछजतअ का उपयोग किया जा रहा है।

डेटा विश्लेषण और व्याख्या - प्रस्तुत शोधपत्र में प्रश्नावली के माध्यम से 151 उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण निम्न प्रकार है-

X	Frequency	M	FM
0-5	42	3	126
6-10	38	8	304
11-15	26	13	338
16-20	45	15	810
	151		1578

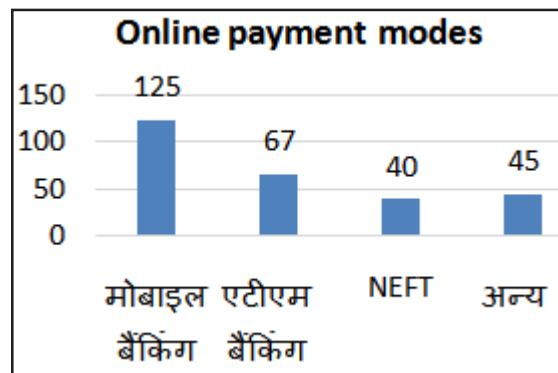
मध्य मान = 10.45

उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्य मान निकल कर यह ज्ञात किया गया है कि औसत रूप से प्रत्येक भारतीय प्रति माह 10-11 बार डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग करता है अर्थात डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग बहुतायत से किया जाने लगा है।

ऑनलाइन भुगतान के लिए किसका उपयोग करते हैं? (एक से अधिक का चयन भी कर सकते हैं)

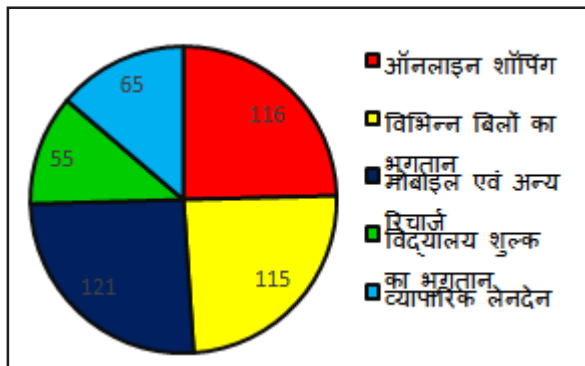
ऑनलाइन भुगतान मोड	आवृत्ति
मोबाइल बैंकिंग	125
एटीएम बैंकिंग	67
NEFT	40
अन्य	45

उपर्युक्त आवृत्ति को निम्न रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्टता समझा जा सकता है।



रेखाचित्र से यह स्पष्ट होता है कि हितग्राहियों द्वारा विभिन्न प्रकार के डिजिटल भुगतान तरीकों का उपयोग किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक लोकप्रियता मोबाइल बैंकिंग की है क्योंकि आधुनिक युग में प्रत्येक व्यक्ति स्मार्ट फोन का उपयोग करता है। एटीएम बैंकिंग, नेफ्ट एवं अन्य साधनों का भी उपयोग किया जाता है लेकिन यह मोबाइल बैंकिंग की तुलना में कम उपयोगी है।

ऑनलाइन भुगतान के उपयोग की आवश्यकता



उपर्युक्त रेखाचित्र से यह स्पष्ट होता है कि हितग्राहियों द्वारा डिजिटल भुगतान कई प्रकार की सुविधाएं घर बैठे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक इसका उपयोग मोबाइल एवं अन्य रिचार्ज के लिए किया जाता है ताकि विभिन्न कार्यालयों में समय नष्ट न करना पड़े ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी हितग्राही डिजिटल पेमेंट करना पसंद करते हैं और विभिन्न बिलों के भुगतान में भी इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक है।

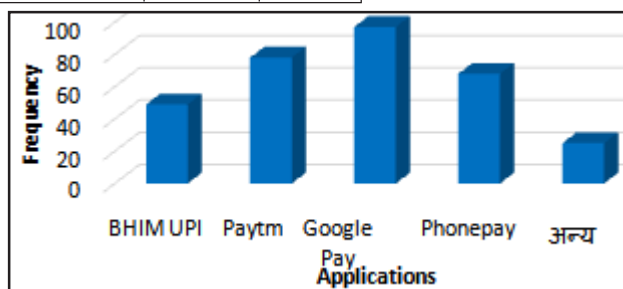
डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग आप क्यों करते हैं ?

	आवृत्ति
सुविधा 247 उपलब्ध	129
सकुशल और सुरक्षित	89
बैंकिंग लेनदेन गतिविधि की जानकारी	88
प्राप्त करना सरल हो गया है	
उचित दरों पर सुविधा	53
कम सेवा शुल्क	48
गोपनीयता	53

उपर्युक्त सारणी के अनुसार जब उत्तरदाताओं से यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो यह ज्ञात हुआ कि बहुलक 247 सुविधा होने के कारण डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक लोकप्रिय है। विभिन्न सुविधाओं को हितग्राहियों ने सराहा है लेकिन गोपनीयता, सेवा शुल्क एवं दरों के सम्बन्ध में हितग्राहियों में असमंजस की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन यह भी स्वीकार किया गया है कि यह प्रणाली सकुशल, सुरक्षित एवं बैंकिंग लेनदेन की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाने में समर्थ है।

आप मोबाइल बैंकिंग के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं

	आवृत्ति	%
BHIM UPI	49	32.5
Paytm	78	51.7
Google Pay	97	64.2
Phonepay	68	45
अन्य	25	16.6



उपर्युक्त रेखाचित्र एवं सारणी से यह स्पष्ट होता है कि हितग्राहियों द्वारा गूगल पे एप्लीकेशन का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। क्रमशः पेटीएम, फोनपे और भीम उपि को हितग्राहियों द्वारा उपयोग किया जाता है। शोध में 25 उत्तरदाता ऐसे भी हैं जो इनके साथ ही अन्य एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि 151 उत्तरदाता सभी एप्लीकेशन के सम्बन्ध में जानकारी भी रखते हैं।

भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए पुरुष और महिला धारणा के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है

Group Statistics

1=Male, 2=Female	N	Mean	Std. Std. Deviation	Error Mean
DPS पुरुष	80	17.08	5.121	.573
महिला	71	16.72	4.340	.515

समूह आँकड़े

उपरोक्त तालिका माध्य मान, मानक विचलन और समूहीकरण चर के संबंध में सभी विवरण प्रदान करती है। पुरुष की डिजिटल भुगतान प्रणाली का औसत मूल्य 17.08 और महिला का 16.72 है जहां विश्लेषण के लिए परीक्षण में 80 पुरुष और 71 महिला उत्तरदाताओं को लिया गया है। तालिका समूहीकरण चर (लिंग) के सांख्यिकीय विवरण दिखाती है जिसमें दो समूह हैं अर्थात् पुरुष और महिला। माध्य के बीच का अंतर यानी 0.36 से अधिक नहीं है और एक तरह से यह अनदेखा करने योग्य है। माध्य के बीच का अंतर किसी तरह मौजूद नहीं है।

स्वतंत्र नमूने परीक्षण (अगले पृष्ठ पर देखें)

लेवेन का सार्थक (तालिका 1.2) मान .163 है जो .05 से अधिक है और इसलिए समूहों के बीच कोई अंतर नहीं है। इसलिए, मान लिया गया समान प्रसरणों की पंक्ति पर विचार किया जाता है। 95% सार्थकता अंतराल पर न मने गए सामान विचरण पर सार्थकता मान $0.644 > 0.05$ है जो 0.463 की सकारात्मक सांख्यिकी है। दूसरे समूह का मतलब है कि महिला पुरुष से कम है (हालांकि यह मामूली अंतर है)। अब से, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार नहीं किया जाता है और वैकल्पिक परिकल्पना को खारिज किया जा रहा है। यह निष्कर्ष निकालता है कि इंदौर के पुरुष और महिला उपयोगकर्ताओं के डिजिटल भुगतान प्रणाली स्तर के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

निष्कर्ष - उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डिजिटल भुगतान के प्रति उत्तरदाताओं की लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है। सर्वेक्षण में यह ज्ञात हुआ कि उपयोगकर्ताओं को लाभ होने के साथ ही कई प्रकार की हानियों को भी वहन करना पड़ रहा है पारम्परिक लेनदेन की प्रक्रिया के बनिस्पत डिजिटल भुगतान प्रणाली अधिक सुविधाजनक सिद्ध हो रही है। यदि उपयोगकर्ता सावधानी से इसका उपयोग करें तो इससे होने वाली हानियों से बचा जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- https://www.rbi.org.in/hindi1/Upload/Speeches/PDFs/01SP_H1003201730A07B02AF8945B7B690FA2E9AA633CE.PDF
- <https://www.meity.gov.in/digidhan>
- http://ijrar.com/upload_issue/ijrar_issue_20542141.pdf
- <http://cashlessindia.gov.in/upi.html>
- http://cashlessindia.gov.in/promoting_digital

6. https://ijirt.org/master/publishedpaper/IJIRT150447_PAPER.pdf
7. https://www.researchgate.net/publication/349076488_Digital_Payments_Methods_in_India_A_study_of_Problems_and_Prospects

स्वतंत्र नमूने परीक्षण

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
D	Equal variances assumed	1.963	.163	.459	149	.647	.357	.778	-1.180	1.893
P	Equal variances not assumed			.463	148.698	.644	.357	.770	-1.165	1.878

Marketing Practices of Fishery Industry in Himachal Pradesh: An Overview

Dr. B. S. Jaswal*

*Assistant Professor (Commerce) G. D. C. Bilaspur, Distt. Bilaspur (H.P.) INDIA

Abstract - The study of Marketing Practices of fishery sector in the state such as price fixation system, satisfaction level over the terms and conditions of marketing agencies and marketing distribution mechanism of reservoir fishery in Himachal Pradesh was conducted in three districts of the state. It is found that there is a lack of solidarity among fishermen's regarding authorized agencies involved in price fixation. The preponderance of the fishermen's is satisfied with methods adopted by the department for price fixation of fish, while 20.2 percent are un-satisfied with this system. Another aspect of the study reveals the fact that a large proportion of fishermen have satisfied with the prevailing terms and conditions of marketing agencies in the state.

Keywords- Price Fixation System, Marketing Channel, Satisfaction Level.

Introduction - Marketing plays a crucial role in economic development of the country as it stimulates production and avoids unnecessary fluctuations in output and prices. A well-structured marketing system provides remunerative price to the producer besides protecting the interest of the consumer. The fish marketing is different from marketing of agricultural products, it is confronted with certain peculiar problems such as greater uncertainty in fish production, highly perishable nature, collection of fish from landing centers, too many species and as many demands pattern, frequent fluctuation in prices, difficulties in adjusting supply to variation in demand and need for transportation of fish in specialized means of transport.

Fishery sector plays an important role in the national economy and in the socio-economic development of the country. Indian fisheries constitute an important sector of our national economy for various reasons. Himachal Pradesh is a land locked hilly state blessed with various lakes, several man-made reservoirs, evergreen rivers viz. Satluj, Beas, Ravi, Chenab, Yamuna and a maze of streams, tributaries-dissecting various climatic zones of the state. These linearly flowing waters are blessed with one of the richest fish fauna of the country viz. Exotic Trout, Mighty Mahseer, Carp, Cibarids, Lesses Barils and hill stream fishes. The department of fisheries came into existence in August, 1950 as a wing of the Forest Department. It was bestowed the status of an independent department during 1966. The fish production has touched the annual production figure of 14020 tons by all available fishery resources and number of registered fishermen was above 11000 at the end of the year 2019-20.

Objectives of the Study:

1. To investigate the effectiveness of marketing practices adopted by the fishery industry in the state of Himachal Pradesh.
2. To find out satisfaction level of fishermen in respect of marketing system.

Methodology - One way approach was adopted to collect primary data and attention was focused on selected fishermen of fishery co-operative societies in the study area. The data pertaining to the perception of the fishermen of the sample co-operatives was obtained through pre-tested questionnaires distributed among them. The study was conducted in the reservoir area of the Bilaspur, Una and Kangra District of the state. With the view of the time and operational constraints the simple random sampling technique was adopted. Firstly, a list of Fishery Co-operative Societies was prepared and 25 co-operative societies were selected out of 49 co-operative societies on the basis of convenience sampling. 20 fishermen were selected at random from each society as samples of the study. All the collected information from the fishermen were classified, grouped and interpreted according to the objectives.

Agencies Involved In Fixation Of Price- Table 1 reveals that majority of the fishermen i.e., 40.6 percent think that price of fish is fixed by contractors, 32.8 percent perceive co-operative society and contractor mutually fix the fish prices, 16.4 percent observe that the Co-operative Society play a key role in price fixation of fish and only 10.2 percent considered the role of department in the price fixation of fish. The mean value of respondents' opinion is noted 2.90

which shows that majority of the respondents are agreed that price of fish is fixed by contractors. The intended value of kurtosis shows that the distribution is platy kurtic which also support the above findings.

Table 1 (see in last page)

On the application of χ^2 test, the calculated value is greater than the table value; hence, the null hypothesis is rejected with the inference that different agencies play a significant role in price fixation. It is concluded that there is a lack of solidarity among fishermen's regarding authorized agencies involved in price fixation.

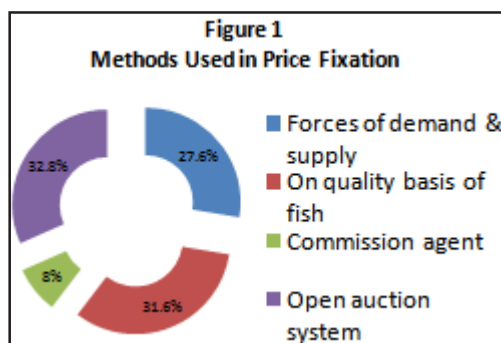
Methods Used In Price Fixation- It was observed that the views of the respondents not similar on the price fixation of the fish. Table 2 and Figure 1 reveals that 32.8 percent of the respondents opined that the price fixation depends on the quality of fish, 31.6 assumed according to open auction system, 27.6 percent found the same on the basis of demand and supply, and only 8 percent fishermen observed that commission agent determine the prices of the fish.

Table 2: Methods Used for Price Fixation of Fish

Name of Methods	No.of Res-pondents	% Age
Forces of demand & supply	138	27.6
On quality basis of fish	164	32.8
Commission agent	40	8
Open auction system	158	31.6
Total	500	100

Note: Pearson's chi-square for methods of price fixation is 80.03, $P < 0.01$

Source: Various Questionnaires from the Respondents



Since the calculated value of chi-square test i.e., 80.03 is greater than the table value at 1 percent level of significance, the null hypothesis is rejected with the inference that there is a significant relationship in the opinion of the respondents regarding the methods used in the fixation of fish prices.

Satisfaction Level Of Beneficiaries Regarding Price Fixation Methods- Table 3 and Figure 2 portrayed that preponderance of the fishermen's 79.8 percent are noted satisfied with methods adopted by the department for price fixation of fish, while 20.2 percent are found un-satisfied with this system. Further, a significant difference in the opinions of the respondents has been observed on the

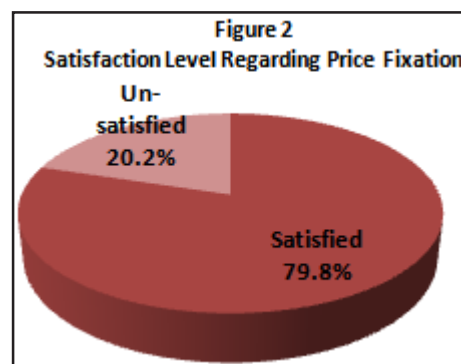
satisfaction level of beneficiaries regarding price fixation methods.

Table 3: Extent of Satisfaction with Price Fixation Methods

Nature of Res-pondents	Number of Res-pondents	Percentage
Satisfied	399	79.8
Un-satisfied	101	20.2
Total	500	100

Note: Pearson's chi-square for satisfaction level over price fixation is 177.60, $P < 0.01$

Source: Various Questionnaires from the Respondents



Satisfaction Of Fishermen Over The Prevailing Terms And Conditions Of Marketing Agencies-

The fishermen were asked to rate the level of their satisfaction regarding the terms of purchasing and payment of fish on the Five Point Likert Scale i.e., satisfied to a great extent, satisfied to some extent, neither satisfied nor dissatisfied, dissatisfied to some extent and dissatisfied to a great extent. These attributes were assigned weights as 5,4,3,2 and 1 respectively and the average level of satisfaction was worked out on the basis of assigned weights.

The views of fishermen regarding the terms of purchase and payment of fish have analyzed in Table 4. It is evident from the table that the mean score of fishermen's views regarding the period of payment, rate of royalty/ commission, price of fish, membership fee, facility provided by co-operative societies, time lag between date of purchase and date of payment of fish is much higher than the standard average score i.e., 3 at five-point scale. The values of skewness are negative in all cases. Thus, the above analysis shows that the opinion of the fishermen is distributed more towards the higher side of the standard average score.

Table 4 (see in last page)

While applying χ^2 test goodness of fit, it is found that the calculated values are much higher than the table values at 1 percent level of significance. It rejects the null hypothesis and show that the opinion of fishermen is not equally distributed. Additionally, regarding commission and royalty on sale value of fish incurred by the co-operative societies on behalf of fishery department is customary less than the other factors mean value. The standard deviation is noted

as optimum and skewness is observed negative in the above case. Hence, the above analysis shows that the opinion of the fishermen is scattered more towards the lower end to the standard average score. The application of X^2 test goodness of fit also ropes the above analysis at 1 percent level of significance and reveals that the opinion of the fishermen is not equally distributed.

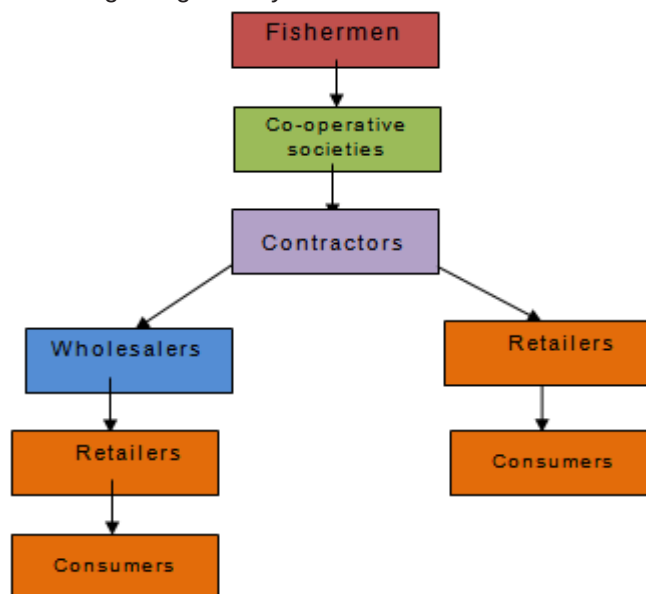
Thus, on the basis of the whole analysis above, it may be concluded that the majority of fishermen are fully satisfied with the period of payment of fish, rate of royalty, commission, price of fish, membership fee, facilities provided by the co-operative societies, time lag between date of purchase and date of payment of fish.

Fish Marketing Channels In Himachal Pradesh- The fish marketing system though varies from state to state, is often dominated by middlemen and wholesalers because it is not possible for the fishermen/fish farmers to undertake quick transportation and sale of fish in fresh condition in highly dispersed and distant markets. In Himachal Pradesh, fish production is either transported to the markets by the co-operative societies or is sold to the contractors from the landing centers. The fish lifted by the contractors is being sold in the fish markets of Himachal Pradesh and neighboring states /union territories. The economic conditions of fishermen and fish farmers depend on the price of fish. The price of fish varies with species, season, availability, demand and preference of consumer. The fish varieties include carps, catla, rohu, singhara, trout, morri, grass carps etc. These species are divided into two grades i.e. A and B grade in the state. Carps are low price fish and mostly consumed by the middle-class community. Unlike Carps, Catla, Rohu, Singhara, Morri, and Trout are high priced fish (due to few intra-muscular spines) and are popular among the upper class. Presently the price of carp fishes varies from Rs. 25 to 50/ per kg with season and availability and that of A-grade from Rs. 50/ to 100/ per kg. The both varieties of fish are also exported to other neighboring states like Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, Uttar Pradesh etc.

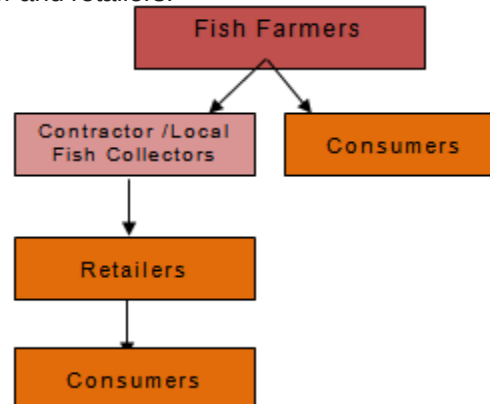
Fish passes through several channels/intermediaries from the fishermen/fish farmers to the consumer. The intermediaries are involved in providing services of processing, preservation, packing and transporting. All these activities result in cost addition at every stage of marketing. However, there is no data available regarding total market status, domestic and interstate demand, number of contractor / middlemen engaged in fish marketing and the losses due to spoilage during marketing. The key intermediaries in fish marketing are co-operative societies, contractors, wholesaler and retailers. The short description of fish marketing channels according to the resources in Himachal Pradesh is explained as below.

a) Reservoir Fish Marketing Channels- The co-operative societies are the first intermediary in reservoir fish marketing channels. The marketing of the fish catch

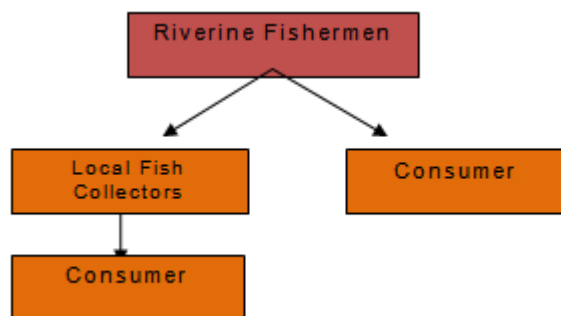
by the fishermen is the job of the primary fishermen co-operative societies working in different areas of the reservoirs in the state. The entire catch is handed over by the fishermen to the primary fishery co-operative societies and co-operative societies charge own commission from 5 to 7 percent and government royalty 15 percent on sales value of fish from the fishermen. After that the fishery societies hand over the total fish to the contractor at the landing centers fixed by the department of fishery in the presence of fishery officer. After receiving the fish from the fishery co-operative societies, the contractors are free to sale it within the state as well as outside the state. The contractors are free to sell the fish directly to consumers as well as through wholesaler chain. The contractors are appointed every year on the basis of open auction system in the beginning of the year.



b) Trout/Pond Fish Marketing Channels- Trout fish produced in government farms as well as private entrepreneurs in the upper zone of the state. The marketing system of trout is totally different as compared to other fishery resources. The main reason of this is the high demand of trout in comparison to supply. The fish farmers are free to sell their product direct to consumer or to contractor and retailers.



c) Riverine Fish Marketing Channel- The riverine fishermen are not organized. The fishermen come to the market or local area without having adequate market information. They sell their fish directly at the consumer's doorstep/local fish collector or in local markets. Most of the fishermen sell fish in local areas and no value addition in fish as grading, cleaning and icing. Riverine fishermen choose their marketing channels as per their dealing and availability of fish.



In case the local fish collectors is not available, then it is very difficult to reach the doorstep of right consumer. The buyers of fish are very well aware about the condition of fishermen. They have a very strong bargaining power over the unorganized fishermen. As a result, they don't get premium price for their catch due to the non-availability of suitable market and reluctance of consumer. They are forced to sell all the produce on a given day, as they don't have the capacity to hold or preserve the fish. The major cost of fishermen is time consuming. Sometimes the fishermen cannot reach in the mean time in the market as a result the quality of fish would have been deteriorated and the fish is sold at throwaway price.

Conclusion- The fish marketing is different from marketing of agricultural products, it is confronted with certain peculiar problems such as greater uncertainty in fish production, highly perishable nature, collection of fish from landing centers, too many species and as many demands pattern, frequent fluctuation in prices etc. It is concluded that there is a lack of solidarity among fishermen's regarding authorized agencies involved in price fixation. Further, a

significant difference in the opinions of the respondents has been observed on the satisfaction level of beneficiaries regarding price fixation methods. The mean value of the respondents' responses regarding all terms and conditions of marketing such as period of payment, rate of royalty/ commission, membership fee, facility provided by co-operative societies and time lag between purchase and payment of fish is more than the standard mean score. Majority of the respondents are found satisfied with the existing marketing term fixed by the department.

References:-

1. B. Ganesh, et al., "Domestic Fish Marketing in India-Changing Structure, Conduct, Performance and Policies", *Agriculture Economics Research Review*, Vol. No. 21, 2008, pp. 345-354.
2. P. S. Rao, "Fishery Economics and Management in India", Pioneer Publication and Distributors, 1983, Bombay.
3. B. Ganesh et al., "Domestic Fish Marketing in India-Changing Structure, Conduct, Performance and Policies", *Agriculture Economics Research Review*, Vol. 21, 2008, pp. 345-354.
4. S. Rajadurai and A. Rajan, "Fish Marketing Through Fisheries Co-operative Societies", *Tamil Nadu Journal of Co-operative*, Vol. 5, Issue 3, 2005, pp. 19-22.
5. V. V. Sugunam, "Reservoir Fisheries in India", *FAO Fisheries Technical Paper*, No., 345, 1995, Rome.
6. A. Dhawan and Kuldeep Kumar, "Fisheries Development in Punjab", *A Rod Map*, 2008, pp. 8-22.
7. S. Manasi, et al., "Fisheries and Livelihood in Tungabhadra Basin, India: Current Status and Future Possibilities", Working Paper No. 217, 2009, pp. 1-19.
8. M. Prahadeeswaran and P. N. Kale, "Fish Marketing in Bhandara District- A Case Study of Co-operative and Private Channels", *Indian Co-operative Review*, Vol.40, Issue 4, 2003, pp. 266-270.
9. Paride Saibala, "Recent Trends in Fisheries of Chilka Lagoon A Ramsar Site of East Coast of India", *Fishing Chimes* Vol. 32, No. 10, January 2013, pp. 72-74.
10. fisheries-hp@nic.in report
11. <https://hpfishries.nic.in>

Table 1: Agencies Involved in Price Fixation

Name of Agencies	Number of Respondents	%age	Rank	Mean	SD	Skew.	Kurtosis
Co-operative Societies	82	16.4	3	2.90	1.03815	-.680	-.680
Department of Fishery	51	10.2	4				
Contractors	203	40.6	1				
Co-operative Society & Contractor	164	32.8	2				
Total	500	100					

Note: Pearson's chi-square for agencies involved in price fixation is 119.44, $P < 0.01$

Source: Various Questionnaires from the Respondents

Table 4: Satisfaction of Fishermen over the Prevailing Terms and Conditions of Marketing Agencies

Statements	Satisfied to great extent	Satisfied to some extent	Neither Satisfied nor dissatisfied	Dissatisfied some extent	Dissatisfied to great extent	Total	Mean	St. Devat.	Skew.	χ^2	Kurt.	P value
Period of Payment	287 57.4%	75 15%	59 11.8%	44 8.8%	35 7%	500 100%	4.070	1.29323	- 1.158	446.36	.0346	<0.01
Rate of royalty/ commission	37 7.4%	304 60.8%	91 18.2%	47 9.4%	21 4.2%	500 100%	3.578	.91301	- 1.144	547.16	1.039	<0.01
Price of Fish	83 16.6%	253 50.6%	114 22.8%	39 7.8%	11 2.2%	500 100%	3.716	.90829	-.746	355.36	.540	<0.01
Membership Fee	241 48.2%	163 32.6%	52 10.4%	31 6.2%	13 2.6%	500 100%	4.175	1.01936	- 1.304	384.84	1.168	<0.01
Facility Provided by co-operative societies	96 19.2%	205 41%	136 27.2%	39 7.8%	24 4.8%	500 100%	3.620	1.03234	-.670	218.34	.146	<0.01
Time lag between date of purchase and date of payment of fish	292 58.4%	63 12.6%	60 12%	50 10%	35 7%	500 100%	4.054	1.31702	- 1.104	465.58	-.158	<0.01

Source: Various Questionnaires from the Respondents

माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत् विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सामाजिक एवं अकादमिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. उमा श्रीवास्तव *

* प्राचार्य, शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, देवास(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध पत्र विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर के संदर्भ में सामाजिक एवं अकादमिक समस्याओं पर आधारित है। यह शोध पत्र विशेष रूप से दृष्टि बाधित व अस्थिर बाधित विद्यार्थियों की सामाजिक व अकादमिक समस्याओं पर आधारित है। विद्यालयों में ये विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करते हैं चूंकि ये विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं। अतः कई बार ये अन्य विद्यार्थियों से सामाजिक एवं अकादमिक परिप्रेक्ष्य में अलग पाये जाते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षक द्वारा उन्हें आने वाली विभिन्न सामाजिक व अकादमिक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही उनकी उनकी समस्याओं से संबंधित कुछ सुझाव भी दिये गये हैं।

शब्द कुंजी – विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी।

प्रस्तावना – शिक्षा समाज में परिवर्तन एवं सामाजिक ढांचे को ऊँचाइयों में ले जाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सेतु स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति समता (Equity) व समानता (Equality) के आधार पर टिकी होती है। समता से आशय है कि समानता पर पहुँचने के लिए अतिरिक्त सहायता (Extra Support) अथवा जितनी आवश्यकता हो उतनी सहायता प्राप्त होना।

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है जिसके लिये उसकी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, भावनात्मक शक्तियों का विकास आवश्यक है। किन्तु किन्हीं परिस्थितियों के कारण उसमें निहित शक्तियों के विकास में बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इन बाधाओं के चलते समायोजन (उनकी योग्यताओं, क्षमताओं और समस्याओं के साथ) द्वारा विकास में रुकावट को समाप्त करने के लिये विशेष प्रयास शासन, विभाग, समाज व अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

ऐसे बच्चे जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, शैक्षिक एवं व्यवहारिक कमियों के कारण सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं और उनकी योग्यताओं एवं क्षमताओं के समुचित विकास करने के लिए विशेष प्रकार की शिक्षण विधियों व क्रियाकलापों/कार्यक्रमों को समाहित करने की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार – विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शारीरिक रूप से अक्षम, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे सम्मिलित होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्नानुसार है –

क्र. निःशक्तता की श्रेणी

1. आंशिक दृष्टि बाधित (LV)
2. पूर्ण दृष्टि बाधित (TB)
3. श्रवण बाधित (HI)
4. मूक बधिर (Deaf Mute)
5. अस्थिर बाधित (OH)

6. सेरेब्रल पाल्सी (CP)
7. मानसिक विकलांग (MR)
8. अधिगम विकलांगता (LD)
9. बहुविकलांगता (MD)
10. आटिज्म (ASD)

उद्देश्य :

1. दृष्टि बाधित व अस्थिर बाधित विद्यार्थियों की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन।
2. दृष्टि बाधित व अस्थिर बाधित विद्यार्थियों की अकादमिक समस्याओं का अध्ययन।
3. दृष्टि बाधित व अस्थिर बाधित विद्यार्थियों की सामाजिक व अकादमिक समस्याओं के निदान हेतु सुझाव देना।

न्यायदर्श – अध्ययन की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए शोधपत्र का सीमांकन निम्नानुसार किया गया है :-

1. शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी
2. शासकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, देवास के क्षेत्रान्तर्गत देवास, इन्दौर, धार, अलीराजपुर व झाबुआ जिलों अध्ययनरत् माध्यमिक विद्यालयों के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी।
3. माध्यमिक विद्यालयों के अस्थिर बाधित व दृष्टि बाधित विद्यार्थी।
4. यादृच्छिक विधि से प्रत्येक वर्ग से 50-50 विद्यार्थियों का इस प्रकार कुल 100 विद्यार्थी।

सारणी क्रमांक 1

क्र.	जिला	विद्यार्थियों की संख्या	
		अस्थिर बाधित	नेत्र बाधित
1	देवास	10	10
2	इन्दौर	10	10

3	धार	10	10
4	झाबुआ	10	10
5	अलीराजपुर	10	10
	योग	50	50

शोध में प्रयुक्त होने वाले उपकरण – प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधकर्ता द्वारा उपकरणों का निर्माण किया गया जिसमें शिक्षक व विद्यार्थी को सामाजिक, अकादमिक समस्याओं को जानने संबंधित तथ्यों का समावेश किया गया है। ये उपकरण निम्नानुसार हैं

- प्रपत्र – एक सामाजिक समस्याओं हेतु छात्र प्रश्नावली
- प्रपत्र – दो सामाजिक समस्याओं हेतु शिक्षक प्रश्नावली
- प्रपत्र – तीन अकादमिक समस्याओं हेतु छात्र प्रश्नावली
- प्रपत्र – चार अकादमिक समस्याओं हेतु शिक्षक प्रश्नावली
- गत वर्ष का वार्षिक मूल्यांकन उपलब्धि स्तर प्रपत्र द्वारा

प्रयुक्त सांख्यिकी – प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत का उपयोग किया गया।

सारणी क्रमांक 2 सामाजिक समस्या का प्रतिशत विद्यार्थी के अनुसार

क्र.	प्रश्न	विवरण	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित
1	1	माता-पिता का प्यार न मिलना	44	24
2	2	आवश्यकताओं की पूर्ति न होना	44	44
3	3	कभी-कभी/नहीं, तो आर्थिक कारण	44	34
4	4,5	रिश्तेदारों से न मिलना	52	30
5	6,7	तनाव महसूस करना	52	28
6	अ	अक्षमता के कारण	16	6
7	ब	साथी द्वारा शामिल न करना	36	20
8	8,9	साथी द्वारा खेलकूद में शामिल न करना	52	28
9	अ	शारीरिक अक्षमता	48	20
10	ब	अन्य कारण	04	-
11	10	शाला आने-जाने में साथी सहायता न करना	52	26
12	11	कक्षा शिक्षण में शिक्षक का ध्यान न देना	50	28
13	12,13	कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ न बैठना	48	22
14	14	भाई-बहनों का सहयोग न मिलना	48	28
15	15	मध्याह्न भोजन में साथी सहयोग नहीं	52	28

चित्र 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी क्रमांक 3 सामाजिक समस्या का प्रतिशत शिक्षक के अनुसार

क्र.	प्रश्न	विवरण	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित
1	1	कक्षा प्रवेश में विद्यार्थी का खुश न होना	54	70
2	2	कभी-कभी/नहीं, तो कारण	-	-
3	अ	कक्षा में बैठक व्यवस्था अनुरूप न होना	20	14
4	ब	कक्षा में तनाव महसूस करना	34	56
5	3	दुर्बलता का एहसास	62	68
6	4	शिक्षक का प्रयास	100	100
7	5	विद्यार्थी द्वारा संवेदना की आशा	64	66

8	6	विद्यार्थी के आत्मसम्मान हेतु शिक्षक का प्रयास	100	100
9	7,8	खेलकूद के कालखण्ड में साथी से अलग बैठना	64	58
10	अ	साथी शामिल नहीं करना चाहते हैं	34	22
11	ब	स्वयं खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं	30	36
12	9	साथी से सहयोग की अपेक्षा	62	54
13	10,11	मध्याह्न भोजन के समय पृथक बैठना	66	52
14	अ	साथी सहायता नहीं करते	38	46
15	ब	भोजन के समय बैठक व्यवस्था अनुरूप नहीं	28	6

चित्र 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी क्रमांक 4 अकादमिक समस्या का प्रतिशत विद्यार्थी के अनुसार

क्र.	प्रश्न	विवरण	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित
1	1	विद्यालय में पृथक शिक्षण व्यवस्था	60	44
2	2	पृथक शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता	32	44
3	3	कक्षा में बैठक व्यवस्था सुविधानुसार नहीं	24	66
4	4	सुविधानुसार फर्नीचर	26	68
5	5	शिक्षण में सहपाठी सहयोग न मिलना	32	52
6	6	शिक्षण में अभिभावक सहयोग न मिलना	52	56
7	7	शिक्षक का केन्द्र बिन्दु न होना	46	58
8	8	प्रश्नोत्तर हेतु शिक्षक का प्रोत्साहन न मिलना	46	54
9	9	शिक्षक द्वारा गृहकार्य न करने के कारणों को जानना	40	52
10	10	---	---	---
11	11	सहशैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता न करना	50	60
12	12	प्रतिभा पर्व की तैयारी न कर पाना	50	56

चित्र 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी क्रमांक 5 अकादमिक समस्या का प्रतिशत शिक्षक के अनुसार

क्र.	प्रश्न	विवरण	दृष्टि बाधित	अस्थि बाधित
1	1	तुलनात्मक शैक्षिक स्तर कम है	62	68
2	2	विद्यार्थी की कक्षा में कम उपस्थिति	58	66
3	3	स्तर बढ़ाने हेतु शिक्षक प्रयास	100	100
4	4,5	गृहकार्य समय पर न करना	40	62
5	अ	गृहकार्य के महत्व को समझाना	30	36
	ब	अन्य साथी का सहयोग लेना	10	26
6	6	सहपाठियों का शैक्षिक स्तर कम होना	56	58
7	7	अभिभावकों का शैक्षिक स्तर कम होना	52	56
8	8	कक्षा शिक्षण में एकाग्रता न होना	50	56
9	9	शिक्षक द्वारा इस हेतु प्रयास	100	100
10	10	शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता	100	100

11	11	अभिभावकों से शिक्षण की गंभीरता को न जानना	42	100
12	12	प्रश्नोत्तर का तुलनात्मक स्तर कम होना	50	62
13	13	प्रतिभा पर्व के तुलनात्मक स्तर में कमी	50	56
14	14	अनुकूल परीक्षा परिणाम न आने पर उदासी	48	54
15	15	शिक्षक द्वारा अध्ययन के गुर सिखाना	100	100

चित्र 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

निष्कर्ष:

अ- सामाजिक समस्याओं का तुलनात्मक निष्कर्ष- प्रस्तुत शोधपत्र में न्यादर्श हेतु चयनित दृष्टि एवं अस्थि बाधित विद्यार्थियों का सामाजिक रूप से समग्र एवं तुलनात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है -

1. सामाजिक समस्या मुख्य रूप से विद्यार्थियों की भावनाओं से जुड़ी होती हैं, अध्ययन में इसे मुख्य रूप से शामिल किया गया है। जिसमें माता-पिता का प्यार व रिश्तेदारों से मेल -मिलाप को शामिल किया गया है जिसमें अस्थि बाधित की अपेक्षा दृष्टि बाधित विद्यार्थियों में अधिक समस्या परिलक्षित हुई।
2. तनाव भी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए मुख्य सामाजिक समस्या है। अध्ययन में अस्थि बाधित की अपेक्षा दृष्टि बाधित विद्यार्थियों में यह अधिक पाया गया।
3. परिवेश में आने वाले व्यक्तियों से सहयोग न प्राप्त होना भी सामाजिक समस्या है, जो दृष्टि बाधित में अस्थि बाधित की अपेक्षा अधिक पाई गई।
4. विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता न कर पाना भी सामाजिक समस्या है जैसे खेलकूद में, मध्याह्न भोजन में, साथी के साथ रहने में आदि। अध्ययन में पाया गया कि दृष्टि बाधित की अपेक्षा अस्थि बाधित में ये समस्या कम पाई गई।
5. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से विभिन्न सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन सुविधाओं के लिए आने वाली समस्याओं को अध्ययन में लिया गया है, जिसमें दृष्टि बाधित की अपेक्षा अस्थि बाधित विद्यार्थियों में कमी पाई गई।
6. परिवेश में आने वाले व्यक्तियों से संवेदना की आशा भी सामाजिक कारक है। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को संवेदना संबंधी समस्या आती है, जिसमें दृष्टि बाधित की अपेक्षा अस्थि बाधित को अधिक समस्या आती है।
7. प्रोत्साहन प्राप्त करना भी सामाजिक कारक है किन्तु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उनके कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक का प्रोत्साहन तथा आत्मसम्मान हेतु समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसमें प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार दृष्टि बाधित को अधिक तथा तुलनात्मक रूप से अस्थि बाधित को कम समस्या है।

ब- अकादमिक समस्याओं का तुलनात्मक निष्कर्ष- प्रस्तुत शोध में न्यादर्श हेतु चयनित दृष्टि एवं अस्थि बाधित विद्यार्थियों का अकादमिक रूप से समग्र एवं तुलनात्मक विश्लेषण निम्नानुसार है -

1. अकादमिक स्तर जिसमें विद्यार्थी, अभिभावक, सहपाठी का शैक्षिक स्तर, उपस्थिति, गृहकार्य व प्रतिभा पर्व की तैयारी को शामिल किया गया है, में अस्थि बाधित की तुलना में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों में कम समस्या परिलक्षित हुई।

2. विद्यार्थी की समझ व ज्ञान जिसमें विद्यार्थी की एकाग्रता अभिभावकों की गंभीरता व शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को जानना आदि को शामिल किया गया है, में अस्थि बाधित की तुलना में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों में कम समस्या पाई गई।
3. विद्यार्थी को प्रश्नों के उत्तर हेतु प्रोत्साहित किये जाने व शिक्षक के केन्द्र बिन्दु के लिए दृष्टि बाधित की तुलना में अस्थि बाधित विद्यार्थियों में अधिक समस्या परिलक्षित हुई।
4. अकादमिक गतिविधियों में सहभागिता स्तर में दृष्टि बाधित की तुलना में अस्थि बाधित विद्यार्थियों में समस्या का प्रतिशत अधिक पाया गया।
5. शिक्षण एवं अकादमिक गतिविधियों में सहयोग के तारतम्य में दृष्टि बाधित की तुलना में अस्थि बाधित विद्यार्थियों में समस्या अधिक पाई गई।
6. सुविधा स्तर जिसमें मुख्य रूप से शिक्षण सुविधा, कक्षा में बैठक की सुविधा संबंधित समस्या अस्थि बाधित की तुलना में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों में कम परिलक्षित हुई।

सुझाव :

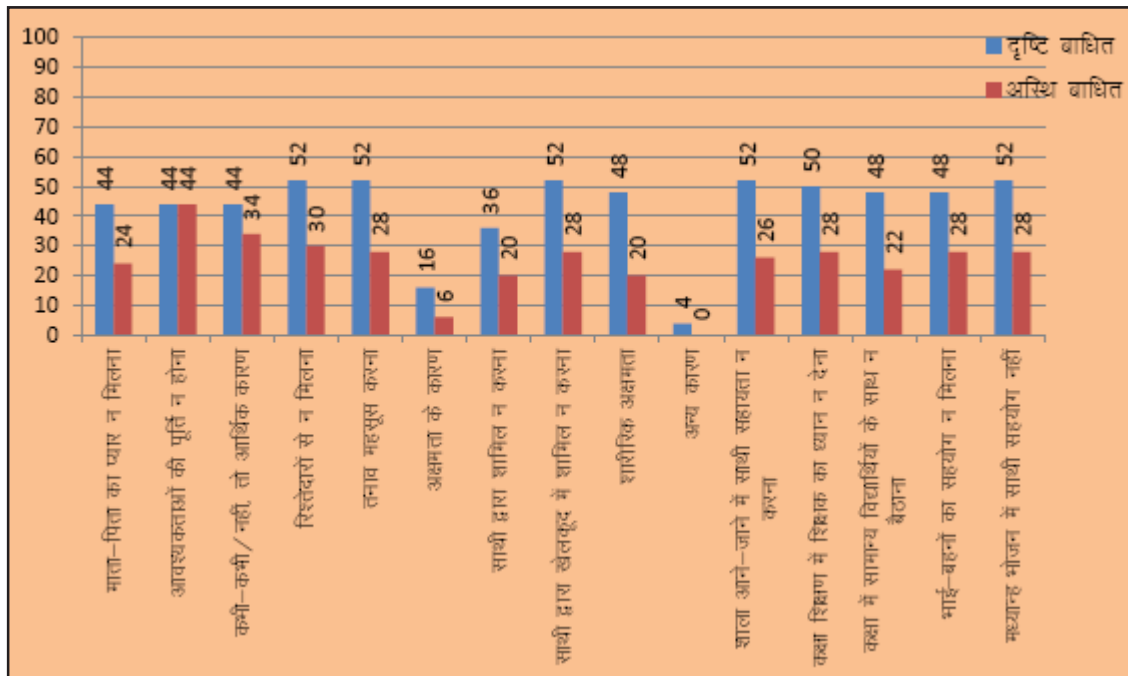
1. उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव उन्हें प्रेरित करना चाहिये। इन समस्याओं पर आधारित फिल्म, कहानियाँ आदि उन्हें सुनाना चाहिये।
2. ऐसी स्थिति कभी भी निर्मित नहीं करनी चाहिये कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे बल्कि उनमें साहस जगाने का प्रयास करना चाहिये।
3. प्रयास करना चाहिये कि वे कभी अकेले न रहें ताकि वे तनाव में न आवें।
4. आवश्यकता होने पर उनके लिए पृथक से भी शिक्षण व्यवस्था करनी चाहिये।
5. शिक्षकों को अवधारणा स्पष्ट करने हेतु उनके स्तर पर जाकर शिक्षण प्रदान करना चाहिये।
6. अभिभावकों को भी उनको अकादमिक सहयोग हेतु प्रशिक्षण तथा प्रेरित किया जाना चाहिये।
7. कक्षा में बैठक व्यवस्था उनकी सुविधा के अनुरूप होनी चाहिये।
8. उन्हें कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के समूह में रखा जाना चाहिये।
9. उन्हें प्रत्येक सहशैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये।
10. उनकी प्रत्येक सकारात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
11. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आर्थिक समस्याओं को कम करने हेतु उन्हें शासन द्वारा गुणवत्तापूर्ण उपकरण ही प्रदाय किये जाने चाहिये, ताकि अभिभावकों को अलग से न खरीदना पड़े।
12. इसके अतिरिक्त शासन द्वारा इन उपकरणों के रखरखाव हेतु भी सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
13. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम उन्हें आने वाली समस्याओं का निदान किया जावे।
14. ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिये ताकि वे उनके शिक्षण में विशेष ध्यान दें तथा घर में शैक्षिक वातावरण बनायें।

15. ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार पृथक से भी शैक्षिक व्यवस्था की जानी चाहिये।
16. कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थी के समान बनने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के समूह में उन्हें रखना चाहिये।
17. सामाजिक समस्याओं के लिए समाज को जाग्रत करना अत्यंत ही आवश्यक है।
18. ऐसे विद्यार्थियों के प्रति संवेदना के बजाय आत्मसम्मान पैदा करना आवश्यक है।
19. घर में आने वाले रिश्तेदारों से उनकी खूबियों के साथ उन्हें मिलवाना चाहिये।
20. उनमें छिपी प्रतिभा को समाज के सामने लाना आवश्यक है।
21. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त उन्हें :-
22. उनके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये किन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि उनके आत्म सम्मान को ठेस न पहुँचे।
23. प्रत्येक शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।
24. उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानकर पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

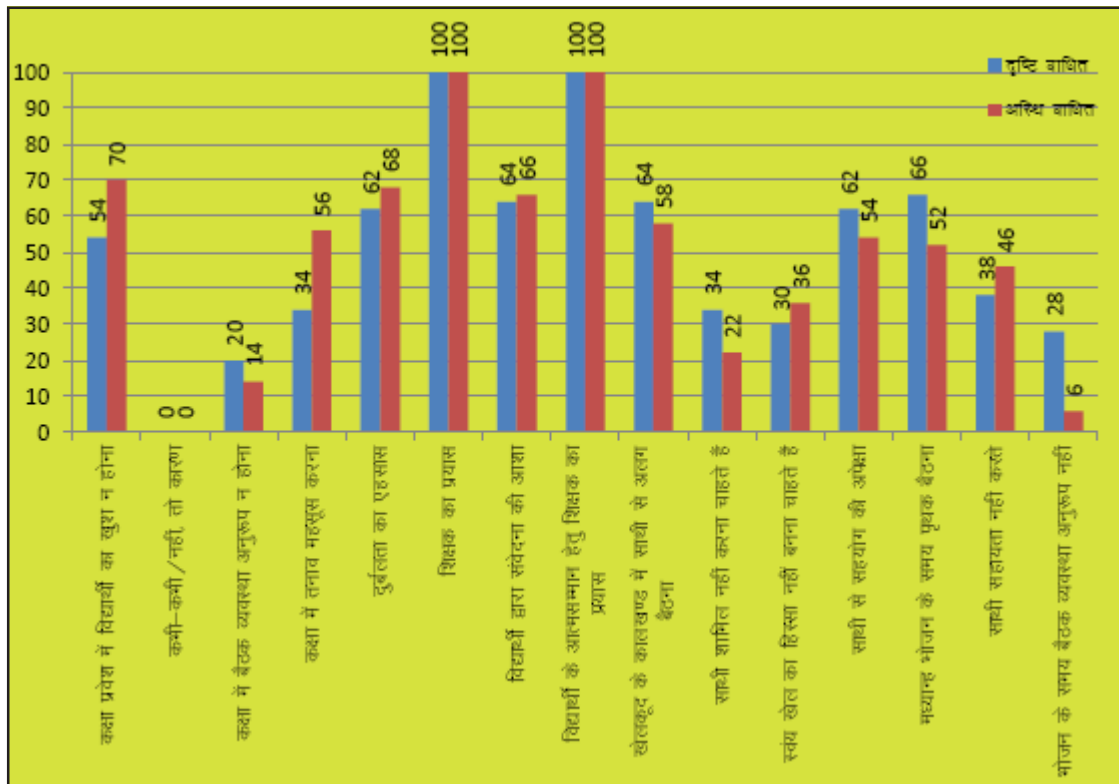
25. उनके मनोविज्ञान को जानने का प्रयास किया जाना चाहिये तदनुसार उनके प्रति व्यवहार संपन्न किया जा सके।
26. ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण की तैयारी की जानी चाहिये, जैसे प्रशिक्षण माड्यूल, प्रशिक्षक की पूर्व तैयारी आदि।

संदर्भ ग्रंथों की सूची :-

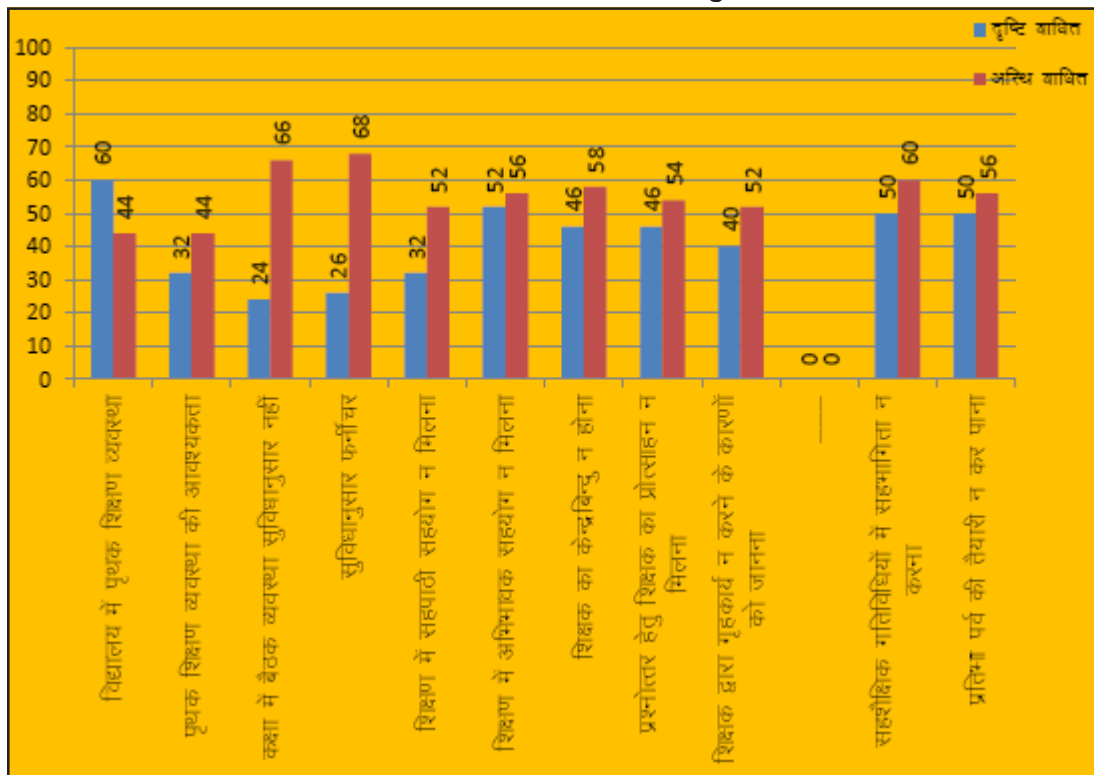
1. 'अनंत आसमां', राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. अस्थाना, विपिन, अस्थाना, विजया व अस्थाना निधि (2008-09). शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी. आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स।
3. गैरेट, ई. हेनरी (2010) 'शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी के प्रयोग' नई दिल्ली: कल्याणी पब्लिशर्स।
4. Images for Child With Special Needs quotes.
5. कपिल, एच. के. (1984) 'सांख्यिकी के मूल तत्व' आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
6. आपरेशन कालिटी, (2005). म.प्र. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् राज्य शिक्षा केन्द्र. शिक्षा मनोविज्ञान भाग-1 (प्रथम वर्ष).
7. Position Paper, (February 2006). Education of Children with Special Needs, ISBN 81-7450-494-X, NCERT,
8. सामर्थ्य, (2010). शिक्षक शिक्षण सामग्री. भोपाल: मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र।



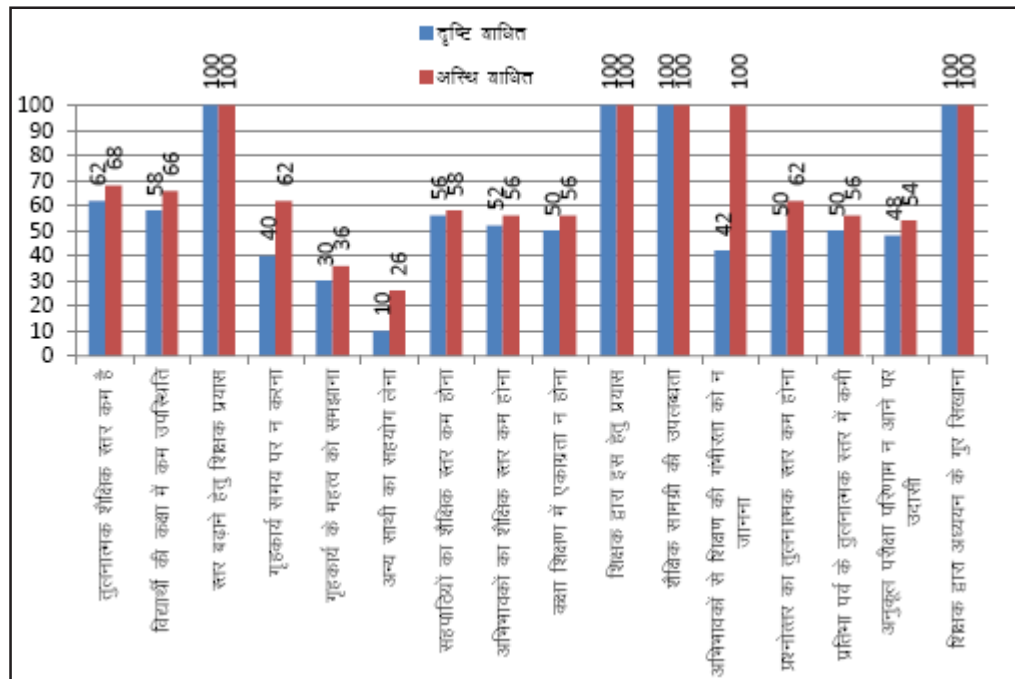
चित्र 1 सामाजिक समस्या का प्रतिशत विद्यार्थी के अनुसार



चित्र 2 सामाजिक समस्या का प्रतिशत शिक्षक के अनुसार



चित्र 3 अकादमिक समस्या का प्रतिशत विद्यार्थी के अनुसार



चित्र 4 अकादमिक समस्या का प्रतिशत शिक्षक के अनुसार

राष्ट्रवाद के निर्माण में शहीद बिजनिया भील का योगदान

प्रो. धुलसिंह खरत *

* विभागाध्यक्ष (इतिहास) शा. आदर्श महाविद्यालय, झाबुआ (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – बिजनिया का जन्म खरगोन जिले के ग्राम खजुरी में हुआ था। बिजनिया लम्बा-चौड़ा व हष्टपुट, पहलवान के जैसा उसका शरीर था। वह स्वभाव से क्रूर और देखने में भयानक लगता था। जब टंट्या भील को शिब्बा व हिम्मत पाटिल के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उस समय वह पोखर के समीप हीरापुर (होल्कर रियासत) नामक ग्राम में था। जब टंट्या हिरापुर आया, तब बिजनिया का उससे परिचय हुआ, दोनों मित्र बन गए। फिर हिरापुर के पास ग्राम बारी में चोरी हुई, तब पुलिस ने चोरी की शंका में बिजनिया व टंट्या को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त बिजनिया व पुलिस के बीच हाथापाई हुई। दोनों को खण्डवा जेल में लाया गया, प्रकरण चला गया। चोरी का अपराध सिद्ध नहीं हो सका, लेकिन पुलिस से हाथापाई के अपराध में दोनों को तीन-तीन माह की सजा हुयी। बिजनिया को खण्डवा जेल में एवं टंट्या को जबलपुर जेल भेजा गया।

टंट्या जेल की सजा काटकर वापस आया, सिआरों गाँव (होल्कर रियासत) में अपने बच्चे व पत्नी के साथ रहने लगा, जहाँ पर दौलिया से परिचय हुआ। ग्राम सिआरों में कभी-कभी बिजनिया, टंट्या से मिलने आता रहता था। टंट्या को पोखर का दोस्त नहाल आकर बताया कि, तुम्हारे ऊपर चोरी का षड्यंत्रपूर्वक इल्जाम लगाया गया है। यह सुनकर टंट्या व उनके साथी सतपुड़ा के जंगल में चले गये। बिजनिया भी सतपुड़ा की पहाड़ियों व जंगल में टंट्या के साथ चला गया, लेकिन बिजनिया ने अपना गाँव खजुरी नहीं छोड़ा था, वह अपने बाल-बच्चों के साथ खजुरी ही रहता था। मगर कभी-कभी टंट्या से मिलने जंगल जाता था। जंगल में कुछ समय रहने के बाद टंट्या-बिजनिया व उसके साथियों ने सरदार पाटिल के पुत्र कालु को बंदी बनाकर एक सौ रूपये की फिरोती माँगी। नहाल के माध्यम से एक सौ रूपये की राशि ली और कालु को पोखर छोड़ा गया। शिब्बा व हिम्मत ने फिर षड्यंत्र रचा। सरदार, शिब्बा का रिश्तेदार था। शिब्बा व हिम्मत ने सरदार के पुत्र मोहन को टंट्या के पास जंगल भेजा, वह टंट्या के साथ जंगल रहने लगा। कुछ समय बाद षड्यंत्रपूर्वक मोहन, टंट्या व उसके साथियों को पोखर लाया एवं पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। टंट्या को खण्डवा जेल भेज दिया गया। दौलिया को भी गिरफ्तार कर खण्डवा जेल में रखा गया। दूसरे दिन बिजनिया को घर में सेंध लगाने के आरोप में कैद कर खण्डवा जेल लाया गया।

निमाड़ कोर्ट में 24 दिसम्बर 1878 की शाम को मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बिजनिया को लाया गया, जहाँ उसे टंट्या, दौलिया मिले। मजिस्ट्रेट ने प्रथम बार में ही उनको अपराधी ठहरा दिया तथा फैसला सुनाने के लिए मामला दूसरे दिन हेतु स्थगित कर दिया।

टंट्या, बिजनिया और दौलिया तीनों को सजा के तौर पर खण्डवा जेल में रखा गया। 24 दिसम्बर 1878 की रात जेल में, बिजनिया, दौलिया और टंट्या आपस में बात कर रहे थे कि, साहूकार हमें लूट रहे हैं, मालगुजार हमारा शोषण कर रहे हैं। पुलिस उनका साथ दे रही है, ये लोग बदमाश हैं। बिजनिया ने टंट्या और दौलिया को राष्ट्र-प्रेम का संचार किया, शोषण के विरुद्ध लड़ने और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने तथा राष्ट्र के लिए मर मिटने का उत्साहवर्द्धन किया। जेल की कोठरी की दीवार को दौलिया ने नाखून से कुतरकर ईंट निकाल दी, धोती बाँधी एवं जेल की पन्द्रह फुट ऊँची दीवार को फाँदकर तीनों व साथ में दस अन्य कैदी भाग (चुनौती देकर) निकले। बिजनिया, टंट्या, दौलिया जब फरार हो रहे थे। उस समय करीब रात की बारह बज रही थी। बिजनिया, सतपुड़ा जंगल का बागी बनने वाला था।

खण्डवा जेल का आपातकालीन घण्टा बहुत देर तक बजता रहा। बिजनिया, टंट्या, दौलिया व अन्य कैदी लगातार भागते हुए साहठ मील दूर सुरक्षित निकल गये थे। जंगल में उन्होंने जेल के कपड़े उतार दिए और दौलिया एक गाँव में कपड़े बेचने वाले से कपड़े व खाना लेकर आया। अब बिजनिया भी टंट्या व दौलिया के साथ एक गाँव से दूसरे गाँव घूमने लगा उनके साथियों की संख्या बीस हो गयी थी। बिजनिया अब टंट्या का दाया हाथ बन चुका था। दौलिया, टंट्या-बिजनिया को सतपुड़ा पर्वत के पास सामपुरा गाँव का नाम्या चमार ने एक चाकू, तलवार, और जूते दिए। होल्कर रियासत का सुंदरेल गाँव के पाटिल को बिजनिया-टंट्या जानते थे। जब दोनों पाटिल के पास गये, तो पाटिल ने उन्हें सोलह रुपये की सहायता दी। बाद इसके टंट्या-बिजनिया ने ग्राम केलवण के नबी बख्श मिस्तरी से उन्नीस रुपये की बंदूक खरीदी। 9 अप्रैल ग्राम सोनखेड़ा की बैलगाड़ी लूटी।

छैगाँव स्टेशन, तीन मिल के फासले पर ग्राम भुईफल का मालगुजार हिम्मत पाटिल था, वह ग्राम का प्रभावशाली जमींदार था। 25 अप्रैल 1879 को रात 9 बजे को हिम्मत के घर टंट्या-बिजनिया व उनके 15 साथी गये। उनके पास बंदूके, तीर-कमान, तलवारे, कुल्हाड़िया, लाटिका थी। हिम्मत पाटिल ने न्यायालय में टंट्या के विरुद्ध झुठी गवाही दी थी। हिम्मत ने दरवाजा खोला, टंट्या-बिजनिया को देखकर दरवाजा बंद किया एवं घर में कहीं छुपने की कोशीश करने लगा। टंट्या के साथियों ने दरवाजा तोड़ दिया एवं पाटिल के घर में घुस गये और घर के खिड़की-दरवाजे तोड़ने लगे। गाँव वाले भी डरे हुये थे, कुछ डर के मारे भाग गये। लेकिन टंटिया केवल पाटिल को सबक सिखाना चाहता था। उसका गाँव वालों को कुछ करने का इरादा नहीं था। उसने हिम्मत पाटिल के बच्चों एवं पत्नी को भी कोई नुकसान न पहुँचाने का निर्देश दे रख था। उसके निर्देश पर से पाटिल को उसके शयनकक्ष

से घसीटते हुए लाया गया। टंट्या की आँखों में पाटिल के विरुद्ध बहुत गुस्सा था। उसने बिजनिया की ओर देखा, जो अपनी बंदूक लोड कि हुए खड़ा था। टंट्या के इशारे पर बिजनिया ने हिम्मत पाटिल पर गोली दाग दी। उसके पश्चात् हिम्मत पाटिल के पूरे घर को लूटा गया। बाद लून जी पटेल के घर गये, उसे भी लूटा, आग लगा दी। उसके बाद टंट्या-बिजनिया व उसके साथी ग्राम बोरी गये, जहाँ लम्बरदार नाना पटेल उसका हितैषी था। उसके यहाँ रुके और वह दिन निकलने के पूर्व, 26 अप्रैल 1879 की सुबह चले गये। हिम्मत पाटिल, जो कि घायल था, को खण्डवा लाया गया, जहाँ अगले दिन उसकी मृत्यु हो गयी। ग्राम भुईफल की घटना के पश्चात् लगातार एक माह में वैसी अठारह घटनाएँ हुयी।

टंट्या व बिजनिया 19 दिसम्बर 1879 को फिर प्रकट हुए। ग्राम चिचखेड़ा के पटेल के घर को लूटा एवं फिरौती लेने के लिए पटेल को साथ लेते गये। ग्राम बागमार के समीप पटेल भागने में सफल रहा। टंट्या-बिजनिया 17 जनवरी 1880 को ग्राम हरासवाड़ा में फिर प्रकट हुये, जो छैगाँव पुलिस स्टेशन के पास था। गिरोह के सदस्य गहरे रंग के कोट, लाल पगड़ी में थे। इससे गाँव वालों को पुलिस दल का भ्रम हुआ, टंट्या ने पुलिस के रूप में प्रभावशाली लोगों के घरों की तलाशी ली तथा एक बनिये को लूटा। बिजनिया ने दिनांक 23, 27, 28 फरवरी 1880 को क्रमशः होशंगाबाद जिले के ग्राम कला, ग्राम पाडालिया, निमाड़ जिले के ग्राम हप्ला में डकैती डाली। अप्रैल 1880 में महदिया पकड़ लिया गया। लेकिन बिजनिया-टंट्या भागने में सफल रहे।

टंट्या और बिजनिया 23 जून 1880 को छैगाँव पुलिस स्टेशन से तीन मील फासले पर स्थित बरूर गाँव में आये। उनके आने की पुलिस को सूचना मिली, तो वह सक्रिय हुई। यह देखकर टंट्या और बिजनिया पास के जंगल में छिप गये। एक दिन उन्होंने चिचखेड़ा के मालगुजार से आटा माँगा, तो उसने नहीं दिया था। इस पर उन्होंने उसका घर लूट लिया एवं उसे रस्सी से बाँधकर जंगल में ले गये, मगर मालगुजार भाग निकला, उसने गाँव पहुँच कर पुलिस को इसकी सूचना दी। ग्राम हंसबरा, छैगाँव पुलिस स्टेशन से एक मील दूर स्थित था। टंट्या-बिजनिया, उनके साथियों ने पुलिस वर्दी में वहाँ आकर पाटिल को धमकी दी और कहा कि यहाँ का बनिया गरीबों को लूटता है। उसके बाद बनिये का घर टंट्या-बिजनिया के गिरोह ने लूट लिया। हंसबरा के लोग जब छैगाँव थाने पहुँचे, तब मालूम हुआ कि वह पुलिस वर्दी में डाकू टंट्या-बिजनिया थे। टंट्या-बिजनिया ने साहूकारों, मालगुजार को लूटा और फिर बरूर गाँव आ गये। फिर उन्होंने ग्राम बरूर के मालगुजार के घर के लोगों को निकालकर, घर को जला दिया। टंट्या-बिजनिया के डर की वजह से मालगुजार ने इस मामले की जानकारी खंडवा जिला पुलिस प्रमुख को नहीं दी, जो मामले की जाँच में आए थे। मालगुजार ने कहा कि, घर की दिबरी से घर जल गया।

टंट्या-बिजनिया, ग्राम बरूर में आग लगाने के पश्चात् होल्कर रियासत के खरगोन की ओर चले गये थे। इब्राहिम बेग ने होल्कर सीमा पर पुलिस का पहरा लगा दिया। सूचना मिली कि 'ग्राम शिवना में टंट्या आता जाता है, वहाँ के पाटिल से उसकी मित्रता है।' बिजनिया का गाँव खजूरी, शिवना के समीप स्थित था, वहाँ भी पुलिस तैनात रहती थी। टंट्या-बिजनिया को होल्कर राज्य के बाहर ग्राम कुंदवाड़ा के मालगुजार पर शक था कि, वह विश्वासपात्र नहीं हैं। उन्होंने 23 जुलाई 1880 को दस सशस्त्र जवानों सहित मालगुजार के घर हमला कर नौ सौ रुपये लूट लिये।

टंट्या-बिजनिया ने 30, 31 जुलाई 1880 को क्रमशः शालिपुरा,

सेगवल में डाका डाला। अब जिला पुलिस अधीक्षक ने टंट्या के खिलाफ अभियान की कमान स्वयं संभाली। निमाड़ पुलिस बल में पचास जवानों को बढ़ाया एवं होल्कर दरबार से सहायता करने को कहा गया। कुछ दिनों की शांति के पश्चात् 27, 28 अगस्त 1880 को क्रमशः पारेठा, रायपुरा में डकैतियाँ पड़ीं। ये दोनों जगह तासी बेसिन में सतपुड़ा पहाड़ियों में पड़ते थे। अब इंस्पेक्टर बेग के स्थान पर इंस्पेक्टर शेर अली पदभार ग्रहण कर चुके थे, जो दूसरे दिन घटना स्थल पर पहुँचे तथा गिरोह की तपतीश शुरू की। उन्होंने गिरोह के एक सदस्य को पकड़ने, लूटे हुए कुछ माल को बरामद करने में सफलता हासिल की, गिरोह के शेष लोग जंगल में भागने में कामयाब रहे।

वर्ष 1880 के लगभग सूखा पड़ा, खंडवा क्षेत्र के भीलों, माल-मवेशी पर आपदा आ गई। साहूकार अधिक मूल्य पर अनाज बेच रहे थे और होल्कर राज्य निमाड़ के लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में टंट्या-बिजनिया ने अनाजों को लूटा व गरीबों की सहायता की। खंडवा के साहूकार की अनाज से भरी गाड़ी लूटा एवं गाँव वालों को अनाज बाँट दिया। यही उदारता, निमाड़ के लोगों के बीच टंट्या को टंट्या मामा के रूप में स्थापित कर चुकी थी।

ग्राम संगवारा की संगवारा नदी के किनारे, करौंदों के झुरमुट में टंट्या के दो सरदारों को बातचीत करते हुए मुखबीर द्वारा देख लिए गये थे। ग्राम संगवारा छैगाँव थाने के अन्तर्गत आता था, मुखबीर ने 13 सितम्बर 1880 को पुलिस को सूचना दी। तुरंत मुखबीर की सूचना पर शेर अली, हथियारों से लैस सेना लेकर ग्राम संगवारा के लिए निकले, उन्होंने कॉन्स्टेबल उमेद अली, सिहोरी, इमाम खान, बट्टी खान व राम दयाल के साथ बिजनिया व मेदिया को घेर लिया। उन्होंने पुलिस को गुस्से देखा और झुरमुट से बाहर आए। दोनों ने अपनी तलवार से शेर अली की सेना से घमासान युद्ध किया, एक-दो सिपाहियों को घायल कर दिया, लेकिन पुलिस बल के सामने वह टिक नहीं पाएँ। शेर अली ने उनकी वीरता देखकर अचंभित रह गया। मेदिया घायल हो गया, पकड़ लिया गया। बिजनिया लगातार पूरी ताकत के साथ दो घण्टे तक लड़ता रहा। तभी अमीर, हेड कॉन्स्टेबल सूरज प्रसाद, कॉन्स्टेबल बसंतसिंह व जग्गर ने उस पर हमला कर दिया तथा बिजनिया को कैद कर लिया गया। बिजनिया के पास से एक तलवार, एक बंदूक जब्त की गयी। बिजनिया-मेदिया को लोहे की सॉकल से हाथ-पैर बाँधकर गाड़ी में डालकर खंडवा लाया गया, खण्डवा लाकर उनका नाम पूछा। बिजनिया ने कहा मैं टंट्या हूँ क्या इतनी जल्दी पहचान भूल गए? पुलिस को खुशी हुई, असली टंट्या को हाल में किसी ने देखा नहीं था। टंट्या के पकड़े जाने की खबर दूर तक फैली कि, टंट्या गिरफ्तार कर लिया गया है।

टंट्या को देखने के लिए रेलवे स्टेशन पर चारों ओर से भील जमा हो गये थे। शेर अली को भी बहुत सारी मुबारकबाद मिलने लगी, लेकिन प्रातः काल में लोगों ने बताया कि, 'यह टंट्या नहीं है।' उन्होंने कहा कि, यह बिजनिया है। पुलिस थोड़ी निराश हुई। टंट्या नहीं मिला था, लेकिन उसका भरोसेमंद साथी, उसका दाहिना हाथ माना जाने वाला गिरफ्त में आ गया था। ब्रिटिश सरकार ने भुईफल के मालगुजार सहित तीन गाँवों के मालगुजारों को एवं उनमें से दो गाँवों के लोगों को पाँच सौ रुपये का इनाम दिया, जिन्होंने बिजनिया के बारे में मुखबीर की थी। तीनों मालगुजारों को मालखाने से एक-एक बंदूक व तलवार, जीवनभर लाइसेंस सहित दी गई। अमीर वल्द चीफ कॉन्स्टेबल मुहम्मद हुसैन, कॉन्स्टेबल बसंतसिंह व जग्गर को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया गया। कॉन्स्टेबल इमाम खान, बट्टी खान, सिहोरी, राम दयाल और उमेद अली को दो महीने का वेतन दिया गया, जिन्होंने

तत्काल बिजनिया को ढुंढ लिया।

बिजनिया-मेदिया पर खण्डवा न्यायालय में प्रकरण चलाया गया। मेदिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी, लेकिन हिम्मत पाटिल की हत्या के मामले में बिजनिया को फाँसी की सजा सुनाई गयी। बिजनिया ने टंट्या के साथ, ग्राम भुईफल में पाटिल को मारा था और डाका डाला था, इसलिए उसे वहीं फाँसी देने का निर्णय लिया गया। बिजनिया को कैद करने के पश्चात् ही 28 सितम्बर 1880 को सचिव, चीफ कमिश्नर सेंट्रल प्रॉविंस को मि. ए. हावेल, कमिश्नर नर्मदा डिवीजन ने लिखा था कि, टंट्या के बारे में मुखबीरी करने वालों को कम से कम एक हजार पाँच सौ रुपये का इनाम घोषित कर देना चाहिए।

28 फरवरी 1881 के दिन फाँसी दी जाने वाली थी। 28 फरवरी को सुबह हुई, चारों तरफ से भील ग्राम भुईफल की ओर आने लगे, गाँव के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। अपने बहादुर सरदार को आखिरी बार देखने के लिए लोग आ रहे थे। बंदोबस्त के लिए ज्यादा पुलिस-सिपाही तैनात किए गये, माहौल नाजुक था। पुलिस अधिकारी माहौल पर नजर रखे हुए थे। गाँव के द्वार के निकट एक पेड़ की मजबूत डाल से फाँसी की रस्सी बाँधी गई थी। पुलिस बिजनिया को वहाँ ले आई, भील बिजनिया जय-जयकार करने लगे। बिजनिया ने अपनी मूँछों पर ताव दिया और ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते हुए राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। जिस प्रकार मंगल पाण्डे को खुले में आमजन के समक्ष फाँसी दी गई थी। ठीक उसी प्रकार बिजनिया के गले में फाँसी का फंदा डाला गया, उसे खुले आम फाँसी दे दी गई। जैसे मंगल पाण्डे की फाँसी देने के बाद का जो मंजर था। वैसे ही बिजनिया की फाँसी के पश्चात् भीड़ के लोग बैठे, खड़े थे, बिजनिया के संदेश व भावनात्मक लगाव से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी, माहौल गरमाने लगा, पुलिस ने उन्हें धमकाया और बंदूक का डर दिखाया, भील डर से भागने लगे। बाद में बिजनिया का शव, दो दिन तक पेड़ पर लटका रहा। पुलिस ने शव दहशत फैलाने के लिए वैसा ही लटकाए रखा था, किसी को कब्जे में नहीं दिया था। बिजनिया की फाँसी से कुछ दिनों तक टंट्या दुःख से जैसे पागल हो गया था। टंट्या के कुछ मुख्य साथियों को दण्ड देने में सरकार सफल रही, किन्तु वह टंट्या तक नहीं पहुँचने में असमर्थ रही थी। ब्रिटिश सरकार विवश होकर होल्कर महाराज से टंट्या को कैद करने के लिए सहायता करने को कहा।

ज्यूडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन (क्रिमिनल), सेंट्रल प्रॉविंस की 1880 की रिपोर्ट में कहा गया था कि, टंट्या-बिजनिया ने निमाड़ सीमा से बाहर, राजपूताना सीमा तक उपद्रव मचा रखा था। वर्ष 1880 में 37 डकैतियाँ पड़ीं जिनमें से निमाड़ जिले में 21 डकैतियाँ बिजनिया-टंट्या के नेतृत्व में डाली गई थी। होल्कर राज के इंस्पेक्टर शेर अली ने बिजनिया को फाँसी के फंदे तक पहुँचाया था। फिर टंट्या ने ग्राम संगवारा के मुखबीर को खोजने संगवारा गया, गाँव का पाटिल टंट्या के सामने गिड़गिड़ाते लगा। टंट्या बोला, मैंने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी थी, तुम्हारे आदमी ने मेरे शेर जैसे बिजनिया को पकड़वा दिया। उसने लोगों को घरों से बाहर निकाला और घरों में आग लगा दी, संगवारा का एक-एक घर जलने लगा।

उसके बाद टंट्या शेर अली के पास चाचा के वेश में गया और टंट्या को पकड़वाने की बात की और शेर अली व सिपाहियों को जंगल में लेकर आए। टंट्या, अकेले शेर अली जंगल के चट्टान पर ले गया व उसकी पिस्टौल छिन ली और हाथ ऊपर कर, कपड़े उतरवाएँ व भाग जाने के लिए कहा। भागते-भागते शेर अली पंथाना पहुँचे। वे खुद यकिन नहीं कर पा रहे थे कि, टंट्या उन्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया ? किसी को भी इस सवाल का जवाब

मालूम नहीं था।

टंट्या को अब बिजनिया की बातें याद आने लगी, उसे वह राष्ट्रप्रेम, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना और शोषितों की रक्षा करना। वह बिजनिया की यादों से प्रेरणा लेने लगा था और फिर उसने अपने संघर्ष को मरते दम तक जारी रखा।

महान क्रांतिकारी मंगल पाण्डे की तरह बिजनिया भी शहीद हो गये और राष्ट्रवाद की चिंगारी प्रज्वलित कर गए। अंततः ऐसे ही महान शहीदों की वजह से भारत 1947 ई. को आजादी मिली। ऐसे कहीं शहीद गुमनामी में दफन हो गये हमें आवश्यकता है कि, उन्हें हम इतिहास के पन्नों में उकेरे और जिस प्रकार हम शहीद खुदीराम, भगतसिंह, चन्द्रशेखर आज़द, सुभाषचन्द्र बोस इत्यादि से प्रेरणा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हम इन गुमनाम शहीदों से भी प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जननायक तंट्या भील, बाबा भांड, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014
2. Charu Chandra Mukherjee, B.H.Dutt. The Life Of Tantiya Bhil, Calcutta, 1890, ; बाबा भांड, जननायक तंट्या भील, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014, पृष्ठ 25, 136, चाँद का फाँसी अंक, पृष्ठ
3. जननायक टंट्या मामा लेखक-जगदीश जोशीला, प्रकाशन-स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वितीय संस्करण 2008
4. Charu Chandra Mukherjee, B.H.Dutt. The Life Of Tantiya Bhil, Calcutta, 1890 ; बाबा भांड, जननायक तंट्या भील, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014.
5. Charu Chandra Mukherjee, B.H.Dutt. The Life Of Tantiya Bhil, Calcutta, 1890
6. जननायक तंट्या भील, बाबा भांड, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014
7. M.P.State Srchive and Museum, Bhopal/Civil Secretariate/1886/Police Dept./Compilation/file 160 Part I to IV / Sub-Tuggee and Dacoity (Narrative of the career of the Tantiya Bhil. Compiled from the records by records by H.P.K. Skipton, Assistant District Superintendent of Police); चाँद का फाँसी
8. Charu Chandra Mukherjee, B.H.Dutt. The Life Of Tantiya Bhil, Calcutta, 1890. बाबा भांड, जननायक तंट्या भील, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014
9. Jannayal Tantiya Bhil and the Peasant and Tribal Movement: Source Material, Baba Bhand, Swaraj Sansthan Directorate, Bhopal, 2001.
10. Charu Chandra Mukherjee, B.H.Dutt. The Life Of Tantiya Bhil, Calcutta, 1890; Jannayal Tantiya Bhil and the Peasant and Tribal Movement: Source Material, Baba Bhand, Swaraj Sansthan Directorate, Bhopal, 2001.

11. बाबा भांड, जननायक तंट्या भील, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014
12. बाबा भांड, जननायक तंट्या भील, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014 Jannayal Tantya Bhil and the Peasant and Tribal Movement: Source Material, Baba Bhand, Swaraj Sansthan Directorate, Bhopal, 2001.
13. Jannayal Tantya Bhil and the Peasant and Tribal Movement: Source Material, Baba Bhand, Swaraj Sansthan Directorate, Bhopal, 2001.
14. मध्यप्रदेश जिला गजेटियर पूर्वी निमाड़, जिला गजेटियर विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल, प्रथम संस्करण 1971.
15. Maharashtra State Gazetteers, Jalgaon District (Revised Edition), Second Edition, 1962, Major A.K.Prasad, The Bhils Of Khandesh under The British East India Company, Thesis, University of Poona, 1986.
16. Major A.K.Prasad, The Bhils Of Khandesh under The British East India Company, Thesis, University of Poona, 1986.
17. Bombay Gazette, 9 March 1853.
18. जननायक टंट्या मामा लेखक-जगदीश जोशीला, प्रकाशन-स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वितीय संस्करण 2008.
19. Maharashtra State Gazetteers, Jalgaon District (Revised Edition), Second Edition, 1962.
20. जननायक तंट्या भील, बाबा भांड, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2014.

राजा परीक्षित का 1842 के बुंदेला विद्रोह में योगदान

विमल चौधरी *

* शोधार्थी (इतिहास) सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय, रायसेन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – राजा परीक्षित का जन्म 1808 में हुआ था 1813 में राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद 5 साल के उम्र में 1813 में परीक्षित जैतपुर की गद्दी पर बैठे जैतपुर वर्तमान समय में उत्तरप्रदेश के हमीरपुर जिले के दक्षिण भाग में एक छोटा सा कस्बा है। राजा परीक्षित बचपन से ही अंग्रेजों से व अंग्रेजों की नीतियों के घोर विरोधी थे। राजा परीक्षित बचपन से ही एक योग्य व साहसी व्यक्ति थे। राजा परीक्षित ने 1842 के बुंदेला विद्रोह को संगठित करने में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1842 का बुंदेला विद्रोह की रूपरेखा व जन्मदाता राजा परीक्षित ही थे। इस विद्रोह की भावना उनके मन में 1836 बुढ़वा मंगल मेले में सम्मिलित होने के बाद 1842 के बुंदेला विद्रोह की रूपरेखा बनाई गई इस मेले में बुंदेलखण्ड की लगभग 42 छोटी बड़ी रियासतों के शासक जागीरदार और उच्चाधिकारी सम्मिलित हुए और इस आयोजन में गुप्त रूप से इस बात पर निश्चय किया गया कि सभी रियासतों के राजा व सरदार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता राजा परीक्षित को बनाया गया व उनके नेतृत्व में विद्रोह की योजना बनायी गयी।

विद्रोह का प्रचार-प्रसार– राजा परीक्षित के नेतृत्वकर्ता घोषित होने के बाद राजा परीक्षित ने बुंदेलखण्ड के प्रमुख रियासतों को भी इस योजना से अवगत करने हेतु और विद्रोह को सफल बनाने हेतु इसका संदेश सावधानी पूर्वक सभी जगह पहुंचाया गया। जिसमें प्रमुख रूप से सागर (नारहट) के राजा मधुकरशाह हीरापुर के राजा हिरदेशाह को भी विद्रोह के बारे में अवगत कराया गया।

विद्रोह की शुरुआत – बुंदेला विद्रोह की शुरुआत 8 अप्रैल 1842 को नरहट के राजा मधुकरशाह द्वारा किया गया राजा मधुकरशाह व हिरेशाह बुढ़वा मंगल मेले में सम्मिलित नहीं हो पाए थे इस योजना की जानकारी राजा परीक्षित ने ही सीधे तौर पर पहुंचाई थी।

प्रमुख विद्रोह के क्षेत्र व इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता– 1842 में हुए बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व सागर क्षेत्र से नरहट के राजा मधुकरशाह जैतपुर के राजा परीक्षित और सागर के दक्षिण क्षेत्र नरसिंह पुर (हीरापुर) रियासत के राजा हिरदेशाह प्रमुख रूप से विद्रोह का नेतृत्व किया।

राजा परीक्षित व अंग्रेजों के बीच युद्ध– मेजर सलीमैन ने राजा परीक्षित के सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा जिसे राजा परीक्षित ने ठुकरा दिया जिससे अंग्रेजों व राजा परीक्षित के मध्य 1841 में विलगंवा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजा परीक्षित ने अंग्रेजों को पीछे हटने पर विवश कर दिया व अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। आगे 1842 में अंग्रेजों व राजा परीक्षित के

बीच पनवाड़ी के युद्ध में राजा परीक्षित की बहादुरी से युद्ध किया और अंग्रेजों को फिर से परास्त होना पड़ा।

जब जब अंग्रेज युद्ध में राजा परीक्षित को इस युद्ध में हरा नहीं पाए तो उन्होंने फूट डालो की नीति अपनाई और नीति के तहत जैतपुर के दीवान और गोलंदाज को अपने वश में कर लिया और चरखारी रियासत के राजा पर भी दबाव बनाकर व लालच देकर अपने साथ मिला लिया और राजा परीक्षित पर हमला कर दिया राजा परीक्षित ने अकेले ही अंग्रेजों का सामना किया क्योंकि किसी ने राजा परीक्षित का साथ नहीं दिया जिससे राजा परीक्षित को हार का सामना करना पड़ा व 27 नवम्बर 1842 को राजा परीक्षित को जैतपुर से पीछे हटना पड़ा पीछे हटने के बाद भी राजा परीक्षित ने हार नहीं मानी और गोरिल्ला प्रणाली से अंग्रेजों से युद्ध करते रहे।

1842 में राजा परीक्षित ने विद्रोह किया था जिसके चलते 1843 में राजा परीक्षित को राजा के पद से हटा दिया गया और चरखारी के राजा रतनसिंह ने अनुशंसा पर खेतसिंह को राजा बना दिया गया आगे चलकर 1849 में खेतसिंह की मृत्यु हो गई व क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी इसलिए जैतपुर को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया।

1842 के विद्रोह में राजा परीक्षित का योगदान– राजा परीक्षित ही 1842 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे व राजा परीक्षित के नेतृत्व में इस विद्रोह की रूपरेखा बनाई गयी व उनके साहस के कारण उन्हें विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बनाया गया राजा परीक्षित का ही प्रयास था कि विद्रोह की जानकारी का प्रमुख रियासतों प्रचार-प्रसार किया गया व उन्हें विद्रोह करने हेतु सुसंगठित किया गया जिसका ही परिणाम था की 1842 में बुंदेलों ने अंग्रेजों को बुंदेलखण्ड व भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया।

राष्ट्रीय भावना जगाने में राजा परीक्षित का प्रयास– राजा परीक्षित ने ही बुंदेलखण्ड में इस विद्रोह की योजना का प्रसार-प्रसार किया व सभी रियासतों को एकत्र करने का प्रयास किया व जनता को भी अंग्रेजों की नीतियों से अवगत कराकर अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकत्रित किया व लोगों में राष्ट्र की आजादी हेतु लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया।

वर्तमान समय में इस वीर योद्धा व स्वतंत्रता सेनानी को लोगों द्वारा भुला दिया गया व उनके योगदान को भुला दिया गया जिन्होंने उस समय में अंग्रेजों से बगावत कि व राष्ट्रीय भावना का विकास किया जब सारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के कब्जे में था व बहुत से राजाओं ने अंग्रेजों से संधि कर ली व उनके मित्र बन गये लेकिन एक छोटी सी रियासत के राजा होते हुए भी

राजा परीक्षित ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हेतु लोगों को जाग्रत किया व राष्ट्रीय भावना का प्रचार-प्रसार किया। आज हमें राजा परीक्षित के इस बलिदान को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश को आजाद करने हेतु अपना प्रयास किया व अपना सब कुछ त्याग किया।

बुढ़वा मंगल आयोजन व राजा परीक्षित – बुढ़वा मंगल एक सांस्कृतिक आयोजन था जो काशी में गंगा नदी में नवों को आपस में बांधकर एक मंच बनाकर मनाया जाता था। जिसमें विभिन्न राजा, महाराजा, संगितज्ञ एवं नृत्यगताएं, प्रमुख सरदार शामिल होते थे काशी नरेश ईश्वरीनाराण सिंह ने 1835 ई. में बुढ़वा मंगल का आयोजन किया व इसमें बुंदेलखण्ड के राजाओं को आमंत्रित किया इसमें मुख्य रूप से जैतपुर के राजा परीक्षित व चरखारी के राजा रतनसिंह शामिल हुए।

इस कड़ी में 1836 में ये चरखारी राजा रतनसिंह के संरक्षण में सूपा में बुढ़वा मंगल का आयोजन किया गया क्योंकि बुंदेलखण्ड के शासक अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट थे इसलिए राजा परीक्षित ने बुढ़वा मंगल हेतु बुंदेलखण्ड में आयोजन हेतु विचार किया व प्रस्ताव रखा जिससे अंग्रेजों की नीतियों के व अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु योजना बनाई गयी और अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता हेतु योजना का निर्माण किया गया व राजा परीक्षित को इस आंदोलन हेतु विरोधी मोर्चे का नेतृत्वकर्ता बनाया गया।

राजा परीक्षित विद्रोह के सूत्रधार– 1842 ई. में बुंदेलखण्ड की रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया जिसमें राजा परीक्षित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सर्वप्रथम राजा परीक्षित ने नाराहट के जागीरदार मधुकरशाह व नरसिंहपुर के हीरापुर रियासत के हिरदेशाह को संदेश भिजवाकर विद्रोह का प्रारंभ किया साथ ही जबलपुर क्षेत्र में भी पहलवान सिंह के द्वारा संदेश भिजवाकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु प्रेरित किया धीरे-धीरे विद्रोह की आग सम्पूर्ण बुंदेलखण्ड में फैल गई व विभिन्न राजाओं व सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा सुरेश – 1842 के विद्रोही 'हीरापुर के हिरदेशाह'
2. मिश्रा प्रयप्रकाश – बुंदेला विद्रोह
3. होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर व जिला गजेटियर
4. द्वारका प्रसाद मिश्र – हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेन्ट इन मध्यप्रदेश 1956
5. जिला रिकार्ड्स होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर
6. म.प्र. गजेटियर्स – डॉ. हीरा लाल
7. रामसेवक रिछारिया, जैतपुर नरेश परीक्षित
8. दी रिवाल्ट इन सेंट्रल इंडिया 1857-59

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन

सीमा सिन्हा *

*शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

शोध सारांश - प्रस्तुत अध्ययन में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में राँची जिला के माध्यमिक विद्यालयों के 300 (150 छात्र एवं 150 छात्राएँ) विद्यार्थियों का चयन उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि द्वारा किया गया है। इस अध्ययन हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित पारिवारिक वातावरण मापनी का उपयोग किया है। अध्ययन का परिणाम यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
शब्द कुंजी - माध्यमिक शिक्षा, अनुसूचित जनजाति, शैक्षिक उपलब्धि, पारिवारिक वातावरण।

प्रस्तावना - शिक्षा तथा मानवजाति का जन्म-जन्मांतर का संबंध है। शिक्षा आंतरिक वृद्धि तथा विकास की न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और इसकी अवधि जन्म से मृत्यु तक फैली हुई है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ मनुष्य को मानव बनाना तथा जीवन की प्रगतिशील, सांस्कृतिक एवं सभ्य बनाना है यह व्यक्ति तथा समाज की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा द्वारा ही मनुष्य अपनी विचार शक्ति तथा तर्क शक्ति, समस्या समाधान तथा बौद्धिकता, प्रतिभा तथा रुझान, धनात्मक भावुकता तथा कुशलता और अच्छे मूल्यों तथा रुचियों को विकसित करता है। इसी के द्वारा ही वह मानवीय, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य प्रतिदिन तथा हर क्षण कुछ न कुछ सीखता है। इसकी समस्त जीवन ही शिक्षा है। अतः शिक्षा एक निरंतर तथा गतिशील प्रक्रिया है। इसका संबंध सदा विकसित होने वाले मानव तथा समाज के साथ है। इसीलिए यह अभी विकास करने वाली प्रक्रिया है।

भारतीय पृष्ठभूमि में माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की भूमिका का निर्वाह करती है, जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी मनुष्य के सम्पूर्ण शरीर को आधार प्रदान करती है, ठीक उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा, बालक की सम्पूर्ण शिक्षा का आधार बनती है। डॉ० आत्मानन्द मिश्र ने कहा है कि 'देश के भावी कर्णधार माध्यमिक शिक्षा के ढाँचे में बनते हैं और बिगड़ते हैं। उनमें नेतृत्व करने की क्षमता इसी स्तर पर उत्पन्न की जाती है, दुर्भाग्यवश शिक्षा की यह कड़ी जितनी महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, उतनी ही निर्बल और उपेक्षित भी।' अतः माध्यमिक आयोग ने इस कमी को पूरा करने के लिए व्यावसायिक स्कूली आयोग ने इस कमी को पूरा करने के लिए व्यावसायिक स्कूली की स्थापना, परीक्षा प्रणाली, अध्यापक प्रशिक्षण एवं शिक्षकों की स्थिति में सुधार आदि पर बल दिये जाने का सुझाव दिया है।

हमारे देश की जनसंख्या के 20 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजातियों के हैं। अनुसूचित जनजातियाँ देश के दूर वनाच्छादित पठारों, पहाड़ियों, बीहड़, अगम्य अंचलों में निवास करती हैं। इन्हें वन्यजाति, आदिवासी, वनवासी, जनजाति और गिरिजन आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है।

उनमें से अधिकांश लोग गरीब एवं पिछड़े हुए हैं। वे शिक्षित नहीं हैं तथा कई सामाजिक बुराईयों के शिकार हैं वे पिछड़ेपन, कुण्ठाओं, उग्रता, अलगाव एवं अपराधों से ग्रस्त हैं। उनके उत्थान के लिए बिना देश विकास की दशा में आगे नहीं बढ़ सकती। अतः सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर इनके शैक्षिक विकास के लिए अनेकानेक प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु अनुसूचित समाज अपनी रूढ़िवादी विचारधारा के कारण अपने बच्चों के शैक्षिक विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देता है।

अनुसूचित जनजातीय लोग किसी तरह मेहनत-मजदूरी करके अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं, परन्तु प्राथमिक शिक्षा के उपरांत अपने बच्चों से या तो घर का काम लेते हैं या उनको किसी काम पर लगा देते हैं। इसलिए वे अपने बच्चों को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने में अभिरुचि नहीं रखते हैं। इसके दो प्रमुख कारण होते हैं, एक तो बच्चों की कॉपी, किताब, यूनिफार्म, रिक्शा भाड़ा आदि के लिए पैसे नहीं होते। दूसरे कहीं काम करने से बच्चे को जो पैसे मिलते हैं, जिनसे उनका परिवार चलता है वह बंद हो जाता है। ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। जिनको दोनों वक्त भोजन भी मिलना नसीब नहीं होता, ऐसे लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकेंगे। इसकी कल्पना करना भी उचित नहीं है। अतः निरक्षर जनजातियों ने अभी तक अपने बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व को नहीं समझा है या वे अपने बच्चों की शिक्षा पर धनराशि व्यय करने में अक्षम है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शिक्षा पर उनके पारिवारिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है।

संबंधित साहित्य की समीक्षा :

पाण्डा (1982) ने अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मुख्य प्रभाव अभिभावकों की अशिक्षा और परिवार की स्थिति को माना है।

सिमिलरी देवी (1985) के शोध के अनुसार भी घर का वातावरण अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में बाधा डालता है।

चिन्नापन (1978 : 29) के शोध अध्ययन के अनुसार माता-पिता के व्यवसायिक स्तर और बच्चों के शैक्षिक विकास का आपस में निकट का सम्बन्ध है।

अहुवालिया (1985) ने शोध अध्ययन के आधार पर यह पाया कि विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि पर अभिभावकों की शिक्षा, परिवार के आकार एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है।

उद्देश्य :

1. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके अभिभावकों के शैक्षिक स्तर के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके अभिभावकों के व्यवसाय के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

1. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ेगा।
2. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर उनके अभिभावकों के शैक्षणिक स्तर का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।
3. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर उनके अभिभावकों के व्यवसाय का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

शोध विधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में राँची जिला के 10 माध्यमिक विद्यालयों में से कुल 300 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों (150 छात्रों एवं 150 छात्राओं) का चयन उद्देश्यपूर्ण - न्यादर्श विधि से किया गया है। शोध अध्ययन में आंकड़ों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित पारिवारिक वातावरण अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

व्याख्या एवं विश्लेषण : शोध अध्ययन से सम्बन्धित न्यादर्श पर विभिन्न उपकरणों के उपयोग से संग्रहित अव्यवस्थित तथ्यों एवं प्रदत्तों से निष्कर्षों का निर्माण करने तथा निष्कर्षों का सामान्यीकरण करने के लिए प्रदत्तों की व्यवस्थापन, वर्गीकरण, सारणीयन विश्लेषण एवं निर्वचन करना होता है। इसके बिना शोधार्थी अपने उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकती। इसलिए तथ्यों एवं आंकड़ों का वर्गीकरण, विश्लेषण व निर्वचन करना शोध की अनिवार्यता है। प्रस्तुत अध्ययन में 300 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण के प्रभाव की ज्ञात करने के लिए किया गया। इसमें विद्यार्थियों के द्वारा अनुसूची की भरवाया गया। जिसको निम्न तालिका के द्वारा दर्शाया जा रहा है।

तालिका संख्या-1 : विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण से संबंधी जानकारी

पारिवारिक वातावरण	छात्र		छात्राएँ		कुल योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सुखद एवं सौहार्द्रपूर्ण	32	16	40	20	72	36
अशांत	52	26	50	25	102	51
सामान्य	66	33	60	30	126	63
योग	150	75	150	75	300	150

उपरोक्त तालिका संख्या-1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनजाति

बच्चों में से 36 प्रतिशत सुखद एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण से विद्यालय आते हैं जबकि 51 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ अशांत वातावरण से विद्यालय आते हैं तथा 63 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के परिवार में पारिवारिक वातावरण सुखद एवं सौहार्द्रपूर्ण या सामान्य होता है। वहाँ के बच्चे रुचि के साथ विद्यालय के सभी क्रियाकलाप में भाग लेते हैं तथा उनका शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास की दर अशांत वातावरण से विद्यालय आने वाले छात्र-छात्राओं से अधिक है। अशांत वातावरण से आने वाले छात्र तथा छात्राएँ झगड़ालू या अकर्मण्यता दर्शाते हैं। अतः पारिवारिक वातावरण का प्रभाव अनुसूचित छात्र-छात्राओं के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

तालिका संख्या-2 - विद्यार्थियों के अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक स्तर	छात्र		छात्राएँ		कुल योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	10	05	32	16	42	21
प्राथमिक	30	15	28	14	58	29
माध्यमिक	50	25	24	12	74	37
हाई स्कूल	44	22	50	25	94	47
स्नातक	16	08	16	08	32	16
योग	150	75	150	75	300	150

उपरोक्त तालिका संख्या-2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनजातीय विद्यार्थियों के अभिभावकों में 21 प्रतिशत अशिक्षित हैं। 29 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के अभिभावक प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं। 37 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के अभिभावक माध्यमिक स्तर तक पढ़े हुए हैं। जबकि 47 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के अभिभावक हाई-स्कूल तक पढ़े हुए हैं। 16 प्रतिशत अभिभावक ही स्नातक हैं। अतः स्पष्ट है कि जिन विद्यार्थियों के अभिभावक पढ़े-लिखे हैं। वे अपने बच्चों की उच्च शिक्षा दिलाने के पक्ष में हैं।

जनजाति परिवार की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। अतः अभिभावक के व्यवसाय का लगाना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति अपना जीवन-निर्वाह परिवार के एक सदस्य की आय पर करता है। अधिकतर परिवारों में माता-पिता, परिवार के अन्य सदस्य मिल-जुल कर कार्य करते हैं, जिनसे उनकी रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। उनके लिए बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने लायक आमदनी नहीं होती है। जिसके कारण भी अभिभावक अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक पढ़ाने में मजबूर होते हैं। इस प्रकार अभिभावकों के व्यवसाय का पता निम्न तालिका से चलता है।

तालिका संख्या-3 : विद्यार्थियों के अभिभावकों के व्यवसाय से संबंधी जानकारी

व्यवसाय	छात्र		छात्राएँ		कुल योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सरकारी नौकरी	10	05	12	06	22	11
निजी व्यवसाय	20	10	30	15	50	25
दैनिक मजदूरी	60	30	42	21	102	51
कृषि	26	13	32	16	58	29
गृह उद्योग	22	11	20	10	42	21
बेरोजगार	12	06	14	07	26	13
योग	150	75	150	75	300	150

उपरोक्त तालिका संख्या-3 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है 11 प्रतिशत विद्यार्थियों के अभिभावकों का व्यवसाय सरकारी नौकरी है। 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के अभिभावकों का निजी व्यवसाय है। 51 प्रतिशत छात्रों के अभिभावक दैनिक मजदूरी करते हैं। और 29 प्रतिशत अभिभावक कृषि कार्य करते हैं। 13 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि उनके अभिभावक बेरोजगार हैं।

अतः स्पष्ट है कि अभिभावक के व्यवसाय का प्रभाव भी बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावक सरकारी या निजी व्यवसाय करते हैं, वे अपने बच्चों की अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए सभी सुविधाएँ देते हैं।

परिवार में माता-पिता के अतिरिक्त अन्य सदस्य भी होते हैं। जिसमें भाई-बहन भी आते हैं। संयुक्त परिवार में तो इसके अलावा चाचा-चाची, दादा-दादी आदि भी सदस्य होते हैं। इन सदस्यों द्वारा बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वे बच्चे की शिक्षा का महत्व देते हैं या नहीं। इसको जानने का प्रयास किया गया है। परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बच्चे को शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे वे शिक्षा प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। फलतः बच्चे के शिक्षा पर परिवार के उन्हीं सदस्यों का प्रभाव ज्यादा होता है जो बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। अतः हमने यह जानने का प्रयत्न करना है कि परिवार के कौन सदस्य बच्चे की शिक्षा को महत्व देते हैं। इस तथ्य को निम्न तालिका संख्या-4 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-4 : परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षा के महत्व देने संबंधी जानकारी

व्यवसाय	छात्र		छात्राएँ		कुल योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
माता	34	27	50	25	84	46
पिता	52	26	50	25	102	51
भाई	18	09	14	07	32	16
बहन	12	06	16	08	20	14
चाचा-चाची	18	09	10	05	28	14
दादा-दादी	16	08	10	05	26	13
योग	150	75	150	75	300	150

उपरोक्त तालिका संख्या-4 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 300 विद्यार्थियों में से 42 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की माता उनकी शिक्षा को महत्व देती है। जबकि 51 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के पिता उनकी शिक्षा को महत्व देते हैं। 16 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के भाई और 14 प्रतिशत छात्र-छात्राओं की बहन उनकी शिक्षा को महत्व देते हैं। 14 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ के चाची-चाची उनकी शिक्षा को महत्व देते हैं। 13 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के दादा-दादी उनके शिक्षा को महत्व देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में परिवार के सभी सदस्य बच्चों की शिक्षा को महत्व देते हैं, जिस कारण बच्चा

आगे पढ़ने के लिए उत्सुक होता है। जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ता है। छात्राओं को परिवार द्वारा उनके शिक्षा महत्व दिए जाने के कारण वे अब पढ़ने में रुचि ले रही है। जिस कारण छात्राएँ, छात्रों से पढ़ाई में आगे बढ़ती दिख रही है।

निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर उनके पारिवारिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिन विद्यार्थियों के परिवार का वातावरण मधुर, शांत एवं सौहार्दपूर्ण होता है, उनका शैक्षिक विकास अधिक होता है और जिन परिवार में हमेशा अशांति का वातावरण होता है। माता-पिता में हमेशा मानसिक तनाव एवं लड़ाई-झगड़े होते हैं। अतः स्वाभाविक है कि ऐसे वातावरण में बच्चों का शैक्षिक विकास नहीं होगा। उनमें कुण्ठा निराशा, मय और अकर्मण्यता आदि के गुण विकसित हो जाते हैं। साथ ही जिन विद्यार्थियों के माता-पिता अथवा अभिभावक पढ़े-लिखे हैं, वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं उनका शैक्षिक विकास उचित रूप से होता है और जिन विद्यार्थियों के अभिभावक अशिक्षित होते हैं, वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन रहते हैं, साथ ही उन्हें पढ़ने के बजाए परिवार की आमदनी बढ़ाने में उनका सहयोग लेते हैं। अतः विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर उनके अभिभावक शैक्षणिक व्यवसाय का गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार के अन्य सदस्य द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षा को महत्व देने के कारण अनुसूचित जनजातियों की बालिका की शैक्षिक उपलब्धि छात्रों से अधिक पायी गई है।

सुझाव :

1. अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षिक स्थिति की जानकारी नियमित रूप से दी जाय।
2. अभिभावकों की शैक्षिक अभिवृत्ति को बढ़ाने के लिए एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास किये जाने चाहिए।
3. शिक्षक अभिभावक संघ को मजबूत बनाया जाये ताकि वे विद्यार्थियों की समस्या का समाधान कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कपिल, एच0के0 (2007), अनुसंधान, विधियाँ, मनोविज्ञान विभाग, राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय, आगरा।
2. डॉ. वालिया, जे0एस0 (2014)- शिक्षा के दार्शनिक, समाजिक एवं आर्थिक आधार, अहम पाल पब्लिशर्स।
3. सिंह, राजेश कुमार (2002)- जनजातीय समुदाय में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, राँची जिला के संदर्भ में अप्रकाशित शोध प्रबंध, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
4. शैली, (2008) माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के अध्ययन आदतों और पारिवारिक वातावरण का उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन।
5. Kailasheducation.com
6. Wikipedia

ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में कुपोषण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन

शालिनी कुमारी *

* शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) राधा गोविन्द विश्वविद्यालय, रामगढ़ (झारखण्ड) भारत

शोध सारांश - कुपोषण पोषण की वह स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति को मिलने वाले भोज्य पदार्थ के गुण और परिणाम में अपर्याप्तता होती है या अधिकता होती है दोनों ही स्थिति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग पैदा हो जाता है। बाल्यावस्था में मांसपेशियों के विकास, अस्थियों के निर्माण तथा शरीर की सुरक्षात्मक आवश्यकता के कारण प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। लगातार लम्बे समय तक पोषण तत्वों की कमी रहने से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं इसके अलावा महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी बिमारियों एवं संतुलित भोजन की कमी के कारण होने वाले बच्चे जन्म से ही कुपोषित होते हैं उनका वजन कम होता है, खून की कमी एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ पाई जाती हैं। आज हमारे देश में लगभग 10 लाख बच्चे कुपोषण से मरते हैं। 15- वर्ष की आयु के लगभग 80 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। बच्चों का एक से पाँच वर्ष की आयु तक अधिकतम विकास एवं वृद्धि होती है अतः इस आयु में अधिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है ताकि इन्हें कुपोषित होने से बचाया जा सके।

शब्द कुंजी- कुपोषण, संसाधन, आध्यात्मिक कुशलता पोषक तत्व, स्वास्थ्य सुविधाएँ, जागरूकता।

प्रस्तावना - भारत गाँवों का देश है, जहाँ आज भी लगभग यहाँ कि 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा खेती एवं मजदूरी से प्राप्त आय से अपना जीवनयापन करती है। खेती एवं मजदूरी से प्राप्त आय काफी निम्न होती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। कई लोग तो पेट भरने का भोजन ही जुटा पाते हैं। जिससे उनकी भूख तो मिट जाती है लेकिन उन्हें शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। गाँवों में प्रायः बच्चों तथा महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है जिससे वे कुपोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों एवं संतुलित भोजन की कमी के कारण होने वाले बच्चे जन्म से ही कुपोषित होते हैं। उनका वजन कम होता है, खून की कमी एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ पाई जाती हैं। भारत के गाँवों में यह स्थिति सामान्य है परंतु आज जहाँ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है जिसके कारण भोजन में कमियों के कारण बच्चों में कुपोषण की स्थिति पाई जा रही है। क्योंकि बच्चों किसी भी राष्ट्र के महत्वपूर्ण उभरते संसाधन होते हैं, जिनपर देश का भविष्य निर्भर होता है। यूनिसेफ ने भी बच्चों को देश के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्वीकार किया है और इस बात पर बल दिया है कि मानव निवेश या मानव पूँजी निर्माण की प्रत्येक दीर्घकालिन योजना बच्चों में आरंभ की जानी चाहिए चूंकि बच्चे भविष्य में देश के नागरिक होने के नाते विकास कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ाने का दायित्व उठाते हैं। अतः आरम्भ से ही उन्हें उचित प्रकार का भोजन और पोषण मिलना आवश्यक होता है ताकि वे स्वस्थ रहे और एक सबल, सफल मानव के रूप में विकसित हो सके।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि 'स्वास्थ्य वह स्थिति' है जिसमें संपूर्ण भौतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कुशलता पायी जाती है केवल बीमारियों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य मानव की सामान्य तथा साधारण स्थिति और

उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। 'स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व वातावरण संबंधी प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना जीवनयापन करता है। स्वास्थ्य एक अमूल्य साधन है जिस पर संपूर्ण समाज व समूह का भविष्य निर्भर करता है। इसको बनाए रखना व उन्नत करना मानव मात्र का प्रमुख कर्तव्य है।'

मानवीय जीवन में सभी लोगों को भोजन, वस्त्र तथा आवास की आवश्यकता पड़ती है। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन होता है। भोजन जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। 'भोजन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन एक रसायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी भोजन से अपनी शारीरिक क्रियाओं शारीर-वृद्धि एवं स्वास्थ्य रहने के लिए उपयुक्त पदार्थ प्राप्त करता है।'

जे.एफ. विलियम के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति विशेष को लंबे समय तक जीवित रहने तथा उत्तम सेवाएँ प्रदान करने योग्य बनाता है। स्वास्थ्य का तात्पर्य तन से ही नहीं वरन् मन से भी स्वस्थ होना है और यह भी कहा गया है कि 'स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वास्थ्य का तात्पर्य शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं संतुलित सुचारु रूप से हो सके। परंतु शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को सुचारु रूप से चलाने एवं स्वस्थ रखने के लिए उत्तम पोषण का होना अत्यंत अनिवार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य से अतिरिक्त पोषण मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।'

'पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। इसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता प्रत्येक प्राणी सर्वप्रथम अपनी इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयास करता है। उसे जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। शक्ति, साहस और निरोग शरीर उसकी सफलताओं और उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्वस्थ एवं सशक्त

शरीर का निर्माण उचित पोषण पर निर्भर करता है। पोषण संबंधी विस्तृत जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज इस तथ्य से संबंधित व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान देने के लिए पोषण विज्ञान जैसे विषय का विकास हो चुका है।

डॉ. एफ. टर्नर ने पोषण के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया है - 'पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि एवं उनके पुनः निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है और उचित उपभोग करता है।' अतः भोजन के लिए विभिन्न कार्यों को करने की सामूहिक प्रक्रियाओं को पोषण कहते हैं। भोजन केवल जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक उत्तम स्वास्थ्य, शरीर का निर्माण वर्धन सुगठन क्षतिग्रस्त अवस्थाओं एवं उनकी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति एवं ऊर्जा उष्मा प्राप्त के लिए आवश्यक है। हाल ही में भारत में जो आहार सर्वेक्षण किए गए हैं उनमें पता चलता है कि अधिकांश लोगों के भोजन का संगठन निम्न स्तर का है और वे कुपोषित हैं। उनके आहार में अनाज की मात्रा बहुत अधिक रहती है तथा दाल सब्जियाँ, दूध दही, फल आदि की मात्रा बहुत कम रहती है। उनके आगे पोषक तत्वों पर सोचना उतना जरूरी नहीं है उनके आहार में मंहगे पौष्टिक भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अण्डा नहीं के बराबर होते हैं। ऐसी जनाबादी में कुपोषण का विकराल प्रभाव बच्चों गर्भवती और धात्री अवरस्था की महिलाओं की अपेक्षा और अधिक रूप से दिखाई पड़ता है। शिशुओं और छोटे बच्चों में प्रोटीन-कैलोरी कुपोषण, विटामिनों, रिबोफ्लेबिन आयरन आदि की कमी से होने वाले रोगों के केस बहुत सर्वेक्षणों में अधिक देखने को मिले। गर्भवती स्त्रियों में और घनी महिलाओं में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग के केस अधिक संख्या में पाए गए। हमारे देश का आहार उत्पादन नहीं है जितना की जनसंख्या बढ़ गई है। पशुजन्य प्रोटीन बहुल भोज्य पदार्थ बहुत कम हैं और अत्यधिक मंहगे भी हैं निम्न आर्थिक वर्ग की जनता उन्हें खरीदने और उपयोग करने में असमर्थ है जबतक लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊँचा नहीं किया जा सकेगा तबतक सोचना व्यर्थ है कि लोग पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक रहे और पौष्टिक और संतुलित भोजन ही ग्रहण करें। भोज्य पदार्थों में पोषकतत्व समान रूप में नहीं पाए जाते हैं अतः भोजन से संबंधित स्वस्थ आदतों को अपनाकर कुपोषण से बचा जा सकता है। इस बात की पुष्टि पूर्व में कुपोषण के क्षेत्र में किए गए विभिन्न शोध कार्यों से भी होती है। एम. स्वामिनाथन (2003) के अनुसार यह कहा गया कि डब्ल्यू. एच. ओ. फाओ और यूनिसेफ के सहयोग से एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स का संचालन कई विकासशील देशों में शुरू किया है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य आहार उत्पादन में वृद्धि आवश्यकता वाले लोगों द्वारा उनका उपयोग और पोषण संबंधी शिक्षा देकर कुपोषण की रोकथाम करना है। आई.सी.एम.आर. (1968) के पोषण विशेषज्ञ दल ने अपने अध्ययन में यह बताया है कि प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि स्वास्थ्य प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उसे पर्याप्त रूप से पोषित किया जाए। शिशु कुपोषण, शिशु मृत्यु और शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताएं आदि रोगों के अधिक होने के प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल माता के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर स्तनपान का प्रभाव सभी स्वीकारते हैं। अतः स्तनपान को संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावे कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण में सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। जिसमें राष्ट्रीय पोषण नीति को

सरकार द्वारा वर्ष (1993) में अंगीकार किया गया था। इसके अंतर्गत कुपोषण मिटाने और सबके लिए इष्टतम पोषण की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहु सेक्टर संबंधी योजना देश भर में पोषण के स्तर की निगरानी करने तथा अच्छे पोषण की आवश्यकता व कुपोषण रोकने की जरूरत के संबंध में सरकारी मशीनरी को सुग्राही बनाने पर जोर देती है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान (2018) में शुरू किए इस मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत तक कम करना है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है, जिससे स्कूलों में नामांकन प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एकीकृत बाल विकास सेवा (1975) में किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र में बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, पूर्व, स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवाएँ प्रदान करना है। कुपोषण से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 21 और अनुच्छेद - 47 में भारत सरकार को सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त भोजन के साथ एक सम्मानित जीवन सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करने के लिए बाध्य करते हैं किंतु भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की गई है।

निष्कर्ष - कुपोषण स्वास्थ्य की वह असामान्य स्थिति है जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों के अभाव या आधिक्य से उत्पन्न होती है। कुपोषण विकसित, विकासशील तथा अविकसित सभी देशों में पाया जाता है। समाज के धनी और निर्धन दोनों वर्गों में यह देखने को मिलता है परंतु विशेष रूप से अभावग्रस्त क्षेत्रों में यह भीषण रूप से मौजूद रहता है। ऐसे क्षेत्रों में पोषकतत्वों की न्यूनता ही इसका प्रमुख कारण है अतः कमजोर आर्थिक स्थिति वाले निम्न और मध्य वर्ग में कुपोषण की समस्या अत्यंत विकराल रूप लेकर खड़ी है। इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे बच्चों और गर्भवती स्त्रियों पर पड़ता है। प्रायः देखा जाता है कि भोज्य पदार्थों के भोजन में पर्याप्त मात्रा में होने पर भी कुपोषण होने लगता है इसका कारण वहाँ का वातावरण तथा परिस्थितियाँ हैं। जो पर्याप्त एवं उपयुक्त भोज्य पदार्थोयुक्त आहार का उपभोग करने पर भी उसकी पौष्टिकता तथा लाभ से व्यक्ति को वंचित कर देते हैं निष्कर्षतः यह कहना उचित होगा कि आज के आधुनिक युग में भी कई ऐसे क्षेत्र तथा समुदाय हैं जहाँ आज भी स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की कमी है। जिस प्रकार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बच्चों में पाए जा रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि बच्चों में पोषणीय स्तर निम्न है, अधिकांश बच्चों के माता-पिता अपने बच्चे के खान-पान पर ध्यान नहीं देते हैं तथा जो भी खाना देते हैं उसकी भी पोषक तत्वों की जानकारी नहीं है। जिसके कारण उसका स्वास्थ्य भी दिन-ब-दिन खराब होता जा रहा है।

सुझाव :

1. बच्चों के परिवारों में पोषण शिक्षा का प्रसार करना होगा। उन्हें पोषण के बारे में विस्तार से समझाने की आवश्यकता है।
2. शिक्षा का प्रसार करना ताकि रोजगार मिलने में कोई परेशानी न हो तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति वे आसानी से कर सकें और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें।
3. महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य की देखभाल का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। पोषण का शिक्षण माताओं आदि को फिल्मों और चार्ट के द्वारा बताया जाना चाहिए।
4. स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखने के लिए सारे फल एवं सब्जियों को

काटने से पहले अच्छी तरह से धोकर काटने पर बल देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- अग्रवाल नीता, 1985 : मातृकला एवं शिशु पालन, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा
- अग्रवाल अमिता, गर्ग नीरू एवं गुप्ता, सुषमा 1998 : आहार एवं पोषण बच्चों की देखभाल एवं मनोविज्ञान कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली
- अनिता एफ.पी., 1973 : किलनिकल डायटेटिक्स एण्ड न्यूट्रिशन, 12 एडिशन ऑक्सफोर्ड, युनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई
- आर्य सत्यदेव, 1995 : आहार एवं पोषाहार राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर,
- आर्य सत्यदेव, 1987 : आहार एवं पोषाहार राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर
- इवांग, के. 1967 : हेल्थ ऑफ मैनेकाईड शिवा फाउण्डेशन चर्चिल लंदन
- एनड्यू, टॉमकिन्स एण्ड फियोना बॉटसन, 1989 : मालन्यूट्रिशन एण्ड इन्फेक्सन एसी.सी.एस.सी.एन. जिनिवा 1989 रिपोर्ट
- एमैन ई. के एण्डअल अवादि, एफ.ए., 1996 : न्यूट्रिशनल स्टेट्स सर्वे ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रेन इन कुवैत इस्टर्न मेडिटेट नियन हेल्थ जर्नल, 2(3)
- एलिंग बाई एण्ड इलेकिन, ई.टी., 1976 फूड एण्ड न्यूट्रिशन एटिच्यूइस ऑफ रूरल इन एट लैरियर्स ऑफ कैवित इन्पलिकेशन्स फॉर नेशनल, न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम न्यूट्रिशन, एजुकेशन प्रोग्राम न्यूट्रिशियन,
- कुमारी आशा, 2009 : मानव शरीर एवं पोषण विज्ञान, बी.के. तनेजा, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, करमपुरा नई दिल्ली
- कानगो मंगला, 2007-08 : पोषण एवं पोषण स्तर, रिसर्च पब्लिकेशन त्रिपोलिया बाजार, जयपुर-2
- कुमारी आशा, 2014-15 : आहार एवं पोषण विज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन्स ज्योति व्लाक, संजय पैलेस, आगरा-2
- कुमारी मंजू, 2013 : ग्रामीण महिलाओं के शिशुओं को पौष्टिक आहार एवं टीकाकरण, क्लासिकल्स पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली
- केयर, 2001 : विश्व में नवजात शिशुओं की स्थिति, सेव द चिल्ड्रेन, रिपोर्ट
- केयर निर्देशिका, 2009 : बाल मृत्यु तथा कुपोषण की मामलों की रोकथाम नवजात शिशु की देखभाल टीकाकरण व पोषण के लिए सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेपों का आधार भाग-अ
- केयर निर्देशिका, 2002 : पोषण की अनिवार्यताएँ भाग-द
- कवाटा के, 1963 : इन्वायरनमेन्टल सैनिटेशन इन इंडिया, लखनऊ पब्लिशिंग हाउस,
- काल्डबेल, जे.सी., 1981 : मैटरनल एजुकेशन इन एफैक्टर इन चाइल्ड मोरेलिटी, बर्लैंड हेल्थ फोरम-2
- कैम्टन, ई.डब्लू एण्ड एल.इ.लॉयड फन्डामेन्टल्स ऑफ न्यूट्रिशन डब्लू.एच.फिमैन सेंट फ्रांसिसको,
- क्रियू, 1965, एफ.ए.ई.हेन्थ इटस नैचर एण्ड कंजर्वेशन, परगैमन, प्रेस, लंदन
- किंग, 1962 : एस. परमेवसन ऑफ इलनेस एण्ड मेडिकल प्रेक्टिस, सोलसेज फाउण्डेशन, न्यूयार्क,
- खन्ना के, 1997 : टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिशन एण्ड डायटेटिक्स फोयनक्स पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली,
- गोपालन सी. 2002 : भारतीय खाद्यान्नों के पौष्टिक मान, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला,
- गुप्ता ए. 2000 : प्रमोटिंग एण्ड स्पोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर आप्टिमला न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इनफैन्सी आई.एम.ए.-19
- गोपालन सी. 1967 : मालन्यूट्रिशन इन चाइल्ड हुड इन द ट्रोपिक्स ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, 4,
- ग्राहम, जी.जी., 1972 : इन्वायरनमेन्टल फैक्टर्स एफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन-25
- गुजमैन, बी.बी. 1973 : चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एण्ड फैमिली साइज ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ पेडियाट्रिक्स-22,
- गोपालन सी.सी बालसुब्रमणियम् बी.बी रामशास्त्री एण्ड के विश्वेश्वर राव, 1969:- डायट एटलस ऑफ इंडिया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद,
- गर्वमैट ऑफ इंडिया, 1982 : हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ, नई दिल्ली,
- घोष शान्ति, 1976 : द फीडिंग एण्ड केयर ऑफ इंफैंट एण्ड यंग चिल्ड्रेन यूनिसेफ एस.सी.ए.आर. न्यू दिल्ली,
- चौहान गणेश, नारायण 2015 : भोजन के द्वारा चिकित्सा, नारायण प्रकाशक, चौड़ा रास्ता जयपुर,
- चौधरी रेणुका, 2009 : फल व सब्जी परीक्षण एवं पोषण संबंधी उपयोगी जानकारी खाद्य एवं पोषण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका का अध्ययन (सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. तुषि तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – महिला और पुरुष दोनों ही स्वस्थ, समृद्ध एवं सशक्त समाज की आधारशिला हैं। इस दृष्टि से समाज के निर्माण के लिए महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में गंभीर चिंतन किया जाना आवश्यक है। यदि समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़, सम्मानजनक व सक्रिय होगी तो निश्चित ही समाज व राष्ट्र उन्नत, समृद्ध व मजबूत होगा। अधिकांश ग्रामीण महिलाएँ शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित हैं। पितृसत्तात्मक भारतीय समाज में भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों पर स्वामित्व मुख्यतः पुरुषों का है। ग्रामीण महिलाओं का संसाधनों के उपयोग पर पूर्ण अधिकार नहीं है। और निर्णय लेने की स्वायत्तता के अधिकार से भी ग्रामीण महिलाएं वंचित रहती हैं। यद्यपि इन ग्रामीण महिलाओं की स्थिति के सुधार हेतु शासन निरंतर प्रयासरत है, तथापि इनकी स्थितियों में अपेक्षित सुधार आज तक नहीं हो पाया है। ग्रामीण परंपरागत व्यावहारिक प्रतिमानों से अलग व्यवहार एवं जीवनशैली ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होती है। महिलाओं के स्वास्थ्य, संतानोत्पत्ति जैसे नितांत व्यक्तिगत निर्णयों में भी पुरुषों का प्रभुत्व पाया जाता है। वास्तविकता के धरातल पर आज की ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति शोचनीय व निम्नतर है इसके बावजूद महिलाएं रूढ़िवादी परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं एवं संस्कारों से संघर्ष करती हैं। और कृषि कार्यों तथा पारिवारिक कार्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करती हुई विकास पथ पर अपने पद चिन्ह बनाने के लिए प्रयासशील हैं।

प्रस्तावना – भारतीय दर्शन के अनुसार घर को महिला से पहचान प्राप्त होती है। भारतीय महिलाएं संस्कृति की मूलाधार हैं और संस्कृति मानव को मानव से जोड़ने का सेतु है, उनकी अभिव्यक्ति को सम्मान देना देश को सम्मानित करना है। अतः भारतीय महिलाएं संपूर्ण राष्ट्र का गौरव हैं। इनके विकास से ही समाज तथा राष्ट्र का उत्तरोत्तर विकास संभव है। महिलाओं के योगदान के अभाव में परिवार रूपी पौधे के अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित तथा फलित होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय लोक संस्कृति एवं परंपराओं को सहेजकर भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में ग्रामीण महिलाओं का अतुलनीय योगदान है। सामान्यतौर पर अल्पशिक्षित, अशिक्षित, निरक्षर ग्रामीण महिलाएं ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन की सीमित सुविधाओं के साथ पुरुष प्रधान समाज में अपना जीवनयापन करती हैं। आर्थिक परतंत्रता, धार्मिक और रूढ़िवादी सोच के कारण ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास का स्तर अत्यंत कम होता है। **नवीनतम आँकड़ों के अनुसार** भारत के कुल परिवारों के महज 10 प्रतिशत परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं कुल गरीब जनसंख्या का 07 प्रतिशत महिलाएं ही हैं। वित्त मंत्रालय (भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'आर्थिक सर्वेक्षण : 2003-2004 के मुताबिक जुलाई-दिसम्बर 2004') में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी प्रति हजार मात्र 281 है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह प्रति हजार 140 है।

निर्णय हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग है, निर्णय चुनाव से संबंधित है, निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है, निर्णय किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन स्तर पर एक का चयन करने की प्रक्रिया है। सफल एवं सार्थक जीवन में निर्णय की महत्वपूर्ण एवं सुनिश्चित भूमिका

है। व्यक्ति का अधिकांश जीवन विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने एवं उनको क्रियान्वित करने में ही व्यतीत होता है। निर्णयों के द्वारा ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जिनसे संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित होती है, निर्णय सकारात्मक एवं नकारात्मक हो सकते हैं, निर्णय एक नवीन कार्य का आरंभ भी हो सकता है। **'निर्णय लेने की क्षमता मनुष्य को शक्तिशाली बनाती है।'**

साहित्य का पुनरावलोकन – ग्रामीण महिलाओं व परिवार के सदस्यों के निर्णय लेने से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन अग्रलिखित है :-

सिकोड फांडो (2007) : ने अपने अध्ययन में पाया कि 'अफ्रीका में कैमरून के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने कृषि संबंधी कार्यों को व्यावसायिक दृष्टि से संपन्न करती हैं, किंतु श्रम में लैंगिक विभेद महिलाओं को कम मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे उनका विकास बाधित होता है। कैमरून में महिलाएं जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हैं लेकिन लिए जाने वाले निर्णयों में उनका कोई योगदान नहीं होता है।'

स्वेट मार्टिन (2009) : के अनुसार निर्णय संपूर्ण प्रबंधन का निचोड़ है। निर्णय मूल्यों से प्रभावित होते हैं। सामान्य स्थितियों में दो व्यक्तियों द्वारा लिए गए निर्णयों में व्यक्तिगत मूल्यों, लक्ष्यों एवं स्तरों के कारण पर्याप्त भिन्नता हो सकती है। दैनिक जीवन में महिलाओं को असंख्य निर्णय लेने पड़ते हैं, ये निर्णय सामान्य एवं विशिष्ट हो सकते हैं, इसलिए महिलाओं के लिए निर्णय लेने की क्षमता एक मूल्यवान यंत्र और साधन के रूप में अत्यधिक उपयोगी है। इस संदर्भ में पारिवारिक सामाजिक और राष्ट्रीय हित में महिलाओं की निर्णय क्षमता का समुचित विकास और प्रभावी उपयोग अत्यधिक आवश्यक हो जाता है, किन्तु अधिकांश शोध अध्ययनों से प्राप्त परिणामों

के अनुसार भारतीय ग्रामीण परिवारों में महिलाओं की भूमिका तटस्थ दर्शक के समान रहती है कृषि एवं परिवार संबंधी निर्णयों में उनके सुझावों का कोई महत्व नहीं होता है। उनका कर्तव्य पुरुषों द्वारा लिए गए निर्णयों का मात्र अनुपालन करना होता है।

बी.के. खण्डनूरी एवं चंद्रदेव (2011) : ने उत्तराखण्ड के चमोली जिले की 110 महिलाओं पर शोध अध्ययन करके ज्ञात किया कि घरेलू एवं कृषि संबंधी क्रियाकलापों में महिलाओं की लगभग 80 प्रतिशत से अधिक भागीदारी होने के बावजूद निर्णय लेने में उनकी भागीदारी लगभग 21 प्रतिशत से कम पायी गयी जो कि हमारे समाज में लिंग असमानता की गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

शोध उद्देश्य - प्रस्तुत शोध उद्देश्य 'ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका अध्ययन करना' है।

शोध परिकल्पना - प्रस्तुत शोध अध्ययन में 'ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका सामान्य पायी जाएगी।' परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन में 'ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका का अध्ययन करना' में वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है, जिसके अन्तर्गत शोध विषय का चयन, प्रदत्तों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन, सांख्यिकीय विश्लेषण एवं प्राप्त निष्कर्षों/तथ्यों का निर्वचन किया गया।

शोध कार्य की स्पष्टता के लिए अध्ययन क्षेत्र के विषय में विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन आवश्यक होता है। वर्तमान शोध से संबद्ध सतना जिला भारत वर्ष के हृदय स्थल पर बसे हुए मध्यप्रदेश के रीवा संभाग के अंतर्गत उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्र मझगवाँ, सोहावल, रामपुर बघेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर में से खण्डवितरित प्रणाली के माध्यम से चयनित ग्रामीण महिलाओं का पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका का अध्ययन किया गया है।

परिणाम एवं विश्लेषण - प्रस्तुत शोध अध्ययन सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका के अंतर्गत आर्थिक निर्णय, संपत्ति संबंधी निर्णय, भवन निर्माण संबंधी निर्णय, शिक्षा संबंधी निर्णय, सामाजिक निर्णय, उपकरणों के क्रय संबंधी निर्णय, घर की व्यवस्था एवं परिसज्जा संबंधी निर्णय, धार्मिक क्रियाकलाप संबंधी निर्णय, विवाह संबंधी निर्णय, संतानोपत्ति संबंधी निर्णय से संबंधी प्राप्त आँकड़ों का निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 01 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

प्रस्तुत शोध अध्ययन के तालिका क्रमांक - 01 में सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं से पूछे गए कथन अनुसार प्राप्त परिणाम के अवलोकन करने से ये परिलक्षित होता है कि सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं के पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका में पत्नी द्वारा 4 प्रतिशत, पति द्वारा 85 प्रतिशत, पति-पत्नी द्वारा 11 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है वहीं संपत्ति संबंधी निर्णय में पति द्वारा 74 प्रतिशत, पति-पत्नी द्वारा 26 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है जबकि भवन निर्माण संबंधी निर्णय में पति द्वारा 76 प्रतिशत, पति-

पत्नी द्वारा 22 प्रतिशत, परिवार के सदस्यों द्वारा 2 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है इसी तरह शिक्षा संबंधी निर्णय में पत्नी द्वारा 18 प्रतिशत, पति द्वारा 58 प्रतिशत, पति-पत्नी द्वारा 24 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है साथ ही सामाजिक निर्णय में पत्नी द्वारा 22 प्रतिशत, पति द्वारा 52 प्रतिशत, पति-पत्नी द्वारा 25 प्रतिशत, परिवार के सदस्यों द्वारा 1 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है और उपकरणों के क्रय संबंधी निर्णय में पत्नी द्वारा 5 प्रतिशत, पति द्वारा 61 प्रतिशत, पति-पत्नी द्वारा 32 प्रतिशत, परिवार के सदस्यों द्वारा 2 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है तथा घर की व्यवस्था एवं परिसज्जा संबंधी निर्णय में पत्नी द्वारा 67 प्रतिशत, पति द्वारा 28 प्रतिशत, पति-पत्नी द्वारा 4 प्रतिशत, परिवार के सदस्यों द्वारा 1 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है व धार्मिक क्रियाकलाप संबंधी निर्णय में पत्नी द्वारा 36 प्रतिशत, पति द्वारा 55 प्रतिशत, पति-पत्नी द्वारा 6 प्रतिशत, परिवार के सदस्यों द्वारा 3 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है वहीं विवाह संबंधी निर्णय में पत्नी द्वारा 5 प्रतिशत, पति द्वारा 92 प्रतिशत, पति-पत्नी द्वारा 3 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है जबकि संतानोपत्ति संबंधी निर्णय में पत्नी द्वारा 3 प्रतिशत, पति द्वारा 90 प्रतिशत, पति-पत्नी द्वारा 7 प्रतिशत भूमिका पायी गयी है जिससे यह परिलक्षित होता है कि परिकल्पना सत्यापित नहीं पायी गयी हैं।

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध अध्ययन के द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं के पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका में पारिवारिक निर्णयों में पुरुषों का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि पारिवारिक व्यवस्था के सुचारु रूप से संचालन में पत्नी की महती भूमिका होने के बाद भी पत्नी द्वारा निर्णय लिए जाने का अधिकार पुरुषों की तुलना में अत्यन्त कम पाया गया।

सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पुरुष की भूमिकाओं में शक्तियों का असमान वितरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लैंगिक असमानता ने महिलाओं की नैसर्गिक प्रतिभाओं, क्षमताओं को दमित करने के साथ-साथ उन्हें आत्मविश्वास जैसे पूँजी से भी वंचित किया है। भविष्य के लिए महिलाओं की रचनात्मक भूमिका के योगदान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है एवं कुशल मानव संसाधन के रूप में परिवार समाज एवं देश के निर्माण में महिलाओं की निर्णायक भूमिका है अतः महिलाओं की उत्पादकता मात्र घरेलू क्षेत्र तक सीमित नहीं है अवसर प्राप्त होने पर महिलाओं ने पारिवारिक क्षेत्र के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में सशक्त भागीदारी दर्ज करायी है किन्तु उनके योगदान को कमतर आंका जाता रहा है।

सुझाव - ग्रामीण महिलाओं के पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका हेतु सुझाव निम्नलिखित है।

1. पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की सहभागिता का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए।
2. समाज में लैंगिक असमानता को दूर किए जाने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए।
3. ग्रामीण महिलाओं को निर्णय से संबंधित आवश्यक नवीनतम ज्ञान और सूचनाएं प्रदान की जानी चाहिए।
4. ग्रामीण महिलाओं में उपलब्ध मानवीय और अमानवीय संसाधनों के उचित उपयोग के प्रति जागरूकता विकसित की जानी चाहिए।

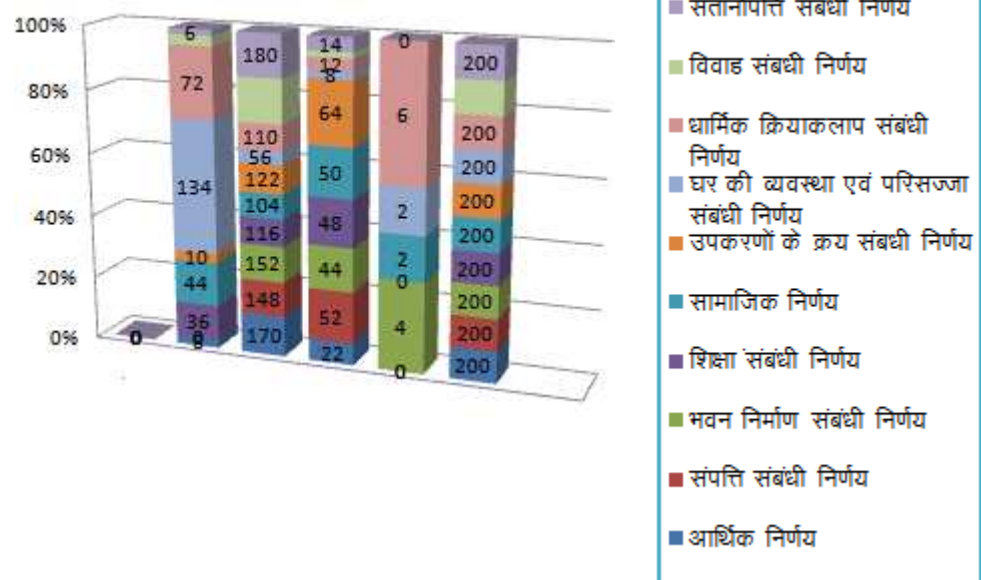
5. पति एवं संतानों द्वारा दिया गया सहयोग ग्रामीण महिलाओं की निर्णय क्षमता के सुधार में सहायक होता है, इसलिए परिवार में सहयोगात्मक वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए।
 7. राय पारसनाथ (1997) : **अनुसंधान परिचय**, लक्ष्मी नारायण, अग्रवाल, आगरा।
 8. शाह अशोक (1997) : **बालाधर में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, फरवरी, पृष्ठ क्र. 72-74।
 9. Khadnuri, B.K., Dev, Chandra (2011) : Participation of woman in decision making proces in rural Garhwal of Uttarakhand GB Pant University of Agriculture and Technology, Hill campus, Ranichauri, Tehri Garhwal, Uttarakhand, Journal of Hill Agriculture (2011), Volume ; 2, issue : 1.
 10. Fondo, Sikod (2007) : Gender division of Labour and Woman's Decision Making power in Rural Households in Comeroon. CODESRIA – Africa Development, Vol. XXXII, No. 3, 2007, PP – 58-71, Council for the Development of Social Science Research in Africa, 2007 2007 (ISSI 0850-3907) {Fondo Sikod – University of Younde II, Comeroon} Email – fiskod2002@yahoo.com.
- सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-**
1. आहुजा राम, (2012) : **सामाजिक अनुसन्धान**, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं दिल्ली।
 2. कुरुक्षेत्र (2013) : **ग्रामीण भारत में सुधरता जीवन स्तर, विशेषांक**, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अंक – 12।
 3. मुखर्जी रवीन्द्रनाथ (1969) : **सामाजिक शोध एवं सांख्यिकीय**, विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
 4. मॉर्डन, स्वेट (2009) : **कामयाबी के 7 टिप्स**, तृतीय संस्करण, साधना पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली।
 5. पाठक, एच.के., अग्रवाल डी.सी. (1984) : **सांख्यिकीय विधियाँ**, शिक्षा साहित्य प्रकाशन, मेरठ।
 6. राजकुमार (2010) : **आर्थिक उन्नति में महिलाओं का योगदान**, महिला एवं विकास, प्रथम संस्करण, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ क्र. 84-95।

तालिका क्रमांक – 01 सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका का अध्ययन

पारिवारिक निर्णय के प्रकार (N-200)	आर्थिक निर्णय		संपत्ति संबंधी निर्णय		मवन निर्माण संबंधी निर्णय		शिक्षा संबंधी निर्णय		सामाजिक निर्णय		उपकरणों के क्रय संबंधी निर्णय		घर की व्यवस्था एवं परिसज्जा संबंधी निर्णय		धार्मिक क्रियाकलाप संबंधी निर्णय		विवाह संबंधी निर्णय		संतानोपत्ति संबंधी निर्णय	
	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
पारिवारिक निर्णयों में सदस्यों की भूमिका																				
पत्नी द्वारा	08	4	00	00	00	00	36	18	44	22	10	5	134	67	72	36	10	5	06	3
पति द्वारा	170	85	148	74	152	76	116	58	104	52	122	61	56	28	11	55	18	92	18	90
पति-पत्नी द्वारा	22	11	52	26	44	22	48	24	50	25	64	32	08	4	12	6	06	3	14	7
पारिवार के सदस्यों द्वारा	00	00	00	00	04	2	00	00	02	1	04	2	02	1	06	3	00	00	00	00
योग	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100

स्त्रोत – सर्वेक्षण पर आधारित।

सर्वेक्षित ग्रामीण महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता व परिवार के सदस्यों की भूमिका का अध्ययन



मोरना ब्लॉक में उच्च शिक्षा द्वारा अनुसूचित जाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति- एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मुजफ्फरनगर के संदर्भ में)

डॉ. रतना त्रिवेदी* आजाद सिंह **

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) मुन्नालाल एंड जयनारायण खेमका गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सहारनपुर (उ.प्र.) भारत
** शोध छात्र (समाजशास्त्र) मुन्नालाल एंड जयनारायण खेमका गर्ल्स डिग्री कॉलेज, सहारनपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव ने अपनी मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक प्रगति की है शिक्षा ने ही मनुष्य को श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्राणी बनाया है। शिक्षा का उद्देश्य ही ज्ञात रूपी प्रकाश को प्राप्त करके अज्ञान रूपी अंधरी रात्रि के अंधकार को दूर करना है अनुसूचित जातियां लम्बे समय तक शिक्षा तथा अन्य अधिकारों से वंचित रही हैं। कुछ समाज सुधारकों एवं संविधान द्वारा अनुसूचित जातियों को शिक्षा प्राप्त करने तथा अन्य अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति उच्च शिक्षा प्राप्त करके सामाजिक अर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रही है। यह अध्ययन मुजफ्फरनगर जिले के मोरना कस्बा पर आधारित है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक विकास कर रही है।

प्रस्तावना – अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1927 में साइमन कमीशन द्वारा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा इन्हें दलित वर्ग कहा जाता था तथा महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन के नाम से पुकारा था अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है। जिनका उल्लेख धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएं दिलाने के लिए संविधान की अनुसूची में किया गया है। इन्हें अछूत जातियां, दलित वर्ग बाहरी जातियां और हरिजन नामों से भी पुकारा जाता है। अनुसूचित जातियों को ऐसी जातियों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो घृणित पेशों द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती है। अनुसूचित जातियों को अस्पृष्ट जातियां माना गया। अस्पृष्टता एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने देखने और छाया पड़ने मात्र से अपवित्र हो जाता है। स्वर्ण हिन्दूओं को अपवित्र होने से बचाने के लिए अस्पृष्ट लोगों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था की गई उन पर अनेक नियोग्यताएं लाद दी गयीं।

टनुसूचित जातियों के सामने सबसे प्रमुख समस्या अस्पृष्टता रही है। इस समस्या के कारण समाज के दलित वर्गों में शिक्षा का अल्प प्रसार हुआ है तथा अन्य जातियों तथा अन्य जातियां उनसे सामाजिक दूरी बनाए रखती थी। एक लम्बे समय तथा अनुसूचित जातियों पर शिक्षा ग्रहण करने पर भी प्रतिबन्ध रहा था समाज में अनुसूचित जाति अर्थिक दृष्टि से भी काफी पिछड़ी हुई रही है। अस्पृष्टता से सम्बन्धित नियोग्यताओं के कारण इनका सामाजिक अर्थिक तथा राजनीतिक स्तर भी काफी निम्न रहा है। परम्परागत रूप से अनुसूचित जाति को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं था श्रम विभाजन में भी इनके पास योग्यता होने पर भी अच्छे कुशल कर्मचारी बनने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है।

कोहन द्वारा 1952-53 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में किये गये एक क्षेत्री सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि स्कूल में दो अनुसूचित जाति के शिक्षक थे उन्हें

उच्च जातियों जैसे शिक्षकों के बराबर सम्मान नहीं दिया जाता था। यही नहीं यदि कोई उच्च जाति का शिक्षक किसी ठाकुर के घर जाता है तो उसे बैठने लिए जाता है तो उसे खाट या कुर्सी दी जाती है। और यदि अनुसूचित जाति का शिक्षक जाता है तो उन्हें कोई स्टूल या उल्टी टोकरी बैठने के लिए दी जाती है।

आई.पी.देसाई (1973) ने गुजरात में अस्पृष्टों की समस्याओं का अध्ययन किया। उन्होंने अवलोकन विधि के माध्यम से आंकड़ें एकत्रित किये उन्होंने पाया कि ग्रामीण अस्पृष्ट अपनी आजीविका दो तरह की क्रिया कलापों, सफाई के कार्यों और कृषि श्रमिकों के रूप में तथा साथ ही मृत पशुओं को हटाने के कार्य द्वारा प्राप्त करते हैं। वे घरों में व स्कूलों में, निर्माण कार्यों में श्रमिकों के रूप में लगे हुए हैं, किन्तु सामान्य जातियों के समीप बैठने का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं है। 59 में से 35 गांव में अस्पृष्ट विद्यार्थी सामान्य जाति के छात्रों के साथ विद्यालय के पश्चात किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखते हैं।

एन.जे. उषा राव (1981) ने अपने अध्ययन में पाया कि कर्नाटक में शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित जाति की स्थिति में परिवर्तन आया है। उनके द्वारा आंकड़े मुख्य रूप से जनसंख्या रिपोर्टों, कमीशन की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर वार्षिक रिपोर्टों से एकत्र किए गये अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक श्रोतों पर आधारित है। राव ने यह भी पाया कि कर्नाटक में अनुसूचित जाति की शिक्षा की दर गैर-अनुसूचित जातियों से काफी कम है। 1961 में कर्नाटक में अनुसूचित जातियों की शिक्षा दर 8.95 (पुरुष 14.8, महिला 3.07) थी लेकिन 1971 में अनुसूचित जाति की शिक्षा दर स्कूलों में सीटों के आरक्षण, कॉलियों में आयु में छूट और विभिन्न संस्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा घटाए जाने के कारण बढ़ी।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों की शैक्षिक, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में उन्नति हुई है क्योंकि उन्हें सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के विभागों में आरक्षण, आयु में छूट प्राप्त हुई है। अनुसूचित जातियों की अधिकांश संख्या इन संस्थानों में कर्मचारी, लिपिक, गैर कौशल प्राप्त व्यक्तियों के रूप में संलग्न है।

सच्चिदानन्द (1988) ने बिहार में अपने अध्ययन में साक्षात्कार के आधार पर अपने अध्ययन में उभरती हुई अनुसूचित जातियों के विषय में बताया। निर्देशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोक सेवा में काम करने वाले, श्रमिकों पर आधारित था। निर्देशन पांच अलग-अलग अनुसूचित जातियों जो कि कुल मिलाकर के अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के 90 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती थीं में से चुनी गयी। इन जातियों में प्रमुख जातियां चमार, दोसेड, मुशीर, घोबी और पासी थी। बिहार में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 14 प्रतिशत है। सच्चिदानन्द ने बताया कि अनुसूचित जातियों में शिक्षा की प्रगति के कारण उनमें विकास की योजनाओं का लाभ लेने का प्रतिशत बढ़ा है। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतियोगिता शिक्षित व्यक्ति का बहुत बड़ा इन्स्ट्रुमेंट नहीं है इसलिए अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्ति ही राजनीतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में अन्यो की तुलना में आगे बढ़ते हैं। उच्च अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग बाल विवाह जैसी प्रथाओं को रोकने तथा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने में संलग्न हैं।

अभिमन्यु कुमार (20 मार्च 2012) ने गाजियाबाद जिले के मोदीनगर के ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति के अन्दर सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया। उन्होंने साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से ऑकड़े एकत्र किये और पाया कि अधिकांश उत्तरदाता जाटव थे। इन्होंने टेलीविजन, रेडियो और टेलीफोन के माध्यम से अधिकांश लोगों से सूचना एकत्र की। इस आधार पर इन्होंने बताया कि अधिकांश जाटव समुदाय संयुक्त परिवारों में रहता है जिसका आकार काफी बड़ा है तथा उनके पास शहरी क्षेत्रों में भी सम्पत्ति और शहरी क्षेत्रों के जीवन के साथ सम्पर्क है। जाटवों का जिला स्तर पर राजनैतिक सहभागिता भी काफी मजबूत है। जाटव जाति में अधिकांश लोग परम्परागत व्यवसायों में लगे हुए हैं तथा साथ ही साथ आधुनिक व्यवसायों में उनकी नई पीढ़ियां संलग्न होने हेतु प्रयासरत हैं। उत्तरदाताओं की अधिकांश संख्या पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. उत्तरदाता की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा के द्वारा अनुसूचित जाति की सामाजिक प्रस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
3. अस्पृष्टता तथा सामाजिक दूरी सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन।

उपकल्पना :

1. अस्पृष्टता के लिए अशिक्षा व गरीबी प्रमुख कारण है।
2. अनुसूचित जाति सामाजिक व आर्थिक स्थिति खराब होती है।
3. अनुसूचित जाति के लोग अपने अधिकारों से अनभिज्ञ रहते हैं।

शोध विधि व प्रविधि- समाजिक अनुसंधान में किसी भी अध्ययन को दिशा प्रदान करने के लिए शोध प्रविधि एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है किसी शोध की प्रारम्भ करने से पहले उससे सम्बन्धित साहित्य को अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है जो इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम इस अध्ययन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साहित्य का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र को सबसे पहले अवलोकन किया गया है जिसमें 100 उत्तरदाताओं का चुनाव उद्देश्य पूर्ण निर्देशन के द्वारा किया गया है अध्ययन से सम्बन्धित तथ्य एकत्रित करने के लिए अवलोकन व साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र - वर्तमान अध्ययन मुजफ्फरनगर जिले के मोरना ब्लॉक पर किया गया है मोरना ब्लॉक मुजफ्फरनगर हेक्टर स पूर्वी दिशा में लगभग 27 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है जबकि जानसठ तहसील मोरना ब्लॉक में दक्षिण की दिशा में लगभग 24 कि०मी० की दूरी पर स्थित है 2011 की जनगणना के अनुसार मोरना ब्लॉक की जनसंख्या 224721 है मोरना ब्लॉक में 47 ग्राम पंचायत आती है अध्ययन के लिए कस्बा मोरना का चुनाव किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मोरना की जनसंख्या 11815 है जिनमें 6240 पुरुष और 5575 महिलाएं हैं जिनमें 1987 परिवार मोरना में निवास करते हैं जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2821 है जिनमें 1515 पुरुष तथा 1306 महिलाएं हैं। मोरना का औसत लिंग अनुपात 893 है जो उत्तर प्रदेश राज्य के औसत लिंग 912 से कम है। 2011 में उत्तर प्रदेश 67.68 की तुलना में मोरना कस्बा की साक्षरता दर 72.54 प्रतिशत थी मोरना में पुरुष साक्षरता 81.38 प्रतिशत है। जबकि महिला साक्षरता दर 62.70 प्रतिशत है। मोरना का क्षेत्रफल 431.8 हेक्टेयर है मोरना में एक ब्लॉक एक सहकारी स्वास्थ्य केन्द्र एक किसान सहकारी सोसायटी एक डिग्री कॉलेज, तीन सहकारी प्राथमिक विद्यालय एक सहकारी इण्टरमीडिएट कॉलेज, प्राइवेट इण्टरमीडिएट कॉलेज एक पुलिस चौकी तथा तीन बैंक शाखाएं हैं।

इस अध्ययन के स्वरूप को समझते हुए सर्वप्रथम सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति को ध्यान में रखा गया है। जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों के आयु को ज्ञात करने के लिए उन्हें आयु समूह में बांटा गया है।

सारणी - 1

क्र.	आयु समूह	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	18.25	36	36%
2.	26.35	54	54%
3.	36.45	10	10%
	कुल	100	100%

सारणी - 1 में अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोगों को आयु समूह 26 से 35 वर्ष है जिनकी संख्या 54 प्रतिशत है तथा सबसे कम 10 प्रतिशत उत्तरदाता 36 से 45 वर्ष की आयु समूह से लिए गये हैं।

सारणी - 2

क्र.	लिंग	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	पुरुष	80	80%
2.	महिला	20	20%
	कुल	100	100%

सारणी - 2 में देखा गया है कि ज्यादातर उत्तरदाता पुरुष हैं जिनकी संख्या 80 प्रति है तथा 20 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं महिलाओं में 7 प्रति महिलाएं ऐसी हैं जो घरेलू कार्यों में व्यस्त हैं तथा बाकी उत्तरदाता सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी मजदूरी व कृषि कार्यों को करते हैं।

सारणी - 3

क्र.	धर्म	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हिन्दू	100	100%
	कुल	100	100%

सरणी-3 में देखा गया है कि सभी उत्तर हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सारणी - 4

क्र.	जाति	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	चमार	94	94%
2.	बाल्मिकी	02	02%
3.	खटीक	01	01%
4.	हिन्दू जुलाहे	03	03%
	कुल	100	100%

सरणी नं० 4 में पाया गया है कि अधिकांश उत्तरदाता जिनकी संख्या 94 प्रतिशत है वे चमार जाति से हैं तथा 02 प्रतिशत उत्तरदाता बाल्मिकी जाति से हैं जो कि बैंक में सफाईकर्मी का कार्य करते हैं। 01 प्रतिशत व्यक्ति खटीक जाति से जोकि मोबाईल रिपैरिंग आदि का कार्य करते हैं तथा 03 प्रतिशत व्यक्ति हिन्दू जुलाहे के हैं जो डॉक्टर व्यवसाय से सम्बन्ध रखते हैं।

सारणी - 5

क्र.	शिक्षा	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	एल० एल० बी०	03	03%
2.	पोलिटेक्निक	04	04%
3.	बी० ए०	42	42%
4.	बी० एस० सी०	11	11%
5.	बी० एड०	08	08%
6.	एम० ए०	17	17%
7.	एम० एस० सी०	15	15%
	कुल	100	100%

सरणी - 5 के अध्ययन के अनुसार पाया गया है कि अधिकांश उत्तरदाता जिसकी संख्या 42 प्रतिशत है उन्होंने बी०ए० उत्तीर्ण किया हुआ है तथा 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एम० एस० सी० किया है तथा 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने एम०ए० तथा 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बी०एड० किया है व 03 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने एल०एल०बी० किया है तथा 4 प्रतिशत उत्तरदाता पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और 11 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने एम० एस० सी० की की हुई है।

सारणी - 6

क्र.	परिवार का प्रकार	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	संयुक्त परिवार	73	73%
2.	एकल परिवार	27	27%
	कुल	100	100%

सारणी -6 से पता चलता है कि अधिकांश उत्तरदाता जिनकी संख्या 73 प्रतिशत है वे संयुक्त परिवार में रहते हैं तथा 27 प्रतिशत उत्तरदाता एकांकी परिवार में रहते हैं।

सारणी - 7

क्र.	व्यवसाय	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	मजदूर	21	21%
2.	प्राइवेट नौकरी	41	41%

3.	सरकारी नौकरी	17	17%
4.	कृषि कार्य	14	14%
5.	घरेलू कार्य	07	07%
	कुल	100	100%

सरणी-7 उत्तरदाताओं के व्यवसाय से सम्बन्धित है अधिकांश उत्तरदाता जिनकी संख्या 41 प्रतिशत है वे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं तथा 21 उत्तरदाता मजदूरी का कार्य करते हैं तथा 17 प्रतिशत सरकारी नौकरी करते हैं तथा 14 प्रतिशत उत्तरदाता हैं जो कृषि का कार्य करते हैं तथा 7 प्रति उत्तरदाता घरेलू कार्य करते हैं।

सारणी - 8

क्र.	सामाजिक प्रस्थिति	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	उत्तरदाता की सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन	92	92%
2.	उत्तरदाता की सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन नहीं	08	08%
	कुल	100	100%

सारणी - 8 में अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता जिनकी संख्या 92 प्रतिशत है उनकी सामाजिक स्थिति में पहले की अपेक्षा काफी परिवर्तन हुआ है इन लोगों की सामाजिक प्रस्थिति में मान सम्मान उच्च जातियों से अन्तः क्रिया करने में अनेक साथ उठने बैठने में विवाह समारोह में जाने इत्यादि में किसी प्रकार से अब भेदभाव नहीं किया जाता है तथा 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है।

निष्कर्ष - अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है जिसका उल्लेख सामाजिक आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सुविधाएं दिलाने के लिए संविधान की अनुसूची में किया गया है इन्हे अछूत जातियां दलित वर्ग बाहरी जातियां और हरिजन आदि नामों से पुकारा गया है। अनुसूचित जाति का समाज में अत्यन्त निम्न स्थान है जो हमेशा से उत्पीड़न का शिकार रही है। जिनका जीवन अभाव दुख और अपमान का जीवन रहा है। दलितों का सामाजिक आर्थिक धार्मिक तथा राजनीतिक रूप से काफी उत्पीड़न हुआ है इन लोगों को केवल नौकरियों में नियुक्ति एवं वेतन सम्बन्धी अधिकार ही नहीं था बल्कि मतदान करने तथा शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से भी वंचित रखा गया यद्यपि स्वतन्त्रता के पश्चात दलितों की राजनीतिक नियोग्यताएं समाप्त हो गयीं हैं अब अनुसूचित जातियों को भी स्वर्ण जातियों की तरह ही अधिकार प्राप्त हो गये हैं ताकि समाज का यह वर्ग किसी भी तरह से पीछे न रह जायें।

यह शोध कार्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मोरना ब्लॉक के कस्बा मोरना से सम्बन्धित है अध्ययन के लिए निश्चित की गयी उपकल्पना भी इस निष्कर्ष से सही प्रतीत होती है सामान्य रूप से अध्ययन में पाया गया है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके अस्पृष्टता सम्बन्धी विचार जो अनुसूचित जातियों ने प्रति समाज में पाया जाता रहा है अब यह दृष्टिकोण बदलने लगा है उच्च शिक्षा प्राप्त करके अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार के सुलभ अवसर प्राप्त हो रहे हैं तथा सरकारी नौकरियों में भी अब इनका प्रतिनिधित्व पाया जा रहा है अनुसूचित जातियों की सामाजिक प्रस्थितियों में भी काफी परिवर्तन हुआ है। अनुसूचित जातियों में राजनीतिक नियोग्यताएं भी धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। अनुसूचित जातियों में शिक्षा प्राप्त करके

राजनीतिक सहभागिता में भी वृद्धि हुई है ग्राम पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा वर्तमान समय में जातियों में असमानता सम्बन्धी विचार धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **सच्चिदानन्द 1974** : 'रिसर्च ऑन शिडयूल कास्ट विद स्पेशल टू चेंज' इन आई.सी.एस.एस.आर. फर्स्ट सर्वे ऑफ रिसर्च सोशियोलॉजी एण्ड सोशल एन्थ्रोपोलोजी, वोल्यूम II बॉम्बे पापुलर प्रकाशन, (पृष्ठ 276-310)
2. **देसाई , आई.पी. 1973** : 'अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात' बॉम्बे पापुलर प्रकाशन, पृष्ठ 1-165
3. **राव, एन.जे.उषा 1981** : 'डिप्रवाइड कास्ट इन इण्डिया' ए प्रोफाइल ऑफ कर्नाटक, नई दिल्ली, हग पब्लिकेशन्स, (पृष्ठ 1-331)
4. **सच्चिदानन्द 1988** : 'सोशल चेंज इन विलेज इण्डिया' नई दिल्ली, कनसेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी , (पृष्ठ 19-27)
5. **कुमार अभिमन्यू 2012** : 'द स्टडी ऑफ सोशल मोबिलिटी अमंग शिडयूल कास्ट्स' ग्लोबल एडवांस रिसर्च जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड रिव्यू , वोल्यूम नं0 3 (पृष्ठ 35-40)

भारतीय विधि में दृश्यरतिका

सुशानु जैन *

* असि. प्रोफेसर (विधि) नवसंवत् लॉ कॉलेज, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान परिस्थितियों में महिलाएँ हर कार्य में दक्षता का परिचय दे रही हैं फिर भी उनके प्रति अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं इस शोध के माध्यम से उन्हें जागरूक करना व उनके विधिक अधिकारों से परिचय करवाना है।

शब्द कुंजी – दृश्यरतिका, भारतीय दंड संहिता, धारा 354 (C)।

प्रस्तावना – दुनिया में जिस तेजी से बदलाव आ रहा है, वैसा बदलाव महिलाओं की स्थिति में नहीं आ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग की 2021 की रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति अपराध का 46% है। वहीं महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों की संख्या 858 मिली है।

भारतीय सभ्यता में नारी की स्थिति परिवर्तनशील रही है प्राचीन काल में महिला सर्वोच्चता पर, वहीं मध्यकाल में दयनीयता और आधुनिक काल में अपनी चरम सीमा पर है वर्तमान में टेक्नालॉजी के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है दृश्यरतिका के खिलाफ कानूनों की उपलब्धि तो है पर पर्याप्तता की कमी है। इस समाज में अधिकतर महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाओं और किशोरों का निशाना बनाया जा रहा है।

दृश्यरतिका की परिभाषा – दृश्यरतिका अर्थात्, मात्र कोई दृश्य देखकर प्रसन्न होना या सुख प्राप्त कराना है यह दृश्यरतिका अपराध का स्वरूप जब प्राप्त करती है तब इस उद्देश्य अन्य लोगों को देखने से यौन आनंद प्राप्त करने का कार्य होता है, जब वे निजी गतिविधियाँ जैसे कि संभोग में संलग्न होते हैं सोशल मीडिया, सीसीटीवी कैमरे आदि एन प्रकार के साधनों से दृश्यरतिका में बढ़ोतरी हुई है एन.सी.आर.बी. की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा दृश्यरतिका के मामले महाराष्ट्र में 252 फिर म.प्र. में 163 हैं।

दृश्यतावाद का इतिहास – दृश्यरतिका शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द वॉयर से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है जो दिखता है। देखने वाले व्यक्ति को वायूर कहा जाता है वायूर एक प्रकार पुरुष होता है जो गुप्तता से देखता है दृश्यरतिका को समय की माँग के अनुसार विधि में अपराध के तौर पर अलग-अलग देशों में शामिल किया गया है।

यूनाइटेड किंगडम	-	2004 में
कनाडा	-	2005 में
भारत	-	2013 में

दृश्यरतिका से संबंधित भारतीय विधि में प्रावधान

धारा-354 (C) को जस्टिस वर्मा की कमेटी द्वारा 2013 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया।

धारा - 354(C) के अनुसार कोई पुरुष जो प्राइवेट कार्य में संलग्न स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या, का चित्र खींचेगा जहाँ उसे समान्यता

या अपराधी द्वारा देखे न जाने की प्रत्याशा होगी, ऐसे चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुमनि से भी दंडित किया जाएगा।

अपराध को पुनः दोहराया गया तो दोषसिद्धि पर कारावास 7 वर्ष तक और जुमाना दोनों से दंडनीय होगा।

इस धारा के प्रथम स्पष्टीकरण निजी अधिनियम शब्द को और द्वितीय में सहमति को परिभाषित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 की धारा 66E में जो कोई जान बूझकर किसी व्यक्ति के निजी क्षेत्र की छवि को उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में केचर, प्रकाशित या प्रसारित करता है, उसे तीन वर्ष के कारावास या जुमनि या दोनों से दंडित किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम की धारा 67A में इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्पष्ट यौन कृत्य आदि वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करेगा उसे 5 वर्ष तक और जुमनि से दंडित किया जाएगा।

उपसंहार – महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड के कई प्रावधान हैं फिर भी महिलाओं संबंधित अपराध की गति काफी तेज है दृश्यरतिका का अपराध अनियंत्रित है पीछा, ताकड़ा करना, केचरिंग आदि अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट प्रावधान की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर ज्यादातर महिलाएँ इस अपराध के विरुद्ध आवाज नहीं उठाती कुछ शर्म के कारण या अन्य वजह से ऐसे में उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 354 सी व सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ बदलाव हमारे समाज की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं पर हमें अधिक सख्त और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है साथ ही जो इस प्रकार के अपराध में लिप्त हैं उन्हें चिकित्सक देख रेख में निदान की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो भारत में अपराध 2020 पर उपलब्ध <https://Ncrb.gov.in/sites/default/files/cII/202020/>

2. आईपीसी 1860, धारा 354 सी 1801(2004)
3. सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 धारा 66ई, 67ए 5. <https://www.lawyered.in/legal.disrupt/articles/laws.related.sextortion/>
4. वीडियो दृश्यरत्तिका निवारण अधिनियम, 18 यूएस सी

अपराध	धारा	सजा	स्वरूप	विचारण
1 दृश्यरत्तिका (प्रथम बार अपराध के लिए)	354(C) भारतीय दंड संहिता, 1860	1-3 साल कारावास + जुर्माना	संज्ञेय और जमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
2 दृश्यरत्तिका दूसरी बार या उसके आगे दोबारा अपराध के लिए	354(C) भारतीय दंड संहिता, 1860	3-7 साल कारावास + जुर्माना	संज्ञेय और अजमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
3 गोपनीयता का उल्लंघन	66(E) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	3 साल + जुर्माना	असंज्ञेय और जमानतीय	कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
4 स्पष्ट यौन कृत्य वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रकाशन (प्रथम बार पर)	67(A) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	5 साल + जुर्माना	संज्ञेय और अजमानतीय	फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय
5 स्पष्ट यौन कृत्य वाली इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रकाशन (दूसरी बार)	67A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000	7 साल + जुर्माना	संज्ञेय और अजमानतीय	सेशन कोर्ट द्वारा

Religious and Cultural Aspects in Chetan Bhagat's Novels

Chanchal Choubisa*

*Research Scholar (English) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed-to-be University),
Pratapnagar, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - In the Indian society, religion plays a vital role. It is the guiding force, laying more stress on standards and values of human life. This propagates a value based life in the society. The impact of religion can be seen today also. In the name of religion, a lot of manipulation has taken place which is followed blindly by the people to establish customs and tradition in the society. One of the burning issues in the present time is a fluctuating the educational system. The defective system and impractical aspects of education frustrate the students. Therefore, it becomes mandatory to discuss the religious trends, cultural and educational aspects explored by the modern novelist. Chetan Bhagat has touched all these aspects in his novels.

Mythology is an integral part of Indian life. The children show interest in the folklore and get influenced by them. People talk about Ramayana and Mahabharata to show their relevance and reverence to our tradition and culture. We observe that even today the people relate their lives with the myths like Ramayana and Mahabharata and are influenced by the scriptures and try to link their lives with them. Chetan Bhagat picks up the names of his characters from the mythology, like Hindu deity Vishnu, Hari in *Five point someone*, Shyam in *One Night at the Call centre*, Govind in the *Three Mistakes of My Life*, Krish in *2 States*, Raghav and Gopal in *Revolution 2020* and Madhav in *Half Girl Friend*. Chetan Bhagat has used God as a cozy friend with mobile phone in hand in *One Night @ Call Centre* (2005). No other novel upto now has used God with mobile phone. The other distinctive feature is the phone call from God. Bhagat's God advises his devotees as to how to come out from the iron web of death. The phone calls of God motivate the survivors to settle the account with their boss.

Here Bhagat shows the religious quotient in the novel. He does it in order to make the people learn and understand the need to be united in the difficult times. This is the call of their "will to do" or "will to live". Bhagat places the call to make each character realize their actual purpose in life. He suggests that people should listen to the inner call and act accordingly. The call is from the power that rules the universe. What the call suggests is that, the people should

take care of two things, one is to think what they want and the other is what they need to do to bring change in their life. For example Shyam wants to be with Prinyanka, he has to develop his self confidence. The sub-conscious mind knew his weakness. It points out the loss of his confidence which makes him convinced that he is good for nothing. There after Shyam feels that he has to bring his self confidence back. The inner call knows the real problem and its roots. The problem stems from the company a person keeps. If a person chooses to live with a criticizer, he will find the same in his company. Shyam's boss thinks him to be a big loser and Shyam accepts it as such. On the other hand, it is the boss who is a loser. The inner call encourages Shyam not to be scared.

He feels positive. He thinks for a while and decides to teach a lesson to the one who has destroyed his life and put everything at a stake. Now he turns offensive for the sake of his ladylove as well as for humanity. Shyam acts upon the call of his inner being and thus becomes a revolutionary. He with the help of his friend Varun blackmails his boss to cancel the layoffs. Besides, that he suggests another source to increase the call volume of the company. He starts his own website and starts developing company in association with Varun. Thus, in this way he proves his ability and capabilities worthy in the eyes of his ladylove the one who does not believe in his capabilities.

India enjoys a rich cultural heritage from the ancient to the modern times. The word "culture" is derived from the latin word "colere" which means inhibit, to honor. It shows the various experiences of humanity and to imbibe the same to give life a meaning and make it easy to understand and live.

Culture refers to different meanings to different people or group. Culture is belief, behavior and pattern of society or societal life. Culture enhances language, ideas, customs, codes of conduct, art, tradition, values, knowledge, rituals and is about how to behave and co exist in the society. It gives skills through which we may become more creative and provides an incite about the history, arts, crafts, celebration, medical application, architectural forms, healing

methods, social life & interaction, etc. It is also about developing ourselves and changing the environment of the society.

Bhagat touches upon some sensitive issues in the novel like father-son relationship, lover and beloved relationship, culture diversity, corporate exploitation, etc. He is of the opinion that love knows no boundaries, of caste, culture, religion, state and country. Though Bhagat never claimed that this is his own story but it has strong autobiographical element that it belongs to him. In fact, it is a story in which Bhagat shows that despite all odds love triumphs and shows a different path in life. It is a story of interstate marriage.

Two States is a story of a couple. The boy is from Punjab and the girl is from Tamil Nadu. Both of them are from different culture and tradition. Many people face this type of situation in the country and they succeed also despite the fact that their entire culture is different. They face problems in making the family one and sometimes have to combat against their destiny to get their marriage solemnized. Krish and Ananya have to make an extra effort to turn their dream into success. Here we find love never runs smooth and this is very true in the case of Krish and Ananya. Basically cross-culture tries to bring together relatively, unrelated areas such as social and cultural similarities and differences. The main aim of the novel is to focus on the culture change.

The novel discusses the Indian marriage and about winning hearts of the families. The novel brings back the memories of the author's own pre-wedding days. The amount of struggle the two characters experience and overcome shows their determination. It has got all the elements, like emotions, sex, friendship, exploitation, wedding, rituals, break up, reunion, relatives, relationship, etc.

The story begins in the canteen in IIM Ahmedabad where the lead characters fall in love with each other at first sight. The Ananya is a different sort of a girl. She is a bold girl who dares to oppose the mess in-charge for not serving quality food to them.

The novel is a perfect platform for showcasing the mindset of the people who are rigid, traditional and not ready to accept inter-caste marriage and follow the orthodox customs and traditions. Chetan Bhagat draws one's attention to the life of people and culture from different states. The Indian society does not allow the mixed marriage proposals. They still strongly hold on to their caste, customs, religion and geographical boundaries. Bhagat depicts complex and deeply rooted sociocultural problems of multi-cultural India light heartedly. He makes the readers laugh on the issues those are very small, but the society projects them as big issues. He tries to make the readers understand and realize their faults and to improve upon their mistakes in the real life. From the cultural perspective, they believe they are the care takers of their culture. One can compare Bhagat's dictum in the light of the above encyclopedia's concept of marriage and the rituals, and the ceremonies. One is reminded of the complexities of Indian culture as compared to the world around.

References:-

1. Barack Obama. Bio. A & E Television Networks, 2015. Web. accessed on 23 Apr. 2015. <http://www.biography.com/people/barack-obama-12782369>
2. Bhagat, Chetan. *2 States: The Story of My Marriage*. Rupa Publication India Private Limited, 2009.
3. — *Revolution 2020: Love, Corruption, Ambition*. Rupa Publication India Pvt. Ltd., 2011.
4. Britannica Student's Encyclopedia. 2007.
5. Hallak, J. and Poisson, M. (2005): 'Ethics and corruption in education: an overview'. *Journal of Education for International Development*. 1(1) <http://equip123.net/JEID/articles/1/1-3.pdf>. Accessed on 13 July, 2018.
6. Milner, Andrew and Browitt Jeff. *Contemporary Cultural Theory*. 3rd Edition. Rawat Publication, 2003.
7. Ryan, Michael. *Cultural Studies: An Anthology*. USA : Backwell Publishing Ltd., 2008.
8. Sahni, Diksha. "Q & A Chetan Bhagat on his New Book". *The Wall Street Journal*. India Real Time. 19th September, 2011.

Production Linked Incentive (PLI) Scheme

Dr. Savita Gupta*

*Professor (Economics) Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Introduction - The production-linked incentive (PLI) scheme was announced by the national government in March 2020 to make India a competitive player in global markets and to increase domestic manufacturing and exports. The PLI scheme intends to reward businesses for increased sales of products made in domestic facilities. The initiative encourages international corporations to establish units in India, but it also attempts to encourage domestic enterprises to establish or expand existing manufacturing facilities, so creating more jobs and reducing the country's dependency on imports.

Key objectives of the PLI scheme were announced in March 2020:

1. Protect identified product areas.
2. Introduce non-tariff measures that make imports more expensive.
3. Acknowledge the relevance of exports in the overall growth strategy, with a renewed focus on the domestic market.
4. Promote domestic manufacturing by offering production incentives and encouraging capital investments.
5. Attract core knowledge competency and cutting-edge technologies.
6. Create economies of scale and ensure efficiencies.
7. Promote job generation and employment.
8. Construct district-level export hubs.
9. Reduce compliance burden.
10. Improve ease of doing business.
11. Cut down logistics costs.
12. Boost domestic manufacturing output by Rs. 3,763,150 (US\$ 520 billion) in five years.

The strategy was created for a few select industries in FY2019–20, including the manufacturing of mobile phones and related equipment, pharmaceutical ingredients, and medical devices. The Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY) and the Department of Pharmaceuticals implemented this with a budget of Rs. 51,311 crore (US\$ 7,089 million) spread over five years. In FY2020, 150 manufacturing units benefited from the scheme, generating increased sales of Rs. 46,400 crore (US\$ 6,187 million) and demonstrating great potential for

additional employment over the next eight years. As a result, the initiative has been expanded to include an additional ten “sunrise” industries to strengthen the economy and India's self-sufficiency. The PLI scheme is designed to be implemented by specified industries and departments for each sector with the twin objective of enhancing India's manufacturing capabilities and goods export.

This initiative was announced by the Union Finance Minister, Nirmala Sitharaman, during the Atmanirbhar Bharat 3.0 Stimulus Package for FY20–21, with an estimated allocation of Rs. 145,980 crore (US\$ 20,169 million) spread across five years.

The sectors covered under the new scheme are as follows:

Advance Chemistry Cell (ACC) Battery- For various global growth industries such as consumer electronics, electric cars, and renewable energy, ACC battery manufacturing represents one of the major economic opportunities in the twenty-first century. Large domestic and foreign players are likely to be enticed to set up a competitive battery system in the country as a result of the PLI programme for ACC batteries. The battery strategy of the scheme is to make producers more globally competitive, increase exports, realise economies of scale, and create cutting-edge goods.

The ACC sector's overall financial spend is Rs. 18,100 crores (US\$ 2,501 million). The NITI Aayog and the Department of Heavy Industries would be in charge of this sector. The first round of applications for the scheme attracted global majors such as Apple's contract manufacturers Foxconn, Wistron and Pegatron; Samsung; and local players such as Lava, Optimus and Dixon – committing >Rs. 11,000 crore (US\$ 1,520 million).

Automobiles and Auto Components- The PLI scheme for this industry will be overseen by the Department of Heavy Industries and Public Enterprises, in collaboration with the Ministry of Commerce. Instead of just total revenue from items sent in a particular year, they propose to offer standard operating procedures based on incremental increases in export revenue from the base year. In addition, the ministries intend to change the base year for calculating incentives from FY20 to FY19. The automobile sector has received a

total of Rs. 57,042 crore (US\$ 7,882 million) in financial incentives. In approximately a five-year term, the PLI scheme is estimated to raise over Rs. 100,000 crore (US\$ 13,819 million) and create another 5,884,000 employment. In India, the automobile sector is a significant economic contributor.

The PLI scheme is likely to make this industry more competitive and enhance the globalisation of the Indian automotive sector.

Pharmaceutical Drugs- The pharmaceuticals programme is meant to boost high-value product manufacture in the country and increase value addition in exports. The Department of Pharmaceuticals will be in charge of this sector's scheme. A total of Rs. 15,000 crore (US\$ 2,073 million) in financial incentives has been granted to the sector. India currently sells pharmaceuticals to 200 nations throughout the world, but imports high-value copyrighted medications for domestic use. The initiative intends to make India's pharmaceutical industry more globally competitive by lowering import costs.

The PLI scheme will incentivise global and domestic players to engage in high-value production. The estimated pharma exports in the next five years are valued at Rs. 200,000 crore (US\$ 35 billion). The Indian pharmaceutical industry is the third-largest in the world by volume and 14th in terms of value. It contributes 3.5% to global drug and medicines exports. India has the complete ecosystem for developing and manufacturing pharmaceuticals and a robust ecosystem of allied industries.

Telecom and Networking Products - The telecom sector's PLI plan aims to offset telecom equipment imports while also bolstering the 'Make in India' drive for telecom items in the domestic market. India currently imports telecommunications and network equipment worth Rs 50,000 crore (US\$ 6,909 million) per year. To address this concern, the Union Cabinet has sanctioned a maximum financial outlay of Rs. 12,195 crore (US\$ 1,685 million) for domestic and overseas firms to receive production-linked incentives.

The Department of Telecom will be in charge of this area. In the next few years, the scheme is expected to attract investments worth Rs. 3,000 crore (US\$ 415 million), incremental production worth Rs. 244,200 crore (US\$ 33,745 million), goods exports worth Rs. 1,95,360 crore (US\$ 26,996 million), tax revenue worth Rs. 17,000, and additional direct and indirect employment worth 40,000 people.

Textile Products - The PLI scheme for the textile sector envisages the highest financial benefits for companies entering the textile space. Eligible companies can gain up to 11% of monetary incentives for boosting production and employment in this space—this is the highest among all 10 sectors. As per the criteria, new entrants would be required to invest at least Rs. 500 crore (US\$ 70 million) to be eligible for the scheme. The incentive rate for existing companies

in the sector is capped at 9% of incremental production in the first year for companies with a turnover between Rs. 100 crore and Rs. 500 crore (US\$ 14-70 million). This incentive would be gradually tapered to 5% over five years. Companies with a turnover of >Rs. 500 crore (US\$ 70 million) would be eligible for a 7% incentive, which would be reduced to 3% over five years. The maximum amount of financial incentives approved by the Union Cabinet for this sector is Rs. 10,683 crores (US\$ 1,476 million). The scheme aims to create 50-60 globally competitive champion companies in these two textile segments – man-made fibres and technical fibres.

The Indian textile industry is one of the largest in the world, holding ~5% – worth Rs. 673 crore (US\$ 93 million) – of the global exports in textiles & apparel. But, India's share in the MMF segment is low in contrast to the global demand and consumption, which is valued at Rs. 79,600 crore (US\$ 11,000 million). The PLI scheme will attract huge investments in the sector to fuel domestic manufacturing, especially in the MMF segment and technical textiles. The scheme for this sector will be implemented by the Ministry of Textiles.

Food Products- The PLI scheme for the food processing sector will be implemented by the Ministry of Food Processing Industries, with the aim of enhancing manufacturing capability, increasing food product exports and introducing food-processing facilities in semi-rural and rural regions in the country. Under this scheme, the government envisages offering support to 2 lakh beneficiaries to upgrade their businesses, with the objective of integrating micro-food processing enterprises into the mainstream industry. The total amount of financial incentives earmarked for this sector is worth Rs. 10,900 crore (US\$ 1,506 million). Specific product lines with high-growth potential and capabilities to generate medium to large-scale employment have been identified for providing support through PLI schemes. The products include ready-to-eat goods, ready-to-cook products, marine products, fruits & vegetables, honey, desi ghee, mozzarella cheese, organic eggs and poultry meat. The growth of the processed foods industry will ensure better prices for farmers and reduce high levels of wastage.

High-Efficiency Solar PV Modules- The Government of India is looking at investing Rs. 4,500 crore (US\$ 622 million) in manufacturing solar PV modules under the PLI scheme. PLI for the solar sector will be managed by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). This scheme will encourage domestic and global companies to build large-scale solar capacity in India through vertically integrated manufacturing facilities, thereby helping India become a part of the global value chain for solar PV manufacturing. The scheme for the solar sector is expected to attract a direct investment of Rs. 14,000 crore (US\$ 1,935 million) from global solar manufacturers.

White Goods (ACs and LEDs)- The PLI scheme for air

conditioners and LED lights, is worth Rs. 6,238 crore (US\$ 862 million), will be launched officially on April 1, 2020, by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). The scheme will focus on boosting manufacturing for the domestic and global markets and improving the quality and scale of production in the country. With this scheme, 1,000 companies are being monitored globally; these companies either have a presence in India or are likely to enter soon. Support will be extended to such companies via the investment promotion division of the commerce & industry ministry, Invest India and project development cells of various relevant ministries. In the next five years, production worth Rs. 17,000 crore (US\$ 2,349 million) is likely to be achieved under the scheme. This will also expand exports by Rs. 64,400 crores (US\$ 8,899 million) and create more than 100,000 jobs. The scheme is aimed to generate revenue worth Rs. 11,300 crore (US\$ 1,562 million) through direct tax and Rs. 38,000 crore (US\$ 5,251 million) through goods & services tax. An incentive of 4-6% will also be provided to eligible companies on incremental sales over the base year FY19-20 for goods manufactured in India and covered under the target segments.

Specialty Steel Products- Steel is a strategically important industry and India is the world's second-largest steel producer. It is a net exporter of finished steel and has the potential to become a leader in certain grades of steel. A PLI scheme in speciality steel will help in enhancing manufacturing capabilities for value-added steel, leading to an increase in total exports. This sector will be managed by the Ministry of Steel. The total budget allocated to the

automotive sector is Rs. 6,322 crores (US\$ 874 million). Inclusion of the sector under the PLI scheme will stimulate investments, ramp up production, generate employment and facilitate technology upgrades. Apart from this, the scheme will encourage local manufacturing of the import-dependent, cold-rolled grain-oriented (CRGO) steel grade used by the electrical sector. Of the total amount of Rs. 6,322 crore (US\$ 874 million), Rs. 568 crore (US\$ 78.5 million) will be provided to steel producers to expand or diversify the production of the CRGO steel grade.

References:-

1. https://www.ey.com/en_in/tax/india-tax-insights/production-linked-incentive-schemes-in-india-the-journey-so-far
2. <https://www.crisil.com/en/home/newsroom/press-releases/2022/03/in-3-4-years-pli-to-account-for-13-15-percent-capex-in-key-sectors.html>
3. <https://www.investindia.gov.in/production-linked-incentives-schemes-india>
4. <https://www.ibef.org/research/case-study/production-linked-incentive-pli-scheme-potential-to-boost-to-india-s-manufacturing-and-exports>
5. <https://dpiit.gov.in/production-linked-incentive-scheme/production-linked-incentive-scheme-pli-white-goods>
6. <https://www.techsciresearch.com/blog/can-pli-scheme-revive-the-indian-economy/204.html>
7. <https://www.counterpointresearch.com/indias-pli-push-paves-new-path/>
8. <https://www.india-briefing.com/news/what-are-production-linked-incentive-schemes-and-how-will-they-build-up-indias-manufacturing-capacity-23538.html/>

गोडवाड़ सर्कट के प्रमुख ऐतिहासिक दुर्ग

जगदीश कुमार*

*शोधार्थी (इतिहास) माधव विश्वविद्यालय, आबुरोड, सिरौही (राज.) भारत

प्रस्तावना - 'दुर्ग' शब्द में 'दुः' से तात्पर्य दुःष्कार अथवा कठिन से 'ग' से गमन अर्थात् जाना से है। कुल मिलाकर दुर्ग से अभिप्राय उस रचना से है जहां तब पहुंचना कठिन होता है। दूसरे शब्दों में दुर्ग वह रचना है जो शत्रुओं से सुरक्षा और युद्ध के लिए विशेषतर निर्मित की जाती है। सामान्यतः वह भवन जो चारों ओर में सुदृढ़ परकोटे से सुरक्षित हो उसे दुर्ग कहा जा सकता है। शुक्र नीति में राज्य के सात अंगों राजा मंत्री कोष राष्ट्र सेना सुहृत् और दुर्ग बताये हैं अर्थात् उक्त सात अंगों से राज्य स्थापित होता है। शुक्र नीति दुर्ग को राज्य का हाथ और पैर बताते हुए कहती है।

दृग मांत्यां सुहृच्छोत्रं मुखं कोशो बलं मनः।

हस्तौ पादौ दुर्गो राष्ट्रे राज्यांगानि स्मृतानि हि॥

मनुस्मृति में उल्लेख किया है कि एक धनुर्धारि दुर्ग के बाहर खड़े सौ योद्धाओं का अकेले सामना कर सकता है।

एकः शतं योधयति प्रकारार्थो धनुर्धरः।

शतं दशसहस्राणि तस्माद्दुर्गं विधीयते॥

दुर्ग की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन शुक्रनीति मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति, वायुपुराण, ब्रह्मपुराण, मत्स्यपुराण, भागवत पुराण आदि के विभिन्न अध्यायों और श्लोकों में दुर्गों के छः प्रकार बताये गये हैं।

1. **धन्य दुर्ग** - वह दुर्ग जो जल से विहिन खुले भू-भाग पर पांच भोजन के घेरे में बना है।
2. **मही दुर्ग** - प्रस्तर खण्डों एवं ईंटों से बना दुर्ग।
3. **वार्क्ष दुर्ग** - जो दुर्ग एक भोजन तक कटिलें लम्बे वृक्षों लताओं झाड़ियों से युक्त हो।
4. **जल दुर्ग** - जिसके चारों ओर जल व्याप्त है।
5. **नृ दुर्ग** - जो चारों दिशाओं से चतुर्गिर्णी सेना से सुरक्षित हो।
6. **गिरी दुर्ग** - पहाड़ों पर स्थित दुर्ग जिस पर कठिनाई से पहुंचा जाये। जिसमें प्रवेश का केवल एक ही मार्ग हो।

राजस्थान में दुर्ग निर्माण की परम्परा के प्रारम्भ के सन्दर्भ में कोई विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। माना जात है कि सिन्धु सभ्यता के काल में राजस्थान में दुर्ग निर्माण आरम्भ हो गया था। कालीबंगा की खुदाई से प्राप्त दुर्ग के अवशेष राजस्थान के प्राचीनतम अवशेष माने जाते हैं। गोडवाड़ सर्कट के स्थापत्य शिल्प के महत्वपूर्ण प्रतीक दुर्ग मूलतः मध्यकालीन संस्कृति के प्रहरी माने जाते हैं। इस क्षेत्र के दुर्ग युद्ध काल में रक्षा संस्कृति और शांति काल में कला संस्कृति के प्रतीक माने जाते थे। प्रचलित मान्यता अनुसार राजस्थान में प्रत्येक 10 मील पर एक दुर्ग स्थित था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के

पश्चात् एक अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र में 656, मध्यप्रदेश में 330, राजस्थान में 250 दुर्ग अस्तित्व में थे। गोडवाड़ सर्कट में समारिक 250 दुर्ग अस्तित्व में थे। गोडवाड़ सर्कट में सामरिक एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण दुर्ग अवस्थित हैं।¹

जिनमें जालौर जिले में जालौर, भाद्राजुन, कोटकास्तां सिरौही जिले में बसन्तगढ़, अचलगढ़, सिरौही दुर्ग, रोहुआ, बान्ध्यागढ़, भाजा, पाली जिले में आगेवा, लोटोती, रोहट, बुलुन्दा, सेवरिया, रास, ढाणी निंबेरी, देसुंरी, सेवाड़ी, राणावास, ढाल, हलावट, जैतारण, बालि, कोसेलाव, पालड़ी, जोड़, सुमेल, गुन्दोज, खारिया नीव आदि पुराने किले एवं उनके अवशेष वर्तमान में मौजूद हैं।² प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में गोडवाड़ सर्कट के पर्यटन की दृष्टि से उल्लेखनीय दुर्गों का वर्णन निम्नानुसार समावेशित किया गया है। गोडवाड़ सर्कट के अधिकांश दुर्ग गिरी दुर्ग, मही दुर्ग, वार्क्ष दुर्ग की श्रेणी में आते हैं।

बसन्तगढ़ दुर्ग - राजस्थान के गोडवाड़ सर्कट प्राचीनतम दुर्गों में सम्मिलित बसन्तगढ़ दुर्ग सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सिरौही जिले में बसन्तगढ़ दुर्ग जिस भुला-बिसरा दुर्ग भी कहते हैं। पिण्डवाड़ा रेल्वे स्टेशन से 8 कि.मी दूर बसन्तगढ़ नामक प्राचीन गांव जाता जिसे वातपरागण बसन्तपुर आदि नामों से प्राचीनकाल में पहचाना जाता था स्थित है। लाहिणी बावड़ी के एक लेख के अनुसार इस प्राचीन गांव का नाम वशिष्ठ पुर वटपुर भी था। जो दुर्ग निर्माण के उपरान्त बसन्तगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। बसन्तगढ़ का दुर्ग गुप्त कालीन दुर्गों की श्रेणी में माना जाता है। बसन्तगढ़ शिलालेख जो वि.स. 682 ई. का है से ज्ञात होता है कि मेवाड़ के महाराणा कुम्भकर्ण (कुम्भा) ने पहाड़ियों पर एक गढ़ बनवाया जो बसन्तगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।³ बसन्तगढ़ दुर्ग में स्थित क्षेमकरी (क्षेमार्थ) मंदिर में स्थित लेख से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के लगभग हुआ होगा और सम्भवतः समुद्रगुप्त ने इस दुर्ग को चुनौती दी होगी। जब क्षेमकारी मंदिर का निर्माण हुआ तब यह प्रदेश वर्मलात राजा के अधिकार में था और सिरौही आबू के आस-पास का क्षेत्र राजा के सामंत रज्जिल के अधीन था जो वज्रभट्ट (सत्याक्षय) का पुत्र था। वर्मलात सम्भवतः चावड़ा वंश का शासक था। क्योंकि उसकी राजधानी श्रीमाल (श्रीनमाल) भीजहां के ज्योतिष शास्त्री बहमगुप्त ने इस्फुट आर्य सिद्धान्त नामक ज्योतिष ग्रन्थ की रचना की सम्भवतः उस समय व्याग्रमुख (चावड़ा वंशीय) यहां का राजा था।⁴ व्याग्रमुख वर्तमान का सम्भवतः उत्तराधिकारी होगा क्योंकि प्रसिद्ध कवि माघ जो श्रीनमाल का निवासी था अपने काव्य शिशुपाल वध में लिखता है कि उसका दादा सुप्रभदेव वर्मलात का मुख्य मंत्री सर्वाधिकारी था।⁵ वल्लभी के अन्तर्गत

श्रीमाल (श्रीनमाल) का राज्य आता था। इसी श्रीनमाल नरेश वर्मलात के यहां एक मंत्री सुप्रभदेव नाम से था। शिशुपाल वध नामक काव्य के अंत में कवि वंश सम्बन्धित पांच श्लोक दिए गए हैं। जिसमें सुप्रभदेव को वर्मलात का सर्वाधिकारी तथा द्वितीय नरेश कहा गया है।⁶ डॉ. कील्हार्न सिरौही के बसन्तगढ़ नामक स्थान से वर्तलात राजा का 682 वि.स. का शिलालेख प्राप्त हुआ जिससे ज्ञात होता है कि श्रीनमाल के आसपास के क्षेत्र में वर्मलात साहित्यकारों के आश्रयदाता रहे होंगे। शिशुपाल काव्य के अन्त में माघ के 5 श्लोक अपने वंश का वर्णन करते हैं। जिससे ज्ञात होता है कि उसके पितामह सुप्रभदेव गुजरात के वर्मलात राजा को वर्मलात राजा के मंत्री थे। वर्मनाम, धर्मलात, धर्मनाभ आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। कुल मिलाकर काल्हार्न ने राजा का शुद्ध नाम वर्मलात माना है। और उनको माघ के पितामह व सुप्रभदेव का आश्रय दाता स्वीकार किया है।⁷

बसन्तगढ़ दुर्ग में वि.स. 744 का एक शिलालेख उत्कीर्ण है। जिसमें एक जैन प्रतिमा पर बनाने वाले का नाम शिवनाग बताया गया है। यहां से प्राप्त धातु प्रतिमाओं से ज्ञात होता है कि शिवनाग से जैसे शिल्पी यहां रहते थे। जो विभिन्न प्रकार के सम्बन्धों के निर्माण में महारथ हासिल किए हुए थे। जो विभिन्न प्रकार के स्वरूपों के निर्माण में महारथ हासिल किए हुए थे।⁸ क्षेत्र के स्थानीय निवासी इसे वातपरागढ़ नाम से भी सम्बोधित करते हैं। पूर्णपाल परमार के शिलालेख में इसका नाम वशिष्ठपुर, बटपुर मिलता है।⁹ **दुर्ग की बनावट-** यह दुर्ग ढलान पर लगभग 6 कि.मी क्षेत्र में विस्तृत है। दुर्ग की दीवारें 25 फीट ऊंची हैं। जो पहाड़ी पर घुमने वाली प्राचीर किसी तपस्वी के शरीर प पड़ी रुद्राक्ष की माला के समान दिखाई देती है। यह दुर्ग समुद्र तल से लगभग 2500 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।¹⁰ दुर्ग के नीचे दाहिनी ओर एक सरिता प्रवाहित है। जिससे दुर्ग को जलापूर्ति होती है। संस्कृत के महाकवि माघ ने बसन्तगढ़ दुर्ग को श्रीमाल क्षेत्र का (श्रीनमाल) प्रहरी दुर्ग बताया है। यहां शिवनाग नामक एक शिल्पी हुआ जो अपनी निर्माण कला में प्रजापति ब्रह्मा का प्रतियोगी कहा जाता था।¹¹ बसन्तगढ़ दुर्ग की प्राचीन काफी सुदृढ़ पर्वतशृंखला के अनुरूप ऊँची नीची ढाल में टेढ़ी-मेढ़ी सर्पाकार आकृति में निर्मित है। यह दुर्ग तीन दीवारों की पंक्तियों से युक्त है। प्रथम प्राचीन पर्वतीय दुसरी दीवार के रूप में निर्मित और तीसरी नदी के रूप में है। दुर्ग तक पहुंचने के लिए कम से कम दो प्राचीरों को पार करना अनिवार्य है।

वर्तमान समय में इसके दो द्वार खण्डर के रूप में मौजूद हैं। पूर्वी ढाल पर सूरजपोल और पश्चिम दिशा में दुर्ग का मुख्य द्वार स्थित है। प्राचीन के दोनों ओर कई गुप्त द्वार और रक्षा बुर्ज विद्यमान भी किन्तु आज बसन्तगढ़ में मंदिर और भवनों के खण्डहर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दीवारों का निर्माण मूलरूप से पत्थरों से किया गया है। चुनाई व बुर्ज निर्माण में लाल चुने का प्रयोग हुआ जान पड़ता है। चुनाई व बुर्ज निर्माण में लाल चुने का प्रमाण दिखाई देते हैं। इस दुर्ग में ब्रह्मामंदिर, सूर्यमंदिर, क्षेमकारी मंदिर, जैनमंदिर, आदि कई महत्वपूर्ण भवनों के खण्डर मौजूद हैं।

बसन्तगढ़ दुर्ग के कन्द्रीय क्षेत्र में स्थित मंदिर समूह में भगवान शिव के मंदिर अवस्थित है। दुर्ग परिसर में लाहिणी बावड़ी के एक और एक छतरी निर्मित है। जिसमें भगवान शेषाहाही नारायण का विग्रह स्थित है। इस विग्रह में ब्रह्मा को भगवान की नाभि से निकले कमलनाथ से प्रकट होता दर्शाया गया है। बसन्तगढ़ परिसर में तीन बावड़ियाँ स्थित श्री जो वर्तमान में पूर्णतः खण्डित अवस्था में स्थित है। इस दुर्ग में एक ब्रह्मामंदिर भी बना है। जिसका विवरण आगे के अध्याय में प्रस्तुत किया जाएगा।

दुर्ग के पश्चिम में खीमेल माता का एक छोटा सा मंदिर है। यहां से 625 ई. का एक लेख प्राप्त हुआ है। इस लेख में बसन्तगढ़ का नाम वटपुर और खीमेल माता को क्षेमायदिवी नाम से सम्बोधित किया गया है। साथ ही आबू क्षेत्र के शासक वर्मलात के सामन्त रज्जल का उल्लेख मिलता है। खुदाई में कुछ पीतल की प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। जो सम्भवतः क्षेत्र के शासक द्वारा पिण्डवाड़ा के जैन धर्मावलम्बीयों को प्रदान की गई थी। इन जैन धर्मावलम्बीयों ने ये प्रतिमाएँ बसन्तगढ़ के जैन मंदिर में स्थापित करवाई होगी। ये प्रतिमाएँ अत्यन्त प्राचीन हैं। रिखबनाथ की प्रतिमा पर वि.स. 744 की तिथि अंकित है।¹²

दुर्ग में उत्तर-पश्चिम भाग में एक बावड़ी से परमार राजा पूर्णपाल के समय का एक शिलालेख मिला है। जिससे ज्ञात होता है कि 1042 ई. में रानी लाहिणी ने इस बावड़ी का जिर्णोधार करवाया था। जो परमार शासक पूर्णपाल की विधवा बहन थी रानी लाहिणी के लेख से ज्ञात होता है कि उस समय बसन्तगढ़ में दूर-दूर तक जंगल विस्तृत था। यही वट वृक्ष के नीचे मुनिवशिष्ट का आश्रम था और वट वृक्ष की विशालता के कारण इस क्षेत्र को वटपुर के नाम से सम्बोधित किया जाता था। मुनि वशिष्ठ द्वारा यहां ब्रह्मा व सूर्यमंदिरों का निर्माण करवाया गया। बसन्तगढ़ दुर्ग और यहां के मंदिरों को मध्यकाल में महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्रमशः 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी में इस दुर्ग को भारी नुकसान पहुंचाया। अन्ततः 15वीं शताब्दी में परमार शासन की समाप्ति के पश्चात् मेवाड़ महाराणा कुम्भा ने बसन्तगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया बसन्तगढ़ दुर्ग में पूर्व में 15वीं शताब्दी में परमार शासन की समाप्ति के पश्चात् मेवाड़ महाराणा कुम्भा ने बसन्तगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया बसन्तगढ़ दुर्ग के पूर्व में 15वीं शताब्दी का एक जैन मंदिर स्थित है। मंदिर में एक प्रतिमा पर उत्कीर्ण लेख के अनुसार 1450 ई. में इसकी स्थापना कुम्भकर्ण ने की थी। मेवाड़ के गुहिल शासकों के उपरान्त सिरौही के राव सुरतारण ने बसन्तगढ़ दुर्ग को अपने आधिपत्य में ले लिया।¹³

अचलगढ़- गोडवाड़ सक्रीट के सिरौही जिले में अवस्थित अचलगढ़ दुर्ग अपनी ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग आबू से 13 कि.मी दूर अरावली पर्वतमाला के ऊँचे शिखर पर अचलेश्वर मंदिर के पीछे स्थित है। जिसका निर्माण परमार शासकों ने 900 ई. के आस-पास करवाया था। इसी प्राचीन दुर्ग के भग्नावशेषों पर मेवाड़ के महाराणा कुम्भा ने 1452 ई. में अचलगढ़ नामक दुर्ग की स्थापना की।¹⁴ दुर्ग में सात (7) प्रवेश द्वार थे जो मुख्य मार्ग से लेकर अचलेश्वर मंदिर तक स्थित थे। जिनके नाम क्रमशः गणेशपोल, हनुमानपोल, चम्पापोल, भरोपाल आदि थे।

दुर्ग के निर्माण के सम्बन्ध में एलेग्जेण्डर, किनलॉक, फार्ब्स, अपनी पुस्तक रासमाला में लिखते हैं। आबूरोड (अचलगढ़ों) पर परमारों का किला है। जिसका कोट कुम्भा द्वारा निर्मित था। कुम्भा स्वयं इस दुर्ग में निवास करता था। दुर्ग के तोप खाने और गद्दी की बर्जी पर आज भी कुम्भा के नाम मौजूद हैं। यहां के एक मंदिर में कुम्भा के पीतल की मूर्ति स्थापित है। जिसका आज तक पूजन होता आया है। राणा कुम्भा ने पश्चिमी सीमा और आबू की घाटियों को दुर्ग की तरह निर्मित करवाया।

दुर्ग की प्राचीरें अत्यन्त मजबूत हैं। जो द्वार के निकट से प्रारम्भ होकर एक बहुत बड़े भू-भाग को घेरती हैं। प्राचीरों के निर्माण में बड़े-बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। दरवाजे से संयुक्त हुई किले की दीवारें आगे बढ़ती प्रतीत होती हैं। दुर्ग में नीचे की ओर एक जलाशय, सावण, भादवा नाम से

निर्मित है जिसमें वर्ष पर्यन्त पानी भरा रहता है। किले के पीछे क भाग में जहां ऊँचाई कम है वहां प्राकृतिक खाई नदी से बनी जान पड़ती है।

अचलेश्वर मंदिर से दुर्ग की और विस्तृत मार्ग में लक्ष्मीनारायण मंदिर, जैन तीर्थकर कुन्थुनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ, नेमीनाथ, आदिनाथ के मंदिर हैं। दुर्ग परिसर में ही चामुण्डा माता मंदिर भृगु ऋषि आश्रम, गोमती कुण्ड, कुम्भस्वामी मंदिर, कुम्भारानी का महल, आदि स्थित हैं। अचलेश्वर मंदिर के 1285 ई. के लेख में बप्पारावल से समरसिंह तक की वंशावली अंकित है और सिरौही के देवड़ा चौहान लुम्बा के आबू और चन्द्रावती विजय का उल्लेख मिलता है। अचलेश्वर मंदिर 108 शिलालिङ्गों से युक्त है किन्तु मुख्य स्थल पर शिवलिङ्ग की जगह एक छोटा सा गहड़ा बना है। जो काशी विश्वनाथ का अगुंठा माना जाता है। मंदिर के मुख्य गृह में पीतल का एक विशाल नन्दी स्थापित है। जिसकी पीठ पर मुस्लिम शासकों के प्रहारों के चिन्ह अंकित हैं। नन्दी के निकट ही अकबर के दरबारी कवि चारण जाति के दूरसा आढा की मूर्ति बनी है। इस मूर्ति पर 1619 ई. का एक लेख अंकित है।¹⁵

अचलेश्वर दुर्ग के शिव मंदिर में राजा कान्हड देव की पाषाण प्रतिमा और तौरण स्थित है। जिससे धतुला लटकाई जाती थी। राजा को सोना, चांदी, वस्त्र, अनाज के बराबर तोलकर उन्हें गरीबों में वितरित किया जाता था। कान्हडदेव की पाषाण प्रतिमा से अनुमान लगाया जाता है कि 13वीं सदी में यह दुर्ग जालौर के सोनगरो के अधिकार में था।¹⁶ 1382 से 1421 ई. में मेवाड़ क महाराणा लाखा ने मेवाड़ में शासन किया। महाराणा द्वारा लोहों का एक विशाल त्रिशूल अचलेश्वर मंदिर में चढ़ाया गया जो वर्तमान में अवस्थित है। मंदिर में एक बड़ा खण्ड भी स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह खड्डा पाताल तक जाता है। मंदिर के निकट ही एक 900 फुट लम्बा 240 फीट चौड़ा मन्दाकिनी कुण्ड अवस्थित है। जिसका निर्माण ठोस चट्टानों को काटकर एवं ईंटों को चुनकर किया गया था। किवदन्ती है कि यह कुण्ड घी से भरा रहता था। जिसे भैंसों के रूप में आने वाले तीन राक्षसों ने पी लिया परमार राजा धारावर्ष ने इन तीनों राक्षसों को एक ही बाण से बेध कर मृत्यु के घाट पहुंचाया था। वर्तमान में यहां धारावर्ष द्वारा बंधे गये तीन भैंसों की मूर्तियां आज भी प्रमाण स्वरूप मौजूद हैं।¹⁷

चन्द्रावती दुर्ग - परमारों की राजधानी चन्द्रावती जो एक सुदृढ़ परकोटे से सुरक्षित थी, सिरौही के आबू रोड से 4 मील दक्षिण में अवस्थित है। सोभाग्यानंद सूरी द्वारा रचित विमल चरित्र के अनुसार उस समय परमार शासकों के अधीन 1800 गांव हुआ करते थे। पण्डित लावण्य ने अपने ग्रंथ विमल प्रबन्ध में चन्द्रावती के भवन, तालाब, बावड़ियों आदि वर्णन किया है। डॉ. भण्डारण ने चन्द्रावती दुर्ग और अनेक निकटवर्ती क्षेत्रों में 360 जैन मंदिरों का अस्तित्व होने की संभावना व्यतीत की है। चन्द्रावती के परमार शासकों में यशोधवल और धारावर्ष के नाम उल्लेखनीय हैं। धारावर्ष जिसे धरणीशाह के नाम से भी जाना जाता है। 1179 ई. में आबू पर्वत के नीचे एक संघर्ष में शाहबुद्दीन गौरी की सेना से पराजित किया था। यह वही धारावर्ष था जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के विरुद्ध भी लड़ा था। इसकी वीरता का परिचय पाटनारायण मंदिर के अभिलेख से प्राप्त होता है। जिसमें कहा गया है कि - 'एक बाण निहतं त्रिलुलांयं यं निरीक्ष्य कुर्योऽधसदृशं।' अर्थात् एक बाण से तीन भैंसों को बीध डालने वाला।¹⁸ परमार शासकों के अधीन आबू 1311 ई. तक रहा इसके बाद राव लुम्बा द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार किया गया। कुतुबुद्दीन एबक और इल्तुतमिश ने चन्द्रावती को भारी क्षति पहुंचाई। गुजीरत से सुल्तान बहादुरशाह ने इस नगरी को लगभग नष्ट कर

दिया।¹⁹

कोलरगढ़ दुर्ग - सिरौही स्थित सारणेश्वर मंदिर से लगभग 4 कि.मी दूर परमार शासकों का एक और दुर्ग कोलरगढ़ अवस्थित है। यह दुर्ग तीन तरफ पर्वतपीय शिखरों से घिरा हुआ है। चौथी तरफ एक मोटी प्राचीन थी जो अब टूट चुकी है। इसका मुख्य द्वार भी खण्डर के रूप में शेष बचा है। दुर्ग में एक प्राचीन शिव मंदिर आम्बेश्वर के नाम से स्थित है। यह मन्दिर एक पर्वतीय कन्दरा में बना है। जिसमें गर्भ गृह के बाहर एक नन्दी अवस्थित है। मन्दिर के बाईं और एक गौ - मुख बना है। जिससे वर्ष पर्यन्त जलापूर्ति होती थी यहां अवस्थित महलों के खण्डर सूर्य सरदार के महल के नाम से जाने जाते हैं। मन्दिर के दाईं तरफ सूर्य सरदार की एक मूर्ति हाथ में धनुष कमान लिए है। दुर्ग का प्रथम द्वार गणेश पोल के नाम से जाना जाता था। दस पोल में गणेश प्रतिमा स्थापित थी जो अब लक्ष्मीनारायण मन्दिर में स्थापित है।²⁰

सिरौही दुर्ग - पौराणिक परम्पराओं के अनुसार अर्बुद प्रदेश के नाम से पहचाना जाने वाला राजस्थान का सिरौही क्षेत्र के दुर्ग की आधारशिला देवड़ा चौहान शाखा में उत्पन्न शिवभान के पुत्र सहस्रमल ने 1425 ई. में रखी थी। सहस्रमल के पश्चात् लाखा अखैराज द्वितीय और अन्य शासकों द्वारा समय-समय पर दुर्ग में वास्तुशिल्प के कई प्रतीक निर्मित कराये गये। सिरौही दुर्ग का प्रवेश द्वार जहां विनायक गणेश की प्रतिमा स्थापित है। गणेशपोल कहलाता है। इस द्वार के बायें एवं दायें भाग में पहले अश्वशाला स्थापित थी। दुर्ग में एक कुआ और घण्टा वर्तमान में मौजूद है। सिरौही दुर्ग दो परकोटे एवं सात खंड के राजप्रसाद से युक्त है। जिसके चार खंड भूमिगत और तीन धरती के उपर दिखाई देते दुर्ग में आगे जाने पर सिंह द्वार आता है। जहां प्राचीन तोपें रखी हुई हैं। दुर्ग में एक भूमिगत जल स्रोत है। जिसके सामने देवड़ा वंश के कुल देवताओं के मन्दिर अवस्थित है। मन्दिर के सम्मुख एक काँच और सुनहरे कलश से युक्त एक गुम्बदाकार छतरी है। जहां सिरौही के शासकों का राज्याभिषेक किया जाता था। दुर्ग में दिवाने खास, मुख्य महल, फूल गोख जैसे भवन मौजूद हैं। दुर्ग के महल सुनहरी चित्रकारी संगमरमर की अलंकृत जालियों भव्य सिंहासन आदि से युक्त है। जनाना महल में प्रवेश के लिए दो बड़ी पोलों में से होकर जाना पड़ता है। प्रथम पोल के दाँयी और एक प्राचीन रथ जो चार घोड़ों से खींचा जाता था, रखा हुआ है। जनाना महलों से युक्त है जो अखयराज - खख के समय बनवाई थी। जनाना महल के मध्य में एक स्नान कुंड और उद्यान बना है। दुर्ग में एक जालीरानी का महल, खम्बा महल, फूल गोख आदि स्थल पर्यटक को अपनी और आकर्षित करते हैं।²¹

जालौर दुर्ग - 8वीं से 10वीं शताब्दी में राजस्थान के गुर्जन प्रतिहार वंश का शासन रहा इनकी प्रारम्भिक राजधानियां मेड़ता, भीनमाला, जालौर, मण्डौर भी गोइवाड सर्किट में स्थित जालौरदुर्ग जालौर नगर के दक्षिण भाग में सूकड़ी नदी के किनारे 1200 फीट ऊँची एक पहाड़ी पर लगभग पौन कि.मी लम्बे और आधा कि.मी चौड़े भूभाग में विस्तृत है। यह दुर्ग धम्ब दुर्ग की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। पक्की प्राचीर से युक्त होने के कारण इसे पारिध दुर्ग और अरण्य के मध्य में स्थित होने के कारण एरण दुर्ग की श्रेणी में भी समाहित किया जाता है।

जलौर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट - ख के शासन काल 730 से 760 ई. के बीच माना जाता है। इसके समय प्रतिहारों की कई शाखाएँ बनी जिसमें से एक जालौर में स्थापित हुई।

कुवल्यमाला के अनुसार नागभट्ट - की राजधनी जालौर थी। प्राचीन

शिलालेखों में जालौर दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। यह दुर्ग सोनगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। अतः इसे सोनगढ़ के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। इस दुर्ग को परमार शासकों द्वारा निर्मित गिरी दुर्ग का उत्कृष्ट प्रतीक डॉ. गौरी शंकर हीराशंकर ओझा मानते हैं। कान्हडदे प्रबन्ध में कवि पद्यनाथ जालौर दुर्ग में हुए युद्धों का वर्णन विस्तार पूर्वक प्रदान करते हैं।²² दुर्ग में प्रवेश के लिए जालौर नगर से एक टेढ़ा-मेढ़ा संकीर्ण मार्ग जाता है। दुर्ग का प्रथम द्वार सूरजपोल के नाम से जाना जाता है। जिसकी छत धनुष के आकार की अत्यन्त सुन्दर बनी होती है। इस पर कुछ-कुछ छोटे-छोटे कक्ष बने हैं। जिसके नीचे अन्तः पार्श्वों में दुर्ग रक्षकों के निवास स्थान बने थे। तोपों के आक्रमण से बचाव के लिए विशाल दिवारें गोलाई में घुमते हुए दरवाजे को सामने से अपनी ओट में लिए प्रतीत होती हैं। जो लगभग 25 फुट ऊँची और 15 फुट मोटाई की है। दुर्ग का दूसरा द्वार चांद पोल कहलाता है। जो अन्य द्वारों की तुलना में अधिक भव्य सुंदर और मजबूत है। तीसरे से चौथे द्वार के बीच एक महत्वपूर्ण सुरक्षित स्थल बना हुआ है। दुर्ग का चतुर्थ द्वार सिरें पोले के नाम से सम्बोधित किया जाता है। यहां से पहले दिवार की एक पंक्ति बांयी और से उपर उठकर पहाड़ी के शीर्ष भाग को और दूसरी दांयी और घुमकर गिरी शृंगों समेट कर प्रथम प्राचीर से पुनः मिल जाती है। वर्तमान में दुर्ग में राजा मानसिंह का महल वीरमदेव की चौकी दो बाँवड़ियाँ एक शिव मंदिर जोग माया मंदिर तीन जैन मंदिर मलिक शाह की दरगाह और मजिद अवस्थित है।²³

जालौर दुर्ग में सबसे अन्त में लाल पोल नामक द्वार स्थित है। जिसे समयानुसार पाटण पोल, दिल्ली पोल, चित्तौड़ पोल, रामपोल के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

दुर्ग का सबसे आकर्षक पर्यटक स्थल राजा मानसिंह के महल है। जिसमें प्रवेश करने के साथ ही एक चौकोर सभा मण्डप आता है। जिसके दाहिनी और हॉल बना है। हॉल में एक विशाल तोप और अवशेष रूप में तोप घाड़ी रखी है। मानसिंह महल के ठीक नीचे आम रास्ते पर ऊँचाई वाले क्षेत्र में प्रस्तर कला के उत्कर्ष जरोखे निर्मित है। महल में दो मंजिला रानी महल स्थित है। इसके चॉक में भूमिगत बावड़ी थी जो अब पर्यटकों के दर्शन हेतु बन्ध की जा चुकी है। महल के पीछे एक शिव मंदिर में बड़े-बड़े कोठार बने हुए हैं। जिनमें धान, घी, आदि भरा जाता था। शिव मंदिर के पिछवाड़े में बनी बावड़ी के निकट एक चामुण्डा माता मंदिर स्थित है। इसी मंदिर में एक शिलालेख लगा है। जिसमें कान्हडदेव को देवी भगवती द्वारा चमत्कारिक रूप से तलवार पहुंचाने की सूचना से सम्बन्धित व्याख्यान उत्कीर्ण है।

दक्षिण पूर्व की ओर ऊँची पहाड़ी पर विरमदेव की चौकी स्थित है। यहां से सम्पूर्ण नगर का दृश्य दिखाई देता है। पूर्वकाल में यहां जालौर राज्य का ध्वज लगा रहता था। स्वतन्त्रता संघर्ष में अंग्रेजों का विरोध करने वाले फतहराज जोशी, तुसीदार राठी, आदि को इसी दुर्ग में नजर बन्ध रखा गया था।²⁴ दुर्ग में स्थित जैन मन्दिरों में पार्श्वनाथ जैन मन्दिर अपनी सुन्दरता और भव्यता के लिए विख्यात है। दुर्ग में चौमुखा जैन मन्दिर, जाबालिकुण्ड, सोहनबावड़ी स्थित है। परमार शासकों की अन्तिक निशानी के रूप में एक छोटे चबूतरे पर बना कीर्ति स्तम्भ स्थित है। मानव आकृति के कद वाला लाल पत्थर का यह कीर्ति स्तम्भ अपनी कलात्मक बनावट से पर्यटकों अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है। पूर्वकाल में यह स्तम्भ बावड़ी सफाई के दौरान मिला। जिसे जालौर दुर्ग में मानसिंह के महलों की और मार्ग में बने तिराहे पर स्थापित किया गया था।

जालौर दुर्ग पर 1145 से 1148 ई तक सौलंकियों का शासन रहा। कुमार पाल सौलंकी द्वारा जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग में तीन प्राचीन और दो नवीन जैन मन्दिर स्थापित हैं। प्राचीन जैन मन्दिरों में यक्षवसती (श्रीमहावीर मन्दिर), अष्टापदावतार (चौमुख) कुमार विहार (पार्श्वनाथ चेतन्य) स्थित है। उक्त तीनों में यक्षवसती अत्यन्त प्राचीन है। जो पर्यटकों तारंगा के मन्दिरों की स्मृति दिलाता है। यहां एक प्राकृत भाषा का शिलालेख भी है। जिससे ज्ञात होता है कि जालौर दुर्ग पर 99 लाख सम्पति धारी को भी निवास नहीं मिलता यहां सिर्फ करोड़पति से ही निवास करते हैं। दुर्ग के जैन मन्दिरों को राजशाही से मुक्त कराने के लिए राजेन्द्र सुरीश्वर जी ने 8 महीने का सत्याग्रह किया था। दुर्ग स्थित कुमारपाल जिनालय को वि.सं. 1221 के आस-पास कुमारपाल सौलंकी ने हेमचन्द्र सुरी के आदेशों प बनवाया था। 1838 के कालखंड में मुगल अक्रान्ता अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर स्थित मन्दिरों को ध्वस्त किया जिनका बाद में समय में अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा जीर्णोद्धार कराया जाता रहा।²⁵

जालौर दुर्ग के सम्बन्ध में मोहम्मद गौरी के समकालीन लेखक हसन निजामी ने लिखा है कि यह अत्यन्त शक्तिशाली और अजय दुर्ग है। पद्मनाथ अपने ग्रंथ कान्हडदेव प्रबंध में दुर्ग के सम्बन्ध में लिखते हैं कि कोई अन्य दुर्ग जालौर की समानता नहीं रखता। 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में जोधपुर मानसिंह ने जालौर दुर्ग के संबंध में लिखा है कि -

आभ फटै धर उलटै, कटै बगत रा कोरा

सीस पडै, धड़ तडफडे, जद छूटै जालौरा।²⁶

जालौर के सम्बन्ध में एक अन्य कवि ने लिखा है -

विषम दुर्ग सुणीइ घणा, इसिउ नहीं आसेरा

जिसउ जालुहुर जानीइ, तिसउ नहीं गवालेरा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता मोहनलाल राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर प्रथम संस्करण 2021, पृ. 7-17
2. पूर्वोक्त, पृ. 18
3. पटेल ड. ड. (सम्पादक) : कल्चरल ट्रेडिसनंस ऑफ इण्डिया थू द ऐजेज श्री एवं श्रीमती पी.के. कोटा वाला आर्ट्स, कॉलेज पाटन ICHRC 2021, पृ. 78
4. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र राजपूताने का प्राचीन इतिहास जिल्द-1, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर 1936, पृ. 10, 149, 164
5. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र सिरौही राज्य का इतिहास, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर चतुर्थ संस्करण 2018, पृ. 29-31
6. श्रीमती विजयलक्ष्मी : शिशुपाल वध महाकाव्य में ध्वनितत्व एक अध्ययन (अप्रकाशित शोध प्रबन्ध) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1998, पृ. 1
7. पूर्वोक्त, पृ. 5
8. शाह उमाकान्त : ललित कला, भारतीय ललित कला अकादमी, बम्बई 1956, अंक प्रथम द्वितीय, पृ. 55-56
9. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र : पूर्वोक्त, पृ. 30
10. मिश्र रतनलाल राजस्थान के प्रमुख दुर्ग
11. गुप्ता मोहनलाल राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग जोधपुर 2021, पृ. 104,

12. ओझा गौरीशंकर हीराचन्द्र : पूर्वोक्त, पृ. 29-31
13. गुप्ता मोहनलाल राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2021, पृ. 104-106
14. भारत द्वार मयूरी रंगीलाल राजस्थान सैलानियों का स्वर्ग मयूर प्रकाशन, दिल्ली 1984, पृ. 96
15. गुप्ता मोहनलाल, जोधपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर 2011, पृ. 308
16. गुप्ता मोहनलाल - राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग, राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर 2021, पृ. 242
17. परिहार संजय : पूर्वोक्त, पृ. 20-23
18. गांगूली डी.सी. परमार राजवंश का इतिहास केन्द्र न्यू बिल्डिंग, अमीनाबाद, लखनऊ, सन् 1933, पृ. 216
19. गुप्ता मोहनलाल : परमारों के दुर्ग, ISBN 978-93-90179-49-7 पृ. 242-243
20. गुप्ता मोहनलाल जोधपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर पाँचवा संस्करण, पृ. 321
21. गुप्ता मोहनलाल राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग राजस्थानी ग्रन्थागार, 2021, पृ. 156-158
22. बारहठ नरपत : राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव राजस्थानी ग्रन्थागार जोधपुर 2008, पृ. 99
23. गुप्ता मोहनलाल : जालौर का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास मातृछाया प्रकाशन जालौर 1995, पृ. 232-233
24. पूर्वोक्त, पृ. 234
25. राठौड भंवर सिंह गोड़वाड़ विरासत, वर्ष 04, अंक 01, जून 2015, पृ. 20

मृच्छकटिकम् में ज्ञान के विविध आयाम

डॉ. एस. एस. गौतम *

* प्राचार्य, शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय, पिछोर, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - वस्तुनेता रसस्य तेषां भेदकः ।

दश रूपककार धनञ्जय ने कथावस्तु, नायक और रस के आधार पर नाट्य के दश भेद निरूपित किए हैं। इस दृष्टिकोण से मृच्छकटिकम् एक प्रकरण है। धनञ्जय ने उन दश रूपकों को इस प्रकार बताया है-

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः ।

व्यायोगसमवकारी वीथ्यङ्गेहामृगा इति ॥¹

अर्थात् नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, ईहामृगा महाकवि शूद्रक द्वारा प्रणीत मृच्छकटिक एक सामाजिक प्रकरण है। जिसमें कवि ने तत्कालीन समाज का सजीव चित्रण किया है। जिसमें एक ओर कवि ने नायक-नायिका के सात्विक प्रेम का तो वर्णन किया ही है वहीं दूसरी ओर नीति की गति, मुकदमों की सद्दोषता, दुष्टों का स्वभाव और भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया है।

तयोरिदं सत्सुरतोत्सवाश्रयं नयप्रचारं व्यवहारदुष्टताम् ।

खलस्वभावं भवितव्यतां तथा चकार सर्व किलशूद्रको नृपः॥²

मृच्छकटिकम् के अध्ययन से तत्कालीन समाज में विविध विषयों के ज्ञान का बोध होता है। कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अर्थात् साहित्यकार जन सरोकार से जुड़े विषयों का दिग्दर्शन अपने साहित्य में कराने का श्लाघनीय प्रयास करता है। महाकवि शूद्रक ने भी मृच्छकटिक में तत्कालीन समाज में विविध प्रकार के ज्ञान-विज्ञानों का दिग्दर्शन कराया है। इस शोधालेख में मृच्छकटिकम् में वर्णित ज्ञान के विविध आयामों का अनुशीलन करने का लघु प्रयास किया जा रहा है।

कुञ्जी शब्द-चम्पक, वाजी, वलिवर्द, डुडुभ, शुनक, शाखामृग, करवीर, कपिञ्जल, पतंगपति, परमृष्ट, किंशुक, पनस, रक्तगन्धा, धूत, वीणा, नागरमोथा, वच, चित्ताकर्षक, आरोहावरोध, तुम्बुरु, दर्दुर पणव, द्विग्नोमेद्री, वेदिक, मैन्सुरेशन, प्रतीलिका, देवतायन, चतुःशाला, प्रकोष्ठ, पत्रछेद, चित्रभित्ति, फलक, सन्धि, सूत्रपात।

मृच्छकटिक के अनुशीलन से स्थूल रूप में अधोलिखित विषयों से सम्बन्धित ज्ञान का पता चलता है कि तत्कालीन समाज इन विषयों के ज्ञान से भलि-भौति भिन्न था।

1. वैदिक ज्ञान- मद्भवेद भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रन्थ है। सम्भवतः अवेस्ता के बाद विश्व का सर्वप्रथम लिपिबद्ध साहित्य भी इसलिए भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व का साहित्य किसी न किसी रूप में इसके वर्ण्य विषय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। आदिकाव्य रामायण से लेकर परवर्ती संस्कृत साहित्य एवं साहित्यकार वैदिक ज्ञान से प्रभावित रहे

और वैदिक वर्ण्य विषय भारतीय मानव समाज के व्यवहारिक जीवन में समाहित रहा। इसलिए प्रत्येक काल में वैदिक अध्ययन का समाज में विशेष महत्व रहा। मृच्छकटिक में भी वैदिक अध्ययन एवं ज्ञान का उल्लेख मिलता है।

ऋग्वेद सामवेदं गणितमथ कलां बैशिकीं हस्ति शिक्षां ।

ज्ञात्वा शर्वप्रसादादव्यपगत तिमिरे चक्षुषी चोपलभ्य॥³

मृच्छकटिक काल से पूर्व शिक्षा का पर्याप्त प्रचार हो चुका था। इस समय तक वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ और रामायण-महाभारत का बोध समाज में विशद रूप से हो चुका था। शिक्षा का प्रचार-प्रसार उच्च वर्ग में था, निम्न वर्ग इससे वंचित था। समाज में शिक्षा के दो रूप देखने को मिलते हैं- एक उच्च वर्ग में शिक्षा जो अपने उत्कर्ष पर थी। वहीं निम्न वर्ग में इसका अभाव था।

प्रारम्भ में शिक्षा में धार्मिक शिक्षा का प्रमुख स्थान था। आगे चलकर यह वैदिक शिक्षा का प्रमुख आधार बनी। यह शिक्षा ब्राह्मण वर्ग में प्रचलित थी। इस आधार पर आगे चलकर लोग पौरोहित्य कार्य एवं यज्ञ विधि में अपने को निष्णात बनाते थे। धर्मशास्त्र सामाजिक विधानों की संहिता समझी जाती है इसलिए न्यायधीशों को उसका ज्ञान होना परमावश्यक था जिसके आधार पर अभियोगों में निर्णय धर्म समावेशी हो सके-

शास्त्रज्ञः कपटानुसार कुशलो वक्ता न च क्रोधन

स्तुल्यो मित्र-पर-स्वकेषु चरितं दृष्ट्वैव दत्तोत्तारः ।

वलीवान् पालीयता शठान् वः जवयिता धर्ममोनलो भान्विते

द्वाभविपर तत्तववद्वहदयो राज्ञश्च कोपापहः॥⁴

न्यायधीशों को अपने वैधानिक निर्णय का प्रभाव देने के लिए यथोचित धर्मशास्त्र अथवा उसके निर्माता का नाम उद्धृत करना पड़ता था। अधिकरणिक ने चारुदत्ता के सम्म्लणध में कहा भी है-

अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरव्रवीत् ।

राष्ट्रादस्मात्तु निर्वास्यो विभवैरक्षतैः सह ॥⁵

ऋग्वेद का स्वाध्याय तो उस समय विशेष रूप से होता ही था। सामवेद के मन्त्रों का सस्वर पाठ भी किया जाता था। गायन, कला एवं संगीत-विज्ञान की उत्पत्ति भी उस समय की बतलाई जाती है। धर्म शास्त्र के स्वाध्याय एवं मनन की प्रवृत्ति तो सभ्य समाज में थी ही साथ ही साहित्यिक शिक्षा भी इस युग में अपने पूर्ण उत्कर्ष पर थी। प्राचीन साहित्य, दर्शन पुराण, रामायण, महाभारत एवं काव्यों का अनुशीलन उस युग में होता था।

2. जीव विज्ञान-मृच्छकटिक कालीन समाज में जीव-जन्तुओं के सम्म्लणध

में जानने की जिज्ञासा एवं उनसे सम्बन्धित ज्ञान का संकेत मिलता है। प्रकरण का कर्ता शूद्रक स्वयं हस्तविद्या का जानकार था। इसका उल्लेख कवि के परिचय में प्रकरण के प्रथम अंक में दिया गया है- कि शूद्रक हस्ति शिक्षा का जानकार था इतना ही नहीं वह शत्रुओं के हाथियों से युद्ध करने का भी अभिलाषी रहता था-

समर व्यसनी प्रमाद शून्या ककुदं वेदविदं तपोधनश्च ।

परवारण बाहुयुद्ध लुब्धः क्षितिपालः किल शूद्रको वभूव ॥⁶

हस्ति विद्या की शिक्षा उस समय इतनी प्रचलित हो गई थी कि सेवक कर्णपूरक तक उन्मत्त हाथी को वश में करना जानता था। हस्ति पालन उस समय समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। प्रकरण की नायिका वसन्तसेना के पास खुण्टमोडक नाम का हाथी था।

हस्तिविद्या एवं अन्यान्य पशुओं के ज्ञान के अतिरिक्त अनेक प्रकार के पक्षियों के ज्ञान से भी तत्कालीन भली-भाँति परिचित था। वसन्त सेना के सप्तम् प्रकोष्ठ के वर्णन में विदूषक ने विविध पक्षियों का वर्णन करते हुए कहा है कि-

**ही ही भो। इधो कि सत्तमे पओडे सुसिलिहविहंग वाड़ी सहणिसण्णाहं
अण्णेण चुम्बण पराई.....जंसच्चंक्षुणवणं विअमेगणिआ
घरं पडिभासदि।⁷**

अर्थात् अहा! यहाँ भी साँतवे प्रकोष्ठ में सुन्दर पक्षी गृह में सुखपूर्वक पड़े हुए परस्पर चुम्बन लेने में तत्पर कबूतर के जोड़े सुख का अनुभव कर रहे हैं। दही और भात से सन्तुष्ट ब्राह्मण के समान पिंजरे का तोता सुन्दर वाक्यों का उच्चारण कर रहा है। नायक के द्वारा अधिक प्रभावशाली गृह सेविका के समान यह दूसरी मैना अधिक कुर-कुर शब्द कर रही है। अनेक प्रकार के फलों का स्वाद लेने से सुन्दर कण्ठवाली कुहनी के समान कोयल कूक रही है। खूटियों पर पिंजरों की पंक्तियाँ लटक रही हैं। लावक पंक्षी लड़ रहे हैं। पिंजरे में स्थित तीतर बोल रहा है। पिंजरे में पाले कबूतर निर्दिष्ट स्थान पर भेजे जा रहे हैं। विविध मणियों से चित्रित की भाँति ये गृह मयूर सहर्ष इधर-उधर नाचते हुए सूर्य की किरणों से जलते हुए प्रासाद को शान्त करने के लिए अपने पंखों से हवा कर रहे हैं। दूसरी ओर चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल राजहंस के घोड़े, कामनियों से मन्दगति की शिक्षागृहण करते हुए उन्हीं के पीछे घूम रहे हैं। ये दूसरे गृह सारस वृद्ध श्रेष्ठों के समान इधर-उधर घूम रहे हैं। आश्चर्य है अरे! वेश्या वसन्तसेना ने अनेक पक्षियों द्वारा कक्ष को व्याप्त कर दिया है। वास्तव में यह वसन्तसेना का घर मुझे नन्द वन सा लग रहा है।

गाय, घोड़ा, हाथी ऐसे पशु रहे जिनसे तत्कालीन समाज ने अधिक लाभ उठाया। दूध के लिए गाय, घूमने के लिए घोड़ा और शान-शौकत के लिए हाथी को अपना प्रिय पशु बनाया। विशैले कीटों के सम्मलण में भी ज्ञान था इसलिए उनसे बचाव करने के तरीके भी उन्हें मालूम थे और उनके द्वारा काटे जाने पर औषधीय वनस्पतियों से अपना इलाज कर लेते थे। साहित्यिक, कलात्मक विज्ञान के साथ मनुष्येत्तर जीवधारियों का ज्ञान एवं वनस्पतिक विज्ञान भी मृच्छकटिक काल तक पर्याप्त रूप से बढ़ चुका था।

इस काल में इनका विकसित रूप हमारे सामने आता है। अश्व, बाजी, वलीवर्द (बैल) डुडुभ, गदभ (गधा), गृष्टि (गाय) हस्ती, वनद्धिप (जंगली हाथी) किशोरी (घोड़ी) कुभकुर, गर्ल्लक (कुत्ता) शुनक, श्वा, मार्जार, मेष, मीन, मृग, मूषक, सैरिभ, महिष (भैंसा) शाखामृग, शश, शृगाल, कोल (सियार) सिंह, वृक तथा व्याघ्र आदि पशुओं का उल्लेख मृच्छकटिक में

मिलता है। वक, वलाक, चकोर, चक्रवाक, चाष, कंका, कपिञ्जल, कपोत, कोकिल (कोयल) परभृत, परपृष्ठा, लावक, मदनसरिका, मयूर, शिखण्डी, पारावत, पतंगपति (गिद्ध) राजहंस, सारस, शुक्र, श्येन तथा वायस आदि पक्षियों का उल्लेख प्राप्त होता है। अग्निकीट, भृंग, अहि, भुजंग, दुदुभनाग, पन्नग तथा सर्प आदि कीड़े-मकोड़े का उल्लेख प्राप्त होता है। अतः कहा जा सकता है कि मृच्छकटिक कालीन समाज जीव-विज्ञान से भलि भाँति परिचित था।

3. वनस्पति विज्ञान- मृच्छकटिकम् के अध्ययन से विविध प्रकार की वनस्पतियों का बोध होता है। इससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन समाज वनस्पतियों के गुण धर्म से परिचित था। मृच्छकटिक में चम्पक, अशोक धूत, सहकर (आम) जाती, कटंकी, करवीर, किशुक, नलिनी, पद्म, नीप (कदम्ब), पलास (ढाक), पनश (कटहल), रक्तगन्धा, ताली, तमाल, केला आदि अनेकों वनस्पतियों का उल्लेख हुआ है।

विट जाती हुई वसन्तसेना से कहता है-

**किं यासि बाल कदलीव विकम्पमान, रक्ताशुंक पवनलोलदशं
वहन्ती ।**

**रक्तोत्पलप्रकर कुडमलभुत्सृजन्तीटैर्मनः शिलगुहेव विदार्यमाणा
॥⁸**

अर्थात् सुन्दर नवीन केले के पौधे के समान हिलती-डुलती हुई काँपती हुई वायु के द्वारा हिलते छोर वाले, लाल रेशमी वस्त्र को धारण करती हुई टाँकी द्वारा छेदी जाती हुई मनःशिला की कन्दरा से निकलने वाली चिनगारियों के समान केशपाश में गूँथे हुए रक्तकमलों की कलियों को वेग से दौड़ने के कारण विखरती हुई कहाँ जा रही हो।

प्रकरण का प्रतिनायक शकार जिसके संवाद से उसकी अल्पज्ञता झलकती है फिर भी औषधीय वनस्पति का ज्ञान रखता है-

हिङ्गुज्जले जलिकभदमुत्थे वचाह गण्ठी शगुडा अ शुण्ठी ।

एशे मए शेविद गन्धजुत्ती कथंठाहग्गे मधुल-शशलेत्ति ॥⁹

(हींग से मिश्रित सफेद तथा जीरे सहित नागर मोथा, वच की गांठ और गुड सहित सौंठ के इस सुगन्धित योग का मैंने सेवन किया है तब मैं मधुर स्वर वाला क्यों ? न होऊँ।

पेड़-पौधों के प्रति जन अभिरुचि उस समय इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि वसन्तसेना मैत्रेय से चारुदत्त की उपमा उत्तम वृक्ष से देते हुए कहती है-

गुणप्रवालं विनयप्रशाखं विसम्भमूलं महनीयपुष्पम् ।

तं साधु वृक्षं स्वगुणैः फलाढयं सुहृद विहङ्गा सुखमाश्रयन्ति ॥¹⁰

4. संगीत विज्ञान- मृच्छकटिक कालीन समाज में संगीत अपने चरमोत्कर्ष पर था। तत्कालीन समाज में संगीत-वाद्य मनोरंजन का प्रमुख साधन था। वसन्तसेना विषयक विट-शकार संवाद में विट की वसन्तसेना के प्रति यह उक्ति संगीत विज्ञान के ज्ञान की प्रतीक है-

प्रसरसि भयविवलवा किमर्थं प्रचलितकुण्डलघृष्टगण्डपार्श्व ।

विट जन नख घटितेप वीणा जलधर गर्जित भीतसारसीव ॥¹¹

अर्थात् विट लोगों के नख से घर्षित वीणा के समान भागने के कारण हिलते हुए कुण्डलों के बार-बार स्पर्श से घर्षित कपोलों वाली तुम बादल के गर्जन से भयभीत सारसों की भाँति भयातुर होकर क्यों भागी जा रही हो? वाद्य के साथ नृत्य एवं गीत के स्वरों के ज्ञान के सम्मलण में भी उत्कृष्ट दृष्टान्त देखने को मिलते हैं।

किं त्वं भयेन परिवर्तित सौकुमार्या, नृत्य प्रयोग विशदी चरणी क्षिपन्ती ।

**उद्दिग्गचंचल कटाक्षविसृष्ट-दृष्टिर्व्याधानुचकितता हरणीव यासि ।¹²
इयं रंग प्रवेशेन कलाना चोपशिक्षया, वचनापण्डितत्वेन
स्वरेनेपुण्यमाश्रिता ॥¹³**

संगीत के सम्मलणध में पुरषों में भी यह अभिरुचि कम न थी। चारुदत्त रेभिल के गाए हुए संगीत के सम्मलणध में विदूषक से कहता है-
**रक्तं च नाम मधुरं च समं स्फुटं च भवान्ति च ललितं च मनोहरं च ।¹⁴
किं वा प्रशस्तवचनैर्बहुभिभक्तैरन्तर्हिता यदि भवेद्वनितेति मन्ये ।**

**तं तस्य स्वरं सक्रमं मृदुगिरःश्लिष्टं च तन्त्री स्वनं ।
वर्णानामपि मूर्च्छनान्तरगतं तारं विरामे मृदुम् ।
हेलासंयमितं पुनश्च ललितं रागाद्-द्विरुच्चारितं,
यत्सत्यं विरतेऽपि गीतसमये गच्छामि शृण्वन्निवा ॥¹⁵**

अर्थात् रेभिल का वह गीत कितना अनुरागवर्धक, मधुर, सुसंगत, स्पष्ट भावमय, कोमल और चित्ताकर्षक था। हमारे अधिक प्रशंसा करने से क्या लाभ? यदि रेभिल कहीं से छिपकर गाता तो अवश्य अनुमान किया कि कोई रमणी गा रही है। यद्यपि गायन समाप्त हो चुका है फिर भी उसकी वह स्वर परम्परा कोमल वाक्य, सुन्दर वीणा की ध्वनि, वर्णों के आरोह-अवरोध के समय उसकी उच्चता तथा अवसान के समय उसकी कोमलता लीलापूर्वक वाणी का संयमन तथा पुनः मनोहर राग का दो-दो बार उच्चारण इस समय तक ठीक हमारे हृदय में गूँज रहा है।

वसन्त सेना विषयक वार्तालाप में चेत चारुदत्त अपनी वीणा और संगीत के विषय में कहता है-

**वंश वादयापि सप्तच्छिद्रं सुशब्दं वीणां वादयामि सप्ततन्त्रीनदन्तीम् ।
गीतं गायामि गर्दभस्यानुरूपं को मे गाने तुम्बुरुनरिदो वा ॥¹⁶**

अर्थात् सात छेदों वाली, मधुर आवाजवाली बाँसुरी बजा रहा हूँ। झंकार करने वाली, सात तारों वाली वीणा बजा रहा हूँ। गंधे के समान गाता हूँ। गाने में तुम्बुरु(गन्धर्व) या नारद मेरे सामने क्या है? अर्थात् कुछ नहीं है।

चारुदत्त के भवन में शर्विलक चोरी करने की नियत से प्रवेश करता है लेकिन निर्धन चारुदत्त के घर में उसे संगीत से सम्बन्धित उपकरण दिखाई देते हैं-

**अये कथं मृदंगः। अयं दर्दुरः। अयं पणवः। इयमपि वीणा। एते वंशाः।
अमीपुस्तकः।**

**कथं नाट्याचार्यस्य गृहमिदम्। अथवा भवन प्रताप्रविष्टोऽष्टि।
तत्किं परमार्थदरिद्रोऽयम् उत राजभयाच्चौरभयाद्वाभूमिष्ठं इत्थं
धारयति।¹⁷**

अर्थात् अरे मृदंग है, यह दर्दुर है, यह पणव है, वीणा है ये वासुरियाँ और ये पुस्तकें हैं अथवा भवन के विश्वास से प्रविष्ट हुआ हूँ। तो क्या यह वास्तव में निर्धन है? अथवा राजा या चोर के भय से द्रव्य पृथ्वी में गाड़कर रखता है।

5. गणित- मृच्छकटिक कालीन समाज में गणित के प्रति अभिरुचि भी देखने को मिलती है। ब्राह्मण वर्ग में उसकी रुचि अधिक दिखाई देती है। राजपुत्रों को भी इसकी शिक्षा दी जाती थी। शूद्रक को गणित का पर्याप्त ज्ञान था। अन्य पाठ्यविषयों के साथ गणित भी एक उपयोगी विषय था। ज्योतिष के ज्ञान एवं व्यवहार के लिए गणित का ज्ञान अपरिहार्य होने से भी समाज की अभिरुचि गणित के प्रति थी।

6. ज्योतिष विज्ञान-ज्योतिष विज्ञान वेद का अंग माना जाता है। यह वेदाङ्गों में से एक है इसे वेद का नेत्र कहा गया है। अर्थात् इसके ज्ञान के अभाव में वेद को नहीं जाना जा सकता है। मृच्छकटिक कालीन समाज में

शकुन विचार के प्रति गहरी आस्था थी। गणित पर आधारित ज्योतिष का रूप निःसंदेह जीवन में अक्षरशः सही उतरता है। आज गणित के जितने भी रूप हैं जैसे- अंक गणित, बीज गणित, रेखागणित, ट्रिगोमेट्री, मैन्सुरेशन आदि सभी उस काल में प्रचलित थे।

7. वास्तु विज्ञान-संस्कृत रूपकों में भवन निर्माण एवं वास्तु विज्ञान का अभाव सा है लेकिन मृच्छकटिक इसका अवपाद है। मृच्छकटिक के नायक चारुदत्त ने मन्दिर कुटी विश्रान्ति भवन, झीलें, कुएँ आदि का निर्माण कराया। मूर्ति कला भी उस समय अपने उत्कर्ष पर थी। भवन खुले और हवादार बनाये जाते थे। चारुदत्त और वसन्तसेना के भवन उस समय के वास्तु विज्ञान के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। विशेष प्रकार के निर्मित भवनों की पंक्ति में प्रासाद के दरवाजे पर एक बालाग्र प्रतोलिका होती थी जिस पर बैठकर प्रकरण के प्रतिनायक ने नायक चारुदत्त को फाँसी के लिए ले जाते हुए उसके पीछे जाती हुई भीड़ को देखा था।

चारुदत्त का भवन हवादार और ईंटों की सुदृढ दीवार से सुरक्षित था। उसके एक ओर का दरवाजा पक्षद्वार के नाम से प्रसिद्ध था और दूसरी ओर वृक्ष समूह था। इसके और मुख्य भवन के बीच में खुला हुआ मैदान था। यहाँ एक सुखद प्रासाद था जिसमें वेदिका थी उसमें कबूतरों का आवास था। मुख्य भवन के प्रवेश करते ही चतुःशाला में आ जाते थे। चारुदत्त की निर्धनता के कारण उसका भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया था जिसका उल्लेख उसने स्वयं वसन्तसेना से किया है-

**सीएभेषु प्रचलित-वेदि-सञ्चयान्तं शीर्णं त्वात् कथमपि धार्यते
वितानाम् ।**

**एषा च स्फुटित-सुधा-द्रवानुलेपात संविलग्ना सलिल-भरेण
भित्ति ॥¹⁸**

अर्थात् जिसकी (आधारभूत) वेदिका के समूह का अन्तभाग हिलने लगा है ऐसा वितान-तम्बू जीर्ण होने के कारण खम्भों पर जिस किसी प्रकार धारण किया जा रहा है और यह चित्रा से युक्त दीवार चूना के लेप के फूट जाने (अलग हो जाने) के कारण अत्यधिक पानी से भीग गई है।

वास्तु विज्ञान का सबसे अच्छा उदाहरण वसन्तसेना का प्रासाद था। उसमें बालकनी थी जो राजपथ पर खुलती थी जहाँ से वसन्तसेना ने चारुदत्त को देखा था। उसके भवन में चतुःशाला (एक उद्यान) भी था। शयन कक्ष उससे पृथक् था। उसका मुख्य द्वार धनुषाकार था पार्श्व में ही देवतायन भी था। दरवाजे की चौखटें सोनेकी बनी थी जिनमें हीरे जड़े थे। भवन के उद्यान में विभिन्न किस्म के पुष्प खिलते हैं जो देवपूजा के काम आते थे। इस समृद्ध भवन के सौन्दर्यको देखकर विदूषक ने कहा था कि सचमुच मैंने प्रकोष्ठ में एकत्र त्रैलोक्य को देख लिया है। उसे यही भ्रान्ति हो रही थी कि यह सचमुच में वेश्या का घर है अथवा कुबेर का।

8. लेखनकला, चित्रकला आदि-'साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः' सांस्कृतिक अभिरुचि का प्रतीक है। समाज में साहित्य संगीत और कला का सामंजस्य ही देखने को मिलता है। लेखन कला का उस युग में पर्याप्त विकास हो चुका था। प्रमाणभूत तथ्यों को लेखबद्ध करने की प्रथा थी। सभिक द्वारा घृतकीड़ा (जुँवा) के प्रसंग में गणना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अभियोग-सम्मलणधी वैधानिक विवरण भी लेखबद्ध किए जाते थे। कायस्थ एक प्रकार से लिपिक का ही कार्य करता था। चारुदत्त के घरों में पुस्तकों का अच्छा संग्रह होने के संकेत मिलते हैं।

चित्रकला भी उस समय पर्याप्त विकसित थी। चारुदत्त का चित्र बनाने

में वस्तुनसेना जिस आनन्द का अनुभव करती है वह भी अपूर्व है। वसन्त सेना कहती है-

हृन्ने मदनिके! अपि सुसदृशीयं चित्राकृतिः आर्यचारुदत्तस्य?¹⁹

(मदनिके क्या यह चित्रस्थ आकृति आर्य चारुदत्त के अनुरूप है?)

चारुदत्त का पत्रच्छेद विधि के प्रति कितना अनुराग है-

पत्रछेद से ज्ञाता होता है कि चित्रकार पहले पत्र को छेद-छेद कर चित्र बनाते थे। चित्रभित्ति का भी उस समय प्रचलन था फलक पर नहीं भित्ति पर भी चित्र बनते थे।

उस समय चौर्यकला को एक विद्या (ज्ञान) माना जाता था। प्रकरण के नायक चारुदत्त के घर चोरी करने के प्रसंग में शार्विलक इसका उल्लेख करता है-

कृत्वा शरीर-परिणाह-सुखप्रवेश शिक्षा-बलेन च बलेन च कर्ममार्गम् ।

गच्छामि भूमिपरिसर्पणघृष्टपार्श्वो निर्मुच्यमान इव

जीर्णतनुर्भुजः॥²⁰

इतना ही नहीं चौर्य कर्म को शार्विलक अनुचित नहीं मानता। उसका मत है कि द्रोणाचार्य पुत्र अश्विथामा ने चोरी से राजा युधिष्ठिर के सोते हुए सैनिकों तथा पुत्रों का वध किया था-

मार्गोद्दिष्टा नरेन्द्रसौमिक वधे पूर्व कृतौ द्रौणिना ।²¹

भवन प्रवेश के लिए दीवाल में जो संधर (दीवाल को काटना) लगाई जाती है उसमें भी कला के दिग्दर्शन होते हैं। शार्विलक कहता है कि सन्धि या सेध सात प्रकार की होती है-

पद्मव्याकोशं भास्करं बालचन्द्रं वापी, विस्तीर्ण स्वस्तिकं पूर्णकुम्भम् ।

तत् कस्मिन् देशे दर्शयाम्भ्यात्मशिल्पं, दृष्टवाश्वो यं यद्विस्मयं

यान्तिपौराः॥

चित्रकला, पत्रच्छेद, चित्रभित्ति, स्थापत्य, शिल्पकला एवं संवाहन कला आदि ऐसी कलाएँ उस समय समुन्नत रूप में थी जिनके द्वारा सामाजिक जीवन

परिष्कृत हो चला था। संभवतः आज जिन कलाओं को आधुनिक कला के नाम से पुकारा जाता है उनका सूत्रपात उस समय हो चुका था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दशरूपक 1/8
2. मृच्छकटिक 1/7
3. मृच्छकटिक 1/4
4. मृच्छकटिक 9/5
5. मृच्छकटिक 9/39
6. मृच्छकटिक 1/5
7. मृच्छकटिक चतुर्थ अंक
8. मृच्छकटिक 1/20
9. मृच्छकटिक 8/13
10. मृच्छकटिक 4/32
11. मृच्छकटिक 1/24
12. मृच्छकटिक 1/17
13. मृच्छकटिक 1/42
14. मृच्छकटिक 3/4
15. मृच्छकटिक 3/5
16. मृच्छकटिक 5/1
17. मृच्छकटिक तृतीय अंक
18. मृच्छकटिक 2/50
19. मृच्छकटिक चतुर्थ अंक
20. मृच्छकटिक 5/5
21. मृच्छकटिक 3/9
22. मृच्छकटिक 3/11
23. मृच्छकटिक 3/13

म.प्र. के धार जिले में ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात का एक अध्ययन

डॉ. किरण मण्डलोई *

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़नगर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – किसी देश प्रदेश की उन्नति एक भावी विकास का अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या घनत्व एक मुख्य आधार होता है। लिंगानुपात किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक सूचक है तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिए एक अत्यंत लाभदायक यंत्र है। जनसंख्या संरचना के विकास के स्त्री-पुरुष के अनुपात का अध्ययन करना आवश्यक है। जनसंख्या लिंगानुपात किसी क्षेत्र के तात्कालिक सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं का सूचक होती है। संयुक्त राष्ट्र चतुर्थ महिला सम्मेलन, बीजिंग के द्वारा 'स्त्री-पुरुष के बीच' समानता मानव अधिकार का विषय है और सामाजिक न्याय की मांग है एवं समता विकास और शांति के लिए एक आवश्यक और मौलिक पूर्वपेक्षा है।

शोध अध्ययन का क्षेत्र : धार भारत के नाभिय प्रांत मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग का आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले का धरातल भौगोलिक संरचना की दृष्टि से बहुत असमान है। यहां पर कहीं ऊँचे पर्वत, कहीं पठार, तो कहीं समतल मैदान है। जिले के उत्तर में मालवा का पठार, मध्य भाग पर्वतीय (विंध्यांचल पर्वत श्रेणी) तथा दक्षिण में नर्मदा घाटी व निमाड़ का मैदान है।

मध्यप्रदेश के अन्य जिलों की तरह धार जिले का गठन 1 नवम्बर 1956 में ही हुआ था। प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला इन्दौर संभाग में आता है। धार जिला मध्यप्रदेश के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में 22°43' से 23°10' उत्तरी अक्षांश एवं 74°28' से 75°42' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8153 वर्ग किलोमीटर है तथा समुद्र तल से औसत ऊँचाई 588 मीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2,185,793 है। कुल जनसंख्या से पुरुषों की जनसंख्या 1,112,725 एवं महिलाओं की जनसंख्या 1,073,068 है।

शोध के उद्देश्य : प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है कि जिले की लिंगानुपात के अंतर के कारणों को ज्ञात करना।

शोध विधि तंत्र : अध्ययन क्षेत्र में द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राप्त आंकड़ों का सरलीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या दोनों की अनुभाविक एवं सैद्धांतिक विधियों के माध्य से किया गया है। अध्ययन क्षेत्र को आधारित करके तुलनात्मक निष्कर्ष निकालने के लिए आधार वर्ष 1951-61 से 2011 तक के जनगणना आंकड़ों को प्रयुक्त किया गया है।

शोध का विश्लेषण : देश की सामाजिक व्यवस्था में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जनसंख्या की संरचना में दोनों लिंगों में संतुलन बना रहना एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि दोनों

लिंगों में से किसी एक की संख्या अधिक या कम होती है तो इसका प्रभाव दोनों लिंगों पर पड़ता है। किसी जनसांख्यिकीय वर्ग के लिंग अनुपात को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है।

$$\text{Sex Ratio} = \frac{M}{F} \times K$$

M = किसी सांख्यिकीय गणना में पुरुषों की संख्या
F = किसी सांख्यिकीय गणना में स्त्रियों की संख्या
K = स्थिरांक जिसे 1000 लिया जाता है।

तालिका क्रमांक 1.1: जिला धार : लिंगानुपात (1961-2011)

क्र.	वर्ष	प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या			
		कुल	ग्रामीण	नगरीय	ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात में अंतर
1	1961	962	969	901	+68
2	1971	962	969	908	+61
3	1981	966	974	915	+59
4	1991	951	960	892	+68
5	2001	955	971	875	+96
6	2011	964	980	988	+81

स्रोत : सर्वे ऑफ इंडिया (2011)

तालिका क्रमांक 1.1 से स्पष्ट है कि जिले में विभिन्न वर्षों में ग्रामीण-नगरीय लिंगानुपात में आंशिक परिवर्तन हुए हैं। नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या अधिक है। सन् 1961 में ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात क्रमशः 969 व 901 है। इस प्रकार इन दोनों क्षेत्रों के मध्य यह अंतर धनात्मक 68 है। इसी प्रकार सन् 1971 में ग्रामीण एवं नगरीय लिंगानुपात 969 व 908 (+61) प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अर्थात् ग्रामीण-नगरीय लिंगानुपात में गिरावट आई है। सन् 1991 में ग्रामीण-नगरीय लिंगानुपात 960 व 892 (+68) प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है जबकि सन् 2001 में ग्रामीण-नगरीय लिंगानुपात 971 व 875 (+96) प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। वर्ष 2011 में 980 व 988 (+81) प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है।

तालिका क्रमांक 1.2: जिला धार : तहसीलवार लिंगानुपात (2011)

क्रं.	तहसील	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियां		
		कुल	ग्रामीण	नगरीय
1	बदनावर	972	977	924
2	सरदारपुर	968	967	972
3	धार	918	960	861
4	गंधवानी	1009	1009	.
5	कुक्षी	997	1001	963
6	डही	986	985	992
7	मनावर	980	982	963
8	धरमपुरी	967	978	936
	जिला धार	964	980	899

स्रोत : सर्वे ऑफ इंडिया (2011)

तालिका क्रमांक 1.2 से स्पष्ट है कि जिले में औसत लिंगानुपात 964 (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) है। तहसीलवार स्थिति इस प्रकार है - बदनावर तहसील में लिंगानुपात 972 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएँ, सरदारपुर तहसील में 968, धार तहसील में 918, गंधवानी तहसील, में 1009, कुक्षी तहसील में 997, डही तहसील में 986, मनावर तहसील में 980 एवं धरमपुरी तहसील में 967 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है।

तालिका क्रमांक 1.2 से स्पष्ट है कि ग्रामीण में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक गंधवानी तहसील 1009, इसके पश्चात् कुक्षी (1001), डही (985), मनावर (982), धरमपुरी (978), बदनावर (977), सरदारपुर (967) एवं धार तहसील में सबसे कम 960 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। नगरीय लिंगानुपात में सबसे अधिक डही तहसील में 992 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं हैं इसके पश्चात् क्रमशः सरदारपुर (972), कुक्षी (963), मनावर (963),

धरमपुरी (936), बदनावर (924), धार (861) एवं सबसे कम अर्थात् गंधवानी तहसील नगरीय क्षेत्र में नहीं आता है। जिले में 81.1 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इनका व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी करना है। कंकरीली पथरीली भूमि एवं सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण यहां के छोटे कृषक मजदूरी करने गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं और महिलाएँ एवं बच्चे ही घर पर रहकर कार्य करते हैं। इसलिए भी लिंगानुपात अधिक है।

निष्कर्ष : निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि धार जिले की भौगोलिक संरचना में असमानता होने के कारण जिले की पहाड़ी तहसीलों गंधवानी (1009), कुक्षी (997) लिंगानुपात अधिक पाया गया है। इसका कारण इन तहसीलों में शिक्षा का आभाव, अधिक जन्म दर, जागरूता की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कम आयु में लड़कियों की विवाह, आर्थिक पिछड़ापन एवं पलायन आदि कारणों से लिंगानुपात अधिक पाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कहार ऋतेश कुमार (2018) : 'आदिवासी एक सामान्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा का विकासात्मक परिवर्तन : मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के संदर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन'
2. बंसत सूरजदेव (2009) : 'जनसंख्या भूगोल', अर्जुन पाहलेशिंक हाऊस,
3. मण्डलोई किरण (2020) : 'मध्यप्रदेश के धार जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता का बदलता स्वरूप : एक भौगोलिक अध्ययन'।
4. कुमार प्रमिला एवं शर्मा श्रीकमल (2015) : 'मध्यप्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
5. आर्थिक और सांख्यिकी मंत्रालय मध्यप्रदेश द्वारा जिलेवार वर्षवार प्रकाशित धार जिले की जिला सांख्यिकी पुस्तिकी, 2009।
6. भारत जनगणना की वेबसाइट www.censusindia.gov.in

युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण में अभिकरणों की भूमिका

डॉ. परेश द्विवेदी* कन्हैया लाल लौहार**

* विभागाध्यक्ष एवं सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

** शोधार्थी, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को बाल्यकाल से अन्तिम क्षणों तक जीवन के सभी क्षेत्रों का ज्ञान उपलब्ध कराती रहती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसका सर्वप्रथम अभिकर्ता परिवार है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे उसके समाजीकरण का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। संसार में ऐसी कोई औपचारिक संस्था नहीं है, जहां समाजीकरण की विशेष शिक्षा दी जाती हो। मनुष्य परिस्थितियों से सीखता है। राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट रूप ही सत्ताधारकों का जन्मदाता है। इससे छल-योजन व जोड़-तोड़ द्वारा लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्य, विश्वास व मान्यताएं पैदा की जाती हैं। यह समाजीकरण ही सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पुनरुनिर्माण का आधार होता है। प्रकट राजनीतिक समाजीकरण शासन-तन्त्र द्वारा निर्देशित होता है। साम्यवादी देशों में इसका बहुत महत्व है। वहां पर सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए शासक वर्ग कई तरह की जोड़-तोड़ करते रहते हैं। राज्य निर्देशित शिक्षा प्रणाली इसका प्रमुख साधन होती है। संचार व जनसम्पर्क के साधनों का खुलकर प्रयोग किया जाता है।

शब्द कुंजी – युवा, राजनीतिक समाजीकरण, परिवार, महाविद्यालय।

प्रस्तावना – व्यक्ति के राजनीति संबंधि ज्ञान और जागरूकता का स्तर, राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक व्यवस्था के आधारभूत विशेषताओं के प्रति उसकी बोधगम्यता, अन्ततः शासन व्यवस्था में उसकी रुचि को प्रभावित करती है। अपने राजनीतिक परिवेश के संबंध में व्यक्ति को जिस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है उसमें उसी के अनुरूप उसकी राजनीतिक अभिवृत्ति और प्रतिक्रिया का विकास होता है। राजनीतिक अभिज्ञान एकीकरण का वह माध्यम है जिसके द्वारा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में पारस्परिक अन्तः संबंधिता का सूत्रपात होता है और व्यक्तियों, प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण के निर्धारण द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में सक्रियता की वृद्धि होती है। युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण को देश की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का विस्तार कहा जा सकता है। यह प्रतीत होता है कि स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मुद्दों के निर्धारण में युवाओं की अपनी भूमिकाएं हैं। वे इन मुद्दों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में की राजनीतिक चेतना के स्तर में वृद्धि के लक्षणों को स्पष्टतया देखा जा सकता है।

राजनीतिक समाजीकरण – राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा समाजीकरण पर आधारित है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को बाल्यकाल से अन्तिम क्षणों तक जीवन के सभी क्षेत्रों का ज्ञान उपलब्ध कराती रहती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसका सर्वप्रथम अभिकर्ता परिवार है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे उसके समाजीकरण का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। संसार में ऐसी कोई औपचारिक संस्था नहीं है, जहां समाजीकरण की विशेष शिक्षा दी जाती हो। मनुष्य परिस्थितियों से सीखता है। मनुष्य का समाज के कार्यों के प्रति रुझान बहुमुखी प्रकृति का होता है, इसी कारण समाजीकरण की प्रक्रिया भी बहुमुखी है।¹

गिलिन और गिलिनम ने कहा है – ‘समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के स्तरों के अनुसार समूह की गतिविधियों के अनुकूल उसकी परम्पराओं का पालन करके और स्वयं सामाजिक अवस्थाओं की अनुकूल करके, समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है।’ इस तरह समाजीकरण एक सतत् व विस्तृत प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण तो उसका एक विशेष भाग है। इसका प्रचलन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बढ़ा है।

राजनीतिक समाजीकरण के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएँ दी हैं जो इसके अर्थ व प्रकृति दोनों को स्पष्ट करती हैं। राजनीतिक समाजीकरण को एक प्रक्रिया तथा संकल्पना दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। राजनीति के बारे में लोगों की अभिवृत्तियों, विचारों और आस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया राजनीतिक समाजीकरण कहलाती है। एक प्रक्रिया के रूप में यह लोगों का राजनीति सम्बन्धी रुझान बनाने की प्रक्रिया है। एक संकल्पना के रूप में यह व्यक्ति के राजनीति सम्बन्धी मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों व विचारों का ताना-बाना है।

राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति – राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति से जुड़ी हुई प्रक्रिया है जो सतत् रूप में चलती रहती है। यह प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यह राजनीतिकरण, राजनीतिक सहभागिता व राजनीतिक भर्ती से अधिक व्यापक संकल्पना भी है। इसमें व्यक्ति की राजनीतिक अभिवृत्तियों, विश्वासों व मान्यताओं का अभिमुखीकरण शामिल है। इससे ये मान्यताएं मूल्य व विश्वास दूरी पीढ़ी तक भी जाते हैं। इससे व्यक्ति का राजनीतिक समाज के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण बनता है और उसका समाज, राष्ट्र और शासक वर्ग के प्रति निष्ठा का भाव भी विकसित होता है।

राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया सामान्यतया आकस्मिक रूप में कार्य करती है। यह इतने शांत और सौम्य रूप में संचालित होती है कि लोगों को इसकी खबर भी नहीं होती। इसके अन्तर्गत वे औपचारिक एवं अनौपचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण भी शामिल होते हैं जो राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसा विचार भी है जो राजनीतिक स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने की भी अपेक्षा रखता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण और विकास करना है जिससे वे राजनीतिक समाज के अच्छे सदस्य बन सकें।²

राजनीतिक समाजीकरण व्यक्तियों के मन में मूल्यों, मानकों और अभिविन्यासों का विकास करता है, जिससे उनमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो सके और वे अपने अच्छे कार्यों द्वारा अपने उत्तराधिकारियों पर अमिट छाप छोड़ सकें। राजनीतिक समाजीकरण ही वह कड़ी है जो समाज और राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ती है।

राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया उस समय से शुरू हो जाती है, जब बच्चा अपने चारों ओर के व्यापक पर्यावरण के बारे में जानने लगता है। इसी अवस्था में 'बच्चों में' समाजीकरण का गुण प्रवेश कर जाता है जो आगे चलकर परिवार, स्कूल, स्वैच्छिक समूह, मित्र-मण्डली, राजनीतिक संरचनाओं आदि के द्वारा पूर्ण विकसित हो जाता है। इससे समाजीकरण का प्रकट व अप्रकट रूप उभरने लगता है। जब व्यक्ति के राजनीति के प्रति अभिवृत्तियाँ जागृत की जाती हैं तो प्रकट रूप उभरता है। जैसे राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्ति को अपने चुनावी कार्यक्रमों में आकर्षित करना व अपने कार्यक्रमों की जानकारी दोनों का कार्य दिया जाता है तो यह प्रकट समाजीकरण होता है। लेकिन जब जनसम्पर्क के साधनों, मित्र मंडलियों, स्कूलों आदि से स्वतः ही बनने लगती है और व्यक्ति को इसका पता बाद में लगता है तो यह अप्रकट राजनीतिक समाजीकरण होता है। अप्रकट समाजीकरण से सत्ताधारकों का जन्म लेना कठिन होता है।

राजनीतिक समाजीकरण का प्रकट रूप ही सत्ताधारकों का जन्मदाता है। इससे छल-योजन व जोड़-तोड़ द्वारा लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्य, विश्वास व मान्यताएं पैदा की जाती हैं। यह समाजीकरण ही सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पुनरुत्थान का आधार होता है। प्रकट राजनीतिक समाजीकरण शासन-तन्त्र द्वारा निर्देशित होता है। साम्यवादी देशों में इसका बहुत महत्व है। वहाँ पर सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए शासक वर्ग कई तरह की जोड़-तोड़ करते रहते हैं। राज्य निर्देशित शिक्षा प्रणाली इसका प्रमुख साधन होती है। संचार व जनसम्पर्क के साधनों का खुलकर प्रयोग किया जाता है। लेनिन ने जार की तानाशाही को उखाड़ने के लिए इसी प्रकार के समाजीकरण का प्रयोग किया था। चीन में माओ की सांस्कृतिक क्रान्ति इसी कारण सफल हुई थी। इसके विपरीत राजनीतिक समाजीकरण का अप्रकट रूप व्यक्ति में स्वतः ही समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। इस दृष्टि से राजनीतिक समाजीकरण जीवन भर चलने वाली शाश्वत प्रक्रिया होती है। इससे व्यक्ति के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विचार व मूल्य अधिक स्थाई होते हैं। इसमें जोड़-तोड़ या छल-योजन का अभाव रहता है।³

स्थायित्व की दृष्टि से राजनीतिक समाजीकरण का यह रूप प्रकट रूप से अधिक महत्व का होता है। इस समाजीकरण के तत्व व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं और आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसके विपरीत प्रकट राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था के लिए लाभकारी व हानिकारक दोनों हो सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. समाजशास्त्र से सम्बन्धित अवधारणाओं और सिद्धान्तों के संदर्भ में युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन करना।
2. युवाओं पर सोशल मीडिया के प्रभाव से मतदान व्यवहार को राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में जानना।

प्राक्कल्पनाएँ:

1. नगरीय युवाओं की तुलना में ग्रामीण युवाओं के घर में राजनीतिक चर्चाएँ अधिक होती हैं।
2. नगरीय युवाओं की तुलना में ग्रामीण युवाओं के महाविद्यालयों में राजनीतिक चर्चाएँ अधिक होती हैं।

अध्ययन क्षेत्र- अध्ययन क्षेत्र हेतु मध्य प्रदेश के नीमच जिले का चयन किया गया है जिसमें नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण पर अध्ययन किया जाएगा। नीमच जिले के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद नीमच और नीमच जनपद पंचायत क्षेत्र के युवाओं का अध्ययन किया जाएगा और नगर परिषद जावद और जावद जनपद पंचायत क्षेत्र के युवाओं का अध्ययन किया गया है।

निर्दर्शन विधि- प्रस्तुत अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण एवं सुविधाजनक निर्दर्शन विधि का प्रयोग करते हुए युवा उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। सभी युवा महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले हैं। निर्दर्शन के अनुसार नीमच से 120 तथा जावद से 120 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। नीमच के 120 उत्तरदाताओं में से 30 नगरीय एवं 30 ग्रामीण युवा तथा 30 नगरीय एवं 30 ग्रामीण युवतियों का चयन किया गया है। जावद के 120 उत्तरदाताओं में से 30 नगरीय एवं 30 ग्रामीण युवा तथा 30 नगरीय एवं 30 ग्रामीण युवतियों का चयन किया गया है। कुल मिलाकर 240 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

तथ्य संकलन विधि - प्रस्तुत अनुसंधान में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों को काम में लिया गया है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु पूर्व में किए गए अध्ययनों के साथ युवाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं समाजीकरण से सम्बन्धित प्रकाशित तथ्यों को आधार बनाया गया है। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची का प्रायोगिक प्रयोग करते हुए प्रश्नों की महत्ता को जाँचा गया है। नगरीय युवाओं के तथ्य नगर परिषद और पालिका के युवाओं से तथा ग्रामीण युवाओं के तथ्य जनपद पंचायत क्षेत्र से संकलित किए गए हैं।

आयु के अनुसार उत्तरदाता- आयु के अनुसार उत्तरदाताओं में नीमच और जावद के नगरीय क्षेत्र से 25.8 प्रतिशत 18 से 20 वर्ष, 26.7 प्रतिशत 21 से 23 वर्ष, 25 प्रतिशत 24 से 26 वर्ष जबकि 122.5 प्रतिशत उत्तरदाता 27 से 30 वर्ष की आयु के थे। ग्रामीण क्षेत्र से 15 प्रतिशत 18 से 20 वर्ष, 14.2 प्रतिशत 21 से 23 वर्ष, 37.5 प्रतिशत 24 से 26 वर्ष जबकि 33.3 प्रतिशत उत्तरदाता 27 से 30 वर्ष की आयु के थे।

परिवार में राजनीतिक समाजीकरण- युवाओं का प्राथमिक अभिकरण में राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में उनके घर में होने वाली राजनीतिक चर्चा के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें नगरीय क्षेत्र से 13.3 प्रतिशत युवाओं के घर के सदस्य राजनीति से जुड़े हैं जिससे सदैव राजनीतिक चर्चाएँ होती रहती हैं और 31.7 प्रतिशत युवाओं के घर में चुनावों के दौरान राजनीतिक चर्चाएँ होती हैं एवं 17.5 प्रतिशत युवाओं के पास कोई जवाब नहीं था जबकि 37.5 प्रतिशत के घरों में राजनीतिक चर्चाओं का वातावरण ही नहीं बन पाता है। ग्रामीण क्षेत्र से 51.7 प्रतिशत युवाओं के घर में सदैव

राजनीतिक चर्चाएँ होती रहती हैं और 27.5 प्रतिशत युवाओं के घर में चुनावों के दौरान राजनीतिक चर्चाएँ होती हैं एवं 11.7 प्रतिशत युवाओं के पास कोई जवाब नहीं था जबकि 9.2 प्रतिशत के घरों में अन्य सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के कारण राजनीतिक चर्चाओं का वातावरण ही नहीं बन पाता है।

शिक्षण संस्थाओं में राजनीतिक समाजीकरण- युवाओं का द्वितीयक अभिकरण में राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में उनके महाविद्यालय में होने वाली राजनीतिक चर्चा के अनुसार विवरण दिया गया है नगरीय क्षेत्र से 9.2 प्रतिशत युवा सदैव राजनीतिक चर्चाएँ करते रहते हैं और 18.3 प्रतिशत युवा महाविद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता के दौरान राजनीतिक चर्चाएँ करते हैं एवं 11.7 प्रतिशत युवाओं के पास कोई जवाब नहीं था जबकि 60.8 प्रतिशत युवा राजनीतिक चर्चाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से 8.3 प्रतिशत युवा स्वयं राजनीति से जुड़े हैं जिससे सदैव राजनीतिक चर्चाएँ करते रहते हैं और 55 प्रतिशत युवा महाविद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता के दौरान राजनीतिक चर्चाएँ करते हैं एवं 11.7 प्रतिशत युवाओं के पास कोई जवाब नहीं था जबकि 25 प्रतिशत युवा शैक्षणिक मुद्दों के कारण राजनीतिक चर्चाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं।

मित्र मंडली में राजनीतिक समाजीकरण- युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में उनकी मित्र मंडली में होने वाली राजनीतिक चर्चा के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें नगरीय क्षेत्र से 21.7 प्रतिशत युवा और सदैव राजनीतिक चर्चाएँ करते रहते हैं और 39.2 प्रतिशत युवा मित्र मंडली में चुनावों के दौरान राजनीतिक चर्चाएँ करते हैं एवं 25 प्रतिशत युवाओं के पास कोई जवाब नहीं था जबकि 14.2 प्रतिशत युवा राजनीतिक चर्चाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से 52.5 प्रतिशत स्वयं युवा और उनके घर के सदस्य राजनीति से जुड़े हैं जिससे सदैव राजनीतिक चर्चाएँ करते रहते हैं और 25 प्रतिशत युवा मित्र मंडली में चुनावों के दौरान राजनीतिक चर्चाएँ करते हैं एवं 11.7 प्रतिशत युवाओं के पास कोई जवाब नहीं था जबकि 10.8 प्रतिशत युवा अन्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के कारण राजनीतिक चर्चाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं।

राजनीतिक दलों के साथ राजनीतिक चर्चाओं में सहभागिता- युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में राजनीतिक दलों के साथ सहभागिता के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें नीमच और जावद के नगरीय क्षेत्र से 11.7 प्रतिशत युवा और सदैव राजनीतिक दलों के साथ सहभागिता करते रहते हैं और 25 प्रतिशत युवा राजनीतिक दलों के साथ चुनावों के दौरान राजनीतिक सहभागिता करते हैं एवं 13.3 प्रतिशत युवाओं के पास कोई जवाब नहीं था जबकि 50 प्रतिशत युवा राजनीतिक दलों के साथ सहभागिता नहीं करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से 36.7 प्रतिशत स्वयं युवा और उनके घर के सदस्य राजनीति से जुड़े हैं जिससे सदैव राजनीतिक दलों के साथ सहभागिता करते रहते हैं और 26.7 प्रतिशत युवा राजनीतिक दलों के साथ चुनावों के दौरान राजनीतिक सहभागिता करते हैं एवं 18.3 प्रतिशत युवाओं के पास कोई जवाब नहीं था जबकि 18.3 प्रतिशत युवा अन्य सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं जिससे वे राजनीतिक दलों के साथ सहभागिता नहीं करना चाहते हैं।

जनसंचार के साधनों से राजनीतिक समाजीकरण- युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में जनसंचार के साधनों द्वारा राजनीतिक सहभागिता के अनुसार विवरण दिया गया है जिसमें नीमच और जावद के नगरीय क्षेत्र से 25 प्रतिशत युवा जनसंचार के साधनों द्वारा राजनीतिक सहभागिता करते हैं और 23.3 प्रतिशत युवा राजनीतिक दलों के साथ

चुनावों के दौरान जनसंचार के साधनों द्वारा राजनीतिक सहभागिता करते हैं एवं 23.3 प्रतिशत युवाओं के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था जबकि 28.3 प्रतिशत युवा जनसंचार के साधनों द्वारा राजनीतिक सहभागिता नहीं करना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से 36.7 प्रतिशत स्वयं युवा और उनके घर के सदस्य राजनीति से जुड़े हैं जिससे वे जनसंचार के साधनों द्वारा राजनीतिक सहभागिता करते हैं और 28.3 प्रतिशत युवा राजनीतिक दलों के साथ चुनावों के दौरान जनसंचार के साधनों द्वारा राजनीतिक सहभागिता करते हैं एवं 17.5 प्रतिशत युवाओं के पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था जबकि 17.5 प्रतिशत युवा अन्य सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं जिससे वे जनसंचार के साधनों द्वारा राजनीतिक सहभागिता नहीं करना चाहते हैं।

निष्कर्ष- नीमच और जावद के नगरीय क्षेत्र से 13.3 प्रतिशत युवाओं के घर के सदस्य राजनीति से जुड़े हैं जिससे सदैव राजनीतिक चर्चाएँ होती रहती हैं और ग्रामीण क्षेत्र से 27.5 प्रतिशत युवाओं के घर में चुनावों के दौरान राजनीतिक चर्चाएँ होती हैं। नगरीय क्षेत्र से 18.3 प्रतिशत युवा महाविद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता के दौरान राजनीतिक चर्चाएँ करते हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र से 25 प्रतिशत युवा शैक्षणिक मुद्दों के कारण राजनीतिक चर्चाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं। नगरीय क्षेत्र से 39.2 प्रतिशत युवा मित्र मंडली में चुनावों के दौरान राजनीतिक चर्चाएँ करते हैं एवं 10.8 प्रतिशत युवा अन्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के कारण राजनीतिक चर्चाओं में ध्यान नहीं लगाना चाहते हैं। नगरीय क्षेत्र से 51.7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र से 50 प्रतिशत युवा मानते हैं कि वर्तमान में सोशल मीडिया द्वारा अपने विडियो संदेश से भावनात्मक रूप से मतदाता के मतदान को प्रभावित किया जाता है। नगरीय क्षेत्र से 51.7 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र से 50 प्रतिशत युवा मानते हैं कि सोशल मीडिया द्वारा अपने विडियो संदेश से भावनात्मक रूप से मतदाता के मतदान को प्रभावित किया जाता है। नगरीय क्षेत्र से 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र से 51.7 प्रतिशत युवा मानते हैं कि चुनाव प्रचार हेतु सोशल मीडिया के प्रभावी साधन हैं।

सुझाव- राजनीतिक समाजीकरण करने वाली संस्थाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है। पर्याप्त सूचना, शिक्षा और संप्रेषण के माध्यमों से यह जानकारी आत्मसात करना आवश्यक है कि देश का संविधान सर्वोपरी है और उसी के अनुसार समस्त लोकतांत्रिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। राजनीतिक सहभागिता में मतदाता और नेतृत्व दोनों ही भूमिका में संविधान संगत समाजीकरण होना आवश्यक है जिससे स्वच्छ एवं स्वस्थ राजनीति की संकल्पना की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Davies, J.C. (1965) "The family's role in political socialization." The Annals of the American Academy of Politics and Social Science 361 (September): 11-19.
2. Easton, D. (1973) "A political theory of political socialization," in J. Dennis (ed.) Socialization to Politics. New York: John Wiley.
3. SIGEL, R. S. [ed.] (1970) Learning About Politics, A Reader in Political Socialization. New York: Random House.
4. Weissberg, R. (1974) Political Learning, Political Choice, and Democratic Citizenship Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

भारतीय कृषि उत्पादकता का अध्ययन

डॉ. प्रतिमा बनर्जी*

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना(म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। भारत में लोगो का जीविकोपार्जन का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है। आज कृषि उद्योगो का स्वरूप बन गई है। देश में औद्योगिकीकरण को आगे बढ़ाने में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि एवं आर्थिक विकास का अटूट संबंध है। कृषि उत्पादन में उच्चावचन का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन में गिरावट आने से विकास दर की दर कम हो जाती है। देश के उद्योग धन्धे, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार स्तर सभी कृषि पर ही निर्भर होते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत श्रमशक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि व्यवसाय पर ही निर्भर है।

आर्थिक विचारों के इतिहास में सर्वप्रथम फ्रान्स के प्रकृतिवादियों ने 18 वी. शताब्दी में यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि कृषि ही उत्पादन का विशुद्ध साधन है। कृषि पर कर लगाने का विचार इसी ध्येय पर आधारित है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'वेल्थ ऑफ नेशन्स' में कहा है, कि कृषि ही किसी देश की सर्वोच्च निर्माण शक्ति है। उन्होंने निर्माण उद्योगो को दूसरे और व्यापार को तीसरे स्थान पर रखा है। प्रो. माल्थस ने अपने जनसंख्या के सिद्धान्त में कृषि पर विशेष जोर दिया। माल्थस ने यह स्पष्ट किया है कि कृषि उत्पादन अंक गणित के अनुसार बढ़ता है जबकि जनसंख्या में रेखागणित का सिद्धान्त लागू होता है।

कृषि का महत्व – कृषि क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का एक प्रमुख स्रोत है। यह औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक विकास का आधार है। भारत में विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से जुड़ा हुआ है। प्रतिवर्ष करोड़ों का राजस्व कृषि से प्राप्त होता है। इसके अलावा कृषि से निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर निर्यातकर से भी सरकार को आय प्राप्त होती है। कृषिजन्य पदार्थ व्यापार और परिवहन के विकास की आधारशिला होते हैं। भारतीय कृषि में क्रांतियों का इन्द्रधनुष दृष्टिगोचर हो रहा है, जैसे- कृषि के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि 'हरित क्रान्ति' (Green Revolution), तिलहन में 'पीली क्रान्ति' (Yellow Revolution), मत्स्य पालन में 'नीली क्रान्ति' (Blue Revolution), उर्वरकों की 'भूरी क्रान्ति' (Grey Revolution), तथा दूध में 'श्वेत क्रान्ति' (White Revolution) प्राप्त हुई है। कृषि के विकास का सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व भी बहुत अधिक है। देश के लगभग तीन-चौथाई मतदाता गाँवों में रहते हैं। इसलिए विभिन्न राजनीतिक दल कृषि के विकास द्वारा उनकी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध

कराना है। अब भारत खाद्यान्न की आपूर्ति में लगभग आत्म-निर्भर हो गया है। कृषि पूँजी निर्माण का साधन है।

भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण – भारतीय कृषि की उत्पादनशीलता बहुत कम है इसके लिए उत्तरदायी कारण निम्नानुसार हैं:

1. भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा निश्चित नहीं है, कभी न्यून और कभी अधिक होती है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआं कहा जाता है।
2. शताब्दियों से निरन्तर प्रयोग में आने के कारण भारतीय कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति का हारस हुआ है जिससे भूमि की उत्पादकता बहुत कम हो गई है।
3. प्राकृतिक प्रकोप जैसे-बाढ़, ऑंधी, टिड्डी प्रकोप आदि के कारण भी कृषि की उत्पादकता एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
4. आज भी अधिकांश किसान उत्पादन की पुरानी तकनीक-लकड़ी के हल व खुरपी को काम में ला रहे हैं, जबकि बाजार में आधुनिक इस्पात के हल, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, पानी के लिए डीजल पम्प आदि उपलब्ध हैं।
5. उत्तम बीजों का अभाव है इस कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का स्तर निम्न रहता है।
6. सिंचाई के साधनों के अभाव में आधुनिक ढंग से कृषि कार्य करना अत्यधिक कठिन होता है परिणामस्वरूप भारतीय कृषि की दशा सुधर नहीं सकती है।
7. निम्न उत्पादकता का एक कारण फसलों की कीड़े-मकोड़े व रोगों से सुरक्षा न कर पाना भी है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध संस्थान के अनुसार, भारत में कुल खाद्यान्नों का 16 प्रतिशत भाग कीड़ों व रोगों से नष्ट हो जाता है।
8. खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए खाद का बहुत अधिक महत्व है परन्तु देश के किसान उचित मात्रा में खाद का उपयोग नहीं करते हैं।
9. भूमि का उप विभाजन एवं अपखण्डन होने के कारण खेतों का आकार बहुत छोटा हो गया है, ये छोटे-छोटे खेत एक स्थान पर न होकर अनेक स्थानों पर बिखरे हुये हैं। इस कारण आधुनिक यन्त्रों द्वारा उन्नत कृषि नहीं की जा सकती है।
10. भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ है। फलतः भारतीय कृषि की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है।
11. भारतीय कृषक ऋण के बोझ से लदे हैं, उनके सामने वित्तीय कठिनाइयाँ

- है और वे भूमि सुधार आदि में पर्याप्त पूँजी लगाने में असमर्थ हैं।
12. देश में कृषि वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए सुसंगठित और सुव्यवस्थित बाजार का अभाव रहा है अतः वे अपनी कृषि - उत्पादित वस्तुओं की बिक्री उचित मूल्य पर नहीं कर पाते।
 13. ग्रामीण क्षेत्रों में साख-सुविधाओं का आज भी अभाव बना हुआ है। अतः कृषकों को अपनी वित्त पूर्ति के लिये गाँव के महाजन एवं साहूकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
 14. बढ़ती हुई कृषि उत्पादन लागत से बचतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचत कम होने से कृषि क्षेत्र में विनियोग नहीं हो पाता तथा कृषि अविकसित हो जाती है।
 15. कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है।
 16. भारतीय कृषक भाग्यवादी एवं अंधविश्वासी हैं, वह कृषि के विकास पर ठ करने की अपेक्षा ब्याह- शादी, मृत्यु-भोज, सामाजिक रीति-रिवाजों व त्यौहारों पर अपनी क्षमता से भी अधिक खर्च करता है। इस प्रकार कृषि के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।
 17. कृषि की अवनति का एक प्रमुख कारण किसानों की शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता है जिस कारण वे खेत में अधिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं।

भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के सुझाव:- देश में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए कृषि विकास अनिवार्य है। कृषि विकास के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। इस हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं:-

1. सिंचाई की सुविधाओं का विकास एवं विस्तार संपूर्ण देश में किया जाना चाहिए।
2. कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीक को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को पर्याप्त साख-सुविधाएँ उचित शर्तों पर उपलब्ध होना चाहिए जिससे वह आधुनिक औजार व रासायनिक खाद आदि को क्रय कर सके।
3. कृषि पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाय।
4. अधिकाधिक कृषि विपणन समितियाँ व मण्डियाँ स्थापित की जानी चाहिए ताकि कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
5. उत्पादकता में वृद्धि के लिए श्रेष्ठतर तकनीकों और उन्नति औजारों को अपनाया जाना जरूरी है।
6. उन्नत बीजों के प्रयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।
7. भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए।
8. भूमि सुधार कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, जिससे भूमि की जोत का आकार भी बहुत छोटा न हो सके।

9. भारत में मिश्रित खेती होनी चाहिए। फसलों का उगाना, पशुपालन, तथा सब्जियाँ एवं फल उगाना साथ-साथ होना चाहिए।
10. कृषि विपणन में सुधार होना चाहिए जिससे किसानों को अपनी फसल का पूरा मूल्य मिल सके, इसके लिए नियन्त्रित मण्डियाँ खोली जानी चाहिए, सहकारी समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए, गोदाम बनाये जाने चाहिए।
11. पशुधन कृषि की महत्वपूर्ण पूँजी है। इसमें सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए। पशुओं के लिए चारा, चिकित्सा एवं नस्ल सुधार की व्यवस्था करनी चाहिए।
12. कृषि की नई व आधुनिक प्रणालियों से हमारे किसान अनभिज्ञ हैं। कृषि की नई रीतियों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
13. कृषि अनुसन्धान का विस्तार करना चाहिए।

उपसंहार- भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति को तेज करने के लिए अत्यावश्यक है कि कृषि के ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन कर उत्पादन में आशातीत वृद्धि की जाये। किन्तु यह तभी संभव है जब कृषि एवं कृषक की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले संस्थागत ढाँचे को बदला जाए तथा एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिससे किसान की परिश्रम करने की सामर्थ्य एवं इच्छा में वृद्धि हो। फलतः ग्रामों का विद्युतीकरण, सिंचाई संसाधनों का विकास, नवीन लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, यातायात एवं संचार सुविधाओं का प्रसार, ग्रामीण समाज की उत्पादन सम्भावनाओं को अनुकूल वातावरण द्वारा जागृत करना अनिवार्य हो गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषकों एवं भारतीय कृषि को विनाश से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिए:-

1. किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में कोई कमी न की जाय।
2. कृषि क्षेत्र तथा घरेलू खपत के लिए संपूर्ण खाद्य उत्पादों को विश्व व्यापार संगठन के समझौते की सीमा से बाहर रखा जाए या उसके कुछ प्रतिबन्धों को नजर-अन्दाज करना चाहिए।
3. कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
4. रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों को प्रोत्साहित किया जाए।
5. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पट्टे पर कृषि उद्योग भूमि लेने से रोका जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. डॉ. रामरतन शर्मा, भारतीय अर्थशास्त्र, राम प्रसाद एण्ड संस, आगरा -3
2. डॉ. वी.सी. सिन्हा, भारतीय अर्थशास्त्र, एस.बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा।
3. योजना पत्रिका दिसम्बर 2020
4. प्रतियोगिता दर्पण 2021

ग्रहों में लोकतंत्र प्रणाली: एक विश्लेषण

हितेश कुमार *

* व्याख्याता (हिंदी) गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, रामनगर, उधमपुर (जम्मू कश्मीर) भारत

शोध सारांश – ग्रहों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दो दल हैं, देवता दल राक्षस दल दोनों दलों में राज्य पाने की होड़ लगी हुई है दोनों दलों में एक एक गुरु है जो कि अपने दलों का मार्गदर्शन करता है सदा अपने दल के हित की कामना करता है लोकतांत्रिक व्यवस्था न्याय व्यवस्था इत्यादि सब कुछ मानव मन के अंदर हैं और ग्रह जिनका संचालन करते हैं।

शब्द कुंजी – ग्रह, लोकतंत्र, दशाएं, महादशा, अंतर्दशा, न्यायपालिका, सरकार, सूर्य, चंद्र, देवता दल, राक्षसदल।

प्रस्तावना – जिस प्रकार से किसी देश को कोई दल चलाते हैं उसी प्रकार से समस्त संसार को ग्रह चला रहे हैं। विधाता ने जब सृष्टि की रचना की उस समय विधाता ने संसार का कार्य चलाने के लिए ग्रहों का निर्माण किया, बाद में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार इन ग्रहों में विभाजन हो गया।

ग्रहों में दो दल – ग्रहों में एक दल सूर्य का है और दूसरा दल शनि का है एक देवता दल और दूसरा राक्षस दल, देवता दल के अंतर्गत सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति आते हैं और राक्षस दल के अंतर्गत शनि शुक्र राहु केतु आते हैं बुध इनमें दोनों तरफ की मिश्रित भूमिका निभाता है। वह देवता दल का किंतु मित्रता उसकी राक्षस दल के ग्रहों के साथ है। यह ग्रह किस प्रकार से संसार को चलाते हैं।

ग्रहों का मानव मस्तिष्क और मन से संबंध – मानव का मस्तिष्क एक मोबाइल फोन के समान है जो कि 9 ग्रहों से अर्थात् 9 टावरों (जवूमते) से बंधा हुआ है व्यक्ति के जन्म के समय अंतरिक्ष में जिस प्रकार का ग्रहों का मानचित्र होगा उसी प्रकार का व्यक्ति का जीवन होगा। अंतरिक्ष में मानचित्र में जो ग्रह बलवान होगा व्यक्ति के जीवन का वह पक्षी बलवान होगा और जो ग्रह उस समय अंतरिक्ष के मानचित्र में कमजोर होगा उससे संबंधित मानव जीवन का पक्ष कमजोर रहेगा उदाहरण यदि जन्मपत्रिका अर्थात् (ग्रहों का जन्म समय का मानचित्र) में यदि सूर्य बलवान है तो व्यक्ति साहसी तेजस्वी अभिमानी होगा यदि सूर्य कमजोर होगा तो व्यक्ति भी तेज विहीन होगा इसी प्रकार से यदि चंद्रमा बलवान होगा तो व्यक्ति प्रसन्न चित आशावादी होगा यदि चंद्रमा कमजोर है तो व्यक्ति दुःखी हृदय निराशावादी होगा यदि व्यक्ति का बृहस्पति बलवान होगा तो व्यक्ति ज्ञान से भरपूर होगा। यदि बृहस्पति कमजोर होगा तो ज्ञान की कमी होगी इसी प्रकार से अन्य ग्रहों से जुड़ी जो भी वस्तुएं हैं वह जन्मपत्रिका में ग्रह की स्थिति के अनुसार व्यक्ति को जीवन में मिलेंगी पूर्णता से या कमी से।

ग्रहों में शासन की प्रीतिस्पर्धा – जिस प्रकार से किसी दल में किसी प्रदेश को जीतने की होड़ लगी होती है ठीक ऐसी ही स्थिति ग्रहों की भी है उसी प्रकार से ग्रहों का प्रदेश कोई व्यक्ति है यह भी हर व्यक्ति पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं ग्रहों पर भी किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव जमाने की सदा होड़ लगी रहती है जिस व्यक्ति पर जिस ग्रह का प्रभाव अधिक होगा उसका

स्वभाव कार्य उसी ग्रह की तरह होगा जिस जिस पर बृहस्पति का प्रभाव अधिक होगा वह व्यक्ति धार्मिक सत्यवादी गंभीर विद्वान मोटा होगा जिस पर राहु का प्रभाव अधिक होगा फिर व्यक्ति झूठ बोलने वाला शातिर छल कपट करने वाला होगा जब चंद्रमा का प्रभाव अधिक होगा व्यक्ति भावुक कल्पना करने वाला होगा वह बुद्धि के बदले मन से अधिक चलने वाला होगा जिस व्यक्ति पर बुध का प्रभाव अधिक होगा वह व्यक्ति व्यापारियों की भांति हर हर वस्तु में हानि लाभ देखेगा वह मन की तुलना में बुद्धि से काम अधिक करेगा। जिस पर शुक्र का अधिक प्रभाव होगा वह व्यक्ति हंसी मजाक करने वाला भौतिक सुखों से प्रेम करने वाला होगा। जिस व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव अधिक होगा वह व्यक्ति साहसी क्रूर शुष्क प्रकृति का होगा जिस व्यक्ति पर शनि का प्रभाव अधिक होगा उस व्यक्ति की किसी को परखने की शक्ति बहुत तीव्र होगी वह एकांतवास में रहना पसंद करेगा। जिस व्यक्ति पर केतु का प्रभाव अधिक होगा होगा वह व्यक्ति दुःखी आत्मा संसार से दूर भागने वाला होगा।

ग्रहों द्वारा व्यक्ति का प्रकृति, कार्य परिणाम निर्धारण – जिस व्यक्ति पर देवता प्रकृति के ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा वह देवता प्रकृति का व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति पर राक्षस प्रकृति के ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा वह उस व्यक्ति की प्रकृति राक्षसी होगी यदि किसी व्यक्ति के जन्म लग्न पर एक से अधिक ग्रहों का प्रभाव होगा। उस व्यक्ति के चरित्र में हमें मिली हुई विशेषताएं मिलेंगी। यदि कहीं पर कोई प्रतिस्पर्धा युद्ध चुनाव आदि हो रहे हैं तो नेता या सेनापति के ग्रहों के बल के अनुसार बाकी लोगों का बल आँका जाएगा जैसे कहीं पर युद्ध हो रहा है जहां पर दोनों पक्षों के सैनिकों की नियति सेनापति के ग्रहों के अनुसार निर्धारित होगी। जिस पक्ष के सेनापति का सूर्य मंगल और चंद्रमा की स्थिति बलवान होगी वही पक्ष विजई होगा इस प्रकार से प्राचीन काल में अलग-अलग दल बने हुए थे उस दल का मुखिया एक होता था। उसी की ग्रह स्थिति के अनुसार उस दल का कार्य निर्धारित हुआ। जिस दल के मुखिया पर बृहस्पति शुक्र का अधिक प्रभाव था वह ब्राह्मण बन गया क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों ब्राह्मण वर्ण के ग्रह हैं दोनों का काम शिक्षा देना है। जिस दल के मुखिया पर सूर्य मंगल का अधिक प्रभाव था वह व्यक्ति क्षत्रिय बन गया क्योंकि यह दोनों ग्रह बल साहस के

कारक हैं। इसलिए देश की रक्षा का कार्य इन्हें दिया गया। जिस दल या समूह के मुखिया पर चंद्रमा बुधा का प्रभाव था वह व्यक्ति व्यापारी बन गया क्योंकि यह दोनों ग्रह वैश्यवर्ण के हैं। जिस दल के लोगों के मुखिया पर शनि का प्रभाव अधिक था वह व्यक्ति सेवा करने लगे क्योंकि अंतरिक्ष में शनि को सेवक का दर्जा दिया गया है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र जाति का कोई दवा करें वह निराधार है वह जाति किसी की चारित्रिक विशेषताएं नहीं निर्धारित करती बल्कि व्यक्ति पर ग्रहों के वर्णों का प्रभाव ही उस व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं को निर्धारित करता है बहुत से लोग ब्राह्मण जाति के होते हैं उनके पास ज्ञान उतना नहीं होता जितना साहस होता है। बहुत से लोग क्षत्रिय जाति के होते हैं उनके पास साहस उतना नहीं होता जितना ज्ञान होता है। बहुत से लोग वैश्यजाति के होते हैं वे व्यापार में उतना सफल नहीं होते जितना कि शिक्षा के क्षेत्र में या सेना आदि के क्षेत्र में। बहुत से लोग शुद्र जाति के होते हैं वह किसी की सेवा नहीं करते बल्कि प्रशासन में शिक्षा के क्षेत्र में अपने ज्ञान के कारण दूसरों से अपनी सेवा करवाते हैं। अतः यह बातें ये सिद्ध करती हैं कि जाति का कोई महत्व नहीं या केवल नाम मात्र है ग्रहों का वर्णस्वभाव ही व्यक्ति का कार्य स्वभाव निर्धारित करता है इसके अतिरिक्त राहु और केतु मलेच्छ जाति के दो ग्रह हैं जो कि गंदगी के प्रतीक हैं जिन लोगों पर इन मलेच्छ जाति के ग्रहों का प्रभाव अधिक होता है वह लोग दंत वादन, स्नान इत्यादि नहीं करते गंदे बने रहते हैं। सफाई से उन्हें उतना प्रेम नहीं होता वह चाहे किसी भी जाति के हो कोई फर्क नहीं पड़ता काम उन्होंने अस्वच्छता का ही करना है क्योंकि वह इन मलेच्छ ग्रहों के प्रभाव में हैं। इस गंदगी में इन व्यक्तियों पर शनि का भी प्रभाव आता है एक व्यक्ति पर देवता ग्रह के प्रभाव है और दूसरे व्यक्ति पर राक्षस ग्रहों का प्रभाव अधिक है। इन ग्रहों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप पद दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद रहेगा आपस में नहीं बनेगी राक्षस ग्रह प्रदान व्यक्ति की राक्षस ग्रह प्रधान व्यक्तिसे ही बनेगी और देवता ग्रह प्रधान व्यक्ति की देवता ग्रह प्रधान व्यक्ति से ही बनेगी।

ग्रहों में लोकतंत्र—जिस प्रकार से किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार फिर जिला सरकार फिर उप जिला सरकार फिर नगरपालिका या ग्राम की सरकार होती है ठीक उसी प्रकार से मानव शरीर का मस्तिष्क, मन एक देश के समान है जिसके अंदर ग्रहों की महादशा अर्थात् (केंद्र सरकार) अंतर्दशा (राज्य सरकार) प्रत्यंतर दशा (जिला सरकार) सूक्ष्म दशा (उप -जिला) सरकार और प्राण दशा (नगर अथवा ग्राम सरकार) होती है।

ग्रहों की सरकार—ग्रहों की महादशा और अंतर्दशाओं का संबंध भी ठीक वैसे ही है जैसे किसी लोकतांत्रिक देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संबंध होता है। यदि केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में एक ही दाल की या मित्र दलों की सरकार हो तो देश में प्रगति में बाधा नहीं आती और यदि किसी लोकतांत्रिक देश में केंद्र और राज्य में दो विरोधी अथवा विरोधी दलों की सरकारें हो तो देश की प्रगति में बाधा आती है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भी महादशा और अंतर्दशा एक ही ग्रह की अथवा मित्र ग्रहों की हो तो व्यक्ति की प्रगति अच्छी होती है यदि व्यक्ति पर किसी विरोधी ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा चल रही हो व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आती हैं जिस तरह की नई सरकार बनती है राज्य में भी पहले उसी दल की सरकार बनेगी उस प्रकार से जिस ग्रह की महादशा होगी उसी की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशाप्राण दशाहोगी फिर बाद में धीरे-धीरे परिवर्तन होगा। बाहरी

लोकतंत्र देश में केंद्र और राज्य सरकार की समय पूर्णता निश्चित नहीं है ये समय से पूर्व भी भंग हो सकती है किंतु आंतरिक संसार में जो गणना के आधार पर महादशा अंतर्दशा आदि दशाओं का जो समय निर्धारित किया गया है वह निश्चित है उससे कम या अधिक नहीं हो सकता।

ग्रहों का घोषणा पत्र—जिस प्रकार से किसी दल का कोई घोषणा पत्र होता है वह इस बात का दावा करता है हमारी सरकार आएगी हम यह काम करेंगे उसी प्रकार से हर एक ग्रह का अपना घोषणापत्र होता है जन्मपत्रिका में स्थिति के अनुसार जो काम निर्धारित किया गया हो और वह वह कार्य ग्रह की महादशा आने पर होते हैं जैसे— नौकरी, संपत्ति, धन, वाहन, रोग, लाभ हानि इत्यादि। किसी व्यक्ति के जीवन में यदि महादशा और अंतर्दशा में आपस में मित्र ग्रहों की हो व्यक्ति के जीवन में काम सरलता से चलते हैं। यदि महादशा एक ग्रहापहो दूसरी छोटी दशाएं उसके विरोधी ग्रहों की हो तो व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का सामना होता है।

ग्रहों की तरंगों का मानव मन मस्तिष्क से सम्बन्ध—ग्रह किस प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन प्रभावित करते हैं ग्रहों का सीधा संबंध मानव के मन मस्तिष्क से है। जब मन में राजसी प्रवृत्ति जागृत हो उस समय सूर्य की अदृश्य तरंगें व्यक्ति के मन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। जिस समय व्यक्ति भावुक होता है कल्पनाएं करते हैं उस समय व्यक्ति को चंद्रमा की अदृश्य तरंगें प्रभावित करती हैं। जिस समय व्यक्ति को भौतिक सुखों की कामना होती है उस प्रकार उस समय व्यक्ति को शुक्र की आदि क्षेत्र में प्रभावित करती हैं। जिस व्यक्ति में व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ ध्यान जागृत होता है उस समय व्यक्ति को बृहस्पति की अदृश्य तरंगें प्रभावित करते हैं। जिस समय व्यक्ति को एकांतवास की इच्छा होती है तो व्यक्ति को शनि की अदृश्य तरंगें मन मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। जब व्यक्ति क्रोधित होता है उस समय व्यक्ति को मंगल की अदृश्य तरंगें प्रभावित करती हैं। जिस समय व्यक्ति को राहु की प्रभावित करते हैं तब व्यक्ति के मन में छल कपट करने का मन करता है जिस व्यक्ति को केतु की अदृश्य तरंगें से प्रभावित करती हैं। उस व्यक्ति व्यक्ति को संसार छोड़ने का सबसे दूर रहने का मन करता है, साहस की अनुभूति होती है।

ग्रहों का शिक्षा के विषयों से संबंध—शिक्षा के क्षेत्र में ग्रहों का विषयों से संबंध है। हिंदी संस्कृत का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। अंग्रेजी का संबंध राहु ग्रह से है। गणित का संबंध बुध ग्रह से है मंगल का संबंध इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से है। राहु-सूर्य का संबंध राजनीति शास्त्र से है। केतु का संबंध विषय विदेशी भाषाओं से है। विधि का संबंध शनि ग्रह से है। जिसके ऊपर इस ग्रह का प्रभाव अधिक होगा उससे संबंधित विषय पर उसकी व्यक्ति की विशेष रुचि होगी, पकड़ होगी। इस पर व्यक्ति का प्रभाव अधिक होगा उसकी हिंदी संस्कृत में विशेष रुचि ऐसा पकड़ होगी।

जिस व्यक्ति पर बुध का प्रभाव अधिक होगा उसकी गणित बैंकिंग में विशेष पकड़ होगी। जिस व्यक्ति पर मंगल का प्रभाव अधिक होगा उस व्यक्ति की मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर विशेष पकड़ होगी। जिस पर केतु का प्रभाव अधिक होगा उसकी विदेशी भाषाओं में विशेष पकड़ होगी जिस व्यक्ति पर सूर्य राहु का प्रभाव देश की राजनीति में विशेष रुचि होग जिसपर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होगा उसकी कल्पना शक्तिबड़ी तीव्र होगी वह कवि होगा। जिस व्यक्ति का बुध कमजोर होता है उसे उसे गणित नहीं आता क्योंकि हमारे मस्तिष्क रूपी मोबाइल में बुध का नेटवर्क कम है हिंदी के क्षेत्र में वही लोग सफल होते हैं जिनका बृहस्पति बलवान होता है।

कुंडली का जीवन पर प्रभाव—यदि किसी बच्चे की कुंडली का पर्याप्त अध्ययन करके उसकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार उसका विषय निर्धारित किया जाए तो बच्चे की बुद्धिमत्ता का विकास होगा। बच्चे का प्रदर्शन अच्छा रहेगा इसके विपरीत बच्चे की जिन विषयों पर पकड़ नहीं है वह विषय बच्चे की जबरदस्ती दे दिए जाएं तो बच्चे की बुद्धिमत्ता का शमन होगा और उन बच्चों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा एक बोझ बन जाएगा।

ग्रहों का स्थान संबंध—किसी ग्रह का किसी स्थान विशेष के साथ गहरा संबंध होता है जिस स्थान पर ग्रहों के स्वभाव के अनुरूप कार्य होते हैं उस स्थान पर वह ग्रह बलवान हो जाता है जैसे किसी देवस्थान, पूजा-पाठ अध्यात्म वाली स्थान पर बृहस्पतिग्रहप्रदान हो जाएगा और बृहस्पति प्रधान व्यक्ति को ऐसे स्थान में जाने से सुख अनुभूति होगी। जहाँपर दिखावा फैशन, प्रेम अभिनय इत्यादि होगा वहाँ पर शुक्र प्रदान होगा शुक्र प्रधान व्यक्ति को स्थानों पर जाना अच्छा लगेगा जो व्यक्ति बृहस्पति प्रधान होगा। उसी स्थान पर जाकर दुखदाई अनुभव होगा जिस क्षेत्र में व्यापार होता है वहाँ पर बुध बलवान होता है जहाँ पर बुध चंद्रमा प्रधान व्यक्ति ही सफल होते हैं जहाँ पर सीमा के निकट युद्ध क्षेत्र में मारकाट लड़ाई झगड़ा तभी होता है वहाँ पर मंगल प्रदान व्यक्ति ही सफल है वही विजई होते हैं जहाँ पर प्रशासन अथवा कोई भी सरकारी कार्यालय हो वहाँ सूर्य प्रदान होता है जहाँ पर व्यक्ति संसार से दुखी होकर वैराग्य लेने का भाव आता है वहाँ केतु प्रदान होता है बड़े-बड़े शहरों में जहाँ पर भौतिकवाद चरम सीमा पर है छल कपट बहुत अधिक है वहाँ पर राहु स्वता ही प्रदान हो जाता है ऐसे शहरों में रहो प्रदान व्यक्ति ही जो छल कपट में निपुण है अधिक लाभ कमाते हैं जिस व्यक्ति के अंदर जो ग्रह प्रदान होता है उसी के कार्यक्षेत्र में उस व्यक्ति को जाकर सुख मिलता है।

लघ्न चंद्र लघ्न, सूर्य लघ्न 3 न्यायाधीश—जिस प्रकार से किसी लोकतांत्रिक देश में कोई न्यायपालिका होती है वहाँ पर 3 जजों की बेंच होती है उसी प्रकार से व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी एक न्यायपालिका व्यवस्था की भांति लघ्नों का विशेष महत्व है लघ्न, चंद्र लघ्न, सूर्य लघ्न जैसे जन्म लघ्न सूर्य लघ्न तथा चंद्र लघ्न मान लो यह तीनों जजों की बेंच है

यह तीनों लघ्न किसी घटना के बारे में एक ही गणना बताएं तो वह घटना घटित हो कर रहती है। यदि दो लघ्न एक गणना बताएं एक लगन दूसरी घटना बताएं तो घटना की संभावना लगभग 70% और यदि किसी घटना की गणना तीनों लघ्न अलग-अलग बताएं तो उस घटना की संभावना 33% होती है उदाहरण के लिए यदि सूर्य से कर्म स्थान से बृहस्पति चंद्रमा के कर्म स्थान से बृहस्पति और लगन के कर्म स्थान से बृहस्पति संबंध बनाए तो व्यक्ति का कार्यक्षेत्र बृहस्पति से संबंधित होगा ऐसे व्यक्ति अध्यापक आचार्य परामर्शदाता आदि होते हैं।

उपसंहार – ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसका हस्तक्षेप जीवन के हर क्षेत्र में है। कुछ स्वार्थी झूठे अल्प ज्ञानी लोगों के कारण नजाने इसकी वयों अवहेलना कर दी गई है यदि इस को पुनः अपनाया जाए और तो जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान सरलता से हो जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. द्विवेदी पंडित रमेश सरल ज्योतिष-प्रकाशन- डायमंड बुक्स संस्करण, 2015
2. मिश्र विद्या भूषण मान सागरी- परमानंद शास्त्री त्रिगुणायक द्वारा विरचित - प्रकाशन श्री गोवर्धन पुस्तकालय
3. जातक पारिजात : व्याख्याकार डॉ. मिश्र सुरेश चंद्र - प्रकाशन - रंजन प्रकाशन संस्करण (2014)
4. आचार्य वराह मिहिर विरचित बृहज्जातकम्व्याख्याकार डॉ. मिश्र सुरेश चंद्र- प्रकाशन रंजन प्रकाशन दिल्ली, संस्करण (2016)
5. सिंह देवकी नंदन ज्योतिष रत्नाकर —मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन नई दिल्ली (2016)
6. भावार्थ रत्नाकर- रामानुजाचार्य, प्रकाशक-डायमंडपॉकेटबुक्स (2014)
7. झा, रूप नारायण पंडित, मानसागरी प्रकाशक-एस्ट्रो देवम प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, दिल्ली (2019)
8. डॉ. रावत एच. एस. यूट्यूब चैनल

Munshi Premchand and 'Soz-e-Watan': The Journey from Nawab Rai to Premchand

Dr. Swati Chandorkar* Smt. Shashi Lata Neekhara**

*Professor & HOD (English) Swami Vivekanand Govt. P.G. College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

** Research Scholar, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.) INDIA

Abstract - Literature played a significant role in the struggle for India's freedom. Beginning with the 19th century, when nationalist ideas began to emerge and literature in different Indian languages entered its modern phase, more and more writers began to employ literature for patriotic purpose. Most of them, in fact, believed that because they belonged to an enslaved country, it was their duty to create literature of a kind that would contribute to the all-round regeneration of their society and pave the way for national liberation. A period when countrymen were Countrymen was vigorously fighting against the foreign rule. Nothing short of revolutionary in those times, 'Soz-e-Watan' is the classic work of writer where the idea of patriotism filled with nation pride described in a very beautiful way and can be said as first mile stone of writer's literary journey's Premchand fostered the independence movement through his realistic literary work which was based on the actual situations and conditions of the Indian society of that time. For him, writing was a mission and in the course of his literary career he passionately clung to the belief that no writer in a subject country could afford the luxury of writing without a social purpose. The present paper centers on highlighting the picture of patriotism in Munshi Premchand's short story.

Key Words- Motherland, Indian Nationalism, Swadeshi, Swarajya, Sati system, Satya ahimsa, Purdah Pratha, Satyagraha, Nationalist volunteer, Soz –e- Watan, Swaraj, Gandhian idealism, Literature.

Introduction - Munshi Premchand is that Shining Star of the Hindi literature who doesn't need an introduction. He is the most readable author of the world. He is the inspirer of a new initiative in Indian literature which we all know today as Realism or Romanticism. Real Romanticism is the unprecedented character of his writing. Munshi Premchand was not only a renowned character but also a great patriot, decent teacher, social reformer, energetic orator, responsible editor and also a great thinker as well. Premchand in his writings depicted the contemporaneous circumstances of contemporary age in such a way that anyone can frame an alive glimpse in front of his / her eyes and the reader and audience start living in the same time of the story and become the part of the story spontaneously. Munshi Premchand is the defender of Hindi literature and the emperor of fictional Hindi literature, who will inspire the upcoming generation's literature and researcher.

Munshi Premchand was born on 31st July 1880 in Lamhi near Varanasi. His real name was Dhanpat Rai Srivastava. He used to write Urdu writings on the name of 'Nawab Rai' and Hindi writings on the pen name of Munshi Premchand. He was given the title of 'Novel King' by Sharad Chandra Chattopadhyay before Premchand the stories or novels were considered second range of literature. Love stories, adventurous stories, queen and king tales, and fight

tales, fairy tales, mysterious stories were only read and written. It was Premchand who revolutionized the stories and novels and presented them in a new way, now novels started taking new shaped other than those old specifications. Now actual and earthly teaching became the main speciality of the story, in which spiritedness and spark became an important part. Presenting the life in the form of life became the most important specification of the writing.

During the lifetime of Munshi Premchand whole Nation was going through the phase of change and this flux became the Conch shell of Renaissance of social, religious animistic, political and literary areas. The founder of Bramha Samaj Raja Ram Mohan Roy and the founder of Arya Samaj, Swami Dayanand Saraswati, Madam Balabatsaki and Ramkrishna Paramhans and his famous disciple founder of Ramakrishna Mission, Swami Vivekanand, Ishwar Chandra Vidyasagar etc. were making a spark in the making of New India. Stereotypical values like Dependence, Purdah, Child Marriage, Sati pratha, Untouchability were tried to stop. The effect of all this was reflected in the writings of Munshi Premchand. In 1885 in order to make everyone participate in independence Movement Indian National Congress was founded. Effects of Mahatma Gandhi's ideology and thinking like satya (truth),

ahimsa (non-violence), idealism, etc's effect can also be cleanly felt in his stories.

In 1906, his second marriage with Shivrani Devi start a new chapter in Premchand's life and this was the time when whole Nation was heading towards a new sunrise. The ideology of Patriotism started to make place in everyone's heart from the few of them and gradually became the heartbeat of every Indian. Swami Vivekanand's honourly participation in "Sarvdharm Sammelan" made Indians even more prouder. In indian National Congress, established in 1885, powerful leaders like Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Naoroji and Bal Gangadhar Tilak's, the spark of Patriotism got converted into fire in every Indian's heart. Gokhale and Tilak, men of two different ideologies made two fold effects upon Premchand. Gokhale's ideology was based on two things first social reforms and then independence, while Tilak advocated the of ideology of social reform after freedom. Despite considering Tilak's as his preceptor, the ideology of Tilak's can be seen in work of Premchand.

But Mahatma Gandhi 'National father' his ideology affected Premchand's thinking the most and effect of Mahatma's concept of thinking can be easily reflected in each of his writings. After reaching Kanpur the belief of patriotism had fully been filled in the mind of Premchand and his articles begin to publish 'Zamana- e- Raftar' with pen name of 'Nawab Rai' in Zamana. Till 1908 Britisher's oppressive ethics became much mightier and the now the number of articles published on the name of 'Nawab Rai' that increased his publicity. 'Awaz-e-Khalak' was published in Banaras and 'Adiv' was published in Allahabad in which his articles started publishing. But his original acquaintance was yet to be revealed, mean while he wrote many patriotic stories which were mainly based on National Harmony. First, story named "Roothi Raani" (offended queen), second book collection named "Soz-e-Watan" (Dirge of the Nation) gave new birth to his literary life. This book - collection is filled with the emotion patriotism and decorated with the theme of national integrity following stories included in this book are: 'The world's most Precious Gem' ('Duniya ka Sabse Anmol Ratan'), 'Sheikh Makmoor' "This is my Country" ('Yeh mera Watan hai'), "The Reward of Mourning" ('Shok ka Puruskaar'), "Love for the World and Patriotism" ('Sansarik Prem va Pesh Prem') was published in both Hindi and Urdu in 1908.

"The most precious thing in the world is a drop of blood which is Fallen For the safeguarding of the country." The Rarest Gem in the World by Premchand

In the story this exquisite gem turned out to be "the last drop of bloodshed in the cause of one's country's freedom."

The Patriotic Spark lighter "Soz—e- Watan" was

Premchand's first published story collection, which was published by "Zamana Press" in Kanpur. The price was '5 aanas' per copy, though every story of this collection was full of patriotism but was not rebel. The reaction of Britishers on this book was that as being unhappy with its content, the collector of Hamirpur (Bundelkhand) where Munshiji used to work as a teacher, he called him in a Hostel and alerted him and burned 500 copies of books and warned him not to write anything on the name of Nawab Rai without the permission of department otherwise strict actions will be taken against him. This was the first time when any Indian writer's book was banned publicly, as his stories was the proof of Indian struggle against the British. Premchand himself told that nearly 1000 copies of the book was published, out of which approximately 300 copies were sold and rest were in the Zamana Press which he himself deposited in the collector's office with gratitude. His friend and editor of Zamana Press Mr. Dayaram Nigam even had to pay 50 rupees fine. Therefore this can be said that this book is the classic example of writer's story telling art, where the idea of patriotism filled with Nation - Pride and Patriotism in a very beautiful way and can be said as first milestone of writer's literary journey. "Soz -e-Watan" is the book that sanded-off 'Nawab Rai' and introduced us with "Premchand." Soldier of Pen got silenced on the name of Nawab Rai, and the writings of Dhanpat Rai continued relentlessly, and he also wrote with a new name which made us meet with the great "Munshi Premchand." Thus Nawab 'died' and Premchand was born. The first story published under this pen name was titled 'Bade Ghar ki Beti' in October – Nov. in 1930. "Soz-e- Watan" is the book that made Dhanpat Rai to Nawab Rai and Nawab Rai to Premchand. This great genius gave Indian Literature a golden history and took Indian Literature to new heights in the World Literary Scenario.

References:-

1. Gopal Madan (2006) "*My life and time*", Recreated from his work, New Delhi, Lotus collections, P.1976;
2. Anupa Lal, "*The voice of truth*", Roopa Collection Series; New Delhi, Roopa and Co.2002
3. Gandhi Leela "*Novelists of 1930 and 1940 An illustrated History of Indian Literature in English*", Ed.A.K. Mehrtra, New Delhi: Permanent Black, 2008 Print
4. Hanraj, Rahbar "Premchand life and works", Delhi: Farsight Publisher and Distributors, Ed 2012, ISBN 81-89297-78-3
5. For the biography, Amrit Ray, "*Kalam Ka Sipahi*", Prakashan, Allahabad 2005
6. "*Ye meri matrabhumi hai*", Premchand Rachnawali Khand: 11 (1996), Delhi, Janvaani Prakashan Pvt limited.

महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां

डॉ. अनुराधा जैन *

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – महिला सशक्तिकरण का मार्ग अनेक चुनौतियों से भरा है – ये चुनौतियां हैं, अशिक्षा, सामाजिक व पारिवारिक सोच, महिला सुरक्षा, यौन हिंसा, महिलाओं की निर्णय शक्ति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, आर्थिक निर्भरता। जब तक घरों में मां बाप द्वारा लड़के लड़कियों में अन्तर किया जाता रहेगा तब तक समाज में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, शांति, सद्भावना व मानवाधिकारों की व्यवस्था व सुरक्षा नहीं की जा सकती। अतः घरेलू मामलों को भी राजनीति का हिस्सा माना जाना चाहिए तथा महिलाओं के स्वास्थ्य आराम व सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए।

प्रस्तावना – भारत में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य अनेक जटिलताओं और चुनौतियों से भरा हुआ है। महिला सशक्तिकरण द्वारा महिला विकास के विभिन्न पहलुओं को मजबूती दी जा रही है ये पहलू हैं साक्षरता एवं शिक्षा का स्तर, आर्थिक आत्मनिर्भरता, राजनीतिक जागरूकता व सहभागिता, सामाजिक परम्पराओं, रूढ़ियों अंधविश्वासों के प्रति दृष्टिकोण, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण।

इनमें सबसे महत्वपूर्ण व प्राथमिक आवश्यकता शिक्षा है। शिक्षा के कारण बुद्धि का विकास होता है उनका व्यक्तित्व निखरता है इससे सामाजिक आर्थिक स्थिति तो सुधरती है साथ ही उसमें सांस्कृतिक समझ विकसित होती है। शिक्षा एक ऐसा सशक्त उपकरण है जो नई समाज व्यवस्था का सृजन करने के लिए महिलाओं को सक्षम बनायेगी।

हमारे वेदों में महिला शिक्षा का विशद वर्णन मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि आजादी के बाद महिला शिक्षा में लगातार वृद्धि हुई है किन्तु यह प्रगति बहुत धीमी है। गांवों और कस्बों में आज भी घरेलू कामकाज, छोटे भाई बहनों के पालन पोषण या कम उम्र में विवाह के कारण बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। 40 प्रतिशत से अधिक लड़कियाँ 10वीं के बाद स्कूल त्याग देती हैं। 1986 की शिक्षा नीति एवं 86 वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाते हुए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के अनु. 21 (ए) के अनुसार सरकार राज्य द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगी। इससे निश्चित रूप से शिक्षा की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है।

शिक्षा के विस्तार से रोजगार के अवसर आसानी से बढ़े हैं। घर की चारदीवारों से निकलकर महिलाएं कामकाज की दुनियाँ में शामिल हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की जीवनशैली में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। आज जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर

भागीदारी कर रही हैं। सामाजिक परिवर्तन के धूमते चक्र के कारण ही महिलाओं को परम्परागत रूढ़िवादी भूमिका से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है।

भारत में इस सामाजिक परिवर्तनों का असर शहरी शिक्षित महिलाओं में और उसमें भी विशेष रूप से मध्यमवर्गीय महिलाओं पर अधिक पड़ा है। शहरीकरण शिक्षा और रोजगार जो कि सामाजिक बदलाव की देन है, ने उन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने के नए आयाम दिए हैं। ग्रामीण महिलाएं अभी भी खेतों में ज्यादा काम कर रही हैं उनके अवसर बेहद सीमित होते हैं। यही कारण है कि श्रमिक महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। इन महिलाओं की मजदूरी के मामले में भी पुरुष और महिला में भेदभाव किया जाता है। इसके लिए ही सरकार द्वारा समान काम पर समान वेतन का नियम बनाकर इस भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया गया किन्तु समाज में यह अभी भी प्रचलन में है। वही अन्य कार्यशील महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर सहकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार और शोषण का हमला झेलना पड़ता है।

यह सच है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण आधार है। आर्थिक शक्ति से उनकी आत्मिक शक्ति भी मजबूत होती है उनके अन्दर नव आत्मविश्वास पैदा होता है उनके समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है जो कि परिवार बच्चों के भविष्य के साथ ही देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहनीय कार्य किया। 18 दिसम्बर 1979 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेद भाव की समाप्ति को स्वीकार करने वाला 30 अनुच्छेदों वाला दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य था-

1. महिला पर उसके लिंग के आधार पर लगाए जाने वाले सभी प्रकार के प्रतिबंधों अथवा महिलाओं को मुख्य धारा से बाहर रखने की प्रवृत्तियों पर रोक लगाना।
2. महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को देखे बिना सभी क्षेत्रों – राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक तथा नागरिक में महिला को समानता दिए जाने का अभियान चलाना।

3. महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले सभी भेदभावों को समाप्त करने के लिए सरकारों से कानून बनवाना।
4. यथार्थता में पुरुषों और महिलाओं को बराबरी में लाने के लिए स्थायी तौर पर विशिष्ट उपाय सुझाना।
5. भेदभाव को पैदा करने वाली या बढ़ावा देने वाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए कार्य योजनाएं लागू करना इत्यादि।

इस अभिसमय द्वारा महिला शिक्षा राजनीति, रोजगार, भेदभाव समाप्ति, विवाह व प्रसूति अवस्था में रोजगार की सुरक्षा आदि सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया है। यह अभिसमय विधिमान्य राष्ट्रों व सरकारों को यह सोचने और समझने के लिए बाध्य करता है कि यदि वे एक कल्याणकारी राज्य का अपना स्वरूप बने रहने देना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक पारिवारिक व आर्थिक जीवन में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था करनी होगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे संविधान व कानून द्वारा अनेक अवसर दिए गए हैं। राष्ट्रीय नीति के रूप में महिला सशक्तिकरण नीति 2001 बनायी गई। 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन में 33 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित करते हुए राजनीतिक सहभागिता के अवसर दिए गए।

लेकिन महिलाएं अपने अधिकारों को प्रयोग धरातल पर नहीं कर पायीं पंचायत चुनावों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जिनमें महिला उम्मीदवारों के पूरे चुनाव का संचालन उनके पति, भाइयों या अन्य पुरुषों रिश्तेदारों द्वारा किया गया और उनके माध्यम से सत्ता का उपयोग पुरुषों द्वारा किया जा रहा है। इसका कारण उनमें राजनैतिक और सामाजिक चेतना की कमी है। सत्ता में भागीदारी के लिए आवश्यकता है राजनैतिक सोच की, राजनीतिक नीतियों, विचारधारा की और राजनीतिक समझदारी की है। यह सभी विकसित होगी जब वो निरन्तर समाज व राज्य में होने वाली घटनाओं निर्णयों के प्रति सचेत रहे। जागरूक रहे जागरूकता भी अचानक नहीं आ सकती इसके लिए उनकी मानसिक तैयारी व सोच होनी चाहिए। आरक्षण के साथ ही महिला उम्मीदवारों के निर्वाचित होने के बाद उनके लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर चलाया जाए जिसमें संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण के साथ ही उनके राजनैतिक अधिकार, सामाजिक दायित्व बताये जाये। राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं के नेतृत्व शक्ति निर्णय शक्ति के लिए तथा समाज राष्ट्र के प्रति उनके दायित्व बोध के लिए आवश्यक है।

अब अगर महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम को देखें तो इसकी प्रमुख उद्देश्य समाज में महिलाओं के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जाना है। सामाजिक सशक्तिकरण के आवश्यक बिन्दुओं में-

1. परिवार के महत्वपूर्ण मसलों के निर्णय में भागीदारी
2. पति पत्नी संबंधों के समान अधिकार
3. बच्चों की संख्या एवं परिवार नियोजन निर्णय में भागीदारी
4. अपने भविष्य के लिए व्यवसाय का चयन
5. विधवा पुनर्विवाह
6. पर्दा प्रथा के खिलाफ निर्णय
7. घर में स्वास्थ्य व स्वच्छ वातावरण निर्माण

8. घरेलू हिंसा आदि है।

इस दिशा में कुछ प्रमुख सामाजिक कानूनों के साथ ही दंड के प्रावधान हैं-		
दहेज मृत्यु	धारा 304 (बी)	आजीवन कारावास
स्त्री सहमति के बिना गर्भपात	313	आजीवन कारावास
अपहरण या शादी के लिए	366	10 वर्ष का कारावास
मतजबूर करना		
धोखाधड़ी से विवाह	496	7 वर्ष का कारावास
महिला को अपशब्द कहना	509	1 वर्ष का कारावास

इस प्रकार से अनेकों नियम बन रहे हैं अभी हाल में ही सरकारी सेवा में पिता की मृत्यु के बाद अनुकम्पा नियुक्ति पर नौकरी पाने का हक विवाहित पुत्रियों को देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने करा है।

महिलाओं की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए उनके उत्थान के लिए पारिवारिक अदालतों, महिलाओं थानों महिला हेल्प लाइन, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग परिवार परामर्श केन्द्र, जिला स्तर पर महिला सहायता समितियाँ आस्तित्व में आए हैं और निरन्तर उनको सशक्त करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ी है तथा अर्थव्यवस्था में महिलाओं की सार्थक भूमिका स्पष्टतः दिखती है।

किन्तु आज भी महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। -

1. अशिक्षा
 2. यौन हिंसा
 3. कन्या भ्रूण हत्या
 4. बाल विवाह
 5. दहेज प्रथा
 6. घरेलू हिंसा
 7. महिला सुरक्षा
 8. हर स्तर पर पुरुष प्रधान रूढ़िवादी सोच
- इन बाधाओं पर विजय पाने की यात्रा प्रारम्भ तो है किन्तु मंजिल अभी दूर है। अब सबाल यह है कि आम भारतीय महिला चाहती क्या है?

1. समानता की सोच
2. अपने निर्णय की स्वतंत्रता
3. निर्णयों के प्रति सम्मान और सहमति
4. परिवार का सहयोग
5. पुरुषों की रूढ़िवादी सोच में मौलिक बदलाव
6. कार्य विभाजन की पारम्परिक भारतीय सोच में परिवर्तन

वस्तुतः महिलाओं की संवेदनशीलता, भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भरता, उनकी सहनशीलता, उनका मातृत्व गुण परिवार के प्रति समर्पण ऐसे तथ्य हैं जो उनकी कमजोरियों और जिम्मेदारी के रूप में देखे जाते हैं जबकि यह उनकी प्रकृति प्रदत्त शक्तियाँ, मूलभूत प्रवृत्ति, और सामाजिक दायित्व बोध है। मेरे विचार में महिला की सुरक्षा उसके सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जिसका भय उसे अनेक कार्यों और निर्णयों को पूरा करने से रोकता है। हम महिलाओं को अनुकूल वातावरण प्रदान करें जिससे शिक्षा मात्र डिग्री और शादी की योग्यता न हो उनमें विचार चिंतन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विवेक का विकास आवश्यक है इसके लिए हम सब महिलाओं को स्वयं संकल्पबद्ध होना होगा।

आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया है

अपने हक के लिए संकल्पबद्ध है और आत्म निर्भर बनती जा रही।

यह अवश्य है कि सशक्तिकरण हर आयु और हर तबके के लिए अलग है भले ही कुछ बड़ी संख्या में महिलाएं हर क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डाक्टर वकील, सेना, पायलट बन गई हो किन्तु अभी भी एक विशाल समूह को सहयोग और सहायता की आवश्यकता है।

स्त्री सशक्तिकरण महिलाओं को सिर्फ गुजारे भत्ते के लिए ही तैयार नहीं करती बल्कि उन्हें अपने अंदर चेतना को जगाने और सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति पाने का माहौल भी तैयार करती है। इसका लक्ष्य सुखी संतुष्ट और आत्म निर्भर जीवन की प्राप्ति भी है।

सशक्तिकरण शब्द का अर्थ ही विकास का उच्च सोपान है। भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रगति महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक प्रगति पर निर्भर है। अतः इनकी चुनौतियों के प्रति सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र को विशेषकर महिलाओं को स्वयं पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर अपने लिए कदम बढ़ाना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. आषा कौशिक, नारी सशक्तिकरण, विचार एवं विमर्श पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर 2004
2. नदीम हसनन, समकालीन भारतीय समाज भारत बुक सेन्टर लखनऊ

2006

3. आशीष राय, वूमन एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज रजत प्रकाशन नई दिल्ली 2008
4. मीनाक्षी व्यास, नारी चेतना और सामाजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशन्स, कानपुर
5. राजकुमार, महिला और समाज, अनमोल पब्लिकेशन्स नई दिल्ली 2006
6. संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र, नई दिल्ली 1995
7. ओ०पी० जोशी, महिला सशक्तिकरण एवं समस्त विकास, ज्ञान प्रकाशन नई दिल्ली 2005
8. गरिमा शर्मा महिला सशक्तिकरण नवीन भूमिकाएं एवं चुनौतियाँ, पोइन्टर पब्लिशर्स-जयपुर 2013
9. साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिंजी लोकनीता संपादक नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय दिल्ली विश्वविद्यालय 2001
10. स्वप्निल सारस्वत, महिला विकास एक परिदृश्य- नमन प्रकाशन नई दिल्ली 2005

Analysis of Milk and its Constitution by Physico Chemical Methods

Basanti Jain*

*Deptt. of Chemistry, Govt. M.L.B Girls P.G. Autonomous College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Milk is defined as the secretion of the mammary glands of mammals, its primary natural function being nutrition of the young. Milk of some animals especially cows, buffaloes and goats, sheep is also used for human consumption, either as such or in the form of a range of dairy products.

Key Words- Milk, Nutritional, Value, Serving.

Introduction - Varieties

1. Whole Milk
2. Reduced Fat Milk
3. Low Fat Milk
4. Fat Free Milk
5. Chocolate Milk
6. Evaporated Milk
7. Evaporated Fat-free
8. Sweetened Condensed Milk

Nutritional Information - Milk is a nutrient- dense food. This means it provides a high level of essential nutrients compared to its calories. In fact, each serving of milk provides 10% or more of the recommended daily intake for calcium, potassium phosphorous, Protein, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B₁₂ and Riboflavin. Milk is an excellent source of calcium. Regardless, of its fat content, milk provides about 300 mg of calcium per serving. An adequate intake of calcium helps to reduce the risk of osteoporosis, high blood pressure and colon cancer. It is difficult to obtain enough calcium without consuming milk. The following number of servings of milk is recommended each day.

Table –A

Children 4-8 year	::	3 servings
Children 9-18 year	::	4 servings
Adults 19-50 yrs	::	3 servings
Adults above 50 yrs	::	4 servings

Table- B: Nutritional Value Of Different Type Of Milk

1 Cup (8 oz)	Calories (k-cal)	>Fat (gm)	Calcium (mg)
Whole	149	7.7	291
2% Reduced Fat	121	4.4	296
1% Low Fat	104	2.2	312
Non Fat	90	0.5	316
Chocolate, Whole	208	8.0	280
Chocolate 2% Reduced Fat	178	4.7	284
Chocolate 1% Low Fat	157	2.3	286

Composition Of Milk - The major constituents of milk are

the carbohydrate, lactose, fats and protein. In addition milk contains important amounts of calcium, phosphorous and vitamins A and B₂. There are only small quantities of vitamins B₁, C and D, and of iron. Milk varies widely in composition. Further more, there are important differences between human milk and cow's milk.

These are summarized in the Table C

Table- C (see in next page)

It will be seen that whilst the fat content is approximately the same, there is more lactose but less protein, calcium and phosphorous in human than in cows milk. In addition the proportion of caseinogens in the protein is much higher in the case of Cows milk.

Determination Of Quality Of Milk Sample

Methylene Blue Reductase Test:

Requirements- Test Tubes, Raw milk sample, waterbath, methylene blue, Pipette, Glass marker.

Theory - This test is done to determine the Quality of milk sample. It is based on the population of bacteria with that of dissolved oxygen. If the sample contains large population of actively metabolising microorganism, the concentration of dissolved O₂ will be low because of milk sample will be low.

Procedure:

1. Prepare methylene blue reagent (1 ml dissolved in 250 ml of sterile distilled H₂O).
2. Transfer 10 ml milk sample to test tubes.
3. 1 ml of methylene blue reagent to each test tube.
4. Shake the test tubes & place them in water bath.
5. Record the time and observe the milk sample at every 30 minutes, till 360 minutes (6 hours) and calculate the period of reduction of the dye by observing the change of color from blue to white.
6. Determine the quality of milk sample based on the above test.

- One test tube containing 10 ml boiling milk and 1 ml of methylene blue should also be incubated.

Result:

- Milk is reduced within 30 minutes –very poor quality.
- Milk is reduced between 90 to 120 min. - poor quality.
- Milk is reduced between 120 to 360 min. – fair quality.
- Milk is reduced between 6 to 8 Hours- best quality of milk.

Detection Of Calcium And Phosphorus In Given Milk Sample

Requirements- Milk sample, test tubes, filter papers, funnel, Acetic Acid, Citric Acid, Ammonium Oxalate, Beaker, Litmus paper.

Procedure

Removal of Protein and fat from Milk:

- Take small amount of milk in a boiling test tube & add 1% acetic acid until then white precipitate appears in the milk.
- Measure the pH using the litmus paper.
- Put a filter in a funnel & filter the acidified milk & collect the supernatant. The supernatant contains Calcium and Phosphorous.

Detection of Calcium in Milk Supernatant :

- Take 5 ml of supernatant in a test tube.
- Now add little amount of ammonium oxalate into the supernatant.

Result- A white precipitate appears on the top layer of the supernatant due to the formation of Calcium Oxalate. It shows the presence of Calcium in milk.

Detection of Phosphorous in Milk Supernatant

- Take small amount of milk in a boiling test tube & add

1% acetic acid until then white precipitate appears in the milk.

- Measure the pH using the litmus paper and pH paper.
- Put a filter paper in a funnel & filter the acidified milk & collect the supernatant. The supernatant contains Calcium and Phosphorous.
- Take small amount of supernatant and add 1 ml of Con. HNO_3 and shake well.
- Add 3 ml of Ammonium molybdate.

Result- Yellow precipitate appears in the supernatant. This color change is due to the presence of Phosphorus in the milk sample.

References :-

- Davies, W.L, "The Chemistry of Milk", Chapman and Hall, London. (1939).
- Varley Harold, "Practical clinical Biochemistry" Gulab Vazirani Pvt. Ltd. Safdarjang, Enclave, New Delhi-28, (1975).
- Ramakrishnan S., Prasanna K.G., Rajan R., "Textbook of Medical Biochemistry" orient Longman Ltd. Madras, (1980).
- Martin. D.W., "Harper Review of Biochemistry" Langel Medical Publication, Singapore (1981)
- Trehan keshav, "Biochemistry", New age International (P) Ltd., New Delhi, (1990)
- Brian, W. Fox and Righetti P.G., Drysdale I.W., "Laboratory Techniques in Biochemistry and Molecular Biology", North Holland Publishing Company, (1976).
- David T. Plummer, "An Introduction to Practical Biochemistry", Tata McGraw – Hill Publishing Company Ltd., New Delhi (1998).

Table- C: Composition of Milk

Constituents	Human		Cows	
	Range (Percent)	Average	Range (Percent)	Average
Water	82-90	87	82-90	87
Protein	10-20	1.3	2.5-4.5	3.4
Caseinogens	-	0.8	-	2.85
Albumin(including a little globulin)	-	0.5	-	0.55
Fats	2.0-4.5	3.3	2.5-5.5	3.7
Lactose	5.6-7.8	6.8	3.5-5.6	4.8
Ash	0.1-0.4	0.25	0.6-0.9	0.73
Calcium	0.018-0.042	0.030	0.09-0.17	0.125
Phosphorous	0.010-0.020	0.016	0.07-0.12	0.095

Impact of Aqua Aerobic Exercise on Heart Rate of Middle Aged Women

Dr. Santosh Lamba* Ashok Mundotiya**

*Assistant Professor (Physical Education) JNRNV University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Research Scholar, JNRNV University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - Aqua exercises are not so common in Rajasthan. People are not much aware about the water based exercises and its benefits. It is considered that water based activities are just for the purpose of fun and do not have any significance related to health. In fact it is considered that such activities are suitable only for kids or youngsters. It is not fit for middle aged persons and especially for the women it is no use. On the contrary there are doctors and trainers who advise aqua aerobic exercise. To gaze the effectiveness of aqua aerobic exercises this research work was done at Udaipur. This research work was done on the role of aqua aerobic exercise in balancing the heart rate of middle aged women. 3 months aqua exercise training was provided to the women between the age group of 45 to 60 years at Udaipur, Rajasthan for one hour daily.

Key words- aqua aerobic exercises, middle aged women, heart rate.

Introduction - It is said that aqua aerobic exercises can be learnt easily and is beneficial for cardiovascular functions. It can be performed by any person who knows swimming. An experimental before after study was conducted on the same women. Their heart rate was measured by the expert before commencement of these aqua aerobic exercises. Once exercises were done for 3 months heart rate was re-measured by the expert. In this way the difference in the heart rate due to aerobic exercise was measured.

Review of literature: Aquatic exercises are helpful in developing good health of the performers but it's effectiveness depends on several variables like temperature of water, depth of immersion, intensity of the exercise, exercise protocol like: walking, running, cycling, usage of arm, etc. It is generally believed that heart rate is lower in cold water while it is higher in warm water (Terri A. Lees, 2007).¹

Aquatic exercises are good for elderly people. It is good for their rheumatologic disease or back pain. It improves muscular strength, flexibility and gives a good shape to the body. Elder people can easily perform the water based relaxing exercises and rejuvenated their body. It provides a sense of accomplishment and happiness (Bergamin M., et al. 2012).²

Aqua aerobic therapy is very effective for training old people to reduce the risk of falling. Their leg strength improves significantly with regular aqua exercises. Body weight and body fat mass also reduces significantly due to aqua exercises so it helps in keeping the person physically fit and the person get rid of overweight issues. Aging related problem can be controlled with aqua exercises (Suk Bum Kim and David Michael O'sullivan, 2013).³

A study was conducted on 50 college students. They were obese and having high body mass index. They were divided into two groups; first group went under aquatic exercises for 12 weeks and second group (controlled group) has not done any such activity. In this duration 60 minutes aqua exercise was done thrice daily. Body mass index and weight were measured before and after 12 weeks. Significant reduction was measured in BMI and weight of the experimental group while no significant change was there in controlled group which was not provided with the aqua aerobic exercises. Aqua aerobic exercises are safe and can be performed by obese, overweight, middle aged or elderly people. It is safer than the land based exercises. (Abadi F. H., et al. 2017).⁴

There are several causes of obesity like hereditary, eating habits, menopause, psychological aspects, usage of drugs, pregnancy, physical inactivity, etc. As the obesity is having several health risks associated with it; it is desirable to keep it under control. Hypertension, diabetes, stroke, pulmonary disease, sleeping disorder and degenerative joint disease may occur due to obesity so all the efforts are required to be done to keep person fit and non obese. Aquatic exercises are useful in controlling the overweight and reduce abnormal excessive weight. Aqua exercises like water jogging, walking, side stepping, backward leg rise, forward arm string, deep water cycle, push ups, standing knee lift and jumping jacks are really good to control the obesity (V Vijayaraj and MK Franklin Shaju, 2019).⁵

Research objective: This research was done with intent of finding the impact of aqua aerobic exercises on heart rate of middle aged women.

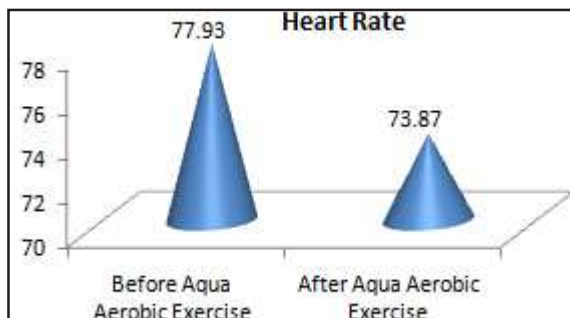
Research hypotheses: There is no significant impact of aqua aerobic exercise on heart rate of middle aged women.

Research process: 30 middle income group women of Udaipur city between 45 to 60 years of age were selected randomly who knows swimming. Aqua aerobic exercise training was given to them and they performed these exercises regularly for a period of 3 months. Before 3 months their heart rate was measured and after three months their heart rate was again measured as per the table 1 given ahead.

Table 1: Heart rate before and after aqua aerobic exercise

S.	Heart Rate Before Aqua Aerobic Exercise	Heart Rate After Aqua Aerobic Exercise
1	74	70
2	77	74
3	75	72
4	82	75
5	79	74
6	78	74
7	74	70
8	76	73
9	72	70
10	81	75
11	73	72
12	80	76
13	80	75
14	78	74
15	78	75
16	71	70
17	74	72
18	77	73
19	79	74
20	70	70
21	80	76
22	84	76
23	85	78
24	86	78
25	72	70
26	83	77
27	80	76
28	81	76
29	79	75
30	80	76
Avg.	77.93	73.87

Chart 1



It is found that almost every women heart rate normalize after performing aqua aerobic exercise. 77.93 was the average heart rate of these 30 women before three months and after regular practice of aqua aerobic exercises their average heart rate was 73.87%. There was an improvement of 5.21%. Heart rate really came down to the normal which is a very good indication.

To measure whether it is significant paired T test was done, which shows that t value 11.34 is more than table value 1.96. It confirms that the impact of aqua aerobic exercises on heart rate is really significant so the research hypothesis has been rejected and it was inferred that aqua aerobic exercises are good for health of middle aged women.

Table 2: Paired T test for heart rate before and after aqua aerobic exercise

Heart Rate	N	Mean	Std. Deviation	df	t	Sig.
Before Aqua Aerobic Exercise	30	77.93	4.17	29	11.34	0.00
After Aqua Aerobic Exercise	30	73.87	2.49			

Conclusion and Suggestion: Aqua aerobic exercises are suitable for middle aged persons. Indian women who knows swimming must go for aqua aerobic exercises because this is quite safe and does not give extra burden to them. Besides that it normalizes heart rate and reduces risk of cardiovascular diseases. Initially it has to be done under the guidance of an expert trainer for desired results.

References:-

1. Terri A. Lees (2007) Heart-rate response to exercise in the water: implications for practitioners, *International Journal of Aquatic Research and Education*, Vol. 1(3), pp. 291-297.
2. Bergamin, M., Zanuso, S., Alvar, B.A. et al. (2012). Is water-based exercise training sufficient to improve physical fitness in the elderly?. *Eur Rev Aging Phys Act* 9, pp.129-141.
3. Suk Bum Kim and David Michael O'sullivan (2013) Effects of aqua aerobic therapy exercise for older adults on muscular strength, agility and balance to prevent falling during gait, *Journal of Physical Therapy Science*, Vol. 25(8) pp. 923-927.
4. Abadi F. H., Elumalai G., Sankaraval M. and Mohd Ramli F.A.B. (2017). Effects of aqua-aerobic exercise on the cardiovascular fitness and weight loss among obese students. *International Journal of Physiotherapy*, Vol. 4(5), pp. 278-283.
5. V Vijayaraj and MK Franklin Shaju (2019) Effectiveness of aqua-aerobic exercises on cardiovascular fitness and weight loss among obese college students, *International Journal of Physical Education, Sports and Health*, Vol. 6(3) pp. 111-116.

Impact of Yoga Practice on Agility of College Students

Dr. Santosh Lamba* Deepesh Vats**

*Assistant Professor (Physical Education) JRN RV University, Udaipur (Raj.) INDIA

**Research Scholar, JRN RV University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - It is acclaimed that yoga is very helpful in developing the physical fitness. Government is also promoting yoga and its practice across the nation even the international yoga day is observed with great warmth. Considering all these things it can be said that yoga is very effective but still there are persons who doubt on the effectiveness of yoga for youngsters. It is said that yoga is for old age persons and not for youngsters they have good physical fitness and it can never be improved with the trivial yoga practices. Can yoga contribute in agility of young college going students; this research was done at Udaipur city of Rajasthan. The agility of students who are pursuing Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce and Bachelor of Science were chosen in equal numbers for the purpose of study and they were provided with yoga practice of 12 weeks. Their agility was measured with 4 X 10 meter shuttle run.

Key words- yoga, agility, college students, 4 X 10 meter shuttle run.

Introduction - Materialism is increasing day by day. People are getting lazy and their lifestyle is not in line with the nature. They wake up late in morning and sleep late at night. It causes disturbance in their physiology but due to modern life style people are not ready to accept it. They occasionally go to gymnasium just to show off. Youngsters eat junk food and have uncertain unusual routine. In this situation their physical fitness goes down.

An effort has been made to do an intervention with the practice of yoga. How it can help the youngsters in improving their agility has been researched.

Review of literature: An experiment was done on engineering students between 18 to 25 years of age studying at DAV Institute of Engineering and Technology Jalandhar. 30 students were selected randomly and they were divided into two groups one was the experimental group and other was control group. Experiment group was provided with training of different yoga and the control group was not given any yoga practice. Agility was measured with the help of hexagonal obstacle test and the flexibility was measured with sit and reach test. Both the flexibility and agility increase the significantly among the experimental group but no significant change was there in the control the group (Bal, B.S. and Kaur, P.J. 2009)

19 male and 11 female MBBS students of 1st year studying at Baroda were chosen for the purpose of providing yoga practice for a period of 4 weeks on daily basis. Their pulmonary measures were taken before the commencement of yoga practice sessions and after 4 weeks their measures were taken again. Significant

improvement was seen in the pulmonary functions and it was found that yoga is effective for young students. Besides spiritual gain yoga also provide several physiological benefits (Parikh HN, et al. 2014).

Yoga sessions were organized for a period of 10 weeks for selected 14 athletes twice in every week. Yoga training was provided to the selected athletes. Their flexibility and balance was measured with the help of sit reach. After completion of all the sessions that lasted for 10 weeks the same measures were taken again. Similarly 12 selected were put under non yoga performer group and their measures were also taken twice for the same. Research has shown that significant difference was there between the yoga performers and non yoga performers. Yoga performers agility and balance has increased significantly. Yoga performers sit and reach was 21.3 inches prior to the sessions and after the session it reached to 23.1 inches; there was an increase of a 1.8 inches while in the non yoga group the pre session score was 21.4 but the post score was 21 there was a decline of 0.4 inches (M Jay Polsgrove, Brandon M Eggleston,1 and Roch J Lockyer, 2016).

A group of 25 soccer players were provided with different yoga practice for 8 weeks and their agility was measured with the help of shuttle run while the control group of another 25 soccer players was not provided with any yoga practice. It was found that before training the experiment group which was provided with yoga practice had mean time of 10.31 second which came down to 9.87 second. After 8 weeks there was a significant increase in the agility of soccer players due to the practice of yoga

while the control groups remain almost same. There earlier score was at 10.38 second and later it was 10.42 second. (Amandeep Singh, 2019)

Research was conducted to find the effect of yoga asanas on speed and agility of colleges students at Visakhapatnam City. For that purpose 60 students were selected randomly. 30 students were provided with yoga practice while the other 30 was not provided with any other practice that was a control group. There was a significant improvement in the agility of experimental group which was measured with the help of 4 by 10 yard shuttle run. The mean time taken by the experimental group before the yoga practice was 12.16 second it came down to 11.54 second there was significant improvement as the t value was 2.20 which was more than the table value 1.99 (Aruna S and Vijay Mohan N., 2021).

Research Methodology: A group of 30 college going students who are doing graduation in Science, Commerce and Arts were chosen for the purpose of this study. 10 students of B.Sc, 10 students of B.Com and 10 students of B.A were selected randomly for this research work. They were provided with 12 weeks yoga practice for a period of 45 minutes for 5 days every week. These sessions included Surya Namaskar, Padmasana, Vajrasana, Halasana, Chakrasana and Dhanurasana. Their agility was measured with the help of a 4 by 10 meter shuttle run. The time taken in this shuttle run was measured before providing any training to them and after training of 12 weeks again.

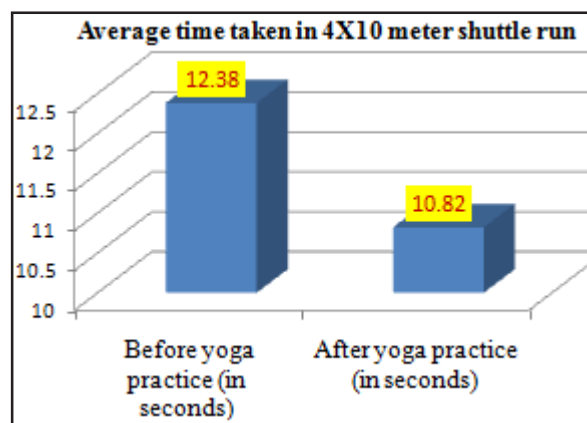
Research Analysis: College students' time taken in shuttle run reduced considerably after yoga practice of 12 weeks. Almost every student took less time after 12 weeks' yoga practice. In all the average time taken earlier was 12.38 seconds but the post training the time taken was just 10.8 second. There was an improvement of 12.60% in terms of reduction of time in shuttle run.

Table 1: Time taken in 4X10 meter shuttle run before and after yoga practice

S.	Time taken in 4X10 meter shuttle run before yoga practice (in seconds)	Time taken in 4X10 meter shuttle run after yoga practice (in seconds)
1	11.00	9.50
2	12.50	10.50
3	10.50	9.00
4	10.00	9.00
5	10.00	8.50
6	13.50	11.00
7	13.00	12.00
8	12.50	11.00
9	12.00	10.50
10	12.50	10.50
11	10.00	8.50
12	10.50	9.00
13	13.00	10.50
14	13.50	11.50
15	13.50	12.00

16	14.00	12.50
17	12.50	11.00
18	12.50	11.00
19	12.50	11.50
20	14.00	12.50
21	14.00	12.00
22	14.50	12.50
23	11.00	10.00
24	11.00	10.00
25	12.50	10.50
26	14.50	13.00
27	14.50	13.50
28	12.00	10.00
29	13.00	11.50
30	11.00	10.00
Avg.	12.38	10.82

Chart 1



It was really good signal that yoga has contributed in improvement of agility of these college going students. Paired T test was done to measure the significance of the differences before and after the yoga practice as far as agility is concerned. T value is 19.95 that is higher than the table value 1.96 so it confirms that the differences is really significant. Yoga practice significantly improves the agility of college going students.

Table 2: Paired T Test

Type	N	Std. Deviation	df	t	Sig.
Time taken in 4X10 meter shuttle run before yoga practice (in seconds)	30	1.42	29	19.95	0.00
Time taken in 4X10 meter shuttle run after yoga practice (in seconds)	30	1.34			

Conclusion and Suggestion: On the basis of research practice of yoga is really important for youngsters and it is highly advised to practice it on regular basis for the college students. It increases their agility significantly so they can

perform many tasks in their life quickly and accurately. Practice of yoga is not confined to spiritual upliftment; it is also beneficial in terms of good physical health. In colleges yoga clubs can be initiated with the involvement of students so that yoga become more popular among students and its benefits can be availed.

References:-

1. Bal, B.S. and Kaur, P.J. (2009). Effects of selected asanas in hatha yoga on agility and flexibility level. *Journal of Sport and Health Research*. Vol. 1(2) pp.75-87.
2. Parikh HN, Patel HM, Pathak NR, Chandwani S. (2014) Effect of yoga practices on respiratory parameters in healthy young adults. *National Journal of Integrated Research in Medicine*, Vol. 5 (3), pp. 34–38.
3. M Jay Polsgrove, Brandon M Eggleston and Roch J Lockyer (2016) Impact of 10-weeks of yoga practice on flexibility and balance of college athletes, *International Journal of Yoga*, Vol 9 Issue (1), pp. 27–34.
4. Amandeep Singh (2019) The effect of selected yogic practices upon flexibility and agility of soccer players, *International Journal of Yogic, Human Movement and Sports Sciences*, Vol. 4 (2), pp. 181-183.
5. Aruna S and Vijay Mohan N. (2021) Effect of yoga asanas on speed and agility, *International Journal of Multidisciplinary Educational Research*, Volume 10 (5), pp. 14-16.

An Analysis of Cyber Crime in India with reference to Information Technology Act

Dr. Pushplata Dangi *

*Ph.D., B. Sc., Faculty of Law, Bhupal Nobles' University, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - Cybercrime is defined as illegal behaviour involving a computer, a computer network, or a networked device. Most, but not all, cybercrime is conducted by profit-driven cybercriminals or hackers. Some cybercrimes target computers or devices directly in order to harm or disable them, while others target computers or networks in order to disseminate malware, unlawful information, pictures, or other things. Some cybercrime targets computers in order to infect them with a computer virus, which subsequently spreads to other computers and, in some cases, whole networks.¹

Cyberspace is a domain characterized by the use of electronics and the electromagnetic spectrum to store, modify, and exchange data via networked systems and associated physical infrastructures. In effect, cyberspace can be thought of as the interconnection of human beings through computers and telecommunication, without regard to physical geography.

Cybercrime is the latest and perhaps the most complicated problem in the cyber world. "Cybercrime may be said to be those species, of which, genus is the conventional crime, and where either the computer is an object or subject of the conduct constituting crime". "Any criminal activity that uses a computer either as an instrumentality, target or a means for perpetuating further crimes comes within the ambit of cybercrime"

A generalized definition of cybercrime may be "unlawful acts wherein the computer is either a tool or target or both" The computer may be used as a tool in the following kinds of activity- financial crimes, sale of illegal articles, pornography, online gambling, intellectual property crime, e-mail spoofing, forgery, cyber defamation, cyber stalking. The computer may however be target for unlawful acts in the following cases- unauthorized access to computer/ computer system/ computer networks, theft of information contained in the electronic form, e-mail bombing, data didling, salami attacks, logic bombs,

Trojan attacks, internet time thefts, web jacking, theft of computer system, physically damaging the computer system.

Distinction between Conventional & Cyber Crime² -

There is apparently no distinction between cyber and conventional crime. However on a deep introspection we may say that there exist a fine line of demarcation between the conventional and cybercrime, which is appreciable. The demarcation lies in the involvement of the medium in cases of cybercrime. The sine qua non for cybercrime is that there should be an involvement, at any stage, of the virtual cyber medium.

Reasons for Cyber Crime in cyber jurisprudence³ - Hart in his work "The Concept of Law" has said 'human beings are vulnerable so rule of law is required to protect them'. Applying this to the cyberspace we may say that computers are vulnerable so rule of law is required to protect and safeguard them against cybercrime. The reasons for the vulnerability of computers may be said to be:

1. Capacity to store data in comparatively small space

- The computer has unique characteristic of storing data in a very small space. This affords to remove or derive information either through physical or virtual medium makes it much easier.

2. Easy to access - The problem encountered in guarding a computer system from unauthorized access is that there is every possibility of breach not due to human error but due to the complex technology. By secretly implanted logic bomb, key loggers that can steal access codes, advanced voice recorders; retina imagers etc. that can fool biometric systems and bypass firewalls can be utilized to get past many a security system.

3. Complex - The computers work on operating systems and these operating systems in turn are composed of millions of codes. Human mind is fallible and it is not possible that there might not be a lapse at any stage. The cyber criminals take advantage of these lacunas and penetrate into the computer system.

4. Negligence - Negligence is very closely connected with human conduct. It is therefore very probable that while protecting the computer system there might be any negligence, which in turn provides a cybercriminal to gain access and control over the computer system.

5. Loss of evidence - Loss of evidence is a very common & obvious problem as all the data are routinely destroyed. Further collection of data outside the territorial extent also paralyzes this system of crime investigation.

Cyber Criminals⁴ - The cyber criminals constitute of various groups/ category. This division may be justified on the basis of the object that they have in their mind. The following are the category of cyber criminals-

1. Children and adolescents between the age group of 6 – 18 years - The simple reason for this type of delinquent behaviour pattern in children is seen mostly due to the inquisitiveness to know and explore the things. Other cognate reason may be to prove themselves to be outstanding amongst other children in their group. Further the reasons may be psychological even. E.g. the Bal Bharati (Delhi) case was the outcome of harassment of the delinquent by his friends.

2. Organised hackers - These kinds of hackers are mostly organised together to fulfil certain objective. The reason may be to fulfil their political bias, fundamentalism, etc. The Pakistanis are said to be one of the best quality hackers in the world. They mainly target the Indian government sites with the purpose to fulfil their political objectives. Further the NASA as well as the Microsoft sites is always under attack by the hackers.

3. Professional hackers / crackers - Their work is motivated by the colour of money. These kinds of hackers are mostly employed to hack the site of the rivals and get credible, reliable and valuable information. Further they are even employed to crack the system of the employer basically as a measure to make it safer by detecting the loopholes.

4. Discontented employees - This group include those people who have been either sacked by their employer or are dissatisfied with their employer. To avenge they normally hack the system of their employee.

Mode and Methods of Committing Cyber Crimes in cyber space⁵

1. Unauthorized access to computer systems or networks / Hacking - This kind of offence is normally referred as hacking in the generic sense. However the framers of the Information Technology Act, 2000 have nowhere used this term so to avoid any confusion we would not interchangeably use the word hacking for 'unauthorized access' as the latter has wide connotation.

2. Theft of information contained in electronic form - This includes information stored in computer hard disks, removable storage media etc. Theft may be either by appropriating the data physically or by tampering them through the virtual medium.

3. Email bombing - This kind of activity refers to sending large numbers of mail to the victim, which may be an individual or a company or even mail servers there by ultimately resulting into crashing.

4. Data diddling - This kind of an attack involves altering

raw data just before a computer processes it and then changing it back after the processing is completed. The electricity board faced similar problem of data diddling while the department was being computerized.

5. Salami attacks - This kind of crime is normally prevalent in the financial institutions or for the purpose of committing financial crimes. An important feature of this type of offence is that the alteration is so small that it would normally go unnoticed. E.g. The Ziegler case, where a logic bomb was introduced in the bank system, which deducted 10 cents from every account and deposited it in a particular account.

6. Denial of Service attack - The computer of the victim is flooded with more requests than it can handle which cause it to crash. Distributed Denial of Service (DDoS) attack is also a type of denial of service attack, in which the offenders are wide in number and widespread. E.g. Amazon, Yahoo.

7. Virus / worm attacks - Viruses are programs that attach themselves to a computer or a file and then circulate themselves to other files and to other computers on a network. They usually affect the data on a computer, either by altering or deleting it. Worms, unlike viruses do not need the host to attach themselves to. They merely make functional copies of themselves and do this repeatedly till they eat up all the available space on a computer's memory. E.g. love bug virus, which affected at least 5 % of the computers of the globe. The losses were accounted to be \$ 10 million. The world's most famous worm was the Internet worm let loose on the Internet by Robert Morris sometime in 1988.

8. Logic bombs - These are event dependent programs. This implies that these programs are created to do something only when a certain event (known as a trigger event) occurs. E.g. even some viruses may be termed logic bombs because they lie dormant all through the year and become active only on a particular date (like the Chernobyl virus).

9. Trojan attacks - This term has its origin in the word 'Trojan horse'. In software field this means an unauthorized programme, which passively gains control over another's system by representing itself as an authorized programme. The most common form of installing a Trojan is through e-mail. E.g. a Trojan was installed in the computer of a lady film director in the U.S. while chatting. The cybercriminal through the web cam installed in the computer obtained her nude photographs. He further harassed this lady.

10. Internet time thefts - Normally in these kinds of thefts the Internet surfing hours of the victim are used up by another person. This is done by gaining access to the login ID and the password. E.g. Colonel Bajwa's case- the Internet hours were used up by any other person. This was perhaps one of the first reported cases related to cybercrime in India. However this case made the police infamous as to their lack of understanding of the nature of cybercrime.

11. Web jacking - This term is derived from the term hi

jacking. In these kinds of offences the hacker gains access and control over the web site of another. He may even mutilate or change the information on the site. This may be done for fulfilling political objectives or for money. E.g. recently the site of MIT (Ministry of Information Technology) was hacked by the Pakistani hackers and some obscene matter was placed therein. Further the site of Bombay crime branch was also web jacked. Another case of web jacking is that of the 'gold fish' case. In this case the site was hacked and the information pertaining to gold fish was changed. Further a ransom of US \$ 1 million was demanded a ransom. Thus web jacking is a process whereby control over the site of another is made backed by some consideration for it.

Information Technology Act - The Information Technology Act deals with the following cybercrimes along with others.

Tampering with computer source documents - A person who knowingly or intentionally, conceals (hides or keeps secret), destroys (demolishes or reduces), alters (change in characteristics) or causes another to conceal, destroy, and alter any computer source code used for a computer, computer program, computer system or computer network, when the computer source code is required to be kept or maintained by law is punishable.

For instance, hiding the C.D.ROM in which the source code files are stored, making a C File into a CPP File or removing the read only attributes of a file.

Hacking - Hacking is usually understood to be the unauthorized access of a computer system and networks. Originally, the term "hacker" describes any amateur computer programmer who discovered ways to make software run more efficiently. Hackers usually "hack" on a problem until they find a solution, and keep trying to make their equipment work in new and more efficient ways. A hacker can be a Code Hacker, Cracker or a Cyber Punk.

Whoever with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or any person destroys or deletes or alters any information residing in a computer resource or diminishes its value or utility or affects it injuriously by means is said to commit hacking.

Publishing obscene material in electronic form - A person who publishes or transmits or causes to be published in the electronic form, any material which is lascivious, or if its effect is such as to tend to deprave and corrupt persons who are likely to read, see or hear the matter contained or embodied in it, is liable to punishment. The important ingredients of such an offence are publishing (make generally known or issue copies for sale to public), or transmitting (transfer or be a medium for), or causing to be published (to produce the effect of publishing), pornographic material in the electronic form.

Child Pornography - Child Pornography is a part of cyber pornography but it is such a grave offence that it is

individually also recognized as a cybercrime. The Internet is being highly used by its abusers to reach and abuse children sexually, worldwide. The Internet is very fast becoming a household commodity in India. Its explosion has made the children a viable victim to the cybercrime. As more homes have access to Internet, more children would be using the Internet and more are the chances of falling victim to the aggression of pedophiles. The pedophiles use their false identity to trap children and even contact them in various chat rooms where they befriend them and gain personal information from the innocent preys. They even start contacting children on their e-mail addresses. These pedophiles drag children to the net for the purpose of sexual assault or so as to use them as a sex object.

Accessing protected system - Any unauthorized person who secures access or attempts to secure access to a protected system is liable to be punished with imprisonment and may also be liable to fine.

Breach of confidentiality and privacy - Any person who, secures access to any electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material without the consent of the person concerned or discloses such electronic record, book, register, correspondence, information, document or other material to any other person shall be liable to be punished under the Information Technology Act.

Conclusion - Capacity of human mind is unfathomable. It is not possible to eliminate cyber crime from the cyber space. It is quite possible to check them. History is the witness that no legislation has succeeded in totally eliminating crime from the globe. The only possible step is to make people aware of their rights and duties (to report crime as a collective duty towards the society) and further making the application of the laws more stringent to check crime. Undoubtedly the Act is a historical step in the cyber world. There is a need to bring changes in the Information Technology Act to make it more effective to combat cyber crime. The provisions of the cyber law are not made so stringent that it may retard the growth of the industry and prove to be counter-productive.

References:-

1. <https://blog.ipleaders.in/critical-analysis-cybercrime-india/#:~:text=According%20to%20the%20statistics%20of,and%20534%20FIRs%20in%20Maharashtra.>
2. Cyber Crime by Parthasarathi Pati, retrieved from http://www.naavi.org/pati/pati_cybercrimes_dec03.htm
3. Cyber Crime by Parthasarathi Pati, retrieved from http://www.naavi.org/pati/pati_cybercrimes_dec03.htm
4. Cyber Crime by Parthasarathi Pati, retrieved from http://www.naavi.org/pati/pati_cybercrimes_dec03.htm
5. Cyber Crime by Parthasarathi Pati, retrieved from http://www.naavi.org/pati/pati_cybercrimes_dec03.htm

ग्रामीण समाज में शिक्षित महिलाओं के जीवन में बदलते समाजिक आर्थिक परिवेश : श्योपुर जिले के संदर्भ में

प्रो. जीतेन्द्र गुप्ता *

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - महिलाओं की वर्तमान परिवेश में भूमिका में निरंतर परिवर्तन हो रहा है आज प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भूमिका देखने को मिलती है ग्रामीण समाज में भी महिलाओं की स्थिति में वर्तमान में व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है आधुनिक शिक्षा, वर्तमान परिवेश, पश्चिम सभ्यता आदि के प्रभाव के कारण ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी निरंतर बदलाव दृष्टिगोचर हो रहा है इस शोध पत्र में मेरा विषय है, 'ग्रामीण समाज में शिक्षित महिलाओं के जीवन में बदलते समाजिक आर्थिक परिवेश श्योपुर जिले के संदर्भ में।'

प्रस्तावना - ग्रामीण समाज भारतीय समाज का अभिन्न अंग है, प्राचीन भारत की परंपरा, पहचान, इतिहास, संस्कृति और उन्नत सभ्यता की जड़ें ग्रामीण भारत में ही बसती हैं परंतु देखने में आया है कि ग्रामीण समाज में परिवर्तन की गति अत्यंत ही धीमी रही है और वर्तमान में ग्रामीण समाज में जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं वे ग्रामीण समाज में वर्तमान युग में शिक्षा की भूमिका के कारण हैं शिक्षा के प्रति ग्रामीण समाज की महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है भारतीय गांव में अब महिलाएं शिक्षित होकर अपने घर परिवार के कार्य में शारीरिक ही नहीं आर्थिक योगदान भी कर रही हैं।

'शिक्षित महिलाएँ ही उन्नत स्वावलंबी समाज का निर्माण करती हैं।'

इस विचारधारा का प्रभाव अब भारतीय गांव में देखने को मिलता है अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण समाज की महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं मेरे शोध पत्र में श्योपुर जिले की ग्रामीण महिलाओं को अध्ययन विषय के रूप में चयनित किया गया है जिसके द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त किया जायगा कि उच्च शिक्षा इन ग्रामीणों महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव परिलक्षित हुआ।

उद्देश्य :

1. महिलाओं के शिक्षा के प्रति बदलते दृष्टिकोण का अध्ययन।
2. ग्रामीण महिलाओं के विचारों में शिक्षा के द्वारा ही परिवर्तन का अध्ययन।
3. उच्च शिक्षित ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का अध्ययन।

उपकल्पना :

1. ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव हुआ।
2. ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ।
3. शिक्षित व अशिक्षित ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भिन्नता आई।

निर्दर्शन : अध्ययन के रूप में श्योपुर जिले में रहने वाली 100 ग्रामीण महिलाओं का चयन निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया यहां पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की ग्रामीण महिलाओं के समग्र में से 100 महिलाओं को अध्ययन के लिए चुना गया है।

शोध प्रविधि : इस शोध पत्र हेतु प्रश्नावली अनुसूची का निर्माण किया गया जिसके माध्यम से उद्देश्यों के अनुसार उत्तर दाता से जानकारी प्राप्त की निदर्शन का प्रयोग कर इकाइयों का चयन किया गया।

विश्लेषण : प्रश्नावली अनुसूची प्राप्त द्वारा प्राप्त तथ्यों को सारणी व विश्लेषण कर आकड़ों का विश्लेषण किया गया तथा प्राप्त तथ्यों का प्रतिशत निकाला गया।

महिलाओं का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण	हाँ	नहीं
1 शिक्षा परिवर्तन का माध्यम है	80%	20%
2 शिक्षा द्वारा महिलाएँ सशक्त हुई	75%	25%
3 शिक्षा द्वारा महिलाओं की सामाजिक स्थिति परिवर्तन	90%	10%
4 शिक्षा द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन	50%	50%
5 शिक्षा द्वारा नवीन योजनाओं की जानकारी	40%	60%
6 महिलाओं के विचारों में साकारात्मता	75%	25%
7 परिवार के स्वरूप में परिवर्तन	76%	24%
8 शिक्षा द्वारा वैवाहिक स्थिति में प्रभाव	82%	18%

सारणी की व्याख्या : शिक्षा के विषय में ग्रामीण महिलाओं ने अपने विचार साझा किये जिसमें शिक्षा परिवर्तन का माध्यम है यह 80% महिलाओं ने स्वीकार किया। शिक्षा द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया है यह 50% महिलाओं ने स्वीकार किया शिक्षा के विकास द्वारा वैवाहिक स्थिति में प्रभाव पड़ा है यह भी 82% महिलाओं ने स्वीकार किया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्राचीन ग्रामीण समाज पुरुष प्रधान समाज था परन्तु शिक्षित महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता वह महिला सशक्तिकरण ने महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को परिवर्तित किया वर्तमान में शिक्षित महिलाओं में जीवन के प्रति बदलाव देखने को मिलता है अब ग्रामीण परिवेश की महिलाएं उच्च शिक्षित होकर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही हैं ग्रामीण महिलाओं के समाजिक व आर्थिक परिवेश में परिवर्तन

परिलक्षित हो रहे हैं; अतः ग्रामीणों क्षेत्र में उच्च शिक्षा तकनीक शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक विकसित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्ता एम एल शर्मा डी. डी. (2010) समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
2. सिंह जनमैजय (2013) ग्रामीण समाजशास्त्र विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली
3. <https://www.orfonline.org/hindi/research/assessing-the-empowerment-of-women-in-rural-india-today>
4. <https://geographyandyou.com/women-empowering-rural-women-learning-center>

जे. एन. के. वि. वि. जबलपुर पुस्तकालय की उपयोगिता पर अध्ययन

पुष्पेन्द्र पाठक* डॉ. विनिता पाण्डेय**

*अतिथि विद्वान, शासकीय महाविद्यालय, मकरोनिया (म.प्र.) भारत

** ग्रंथपाल, जे.एन.कृ.वि.वि. जबलपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - जे.एन.कृ.वि.वि. पुस्तकालय के ग्रंथ संग्रह, पाठक सेवायें, संदर्भ सेवायें, ई. संसाधनों, प्रेसखन सेवायें, पुस्तकालय स्वचलन एवं कम्प्यूटरीकरण आदि का वर्णन करता है।

प्रस्तावना - भारत एक कृषि प्रधान देश है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यहां की लगभग 52 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर है यहां कुल क्षेत्रफल का लगभग 45 प्रतिशत भाग बोया गया क्षेत्र है। भारत की जलवायु विशेषकर तापमान वर्षभर कृषि उत्पादन के अनुकूल रहता है। भारत में कुल कृषि भूमि के लगभग 75% भाग पर खाद्य फसलें उगाई जाती हैं और शेष 25% भाग वाणिज्यिक फसलों के अधीन है। भारत में मौसम पर आधारित तीन प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं - 1. रवि फसल, 2. खरीफ फसल, 3. जायद फसल

भारत में स्वतंत्रता के समय कृषि एवं पशुपालन की शिक्षा अलग-अलग कॉलेजों में दी जाती थी यह कॉलेज विभिन्न प्रदेश सरकारों के अधीन थे, और ये सम्बन्धित विषय में केवल ट्रेनिंग देते थे। इसे देखते हुये भारत में ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना पर विचार किया गया जिसमें कृषि एवं पशुपालन विषयों की शिक्षा शोध एवं प्रसार तीनों की समुचित व्यवस्था हो। इन विश्वविद्यालयों को कृषि विश्वविद्यालय कहा गया है।

भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय उ०प्र० के नैनीताल जिले के पंतनगर में 1960 में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना के वर्ष के भीतर ही कई अन्य प्रदेशों में भी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना की मांग की गयी इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये 1962 एक प्रतिरूप या मॉडल अधिनियम तैयार किया गया। अब तक लगभग भारत में सभी प्रदेशों में कृषि विश्वविद्यालय खोला जा चुका है। भारत में लगभग कुल 157 कृषि विश्वविद्यालय हैं। जिसमें जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो 1965 में स्थापित किया गया था इसका पुस्तकालय आज विशिष्ट पुस्तकालय में से एक है जिसमें ज.ने.कृ.वि.वि. के अर्न्तगत छः कृषि विश्वविद्यालय हैं प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय उपलब्ध है जिसका प्रबंध विभाग के संकाय द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में निम्न प्रकार की सेवायें दी जाती हैं।

परिग्रहण सेवा (पुस्तकों का आदान-प्रदान), सन्दर्भ सेवा, ओपैक, अनुवाद सेवा, प्रलेख छायाप्रति सेवा, प्रलेखन सेवा, रेफरल सेवा, साहित्य खोज सेवा, अंतर पुस्तकालयीय सेवा, सूचना का चयनात्मक प्रसार सेवा, प्रलेख वितरण सेवा, सामयिक जागरूकता सेवा, लेख अनुक्रमणीय सेवा, इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख वितरण सेवा, इलेक्ट्रॉनिक खोज सेवा आदि।

शोध विधि - प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। अध्ययन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया है।

परिणाम - जे.एन.के.वि.वि. का पुस्तकालय एक बहुत विशाल इमारत में स्थित है, जबलपुर, मध्य प्रदेश भारत में स्थित है। केन्द्रीय पुस्तकालय वर्ष 1965 के दौरान अस्तित्व में आया और तब से इसके 10000 खंडों और पत्रिकाओं के प्रारम्भिक संग्रह से अब यह बढ़कर +85000 हो गया है। विश्वविद्यालय के संकाय, कर्मचारी, छात्र और कर्मचारी पुस्तकालय के सदस्य बन सकते हैं, जबकि बाहरी व्यक्ति जो अपने संस्थानों से परिचय पत्र/पहचान पत्र लेकर आते हैं, उन्हें परामर्श के लिए अनुमति दी जाती है। सेन्ट्रल लाइब्रेरी ओपन एक्सेस सिस्टम पर काम करती है। पुस्तकालय की मुद्रित सामग्री को डेवी दशमलव वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

पुस्तकालय का समय:

1. पुस्तक अनुभाग और वाचनालय प्रातः 10:00 बजे के सायं 06:00 बजे तक।
2. कर्मचारियों के साथ परामर्श सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे एवं फोटोकॉपी सुविधा सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

पुस्तकालय में संग्रह

पुस्तकें अर्थात् पाठ्य पुस्तकें और बुक बैंक 65599

पिछला खंड / आवधिक 163000

थीसिस 9174

ऑन-लाइन जर्नल (सीरा) 3000

बुकस+सेरा 1174

सीडी थीसिस ऑनलाइन 8283

डीवीडी/सीडी और ऑडियो विजुअल सामग्री +100

अन्य संग्रह 2200

जे.एन.के.वि.वि. के संकाय और शोध छात्रों के लिए संदर्भ अनुभाग के कम्प्यूटर लैब में इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जे.एन.के.वि.वि. के केन्द्रीय पुस्तकालय में सबसे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा है। छात्र छात्रों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी (1.00 जीबीपीएस) प्रदान की जा रही है। उएठअ सुविधा और मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। शोधार्थी और पुस्तकालय में आने वालों के लिए कम्प्यूटरीकृत

गतिविधियों का व्यावहारिक प्रदर्शन भी प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों, स्कैन की गई सामग्री और डिजिटल संसाधनों से कम्प्यूटरीकृत सूचना सेवाएं भी छात्र छात्राओं एवं शोधार्थी को दी जाती हैं। निम्न डी.वी.डी. / सी.डी. रोम डाटाबेस उपलब्ध हैं।

1. सीएबीआई सीडीरॉम 1972 - 2008
2. सीएबीपीईएसटी 1972 - 2004
3. हॉर्टी सीडीरॉम 1972 - 2000
4. एबीस सीडीरॉम 1972 - 2004
5. एबीकॉन 1999 - 2006
6. क्रॉपसीडी 1972 - 2004
7. एसओआईएससीडी 1972 - 2004
8. एबीकोला 1972 - 2007
9. प्लांटजीन 1972 - 2000
10. वीईटीसीडी 1973 - 2008

विभिन्न विषयों में ई-पुस्तकें डाउनलोड

1. बिजनेस स्टैंडर्ड, व्यवसाय लाइन, डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन हेराल्ड, दीनथंती
2. डीएनए, द इकोनॉमिक टाइम्स, एनाडु, वित्तीय क्रॉनिकल, वित्तीय एक्सप्रेस
3. गुजरात समाचार, इंडियन एक्सप्रेस, कन्नड़ प्रभा, मनोरमा, मातृभूमि,
4. नव भारत टाइम्स, प्रथम अन्वेषक
5. राजस्थान पत्रिका
6. द हिन्दू
7. द स्टेट्समैन
8. द टाइम्स ऑफ इण्डिया
9. विजया कर्नाटक
10. विजया वाणी

पुस्तकालय अपने छात्र छात्रों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है।

1. पुस्तकों और संदर्भ सामग्री का निर्गम/वापसी/नवीनीकरण
2. संदर्भ/पूछताछ सेवा कम्प्यूटर, इंटरनेट और अन्य सूचना सेवाएं
3. प्रसार और पाठक सेवाएं
4. इंटरनेट ब्राउजिंग
5. संदर्भ/साहित्य खोज
6. ई-संसाधनों, सीईआरए, ओवीआईडी और डब्लूआईएनएसपी आईआरआईएस तक पहुँचने का प्रशिक्षण
7. डीवीडी/सीडीरॉम डाटाबेस
8. दस्तावेजों की स्कैनिंग दस्तावेज वितरण सेवा (डीडीएस) और रेप्रोग्राफी सेवाएं
9. छात्र छात्राओं के केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध प्रिंट पत्रिकाओं से लेखों/शोध पत्रों की जेरोक्स प्रतियों के लिए अनुरोध कर सकते हैं अनुरोध करने वाले छात्र छात्राओं को कॉपीराइट नियमों का पालन करना होगा।
10. पुस्तकालय सामग्री की प्रतिलिपि बनाने के लिए पुस्तकालय के बाहर फोटोकॉपी/जेरोक्स सुविधा उपलब्ध है।

● प्रतियोगी परीक्षा प्रकोष्ठ माननीय कुलपति के निर्देशों के अनुसार, विभिन्न सरकारी और अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं

का सामना करने के लिए छात्रों को बढ़ावा देने की पहल के साथ एक नया खंड प्रतियोगी परीक्षा प्रकोष्ठ के रूप में विकसित किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा प्रकोष्ठ सन् 2008 से कार्य कर रहा है। छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्न, अनसुलझे प्रश्नपत्र आदि के साथ विभिन्न प्रतिस्पर्धी महत्वपूर्ण पठन सामग्री प्रदान की जा रही है। यह प्रकोष्ठ अपने सदस्यों को नेट, जेआरएफ/एसआरएफ, बैंक पीओ, आईएएस, पीएससी, यूपीएससी टीओएफईएल, आईईएलटीएस और जीआरई परीक्षाओं आदि कि तैयारी में भी मदद करता है।

● नई मुद्रित सामग्री सामने के रैक में प्रदर्शित की जाती है। नई आने वाली पुस्तकों की सूची विभागाध्यक्षों को भेजी जाती है। ताकि नई पुस्तकें बुलाने को सहयोग प्राप्त होता है।

● समाचार पत्र की कटिंग नोटिस बोर्ड पर कृषि और कृषि विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से संबंधित समाचार प्रदर्शित किए जाते हैं।

● छात्र छात्राओं को सूचना पट्ट पर देश के विभिन्न भागों में आयोजित सम्मेलनों, संगोष्ठियों, संगोष्ठियों से संबंधित समस्त सूचनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं। प्रयोक्ताओं के लिए प्रदर्शनी पुस्तक मेला आदि जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों से संबंधित जानकारी भी प्रदर्शित की जाती है।

E- Krishi Prabha - निशा प्रभा मार्च 2013 तक भारतीय कृषि डॉक्ट्रेट शोध प्रबंधों का एक पूर्ण पाठ डाटाबेस है, जिसे ई-क्रिस प्रतिभा के तहत संग्रहीत किया जाता है और इसे पुस्तकालय में त्वरित किया जा सकता है। जेएनकेवीवी जबलपुर भी ई-कृषि प्रभा का सदस्य है और उसने परियोजना के लिए अपने डॉक्ट्रेट शोध प्रस्तुत किए हैं।

Agricat - एग्रीकैट, आईसीएआर संस्थानों के 12 प्रमुख राज्यों में संयुक्त रूप से सभी कैटलॉग तक खुली पहुंच प्रदान करना चाहता है। एनएआईएस पुस्तकालयों की होलिंग ताकि पुस्तकालय संसाधनों का बंटवारा संभव हो सके। शोधार्थी आसानी से संसाधन उपलब्धता और कुछ मामलों में पूर्ण विवरण और पूर्वावलोकन का पता लगा सकता है। वर्तमान में, 38 पुस्तकालय इस गतिविधि का हिस्सा है एनएआईवी (सीएआर), जिसका उद्देश्य नवाचार के माध्यम से भारतीय कृषि के त्वरित और सतत परिवर्तन को सुविधाजनक बनाना है, ने इस विकास का समर्थन किया है, हालांकि ई-ग्रंथ उप-परियोजना और यह पुस्तकालय में उपलब्ध है।

E- Course ware on Agricul. Education- एनएआईपी के लर्निंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत कई यूजी लेवल कृषि विभाग, मत्स्य विज्ञान, डेयरी विज्ञान, पशु चिकित्सा और पशुपालन जैसे सात विषयों में इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया ई-कोर्सियर सामग्री उपलब्ध है। अन्य संगठनों में बागवानी, गृह विज्ञान और कृषि इंजीनियरिंग विकसित की गई हैं। इस वेबसाइट पर उपलब्ध सभी ई- पाठ्यक्रम सामग्री को भारत के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर, नई दिल्ली के डीमड विश्वविद्यालयों में संबंधित विषयों के विषय विशेषज्ञ द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों में पहले से नामांकित स्नातक छात्रों के लाभ के लिए आईसीएआर द्वारा अनुमोदित पाठ्यपुस्तक के अनुसार पाठ्यपुस्तक सामग्री तैयार की जाती है। यह पोर्टल कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए ऑनलाइन पहुंच के लिए 24/7 सेवाएं प्रदान करता है। ई-कोर्सियर वेबसाइट के माध्यम से पुस्तकालय में उपलब्ध है।

Wifi - केंद्रीय पुस्तकालय अपने छात्र छात्राओं एवं शोधार्थी को एक

वायरलेस कंप्यूटिंग वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुस्तकालय के दोनों खंड वाई-फाई सुविधा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं जो काम के घंटों के दौरान सभी स्मार्ट फोन, टैबलेट और लेपटॉप पर उपलब्ध है।

निष्कर्ष- जे.एन.कृ.वि.वि. पुस्तकालय अपने अन्य महाविद्यालयों के पुस्तकालय की जरूरतों को पूरा कर रहा है विश्वविद्यालय में विभिन्न साफ्टवेयर स्थापित किये गये। पुस्तकालय में डेटा केचरिंग युनिट, बार कोड स्केनर, लेजर प्रिंटर, फोटोकॉपीयर, कम्प्यूटर आदि से सुसज्जित है। सभी प्रकार की उअइख उउउउपलब्ध है। वर्तमान पुस्तकालय में सी.डी. रोम का उपयोग हो रहा है। वर्तमान में पुस्तकालय विनिमय कार्यक्रम के तहत 40 भारतीय पत्रिकायें का सदस्य 30 अन्तराष्ट्रीय और 60 राष्ट्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों के साथ विनिमय कार्यक्रम के तहत जुड़ा है। विश्वविद्यालय संग्रह में समस्त विषयों का विशाल संग्रह है, पी.जी. थीसिस, पी.एच.डी. थीसिस आदि है। सूचना नेटवर्क भी विकसित है। जिसके द्वारा छात्र, शिक्षकों वैज्ञानिकों को एवं दूरस्थ शिक्षा सभी महाविद्यालय को प्रदान करता है। सुरवर्ड, योगेश (2020) ने श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुरके पुस्तकालय के सूचना संसाधनों और सेवाओं पर उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि का अध्ययन किया। और निष्कर्ष में यह पाया कि 83% उपयोगकर्ता पुस्तकों के आदान प्रदान सेवा से संतुष्ट है, उपयोगकर्ता संदर्भ पुस्तकों के उपयोग से संतुष्ट है आर.एम. मेनदह (2014) ने कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक समुदाय में ई-संसाधनों के प्रति जागरूकता व

उनका सरलता से उपयोग का अध्ययन किया। निष्कर्ष में यह पाया कि ई-संसाधनों की उपलब्धता कंपस में सन्तोषजनक हैं परन्तु भौतिक संसाधनों में कमी है जो कि पाठको की जरूरतों में बाधा उत्पन्न करती है। कानपवार, स्वामी (2008) ने इंटरनेट के माध्यम से कृषि विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन और ऑनलाइन सेवा का अध्ययन किया। निष्कर्ष में यह पाया कि यहां एग्रिस, एंजलाईन्ट जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल सूचना प्रणाली के ऑनलाइन उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। आभासी पुस्तकालयों में ई-पत्रिकाओं कृषि विज्ञान के डेटाबेस को विस्तार से बताया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **सुरवर्ड, योगेश (2020)** श्रीकृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, अनंतपुरम, ए पी के पुस्तकालय संसाधन और सेवाओं पर उपयोगकर्ता संतुष्टि: ए स्टडी
2. **मेनदह, आर.एम. (2014)** कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ई-संसाधनों के प्रति जागरूकता एवं उनका उपयोग. जर्नल ऑफ लाइब्रेरी वॉल्यूम 8, 1342132, पृ.सं.76-81।
3. **स्वामी, कानपवार (2008)**. दक्षिण भारत में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं के उपयोगकर्ता की धारणा: ए. सर्वे ऑफ फिलॉसफी एण्ड प्रैक्टिस वॉल्यूम 1,(14), पृ.सं. 29-39

भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था का इतिहास

डॉ. भावना तिवारी*

* इतिहास विभाग, शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

भारतीय जनजातियों का उद्भव ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं विकास – भारतीय जनजातियों के उद्भव एवं विकास के बारे में यह कहा जा सकता है कि भारत के जनजातीय समूह अधिकांश मामलों में उत्तर प्रागैतिहासिक समूहों के उत्तरजीवी अवशिष्ट हैं कुछ जनजातियों का प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उच्चतर प्रौद्योगिक स्तर से हासिल होना भी संभव है। हालांकि प्रागैतिहासिक मानव के प्रस्तर उपकरण निम्न पुरापाषाण युग तक विभिन्न स्थलों में उपलब्ध हुए हैं किन्तु इन पूर्ववर्ती कालों के कंकाल अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अब माना जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आदिवासी एक समान प्रजाति के नहीं हैं। भारत में एशिया कि विभिन्न दिशाओं एवं विभिन्न जगहों में प्रवेश करने वाले ये लोग विभिन्न प्रजातियों के भी हैं। यही कारण है कि भारत की आदिम जनजातियों को निश्चित प्रजातीय समूहों में व्यवस्थित करना संभव नहीं हो सका है। हालांकि इस दिशा में रिजले, गुहा एवं मजूमदार आदि विद्वानों द्वारा प्रयास किये गए थे, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। अतः भारतीय जनजातीय जनसंख्या को एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये जा सकने के लिए और अधिक शोध कि आवश्यकता है। पर्याप्त पुरातात्विक एवं जीवाश्म संबंधी आंकड़ों के अभाव में भारत के अनेक आदिवासी समूहों के उद्भव एवं अनुवर्ती इतिहास के विषय में ज्ञान की अस्पष्टता है, फिर भी ऐतिहासिक काल के संबंध में उनके गौरव एवं पतन की कहानी को प्रस्तुत किया जा सकता है। लिपि के अन्वेषण एवं लिखित अभिलेखों के प्रारंभ होने से भारतीय जनजातियों के उद्भव एवं विकास के संबंध में जानकारी मिलती है।

भारत में सबसे पहले आदिवासी समूहों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम पृष्ठभूमि के रूप में सिन्धु घाटी की सभ्यता का पतन एवं भारत भूमि पर आर्यों के आगमन पर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है। भारत भूमि पर सिन्धु घाटी सभ्यता संभवतः एक प्रमाणिक क्रमिक उद्विकास की देन है लेकिन अप्रवासी विदेशियों द्वारा भारत में स्थापित उपनिवेश का अध्ययन एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। इस सभ्यता का अचानक उद्भव एवं लगभग विस्फोटक विकास एवं उसकी स्वतः स्फूर्ति वृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण सिन्धु घाटी की अनुकूल परिस्थितियों हो सकती हैं। भूमि की अत्यंत उर्वरा शक्ति के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई हो सकती है, प्रारंभ में सिन्धु घाटी की सभ्यता कि जनसंख्या एक समान प्रजाति की रही हो, परंतु यह वैसी नहीं बनी रह सकी क्योंकि श्मशान स्थलों से प्राप्त कंकाल एक मिश्रित प्रजातीय विन्यास प्रस्तुत करते हैं। उसके पतन एवं विलुप्त होने के कारणों

को अभी भी निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता। एक कारण सिन्धु नदी की धरा का विपत्तिकारक परिवर्तन हो सकता है। जिसके फलस्वरूप घर विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गए एवं खेतों में नदी की मिट्टी भर गयी। कालानुक्रम संशोधित किया जा चुका है एवं इस सभ्यता का अंत लगभग 1750 ई० के पूर्व निश्चित किया गया है। उस प्राचीन परिकल्पना को पुनः जीवित किया गया है कि आर्य आक्रमणकारियों ने हड़प्पा सभ्यता के केन्द्र को नष्ट कर दिया हो तथा उसकी जनसंख्या को मार डाला या खदेड़ दिया हो। मोहनजोदड़ों में एक भवन की सीढ़ियों पर बिना दफनाये गए कंकालों की प्राप्ति से इस कल्पना को समर्थन प्राप्त होता है जो प्रजातीय अप्रवास प्रागैतिहासिक कालों के अंतिम चरण में एवं जो भारत की संस्कृति एवं इतिहास के स्वरूप निर्धारण का सर्वाधिक गंभीर कारण बना। वह ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के लगभग आर्यों का था। भारत की सीमा पर आर्य सर्वप्रथम कब प्रकट हुए यह भी अज्ञात है। आर्यों के प्रारंभिक अप्रवासन एवं विजय का प्रागैतिहासिक प्रमाण अत्यंत सूक्ष्म है अतः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विश्वसनीय उत्तरों की अभी भी माँग है। ये प्रश्न हैं कि क्या विजित लोग सिन्धु घाटी सभ्यता के लोग थे? एवं क्या वे द्रविड भाषा बोलते थे?

ऋग्वेद काल 2000 से 1000 वर्ष पूर्व असमान वन्य आर्य प्रजातियों के देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवेश का साक्ष्य था, जिसमें वे न केवल परस्पर लड़ रहे थे अपितु अनाथ जनजातियों के विरुद्ध मृत्युपर्यन्त युद्ध छेड़ रहे थे। वज्र धारण किये हुए वज्राघात करने वाले इंद्र का दासों के दुर्गों को नष्ट करने, दस्युओं में शटप्रहार करने तथा आर्यों कि शक्ति एवं गौरव की वृद्धि का आवाहन किया गया। वह दस्युओं एवं समदस्युओं दोनों का वध करते हैं। सरस्वती परुश्री नदी के किनारे बसने वाली एक शत्रुता पूर्व जनजाति को मार डालती है। विष्णु वृषहनु दस्युओं को युद्ध में पराजित कर लेते हैं एवं इंद्र के साथ मिलकर सम्पराओं के दुर्गों को नष्ट कर देते हैं। असुरों (जिन्होंने आर्यों के एक ऋषि दमिति के नगर पर अधिकार कर लिया था) को इंद्र द्वारा पराजित कर दिया गया एवं वे अपने लूट के माल से वंचित कर दिए गए। कुँवर सुरेश सिंह ने कहा है कि भारतीय जनजातियाँ सभ्यता कि अनुवर्ती होकर निष्क्रिय नहीं बनी रही बल्कि इतिहास की स्थिरता एवं गतिशीलता के प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। उनकी भूमिका प्राचीन ग्रंथों में आये सौरसों, किन्नरों एवं किरातों जैसे संदर्भों तक ही सीमित नहीं है। यह उपमहाद्वीप में प्रजातियों एवं संस्कृतियों के संयोजन की प्रक्रिया, हिन्दू धर्म की विवृद्धि एवं उसकी दंतकथाओं एवं मिथों, जादू तथा धर्म, परम्पराओं एवं प्रथाओं के रवाहीन पुंज का अंग है। भारतीय जीवन में जनजातीय अंतर्वस्तु कि

तुलना समुद्र में एक बर्फ के टुकड़े से भी कि जा सकती है। इनकी पहचान आर्यों एवं द्रविड़ों के समान कि जा सकती है। सजातीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जनजातीय जनसमूहों का प्रादुर्भाव एवं उसका प्रबल समाज में अंतर्मिलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज तक चल रही है। इस कहानी के सूत्र को प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों, पुरातात्विक एवं पुरालेखीय साक्ष्यों, मध्यकालीन कार्यों, ब्रिटिश अभिलेखों तथा प्रलेखों के बीच से सावधानीपूर्वक चुनना पड़ेगा।

आर्यों तथा अनार्यों के संविलयन की प्रक्रिया चलती रही। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 वर्ष ईसा पूर्व हिन्दुवाद के उद्भव जनजातियों के आर्यीकरण एवं आर्यों के जनजातीकरण की दूसरी प्रक्रियाओं के चलते रहने से लक्षणान्वित हैं दो महाकाव्यों-रामायण एवं महाभारत में जनजातियों जैसे-शूद्र, अमीर, द्रविड़, पुलिंद शवरा या सौर का संदर्भ आता है इनमें से एक आज भी विद्यमान है एवं इसके सबसे प्रारंभी संदर्भ 'ऐतरेय ब्राम्हण' में खोजे जा सकते हैं, वह है शबरी जिसने राम को फल भेंट किये गये थे।

वेरियर एलविन ने इस संबंध में लिखा है, 'शबरी ऐसे योगदानों का एक ऐसा प्रतीक बन चुकी है कि जनजातियाँ भारत के जीवन का निर्माण कर सकती है और करेंगी।' उस समय ज्ञात जनजातियों में से अधिकांश में महाभारत एवं असंख्य घटनाओं में सम्मिलित होने का दावा किया गया है। एकलव्य नामक एक भील जिसने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा अर्पित कर दिया था, दंत कथाओं में एक आदर्श षष्ठि के रूप में वर्णित किया गया है। मुंडा एवं नागाओं ने कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध लड़ने का दावा किया है। भीम का पुत्र घटोत्कच, जिसने युद्ध में आसाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था, का जन्म भी जनजातीय पत्नी से हुआ था। अर्जुन ने एक नागा राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया था। इस तरह यह पता चलता है कि जनजातियों का अस्तित्व अति प्राचीनकाल से चला आ रहा है।

प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल की मुख्य भारतीय धरा में उल्लेखनीय योगदान एवं भागीदारी की दृष्टि से नागाओं का व्यापक अध्ययन महत्वपूर्ण है। आज नागाओं का हिन्दू समाज में इस तरह से विलय हो गया है कि आज उनके चिन्ह का भी अवशेष न रह गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नागालैंड के नागाओं का उनके प्रसिद्ध नामधारियों से कोई संबंध नहीं है। नागाओं के प्रभाव की सीमाओं को नागपंचमी मनाए जाने, विष्णुमत पर नाग संप्रदाय (पंथ) के प्रभाव (विष्णु की शेष शैलियाँ) एवं शैववाद, महाबलीपुरम एवं राजगृह कि मूर्तिकला में तथा तक्षशिला, अनंतनाग, नालंदा, नागपुर एवं छोटा नागपुर जैसे स्थानों पर नागा रूपांकन से मापा जा सकता है। महाभारत एक प्रकार से मुख्यतः एक नाग कथा है। बुद्ध ने कुछ नागाओं का धर्मान्तरण किया था। नागापंथ कश्मीर घाटी में एक नागशक्ति मध्य भारत में द्वितीय शताब्दी तक जीवित रही। नागदत्त, नागसेन, नागदेव आदि नागा उपासना वाले बहुत से नाग उनके प्रभाव को और भी प्रभावित करते हैं।

ऐतिहासिक काल के प्रारम्भिक चरण में आक्रमणकारियों एवं मूल सामाजिक शक्तियों द्वारा छोटी जनजातीय टुकड़ियों को पराधीन बनाया गया। अजातशत्रु ने वैशाली जनजातीय गणतंत्र को विनष्ट कर दिया गया। सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर जनजातियों का सफाया कर दिया गया। अर्थशास्त्र में अतर्विक का संदर्भ आता है, जिसे शक्तिशाली विरोधी माना जाता है। अशोक ने उत्तरी पश्चिमी जनजातियों को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने विद्रोह किया तो उसके घातक परिणाम होंगे जबकि उसने अपने राज्य की वन्य जनजातियों को अपनी शरण देने का आश्वासन दिया था।

शर्मा ने इस काल की सामाजिक संरचना का वृहत् वर्णन किया है।

उनका कथन है कि धम्म सत्र (600 से 300 वर्ष ईसा पूर्व) एवं मनुस्मृति (200 से 200 वर्ष ईसा) संविलयन एवं आत्मसात करने कि प्रक्रिया को चलाते रहे। मिश्रित जनजातियों की संकल्पना इस प्रवृत्ति की व्याख्या करने की केवल एक काल्पनिक एवं सुविधाजनक विधि है। ये कथाकथित मिश्रित जातियाँ एक जाति के पुरुष तथा दूसरी जाति की स्त्री से उत्पन्न अनवित संतान थी। इनमें से संभवतः कुछ ब्राह्मणीकृत जनजातियाँ जिन्हें मिश्रित जनजाति का नाम दिया गया था, निषाद थी जिन्होंने इस काल में अपनी प्रारम्भिक स्थिति खो दी। यह आखेट से अपना जीवनयापन करने लगे। मेदा, आंध्रा, येंपू आदि वन्य पशुओं का शिकार करते थे। इस तरह पुष्पास, उर्गा एवं कसाहलस आदि पशु तथा पक्षियों को पकड़ते थे। अमोगवा वनों में काम करते थे, वेडा नगाडा बजाते थे तथा सरेंधा नौकरों एवं कुशल रसाधकों के रूप कार्य करते थे। चांडालों कि जो एक और जनजाति थी, हिन्दू समाज में विलयन हो गया एवं पशुओं तथा मनुष्यों के शवों को हटाने, अपराधियों के अंगों को काटने तथा उन्हें कोड़े लगाने का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार जनजातियों को हीन बनाने की प्रक्रिया चलती रही।

जनजातियों पृथक एवं अलगवा में जीवन व्यतीत नहीं कर रही थी, यह बात इस तथ्य से प्रकट होती है कि इनमें अनेक उपपौराणिक एवं महाकाव्य काल कि परंपराओं एवं लोकवाताओं में शामिल होती थी। राम, सीता, लक्ष्मण, रावण एवं भीम आदि महाकाव्य कालीन नायकों का मध्य भारत कि कटु जनजातियों पर प्रभाव उनके द्वारा संचित मिथकों एवं कथाओं से प्रमाणिक है। गोंड अपने आप को रावण की संतान कहते हैं। मनु एक अन्य पौराणिक व्यक्ति है जिन्होंने जनजातियों को गहनता से प्रभावित किया। इसलिए मुंडा जनजाति के लोग उन्हीं के नाम पर अपने आप को यमनोआओय पुकारते हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य पंचतंत्र एवं कथासरित सागर उनका रूमानी एवं मंत्रीपूर्ण परिप्रेक्ष्य में वर्णन प्रस्तुत करता है। विष्णु पुराण में उन्हें चपटी नासिक वाले बौनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कादम्बरी एवं हर्षचरित में बाण ने साओरा प्रमुख का विस्तृत वर्णन किया है। सामंत काल 4000-1000 ई० में जनजातीय क्षेत्रों को अपेक्षाकृत अधिक खुलापर प्राप्त हुआ एवं जनजातीय प्रमुखों का हिन्दुकरण हुआ। ब्राम्हण पुजारियों ने उनके लिए उपयुक्त पौराणिक वंशावली तैयार की एवं सत्ताधारी ब्राम्हण वर्ग ने जनजातियों के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात् 11वीं व 12वीं शताब्दियों में मुसलमान राजाओं के आक्रमण के कारण उनकी अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूतों का जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश प्रारंभ हुआ जिसके फलस्वरूप बहुत सी जनजातीय टुकड़ियाँ नष्ट हो गयीं।

मुस्लिम शासनकाल में एक नए दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ। तुर्क, अफगानी एवं मुगल शासकों ने अधिकांश जनजातीय मुखियों से मात्र औपचारिक निष्ठा की मांग की। इस काल में जनजातियों का इस्लाम धर्म में धर्मान्तरण हुआ। भक्ति आंदोलन जैसे हिन्दू धर्म की कतिपय धाराओं ने भी जनजातियों को प्रभावित किया। इसके पश्चात् जब अंग्रेज उपनिवेशवादी अपनी आधुनिक प्रौद्योगिकी नवीन उपागम तथा निहित स्वार्थों के साथ प्रगट हुए तब जनजातीय क्षेत्रों का समुद्री किनारों एवं बिहार तथा बंगाल में प्रवेश हो गया। जनजातीय टुकड़ियों के प्रभाव में भी तेजी ला दी। इसके आगे बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव एवं जमींदारों द्वारा क्रूर शोषण एवं दमन ने किसानों को भी उनका हिस्सा मिल गया। 18वीं शताब्दी में जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय व्यवस्था के भंग हो जाने की स्थिति में

जनजातियों चिर सहनशक्ति तथा धैर्य का बाँध टूट गया। 18वीं शताब्दी के अंत में पहाड़िया लोगों का विद्रोह, मुंडा विद्रोह (1789-1901), संथाली विप्लव (1855-56), भील विद्रोह (1879-80), बस्तर विद्रोह (1910-1) तथा गोंड विद्रोह (1940) भारत की जनजाति में नयी जागरूकता के कुछ उदाहरण हैं।

भारतीय जनजातियों की इस ऐतिहासिक यात्रा में एक दूसरा उल्लेखनीय एवं ध्यान देने योग्य बिन्दु भारत के तीन बड़े धर्मस्थान हैं। जहाँ एक ओर हिन्दू तथा इस्लाम धर्म कगार पर ही रुक गए अधिकांश मामलों में ईसाई सम्प्रदाय के लोग ब्रिटिश शासकों कि संरक्षता में जनजातीय क्षेत्रों में बहुत अंदर तक प्रवेश कर गए। यह आगे चलकर जनजातियों में अनेक आंदोलनों, जिनमें पुनः जीवन संचार आंदोलन भी शामिल है, का कारण बना। ऐसे आंदोलनों में खेखट आन्दोलन (1871-35), सरदारी आंदोलन (1881-95), बिरसा आन्दोलन (895-1901), ताना भगत आंदोलन (1920-35) एवं इसी प्रकार के बहुत से आन्दोलन शामिल किये जा सकते हैं। कृषि एवं सांस्कृतिक मामलों से संबंधित आंदोलनों ने अनेक उच्च स्तरीय राजनैतिक-धार्मिक नेताओं को उभारा, जिन्होंने आने वाले अनेक दशकों में जनजातीय चिंतन को गहनता से प्रभावित किया।

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की विदाई एवं स्वतंत्र भारत के उदय के साथ देश के जनजातीय नागरिकों को उचित न्याय तथा व्यवहार देने का वादा किया गया। इस प्रकार इनको कुछ मामलों में प्रगति में भागीदारी का विशेष अवसर भी प्राप्त हुआ। जनजातियों की उन्नति हमारे संविधान निर्माताओं के विश्वास का प्रतीक था। क्या इसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त है यह अनुत्तरित है। इतना अवश्य है कि समय में परिवर्तन के साथ-साथ उनकी स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है। वे विकासोन्मुख हैं। लेकिन अभी और प्रयत्न करने की आवश्यकता है जो किया भी जा रहा है। आशा की जा सकती है कि एक दिन वे भी सभ्य समाज के समकक्ष आ जायेंगे, लेकिन मंजिल अभी दूर नजर आती है।

पूर्व साहित्य का अनुशीलन - आर्थिक व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करते हुए लुसी मेयर ने कहा है-मानव द्वारा अपनाये गये वे क्रियाकलाप जिनके माध्यम से वे अपनी भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार के साधनों की व्यवस्था करते हैं तथा उनके विभिन्न उपभोगों में से कुछ को अपनाते हैं रेमण्ड फर्थ द्वारा प्रतिपादित परिभाषा इसकी पूर्ण व्याख्या इस प्रकार करती है- 'यह मानव कार्यकलापों का वह विस्तृत क्षेत्र है जिसका संबंध साधनों के परिसीमित उपभोग और संगठन से है। इस प्रकार मनुष्य विवेक के द्वारा आवश्यकताओं से तारतम्य स्थापित करता है।'

डी एन मजूमदार एवं मदन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि 'संगठित प्रयास से साधनों द्वारा असीमित लक्ष्यों (आवश्यकताओं) का अधिकतम परिणाम प्राप्त करने का नाम ही आर्थिक संगठन है।'

अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था किसी भी समुदाय (आदिम और आधुनिक) का मूलधार है। यह व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी, समुदाय उतना ही सुदृढ़ होगा। इसके छिन्न-भिन्न होते ही पूरी सामाजिक व्यवस्था बिखरने लगती है। अतः किसी भी मानव समुदाय को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उसका आर्थिक आधार व्यापक हो। प्रकृति स्वयं ही विभिन्न वनसंपदा के साथ मानव जरूरतों की पूर्ति हेतु प्रस्तुत रहती है। वैषम्य सिर्फ इन संपदाओं के दोहन और उपभोग का है। ऐसा देखा गया है कि एक प्रकार का प्राकृतिक वातावरण रहने पर भी मानव समुदायों ने

विभिन्न प्रकार के आर्थिक उपायों को अपनी आवश्यकतानुसार अपनाया है। जनजातीय समाजों में 'निर्वाह' अर्थव्यवस्था की ही प्रधानता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वे सिर्फ निर्वाह के लिए ही उत्पादन करते हैं, बल्कि वे अपने उत्पादन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा करते हैं। औद्योगिक समाज की विनिमय पर आधारित अर्थ व्यवस्था की भाँति वे दूसरी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मुद्रा के माध्यम से विनिमय नहीं करते न ही ऐसा करने में रुचि रखते हैं।

भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था का व्यापक अध्ययन सर्वप्रथम दो अर्थशास्त्रियों यथा डी.एस. नाग तथा आर.पी. सक्सेना ने क्रमशः 1958 एवं 1964 में किया। जहाँ नाग ने मध्यप्रदेश के मंडला, बिलासपुर, दुर्ग और बालाघाट के बैगा जनजातीय क्षेत्रों का दौरा कर बैगा-अर्थव्यवस्था का अध्ययन प्रस्तुत किया, वहीं सक्सेना ने नाग प्रतिपादित अध्ययन सूत्रों के माध्यम से मध्यप्रदेश के ही पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र का अध्ययन कर वहाँ के पाँच जनजातीय समूहों की अर्थव्यवस्था की जानकारी दी। इन दोनों अध्ययन कर वहाँ के पाँच जनजातीय समूहों की अर्थव्यवस्था की जानकारी दी। इन दोनों अध्ययनों के पूर्व विभिन्न नृविज्ञानियों यथा विद्यार्थी (1963), राय (1967) ने अपने नृजातिवर्णन विनिबंधों के माध्यम से जनजातीय अर्थव्यवस्था का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया। विद्यार्थी ने 'मालेर' अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुये इस पहाड़ी कृषि के वृत्ताकार चक्र पर घूमता हुआ कहा तथा राय ने आधी से अधिक अर्थव्यवस्था को जंगल एवं पहाड़ों पर निर्भर पाया। उपरोक्त उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि भारत की जनजातीय अर्थव्यवस्था का वृहद भाग प्रकृति पर निर्भर है। नृ-विज्ञानियों ने अपने जनजातीय समाजों के अध्ययन के माध्यम से तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की चर्चा की है।

प्रथमतः - जो वन पशुओं के शिकार तथा कंद-मूल-फलों के संचय पर निर्भर है।

द्वितीयः - जो पशुपालन पर निर्भर है तथा

तृतीयः - जो कृषि या पशुपालन- मिश्रित कृषि पर आधारित हैं।

ये तीनों प्रकार मानवीय संस्कृति के विकास के विभिन्न चरणों में अपनाये गये साधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस व्यवस्था के तहत एक ही गाँव या क्षेत्र में बसने वाली विभिन्न जातियाँ एवं जनजातियाँ परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। उदाहरणार्थ मध्य भारत के गाँवों में लोहार और बिहार के कुम्हार अन्य जनजातियों उपकरणों की मरम्मत करते हैं। महली तथा डोम बाँस की टोकरी की आपूर्ति करते हैं व संथाल पहारिया से जलावन तथा अन्य वन्य सामग्रियों की अपेक्षा करते हैं। इस तरह इनमें परस्पर निर्भरता पायी जाती है।

धांगरों की आर्थिक संस्था - भारत में कृषक जनजातियों में एक आर्थिक संस्था 'धांग' का प्रचलन है जिसके माध्यम से वे कृषि कार्य में मदद करते हैं। जो व्यक्ति बड़े जमीन मालिकों के लिए कार्य करता है उस 'धांगर' कहते हैं। यह उराँव, मुण्डा तथा हो में बहुत प्रचलित परंपरा है। बिहार के जन जातियों में कृषक मजदूर रखा जाता है। जिस दिन से उसकी सेवा आरंभ होती है उस दिन से उसे पारिवारिक सदस्य का दर्जा प्राप्त होता है। धांगर प्रायः उसी गाँव का होता है। यदि वह चाहे तो मालिक की कन्या से विवाह भी कर सकता है यदि उसका गोत्र दूसरा है। पश्चिम बंगाल के भूमिजों में भी यह प्रचलित है। उसमें इसे 'बागाल' कहते हैं। तराई प्रदेश के थारुओं में इस 'बाँगा' कहा जाता है। यह जमीन मालिक के कृषि कार्य की देखभाल करता है।

परिकल्पना

आखेटन- भारतीय जनजातियों में आखेटन, खाद्य संकलन का प्रमुख अंग रहा है। इस वर्ग की जनजातियों की आजीविका का प्रमुख साधन वन्य जीवों का आखेटन, वनों से जड़, फल, फूल इत्यादि खाद्य सामग्रियों का संकलन एवं मत्स्यमारण है। इन तीन साधनों से जीविकोपार्जन करने वाली जनजातियाँ संपूर्ण भारत में पायी जाती हैं। इनके भौगोलिक वितरण में हिमालय क्षेत्र के राजी, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, मध्य भारतीय क्षेत्र में बिरहोर, पहाड़ी खडिया, बिजिया, तथा कोरबा जो बिहार के निवासी हैं। उड़ीसा के जुआंग तथा मध्य प्रदेश के पहाड़ी भारिया गोड़ भी इसी समूह में आते हैं। दक्षिण भारतीय क्षेत्र में चेंचू तथा मांडी कादार, मालपन्ताराम, अरंदन, कुरुम्बा, पालियन तथा अंडमान के ओंगे, जारवा, इत्यादि इसी समूह के उदाहरण हैं।

पशु-पक्षियों के शिकार में इन जनजातियों के सदस्य निष्णात होते हैं। अपने सरल उपकरणों यथा- जाल, छुरी, भाला, तीर, धनुष, पशु, बाँस की टोकनी की सहायता से आखेटन करते हैं। मणिपुर के हमार जनजाति के सदस्य गड्डे द्वारा शिकार, विशेषतः हाथी को गिराने की विधि काम में लाते हैं। इसके अतिरिक्त वे नाना प्रकार के फंदों को लगाने में अत्यंत कुशल होते हैं। इनके फंदों से किसी प्रकार के जानवर का बचकर निकल जाना असंभव है। मध्यप्रदेश की बैगा एवं अबूझमाडिया जनजाति के लोग निम्नलिखित पशुओं का विशेष रूप से शिकार करते थे।

(1) सांभर (2) जंगली भैंसा (3) बारहसिंगा (4) कृष्ण मृग (5) बंदर (6) नीलगाय (7) चौसिंगा (8) खरगोश (9) जंगली सुअर (10) कई तरह के पक्षी (11) केंकड़े (12) गिलहरी इत्यादि।

अन्य जनजातियों के लोग छोटे पशुओं यथा हिरण, खरहा, बंदर का आखेट करते हैं। पश्चिम बंगाल के लोधा साँप पकड़ते हैं तो बिहार के बिरहोर बंदर का आखेट जनजाति के लोग भी अभी तक आखेटन ही करते हैं। आखेट सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार से किया जाता है। सामूहिक आखेट में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों एवं प्रथाओं का पालन किया जाता है। इसमें आखेट की पूर्व रात्रि में उपकरणों को एकत्र किया जाता है। आखेट दिवस को वे जंगलों में प्रवेश करते हैं तथा अपने औजार एवं फंदों का पूजन देव विशेष या वन विशेष के नाम से यथा बिरहोर 'हनुमान बीर' की एवं जुआंग 'वन दुर्गा' की पूजा करते हैं ताकि उन्हें बहुतायत में शिकार की प्राप्ति हो। सबसे अच्छे आखेटक को सम्मानित किया जाता है। जानवरों के मृत शरीर को उठाने के पूर्व रक्त से पितरों को तर्पण करने की परंपरा भी है। इसके बाद पशु के अंगों को काटकर आखेट में भाग लेने वालों में बराबर-बराबर बाँट दिया जाता है।

मध्यप्रदेश की एक विशिष्ट जनजाति तो सिर्फ आखेट का ही कार्य करती है। इस जनजाति में आखेट का इतना विशिष्ट महत्व है कि इसके विभिन्न उपविभाग आखेट के नाम पर ही है। इस जनजाति को 'आखेटक पारधी' कहते हैं। 'पारधी' जो मराठी शब्द है, आ अर्थ ही आखेट है।

भारत की विभिन्न जनजातियाँ विशेषकर पारधी, आखेटन द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं। शिकार पर प्रतिबंध लगने से आखेटन पर निर्भर इन जनजातियों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

मत्स्यमारण - भारत की अनेक जनजातियों में मत्स्य मारण खाद्य संकलन की दूसरी प्रचलित परंपरा है। नदियों, झरनों, तालाबों में मछली मारने का काम किया जाता है। यह कार्य व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से किया जाता है। एक व्यक्ति-विशेष थोड़ी मात्रा में मछलियों को पकड़ने के लिए

जाल या बाँस की बनी टोकरीयों की मदद लेता है। सामूहिक रूप में तालाबों के जल को विषाक्त बना दिया जाता है और मछलियाँ निकाली जाती हैं। थारु जनजाति में मछली मारना उनका पारिवारिक कार्य माना जाता है और जाल या टोकरीयों लेकर जाते हैं तथा दोपहर तक मछली मारने के बाद घर लौटते हैं। जनजातियों में मत्स्य मारण हेतु लौह हुक का प्रयोग अज्ञात है।

स्थानांतरित कृषि- भारतीय जनजातियाँ प्रायः दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहाँ संचार एवं यातायात के अभाववश कृषि संबंधी उन्नति नहीं हो पायी। फलतः अधिकांश जनजातियाँ इसी परम्परागत कृषि व्यवस्था को अपनाये रहीं। इस व्यवस्था में एक किसान के पास बहुत थोड़ी भूमि रहती है। इतनी सीमित भूमि में सिर्फ जीवन यापन ही संभव हो पाता है वह भी कठिनाई पूर्वक। विशेषज्ञों के मतानुसार स्थानांतरित कृषि की उपज इतनी कम है कि अत्यंत दयनीय स्थायी कृषि की तुलना में भी यह उसके आठवें भाग के बराबर लोगों को ही भोजन दे सकती है। स्थानांतरित कृषि की तुलना में पशुचारण उतने की क्षेत्र में दुगुनी संख्या में आदमियों को भोजन दे सकता है। इस कृषि में अत्यंत उत्पादन के लिए भी अत्यधिक श्रम की जरूरत होती है। यही कारण है कि जनजाति परिवारों के सभी लोग इसमें संलग्न पाये जाते हैं।

स्थानांतरित कृषि को लगभग सभी जानकार लोगों ने अक्षम, अलाभकर और अपव्ययी बताया है। इससे वनों के नष्ट होने की आशंका एवं वातावरण में प्रदूषण की आशंका भी जाहिर की गयी है। आशंका जैसी भी हो, लेकिन वर्तमान समय में यह स्पष्ट है कि जब तक इन जनजातीय समुदायों को उचित कृषि प्रणाली उपलब्ध कराने का भगीरथ प्रयास नहीं किया जाता तब तक अचानक थोपा गया परिवर्तन अलाभकारी है क्योंकि इनका जीवनचक्र इसके साथ जुड़ा है।

स्थायी कृषि- इस प्रकार की कृषि प्रणाली को मैदानी कृषि भी कहा जाता है। कृषि का यह प्रकार सर्वाधिक प्रचलित है। भारत में मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों में इस सरल कृषि का, जिसमें जुताई के लिए साधारणतः दो जानवरों की आवश्यकता पड़ती है, प्रचलन आम है। यह एक प्रकार से जनजातीय जीवन को स्थायित्व प्रदान करती है अतएव अधिकतर जनजातीय समाजों ने इस अपनाया है। यह कृषि स्थानांतरित कृषि एवं आखेटन से ज्यादा सुरक्षित समझी जाती है।

सरल कारीगर- लघु उद्योगों द्वारा जीविकोपार्जन करने वाली कुछ जनजातियाँ भी विद्यमान हैं। इसका मुख्य कार्य टोकरी निर्माण, छोटे हथियार निर्माण, कृषि कर्म हेतु लकड़ी एवं लौह औजारों का निर्माण, सूत कटाई-वस्त्र बुनाई आदि है। वास्तव में ये जनजातियाँ अन्य जनजातियों की अर्थ-व्यवस्था के पूरक अंग हैं। पराश्रित रहने के कारण इनकी आर्थिक अवस्था दयनीय है। ये लोग समय-समय पर बाजारों में जाकर अपने सामानों की बिक्री करते हैं। सामानों का क्रय-विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा ही संपादित होता है।

पशु चारक - बहुत सी जनजातियों के लोग अभी भी पशुचारण को ही मुख्य आजीविका की तरह अपनाए हुए हैं। इसमें सर्वप्रमुख तमिलनाडु के टोडा हैं, जो दुग्ध उत्पादन पर आश्रित हैं। गुज्जर भी इसी श्रेणी में आते हैं। टोडा को कृषक बनाने के सारे प्रयत्न बेकार हो गये क्योंकि इन्होंने दुग्ध उत्पादन को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मध्य भारत के किसान एवं नगेशिया भी पशुचारण में ही आते हैं। भरवाद, मालाधारी, खारी आदि गुजरात में जानवरों को पालकर अपनी आजीविका चलाते हैं। दक्षिण भारत के गोला

परंपरागत रूप से भेड़पालन है। मध्यप्रदेश के बंजारा भी मवेशीपालक हैं।

पश्चिम भारत के भारवर्द या जनजाति के लोग मवेशीपालन पर ही निर्भर करते हैं। ये अपनी उत्पत्ति कृष्ण के पालक पिता नंद वंश से मानते हैं।

लोक कलाकार- कुछ जनजातियों का मुख्य पेशा नाच गान, कलाबाजी, सर्प-नृत्य करना आदि हैं। वास्तव में लोक कलाकार है। इनकी कला ही जीविकोपार्जन का साधन है। इन जनजातियों में नट, सपेरा, मुण्डुपुता, केला, पमुला, मदारी, गारद, पालु-कुमुगुला तथा पदन्तिगुला आदि हैं।

नट जनजाति के लोग नाच-गाकर तमाशा दिखाते हैं रस्सी पर चलना, कलाबाजी करना इनकी विशेषता है। एक स्थल विशेष पर पन्द्रह से साठ मिनट तक इनका तमाशा होता है, जहाँ दर्शक एकत्रित हो जाते हैं और तमाशा देखकर ईनाम देते हैं। यही ईनाम इनके जीविकोपार्जन का साधन होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम-घूम कर तमाशा दिखाते हैं ये लोग अपना एक कार्यदल बनाते हैं जिसमें दो से लेकर सात व्यक्ति सम्मिलित होते हैं।

मजदूर तथा व्यवसायी- जनजातियों के वर्गीकरण के दो और प्रकार यथा- मजदूर और सफेदपोश व्यवसायी परंपरागत जीविकोपार्जन के साधन से अलग हटकर हैं। ये दोनों प्रकार हाल की प्रगति से संबंधित हैं। मजदूर वर्ग विभिन्न कल-कारखानों में कार्यरत अनेकानेक जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों का है तो दूसरा भी उसी तरह के उन्नत स्थानों से संबंधित है। व्यापारी वर्ग में भोटिया, वाल्मीकि तथा हैसकर आते हैं। फल, मछली आदि का व्यापार करने वाली वाल्मीकि जनजाति के लोग फेरी लगाकर तथा साप्ताहिक बाजारों में सामान बेचकर बदले गये सामानों से जीविकोपार्जन करते हैं। उनके पास पाँच से आठ रुपये का सामान होता है। अब ये लोग आधुनिक व्यापार पद्धतियाँ भी अपनाने लगे हैं। मजदूर वर्ग के लोग नागपुर के खानों, कारखानों, शहरों में बहुतायत से हैं। कुछ असम के चाय बागानों में लगे हैं। संधाल लोग कोयला में सिद्धहस्त माने जाते हैं। अधिकांश ग्रामवासी पूरक या मुख्य रूप से मजदूरी को अपनाए हुए हैं।

इस वर्ग के लोग प्रायः अपनी परंपरागत जीवन पद्धतियों से अलग हो गये हैं फलतः काफी सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं। पुरानी परंपराएँ टूटती जा रही हैं।

आर्थिक अंतर्संबंध- भारत के जनजातीय क्षेत्रों के निवास करने वाली जनजातियों की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए बहुत से लोग जिनमें कृषि, व्यापारी, उत्पादक और वन ठेकेदार प्रमुख हैं, विभिन्न जनजातियों के संपर्क में आए। इनमें कृषि व्यापारी और साहूकारों ने तो अपना अस्थायी निवास भी गाँव में बना लिया। विभिन्न जनजातियाँ, कृषि व्यापारियों से अपनी आवश्यकतानुसार कृषि के बीज, औजार इत्यादि वस्तु विनिमय के आधार पर संपर्क बनाये रहती हैं। ये कृषि व्यापारी उन्हें समय-समय पर विभिन्न प्रकार की चीजें जो वो बाहर से लाते हैं इन्हें प्रदान करते हैं। साहूकार इन्हें सूद पर पैसे देते हैं और वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। ये दोनों प्रकार के लोग न्यूनाधिक रूप में इनकी सरलता और अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। फिर भी चूंकि जनजातियाँ सुदूर क्षेत्रों में निवास करती हैं और संचार माध्यमों एवं आर्थिक तंगी के कारण बाहर बहुत कम आती जाती हैं, फलतः आवश्यक सामग्री की आपूर्ति हेतु इन्हीं पर निर्भर रहती हैं। अधिकांशतः इनका संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहता है, साहूकार इनके समय-समय पर कर्ज प्रदान करते हैं। और बदले में उनसे उनकी उत्पाद सामग्री ले लेते हैं। ये साहूकार जब भी जनजातियों को पैसों की जरूरत होती है उनके पास पहुँचकर उन्हें बिना शर्त कर्ज प्रदान करते हैं। जनजातियों में इनका स्वागत किया जाता

है। जनजातियों के पास बंधक रखने हेतु कोई सामग्री नहीं होती, सिवाय उनके ईमानदार विश्वास के, कि वे लिया गया ऋण वापस लौटा देंगे। साहूकार उनकी ईमानदारी को ध्यान में रखकर उन्हें कर्ज देते हैं। साहूकारों से कर्ज लेने में इन्हें कागजी झंझट में नहीं पड़ना पड़ता है। साहूकार मानवीय संवेदनाओं का प्रयोग इस व्यापार में करता है। वह इन जनजातियों की भाषा में बात करता है, इनके पूरे परिवार को जानता है। यह गाँव की पारम्परिक अर्थ-व्यवस्था का एक अंग बन गया है। कर्ज की अदायगी स्वरूप साहूकार मुद्रा और वस्तु दोनों स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह कृषि व्यापारी एवं साहूकार जनजाति अर्थ-व्यवस्था का एक हिस्सा बन गये हैं।

भारतीय वनों में पाये जाने वाली कीमती लकड़ियों का महत्व जानकर ईस्ट इण्डिया कंपनी और उसकी उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार ने सन् 1894 ई० में प्रथम वन नीति बनाई। इसी के तहत वन के ठेकेदारों का अभ्युदय हुआ। इन ठेकेदारों ने जंगल के ठेकेदारों ने पदार्पण किया और जंगल कटवाने लगे वहाँ की जनजातियों को इससे थोड़ा आर्थिक लाभ तो जरूर हुआ परंतु अधिकांशतः इनका शोषण होता रहा। फिर भी सरल प्रवृत्ति वाले इन लोगों ने ठेकेदारों के साथ अपना संबंध सौहार्द्रपूर्ण ही रखा। थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए ही सही जनजातियों ने ठेकेदारों के साथ काम किया या कर रहे हैं।

निष्कर्ष - भारत में औद्योगीकरण का प्रभाव संपूर्ण जनजीवन पर पड़ना प्रारंभ हो चुका था तो जनजातियाँ इससे अछूती कैसे रह जाती। बहुतायत में जनजातीय संस्कृति, आर्थिक परिवर्तन के आधार पर परिवर्तित हो रही हैं। औद्योगिक प्रभाव के कारण ही जनजातियों की दो नई श्रेणियाँ मजदूर वर्ग था सफेदपोश नौकरी वाली बनी हैं। यह इस बात का द्योतक है कि जनजातीय अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक प्रभाव महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है।

अधिकाधिक शहरी प्रभाव में आने के कारण शिक्षा का अच्छा प्रसार हुआ है। जिससे वे शहरों के औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार में संलग्न होने लगे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना तथा विभिन्न खनिज खदानों का होना जनजातियों को मजदूरी या अन्य कुशलकर्मों के रूप में रोजगार प्रदान करता रहता है। इसके कारण ये अपनी परम्परागत कृषि छोड़कर सामयिक रूप से विभिन्न उद्योगों वाले स्थानों मिलों, कारखानों, चाय बगानों आदि में कार्यरत हैं। दूर शहरों में जाकर इन्होंने गृह निर्माण कार्य, कारखानों, बांध-पुल निर्माण कार्यों में मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया है।

इस तरह हम पाते हैं कि पूर्व में पारस्परिक अर्थ-व्यवस्था से जुड़े लोगों में काफी परिवर्तन हो गया है। उस व्यवस्था ने वर्तमान संदर्भ में अपनी मान्यता खो दी है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि औद्योगीकरण ने जनजातीय जीवन पर, विशेष प्रभाव डाला है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. तिवारी शिव कुमार: 1984, 'मध्यप्रदेश के आदिवासी', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
2. मजूमदार डी.एन. तथा मदन टी.एम. 1984, 'सामाजिक मानव शास्त्र परिचय'
3. विद्यार्थी, एल.पी.: 1975 'भारतीय आदिवासी नगरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी'
4. शर्मा ब्रम्हदेव: 1980, 'आदिवासी विकास', एक सैद्धांतिक विवेचन,
5. फर्थ रेमण्ड: 1938 ह्यूमन टाईप्स, थॉमस नेशनल एंड संस लि., लंदन
6. पॉंड गणेश एवं पॉंड अरुणा: भारत की जनजातियाँ

लाला लाजपतराय के कथनों का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. मंजूला निंगवाल *

*विभागाध्यक्ष (इतिहास) भेरूलाल पाटीदार शास. स्नातक महाविद्यालय, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध आर्य समाजी, धार्मिक सद्भाव के प्रणेता, सम्प्रदायवाद के विरोधी तथा राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देने वाले क्रान्तिकारी नेता लाला लाजपतराय के कथन निश्चित ही भारतीय इतिहास की प्रमुख धरोहर है, जो समय-समय पर युवा पीढ़ी के लिए दिशा निर्देशित करते हैं। लाला लाजपतराय ने कहा था – ‘अपने अतीत को ही निहारते रहना व्यर्थ है। जब तक हम उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न करें। हम अपने पूर्वजों की हड्डियों पर अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते। उनकी उपलब्धियों की स्मृति हमको प्रेरणा तो दे सकती है, हमारी आत्मा को गर्व और शर्म की भावना से भी भर सकती है (गर्व उसकी महानता पर शर्म उनकी कमजोरियों पर)। अतीत के गौरव का इतिहास हमको प्रसन्न भी कर सकता है, परन्तु जीवित रहने के लिए और सम्मान के साथ जीवित रहने के लिए हमको वर्तमान समय की संस्थाओं और संस्कृति के शस्त्रागार से सज्जित होकर वर्तमान में ही जीना होगा।’

शब्द कुंजी – संस्कृति के शस्त्रागार।

प्रस्तावना – लालाजी स्वप्नदर्शी नहीं थे। उन्होंने जिन योजनाओं की रूपरेखा बनाई, उन्हें पूर्ण करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। लालाजी शान्तिपूर्ण उपायों से स्वराज्य-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। लेकिन उन्होंने आतंक और अत्याचार के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था – ‘इसमें सन्देह नहीं कि अत्याचार करने वाला अपराधी होता है, लेकिन वह, जो अत्याचार सहता है, ज्यादा बड़ा अपराधी है।’ मैं हमेशा कहता हूँ कि ‘यदि हम पर अत्याचार नहीं कर सकता, और यदि कोई अत्याचार करने का प्रयास करेगा तो हमारी लाशों पर लगे जखम घोषणा करेंगे कि हिंसा और जुल्म के दिन हमेशा नहीं रहते।’¹

लाला लाजपतराय के विभिन्न अवसरों पर कहे गए कथन निश्चित ही प्रेरणादायक हैं, जो हमें भविष्य के लिए मार्ग निर्देशित करते हैं। लालाजी के लिए स्वाधीनता से अधिक मूल्यवान कोई वस्तु नहीं थी, उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति को नैतिक आवश्यकता के रूप में अनुभव किया। उनका दृढ़ मत था कि किसी भी विदेशी शासन से पराजित जाति को कोई लाभ नहीं मिलता। 1907 में स्यालकोट में आयोजित एक राजनीतिक सम्मेलन में लालाजी ने कहा था –

‘दुनिया का कानून है कि शासक और शासित तथा गुलाम और मालिक जो करता है, वह बात चाहे गलत हो अथवा ठीक, पर हमारे कितने ही स्थानों में ‘राजा करे सो न्याय’ की कहावत प्रसिद्ध है। स्वाधीनता संसार में सबसे बड़ी चीज है। संसार में सरकार से वही न्याय प्राप्त कर सकता है, जिसे उसके अफसरों को रखने और निकालने का अधिकार प्राप्त हो। जब तक आपको यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा, तब तक न्याय की आशा व्यर्थ है।’²

लालाजी राष्ट्रीय विचारों के प्रणेता थे। उनके लिए पूर्ण स्वराज्य आदर्श भी था और धर्म भी। अपने आदर्श की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना-पत्रों की राजनीति को सदा के लिए मुक्ति दे दी थी। उन्होंने जिस स्वराज्य की कल्पना की थी वह ब्रिटिश शासन में रहकर सम्भव नहीं था। वे पृथक एवं स्वतंत्र

राज्य के समर्थक थे, जिसके प्रत्येक कार्य को उसके नागरिक स्वयं सम्पन्न करते हो।

समाजिक जीवन में फैली हुई निराशा और विकृत मनोवृत्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य से लालाजी ने आर्यसमाज का आश्रय ग्रहण किया। उनके समय में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अस्पृश्यता का शिकार था। लालाजी ने इस बात को कभी उचित नहीं माना कि समाज का एक वर्ग सामाजिक चेतना और सामाजिक सुख से वंचित कर दिया जाए। उन्होंने नागरिकों को समानता के अधिकार दिलाने के उद्देश्य से दलितोद्धार के लिए निरंतर संघर्ष किया।

इसी प्रकार लालाजी ने स्त्री जाति के प्रति सामाजिक अन्याय का डटकर विरोध किया। निश्चय ही उनमें समाज के इस अंग के प्रति वास्तविक सहानुभूति के भाव भरे हुए थे, जो उनकी वाणी और उनकी क्रियाओं से व्यक्त हुए हैं। नारी को समाज की शक्ति और निर्माता बताते हुए लालाजी का कथन था – ‘समुदाय की सबसे बड़ी आवश्यकता है समुदाय की माताओं की यथा संभव सर्वोत्तम देखभाल करना।’³

साथ ही युवतियों के लिए उनके कथन थे – ‘मैं दशवासियों से प्रार्थना करूँगा कि वे अपनी लड़कियों को बचाएँ, वे उन्हें उनके स्वरूप शरीर और मनोवैज्ञानिक रूप से समर्थ मस्तिष्क के विकास के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करें। हमारी युवतियाँ और महिलाएँ हर प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त की जाना चाहिए, जो जीवन में लापरवाही, भोजन के प्रति उदासीनता संघर्ष के प्रति अरुचि, शक्ति का अभाव, भाग्य की बात मानते हुए, हर वस्तु को सहन करने की आदत तथा पराधीनता व भय की मानसिकता को जन्म देते हैं।’⁴

लालाजी ने आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए शिक्षा ग्रहण की थी। वे प्रचलित शिक्षा से और उसके उद्देश्य तथा नीतियों से सहमत नहीं थे। भारतीय शिक्षा में आवश्यक सुधार लाने के लिए उन्होंने इंग्लैण्ड, अमेरिका और

जापान की शिक्षा-पद्धतियों का विशेष रूप से अध्ययन किया। शिक्षा को उन्होंने सामाजिक प्रश्न के रूप में स्वीकार किया और उसी रूप से उसे हल करने का प्रयास भी किया। वे शिक्षा को एक सामाजिक कार्य मानते थे। उनकी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य था जीवन की उन्नति और उन्नति भी ऐसी जो सदा होती रहे, उसमें कोई बाधा न हो और वह अनन्त हो।⁵

लालाजी शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देना चाहते थे। उनके अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य स्वतंत्रता की अनुभूति कराना होना चाहिए।

लालाजी श्रम को और श्रमिक को अनावश्यक रूप से शोषित किए जाने के कड़े विरोधी थे। वे बेगार को कानूनी आधार पर बन्द करवाना चाहते थे। उन्होंने शोषण को किसी रूप में स्वीकार नहीं किया, ये शोषण चाहे ब्रिटिश शासन का हो अथवा सबल जाति का निर्बल के प्रति। वे चाहते थे कि भेदभाव की हर दीवार मानसिक और भौतिक दोनों ही स्तरों पर समाप्त की जानी चाहिए। वे मानते थे कि संसार के सभी श्रम जीवियों के हित एक समान हैं, इसलिए उन्हें संगठित होकर अपने हितों के लिए संघर्ष करना चाहिए।

लालाजी ने अपने जीवन में कोरे आदर्शवाद को ही स्वीकार नहीं किया वरन् अपने विचारों को मूर्तरूप देकर कर्मपथ का निर्माण भी किया।

डॉ. वीरेन्द्र शर्मा के शब्दों में, 'सच्चे देशभक्त और राष्ट्रवादी के रूप में उन्होंने अपने जीवन को संकुचित मनोवृत्ति से मुक्त करके स्वदेश को समर्पित

कर दिया। इस समर्पण में निर्भीक देशभक्त और राष्ट्रवादी के रूप में उन्होंने अपने जीवन को संकुचित मनोवृत्ति से मुक्त करके स्वदेश को समर्पित कर दिया। इस समर्पण में निर्भीक देशभक्त की स्वदेशी के प्रति सच्ची भावना मुखरित होती है।

लालाजी ने संघर्षपूर्ण जीवन को, निर्धन परिवार को, विपन्न भारत माता को अपने पौरुष से अलंकृत किया। उन्हें न सत्ता का मोह था और न शासन से भय। उन्होंने अपने जीवन से बलिदानों का इतिहास लिखा था।

ऐसे महान राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, विचारक, स्वराज्य के उद्घोषक, आदर्शों के प्रति निष्ठावान् और साम्प्रदायिक एकता के समर्थक, लाला लाजपतराय की चिन्तन धारा से अपने देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने का शुभ-संकल्प लेकर यह ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गिरिराजशरण, लाला लाजपतराय, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृ. 10
2. लाला लाजपतराय की जीवनकथा, पृ. 108
3. प्रान्तीय हिन्दू कांग्रेस में भाषण (बम्बई, 5 दिसंबर 1925)
4. गिरिराजशरण, लाला लाजपतराय, प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, पृ. 119
5. आर्य समाज, लाला लाजपतराय, पृ. 228

Efficacy of Homoeopathic Medicine for Chronic Suppurative Otitis Media and its Miasmatic Approach

Dr. Bhushan Jain*

*Research Scholar, Tania University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Introduction - Chronic suppurative otitis media is a commonly seen clinical condition in the society, there are many problems faced by the suffering person like, it causes delay in the development of receptive and expressive communication skills (speech and language). The language deficit causes learning problems that result in reduced academic achievement. Communication difficulties often lead to social isolation and poor self-confidence. So in this way the condition affects the person at all levels. Chronic suppurative otitis media challenges the clinician in a lot of ways especially when symptoms are absent or in apparent, eardrum may be blocked by wax, removal of which may be difficult and time consuming. Abnormalities of ear may be subtle and difficult to appreciate, because of which there is difficulty in diagnosis of these complaints. Underlying the uncertainties are incomplete knowledge and its long term complications like total deafness, brain abscess. Thus a proper understanding of basic sciences (anatomy, physiology, pathology) along with proper history taking and examination skills are important to properly diagnose chronic suppurative otitis media. Its recurrence is commonly seen also positive family history is seen. The presentation differs from person to person. The presentation of the disease, character of discharge, extent of the disease is variable. Homoeopathy has a good scope in treating chronic suppurative otitis media, as it treats on the basis of principles of signs and symptoms based on totality, The clinical presentation has to be understood as the manifestations vary from pain to the recurrent acute episodes, recurrent episodes of acute pain to the chronic form of the disease where the symptoms can vary. Some patients have mild discharge while some patients have a fast destructive evolution ending in severe complications and irreversible changes. All these different clinical manifestations can be explained on the basis of miasmatic background of the individual. The miasms play important role as the cause of the chronic conditions, its recurrence & alteration in the clinical presentation. So I would like to study the clinical presentation of the disease & the role played by the miasms in the clinical presentation.

Aims & Objectives:

1. To understand the different clinical manifestations and efficacy of various homoeopathic medicine in the clinico-pathological correlation.
2. To understand the dominant & fundamental miasm in the case.
3. To understand the role played by miasms in clinical presentation of Chronic Suppurative Otitis Media.

Diagnostic Criteria Clinical Features:

1. OTORRHOEA is the presenting symptom of chronic suppurative otitis media usually offensive with a musty smell.
2. DEAFNESS may range from mild to moderate degree, usually escapes the patients notice in unilateral hearing loss to very severe deafness due to the spread of infection to the labyrinth with atticofacial disease causing sensorineural deafness. In a benign perforation with an intact ossicular chain, the hearing improves when the discharge covers the perforation and temporarily closes it. The hearing may also improve if the round window is covered with secretion, as this improves the phase difference.
3. EARACHE: an uncomplicated chronic otitis media is free from earache; the earache may be caused by complication like acute otitis media supervening on chronic otitis media, acute otitis externa and impending dangerous complications like mastoiditis, or intracranial complications. Hence any patient with chronic otitis media, who has earache, should not be neglected.
4. TINNITUS: may be present, and it is difficult to treat this symptom.
5. GIDDINESS/VERTIGO: may present because of complication like labyrinthitis or it may have an independent aetiology.
6. BLEEDING or blood stained discharge may occur because of granulation or polyps, which are often associated with a dangerous type of perforation. Swelling in the mastoid region results from a mastoid abscess caused by atticofacial disease.

Signs

i. **PERFORATION:** The benign type presents as a central perforation with the ear drum surrounding the perforation all around.

In a dry perforation, some of the structures of the middle ear are visible through the perforation and the mucosa is pink. In the wet stage, the mucosa of the middle ear is like red velvet. A polyp may be occasionally present.

The dangerous perforation is usually associated with cholesteatoma having foul smell and white flakes. The attic perforation or a marginal perforation in the posterosuperior quadrant of the pars tensa is dangerous types of perforations.

A marginal perforation does not have the ear drum all around it, and it is also associated with the cholesteatoma. Granulations or polyps may be present with a dangerous perforation which may occasionally accompany a benign perforation also.

ii. **TENDERNESS** on the mastoid antrum suggests involvement of mastoid bone.

Significance: When complaints are analyzed and represented in this format and viewed from different locations we get a clear analysis of the totality along with its evolution and pace.

1. Miasmatic correlation based on Hahnemannian concept of chronic disease i.e. Psora-Sycosis-tubercle- syphilis.
2. Understanding the artificial disease and the formation of the totality i.e. homoeopathic remedies.
3. Understanding the common and characteristic value of the symptoms.
4. Formation of acute, chronic, intercurrent, phase and related totalities
5. Appreciating the susceptibility in its qualitative dimension i.e. Psora- Sycosis-tubercle- syphilis and its quantitative dimension i.e. high, moderate and low.
6. All this understanding helps in the planning posology and further management.

Methodology Materials and Methods

Sources Of Data: 30 patients from different OPDs of hospital and ENT clinics.

Method Of Collection Of Data: Cases defined in standardized case record with family history, past history & detailed totality.

Physical examination

General examination

Systemic –RS, CNS

Local examination: - Ear examination

Investigations: Classifying symptoms according to the Miasmatic classification table/ conceptual image & derive Fundamental and Dominant miasm

Structure-form-function and time evolution of the patient's complaints. This case format will be used for case taking:

Inclusion Criteria:

1. Patients of both sexes and all ages.
2. Patients who have been suffering for at least more than

14 days (2 weeks).

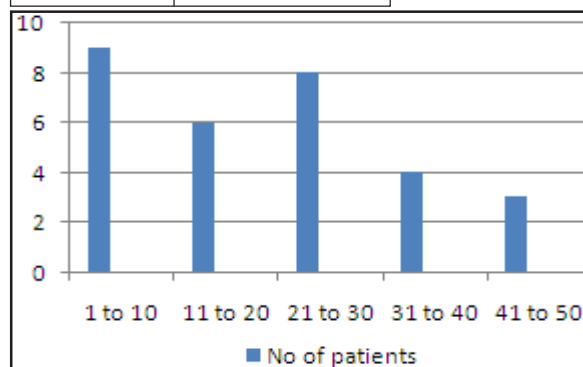
Exclusion Criteria:

1. Patients having dangerous type of perforations.
2. Patient who have developed the complications & need the surgery.

Observation and Analysis

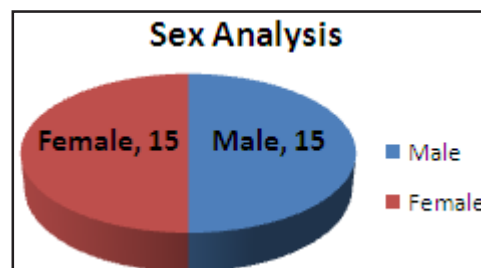
Age Group Analysis:

Age range	No of Patients
1-10	9
11-20	6
21-30	8
31-40	4
41-50	3



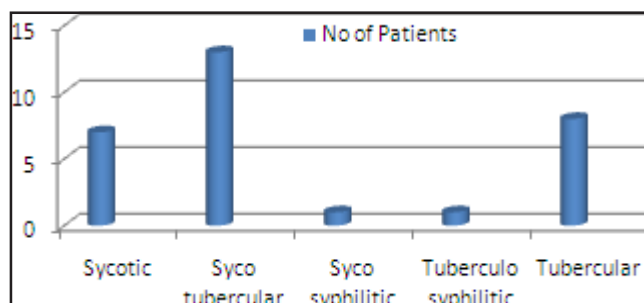
Sex Analysis:

SEX	No of Patients
Male	15
Female	15



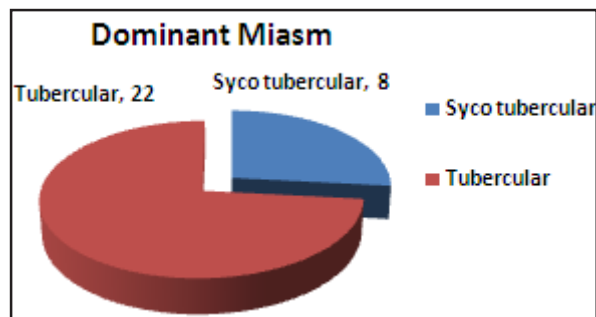
Fundamental Miasm:

Miasm	No of patients
Sycotic	7
Syco tubercular	13
Syco syphilitic	1
Tuberculo syphilitic	1
Tubercular	8



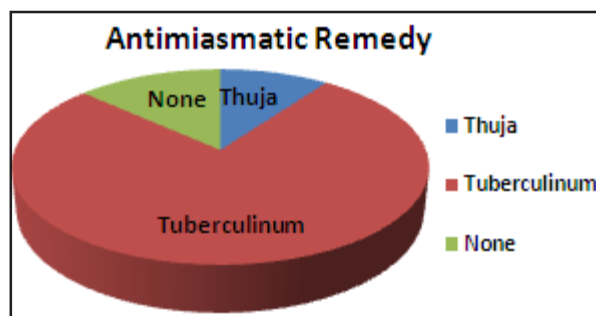
Dominant Miasm

Miasm	No of patients
Syco tubercular	8
Tubercular	22



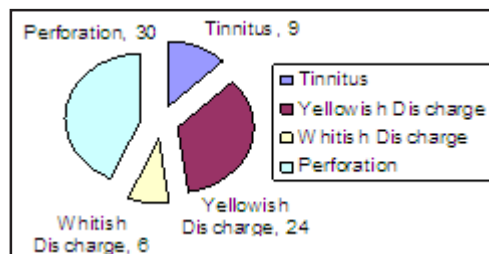
Anti Miasmatic Used

Remedy	No of Patients
Thuja	3
Tuberculinum	23
None	4



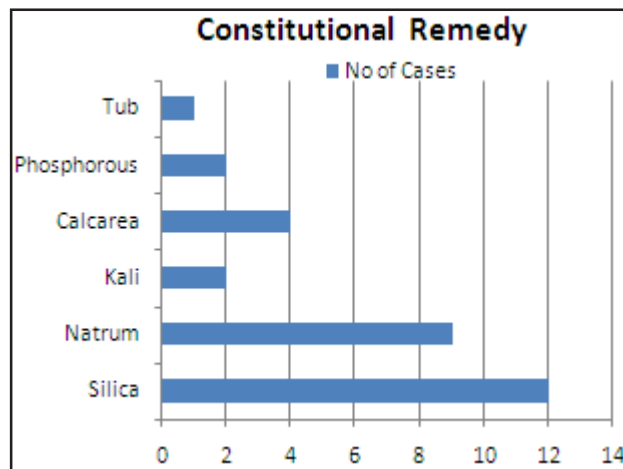
Clinical Presentation

Clinical Presentation	No. of Cases
Tinnitus	09
Yellowish Discharge	24
Whitish Discharge	06
Perforation	30



Group Of Remedies

Group of Remedy	No of Patients
Silica	12
Natrum	9
Kali	2
Calcarea	4
Phosphorous	2
Tub	1



Conclusions: In this study effort was made to study the clinical presentation of chronic Suppurative Otitis media & its miasmatic correlation. Chronic Suppurative Otitis media is a disease commonly affecting the **pediatric age** group; both the sexes are equally affected. Chronic Otitis media is usually seen in patient with **recurrent respiratory tract infections**. It is observed that there are acute episodes of ear infections with acute episodes of respiratory infections. On clinical examination it was observed that all cases were showing **central or safe type of perforation** with minimal hearing loss.

From homoeopathic point of view most of the cases of chronic Suppurative Otitis media shows **dominant miasm** as tubercular which shows sudden onset with recurrence of complaints, with Suppurative tendency with moderate susceptibility. Some cases showed sycotic features also but they were very few. It was observed that the cases not getting well with acute or constitutional remedy needed the antimiasmatic remedy. In some cases only one dose was enough & in some cases **antimiasmatic remedy was required with every acute episode of ear complaint**.

This study showed that there were some common factors on basis of which tub was given as antimiasmatic remedy like **past & family history showing tubercular soil, suddenness of complaints, affections of respiratory mucus membrane, recurrent infections of ear with suppurations** was coming up in most of the cases.

During this study the one thing was learned that the cases which show sycotic features like the character of discharge yellowish, thick with gradual pace have responded well to tubercular antimiasmatic remedy like tuberculinum. Though it is a debatable topic that such kind of discharges represent sycoticmiasm but the study of 30 cases indicates that they are were well taken care by tubercular remedy also this chronic insidious Suppurative process involving mucosa of upper respiratory tract can came under tubercular miasm or sycoticmiasm? so this can be the topic of further study,

References:-

1. Allen J.H. [1998], "*The Chronic Miasmmspsora, Pseudo Psora and Sycosis*", Volume - 1 and 2, Reprint Edition,

- B. Jain Pub. [P] Ltd. New Delhi.
2. Beales(1984), *Otolaryngology*, Scott-Brown, 5th Edition, Jaypee Brothers, Medical publishers (P) Ltd, Ansari Road, Daryaganj, Post Box 793, New Delhi, India.
3. Bhargava B.Krishnakant (2000), *A Short Textbook of ENT Diseases*, 5th Edition, Usha publication, Tagor Road, Mumbai.
4. Boericke W. [Tran.] 1988, "*Hahnemann's Organon of Medicine*", 6th Edition B. Jain Pub. [P] Ltd. New Delhi.
5. Close Stuart, [Reprint 2004], "*The Genius of Homoeopathy*", Indian books and periodicals Publication, New Delhi.
6. Robert Herbert A. [1995], "*The Principles and Art of Cure by Homoeopathy*" Reprint Edition, B. Jain Pub. [P] Ltd. New Delhi.

जिला सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विश्लेषणात्मक अध्ययन (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. असगर अली आदिल* जेनुलउद्दीन शेख जिलानी**

* प्राध्यापक (वाणिज्य) महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - खरगोन जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लक्ष्य, प्रेशित प्रकरण एवं स्वीकृत प्रकरण में प्रतिवर्ष वृद्धि इस कथन की संतुष्टि करती है कि योजना से स्थानीय कृषक वर्ग निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं।

शब्द कुंजी - कृषि, किसान क्रेडिट कार्ड।

प्रस्तावना - मौसमी रोजगार प्रदानकर्ता कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता एवं अल्प उत्पादकता के परिणामस्वरूप उपज का निम्न स्तर होने के कारण कृषकों की आय में अस्थिरता बनी रहती है। आय की अस्थिरता के कारण वह अपनी उपभोग एवं उत्पादक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असक्षम होते हैं। ग्रामीण आंचल में निवासरत कृषकों वर्ग कृषि कार्य जैसे बीज बोने से लेकर, फसल जोतने एवं उपज विपणन करने तक साख अर्थात् ऋण की आवश्यकता पड़ती रहती है।

दो से तीन दशक पूर्व तक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों साख (ऋण) संबंधी आवश्यकता की पूर्ति मुख्यतः साहूकार वर्ग द्वारा की जाती थी। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त साहूकारी ऋण व्यवस्था की इस समस्या के समाधान स्वरूप भारत में सहकारिता की भावना का विकास हुआ परिणाम स्वरूप राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक एवं ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां स्थापित की गईं।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान जिला सहकारी बैंक एवं प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषक परिवारों की ऋण संबंधी समस्या का निरन्तर समाधान हो रहा है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि कल्याण योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कोटी के बीज, उत्तम रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाईयाँ क्रय करने, सिंचाई कार्य के लिए तालाब, कुएँ आदि बनवाने तथा बुआई एवं कटाई जैसे कार्य लिए कृषि यंत्रीकरण क्रय करने हेतु साख रूपी वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ उन्नत तकनीकी से कृषि कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। प्रस्तुत शोध कार्य में जिला सहकारी बैंक, जिला खरगोन द्वारा प्रदत्त किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के क्रियान्वयन एवं लाभान्वित कृषकों की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

उद्देश्य :- प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य खरगोन जिले के जिला सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धि का अध्ययन करना।

परिकल्पना :- खरगोन जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जा रहा है।

शोध प्रविधि :- प्रस्तुत शोध कार्य में समंक का संकलन द्वितीयक समंक के रूप में शोध अवधि वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किया गया है। परिकल्पना की पुष्टि एवं शोध कार्य के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए प्रतिशत, औसत एवं सहसंबंध गुणांक जैसे सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग किया गया है।

शोध का क्षेत्र एवं सीमाएँ :- शोध कार्य का क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य के खरगोन जिले तक ही सीमित रखा गया है। शोध कार्य में संस्थागत साख सुविधा प्रदाता जिला सहकारी बैंक द्वारा प्रदत्त किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लक्ष्य, प्रेशित प्रकरण एवं स्वीकृत प्रकरण का अध्ययन किया गया है।

विषय विस्तार :- आर्थिक विकास के अंग कृषि एवं कृषि आधारित कार्य के निष्पादन में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषक वर्ग को कृषि कार्य के लिए समय पर पर्याप्त साख उपलब्ध हो इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा आदर्श **किसान क्रेडिट कार्ड योजना** का संचालन नाबार्ड बैंक के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला स्तर पर विद्यमान अग्रणी बैंक के मार्गदर्शन में जिला सहकारी बैंक द्वारा किया जा रहा है। जिले कार्यरत जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषक वर्ग को कृषि कार्य सम्पादन हेतु एक लाख रुपये तक का ऋण बिना किसी बंधक (सिक्योरिटी) प्रदान किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निर्धारित मापदंड के अनुसार बिना बंधक के आसानी से प्राप्त होने वाले कृषि साख अर्थात् ऋण सुविधा से छोटी जोत के सीमांत एवं मध्य कृषक वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं साख की राशि एक लाख रुपये से अधिक है तो आवेदनकर्ता को उसकी जमीन या उपज को बैंक के पास बंधक (सिक्योरिटी) गिरवी रखना आवश्यक है।

कृषक द्वारा कृषि कार्य के लिए गए साख के आधार पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। यदि कृषक ने कार्यशील पूँजी की पूर्ति के लिए केसीसी योजना के माध्यम से अल्पकालीन ऋण लिया है ब्याज दर भिन्न एवं सिंचाई के स्थायी स्रोत का निर्माण, स्थाई भण्डारगृह का निर्माण, कृषि यंत्र क्रय करने के लिए यदि दीर्घकालीन ऋण लिया है तो ब्याज दर भिन्न होती है। नाबार्ड बैंक के निर्देशानुसार जिले में विद्यमान जिला सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कृषि कार्य के अतिरिक्त मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मुर्गी पालन आदि के लिए भी साख

प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।

पूर्व वर्णित तथ्य के अनुसार खरगोन जिले में केन्द्र सरकार द्वारा पोषित किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जिला सहकारी बैंक द्वारा क्रियान्वयन एवं लाभान्वित की स्थिति अग्र तालिका में वर्णित है -

तालिका क्रमांक - 1: खरगोन जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन की स्थिति (राशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		प्रेक्षित प्रकरण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12	190000	1600000.00	185291	153886.53
2012-13	195000	1630000.00	185947	159124.48
2013-14	196000	1650000.00	186999	159405.05
2014-15	198000	1660000.00	190331	160293.32
2015-16	200000	1670000.00	192639	162993.31
2016-17	205000	1870000.00	190827	186780.27

स्रोत :- जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन (म.प्र.)

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शोध अध्ययन क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक के माध्यम से क्रियान्वयनित किसान क्रेडिट कार्ड योजना से ग्रामीण वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। अग्रणी बैंक के द्वारा निर्धारित लक्ष्य में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। लक्ष्य के अनुरूप प्रेषित प्रकरण में वृद्धि दर्ज की गई है किन्तु लक्ष्य के अनुरूप प्रेषित प्रकरणों की संख्या लगभग 2 से 5 प्रतिशत कम है। शोध अवधि के प्रथम वर्ष में लक्ष्य की संख्या 190000 थी जो अंतिम वर्ष में बढ़कर 205000 हो गई। इसी प्रकार प्रेषित प्रकरण प्रथम वर्ष 185291 थे जो बढ़कर 190827 हो गये। यदि रूख शोध अवधि अंतराल की ओर किया जाए तो स्पष्ट होता है कि लक्ष्य में 7.89 प्रतिशत एवं प्रेषित प्रकरण में 2.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जिला मुख्यालय खरगोन पर कार्यरत अग्रणी बैंक के निर्देशन पर जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषक वर्ग को कृषि कार्य हेतु **किसान क्रेडिट कार्ड योजना** के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण करने का कार्य को सम्पादित कर रहे हैं। खरगोन जिले में केन्द्र सरकार द्वारा पोषित किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जिला सहकारी बैंक द्वारा कृषक लाभान्वित की स्थिति अग्र तालिका में वर्णित है।

तालिका क्रमांक - 2: खरगोन जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना द्वारा कृषक लाभान्वित की स्थिति (राशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत प्रकरण		वितरित प्रकरण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12	185291	153886.53	185291	153886.53
2012-13	185947	159124.48	185947	153886.53
2013-14	186999	159405.05	186999	159124.48
2014-15	190331	160293.32	190331	159405.05
2015-16	192639	162993.31	192639	160293.32
2016-17	190827	186780.27	190827	162993.31

स्रोत :- जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन (म.प्र.)

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शोध अध्ययन क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक के माध्यम से क्रियान्वयनित किसान क्रेडिट कार्ड

योजना से ग्रामीण वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। अग्रणी बैंक के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृत एवं वितरण राशि में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। शोध अवधि के प्रथम वर्ष में स्वीकृत एवं वितरित प्रकरणों की संख्या 185291 थे जो शोध अवधि के अंतिम वर्ष में बढ़कर 190827 हो गई।

शोध कार्य को समितता प्रदान करते हुए लक्ष्य एवं उपलब्धियों के तुलनात्मक अध्ययन में जिला सहकारी बैंक द्वारा वितरित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। खरगोन जिले में केन्द्र सरकार द्वारा पोषित किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जिला सहकारी बैंक द्वारा क्रियान्वित एवं लाभान्वित की स्थिति अग्र तालिका में वर्णित है -

तालिका क्रमांक - 3 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका क्रमांक 3 के अध्ययन से स्पष्ट है कि समीक्षा अवधि के दौरान ऋण वितरण लक्ष्य में वृद्धि की तर्ज पर ऋण वितरण उपलब्धि में भी वृद्धि हो रही है। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि जिला सहकारी बैंक द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लक्ष्य एवं उपलब्धि में सहसंबंध है। गणना विधि में तालिका क्रमांक 3 से समीक्षा अवधि के दौरान ऋण वितरण लक्ष्य को X तथा ऋण वितरण उपलब्धि को Y चर मानकर सहसंबंध ज्ञात किया गया है। इस गणना विधि में अन्य विषय को गौण माना गया है। सहसंबंध हेतु गणना निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
लक्ष्य X	190000	195000	196000	198000
उपलब्धि Y	185291	185947	186999	190331
वित्तीय वर्ष	2015-16	2016-17		
लक्ष्य X	200000	205000		
उपलब्धि Y	192639	190827		

r = 0.854 उच्च स्तर

खरगोन जिले में विद्यमान जिला सहकारी बैंक द्वारा क्रियान्वित एवं निष्पादित ऋण वितरण लक्ष्य एवं उपलब्धियों में सांख्यिकीय विश्लेषण के सह संबंध गुणांक से ज्ञात होता है कि लक्ष्य व उपलब्धि के मध्य (+0.854) उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है। उपर्युक्त सहसंबंध इस बात को प्रकट करता है कि जिस तर्ज पर ऋण वितरण लक्ष्य में वृद्धि हो रही है, उसी तर्ज पर ऋण वितरण उपलब्धियों में वृद्धि हो रही है।

परिकल्पना परीक्षण - प्रस्तुत शोध परिकल्पना है कि खरगोन जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जा रहा है। पुष्टि हेतु केन्द्र सरकार द्वारा संचालित केसीसी योजना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रेषित प्रकरण में वृद्धि, प्रेषित प्रकरण की अविलम्ब स्वीकृति एवं वितरण कार्यप्रणाली संतोषप्रद है।

तालिका क्रमांक 3 के अध्ययन से स्पष्ट है कि जिस तर्ज पर ऋण वितरण लक्ष्य में वृद्धि हो रही है, उसी तर्ज पर ऋण वितरण उपलब्धियों में वृद्धि हो रही है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कृषि विकास हेतु जिले में विद्यमान अग्रणी बैंक के सहयोग जिला सहकारी बैंक द्वारा साख वितरण का कार्य संतोषप्रद है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यह शोध परिकल्पना सत्य है कि खरगोन जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण के संबंध में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जा रहा है।

उपसंहार – जिला सहकारी बैंक द्वारा क्रियान्वयनित किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऋण सुविधा के माध्यम से कृषि ऋण की त्वरित स्वीकृति से नवीन आवेदकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एवं नाबार्ड बैंक के निर्देशित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से कृषक को कृषि कार्य के अतिरिक्त मत्सय पालन, पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मुर्गी पालन इत्यादि के लिए भी ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस प्रकार जिला सहकारी बैंक द्वारा योजना के अनुरूप त्वरित ऋण स्वीकृति खरगोन जिले के आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. औझा बी. एल. : 'बैंकिंग विधि एवं व्यवहार' 2010 रमेश बुक डिपो, जयपुर
2. डॉ. वही. के मिश्रा: 'वित्तीय बाजार परिचयन' 2010 रमेश बुक डिपो, जयपुर
3. भारती डॉ. आर.के. एवं : 'भारतीय अर्थशास्त्र' (स्वतंत्रता के पश्चात्) पाण्डेय के.सी. मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
4. अग्रवाल अनुपम : 'औद्योगिक अर्थशास्त्र', 2010, साहित्य भवन, आगरा
5. डॉ. ममोरिया एवं : 'भारत की आर्थिक समस्याएँ', 1988, जैन साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा

तालिका क्रमांक - 3: खरगोन जिले में जिला सहकारी बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वित एवं लाभांशित की तुलनात्मक स्थिति (राशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य		प्रेक्षित प्रकरण		स्वीकृत प्रकरण		वितरित प्रकरण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12	190000	1600000.00	190000	1600000.00	185291	153886.53	185291	153886.53
2012-13	195000	1630000.00	195000	1630000.00	185947	159124.48	185947	153886.53
2013-14	196000	1650000.00	196000	1650000.00	186999	159405.05	186999	159124.48
2014-15	198000	1660000.00	198000	1660000.00	190331	160293.32	190331	159405.05
2015-16	200000	1670000.00	200000	1670000.00	192639	162993.31	192639	160293.32
2016-17	205000	1870000.00	205000	1870000.00	190827	186780.27	190827	162993.31

स्रोत :- जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, खरगोन (म.प्र.)

Swami Vivekananda's Concept of Political Activity: A Vedantic Approach

Dr. Akhilesh Mani Tripathi *

*Assistant Professor (Political Science) Govt. Autonomous P.G College, Satna (M.P.) INDIA

Abstract - As a political philosopher, Swami Vivekananda's one of the original contributions has found its best manifestation in his ideas expressed on the question of political activity which has been remaining a perennial issue of debate among political thinkers since long. The prime questions of political activity are concerned with mainly two problems – first, the problem of the relationship between the end and means and second, the problem of resistance and non- resistance .Swami Vivekananda has dealt with both of these problems of political activity in original manner in the light of practical Vedanta breaking the exclusive traditions of dealing them. The present paper is a humble attempt to highlight Swami Vivekananda's ideas flashed on the questions of political activity.

Keywords- End and Means, Swadharma, Resistance, Non- Resistance, Non- Violence, Right to rebel.

Introduction - There are two fundamental questions related to political activity. The first question is concerned with determining the relationship between the 'end' and 'means' in the course of conduct of any political activity executed on the part of political authorities. The second question is concerned with opting between resistance or non-resistance, on the part of people, against the political authorities. The first question deals with the problem of public morality to be observed on the part of the political authorities responsible to run a political system in public interest, while the second question deals with the public morality to be observed on the part of the people while encountering corrupt and illegitimate political authorities controlling a political system. These twin questions concerning the political activity, which enjoy as much relevance in contemporary context as they have been given perennial significance in the tradition of political thought, have found a profound investigation in the ideas of Swami Vivekananda.

Problem of end and means as a debate: In political philosophy, we find two traditions combating each other with regard to the problem of end means. One tradition, mainly represented by Machiavelli and Karl Marx, argues that the end justifies the means. Upholding the argument that any means would be said as 'just' if it fulfills the desired goal, these thinkers support the incumbency of the king in power. Machiavelli suggests his "Prince, if he wishes to remain in power, to learn how not to be good and to use his knowledge or refrain from using it as he may need"¹. Likewise, Karl Marx also recommends violent and bloody revolution as justified means for the attainment of an equal

society which is a moral end. On the other hand, the second tradition, represented by Mahatma Gandhi, contends that it is the purity of means that justifies the purity of end, not vice versa ². While the first tradition of political activity rejects the concept of implicit unit between the means and end by assigning primacy to the end and reducing means to be subservient of the end, the second tradition supports the principles of unity between the means and end by holding the righteousness of both the means and end, as equally significant.

Principle of unity between end and Means: To Vivekananda, both the end and the means are equally significant. He regarded "ends and means to be of same nature and inextricable"³. He says, "One of the greatest lessons I have learnt in my life is to pay as much attention to the means of work as to its end"⁴. He was one of the first modern thinkers of the world who argued that means must always be consistent, moral and spiritual, and that both the individual and social growth is attainable through the purity of means alone. Thus, Vivekananda is one of the modern thinkers of the world who emphasized the principle of unity between the means and end.

Emphasis on the purity of Means: In his proposition of the principle of unity between end and means, Vivekananda's emphasis is more on the purity of means. He says, "Let us perfect the means, the end will take care of itself"⁵. This proposition provides Vivekananda a unique position among the political philosophers who have contemplated on the morality of actions. He propounded emphatically that unless we have moral means in the form of moral human workers, we cannot produce a moral world,

because pure 'effect' cannot be produced from immoral 'cause'. Since effect is the result of the cause, so the end is the result of the means. He says, "For the world, can be good and pure, only if our lives are good and pure. It is an effect, and we are the means. Therefore, let us purify ourselves – let us make ourselves perfect"⁶.

Man is both an end and Means: By emphasizing the underlying unity between the means and end, Vivekananda argued that man is both an 'end' and 'means'; as an individual person he is means, but as the member of society, composing it, he is an end. Therefore, he resolved the problem of conflict between individual and society which has been an issue of great debate between the idealists and the individualists. "He regarded the individual as an end in himself and wanted him to become a means to serve society"⁷, because he believed that both the individual and social interests are identical and harmonious as the interest of man, as both end and means, is the same. Thus, Vivekananda resolved the issue conflicting interests between individual and society by granting freedom to man, as an individual, in personal matters, and to society, as social individual, in social matters. He held both society and individual as the two sides of the same coin and rejected both the claim of man against society and annexation of man by society to serve its interest.

Problem of resistance and non-resistance: In context of the techniques of political activity, the debate of resistance versus non-resistance is also one of the most highlighted issues. With regard to this issue, thinkers have adopted exclusive position; they support one position to the exclusion of the other, maintaining that each contradiction the other and, thus, to give support to both would be a logical fallacy.

Both resistance and non- resistance have place in Swadharma doctrine: However, in Vivekananda's philosophy, both resistance and non-resistance have their place. In the light of the philosophy of Vedanta, he propounded that both resistance and non-resistance have their own significance in human life. He developed this position in the light of the philosophy of "Geeta" which propounds the concept of 'Swadharma'. The doctrine of Swadharma implies that each duty is great in itself, "but the duty of one is not the duty of the other"⁸. Each man has got his own 'Swadharma' and duties of men vary from person to person according to one's own 'Swadharma'.

Non- resistance is the duty of an ascetic: Vivekananda propounded that for an ascetic, who is avowed to renounce world as to go beyond, non-resistance is the duty. Therefore, "Buddha's teaching was non- resistance, or non-injury"⁹. Vivekananda argued that real strength of an ascetic lies in his capability of "non-resistance". Practice of 'non-resistance' is, thus, the duty of one who aspires to break the boundary of the worldly affairs in search of beyond. However, this non-resistance cannot be the duty of a householder who is bound with worldly matters and faces its troubles.

Resistance is the call of social life: Thus, to Vivekananda, resistance is inevitable as the call of social necessity. Therefore, for a man who lives and works in the social world, resistance is one of his fundamental duties. He describes the necessity of 'resistance' for social existence in his following statement:

"All great teachers have taught, 'Resist not evil', that non-resistance is the highest moral ideal. We all know that, if a certain number of us attempted to put that maxim fully into practice, the whole social fabric would fall to pieces, the wicked would take possession of our properties and our lives, and would do whatever they liked with us. Even if only one day of such non-resistance were practiced, it would lead to disaster"¹⁰.

Therefore, to Vivekananda, resistance is the inevitable weapon of social man till the society is contaminated with evil men and evil leaders.

Resistance justifies right to rebel against tyranny: This Vivekananda's recognition of 'resistance' in social life has far reaching implications. It is this necessity of resistance in social fabric that justifies the making of political laws for public safety and security. This necessity of resistance in social context justifies why individual has right to resist in case he is deprived of his individual rights, which ensure his liberties, either by an individual or society or the State. And it is the necessity of 'resistance' for social man that led Vivekananda to support the "right to rebel"¹¹, and called him to fight against all injustices, tyrannies and exploitations. It was this right to resist which worked as major spirit behind Vivekananda's idea of social change that comprises the rise of masses, the extinction of priesthood, and the elimination of oppressive foreign rule.

Feebleness in resistance is the sign to sin: The whole argument behind Vivekananda's advocacy for individual's right to resist is his conviction that in social life, resistance is the symbol of strength. According to Vivekananda, if a man "does not resist", in social life, it is only because "he is weak, lazy and cannot, not because he will not", and he says that "one who from weakness resists not commits a sin."¹²

Resistance is not restricted to non- violent resistance: Therefore, to Vivekananda, both 'resistance' and 'non-resistance' are the duties of human life, but their spheres of exercise are different. However, Vivekananda, though he believed in constructive approach to and peaceful method of social change, did not restrict the right to rebel to only non-violent action as Gandhi did. Vivekananda upheld that no doubt a moral society can only grow through peaceful revolution of spiritual nature, however, in the battle of life, activity of man cannot be restricted to non-violent resistance, because what kind of resistance is required would be determined by the nature of the force against which resistance has to work. This is the basic difference between Gandhi and Vivekananda with regard to 'resistance'.

Conclusion: By applying Vedantic approach in the investigation of the questions pertaining to the political activity, Swami Vivekananda refuted the tradition of conventional replies and conceptualized the answer which ensures moral responsibility of the political authorities and secures the people's right to rebel as their moral duty. Adopting his Vedantic position Swami Vivekananda warned the political actors and authorities as to never lose sight from the Vedantic principles of unity between the end and the means as an essential condition for the realization of desired outcome. Highlighting Vedantic concept of cause and effect, he concluded that one cannot produce good effect from bad cause. Therefore, purity of means is essential condition for the attainment of pure ends, because ends are the effect produced from the cause of means. He attached moral responsibility with each political actor functioning as public authority that justified means are used for the attainment of any desirable end.

Further, in the light of Vedantic doctrine of 'Swadharma', he decided the case of resistance and non-resistance and concluded that while non-resistance is the duty of an ascetic, resistance is the duty of a social man living in social relationship to fight against any oppressive or unjustified power in case of both private and public nature. Social Man always preserves his right to protest and rebel in the form of resistance and even go to violent resistance if conditions demand. Swami Vivekananda propounded that for the realization of spiritual freedom of man a moral governance imbued in the principle of unity between end

and means together with the people's freedom of conscience ensuring in their right to resist against an unjustified political power is essential prerequisite. Through this unique enquiry done in the light of Vedanta Philosophy Swami Vivekananda has successfully proved how much the Vedantic principles are relevant to offer appropriate answer to the most intricate political problems of human life and how they coincide with the highest principles of democracy.

References:-

1. Machiavelli, Nicolo, The Prince, F.S. Crafts & company, Newyork1947, p.44.
2. Verma, S.L., Advanced Political Thought, National Publishing House, New Delhi, 2007, p.227.
3. Reddy, A.V. Rathna, The political philosophy of Swami Vivekananda, sterling publishers, New Delhi, 1984, p.98.
4. Vivekananda, Swami, The Complete Works, Vol-2, Advaita Ashram, Calcutta,1999,p.01.
5. Ibid, p.01.
6. Ibid, p.09.
7. Reddy, A.V. Rathna, op.cit 3, p.101.
8. Vivekananda, Swami, The Complete Works, Vol-2, Advaita Ashram, Calcutta,1999, p.54.
9. Vivekananda, Swami, The Complete Works, Vol-2, Advaita Ashram, Calcutta,1999,p.267.
10. Vivekananda, Swami, op.cit.08, p.37.
11. Vivekananda, Swami, op.cit.09, pp.262-263.
12. Vivekananda, Swami, op.cit.08, p.38.

On NathuLa Pass Border Trade - A Libertarian Perspective

Mr. Jaimine Vaishnav* Dr. Rekha Mali**

*Research Scholar (Political Science) Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

**Professor (Political Science & Public Administration) Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - Border trade between India and China is the highest at NathuLa Pass in Sikkim. Yet, its true potential has not been used. It was estimated in 2005 by a study group that this trade would fetch India Rs. 353 crores (2010) and Rs. 573 crore (2020). But in 2016, the trading value was only around Rs. 63 crore (exports) and Rs. 19 crores (imports). The Indian government needs to do a lot more to help its traders if China does not walk away with the goodies.¹

On the Indian side, the border trade at NathuLa Pass was reinstated in July 2006, after a gap of 4 decades (due to war conflict between India and China in 1962). The gap has not only widened some quantum of geoeconomic distrust between the two Asian giants, but it has facilitated the Indian government to employ the principles of statism. The need of the hour is to free the border trade between India and China at NathuLa Pass so that formalization of this trade can also limit the scope of informal economy and collaterally, relieve the traders from the clutches of government interventionism.

This research paper is an attempt to prolude the hope of libertarian economics between India and China on the sphere of border trade at NathuLa pass and other checkpoints involved.

Prolusion - *"If soldiers are not to cross international boundaries, goods must do so. Unless the shackles can be dropped from trade, bombs will be dropped from the sky."* — Otto T Mallery, author of "Economic Union and Durable Peace".²

This quote emphasizes the significance of trade at the cost of war. No doubt when it comes to money, all are of the same religion. But it is important to realize that trade relations often dissuade tensions like war or conflicts on the macrocosm level. **Ceteris Paribus (Other things equal)**: The economy of war is not always directly proportional to the economy of trade in the context of Indo-China ties. China's realism and India's reactivism have ratiocinated their relationship closer to the belief that "war is economy" in a span of 60 years. Their so-called geopolitical tensions can only be diffused through mutual

consideration of liberal values and recognition of border trade. However, unlike other trading mechanisms, Indo-China border trade has not received attention in the mainstream sphere.

The idea of resuming border trade commenced in the early 1990s. It was only from July 2006 that China and India agreed to reopen certain locations at their border for economic trade, thus, helping their relationship and enhancing socio-economic development of the localities near the trading region. Trading activities were closed after the 1962 conflict when China surprisingly defeated India. In order to supersede the past bitter relationship and enunciate steps towards mutual prosperity, three border trading points were identified in 2006 in India. They are: Lipulekh Pass in Himachal Pradesh, Shipki La in Uttarakhand and NathuLa Pass in Sikkim. The economic value of the border trade at NathuLa Pass, Sikkim, is the highest as compared to the other border points. It has also been the oldest route of trading since many centuries. Also known as the "Silk Route", NathuLa Pass (situated at 14,300 ft above sea level) is a strategic location of trade and geopolitics in the North-east.

As India has circumvented the inclusion of the North-east in her growth story since 1950, NathuLa Pass has received limited attention from policy experts, authors, and scholars. Although the quantum of literature and study on this region does not beat the anticipated imagination in academics and media discussions, there is a dire need to rejuvenate India's consciousness of this region. The NathuLa Pass region has been very popular for travel or touring, but more attention should be given to deciphering the economic health of traders in Sikkim. There are 600 registered Indian traders who venture through NathuLa Pass from May 1 to November 30 every year. Out of these, around 200 traders are active. Only Sikkimese are allowed to trade and most of the traders' have for generations been involved in this economic activity. Within a span of 10 years, there is a systematic increment in the registration of new traders, especially younger ones, which tells us a success story of border trade.

It was estimated in 2005 by the Nathula Pass Border Trade Study Group that this trade would fetch India Rs. 353 crores (2010) and Rs. 573 crore (2020). But in reality, the data speaks otherwise. In 2016, a year before the Doklam issue, the trading value was around Rs. 63 crore (exports) and Rs. 19 crores (imports).³ India is entitled to export 36 items and import 20 items at this border with China. Most of the items listed are from the 1950s and 1960s list and so traders of Sikkim are trying hard to lobby the Indian government to alter the list as they're more concerned about Chinese demands. Unfortunately, this whole issue has not received any attention.

Every year, the traders have to undergo the Kafkaesque-like process of renewing their trading licenses. To add to the woes, the government of India has set a capital limit on the trade earnings.

Good Politics, Bad Economics- That is, a trader is not supposed to earn more than Rs 2 lakh per day on this trade. This is, nevertheless, an act of statism that has generated some volume of informal trading too at Nathula Pass Border Trade.

For a sound trading experience, free-market maxims are fundamental and it is possible when the government minimises its arbitrariness and maximises its liberal one. What's "legal" for the government here is not "moral" for the traders. Sikkim needs a complete overhaul of its economy through the Nathula Pass border trade especially. The infrastructure on the Indian side is poorly developed as compared to the Chinese side. The traders are supposed to reach the trading venue i.e. Sherathang market, and trade. The warehouse facilities are not adequately developed. However, the Chinese side has a trading mart—Rinqingang market—which has better facilities to store goods. Both these marts are the prime locations for excise and custom checks for the traders.

The Indian side is obligated to open the mart from 11 am till 2 pm, whereas the Chinese side opens up around 7:30 am till 3 pm. This gives a limited time for the Indians to trade with the aggressive Chinese traders.

The language barrier is another problem. There is no translator or interpreter at the post to help the traders to communicate well or negotiate. This infuriates the Indian traders to an extent and is followed by stringent and suspicious behavior of the Indian security forces.

This trading activity has a huge geo-economical potential for Sikkim and can help defuse geopolitical tensions with China. The Doklam issue (2017) may have been an egotistical conflict between both countries, but it received a huge setback for the traders of both sides. Indian traders could accumulate Rs. 7 crores in exports and Rs. 1 crore in imports that year. By 2019, when the border tensions had diffused, there was a spike in the value of exports (Rs. 40 crores) and imports (Rs. 3 crores). It is thus ratiocinated that when goods are exchanged, bullets won't find any scope.⁴

Conclusion- The geometry of statism certainly determines

the quantum of interventionism through the apparatuses like regulations, limitation on capital earnings, bureaucratic kafkaesque, gradual or fabian functions of revising the trade list and other requirements, infrastructural lacunae, etc and this – on a macro spectrum – frequently distorts the natural equilibrium of trading processes. The case of informal trading at NathuLa Pass between Indian and Chinese traders is merely an outcome of unregulated statism, due to which the traders on the Indian side (as studied during the research) grimace.

The structural cause stemming from informal enterprising is because of the unrevived list, especially for the Indian traders. The dearth of '*rime approach*' while designing the policies, from New Delhi, for the Sikkimese traders has systematically incentivised the generation of this genre of trade. In last century, the traders were comparatively privileged to trade plenty of more items that stay disbanded in the contemporary epoch.

The '*rime approach*', as comprehended from Buddhist wisdom, manifests the tranquil coexistence of different schools under one roof. This approach, as introduced in this study, is to emerge as a constructive panacea in understanding that this informal trade needs to be legitimized rather than simply condemned, for the sake of it. That maxim: '*whatever is legal, is not always moral*' compliments the nature of informal trade between India and China at NathuLa Pass, which mainly consists of perishable and durable goods than any hazardous equipment reported so far.

It is the inherent nature of economic freedom that whichever element burdens the organic development of trade would find its solace from the philosophy of agorism. As observed in this research study, the behavioral economy of traders at NathuLa Pass is involved in peaceful interaction. Agorism is this socioeconomic philosophy that devises a society to be functionally involved in voluntary transactions without violence and it has been in tandem with the equilibrium of the informal trade. As a strategy for achieving political and economic change, agorism eschews practical politics, even casting a ballot, preferring the establishment and encouragement of new libertarian institutions to overtly political means such as campaigns and legislation.

Goods like Chinese flasks, carpets, local beers, elaichi, milk, cheese, dalda (hydrogenated oil), biscuits (Parle G brand), local chillies (like dalay), incense sticks, sugar, watches, glassware, footwear, etc are informally traded between Indian and Chinese traders at NathuLa Pass route, in bulk, at times. Also, the traders are expected to trade using USD but many prefer to directly trade using Rupees-Yuan as currency mode.

The restrictive trade practices sustain the said informal trading and it continues, due to a lack of legitimization of these traded items. When the informally traded items stand the deficiency of formalization, traders would naturally

continue to trade informally too because they feel pauperized from lack of recognition for their property rights. 36 items are listed for exports and 20 items are listed for imports, presently. In order to formalize the informal trade at this pass, there is a dire need to promptly revive the trading items list. If the policy-makers in New Delhi, Gangtok, and at Beijing continue to apply lackadaisical approaches in their devices for NathuLa Pass border trade, the legal institutions will continue to miss out on socioeconomic engagements and benefits that can be incurred from the formal interactionism. The scope of border trade at NathuLa pass is of immense importance, as it is intrinsically inured with social as well as economic osmosis.⁵

References:-

1. Vaishnav, J. (2021). The Leaflet. Retrieved 13 May 2021, from <https://theleaflet.in/nathula-pass-border-trade-a-potential-waiting-to-be-tapped/>
2. Snow, N. (2022). If Goods Don't Cross Borders... | Nicholas Snow. Fee.org. Retrieved 13 June 2021, from <https://fee.org/resources/if-goods-dont-cross-borders/>
3. GURUNG, W. (2017). ORF. Retrieved 1 September 2021, from <https://www.orfonline.org/expert-speak/doklam-standoff-affecting-trade-through-nathu-la/>
4. Ibid.
5. Vaishnav, J. (2021). Opinion Central. Retrieved 16 October 2021, from <https://opinioncentral.in/analysis-statism-of-border-trade-at-nathula-pass-sikkim-is-backfiring-on-indian-traders/>

जैन धर्म से प्रभावित मूर्तिकला

बृजकिशोर रायकवार* डॉ. शुक्ला ओझा**

* शोधार्थी, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (इतिहास) माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – जैन धर्म भारत की पावन भूमि के प्रत्येक क्षेत्र में है। जैन धर्म के तीर्थों के निर्माण में भारत का सर्वोपरि स्थान है। भारत देश ऐसा गौरवमय देश है जहाँ सिद्ध क्षेत्र और निर्वाण मूर्तियों तो हैं ही लेकिन कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी इसका सर्वोपरि स्थान है।

जैन मूर्तिकला का उद्भव और विकास आध्यात्मिक भावना को पोषित करने की दृष्टि से इष्टदेव को साकार रूप देने के लिए मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है। मन को केन्द्रित कर भक्ति भाव में लीन होने के लिए भी मूर्ति एक सबल और सशक्त साधन है। यही कारण है कि सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मूर्ति को महत्व दिया गया है। इतना ही नहीं, भक्ति काल में तीर्थकरों के गर्भ, जन्म, दीक्षा, तप और निर्माण को पंचकल्याणक मानकर मूर्ति-प्रतिष्ठा बड़ी धूमधम से होने लगी जो आज भी प्रचलित है। यह एक भावना का अंग बन गया है। जैन संस्कृति में मूर्तिकला एक विशेष विकास के दौर से गुजरी है इसलिए सर्वप्रथम हमें जैन मूर्तिकला के विकास के क्रम की ओर दृष्टि करनी होगी।

जैन धर्म में मूर्तिकला का विकास क्रम मूर्ति अथवा प्रतिमा मूल रूप की प्रतिकृति है जो अपने आप में छायावत् उसका बिम्ब छिपाये रखती है। उसमें निर्गुण निराकार रूप निराधार होने के कारण पूजा और साधना में अधिक सहयोगी हो जाता है। यही तथ्य मूर्तिकला के उद्भव और विकास की प्रष्टिभूमि को तैयार करता है।

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में प्राप्त 13 मूर्तियों में से दो मूर्तियों ने मूर्तिकला के संबंध में एक नई क्रांति ला दी है। ये मूर्तियाँ लगभग 4 इंच की हैं कबन्ध शिर, हाथ, पैर विहीन, ग्रीवा और कंधों के स्थान पृथक बने हुए हैं। सिर और बाहु धारण करने के लिए रन्ध्र बने हुए हैं। मूर्ति में सजीवता, आत्मशक्ति की तेजस्विता देखते ही बनती है। दूसरी मूर्ति बाह्य स्पंदन को प्रकाशित करती है। इसका समय लगभग दो हजार ई. पू. है। इसे जैन तीर्थकर की मूर्ति कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। इसकी तुलना में मोहनजोदड़ो ई. पू. तीसरी शताब्दी की उस उत्कीर्ण मुहर का अध्ययन किया जा सकता है जिस पर गैंडा, भैंस, सिंह आदि मूर्तियों के मध्य ध्यानस्थ बैठे रुद्र-पशुपति महादेव की मूर्ति चहुंमुखी प्रेरणा को व्यक्त करती है। हेनसांग (600-645 ई. सन्) का विवरण भी इसी तथ्य को स्पष्ट करता है, जहाँ वह कहता है कि वहाँ बहुत से तीर्थकर हैं जो कोई नग्न देवता की आराधना करता है उसकी अभिलाषायें पूरी हो जाती है। यहाँ अहिंसा, संदेश देने वाले जैन तीर्थकर की ओर संकेत करता है।

टी.एन. रामचन्द्रन् का विचार है कि मूर्ति का विशेष सम्बन्ध आध्यात्मिक

साधना से है। चित्त (मन) को एकाग्र करने का वह एक अदभुत साधन है जो सम्यक् आचरण बिना सम्भव नहीं होता। धर्म उसका मूल है। धार्मिक भावनाओं के अंकन के बिना कला, कला नहीं रहती है। शायद इसलिए डेला सेता ने अधिकांश राष्ट्रों की कला का सम्मेलन धर्म से नियोजित किया है। जैन मूर्तिकला इसका अपवाद नहीं है। राग-द्वेषादि विकारों को दूर कर व्यक्ति अपनी सर्वोच्च विशुद्ध स्वरूप परमात्म अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म उस अवस्था को तीर्थकर, अर्हन्त और सिद्ध की संज्ञा देता है। भारत की प्राचीनतम मूर्तिकला का इतिहास सिन्धु घाटी के उत्खनन से ज्ञात होता है। उसमें प्राप्त विविधा मूर्तियाँ भारतीय संस्कृति को दिग्दर्शित करती हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अतिरिक्त चन्हूदड़ो, झुकरदड़ो, अम्बाला, करांची, केला (बलूचिस्तान) आदि स्थानों तक इस सिन्धु सभ्यता का प्रसार रहा है। विद्वानों ने इसकी प्राचीनता लगभग 4000 ई. पू. से लेकर 2500 ई. पू. तक निर्धारित की है।

सिन्धु सभ्यता के निवासी कौन थे ? यह एक विवादास्पद प्रश्न है। पर यह कहना निश्चित है कि यह सभ्यता प्राग्वैदिककालीन सभ्यता थी। वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था, वहाँ तो गाय की पूजा होती थी। अग्निकुण्ड एक अनिवार्य तत्व था इसके विपरीत सिन्धु सभ्यता में मूर्तिपूजा का महत्वपूर्ण स्थान था। वहाँ के लोग वृषभ (बैल) की पूजा करते थे। इस प्रकार यह सभ्यता तत्कालीन विद्याधर किंवा द्रविड़ जाति से सम्बद्ध रही होगी।

हड़प्पा और लोहानीपुर से प्राप्त मस्तकविहीन नग्न मूर्ति कायोत्सर्ग अवस्था में खड़ी है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त पशुपति को यदि शैवधर्म का देव मानें तो हड़प्पा से प्राप्त नग्न धाड़ को दिगम्बर मत की खण्डित मूर्ति मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसकी आकृति और भाव ऋषभदेव की आकृति और भाव से शत-प्रतिशत मिलते हैं। रामचन्द्र और काशीप्रसाद जायसवाल जैसे प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता उस मूर्ति को किसी जैन तीर्थकर की मूर्ति के रूप में स्वीकार करते हैं।

वैदिक आर्यों में मूर्ति-पूजा थी या नहीं, इस विषय में विद्वानों में एक मत नहीं। मेक्समूलर की दृष्टि में वैदिक धर्म प्रतिमाओं से परिचित नहीं रहा जबकि बोल्लेनसेन वेंकटेश्वर आदि विद्वान उनके इस मत को बिल्कुल अस्वीकार करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि ग्रंथों में वर्णित इन्द्र, वरुण आदि की प्रतिमाओं का जो रूप ज्ञात होता है उससे प्रतिमा पूजा का आभास तो निश्चित होता है। यास्क ने इसी तथ्य को 'आकार चिन्तनं देवतानां' कहकर व्यक्त कर दिया है।

जैन परम्परा को जैन धर्म अनादि-अनन्त मानती है, परन्तु पुरातात्विक प्रमाण के बिना इतिहास उसकी परम्परा को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। तीर्थंकरों की अवधारणा को समझने के पूर्व वैदिक परम्परा पर दृष्टि कर लेना आवश्यक है। सभी धर्मों से प्रकृति की उपासना किसी न किसी रूप में की गई है। देवी-देवताओं की मान्यता भी उसी उपासना का फल है। वैदिक संस्कृति में प्रारम्भ में स्थानों के आधार पर तीन देवों की कल्पना की गई। पृथ्वी के देवता अग्नि, वायुमण्डल के इन्द्र तथा स्वर्ग के देवता सूर्य को माना गया। पुराणकाल में बारह आदित्यों में से केवल विष्णु, ग्यारह रुद्रों का समूहात्मक रूप शिव और आठ वस्तुओं के स्थान पर प्रजापति ब्राह्मण ये तीन देवता प्रतिष्ठित हुये।

इसी तरह से वैदिक धर्म के अन्तर्गत देवियों के दो रूप प्राप्त होते हैं, वैष्णवी तथा शक्ति अर्थात् रौद्री। वैष्णवी देवियों में प्रमुख हैं- योगमाया, लक्ष्मी, सरस्वती और भू। रौद्री रूप निम्न देवियों में देखा जा सकता है- पार्वती, भद्रकाली, नन्दा, दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, महाकाली तथा सप्तमातृकायें (ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौकरी, बराही, इन्द्राणी, चामुण्डा) इन दोनों परम्पराओं के देखने के बाद तीर्थंकरों की अवधारणा का प्रारूप किसी सीमा तक हमारे खड़ा हो जाता है। परम्परागत चौबीस तीर्थंकरों का प्राचीनतम उल्लेख समवायांग सूत्र (157) में उपलब्ध होता है जिसे लगभग पंचम शताब्दी में देवर्धिगणि क्षमाश्रमण ने अन्तिम रूप दे दिया था।

चौबीस तीर्थंकरों की पुरातात्विक अवधारणा लगभग द्वितीय-तृतीय ई.पू. में प्रारम्भ हुई होगी। यद्यपि साहित्यिक परम्परा इसे स्वीकार नहीं कर सकती। इनकी प्रारम्भिक मूर्तियाँ भी इसी काल की हैं। इस काल में अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियाँ नहीं मिलती। ऋषभदेव की ध्यान मुद्रा में मथुरा और चौसा से प्राप्त कुषाणकालीन (प्रा.श. ई.पू. से द्वितीय शताब्दी तक) मूर्तियाँ तथा मथुरा से प्राप्त अरिष्टनेमि तथा पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियाँ भी इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं। इनमें भी ऋषभदेव की मूर्ति प्राचीन हो सकती है। सम्राट कलिंग ने अपने हाथी गुम्फा शिलालेख में स्पष्ट लिखा है कि उसने अपने शासनकाल के बारहवें वर्ष में मगधा पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी कलिंग (ऋषभदेव) की उस प्रतिमा को सम्मान सहित वापस ले आया था जिसे नन्द राजा उठाकर ले गया था।

जैसा कि हम जानते हैं कि शिशुनागवंशीय राजा श्रेणिक बिम्बिसार (छठी-पाँचवी शती ई.पू.) और उसकी पत्नी प्रसेनजित की पुत्री चेलना परम्परा से महावीर के भक्त थे। राजगृह उनके मगधा की राजधानी थी। शिशुनागवंश का उत्तराधिकारी नन्दराजा हुआ और नन्दराजा का मंत्री शकटाल जैनचार्य स्थूलभद्र का पिता था। अतः मगध और कलिंग को जैन केन्द्र के रूप में स्वीकार किया गया है। कलिंग खाखेल के इस शिलालेखीय प्रमाण को यदि हम स्वीकार कर लें तो फिर हमें यह कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा कि मूर्तिकला के क्षेत्र में जैन धर्म का प्राचीनतम प्रमाण कह सकते हैं। इस समय की मूर्ति की क्या विशेषतायें थी इसकी सही जानकारी अवश्य नहीं मिलती पर प्रिंस ऑफ बेल्स संग्रहालय बम्बई में सुरक्षित पार्श्वनाथ की कायोत्सर्ग मूर्ति को ऐसी मूर्ति की अनुकृति के रूप में देखा जा सकता है।

जैन धर्म से प्रभावित मूर्तिकला के विकास के विषय में जानने से पहले हम गुहा और बिहार के विषय में भी समझ लें। बिहार पर्वतों को काटकर बनाये जाते थे। पर्वत की तलहटी में सर्वप्रथम बरामदा तैयार किया जाता था। उसमें एक प्रवेश द्वार होता था, जिससे आँगन में जाया जाता था। आँगन के चारों ओर बरामदे और कमरे रहते थे। इस प्रकार पर्वतों पर खोदी गई

गुफायें ही बिहार बन गई। उदयगिरि और खण्डगिरि इसके उदाहरण हैं। उत्तरकाल में गृह के आहार पर बिहारों का विकास होता रहा। उड़ीसा की ये जैन गुफायें पश्चिमी भारत के बिहारों से भिन्न हैं। यहाँ आँगन खुले हैं। इसका विकसित रूप ऐलोरा की जैन गुफाओं में देखा जा सकता है। कला की दृष्टि से ये अलंकृत हैं और देवमन्दिर का रूप लिये हुए हैं। श्रवणों का निवास यहाँ नहीं था। इन गुफाओं ने जैनतर गुफाओं के निर्माण में अपना योगदान दिया।

जैन मूर्तिकला का विकास मौर्य एवं शुंगकाल में भी हुआ। मौर्य राजाओं (ई.पू. 317 से ई.पू. 184) में जैन साहित्य के अनुसार चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक, कुणिक, सम्प्रति और दशरथ जैन धर्मानुयायी राजा थे। दुर्भिक्षकाल में भद्रबाहु कर्नाटक पहुँचे जहाँ जाकर चन्द्रगुप्त ने जिनदीक्षा ग्रहण की। आज भी उस पहाड़ी को 'चन्द्रगिरि' कहते हैं। दक्षिण में जैनधर्म का प्रचार प्रथमतः इसी समय हुआ। अशोक के पौत्र सम्प्रति को 'परम अर्हत्' कहा गया है। उसने अनेक जैन मंदिरों का निर्माण कराया और उज्जैन में जैन उत्सवों को मनाने की परम्परा प्रारम्भ की।

इन साहित्यिक प्रमाणों के अतिरिक्त पुरातात्विक प्रमाण के रूप में लोहानीपुर (पटना) से प्राप्त मस्तकविहीन कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न मूर्ति को मौर्ययुगीन माना जा सकता है। इस पर चमकदार आलेख है जो उसे लगभग तृतीय शती ई.पू. की सिद्ध करता है। वर्तमान में यह पटना के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस काल में तीर्थंकर की मूर्तियों पर साधारणतः चिन्ह नहीं उकेरे जाते थे बल्कि उनकी पादपीठ में उदंकित शिलालेखों से होती थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स तथा हस्ततल या चरणतल पर धर्मचक्र अथवा उष्णीस के चिन्ह अवश्य होते थे। ऋषभदेव के सिर पर जटाजूट, सुपार्श्वनाथ के सिर पर पाँस फण तथा पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर सप्तकण भी उकेरे जाते थे। ये विशेषतायें शुंगकाल में अधिक विकसित हुईं। वासुदेव हिण्डी तथा आवश्यकचूर्णि में महावीर के जीवनकाल में निर्मित 'जीवन्त स्वामी' की चन्दन काष्ठ प्रतिमा का उल्लेख अवश्य आता है, पर अभी तक यह उपलब्ध नहीं हुई। अकोटा (बड़ौदा) से अवश्य गुप्तकालीन दो कांस्य मूर्तियाँ मिली हैं।

मूर्तिकला के साथ गुफाओं और वास्तुकला का भी संबंध जुड़ा है। अशोक द्वारा आजीविका सम्प्रदाय को भेंट किये गये प्राचीनतम तीन गुफा समूह गया, बराबर, और नागार्जुनी पहाड़ियों के पास प्राप्त हुए हैं जिसकी पुरालिपि उसे ई.पू. तृतीय शती की सिद्ध करती हैं। आजीविक सम्प्रदाय का संबंध दिगम्बर जैन सम्प्रदाय से अधिक रहा है। वास्तविक रूप में प्राचीनतम गुफाओं के रूप में हम उदयगिरि और खण्डगिरि गुफाओं का उल्लेख कर सकते हैं। कलिंग ने अपने राज्य के तेरहवें वर्ष में इन पहाड़ियों पर जैन गुफायें, स्तूप, बिहार और मंदिरों का निर्माण कराया। हाथी गुफा शिलालेख में यह सब विस्तार से वर्णित है।

जूनागढ़ (गिरनार) में लगभग बीस शैलोत्कीर्ण गुफाएँ हैं जो बाबा प्यारा मठ की गुफाएँ कहलाती हैं ये तीन पंक्तियों में बनी हैं। इनमें मंगल कलश, स्वास्तिक, श्रीवत्स, भद्रासन, मनीयुगल आदि चिन्ह मिलते हैं। इसका काल लगभग ई.पू. द्वितीय शती है। यह धरसेनाचार्य की चन्द्रगुफा हो सकता है। क्षत्रपकालीन ये गुफायें कुछ ऐसी ही विशेषतायें लिए हुए हैं। कालकाचार्य का संबंध भी गुजरात से इसी काल में रहा है।

राजगृह के समीप सोन भण्डार नाम का एक जैन गुफा समूह है जो प्रथम द्वितीय शती का है इसका विशेष संबंध दिगम्बर सम्प्रदाय से है। इसके

कक्ष विशाल आयताकार हैं और द्वार स्तम्भ ढलुवाँ हैं। यहाँ प्राप्त लेख के अनुसार ये गुफायें वैरद्वमुनि ने जैन साधुओं के आवास की दृष्टि से बनवाई। इसमें तीर्थकर मूर्तियाँ भी स्थापित की गई। विदिशा की उदयगिरि जैन गुफायें भी उल्लेखनीय हैं जिनका समय ई.पू. माना जाता है। इसी काल में दक्षिणापथ में भी तमिलनाडु के प्राकृतिक जैन गुफाओं की संख्या अधिक है। यहाँ तमिल भाषा के प्राचीनतम अभिलेख तथा प्रस्तर-स्मारक मिले हैं। गुफाओं के भीतर शिलाओं को काटकर शय्यायें बनायी गई और तकिये भी उठा दिये। ये ई.पू. द्वितीय शताब्दी की गुफायें हैं। मद्रुरै, रामनाथनुरम, तिरुचच्छाखपल्लित, कोयम्बतूर, अर्काट आदि जिलों में गुफाओं की संख्या बहुत अधिक है। सित्तत्रवासल नामक स्थान पर प्राप्त गुफा भी उल्लेखनीय है। आन्ध्रप्रदेश के चित्तूर जिले में कन्नकपुर और नगरी नामक स्थान हैं जहाँ पंच पाण्डव सहित कुछ जैन गुफायें हैं।

जैन कला की यथार्थ अभिव्यक्ति लगभग दूसरी शती ई.पू. में मथुरा में हुई। यहाँ के कंकाली टीले से जैन मूर्तियाँ, आयागपट्ट स्तम्भ, तोरणखण्ड, वेदिका स्तम्भ, छत्र आदि उत्खनित हुए हैं। ईंटों से से बना एक स्तूप भी मिला है जिसे देवनिर्मित की संज्ञा दी गई है। विविधा तीर्थकल्प में इसका उल्लेख मिलता है। इस साहित्यिक परम्परा की पुष्टि कुषाणकालीन उस तीर्थकर मूर्ति से होती है जिसके पादपीठ पर 167 ई. के लेख में लिखा है कि यह मूर्ति देव निर्मित स्तूप में स्थापित की गई (राज्य संग्रहालय, लखनऊ, जे 20)। यह स्तूप वस्तुतः देवों तीर्थकरों को प्रतिष्ठित करने के लिए बनाया गया होगा, इससे जैन मूर्तिकला के द्वितीय विकासक्रम की रूपरेखा को समझा जा सकता है।

मथुरा की मूर्तियाँ चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुई हैं। ये मूर्तियाँ दिगम्बर हैं और विशेषतः आयागपट्टों पर उत्कीर्ण हैं। चिन्हों का प्रयोग इस समय तक नहीं हुआ था। यहाँ पर चौमुखी मूर्तियाँ मिली हैं। इन कुषाणयुगीन मूर्तियों के शिलालेखों में कनष्ठि, हुविष्क तथा वासुदेव के नाम भी मिलते हैं। इन मूर्तियों पर बोधि-वृक्ष भी उत्कीर्ण हुए हैं। यहाँ एक ऐसी भी मूर्ति है जिसका सिर नहीं, उसके बायें हाथ में पुस्तक है। इसे सरस्वती की प्राचीनतम मूर्ति कहा गया है। ये मूर्तियाँ ई.पू. प्रथम-द्वितीय शती की हैं। इस काल की मूर्तियों में कला-कौशल अधिक नहीं है। इस समय की मूर्तियों के चेहरे पर शांति तथा आध्यात्मिकता के चिन्ह स्पष्टतः दिखाई देते हैं। इस समय कदाचित् दिगम्बर-श्वेताम्बर मतभेद नहीं हुआ था। सारी मूर्तियाँ दिगम्बर ही हैं। मथुरा एक व्यापारिक केन्द्र था और शायद मूर्ति-निर्माण की स्थली भी। यह केन्द्र अनेक राजमार्गों से जुड़ा था, यह वैदिक तथा बौद्ध संस्कृतियों का भी एक महत्वपूर्ण नगर था। कुषाण शासकों के पतन हो जाने के बाद मूर्ति निर्माण कला पर आघात आया। वहाँ नागवंश का उदय हुआ जो जैन परम्परा से पोषित था।

मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त अवशेष दूसरी शती ई.पू. से लेकर कुषाण काल के अंत तक के मिलते हैं जो जैन कला के विकास की सूचना देते हैं। इस काल में जैनों में स्तूप, चौत्यवृक्ष, धर्मचक्र, अष्टमंगलव्य पूजा, दिगम्बर मूर्ति, सर्वतोभद्रप्रतिमा (चतुर्मुखी), हरिनेगमेषी आदि का प्रचलन हो गया था। इस समय तक विवा पूर्व मध्यकालीन तीर्थकर प्रतिमाओं में प्रदर्शित, चौत्यवृक्ष, विद्याधर गन्धार्व ही अंकित पाये जाते थे। कुषाणकालीन प्रतिमाओं में बहुधा ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियाँ मिलती हैं। कुषाणकाल के अंत तक चौबीस तीर्थकरों की अवधारणा आ चुकी थी।

गान्धारकला और मथुरा कला इसी समय की देन है जिनका उपयोग जैन मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत अधिक किया गया। कुषाणों के बाद लगभग चतुर्थ शती तक के उत्तरी भारत में यौधेय, भद्र, भालव, नाग, वाफाटक आदि जातियों के गणराज्य अस्तित्व में आये। जैन संस्कृति उनमें भी अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाती रही। उज्जैन, मथुरा, अहिच्छत्र आदि नगरियाँ जैन धर्म के प्रभाव में थी जहाँ जैन मूर्तिकला विकसित होती रही।

गुप्तवंश प्रायः वैदिक संस्कृति का अनुयायी रहा है, परन्तु यह अन्य धर्मावलम्बियों के सांस्कृतिक और साहित्यिक केन्द्रों को विकसित करने में कभी पीछे नहीं रहा। हरिगुप्त, सिद्ध सेन, हरिषेण, रविकीर्ति, पूज्यपाद, पात्रकेशरी, अथेतनसूरि आदि जैनाचार्य इसी समय हुए हैं। मथुरा, हस्तिनापुर, भिन्नमाल, वाराणसी, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र आदि नगर जैन धर्म के केन्द्र के रूप में विकसित हुए। सप्तम शताब्दी में जिनभद्र क्षमाश्रमण एक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं जिनका संबंध शीलादिव्य से रहा है। जूनागढ़ के समीप बाबा प्यारामठ में कुछ जैन प्रतीक भी मिले हैं। गुप्तकाल में चतुर्थ शती से ही मूर्ति निर्माण अधिक हुआ है। इस काल के प्रारम्भ में मथुरा में जैन धर्म उतना लोकप्रिय नहीं रहा जितना कुषाण काल में था। पर कला लालितवश्य बढ़ा है। आसन में अलंकारिता और साज-सज्जा, धर्मचक्र के आधार में अल्पता, परमेष्ठियों का चित्रण, गंधर्व युगल व अंकन, नवग्रह तथा भू-मण्डल का प्रतिरूपण इस काल की मूर्तियों की विशेषता है। प्रतिमाओं की हथेली पर चक्र-चिन्ह तथा पैरों के तलुओं में चक्र और त्रिरत्न उकेरा जाता था। मथुरा संग्रहालय में गुप्त युग की मूर्तियों का अच्छा संकलन है। बेसनगर, बूढ़ी चन्देरी तथा देवगढ़ में भी गुप्तयुगीन मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। राजगिरि, कुमराहर, वैशाली, चौसा, पहाड़पुर आदि से पता चलता है, कि कलाकारों में सौन्दर्य बोध बढ़ चुका था। विदिशा के समीप दुर्जनपुर में उपलब्ध जैन मूर्तियों पर रामगुप्त का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। विदिशा के ही समीप उदयगिरि और वेसनमूर से भी जैन मूर्तियों मिलती हैं। पन्ना जिले के नचना ग्राम के समीपवर्ती सीरा नामक पहाड़ी से भी मनोहारी तीर्थकर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जिनके इन्द्र और विद्याधर युगल गुप्तकाल की उत्तम प्रतिनिधि है। अकोरा समूह से उपलब्ध कुछ कांस्य मूर्तियाँ हैं, जिनमें एक जीवन्त स्वामी की भी मूर्ति है वह कायोत्सर्ग मुद्रा में है और मुकुट, कुण्डल, भुजबन्ध, कंगन तथा धोती पहने हुए है।

गुप्तोत्तर काल (8 से 10वीं शती तक) इस काल में भी मथुरा नगरी कला केन्द्र बनी रही पर उसके कालकेन्द्र नष्ट-भ्रष्ट कर दिये गये। मथुरा के समीप कामन की चौंसठ खम्भा नामक प्राचीन मस्जिद भी ऐसी ही है जिसमें दसवीं-ग्यारहवीं शती की जैन मूर्तियाँ उपलब्ध है। वयाना की उरवा मस्जिद भी ऐसी है जो जैन मंदिर को नष्ट कर बनायी गयी है।

पश्चिमी भारत में 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मूर्ति कला में कुछ विकास हुआ। ओसिया के महावीर मंदिर की पाषाण प्रतिमायें सामान्यतः आकोट में उपलब्ध प्रतिमाओं के समान हैं पर उनमें कुछ विकसित शैली की दिखायी देती हैं।

दक्षिण पथ में 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मूर्तियों की कलात्मक शैली में अधिक विकास हुआ। बादामी पहाड़ी, मंगुटी पहाड़ी (ऐहोल), ऐल्लोरा, श्रवणबेलगोल आदि स्थानों पर उपलब्ध आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ आदि की मूर्तियाँ विशेष आकर्षक हैं और यहाँ मूर्तिकला के विकास में नये चरण संस्थापित होते दिखाई देते हैं। तिरुवकोल, तिरुमले, बलिमलै, चिट्टामूर, उत्तमवलैयम, कुलगुमलै, चितराल, पालछाट, गोमदगिरि आदि ऐसे ही

कलात्मक स्थान हैं इनमें श्रवणबेलगोल की बाहुबली की मूर्ति विशेष दृष्टजय है। इसे 140 मीटर ऊँची चोटी वाली ग्रेनाइट की चट्टान को काटकर बनाया गया है। 57 फीट ऊँची इस गोमटेश्वर की मूर्ति को गंगवंशीय राचमल्ल (974-984) ई. के मंत्री चामुण्डराय ने 983 ई. में बनवाया। इस समय की मूर्ति शैलियों में पाण्डव, पल्लव और गंग शैलियों का उपयोग किया गया है। केरल में जैन धर्म नवीं शती में चेरवंश काल में पहुँचा। तलवकु (कन्नूर), चित्ताल आदि स्थानों पर जैन मूर्तियाँ बड़े पैमाने में उपलब्ध होती हैं। छठी शती से ग्यारहवीं शती के बीच दक्षिणापथ में स्थापत्य कला का पर्याप्त विकास हुआ है। वातापी, पल्लव, पाण्ड्या, चालुक्य, राष्ट्रकूट व गंग आदि राज्यों में जैन धर्म को काफी आश्रय दिया। इनके राज्य काल में गुफायें, गुफा मंदिरों के रूप में परिणत हुईं। ऐहोल के समीप में गुटी पहाड़ी में वर्गाकार मण्डप की पार्श्व भित्तियों पर जैन मूर्तियाँ उद्भूत हैं। राष्ट्रकूट कालीन ऐलोरा की भी शैलोत्कीर्ण गुफाओं में जैन मूर्तियाँ अलंकृत शैली में निर्मित हैं।

पूर्वी भारत के बारे में कहा जाता है, कि बंगाल मूलतः अनार्य देश था जिसे जैनों ने आर्य बनाया। महावीर ने भी यहाँ वर्षावास किया। यहाँ पाल शैली का विकास हुआ जिसे गुप्तकाल के आधार पर विकसित किया गया। देवी-देवताओं की मूर्तियाँ अधिक मिलने लगीं। बलुए पत्थर का उपयोग अधिक हुआ है। एलोरा, सिंहभूमि, मानभूमि, मदनपुर, बांकुर आदि स्थानों पर प्राप्त ऋषभदेव आदि तीर्थंकरों की मूर्तियों में इस शैली का प्रयोग हुआ है। उड़ीसा में वानपुर, सुरोहाट, पोंडासिंगिडी, चरपा, खण्डगिरि आदि जैन कला के केन्द्र रहे जहाँ विशाल जैन मूर्तियाँ मिलती हैं। उन पर गुप्तकालीन मूर्तिकला का प्रभाव दिखाई देता है। बिहार में राजगिरि की वैभार पहाड़ी और उदयगिरि पहाड़ी में सुरक्षित कुछ जैन मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं जिसमें से कुछ के पादपीठ पर कमल का अंकन है।

11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच पश्चिम भारत में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हुआ है। चालुक्यों ने उसे संरक्षण दिया। लगभग 7वीं शताब्दी में तीर्थंकर प्रतिमा के पादपीठ पर या उसके समीप कुबेर और अंबिका रूप में यक्ष-यक्षिणी का अंकन होता था पर दसवीं शताब्दी में हर तीर्थंकर के शासन देवी-देवता निश्चित किये जा चुके। दिक्पाल की भी आकृतियाँ उकेरी जाने लगीं।

सप्तमातृकाओं का भी अंकन होने लगा। विधादेवियाँ और देवकुलिकायें भी माउण्ट आबू के विमलबसही आदि मंदिरों में अंकित मिलती हैं। इतना ही नहीं, भित्तियों पर तीर्थंकर की जीवन से सम्बद्ध घटनाओं को भी उकेरा जाने लगा। इस समय संगमरमर का प्रयोग अधिक किया गया। इस काल में काँस्य मूर्तियाँ मिलने लगती हैं। पश्चिम भारत में चौदहवीं शताब्दी से मुस्लिम आक्रमण अधिक हुये और परिणामस्वरूप कला का विकास अधिक नहीं हो पाया फिर भी मेवाड़ के राणा शासकों ने जैन मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण सहृदयतापूर्वक किया। इस समय की नागर शैली को पश्चिमी भारतीय रूप में रूपान्तरित करने का प्रयत्न किया गया। चित्तौड़, रणकपुर, पालीताना आदि स्थानों में उपलब्ध मूर्तियाँ इसके उदाहरण हैं।

मध्य भारत में गुप्तोत्तरकालीन मूर्तियों में कुण्डलपुर (दमोह) की पार्श्वनाथ प्रतिमा, पिथोरा (सतना) की पतिायाना देवी के मंदिर की जैन मूर्तियाँ, तेवर (त्रिपुरी) की धर्मनाथ की मूर्ति, ग्वालियर किले की अम्बिका तथा आदिनाथ की मूर्तियाँ, ग्यारसपुर (विदिशा) की यक्ष-यक्षियों तथा तीर्थंकर की मूर्तियाँ और देवगढ़ की शांतिनाथ की मूर्तियाँ विशेष दृष्टजय हैं। पश्चिमी भारत में बलभी नगरी इस काल में भी जैन कला केन्द्र के रूप में

प्रतिष्ठित रहीं। यहाँ की मूर्तियाँ आकोटा की मूर्तियों से मिलती-जुलती हैं। बड़वानी (बावनगजा) की 13-14वीं शती की 84 फीट की खड्गासन प्रतिमा भी उल्लेखनीय है। यहाँ खजुराहों की चन्देलकालीन कला प्रसिद्ध है। यहाँ की कुछ जैन मूर्तियाँ हैं जो उकेरकर बनायी गई हैं।

मध्य भारत में इस काल में मूर्तियाँ परम्परा के अनुसार वृहत् परिणाम में बनीं। सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्रों को संवारा गया। सोनागिरि, द्रोणागिरि, रेशन्दीगिरि, ग्वालियर, अहार, पपोरा, देवगढ़, बरहटा आदि स्थानों पर मंदिरों का निर्माण इसी अवधि में हुआ। इनमें नागर अथवा शिखर शैली का प्रयोग हुआ है। इसी काल में मूर्तियों का आकार विशाल बना। इनके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया। चंदेरी, उज्जैन, भानुपुरा (मन्दसौर), धार, बड़वानी, झाबुआ, धूबोन, कुण्डलपुर, बीना-बारहा, टीकमगढ़, अजयगढ़ आदि उल्लेखनीय स्थान हैं।

दक्षिण भारत में चालुक्यकालीन मूर्तिकला में अम्बिका और कुबेर का अंकन तीर्थंकर के परिकर रूप में अधिक लोकप्रिय हुआ। इस काल की अम्बिका की प्रतिमाओं को चतुर्भुजी बना दिया गया। चौखटों, भ्रमतियों और कोष्ठों का अलंकरण इन्हीं प्रतिमाओं से होने लगा। इन सभी आकारों में अंकन सूक्ष्म और मनोहारी है।

उत्तरकालीन चालुक्य, विजयनगर, होयसल और यादव राजवंश में जैन धर्म को अधिक आश्रय नहीं मिल सका। फिर भी जैन कला विकास अवरूद्ध नहीं हुआ। यहाँ ग्रंथालयों की भित्तियों पर लोक कला का शिल्पांकन हुआ जिनमें चेहरों पर रूक्षता तथा सिर पर आकुञ्चित केश और आँख की उभरी हुई पुतलियाँ अंकित हैं। इस समय की मूर्तियाँ विशाल और पॉलिश युक्त हैं। होयसलों और पश्चिमी चालुक्यों की मूर्तिशैली में शरीर को संपुष्ट और माँसल दिखाया गया है।

तमिलनाडु की मूर्तिकला में ग्रेनाइट पाषाण का प्रयोग अधिक हुआ है। यहाँ की शैलीगत विशेषतायें देखी जा सकती हैं- त्रिछत्र और लताओं का संयोजन मस्तक और शरीर की चतुष्कोणीय आकृति मकरतोरण या चमरधारियों के अंकन में कमी तथा हाथ-पैर निर्बल और मस्तक छोटा। शक्करमल्लूर, हम्पी आदि स्थानों पर यह कला देखी जा सकती है, परन्तु दक्षिण विजयनगर और नायक वंशों के राज्यकाल में मूर्तिकला अपेक्षाकृत अधिका अलंकृत और समन्वित रही है।

निष्कर्ष- अंत में निष्कर्ष रूप में कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि हम भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में यह सुनिश्चित रूप से कह सकते हैं कि जैन धर्म से प्रभावित मूर्तिकला में सतत् रूप से जैन धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मूर्तिकला का जो सौष्ठव और आध्यात्मिकनिष्ठ रूप यहाँ दिखाई देता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं है। अहिंसा और सदाचरण की पृष्ठभूमि में जैन मूर्तिकला का योगदान सदा ही स्मरणीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. घोष अमलानंद, जैन कला एवं स्थापत्य (तीन खण्डों में), भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली, 1975
2. तिवारी, मारुति नंदन, प्रसाद, जैन प्रतिमा विज्ञान, वाराणसी, 1981
3. मुनि कांति सागर, खण्डहरों का वैभव, काशी, 1965
4. जैन बालचन्द्र, उत्कीर्ण, 1961, लेख रायपुर एवं महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के पुरातत्व उपविभाग में संरक्षित प्रतिमाओं का सूची-पत्र।

5. झा विवेक दत्त, बस्तर का मूर्तिशिल्प, भोपाल, 1989
6. पाठक नरेश कुमार, मध्यप्रदेश का जैन शिल्प, इन्दौर, 2001
7. निगम एल.एस. दक्षिण डोसल का ऐतिहासिक भूगोल,
8. गुप्त परमेश्वरी लाल, गुप्त साम्राज्य, वाराणसी, 1963,
9. शर्मा सीताराम, भोरमदेव क्षेत्र, पश्चिम-दक्षिण कौशल की कला, अजमेर, 1990
10. डॉ. भागचन्द्र जैन भास्कर- जैन पुरातत्व और मूर्तिकला, सदर नागपुर, महाराष्ट्र
11. श्री सरसी कुमार सरस्ती- जैन कला एवं स्थापत्य (अध्याय 21, खण्ड 2)
12. जोशी, मुनीशचन्द्र- जैन कला एवं स्थापत्य (अध्याय 20, खण्ड 2)
13. नहाटा, भंवरलाल : जैन लेखन कला राजस्थान का जैन साहित्य
14. कासलीवाल कस्तूरचन्द्र : जैन भण्डार्य इन राजस्थान
15. सोनागिरि दिग्दर्शन
16. रमानाथ मिश्र कलचुरि स्वल्पचर्च ऑफ डाहल एण्ड दक्षिण कोसल, दिल्ली, 1987

वैदिक कालीन कृषि : भू-ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. अजय तिवारी *

* भूगोल विभाग, शा. एम. के. बी. कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना—कृषि एवं पशुपालन निःसंदेह मनुष्य के प्राचीनतम जीविकोपार्जन के साधन हैं। वैदिक काल के संदर्भ में यदि देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल अर्थात् ऋग्वैदिक काल में पशुपालन आजीविका का प्रधान साधन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में उसका स्थान कृषि ने ले लिया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि— प्रायः यह माना जाता है कि कृषि का जन्म पश्चिम एशिया में 7500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। पुरातात्विक आधार पर किए गए मानव सभ्यता के काल विभाजन के अनुसार यह नवपाषाण काल (Neolithic Age) का प्रारम्भिक बिन्दु था। विद्वानों के अनुसार यह पश्चिम एशिया का वह पहाड़ी क्षेत्र था, जिसके अन्तर्गत आधुनिक इजरायल, जोर्डन, अनतोलिया, इराक, कैस्पियन सागर का बेसिन एवं ईरान के पठार का क्षेत्र सम्मिलित था।¹ यदि आर्य सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में इस काल की पहचान की जाए तो यह इण्डो-यूरोपीय सभ्यता के प्रारम्भ होने का काल था, क्योंकि इण्डो-यूरोपीय सभ्यता सम्भवतः मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के संधिकाल में विकसित हुई,² और नवपाषाण कालीन संस्कृति के जन्मदाता हिन्द-यूरोपीय थे।³ इस क्षेत्र को न केवल कृषि अपितु पशुपालन के सम्बन्ध में भी विश्व का आदि क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहाँ से दो मुख्य जिन्सों गेहूँ और जौ एवं पालतू पशुओं— बकरी, भैंस, सूअर एवं गोवंश की प्रारम्भिक जंगली प्रजातियाँ पाई जाती हैं।⁴ वस्तुतः इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी के अतिरिक्त सम्मिलित कृषि जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों आते हैं, के लिए आवश्यक सभी उपादान उपलब्ध थे।⁵ नवपाषाण काल में कृषि के इस उन्नयन को विद्वानों ने नवपाषाणकालीन अथवा द्वितीय उत्पाद क्रान्ति का नाम दिया है।⁶

भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का विकास बलूचिस्तान में स्वात नदी की घाटी के क्षेत्र में ईसा पूर्व 6500 के आस-पास हुआ।⁷ कालिन रेनफू नामक ब्रिटिश विद्वान के अनुसार कृषि भारत में अनातोलिया से आई, जो इण्डो-यूरोपीय लोगों का मूल निवास स्थान था। उसके अभियान में कृषि के विस्तार के साथ ही इण्डो-यूरोपीय लोग यूरोप और मध्य एशिया में फैलते गए और उनके प्रसार की गति एक किलोमीटर प्रतिवर्ष थी।⁸ यद्यपि कतिपय विद्वानों ने इस मत से अपनी असहमति व्यक्त की है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भारोपीय संस्कृति का उद्भव दक्षिण-पूर्वी यूरोप में हुआ जहाँ खुदाई में घोड़े की हड्डियाँ अनातोलिया से पहले से ही मिलनी प्रारम्भ हो जाती हैं।⁹

इण्डो-यूरोपीय संस्कृति का उद्गम स्थान विभिन्न तर्कों के आधार पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर खोजना कुछ उसी प्रकार है जैसा आर्यों का मूल

अभिजन खोजना, जिसके सम्बन्ध में विद्वानों ने अपने-अपने सूत्र और मानदण्डों के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत से लेकर मिस्र तक और पूर्वी यूरोप से लेकर दक्षिण रूस के मध्य तक के विस्तृत क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले अन्याय भूभागों में खोजने का प्रयास किया है।¹⁰ उन्होंने भी एक घुमक्कड़ के रूप में इसी विस्तृत क्षेत्र में आर्यों के पहुँचने की कल्पना की है। किन्तु इस सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों का वह मत अंगीकार करना अधिक उपयुक्त प्रतीत है, जिसके अनुसार आर्य प्रारम्भ में उन विभिन्न भूभागों से निर्मित विस्तृत क्षेत्र में आबाद थे जहाँ-जहाँ विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने अपने-अपने तर्कों द्वारा आर्यों का मूल निवास निर्धारित किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्यों के अभिजन के रूप में चिन्हित विभिन्न भूभागों में पारस्परिक सुसम्बद्धता है, जिसको मिला देने से एक विस्तृत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। यही वह क्षेत्र था जहाँ वैदिक आर्यों के पूर्वज अर्थात् मूल आर्य लोग निवास करते थे। साथ ही, यही वह क्षेत्र है जहाँ इण्डो-यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएँ प्रचलित हैं अर्थात् यह वह क्षेत्र है जहाँ के लोगों को इण्डो-यूरोपीय कहा जा सकता है। इस प्रकार आदि आर्य एवं इण्डो-यूरोपीय से एक ही जाति अथवा जन का बोध होता है। इनके सम्बन्ध में यह मान्यता है कि सारी परेशानियों के बावजूद इन्होंने अपनी भाषा बोली में अपनी मूल भाषा के कतिपय शब्दों को सहेज कर रखा, जिसके आधार पर ही भाषा वैज्ञानिकों ने उस मूल भाषा, जिसे इण्डो-यूरोपीय नाम दिया गया और उसके बोलने वाली मूल प्रजाति की कल्पना की।¹¹

इस सम्बन्ध में यहाँ यह भी कल्पना करना निराधार नहीं कि यदि प्राकृतिक त्रासदी से जूझते समय लोगों ने मूलभाषा के शब्दों को सुरक्षित रखा तो उन्होंने निश्चित रूप से पुराने जीवन यापन के साधनों को भी विस्मृत नहीं कर दिया होगा। चूँकि कृषि और पशुपालन आर्यों की जीविकोपार्जन का साधन ईसा पूर्व 7500 तक बन चुका था, जैसा कि अनातोलिया आदि से मिले पुरातात्विक अवशेषों से प्रमाणित होता है, तो हमारे पास यह मानने का पर्याप्त आधार है कि उस समय कृषि पश्चिमोत्तर भारत सहित पूरे आर्य प्रभाव क्षेत्र में प्रचलित हो चुकी थी। अतः उसके बलूचिस्तान में अनातोलिया से 1000 वर्ष बाद ईसा पूर्व 6500 में एक किलोमीटर अथवा ऐसी किसी गति से चलकर पहुँचने का सिद्धांत कोरी कल्पना मात्र प्रतीत होता है। वास्तव में वस्तु स्थिति यह है कि आर्य नवपाषाण काल अर्थात् जब से सभ्यता का वास्तविक दौर प्रारम्भ हुआ, तभी से जीवनयापन के लिए कृषि और पशुपालन पर अवलम्बित थे। यदि ऐसा न होता तो इण्डो-यूरोपीय अथवा आर्य सभ्यता के अवशेष नदियों एवं समुद्र

की घाटी में ही क्यों मिलते।

अतः यह अनुमान पूर्णतया उचित प्रतीत होता है कि हिमालय की तराई का क्षेत्र, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग सम्मिलित था, प्राचीन आर्य सभ्यता का प्रमुख केन्द्र बिन्दु था और यहाँ प्रारम्भ से कृषि और पशुपालन लोगों की जीविका के प्रमुख साधन के रूप में प्रचलित हो चुके थे। उस समय की प्राकृतिक दशाएँ भी आज जैसी नहीं थीं जैसा कि बलूचिस्तान, जहाँ से हड़प्पा के कृषि का ज्ञान होता है, के सम्बन्ध में कहा गया है कि वहाँ की वनस्पतिविहीन पर्वतों से घिरी शुष्क जमीन कोई 5000 वर्ष पूर्व हरी-भरी और उपजाऊ थी।¹² उस समय वहाँ कृषि काफी उन्नत दशा में थी। सिंचाई की व्यवस्था के लिए पत्थरों से बाँध बनाए जाते थे, जिसके कई नमूने इस क्षेत्र से उपलब्ध हुए हैं।¹³ बलूचिस्तान के अतिरिक्त हड़प्पा-पूर्व की आर्य संस्कृति के अवशेष राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला स्थित कालीबंगा से भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से उस काल का जुते हुए खेत का नमूना एवं प्रस्तर निर्मित होंगे के टुकड़े मिले हैं,¹⁴ जिनका प्रयोग जमीन को समतल करने के लिए किया जाता रहा होगा। इससे स्पष्ट होता है कि खेती में विविध उपकरणों का प्रयोग किया जाता था जो इस बात को स्वतः प्रमाणित कर देता है कि उस काल में भारत में कृषि प्रारम्भिक अवस्था को कहीं पीछे छोड़ चुकी थी। इस काल में पशुपालन भी आजीविका के रूप में प्रचलित था और बकरी, भेड़, गाय आदि पशुओं का पालन विशेष रूप से किया जाता था।

सैंधव सभ्यता जिसे हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है के भी जन्मदाता आर्य लोग थे। इस प्रसंग पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है और उचित तर्कों के आधार पर सिंधुघाटी की सभ्यता को आर्यों की प्रलय- पूर्व की सभ्यता के रूप में स्वीकार किया गया है।¹⁵ यह सभ्यता प्राचीन आर्य अथवा इण्डो यरोपीय संस्कृति के चरमोत्कर्ष को प्रदर्शित करती है जिसे मिश्र और मेसोपोटामिया की भाँति आर्य सभ्यता के नगरीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त है। यद्यपि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, किन्तु फिर भी इसके सम्बन्ध में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं कि उस समय कृषि भी उन्नत दशा में थी और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थीं, जिसमें गेहूँ, जौ, मटर, तिलहन आदि परम्परागत फसलों के अलावा कपास जैसी नगदी फसल भी सम्मिलित थी, जिसका सम्भवतः खाड़ी के क्षेत्रों में निर्यात भी किया जाता था।¹⁶

अतः स्पष्ट है कि आर्य सभ्यता ने वैदिक काल के पहले ही अपने विकास के विविध सोपानों से गुजरते हुए अनेक क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति कर ली थी।

वैदिक काल में कृषि का विकास- परम्परा से ही आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कृषि और पशुपालन रहा है। वस्तुतः ये दोनों सदा से ही एक-दूसरे के पूरक और काफी हद तक एक-दूसरे पर आधारित भी रहे हैं। प्राकृतिक त्रासदी के बाद जीवन कुछ स्थायित्व आ जाने पर आर्यों ने कृषि, पशुपालन तथा विविध प्रकार के शिल्पों द्वारा अपनी भोजन और अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली। खेती का उनकी दृष्टि में बहुत महत्त्व था। ऋग्वेद में कृषि शब्द का प्रयोग हलबाही (जुताई) के सम्बन्ध में किया गया है, और कृष्टि का हलबाह (कृषक) के लिए।¹⁸ ऋग्वेद के एक मंत्र में द्यूत कर्म की निन्दा करते हुए कहा गया है कि पासों का खेल खेलने की बजाए खेती करके उससे प्राप्त धन द्वारा जीवनयापन सम्मानजनक है।¹⁹ इस कथन से उस काल में कृषि की

लोकप्रियता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कृषि को जीवन का आधार माना जाता था, जिसके कारण ही वैदिक आर्य पृथ्वी को माता कहते थे, जैसा कि अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में कहा गया है - पृथिवी मेरी माता हैं, मैं पृथिवी का पुत्र हूँ।²⁰

प्रमुख फसलें - वेद मंत्रों में उस काल में पैदा किए जाने वाले विधि अन्नों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में फसलों में केवल धान्य और यव का उल्लेख किया गया है।²¹ धान्य के लिए ऋग्वेद में कई स्थलों (I.16.2, III.52.5, 53.3 IV.28.4) पर धाना शब्द का भी प्रयोग किया गया

धान्य की पहचान अनिश्चित है। कतिपय विद्वान इस धान (चावल) के लिए प्रयुक्त मानते हैं,²² तो अन्य कई विद्वान इसके विरुद्ध विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि चावल का उगाया जाना बाद में प्रारम्भ हुआ।²³ सम्भवतः इन मुख्य अन्नों के साथ अन्य अन्नों का भी उत्पादन किया जाता होगा अतएव यह धारणा ठीक नहीं कि ऋग्वेद के समय में आर्यों को अन्य अन्नों का ज्ञान ही नहीं था। ऋग्वेद में वर्णित विविध कृषि सम्बन्धी क्रियाओं का जो ब्यौरा मिलता है उससे स्पष्ट होता है कि उस समय कृषि पर्याप्त विकसित दशा में थी। अतः यह कल्पना असंगत नहीं कि ऋग्वेद काल में आर्यों को अनेक अन्य अन्नों का भी ज्ञान होगा और उनकी भी खेती किया करते होंगे।²⁴ वनस्पतियों में सोम का महत्त्व अधिक था, जिसके संदर्भों से ऋग्वेद भरा पड़ा है।²⁵ सोमरस का पान मनुष्यों को तो क्या देवताओं तक को प्रिय था। इसे भी शायद उगाने का प्रयास किया गया हो और उसमें सफल न होने पर उसके विकल्प की खोज का प्रयास किया गया,²⁶ क्योंकि सोम एक पहाड़ी वनस्पति थी, जिसका मैदानों में उगना संभव नहीं था।

यजुर्वेद में भी उस काल में उगाए जाने वाले विविध अन्नों के नाम दिये गये हैं, जिनमें ब्रीहि (धान), यव (जौ), माष (उड़द), तिल, मुद्ग (मूँग), प्रियंगु, अणु, श्यामक (सांवा) नीवार, गोधूम (गेहूँ), मसूर आदि सम्मिलित हैं।²⁷ अथर्ववेद में ब्रीहि, माष, यव और तिल का उल्लेख किया गया है।²⁸ अन्नों व दालों के अतिरिक्त अथर्ववेद के अनुसार इक्षु (ईख) की भी फसल ली जाती थी।²⁹ इसी प्रकार ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रंथों में भी अनेक अन्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के अन्तर्गत भी कृषि से प्राप्त विविध अन्नों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्रीहि (धान), यव (जौ), तिल, माष (उड़द), अणु (सांवा), प्रियंगु (कागनी) गोधूम (गेहूँ), मसूर, खल्व और खलकुल (कुल्थी) आदि।³⁰ सायण खलकुल को एक प्रकार की दाल मानते हुए उसे कुलह से समीकृत करते हैं।³¹ खल्व पत्थर से दला जाता था, जिसका अर्थ चना भी बताया गया है। इसके अतिरिक्त उस समय सरसों और तण्डुल (चावल) का भी उत्पादन होता था।³² कतिपय विद्वानों का मत है कि गेहूँ- चावल आदि कई अन्नों से आर्यों का परिचय भारत में उनके पूर्व की ओर विस्तार के बाद ही हुआ।³³ इसका अभिप्राय यह हुआ कि चावल और गेहूँ शुद्ध भारतीय अन्न हैं।

ऋग्वेद में खेत की जुताई, बुवाई, सिंचाई आदि के साथ फसल को काटने, उसे समेटकर खलिहान में ले जाने, इण्ठल से अनाज को निकालने और सुरक्षित रखने सम्बन्धी विभिन्न क्रियाओं का ब्यौरा मिलता है।³⁴ इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि वैदिक काल में खेती अत्यन्त उन्नत स्थिति में थी। वेदों में फसल बोने से लेकर अनाज निपटाने और संग्रह करने तक की अनेक गतिविधियों के बारे में दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। उस काल में जमीन की जुताई के लिए हलों का प्रयोग होता था, जिन्हें बैल खींचते थे।³⁵ हल के लिए 'लाडगल' और 'वृक' शब्दों का प्रयोग किया जाता था।³⁶

संहिताओं व ब्राह्मणों में हल के लिए 'सीर' शब्द का प्रयोग किया गया है।³⁷ हल चलाने के लिए बैलों के कंधे पर जुआ रखा जाता था।³⁸ प्रायः हल में दो बैल जोते जाते थे, पर विशेष प्रकार के भारी हलों को खींचने के लिए छः, आठ या उससे भी अधिक बैल प्रयोग में लिए जाते थे।³⁹ पैदावार बढ़ाने के लिए जमीन में खाद का भी प्रयोग किया जाता था, जो गोबर (करीष) की होती थी।⁴⁰ ऋग्वेद के अनुसार जुताई में हल के प्रयोग की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनो द्वारा दी गई थी।⁴¹ अथर्ववेद के अनुसार पृथिवीय न से सबसे पहले खेती और फसल उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया।⁴² अश्विनी से कथित रूप से शिक्षा प्राप्त कर अर्थात् देवी प्रेरणा से जब आर्यों ने खेती करना शुरू किया तो उसमें उनकी निरन्तर उन्नति होती गई। अच्छी जुताई - बुवाई व खाद देने के बाद उत्तम पैदावार के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। वैदिक ग्रंथों में गोबर के लिए यकृत (I.161.10) एवं करीष (यात्.ब्रा.11.1.1.7) शब्दों का प्रयोग हुआ है। करीष सम्भवतः सूखे गोबर को कहा जाता था। खेतों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए कुएं अथवा नदियों, नालों, स्रोतों एवं वर्षा का जल काम में लाया जाता था।⁴³ इसी के अनुसार ऋग्वेद में जल के दो प्रकार बताए गए हैं खनित्रिमा और स्वयंजा⁴⁴, जो क्रमशः कुएं के जल व नदी नालों, स्रोतों व वर्षा के जल के लिए प्रयुक्त किया गया है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में कूपों का उल्लेख मिलता है⁴⁵, जिनमें ऐसे भी कूप सम्मिलित हैं जिनका जल 'अक्षित' (कभी समाप्त न होने वाला) होता था।⁴⁶ ऋग्वेद में ऐसे संकेत भी विद्यमान हैं, ऋग्वेद में खेत की जुताई, बुवाई, सिंचाई आदि निकाला जाना सूचित होता है।⁴⁷ कुओं का जल खेतों जिनमें रस्सी और डोल से रहट द्वारा कुओं से पानी इससे सिंचाई के लिए नहरें (कुल्याएं) भी बनाई जाती थीं।⁴⁸ में पहुँचाने के लिए नदियां (सुषिरा) बनाई जाती थीं।⁴⁹ इसके बावजूद वर्षा के जल का ही उपयोग सिंचाई के लिए बहुधा किया जाता था।⁵⁰

इसके पश्चात् जब फसल पक कर तैयार हो जाती तो उसे हंसिए (दाव) से काटकर अलग-अलग उसकी मड़ाई करके दाना - भूसा अलग किया जाता⁵¹ बोझों (पर्षों) में बांधकर खलिहान पहुँचाया जाता जहाँ हंसिए को शृणी (I.58.4, X.101.3, 106.6) एवं दात्र (D.VIII.78.10) और गह्वरों (बोझों) का पर्ष कहा जाता था (D.X.78.7) कृषि की यही विधि आज भी भारत के गाँवों में प्रचलित है। ऋग्वेद के अनुसार अनाज को भूसे से अलग करने के बाद उसे 'तितउ' (छननी या सूप) से छानकर 'उर्दर' (नपाई का पात्र) से नापकर सुरक्षित 'स्थिवि' (भण्डार गृह) अथवा कठोर में रखा जाता था।⁵² कृषि सम्बन्धी इन गतिविधियों का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में भी किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कर्षण (जुताई), वपन (बुवाई), लुनन (कटाई), मृणन (मड़ाई) आदि कृषि गतिविधियों का उल्लेख मिलता है।⁵³ अनाज साफ करने वाले को धान्यकृत कहा जाता था (D.X.94.13)।

आर्यों के जीवनयापन का मुख्य आधार कृषि था। जो कृषि का अधिष्ठात्री देवता था और जिसकी कृपा से प्रार्थना की जाती थी कि खेत अच्छी पैदावार देने वाले खेत फलते-फूलते थे। इसके अनुसार क्षेत्रपति से यह (सुफल) बने। यह कि उनसे उसी प्रकार धन-धान्य का फल सुखपूर्वक खेत की जुताई (कर्षण) करें, हलवाहा प्रवाह हो जैसे गौ के थन से दूध की धार बहती (कीनाश) सुखपूर्वक हल चलाए और बादल (पर्जन्य) मधु के समान जल द्वारा सुख पहुँचाए।⁵⁴

ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में एक आर्थिक साधन के आर्य व इण्डो-ईरानी दोनों का ही प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि की प्रशंसा की गई है। कृषि

वस्तुतः इण्डो- जो उन्हें विरासत में मिला था। इण्डो-यूरोपीय काल से ही कृषि कर्म व्यापक पैमाने पर होता था। इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ऋग्वेद और जेन्द अवेस्ता में तो कृषि से सम्बन्धित समान शब्द उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए यदि ऋग्वेद में शस्य (फसल), कृषि, यव का उल्लेख मिलता है तो जेन्द अवेस्ता में उसके लिए मिलते-जुलते शब्द ह्य, करेश, याओ का उल्लेख किया गया है।⁵⁵ अथर्ववेद में पृथिवीय नामक व्यक्ति को जुताई की विधि का प्रणेता कहा गया है।⁵⁶

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वैदिक कालीन फसलों में धान, गेहूँ और जौ प्रमुख थे। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार जौ की बुवाई शीत ऋतु में होती थी और वह ग्रीष्म ऋतु में पककर तैयार हो जाती थी जबकि धान की बुवाई वर्षा ऋतु में होती थी जो कि शरद ऋतु में पककर तैयार होती थी। इस प्रकार ब्राह्मणों में साल में दो फसलों का उल्लेख मिलता है। उस काल में कृषि-कर्म द्वारा रोगोपचार हेतु वनस्पतियाँ भी उगाई जाती थीं, जिनका उल्लेख ग्राम्य औषधि के रूप में किया गया है जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न जंगली वनस्पतियों, जिन्हें अरण्य-औषधि कहा गया है, से भिन्न थी।⁵⁷

ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों के गंगा के मैदानी भाग में विस्तार के बाद धान उनकी मुख्य फसल बन गया और चावल उनके भोजन का अभिन्न अंग। शायद इसीलिए शरद को प्रमुख फसल कटाई का मौसम करार दिया गया जब धान और मक्का पककर तैयार होते थे।⁵⁸ गोबर को खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता था अतएव शतपथ ब्राह्मणों में गोबर को एकत्रित करने का उल्लेख किया गया है।⁵⁹ अथर्ववेद में भी पशुओं से प्राप्त प्राकृतिक खाद के महत्त्व को अत्यन्त उपयोगी बताया गया है।⁶⁰

वैदिक काल में कृषि के महत्त्व का ज्ञान पुरोहित द्वारा राज्याभिषेक के अवसर पर भावी राजा को सम्बोधित इस कथन से भी हो जाता है, जिसके अनुसार पुरोहित उसे सम्बोधित करते हुए कहता है कि 'हे राजन ! यह राज्य तुझे कृषि के लिए सर्वकल्याण के लिए एवं सम्पन्नता व प्रगति के लिए प्रदान किया जाता है।'⁶¹ शतपथ ब्राह्मण में कृषि को भोजन का आधार बताया गया है।⁶²

छान्दोग्य उपनिषद् में अन्न को ब्रह्म कहा गया है⁶³, जिससे उस काल में कृषि के महत्त्व का स्पष्ट बोध होता है। तत्कालीन आर्य हस्ति एवं स्वर्ण के साथ कृषि भूमि को भी व्यक्तिगत सम्पत्ति में परिगणित करते थे।⁶⁴ तेहासिक अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करने के लिए लोग श्रम करते थे।⁶⁵ इस कथन कि अन्न की रचना स्वयं परमपिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा की, से यह प्रतीत होता है कि अन्न के उत्पादन हेतु श्रम के साथ विवेक भी अपेक्षित था।⁶⁶ कृषि में विभिन्न उपायों का उपयोग करके अन्नोत्पादन किया जाता था। जुताई में हल का उपयोग प्रचलित था जिसे वाजसनेयी संहिता (XVIII-7) में सीर कहा गया है। यद्यपि अन्य कृषि उपकरणों का उल्लेख उपनिषदों में नहीं मिलता, फिर भी यह अनुमान असंगत नहीं कि पूर्ववर्ती सभी उपकरणों एवं उपायों का प्रयोग कृषि में किया जाता था।⁶⁷

उपनिषद् काल में समाज का एक बड़ा वर्ग कृषि प्रवृत्ता था। यद्यपि कृषि को वैश्यों के व्यवसाय के रूप में मान्यता थी, किन्तु इसमें की महत्त्वपूर्ण भागीदारी थी, जिनके श्रम का विनियोग कृषि में किया जाता था। फसलों पर हानिकारक जीव-जन्तुओं का खतरा आम था, जिसे देवी आपदा कहा जाता था, जिससे कृषि विनष्ट हो जाती थी। एक वर्णन के अनुसार एक बार टिवियों द्वारा फसल नष्ट कर दिए जाने से कुरु जनपद आपत्तिग्रस्त हो गया था।⁶⁸

खेत प्रायः ग्रामों से दूर नहीं होते थे। दूर जंगलों में खेती इसीलिए नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ ऋषियों के आश्रम थे। ऐसे ही निर्जन स्थानों पर श्मशान भी स्थित थे, जहाँ चोर आदि छिपते थे।⁶⁹ चोरों से यहाँ अभिप्राय कदाचित अनार्यों से है जो आर्यों के भय से जंगलों में छिपते घूमते थे। अतः कृषि ग्राम में ही होती थी। सम्भवतः इसीलिए कृषि से उत्पन्न अन्न को ग्राम-धान्य कहा जाता था।⁷⁰ वर्षा के जल से सिंचित होकर कई धान्यों के साथ औषधि तथा अन्य वनस्पतियाँ भी उत्पन्न हो जाती थीं।⁷¹ इसी प्रकार आम्र, गूलर, पिप्ल, वदरिका, अक्ष आदि फल भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाते थे।⁷²

कृषि का महत्त्व – उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृषि, आर्यों का परम्परागत जीविकोपार्जन का साधन था। वस्तुतः आर्य निवासी कृषि कार्य को उसी समय विधिवत अपना चुके थे, जब उनकी सभ्यता के विकास के प्रारम्भिक युग का श्रीगणेश हुआ था।

उसी काल की देन है कि जब आर्य लोग इतने बड़े क्षेत्र पर आबाद थे, उस समय भी कृषि इनका एक प्रमुख व्यवसाय था। कालान्तर में किसी दैवी प्रकोप के चलते यद्यपि इनकी भौगोलिक एकता छिन्न-भिन्न हो गई पर शताब्दियों बाद जब प्रकृति पुनः सामान्य हुई तो विस्तृत आर्य प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित विभिन्न उपखण्डों में जन-जीवन का नए सिरे से विकास प्रारम्भ हुआ। भारतीय संदर्भ में इस नवीन युग को वैदिक युग के नाम से पुकारा जाता है। यह वस्तुतः बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक त्रासदी के बावजूद इस काल में भी कृषि कार्य पूर्ववत् लोगों के जीवन का प्रमुख आधार बना रहा। इससे सिद्ध होता है कि सभ्यता के प्रारम्भिक दौर से ही कृषि का आर्यों के आर्थिक जीवन में विशेष महत्त्व रहा है और वैदिक काल उसका अपवाद नहीं।

वैदिक कालीन कृषि व्यवस्था के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि कृषि कर्म यद्यपि वैश्यों का वर्णधर्म था किन्तु इस कार्य में बड़े पैमाने पर शूद्र वर्ण को श्रमिक के रूप में विनियोजित किया जाता रहा। इसने एक ओर जहाँ कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी की वहीं दूसरी ओर व्यापक पैमाने पर आर्यों के परम्परागत सामाजिक ढाँचे को भी प्रभावित किया। कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते-करते शूद्रों का एक वर्ग स्वयं कृषक बन गया और कालान्तर में यदि उसकी गणना वैश्य वर्ण के अन्तर्गत की जाने लगी तो इसमें कुछ आश्चर्यजनक नहीं था। इससे एक बात और स्पष्ट होकर सामने आ जाती है कि सम्भवतः यह कृषि कर्म की विवशता ही थी जिसने आर्यों को शूद्रों को भी वर्ण-व्यवस्था के अन्दर स्थान देने के लिए बाध्य किया। शूद्रों का वर्ण-व्यवस्था में स्थान पाना इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि इसके द्वारा पराजित अनार्य लोगों, जिन्हें दास अथवा दस्यु भी कहा जाता था, को भी अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हुई, क्योंकि शूद्र वर्ण के अन्तर्गत अधिकांशतः ये अनार्य जन ही सम्मिलित थे।

यदि वैदिक कालीन कृषि पद्धति और उस समय उगाई जाने वाली फसलों पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि वह आज के किसी भारतीय ग्राम के कृषि का प्रारूप प्रस्तुत कर रही है। जैसाकि उल्लेख किया जा चुका है, वैदिक काल में कृषि भूमि को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यही स्थित गाँवों में आज भी देखी जा सकती है जहाँ व्यक्ति की हैसियत का आँकलन उसके अधीनस्थ कृषि क्षेत्र से किया जाता है। स्वामित्व की दृष्टि से भूमि को चार श्रेणियों में रखा जाता वास्तु, कृषि भूमि, गोचर एवं जंगल। इनमें से प्रथम दो अर्थात् वास्तु (आवासीय भूमि) एवं कृषि भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति के अन्तर्गत थी, जबकि अंतिम दो गोचर

एवं जंगल सामूहिक उपयोग के लिए थे। किन्तु इनमें से जंगल की भूमि के उस भाग पर उस व्यक्ति का अपना स्वामित्व स्थापित हो जाता था, जो जंगल को साफ करके उसे उपयोग योग्य बना लेता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. M.S. Randhawa, A History of Agriculture in India, Vol. I, P- 101
2. मिलाएं पूर्व पृष्ठ 62-63।
3. रामशरण शर्मा, आर्य संस्कृति की खोज, पृष्ठ 24।
4. M.S. Randhawa, op. cit., P- 101.
5. Ibid.
6. रामशरण शर्मा पूर्वोक्त, पृष्ठ 25।
7. वही, पृष्ठ 24।
8. Colin Renfrew- Archaeology and Language : The Puzzle of Indo - European Origins (1989), PP. 125-129.
9. रामशरण शर्मा, पूर्वोक्त पृष्ठ 25।
10. देखें पूर्व, पृष्ठ 44 एवं आगे।
11. देखें पूर्व, पृष्ठ 50-51।
12. M.S. Randhawa, op.cit.,p. 115.
13. Ibid.
14. अंशुमान द्विवेदी, हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति, पृष्ठ 29।
15. मिलाएं पूर्व पृष्ठ 55।
16. अंशुमान द्विवेदी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 6।
17. Vedic Index, I, P. 181.
18. Ibid., P. 183
19. ऋक्. X. 34.13
20. अथर्व XII. 1.12, मिलाएं ऋक्. I. 164.8
21. ऋक्. I. 23.15, 135.8, II. 5.6, 14.11, V. 85.3, 53.12, VI. 13.4, X. 94.13.
22. शिवदत्त ज्ञानी, वेदकालीन समाज, पृष्ठ 229।
23. HCIP, I, P. 395.
24. सत्यकेतु विद्यालंकार, पूर्वोक्त, पृष्ठ 219।
25. Vide Vedic Index, II, P. 474.
26. S.K. Das, The Economic History of Ancient India, P. 23.
27. वाज संख्या XVIII. 12
28. अथर्व IV. 140.2
29. अथर्व 1 34.4-5, मैत्रा. संख्या III. 7.9, IV. 2.9, वाज. संख्या XXV. 1
30. वृह. उप. VI. 3.13
31. Vedic Index, I., P. 215
32. Ibid.
33. राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी, उपनिषद् कालीन समाज एवं संस्कृति, पृष्ठ 27।
34. शिवदत्त ज्ञानी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 226-229।
35. ऋक्. X. 106

36. ऋक्. V. 57.4, VIII. 22.6
37. ऋक्. IV. 57.8 X. 101, 34, अथर्व VI. 30.1, 91.1, VIII. 9.16, तैत्ति ब्रा. 1. 7.1.2 वाज. सं. XVIII. 7 आदि।
38. ऋक्. X. 101.3
39. अथर्व IV. 9.1.1
40. अथर्व III. 14.3
41. ऋक्. I. 117.21
42. अथर्व VIII. 10.4, 11
43. ऋक्. I. 116.9, VIII. 49.6
44. ऋक्. VII. 49.2
45. ऋक्. I. 55.8, IV. 17.16
46. ऋक्. I. 101.6
47. ऋक्. I. 101.7
48. ऋक्. VIII. 69.12
49. ऋक्. III. 45.3
50. ऋक्. IV. 57.1, VII. 101.3, X 50.3 छान्दो. उप. त. 10.6
51. ऋक्. VIII. 78.10 X 48.7
52. ऋक्. X 71.2, I. 14.11 X 68.3
53. शत. ब्रा. I. 5.6.3
54. ऋक्. JV. 5.7, 51. मिलाएं ऋक्. VIII 91.5-6, I 117.21
55. cf. Jogiraj Basu, op. cit., P. 67
56. अथर्व VIII. 10.24
57. शत. ब्रा XI. 1.7.2
58. Jogiraj Basu, op. cit., P. 67
59. शत. ब्रा. II. 1.1.7
60. अथर्व III. 14.3.4
61. cf. Jogiraj Basu, op. cit., P. 68
62. शत. ब्रा. VII- 2.2.6
63. छान्दो उप. VII. 9.2
64. छान्दो. उप. VII. 24.2
65. तैत्ति उप. III. 9.1
66. वृह. उप. I. 5.2
67. राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 2701
68. छान्दो उप. I. 10.13
69. छान्दो. उप. VIII. 5.3
70. राजेन्द्र कुमार त्रिवेदी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 2701
71. छान्दो. उप. V. 10.6
72. वृह. उप. IV. 3.36 छान्दो. उप. VII. 3.1

भारत में लैंगिक समावेशी समाज

सुमन देवी *

* सहायक प्रोफेसर, राजकीय महिला महाविद्यालय, शहजादपुर, अम्बाला (हरियाणा) भारत

शोध सारांश – भेद-भाव रहित समाज, शोषण रहित समाज भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के मूल रहे हैं। पुरातन काल में भारत में महिलाओं को उन्नत स्थान प्राप्त था। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं, आदि का अनुसरण करते हुए सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था। नारी शक्ति शिक्षित थी, उन्हें समस्त अधिकार प्राप्त थे। किंतु कालांतर में विशेषतः परतंत्रता काल में नारी की स्थिति दयनीय हो गई। विभिन्न अमानवीय प्रथाओं ने समाज में अपना स्थान बना लिया, जिससे नारी का जीवन नरकीय बन गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी आदि समाज सुधारकों के अथक प्रयत्नों से पुनः नारी शिक्षा, नारी अधिकार, नारी सम्मान हेतु आंदोलन प्रारंभ किए गए। धीरे-धीरे राजकीय व्यवस्था में भी नारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किए जाने लगे। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', अभियान अपनी विशेष महत्ता रखता है। आज महिलाओं के प्रति आमूल-चूल परिवर्तन प्रारंभिक स्तर पर आए हैं। सती प्रथा, पर्दा-प्रथा घर तक सीमित रखना आदि कुप्रथाएं लगभग समाप्त पर हैं एवं नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। किन्तु अभी भी नारी को अपने सम्पूर्ण अधिकारों एवं प्रतिनिधित्व की प्राप्ति 'ऊँट के मुँह में जीरा' के सामान है। समाजिक स्तर पर नारी सम्मान सम्बन्धित आंदोलनों की आवश्यकता है। विभिन्न पदों पर आरक्षण नारी के प्रतिनिधित्व की स्थापना के लिए अति आवश्यक है। लैंगिक समावेशी आयोग का गठन कर नारी समानता सम्बन्धित कार्यों को शीघ्रता से किया जा सकता है।

शब्द कुंजी – शिक्षा, आरक्षण, रोजगार, कुप्रथा।

प्रस्तावना – एक विकसित समाज का होना किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता बहुत उन्नत रही है। भेद-भाव रहित समाज भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का मूल रहे हैं। 'इदं न मम' का भाव मानों भारतीय सभ्यता के प्राण हैं। प्राचीन काल से महिलाओं एवं पुरुषों को समानता का अधिकार था। महिलाओं का स्थान समाज में उत्कृष्ट था। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता' आदि के माध्यम से हम नारी की स्थिति को जान सकते हैं। स्वयंवर विवाह आदि का प्रचलन हमें रामायण आदि ग्रंथों के माध्यम से ज्ञात होता है, जो एक उत्कृष्ट समाज का उदाहरण है एवं महिलाओं की समाज में उच्च सामाजिक स्थिति की परिचायक है। अनेकों विदुषी महिलाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों में है, जो महिलाओं के शिक्षित होने का प्रमाण है। परंतु धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति भारत में दयनीय होती चली गई। नारी शिक्षा का अभाव भी इसका एक मुख्य कारण रहा। लंबे परतंत्रता काल में तो इनकी स्थिति और भी दयनीय होती गई और अनेक कुरीतियों ने समाज में अपना स्थान बना लिया जैसे सती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, अशिक्षा, बाल-विवाह, आदि कुरीतियों ने महिलाओं के जीवन को नरकीय बना दिया। लैंगिक भेदभाव मानों समाज के लिए एक अमिट अभिशाप बन गया। राजाराममोहन राय आदि के प्रयास से सती-प्रथा पर 1829 में वैधानिक रोक लगाई गई। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पुनः समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें महिला-शिक्षा, महिला अधिकार, समानता, स्वतंत्रता आदि को विशेष स्थान दिया गया। परिणामस्वरूप अनेक महिला शिक्षण संस्थान खोले गए, शिक्षित महिलाओं

ने अपने अधिकारों को जाना। अपने पुरातन अस्तित्व के लिए पुनः संघर्ष आरंभ हुआ। देश को स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में अनेक महिला स्थिति सुधार हेतु प्रयत्न हुए।

लैंगिक विषमता – 'लिंग के आधार पर महिलाओं पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, बहिष्कार या बन्धन लगाना। स्त्री-पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमजोर करना या निष्प्रभावी बनाना। महिलाओं को उनके मानव-अधिकारों के साथ-साथ उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक या किसी अन्य क्षेत्र की मौलिक स्वतंत्रताओं के उपभोग या इस्तेमाल से वंचित करना।'

उद्देश्य:

1. महिलाओं की वर्तमान स्थिति का आकलन।
2. लैंगिक समानता का आकलन।

शोध प्रविधि – यह शोध-पत्र अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र लेख, विभिन्न समाचार-पत्रों, पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों, सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है।

विवरण – महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य-समाज द्वारा अनेक महिला शिक्षण संस्थान खोले गए। परिणामस्वरूप नारी शिक्षित होने लगी। शिक्षा जहां अधिकारों को जानने में सहयोगी बनी, वहीं उन्हें प्राप्त करने हेतु भी शिक्षित नारी समर्थ होने लगी। सामाजिक सोच में परिवर्तन भी दिखलाई पड़ने लगा। विभिन्न शासकीय कार्यों द्वारा भी नारी हितार्थ अनेक

नियमों को लागू किया गया। नारी को उसका संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त हुआ। विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण देकर उनके प्रतिनिधित्व को बनाए रखना सुनिश्चित किया गया। लड़की के जन्म पर राजकीय अंशदान दिया जाना भी नारी सम्मान में अहम भूमिका अदा करता है। नारी शिक्षा को विभिन्न स्तरों तक निशुल्क दिया जाना लैंगिक भेद-भाव समाप्ति हेतु एक उचित कदम है। समाज में पुत्र प्राप्त होने पर की जाने वाली कुआं पूजन आदि रश्मियों को पुत्री पैदा होने पर भी किया जाता एक उत्कृष्ट समाज का परिचायक है। 'एक बच्चा' नीति भी लड़का हलडकी भेदभाव को समाप्त करती है। 'तीन तलाक' जैसी अमानवीय प्रथा को नियम द्वारा प्रतिबंधित कर महिलाओं को उनका अधिकार दिलवाया गया है। आज भारत में परिवार की मुखिया के रूप में महिला का नाम अंकित रहता है।

जहाँ एक ओर नारी शिक्षा, महिला आरक्षण, तीन तलाक विरोधी कानून, लड़की जन्म पर आर्थिक अंशदान, एक बच्चा नीति, संपत्ति का अधिकार, कन्या गुरुकुलों की व्यवस्था, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान आदि लैंगिक समानता के परिचायक हैं। वहीं स्टैंडअप इण्डिया, स्टुड अप इण्डिया, स्वरोजगार हेतु रोजगार समूह आदि में भी महिलाओं की अग्रणी भूमिका पाई जाती है। देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी भारतीय लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। सत्ती-प्रथा, पर्दा-प्रथा, घर तक ही सीमित रहना आदि अब भूतकाल की बातें हो चुकी हैं। जाति, रंग, क्षेत्र, भाषा, मत, लिंग आदि के भेद अब भारतीय समाज में गाहे-बगाहे ही मिलते हैं। अन्तर्जातीय विवाह, स्वयंवर विवाह को भी अब समाज द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। अखिल भारतीय गोयत समाज सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण गोयत एडवोकेट द्वारा 2009 में अन्तर्जातीय विवाह को सहर्ष मान्यता देने की घोषणा की गई। भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रीयों के तौर पर शोभामान रही हैं।

परंतु आज भी न्यायपालिका में महिलाओं को उनकी संख्या के आधार पर नियुक्ति नहीं मिल पाई है। स्वतंत्रता के लंबे अंतराल के पश्चात भी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर महिलाओं की नियुक्ति विचारणीय विषय है। अब तक मात्र 11 महिला न्यायाधीश ही सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हो पाई हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालयों में कुल 25 मुख्य न्यायाधीशों में मात्र एक महिला न्यायाधीश नियुक्त है।

इसी प्रकार विधानसभाओं की स्थिति भी संख्या के आधार पर अच्छी नहीं है। यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल देखा जाए तो उसकी स्थिति निम्न है कुल मंत्री कैबिनेट 30 पुरुष मंत्री 28 महिला मंत्री 2 हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में मात्र एक महिला मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। उपरोक्त के आधार पर देखा

जाए तो महिला हितार्थ अनेक कदम उठाए गए हैं। किंतु वह 'ऊंट के मुंह में जीरा' के समान है। अभी शीघ्रता से और कठोर कदम उठाकर हम उत्कृष्ट समाज एवं राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं।

सुझाव- 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की भांति लैंगिक भेदभाव मिटाने हेतु भी इसी प्रकार के अभियान की आवश्यकता है। सामाजिक जागरूकता के साथ-साथ राजकीय व्यवस्था में भी सुधार आवश्यक है। लैंगिक भेदभाव पर और अधिक कठोर नियमों की आवश्यकता है। महिला आयोग की भांति लैंगिक समावेशी आयोग का गठन हो। महिलाओं हेतु पंचायतों के साथ-साथ विधानसभाओं एवं संसद में भी उनका प्रतिनिधित्व आरक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जावे। न्यायपालिका में भी महिलाओं हेतु आरक्षण द्वारा उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। **निष्कर्ष-** लैंगिक समावेशी समाज की स्थापना किसी भी राष्ट्र हेतु अति आवश्यक है। लैंगिक भेदभाव समाप्ति हेतु अनेक प्रयत्न हुए हैं। किंतु अभी और कदम उठाने की आवश्यकता है तभी समृद्ध राष्ट्र, उन्नत राष्ट्र, विकसित राष्ट्र का स्वप्न पूरा किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोयत, राम सिंह, 'सत्य क्या है, जानिय', अत्री पब्लिकेशन, 2010
2. Gupta' S & Gupta, A (2016)-Problems of Modern India Education, Allahabad: Sharda Pustak bhavan
3. सिंह अमिता, 'लिंग एवं समाज', विवेक प्रकाशन, 2017.
4. सरस्वती, महर्षि दयानंद, 'सत्यार्थ प्रकाश', आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट, जून, 2019.
5. देवी सुमन, 'विधवा एक संघर्ष', स्वास्तिक पब्लिकेशनस, 2019.
6. सोनकर श्वेता और सुमन कुमार प्रेमी, 'भारत में लैंगिक असमानता का समीक्षात्मक अध्ययन', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (IJCRT), 2019.
7. दैनिक जागरण अखबार
8. अमर उजाला
9. Economic Review, Ministry of Finance, Government of India
10. <https://wcd-nic-in>
11. <https://niti-gov-in>
12. <https://www-India-gov-in>
13. <https://www-novbhartTimes-com>
14. Yojna Monthly Magazine

नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायत का प्रशासनिक गठन (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

पवन जोशी * डॉ. अशोक वर्मा **

* शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, निवाली, जिला बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण-पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। इस जिले की सीमाएँ दक्षिण में महाराष्ट्र व पश्चिम में गुजरात राज्य से मिलती हैं। बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के सांस्कृतिक क्षेत्र निमाड़ का भाग है। सांस्कृतिक भू-भाग निमाड़ को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पूर्वी व पश्चिमी निमाड़ में विभक्त किया गया था। पूर्वी निमाड़ में खण्डवा तथा पश्चिमी निमाड़ में खरगोन जिला गठित किया गया था। सन् 1998 में खरगोन जिले को दो भागों में खरगोन तथा बड़वानी और खण्डवा जिले को खण्डवा तथा बुरहानपुर जिले में विभाजित किया गया। बड़वानी जिला गठन के दो दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। बड़वानी जिले का इतिहास पुरातन है, बड़वानी रियासत कालीन वैभवशाली नगरी है। स्वतंत्रता के दौरान बड़वानी जिला नहीं बन सका और इसे खरगोन जिले में सम्मिलित किया गया। 42 साल बाद 25 मई, 1998 को बड़वानी जिला बनाया गया।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह शहर शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, खेलकूद आदि की दृष्टि से तात्कालीन रियासत के दिवान ने जो व्यवस्थाएँ की, वह आज भी जिले का गौरव बनाए रखने का कार्य कर रही हैं। बड़वानी जिला का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह ऐसे प्राकृतिक सुगम सुरमयी मार्ग पर अवस्थित है, जो देश के उत्तरी-दक्षिणी भाग को जोड़ता है। यहां की अनुपजाऊँ मिट्टी और पहाड़ी तल के कारण मुस्लिम लूटरो, व अन्य बादशाहों की दृष्टि से दूर रहा। इस रियासत पर राणा वंश ने शासन किया, ऐतिहासिक जानकारी से इसके शासकों के नामों के अलावा कोई भी अन्य जानकारी नहीं मिलती है।

भौगोलिक रूप से जिला बड़वानी पश्चिमी मध्यप्रदेश के इन्दौर संभाग में सम्मिलित है। यह जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है, इसकी भौगोलिक स्थिति 21°37' से 22° 22' उत्तरी अक्षांश तथा 74° 27' से 75° 30' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। इसका क्षेत्रफल 5422 वर्ग किलोमीटर है।

बड़वानी जिले में नगर पालिका नगर परिषद एवं नगर पंचायत : भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में नगरपालिका, नगर परिषद व नगर पंचायतों के गठन, इसकी संरचना, वार्ड समितियाँ, नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था, नगर पालिका में कार्य काल की अवधि, नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार व उत्तरदायित्व, नगर पालिका की निधि, करारोपण, वित्तीय स्थिति हेतु वित्त आयोग की भूमिका, लेखा अंकेक्षण, नगर पालिका निर्वाचन आदि प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में नगर पालिकाओं की स्थिति को सुनिश्चित व सुदृढ़ करने के साथ-साथ सभी राज्यों के एकरूपता स्थापित करना है।

इस 74वें संविधान संशोधन को संविधान (74वां) संशोधन अधिनियम, 1992 नाम दिया गया है। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के आधार पर नगर पालिकाओं को नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम के रूप में गठित किया गया है।

भारतीय संविधान में नगर पालिकाएं परिभाषा, गठन, संरचना विविध विवरण दिया है जो कि इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'समिति' से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है।

(ख) 'जिला' ये किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है।

(ग) 'महानगर क्षेत्र' से दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट है और जो दो या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिल कर बनता है तथा जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करें-

(घ) 'नगर पालिका क्षेत्र' से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है।

(ङ) 'नगर पालिका' से अनुच्छेद 243ध के अधीन गठित स्वायत्ता शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है।

(च) 'पंचायत' से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है।

(छ) 'जनसंख्या' से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होते हैं।

● **नगर पालिकाओं का गठन (अनुच्छेद 243थ) :**

(1) प्रत्येक राज्य में इस भाग के उपबंधों के अनुसार-

(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर पंचायत का (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो)।

(ख) किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद् का और, (ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का, गठन किया जाएगा। परंतु इस खंड के अधीन कोई नगर पालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी, जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापना द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगर पालिकासेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप

में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

(2) इस अनुच्छेद में, 'संक्रमणशील क्षेत्र', 'लघुत्तर नगरीय क्षेत्र' या 'वृहत्तरनगरीय क्षेत्र' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्नराजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है।

● **नगर पालिकाओं की संरचना (अनुच्छेद 243द) :**

(1) खंड (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी नगर पालिका के सभी स्थान, नगर पालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के नाम से ज्ञात होते हैं।

(2) किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा-

(अ) नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का,

(ब) लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें कोई नगर पालिका क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट होते हैं।

(स) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानपरिषद् के ऐसे सदस्यों का, जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत होते हैं।

(द) अनुच्छेद 243ध के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा, परंतु पैरा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होता है।

(ख) किसी नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की रीति का उपबंध किया जाता है।

● **वार्ड, समितियों, आदि का गठन और संरचना (अनुच्छेद 243ध) :**

(1) ऐसी नगर पालिका के, जिसकी जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनती हैं।

(2) राज्य विधानमंडल, विधि द्वारा-

(क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र की बाबत,

(ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में स्थान भरे जाएंगे, उपबंध किया जाता है।

(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगर पालिका का सदस्य उस समिति का सदस्य होता है।

(4) जहां कोई वार्ड समिति-

(क) एक वार्ड से मिल कर बनती है वहां नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य,

या

(ख) दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहां नगर पालिका में, ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य, जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उस समिति का अध्यक्ष होता है।

(5) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य के विधानमंडल को वार्ड समितियों के अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित करती हैं।

● **नगर पालिकाओं की अवधि आदि (अनुच्छेद 243प) :**

(1) प्रत्येक नगर पालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं, परन्तु किसी नगर पालिका का विघटन करने के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाता है।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगर पालिका का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही हैं, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती हैं।

(3) किसी नगर पालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन-

(क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व,

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा किया जाएगा, परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित नगर पालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगर पालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होता है।

(4) किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगर पालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगर पालिका खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती है।

निष्कर्ष : भारतीय संविधान के 74वें संशोधन में नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के प्रशासनिक गठन की व्यवस्था की गई है। बड़वानी जिले के निकाय भी विधि सम्मत कार्य कर जनता की सेवा में तत्पर है। वास्तव में इन निकायों को नागरिकों की ओर से भी पूर्णतः सहयोग मिलता है तो चहुमुखी विकास संभव है। दूसरी ओर समूचे बड़वानी जिले में स्वच्छ भारत अभियान में भागीरथी प्रयास किये जा रहे हैं, निश्चित ही इसके परिणाम सकारात्मक साबित होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आंबेडकर, डॉ. बी. आर. : भारत का संविधान, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, 2019
2. मध्यप्रदेश संदर्भ : जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, 2012
3. चराटे, संजय डाँगी, बलवन्तसिंह : मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि संग्रह, चराटे पब्लिशिंग हाउस, इन्दौर, 2011
4. श्रीवास्तव, प्रेमनारायण : पश्चिम निमाड गजेटियर, भोपाल

नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल के कविताओं में ग्रामीण जीवन का यथार्थ

चन्द्रलेखा पुरोहित *

* शोधार्थी, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – हिंदी के प्रगतिशील कवियों में नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ का नाम उल्लेखनीय हैं। ये वे कवि हैं जिनकी कविताएं आज भी हमें जगाने का सामर्थ्य रखती हैं। ये कविताएं केवल शब्दों का समूह मात्र न होकर आम जन पीड़ाओं और संघर्षों के भावना प्रधान चित्रों को हमारे समक्ष उजागर करती हैं। ये कवि आम जन से गहराई से जुड़े हुए हैं। नागार्जुन मुलतः व्यंग्य और राजनीतिक चेतना के कवि हैं अतः वे ग्रामीण जीवन की कविता में भी व्यंग्य शैली को छोड़ नहीं पाते। ग्रामीण जीवन उन्हें किसानों और मजदूरों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। यही लड़ाई हमें त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में भी दिखाई देती है। नागार्जुन प्रगतिवाद के ऐसे कवि हैं, जो परंपरा से जुड़कर भी आधुनिकता को समझते हैं। त्रिलोचन मुख्यतः लोकजीवन के कवि हैं, उन्होंने कविता लोक से ही सीखी। नागार्जुन और त्रिलोचन के समान ही केदारनाथ अग्रवाल भी आम जन जीवन से जुड़े कवि हैं।

प्रस्तावना – ग्रामीण जीवन और कविता का संबंध अन्योन्याश्रित हैं। प्रत्येक युग के कवियों ने ग्राम्य जीवन को अपनी कविताओं में स्थान दिया। भक्तिकालीन कवियों ने अपने आराध्य से जुड़ने के लिए प्रकृति का आश्रय लिया और प्रकृति ग्राम्य जीवन का अभिन्न अंग है। ये कवि समाज के ऐसे पक्षों को उजागर करने लगे जिसमें खेतिहर मजदूर, किसानों, नारियों आदि का स्वर हो। वहीं रीतिकाल में देखें तो कवियों ने संभ्रान्त वर्गों के विलासिता पूर्ण आचरण को और अधिक बढ़ावा देने का कार्य किया लेकिन इनमें से कुछ कवियों ने ग्राम्य जीवन के अनेक रूपों को छूने का प्रयत्न किया। आधुनिक युग नवीन भावों और विचारों का युग है, जिसके आरंभ में एक साथ कई प्रवृत्तियों का उदय हुआ। भारतेन्दु हरिश्चंद्र नवजागरण के अग्रदूत कहे जा सकते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम कविताओं में किसानों के अभिशास जीवन की करुण गाथा का गान किया। साहित्य और समाज एक-दूसरे से गहनता से जुड़े हैं। जैसा कि डॉ. रामचंद्र मालवीय ने भी स्पष्ट किया है कि, 'कवि समय की चेतना का चारण है। बदलते युगों में जो परिवर्तन होते हैं, उनका समुचित विश्लेषण कवि करता है, आगामी युगों की चेतना का संदेश भी वह रचना के माध्यम से देता है।' ग्रामीण जीवन का सीधा संबंध सामान्य जन-जीवन से है। यह समाज के बहुत बड़े हिस्से के जीवन को व्यक्त करता है। प्रत्येक युग में इसकी व्यापकता असंदिग्ध रही है और उसके जीवन में उस तरह के संघर्ष नहीं होते जिस तरह के संघर्ष ग्रामीण जन-जीवन से जुड़े आम लोगों के होते हैं। ग्रामीण जीवन के अन्तर्गत ग्रामीण स्त्री, किसान और मजदूर, खेत, खलिहान और उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन संघर्ष आदि आ जाते हैं। ग्रामीण जीवन में सहजता और सरलता होती है। वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना अच्छी तरह से जानते हैं और जो कवि ग्रामीण जीवन का चित्रण करता है, वह स्वाभाविक ही मानवतावादी विचारों से परिपूर्ण होता है। ये भी सही है कि किसी साहित्य को गहनता से जानने और समझने के लिए सर्वप्रथम हमें उस साहित्य में वर्णित समाज के यथार्थ को देखना होगा। इसके लिए हमें 'यथार्थ' शब्द को समझना होगा। यथार्थ दो पदों की संधि से

निर्मित है 'यथा' और 'अर्थ'। यथा एक अव्यय है जिसका समानार्थी पद है जैसा। अर्थ से तात्पर्य-वस्तु, द्रव्य, पदार्थ आदि। अतः यथार्थ से आशय जैसा ठीक होना चाहिए, वैसा ज्यों का त्यों अर्थात् जिस रूप में उसकी अविकल प्रस्तुति। नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में ग्रामीण जीवन के यथार्थ का देखने से पूर्व कविता में इस यथार्थ का प्रवेश की चर्चा करेंगे। हिंदी कविता की कालजयी यात्रा अनेक पड़ावों से होकर गुजरी। आदिकाल से चलकर भक्तिकाल की बहती धारा ने रीतिकाल को सघः स्नात करने के पश्चात् आधुनिक काल के भारतेन्दु युग व द्विवेदी युग में प्रवाहित होते हुए छायावादी युग में प्रवेश किया जिसमें साधारण जन-जीवन को कुछ सीमा तक अपनाया गया। सर्वप्रथम ये ही वे कवि थे जो अपनी निजी पीड़ा से व्यथित होते हुए भी समाजिक दुःख-दैन्य को देखकर आन्दोलित हो उठे जिसके फलस्वरूप इन्होंने शोषित पीड़ित जनता के प्रति करुणा तथा सहानुभूति प्रदर्शित की। इन कवियों ने अपनी कविताओं में शोषण का विरोध तथा शोषितों में क्रांति के बीज बोकर भावनात्मक एकता शक्ति का संचार किया गया। 'प्रसाद', 'पंत', 'निराला' जैसे कवियों में तो विशेषतया युग की वेदना अपने यथार्थ रूप में अभिव्यक्त हुई। छायावाद में स्वछंदता का पोषक होने के साथ-साथ सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने का साहस तो विद्यमान था किंतु धीरे-धीरे छायावाद अपनी व्यक्तिवादी दृष्टि के कारण सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं का विरोध करके समाज और सच्चाई से दूर होता हुआ इनसे विमुख हो गया। प्रगतिवाद उस काव्यधारा का नाम है जो मार्क्सवाद के आलोक में सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति देती है। वह व्यक्ति के सुख-दुःख से बढ़कर समष्टि के सुख-दुःख को महत्व देती है। छायावादी युग में जो काव्य वैयक्तिकता के सीमित दायरे में बन्द था उसे प्रगतिवाद ने सामान्य जन-जीवन के बीच में लाकर प्रतिष्ठित कर दिया। छायावाद अपने अंतिम काल में कुंठाग्रस्त अवस्था में पहुँच गया जिसमें जन-जीवन के सुख-दुःख और आशा-अभिलाषाओं की अपेक्षा वैयक्तिकता और काल्पनिक भावाभिव्यंजना ही अधिक दिखाई दे रही थी। प्रगतिवाद ने

तत्कालीन युगीन सन्दर्भों के अनुरूप जीवन यथार्थ को काव्य का विषय बनाया। प्रगतिवाद के तीन बड़े कवियों नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में ग्रामीण जीवन का यथार्थ अपने पूरे रंग के साथ समाया हुआ है। इन कवियों ने यथार्थ को अपने वास्तविक स्वरूप में चित्रित किया। इनके काव्य में ग्रामीण जीवन के अनेक रंग देखे जा सकते हैं। इनका स्वर जनवादी है।

नागार्जुन, त्रिलोचन एवं केदारनाथ की कविताओं में ग्रामीण जीवन का यथार्थ—नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल को केन्द्र में रखकर हिंदी कविता में ग्रामीण जीवन का यथार्थ को देखने का प्रमुख कारण यह है कि इन कवियों ने ग्रामीण जीवन को अपनी कविताओं पूर्ण प्रतिष्ठा दी। उनकी दृष्टि ग्रामीण जीवन को लेकर बिल्कुल साफ थी। जहाँ केदार ने ग्रामीण व्यक्ति के संघर्षों, उनके जीवन की तरह-तरह की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया वहीं नागार्जुन ने उसी आम जन के लिए लड़ना स्वीकार किया। यदि त्रिलोचन की बात करें तो ये एक विषम धरातल वाले कवि हैं। साथ ही उनके रचनात्मक व्यक्तित्व में एक विरोधाभास भी दिखायी देता है। एक ओर यदि उनके यहाँ गाँव की धरती का सा ऊबड़खाबड़पन दिखायी पड़ेगा तो दूसरी ओर कला की दृष्टि से एक अद्भुत क्लासिकी कसाव या अनुशासन भी। ये कवि ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में आत्मा को झकझोरने का सामर्थ्य है। नागार्जुन अपने आप को जन कवि कहते हैं उन्हें महाकवि या राष्ट्रकवि बनने की चाह नहीं है वहीं त्रिलोचन का दृष्टिकोण बहुत कुछ उस ठेठ भारतीय किसान का दृष्टिकोण है जो कठिन श्रम के बीच उगते हुए पौधे की हरियाली को देखकर रोमांचित हो उठता है। केदारनाथ अग्रवाल की बात करें तो उनमें भावनाओं का एक अद्भुत सन्तुलन हमें देखने को मिलता है। यथार्थवादी कवि भी सपना देखता है यह कथन नागार्जुन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका सपना नींद में देखा जाने वाला नहीं है बल्कि यह तो जाग्रत अवस्था का, अपनी प्रतिबद्धता का सपना है। जीवन के इस गतिशील यथार्थ से गहरे लगाव के कारण नागार्जुन या अन्य यथार्थवादी कवियों का काव्य स्रोत कभी सूखा नहीं। उनके ग्रामीण जीवन के जुड़ाव का सबसे बड़ा उदाहरण उनका कविता संग्रह 'अपने खेत में' जिसकी पहली कविता में नागार्जुन कहते हैं—

अपने खेत में हल चला रहा हूँ
इन दिनों बुआई चल रही है
ईर्द-गिर्द की घटनाएं ही
मेरे लिए बीज जुटाती हैं
हां, बीज में घुन लगा हो तो
अंकुर कैसे निकलेगा?

यहां कवि ने लाक्षणिक शब्दावली के माध्यम से जीवन के मर्म को प्रकट करने का प्रयत्न किया। खेत यहाँ जीवन का ही रूपक है और संघर्ष जीवन के खेत में बुआई के लिए जोतने जैसा है। नागार्जुन ने समाज के सबसे बड़े दर्द को, जीवन की बुनियादी समस्याओं को यथार्थ के रूप में उद्घाटित किया। जब पंडित नेहरू का निधन हो गया तब उन्होंने एक कविता लिखी जिसे सुनाने वे मैथिलीशरण गुप्त के पास गये लेकिन कविता सुन गुप्त जी झक झक उठे तब नागार्जुन एक बात कहीं थी कि, 'मैं तो समझता हूँ कि जो मेरी कविता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे मैं राष्ट्र कवि नहीं मानता। इससे स्पष्ट है कि उनका व्यक्तित्व बेबाक था इसलिए वे उस जन के लिए लड़ पाए जो सदियों से पददलित हैं। केदारनाथ अग्रवाल की

कविताओं में छोटे किसान है, मजदूर है और जमींदार भी है जो बिना किसी कारण के उनका खून चूसते हैं। जिस प्रकार महान लेखक प्रेमचंद ने 'गोदान' के माध्यम से कर्ज के बोझ में दबे किसान के जीवन यथार्थ को चित्रित किया है उसी प्रकार केदार ने अपनी कविता 'पैतृक संपत्ति' में बताया है—

जब बाप मरा तब यह पाया
भूखे किसान के बेटे ने
घर का मलबा, टूटी खटीया
कुछ हाथ भूमि— वह भी परती
चमरीधे जूते का तल्ला

लोहे की पट्टी का चिमटा।

यही विरासत छोड़कर एक किसान दुनिया से विदा लेता है। जिस आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी गईं, उस आजादी का उस किसान के परिवार के लिए क्या अर्थ रह जाता है जब खेतों में मेहनत से फसलें उगाकर देश का पेट पालने वाले किसान परिवार की ऐसी हालत हो। मजदूर भी तड़प रहे हो। केदार ने न केवल इस भयावह स्थिति का वर्णन किया बल्कि वे किसानों और मजदूरों से क्रांति का आह्वान भी करते हैं। किसानों जीवन के सामूहिक श्रम और संघर्ष के यथार्थ को सरल और सहज रूप से चित्रित करने में त्रिलोचन सिद्धहस्त थे। किसानों जीवन का प्रारम्भ कवि खेतों से करता क्योंकि कवि जानता है कि एक किसान के लिए खेत बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत कविता में कवि चित्रित करता है कि एक किसान विकट परिस्थितियों में भी श्रम करता है, आज के किसानों का भी यही हाल है—

है धुप कठिन सिर—ऊपर
थम गयी हवा है जैसे
दोनों दूबों के ऊपर
रख पैर सिंचते पानी
उस मलिन हरी धरती पर
मिलकर वे दोनों प्राणी
दे रहे खेत में पानी

तीनों कवियों की भाषा भी जनभाषा है। जहाँ नागार्जुन ने परंपरावादी संस्कृत निष्ठ भाषा के साथ-साथ ठेठ ग्रामीण शब्दों का प्रयोग बहुतायत से किया वहीं त्रिलोचन ने तो स्वयं ये घोषणा की कि 'तुलसी बाबा, भाषा मैंने तुमसे सीखी'। उनकी कविता जनपदीय भाषा के शब्द यथास्थान आते रहे हैं। केदार की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है, लेकिन उनकी भाषा में बुंदेलखंड के शब्द घुले मिले हैं। इस प्रकार तीनों कवियों की भाषा में समानता होते हुए भी अभिव्यक्ति स्तर पर भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है।

निष्कर्ष—प्रगतिवाद के तीन बड़े कवियों में नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल का नाम लिया जा सकता है। ये तीनों जनवादी कवि हैं। ये कवि आम जन से गहराई से जुड़े हुए हैं। नागार्जुन मुलतः व्यंग्य और राजनीतिक चेतना के कवि हैं अतः वे ग्रामीण जीवन की कविता में भी व्यंग्य शैली को छोड़ नहीं पाते। ग्रामीण जीवन उन्हें किसानों और मजदूरों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। यही लड़ाई हमें त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में भी दिखाई देती है। तीनों कवि ग्राम्य परिवेश में ही पले बड़े। अतः तीनों ही लोक के प्रति अतिस्नेह रखने वाले कवि भी थे। त्रिलोचन कई सालों तक अपने गाँव से दूर रहे किन्तु वे गाँव से अपने को अलग नहीं कर पाए। कवि केदारनाथ की कविताओं का फलक नागार्जुन और त्रिलोचन की

अपेक्षा अति विस्तृत है। केदार बुंदेलखंड के रहने वाले थे, जहाँ का स्पष्ट प्रभाव उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। वे वहाँ के किसानों द्वारा किए जाने वाले श्रम का सौंदर्य देखते हैं। तीनों कवियों की कविताओं में वास्तविक जीवन का यथार्थ वर्णन अनेक रंगों में उभरकर सामने आया है। ग्राम्य जीवन में व्याप्त अशिक्षा, गरीबी तथा दिन प्रतिदिन होने वाले अत्याचारों को तीनों कवियों ने बहुत निकट से देखा। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील काव्यधारा के तीनों प्रमुख कवियों नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं विपरीत परिस्थितियों में भी आम जन को आशावान बनें रहने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रामचंद्र मालवीय : समीक्षाएं एवं मूल्यांकन; केदारनाथ अग्रवाल, पृ. 37
2. त्रिलोचन : प्रतिनिधि कविताएं, राजकमल पेपरबैक्स, 2008, पृ. 6
3. त्रिलोचन : प्रतिनिधि कविताएं, राजकमल पैपरबैक्स, 2008, पृ. 7
4. खगेन्द्र ठाकुर : नागार्जुन का कवि कर्म, प्रकाशन-सुचना एवं प्रसारण विभाग, भारत सरकार, पृ. 135
5. आरती : त्रिलोचन दृष्टि और सृष्टि, अपनी माटी, वर्ष-3, अंक 24, मार्च 2017, ISSN-2322-0724
6. आजर खान : हिंदी की प्रगतिशील कविता में प्रकृति नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल के सन्दर्भ में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 2018 पृ. 354
7. अमितेश बोकान : केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में संवेदना और शिल्प, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, 2007 पृ. 32
8. श्याम सुंदर दास : हिंदी शब्द सागर, खण्ड 1, काशी नागरी प्रचारिणी सभा पृ. 320

Water Pollution Laws in India, Their Genesis and Development

Mr. Nityanand Mishra*

*Research Scholar, APS University, Rewa (M.P.) INDIA

**Introduction - ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः शिवा देवीरशिपदा ।
भवन्तु सर्वा नद्यो अशिमिदा भवन्तु ॥**

(Rigveda 7.50.4)

Rivers satisfy all living beings by providing water, by providing food etc to them. Rivers love vegetation and they contribute in pleasure of others.

Hinduism is recognized as a living tradition that expresses universal truth. Individual parts make up each creature. Dharma (law and order) governs human behaviour. The usage of water has been thoroughly described in our Apaurusheya literature. Waterways were discouraged from being diverted or blocked, and anyone who contaminated the water, stole, or diverted suffered a system of social reprimands and penalties in our ancient laws.

Mandakini River's Crisis- Today there is a crisis on the existence of the Mandakini. This river originating from Sati Ansuaiya is drying up fast. This is the same river, on whose ghat Swami Tulsidas composed the Ramcharit Manas. Seeing the religious importance of Mandakini, devotees come to take holy bath. Illegal encroachments, construction of ashrams and hotels in the catchment area of the drying river, along with mining of mountains have also caused deep damage to this mythical heritage of nature. If we look at the geographical structure of Bundelkhand, Mandakini has been like a *sanjeevani* and the lifeline of people, which did not seem to dry up even in difficult drought conditions. But now, most of the Mandakini has dried up; its natural stream has broken. The continuum of the river has broken.

Water in ancient scriptures: Rigveda (18.82.6) mentions that water contains all the elements. All the gods reside in the water. From water, the entire creation, all the variable and immovable worlds have been born. It is said in Yajurveda (27.25) that the seed of the universe was first laying in water and fire was born from it.

In Vedic era, humans were cautious and made sure that water stays free from impurities. They considered waters an auspicious drink and even for treatment, used water belonging to distinct places. They knew that Water is

gracious purifying agent and can cure ailments. The great sage Charak believed that the water in this cosmos should be preserved. He also advised that the conservation of rivers be given top importance. In Vedas, these rivers have been equated with our mother. Rigveda says 'O Humans, You should consume water which is like honeydew and has medicinal properties. Always praise water. It is written in Charak Sutra that

अनुपसैलधन्वनगुनदोसैः विभावयेत्

"he who dirties or spoils ponds, lakes, rivers, etc., or cause smell near residential areas is liable to chastisement".

Brahma Puran it was written about River Mandakini that

गंगा पुण्यजलां प्राप्तं त्रयोदश मलघर्षणम् ।

गात्रं संवाहनं क्रीडां प्रति ग्रहमयो रतिम्, अन्यतीर्थं रतिं चैव

अन्यतीर्थं प्रशंसनम् । वस्त्रत्यागमश्चातं संतारं च विशेषतः ॥²

For keeping the Mandakini Ganga Free from Pollution-defecating, achaman, throwing waste water, throwing waste flower, washing dirty clothes, washing hair, doing nuisance, taking gift, doing obscene activities, doing undesirable compliment, saying incorrect mantra, throwing dirty clothes and swimming from one bank to other is not permissible.

Further in Mahabharat, Polluting River and Killing Parents are subject to the same Punishment. It was written in Pratiga Parva that

सत्यं वः प्रतिज्ञानामी श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम् ।

ना चेद् वधभयाद् भीतो धार्तराष्ट्रान् प्रहास्यति ॥

यद्येतदेवं संग्रामे न कुर्यो पुरुषर्षभाः ।

मा स्म पुण्यकृतां लोकान् प्राप्नुयां शूरसम्मत्तान्

ये लोका मातश्हन्तृणां ये चापि पितृघातिनाम् ।

गुरुदारगतानां ये पिशुनानां च ये सदा ।

याऽप्यु श्लेश्म पुरीशं च मूर्त्रं वा मुञ्चतां गतिः ।

तां गच्छेयं गतिं कष्टां न चेद्भन्यां जयद्रथम् ॥

Also, after Kauravas killed Abhimanyu in a conspiracy, Arjuna vowed,

"I will kill Jayadratha tomorrow. I will slay him, unless out of fear, he abandons the sons of Dhritarashtra, or seeks refuge with us, or seeks sanctuary with Purushottam

Krishna.. There are worlds attained by those who Kill there Parents and those who release phlegm, excreta and urine in water. If I do not kill Jayadratha, let those terrible ends be mine. “

Indians have used planning and administration of water since ancient times. Water management was also explored by Kautilya in the Arthashastra. Water run-off and drainage systems were important to the Indus Valley civilisation. Water was conserved for irrigation throughout the Harappan period. For the disposal of wastewater, drainage systems and soak-pits were developed in Ujjain and Taxila. In Bengal, there was ingenious flood management. Water collection for irrigation and fisheries began during the Sangam Period.

Medieval Era: India had a pluralistic system of water regulations. Local regulations and institutional systems have, however, been significantly altered or supplanted by developments during the last 150 years. In the time period of the Delhi Sultanate, Ghiyasuddin Tughlaq and Feroz Shah Tughlaq both shared a special interest in improving the agri-infrastructure and promoting agriculture in the empire. Firoz Shah Tughlaq worked on channelizing rivers to provide water through canals to different parts. One famous commissioned structure by him is the *baoli* inside the citadel of Ferozabad. Since 1857, the government's involvement in this field has steadily increased. The colonial-era provided states primary responsibility over water. Nonetheless, efforts to harmonise national water and environmental policies were made.

Colonial Period: The English exploited our natural resources the majority of the time. They also invested in infrastructure such as ports and trains to expedite the process. With the passage of the IPC 1860 an attempt was made during the colonial period towards environmental conservation.

Section 277 of the IPC lays down -

“.....anyone who knowingly corrupts the water of any public spring or reservoir, which makes the water unfit for the purpose of ordinary use, shall be punished with either a simple or rigorous imprisonment for a term extending to 3 months or fine up to 100 rupees”

The Shore Nuisance Act, 1853 made to counter water pollution, caused by the industries. The Oriental Gas Company Act, 1857, prohibiting obstruction in flow of water and damages to the water bodies. Other acts were, Easements Act, 1882, the Bengal Smoke Nuisance Act, 1905, 1912, the Indian Fisheries Act, 1897 etc.

Post Independence Era: In the First Five Year Plan i.e., 1951-56 priority was given to agriculture, industrialization, water supply, etc., but environment was not given its due. The environment was addressed in the Fourth Five Year Plan (1969-74) of the planning. The environmental planning process began with the IVth and Vth Five Year Plans.

Aside from the constitutional requirement to safeguard the environment, there are other laws in place to do so, including

the Water Act of 1974, the Air Act of 1981, and the Environment Protection Act of 1986.

Constitutional Provisions: Human communities used to be located on the banks of rivers. Water resources are essential to human survival. People were grateful for these resources. Then we began to discharge untreated trash into rivers, as well as indifference toward water and its resources grew which became major cause of water pollution. As a result, the qualities of water began to deteriorate. Our Supreme Court was among the first to include the idea of “healthy environment” as part of the right to “life.”

The Constitutional aspects: The Indian Constitution contains provisions in this regard and directive principles and the fundamental duties prove our commitment towards environment like Article 48-A, Article 51-A (g) the provision to protect and improve the environment and its components. In *Sachidanand Pandey v. State of West Bengal*, the Supreme Court observed in cases where ecology is involved, the court shall bear in mind Article 48-A and 51-A(g).

Remedies For Water Protection : The remedies for water protection include various types of remedies. This includes torts such as trespass, nuisance, strict liability and negligence. The statutory remedies incorporate IPC, Cr.PC, rules and guideline, acts made in this regards etc. For Example following can be preferred:

1. Remedies mentioned in Section 19 of the EPA, 1986,
2. Cr.PC, 1973, Section-133 to 143
3. IPC, 1860 Section- 268, 277 etc
4. Complaints to Central /State PCBs
5. Public interest Litigation
6. Complaint to NGT (National Green Tribunal)
7. Prevention of Water Pollution act 1974.

1. Doctrine of Absolute Liability- laid in *Union Carbide Corporation v. Union of India*

The enterprise is obligated to repay and such is not subject to any exemptions. *Shriram Gas Leak*, Oleum gas leakage caused widespread destruction, the Hon'ble Court held the quantum of damages to be proportion to the capacity and magnitude of the polluter to pay. Here, the Court deviated from this in the *Bhopal Gas Tragedy*.

In *Oleum Gas Leak* case, further, the Supreme Court is imposing maximum liability on the industrialists responsible for environmental pollution applying the polluter pays principle. The court also evolved “Preventive Rules” which says that industrialists must comply with the preventive rules to check pollution. Further, the Supreme Court issued a variety of guidelines in various cases, E.g. in *Ratlam Municipality case*, *Oleum Gas Leak case*, *Ganga Pollution case* etc.

Polluter Pays Principle- In *Vellore Citizen's case*, the Court declared that Polluter Pays Principle is a feature of sustainable development. It should be the polluting party who pays for the damage done to the environment. In *Indian*

Council for Enviro-Legal Action case, the Supreme said, that the 'Polluter Pays' principle is the absolute liability. The Polluter Pays premise is the one that applies. It is not only about compensating victims, but also about rehabilitating the affected ecosystem. People and the environment have a right to seek restitution from the polluter. The court alluded to Articles 47, 48A, and 51A(g) of the Constitution.

3. Precautionary Principle- *Vellore Citizens Forum Case*, the court developed this concept. It includes multiple, in enumeration they are, firstly, that measures must address the root cause of environmental deterioration and secondly the lack of scientific certainty should not cause postponing of the measures and lastly, the Onus of proof, is on the acting person who is alleged to have will be causing damages.

4. Public Trust Doctrine- The Public Trust Doctrine furthers that natural resources can't be made a subject of private ownership.

In *M.C. Mehta case* the court said, the public trust doctrine is a part of the law of the land. *Ajay Construction v Kakateeya Nagar Co-op Housing Society Ltd*

claimed that the local council violated the law. According to the Andhra Pradesh High Court, anyone involved in construction, particularly of multi-story apartments, had absolute obligation for allowing effluents from sewers to escape. The municipality was ordered by the court to sever connections. In *Hamid Khan v. State of the Madhya Pradesh*. It was made clear by the Hon'ble Court that it is the obligation of the state to improve its inhabitants' nutrition and living conditions. Fluoride concentrations in tube well water were found to be excessively high. It causes skeletal/dental fluorosis, among other disorders. The court mandated a variety of corrective and rehabilitative actions to be implemented.

Every state is responsible for regularly monitoring the quality of water, whether it comes from streams, rivers, or underground. The pollution of underground water pollution multiplies if mixed with house hold sewage or discharge of industries, against which the Supreme Court had taken stringent action in the past in various judgments, & has gone far to order their closure for the benefit of citizenry. The Ganga Pollution case, *M.C Mehta V/s Union of India* is a specific illustration where the Supreme Court ordered to stop the discharge of waste in Ganga. The court determined that the negative impact on the public caused by the discharge of trade effluents outweighed the inconvenience given to polluting organizations as a result of the closure. In addition, tanneries were given the option of establishing primary treatment plants (PTP) or closing down.

5. Doctrine of Sustainable Development- A type of development that meets the needs without compromising the ability of the future is called as Sustainable Development.

In *Rural Litigation and Entitlement Kendra v. State of UP*, the court discussed the conflict between the

environment and development and opined that, natural resources are the permanent assets of mankind and must not be exhausted. Also, In *Vellore Citizen's Welfare Forum case*, the Supreme Court observed that sustainable development is instrumental in eradicating poverty and in betterment of the standards of all hues of people.

6. Principle of Inter-generational Equity- It states that Man has responsibility to protect the environment for present and future generations and the natural resources of the earth must be safeguarded for the benefit of present and future generations.

7. The Special Burden of Proof in Environmental cases- It is a reversal of the general rule. Those who are working to preserve environment should not bear but the other party, who is polluting must bear it.

8. Principle of Good Governance- It includes the rule of law, transparency and accountability, respect of human rights and the proactive participation of citizens.

9. Principle of Non-Regression- It means that there is an obligation of states to not to take regressive measures, when it comes to environment cases.

10. Doctrine of Unjust Enrichment and restitution- 'restitution' denotes the restoration and also compensation, reimbursement, indemnification of benefits derived from loss of another. If one obtains benefit without authority, the law will compel restitution.

11. Ecocentric approach to the environment – If we look at the present scenario, we are witnessing a debate i.e., ecocentrism v. anthropocentrism. Anthropocentrism asserts that human beings have comparatively more inherent worth than other species and are a defining element. As a result, other species can be abused and exploited for human's sake. The environment, according to this viewpoint, exists solely to protect human well-being. The ecocentric approach to the environment, on the other hand, emphasises the moral obligation to respect all forms of life and respects their interdependence. Ecocentrism advocates for the preservation of all living forms, not only those that are valuable to humans.

Protection bestowed by the judiciary: There are numbers of following judgments with respect to the protection extended by the courts towards the environment.

1. The Right to a healthy Environment

Charan Lal Sahu Case

The Supreme Court in this case said, the right to life guaranteed by Article 21 of the Constitution includes the right to a healthy environment.

Damodhar Rao vs. Municipal Corporation Hyderabad

The Court resorted to the Constitutional mandates under Articles 48A and 51A(g) to support this reasoning and went to the extent of stating that environmental pollution would be a violation of the fundamental right to life and personal liberty as enshrined in **Article 21** of the Constitution.

2. Public Nuisance: The Judicial Response

Ratlam Municipal Council v. Vardhichand

The judgment is example of mass activism against inaction of concerned authorities and social justice, **J. Krishna Iyer** observed that, social justice is due to and therefore the people must be able to trigger off the jurisdiction vested for their benefit to any public functioning. Thus he recognized PIL as a Constitutional obligation of the courts. In *Narula Dyeing and Printing Works* the problems related to textile factories, which discharged effluents, Gujarat High Court stressed that consent orders are not to insulate them against or gives them a token to pollute without complying with the standards of tolerance limits prescribed. The responsibility to find out whether conditions were violated is completely on the board, the court further stated that the SPCBs if on the basis of the analysis report opines that there is no requisite treatment plant put up or the tolerance limits exceeded, ordinarily court will not sit in appeal over its views.

In the case of *A.P. Pollution Control Board II vs. Prof. M.V. Nayudu*, the state government granted polluting enterprise an exemption and allowed it to be built near, *Himayat Sagar Lake* and the *Osman Sagar Lake*, two precious lakes, and this was done in contravention of the Environment Protection Act of 1986. The Supreme Court declared the exclusion null and void, ruling that the Environment Protection Act and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 do not allow the State to grant such an exempt to a specific industry in an area where such industries are prohibited. Other High Courts in India also upheld the right to have clean drinking water as a fundamental right as per Article 21.

3. Relief / Compensation : In *Ratlam Municipality vs Vardichand* the court denied the Ratlam Municipality's claim of financial inability, stating that the Criminal Procedure Code appears to apply to statutory bodies and others regardless of the amount of money in their coffers, because human rights under Part III of the Constitution must be treated with respect by the State regardless of budgetary provision. Otherwise, any statutory body or other agency will lawfully refuse its duty under the guise of self-created insolvency.

Also, in *Indian Council for Enviro-Legal Action* case, the Supreme Court's opinion was that the cost of damages should be borne by businesses instead of Governments since the expense would eventually be borne by blameless taxpayers, while the firms are the guilty. It is true that the general population, particularly the poor, are already paying the highest price in the form of hazardous surroundings, dirty water, and so on. In the *Vellore Citizens* case, the Hon'ble court said, that the 'Polluter Pays' principle is the absolute liability. The Polluter Pays premise is the one that applies. It is not only about compensating victims, but also about rehabilitating the affected ecosystem. People and the environment have a right to seek restitution from the polluter. The court alluded to Articles 47, 48A, and 51A(g) of the Constitution.

4. Right to Water: In the case of *A.P. Pollution Control Board vs. Prof. M.V. Nayadu (Retd.)*, it was explained that drinking water is essential to human survival and that it is the obligation of the state under Article 21 to provide safe drinking water to its residents. There is an urgent need of preventing our environment from being polluted. In *Narmada Bachao Andolan v. Union of India*, the Supreme Court held that Water is the basic need for the survival and is part of the right to life and human rights. In *Bandhu Muktimorcha* case it was found that several workmen were 'bonded labourers.' They were living in conditions of extreme poverty. The mine owners did not provide them with shelter, clean drinking water, latrines or medical facilities, etc. due to the same, the PIL was filed under **Article 32** of the Constitution. The Supreme Court, stated that there is no doubt that pure drinking water is absolutely essential to the health and welfare of the workmen and some authority has to be responsible for providing it, derived the concept of right to 'healthy environment' as part of the Right to life. In *M.C. Mehta vs Kamal Nath* the Supreme Court found that the state is not only responsible for controlling supply of water, but also for acknowledging the right to safe drinking water and preventing health risks. The Court held that the right to water is a right to life, and hence a fundamental right in *State of Karnataka v State of Andhra Pradesh*. In *Narmada Bachao Andolan vs Union of India*, it was held that water is the vital for survival and belongs to the right to life and human rights. In the matter of *Chameli Singh* Court observed, in any civilized community, the right to life entails the right to food, water, the environment, medical treatment, and shelter. The Gujarat High Court in the matter of *Shailesh r. shah* held that that the municipal corporations are under obligation to make provisions for management of water works and constructions necessary for supply of water. The *panchayats* must ensure supply of water for domestic use, and construction of and cleaning of ponds, tanks, wells etc.

International Influences: The UN vouches for Intergenerational equality which is a key component in protection of our Natural resources like water. It focuses on sustainable growth. Poverty, unemployment, and hunger are all issues that must be handled as a society. Certain actions affect several generations and include the acts and behaviours of people of different times and generations.

Principle 1, 2 <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>

Principle #1, states that man has the right to freedom and equality in a quality environment that allows him to live a dignified life, and that he bears responsibility for environmental protection for present and future generations. Principle #2, states that the earth's natural resources must be protected for the benefit of future generations of present and future generations through planning & management. Broad-ranging 'water sector reforms' have been influenced by international influences, which have been carried out

partly through projects aimed at introducing changes in specific places, such as reforms in water services in specific cities, or in specific activities, such as the introduction of participatory management in irrigation. While these revisions are tied to the above-mentioned water policies, they were not always accompanied by legal amendments. Over time, regulatory adjustments have become more important in ensuring the spread of water reforms, as well as their predictability and stability.

Conclusion: The modern acts are undeniably a considerable advancement beyond previous legislations, but it is wrong to say that legislations could not be made better and in the light of a general decline in the state of the natural water environment, there is every reason to suppose that a strengthening of the laws is necessary.

To obtain such objective following are some suggestions,

Public Awareness: Media is the fourth pillar of democracy. It plays an important role just by publishing info in media and is far reaching. Water pollution can be checked by mere mindfulness, influencing the mind and developing positive attitudes of the people for protecting water pollution.

Periodic Inspection: Periodical and frequent exercises of sample collection are very important to give an idea about the quality standards of water, reasons which are polluting the water via looking at the contents of samples. It will help in good understanding of the problem and if a problem is well understood, it is half solved.

Public awareness : Public awareness is a crucial condition. Therefore, for the sake of awareness, the Apex Court in *M.C. Mehta* case directed the governments to ensure obligatory display messages on environment at various public platforms.

Changes in Judicial aspects: Law Commission of India in its 186th report proposed for the environment court. Hence, separate environmental courts are important so that the judiciary can act viably. New acts are just like '*old wine in new bottle*' unless the reason of failure of previous is found out and cured, a number of legislations instead of addressing loopholes are just paperwork and mere eyewash. It is necessary to address the issue of water pollution properly, have an infrastructure for desired treatment of effluents before letting it into water body. All the stakeholders should be co-operating. For monetary security an Environmental Awareness Fund may be created. Farmers should be encouraged to Practice drip irrigation, should be taught water harvesting, and it is important to aware them about harms caused by irrigation with polluted water. It helps in recharging groundwater. It also conserves water which can be used in the dry season when water is needed the most. With rainwater harvesting we do not have to rely on the uncertain monsoon rainfall.

Need to Revise Old Laws/Penalties: We find that, our legal provisions need overhaul. Offence should be made non-bailable. EIAs should be made pro environment not

be against it. It is also important to Integrate Environmental Laws into efficient few as N.D Tiwari committee pointed out. There is also a need of further reforms in NGT and for establishment an autonomous Environmental Protection Authority. Fining Powers on the Board should be enhanced.

Other Recommendations:

1. Complete Bans on detergent, illegal mining's etc; Eco-friendly Ghats should be made & discharge should be banned.
2. Create database, build Infrastructure, Sewage Treatment Plant (STPs).
3. Development of Infrastructure, use of Advance Technology- GIS and Remote Sensing.

Reforms in N. G. T - N.G.T. should be given more authority in terms of jurisdiction, and infrastructural and human resources expenditures, there is urgent need of opening of almost 10 more circuit bench of NGT in various state of Country with environment friendly Judges and expert members.

The Human interference with the nature has greatly increased. On account of increase in population & in the name of unplanned industrialization the problem of water pollution has now become a complex socio-legal issue. This requires the urgent keen attention of the Legislature/policymakers as well as Citizens. Alone Paper work is not enough to effectively tackle the serious challenges posed by water pollution. The enactment itself is not sufficient to curb pollution without appropriate effective & accountable enforcement machinery. Therefore, we have to pay equal attention towards framing/enactment of laws and ensuring their effective implementation through responsible & accountable machinery

References:-

1. Shailesh r. shah vs state of Gujrat: (2002) 3 GLR 447
2. Chameli singh vs state of UP: AIR 1996 SC 1051
3. Narmada Bachao Andolan vs Union of India: 10 S.C.C. 664
4. State of Karnataka vs State of Andhra Pradesh: AIR 2000 SC 3511
5. M.C. Mehta vs Kamalnath: (1997) 1 SCC 388
6. Bandhua mukti morcha vs UOI: AIR 1984 SC 802
7. *Narmada Bachao Andolan* vs. UOI: AIR 2000 SC 3751
8. A.P. Pollution Control Board vs. Prof. M.V. Nayadu: (2000) 6 SCC 213
9. Indian Council for Enviro-Legal Action vs UOI: J.T. (1996) 2 196
10. Ratlam Municipality vs Vardichand: 1980 AIR 1622
11. A.P. Pollution Control Board II vs. Prof. M.V. Nayadu: (2001) 2 SCC 62
12. Narula Dyeing and Printing Works vs UOI: AIR 1995 Guj 185
13. *Ratlam Municipal Council* vs. *Vardhichand*: AIR 1987 AP 171
14. *Damodhar Rao* vs. *Municipal Corporation Hyderabad*: 1980 AIR 1622

15. <i>Charan Lal Sahu vs UOI</i> : 1990 SCC (1) 613	20. AIR 1991 AP 294
16. <i>Rural Litigation and Entitlement Kendra vs. State of UP</i> 1985 AIR 652	21. <i>VelloreCitizen'svs UOI</i> : AIR 1996 SC 2715
17. <i>M.C Mehta vs UOI</i> : (1991) 2 SCC 137, (1997) 2 SCC 353	22. <i>Union Carbide Corporation vs. UOI</i> : 1992 AIR 248
18. <i>Hamid Khan vs. State of the Madhya Pradesh</i> : AIR 1997 MP 191	23. <i>Sachidanand Pandey vs. State of West Bengal</i> : [1987] INSC 43
19. <i>Ajay Construction vs Kakateeya Nagar Co-op Housing Society Ltd</i>	Footnotes: 1. Charaka, sutra 2. ब्रम्हा पुराण

भारत में महिला उद्यमी की समस्याएँ और समाधान

डॉ. बी. एस. मक्कड़ * श्वेता चौहान **

* शोध निर्देशक एवं प्राचार्य, शा. महाविद्यालय, सांवेर (म.प्र.) भारत
** शोध छात्रा (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – वर्तमान में महिलाएँ उद्यमिता के क्षेत्र में अपने योगदान द्वारा आर्थिकसम्पन्नता, महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन में सहयोगी रही हैं। वर्तमान में महिलाएँ उन समस्त गतिविधियों को पूर्ण करने में सक्षम हैं जिन्हें कभी पुरुषों का संरक्षित क्षेत्र माना जाता था। अविकसित देश के आर्थिक विकास में महिला उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। उद्योगों की स्थापना हेतु कौशल व ज्ञान, उचित प्रशिक्षण व कुछ सकारात्मक करने की प्रबल इच्छाशक्ति आदि सम्पूर्ण गुण महिला उद्यमी में विद्यमान हैं। विश्व बैंक के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा व्यवसाय के क्षेत्र में निवेश करने से राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है। उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के फलस्वरूप गरीबी कम होने के साथ-साथ आर्थिक असमानताएँ भी कम होती हैं। भारत जैसे तीव्र विकासशील देश की प्रगति में महिला उद्यमिता समाज को गतिशीलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महिलाओं को उद्योग क्षेत्र में कार्य करने हेतु अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें पितृ सत्तात्मक समाज, वित्त एवं विपणन की समस्या, भेदभाव, जोखिम क्षमता का कम होना, उत्पादन लागत का उच्चतम होना प्रमुख हैं। इन समस्त समस्याओं का समाधान परिवार, समाज एवं सरकार के संयोजित प्रयास से संभव है। सरकार ने भी बदलते आर्थिक परिवेश में महिला उद्यमिता के महत्व को महसूस किया है, इस हेतु अनेक योजनाएँ महिलाओं के विकास के लिए संचालित की हैं ताकि विकसित भारत के सपने को पूर्ण किया जा सके।

प्रस्तावना – प्राचीन काल से ही देश के संतुलित विकास में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही है। आदि काल से महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में भाग लेने के जितने अवसर प्राप्त हुए, वह समय व्यतीत होने के साथ निरन्तर कम होते गये। समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, रूढ़िवादी विचार एवं महिलाओं के क्रियाकलाप के संबंध में विकसित नवीन मान्यताओं एवं निषेधों के कारण महिलाओं का विकास नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र में महिला उद्यमियों को आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया।

भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएँ निवासरत हैं। इसके बाद भी कई मामलों में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में पीछे हैं। गत वर्षों में महिलाओं की साक्षरता दर व रोजगार के अवसरों में अकल्पनीय वृद्धि हुई है। महिला उद्यमी समाज का प्रबंध, संगठन एवं व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित समस्याओं के विभिन्न समाधान उपलब्ध कराती है, जिससे नवीन रोजगार सृजन किया जा सके। विभिन्न समय में महिलाएँ व्यवसाय में प्रवेश करने के साथ-साथ नये उद्योगों की स्थापना में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। भारत और आंध्र प्रदेश की सरकार महिलाओं के औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को स्थापित करने के लिये वित्ता पोषण प्रदान किया जा रहा है ताकि महिलाओं के आत्म-विश्वास में वृद्धि हो सके। विकासशील भारत के समाज में महिला उद्यमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं लेकिन समाज में उनकी निम्न स्थिति के कारण उनकी उद्यमशीलता की क्षमता को उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है, किन्तु पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) में महिला सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्दों में – 'महिलाओं को सशक्त बनाना एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण हेतु अतिआवश्यक है, जब महिलाएँ

सशक्त होंगी तभी स्थिर समाज निर्माण का आश्वासन दिया जा सकता है। महिलाओं के प्रति व्याप्त संकीर्ण मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है ताकि संविधान में दिए गए समान अधिकार दिए जा सकें। लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति तीव्र करने की आवश्यकता है। महिला उद्यमी परिवार एवं समुदाय की आर्थिक सम्पन्नता, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण में विशेष रूप से काफी सहयोग कर विकास के लक्ष्य में अपना योगदान दे सकती है, इसलिए राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाये हैं लेकिन ये उपाय प्रभावी नहीं रहे हैं। वर्तमान में यह समस्त उद्यम अनेक समस्याओं के ग्रस्त है जो उनके प्रदर्शन पर दुष्परिणाम व विकास में बाधा डालते हैं। भारत में उच्च तकनीकी शिक्षा, संगठन एवं वाणिज्य की डिग्री के साथ पूर्व की अपेक्षा अधिक महिलाएँ औद्योगिक क्षेत्र में पैर फैला रही हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि समानता के समस्त दावों की तुलना में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों में महिला उद्यमियों की स्थिति कुछ हद तक अच्छी मानी जा सकती है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में इन्हें अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अमेरिका, जापान एवं यूरोप के बाद अब भारत में भी महिलाओं का योगदान उद्यमिता के क्षेत्र में सराहनीय है।'

साहित्य समीक्षा – शांडिल्य अनुपमा (1996) के अनुसार महिलाओं की स्थिति जीवन गुणवत्ता सूचकों के संदर्भ में सकारात्मक रूप से बदल रही है परन्तु आज भी महिलाएँ परम्परागत व्यवसाय से ही जुड़ी हुई हैं। औद्योगिक व्यवसाय संरचना से जुड़ने हेतु कुशल प्रशिक्षण एवं न्यूनतम शैक्षणिक स्तर आवश्यक है।

तपन नीता (2000) के अनुसार महिलाओं से संबंधित अधिकांश

बहसे महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी से संबंधित है, जबकि भारतीय महिलाओं के लिए सर्वाधिक प्रमुख विषय उनके विकास से संबंधित है। मानव विकास की अवधारणा को अपनाने के उपरान्त भी महिलाओं को आधारभूत सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो सकी है।

अहमद नियाज एवं अली मंसूरी (2007) ने अपने लेख में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के समक्ष चुनौतियों और संभावनाएँ व्यक्त की हैं उनके अनुसार महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु आवश्यक है कि महिलाओं के वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक आदि पक्षों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी समस्याओं का वास्तविकता के धरातल पर निरीक्षण एवं नीति-निर्धारण किया जाए। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अधिकारों के साथ-साथ उन्हें स्वस्थ मानवीय व्यवहार, समान अवसर व महत्व भी प्रदान किया जाए।

देवीशांता (2009) ने बताया कि समाज में गरीब और अति पिछड़ी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल बनाना और उनके विकास हेतु वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करना महिला सशक्तिकरण की प्रथम शर्त है। इसमें वित्तीय समावेशन की योजना एक कारगर कदम साबित हो सकती है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले संगठनों का अध्ययन करना।
2. भारत में महिला उद्यमियों की समस्याओं व उनके समाधान पर प्रकाश डालना।

अनुसंधान क्रियाविधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन महिला उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वेबसाइटों और पुस्तकालयों में उपलब्ध विभिन्न पुस्तकों, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और सार्वजनिक एवं निजी प्रकाशनों से एकत्रित द्वितीयक समकों के व्यापक विश्लेषण पर आधारित है।

भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले संगठन :

- **राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र (NRCW)** - महिलाओं के मुद्दों के प्रति नीति योजनाकारों को उन्मुख और संवेदनशील बनाने, नेतृत्व प्रशिक्षण की सुविधा और महिलाओं के विकास के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
- **वीमेन्स इण्डिया ट्रस्ट (WIT)** - WIT एक धर्मार्थ संगठन है, जिसकी स्थापना 1966 में मुम्बई और उसके निकटतम सभी समुदायों की जरूरतमंद और अकुशल महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके महिलाओं के कौशल को विकसित करने और नियमित आय अर्जित करने के लिए की गई थी।
- **महिला विकास निगम (WDC)** - WDC की स्थापना 1986 में महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान करने हेतु निरन्तर आय सृजन गतिविधियों को बनाने के लिए की गई है। इस निगम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
- **महिला विकास प्रकोष्ठ (WDC)** - इस प्रकोष्ठ की स्थापना बैंकिंग में लिंग विकास को सुव्यवस्थित करने और बैंकों द्वारा महिलाओं के कवरेज पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए की गई थी। थउउके अन्तर्गत

महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का समर्थन कर रहा है।

भारत में महिला उद्यमिता की सहायता करने वाले वित्तीय संस्थान - विगत कई वर्षों से वित्तीय संस्थान महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और परामर्श सेवाएँ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संस्थाओं में कुछ मुख्य संस्थाएँ इस प्रकार से हैं :-

1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम।
2. अखिल भारतीय विकास बैंक अर्थात् आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.एफ.सी. और सिडबी आदि।
3. विशिष्ट वित्तीय संस्थान अर्थात् एक्जिम बैंक और नाबार्ड।
4. निवेश संस्थान अर्थात् एल.आई.सी., यू.आई.आई. और यू.टी.आई. आदि।
5. क्षेत्रीय एवं राज्यस्तरीय संस्थान अर्थात् एस.आई.डी.सी. और एस.एफ.सी. आदि।
6. वाणिज्यिक बैंक।
7. सहकारी बैंक आदि।

21वीं सदी में भारत में सफल महिला उद्यमी :

1. अखिला श्रीनिवासन, प्रबंध संचालक श्रीराम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड।
2. एकता कपूर क्रिएटिव डायरेक्टर बालाजी टेली-फिल्मस लिमिटेड।
3. चन्दा कोचर कार्यकारी निदेशक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक।
4. ज्योति नाईक अध्यक्ष लिज्जत पापड़।
5. किरण मजूमदार शां अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बायोकोन लिमिटेड, ललिता डी. गुप्ते जेएमडी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक।
6. नैना लाल किन्दार डिप्टी सी.आई.ओ., एस.बी.एस.आई.।
7. प्रीता रेड्डी प्रबंध निदेशक अपोलो अस्पताल।
8. प्रिया पॉल चेयरमैन एपीजे पार्क होटल्स।

महिलाओं उद्यमियों की समस्याएँ - महिलाओं को न केवल उद्यमियों के रूप में बल्कि स्वयं महिला के रूप में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं की समस्या अनेक है। इन समस्याओं में पूँजी, विपणन, कच्चे माल, बिक्री, श्रम, तकनीकी, प्रतिस्पर्धा करो की समस्या, परिवार के समर्थन की कमी के साथ-साथ विभिन्न संसाधनों को जुटाने से लेकर उनके समुचित उपयोग करने आदि प्रमुख है। इसलिए उनकी समस्याएँ आंतरिक एवं बाहरी दोनों रूप से उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक उद्यम से उद्यम में भिन्नता पाई जाती है। इसमें से कई समस्याएँ सभी उद्यम में समान होती हैं अथवा कई समस्याएँ विशिष्ट होती हैं। कैसी भी समस्या में हो उसके समाधान हेतु कोई निर्धारित फार्मूला नहीं है। समस्याओं का समाधान उद्यमियों को स्वयं करना होगा अन्यथा उसका दुष्परिणाम उद्यम की कार्यकुशलता पर पड़ेगा। समस्याओं का कुशल व उचित समय पर समाधान संबंधित उद्यम को सफलता के शिखर पर पहुँच देता है।

1. **पुरुष प्रधान समाज** - वर्तमान प्रगतिशील समाज में भी महिलाओं को श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त नहीं है समस्त क्षेत्रों में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने के उपरांत भी महिलाओं को अपने प्रतिद्वंद्वियों की शत्रुता का पूर्णरूपेण सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप उनके समग्र विकास में अनेक बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं।
2. **अत्यधिक पारिवारिक उत्तरदायित्व** - महिलाएँ वर्तमान समाज की

धूरी है। इसलिए दोहरी भूमिका निभा रही है। महिलाएँ कार्यस्थल व पारिवारिक कार्यों दोनों के दायित्वों का योग्यतापूर्वक निर्वाह कर रही हैं, फिर भी दोनों क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

3. श्रम की समस्या - इस अध्ययन के दौरान यह देखा गया है कि चयनित समूह की महिला उद्यमियों को अपनी इकाईयों में विभिन्न श्रम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संगठन में मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है।

4. संकीर्ण मानसिकता व रीति-रिवाज - आदिकाल से ही महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व प्रदान किया जाता रहा है। वर्तमान समाज में भी विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में रूढ़िवादी रीति-रिवाज व संकीर्ण मानसिकता विद्यमान है फलस्वरूप महिलाएँ उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु संकोच करती हैं।

5. सामाजिक सुरक्षा का अभाव - महिला उद्यमियों को दुर्घटना बीमा, चिकित्सा सुविधा एवं अवकाश मातृत्व लाभ आदि सामाजिक सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। वर्तमान समय में यह सोच सुदृढ़ता से विकसित हो चुकी है कि सामाजिक सुरक्षा को सामाजिक परिवर्तन तथा विकास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

6. शिक्षा का अभाव - महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों के साक्षरता प्रतिशत की तुलना में कम है। प्राचीनकाल से ही महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में हतोत्साहित किया जाता रहा है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएँ तार्किक ज्ञान व विपणन के संबंध में सजग नहीं रहती जिसका विपरीत प्रभाव महिलाओं के विकास पर पड़ रहा है।

7. सरकारी सहयोग की समस्या - महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र व राज्य दोनों सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएँ लागू कर रही हैं। लेकिन विभिन्न स्तरों पर शोषणकारी सलाहकारों के कारण सरकारी सहायता प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है यह प्रक्रिया जटिल व अत्यधिक समय लेने वाली होती है।

8. आत्मनिर्भरता का अभाव - भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलाएँ आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन करती रही हैं इस कारण वे औद्योगिक क्षेत्रों में उल्लंघन नहीं कर पा रही हैं एक सफल महिला उद्यमी में सफलता प्राप्त करने हेतु आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की जिज्ञासा का होना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु हमारे देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है क्योंकि अधिकांश महिलाएँ स्वयं को केवल एक आदर्श माँ, पत्नी और बहन के रूप में ही देखना चाहती हैं जिसके परिणामस्वरूप वह सफल उद्यमी नहीं बन पाती हैं।

9. वित्तीय समस्याएँ - उद्योग चाहे बड़ा हो या छोटा उन्हें वित्त की आवश्यकता होती ही है। जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त की भूमिका है ठीक उसी प्रकार उद्योगों में पूँजी की भूमिका है। सामान्यतः वित्त की कमी का अर्थ कार्यशील पूँजी में कमी से है। महिला उद्यमियों के समक्ष, ऋण उपलब्धता, बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति, कार्यशील पूँजी की व्यवस्था आदि मुख्य रूप से दृष्टिगत है।

10. कच्चे माल की कमी - सही समय पर सही गुणवत्ता वाला माल उचित दर पर प्राप्त न होना महिला उद्यमियों के लिए अप्रयुक्त क्षमता का कारण रहा है, महिला उद्यमियों को अधिकांश समय कच्चे माल की कमी से गुजरना

पड़ता है। यही कारण है कि जिससे महिला उद्यमी असफल हो रही हैं।

महिला उद्यमियों की समस्याओं हेतु समाधान - वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व समृद्धि की दिशा में कार्य कर रहा है, हमारी भी प्राथमिकता होना चाहिए कि देश के समुचित विकास व प्रगति का 50 प्रतिशत निवेश महिला उद्यमी हेतु निवेशित किया जाए। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र के लिए महिला कौशल विकास की दिशा में सरकार द्वारा अनेक सह रोजगार सृजन कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। महिलाओं को उद्यमशीलता की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने व सक्षम बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है। महिला उद्यमियों की समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है।

1. महिला उद्यमियों को शिक्षित तथा जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि महिला उद्यमी रूढ़िवादी विचारों को त्यागकर नवीन विचारधारा को अपनाने में समर्थ हो सकें।
2. महिलाओं की परिवर्तित आवश्यकताओं और कौशल के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने और विविधता लाने का भी सुझाव दिया जा सकता है। साथ ही जागरूकता शिविरों के माध्यम से महिलाओं ने नवीन ऊर्जा का संचार किया जा सकता है। साथ ही जागरूकता शिविरों के माध्यम से महिलाओं ने नवीन ऊर्जा का संचार किया जा सकता है।
3. महिला उद्यमियों को समस्त शासकीय व गैर शासकीय योजनाओं की समुचित जानकारी नहीं मिल पाती है जिसके कारण महिला उद्यमी इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाती हैं। इसके लिए इन सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार व प्रसार, ऑनलाइन, कार्यकर्ता, ग्राम पंचायतों, रेडियो, टी.वी. जागरूकता शिविरों व इंटरनेट के माध्यम से किया जाना चाहिए।
4. महिला उद्यमियों को उद्योगों को पंजीकृत कराने के लिए लम्बी व जटिल प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, इस हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण होना चाहिए। आवेदन-पत्र छोटे व उनकी भाषा सरल होना चाहिए। आवेदन-पत्र के अन्तर्गत अतिआवश्यक जानकारी के ही कॉलम होना चाहिए।
5. महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करके तथा वित्तीय सहायता एवं उचित परामर्श आदि उपलब्ध कराकर इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।
6. देश की आर्थिक नीतियाँ ऐसी हो जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल उद्यमियों में सिर्फ 14 प्रतिशत महिला हैं, इनमें से 7.2 प्रतिशत अपने संसाधन स्वयं जुटाती हैं, मात्र 4.4 प्रतिशत महिलाएँ अपना कारोबार सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की सहायता से की हैं।
7. महिला उद्यमियों अपने उद्यमों में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर सकें, इस हेतु तकनीकी परामर्श को बढ़ाया जाए, बाजार महिला उद्यमी संघों की रहे नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों हेतु समर्थन करने के लिए बाजार से जोड़ा जाये साथ ही महिलाएँ ज्ञान संसाधनों और दस्तावेजों को साझा करें। इससे उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण हो सकेगा।

निष्कर्ष - जहाँ तक देश के आर्थिक विकास का संबंध है, भारत की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या में महिलाएँ निवासरत हैं। भारत एक पुरुष प्रधान

देश है इसीलिए महिलाएँ आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हैं। महिला उद्यमियों को शिक्षा की कमी, कानूनी औपचारिकताएँ, उत्पादन की उच्च लागत, सामाजिक बाधाओं आत्मविश्वास की कमी आदि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के पश्चात् भी महिला उद्यमियों के संबंध में यह करना यथोचित होगा कि विदेशों के बाद भारत में भी उद्यमिता के बढ़ते क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में भी वृद्धि हुई है। सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी हेतु विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को अपनाकर महिलाओं के महत्व को बढ़ाया है। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी जीवन को गतिशीलता प्रदान करती है, वैसे-वैसे महिलाएँ आर्थिक शक्ति के रूप में उभरती हैं। यदि एक महिला सशक्त होती है तो वह दो परिवारों के साथ-साथ देश को भी सशक्त बनाती है। अतः यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि महिला उद्यमी के सफल होने पर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि महिला उद्यमियों की समस्याओं को ठीक से संबोधित किया जाए तो वे पुरुष उद्यमियों की तुलना में अधिक सफल उद्यमी के रूप में उभर सकती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. उद्यमिता - एस.बी.पी.डी. आगरा।
2. Entrepreneurship V.K. Publications Delhi.
3. Bopouikar, N. (2007) Entrepreneurship Development & Project Management Himalaya Publication House.
4. Desai V (1996) Dynamics of Entrepreneurial Development & Management Himalaya Publishing House - Fourth Edition.
5. Lalitha, I. (1991) Women Entrepreneur Challenges and Strategies Frederick, Ebert Stifting, New Delhi.
6. Shandilya Anupama (1996) Changing Status of Indian Women : a Myth of Reality, Vir Dharam, Mahajan Kamlesh, Contem - Parary : Indian Women Changing Status and Emerging Problems, Vol. 6, New Academic Publishers, Delhi.
7. Tapan Neeta (200), Need for Women Empowerment, Rawat Publication, Jaipur.
8. अहमद नियाज एवं अली मंसूरी (फरवरी 2007) महिला सशक्तिकरण : चुनौतियाँ और संभावनाएँ प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. देवी शांता (2009) वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण योजना, मार्च।

कक्षा शिक्षण में सहकारी अधिगम की व्यूह रचनाएँ

प्रो. सरोज गर्ग * हर्षलता राठौड़ **

* पर्यवेक्षक एवं प्राचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक, उदयपुर (राज.) भारत
** शोधार्थी, जनार्दन राय नागर राज विद्यापीठ, उदयपुर (राज.) भारत

**प्रस्तावना - आचार्यत् पाद्मादत्ते पादं शिष्य स्वमेधया।
सब्रह्म चारिभ्यः पादं पादं कालक्रमेण च॥**

अर्थात् सीखने का कार्य एक चौथाई आचार्य से, एक चौथाई मेधा अपने प्रयासों से, एक चौथाई सहपाठियों के सहयोग से तथा एक चौथाई परिस्थिति आने पर समय के साथ होता है। उपयुक्त सुभाषित विद्यार्थी अपने मेधा और अपने प्रयासों, सहपाठियों के सहयोग से सीखता है।

सहकारी अधिगम में बालक एक-दूसरे की आवश्यकताओं के अनुसार आपस में अधिगम करते हैं अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाते हैं तथा दिये गये कार्यों को पूरा करते हैं। इसमें एक प्रकार का कक्षा के अन्दर कक्षा का दृश्य बन जाता है। सहकारी अधिगम एक सकल शिक्षण रणनीति है जिसमें छोटे-छोटे दल बनाये जाते हैं। प्रत्येक दल में विभिन्न स्तर के क्षमता के विद्यार्थी अधिगम के विभिन्न क्रिया-कलापों का उपयोग किसी विषय विशेष में अपने समझ में सुधार लाने के लिए करते हैं। सहकारी अधिगम प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी एक-दूसरे के कार्यों को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। इस विधि द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान एवं कौशल विकास में सहायता मिलती है। वैश्वीकरण और विकास के बदलते पहलुओं के भीतर समुदायों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा की भावना को देखते हुए शिक्षकों को, छात्रों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जहां वे देखे कि अपने दम पर कैसे सीखना है। सहकारी अधिगम में अध्यापक एक योजनाकार सहायक तथा निरीक्षण के रूप में कार्य करता है। इस विधि में बालकों को उनकी शैक्षिक आवश्यकता के आधार पर समूहों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक समूह के सभी सदस्य एक-दूसरे को अधिगम करना सिखाते हैं।

N.C.F.-2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में गम्भीर रूप से खोज के माध्यम से छात्रों की जागरूकता बढ़ाने पर और परिचित सामाजिक वास्तविकता पर सवाल उठाने की सम्भावनाएं होनी चाहिए। नये आयामों को विशेष रूप से देखने में छात्रों के अपने जीवन के अनुभव विचारणीय है।

सहकारी अधिगम की विशेषताएं:

1. सहकारी अधिगम एक विशेष प्रकार की सहयोगी शिक्षा है।
2. इसमें सम्पूर्ण कार्य के लिए एक समान तथा साझा अवबोधन तथा सरोकर होता है जो सम्पूर्णता में होता है तथा उसे सम्पादित करने का दायित्व भी सभी सदस्यों पर होता है।
3. सहकारी अधिगम में छात्र एक संरचित गतिविधि पर छोटे-छोटे समूहों में एक साथ काम करते हैं।
4. समूह में उच्च औसत और निम्न स्तर के विद्यार्थियों को मिलाकर बनाते हैं।

5. सहकारी समूह एक-दूसरे के साथ काम करके एक टीम के रूप में काम करना सीखते हैं।
6. पूरे समूह के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है।
7. प्रत्येक सदस्य का सम्मान किया जाता है।
8. इसमें छात्र संघर्षों को सुलझाने का कौशल सीखते हैं।
9. पुरस्कार समूह आधारित होता है।

सहकारी अधिगम के प्रकार : जॉनसन एण्ड जॉनसन (1998) के अनुसार सहकारी अधिगम के तीन प्रकार हो सकते हैं-

(1) औपचारिक सहाकारी शिक्षण समूह- किसी भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जैसे असाइनमेंट कार्य, व्यावहारिक कार्य, परियोजना कार्य, सामग्री विकास, कार्यशाला कार्य, समस्याओं का समाधान रिपोर्ट लिखना, प्रयोग करना, सर्वेक्षण करना, मॉड्यूल तैयार करना, शब्दावली अध्याय के अंत में दिये गये कार्य, अभ्यास आदि।

(2) अनौपचारिक सहकारी शिक्षण समूह- ये एक लिए रहते हैं अपने प्रकृति में अस्थायी होते हैं। इसमें छात्रों का ध्यान आकर्षित, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, सृजन करना, अनुकूल सीखने का माहौल इसका उद्देश्य है। इन समूहों का उपयोग कक्षा में नीरस तंत्र को तोड़ने के लिए भी किया जाता है।

(3) सहकारी आधार समूह- ये लम्बी अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है। इन समूहों में सदस्य स्थिर रहें। इसमें सेमेस्टर वर्ष एक सम्पूर्ण शैक्षणिक डिग्री कार्यक्रम इसमें आते हैं। ऐसे समूहों के माध्यम से छात्र अकादमिक सामाजिक, भावनात्मक रूप से विकसित होते हैं।

सहकारी अधिगम की व्यूहरचनाएं- शोधकर्ताओं द्वारा सहकारी अधिगम के सिद्धान्तों के व्यावहारिक अनुप्रयोगों का अध्ययन किया गया। 1970 के दशक के बाद सहकारी अधिगम शोध का मुख्य विषय रहा है। कई सहकारी शिक्षण विधियां आज व्यवहार में प्रयोग लाई जाती हैं। Slavin (1995) ने सबसे अधिक शोध विधियों की चर्चा की है। सभी सहकारी अधिगम विधियों का विचार है कि छात्र अधिगम के साथ-साथ दूसरों के अधिगम के लिए भी उत्तरदायी होते हैं सहकारी कार्य व छात्र समूह तकनीक समूह लक्ष्यों या समूह सफलता पर जो देती है जिन्हें तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समूह के प्रत्येक सदस्यों को इन उद्देश्यों का ज्ञान हो उन्हें पढ़ाये जा रहे हैं।

(A) समूह खेल प्रतियोगिता (Teams Games Tournaments T.G.T.)- इस तकनीक का विकास Salvin और इसके सहयोगियों द्वारा किया गया। इसमें सूचनाओं के अधिगम के लिए STAD की तरह विषम

समूहों का अनुदेशनात्मक प्रारूप सम्मेलित है। प्रतियोगिता के लिए विभिन्न दलों के समान क्षमता वाले तीन छात्रों का समूह में रखा जाता है TGT के शैक्षिक प्रश्नों के स्थान पर खेलों को लिया जाता है। इसमें छात्र तुलनीय क्षमता के अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रतियोगिता की चुनौती का आनन्द लेते हैं।

(B) छात्र समूह उपलब्धि वर्ग (Student Team Achievement Divisions STAD)—इस विधि को Salvin द्वारा विकसित किया गया है इसमें समूहों के मध्य प्रतिस्पर्धा सम्मिलित है। छात्रों को उनकी क्षमता जाति, लिंग के आधार पर विजातीय समूहों में बांटा जाता है। व्यक्तिगत अंक समूह के अंकों में योगदान करते हैं। समूह के लिए अंकों का योगदान पिछले प्रश्नोत्तरी प्रदर्शन में छात्र के सुधार पर आधारित है।

(C) Jigsaw—इस पद्धति का विकास Aronson 1975 द्वारा किया गया था। वर्तमान में इस पद्धति के दो अन्य संस्करण Jigsaw-II और गलसीरु खखख में उपलब्ध है। Aronson की पद्धति में पाँच सदस्यों के समूह में प्रत्येक छात्र को सम्पूर्ण पाठ में केवल एक मात्र से सम्बन्धित सूचना प्रदान की जाती है। समूह में प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग सूचनाएं प्राप्त होती है। सभी छात्रों को सफल होने के लिए सूचनाओं का ज्ञान होना जरूरी है। छात्र अपने मूल समूह को छोड़कर विशेषज्ञ समूह का गठन करते हैं जिसमें समान सूचना प्राप्त छात्र एक-दूसरे से मिलते हैं अध्ययन करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि अपने मूल समूह में अपने साथियों को इसका सर्वोत्तम शिक्षण किस प्रकार करवाया जा सकता है। इसके पश्चात् छात्र अपने मूल समूह में जाते हैं तथा अपने हिस्से का पाठ समूह के अन्य सदस्यों को पढ़ाते हैं। छात्र दो विभिन्न समूहों में मिलकर कार्य करते हैं। अंक व्यक्तिगत परीक्षा प्रदर्शन पर आधारित होते हैं। यहां उपलब्धि के लिए या सहकारी कौशल के प्रयोग के लिए कोई विशेष पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है।

(C) Jigsaw II— इस विधि को घरसरर द्वारा द्विभाषी कक्षाओं में प्रयोग करने के लिए विकसित किया गया था। सहकारी समूह के अन्तर्गत एक अंग्रेजी भाषा का छात्र एक गैर अंग्रेजी भाषा का छात्र तथा द्विभाषी छात्र को लिया जाता है। सम्पूर्ण अधिगम सामग्री भी द्विभाषी होती है।

(E) समूह जाँच (Group Investigation)—यह विधि Sharan & Sharan (1990) द्वारा विकसित की गई थी जो कि सहकारी अधिगम की अन्य विधियों की तुलना में छात्र चुनाव व नियंत्रण या अधिक जोर देती है। छात्र क्या अध्ययन करता है तथा जाँच किस प्रकार करनी है। सहकारी समूह का निर्माण किसी सामान्य विषय के किसी पक्ष में सामान्य रूचि के आधार पर किया जाता है। समूह के सभी सदस्य योजना बनाने में सहायता करते हैं कि शोध कैसे किया जायेगा तथा आपस में कार्य का विभाजन कैसे किया जायेगा। उसके पश्चात् प्रत्येक छात्र अपने हिस्से की जाँच करता है। समूह द्वारा कार्य का संश्लेषण व सारांश किया जाता है तथा निष्कर्षों को कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है।

(F) जटिल अनुदेशन (Complex Instruction)-Elizabeth Copen व उनके सहयोगियों ने स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में सहकारी अधिगम की विधियों की विकास एवं खोज को जो विज्ञान, गणित व सामाजिक अध्ययन विषय में खोज उन्मुख परियोजनाओं पर जो देती है। जटिल अनुदेशन विधि का प्रमुख ध्यान छात्रों की सभी क्षमताओं पर केन्द्रित रहता है। जटिल अनुदेशन विधि का विशेष रूप से उन कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है जहां द्विभाषी शिक्षा के छात्र तथा विषम कक्षाओं में जहां

भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक छात्र होते हैं।

(G) समूह त्वरित निर्देशन—समूह त्वरित निर्देशन विधि के अन्तर्गत मिश्रित अधिगम क्षमता वाले चार छात्र शिक्षण सामग्री व गृहकार्य को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। सहकारी अधिगम की यह विधि विशेषता 3-6 सदस्यों के समूह में वाणिज्य विषय के अधिगम के लिए प्रयोग की जाती है। समूह के छात्र दूसरे के कार्य की जाँच उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग के आधार पर करते हैं।

(H) विचार करना-जोड़े बनाना-बाँटना (Think-Pair-Share)— यह एक सरल परन्तु बहुत उपयोगी है। Frank Lyman द्वारा विकसित किया गया था। इस विधि के अन्तर्गत जब शिक्षक द्वारा कक्षा में कोई पाठ प्रस्तुत किया जाता है शिक्षक एक प्रश्न करते हैं। विद्यार्थी उसका उत्तर लिखते हैं और अपने सहपाठियों के साथ इनका आदान-प्रदान करते हैं तत्पश्चात् वे चर्चा करते हैं कि वे एक-दूसरे से सहमत या असहमत क्यों। इसका उद्देश्य शिक्षकों को मुक्त चिंतन के लिए समय प्रदान करना प्रतिभागिता से बढ़ावा देना और उन्हें अपने चिन्तन को साझा करने के लिए अवसर प्रदान करना है।

(I) गोलमेज (Round Table)— ये सरल सहकारी शिक्षण संरचना है जो बहुत अधिक सामग्री को पूरा करती है। टीम भावना का निर्माण करती है। गोलमेज के तीन चरण हैं—पहले चरण में शिक्षक एक प्रश्न रखता है जिसके कई उत्तर होते हैं, दूसरे चरण के प्रत्येक समूह से पहले छात्र एक पेपर पर एक प्रतिक्रिया लिखता है और अगले छात्र को पेपर काउण्टर लॉक वाइज पेपर पास करता है तीसरे चरण में सबसे बड़ी संख्या में सही प्रतिक्रियाओं वाली टीमों को किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त होती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सहकारी अधिगम में अधिगम प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र सक्रिय भूमिका निभाते हैं जिससे छात्र सन्तुष्टि में वृद्धि होती है। छात्रों के मध्य सामाजिक सम्पर्क के कारण, सहमति अधिगम का प्रयोग रोजगार परिस्थितियों के लिए आवश्यक एक उपयुक्त व्यवहार के मॉडल के लिए किया जा सकता है। सहकारी अधिगम की व्यूह रचना में विद्यार्थी की भूमिका स्पष्ट प्रदर्शित होती है। विद्यार्थी स्वयं सक्रिय भूमिका में रहेगा तभी सहयोगी कार्य विधि के निर्माण व उपयोग द्वारा सीखने की प्रक्रिया होगी। समूह में एक-दूसरे से चर्चा, सहयोग निष्कर्ष तक पहुंचना आदि क्रियाएं विद्यार्थी द्वारा की जाती हैं। इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्यतः नियोजक, व्यवस्थापक तथा सहायक की होती है। समूह कार्य में प्रत्येक की भागीदारी सुनिश्चित होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Vaughan, W. (2002). "Effects of Cooperative Learning on Achievement and Attitude among Students of Color. Journal of Educational Research. 95(6): 356-364".
2. Ano Maria Luque Gil (2011). "Cooperative Learning & Teaching of Geography under the Ehea Didactia Geogratia."
3. Slavin, R.E. (1995). "Cooperative Learning, Boston: Allyn and Bacon".
4. Agrawal R, and Chawla, N (2005). "Influence of Cooperative Learning on Academic Achievement. Journal of Indian Education, Vol. 31 (2)".
5. Sapon-Shevin, M. (1994). "Cooperative Learning and Middle Schools: What would it take to really do it right? Theory into Practices, 33, 183-190".

Pearl Cultivation: A New Era of Farming

Aayush Kumar Sadram*

*Research Scholar, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract - The purpose of this paper is to present a conceptual framework for guiding the process of pearl culture as the new era of agriculture and entrepreneurial practice in rural India. Pearl culture has the potential to provide increased economic opportunities towards the GDP growth of the nation. Through this research our motto is to highlight the effect of this activity on the national GDP and as well as an individual's income.

Keywords- Pearl, oysters, freshwater & saltwater pearls, nuclei.

Introduction - Pearl is one of the nine gemstones (navaratnas). It is a precious & hard object produced within the soft tissue of living shelled oysters. Just like the shell of oysters it is composed of calcium carbonate (CaCO₃). The finest quality natural pearls are highly valued as precious gemstones and are used to enhance the beauty from many centuries. These pearls are available in various shapes and colors white, pink, silver, pink, brown, black, golden, yellow just to name a few. Pearls come in eight basic shapes: round, semi-round, button, oval, circled etc.



SOURCE: IMAGES.GOOGLE.COM

Pearl culture is a technique of creating pearls with the help of oysters by planting nuclei in it and this process takes place in a tank or a man-made pond. Under this practice the following steps are followed:

1. Collection of oysters
2. Pre-operative conditioning
3. Implementation or insertion of nuclei
4. Post-operative care of oysters
5. Pond culture of implanted oysters
6. Harvesting of oysters and pearls

To perform the above procedure one must need to have a thorough knowledge of pearl cultivation which can be obtained by getting training under the government institute

or any other private training authority.

Objective- The objective of this conceptual research paper is to highlight the future prospectus of the entrepreneurial practice in the field of the pearl culture in various rural areas of the nation. This type of practice will result in contributing towards the overall growth of the national GDP. This paper also holds the solution to reduce the import level of the pearls from various parts of the globe. My main aim by presenting this conceptual paper is to bring the fact into limelight that how a small business practice can bring the prosperity and happiness at the global level.

History - The existence of pearls was noted at 420 BC, which is now on display at the Louvre in Paris. Pearls were presented as gifts to Chinese royalty as early as 2300 BC; pearl jewellery was considered as the status symbol in ancient Rome. Pearl jewellery was more costly than any of gold or diamond jewellery. These were also used as decoration objects at Egypt.

In 18th century the demand of pearls increased by several times which resulted into killing of billions of seawater oysters for getting a single pearl. Seeing this miserable condition of seawater oysters Japan developed a technique by which it started producing pearls by a technique which it kept secret and had the monopoly in big pearl production, until one of our Indian scientists discovered another efficient way to produce the pearl. According to the Dr. BV Krishnamurthy, Assistant professor (main research center, Department of Inland Fisheries, University of Agriculture Sciences) we can cultivate the pearls into the backyard of the house, by fulfilling the basic and min. requirements such as land, water, shelled muscles.

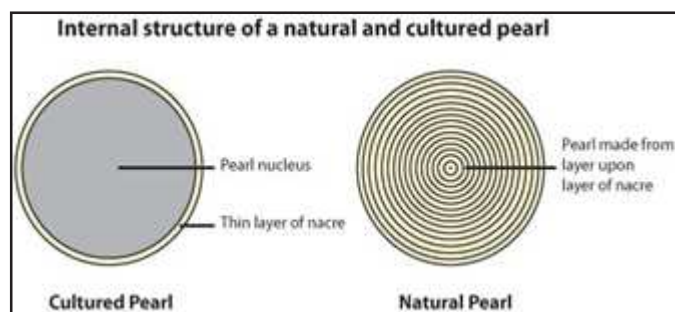
Literature Review

The pearl contains the medicinal properties of cure to 22 diseases. These pearls can be even produced by a farmer. Indeed the farmer has immense power in his hands to save the mankind. This miraculous sactivity is the outcome of

sincere observation and lots of trials done by Mr. Sanjay Gandate, a farmer. He has his residence at Pardi Kupi village, Gadchiroli district, Maharashtra (near Nagpur city). His process was standardized in the year 2005. Mr. Gandate's experiments have revealed a fact that the freshwater pearl is formed when a nuclei is inserted inside the oyster with the help of a surgery and due to the irritation of this unknown foreign substance the oyster releases a sticky chemical. The layers of this chemical keep settling down one over the previous one on the nuclei and then the pearl are formed. It consumes 18-24 months of period for a pure pearl to be formed and oyster must remain alive throughout this whole process and if the oyster dies the process ends at that very moment.

Formation Of The Pearl - Since most people are somewhat familiar with the basics of pearl formation, Natural freshwater pearls form in oysters for the same reasons that saltwater pearls form in oysters. A foreign body becomes lodged in the mollusk, and in order to reduce the irritation on its internal body, the mollusk coats the object with the same secretion it uses for shell-building. This explains the reason for the irregular shape of natural pearls as compared to the uniform shapes of cultivated pearls. This object is sometimes a bead manufactured from shell, because this is close to the density of a natural pearl.

The quality of a cultured Depending upon the pearl that you decide to cultivate, it might take you time duration between 10 months to up to 5 years. It depends upon the condition of the weather and its stability upon which the quality of pearl largely depends upon.



SOURCE: IMAGES.GOOGLE.COM

The technical requirements for establishments of the pearl farm and the operation activity are briefly described below.

Step 1: Construction of pearl farm: Construction of a pearl farm includes three steps. They are:

1. Selection of farm site
2. Construction of farm
3. Well-planned work schedule

The farm should be selected at a place near mountains and reefs, where the temperature is constant. The whole pearl farm system is based on floating wooden rafts. The timing for collecting and seeding the oyster must be scheduled and followed strictly.

Step 2: Collecting oysters: After the construction of pearl

farm, the divers are set out to the bottom of the sea or river, to collect the oysters. It is often very difficult for divers to recognize them. The shells are collected, cleaned, sized and packed into baskets for storage until they are transferred to the pearl farm.

Step 3: Seeding: Three year aged healthy oysters can be thought about for surgical implantation called seeding. This is a really delicate operation and involves three stages:

1. Preparation of grafts
2. Attaching the graft
3. Inserting the core

Step 4: Caring the oysters: The shells that are collected and transferred to the pearl farm are placed in baskets or panels that are hooked to long lines connected to the floating rafts. The rafts are dropped into the tank with the oyster securely inside the basket, where they remain until they become operated on for future seeding. The oyster will turn out over one pearl in its lifespan.

Step 5: Harvesting: After 1.5-2 years, the oysters are harvested. It is necessary to make a trial harvest to determine whether the pearls have sufficient coating. If it's not adequate then a further six months to a year of culturing is important. Collected pearls are thoroughly dried after the harvest to prevent loss of luster.

The amount invested as variable cost becomes **2.96** times of itself.

Size Of The Industry- The global leaders of cultivated pearls:

1. Australia
2. Tahiti
3. Japan
4. China
5. Indonesia

Japan is the largest producer of saltwater pearls and china is the largest producer of freshwater pearls. India is one of the largest importer of pearl due to increase in market demand of pearl so pearl culture have a bright future in India.

India was in operation of pearl fisheries additionally within the past. The traditional area which has produced natural pearls is located in Gulf of Mannar, and Gulf of Kutch, but today the production is limited. Production is also rising in Japan. Oriental pearls have been coming from old islands collections.

Employement Opportunities- These Indian colored gems and pearls industries employee more than 200,000 persons each year. Besides these workers traditional gold and silversmith have spread all over the country in large number. The modern jewellery is also pushing up their positions. The Indian workforce includes artist of both male and female. In Jaipur, in, some cases even entire families are engaged in formation pearl processing, which leads to rise of employment opportunities and lead mechanism and intellectual skill of formation and development of the pearl sector.

"Mr. Sanjay Gandate from Maharashtra's village practiced this since year 2000 when he was in class 11. Just by listening to the stories about pearls from his grandfather he decided to start experimenting on freshwater oysters and he got success in year 2015. It took 15 years for him to harvest his first batch of pearls which gave him a good amount of profit. He is fulfilling his dream of becoming a trainer by organizing workshops and training for other farmers to grow pearls." He came into limelight when the NDTV news named channel covered his work at national level.

Recent Developments- The cultured pearls have a future that is both prismatic, like the pearl itself like mist. The pearl show every promise of continuing value as an ornament for jewellery. Like other gems and jewellery, it leads to out of fashion. Pearl bearing animals tolerate limited range of oceans or fresh water environments, and these have diminished with pollution. Commercial oysters beds exposed by polluted water which are decreasing the size of pearl produced, discoloration and less translucent appearance. According to an American institute "the gemological institute of America" is planning to offer a pearl grading lab class and a retail jewellery management business course which is now taking registration in India. Mr. Amit Bamoriya a PWD engineer had left his job and started pearl cultivation along with his wife Sulochana in Hoshangabad district of M.P. He is the first person in the state of Madhya Pradesh to produce and cultivate the designer pearls.

Learning- While having a conversation with MR. Amit Bamoriya, he discussed that "the nuclei can be made with the help of a healthy oyster by cutting the thin layers of calcium fragments or body shell. Then with the help of a surgery, we can place it in the body of oyster. Since he is the first producer of designer pearl, he shared the fact that the nuclei can be anything which is made up of calcium. Upto now the designer pearls are in the shape of many symbols such Cross, Star, Lord Ganesha, OM etc. upto a person's thinking capacity.

Innovation- We want to introduce a new era of the pearl cultivation in central India. With the help of 3D printers and calcium powder (which can be obtained from oyster shells) we can print anything like, an alphabet, digits, religious symbols, facial image. Then with the help of a crucial

surgery, we can insert it in the oyster which then will be coated with calcium carbonate, which can generate an average revenue of Rs. 1000, as compared with the usual designer pearls which gives us an average revenue Rs.250-500/- .

Conclusion- Most of the Indians are directly or indirectly counting on the agriculture. Some are directly attached with the farming and few other people are involved in doing other business activity with these goods. India, as nation has the capacity to produce the grains along with the Gems, which can make huge impact towards the Indian Economy. To achieve the set target goal, the government needs to provide the support in form of land; loans and other machines to all the farmers and with this we can expect some major improvements into our national economy.

The agricultural sector of India laid to large economic variation in the development sector in the economic sector. The economic and agriculture welfare of India reach to its peak with the sustainable use of resources. The mechanism and intellectual skill of foreman of pearls leads to the larger development of pearls in India.

References:-

1. <https://www.agricultureinformation.com/sanjay-gandate-pearl-farmer/.html>
2. <http://www.indianmirror.com/indian-industries/pearl.html>
3. <https://www.studyandscore.com/studymaterial-detail/pearl-culture-technical-requirements-process-and-methods>
4. <https://www.thebetterindia.com/89574/sanjay-gandate-pearl-farmer-gadchiroli/>
5. <http://vikaspedia.in/agriculture/fisheries/fish-production/culture-fisheries/culture-techniques-of-fishes/pearl-culture/freshwater-pearl-culture>
6. <http://cifa.nic.in/>
7. <https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pearl>
8. <https://krishijagran.com/agripedia/get-upto-25-lakh-subsidy-for-pearl-cultivation/>
9. <https://business.mapsofindia.com/india-gdp/sectorwise/agriculture-growth-rate.html>
10. <https://www.purepearls.com/pages/pearl-origins-history-of-cultured-pearls>
11. <https://www.karipearls.com/pearl-farming-in-india.html>
12. <https://m.indiamart.com/bamoriya-pearl-farm/>

भारत में संघवाद : सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक स्थिति

कुसुमलता पुरोहित *

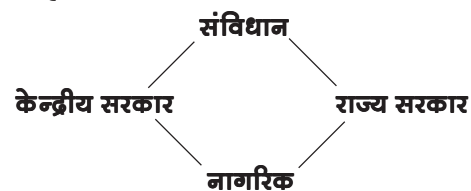
*** शोधार्थी, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत**

शोध सारांश – संघवाद संवैधानिक राज संचालन उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की इकाइयां हो जाती हैं। सामान्य रूप से प्रभुसत्ता विभाजन संघीय एवं राज्यों की सरकारों के मध्य उसके संविधान में उल्लिखित होता है जो संविदा अंतिम रूप से पुष्ट करता है संघवाद वह यंत्र है जिसके द्वारा समस्त शक्तियों का विभाजन दो प्रकार की सरकारों के मध्य हो जाता है। ये दो प्रकार की सरकारें केन्द्र और राज्य सरकारों के रूप में होती हैं संघवाद सीमित सरकार का सिद्धांत है इसके प्रमुख लक्षण- लिखित एवं कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार इकाइयों की सरकारों में शक्ति विभाजन, स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय, उच्च सदन का राज्य सदन होना। भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने यह प्रश्न मुख्य था कि संविधान का स्वरूप एकात्मक हो या संघात्मक इस प्रश्न पर मध्य मार्ग अपनाया गया। भारतीय संविधान का बहिरंग संघात्मक और अंतरंग एकात्मक हैं। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में जहां संघवाद के मान्य लक्षण पाए गए हैं वही एकात्मक राज्य के लक्षणों का प्रभुत्व भी जहां-तहां दिखाई देता है। भारत में संघवाद के विभिन्न प्रतिमान विभिन्न कालों में देखने को मिलते हैं अतः भारतीय संघवाद को समय समय पर राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिक तत्व प्रभावित करते रहते हैं।

प्रस्तावना – संघवाद की उत्पत्ति लेटिन शब्द 'फोएडस' से हुई है जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध वास्तव में महासंघ दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उससे संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रण करने हेतु एक समझौता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक व्यवस्था शासन का वह रूप है जिसमें अनेक स्वतंत्र राज्य अपने कुछ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीय सरकार संगठित करते हैं और उद्देश्यों की पूर्ति में आवश्यक व सहायक विषय केंद्रीय सरकार को सौंप देते हैं तथा शेष विषयों में अपनी-अपनी पृथक स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हैं। इस प्रकार संघ राज्य में एक संघीय सरकार होती है तथा कुछ संघीय इकाइयों की सरकार होती है संघात्मक व्यवस्था का निर्माण सामान्यतया एक लिखित समझौते जो संविधान के रूप में होता है के द्वारा होता है। संविधान द्वारा शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है अवशिष्ट शक्तियां सामान्यतया राज्यों की सरकारों के लिए होती हैं। दोनों सरकारें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं दोनों का अस्तित्व एक ही संविधान द्वारा होता है और दोनों सरकारें किसी भी तरह एक दूसरे पर अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में आश्रित नहीं रहती हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि संघ राज्य दोहरी शासन व्यवस्था है। भारत के संविधान निर्माताओं के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि संविधान का स्वरूप एकात्मक हो या संघात्मक इस प्रश्न पर मध्य मार्ग अपनाया गया संविधान का बहिरंग संघात्मक व अंतरंग एकात्मक है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और संविधान में संघवाद के कुछ मान मान्य लक्षण पाए जाते हैं वहीं एकात्मक राज्य के लक्षणों का प्रभुत्व भी जहां-तहां दिखाई देता है। भारतीय संघात्मक शासन के विषय में अनेक विद्वानों ने अलग-अलग मत प्रस्तुत किए हैं। के सी वहीयर के अनुसार, 'भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं।

भारत का संविधान संघात्मक कम एकात्मक अधिक है।' डी. डी. बसु के अनुसार भारत का संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक बल्कि दोनों का मिश्रण है। प्रोफेसर अलेक्जेंड्रोविच के अनुसार, 'भारत एक सच्चा संघ है तथापि अन्य संघों की भांति उसकी अपनी कुछ निराली विशेषताएं हैं।' डॉ. सुभाष कश्यप का विचार है कि 'संविधान दोहरे शासन तंत्र की स्थापना करता है' सरकारों की दो श्रेणियां हैं-संघ सरकार अथवा अवयवी सरकारें। संविधान में संघ सरकार व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का वितरण किया है। संघवाद के इन बहिरंग लक्षणों के बावजूद भारतीय संविधान का प्रधान स्वर एकात्मक है।

भारत में संघात्मक व्यवस्था का सैद्धांतिक स्वरूप-संघात्मक शासन व्यवस्था में सरकारों की सत्ता, केंद्रीय व राज्य की सरकारों के पारस्परिक संबंध व नागरिकों की शासन से निकटता को निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है।



संघ सरकार का सर्वोत्तम अमेरिका है। स्विट्जरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा आदि देशों में भी संघीय व्यवस्था है। डायसी के अनुसार, 'संघवाद एक राजनीति समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ सारे राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित किया जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य एक विशिष्ट संघीय व्यवस्था की स्थापना करना था। भारत में संघ का गठन लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया की

परिणति है जिसका आरंभ अंग्रेजी शासन काल में हुआ था। मार्ले मिटो सुधार, माण्टफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट तथा 1935 का एक्ट संघीय प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण थे। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान हैं-

1. संविधान की सर्वोच्चता-अमेरिकी संविधान की भांति भारतीय संविधान में यह घोषित नहीं किया गया है कि संविधान सर्वोच्च होगा लेकिन भारतीय संविधान देश का लिखित सर्वोच्च कानून है इसके उपबंध सभी सरकारों पर बाध्यकारी है किसी भी सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

2. शक्तियों का विभाजन- संविधान में शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों में किया गया है संघ सूची (100) जिस पर कानून संघ द्वारा बनाए जाते हैं राज्य सूची (61) राज्य सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं तथा समवर्ती सूची (52) जिस पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां सरकार को प्रदान की जाती हैं।

3. संशोधन प्रक्रिया-यह पूर्णतया संघीय प्रक्रिया के अनुरूप है। कतिपय संशोधन विधेयकों की राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम आठ राज्यों के विधान मंडलों के संकल्प द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि आठ राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति न हो तो संविधान के अनेक महत्वपूर्ण अंगों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों का न्यायिक आदि संघात्मक शासन विशेषताएं हैं। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान संघात्मक प्रणाली की स्थापना करता है। परंतु वहीं अनेक विद्वानों का मत है कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई है। संविधान का अधिकांश स्वरूप एकात्मक है जैसे- इकहरी नागरिकता, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, केंद्रीय सरकार राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने में समर्थ, एक एकीकृत न्याय व्यवस्था, संकटकाल में एकात्मक शासन, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, राज्य का राज्यसभा समान प्रतिनिधित्व नहीं, राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, सुपरिवर्तनशील संविधान, केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण इसके अलावा प्रधानमंत्री का चमत्कारी व्यक्तित्व एकदलीय प्रभुत्व आदि। शुद्ध संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों ही स्तर की सरकारें संपूर्ण संघीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में न तो एक दूसरे पर पूर्णतया निर्भर रहती हैं और न ही एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र रहती हैं वर्तमान संघीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में कुछ नीति निर्गत केंद्रीय व राज्यों की सरकारों की ऐसी जटिल अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं जिसमें दोनों ही स्तर की सरकारें, निर्णयों को लेने में चाहे वे किसी भी स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंध हो उन्हें लागू करने में बहुत कुछ पारस्परिकता सहयोग, सहभागिता तथा सद्भाव का प्रदर्शन करती हैं। जबकि संघवाद की परंपरागत धारणा का संकेत दोनों ही स्तर की सरकारों में अंतः क्रिया के ऐसे प्रतिमान की ओर है जिसमें प्रत्येक स्तर की सरकार का पृथक अधिकार क्षेत्र और सुनिश्चित स्वतंत्रता है। संघवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है, जो प्रचलित संघीय व्यवस्था के नवीन परिवेश में उत्पन्न पारस्परिकता के नवीन स्वरूप आधुनिक संघवाद में की व्याख्या को अपरिहार्य बना देते हैं। राजनीतिक समाजों में आर्थिक, सामाजिक,

सांस्कृतिक परिवर्तन सरकारों की कार्य विधि को भी प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही राजनीतिक व्यवस्था में कार्यरत केंद्रीय व प्रादेशिक सरकारें पृथक स्वतंत्र व अपने क्षेत्र में सीमित नहीं मानी जा सकती हैं। यह अवस्था मात्र पारिभाषिक व सैद्धांतिक है व्यावहारिक नहीं। अमल रे के अनुसार, 'संघवाद की नवीन धारणा के अंतर्गत संघीय व्यवस्था में दो तरह की सत्ताओं को राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में सहयोगी बनाया जाता है तथा एक एकीकृत समाज का निर्माण होता है।' संघवाद के परंपरागत व आधुनिक स्वरूपों का विश्लेषण करने पर संघवाद के तीन प्रतिमान स्पष्ट परीक्षित होते हैं। किसी राजनीतिक समाज के परिवेश व विशिष्ट परिस्थितियों के कारण संघात्मक शासन उक्त तीनों से किसी एक प्रतिमान के अंतर्गत माना जा सकता है। व्यवहारतः तीनों प्रक्रिया की कुछ प्रवृत्तियां हर संघात्मक व्यवस्था में देखी जा सकती हैं। यह तीन प्रतिमान हैं-

1. सहयोगी संघवाद- भारत में संघात्मक व्यवस्था सुदृढ़ पारस्परिक आपसी विचार विनिमय तथा दोनों स्तर की सरकारों में निरंतर संपर्क की स्थापना का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान एक सहकारी की स्थापना करता है जिसके अंतर्गत अनेकों को ऐसे साधन व्यवस्थित किए गए हैं जिनसे विभिन्न राज्य सरकार में परस्पर तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों की अंतःक्रिया की प्रक्रिया संपन्न हो सके। वित्त आयोग, अन्तःराज्यीय समितियां, क्षेत्रीय परिषदें, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पारस्परिक सहयोग की सुदृढ़ता का प्रतीक हैं।

2. सौदेबाजी वाले संघवाद का प्रतिमान- संघात्मक शासन में विभिन्न सरकारों का गठन राजनीतिक द्वारा होता है। इन दलों में मौलिक व आधारभूत सिद्धांतों पर सामान्य सहमति के कारण राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की राजनीतिक खेल के मोटे नियमों पर सहमति इन दलों की संघीय व्यवस्था की विभिन्न सरकारों के बीच संयोजनकारी शक्ति बना देती है। क्षेत्रीय स्तर पर उद्भित दलों के कारण संभव है कि संघीय सरकार पर संघ की इकाइयों का प्रभुत्व स्थापित जाए। इस अवस्था में केंद्रीय व प्रादेशिक सरकारी सरकारों में सौदेबाजी संभव है। भारतीय संघवाद को मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघवाद कहा है।

3. एकात्मक संघवाद- व्यवहारगत राजनीतिक जटिलताओं के कारण राज्य सरकारें अपना पृथक व स्वतंत्र क्षेत्र बनाएं नहीं रख पाती हैं। व्यवहार में आज संघात्मक यह व्यवस्थाएं अनेक तत्वों में इतनी अधिक प्रभावित रहती हैं कि अनंत बार केंद्र व राज्यों की सरकारों का सीमांकन समाप्तप्राय हो जाता है। ऐसी अवस्था में संघवाद के ऐसे प्रतिमान को एकात्मवादी कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न केंद्र सरकार की अनुदान की राजनीति ने केंद्रीय सरकार को शक्तिशाली बनाने में बहुत योगदान दिया है।

संघवाद के प्रतिमानों के आधार पर भारतीय संघवाद की व्यवहारी स्थिति- भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ संघवाद के स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहा है। सन 1950 से फरवरी 1967 तक का 'केंद्रीकृत संघवाद' का युग कहा जा सकता है। इस युग में केन्द्र व राज्य सरकारों के संबंध मधुर रहे उनमें उग्र मतभेद सामने नहीं आए। केंद्र तथा राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र शासन था अतः मतभेदों को दल के संगठन के स्तर पर ही हल कर दिया जाता था। नेहरू के व्यक्तित्व तथा नेतृत्व शक्ति कोई ही राज्य विरोध करने तथा कोई नेता मतभेद उत्पन्न करने का साहस नहीं करता था। 1967-70 में चतुर्थ आम चुनाव के पश्चात संतुलन राज्यों की ओर झुका।

अधिकतर राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनी केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के उपरांत भी आपसी सहयोग बना रहा और 'सहकारी संघवाद' के युग का सुत्रपात हुआ। केंद्रीय सरकार शक्तिशाली तो थी पर राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में कमजोर नहीं होती हैं। 1971 के पंचम लोक सभा निर्वाचन तथा 1972 के राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन और जनवरी 1980 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में श्रीमती गांधी सर्वमान्य नेता के रूप में तथा कांग्रेस दल ही सर्वोच्च दल के रूप में उभर कर आया। 1975 आपातकाल से मार्च 1977 तक तो भारतीय संघ एकात्मक राज्य में परिवर्तित कर दिया गया था। समूची शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथों में आ गईं केंद्रीय सत्ता अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग कर रही थी। परंतु छठे आम चुनाव (1977) में जनता पार्टी की सरकार बनी परंतु सरकार दुर्बल स्थिति में थी क्योंकि विभिन्न घटकों से मिलकर बनी मिली जुली सरकार थी अतः राज्य सरकार ने सौदेबाजी करने का अनवरत प्रयत्न किया। कतिपय गैर जनता पार्टी सरकारों ने राज्य स्वायत्तता का नारा बुलंद किया। 1980 में लोकसभा चुनाव में पुनः एकात्मकता के स्वर पूरी प्रबलता के साथ मुखरित हुए। 1989-2003 के वर्षों में सहयोगी संघवाद तथा सौदेबाजी आधारित संघवाद का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। गठबंधन सरकारों के दौर में भारतीय संघवाद में सहयोगी संघवाद तथा सौदेबाजी पर आधारित संघवाद का ही मिलाजुला रूप देखने को मिलता रहा है। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार की स्थापना होने के साथ ही सहयोगी संघवाद तथा सौदेबाजी के संघवाद के साथ एकात्मक संघवाद के भी तत्व उभरे हैं। ऑस्टिन के अनुसार, 'भारतीय संविधान इतना असाधारण है कि इसका संक्षेप में वर्णन करना कठिन है, अर्द्धसंघीय और 'संघीय विकेंद्रीकरण' जैसे शब्द दिलचस्प हैं लेकिन उनसे कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती।' असेंबली के सदस्यों ने स्वयं के विचार यह सिद्धांत को मानने से इंकार कर दिया उनका विचार था भारतीय समस्याएं विशिष्ट थी, ऐसी समस्याएं सामना इतिहास में दूसरे संघों को नहीं करना पड़ा। उनका हल सिद्धांत का सहारा लेकर नहीं किया जा सकता था क्योंकि संघवाद कोई विशेष विचार नहीं था इसका अर्थ स्पष्ट नहीं था। इसलिए असेंबली के सदस्यों संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, स्विजरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अनुभव का अध्ययन किया तथा उनमें क्या काम का है और क्या नहीं क्या राष्ट्र के चरित्र के हित के सबसे अनुकूल हैं, यह चुनने का रास्ता अख्तियार किया। इस प्रक्रिया से एक नए प्रकार का संघवाद उभरा जो भारत की विशेष आवश्यकता के अनुकूल था। यह असेंबली शायद प्रथम संविधान सभा थी जिसने आरंभ से ही सहयोगी संघवाद अपनाया। इसकी विशेषता है कि संघीय व क्षेत्रीय सरकारों की अधिकाधिक आपसी निर्भरता, जो साथ ही संघीय तत्व को बरकरार भी रखती हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि सभी राज्यों में ऐसी शासन व्यवस्था कायम की गई है जैसी उन देशों के लिए जरूरी थी यदि भारत में इन देशों के संघवाद संविधान की नकल नहीं की तो इसका अभिप्राय यह नहीं कि भारत में संघात्मक शासन है ही नहीं, हर देश की अपनी अलग-अलग परिस्थितियां होती हैं। भारत की परिस्थितियों ने यह जरूरी बना दिया

कि हमारे देश में एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की जाए क्योंकि शक्तिशाली केंद्र भारत की एकता का परिचायक है। शक्तिशाली केंद्र एकता बनाए रखने का भारत की उन्नति का भी साधन है। भारतीय संघवाद के निर्धारक तत्वों का यदि विश्लेषण किया जाए तो प्रमुख राजनैतिक तत्व में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का प्रभावशाली या दुर्बल व्यक्तित्व, केंद्र में एकदलीय प्रभुत्व की सरकार या मिली जुली सरकार आदि संघवाद के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। सामाजिक तत्वों में जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद तथा भाषावाद आदि संघवाद के स्वरूप को हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। भौगोलिक तत्व में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य तथा सीमांत जाज्य में सौदेबाजी की क्षमता अधिक होती है। आर्थिक तत्व में नियोजन संघवाद का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। कृषि उद्योग की दृष्टि से विकसित राज्य अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष—एक ही राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण के समन्वय का सर्वोत्तम साधन संघात्मक व्यवस्था ही प्रस्तुत करती है यह सच है कि संघीय प्रणाली के अपने गुण व दोष हैं परंतु कई अंतर्निहित कठिनाइयों के बावजूद उन्हीं देशों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां जातीय, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक कारणों के बारे में विभिन्नता मौजूद है और या विशाल क्षेत्रफल है। ऐसे देश में केवल संघीय प्रणाली ही लोगों की मुख्य समस्याओं के लिए हल प्रस्तुत करती है और ऐसी निरंकुश केंद्रीकृत सरकार के उदय से कम खतरा महसूस करती है जो उनके अधिकारों को हड़प लेगी। भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से बहुत अधिक विशाल है और धर्म, जाति, भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं से युक्त देश ऐसी स्थिति में ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाने की आवश्यकता होती है जिसमें कुछ मूलभूत बातों के संबंध में समस्त देश में एक प्रकार की व्यवस्था लेकिन अन्य कुछ विषयों में प्रादेशिक स्तर पर अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। यह स्थिति संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है भारत जैसे देश में एकता बनाए रखने का कार्य विविधता में एकता के आधार पर ही किया जा सकता है। अतः 125 करोड़ जनसंख्या वाले विविधताओं से युक्त इस देश में संघात्मक शासन को अपनाना स्वाभाविक व उचित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. ओमप्रकाश गाबा : समकालीन राजनीतिक सिद्धान्त, मयूर पेपरबैक्स
2. डॉ. रूपा मंगलानी : भारतीय शासन एवं राजनीति, राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी, छठा संस्करण, 2015 पृ. 190-195
3. सुभाष कश्यप : हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 3
4. ब्रज किशोर शर्मा : भारत का संविधान, प्रेन्टिस हल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2002
5. सी बी गेना : तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, 2006 पृ. 515-520
6. ओमप्रकाश गाबा : राजनीतिक विज्ञान विश्वकोश, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 2002

A Study of Emotional Intelligence Among Pupil Teachers in Relation to Their Social Competence and Value Orientation

Sarvesh Sachdeva* Dr. Satpal Swami** Dr. Ritu Bala***

*Research Scholar, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
** Research Supervisor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA
*** Professor, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.) INDIA

Introduction - The present study aims to determine the emotional intelligence, social competence & value orientation of pupil teacher. The research was carried out on random sample of 1000 teachers of different teacher training colleges of fazilka and ferozpur district in Punjab the researcher use standardized tools for the study statistical technique of mean standard deviation, t-test and correlation was used to analyzed the emotional intelligence social competence and value orientation of pupil teacher the result shows that there exist no significant orientation of pupil teachers emotional intelligence across demographics variables Gender, locality, academic stream and qualification. There exist significant correlation between emotional intelligence and social competence and value orientation among pupil.

Education is a life-long process. All the things that appear grand and attractive to the world are the result of education. Education provides culture and progress. This is the only means of human progress and civilization. Education helps a person to develop. Education begins from the very beginning of human consciousness. The great man derives his intellect, contemplation and power from it. It is the specialty of education that in spite of being equal in the normal behavior of life, man is superior to all other beings as a rational being.

Emotional Intelligence- Emotional intelligence is the capability to recognize, assess, and manage the emotions of oneself and others. In the recent past emotional intelligence has gained considerable attention as a developing concept in the education field as emotions have always been accepted as integral parts of being a teacher and teaching profession.

Value Orientation -The opening lines of 'A Tale of Two Cities' by Charles Dickens can be aptly applied to the India of today, when it is standing at the cross-roads - one lit up

with the revolutionary advancement in the field of science and technology and other eclipsed by degeneration of social and moral values. The world of today is passing through the phase of 'value-crisis'. The present world is the era of value-degradation. The values which once were the identity of human civilization have simply become the thing of the past. The 21st century, so-called the advanced century is caught in the tightening grip of violence, flashing 'signals' of 'value-crisis'.

Social Competence-Social competence is one's ability to handle social interactions. It is combination of wide range of cognitive abilities, emotional processes, behavioural skills, social awareness, personal and cultural values. It is a broad concept. It refers to getting along well with others, being able to develop and maintain close relationships etc. Future interactions are built on basis of social competence.

Objectives Of The Study:

1. Assessment of magnitude of emotional intelligence among pupil teachers to estimate their general level of emotional intelligence.
2. To study the magnitude of emotional intelligence among pupil teachers across demographic variables- Gender, Locality, Academic stream and qualification.
3. To study relatedness between emotional intelligence of pupils teachers in relation to their value orientations.
4. To study relatedness between emotional intelligence of pupils teachers in relation to their social competence.

Hypothesis:

1. There exists no significant variation of pupil teachers emotional intelligence across demographic variables. Gender, Locality, Academic stream and qualification.
2. There exists significant positive correlation between emotional intelligence and social competence among pupil teachers.
3. There exists significant positive correlation between

intelligence and value orientation among pupil teachers.

Delimitation of the Study: Delimitation the topic is always safe guard, vagueness and our ambition, keeping in view the limited resources, finances, time capacity and energy. The investigator delimited the present study as follow-

1. The present research work is restricted to fazilka and ferozepur district of punjab.
2. The present research work is delimited to the 1000 pupil teachers of different teacher training (B.Ed.) colleges of fazilka and ferozepur district in punjab.

Research Methology:

- In this research work survey method was used.

Tools-Following tools will be used for the present study:

1. Emotional intelligence will be assessed by using Mangal Emotional Intelligence Inventory by Dr. S.K. Mangal and Mrs. Shubhra Mangal(1971).
2. Value Orientation will be assessed by using Teacher Vluve Inventor by Dr. Mrs. Harbhajan L.Singh(1971).
3. Social competence will be assessed by using Social Competence Scaleby Dr. V.p.Sharma(1992).

Statistical Techniques used in present research work

1. Mean
2. Standard Deviation
3. T.test
4. Correlation
5. Degree of freedom
6. Graphical representation

Conclusion- There exists no significant variation of Pupil teacher's emotional intelligence across demographic variables Gender, locality, Academic stream and qualification.

Hypothesis :

1 Conclusion: On analyzing above sub hypothesis it is concluded rural and urban students have partially difference in emotional intelligence.

There is difference between emotional intelligence of female teachers students and male teacher students, whereas in the rural area there is no significant difference between emotional intelligence of male and female teacher students.

On analyzing on the basis of faculty we found different faculty male students have considerable difference in level of emotional intelligence where as female students of commerce and arts faculty [and other subjects female teachers students] don't have considerable difference.

On analyzing emotional intelligence level of graduate and post graduate students. arts faculty male have considerable difference in level of emotional intelligence where as male training students of commerce and science faculty don't have considerable differences in their emotional intelligence on the basis of their academic ability

. whereas female trainees belonging to which ever stream [arts,commerce, science] don't have considerable differences in their emotional intelligence on the basis of academic abilities .

2. There exists significant positive correlation between Emotional intelligence and Social competence among pupil teachers.

Hence as emotional intelligence of student's increases so is increase observed in social competence.

3. There exists significant positive correlation between Emotional intelligence and value orientation among pupil teachers.

Trainee student's emotional intelligence and value orientation level mean following mean correlation is found. Hence as emotional intelligence of student's increases so is increase observed in value orientation .

References:-

1. Goleman, D. et. al. (2002). *Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence*. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
2. http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/dec2003/nf2003122_5238_db035.htm.
3. Mahbod M., The role of attachment parenting in academic achievement mediated by self-efficacy. *J Appl Psychol* 2012;1:88-102
4. Ebrahimi N, et. al., (2011) The relationship between hope and academic performance of students. *J Res Plann Higher Edu*.
5. Dehshiri G. (2003) Relationship between emotional intelligence and academic achievement. *News Couns Res* ; 5 : 18-26
6. Gil-Olarte Márquez P et. al. (2006). Relating emotional intelligence to social competence and academic achievement in high school students. *Psicothema* 18 Suppl: 118-23
7. Samari A & Tahmasebi F (2008). Relationship between emotional intelligence and academic achievement in students. *J Ment Health*; 9 : 121-8
8. Best, John, W. (1977) "Research in Education." Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc.
9. Christine W. Clore, (2006) "Social skills use of adolescents with learning disabilities" an application of bandura's theory of reciprocal interaction.
10. Jennifer Howard Adkins, (2004): Investigating emotional intelligence and social skills in home schooled students, Kentucky, Elmer Gray, Dean of Graduate Studies and Research.
11. Kathleen Lynne Lane, Melinda, R. et al., (2004) "Secondary Teachers' Views on Social Competence: Skills Essential for Success." *The journal of special education*, 38 (3): 174-186.

Perspectives of Poverty Alleviation & Evolution of SHG in India

Dr. Shashank Shekhar Thakur* Sushma Mishra**

*Associate Professor, Department of Sociology & Social Work, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

** PHD Student, Department of Sociology & Social Work, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - This paper considers the strategies of self help group for micro-enterprise development in rural areas. It seeks to answer the question of whether and under which conditions self help groups are an effective vehicle for organizing and representing local people in the development of community based micro-enterprises. Focusing particularly on examples from India in the context of food as a local resource, special attention is paid to success and failure factors of self help groups. While self help group strategies have been applied in the past as a blind replication of success models without considering the intricacies involved in group formation, success of self help groups is based on a thorough understanding of local conditions and possibilities to intervene. India has adopted the Bangladesh's model in a modified form. To alleviate the poverty and to empower the women, the micro-finance has emerged as a powerful instrument in the new economy. With availability of micro-finance, self-help groups (SHGs) and credit management groups have also started in India. And thus the movement of SHG has spread out in India. Self-Help Group (SHG) program is a pragmatic approach to eradicate poverty. It is initiated as a self-employment program in the jargon of poverty eradication measures as well as empowerment program in the country.

Keywords- SHG-Self Help Group, MED- Micro Enterprise Development, CBO- Community Based Organisation, Sustainable development goals (SDGs).

Introduction - Women's self-help groups in India provide an interesting and concrete example of an intervention that is both well aligned with theoretical ideas about development as a process of capability expansion and contributes to policy priorities of gender empowerment such as SDG 5. There has been some rigorous research on self-help groups but as they continue to evolve in their conception and design, it is important to update the evaluation picture: this paper offers such an update. Today SHG movement has acquired more than one objective to alleviate poverty in rural areas and also to empower women particularly the rural and semi-urban folks." According to Raj (2006), "SHGs are the powerful media to solve many of the problems of rural India such as removal of poverty, improvement of standard of living, the development of rural economy, empowerment of women and building democratic way of living." I too endorse the views of both Prof Paul A Rego and Sudhir Raj that The WSHGs have been playing vital role in attainment of assigned goals.



SHGS – Some Background - The policy environment in India has been supportive of SHGs and the ideas of micro-finance, at least since the late 1960s when banks were required to earmark funds for poverty alleviation and development programs, and they have evolved rapidly as a Result. Research into early initiatives, for example, Harper (2002) suggested that priority should shift to the improvement of access to financial services and this has been reflected in the design of policies to support poor women in agriculture as a result. It was also found that the main priorities of the poor included the development of opportunities to amass financial surpluses and access easy to use financial services for micro enterprises and to access to loans for consumption needs, as they emerged. This has required a change in thinking about the poor, not just as consumers but also as Potential managers and entrepreneurs, which in turn has contributed to the need for Multi-faceted SHG programs, comprising a range of human development initiatives including training for skill development literacy, health, schooling, and gender sensitivity training. Some of the most successful experiences of SHGs have been in Southern India. Notable among them are APMAS (Mahila Abhivruddhi Society, Andhra Pradesh) that even gives quality-rating services and has a research and advocacy wing (Reddy and Manak, 2005) and Kudumbashree in Kerala that is a poverty

eradication initiative focused on micro finance, community and local self-government institutions. Elsewhere, in Western India (mainly Gujarat), the Self Employed Women's Association (SEWA) has sought to organize women workers for full employment and to make them self-reliant, both economically as well as in decision making. For the most part, these organizations are regional and in some cases, place particular emphasis on the types of person supported, and/or issues addressed, as in the case of Pradan, based in Rajasthan mainly, which focuses on forest-based livelihoods and natural resource management, working with poor adivasis (forest dwellers and tribal people). Most of this recent experience not been subject to rigorous evaluation, a fact that helps to motivate this study.



Self Help Groups In India :

- **Kudumbashree In Kerala-** The Kudumbashree project was started in Kerala in 1999, as a community action to eradicate poverty. It has become the largest women-empowering project in India. There are 3 components namely, microcredit, entrepreneurship and empowerment. Kudumbashree is a government agency.

- **Mahila Aarthik Vikas Mahamandal (MAVIM) In Maharashtra** - SHGs in Maharashtra were unable to cope with the growing volume and financial transactions and needed professional help. Community managed resource centre (CMRC) under MAVIM was launched to provide financial and livelihood services to SHGs. CMRC is self-sustaining and provides need-based services.

- **APMAS-** In 1998, the erstwhile Government of Andhra Pradesh envisaged to set up a Women's Bank to lend to Self-Help Groups (SHGs) and SHG Federations. The key stakeholders, including Non-Government Organizations (NGOs), Banks, and Micro-finance Institutions (MFIs), who were interested in strengthening the SHG movement felt that the issues at the field level and ensuring quality of SHGs needed priority rather than setting up a lending agency. The Government conducted a series of consultation meetings with state level NGOs engaged in the promotion of SHGs and NABARD. After many rounds of discussions, a working group was constituted, headed by Dr. Vijay Mahajan, which submitted a concept paper in 1998 indicating the need for the establishment of an autonomous state level institution to strengthen the SHGs and provide technical guidance to the institutions involved in promotion and strengthening of SHGs. It was suggested that an autonomous institution be

registered as a Public Charitable Trust, with the name Andhra Pradesh Mahila Abhivruddhi Trust. Finally, after considering different options, it was felt that a 'Society' would be a better legal form than that of a 'Trust' and hence came into being Mahila Abhivruddhi Society, Andhra Pradesh (APMAS).

APMAS was registered on 14 June 2001 as a public society under the Andhra Pradesh (Telangana Area) Public Societies Registration Act, 1350 Fasli and subsequently under Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) on 28 October 2002.

- **National Rural Livelihoods Mission-** National Rural Livelihood Mission which came into existence after the restructuring of the program Swarnjayanti Gram Swarojgar yojna (SGSY) on the recommendation of planning commission and now implemented in entire country. The core belief of NRLM is that the poor have innate capabilities and a strong desire to come out of poverty. This intrinsic capability of the poor is unleashed only when they are organized into institutions which are truly owned by them, provided sufficient capacity building and handholding support. A sensitive support structure from national level to sub district level is required to induce such a social mobilization process. A strong institutional architecture owned by the poor, enables them to: access institutional credit for various purposes, pursue livelihoods based on their resources, skills and preferences, access other services and entitlements, both from the public and private sector. The project is supported by the World Bank and is currently in execution in states of Andhra Pradesh, Kerala, Bihar, Maharashtra and Rajasthan.



Guiding Principles Of NRLM

1. Poor have a strong desire to come out of poverty, and, have innate capabilities.
2. Social mobilization and building strong institutions of the poor is critical for unleashing their capabilities.
3. An external dedicated and sensitive support structure is required to induce social mobilization.

Objective Of Poverty Alleviation: Poverty Alleviation Programmes aims to reduce the rate of poverty in the country by providing proper access to food, monetary help, and basic essentials to the households and families belonging to the below the poverty line.

Self Help Groups -What Are SHGS?

Self-help Groups (SHGs) are informal associations of

people who come together to find ways to improve their living conditions. They are generally self-governed and peer-controlled.

People of similar economic and social backgrounds associate generally with the help of any NGO or government agency and try to resolve their issues, and improve their living conditions.



The Emergence Of Self Help Groups – Origin And Development In India:

1. The origin of SHGs in India can be traced back to the establishment of the Self-Employed Women's Association (SEWA) in 1972.
2. Even before, there were small efforts at self-organising. For example, in 1954, the Textile Labour Association (TLA) of Ahmadabad formed its women's wing in order to train the women belonging to families of mill workers in skills such as sewing, knitting, etc.
3. Ela Bhatt, who formed SEWA, organised poor and self-employed women workers such as weavers, potters, hawkers, and others in the unorganised sector, with the objective of enhancing their incomes.
4. NABARD, in 1992, formed the SHG Bank Linkage Project, which is today the world's largest microfinance project.
5. From 1993 onwards, NABARD, along with the Reserve Bank of India, allowed SHGs to open savings bank accounts in banks.
6. The Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojana was introduced in 1999 by GOI with the intention of promoting self-employment in rural areas through formation and skilling of such groups. This evolved into the National Rural Livelihoods Mission (NRLM) in 2011.

Evolution Stages Of Self Help Groups In India: Every Self-help group usually goes through 3 stages of evolution stated below:

1. **Formation of group**
2. **Funding or Formation of Capital**
3. **Development of required skills to boost income generation for the group**

Many self-help groups are formed with the assistance of Self-help to promote agencies.

The various types of Self-help promoting agencies are stated below:

1. Non-governmental agencies
2. Government
3. Poverty management programmes

4. State & commercial banks
5. Microfinance institutions
6. SHG Federations
7. SHG leaders/Entrepreneurs

Functions Of Self Help Groups:

1. They try to build the functional capacity of poor and marginalised sections of society in the domain of employment and income-generating activities.
2. They offer collateral-free loans to sections of people that generally find it hard to get loans from banks.
3. They also resolve conflicts via mutual discussions and collective leadership.
4. They are an important source of microfinance services to the poor.
5. They act as a go-through for formal banking services to reach the poor, especially in rural areas.
6. They also encourage the habit of saving among the poor.



Need For Self Help Groups:

- One of the chief reasons for rural poverty is the lack of access or limited access to credit and financial services.
- **The Rangarajan Committee Report** highlighted four major reasons for lack of financial inclusion in India. They are:
 1. Inability to give collateral security
 2. Weak credit absorption capacity
 3. The insufficient reach of institutions
 4. Weak community network

It is being recognised that one of the most important elements of credit linkage in rural areas is the prevalence of sound community networks in Indian villages. SHGs play a vital role in giving credit access to the poor and this is extremely crucial in poverty alleviation. They also play a great role in empowering women because SHGs help women from economically weaker sections build social capital. Financial independence through self-employment opportunities also helps improve other development factors such as literacy levels, improved healthcare and better family planning.

Advantages Of Self Help Groups:

- **Financial Inclusion** – SHGs incentivise banks to lend to poor and marginalised sections of society because of the assurance of returns.
- **Voice to marginalised** – SHGs have given a voice to

the otherwise underrepresented and voiceless sections of society.

- **Social Integrity** – SHGs help eradicate many social ills such as dowry, alcoholism, early marriage, etc.
- **Gender Equality** – By empowering women SHGs help steer the nation towards true gender equality.
- **Pressure Groups** – SHGs act as pressure groups through which pressure can be mounted on the government to act on important issues.
- **Enhancing the efficiency of government schemes** – SHGs help implement and improve the efficiency of government schemes. They also help reduce corruption through social audits.
- **Alternate source of livelihood/employment** – SHG help people earn their livelihood by providing vocational training, and also help improve their existing source of livelihood by offering tools, etc. They also help ease the dependency on agriculture.
- **Impact on healthcare and housing** – Financial inclusion due to SHGs has led to better family planning, reduced rates of child mortality, enhanced maternal health and also helped people fight diseases better by way of better nutrition, healthcare facilities and housing.
- **Banking literacy** – SHGs encourage people to save and promote banking literacy among the rural segment.

Problems Of Self Help Groups (SHGS):

1. Need for extending this idea into the poorest families, which is not necessarily the case at present.
2. Patriarchal mindset prevailing which prevents many women from coming forward.
3. There are about 1.2 lakh branches of banks in rural areas as opposed to 6 lakh villages in the country. There is a need to expand banking amenities further.
4. Sustainability and the quality of operations of such groups have been questionable.
5. There is a need for monitoring cells to be established for SHGs across the country.
6. The SHGs work on mutual trust. The deposits are not safe or secure.



Way Forward For Effective Self-Help Groups:

1. The Government should create a supportive environment for the growth and development of the SHG movement. It should play the role of a facilitator

and promoter.

2. SHG Movement should be expanded to Credit Deficient Areas of the Country – such as Madhya Pradesh, Rajasthan and States of the North-East.
3. Financial infrastructure should be expanded (including that of NABARD) by adopting extensive IT-enabled communication and capacity building measures in these States.
4. Extension of Self-Help Groups to Urban/Peri-Urban Areas – efforts should be made to increase income generation abilities of the urban poor as there has been a rapid rise in urbanization and many people remain financially excluded.
5. Government functionaries should treat the poor and marginalized as viable and responsible customers and as possible entrepreneurs.
6. SHG monitoring cell should be established in every state. The cell should have direct links with district and block level monitoring system. The cell should collect both quantitative and qualitative information.
7. Commercial Banks and NABARD in collaboration with the State Government need to continuously innovate and design new financial products for these groups to meet their needs.

Conclusion - The movement of SHGs is primarily aimed at elevating the status of economically weaker sections of the society. The main and prime requirement of women and their families is to fulfil their financial needs. The journey of the women in the SHGs towards looking to their own needs, their solutions, social empowerment, understanding problems of the society and the country outside their SHGs is not a very distant dream, if the members of SHGs are capacitated well on different need based aspects.

References :-

1. UN Women (2014),
2. India Today, (2018), 'empowering-rural-women-to-be-the-main-focus'
3. UN-Women,(2014) 'Engender ing-Rural-Livelihoods'
4. BrajeshKumar,(September20,2010), 'NRLM to empower rural women',
5. <https://www.unfpa.org/resources/issue-7-women-empowerment> UNFPA, ICPD POA,Cairo,1994
6. INDIAN JOURNAL OF RESEARCH | October - 2019 Volume-8 | Issue-10 | | PRINT ISSN No. 2250 - 1991 | DOI : 10.36106
7. Arora R.C. (1990), "Integrated Rural Development", S Chand and Company, New Delhi.
8. Bera S.K. (2011), "A study of SHG-Microfinance Initiative in Purbo Midnapore District of West Bengal", Economic Affairs, Vol. 56, No. 2, June, pp. 107-116.
9. Bhai L.T, Karuppiiah C and Geetha B (2004), "Micro credit and social capitalism in rural Tamil Nadu", Social Welfare, Vol. 50, no. 10, pp.30-35.
10. Census data 2011 of Madhya Pradesh, Country Focus:

- India: Madhya Pradesh
11. District: District Profile, <http://bhopal.nic.in/profile.htm>, on 20th August 2011.
 12. Joseph E. Imhanlahimi, (2010), "Poverty Alleviation through Micro financing in Nigeria-
 13. K.Sivachi Thappa, (2012), "Success story of Poverty Alleviation Through Self-Help Groups", Kurukshetra, Journal on Rural Development, Ministry of Rural Development, New Delhi, vol. 57 No. 2, December, pp.35-38.
 14. Kannan K. P. and Pillai N. Vijayamohanan, (2009), "Basic Socio-economic security in rural India and China-a comparative study of selected villages", Indian Journal of Human Development, vol. 3, no. 2, July, pp.239-263.
 15. Khan Ashfaq (2008), "Tackling the Failure of Microfinance Efforts through Amalgamating Microfinance with Charity: Two Viable Alternatives in the Context of Pakistan", The Australasian Accounting Business & Finance Journal, Vol. 2, No.2, June, pp. 19-33.
 16. Ledgerwood, J (1999), Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective, The World Bank, Washington, D.C. Mansuri B.B. (2010), "Microfinancing through Self-Help-Groups- a case study of Bank Linkage Programme of NABARD", APJRB, Sri Krishna International Research & Educational Consortium, Vol. 1, issue. 3, December, pp. 141-150.
 17. Mohd. Najmul Islam,(2012), "The microfinance guarantee for financial inclusion: Evidence to support in India", Indian Journal of Commerce & Management Studies, Volume III Issue 1, Jan., pp. 130-134.
 18. Prospects and challenges", Journal of Financial Management and Analysis, No. 23(1), January, pp. 66-82

पूर्व मध्ययुगीन काल तथा मालवा की वर्ण एवं जातिगत व्यवस्थायें

गुलाबराव डोंगरे* डॉ. श्रीमती विजेता चौबे**

*शोधार्थी (इतिहास) ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

** प्राचार्य, ज.हा.शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, बैतूल (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मध्ययुगीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की लंबी अवधि को दर्शाता है। अवधि की परिभाषाओं में व्यापक रूप से भिन्नता है, और आंशिक रूप से इस कारण से कई इतिहासकार अब तक इस शब्द को प्रयोग करने से बचते रहे। अधिकतर प्रयोग होने वाली परिभाषा में यूरोपीय मध्य युग की ही तरह मध्ययुगीन काल को छठी शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक माना जाता है। इसे दो अवधियों में विभाजित किया गया है – प्रारंभिक मध्ययुगीन काल जो 6वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक और गत मध्ययुगीन काल जो 13वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक चला। यह काल 1526 ई. में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के साथ ही समाप्त हो गया। एक वैकल्पिक परिभाषा में, जिसे हाल के लेखकों के प्रयोग में देखा गया है, जो मध्य कालीन काल की शुरुआत को आगे बढ़ा कर 10वीं या 12वीं सदी बताते हैं, इस काल के अंत को 18वीं सदी तक धकेल देते हैं, हालांकि इस अवधि को प्रभावी रूप से मुस्लिम वर्चस्व से ब्रिटिश भारत की शुरुआत माना जा सकता है। इस प्रकार 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी की अवधि को पूर्व मध्ययुगीन काल कहा जायेगा।

पूर्व मध्ययुगीन काल एवं सामाजिक परिवर्तन – प्राचीन भारत के इतिहास में आठवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी का काल सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल में किसी भी जीवंत वस्तु की भाँति ही भारतीय सामाजिक संगठन और अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा विचारों के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन अत्यधिक सजग एवं गतिमान थे। इस काल के सामाजिक परिवर्तनों के पीछे कुछ आर्थिक घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल दिया। इस काल में व्यापार वाणिज्य का हास हुआ। रोम साम्राज्य के पतन हो जाने के कारण पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापार बन्द हो गया। इस्लाम के उदय के कारण भी भारत का स्थल मार्ग से होने वाला व्यापार प्रभावित हुआ, नगर तथा नगरीय जीवन में भी हास हुआ। सामाजिक गतिशीलता के अभाव के फलस्वरूप एक सुदृढ़ स्थानीयता की भावना का विकास हुआ। पूर्व मध्यकाल के द्वितीय चरण से हम व्यापार-वाणिज्य की स्थिति में सुधार के लक्षण देखते हैं। दसवीं शती के बाद भारत का व्यापार पश्चिमी देशों के साथ पुनः तेज हो गया जिससे देश की आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन मिला। पूर्व मध्यकाल की आर्थिक परिस्थितियों ने सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। ग्यारहवीं शताब्दी की एक रचना में सामाजिक पदों तथा जन्म के आधार पर सामाजिक विभाजन

पर बल दिया गया है, न कि व्यवसाय के आधार पर। विभिन्न धर्मों के पुरोहितों को जहाँ एक ओर पाखंडी कहा गया है, वहीं दूसरी शेष समाज का वर्गीकरण छह वर्गों के आधार पर किया गया है।

पूर्व मध्ययुगीन काल एवं मालवा की वर्ण व्यवस्थायें – पूर्व मध्ययुगीन मालवा में ब्राह्मण समाज तथा राज्य के प्रधान व्यक्ति समझे जाते थे। द्वेनसांग ने प्रायः ब्राह्मणों को धार्मिक कार्य करते हुये ही बताया है। कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वे धार्मिक कार्य के अतिरिक्त राजनैतिक कार्यों को करते हुये, राजकीय पदों पर भी आरुढ़ होते थे। परमार राजाओं के राज्य काल में यह सन्धि-विग्रहक तथा यूतक होते थे। ब्राह्मणों के पश्चात मालवा में क्षत्रियों का समाज में द्वितीय स्थान था। इनकी भी विभिन्न उपजातियाँ थी, यह कहना उचित होगा कि इस समय युद्ध प्रिय तथा शूरवीर होने के कारण विभिन्न जातियाँ क्षत्रियों में शामिल होते चली गयीं। समाज में क्षत्रियों के बाद वैश्यों का स्थान था। इनका मुख्य कार्य कृषि तथा वाणिज्यिक सम्बन्धी था। जातिगत विशेषता के आधार पर वर्गीकरण के कारण इन्हें वणिक भी कहा जाता था। यह केवल अपने देश में ही नहीं वरन् दूरस्थ देशों में भी व्यापार कार्य करते थे। समाज में इनका स्थान इनकी धन-सम्पत्ति के आधार पर निर्धारित होता था। वैश्यों के पश्चात मालवा में शुद्धों को स्थान दिया गया था। इस समय में प्राचीन काल की अपेक्षा शुद्धों की स्थिति में सुधार हुआ पाया जाता है। यह व्यापार, लघु-उद्योग एवं सेवाकार्य में संलग्न थे। अन्य वर्णों के दिये हुये भोजन से जीवन-यापन करने के कारण इन्हें पदजा से भी सम्बोधित किया जाता था। इनमें कई चारों वर्णों की स्थिति में जो अन्तर था, उसे देश का तत्कालीन दण्ड-विधान विब्लकुल स्पष्ट कर देता है। अपराधी जितने ही उच्च वर्ण का होता था, उस पर उतना ही कम जुर्माना किया जाता था। पाप के लिये प्रायश्चित्त भी जाति के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता था।

पूर्व मध्ययुगीन काल एवं मालवा की जातिगत व्यवस्थायें – पूर्व मध्यकालीन मालवा समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है भी कि इस समय मिश्रित जातियों तथा उपजातियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गयी। परम्परागत चार वर्ण भी अनेकानेक जातियों में बिखर गये तथा कई नई जातियों को इन्होंने अपने अन्तर्गत समाहित कर लिया। पूर्व मध्य काल में ब्राह्मणों की अनेक उपजातियाँ बन गयीं। इस समय ब्राह्मण वर्ग अब केवल अपने छह कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मंत्री, पुराहित, न्यायाधीश आदि जैसे सरकारी पदों पर बने रहने के अतिरिक्त, सैनिक कार्यों को भी करना शुरू कर दिया। दृष्टांत के तौर पर, पृथ्वीराज चौहान को सेनापति

स्कन्द नाम का ब्राह्मण था और सपदलालक्ष के शासक की सेना का नेतृत्व भी एक ब्राह्मण ने किया था। ग्यारहवीं सदी के कश्मीरी लेखक क्षेमेन्द्र ने ऐसे ब्राह्मणों को उद्धृत किया है, जो कारीगरों और नर्तकों के कार्य करते थे, और वे शराब, मक्खन-दूध, नमक आदि वस्तुओं के कार्यों में भी शामिल थे। स्थान भेद के कारण उन्हें भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाने लगा। ब्राह्मणों की कार्यात्मक भिन्नता निम्नलिखित उपाधियों से भी स्पष्ट होती है - श्रोतिया, पंडित, महाराज-पंडित, याज्ञनिक, पाठक, उपाध्याय, ठाकुर, अग्निहोत्री आदि। ब्राह्मण के समान क्षत्रिय और वैश्य वर्ण भी पूर्व मध्यकाल में अनेक उपजातियों में बंट गया। आठवीं सदी के बाद क्षत्रियों के बीच भी अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई।

अकेले उत्तर की 36 राजपूत जातियों के नामों की सूचियां उस समय के ग्रंथों में दी गयी है। इन राजपूत जातियाँ की उत्पत्ति आबादी के विभिन्न वर्गों जैसे - कायस्थ एवं ब्राह्मणों से हुई। इन की उत्पत्ति कुछ आदिवासी जातियों से भी हुई थी और कुछ तो मूल रूप से इन्हीं से बनी थी। जाति वृद्धि की प्रक्रिया ने वैश्य एवं शूद्रों को भी अछूता नहीं छोड़ा। जिस प्रकार ब्राह्मण जातियों की पहचान क्षेत्रीय संबंधता के साथ की गयी है, उसी तरह से वैश्य जातियों की पहचान भी की जाती है। इस तरह से वैश्य को श्रीमाली, नागर, पालीवाल, दिसावत आदि कहा जाता था। इस काल की जातियों में सबसे बड़ी संख्या शूद्रों की थी। इससे स्पष्ट होता है कि शूद्र लोग ही सबसे अधिक प्रभावित हुये। इसी समय समाज में अछूतों की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि देखने में मिली। इनमें अधिकांशतः पिछड़ी जनजातियों के लोग शामिल थे, शूद्रों की जातियां अनेक प्रकार के कार्यों को सम्पन्न करती थी। वे कृषि-मजदूर, छोटे किसान, कारीगर, शिल्पकार, नौकर-चाकर थे। इस समय एक नव-शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। भूमि अनुदानों की अभूतपूर्व वृद्धि में भूमि के लेन-देन, स्वामित्व के प्रमाणों का रख-रखाव और भूमि की नाप के आंकड़ों को रखना जैसे कार्य भी निहित थे, इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता थी, जो अपने कार्य में निपुण एवं पढ़ा-लिखा हो। इस तरह ग्यारहवीं शती के समाज में चार वर्गों के अतिरिक्त एक नये वर्ग की उत्पत्ति हुई, जिसे कायस्थ कहते थे। लगभग एक दर्जन किस्म के लेखक एवं कागजात को रखने वाले वर्गों में कायस्थ भी एक वर्ग था। गुप्त अभिलेखों में पहनी बार कायस्थ शब्द को उद्धृत किया गया है, लेकिन उत्तर-गुप्त कालीन अभिलेखों में रिकार्ड रखने वालों के नामों का भरपूर मात्रा में उल्लेख हुआ है। इनमें, कायस्थों के अलावा करण, करणिक, पुस्तपाल, लेखक, दिविरा,

अक्षरचांचू, धर्मलेखिन, अक्षयपटालिका आदि नामों का भरपूर उपयोग हुआ है। यद्यपि इन शिक्षित लोगों को विभिन्न वर्गों से भर्ती किया गया था, लेकिन बाद में ये एक जाति विशेष में परिवर्तित हो गये और इन पर भी कड़े प्रतिबंध लागू होने लगे।

उपसंहार- यद्यपि इस समय बहुत से परिवर्तन और रूपांतरण हुये, और इस तरह के परिवर्तन वर्ण विभेद की सीमाओं को लांघकर हो रहे थे, किंतु आठवीं सदी के बाद के यह सामाजिक परिवर्तन न तो सौहार्दपूर्ण थे और न ही एक समान व्यवस्था की स्थापना के लिये थे। इस समय में कई तरह के सामाजिक तनावों की भी अभिव्यक्ति हुई। ब्राह्मणों ने अपने हितों के अनुरूप जो सामाजिक वर्गीकरण किया उसकी अपेक्षा में इस तरह के प्रयासों का लक्ष्य किसी समान समाज की स्थापना करना नहीं था। 8वीं सदी के बाद और 13वीं सदी में तुर्की राज सत्ता के स्थापित होने तक जो सामाजिक संगठन विद्यमान थे, उनमें वर्ण-व्यवस्था में कुछ संशोधन हो जाने से शूद्रों का रूपान्तरण खेती करने वाली जातियों में हुआ, जिसे कि वैश्यों के समीप आ गये, नयी वर्ण-संकर जातियों में विलक्षण वृद्धि हुई और असमान भूमि तथा सैनिक शक्ति के वितरण के कारण ऐसी सामंतीय व्यवस्था का उद्भव हुआ जिसने वर्ण-व्यवस्था की सभी सीमाओं को लांघ दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शर्मा, बैजनाथ, हर्ष एण्ड हिज़ टाईम्स, पृष्ठ 328.
2. बाण, हर्षचरित्, जिल्द 2, पृष्ठ 36 - मानाविवर्त्तरि वर्णाश्रम व्यवस्थानां.
3. काणे, पी. वी., हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिल्द 2, भाग 1, पृष्ठ 175-76
4. काणे पी. वी., हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र भाग 2, पृष्ठ 131-32
5. शर्मा, डी., अर्ली चौहान डायनेस्टी, पृष्ठ 238.
6. वैद्य, सी. वी., मेडीवल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द 2, पृष्ठ 185.
7. मजूमदार, बी. डी., दि सोशियो एकांनॉमिक कण्डीशन ऑफ नार्दन इण्डिया, पृष्ठ 82.
8. राजपूताना का इतिहास, भाग 1, पृष्ठ 353-354.
9. कम्प्रेहेन्सिव हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग 2, पृष्ठ 461.
10. भाटिया, पी. दि परमारज़, पृष्ठ 279.
11. धुर्वे, कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया, पृष्ठ 50 तथा पृष्ठ 100

Personality Traits: The Predictors for Employability in Service Industry

Dr. Lokendra Vikram Singh*

*Professor & Director, Sri Aurobindo Institute of Management & Science, Indore (M.P.) INDIA

Abstract - India is a rapidly developing country in which agriculture is giving way to manufacturing, construction, and the core sectors of trade, transportation, and banking. India has the world's second-largest workforce, after China. Over 65 percent of India's enormous population is under 35 years old, and the number of professionals is constantly growing. In comparison to the rest of the world, India has a more productive workforce. Increasing population was once considered a disadvantage, but it is now considered a strength of the country. Skilled workers can integrate into the economy more quickly, improving efficiency and flexibility. Such talent capital can help businesses stay competitive and achieve long-term growth. The global economy is expected to face a skilled labour shortage of approximately 56 million people by 2020. As a result, there is the possibility of meeting skilled personnel requirements in India and elsewhere. The convenience method was used to select 200 professionals for the study. According to the findings, personality traits have a positive relationship with employability skills.

Keywords- Personality traits, Employability skills, Skilled personnel, Improving efficiency and Flexibility.

Introduction - Not only does the services sector account for the majority of India's GDP, but it has also attracted significant foreign investment, contributed significantly to exports, and created a large number of jobs. The services sector in India includes trade, hotel and restaurant services, transportation, storage and communication, financing, insurance, real estate, business services, community, social, and personal services, and construction services. The services sector drives the majority of India's economic growth. In 2018-19*, the sector contributed 54.17 percent of India's Gross Value Added (at current prices). Net service exports totaled US\$ 60.25 billion from April to December 2018. (IBEF, 2019)

Because the rate of technological advancement is at an all-time high, the strategic response to technological change, globalization, and other influences affecting labour markets should be skill development through training. The next generation of technology, particularly information and communications technologies and specific manufacturing processes, is expected to have an impact on productivity as well as the need for workers with higher-level skills and broader capabilities.

Globalization requires developing countries to improve the quality of their human resources. Improving national capabilities helps attract foreign direct investment. Despite the fact that developing countries are increasing their share of global manufacturing (due to lower wages and costs), low-cost competitive advantage is fleeting. As low-cost

producers emerge, developing countries will be forced to "upskill" sooner or later. China's low-cost manufacturing, for example, prompted skill development projects in South Korea, Taiwan, Singapore, and other Asian countries. Given the well-established links between human capital investments and economic growth, strengthening national human resources is also critical. Today, the forces of globalisation pervade all aspects of social, cultural, and economic life. Stromquist and Monkman 2000; Friedman 2006).

As has been recognised in a number of areas of education, the learning platform should be broad and open to all in order to generate innovative ideas for skill development and have the potential to compete with the challenges of the outside world. Globalization, in fact, brings many new dimensions for educational benefits. Education promotes mobility, acceptance of uncertainty, knowledge, interpersonal skills, and the ability to form harmonious relationships with people of diverse backgrounds.

As the economy moves toward the expansion of the service sector, the role of professionally trained in soft skills is gradually increasing and playing a critical role. Managers in the service industry require professionals who have acquired soft skills in a variety of areas so that they can maximise output for the industry's development. Soft skills have been given weightage in various national and international companies, according to service industry experts. Soft skills, according to them, are required at

various stages such as selection, job performance, task completion, job efficacy, and so on (Archer, W. and Davison J. 2008). Soft skills are given more weight during recruitment because they reflect the candidate's personality and assess basic domain knowledge. Employers improve domain knowledge, but soft skills acquired from the start include situation handling skills, teamwork spirit, professional etiquettes, a positive attitude toward work, and flexibility, among other things. Most tasks and responsibilities in service industries are customer oriented, so in order to perform these jobs and meet the targets, customer service skills, selling skills, negotiation skills, convincing skills, motivational skills, social networking, and so on are highly required.

Communication skills are only one aspect of soft skills. Soft skills, also known as personal attributes, improve a person's job performance. A few years ago, the primary emphasis during the course of studies was on hard skills. Learning soft skills translates into effective presentations, public speaking, interviews, and so on. Soft skills assist candidates seeking career opportunities in coordinating external partners, external customers, and internal customers (ie. Employees in other departments). They can effectively integrate technology, knowledge, management, teamwork, and specific application skills. In general, "soft" refers to style, skills, staff, and shared goals. These four characteristics are the foundations of organizational success (Knight, P.T. and Yorke, M., 2002).

Employees in a global and information-based economy must master the abilities required to connect to and influence relationships, according to Daniel Goleman's "emotional intelligence" and Daniel Pink's "a whole new mind." According to the American Society of Training and Development's State of the Industry Report, US employers spent \$ 171.5 billion on employee learning and development in 2010. According to a recent McKinsey report, organizations in the service industry face a severe shortage of highly skilled workers. It is estimated that there will be an 85 million shortfall in middle-skilled workers by 2020. (2008) (Oblinger). Businesses are looking for employees with strong soft skills in response to increased global competition and the expansion of the global economy. Employability skills necessitate the ability to manage a team, accept technological changes, and reduce stress (Deverell, 2016).

Many companies look for productive candidates right from the start when hiring aspirants. Many businesses are also taking the initiative to provide soft skills trainers to their employees, despite the high cost of doing so. Soft skills are extremely important for success in today's world. The faculty and academicians bear a great deal of responsibility for providing education that leads to employability. It is recommended that students receive soft skills training as part of their PG course and be subjected to additional external evaluation.

In today's changing corporate world, improving employability skills in management education is a major issue for all educational institutions. Management education aims to develop a wide range of managerial skills and knowledge. More emphasis is placed on candidates' job performance, which necessitates a set of job-specific abilities. In addition to their subject-specific jobs, students are expected to use their team-building and communication skills. This study investigates existing research findings and employability skill practices, as well as providing a review of topics such as employability definitions, employability skills, employer needs and expectations, and the nature of employability. India's educational system underwent a massive transformation in the twenty-first century. Many management schools still use the old teaching method. The need of the hour is for academia and industry to collaborate more closely.

Purpose of the Study- The overarching goal of this study is to assess the significance of personality traits and their integration in place of personal grooming in the service industry. Where employers are looking for candidates, efficiency is of the utmost importance. In a rapidly changing environment, it is critical to meet changing customer demands, gain a competitive advantage, and maintain the company's image on the global map. As a result, it is every university's moral responsibility to provide a platform for its students to learn soft skills so that they can groom themselves with a positive attitude. Personality instils confidence in professionals and drives them to achieve their goals and objectives, which is employability.

Literature Reviews

In her article, Choudhary, R. (2020) stated that the pandemic has disrupted the higher education sector, which is a critical factor for the country's future. In India, a large number of students go abroad for higher education, but now they want to study in their home country, which will have a negative impact on other countries such as the United States, the United Kingdom, China, and Australia. If this trend continues, there will be a significant drop in demand for international studies. The author concluded that COVID-19 has a greater impact on young learners in India, but it also has far-reaching economic and societal consequences. As a result, the study concluded that the education sector must adopt a virtual culture in order to retain students and academicians.

According to Goyal, S. (2020), schools and colleges were closed due to the pandemic, and this had a catastrophic impact on society because many factors that contribute to a healthy culture were missing, such as social interaction, facing challenges, and so on. However, in the digital teaching learning process, students and faculty members are free from stress, less exposed to violence and hassles, and can easily control the classes virtually. Culture is a collection of subsystems of rules and norms that all people who fall under this system adhere to. Open

communication, interaction, trust, team spirit, and innovation are all breath pipes of culture, but virtually all of them must be maintained to make organisational culture more acceptable.

According to Ilhaamie Abdul GhaniAzmi and Yusmini Md. Yusoff (2018), the main reason why graduates are not employed, according to Malaysian university students, is a lack of self-discipline. This result indicated that the recent competitive trend for employment evaluated not only academic achievement, but also the graduates' interpersonal and personality traits. As a result, the goal of this study is to assess the differences in Malaysian Higher Learning Institutions students' personality toward employability based on institution type and gender. According to the findings, respondents are relatively positive about the impact of certain personality traits on employability. It provided evidence for educators to think about personality skills more in their courses and to investigate instructional methodologies to improve this aspect of this skill.

Rajkumar Paulrajan (2017) investigated methods for developing employability skills, as well as estimated human resource requirements of the organised retailing industry and assessed the employability skill set in his study. As statistical tools, the Skill Matrix and Analytic Hierarchy Process were used. The combination of academic qualifications, key practical abilities, and personal skills, according to the findings, is a selling point for entry-level professions. To fill managerial positions in the retail industry, employers are looking for employees with a variety of skills, including academic qualifications, communication skills, leadership skills, teamwork skills, and work experience.

Abdul (2016) investigated the importance of employability skills for engineering graduates from the perspective of employers in collaboration with MohdYusof Husain and Seri Bunian Mokhtara. According to the findings, employers place a high value on employability skills as a must-have talent for graduates. According to the study, there were no significant differences between firm size and employability abilities. However, there are significant gaps between graduates' information skills and technical skills.

Bashir and Hussain (2012) investigated the impact of co-curricular activities on the academic achievements of Management Graduates in Abbottabad in their study. The data analysis revealed that, on average, the experimental groups outperformed the control groups. As a result, the final findings of the study revealed that co-curricular activities can assist Management Graduates in improving their academic performance. G. Kaur (2008) identified employers' perceptions of the employability skills required in the job market. According to the findings of the study, both employers and graduates believe that the order of importance in employability skills is the same.

Archer and Davison (2008) discovered a gap between what some colleges promote and what industry requires in

their study of companies' perceptions of graduate employability. Employers were unanimous in their assessment of the most important skills graduates should have. The survey found that "soft skills" (such as communication and teamwork) were given more weight than technical or "hard skills" regardless of firm size (eg, a good degree qualification, IT skills).

Objectives of the Study - To examine the relationship of personality traits with employability among the professionals.

Research Methodology

Research Design: The researcher used a mixed method and descriptive research approach in this study. The mixed method study included qualitative and quantitative variables for measuring the integration of personality development aspects and descriptive because the variables are already present in the phenomenon and are necessary for employability.

Research Area: The study was carried out in M.P.

Universe: The Professionals in Service Industry were the universe.

Sampling Size: For the purpose of the study the sample size was 200.

Sampling Method: For the purpose of this research, convenience sampling was used.

Tools for data collection: After reviewing the past studies, the questions were prepared and finally sent to the experts to review and for their remarks. These questions were based on the five pointer Likert scale with all close ended type questions. The secondary data were collected from published National and International Journals, Working papers and Conference Proceedings, Unpublished Documents of Libraries, Dissertations.

Statistical Tools: Correlation Test was applied to find out the association between personality traits and employability skills.

Results

H_{01} : There is no significant relationship between underlying dimensions of personality traits of professionals towards Employability Skills.

Correlations on underlying dimensions of personality traits of professional postgraduate students and self-determination, a dimensions of Employability Skills

	ES	EX	AG	CON	NEU	OPEN
Pearson ES	1.000	.792	.834	.844	.858	.782
Correl EX		1.000	.832	.783	.836	.861
-ation AG			1.000	.720	.835	.816
CON				1.000	.907	.861
NEU					1.000	.868
OPEN						1.000

The table depicts the correlation matrix between the independent variables for professionals personality traits and the dependent variable, Employability Skills.

The relationship between Employability Skills and extraversion, a personality trait dimension, is significant at

0.05, and the correlation value (.792) is moderate. Similarly, the relationship between the dimension agreeableness of personality traits and Employability Skills (.834) was found to be significant at 0.05. Another dimension, conscientiousness, has a correlation value of .844, neuroticism has a correlation value of .858 with Employability Skills, and openness has a correlation value of .782. As a result, the correlation between personality traits and employability skills is significant at 0.05 in all five dimensions of personality traits.

The second correlation matrix among the independent variables is discovered, in which all of the independent variables have a positive relationship with employability skills at .000, implying that the relationship among the independent variables is accepted at .000.

Conclusion- This study aims to better understand the changing need for positive interventions among professionals to meet today's industry challenges. It implies that in today's corporate culture, soft skill development at the university or college level must adapt to the needs of changing situations in order to produce future managers with all of the necessary skills. The current study attempted to bridge the gap between industry expectations and current education quality requirements in order to revitalise education in India for greater participation and viability in the global economy. It will investigate the relevance of academic output from higher education institutions to industry. The study's main goal is to establish an active interface between industry and academia, with internships playing an increasingly important role in education. In a rapidly changing world, talented human capital will be a critical component of company success. Effective business management has resulted in the creation of jobs, wealth, and access to opportunity for an increasing number of people. Practical education will be able to produce more capable leaders for society in order to achieve global success.

Suggestions- Education must address the ambiguous nature of business entry through employability skills. B-Schools must provide courses in negotiation, leadership, new product development, creative thinking, and exposure to technological innovation to accomplish this. The governance of educational institutions should be open and transparent. In India, the school system and skill-development programmes operate independently. As a result, the employability gap will widen, as will youth unemployment. As a result, businesses must construct a bridge using existing technologies to connect the two parallel streams. As a result, schools should encourage students to broaden their skill sets. The Industry-Institutes must serve as a forum for researchers from across the country to present current and relevant perspectives on entrepreneurship. Fellowships and joint research projects with Indian and international colleges and institutions should be established to stimulate entrepreneurship research.

These initiatives will gradually but steadily bring about a significant transformation in the field of entrepreneurship education in India, with a positive impact beginning to emerge. However, without the government's support and assistance, none of these procedures will result in a happy ending.

References:-

1. Archer, W. and Davison J. (2008) Graduate employability: What do employers think and want? London, the Council for Industry and Higher Education (CIHE).
2. Bashir & Hussain (2012) The effect of co-curricular activities on academic achievements of Management Graduates in district Abbottabad. Journal of Positive psychology. New York, NY: Springer.
3. Choudhary, Richa (2020) Pandemic: Impact & Strategies for Education Sector in India. Economic Times Government. 16 April, 2020.
4. Chung and Yet (2009) The good in positive psychology. Paper presented at the Second International Positive Psychology Summit., October, Washington, DC.
5. De Grip, A. Van Loo, J. Sanders, J., (2004) The industry employability index: taking account of supply and demand characteristics, International Labour Review 143(3):211-233.
6. Deverell, John (2008) Business Schools Overhaul MBAs: Managers need skills to deal with rapid change. The Ottawa Citizen. Vol.11, pp.67-78.
7. Friedman (2006) Developing Stakeholder Theory. Journal of Management Studies. Vol. 39 (1), pp.1-10.
8. Fugate, M., & Kinicki, A. J., A (2008) dispositional approach to employability: Development of a measure and test of implications for employee reactions to organizational change, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81(3), 503-527.
9. Garg et.al. (2012) Mentoring relationships in graduate school. Journal of Vocational Behavior, 59, pp. 326-341.
10. Ghosh et al., (2007) Students' perceptions of quality in higher education. Quality Assurance in Education, 11(1), 15-20.
11. Goleman, D. (2004). What Makes a Leader? [Article]. *Harvard Business Review*, 82(1), 82-91.
12. Goswami, R., (2013) Importance of Soft Skills in the Employability of IT Students. Proceedings of National Conference on Emerging Trends: Innovations & Challenges in IT, vol. 4 (4), BVIMR's Journal of Management Research. pp. 112-119.
13. Goyal, Sandeep (2020) Future Shock: 25 Education Trends Post COVID-19. Economic Times Brand Equity. 10 May, 2020
14. Gursoy, D., Rahman, I. & Swanger, N., (2012) Industry's Expectations from Hospitality Schools: What has changed?, Journal of Hospitality & Tourism Education,

- 24:4, 32-42.
15. Gursoy, D., & Swanger, N., (2005) An industry-driven model of hospitality curriculum for programs housed in accredited colleges of business: Part II. *Journal of Hospitality & Tourism Education*, 17(2), 46-56.
 16. Hofstrand, R., (1996) Getting all the skills employers want. *Techniques: Making Education & Career Connections*, 71(8), 51.
 17. Ilhaamie Abdul Ghani Azmi and Yusmini Md. Yusoff (2018) Personality And Employability among University Students, *Proceeding of INSIGHT – Universiti Sains Islam Malaysia*, Nilai, Malaysia.
 18. Lorraine Dacre Pool, Peter Sewell, (2007) The key to employability: developing a practical model of graduate employability, *Centre for Employability, University of Central Lancashire, Preston, UK. Education & Training*. Vol.49 (4) pp.277-289.
 19. Mohd Yusof Husain and Seri Bunian Mokhtara, Abdul (2016) Personality And Employability Of Malaysian University Students, *Proceeding of INSIGHT 2018 1st International Conference on Religion, Social Sciences and Technological Education 25-26 September 2018 – Universiti Sains Islam Malaysia*, Nilai, Malaysia.
 20. M. Nishad Nawaz and B. Krishna Reddy, (2013) Role of Employability Skills In Management Education: A Review, *International Journal of Business Economics & Management Research*, Vol.3 (8), pp.34-43.
 21. Matthew Groh et al., (2016) The impact of soft skills training on female youth employment: evidence from a randomized experiment in Jordan. *Journal of Labor & Development*, 5:9, pp. 3-23.
 22. Oblinger, D., & Hawkins, B. (2006). The myth about no significant difference: Using technology produces no significant difference. *Review*, 41(6), 14–15.
 23. Padmini. I (2012) Education vs Employability- The Need To Bridge the Skill Gap Among the Engineering and Management Graduates in Andhra Pradesh. *International Journal of Management & Business Studies*. Vol. 2, Issue 3, pp.78
 24. Rajkumar Paulrajan (2017) Employability Skills in Chennai Retail Market, India. *Education Economics*, Vol.17, No.1, pp.1-30.
 25. Ravindran, K. and Bandara CMYSS, (2015) "Factors Affecting Acquisition of Soft Skills and the Level of Soft Skills among University Undergraduates (With Special reference to Management Students of Rajarata University of Sri Lanka)", *International Research Symposium*. pp. 538.
 26. Singh K.S. & O. P. Singh (2015) Quality of Work Life of Teachers Working in Higher Educational Institutions: A Strategic Approach towards Teacher's Excellence. *International Journal of Advance Research in Computer Science and Management Studies* Volume 3, Issue 9, pp180-186.

Comparative Study on Non-Performing Assets (NPAs) between major Indian Public and Private Sector Commercial Banks

Anju Pandia* Dr. Purushottam Gautam**

*Research Scholar, Shaheed Bhima Nayak Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA
**Principal, Govt. Girls College, Barwani (M.P.) INDIA

Abstract - Banks in our nation have been dealing with a growing problem of non-performing assets (NPA) for over a decade, which has raised serious concerns about their financial health. As a result, the good gains from NPA Reduction Strategies under banking reforms by the Government of India and Reserve Bank of India (RBI) in this modern time have been wiped out by the expanding problem. The NPA Reduction Strategies, despite several remedial measures implemented, have not yielded meaningful outcomes. Banking and financial institutions worldwide have been infected by the malware. But the situation is worst for the banks that are owned by the government, like SBI Group and other Indian banks. Commercial banks play an important role in the arbitration procedure. Banking is fraught with danger because of the inherent risk of dealing with counterparty. It's natural for a banker to predict that not all loan portfolios are going to be profitable. Banks rely heavily on the revenue generated by loans and advances. The strength and soundness of the banking system depend on the quality and performance of the loan portfolio. This means that the borrowers must meet their obligations on time. According to a study of the Indian banking industry, non-performing assets (NPAs) remain a substantial issue and continue to impair bank profitability. The purpose of this study is to analyse the measures used by banks to reduce non-performing assets (NPAs) and their impact on profitability.

Keywords - NPA (Non-Performing Assets), Capital Adequacy Ratio, Liquidity.

Introduction - After nationalization, Indian banking has achieved considerable strides. Soon after nationalization, one of the notable successes of the Indian banking sector was geographic growth. During this time, the banking industry transitioned from small-scale to large-scale. In 1980, the second phase of the nationalization process began, with the nationalization of six more significant banks. The banking system's capacity to promote economic development, a better regional balance of economic activity, and the expansion of economic power was recognized during nationalization. It was created with the intention of bringing this system to the tiny population in rural and semi-urban areas. Prior to 1991, bankers were required to meet specified goals. The government established the agenda for action and managed the credit flow. The competition was limited, and the safety of the participants was secured. Banks were unconcerned about their efficiency or the efficacy of their loans. Many public-sector banks have become unprofitable as a result of the combined effects of the aforementioned issues. With the recommendations of the Narasimha Committee, India began the process of liberalization in 1991. By revising the policy framework and introducing internationally accepted prudential norms

relating to asset classification, income recognition, provisioning, capital adequacy, money, capital, and foreign exchange markets, interest rate regulation, and reforms, the reforms aim to improve the management of NPA and NPA Reduction Strategies of wealth. The goal was to strengthen the banking system's financial soundness. Change in the financial industry has been glacial after a decade of economic liberalization and reforms, but it is currently happening at an unprecedented rate. While millions of savers and investors in rural India still do not utilize a bank or financial service, urban India is becoming more familiar with ATMs, e-banking, and the cashless economy. The ability to function on both ends of the spectrum is a challenge for banks. By focusing on technology and migrating from proliferation to consolidation in the sector, most banks have been able to meet worldwide standards of competence and competitiveness.

Non-performing assets (NPAs) have been a looming danger to our country's banking system for more than a decade, sending frightening signals about the afflicted institutions' viability and resilience. The adverse impacts of this expanding threat have nullified the good results of NPA Reduction Strategies in a series of steps affected under

banking reforms by the Government of India and the RBI in the context of the two Narasimhan Committee reports in this contemporary age. The NPA Reduction Strategies are not generating real results, despite several remedial efforts made to address and eradicate this problem. It is a very common virus that has infected banking and financial organizations all around the world. The situation is worst for the banks that are owned by the government, the SBI Group, and all Indian financial institutions. India's banking system had to meet the goals of five years of development planning. These goals included fair distribution of income, balanced economic growth in different parts of the country, and the reduction and elimination of private sector trade and industrial monopolies. Pre-liberalization valuations of the Indian banking industry indicated a number of flaws that over time exacerbated the cost structure of the financial system, including low productivity, poor asset quality and efficiency, and technical backwardness. Even with these problems, policymakers saw a drop in the quality of assets as the biggest obstacle to making the banking industry safe and efficient. Asset quality is, in reality, a key problem that has an impact on a variety of performance measures, including profitability, arbitrage cost, liquidity, dependability, income-generating potential, and overall bank performance. Non-performing assets accumulate when asset quality deteriorates (NPAs). A commercial bank's arbitration procedure is one of its most important functions. Banking has an inherent risk since it entails counterparty risk. Under normal conditions, a banker should assume that not all loan portfolios will provide returns or income. Banks rely heavily on loans and advances for revenue. The quality and performance of the loan portfolio, i.e., the timely fulfilment of obligations by borrowers, is crucial to the banking system's strength and soundness. When looking at the Indian banking sector, it is evident that nonperforming assets (NPAs) remain a substantial concern for the industry and continues to impede bank profitability. The goal of this study is to look into non-performing asset (NPA) reduction measures and how they relate to bank profitability.

Review of Literature

Ashly Lynn Joseph's (2014) study analysing the trend of the number of nonperforming loans (NPAs) in private sector banks and public sector banks showed that the need to control the number of NPAs is growing. Joseph (2014) has been collecting secondary data on NPA for six years, from 2008 to 2013. He then put the data into bank groups and analysed it. The study comes to conclusions about the trend of NPA and the things that make it happen. It also Suggest ways to lower the amount of NPA. Priyanka Mohnani and Monal Deshmukh compared NPAs in the public and private sectors in their 2013 study of selected public and private sector banks. In contrast to Joseph (2014), Mohnani and Deshmukh (2013) chose to collect data on two well-known banks in each sector: SBI and PNB in the public sector and HDFC and ICICI in the private sector. Kajal Chaudhary and

Monika Sharma also did a study that compared the two sectors by looking at the data on the individual banks in each sector (2011). The study shows how well each sector is doing and makes suggestions for how the banks can improve their performance and handle their nonperforming assets (NPA). But you can't ignore the role that foreign banks play in Indian banking system.

India's NPAs are important, and you can see how important they are by looking at what the RBI and the government have done. In India's 2019 budget, banks were given Rs. 70000 crore to help them grow. There have been a lot of studies on the fact that banks have nonperforming assets. The studies look at everything from the causes of NPAs in India to know how to deal with them. They have been done for many different things by NPAs. Some places where research has been done are listed below. Arunkumar and Koteswar (2006) and Kadanda and Raj (2018) showed that concentration risk is an important part of credit risk and it is directly linked to higher NPAs in both the public and private sectors. Diversifying a credit portfolio can explain why the number of NPAs is going down. PWC's 2014 report showed that most of the banks' troubled assets in 2013 came from the infrastructure sector. A good credit score is very important for getting loans from banks. Since banks can make their own credit rating models, public credit rating agencies can be used to check the accuracy of bank models. In its report from 2020, RBI said that the credit rating agencies had Banks with low nonperforming assets (NPAs) or a low ratio of NPAs to gross NPAs are able to respond slowly when an asset goes bad. This showed how bad they were at getting reports out on time. Many studies have been done to find out what makes a bank's asset quality, or NPA, change. Bardhan and Mukherjee (2016) looked at how long NPAs stayed in the banking system of Indian banks from 1995–96 to 2011–12. They used factors that were unique to each bank to do this. NPAs that haven't been written off yet, as shown on the balance sheet, start to pile up. The Bad Management Hypothesis (Berger and DeYoung) is supported by a lack of profit or a lower profit due to less repayment (1997). The lag bank size effect was significantly positive. This effect shows that large banks may make risky decisions based on how loans have done in the past, while small banks may be more efficient. Kaur Bawa, Goyal, Mitra, and Basu (2019) used 31 financial ratios to look at how well Indian banks did from 2007 to 2014, which is 8 years. One of the results was that NPAs were linked to bank intermediation costs in a bad way. The cost of financial intermediation is the total cost of running a bank, which is the same as the total cost of lending. This number is figured out by dividing the total operating costs by the total assets. No.128 in Vol.41. NPAs were looked at from different angles and their management: Swain and Das (2019) used correlation and regression to study the relationship between NPAs and banks' profits. They found that there was a positive relationship between NPAs and

profits for PSB, but a negative relationship for PVB and foreign banks from 2011 to 2015. In their paper from 2015, Bhanumurthy and Gupta showed that off-balance-sheet items have had a much bigger effect on banks' profits than NPAs from 1998 to 2007. They also said that foreign banks are at a higher risk level because they are exposed to things that don't show up on their balance sheets. So, the RBI did some research in 2016 and found that NPA makes it hard for monetary rate transmission or policy rate changes that started between April 2010 and June 2017. They found that banks don't lend aggressively when GNPA's are high and going up, and they can't protect their NIM in a competitive environment (banks are not responsive to rate cuts). Agarwala (2019) looked at the Indian banking system from 2010 to 2017. It was found that DCB did better than Axis Bank, while Andhra Bank, Punjab and Sindh Bank, and IDBI banks did worse in terms of the growth of NPAs than Vijaya Bank and Bank of Maharashtra. Gupta and Dharwal did a study on the recovery of non-performing loans in public sector banks from 2001-02 to 2012-13 in 2017. The study found that the SARFAESI Act of 2002 was more effective than the Debt Recovery Tribunal and Lok Adalats because it got more money back. According to the Economic Survey of 2020, the PSB should use big data, machine learning, and artificial intelligence to make loans, just like the GSTN. So, every big investment can be carefully checked out and kept an eye on. The assets that are used as collateral can be geo-tagged (GPS-enabled) so that lenders can find out where they are. AI-machine learning can be used to rate a company's creditworthiness (doing away with the internal rating system of banks). Meher et al. (2020) tried to find out what bankers thought. Most bankers thought that wilful defaulters, government programs, and bad project evaluations were the main causes of NPAs. Due to structural problems, bankers didn't use preventive measures as often as they used to.

Objectives of the study:

1. To analyze the reasons for assets becoming non-performing assets in Indian public-sector banks in selected public-sector banks as well as private sector banks and remedies for non-performing assets.
2. To study and compare the profitability of selected banks.
3. To examine the NPA trend and identify the factors contributing to NPAs.

Data and Methodology- The study's research design, in particular, specifies the study's time frame, or the period, during which the data for analysis were collected, as well as why this timeframe was chosen. Also included is an explanation of how the samples were gathered and how they were selected, as well as a breakdown of the sample structure. Information on data gathering methods and sources is provided as well. The factors employed in this study are discussed in depth in the final section of this chapter. Each set of assumptions was tested using a

different set of analytical techniques, which are also described. In this study, one-way ANOVA has been applied to find out the GNPA of various banks in the various public and private sector banks under study (i.e., PNB, BOI, and UBI, Axis Bank, ICICI Bank). Whether there are significant differences in the mean HDFC Bank and IDBI).

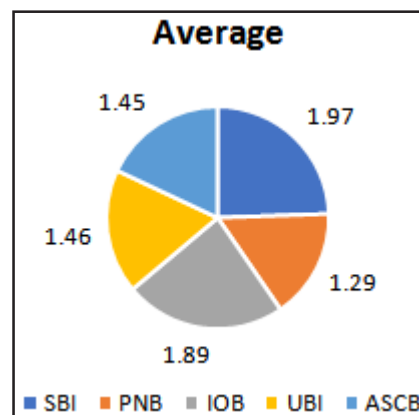
Sample- The study relies on both secondary and primary data. This research was limited to currently active public and private banks. The total number of public and private banks in Indore, Madhya Pradesh, was acquired for secondary data collection. Using a judicial sampling method, these twenty banks were chosen. The largest banks, both public and private, were chosen for the research because of the magnitude of their assets. The study employed a multilevel stratified random sampling approach. It is possible to divide the population into several tiers using stratified random sampling. Each level is structured in a way that is both a full and a solitary unit of thought. Stratified random sampling is more effective than basic random sampling because the stratification of the population leads to a more accurate sample (Chawla and Sondhi, 2011).

Analysis and interpretation of data

Net NPA Trend in Public Sector Banks

Table: 1 NNPA % of Public Sector Banks (2011-2021)

YEAR	SBI	PNB	BOI	UBI	ASCB
2011	2.65	0.2	1.27	2.64	2
2012	1.88	0.29	0.65	1.56	1.2
2013	1.56	0.76	0.55	0.96	1
2014	1.78	0.64	0.6	0.17	1
2015	1.79	0.17	1.33	0.34	1.1
2016	1.72	0.53	2.52	0.81	1.1
2017	1.63	0.85	1.19	1.19	1.1
2018	1.82	1.52	1.35	1.7	1.3
2019	2.1	2.35	2.5	1.61	1.7
2020	2.57	2.85	3.2	2.33	2.1
2021	2.12	4.06	5.68	2.71	2.4
Average	1.97	1.29	1.89	1.46	1.45



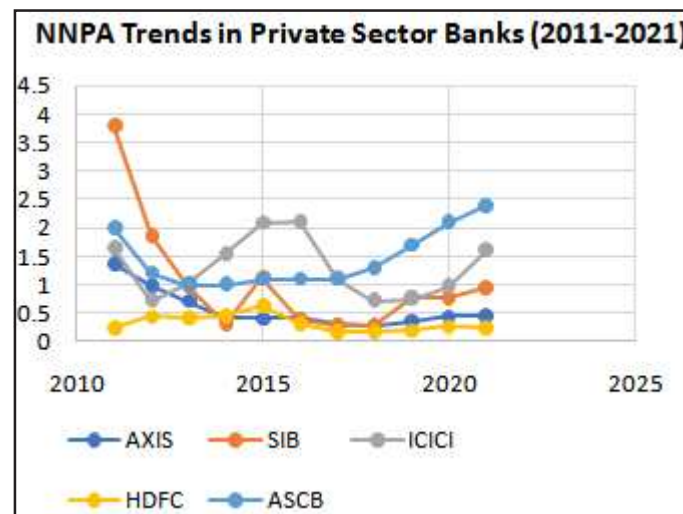
The trend of net NPAs of all the four public sector banks under the study from 2010-11 to 2020-2021 is presented in Table: 1. This shows that PNB has the least NNPA (1.29%) as compared to the average NNPA (1.45%) of all the public-

sector banks, while the NNPA for SBI is the highest among all the four banks and the average NNPA of all scheduled public commercial banks. is more. The NNPA's of the other two public sector banks taken in this study are also higher than the average NNPA's of all scheduled public commercial banks.

Net NPA trends in private sector banks

Table: 2 NNPA Trends in Private Sector Banks (2011-2021)

YEAR	AXIS	IDBI	ICICI	HDFC	ASCB
2011	1.39	3.81	1.65	0.24	2
2012	0.98	1.86	0.72	0.44	1.2
2013	0.72	0.98	1.02	0.43	1
2014	0.42	0.33	1.55	0.47	1
2015	0.4	1.13	2.09	0.63	1.1
2016	0.4	0.39	2.12	0.31	1.1
2017	0.29	0.29	1.11	0.19	1.1
2018	0.27	0.28	0.73	0.18	1.3
2019	0.36	0.78	0.77	0.2	1.7
2020	0.44	0.78	0.97	0.27	2.1
2021	0.46	0.96	1.61	0.25	2.4
Average	0.56	1.05	1.30	0.33	1.45



The trend of net NPAs of all the four private sector banks from 2010-11 to 2020-2021 is presented in Table: 2. Table: 2, shows that HDFC Bank has the least NNPA (0.33%) as compared to the average NNPA (1.45%) of all private sector commercial banks, followed by Axis Bank (0.56%), IDBI (1.03%), and ICICI Bank (1.30%). It is interesting to note that the NNPA's of all the four private sector banks taken in this study are less than the average NNPA's of all scheduled private commercial banks.

Analysis of variance (ANOVA) is a statistical technique used to test the degree to which two or more groups differ from each other. ANOVA evaluates the significance of one or more factors by comparing the response variable means at different factor levels. It is used to determine whether there is a significant difference between the means of two or more independent groups.

It is also used to test the hypothesis that the means of

two or more populations are equal to a certain level of significance. In this study, one-way ANOVA has been applied to find out the GNPA of various banks in the various public and private sector banks under study (i.e., PNB, BOI, and UBI, Axis Bank, ICICI Bank). Whether there are significant differences in the mean HDFC Bank and IDBI).

Post hoc test was performed to detect significant differences in a specific pair of samples between different samples. Post hoc tests are designed for situations in which the researcher has already achieved a significant omnibus F-test with a factor consisting of three or more means and the ability to differentiate between means to provide specific information. Additional exploration is required, on which means vary greatly with each other.

One-way ANOVA between banks for their GNPA

To find out whether any significant difference exists between the GNPA's of the banks taken in the study, this study conducted ANOVA. The results are presented in Table: 3

Table: 3 Results of One Way ANOVA for GNPA of Banks

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	100.934	8	12.617	7.347	.000
Within Groups	154.564	90	1.717		
Total	255.498	98			

Comparison between Banks: Post Hoc Test

ANOVA results whether there is a significant difference in the means of the factors of the response variable. It does not tell exactly which two groups differ. This limitation of ANOVA can be filled using post hoc test. Therefore, in order to make multiple comparisons between banks for their GNPA's, a post hoc test has worked. The results are presented in the following lines:

Comparison of SBI with all other banks for their GNPA

The post hoc test has worked to find out the significance of the difference between SBI and all other banks. The results are presented in Table: 3.

Table: 4 (see in last page)

Table: 4, shows that there are only two banks Axis Bank and HDFC Bank which show statistically significant difference with SBI. The difference between SBI and Axis Bank is statistically significant at 5 percent level of significant with $T = 2.76818$ and 0.000 . Similarly, the difference between SBI and HDFC Bank is statistically significant at 5 percent level of significant with $T = 2.76818$ and $P = 0.000$ terribly important.

Comparison of PNB with all other banks for their GNPA

Table: 5 (see in last page)

The post hoc test has worked to find out the significance of the difference between PNB and all other banks. The results are presented in Table: 5. This shows that the only two banks that show a statistically significant difference with PNB are Axis Bank and HDFC Bank.

The difference between PNB and Axis Bank is statistically significant at the 5-percentile level of significant with $T = 2.40182$ and 0.001 , similarly the difference between

PNB and HDFC Bank is at the 5-percentile level of significant with $T = 2.43636$ and $P = 0.001$ but is statistically significant.

Comparison of BOI with all other banks for their GNPA

Table: 6 (see in last page)

To find out the significance of the difference between BOI and all other banks, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 6. Table: 5.42, shows that the only two banks that show a statistically significant difference with BOI are Axis Bank and HDFC Bank.

The difference between BOI and AXIS Bank is statistically significant at the 5-percentile level of significant with $t = 2.58545$ and 0.000 , similarly the difference between BOI and HDFC Bank at the 5-percentile level of significant with $t = 2.6200$ and $p = 0.000$ but is statistically significant.

Union Bank comparison with all other banks for their GNPA

Table: 7 (see in last page)

To find out the significance of the difference between Union Bank and all other banks, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 7. Table: 7 show that there are only two banks Axis Bank and HDFC Bank which shows statistically significant difference with UBI.

The difference between UBI and AXIS Bank is statistically significant with $t = 1.94636$ and 0.021 at the 5-percentile level of significant, similarly the difference between UBI and HDFC Bank at the 5-percentile level of significant with $t = 1.98091$ and $p = 0.017$ but is statistically significant.

Axis Bank comparison with all other banks for their GNPA

Table: 8 (see in last page)

To know the significance of the difference between Axis Bank and all other banks, post hoc test has worked. The results are presented in Table: 8. As shown below the GNPA of Axis Bank is statistically significant with most of the banks. Table: 8 also confirm such significance of difference.

The difference is negligible in the case of Axis Bank and HDFC Bank, and Axis Bank and IDBI in only two cases. It is interesting to know that, GNPA of AXIS Bank is statistically different from GNPA of ASCB. The Axis Bank mean is lower than all banks for which the difference is significant.

ICICI Bank comparison with all other banks for GNPA

Table: 9 (see in last page)

To find out the significance of the difference between ICICI Bank and all other banks, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 9. Table: 9, shows that the only two banks are Axis Bank and HDFC Bank, showing a statistically significant difference with ICICI Bank.

The difference between ICICI Bank and Axis Bank is statistically significant at 5 percentile level with $T = 2.45909$ and $P = 0.001$, similarly the difference between ICICI Bank and HDFC Bank is statistically significant with $T = 2.49364$ and $P = 0.001$ K. Statistically significant at the 5 percent level. It is also observed that the average GNPA of ICICI Bank is higher than that of all the banks covered in the

study except SBI and BOI.

HDFC Bank comparison for their GNPA with all other banks

Table: 10 (see in last page)

The post hoc test has worked to find out the significance of the difference between HDFC Bank and all other banks. The results are presented in Table: 10. Table: 10 show that the only two banks are Axis Bank and South Bank of India, showing no significant difference with HDFC Bank.

For other banks the differences are statistically significant and HDFC Bank is at the 5 per cent level of significance. It is also observed that HDFC Bank has a lower average GNPA as compared to all the banks covered in the study including ASCBs.

South Bank of India comparison with all other banks for GNPA

Table: 11 (see in last page)

To find out the significance of the difference between South Bank of India and all other banks, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 11. This shows that there is no significant difference between South Bank of India and other banks taken in this study. It is also observed that, the mean GNPA of IDBI is higher than only HDFC Bank and Axis Bank. This is less than the rest of the banks taken in the study.

One Way ANOVA between Banks for their NNPA

To find out whether any significant difference exists between the NNPA of the banks taken into the study, this study conducted ANOVA. The results are presented in Table: 5.48.

Table 12 Results of One-Way ANOVA for NNPA of Banks

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	26.227	8	3.278	4.502	.000
Within Groups	65.544	90	.728		
Total	91.771	98			

Comparison between Banks for their NNPA: Post Hoc Test ANOVA results whether there is a significant difference in the means of the factors of the response variable. It does not tell exactly which two groups differ. This limitation of ANOVA can be filled using post hoc test. Therefore, in order to make multiple comparisons between banks for their NNPA, a post hoc test has worked. The results are presented in the following lines.

Comparison of SBI with all other banks for their NNPA

Table: 13 (see in last page)

To find out the significance of the difference between SBI and all other banks for their NNPA, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 13. This shows that the only two banks that show a statistically significant difference with SBI are Axis Bank and HDFC Bank. The difference between SBI and Axis Bank is statistically significant at 5 per cent level of significant with $T = 1.63727$ and 0.006 . Similarly, the difference between SBI and HDFC Bank is statistically significant at 5 per cent level of significant with $T = 1.40818$ and $P = 0.001$ terribly important. The results also show that SBI's mean NNPA is lower than

ASCB.

Comparison of PNB with all other banks for their NNPA

Table: 14 (see in last page)

To find out the significance of the difference between PNB and all other banks for their NNPA, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 14. This shows that the NNPA of PNB is not significantly different from that of any of the banks included in the study. The results also showed that the mean NNPA of PNBs is lower than that of all the banks covered in the study including ASCBs except HDFC and IDBIs.

Comparison of BOI with all other banks for their NNPA

Table: 15 (see in last page)

To find out the significance of the difference between SBI and all other banks for their NNPA, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 15. This shows that the only two banks that show a statistically significant difference with SBI are Axis Bank and HDFC Bank.

The difference between SBI and Axis Bank is statistically significant at 5 per cent level of significant with $T = 1.33727$ and 0.012 , similarly the difference between SBI and HDFC Bank is at 5 per cent level of significant with $T = 1.56636$ and $P = 0.001$ but is statistically significant. It is interesting to see that BOI mean NNPA is higher than all other banks except SBI.

Union Bank comparison with all other banks for their NNPA

Table: 16 (see in last page)

To find out the significance of the difference between UBI and all other banks for their NNPA, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 16. This shows that the NNPA of UBI is not significantly different from that of any of the banks included in this study.

Axis Bank comparison for their NNPA with all other banks

Table: 17 (see in last page)

To find out the significance of the difference between Axis Bank and all other banks for their NNPA, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 17. This shows that the only two banks are SBI and BOI which shows a statistically significant difference with SBI. The difference between SBI and BOI is statistically significant at the 5-percentile level of significant with $T = -1.40818$ and 0.006 . Similarly, the difference between SBI and HDFC Bank is at the 5-percentile level of significant with $T = -1.33727$ and $P = 0.012$. is statistically significant.

ICICI Bank comparison for their NNPA with all other banks

Table: 18 (see in last page)

To find out the significance of the difference between ICICI Bank and all other banks for its NNPA, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 18. This shows that the NNPA of ICICI Bank is not significantly different from any of the banks covered in this study.

HDFC Bank comparison for their NNPA with all other banks

Table: 19 (see in last page)

To find out the significance of the difference between HDFC Bank and all other banks for its NNPA, a post hoc

test has worked. The results are presented in Table: 19. Table: 19, shows that the only two banks are SBI and BOI which show statistically significant difference with HDFC Bank. The difference between HDFC Bank and SBI is statistically significant at K5 percentile level with $T = -1.63727$ and 0.001 significant, similarly the difference between HDFC Bank and BOI is K5 significant with $T = -1.56636$ and $P = 0.001$. Statistically significant at the percentage level.

Comparison of IDBI with all other banks for their NNPA

Table: 20 (see in last page)

To find out the significance of the difference between IDBIs and all other banks for their NNPA, a post hoc test has worked. The results are presented in Table: 20. This shows that the NNPA of IDBI is not significantly different from that of any of the banks covered in this study.

The reasons why public and private sector bank assets become NPAs do not differ significantly.

Table: 21 (see in last page)

It can be seen from the above table that the NPA distribution pattern that in the priority sector for the years 2006 to 2015 in public sector banks originated from 54.07, 59.92, 63.85, 54.89, 53.84, 58.09, 49.96, 42.93, 36.54 and 35.66 is NPA. respectively, whereas for the private sector most of the NPAs are arising from non-priority sectors such as 71, 69, 74, 78, 72, 73, 72, 74, 73.38, and 77.16 for the years 2006 to 2015 respectively. Thus, the null hypothesis is not accepted and it is concluded that the reasons for assets becoming NPAs of public and private sector banks differ significantly.

Conclusion- The main objective of the present study is to analyze the NPA trend of selected public and private sector commercial banks in India. Accordingly, SBI, UBI, PNB and BOI from the public sector, while ICICI, IDBI, HDFC and Axis Bank from the private sector have been selected and the performance data of these four banks have been used for comparative analysis. The overall NPA trend for all scheduled commercial banks in India is showing an uptrend since 2014. The trend was declining for both Gross Non-Performing Assets % (GNPA) and Net Non-Performing Assets % (NNPA) for the period prior to 2014. However, the percentage of non-performing assets has shown an increasing trend after the subprime crisis in 2014. The overall performance of a bank is measured by its profitability. Here profitability in profitability is compared with respect to GNPA and NNPA. The findings help to conclude that there is no significant difference between a public sector bank and a private sector bank with respect to the correlation between GNPA and NNPA.

References:-

1. Joseph, Ashly Lynn, and M. Prakash. "A study on analyzing the trend of NPA level in private sector banks and public sector banks." International Journal of Scientific and Research Publications 4.7 (2014).
2. Chaudhary, Kajal, and Monika Sharma. "Performance of Indian public sector banks and private sector banks:

- A comparative study." International journal of innovation, management and technology 2.3 (2011): 249.
3. Mohnani, Priyanka, and Monal Deshmukh. "A study of non-performing assets on selected public and private sector banks." International Journal of Science and Research (IJSR)2.4 (2013): 278-281.
 4. Rao, Mayur, and Ankita Patel. "A study on Non-performing assets management with reference to public sector banks, private sector banks and foreign banks in India." Journal of Management and Science 5.1 (2015): 2249-1260.
 5. Thiagarajan, Somanadevi, S. Ayyappan, and A. Ramachandran. "Credit risk determinants of public and private sector banks in India." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences 34 (2011): 147-154.
 6. Agarwala, V., & Agarwala, N. (2019). A critical review of non-performing assets in the Indian banking industry. Emerald .
 7. Arunkumar, R., & Kotreshwar, G. (2006). Risk Management in Commercial Banks (a Case Study of Public and Private Sector Banks). Indian Institute of Capital Markets 9th Capital Markets Conference Paper .
 8. Bardhan, S., & Mukherjee, V. (2016). Bank-specific determinants of nonperforming assets of Indian banks. International Economics and Economic Policy volume, 483–498.
 9. Bhanumurthy, K., & Gupta, L. (2015). Risk and Return in banking industry in India: Concept and measurement. The Indian Journal of Commerce , 53-63.

Table: 4 SBI comparisons with all other banks

(I) name	(J) name	Mean Difference(I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					LowerBound	Upper Bound
SBI	PNB	.33182	.55879	1.000	-1.4443	2.1080
	BOI	.14818	.55879	1.000	-1.6280	1.9243
	UBI	.78727	.55879	.892	-.9889	2.5634
	AXIS	2.73364*	.55879	.000	.9575	4.5098
	ICICI	.27455	.55879	1.000	-1.5016	2.0507
	HDFC	2.76818*	.55879	.000	.9920	4.5443
	IDBI	1.56455	.55879	.130	-.2116	3.3407
	ASCB	.89909	.55879	.797	-.8771	2.6752

*The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table: 5 Comparison of PNB with all other banks

(I) name	(J) name	Mean Difference(I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					LowerBound	Upper Bound
PNB	SBI	-.33182	.55879	1.000	-2.1080	1.4443
	BOI	-.18364	.55879	1.000	-1.9598	1.5925
	UBI	.45545	.55879	.996	-1.3207	2.2316
	AXIS	2.40182*	.55879	.001	.6257	4.1780
	ICICI	-.05727	.55879	1.000	-1.8334	1.7189
	HDFC	2.43636*	.55879	.001	.6602	4.2125
	IDBI	1.23273	.55879	.411	-.5434	3.0089
	ASCB	.56727	.55879	.983	-1.2089	2.3434

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table: 6 Comparison of BOI with all other banks

(I) name	(J) name	Mean Difference(I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					LowerBound	Upper Bound
BOI	SBI	-.14818	.55879	1.000	-1.9243	1.6280
	PNB	.18364	.55879	1.000	-1.5925	1.9598
	UBI	.63909	.55879	.966	-1.1371	2.4152
	AXIS	2.58545*	.55879	.000	.8093	4.3616
	ICICI	.12636	.55879	1.000	-1.6498	1.9025
	HDFC	2.62000*	.55879	.000	.8438	4.3962
	IDBI	1.41636	.55879	.230	-.3598	3.1925
	ASCB	.75091	.55879	.915	-1.0252	2.5271

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table: 7 UBI Comparison with All Other Banks

(I) name	(J) name	Mean Difference(I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					LowerBound	Upper Bound
UBI	SBI	-.78727	.55879	.892	-2.5634	.9889
	PNB	-.45545	.55879	.996	-2.2316	1.3207
	BOI	-.63909	.55879	.966	-2.4152	1.1371
	AXIS	1.94636*	.55879	.021	.1702	3.7225
	ICICI	-.51273	.55879	.991	-2.2889	1.2634
	HDFC	1.98091*	.55879	.017	.2048	3.7571
	IDBI	.77727	.55879	.898	-.9989	2.5534
	ASCB	.11182	.55879	1.000	-1.6643	1.8880

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table: 8 Axis Bank comparisons with all other banks

(I) name	(J) name	Mean Difference(I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					LowerBound	Upper Bound
AXIS BANK	SBI	-2.73364*	.55879	.000	-4.5098	-.9575
	PNB	-2.40182*	.55879	.001	-4.1780	-.6257
	BOI	-2.58545*	.55879	.000	-4.3616	-.8093
	UBI	-1.94636*	.55879	.021	-3.7225	-.1702
	ICICI	-2.45909*	.55879	.001	-4.2352	-.6829
	HDFC	.03455	.55879	1.000	-1.7416	1.8107
	IDBI	-1.16909	.55879	.485	-2.9452	.6071
	ASCB	-1.83455*	.55879	.037	-3.6107	-.0584

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table: 9 ICICI Bank comparisons with all other banks

(I) name	(J) name	Mean Difference(I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					LowerBound	Upper Bound
ICICI	SBI	-.27455	.55879	1.000	-2.0507	1.5016
	PNB	.05727	.55879	1.000	-1.7189	1.8334
	BOI	-.12636	.55879	1.000	-1.9025	1.6498
	UBI	.51273	.55879	.991	-1.2634	2.2889
	AXIS	2.45909*	.55879	.001	.6829	4.2352
	HDFC	2.49364*	.55879	.001	.7175	4.2698
	IDBI	1.29000	.55879	.348	-.4862	3.0662
	ASCB	.62455	.55879	.970	-1.1516	2.4007

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table: 10 HDFC Bank comparisons with all other banks

(I) name	(J) name	Mean Difference(I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					LowerBound	Upper Bound
HDFC	SBI	-2.76818*	.55879	.000	-4.5443	-.9920
	PNB	-2.43636*	.55879	.001	-4.2125	-.6602
	BOI	-2.62000*	.55879	.000	-4.3962	-.8438
	UBI	-1.98091*	.55879	.017	-3.7571	-.2048
	AXIS	-.03455	.55879	1.000	-1.8107	1.7416
	ICICI	-2.49364*	.55879	.001	-4.2698	-.7175
	IDBI	-1.20364	.55879	.444	-2.9798	.5725
	ASCB	-1.86909*	.55879	.031	-3.6452	-.0929

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table: 11 Comparison of IDBI with All Other Banks

(I) name	(J) name	Mean Difference(I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
IDBI	SBI	-1.56455	.55879	.130	-3.3407	.2116
	PNB	-1.23273	.55879	.411	-3.0089	.5434
	BOI	-1.41636	.55879	.230	-3.1925	.3598
	UBI	-.77727	.55879	.898	-2.5534	.9989
	AXIS	1.16909	.55879	.485	-.6071	2.9452
	ICICI	-1.29000	.55879	.348	-3.0662	.4862
	HDFC	1.20364	.55879	.444	-.5725	2.9798
	ASCB	-.66545	.55879	.956	-2.4416	1.1107

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table: 13 SBI comparisons with all other banks

(I) name	(J) name	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
SBI	PNB	.67273	.36389	.650	-.4839	1.8294
	BOI	.07091	.36389	1.000	-1.0857	1.2275
	UBI	.50909	.36389	.895	-.6475	1.6657
	AXIS	1.40818*	.36389	.006	.2515	2.5648
	ICICI	.66182	.36389	.670	-.4948	1.8185
	HDFC	1.63727*	.36389	.001	.4806	2.7939
	IDBI	.91182	.36389	.243	-.2448	2.0685
	ASCB	.51091	.36389	.893	-.6457	1.6675

* The mean difference is significant at the 0.05 level.

Table: 14 Comparison of PNB with all other banks

(I) name	(J) name	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
PNB	SBI	-.67273	.36389	.650	-1.8294	.4839
	BOI	-.60182	.36389	.772	-1.7585	.5548
	UBI	-.16364	.36389	1.000	-1.3203	.9930
	AXIS	.73545	.36389	.533	-.4212	1.8921
	ICICI	-.01091	.36389	1.000	-1.1675	1.1457
	HDFC	.96455	.36389	.181	-.1921	2.1212
	IDBI	.23909	.36389	.999	-.9175	1.3957
	ASCB	-.16182	.36389	1.000	-1.3185	.9948

Table: 15 Comparison of BOI with all other banks

(I) name	(J) name	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
BOI	SBI	-.07091	.36389	1.000	-1.2275	1.0857
	PNB	.60182	.36389	.772	-.5548	1.7585
	UBI	.43818	.36389	.954	-.7185	1.5948
	AXIS	1.33727*	.36389	.012	.1806	2.4939
	ICICI	.59091	.36389	.789	-.5657	1.7475
	HDFC	1.56636*	.36389	.001	.4097	2.7230
	IDBI	.84091	.36389	.347	-.3157	1.9975
	ASCB	.44000	.36389	.952	-.7166	1.5966

Table: 16 Comparison of UBI with all other banks

(I) name	(J) name	MeanDifference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
UBI	SBI	-.50909	.36389	.895	-1.6657	.6475
	PNB	.16364	.36389	1.000	-.9930	1.3203
	BOI	-.43818	.36389	.954	-1.5948	.7185
	AXIS	.89909	.36389	.260	-.2575	2.0557
	ICICI	.15273	.36389	1.000	-1.0039	1.3094
	HDFC	1.12818	.36389	.062	-.0285	2.2848
	IDBI	.40273	.36389	.972	-.7539	1.5594
	ASCB	.00182	.36389	1.000	-1.1548	1.1585

Table: 17 Axis Bank Comparisons with All Other Banks

(I) name	(J) name	MeanDifference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
AXIS BANK	SBI	-1.40818*	.36389	.006	-2.5648	-.2515
	PNB	-.73545	.36389	.533	-1.8921	.4212
	BOI	-1.33727*	.36389	.012	-2.4939	-.1806
	UBI	-.89909	.36389	.260	-2.0557	.2575
	ICICI	-.74636	.36389	.513	-1.9030	.4103
	HDFC	.22909	.36389	.999	-.9275	1.3857
	IDBI	-.49636	.36389	.908	-1.6530	.6603
	ASCB	-.89727	.36389	.263	-2.0539	.2594

Table: 18 ICICI Bank comparisons with all other banks

(I)name	(J)name	MeanDifference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
ICICI	SBI	-.66182	.36389	.670	-1.8185	.4948
	PNB	.01091	.36389	1.000	-1.1457	1.1675
	BOI	-.59091	.36389	.789	-1.7475	.5657
	UBI	-.15273	.36389	1.000	-1.3094	1.0039
	AXIS	.74636	.36389	.513	-.4103	1.9030
	HDFC	.97545	.36389	.170	-.1812	2.1321
	IDBI	.25000	.36389	.999	-.9066	1.4066
	ASCB	-.15091	.36389	1.000	-1.3075	1.0057

Table: 19 HDFC Bank comparison with all other banks

(I)name	(J)name	MeanDifference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
HDFC	SBI	-1.63727*	.36389	.001	-2.7939	-.4806
	PNB	-.96455	.36389	.181	-2.1212	.1921
	BOI	-1.56636*	.36389	.001	-2.7230	-.4097
	UBI	-1.12818	.36389	.062	-2.2848	.0285
	AXIS	-.22909	.36389	.999	-1.3857	.9275
	ICICI	-.97545	.36389	.170	-2.1321	.1812
	IDBI	-.72545	.36389	.552	-1.8821	.4312
	ASCB	-1.12636	.36389	.062	-2.2830	.0303

Table: 20 Comparison of IDBIs with all other banks

(I) name	(J) name	MeanDifference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
IDBI	SBI	-.91182	.36389	.243	-2.0685	.2448
	PNB	-.23909	.36389	.999	-1.3957	.9175
	BOI	-.84091	.36389	.347	-1.9975	.3157
	UBI	-.40273	.36389	.972	-1.5594	.7539
	AXIS	.49636	.36389	.908	-.6603	1.6530
	ICICI	-.25000	.36389	.999	-1.4066	.9066
	HDFC	.72545	.36389	.552	-.4312	1.8821
	ASCB	-.40091	.36389	.973	-1.5575	.7557

Table: 21

Bank Name	Year	Priority Sector		Non-Priority Sector		Gross NPAs
		Amount	% Share	Amount	% Share	Amount
		1	2	3	4	7
Public Sector Banks	2011	223.74	54.07	180.72	43.68	413.78
	2012	229.54	59.92	148.61	38.80	383.05
	2013	252.87	63.85	140.15	35.39	396.00
	2014	241.68	54.89	193.90	44.04	440.32
	2015	308.46	53.84	259.23	45.25	572.93
	2016	412.87	58.09	295.15	41.52	710.80
	2017	562.01	49.96	560.71	49.85	1,124.89
	2018	669.28	42.93	888.53	57.00	1,558.90
	2019	791.92	36.54	1,375.47	63.46	2,167.39
	2020	936.85	35.66	1,690.60	64.34	2,627.45
Private sector	2011	2284	29	5541	71	62.87
	2012	2884	31	6353	69	104.40
	2013	3419	26	9558	74	138.54
	2014	3640	22	13172	78	140.17
	2015	4792	28	12592	72	145.00
	2016	4823	27	13147	73	187.68
	2017	5100	28	13200	72	210.71
	2018	52	26	148	74	245.42
	2019	60.55	26.62	166.89	73.38	341.06
	2020	72.11	22.84	243.65	77.16	561.86

गाँधीजी का देश की आजादी में योगदान

डॉ. शकरी चौहान *

*सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय आदर्श कन्या महाविद्यालय, श्योपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 तक महात्मा गांधीजी इस प्रकार छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। 1914 में गांधीजी भारत लौट आए और अपनी सेवाओं की मान्यता के फलस्वरूप अब महात्मा कहलाने लगे। आने वाले कुछ समय तक भारतीय स्थिति का अध्ययन करते रहे। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में नील के बगीचों के यूरोपीय मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को एकत्रित किया। 1919 की जलियांवाला बाग में हुई दुर्घटना और रोलेट एक्ट के पारित होने पर गांधीजी बहुत खिन्न हुए और उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों को शैतानी लोग कहा और अपनी असहयोग की नीति अपनाई। खिलाफत और असहयोग आंदोलन (1919-22) लखनऊ और समझौते के परिणाम स्वरूप हिंदू-मुस्लिम एकता को बल दिया। तुर्की साम्राज्य के प्रति ब्रिटेन के व्यवहार के कारण अली बंधुओं, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खॉं, और हसरत मोहानी, के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनी और देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। महात्मा गांधीजी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू-मुस्लिम एकता का अवसर समझा और इसका समर्थन किया, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग के भीषण गोलीकांड और खिलाफत के कारण गांधीजी ने 1920 के कोलकाता अधिवेशन में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित करवाया। इसमें निर्णय लिया कि सभी सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया जाएगा। 1921 और 1922 में भारतीय जनता ने एक अभूतपूर्व आंदोलन किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई छात्रों ने कॉलेजों को छोड़ कर विरोध प्रदर्शन किया परंतु 5 फरवरी 1922 को यूपी के चोरी-चोरा नामक स्थान पर क्रोध भीड़ हिंसक हो गई और 22 पुलिसकर्मी मार दिए गये। इस घटना की खबर मिलते ही गांधीजी ने आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन (1932-34) गांधीजी ने नमक कानून के विरोध में 22 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू कर 200 मील की दूरी तय करके 24 दिन बाद 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधीजी को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे आंदोलन और भी भड़क गया सर तेज बहादुर सप्रू के प्रयत्नों से गांधीजी ने इरविन समझौता किया जिसमें कुछ समय के लिए आंदोलन स्थगित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधीजी से सहमत हो गये, परंतु सांप्रदायिकता के प्रश्न पर गांधीजी निराश होकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वापस लौटे और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। 1933 में गांधीजी ने अपने आंदोलन को असफल स्वीकार कर लिया और कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और वे हरिजन सेवा में लग गए। भारत छोड़ो आंदोलन (1942) क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधीजी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। परंतु अगले ही दिन गांधीजी समेत तमाम आंदोलन के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद एक स्वतः आंदोलन शुरू हो गया। आक्रोशित लोगो ने रेल्वे स्टेशन, रेल्वे पटरी, थानों, पोस्ट ऑफिस और बैंकों आदि को निशाना बनाया। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्र होने तक चलता रहा गांधीजी के इन जन आंदोलनों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रस्तावना – भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधीजी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधीजी की शांतिपूर्ण और अहिंसक नीतियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। 1891 में उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास की और पहले राजकोट में और फिर मुंबई में वकालत करने लगे। 1893 में उन्हें दक्षिण अफ्रिका की एक व्यापारिक कंपनी से निमंत्रण मिला और वहां चले गये। वहां उन्होंने रंगभेद की नीति का विरोध किया। 1914 में गांधीजी भारत लौट आये और अपनी सेवाओं की मान्यता के फलस्वरूप अब महात्मा गांधी कहलाने लगे। भारतीय राजनैतिक मंच पर 1919 से 1948 तक इस प्रकार छाए रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है।

गांधीजी का सत्य और अहिंसा का संदेश – महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। उन्होंने 'यंग इंडिया' नामक पत्रिका में लिखा था जिन ऋषियों ने हिंसा के बीच अहिंसा के सिद्धांत को खोज निकाला वे न्यूटन से अधिक प्रखर बुद्धि वाले लोग थे वह स्वयं वेलिंगटन से अधिक वीर योद्धा थे। इस तरह से गांधीजी ने सत्य और अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार बना लिया था। गांधीजी ने कई जन आंदोलन चलाये।

चंपारण आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह – चंपारण जिले में नील की खेती के मालिक अंग्रेज थे। गोरे किसानों पर तरह-तरह के अत्याचार कर रहे थे। वह किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। किसान अत्याचार एवं अनाचार के कारण विरोध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसे अवसर पर गांधीजी चंपारण पहुँचे

और किसानों की हालत देखकर बहुत दुःखी हुए। उन्होंने उनकी हालत में सुधार लाने के लिए सत्याग्रह किया जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की हालत में सुधार लाना पड़ा। इस सफलता ने गांधीजी को विश्वास दिला दिया कि भारत में जनता के कष्ट के निवारण हेतु सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया जा सकता है। गांधीजी ने 1918 में दूसरा सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा में आरंभ किया बात यह थी कि अनावृष्टि के कारण वहां की फसल मारी गई थी, किसान भूमिकर देने में असमर्थ थे। महात्माजी ने 'कर नहीं दो' आंदोलन का नारा लगाया। महात्मा गांधीजी इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के निकट संपर्क में आए। गांधीजी का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन भी सफल रहा। उनके अनुयायियों की यह पहली विजय बनी।

खिलाफत और असहयोग आंदोलन (1919-22) - लखनऊ समझौता हिंदू और मुसलमानों की सामूहिक राजनीतिक कारवाही के लिए आधार तैयार कर चुका था। हिंदू-मुस्लिम एकता के सिद्धांत की घोषणा के लिए एक आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद से मुसलमानों ने दिल्ली स्थित जामा-मस्जिद के प्रवचन मंच से उपदेश देने के लिए आग्रह किया, जबकि मुसलमान डॉक्टर किचलू को अमृतसर में सिखों के पवित्र स्थान स्वर्ण मन्दिर की चाबियों दे दी गई। इसी वातावरण में मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने खिलाफत आंदोलन का रूप ले लिया। राजनैतिक रूप से जागरूक मुसलमान तुर्की साम्राज्य के प्रति ब्रिटेन और उसके साथ संधिबद्ध राष्ट्रों के व्यवहार के आलोचक थे। जल्द ही अली बंधुओं, मोलाना आजाद, हकीम अजमल, और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनी। और देशव्यापी आंदोलन का आयोजन किया गया। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने भी खिलाफत आंदोलन को हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का सुनहरा मौका समझा। खिलाफत कमेटी में 31 अगस्त 1920, को असहयोग आंदोलन शुरू किया। सबसे पहले उसमें गांधीजी शामिल हुए। उन्होंने अपना 'कैसर-ए-हिंद' का पदक लौटा दिया।

रोलेट ऐक्ट के पारित करने जलियांवाला बाग के भीषण गोली कांड और खिलाफत के विवाद में अंग्रेजों की भूमिका से गांधीजी अत्यंत पीड़ित हुए। सितम्बर 1920 में कोलकाता के कांग्रेस के अधिवेशन में सरकार के अन्याय के विरोध में असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित किया। लोगों से सरकारी शिक्षण संस्थानों अदालतों और विधान मंडलों का बहिष्कार करने तथा खादी के उत्पादन के लिये चरखा-तकली चलाने और हाथ करघे का अभ्यास करने को कहा गया। गांधीजी ने नागपुर में दिसम्बर 1920 के वार्षिक कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की कि 'ब्रिटिश की जनता को इस बात के लिए सतर्क रहना होगा कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहते तो प्रत्येक भारतीय का यह परम कर्तव्य होगा कि वह साम्राज्य को नष्ट कर दें।' 1921 और 1922 के दौरान भारतीय जनता का एक अभूतपूर्ण आंदोलन हुआ। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों में प्रवेश लिया। सारे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। खादी जल्दी ही आजादी का प्रतीक बन गया। गांधीजी को छोड़कर बाकी सारे महत्वपूर्ण पूर्ण राष्ट्रवादी नेता 30,000 अन्य लोगों के साथ 1921 के अंत तक जेल में बंद कर दिए गए। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने भारत के व्यवसाय लाई रीडिंग को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सरकार की कठोर नीति की निंदा की एवं उसे चेतावनी दी। 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले के चौरा-चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जूलूस

निकला। कुछ पुलिस वालों ने इनसे दुर्व्यवहार किया तो भीड़ हिसक हो गई और थाने में आग लगा दी गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गये। इस घटना की खबर मिलते ही गांधीजी ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी।

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-31, 1932-34) - गांधीजी 1928 में पुनः राजनीति में आ गए और उन्होंने 1930 में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 को गांधीजी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा आरंभ की एवं 200 मील की दूरी पर 24 दिनों में यात्रा पूरी कर ली। जगह-जगह पर हजारों लोगों ने सत्याग्रही दास्ता की जय-जयकार की। गांधीजी ने आत्म शुद्धि के उपरांत थोड़ा नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया। इसके बाद 5 मई 1930 ई. को गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए एवं उन्हें यरवदा जेल में रखा गया। गांधीजी की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया और आंदोलन और तेज हो गया। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करके के लिए ब्रिटेन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया। 25 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के अन्य सदस्य छोड़ दिए गए। सर तेज बहादुर शास्त्री के प्रयत्नों के कारण गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ। इसी कारण यह गांधीजी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। वायसराय ने इस बात की घोषणा कर दी कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेटस देना है। गांधीजी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाई गयी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया परंतु संप्रदाय के प्रश्न पर गांधीजी निराश होकर वापस लौटे और उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेजों का दमन चक्र आखिरकर सफल हो गया। क्योंकि उसे सांप्रदायिक तथा अन्य सवालों पर भारतीय नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण मदद मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे-धीरे क्षीण हो गया। 1933 में गांधीजी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस को सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और अपने आप को हरिजन की सेवा तक सीमित कर ली।

भारत छोड़ो आंदोलन (1942) - क्रिप्स मिशन की असफलता से सभी निराशा हुई। अभी तक कांग्रेस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था (संविधान सभा की मांग की) जिससे अंग्रेजों को परेशानी हो। परंतु जब जापान लगभग देश के द्वार पर खड़ा था। कांग्रेस चुप नहीं रह सकती थी। गांधी जी ने 10 मई 1942 को हरिजन में लिखा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। उनके जाने से यह लोभ समाप्त हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को मुंबई में हुई उसमें प्रसिद्ध 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पास किया। तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधीजी के नेतृत्व में एक असहयोग आंदोलन करने का प्रस्ताव पास किया। उसके उपरांत गांधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिया और 'करो या मरो' का नारा जनता को दिया। गांधीजी का यह भाषण बड़ा प्रभावशाली था। इंदु विधयावाचस्पति के शब्दों में गांधीजी उस दिन ऐसे बोल रहे थे मानों उनकी अंतरात्मा से भगवान बोल रहे हो। मगर कांग्रेस द्वारा आंदोलन आरंभ करने के पहले ही दिन सरकार ने जोरदार चोट की। 9 अगस्त को अत्यंत सुबह ही गांधीजी तथा कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को एक बार फिर गैर कानूनी घोषित कर

दिया गया। हिंदूस्तानियों की जनता में देश के राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध जन आक्रोश के शिकार रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरी, थाने, पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि बने। लोग उन सब को नष्ट कर देना चाहते थे, जिनका संबंध अंग्रेजी राज्यो से था। गांधीजी ने 15 जुलाई 1943 को एक पत्र लिखकर हिंसात्मक कार्यों के लिए सरकार को दोषी ठहराया और एक निष्पक्ष न्यायालय द्वारा इसकी जाँच की माँग की। गांधीजी ने 10 फरवरी को आत्म शुद्धि के उद्देश्य से 21 दिनों के लिए एक उपवास शुरू किया। 13 दिनों के बाद गांधीजी के हालात बहुत ही नाजुक हो गई और अंग्रेजों ने उनके दाह संस्कार की तैयारी कर ली थी। सरकार ने महसूस किया कि गांधीजी का जीवित रहना और उनकी मुक्ति, आंदोलन को हिसक होने से बचाने के लिए जरूरी है। इसलिए मई 1944 को गांधीजी को जेल से रिहा कर दिया गया। स्वस्थ होने पर उन्होंने पुनः राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया वे ये आंदोलन भारत के स्वतंत्र होने तक चलता रहा।

गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम - गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा दिया। वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे अपितु जनता की आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहते थे। इस भावना से उन्होंने 'ग्राम उद्योग संघ' तालीमी संघ और गौ रक्षा संघ बनाए। उन्होंने समाज में शोषण समाप्त करने के लिए भूमि और पूंजी का समाजीकरण नहीं मांगा अपितु आर्थिक क्षेत्र के विकेंद्रीकरण द्वारा इस प्रश्न को हल करना चाहा। उन्होंने कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए काम किया। खादी उनके आर्थिक कार्यक्रम का प्रतीक थी। उन्होंने सभी प्रकार की असमानता (जन्म, जाति, धर्म और धन की) को समाप्त करने का प्रयास किया। गांधी जी ने नशा बंदी के लिए और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए भी प्रयत्न किया। यद्यपि कुछ आलोचकों ने उन्हें एक 'राजनैतिक

अराजकता फैलाने वाला' कहा क्योंकि उन्होंने संवैधानिक प्रभु सत्ता को चुनौती दी और लार्ड लिनलिथगो ने उनके दंगों को 'राजनैतिक फिरौती' कहा, परंतु गांधी जी ने केवल सत्य का मार्ग ही अपनाया। उन्होंने साध्य की प्राप्ति के लिए सुख के साधनों का ही प्रयोग किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं 300 वर्ष तक स्वतंत्रता की परीक्षा करने को उद्धत हूँ परंतु असत्य दंग नहीं अपनाऊंगा। वास्तव में यह उन्हीं के प्रयत्नों का फल था कि आंतकवाद सीमित रहा और भारत ने बिना बहुत रक्तपात के स्वतंत्रता प्राप्त कर ली।

Arnold Toynbee में जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वही पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधीजी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चयपूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधीजी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आधुनिक भारत का इतिहास- शैलेन्द्र सेंगर पृष्ठ संख्या- 215, 218,228, 229
2. आधुनिक भारत - 12वीं कक्षा NCERT विपिन चन्द्र , पृष्ठ संख्या -217,218,219,234,240,241
3. आधुनिक भारत का इतिहास- बी.एल.ग्रोबर, अलका मेहता, यशपाल, पृष्ठ संख्या- 315,316,317,333
4. भारत का स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चन्द्र पृष्ठ संख्या- 138,140,367,368
5. कोलेश्वर राय का आधुनिक भारत किताब महल :- पृष्ठ संख्या- 439, 443, 452, 461,462, 463

मालवा की लौकिक मूर्ति कला : एक अध्ययन

भाग्यश्री लोदेतिया* डॉ. धीरेन्द्र सोलंकी**

* शोधार्थी - प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोध निर्देशक - उपाचार्य, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - वैदिक साहित्य के अनुशीलन से यह संकेत मिलता है कि आर्य लोगों ने सुन्दरतम भवनों और पुरों का निर्माण किया था। इन भवनों और पुरों में लौकिक मूर्तियों की नक्काशी की गई थी। वैदिक साहित्य में शतभुजी, अश्वमयी, आयसी, पुरा आदि शब्दों के प्रयोग से उस काल की कला की ओर संकेत मिलता है। इस प्रकार से इन पुरा भवनों या पुर ठोस, मजबूत, विशाल के आधार पर आधारित होता है। इस काल में भवनों में ईंट के साथ लकड़ी का प्रयोग अत्यधिक होता है। सम्भवतः ताम्र-पत्र लकड़ी के ऊपर चिपका दिया जाता रहा है। अथर्ववेद में वर्णित मकानों में वर्णित मकानों के भिन्न-भिन्न अंगों से स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है। यज्ञ के समय में प्रतिष्ठित करने की परम्परा विद्यमान रही है। यहाँ तक इन मंत्रों द्वारा इस लौकिक मूर्तियों की पूजा की जाती थी। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार अष्टपाल भी होते थे। ये चबूतरे के रूप में बनाये जाते थे। इनका आकार गोलाकार, अण्डाकृत होता आदि रूपों में होता था। इनके चारों ओर वेदिका-बाड़ का निर्माण किया जाता था। ऋग्वेद में स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है।¹ उस काल में अनार्यों के कुछ स्तूप रहे होंगे।² ऋग्वेद में आर्यों की समाधि का एक रूप मृण्मय गृह का भी निर्माण किया जाता था। अतः स्वभावतः यह वर्तुलाकार रूप से लौकिक मूर्तियों मिलती थी। एक दूसरे प्रकार की समाधि पर्वताकार के रूप में होती है। मृतका के अवशेष पर मिट्टी का पहाड़ सा ढेर लगा दिया जाता रहा है। एक लौंग और (लग्गा) इस पर खड़ा कर दिया जाता रहा है।³ डॉ. ब्लाख ने लौरियानन्दगढ़ (चम्पारन) में इस प्रकार की एक समाधि की खोज की है, जो कि उन्हें खुदाई से प्राप्त होने वाले अवशेष बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। इस खुदाई करते समय उन्हें लकड़ी के अनेक स्तम्भ तथा विभिन्न मिट्टी की तहों पर मनुष्य की हड्डियाँ मिली हैं। एक स्वर्ण-पत्र पर स्त्री की अंकित लौकिक मूर्तियाँ मिलती थी।

शोध प्रविधि - इस शोध पत्र में प्राथमिक और द्वितीयक शोध सामाग्री के आधार पर अध्ययन किया गया है। इस शोध पत्र में मौलिक ग्रन्थ, पत्र-पत्रिकाओं, विद्वानों का मार्गदर्शन आदि लिया गया है।

उद्देश्य - मालवा की लौकिक मूर्तियों का प्रमाण प्राचीन साहित्यों वैदिक ग्रन्थों आदि में दिखाई देता है। इस प्रकार से समाज में मालवा की लौकिक मूर्तियों को प्रमाण के रूप में माना जाता है।

समाधान - इसे ही वैदिक काल में यज्ञ वेदियों का भी निर्माण होता रहा है। इन्हीं यज्ञ वेदियों की रचना के मूल में हैवेल महोदय ने मन्दिरों और गर्भगृह के शिखरों के बीज देखे जाते रहे हैं। यहाँ पर यज्ञ-वेदियों में अनेक दिनों तक यज्ञ हुआ करते थे, अग्नि निरन्तर प्रज्ज्वलित रहती थी। धूप, पानी, वायु आदि से सुरक्षित रखने के लिए, दर्शकों की धुँएँ आदि से सुसज्जित की जाती थी। चिमनीनुमा दलों का निर्माण होता था। यज्ञ वेदी वर्गाकार होती थी। इस प्रकार यज्ञ वेदी या यज्ञ भूमि निश्चित ही आधुनिक हिन्दू मन्दिरों के शिखर और गर्भगृहों के मूल में स्वीकार किये जाते थे। उन्हें ही वैदिक साहित्य में इन धार्मिक वास्तुओं के अतिरिक्त साधारण गृह, राजमहल और नगरों में लौकिक मूर्तियों का निर्माण कार्य होता था। 'हर्म्य' शब्द महन का द्योतक है, स्तम्भों के लिए स्तूप, खम्भ, विश्वम्भ और स्तम्भ शब्दों के प्रयोग के उल्लेख भी प्राप्त होते रहते हैं। वरुण के सहस्र स्तम्भ वाले भवन का वर्णन भी मिलता है।

पाषाणों का प्रयोग वैदिक काल में किया जाता रहा है। यह एक विवादस्पद विषय है। यह तो निश्चित है कि इस काल में लकड़ी, बांस, मिट्टी, कच्ची ईंट, तृण आदि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था। किन्तु ऋग्वेद में दृढ़

भवनों, दुर्गों, आयस, अश्वमय आदिशब्दों के प्रस्तर के प्रयोग करने के उपरान्त लौकिक मूर्तियों का प्रमाण सिद्ध होती है। ऋग्वेद में प्रस्तर निर्मित सौ नगरों का उल्लेख है।⁴ इसी प्रकार ऋग्वेद में शत्रुभुजी का उल्लेख आया है,⁵ जो सैकड़ों परकोटे वाले नगर का सूचक रहा है। राजगृह के प्राचीन नगर की किलेबन्दी, चारों ओर पाषाण की बड़ी-बड़ी चट्टानों को एक पर एक रख दिया जाता रहा है। पत्थरों को जोड़ने में किसी प्रकार का मसाला नहीं लगाया था। लौकिक मूर्ति यह रक्षा अभी भी दस फीट ऊँची और सोलह फीट चौड़ी है। राजगृह के पाँचों पहाड़ों को घेरती हुई यह दीवार मिलों लम्बी बनाई जाती थी। दीवार के ऊपर छोटे-छोटे पत्थरों और ईंटों की एक इमारत ही खड़ी कर दी गई थी। दीवार को और भी सुदृढ़ और सुरक्षित रखने के लिए ऊँची मीनारों में मालवा लौकिक मूर्तियों को बनाया जा सकता है।

गंगा नदी के समीप के पहाड़ों पर एक ऐसी मीनार का भग्नावशेष मिलता है। राजगृह की यह पाषाण किलाबन्दी वैदिक युग की तो नहीं है, परन्तु भारतीय प्राचीनतम अवशेषों में सिन्धु घाटी सभ्यता के आधार पर माना जा सकता है। इसका समय 800-600 ई.पू. माना गया है। यदि यह अनुमान सत्य है, तो वैदिक और ब्राह्मण युग में भी पाषाणों का सीमित प्रयोग निश्चित रूप हुआ होगा।⁶

प्राचीन काल से ही भारतीय परम्परा में मातृपूजा होती चली आ रही है। पुरातत्त्ववेत्ताओं के आधार पर भारत में शक्ति उपासना का क्रम ईसा से 4000 वर्ष पुराना माना जाता है। सिन्धुघाटी की खुदाई से वनस्पति-देवी, स्वास्तिक, चक्र, मातृदेवी, यंत्रिलिंग आदि प्रतिमाओं की प्राप्ति इस बात का प्रमाण देती है कि यहाँ मातृपूजा प्रतीकात्मक रूप से प्रचलित होती रही है। ऋग्वेद का

वाक्सूत्र⁷, देवीसूत्र⁸ तथा गायत्री⁹ के सभी मंत्रों में शक्ति की व्यापकता का संकेत मिलता है। इस प्रकार से अदिति को प्रकृति का मूल स्वरूप माना गया है। वहीं आकाश, वायु, माता-पिता तथा पुत्र के रूप में है।¹⁰ अथर्ववेद में तीनों लोगों की देवी 'विराज' का उल्लेख पाया जाता है।¹¹ इसी वेद में उसका सम्बन्ध अदिति¹² से स्थापित किया जा सकता है और उसे उसी रूप में 'स्वाहा' के नाम से भी पुकारा जाता है।¹³

निष्कर्ष – यह लौकिक मूर्तिकला का मूल केन्द्रबिन्दु माना जा सकता है। उत्तर वैदिककाल ग्रन्थ, वाजसनेयी संहिता¹⁴, तैत्तिरीय ब्राह्मण¹⁵, तैत्तिरीय आरण्यक¹⁶ में अम्बिका, उमा, दुर्गा, काली आदि नामों का प्रमाण मिलता है। उसे ही शाक्त धर्म से संबंधित माना गया है। इसे ही वाजसनेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में अम्बिका को रुद्र की बहन के रूप में मानने की परम्परा मानी जाती है। यहाँ तक तैत्तिरीय आरण्यक में उसे रुद्र की पत्नी भी कहा गया है। मुण्डकोपनिषद्¹⁷ में अग्नि की साम जिह्वाएँ के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ पर काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुर्लिंगिनी तथा विश्वरूचि आदि नामों का उल्लेख मिलता है। यही संख्या आगे चलकर सप्तमातृकाओं की कल्पना से अभिभूत होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ऋग्वेद 1, 24, 27
2. Shukla, D.N., A Study in Vastu Vidya; pp.20-21
3. सिंह. बी.पी., भारतीय कला को बिहार की देन, पृष्ठ 39
4. ऋग्वेद 4, 30, 20
5. ऋग्वेद 1, 166, 8
6. सिंह. बी.पी., भारतीय कला को बिहार की देन, पृष्ठ 40-41
7. ऋग्वेद, 10/123. त्रिपुरी की मूर्तिकला, पृष्ठ 89.
8. ऋग्वेद, 10/115. त्रिपुरी की मूर्तिकला, पृष्ठ 89.
9. ऋग्वेद, 10/127. त्रिपुरी की मूर्तिकला, पृष्ठ 89.
10. ऋग्वेद, 10/89. त्रिपुरी की मूर्तिकला, पृष्ठ 89.
11. अथर्ववेद, 8/9/21
12. अथर्ववेद, 8/4/21
13. अथर्ववेद, 8/10/11-23.
14. वाजसनेयी संहिता, 3/53
15. तैत्तिरीय ब्राह्मण, 1/6110/4-5
16. तैत्तिरीय आरण्यक, 10/18-19
17. मुण्डकोपनिषद् 1/2/4

Impact of Fast Food Intake Among Urban Adolescent Girls

Dr. Kiran Singh*

*Smt. B.D. Jain Girls P.G. College, Agra (U.P.) INDIA

Abstract - Adolescence is the transitional phase of growth and development between childhood and adulthood. The World Health Organization (WHO) defines an adolescent as any person between age 10 and 19. To grow and develop in good health, adolescent need information including age appropriate comprehensive sexuality education opportunities to develop life skills appropriate and effective and safe and supportive environment. Adolescence is an important time for promoting health and preventing disease. It is one of the fastest growth periods of a person's life during this stage physical change affect the body nutrition play a very important role in maintaining good health. The study was done by survey method using questionnaire addition to structured interview schedule.

Keywords- Fast food, adolescent, junk food and puberty.

Introduction - Adolescence the transition period between childhood and adulthood occupies a crucial position in the life of human beings. This period is an important physiological phase of life characterized by an exceptionally rapid rate of growth and development both physical and psychological. Adequate nutrition of any individual is determined by two factors. The first is the adequate availability of food in terms of quantity as well as quality which depends on socio-economic status, food practices, cultural traditions and allocation of the food. The second factor is the ability to digest, absorb and utilize the food in the body. Cultural factor play a stronger role than socio-economic condition in determining allocations of food and nutritional adequacy. Even where food resources are adequate the mean calorie intake of individual family members can fall below requirements.

Deficiency is one of the most common nutritional disorder. National and population based survey have found that adolescent often fail to meet dietary recommendations for overall nutritional status and for specific nutrient intakes (18-21), many adolescents receive a higher proportion of energy from fat/added sugar and have a lower intake of Vit A, folic acid, iron, calcium and zinc than is recommended day allowances. The low intake of iron and calcium among adolescent girls is of particular concern. Iron deficiency can impair negative functions and physical performance and inadequate calcium intake may increase fracture risk during adolescence and the risk of developing osteoporosis in later life. Girls skip meals in their anxieties to be thin. This attitude reduce their intake of food and thus their body become deficient of many important nutrients. This may lead to

anaemia and low bone density in adulthood. Adolescent girls need particular attention to iron because their iron stores are depleted each month following menstruation.

Sound nutrition can play a role in the prevention of several chronic diseases, including obesity, coronary heart disease, certain types of cancer, stroke and type 2 diabetes. For this reason nutrition was a priority area for the healthy people 2010, and remains an important objective for healthy people 2020. To help prevent diet related chronic disease researchers have proposed that healthy eating behaviors should be established in childhood and maintained during adolescence.

During adolescence teens spend less time with family and more time with friends. As teens become more independent, eating away from home increases 1/3rd of all teens eating occasions occur outside the home. The average teen eats at fast food restaurants twice a week, according to CSFII data 1994-96. Peer pressure increases between childhood and adulthood at the same time the child gains independence and make his/her own food choices. The need to be in step with trends and belong to the peer group leads them to eating non-nutritious foods like pizzas, burgers, coffees, aerated drinks, chocolates and also other roadside junk foods. Moreover due to irregular college and school schedules intake of caffeinated drinks increases and water intake reduces.

Fast food restaurants are favorite eating places for teens for several reasons.

1. They offer social setting with an informal, comfortable atmosphere for all adolescents.
2. Fast food are relatively expensive and offer socially

accepted choices.

3. Fast food can be eaten outside the restaurants fitting into busy schedules of adolescents.

Service is fast and limited offering allow for quick decision making.

Eating junk food is popular with busy and media influenced adolescents. Unfortunately junk foods, usually tastes better than healthy meals. Convenience good taste cost effectiveness, advertizing, lack of knowledge of healthy food are some of reasons for adolescents eating junk foods. Junk food is an informal term applied to some foods which are perceived to have little or no nutritional value. Also which have ingredients considered unhealthy when regularly eaten or to those considered unhealthy to consume at all.

Review Of Literature

Nutritional needs during adolescence are increased because of the increased growth rate and changes in body composition associated with puberty. The dramatic increase in energy and nutrient requirements coincides with other factors that may affect adolescents food choices and nutrient intake and this nutritional status. These factors including the quest for independence and acceptance by peers, increased mobility, great time spent at school and or work activities, and preoccupation with self-image, contribute to the erratic and unhealthy behaviors that are common during adolescence.

With regard to gender it appears that girls experience more stress during puberty due to physical and physiological changes and are at a greater risk of developing unhealthy eating behavior (Merlo, Heinrichs Menzaghi & Koob, 1993; Apfelbaum, Fantino & Apfelbaum, 1993. Furthermore it appears that girls are more affected by the media. They read fashion magazines which influence their decision to restrict calories or take diet pills (Thomson, Weber & Brown, 2002). Keel, Fulkerson and Leon (1996) found that girls have more unhealthy eating habits than boys and they spend more time dieting than boys. This corresponds with the results of McCabe and Ricciardelli (2001) who found that the most frequent strategy used by boys to change body size or shape was exercise, rather than changing eating patterns as girls tend to do.

According to a survey, the frequency of eating unhealthy snacks like biscuits, chips, namkeen, samosa and vada is the highest among the kids in Mumbai compared to those in other cities. Because of the snacking more than 50% of the children have their dinners late between 9.30-11.30 pm. It was also found that the children in the city either prefer or have easy access to burgers, pizzas, French fries, samosas, buns (bora pav) bhelpuri and noodles. Healthier options such as vegetables salads, sprouts, poha, upmai idli and fruit juices were not on their menus. Another trend that came to the fore is that junk food consumption is on the rise because people have little more energy to cook at home, Vedion TM and Manning CK (2003).

India is no exception to this changing fast-food trend. India's fast-food industry is growing by 40% a year. Statistics place India in 10th place in fast food per capita spending figures with 2.1% of expenditure of annual total spending. According to the National sample survey organization (NSSO) survey in the year 2005 released by the Delhi Government, people living in Delhi spend Rs. 371, on an average, on processed food and beverages per month. They spend Rs. 290 on vegetables and around one third of it on fruits. The total value of junk food consumed in India in 2003 was about Rs. 41,000 crore; of which, rural areas accounted for a little over Rs. 22,000 crore, as published in an article in newspaper by sudhanshu Ranade in 'Business Line' on July 13th 2005. 'Nature' in 2007 states that preventable diseases caused mainly due to smoking, poor diet as junk food consumption and lack of exercise could kill millions in developing world in the next 10 years. (Source: Fast Foods and their impact on health).

According to Beig and Saeed (2012) in their survey titled "Review Trends in Fast Food Consumption" indicated students of colleges and universities had more trend to visit and frequently take meal outside their homes and their focus had been fast food centers frequently.

Aims and Objectives:

1. To assess the nutritional knowledge regarding junk food.
2. To assess the knowledge regarding nutrition and nutritional need in maintaining good health.
3. To create awareness on junk food.

Methodology- The present study of adolescent girl (12-19 years of Agra district). Agra district is divided into two areas as Agra rural and Agra urban. The research was conducted in Agra urban, Agra urban comprises of Nagar Nigam Palika and Nagar panchayat Agra city comes under Nagar Nigam. Thus Agra city (Nagar Nigam) was selected purposely for present study list of intermediate colleges of Agra city were collected from DIOS office Panchkuiyyan Agra. According to this list there were total 117 hindi medium and 23 english medium inter colleges. Smt. B.D. Jain Girls Inter College and Tulsi Devi Girls Inter College (in hindi medium), St. Clare's Higher secondary school and St. Anthony Jr. College (English medium) selected due to easy accessibility. 50 adolescent girls of 11 and 12 class from each intermediate college were selected for the present study randomly. Thus total 200 respondent were taken as a sample. Age of adolescent girls were accessed by birth date available on high school certificate. To get information regarding the dietary pattern and nutritional status were accessed by 24 hours dietary recall method. Analysis of survey data undertaking mainly using telemark method and has been presenting in the form of table and diagram whenever necessary. Tabulation of the data was done to make a comparison of each factor studied with dietary pattern and their nutritional status.

Result and Discussions- To study aforesaid aim a sample

of 200 adolescent girl of Agra city was selected. Nutritional requirement are higher among adolescent than any other period of life inadequate diet intake at this age leads to stunted growth and delayed maturation. Majority of adolescent (44%) were found in the age group 19 years and above followed by 32% in the age group of 16-18 years and minimum 10% were in the age group of below 16 years. Majority of respondent were belong to nuclear type of family (68%) and remaining (32%) were joint family. Majority of adolescent girl (59%) were in the height range of 150-160 cm followed by 26% in the height range of 160 cm and above and the minimum 15% were in the height range of 140-150 cm. regarding the weight majority of the respondent were 53% were in the weight range of 30-40 kg followed by 40% in the weight range 40-50kg and the minimum 7% were in the weight range of 50 kg and above. In this study was found that 74% from middle socio economic class, 16% were low while 10% from the upper class. 22% adolescent girl were taking less than 1200 kilo calorie per day which is less than RDA, 73% were taking 1500 kilo calorie per day while only 5% were taking 1800 kilo calorie per day which were almost similar to RDA. Protein intake of majority adolescents girls were also less than RDA.

The majority distribution of pocket money spent per day are buying snacks 10-20 Rs. Per day. 40.5% spent less than 10 Rs., 51.5% spent 10-20 Rs. And 8% spent above 20 Rs. Per day on snacks. Skipping meal is common among adolescents. They skip a proper meal and than eat on snack food item which is health threatening. Milk is the only food that contains all the nutrients and one of the rich source of calcium, banana is quick source of energy and contains dietary fibre. Adolescents girls did not think that they were old enough to drink a glass of milk are to eat a banana daily. Fruits and vegetables are good source of dietary fibres which has beneficial effect but majority of respondent were negative approach.

Adolescent girls agreed that they should eat more of healthy nutrition food but for majority taste another more. Life style has changed a lot and so their food choices. Many fast food eateries have came up in the town. Many roadside vendors available near educational institutions, at market places or near cinemahalls. Now adolescents have more variety of food available to them. Majority of the respondents prefer food with high fat and sugar for snacking ready to eat food like maggi noodles, samosa, burgers, chips, puffs pastries, chaats, bhujia, popcorns, icecream etc. several respondents said inspite of knowing ready to eat foods are

poor in nutritional value yet they go for it as they are convenient and easily available.

Normal nutritional needs remain throughout the life. Good nutrition generally can improve the spirit and quality of life, can speed recovery from illness and prolong life. Adolescence is a unique interventions point of life cycle. It is a stage of new ideas and a point at which lifestyle choices many determine an individual's life course. Although teenagers are well informed about nutrition and good eating practices, this knowledge is often not translated into their daily lives.

The present study reveals through the diet and lifestyle are offensively major contributors to weight problem and varies with different SES especially countries like India. Overweight and obesity are strongly associated with certain types of diets. Such as those that include large amount of fats, animal based and processed food stuffs. Sedentary life style are also an important factors including spending no time for outdoor sports and participating in little or no physical activity during leisure time.

References:-

1. Mudambi Sumati R and Rajagopal MV (2003) Fundamentals of Food Nutrition. New Age International Publishers, 4th Edition. Reprinted 2003. ISBN: 81-224-1132-3 Pg 4,49,81,196,197.
2. Shrilakshmi, b (2002) Dietetics, 4th ed. 2002, New Age International Publishers. ISBN: 81-224-402-8. Pp- 1, 2, 87, 88-93, 149, 157.
3. Singla, P, Sachdeva, R, Kochar, A, "impact of nutritional counseling on consumption pattern of junk foods and knowledge, attitude and practices among adolescent girls of working mothers. J. Hum Ecol, 39(3): 221-227 (2012)
4. Sukla, A. (2007) a chapter from text book of community nutrition. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. Directorate of information and publications of agricultural , Pusa, ND.
5. Swaminathan, Dr. M. (1999) Advanced text book on Food and Nutrition. Vol. II Reprint 1999. Bappco. Pp- 300, 317, 321, 374.
6. Venkaiah, K. and his team (2002), NIN ICMR Diet and nutritional status of rural adolescents India. Available from www.nature.com/ejon/journal
7. Videon, T.M. and Manning, C.K. (2003) influence of adolescent eating pattern: the importance of the family meals (Internet).

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में

डॉ. शुभलेश कुमारी *

* एसोसिएट प्रोफेसर (बी०एड०) श्रीमती बी०डी० जैन गर्ल्स पी०जी० कॉलेज, आगरा छावनी, आगरा (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - 'शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा, तनाव और दुश्चिन्ता से जुड़ा है। पाठ्यचर्या की परिभाषा और नवीनीकरण के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं अगर वे स्कूली शिक्षा प्रणाली में जड़े जमाये मूल्यांकन और परीक्षातंत्र के अवरोध से नहीं जुझ सकते।'

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सतत और समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है या हम कह सकते हैं 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के समुचित विकास का निरंतर और नियमित आंकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों व उपकरणों द्वारा व्यापक आंकलन किया जाता है।'

शिक्षा का सम्बन्ध छात्रों के सर्वांगीण विकास से है, और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों के समुचित विकास से शिक्षा का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। और बच्चों के सर्वांगीण विकास की पहचान उसके द्वारा अर्जित समग्र ज्ञान का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करके ही किया जा सकता है मूल्यांकन के अन्तर्गत किसी गुण, योग्यता, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि या विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। मूल्यांकन के माध्यम से परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनके आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का आंकलन किया जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्ग दर्शक सिद्धान्त में परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाने हेतु कक्षा-वातावरण को भी जोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही (NCF 2005) इस दस्तावेज में इस मूल्यांकन प्रक्रिया को बच्चों में भय एवं तनाव पैदा न करके सीखने की प्रक्रिया में सहायता करने वाला बताया गया है।

आज हमारे समक्ष पारम्परिक परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन को बदलने की चुनौती उभरकर आई है। माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपने सभी विद्यालयों में लागू करते हुए सी०बी०एस०ई० ने यह स्पष्ट सन्देश दिया है कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाए। क्योंकि जब अधिगम एक सतत प्रक्रिया है तो मूल्यांकन भी सतत ही होना चाहिए। मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूलरूप से विद्यार्थी के ज्ञान की परीक्षा के स्थान पर उसके अधिगम की प्रक्रिया को मूल्यांकन के लिए चुना जाता है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ (CCE) - 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। वास्तविक रूप में यह एक बच्चे की विकास-प्रक्रिया है, जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है।' ये उद्देश्य एक ओर मूल्यांकन में निरन्तरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर आधारित हैं तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित हैं।

निरन्तरता से तात्पर्य है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के पक्षों का मूल्यांकन निरन्तर करना, जिसे सम्पूर्ण अध्यापन - अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है और यह शैक्षिक- सत्रों की पूरी अवधि में फैली हुई है इसका अर्थ है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अन्तरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग और स्वमूल्यांकन हेतु अध्यापकों एवं छात्रों के साक्ष्यों का फीडबैक या प्रतिपुष्टि और व्यापक का अर्थ है शैक्षिक और सह-शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य :

1. विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरान्त बच्चों की प्रगति जानना।
2. बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता लगाना।
3. प्रत्येक बच्चे को सीखने और समुचित विकास में मदद करना।
4. सृजनशीलता को बढ़ावा देना।
5. बच्चे की व्यक्तित्व और विशेष जरूरतों का पता लगाना।
6. बच्चों में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए अध्यापन की उपयुक्त योजना बनाना।
7. बच्चों की रुचि जानना।
8. कक्षा में परीक्षा के प्रति व्यास भय एवं दबाव को दूर करना और स्वआंकलन के लिए प्रोत्साहित करना।

सी०सी०ई० के नीतिगत पहलू - भारत सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा आयोग (1964-66) के परीक्षा सुधारों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार बच्चों के सीखने की प्रगति का आंकलन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है इसलिए सी०सी०ई० को शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में इस प्रकार लागू किया जाए जिससे शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पहलुओं को समग्र रूप से देखते हुए स्कूली व्यवस्था में अंको के स्थान पर ग्रेड द्वारा आंकलन करने पर बल दिया जाए।

कार्यक्रम कार्यान्वयन (Programme of Action) 1992 के आधार

पर विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में एक ऐसी मूल्यांकन पद्धति की अनुशंसा की जो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हो, ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, चिंता और अपमान से बचाया जा सके।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (N.C.F.) 2000 ने बच्चों के सीखने सम्बन्धी उपलब्धियों के आंकलन हेतु अंकों के स्थान पर ग्रेड देने की पैरवी की और ग्रेड देने के लिए भी विभिन्न मूल्यांकन की तकनीक अपनाने पर जोर दिया।

N.C.F 2005 के अनुसार बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं इसलिए उनके अपने अनुभवों एवं राय को प्राथमिकता देते हुए अपनी जिज्ञासा पोषित करने के भरपूर अवसर दिए जाएं। बच्चों की मनोवृत्तियों, भावनाओं और मूल्यों को संज्ञानात्मक विकास का अभिन्न अंग मानते हुए N.C.F 2005 विद्यालयी स्तर पर सीखने सिखाने और आंकलन के दौरान उन्हें समग्र रूप से देखने की अनुशंसा करता है। इसलिए पिछले कई दशकों से विभिन्न नीति दस्तावेजों द्वारा सी0सी0ई0 की एक विद्यालय-आधारित आंकलन प्रणाली के रूप में अनुशंसा की गई है, जो कि आंतरिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों के समग्र विकास की जानकारी दे सकता है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सतत से आशय सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान चलने वाले आंकलन से है जो सत्र के अन्त में होने वाले आंकलन के साथ-साथ समय रहते यह संकेत दे देता है कि शिक्षण में और सीखने में कहाँ-कहाँ सुधार की जरूरत है विशिष्ट पाठ्यचर्या के क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए, बच्चे के समग्र विकास को ध्यान में रखने को व्यापकता के रूप में देखा जाता है।

बच्चों को गुणावत्तापूर्ण शिक्षा देने और उन्हें समग्र रूप से विकसित होने के लिए यह जरूरी है कि उनकी सीखने की प्रगति के बारे में सी0सी0ई0 द्वारा पता किया जाए जिससे निम्न बिन्दुओं में विशेष सहायता मिल सकेगी।

1. बच्चे की सीखने की क्षमता और विकास में हुए परिवर्तन का पता लगाने पर उनकी सही-सही पहचान करना।
2. सीखने के लिए बच्चे को कहाँ और कैसी मदद की जरूरत है इसकी पहचान करना।
3. आवश्यकतानुसार सीखने सिखाने हेतु योजना बनाना।
4. स्वआंकलन के अवसर देना। जिससे बच्चे अपने काम का मूल्यांकन कर सकें व अधिगम और विकास को बेहतर बना सकें।
5. अधिगम और विकास की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कक्षा में सीखने

सिखाने की प्रक्रिया को पुरस्कृत करना।

6. माता, पिता और अभिभावकों को बच्चों की प्रकृति के बारे में साक्ष्य आधारित फीडबैक देना।
7. बच्चे में आंकलन के भय को दूर करते हुए, हर बच्चे को सीखने हेतु लगातार प्रोत्साहित करना एवं उनमें आत्मविश्वास जाग्रत करना।

निष्कर्ष - सामान्यतया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिन आधारभूत सिद्धान्तों पर आधारित है उनके अनुसार, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा सीखने की प्रक्रिया साथ-साथ चलती है। इसमें बच्चे का मूल्यांकन सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के बाद ही किया जाता है। बच्चे की प्रगति की तुलना भी उसकी स्वयं की पिछली प्रगति से की जाती है अन्य बच्चों की प्रगति से नहीं। बच्चे के सीखने की गति एवं क्षमता के अनुसार अलग-अलग गतिविधियों का उपयोग किया जाता है ताकि वे अपनी अपनी क्षमतानुसार सीख सकें।

इस प्रकार यदि शिक्षक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता एवं कार्य प्रणाली को सही ढंग से सीख एवं समझ ले तो वह छात्रों का मूल्यांकन भलिभांति करने में सक्षम हो सकेंगे। क्योंकि यह प्रणाली बच्चों के विकास के सभी पहलुओं के मूल्यांकन की प्रणाली है जो कक्षा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ चलती है इस प्रणाली की सफलता हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालयों में छात्र-शिक्षक का अनुपात सही हो क्योंकि एक शिक्षक/शिक्षिका के लिए सही मूल्यांकन कर पाना तभी सम्भव होगा जब वह व्यक्तिगत रूप से भी विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नजर रख पाएँ। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की सफलता हेतु सरकार एवं शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ विद्यालय प्रशासन को भी शिक्षकों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी और सही ढंग से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु समय-समय पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम का भी आयोजन करना होगा। जिससे शिक्षक एवं विद्यालय प्रशासन दोनों ही स्वयं को अपडेट कर सकें व छात्रों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिगम के साथ-साथ सही ढंग से कर सकें। तभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं उसका उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. NCERT सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दिशा निर्देश, (2020)
2. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप रेखा - विकिपीडिया, (2005)
3. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निर्देशिका, भाग-1 (2012-13)
4. कुमार, डॉ0 विनोद, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिकर (2014)

धर्म, साहित्य और मीडिया का दायित्व - राष्ट्रीय उद्देश्य में

डॉ. कुसुम शर्मा *

* एसोसिएट प्रोफेसर (बी०एड० विभागाध्यक्षा) श्रीमती बी०डी० जैन गर्ल्स पी०जी० कॉलेज, आगरा (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - राष्ट्रव्यापी समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र की प्राथमिकता के संकेत-प्रस्तुतिकरण तथा भावी नियोजना के निर्धारण की दिशा इंगित करने के लिए 'श्री रामधारी सिंह दिनकर' की निम्न पंक्तियाँ सार्थक है।

**'धुंधली हुई दिशाएँ, छाने लगा कुहासा
कुचली हुई शिक्षा से आने लगा धुआँ सा
कोई मुझे बता दें, क्या आज हो रहा है
मुँह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है?'**

आज जब सम्पूर्ण राष्ट्र विस्फोटक विनाश के मुहाने पर बैठा है, देशव्यापी अराजकता, भ्रष्टाचार, आतंक, समाजव्यापी कुरीतियाँ और मानव-मानसव्यापी असंवेदनशील प्रवृत्तियाँ कभी विश्वगुरु कहे जाने वाले हमारे राष्ट्र के सामने चुनौतियों के रूप में खड़ी हैं तो ऐसे में यह प्रश्न प्रासंगिक हो उठता है कि भूमण्डलीकरण के इस दौर की इन परिवर्तित परिस्थितियों में साहित्य और मीडिया के दायित्व क्या है और हमारे देश की पहचान धर्म इसमें क्या भूमिका निर्वह कर सकता है?

बीसवीं शताब्दी समाप्त हुई। इक्कीसवीं शताब्दी का धूमधाम से स्वागत किया गया मानों नई सदी पिछली सदी के सभी कलुषित प्रसंगों का अंत करने जा रही हों पर कहीं कुछ नहीं बदला, न युग, न समाज, न व्यक्ति और न मानवीय स्वभाव। भले ही आज समूचा विश्व भौगोलिक सीमाओं को लांघकर एक ग्राम के रूप में सिमट चुका हो पर प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं और इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उनकी आवश्यकताएँ और प्राथमिकताएँ भी अलग-अलग हैं।

राष्ट्र शब्द अपने आप में ही एक बड़ी विराट और भावुक संकल्पना है। राज्य के रूप में भले ही एक देश का कठोर आवरण होता हो पर राष्ट्र का आधारभूत तत्व संवेदना और अनुभूति से बने उन सूक्ष्म तंतुओं पर टिका होता है जो मन से मन को जोड़ते हुए उसके निवासियों को एकाग्रता के धागे से ऐसे बाँध देते हैं कि अलग-अलग धर्म, संस्कृति और परिवेश होते हुए भी एक शरीर एक प्राण, एक राष्ट्र बन जाता है। भारत, सौभाग्य से, भारत में भी एक सार्वभौमिक प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य होने के साथ-साथ ऐसा ही एकात्म, ऐसा ही भाव-प्रधान राष्ट्रत्व विद्यमान है।

यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि मानव की जैविक प्रकृति न अच्छी होती है, न बुरी, न आक्रामक है, न विनयी, न युद्धप्रिय है, न शांतिप्रिय बल्कि इन सब बातों से निरपेक्ष है। वह किसी भी दिशा में विकसीत होने की क्षमता रखती है। वातावरण में उपस्थित तत्व जैसे धर्म, संस्कृति, परम्पराएँ, उसे जैसा सीखने और प्रतिक्रिया करने की बाध्य करते हैं, वह वैसी ही सीखती

और बनती बदलती रह सकती है।

इन प्रभावी तत्वों में निश्चय ही पहला स्थान धर्म का है। भारत जैसे धर्मपरायण राष्ट्र में तो जन्म लेते ही बालक के कर्ण-कुहरो में 'राम' या 'अल्नाह' का नाम मंत्र की तरह उच्चारित किया जाता है। यह दुःखद है कि आधुनिक होते भारत में धर्म की परिभाषाएं संकुचित होती जा रही हैं। धर्म और धर्मशास्त्रों की मनमानी व्याख्याएँ की जा रही हैं। और इन पूर्वाग्रहग्रस्त व्याख्याओं के आधार पर मनमाने निष्कर्ष निकाल कर एक-दूसरे के धर्म को गलत ठहराने की प्रवृत्ति व्यक्ति को दिगभ्रमित कर ही है फलस्वरूप राष्ट्र एक गहरी अँधरी सुरंग की ओर बढ़ता जा रहा है। कभी राष्ट्र कवि दिनकर ने पूछा था।

'धर्म का दीप, दया का दीप कब जलेगा भगवान'²

लेकिन आज धर्म का दीप प्रकाश-स्तम्भ न होकर लपलपाती अग्नि-ज्वालाओं का विषकारी जिह्वाधारी फणीन्द्र बन चुका है। धर्म को उसके वास्तविक अर्थों में न ग्रहण कर कर्मकाण्डी व्यवहार के रूप में समझ लेने का ही परिणाम है कि भारत में धर्म संप्रदाय या पंथों का पर्यायवाची बनकर रह गया है। जितने संप्रदाय उतने पंथा जितनी आस्थाएँ, उतने ही टकराव, उतने ही पर्चस्व, उतनी ही व्याख्याएँ। राष्ट्र की आत्मा तार-तार कैसे न हो ? ऐसे में आवश्यकता है वास्तविक अर्थों में ग्रहण की। 'धृ' धातु से उत्पन्न धर्म शब्द के उस वास्तविक अर्थ को जानने की जिसका तात्पर्य है धारण करना। धारण करना उन सब को जो शुभ हो, जो धारणीय हो, जो करणीय हो और जो उत्थान की राह पर ले जाता हो। भारतीय संस्कृति में भी धर्म की व्यापक परिभाषाएँ दी गई हैं। मनुस्मृति में धर्म के दस लक्षण बताए गए हैं :

'धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रहः

धीविद्या सत्यमक्रोधो दश धर्म लक्षणम्'³

अर्थात् - धैर्य, क्षमा, शांति, लोभ न करना, शुद्धता, इन्द्रिय-निग्रह, बुद्धि विद्या, सत्य और अक्रोध-धर्म के ये दस लक्षण हैं। आवश्यकता धर्म के इसी स्वरूप के प्रचार-प्रसार की है और इसका सम्पूर्ण दायित्व धर्मध्वजाधारियों पर न होकर प्रत्येक उस व्यक्ति पर है जो स्वयं को धार्मिक कहता है। वस्तुतः आज ही पाशविक प्रवृत्तियों का शांत समाधान अर्थ के इसी व्यापक धर्म और प्रयोग में छुपा है।

यही बात धर्मनिरपेक्षता के सन्दर्भ में भी लागू होती है। आज धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्मविरोध से लिया जा रहा है और यहाँ शब्द अपनी विविध व्याख्याओं के कारण विवादास्पद प्रत्यय बन चुका है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन के SAECULUM से हुई है जिसका अर्थ है : यह वर्तमान

युग This Present Age सेक्यूलरिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज जैकब हॉलीडेक (George Jacob Holydake) ने सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में किया था। स्पष्ट है कि धर्म निरपेक्षता का यह अर्थ तो कतई नहीं है कि उसमें धर्म की कोई सक्रिय भूमिका ही नहीं है। वह परम्परागत अर्थों में धर्म का विरोध नहीं है बल्कि धर्म के उस विस्तृत स्वरूप को सही अर्थों में मान्यता देना है जो सभी धर्मों के सदभावनापूर्ण प्रसार से सम्बन्धित है जहाँ प्रत्येक धर्म उस सीमा, तक स्वतंत्र है जिस सीमा तक वह दूसरे धर्मों की आस्था पर प्रहार नहीं करता। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश इसी अर्थ का समर्थन करता है।

‘धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धान्त है जो नैतिकता को वर्तमान जीवन में मानव जाति के कल्याण के सन्दर्भ में निर्धारित करता है और ईश्वर में आस्था सम्बन्धी सभी विचारों को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है।’¹⁴

इसलिए धर्मनिरपेक्षता अपने सुदूर सन्दर्भ में धर्मसापेक्षता बन जाती है। जैसा कि गाँधी जी ने भी भारत के सन्दर्भ में कहा था। जो यह कहता है कि ‘वह हिन्दू है न मुसलमान और यह कह कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है, वह हिन्दू और मुस्लिम दोनों से दूर जा पड़ता है।’¹⁵

धर्मनिरपेक्षता शब्द की गलत व्याख्या के कारण संविधान में भी संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द के स्थान पर पंथनिरपेक्षता शब्द का व्यवहार सुनिश्चित किया गया है।

धर्म की इस अपूर्व जोड़ने की शक्ति के बाद जनमानस को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण माध्यम साहित्य है। साहित्य पूर्वकाल में भी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध परचम फहराता आया है। हम कबीर को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने सामाजिक सौहार्द की स्थापना के लिए अपने काव्य का सशक्त प्रयोग कर सिद्ध कर दिया कि कवि की वाणी ईश्वर की वाणी होती है। वह अपने समक्ष उपस्थित परिस्थितियों का केवल मूक द्रष्टा ही नहीं होता वरंच उन्हें तीव्रता से भावागम कर उन परिस्थितियों का सर्वोत्तम समाधान भी प्रस्तुत करता है। यही साहित्य का उद्देश्य भी है और साहित्य सृजन का कारण भी।

उत्तर-स्वाधीनता साहित्य में भी राष्ट्र के विखण्डनकारी तत्वों के प्रति कठोर वर्जना का भाव उपस्थित रहा है और यह ललक अधुनातन साहित्य की प्रत्येक विधा में स्पष्ट दिखाई देती है। कथा, उपन्यास, कविता, संस्मरण-साहित्य की प्रत्येक विधा पूरी ताकत और साहस के साथ सृजनरत है। उनमें जहाँ नारी की भारतीय परिप्रेक्ष्य में विविध भूमिकाओं और समस्याओं का अंकन है, वही भारतीय संस्कृति की नारी विषयक दृष्टि की संरक्षा करते हुए आधुनिकतम नारीवाद के संतुलित पोषण का प्रयास भी किया जा रहा है। आधुनिक रचनाकार दो धुर विरोध दृष्टिकोणों-पदे में ढकी भारतीय स्त्री और नग्न कामिनी के मध्य उस भारतीय स्त्री की छवि की प्रतिस्थापना के लिए प्रयासरत है जो अपने सम्पूर्ण अर्थ में गरिमावान है और जिसका अंतिम अर्थ भी गौरवमयी होना है।

साहित्य में धर्म और सम्प्रदाय की विकृतियों पर सार्थक कार्य करते हुए देशवासियों के विचारों को परिमार्जित करने की गुरु चेष्टा प्रशंसनीय ही कही जा सकती है।

**‘आदमी चर रहे धर्म के नाम पर
अपने घर भर रहे धर्म के नाम पर
इस कदर बढ़ रहा है जुनू धर्म का
रात दिन मर रहे धर्म के नाम पर।’¹⁶**

इधर पिछले कुछ वर्षों से जातिगत अवधारणा के पोषक में कार्यरत कुछ निहितस्वार्थ द्वारा साहित्य को सवर्ण और दलित साहित्य-लेखन के दो वर्गों में बाँटने का जो आंदोलन शुरू हुआ है वह मेरी दृष्टि में तो किसी भी भाँति प्रशंसनीय नहीं है। साहित्यकार, साहित्यकार होता है। वह न दलित होता है न सवर्ण। उसके समक्ष उपस्थित घटनाएँ क्या किसी दलित या सवर्ण चश्मे से देखी जा सकती हैं ? क्या मात्र जाति-विशेष का होने से घटनाओं के प्रभाव बदल जाते हैं ? बदल सकते हैं ? तब तो निश्चय की साहित्यकार लेखक न होकर रिपोर्टर बन जाएगा। लेकिन जब हम सुनते हैं, पाते हैं कि प्रेमचन्द या धूमिल को मात्र कुछ शब्दों के प्रयोग के कारण पाठ्यक्रम से हटा दिया गया तो क्या यह साहित्य के प्रति एकांगी दृष्टि का परिचायक नहीं है ? क्या प्रेमचन्द द्वारा तत्कालीन समाज में बहुप्रचलित कुछ शब्द और आधुनिक समाज में थोड़े से पालिश किए गए शब्दों की आत्मा में कुछ अंतर है ? क्या प्रेमचन्द के तद्विषयक चित्रण दलित समाज की स्थिति के प्रति आक्रोशमय परिवर्तन के लिए सोचने को बाध्य नहीं करते ? क्या अमृतलाल नागर के नाच्यों बहुत गोपाल और दलित लेखक बलवीर माधेपुरी की आत्मकथा ‘छांगिया रूख’ की संवेदना में कहीं भेद है ? भारत जैसे राष्ट्र के लिए वर्तमान दलित/सवर्ण साहित्य का मुद्दा निश्चय ही शुभ नहीं है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मीडिया की भूमिका भी विचारणीय है। मीडिया भारतीय लोकतंत्र का वह चौथा अनिवार्य स्तम्भ है जिसके आधार-च्युत होने से भारतीय राष्ट्र की सुदृढ़ता खतरे में पड़ सकती है। दुःखद तथ्य यह है कि आज मीडिया अपने दायित्व से विमुख होकर ग्लैमर की चकाचौंध में डूबता जा रहा है। प्रिन्ट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक, समाचार महत्वपूर्ण न होकर समाचारों का प्रस्तुतीकरण महत्वपूर्ण हो गया है। बिक्री बिक्री बढ़ाने के लिए या टी0आर0पी0 बढ़ाने के लिए क्या-क्या नहीं किया जाता ? हो सकता है कि गुडिया आरिफ-तौफिक का मुद्दा आपसी स्तर पर ही सुलझ गया होता, यदि एक चैनल विशेष ने अपनी पंचायत न जोड़ी होती। आखिर कुछ लोगों के सामने और लाखों की भीड़ के सामने प्रत्येक-व्यक्ति की प्रतिक्रिया में अंतर आना सामान्य बात है। फिर एक चैनल द्वारा आत्महत्या के प्रयास की सजीव खबर देना और जलते हुए आदमी का तमाशा दिखाना भारतीय आदर्शों और संस्कृति के अनुरूप तो कदापि नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दे अनछुए रह जाते हैं क्योंकि उनकी टी0आर0पी0 रेटिंग कुछ नहीं होती। दर्शकों की पसंद के नाम पर लिज हर्ले-अरुण नायर की शादी पर घंटों की कवरेज हो या प्रिंस को गहरे गड्ढे से निकालने का तीन दिवसीय प्रसारण, क्या मीडिया के दायित्वों और रूचि में अधोमुखी परिवर्तन की ओर इशारा नहीं करते ? ‘ओर भी गम हैं जमाने में मुहब्बत के सिवा’ लेकिन आज कुछेक पत्रों, पत्रिकाओं और चैनल्स को छोड़ दें। तो अधिकांश मीडिया निजी हाथों की सम्पत्ति बन चुका है-

**‘विद्रोही तेवर वाले ही चारण भाट बने
दुर्घटना कैसी हो बैठी अखबारों के साथ’¹⁶**

राष्ट्र की पुनर्रचना में मीडिया के अपने व्यवसायगत दायित्व है। सच्चाई को पूरी दृढ़ता के साथ सामने लाना उसका कर्तव्य है। बात आज इसी को समझने और अपनाने की है। प्रेस और मीडिया परिवर्तन के जबरदस्त संवाहक हो सकते हैं बशर्ते वे अपने राष्ट्रगत दायों का निर्वाह करें। ध्यान रहे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युग में कलकत्ता से निकलने वाले समाचार-पत्र ‘सुधा-वर्षण’ के सम्पादक श्री श्यामसुन्दर पर बहादुरशाह जफर के वक्तव्य छापने के आरोप में चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे ने ही

सर्वप्रथम हिन्दी पत्रकारिता को बंदूक का सामना कलम से करने की कूबत सौंपी थी। महात्मा गाँधी के 'यंग इण्डिया' और 'नवजीवन' की निर्भीक पत्रकारिता, तिलक के 'केसरी' की हुंकार से कौन परिचित नहीं है ? आपातकाल के विरोध में मीडिया के सशक्त प्रतिरोध और सफल प्रकाशनों के कारण ही 1977 की जनतादन सरकार के रूप में 'सम्पूर्ण क्रांति' का आंदोलन सफल हो पाया था। ऐसे ही अनेक उदाहरण हमारे समक्ष हैं। आवश्यकता केवल प्रेरणा ग्रहण कर संकल्प लेने की है।

पुनः भारत एक देश या राज्य से अधिक एक राष्ट्र है। राष्ट्र वह अमूर्त प्रत्यय है जिसमें विचार और अनुभूति दोनों का समावेश रहता है। जज्बा देश को सत्यं शिवं सुंदरम की राह पर अग्रसर करता है और बुद्धि या विचार तर्क संगत योजनाओं के निर्माण द्वारा राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाते हैं। कोई भी भावी नियोजना वर्तमान को नकार कर सफल नहीं हो सकता। ऐसे में क्या यह अनिवार्यतम नहीं है कि हम भ्रमण्डलीकरण की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी अपनी राष्ट्रीय पहचान को सुरक्षित और संरक्षित रखने

का भार ग्रहण करें ? राष्ट्र कवि 'दिनकर' के ही शब्दों में कहूँगी :

**'दाता पुकार मेरी, संदीप्ति को जिता दे
बुझती हुई शिखा को, संजीवनी पिला दे
प्यारे स्वदेश के हित, अंगार माँगता हूँ
चढ़ती जवानियों का शृंगार माँगता हूँ।'⁷**

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दिनकर : 'समाधेनी' से।
2. दिनकर : 'समाधेनी' से।
3. ऑक्सफोर्ड शब्दकोश
4. जैनेन्द्र : 'अकाल पुरुष गाँधी', पृष्ठ - 116
5. सुरेश सपन : विस्तार, पृष्ठ - 2
6. मनोज अबोध
7. दिनकर : 'समाधेनी' से।

MSMEs Sector in India: Current Status and Prospect

Dr. Soniya Rajpoot * Dr. Swati Mathur **

* Assistant Professor, Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha (M.P.) INDIA

** Associate Professor, Anand Institute of Management, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - The Micro, Small and Medium undertakings (MSME) area has arisen as a powerful area of the Indian economy and a fundamental driver of financial cycle. It extensively helps in creating business venture and produces second biggest work possibilities. With a tremendous organization of 63 million 300 80,000 endeavors, more than 40% of commodities, over twentyeight percent of the Gross Domestic Product and creating work for around one hundred eleven million individuals, the MSME area contributes in a huge way to the improvement of the Indian economy. The world economy is developing at a more slow rate in this way a ton of accentuation is expected on creating MSME area to broaden work open doors explicitly for youngsters.

Keywords- Micro, Small, and Medium Enterprises, current status, sector, role and performance, challenges, and prospects.

Overview of MSME Sector - Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are among the strong wellsprings of work age, financial turn of events and doing development. With a huge organization of around 63 million 300 80,000 endeavors, around 45% commitment in assembling yield, more than 40% of commodities, north of 28% of the Gross Domestic Product and making work for around one hundred eleven million individuals, the MSME area is the development motor of the public economy. Work in MSME area remains close to farming area regarding volume. Various types of items and administrations are created by MSMEs with reception of most recent innovation so the market size of specialty units likewise fluctuates from carefully assembled items to greetings tech items. The National Manufacturing Policy guage to raise the portion of assembling area in GDP from sixteen percent at present to 25 percent toward the finish of 2022 to give energy to the assembling area.

It is universally recognized that MSMEs are the spinal bone of the economy. MSME area has arisen as a vital area of the Indian economy, committing extraordinarily to business creation, development, sends out, and comprehensive development of the economy. A tremendous piece of India's organizations is little, casual, and work in the chaotic area. In view of yearly reports on MSMEs assign that the area shares around 30% of India's GDP and situate on customary gauge utilize all over half of modern specialists. MSMEs contribute around 40% of the general commodity. More than 97% of miniature firms are important for MSMEs and 94% of firms are enlisted with the public authority. The area is reliably developing over metropolitan

and provincial regions and is fairly comprise in the exchange, assembling, and administration area. The current Covid emergency (COVID-19) influencing MSMEs, which are the foundation of India's overall improvement story, has felt a wonderful effect and confronted basic unsettling influence. As MSMEs are a significant piece of the homegrown and unfamiliar worth chain, the problem of the area is of profound irritate.

Review of Literature

Das, P.(2017) centers around the tremendous development potential and valuable open doors a variable in India for the improvement of the MSME area, to recognize significant issues, difficulties, and ideas. He utilized auxiliary information. He found that the area has shown sufficient flexibility to help itself in the strength of our conventional abilities and mastery and by implantation of capital, new advances, and creative showcasing procedures.

Lama, P. (2014) investigates the job and execution of MSMEs in the Indian economy and government strategies as well as the different difficulties and valuable open doors related with MSMEs. She utilized an engaging methodology and optional information. She found that the MSMEs need to work on their efficiency and quality, lessen costs and improve. To keep MSMEs on the correct way and course, it is important to underline the definition of cordial strategies, a helpful working climate, legitimate money, and current innovation for MSME.

Nourishment, P. also, Mistri, T. (2017) broke down the current situation and patterns of MSMEs in India. They utilized optional information. They found that Micro ventures involved the main position normally in all states yet a few

created states are further developing their little and medium endeavors moreover. The area lessens local dissimilarity and makes provincial turn of events.

Mohanty, J. J. (2018) researched the current status and execution of the MSME area and portrayed the different measures taken by the public authority and SIDBI. The review found the MSMEs have uncovered a decent execution over the most recent couple of years. The job of the area is developing quickly and have turned into a pushed region for future development for rustic and metropolitan turn of events and its energy have a ton of strategy suggestion.

Pachouri, A. also, Sharma, S. (2016) laid out the present status of development in SMEs in India. The concentrate additionally examined the current government strategy structure and empowers to help SMEs advancement in India. They found that regardless of various difficulties, the area has performed well.

Unni, J. (2020) saw the effect of COVID-19 on the Informal economy and MSMEs. He uncovers that there is a necessity of full scale level figure and gauges of the deficiency of work, pay, and GDP. This will assist with imagining a game plan and strategies in present moment.

Zanjurne, P. (2018) focused on the presentation of MSME and development possibilities. She utilized exploratory philosophy and auxiliary information. She presumed that the MSME area altogether adds to commodities, work, and assembling yield.

Objectives:

1. Investigate the hypothetical premise, development, and execution float of MSMEs in the Indian economy.
2. Recognize the different issues and prospects connected with MSMEs.
3. Assess the public authority activity to revive the MSME area.
4. Finally, make ideas for additional progression of MSMEs in India.

Methodology: The review utilizes an expressive scientific methodology. It depends on auxiliary information and data taken from different government reports, for example, reports of the Ministry of MSME, handbook of measurements of Indian economy, issues of RBI, different examination papers, diaries, and sites of both public and confidential area banks.

Discussion: Different meanings of MSMEs are winning globally. A few nations utilized speculation roof principles and some of them utilized the quantity of individuals utilized. In India, MSMEs are generally sorted in light of interest in plant and hardware or apparatus. The MSMED Act, 2006 has conveyed the general set of laws for arranging the methodology of 'big business' which joins organizations both assistance and assembling areas, and has grouped the ventures into three divisions viz., Micro, Small and Medium

During Unlock 1.0 the Union Cabinet endorsed a financial bundle for MSMEs alongside an extended

definition. The new definition joins assembling and administration area MSMEs, permitting them to partake in similar advantages. The new definition extended the measures of venture and turnover of MSMEs.

Present Growth and Performance of MSMEs in India:

MSMEs assume a vital part in the financial improvement of the Indian economy. The area has both enrolled and Informal areas. The current paper estimates the presentation of the MSMEs in view of significant execution factors like complete working MSMEs, business age, the market worth of fixed resources, and portion of MSME area in all out GDP from 2006-07 to 2015-16. In Table-3 the CAGR is most elevated for the market worth of fixed resources, trailed by the quantity of working units and business. The insights uncover that there is a serious level of connection between the quantity of the functioning unit, work, and market worth of fixed resources. The portion of MSMEs in the complete GDP rate is diminishing.

Predominant Issues Faced By the MSMEs in India:

1. Issue of Raw Material A significant issue that MSMEs need to declare is the fitting unrefined substance. The issue of unrefined substance has expected the type of a total deficiency, significant expense, and low quality of natural substance. Because of complete lockdown, there is no accessibility of unrefined substance moreover.
2. Issue of Finance is a significant issue looked by the MSMEs. The area fought the issue of money generally because of two reasons; first and foremost, owing to low capital in the country. Furthermore, trouble in taking monetary help from business banks and monetary foundations. MSMEs are profoundly subject to the money economy, and because of pandemic limitations, they were severely stung.
3. Issue of Marketing is one of the significant issues looked by MSMEs. This area frequently possesses no advertising partnership. Huge scope enterprises give a quality item at a less expensive cost. Subsequently, it is extremely difficult to contend with worldwide businesses.
4. Deficiency of Advanced Technology MSMEs holders utilized old creation techniques, which expanded their creation cost and brought down the nature of their item. Consequently, their item doesn't satisfy worldwide guidelines.
5. Issue of Under-used Capacity Many examinations show that there is a propensity for under-usage in miniature and little ventures. As per the All India Census of Small-Scale Industries, 50 to 40% of limit was not used in MSMEs.
6. Lack of Skilled Labor The lack of a talented workforce and great administrative abilities at low costs is one more significant issue for the MSMEs. The absence of expertise arrangement and modern preparation are different explanations behind this.

7. Other Issues notwithstanding the issues indexed over, the miniature, little and medium endeavors have been damaged by a few different issues too. These incorporate absence of organized market channels, inept information on economic situations, sloppy formation of capabilities, lacking availability of credit office, control of foundation offices, comprising power, innovative desuetude, blemished and inappropriate inventory of natural substances, and deficient administrative and specialized abilities.

Possibilities of MSMEs:

1. Employment Formation This area supplies gigantic work amazing open doors at moderately lower capital expenses. Assembling and administration area MSMEs are organizing differentiating and plentiful measure of business.
2. Concentration on Customer Satisfaction Traditionally, MSMEs zeroed in on enjoying, despising, and test and inclinations of the client. Be that as it may, nowadays they make products adjusting to client's assumptions.
3. Captivate Foreign Investment The area develops at a rising rate and returns are likewise satisfactory. This can draw in unfamiliar financial backers to Indian MSMEs.
4. Depreciation of local Disparities The MSMEs arranged in the country regions are using their labor and are additionally fostering the region, which is useful in the expulsion of provincial variations.
5. Expansion of Export There will be a tremendous interest for Indian items in the worldwide market. Thus, it can work on the products of the country.

Activity Undertaken By Government:

1. The government has started insurance let loose programmed credits to INR 3 lakh crore.
2. The government has sent off INR 20,000 crore as subordinate obligation.
3. The government injected INR 50,000 crore value through asset of assets.
4. The government has declared a fractional credit ensure plot 2.0 for NBFCs.
5. Replacement of exchange fairs and presentations and advancing Emarket linkages.
6. MSMEs remarkable from public area undertaking (PSCs) to be given in 45 days.
7. ZED affirmation conspire for monetary help to MSMEs.
8. Global tenders will be excused in government procurement tenders up to INR 200 crore.

Suggestions : The MSME area ought to get to minimal expense money to work on the progression of credit. To oppose the opposition with huge ventures from inside and outside, MSMEs expect to build abilities to advance ICT and different instruments in announcement to serve the thriving business sector needs. Infrastructural advancement is fundamental for MSMEs, it ought to contain a lot of infrastructural offices like streets, railroads, streams, and

aviation routes, legitimate stations of telecom, adequate inventory of force, and different offices like Testing labs, Design focus, Tool rooms, and so on. The obsolete innovation keeps MSMEs from their expected development. The area approaches new and unfamiliar innovations, alongside help from enormous firms, minimal expense ICT arrangements, and better help for Research and Development. In this emergency situation, the area ought to give limits on financing costs and defer the credits of profoundly impacted MSMEs. Plans like BimaYojna and PMEDY ought to cover the representatives of MSMEs.

Conclusion: MSMEs have essentially added to the development of the Indian economy. Its gigantic support in Indian GDP, work age, commodities, creation, and industrialization of provincial regions. The MSME area is developing quickly, however as well as confronting various issues. To further develop the condition government ought to execute appropriate approach measures. The episode troubles the area gravely, with the expansion in quantities of ventures going to shut and significantly more chopping down their worker numbers to keep up with their organizations. The public authority declared an improvement for the area to provide it the right guidance and way. The improvement of the MSMEs is basic for the fate of the country. In the ongoing situation for the upliftment of the economy, the area turned into the drive motor of the economy. Assuming government further advances MSMEs these MSMEs can light up and sparkle the Indian economy more.

References :-

1. Das, P. (2017), "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in India: Opportunities, Issues & Challenges", Great Lakes Herald, Vol 11, Issue No. 1
2. Lama, P. (2013), "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) In India- Problems and Prospects", Business Studies, vol xxxiii & xxxiv, 2013 & 2014
3. Mama, P. and Mistri, T. (2017), "Status of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in India: A Regional Analysis", IOSR Journal of Humanities And Social Science, Vol 22, Issue 9. PP. 72-82
4. Mohanty, J. J. (2018), "A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in India: Status and its Performance", International Journal of Research and Scientific Innovation, Vol v, Issue v
5. Pachauri, A. and S. Sharma (2016), "Barriers to Innovation in Indian Small and Medium-Sized Enterprises", ADBI Working Paper 588, HTTP:// www. Adb.org/ publication/ barriers-innovation-indian-small-andmedium-sized-enterprises/
6. Unni, J. (2020), "Impact of COVID-19 on Informal Economy: The Revival", The Indian Journal of Labour Economics (2020), 63 <https://doi.org/10.1007/s41027-020-00265-y>
7. Zanjurne, P. (2018), "Growth and Future Prospects of

- MSME in India", International Journal of Advanced Engineering, Management and Science (IJAEMS), Vol 4, Issue 8
8. <https://hindustantimes.com/analysis/msmes-is-critical-intimes-of-covid-19>
 9. <https://livement.com/opinion/online-views/opinion-covid>
 10. <https://indianexpress.com/article/india/rs-3-lakh-crore-relief-package-for-msme-but-govt-pvt-firms-owe-themmore-6410442/>
 11. <https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/smesector/over-one-third-msmes-start-shutting-shop-as-recovery-amid-covid-19-100-rs-unlikely-aim-survey/articles/76141969.cms>

A Comparative Study of Non-Fund Based Income and Fund Based Income

Priyanka Pamecha* Dr. L.N. Sharma**

*Research Scholar (Commerce) Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

** Professor (Commerce) Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.) INDIA

Abstract - India moved towards liberalization after 1991, banking sector in India is becoming increasingly more competitive. Liberalization policy introduced in the banking sector in India led to consolidated competition, efficient allocation of resources and introducing innovative methods for mobilizing of saving. After nationalization and prior to liberalization bank business was mainly focused towards interest earning activity by way of loans and advances which was guided by the administered rates. Banks have now become provider of a wide range of solution. As a result, banks have increasingly turned to new non-traditional financial activities as a way of maintaining their position as financial intermediaries. The objective of this research study was to compare and analyze the Non-fund based income of Indian banking industry. The Variable used as an inputs and outputs give us some insight about the non-fund based activities of banks in India. Although these study shows that banks in India have expanded into fee based income activities present higher risks and higher insolvency risks than bank which mainly supply loans.

Introduction - "With the monetary system we have now, the careful saving a lifetime can be wiped out in an eye blink" (Larry Parks, Executive Director, FAME) Could you imagine a world without banks? At first, this might sound like a great thought but "banks and financial institutions" have become cornerstones of our economy for several reasons. They transfer risk, provide liquidity, facilitate both major and minor transaction and provide financial information for both individuals and business. The financial sector reforms in India are an integral part of the overall. Program of economy reforms aimed at in proving productivity and efficiency. Moreover having initiated fundamental changes, the financial sector, particularly the banking sector is now under an obligation to demonstrate the efficiency of the reforms undertaken so far. Banking Industry is a part of the changing business paradigms, across the globe. Especially banking sector is one of the largest contributing forces to the growth of Indian economy. In a market driven banking sector, competition is the most dynamic element. Due to market competition in Indian Banking industry, the pattern of banking business is changing phenomenally continuous exploration of scope in market would demand a brilliant focus on emerging opportunities and convert that opportunities into competitive strength that call for the competitive strategy and facilities. The major income of the bank is interest income. But now a days bank are also offering wide range services like shopping, ticket booking, fund transfer and also entered into mutual fund, insurance, financing export service. In present age banking sector

provide a world class non-fund base facilities to the customer. A number of studies have been conducted in India and abroad on banking sector. Especially non-fund based income an attempt is made here to brief review on non-fund based income. All banks are eager to go for fee based activities to a large extent with various sources of income. At Present, the banking sector income is divided into two major parts i.e. interest income and non-interest income. The structure of income is given below :

1. Interest Income -
 - a) Interest / Discount
 - b) Income on Investment
 - c) Balance with RBI
2. Non- Interest Income – Four Component Of Non-Fund Based Income

Name of Non-fund based income	Example
Fiduciary income	1. Administrating investment for others. 2. Gross income from services rendered by the bank's trust.
Service charges in deposit account	1. Maintenance of deposit account. 2. Failure to meet minimum balance excess check writing. 3. Withdrawals from non-transaction account. 4. Early withdraw or closure fee. 5. Dormant account. 6. Extensive activity.

	7. ATM usage. 8. Bound check charges and other fee.
Trading Revenue	1. Net gain or loss from trading cash 2. each instrument. 3. Off balance sheet derivatives contracts. 4. Sales of assets and other financial instruments. 5. Revaluation to carrying value of assets and reliabilities due to marking to market. 6. Revaluation of interest rate. 7. Foreign exchange. 8. Equity Derivatives. 9. Commodity and other contract due to marketing to market. 10. Incidental income related to purchase and sale of assets and liabilities.
Fee and other Income	1. Service charges. 2. Commission. 3. Safe Deposit Boxes. 4. Insurance sales. 5. Bank Draft. 6. Money order. 7. Bill collection. 8. Saving of acceptances and letters of credit. 9. Mortgage servicing fees. 10. Notary. 11. Consulting and Advisory Services. 12. Credit card fees. 13. Merchant credit and charges. 14. Rental fees 15. Loan Commitment fees 16. Net gain on sale of real estate 17. Foreign Transaction.

It is therefore, important to examine to what fee-based income contributes to total income. These days, banks are competing on the basis of fee-based activities by launching innovative products/services. Non-interest income is a vital part of total income of the banks and it may create stability in bank income .

Objective Of The Study :

1. To study and analyze the trends in interest income and non-interest income in the era of deregulation.
2. To find out various ways and means to entrance the non-interest income.
3. To examine the contribution of non-fund based income in the financial efficiency an pattern of services of the selected banks.
4. To make a relative comparison of the non-fund based

income of the selected banks.

Methodology - This is the conceptual one with detailed review of literature for the purpose of study. The data shall be collected from the records, documents, related subject matter and related websites. besides, the researcher shall collect and analyze published data as per requirement. The data regarding selected banks have been obtained and collected from the annual report of the banks and related websites.

Literature Review - Prof. Singh, Y.P. Prof. Seth . A.K. & Prof. Rajput, Bhavana tried to examine the link between the revenue portfolio and risk in the adjusted performance of banks in Indian context. "Indian Journal of Finance and Research (2006-07)".

Traditionally it is believed that earning from non-interest income generating revenue are more stable them loan based earning and the increases focus on these activities, overall revenue and profitability volatility via diverfication effects.

Zhou Haowen & Wong Ting(2008) find that there was a strong fluctuation exists in non-interest income. Once diversified benefits decreases or disappears, Strong fluctuation of non-interest is sure to intensity the fluctuation of the strong fluctuation of non interest income is sure to intensity the fluctuation of the whole income, which is not helpful for the healthy operation of commercial banks.

Mahadevan (2002) describes some major changes in the bank business occurring during the financial reforms, period, affection the profitability. He has given wide variety of strategies to increase non-interest income. Nash (1993) found that credit card specialization gives higher and more voliate returns than the conventional product mixes. Rosie & Wood (2002) studied in their working paper the income structure of European banking sector with the help of time series and cross sectional analysis. They concluded that non-interest income has increased but does not fully offset the reduction in the interest margin are non-interest income is much more volatile than interest income.

Table 2 (see in last page)

The above table shows the Non-fund based income of State Bank of India from the year 2015 to 2019. Non-Fund based income is highest Rs. 446006871 Crore in 2018, and it was lowest Rs. 225758926 Crore in the year 2015. After year 2015, Non-Fund based income representing continuous increasing trend in year to year but it is decreasing trend in 2019. The average non-fund based income is 334515527.4 Crore. In 2017, 2018, and 2019 income was higher than average Non-fund based income.

Graph 1 (see in last page)

Table 3 (see in last page)

The above table shows the Non-fund based income of ICICI Bank from the year 2015 to 2019. Non-Fund based income is the highest Rs.195044831 Crore in 2019, and it was lowest Rs. 121761305 Crore in the year 2015. Non-Fund based income representing mix trends. The average non-fund based income is 157870923 Crore. Non- fund based income of 2017and 2018 was higher than average Non-fund based

income.

Graph 2 (see in last page)

Suggestions - " Banks in the Businesses of maintaining risk not avoiding it "

We deem it desirable to review the various aspect of over study and sum up the important observations. As such, this chapter epitomizes the major findings and offer new suggestion for the increasing non-fund based. Income of banking industry in India.

1. The banks in India need to focus at ensuring greater financial stability to tackle lots of challenges successfully to keep growing and strengthen of banking sector.
2. For the financial repression construct Indian banking industry have to focusing and concerning the challenges, strategy pre-emption and directed credit.
3. Banking sector in India need to move towards a more market based system for to create the sound and condition for well functioning of a market based banking system .
4. Public sector banks required to set up modem IT infrastructure in place within a short time of period.
5. Both of banks need to expand branches in rural area.
6. required to launch innovative products and services as per the customer's expectation.
7. Banking sector in India need to start moving into areas that yield non-fund based income activities that earn more income than interest income.
8. Banking sector extend the technology which is used in internal order to remove the difficulties.
9. Banks should in India need to require risk management in order to remove the difficulties.
10. Bank should prove the services in different language.

Conclusion - For every beginning, there is an end ; For every ending, there is a beginning.

All those developments in Indian banking are says that

the Indian banks are moving towards modern banking changing a face of traditional banking of Indian economy . It is grate change of banking industry. They having a installing an information technology for banking business and they trying to provide technology based banking products and services to their customers, Indian banks also trying to universilization of banking products and services to one top banking shop for customer delight, but comparatively private and foreign banks existing in Indian economy are having a higher level of modernization and those providing numbers of modern services to their customers. For a long term success of banking institution to require effective management of credit risk and diversified into fee based activities. Non-traditional activities of banks are more sophisticated and versatile instrument for risk assessment. It is tempting to conclude that interest based, intermediation activities have been become less central to financial health and business strategy of the typical commercial banks and that fee based non-intermediation financial services have been more important.

References :-

1. RBI report on term progress of banking in India.
2. Consolidated report of condition and income, call report
3. Coulthelen, V."Management in banking" Sultan chand 2 sons
4. Desai, C.I. "Analyzing Productivity in Banking Concepts and Methodology", Prajanan Publications.
5. Rao Ramchandra, "Present Day Banking in India" 1st Edition.

Websites :-

1. www.moneycontrol.com
2. www.sbi.com
3. www.icicibank.com
4. www.expressindia.com

Table 2 : Non Fund Based Income of Public Sector Banks State Bank of India

Year	Fund Based Income	%	Non-Fund based Income	%	Total Income	%
2015	1523970742	87.10	225758926	12.90	1749729668	100.00
2016	1639982975	85.48	278453687	14.52	1918436662	100.00
2017	1755182404	83.19	354609275	16.81	2109791679	100.00
2018	2204993156	83.18	446006871	16.82	2651000027	100.00
2019	2428686535	86.85	367748878	13.15	2796435413	100.00
TOTAL	9552815812	85.10	1672577637	14.90	11225393449	100.00
AVERAGE	1910563162.4		334515527.4		2245078689.80	

Graph 1

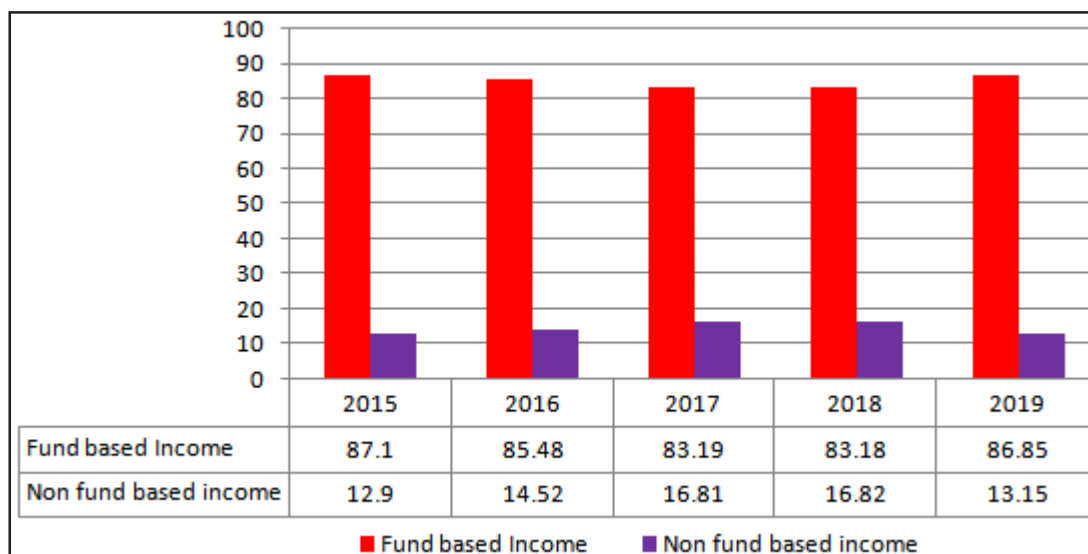
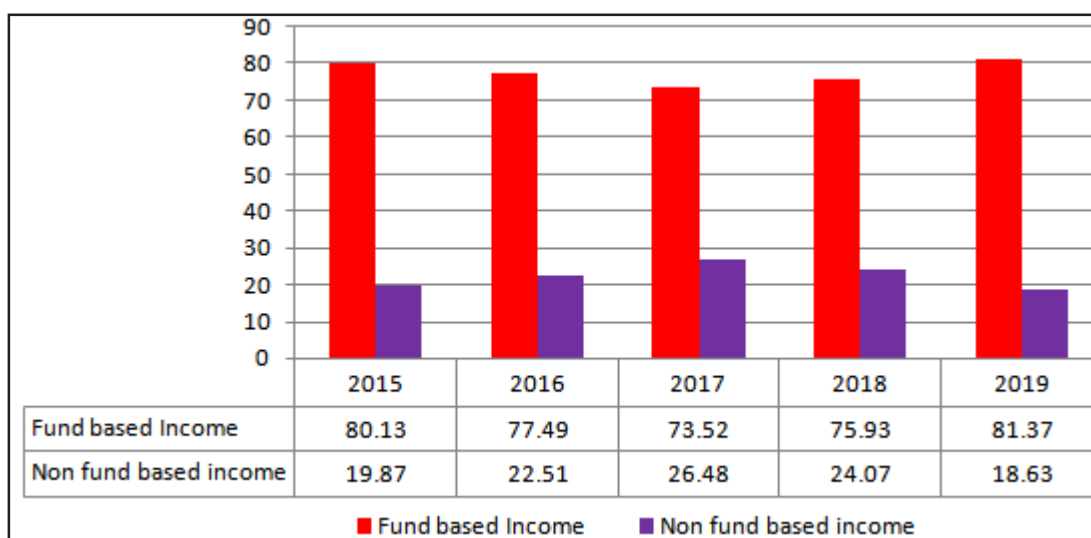


Table 3 :Non Fund Based Income Of Public Sector Banks ICICI Bank

Year	Fund Based Income	%	Non-Fund based Income	%	Total Income	%
2015	490911399	80.13	121761305	19.87	612672704	100.00
2016	527394348	77.49	153230516	22.51	680624864	100.00
2017	541562793	73.52	195044831	26.48	736607624	100.00
2018	549658922	75.93	174196326	24.07	723855248	100.00
2019	634011926	81.37	145121636	18.63	779133562	100.00
TOTAL	2743539388	77.66	789354614	22.34	3532894002	100.00
AVERAGE	548707877.6		157870923		706578800	

Graph 2



पर्यावरण संरक्षण का विभिन्न विधि में विश्लेषणात्मक अध्ययन

अर्चना शिंदे *

*पी.एचडी. शोधार्थी (विधि) शासकीय माधव कला वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत प्राचीन समय में ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर सदैव सजग रहा, इसी कारण उसने संवैधानिक संरक्षण की तरफ ध्यान दिया। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण को एक मूल अधिकार के रूप में तथा मूल कर्तव्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को अधिक बल देने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता में भी इसे आपराधिक दायित्व के रूप में मान्यता दी गई है।

प्रस्तावना – पर्यावरण का संरक्षण करना अत्यधिक जरूरी हो गया है, क्योंकि संपूर्ण मानव जीवन पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। हमें ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना होगा, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, तभी हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर पाएंगे। इसके लिए लोगों को भी अधिक से अधिक संख्या में जागरूक करना होगा। नए नए तरीके अपनाकर लोगों को जागरूक कर हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे उसको संरक्षित कर पाएंगे।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करना, पर्यावरण और इसकी संबद्ध समस्याओं के बारे में एक बुनियादी समझ और ज्ञान प्राप्त करना।
2. पर्यावरण के लिए चिंता का एक दृष्टिकोण प्राप्त करना।
3. पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करने और हल करने के लिए कौशल हासिल करना।
4. पर्यावरण के सुधार और संरक्षण के लिए उपायों का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित करना।

पर्यावरण का अर्थ – पर्यावरण की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है। पर्यावरण को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। पर्यावरण दो शब्दों 'परि' तथा 'आवरण' से मिलकर बना है। परि का अर्थ है। चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ है घेरा। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है चारों तरफ का घेरा। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ तथा मानव निर्मित जो भी जीवित तथा आजीवित वस्तुएँ हैं, वे मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं।

पर्यावरण शब्द का इस प्रकार व्यापक अर्थ। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, हवा, पानी, पेड़, पौधे, जीव-जन्तु आदि सभी शामिल हैं।

पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना यानी की पर्यावरण सुरक्षा। लेकिन हमारे द्वारा किये गये कई कारणों से हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है। ये कारण कुछ इस प्रकार हैं ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि आदि कारणों से पर्यावरण हमारे लिये चिंता का कारण बन गया है।

पर्यावरण संरक्षण न केवल मानव के लिए बल्कि अन्य जीवित प्राणियों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं

रहेगा, तो पृथ्वी पर भी जीवन की संभावना कम हो जायेगी। इसीलिए हमें अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे।

पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान

● **नीति निदेशक तत्व के रूप में** – संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण करते समय इन तत्वों का उनमें समावेश करेगा। इसी क्रम में अनु. 48-1 में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा।

इंडियन कॉन्सिल फॉर इनवारनमेण्डल लीगल ऐक्शन बनाम भारत संघ, (1996) 3 एस.सी.सी. 212 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनु. 48ए के तहत केन्द्र तथा राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण हेतु उचित कदम उठाये।

● **मूल कर्तव्य के रूप में** – संविधान के अनुच्छेद 51-ए में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है इसमें अनु. 51-1(g) में उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखें।

● **मूल अधिकार के रूप में** – पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण को सीधे तौर पर तो मूल अधिकार नहीं माना गया परन्तु उच्चतम न्यायालय में विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार अनु. 21 के तहत एक मूल अधिकार है तथा इसके लिए अनु. 32 के तहत उपचार उपलब्ध हैं।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, AIR 1987 SC 1086 के मामले में उच्चतम न्यायालय के ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का भी अधिकार प्राप्त है।

चरण लाल साहू बनाम भारत संघ (1990)। एस.सी.सी. 613 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'मानव अधिकारों

के हमारे राष्ट्रीय आयामों के सन्दर्भ में प्राण, स्वतंत्रता, प्रदूषण मुक्त वायु, जल का अधिकार संविधान के अनु. 21, 48-ए, 53(ए) के अधीन प्रत्याभूत हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्याभूत संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभाव कदम उठाये।'

भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण - भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिये दण्ड की भी व्याख्या की गयी है। ये प्रावधान निम्नलिखित हैं -

● **लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना।** धारा 277 के अनुसार- जो कोई लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छया इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो, कम उपयोगी हो जाये, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कार्यक्रम से जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकेगी, अथवा जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

लोक जल स्रोत या जलाशय का जल सामान्य लोक से संबंधित है और जो व्यक्ति इसे कलुषित करता है, वह लोक उपताप कारित करता है।

● **वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपाय कर बनाना-** धारा 278 के अनुसार जो कोई किसी स्थान के वायुमण्डल को स्वेच्छया इस प्रकार प्रदूषित करेगा कि वह जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए जो पड़ोस में निवास या कारोबार करते हैं, या लोक मार्ग से आते जाते हों, अपायकर बन जाये, वह जुर्माने से, जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

चूँकि प्रदूषित वायुमण्डल जन साधारण के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और इसलिए इसे दण्डनीय बनाया गया है। रिप्टि के कतिपय मामलों का पर्यावरण पर प्रभाव है और ऐसे मामलों का पर्यावरण पर प्रभाव है और ऐसे मामलों का विनियमन रिप्टि से संबंधित कतिपय प्रावधानों द्वारा किया जा सकता है। महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

● **लोक जल निकाय में नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने द्वारा रिप्टि** - धारा 432 के अनुसार - जो कोई किसी ऐसे कार्य को करने द्वारा रिप्टि करेगा। जिससे किसी लोक जल निकास में क्षतिप्रद या नुकसानप्रद जल प्लावन या बाधा कारित हो जाये या होना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

● **नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिप्टि-** धारा 435 के अनुसार - जो कोई किसी सम्पत्ति को एक सौ रुपये या उससे अधिक का या (जहाँ कि सम्पत्ति कृषि उपज हो, वहाँ) 10 रुपये या उससे अधिक का नुकसान कारित करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुये कि वह एतद् द्वारा ऐसा नुकसान कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिप्टि करेगा, वह दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

● **गृह राज्य को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिप्टि-** धारा 436 के अनुसार - जो कोई किसी ऐसे निर्माण का, जो मामूल तौर पर उपासना स्थान के रूप में या मानव निवास के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता हो, ताश

कारित करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुये कि वह एतद्द्वारा उसका नाश कारित करेगा, अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिप्टि करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

उपरोक्त के अलावा दण्ड संहिता में की धारा 268 में लोक उपताप को परिभाषित किया गया है तथा उसके लिए धारा 291 एवं 292 में दण्ड का प्रावधान भी रखा गया है।

पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न विधियाँ

● **जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा 1977)** - जल प्रदूषण को रोकने में जल (प्रदूषण और नियंत्रण) अधिनियम, 1977 भी एक अन्य महत्वपूर्ण कानून है जिसे राष्ट्रपति ने दिसम्बर 1977 को मंजूरी प्रदान की। जहाँ एक ओर यह जल प्रदूषण को रोकने के लिये केन्द्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को व्यापक अधिकार देता है वहीं जल प्रदूषित करने पर दण्ड का प्रावधान भी करता है। यह अधिनियम केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण बोर्डों को निम्न शक्तियाँ प्रदान करता है :

1. किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश का अधिकार।
2. किसी भी जल में छोड़े जाने वाले तरल कचरे के नमूने लेने का अधिकार
3. औद्योगिक ईकाइयों तरह कचरा तथा सीवेज के तरीकों के लिए बोर्ड से सहमति लें, बोर्ड किसी भी औद्योगिक ईकाई को बंद करने के लिए कह सकता है। वह दोषी ईकाई को पानी व बिजली आपूर्ति भी रोक सकता है।

● **वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981** - बढ़ते औद्योगिक के कारण पर्यावरण में निरंतर हो रहे वायु प्रदूषण और पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण के नियंत्रण को ध्यान में रखने के लिये 29 मार्च 1981 को यह अधिनियम पारित हुआ और 16 मई, 1981 से लागू किया गया। इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर-गाड़ियों और अन्य कारखानों से निकलने वाले धुएँ और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है, 1987 में इस अधिनियम में शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया।

● **वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972** - कृषि, उद्योगों और शहरीकरण से वनों का क्षरण हुआ, वनों के अत्यधिक कटने से वन्यजीव जंतुओं की कई प्रजातियाँ या तो लुप्त हो गई हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। वन्य जीवन में लुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए जैसे सन् 1952 में भारतीय वन्यजीवन बोर्ड का गठन किया। इसी बोर्ड के अंतर्गत वन्य-जीवन पार्क और अभ्यारण बनाए गए और 1972 में भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, (1972) को अधिक व्यावहारिक व प्रभावी बनाने के लिये इसमें वर्ष 1986 तथा 1991 में संशोधन भी किये गये।

● **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** - भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए वन संरक्षण अधिनियम (1980) पारित किया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों का विनाश और वन भूमि को गैर-वानिकी कार्यों में उपयोग से रोकना था। इस अधिनियम के प्रभावी होने के पश्चात् कोई भी वन भूमि केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना गैर वन भूमि या किसी भी अन्य कार्य के लिये प्रयोग में नहीं लाई जा सकती तथा न ही अनारक्षित की जा सकती है। आबादी के बढ़ने तथा मानव जीवन की

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटने हेतु मार्गदर्शिकाओं तैयार की गई हैं जिससे वनों को कम से कम नुकसान हो। इन मार्गदर्शिकाओं में निम्न बिन्दुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है :

1. वन संबंधी योजनाएँ इस प्रकार हो ताकि वन संरक्षण को बढ़ावा मिले।
2. वनों की कटाई जहाँ तक संभवन हो रोका जाना चाहिए।
3. पशुओं के लिए चारागाहों को ध्यान रखना चाहिए व चारे के उत्पादन हेतु विशेष प्रावधान किया जाने चाहिये
4. कुछ समय के लिये वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए ताकि इन इलाकों में पुनः पेड़, पौधे, उग सकें, पहाड़ों जल क्षेत्रों, ढलान वाली भूमियों पर वनों को पूरी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए।

● **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986** – संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन (स्टाकहोम) 5 जून, 1972 से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया है, जिसके अंतर्गत मानव, प्राणियों, जीवों, पादपों को संकट से बचाना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक कानून का निर्माण करना साथ ही लागू कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण संस्थानों का गठन कर तथा उनकी क्रियाविधि के मध्य समन्वय स्थापित करना सम्भव हुआ।

1. पर्यावरणीय नियमों की व्यापक आवश्यकता को देखते हुये पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने दिसम्बर 2004 को राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत पारित अधिनियम से पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

● पर्यावरण संरक्षण के उपाय:

1. विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण के लिए मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। पर्यावरण और जीवन का अनोखा संबंध है दुर्भाग्य से कुछ लोगों का ये मानना है कि केवल सरकार और सामान्य तौर पर बड़ी कंपनियों को पर्यावरण के संरक्षण के लिये कुछ करना चाहिए, ये सत्य नहीं हैं वास्तव में हरेक व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषण, अवशेषों, सभी प्रकार के कचरे से होने वाली गंदगी और बढ़ती आबादी से इसकी रक्षा करने में सक्षम हैं।
2. सही मायनों में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त किया जा सकता है कोई भी व्यक्ति जरा सी इच्छा रख और थोड़े से प्रयास से पर्यावरण को सुरक्षा और संरक्षण दे सकता है पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हुआ है इस समस्या से उबरने के लिये पूरी दुनिया को एक होने की जरूरत है दुर्भाग्य से, गरीब देशों को जो मुख्य रूप से अपने अस्तित्व के लिए प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं, उन्हें

गरीबी से निपटने के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं से निपटने में सक्षम होने के लिये मदद की जरूरत है।

3. पेड़ ऑक्सीजन का सबसे बड़े स्रोत होते हैं और हम उन्हें उगाने के बजाय काट देते हैं हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, तो जीवन में काफी सुधार होगा हवा साफ होगी, पेड़ों की संख्या वापस सामान्य हो जाएगी, प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव कम हो जाएगा।

4. आज हम जो सब्जियाँ खाते हैं वो रसायनों, और कीटनाशकों के साथ उगाई जाती है, अगर हम रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग किए बिना स्वयं सब्जियाँ लगाए, तो हमें अच्छी सब्जियाँ खाने की मिलेगी ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होगी।

5. धूम्रपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, ये हृदय रोगों को बढ़ावा देता है, ये हवा के प्रदूषण को भी बढ़ा देती है धूम्रपान ना करने से वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है।

निष्कर्ष – पर्यावरण की संरक्षा हमारे सांस्कृतिक मूल्यों व परंपराओं का एक अंग है, अथर्ववेद में कहा गया है कि मनुष्य का स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। महान् वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा था कि दो चीजें असीमित हैं एक ब्रह्माण्ड तथा दुसरी मानव की मूर्खता। मनुष्य ने अपनी मूर्खता के कारण अनेक समस्याएँ उत्पन्न की है, जिनमें पर्यावरण प्रदूषण भी एक है। इस पर अंकुश लगाने के लिये पर्यावरण संरक्षण को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है जब उसमें लोगों की सहभागिता बढ़ाने के साथ पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण संबंधी शिक्षा का विकास करने व लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये पर्यावरण की रक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का ज्ञान हो। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कानूनी प्रयासों के साथ ही सामूहिक सामंजस्य एवं आपसी समझ के द्वारा प्रयास करने से ही प्रदूषण पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण करना संभव हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय ढण्ड संहिता-सूर्य नारायण मिश्र, रतन लाल।
2. पर्यावरण अध्ययन – दृष्टि, डॉ. रतन जोशी।
3. भारतीय संविधान – डॉ. जय नारायण पाण्डेय, दुर्गादास बासु।
4. न्यूज पेपर – दैनिक भास्कर, पत्रिका।
5. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा 1977
6. वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
7. वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम, 1972
8. वन संरक्षण अधिनियम, 1980
9. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

Convention on Biological Diversity: Threats and Challenges in Biodiversity Conservation

Dr. Jolly Garg* Dr. Shobha Gupta**

* Associate Professor and Head (Botany) D. A. K. P. G. College, Moradabad (U.P.) INDIA
** Associate Professor and Head (Chemistry) D. A. K. P. G. College, Moradabad (U.P.) INDIA

Abstract - The Convention on Biological Diversity (CBD) is an international legal instrument or agreement among countries based on natural and biological resources. The CBD has three main objectives: to protect biodiversity; to use biodiversity without destroying it; and, to share any benefits from genetic diversity equally. Many decades after the emergence of the CBD, there still remain great challenges in its implementation globally. Each and every unethical and ill-legal activity or the action of every human being causes the 'Butterfly effect' and subsequently impacts the Earth ecosystem via a chain of reactions. The 'Butterfly effect' is cumulative the negative impact and adversely affects the Earth ecosystem via a chain of reactions including the equilibrium of biodiversity i.e., Flora and fauna in the ecosystem. Ecosystem and welfare of human beings both are interrelated, interdependent, inter-oriented.

Key Words- Biodiversity Conservation, Forests, Environment, Convention on Biological Diversity (CBD), Global ecosystem approach implementation.

Introduction - The Earth Summit held in Rio De Janeiro, Brazil in 1992 resulted in the formulation of the Convention on Biological Diversity (CBD) the three primary aims of which were to (i) preserve biological diversity on earth in recognition of the goods and services it provides; (ii) promote sustainable utilization of its components; and (iii) facilitate equitable sharing of the benefits derived from its resources (CBD 2000). Since its inception in 1992, 168 countries (parties) have ratified the convention and at least 23 countries are in the process of ratification. Although hailed as a great advance in ecosystem conservation at the local, national, regional and inter-national levels (McNeely 1999; CBD 2000). Biodiversity around the world continue to decline through over-exploitation and habitat loss; loss of proper ecological functioning; pervasive programs in development that are unsustainable; and the general absence of equitable sharing of wealth with indigenous people etc. Evidently, there have been an enhancement of biodiversity knowledge-sharing between governments, agencies, scientists and the public; increase in implementing the ecosystem approach; increase in the involvement of indigenous communities in conservation; gradual move towards benefit sharing (e.g., McNeely 1999).

Review of literature - The most unique feature of Earth is the existence of life, and the most extraordinary feature of life is its diversity. Approximately 9 million types of plants, animals, protozoans and fungi inhabit the Earth. So, too, 7 billion people. Two decades ago, at the first Earth Summit, the vast majority of the world nations declared that human

actions were dismantling the Earth's ecosystems, eliminating genes, species and biological traits at an alarming rate. This observation led to the question of how such loss of biological diversity will alter the functioning of ecosystems and their ability to provide society with the goods and services needed to prosper (Cardinale, et al. 2012).

Forests around the world hold significant biodiversity and are important in modulating climatic patterns. Deforestation has occurred in the tropics throughout history. Accelerating recently, particularly in areas of seasonally deciduous tropical forests. From 11,600 Mha, the tropical rainforest reduced to 938 Mha by 1975 amounting to a reduction of 41.4% (Raven, 1977). India with a national territory of 329 Mha in South Asia contains 63.73 Mha of forest cover. (FSI, 1999. The State of Forest Report. GOI) The forest comprises four major types and sixteen subtypes (Champion and Seth, 1968). Tropical forests account for 86% of the total legally defined forest area in the country (Tiwari, 1992). India contributes about 8% of species to the world's biodiversity (TERI, 1998).

In India, researchers from four Bangalore-based bodies Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), Wildlife Conservation Society, Institute of Science and Indian Institute of Science participated in the analysis. Besides Nature Conservation Foundation, Mysore; Wildlife Institute of India, Dehradun; World Wide Fund for Nature (WWF), New Delhi; Pondicherry University, Puducherry; Centre for Cellular and

Molecular Biology, Hyderabad and Vesta B in Thane, Maharashtra also contributed to the global study. According to global analysis. "The strongest predictors of declining reserve health, as outlined by the analysis, were habitat disruption, hunting and forest-product exploitation. Environmental changes immediately outside reserves also seemed to determine their ecological fate. Changes inside the reserve forests were a reflection of those occurring around them. These findings suggest that tropical protected areas are often intimately linked ecologically to their surrounding habitats, and that a failure to stem broad-scale loss and degradation of such habitats could sharply increase the likelihood of serious biodiversity declines,". Sampling protected areas in 36 countries, researchers have compiled data from across the African, American and Asia-Pacific tropics to look at the changes over the past 20 to 30 years in 31 functional groups of species and 21 potential drivers of environmental change and conclude from the analysis that many protected areas in the tropics are vulnerable to human encroachment and other environmental stresses. Their report fills the gap in data describing a broad array of biodiversity groups for a sufficiently large and representative sample of reserves (Laurence 2012)

Many of the world's ecosystems have undergone significant degradation with negative impacts on biological diversity and peoples' livelihoods. 'Ecological restoration' can provide enhanced biodiversity outcomes as well as improve human well-being in degraded landscapes. In this way ecological restoration becomes a fundamental element of ecosystem management that many people now depend on what have become degraded ecosystems to sustain their livelihoods, Ecological restoration needs to address four elements i.e. Improve biodiversity conservation; Improve human livelihoods; Empower local people and Improve ecosystem productivity. These elements are critical to successful ecosystem management. This means ecological restoration can be a primary component of conservation and sustainable development programmes throughout the world. What makes ecological restoration uniquely valuable is its inherent capacity to provide people with the opportunity not only to repair ecological damage, but also to improve the human condition. The conservation benefits of restoration are obvious. What is less apparent, but which is at least as important, is that in many instances, ecological restoration has also been able to renew economic opportunities, rejuvenate traditional cultural practices and refocus the aspirations of local communities (Gann and Lamb, 2006).

Discussion and Conclusion - After almost 4 decades, the emergence of the CBD, there still remain great challenges in its implementation globally (Seibenhuner and Suplie 2005; De Oliveira 2008; Lovera 2008). Consistent with many other studies around the world, substantial gaps exist in the implementation. Few of these can be emphasized as follows: there is little or no understanding

of the ecosystem approach; forestry practices remain primitive and largely ineffective; forest destruction continues at high rates; restoration of degraded forests are minimal; PA networks are small, unrepresentative and ineffective; indigenous people's rights are nominal and are not within any legal framework; some work has been done to understand threats to species, but little is being done to reduce threats; sufficient work has not been done to understand pollution problems and mitigate them; the institutional environment does not enable effective implementation of the ecosystem approach; laws and policies are either primitive and largely ineffective or insufficient according to the magnitude of the problem; institutional capacity is poor; government will is limited or totally lacking; knowledge base remains poor, although reporting has improved and various strategic plans have been formulated, amended, refined, and submitted to international bodies as evidence of progress; some of these documents are comprehensive and delineate the way forward; others require further work to direct conservation action; much work is needed to determine status of species; research must go beyond surveys of flora and fauna and should examine ecosystem functioning. Many of these action items are listed in the current strategic plans relating to biodiversity conservation (third and fourth National Reports to the CBD, NBSAP2004) as well as older plans (e.g., National Conservation Strategy1992; BFD/MoEF 2000a; Geisen et al. 2000). The difficulties with implementation noted in this study are not limited to one country. Countries with well developed legal strategies for forest conservation and management such as Canada, Cameroon, Germany and Russia seemingly fall short in the implementation of various components of the CBD (Lovera2008). Implementation is even harder in developing countries such as Brazil, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, with major problems in conservation practices, sustainable utilization of biodiversity and equitable sharing of benefits (Aguilar-Stroen and Dhillon 2003; De Oliveira 2008). Institutional learning as predicted by sociological theories (Seibenhuner and Suplie 2005). Important driving forces that result in conservation failures are; restoration happening at a very slow rate, which is one of the major impediments to the implementation of policies to conserve global environmental ecosystem other factors may include insufficient finances, absence of government commitment, unclear legislation, ineffective power-sharing and decision-making processes as well as non-cooperation between different government, departments, lack of knowledge on the key conservation activities, absence of coordination etc. (Bernauer 1995; De Oliveira2008). The planet's natural wealth lies in the species which inhibit it, but also in the "genetic coding" which gives each living organism the traits which enable it to survive and evolve. Genetic engineers can use these genes to develop wonder drugs and miracle foods. As half of the

medicines derived from the plants, there could be countless curable herbal drugs still to be discovered. Food, medicines, clothing, housing, energy and other material needs as also spiritual and intellectual inspiration comes from wild and domesticated biological resources

This broadly focuses on promotion of the conservation, sustainable use and equitable benefit sharing through implementation of the ecosystem approach; improvement of the institutional and socioeconomic enabling environment, improvement of knowledge acquisition, assessment and monitoring etc. Each of these has an elaborate series of objectives that clearly outline the activities that will help to formulate and implement the future policies. There is a great need to develop remedies to solve the question. Since forests around the world hold significant biodiversity and are important in modulating climatic patterns, one of the thematic POWs concerns forest biodiversity conservation (CBD 2004).

However, there is a major problem with this entire range of concerns and activities. It does not appear to be based on a holistic approach. i.e., taking the process of development and environment as a unit. For these programmers a concern for the environment essentially means to protect & conserve it partly through development programmes, and in most cases for the benefit of a handful local population. There is little effort to modify the development process itself in a way that will bring it in greater harmony with the needs of people and with the need to maintain an ecological balance, while increasing the productivity of our land, water and forest resources. Development at the cost of environment and biodiversity can take place only up to a point; beyond that it would be like a foolish man in the story who was cutting the very branch on which he sat. Development without a concern for the environment can be a short term development, which in the long term can be anti-development. As enshrined in our Constitution it is the fundamental duty of each and every citizen to protect and conserve the environment and should always take steps before happenings. Reflections or actions of the human being are based on the inspiration from his /her cultural and religious heritage as well as the legal bindings.

Each and every unethical and ill-legal activity or the action of every human being causes the 'Butter-fly effect' and subsequently impacts the Earth ecosystem via a chain of reactions. The 'Butter-fly effect' is cumulative the negative impact and adversely affects the Earth ecosystem via a chain of reactions including the equilibrium of biodiversity i.e., Flora and fauna in the ecosystem. Ecosystem and welfare of human beings both are interrelated, interdependent, inter-oriented. Basic principles of ecosystem services follow the 'Law of Limiting Factor' i.e., the lowest factor in the ecosystem will determine the fate of life on the earth. There is a need for a holistic understanding of the relationship between the environment

including biodiversity and the development processes taking place in the world and inspire people to live in harmony with nature. It is also essential to identify and predict the actual or potential impact of development and to consider ways of minimizing negative impact while maximizing benefits i.e., Holistic Environmental Approach. There is a need for a holistic understanding of the relationship between the environment and the development processes taking place in the world. It has become the need of the hour to expand and evolve approaches to the twenty-first century to biodiversity and forest conservation and to strictly follow the 'Global-environmental ecosystem approach' implement -ation' (Garg, 2017, 2018a, 2018b, 2020a, 2020b). The essential need is an epistemological shift towards more expansive and intentional standpoints that see economic obligations in the service of societal responsibilities. We simply can't spend more time resolving differing interpretations. Our inaction today invites disaster tomorrow. It is widely accepted that biodiversity loss viz. in forests and trees at macro level and soil flora at micro level is happening globally and its nature and causes need far better public understanding and learning in order for it to be stopped.

References :-

1. Aguilar-Stroen M, Dhillion SS (2003) Implementation of the convention on biological diversity in Mesoamerica: environmental and developmental perspectives. 30:131–138.
2. Bernauer T (1995) The effect of international environmental institutions: how we might learn more. Int Org 49:351–377.
3. Cardinale B. J, Duffy JE, Gonzalez A, et al (2012) Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature 486:59–67
4. CBD (2000) Sustaining life on earth. How the convention on biological diversity promotes nature and human well-being. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, London, p 20.
5. CBD (2004) Expanded programme of work on forest biological diversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada, p 22.
6. Champion, H.G. and S.K. Seth, 1968. A Revised Survey of Forest Types in India. GOI.
7. De Oliveira JAP (2008) Implementation of environmental policies in developing countries: a case study of protected areas and tourism in Brazil. State University of New York Press, Albany, NY. FSI, 1999. The State of Forest Report. GOI.
8. Gann, G.D., & D. Lamb, eds. 2006. Ecological restoration: A mean of conserving biodiversity and sustaining livelihoods (version 1.1). Society for Ecological Restoration
9. Garg, Jolly, 2015. Global Environmental Challenges: Emerging Issues for the 21 st Century, Proceeding

- International Seminar 19-20 Des 2015, Our Environment –Yesterday, Today and Tomorrow org. Paryavarn Mitra Samity in association with U.P. Pollution Control Board, Moradabad. pp. 157- 160.
9. Garg, ILA and J. Garg, 2015. Biodiversity Conservation' Sustainable Development and human health: Today and tomorrow. Proceeding International Seminar 19-20 Des 2015 Our Environment –Yesterday, Today and Tomorrow org. Paryavarn Mitra Samity in association with U.P. Pollution Control Board, Moradabad. pp 217-219. International, Tucson, Arizona, USA and IUCN, Gland, Switzerland.
 10. Geisen W, Khan N, Shahid A, Rahman A (2000) Management plan for Tanguar Haor, Bangladesh. Achieving community-based sustainable use of wetland resources. National Conservation Strategy Implementation Project–1. Ministry of Environment and Forest, Government of Bangladesh and IUCN-World Conservation Union, Dhaka, p 218.
 11. Garg, J. 2017. Environmental Ethics : in perspective of Biodiversity Conservation and human welfare. The J. Meerut Univ. History Alumni.Vol.29.15 .2017. pp. 126- 131.
 12. Garg, J. 2018 a. Some Traditional and innovative approaches for Biodiversity Conservation. International Journal of Agriculture Sciences. Vol. 10 (12) 2018 pp. 6501 - 6503.
 13. Garg J. 2018. Some traditional and innovative approaches for biodiversity conservstion. Int J Agriculture Sci. 10(12): 6501-3. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331368680_Traditional_and_Innovative_Approaches_In_Perspective_of_Biodiversity_Conservation.
 14. Garg, J. 2018 b. Traditional and innovative approaches : in perspective of Biodiversity Conservation. Journal of National Development Volume 31, No.1 (Summer), 2018 pp. 1-10.
 15. Garg, J. 2020 a. Role of Environmental Ethics in the conservation of forests. Int. Jour. of Pharma and Biosciences 2020, pp. 29- 34.
 16. Garg, J. 2020 b. Biodiversity Conservation and 42nd amendment in the Constitution of India: In the Perspective of 21st Century. Journal of National Development Vol. 33. Number 1(Summer). 2020, pp. 26 – 35.
 17. Laurance, W. F. *et al*. Averting biodiversity collapse in tropical forest protected areas. Nature doi: 10.1038/nature11318 (2012).
 18. Lovera M (2008) Forests and the biodiversity convention: independent monitoring of the implementation of the expanded programme of work. Global Forest Coalition, Amsterdam, p 27.
 19. McNeely JA (1999) The convention on biological diversity: a solid foundation for effective action. Environ Conserv 26:250–251.
 20. MoEF, 2002. Annual report 2001-2002. GOI.
 21. Raven, P 1977. Perspective in Tropical Botany. *Ann.Mo.Bot.Gdn*.64: 746-48.
 22. Seibenhuner B, Suplie J (2005) Implementing the access and benefit-sharing provisions of the CBD: a case for institutional learning. *Ecol Econ* 53:507–522.
 23. TERI 1998. Looking Back to Think Ahead: Green India 2047, ed. R. K. Pachauri, P.V. Sridharan. TERI, ISBN 811-85419-34.
 24. Tiwari, 1992. Tropical Forestry in India. IBD. 1 Convention on Biological Diversity (1992) Convention on Biological Diversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada
 25. Wilson EO (ed) (1988) Biodiversity. National Academy Press, Washington D.C., USA.

Environmental Protection and Biodiversity Conservation : in the Perspective of Human Rights

Dr. Shobha Gupta * Anant Kumar Garg** Dr. Jolly Garg***

* Associate Professor and Head (Chemistry) D. A. K. P. G. College, Moradabad (U.P.) INDIA

** Environmentalist, Samajik Vaikariki Sansthaan, Moradabad (U.P.) INDIA

*** Associate Professor and Head (Botany) D. A. K. P. G. College, Moradabad (U.P.) INDIA

Abstract - The Earth Summit held in Rio De Janerio, Brazil in 1992 resulted in the formulation of the Convention on Biological Diversity (CBD) the three primary aims of which were to (i) preserve biological diversity on earth in recognition of the goods and services it provides; (ii) promote sustainable utilization of its components; and (iii) facilitate equitable sharing of the benefits derived from its resources (CBD 2000). The most unique feature of Earth is the existence of life, and the most extraordinary feature of life is its diversity. human actions were dismantling the Earths ecosystems, eliminating genes, species and biological traits at an alarming rate. The essential need is an epistemological shift towards more expansive and intentional standpoints that see economic obligations in the service of societal responsibilities and its nature and causes need far better public understanding and learning in order for it to be stopped.

Keywords- Environment, Biodiversity Conservation, Holistic Environmental Approach, Global Ecosystem.

Introduction-The Convention on Biological Diversity (CBD) is an international legal instrument or agreement among countries based on natural and biological resources. The CBD has three main objectives to protect biodiversity; to use biodiversity without destroying it; and, to share any benefits from genetic diversity equally. The Convention has 196 parties upto 2016, which includes 195 states and the European Union. The CBD's governing body is the Conference of the Parties (COP). Its overall objective is to encourage actions, which will lead to a sustainable future. The Convention on Biological Diversity covers biodiversity at all levels: ecosystems, species and genetic resources. Many decades after the emergence of the CBD, there still remains great challenges in its implementation globally.

India, the second most populous country in the world, is the eleventh mega-biodiversity center in the world and the third in Asia with its share of ~11% of the total plant resources. The floral wealth of India comprises more than 47,000 species including 43% vascular plants. Nearly 147 genera are endemic to India. The vast geographical expanse of the country has resulted in enormous ecological diversity, which is comparable to continental level diversity scales across the world. It has representation of twelve biogeographic provinces, five biomes and three bioregions. Natural forests and forest plantations together cover 21.02% of the geographical area in India. India, one of the twelve 'Vavilovian Centres of Origin' and diversification of cultivated plants, is known as the 'Hindustan Centre of Origin of Crop

Plants'. About 320 species belonging to 116 genera and 48 families of wild relatives of crop plants are known to have been originated in India. India has some of the world's most bio-diverse regions and one of seventeen mega-diverse countries, it is home to 7.6% of all mammalian, 12.6% of all avian, 6.2% of all reptilian, 4.4% of all amphibian, 11.7% of all fish, and 6.0% of all flowering plant species. Biological wealth of our country is also very important for the global ecosystem. However the important plants and animals, forests and trees in particular, as well as microorganisms and mangroves and marine biological wealth etc. is being threatened due to human unethically and ill-legal activities; and causing the negative impact on the earth Ecosystem.

Forests around the world hold significant biodiversity and are important in modulating climatic patterns. Deforestation has occurred in the tropics throughout history. Reserve forests has been facing biodiversity erosionsince time immorial. About half of the world's tropical reserve forests are experiencing an alarming erosion of biodiversity, including some in the Indian terrain. Many of the world's ecosystems have undergone significant degradation with negative impacts on biological diversity and peoples' livelihoods. The unsustainable use of renewable resources and the generation of toxic materials during industrial operations are creating problems to biological diversity, environment and human health. Natural environment consists of biotic and a-biotic components i.e., living and non living constituents respectively. The complex

interactions of these components with all the environmental factors viz. climate, geography and natural resources etc. also affects human survival and economic activity. Environment may also be defined as the complex interactions of all a-biotic and biotic factors which finalizes and ultimately determine its form and survival. The human civilization depends directly or indirectly upon this biodiversity for their very basic needs of survival food, fodder, fuel, fiber, fertilizer, timber, liquor, rubber, leather, medicines and several other raw materials.

The nature of environmental and human rights issues and problems is similar worldwide. At first sight there seems to be little connection between plant biodiversity and human rights. Yet both biodiversity and human rights are matters of vital and fundamental concern worldwide; and both stand in need of protection from the threats to them resulting from certain recognized human activities. Exercise of certain human rights requires environmental protection to ensure a particular quality of life. In Indian context, right to a healthy environment has been expressly recognized as the human rights. India uses various constitutional rights to protect the environment and human rights. The right to life, a fundamental right, has been extended to include the right to a healthy environment. The right to healthy environment has been incorporated, directly or indirectly, into the judgments of the court. In India the government has a duty to protect and preserve the ecosystem. This is a part of the directive principles of state policy and not a fundamental right.

Article 21 of the Indian Constitution states: 'No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedures established law'. Supreme Court expanded this negative right in two ways. Firstly any law affecting personal liberty should be reasonable, fair and just; Secondly, the court recognized several unarticulated liberties that were implied by article 21. Directive principle relating to environment [Article 48-A] are read in conjunction with the fundamental rights. It is by this second method that the Supreme Court interpreted the right to life and personal liberty to include the right to a clean environment. The Constitution (Forty Second Amendment) Act 1976 explicitly incorporated environmental protection and improvement as a part of state policy through the insertion of Article 48A, a directive Principle of State policy, which provided that: 'The State shall Endeavour to protect and improve the environment and safeguard the forests and wild life of the country'. Moreover, article 51A (g) imposed a similar responsibility on every citizen to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures. Therefore protection of natural environment and compassion for living creatures i.e. biodiversity were made the positive fundamental duty of every citizen. Both the previous substantially send the same message. Together they highlight the national consensus on the importance of

the protection and improvement of the environment. Link between environmental quality and the right to life was first addressed by a constitutional bench of the Supreme Court in the Charan Lal Sahu case (1).

In 1991, the Supreme Court interpreted the right to life guaranteed by article 21 of the Constitution to include the right to a wholesome environment. In 1991, in Subhash Kumar (2), the Court observed that 'right to life guaranteed by article 21 includes the right of enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life'. Through this case the Court recognized the right to a wholesome environment as part of the fundamental right to life. This case also indicated that the municipalities and a large number of other concerned governmental agencies could no longer rest content with unimplemented measures for the abatement and prevention of pollution. They may be compelled to take positive measures to improve the environment. The case of M.C.Mehta v. Union of India (3) concerned the deterioration of the world environment and the duty of the state government, under article 21, to ensure a better quality of environment. The Supreme Court ordered the Central Government to show the steps they've taken to achieve the goal through national policy and to restore the quality of environment. The Supreme Court dealt with the problem of air pollution caused by motor vehicles operating in Delhi. It was a public interest petition and the Court made several directions towards the ministry of environment and forests (4). Decisions such as this indicated a new trend of the Supreme Court to fashion novel remedies to reach a result, which promote the healthy practices towards the ecologically balanced environment and convey a message not to adopt the practices those causes disruption of ecosystem; although these new remedies seem to encroach on the domain of the executive. Another expansion of the right to life is the right to livelihood (article 41), which is a directive principle of government policy. The extension can check government actions in relation to an environmental impact that has threatened to dislocate the poor and disrupt their lifestyle. A strong connection between article 41 and article 21 was established in the 1980's (5). It outlines the main provisions in the constitution of country focusing on the protection of human rights and environmental conservation; It also examines the substantive and procedural rights which can be used to protect these two areas of prime importance; In addition considers the participation of non-governmental actions in the judicial process through Public Interest Litigation (PIL). A number of litigations are brought against public authorities, which include various ministries of central government, federal bodies, local authorities and public owned companies.

In the Goa foundation and another v. Konkan railway Corporation (AIR1992 Bom 471) the court held that 'no development is possible without some adverse effect upon ecology and environment but the project utility cannot be abandoned and it is necessary to adjust the interest of the

people as well as the necessity to maintain the environment. A balance has to be struck between the two interests and this exercise must be left to the persons who are familiar and specialized in this field'. It mentioned priority to sustainable use of natural resources and to a right to a healthy environment for the present and to a certain extent, to the future generations. The national environmental policy and legislature reflect the concern for a balance between development, planning and environment (6). It is also essential to identify and predict the actual or potential impact of development and to consider ways of minimizing negative impact while maximizing benefits.

Application of the precautionary approach, "a risk averse and cautions approach, that takes into account the limitations on present knowledge about the consequences of a vital decision." This precautionary approach was seen to be especially important because Countries where no specific quality is constitutionally-guaranteed, national courts may still have jurisdiction to judge governmental action or inaction with reference to entail laws and standards. Environmental protection laws provide for citizen lawsuits as a means of enforcing legislative and regulatory standards. Such suits have played a significant role in enforcing clear air and water acts. Thus environment protection and human rights must go hand in hand like two sides of a coin. In India at present there are strong provisions aimed at protecting the environment from pollution and maintaining the ecological balance viz. Forest (Conservation) Act, 1980, amended 1988; The Indian Forest Act, 1927; The Biological Diversity Act, 2002 are the mile stones in the protection and conservation of biodiversity. Thus Public Interest Litigation (PIL) and other judicial technique have been instrumental in promotion of Sustainable development; by ensuring conservation of biodiversity. Review and updating and proper implementation of the legislations is necessary in view of the challenges mentioned. To protect and improve the environment and to halt the biodiversity erosion is a constitutional mandate.

There is a common field of interest between some human rights and environmental protection. They play complementary role in conserving the environment and biodiversity. The survival of human kind stands on strictly national, to regional and even global environmental security. The co-existence of human beings and biological diversity is possible definitely in an equilibrium with that of global environment in the earth eco-system. This concept will formulate environmental planning attempts to facilitate economic development, while avoiding, as far as possible or minimizing certainly, con-commitent environmental damage and will maintain environmental balance. Thus protection of human rights and biodiversity are complimentary to each other. This common concerns include water pollution. degradation of marine and coastal resources (heavy metals contamination by industrial

affluent, dumping of solid waste into the sea; heavy coastal construction, inland mining, poor land use practices, over fishing, destructive fishing techniques, shrimp cultivation; loss of coastal habitats and deforestation (substantial loss of mangrove forests, unplanned commercial fisheries); land based pollution (rapid industrialization, mining, logging, firewood collection, livestock grazing, land degradation, hazardous waste, waste water disposal); water logging and salinity (rapid spread of irrigation, indiscriminate use of agro-chemicals, over exploitation of ground water). air pollution (rapid and unplanned urbanization, industrial pollution, increasing transport, domestic refuse, coal consumption, energy use patter, fly ash). Above mentioned environmental abnormalities are the causes of environmental deterioration, which could eventually endanger life of present and future generations. Therefore, the right to life has been used in a diversified manner. It includes, inter alia, the right to survive as species, quality of life, the right to live with dignity and the right to livelihood.

International law has increasingly recognized that human rights and environmental rights overlap with each other. The universal declaration on human rights was adopted by the United Nations General Assembly on December 10, 1998. The Declaration recognizes the right to life and personal security, freedom of expression, a decent standard of living, nondiscrimination and the right to a fair trial. In 1972, 114 nations declared that man's environments, natural and man-made are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights. In 1992, the U.N. Conference on Environment and Development held in Rio De Janeiro was the largest intergovernmental gathering ever assembled. One hundred seventy-eight nations signed the Rio Declaration proclaiming that human beings are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature. The environmental protection is an integral part of sustainable development and can not be considered in isolation from it. Conflict between eco-system and socio-economic system arises from the unidirectional and unlimited human wants to meet the genuine needs as also greed. This has caused the ecological crisis which, in other words, means human exploitation of resources at a greater rate that can be normally regenerated under natural conditions. In simple words, it means that rate of degeneration process is greater than the regenerative capacity of an eco-system. The geo-biological balance is thrown overboard due to over-exploitation of resources and overproduction of waste, which ultimately pose a threat to the human race. Such challenges have tremendous short and long- range deleterious effects on the life support system including the genetically heritage of the human kind, and people have a right to ask questions. Environment is, therefore, an important resource base which is indeed critical to the survival of human kind. Increasing industrialization and unsustainable consumption patterns of natural resources

are enhancing the environmental problems due to depletion of resources and energy. Industrial production by using environmentally sound technologies is considered to be one of the best strategies to provide the paradigm to put our society on the path of sustainability. The study links the right to 'development' to the right to 'safe , healthy and clean environment'.

Each and every unethically and ill-legal activities or the action of every human being causes the 'Butter fly effect' and impacts subsequently the Earth ecosystem via a chain of reactions. The 'Butter- fly effect' is cumulating the negative impact and influencing adversely the Earth ecosystem via a chain of reactions including the equilibrium of biodiversity i.e., Flora and fauna in the ecosystem. Ecosystem and welfare of human beings both are inter-related, inter-dependent, inter-oriented. Basic principle of ecosystem services follow the 'Law of Limiting Factor' i.e., the lowest factor in the ecosystem will determine the fate of life on the earth. There is a need of holistic understanding of the relationship between the environment including biodiversity and the development processes taking place in the world and inspire people to live in harmony with nature. It is also essential to identify and predict the actual or potential impact of development and to consider ways of minimizing negative impact while maximizing benefits i.e., Holistic Environmental Approach. There is a need of holistic understanding of the relationship between the environment and the development processes taking place in the world. It has become the need of the hour to expand and evolve approaches to twenty- first century to biodiversity and forest conservation and to strictly follow the 'Global-environmental ecosystem approach' implementation' (7- 12). As enshrined in our Constitution it is the fundamental duty of each and every citizen to protect and conserve the environment and should always take steps before mis-happenings.

References:-

1. Charan Lal Sahu v. Union of India AIR 1990 SC 1480.
2. Subhash Kumar v. State of Bihar, AIR 1991 SC 420.
3. M.C. Mehta v. Union of India,(1996) 4 SCC 351.
4. M.C. Mehta v. Union of India(1991) AIR SC 813 (Vehicular Pollution Case;(1992) Supp.(2) SCC 85; 1992 Supp. (2) SCC 86; (1992) 3 SCC 25.
5. Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, AIR 1986 SC 180: In the Court's view, 'Deprive a person of his right to livelihood and you shall deprive him of his life.....Any person, who is deprived of his right to livelihood except according to just and fair procedure established by law, can challenge the deprivation as offending the right to life conferred by article 21.
6. In the Goa foundation and another v. Konkan Railway Corporation (AIR 1992 Bom 471).
7. Garg, J. 2017. Environmental Ethics : in perspective of Biodiversity Conservation and human welfare. The J. Meerut Univ. History Alumni.Vol.29.15 .2017. pp. 126-131.
8. Garg, . J. 2018 a. Some Traditional and innovative approaches for Biodiversity Conservation. International Journal of Agriculture Sciences. Vol. 10 (12) 2018 pp. 6501 - 6503.
9. Garg J. 2018. Some traditional and innovative approaches for biodiversity conservstion. Int J Agriculture Sci. 10(12): 6501-3. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331368680_Traditional_and_Innovative_Approaches_In_Perspective_of_Biodiversity_Conservation.
10. Garg, J. 2018 b. Traditional and innovative approaches : in perspective of Biodiversity Conservation. Journal of National Development Volume 31, No.1 (Summer), 2018 pp. 1-10.
11. Garg, J. 2020 a Role of Environmental Ethics in the conservation of forests. Int. Jour. of Pharma and Biosciences 2020, pp. 29- 34.
12. Garg, J. 2020 b. Biodiversity Conservation and 42nd amendment in the Constitution of India: In the Perspective of 21st Century. Journal of National Development Vol. 33. Number 1(Summer). 2020, pp. 26 – 35.

बीसवीं शताब्दी में डूंगरपुर राज्य का राजनैतिक इतिहास (सन् 1901 से 1909 तक)

जयदीप सिंह राठौड़ * डॉ. नरेन्द्र सिंह राणावत **

* शोधार्थी (इतिहास) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** सहायक आचार्य (इतिहास) भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - 20वीं सदी में डूंगरपुर राज्य मेवाड़ रेजीडेंसी के अधीन था। उदयपुर में मेवाड़ रेजीडेंसी के रेजिडेंट का कार्यालय था और डूंगरपुर, बाँसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में सहायक रेजिडेंट के निर्देशन में राज्यों के शासन, प्रशासन का कार्य चलता था। मेवाड़ रेजीडेंसी ब्रिटिश भारत में राजपुताना एजेंसी का एक राजनीतिक उपखंड था। सन् 1818 में मेवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि संबंध शुरू होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक राजनीतिक उपविभाजन बनाया जिसे मेवाड़ एजेंसी के नाम से जाना जाता था जिसका तत्कालीन मुख्यालय नीमच में था। सन् 1860-61 में मुख्यालय को उदयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया और सन् 1881-82 में पदनाम को एजेंसी से बदलकर रेजीडेंसी कर दिया गया। सन् 1908 तक मेवाड़ रेजीडेंसी में चार राज्य उदयपुर, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ शामिल थे और जिसका मुख्यालय उदयपुर में था। अतः 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वागड़, मेवाड़ रेजिडेंट के अधीन था जोकि सन् 1947 को राजस्थान संधि में विधिवत विलय हो गया।

डूंगरपुर के राजनीतिक एजेंट - कैप्टन आर. चेनेविक्स ट्रेंच डूंगरपुर राज्य के 1901 से सन् की शुरुआत से फरवरी 1909 तक राजनीतिक एजेंट थे। वह मेजर बी.आर.एम.गुर्जन, सी.आई.ई., डी.एस.ओ. द्वारा नियुक्त किए गए थे। अप्रैल 1909 में पुनः मेजर आर.बी. बर्कले द्वारा फिर से उन्हें राजनीतिक एजेंसी का प्रभार दिया गया था।

खान बहादुर गुलाम कादिर खान, जिन्होंने बाँसवाड़ा राज्य के साथ संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक का पद संभाला था, उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं, क्योंकि उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं थी। वन विभाग का पुनर्गठन किया गया, तो अरुंरी राम की सेवाओं को साझा करना आवश्यक नहीं पाया गया। जो तीन राज्यों बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के लिए संयुक्त रूप से वन अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभालते थे। हालांकि यह पाया गया कि तीन राज्यों के लिए राजनीतिक एजेंट द्वारा संपन्न एक समझौते में पाँच साल के लिए रोजगार की उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई थीं। इसलिए डूंगरपुर दरबार उनके वेतन का भुगतान करने के लिए बाध्य थे।

मेवाड़ सीमा पर विवाद अभी भी अनसुलझा था। मेवाड़ की ओर से मगरा हकीम और डूंगरपुर राज्य के कामदार को आपसी विवाद को सुलझाने के लिए भेजा गया था। हालांकि दोनों अधिकारियों की यह मुलाकात निष्फल साबित हुई। डूंगरपुर दरबार ने अनुरोध किया था कि इस मामले को एक सीमा बंदोबस्त अधिका को सौंप दिया जाए, और उन्हें उम्मीद थी कि यह

विवाद, जो अब काफी समय से अनसुलझा है, और राज्य के लिए चिंता का एक स्रोत साबित हुआ है, इस साल सुलझा लिया जाएगा।

आवागमन एवं संचार - सन् 1901 तक डूंगरपुर राज्य में दो मुख्य सड़कें गुजरती थी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक। इन सड़कों को पक्की नहीं किया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद अकाल राहत का लाभ इन स्थानों तक सुविधाएँ पहुँचाने हेतु पुलों को बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया गया था। बाद में राज्य की वित्तीय स्थिति की अनुमति के अनुसार अच्छी मरम्मत में रखा गया था। राज्य में सार्वजनिक परिवहन का कोई साधन नहीं था लेकिन ऊँट, बैल गाड़ियाँ आदि आम तौर पर काफी कठिनाई से किराए पर प्राप्त होते थे।

डूंगरपुर को तार सेवा द्वारा तलोद से जोड़ने और ईडर-अहमदनगर के रेलवे स्टेशन से जोड़ने और पिछले साल की रिपोर्ट में उल्लिखित खेरवाड़ा छावनी तक लाइन का विस्तार करने का विचार आखिरकार एक चरण में आगे बढ़ गया है, और केवल सतही निर्माण का कार्य किया गया है, रेल लाइन अभी डालना बाकी था।

वर्षा एवं मानसून की स्थिति - 11 जून 1902 को मानसून बहुत ही हल्के ढंग से शुरू हुआ, उस समय खरीफ फसलों की शुरुआती बुवाई शुरू हो गई थी। 23 जुलाई से 9 अगस्त तक एक लंबा विराम था, जिससे उच्च भूमि पर फसलों को बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन 20 अगस्त को अच्छी बारिश ने सभी आशंकाओं को दूर कर दिया, और मानसून की अनुकूल निरंतरता बनी रही 21 सितंबर तक खफ की उत्कृष्ट वापसी हुई, और मौसम द्वारा सर्दियों के लिए रबी की अनुकूल फसल का आश्वासन प्राप्त हुआ।

पुलिस प्रशासन - पुलिस प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 100 रुपये प्रति माह के वेतन पर ग्वालियर के गुलाम कादिर खान को अधीक्षक पद पर पहली नियुक्ति का प्रभार दिया गया था। उनके ऊर्जावान प्रबंधन के तहत बल का पूर्ण, पुनर्गठन शुरू किया गया था। निकम्मे लोगों के स्वैच्छिक इस्तीफे लिए गए और किए गए अपराधों के लिए बख्शीतगी से पुराने बल के अक्षम और अवांछित सदस्यों में से 109 को छुटकारा मिल गया था। एक नई पुलिस को ठीक से ड्रिल, वर्दीधारी और सशस्त्र करके धीरे-धीरे विकसित किया गया था।

30 लोगों के एक दस्ते को पहले ही ड्रिल किया जा चुका था। कंसर्टेड स्नाइडर राइफल का इस्तेमाल सिखाया जा चुका था जिसके साथ पुलिस को सशस्त्र होना था। नई वर्दी दी गई थी और नए रैंकों में पुलिस विभाग को

पारित किया गया था। दूसरा दस्ता अब प्रशिक्षण के अधीन था। प्रशिक्षण पूरा होने पर नए बल में बड़े पैमाने पर भील शामिल किए गए जो मेवाड़ भील कोर के लगभग जितना संभव हो सके। मुख्यालय पर 30 पुरुषों के रिजर्व बल के साथ जिला पुलिस प्रतिष्ठान को स्थापित किया गया था।

उच्च प्रशिक्षित और बिना ब्रीच-लोडर के पैलेस गार्ड, राजस्व, सीमा शुल्क और प्रक्रिया की सेवा के लिए एक अलग छोटे बल को बनाए रखा गया था। जवनों की संख्या में कमी ने बल के वितरण के कार्य को और अधिक जटिल बना दिया था जिससे थानों की संख्या और स्थिति को बदलना पड़ा था।

सन् 1909 के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार डूंगरपुर राज्य पुलिस ने इस सन् के लिए अच्छा काम किया है। निकटवर्ती मेवाड़ राज्य के भीलों द्वारा किए गए पशु-चोरी और ऐसे अन्य अपराधों के मामलों में तुरंत कार्रवाई की गई थी।

भूमि एवं राजस्व - यह विभाग हालांकि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था फिर भी उचित संगठन की आवश्यकता थी। भूमि के विभिन्न विवरणों को वर्गीकृत करने के लिए पूर्व में कभी भी कोई भूमि बंदोबस्त या कोई प्रयास नहीं किया गया था। राज्य में तालाबों की संख्या की भी कोई सूची नहीं है। कामदार हाकिम माल के पास एक प्रकार का मोटा मूल्यांकन था, जिस पर उन्हें काम करने के लिए विशेषज्ञ माना जाता था। अकाल या अन्य कारणों से जनसंख्या में कमी के लिए कोई भत्ता नहीं दिया गया था। इस तरह के एक छोटे से राज्य में बकाया राशि के रूप में बकाया राशि रु. 1,17,511-0-3. खरीफ फसल के लिए इस पुरानी राजस्व मांग को पूरी तरह से एकत्र करने का प्रयास करना स्पष्ट रूप से बेतुका था। परिणामस्वरूप ब्लेकस्ले, कार्यवाहक रेजीडेंट, हाकिम माल, कामदार के परामर्श के बाद एक सारांश मूल्यांकन करने का आदेश दिया। सभी सामान्य गांवों के पुराने निर्धारण में अकाल से सबसे अधिक प्रभावित सभी भील पालों को राजस्व मांग की कुछ छूट दी गई। यह आकलन कामदार हाकिम द्वारा किया गया था, मूल्यांकन जानबूझकर एक उदार तरीके से किया गया था, और स्वाभाविक रूप से आय का एक महत्वपूर्ण अस्थायी नुकसान दिखाया गया था। इस गतिविधि ने व्यावहारिक रूप से कर संग्रह की सरलीकृत विधि को स्थापित किया था। पुरानी भू-राजस्व प्रणाली का सबसे असंतोषजनक हिस्सा संग्रह की विधि थी। जिसमें कई बिचौलिए शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप वसूली और गबन के नाममात्र का बकाए दिखाए गए थे। राजस्व वसूलने का एक और सबसे आपत्तिजनक तका था- एक गाँव को एक ठेकेदार को पट्टे पर देना, जो गाँव में लोगों से जितना हो सकता था उसे निचोड़ने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र था। प्रत्येक गाँव में एक पंचायत होती है जिसमें भंज-गण (भाँजगड़िया) कार्यकारी अधिकारी के रूप में और चोपड़ादार (आर.डब्ल्यू.) लेखाकार के रूप में होता था। पंचायत प्रत्येक व्यक्तिगत खेती के हिस्से को तय करती है और कुल राज्य की लगान की मांग को एकत्र करती थी।

संवत् 1962 में आयोजित भू-राजस्व बंदोबस्त के कामकाज का यह चौथा सन् है। इस सन् के दौरान 6,073 एकड़ बंजर भूमि पर खेती की गई और 4,627 पड़ी रह गई। 2,825 और तालाबों और कुओं के निर्माण के लिए 175 रुपये वितरित किए गए। पर्याप्त वर्षा होने के कारण कृषि क्षेत्र में संवत् सन् 1964-1965 के आंकड़ों में वृद्धि हुई।

जागीरदारी - जागीरदारों द्वारा वार्षिक देय राशि 8619 रुपये है, राज्य के प्रति उनके ऋण, व्यापार लेखा परीक्षा के लिए उनकी देनदारियां, लेनदारों

ने तुलनात्मक रूप से भारी राशि एकत्र की है। वे राज्य को देनदारी देने के लिए बाध्य हैं, जो, दिवंगत महारावल की मृत्यु के बाद से, उन्होंने देना बंद कर दिया था।

कस्टम विभाग - इस विभाग को पहले से अधिक लाभप्रद रूप बनाने के लिए निविदा निकालकर ठेकेदार को दिया गया। तदुसार निविदाओं के लिए बुलाए जाने वाले कई पात्रों को विज्ञापन भेजे गए, लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, और कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राज्य की किसी भी दर पर एक और सन् के लिए सीमा शुल्क संग्रह करना होगा। एक ईमानदार और बहुत सक्षम अधिकारी, लिंगोजी की सेवाएँ राज्य को प्राप्त हो रही थी, जिनका बॉम्बे प्रेसीडेंसी में सीमा शुल्क और आबका विभागों का 12 वर्षों का अनुभव राज्य के लिए सबसे उपयोगी रहा है। उन्हें दो इंस्पेक्टर दिए गए थे और उनकी मदद से उनके अधीन विभाग पर उनका अच्छा नियंत्रण था।

उस समय चुंगी नाकों को बहुत अस्त-व्यस्त तरीके से रखा जा रहा था, ज्यादातर सीमा से काफी पीछे थे और हर तरफ से कस्टम बचाने के लिए जगह दी गई थी। उन्हें अब सीमांत या उसके पीछे निकटतम चौराहे तक पहुँचा दिया गया है। हालाँकि, अभी भी तस्करी एक बड़ा सौदा था जो तब तक जारी रहेगा जब तक कोई बड़ा दंड या जुर्माना वसूला नहीं जाता।

विभाग की लागत पिछले सन् की तुलना में थोड़ी अधिक है, लेकिन, यह अतिरिक्त लागत, अच्छी तरह से निर्धारित की गई है, इस तथ्य से साबित होता है कि संग्रह पहले ही सन् हमारे द्वारा कुल अनुमान से अधिक हो गया था। 8,410 रु. पिछले सन् की इसी अवधि की तुलना में 12,920 अधिक है। आयात में तंबाकू और नमक के मद में वृद्धि और चीनी, किराना, तेल, देशी कपड़ा और अनाज के तहत कमी दिखाई देती है। अफीम, किराना, घी और अनाज के निर्यात में वृद्धि हुई है, और देशी कपड़े, धातु, खाल, तंबाकू और नमक के निर्यात में कमी आई थी।

सन् 1909 तक सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व रुपये 78,508 के आंकड़े पर पहुँच गया है। देश से असाधारण रूप से बड़ी संख्या में मवेशियों का निर्यात किया जाता था। नए चराई नियम बनाए गए हैं, जिसके द्वारा मवेशियों के ऐसे सभी भटकते झुंड, जो एक पखवाड़े से अधिक की अवधि के लिए रुकते थे, पर कर लगाया जाता था।

वित्त विभाग - लगातार दो अकालों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। कम्पनी सरकार ने इन अकालों से निपटने के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था की, और सरकार का कुल कर्ज अब रुपये 3,60,000 राज्य की संपत्ति और अन्य देनदारियों का पता लगाने का काम एक समिति को सौंपा गया था, जिसने राज्य के खिलाफ विभिन्न दावों की जांच की और संपत्ति का मूल्यांकन किया। परिणामतः देनदारियां गंभीर नहीं थीं, और उनकी व्यवस्था की गई है, ताकि कम्पनी सरकार व्यावहारिक रूप से एकमात्र लेनदार हो। साढ़े तीन लाख का कर्ज से अधिक सहायता की आवश्यकता अभी भी डूंगरपुर राज्य के लिए एक गंभीर मामला था। जिसका बजट केवल दो लाख की सकल वार्षिक आय दिखाता था।

चिकित्सा विभाग - चिकित्सा व्यवस्था यथावत ही तरह है। राजधानी में केवल एक औषधालय है, और इसका प्रभारी अस्पताल सहायक राज्य में एकमात्र रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी है। आसपुर और गलियाकोट में औषधालयों की आवश्यकता है। यदि राज्य अस्पताल बनवाता है तो इन स्थानों के निवासी उनके रख-रखाव की लागत में योगदान करने को भी

तैयार हैं। चिकित्सा प्रतिष्ठान और दवाओं के लिए 4,000 रु. और अगले बजट में बढ़ाए जा सकते हैं, और कम से कम आसपुर और गोलियाकोट में औषधालयों की स्थापना की जा सकती थी। अस्पताल के सहायक रहीम बख्श का तबादला कर दिया गया था और उनके स्थान पर अस्पताल के सहायक जहूर पीर को भेजा गया था।

औषधालय में उपचारित रोगियों की संख्या 8,681

इन-डोर - 9

आउट-डोर - 8,672

दैनिक औसत - 101.59

इनमें से 4,066 पुरुष, 1,835 महिलाएं और 2,780 बच्चे हैं। 5,072 हिंदू 3,191 मुस्लिम और 418 अन्य जातियाँ थीं। प्रचलित रोग मलेरिया पेचिश, निमोनिया और गिनी कृमि थे। राज्य टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार 347 लोगों के टीकाकरण किए, जिनमें से 313 व्यक्ति संतोषजनक पाए गए थे। लोग अपने बच्चों का टीकाकरण कराने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पिछले साल मामलों की कम संख्या टीकाकरणकर्ता के आलस्य के कारण अधिक थी।

उपसंहार - सन् 1909 उस समय भूमि बंदोबस्त, और जागीरदारों की वित्तीय समस्या को दूर करने का तत्काल प्रश्न बना हुआ था। अफीम और आबकारी उद्योगों की संभावनाओं को अभी विकसित किया जाना था, और

एक उचित राज्य खजाना स्थापित किया जाना था। लेकिन इन सुधारों के लिए सभी पूर्वपिछाएँ पहले ही तैयार की जा चुकी थी। भू-राजस्व के संग्रह में सुधार ने कृषकों को एक अमूल्य वरदान प्रदान किया था। कानून अदालतों को काम करने के लिए उचित कोड दिए गए थे, और उन्हें संचालित करने के लिए ईमानदार और कुशल न्यायाधीश। सीमा शुल्क विभाग को तार्किक तर्ज पर फिर से संगठित किया गया है और ईमानदार कामदार के हाथों में रखा गया था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Pandit Thakur Prasad Mishra And Kishori Lal Gupta(1909) "Short History of Dungarpur State or Western Bagar from the earliest times to year 1909A.D", Creterion Printing Works, Calcutta, pp 132.
2. Ganesh Ram, Parbat Singh, Sobha Chand (1909) "Report On The Administration of The Dungarpur State, Rajputana For 1909", pp12
3. Ducat, C. T. (1903) "Report On The Administration Of The Dungarpur State, Rajputana For 1903", pp1
4. Ganesh Ram, Parbat Singh, Sobha Chand (1909) "Report On The Administration of The Dungarpur State, Rajputana For 1909", pp58

ऑनलाइन शिक्षा की ज़रूरत और चुनौतियां

डॉ. प्रमिला पुर्विया *

* सहायक आचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा के दम पर ही हम अच्छा करियर चुन सकते हैं और हमारे करियर पर हमारा भविष्य टिका होता है। हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ही अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। आज ऑनलाइन एजुकेशन (Online Shiksha) का दौर चल रहा है। वर्तमान समय में, ऑनलाइन शिक्षा (Online Education) काफी लोकप्रिय हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई का एक नया डिजिटल तरीका है जिससे छात्र घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिक्षा शिक्षण या शिक्षा की एक ऐसे प्रणाली है जिसके जरिये विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टेबलेट आदि के उपयोग से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट के इस्तेमाल से शिक्षक और छात्र एक दुसरे से जुड़ सकते हैं। यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके जरिए शिक्षक कहीं से भी दुनिया के किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं और छात्र भी दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी पढ़ाई कर सकते ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आपको बस इंटरनेट खर्च के पैसे देने होते हैं। ऑनलाइन शिक्षा आसान और सस्ती के लिए अलावा सुरक्षित भी हैं। स्कूली पढ़ाई में शिक्षक हमें जो भी पढ़ाते थे उसे हम थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं या कई बार हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। जबकि ऑनलाइन अध्ययन में हम अपनी क्लासेज रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और बाद में भी उस पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पढ़ाई करने के एक डिजिटल तरीका है इसलिए इसमें बहुत ही कम कागज पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा में आप पुरे ध्यान और शांति के साथ पढ़ाई कर पाते हैं।

ऑनलाइन क्लासेज में शिक्षक और स्टूडेंट के बिच बहुत अच्छा तालमेल रहता है जबकि स्कूली पढ़ाई की कक्षा में बहुत Distraction होता है जिसकी वजह से आप शिक्षक पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप अपनी पसंद के अनुसार शांत जगह चुनकर अपनी ऑनलाइन क्लासेज में शामिल होकर सुकून से पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें आपको कोई disturb करने वाला नहीं होगा। स्कूली पढ़ाई में कक्षा के दौरान छात्रों को कुछ समझ नहीं आता है तो वे अपना सवाल शिक्षक से पूछने में हिचकिचाते हैं लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक और छात्रों के बिच बहुत ही कम संकोच, हिचकिचाहट होती है। चूंकि, स्कूली शिक्षा में समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं, इससे छात्रों के पास कोई और काम करने के लिए समय नहीं बचता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनके पास पढ़ाई

करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, सुविधा की कमी होती है, जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कुछ पैसे भी कमाना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा वरदान साबित हो रही है। ऑनलाइन अध्ययन सस्ती तो हैं ही, इससे समय भी बचता है, और उसे बचे हुए समय में ऐसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है वे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कोई जॉब भी कर सकते हैं। इसलिए आजकल ऑनलाइन शिक्षा कामकाजी लोगों के लिए अधिक लाभदायक साबित हो रही है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली बहुत सुविधाजनक और सस्ती हैं और यह कक्षा शिक्षा की तुलना में बहुत बेहतर है। आप ऑनलाइन पढ़ाई अपने टाइम-टेबल के अनुसार कर सकते हैं। जहाँ स्कूली कक्षा में पढ़ाई के लिए एक समय होता है वहाँ ऑनलाइन शिक्षा में पढ़ाई करने की कोई सीमा नहीं है, आप चाहे जितना पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। साथ ही, कक्षा शिक्षा में हम शोर-शराबे के कारण ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं लेकिन ऑनलाइन शिक्षा (Online education) के माध्यम से हम एकाग्रता और शांति के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा की कक्षा वीडियो के द्वारा प्रस्तुत कराई जाती है, जिससे किसी भी टॉपिक को जल्दी और आसानी से समझने में मदद मिलती है।

24 मार्च को कोविड-19 रोकथाम के लिए जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया। तो, उसके तुरंत बाद राज्यों की सरकारों ने स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन करने का प्रावधान शुरू कर दिया। इसमें एनजीओ, फ़ाउंडेशन और निजी क्षेत्र की तकनीकी शिक्षा कंपनियों को भी भागीदार बनाया गया। इन सब ने मिककर शिक्षा प्रदान करने के लिए संवाद के सभी उपलब्ध माध्यमों का इस्तेमाल शुरू किया। इसमें टीवी, डीटीएच चैनल, रेडियो प्रसारण, व्हाट्सएप और एसएमएस ग्रुप और प्रिंट मीडिया का भी सहारा लिया गया। कई संगठनों ने तो नए अकादमिक वर्ष के लिए किताबें भी वितरित कर दीं। स्कूली शिक्षा की तुलना में देखें, तो उच्च शिक्षा का क्षेत्र इस नई चुनौती से निपटने के लिए बहुत ही कम तैयार था। इस मामले के तमाम विशेषज्ञ जैसे कि आईआईटी बॉम्बे के प्रोफ़ेसर सहाना मूर्ति का ये मानना है कि आमने सामने की पढ़ाई से अचानक ऑनलाइन माध्यम में स्थानांतरित होने से शिक्षा प्रदान करने का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। इस ऑनलाइन शिक्षा को आपातकालीन रिमोट टीचिंग कहा जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन और इमरजेंसी ऑनलाइन रिमोट एजुकेशन में बहुत फ़र्क है। ऑनलाइन शिक्षा अच्छी तरह से अनुसंधान के बाद अभ्यास में लाई जा रही है। बहुत से

देशों में तालीम का ये माध्यम कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि पाठ्यक्रम को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा सके। इसके मुकाबले भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में इस ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता काफी कम है। अब अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज आने वाले सेमेस्टर से ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं, तो उन्हें इस रिमोट ऑनलाइन एजुकेशन और नियमित ऑनलाइन पढ़ाई के अंतर को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। क्योंकि, अगर देश में कोविड-19 के मरीजों की तादाद बढ़ती रही, तो उच्च शिक्षण संस्थानों को भी स्कूलों की ही तरह नियमित ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनी होगी। कोविड-19 की महामारी फैलने से पहले देश के लगभग 40 हजार उच्च शिक्षा संस्थानों में से अधिकतर के पास ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए, जब केंद्र और राज्य सरकारों ने इन संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने छात्रों को पढ़ाई कराने का आमंत्रण दिया, तो ये संस्थान इसके लिए तैयार नहीं थे। लॉकडाउन लगने के बस दो दिन बाद ही, यूजीसी ने सरकार के ICT यानी सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीक पर आधारित संसाधनों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पहल की एक लिस्ट जारी की थी। यूजीसी का कहना था कि इसके माध्यम से छात्र, लॉकडाउन के दौरान मुफ्त में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसमें स्वयं (SWAYAM) और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे विकल्पों का जिक्र किया गया था। हाल ही में छात्रों को सेकेंड डिग्री की शुरुआत की अनुमति भी दे दी गई है। जिसे वो अपने नियमित डिग्री कोर्स के साथ साथ ऑनलाइन या ओपन और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ये शानदार प्रयत्न हैं, जिनसे छात्रों को कोविड-19 की महामारी के बाद भी बहुत लाभ होगा। लेकिन ऑनलाइन उच्च शिक्षा की बात करें तो अभी भी ये बहुत देर से और कुछ ही छात्रों के लाभ के लिए उठाए गए कदम हैं।

ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराने की राह में जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उनमें से एक ये है कि पढ़ाने वाले अधिकतर फैकल्टी के सदस्यों को इसके लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया है। और इसीलिए वो ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्स की योजना बनाने और इसकी तैयारी के लिए छह से नौ महीने लग सकते हैं। इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान कुछ हफ्तों में ही तैयार नहीं किया जा सकता। ऑनलाइन शिक्षा को अपनाने की पहल करने वाले संस्थानों और फैकल्टी के सदस्यों को अपने सहकर्मियों को इसे अपनाने में काफी मदद करने की ज़रूरत होगी। फिर चाहे वो अपने ही संस्थान हों या शिक्षण समुदाय के अन्य सदस्य हों। ओआरएफ (ORF) द्वारा इस विषय में आयोजित वेबिनार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नई शिक्षा नीति की ओएसडी (OSD) डॉक्टर शकीला शम्सु ने इस बात पर काफी जोर दिया था। आमतौर पर फैकल्टी के सदस्य, अपने कोर्स के दूसरे या तीसरे सत्र में जाकर ऑनलाइन शिक्षा देने को लेकर सहज हो पाते हैं। ऐसे में उन्हें इसकी शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें तकनीक के महारथी टीचिंग सहायकों के माध्यम से मदद दी जानी चाहिए। अभी तक भारत ने इस विकल्प को नहीं अपनाया है। जबकि विदेशों के विश्वविद्यालयों में टीचिंग असिस्टेंट (TAs) का उपयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। ये शिक्षण सहयोगी, छात्रों के लिए चौट रूम और सहकर्मियों से सीखने के सत्र भी आयोजित करते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करने में बहुत लाभप्रद होते हैं।

अभी भी ऑनलाइन शिक्षा को बहुत से फैकल्टी सदस्य आमने सामने की तालीम के मुकाबले कमतर मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कैम्पस

की पढ़ाई को पूरी तरह ऑनलाइन से स्थानांतरित कर पाना संभव नहीं है। खासतौर से अगर किसी को दोनों में से एक को चुनने का विकल्प दिया जाए तो। लेकिन, अगर ऑनलाइन कोर्स को निर्देश के उच्च माध्यमों जैसे कि ऑडियो-वीडियो क्लिप के आधार पर तैयार किया जाए, तो उससे ऑनलाइन शिक्षा को बहुत उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे नियमित यूनिवर्सिटी शिक्षा को काफी मदद मिलेगी। ये बात कोर्सों, एडेक्स और अन्य ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से साबित की है। नए सत्र की शुरुआत में देरी से उच्च शिक्षण संस्थानों और फैकल्टी को ये अवसर मिला है कि वो उच्च गुणवत्ता के ऑनलाइन कोर्स तैयार कर लें।

उपलब्धता की चुनौतियां – महामारी की इमरजेंसी के दौरान दूरस्थ शिक्षा यानी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर सारी परिचर्चाएं इस बुनियाद पर आधारित हैं कि सभी छात्रों के पास इंटरनेट सेवा है। और सभी के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपकरण यानी लैपटॉप या कंप्यूटर मौजूद हैं। जिसकी मदद से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। पर दुर्भाग्य की बात ये है कि ये बात स्कूल के स्तर पर भी गलत है और उच्च शिक्षा के स्तर पर भी। स्कूलों में जहां स्थानीय समुदायों के ही छात्र आमतौर पर पढ़ाई करते हैं। वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र दूर दराज से भी आते हैं। ये अलग अलग राज्यों के छात्र भी हो सकते हैं और ग्रामीण इलाकों के रहने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे में, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर अगर इसी आकलन पर कि सभी छात्रों के पास इसके संसाधन होंगे, तो इसका बुरा प्रभाव लगभग सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर छात्र, जो लॉकडाउन के बाद अपने घर लौट गए, उनके पास इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। नेशनल सैपल सर्वे के शिक्षा से जुड़े 75वें चरण के आंकड़े बताते हैं कि देश में केवल 24 प्रतिशत घरों में ही इंटरनेट की सुविधा है। इनमें से 42 फीसद शहरी क्षेत्रों में हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 15 प्रतिशत घरों में इंटरनेट की सुविधा है। वहीं देश के केवल 11 प्रतिशत घरों में अपने कंप्यूटर हैं। (23 प्रतिशत शहरी घरों में कंप्यूटर हैं। तो गांवों में केवल 4।4 प्रतिशत घरों में अपने कंप्यूटर हैं। इसमें स्मार्टफोन को शामिल नहीं किया गया है।) आईएमएआई (IAMAI) की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस समय लगभग 50 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। इनमें से 43।3 करोड़ यूजर 12 साल की आयु से ज्यादा के हैं। और 65 प्रतिशत पुरुष हैं। ग्रामीण और शहरी, पुरुषों और महिलाओं के बीच के इस डिजिटल अंतर को अन्य बड़े विश्वविद्यालयों सर्वे भी सही बताते हैं। जैसे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के अनुसार केवल 37 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि वो ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं। वहीं 90 प्रतिशत छात्रों ने क्लास में लेक्चर लेने को तरज़ीह देने की बात कही। यहां तक कि देश के बड़े तकनीकी संस्थानों यानी की आईआईटी के दस प्रतिशत या इससे भी अधिक छात्रों ने कहा कि वो स्टडी मैटीरियल को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। या वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं। छात्रों ने इसकी वजह कभी तो कनेक्टिविटी और कभी अपर्याप्त डेटा प्लान बताई।

आज स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह को आपस में साझा करने के विकल्प भी आजमाए जा रहे हैं। लेकिन, अगर एक छात्र भी ऑनलाइन शिक्षा के दायरे से बाहर रह जाता है, तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। ऑनलाइन शिक्षा के लंबी अवधि के समाधान के लिए राज्यों और केंद्र की सरकारों को चाहिए कि वो सभी शिक्षण संस्थानों को अच्छी ब्रॉडबैंड सेवा और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर उपलब्ध कराएं। देश की 2।5 लाख ग्राम

पंचायतों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली योजना भारत नेट 2011 से चल रही है। लेकिन, आखरी छोर तक इंटरनेट की सेवा न पहुंच पाने से ये योजना भी अधर में ही लटकी है। जब भी ये योजना पूरी तरह कार्यान्वित होती है, और इसे प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, तब ये ग्रामीण समुदायों और छात्रों को अच्छी ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ सकेगी। तब इसका इस्तेमाल न सिर्फ शिक्षा के लिए हो सकेगा। बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि और रोजगार के अन्य माध्यमों में भी ये लोगों की मदद कर सकेगी।

तब तक उच्च शिक्षा के सभी फैकल्टी सदस्यों को उपलब्ध संसाधनों

से भी काम चलाना होगा। ताकि वो अपने सभी छात्रों से लगातार संपर्क में रहें और अपनी चतुराई से इन छात्रों को इस कोरोना काल में पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहें। ये आपदा एक अवसर बन सकती है, अगर हम उच्च शिक्षा देने के लिए नई परिकल्पनाओं पर काम कर सकें। शिक्षा को लेकर पारंपरिक सोच को परे हटाकर अध्ययन, अध्यापन और समीक्षा के नए तरीके अपनाएं। हमेशा के लिए नहीं, तो कम से कम इस अवधि में तो ऐसा हो ही सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की उपयोगिता

डॉ. दीपक दुबे* अन्नपूर्णा दुबे**

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज, इंदौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आम तौर पर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल के रूप में इंटरनेट का उपयोग करते हुए पारंपरिक बैंकिंग का एक विस्तार है। आज बैंकिंग को आईटी के उपयोग के साथ फिर से परिभाषित और पुनः इंजीनियर किया गया है और यह सुनिश्चित है कि बैंकिंग का भविष्य निरंतर उत्पाद और प्रक्रिया नवाचारों के साथ ग्राहकों को अधिक परिष्कृत सेवाएं प्रदान करेगा। इस प्रकार विक्रेता के बाजार से खरीदार के बाजार में एक आदर्श बदलाव आया है। इसलिए बैंक भी 'पारंपरिक बैंकिंग से सुविधा बैंकिंग' और 'मास बैंकिंग से क्लास बैंकिंग' के लिए अपना दृष्टिकोण बदलते हैं। यह अध्ययन बैंकिंग में आईटी की भूमिका से संबंधित विभिन्न प्रासंगिक मुद्दों की जांच करता है और डेटा की गोपनीयता और गोपनीयता सुनिश्चित करने, आईटी और अन्य साइबर कानूनों को ठीक से लागू करने की सिफारिश करता है। यह बैंकिंग उद्योग में आईटी की विकासात्मक भूमिका सुनिश्चित करेगा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र भी 1990 तक नींद से जागने और सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है, भारतीय बैंक बहुत ही आरामदायक और संरक्षित वातावरण में काम कर रहे हैं। हालांकि, तब से उन्हें बदली हुई आर्थिक नीतियों के कारण तीव्र प्रतिस्पर्धा में धकेल दिया गया है। प्रौद्योगिकी, बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उठा रही है। परंपरागत रूप से, बैंक अपने उत्पादों और दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते रहे हैं। आज तकनीक न केवल पर्यावरण बल्कि ग्राहकों के साथ संबंधों को भी बदल रही है। प्रौद्योगिकी ने कई बाधाओं को नहीं तोड़ा है बल्कि बेहतर उत्पाद और चैनल भी लाए हैं। ग्राहक संबंधों को अधिक फोकस में लाया है। इसे बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों और संस्थानों के साथ लागत में कमी और प्रभावी संचार के साधन के रूप में भी देखा जाता है। आरबीआई ने वित्तीय प्रणाली में तकनीकी बुनियादी ढांचे के उन्नयन को प्राथमिकता दी है। प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग उद्योग के लिए नए उत्पाद और सेवाएं, नया बाजार और कुशल वितरण चैनल खोले हैं। आईटी वर्तमान प्रतिस्पर्धी माहौल में चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकिंग उद्योग के लिए ढांचा भी प्रदान करता है। आईटी वैश्विक फंड ट्रांसफर की लागत में कटौती करने में सक्षम है।

प्रस्तावना – आईटी से तात्पर्य सूचना के प्रसंस्करण, भंडारण और हस्तांतरण से है। यह कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स मशीन आदि और दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करता है। आईटी ने सभी भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी परिष्कृत उत्पाद विकास, बेहतर बाजार अवसंरचना, जोखिमों के नियंत्रण के लिए विश्वसनीय तकनीकों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाती है और वित्तीय मध्यस्थों को भौगोलिक दृष्टि से दूर और विविध बाजारों तक पहुंचने में मदद करती है। इंटरनेट ने बैंकों के वितरण चैनलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए इंटरनेट एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। ग्राहक खातों को देख सकते हैं; अकाउंट स्टेटमेंट प्राप्त करें, फंड ट्रांसफर करें, और कुछ स्मार्ट कार्ड यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप वाले कार्ड ने परिदृश्य में नया आयाम जोड़ा है। 'साइबर कैश' की शुरुआत नकदी का आदान-प्रदान पूरी तरह से 'साइबर-बुक्स' के माध्यम से होता है। बिजली बिल और टेलीफोन बिलों का संग्रह आसान हो गया है। बैंकों को अपने ग्राहकों तक पहुंचने के अभूतपूर्व अवसरों के बाद इंटरनेट प्रौद्योगिकी का उन्नयन और लचीलापन। निरसंदेह बैंकिंग सेवाओं में भारी बदलाव आया है और इसलिए बैंकों से ग्राहकों की अपेक्षा भी अधिक बढ़ गई है। समय के साथ बैंक के मूल्य में वृद्धि करने के लिए आईटी एक बैंक ऑफिस फंक्शन से एक प्रमुख सहायक के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। आईटी ऐसा सुरक्षा,

संचार और नेटवर्किंग के संबंध में बैंकों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मानकीकृत करने, अंतर शाखा कनेक्टिविटी प्राप्त करने, रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) पर्यावरण की ओर बढ़ने, वास्तविक समय का निर्माण करके तरलता का पूर्वानुमान जैसे सक्रिय उपायों के बैंकों को अधिकतम करके करता है। डेटाबेस, चेक क्लियरिंग के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और इमेजिंग तकनीक का उपयोग कुछ नाम रखने के लिए। भारतीय बैंक बड़े पैमाने पर खुदरा बैंकिंग के लिए जा रहे हैं चार्ज करने के लिए प्रमुख चालक बड़े पैमाने पर हैं लेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आम तौर पर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल के रूप में इंटरनेट का उपयोग करते हुए पारंपरिक बैंकिंग का विस्तार है। ई-बैंकिंग बैंकिंग सेवाओं की एक शृंखला है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करती है और इसमें टेलीफोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट शामिल हैं।

एटीएम के उपयोग से 'कहीं भी' और 'कभी भी' बैंकिंग की अवधारणा को जन्म दिया। एटीएम कार्ड के उपयोग के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते को संचालित कर सकता है ताकि बैंक के किसी भी एटीएम से या निकटतम साइट पर उपलब्ध एटीएम से पैसे निकाले जा सकें। इसने समय और गति की बाधाओं को तोड़ दिया था। नए बैंक कुछ सेवाएं विशेष रूप से एटीएम के माध्यम से प्रदान करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर की बढ़ती लोकप्रियता, इंटरनेट तक आसान पहुंच और वर्ल्ड वाइड वेब

(डबल्यूडबल्यूडबल्यू) ने बैंकों द्वारा निर्देश प्राप्त करने और ग्राहकों को अपने उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के लिए एक चैनल के रूप में इंटरनेट का उपयोग बढ़ा दिया है। इसे आम तौर पर के रूप में संदर्भित किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग और नेट बैंकिंग। यह ई-बैंकिंग के नए रूपों में से एक है जो लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। ई-बैंकिंग की प्रक्रिया वेबसाइट खोलने के साथ शुरू होती है और भुगतान करने के साथ समाप्त बैंकिंग प्रणाली पर आईटी का प्रभाव बैंकिंग प्रणाली धीरे-धीरे पारंपरिक बैंकिंग से रिलेशनशिप बैंकिंग की ओर बढ़ रही है। परंपरागत रूप से बैंक और उसके ग्राहकों के बीच संबंध शाखा नेटवर्क के माध्यम से एक-एक स्तर पर रहे हैं। इसे व्यक्तिगत शाखा स्तर पर केंद्रित समाशोधन और निर्णय लेने की जिम्मेदारियों के साथ परिचालन में लाया गया था। प्रधान कार्यालय के पास समग्र समाशोधन नेटवर्क, शाखा नेटवर्क के आकार और शाखा नेटवर्क में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी थी। बैंक ने संगठन के प्रदर्शन की निगरानी की और निर्णय लेने के मानदंड निर्धारित किए, लेकिन शाखा कर्मचारियों और उनके ग्राहकों दोनों के लिए उपलब्ध जानकारी एक भौगोलिक स्थान तक सीमित थी। आधुनिक बैंक अकेले अपने शाखा नेटवर्क पर भरोसा नहीं कर सकता। ग्राहक अब नए, अधिक सुविधाजनक, वितरण प्रणाली की मांग कर रहे हैं, और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाओं की ग्राहक के लिए दोहरी भूमिका है। वे पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अपने खाते की स्थिति और बैंक की कई अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी तक अधिक पहुंच प्रदान करते हैं। ऐसा करने के लिए बैंकों को खाता सूचना परतें बनानी होती हैं, जिन्हें बैंक कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक लिंक का उपयोग ग्राहकों को उनकी अपनी वित्तीय स्थिति और बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में अधिक से अधिक स्तर की जानकारी प्रदान करने में सहायक हो सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग दुनिया भर के कई उद्योगों में किया गया है। एक मुख्य उद्योग जो सूचना प्रौद्योगिकी से अत्यधिक प्रभावित हुआ है, वह है बैंकिंग उद्योग। इंटरनेट बैंकिंग वर्तमान भविष्य की तस्वीर एकदम सही बात है। यह उपभोक्ताओं को इंटरनेट, टेलीफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से उपयोग को आसान बनाने और लेनदेन की लागत को कम करने के लिए कई लाभ प्रदान करता है। इंटरनेट बैंकिंग वित्तीय उद्योग में सबसे आवश्यक तकनीकी पहलुओं में से एक बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक संचार और गणना का उपयोग करके वित्तीय सेवाओं और बाजारों के प्रावधान के रूप में इंटरनेट बैंकिंग। व्यावहारिक रूप से, इंटरनेट बैंकिंग में इंटरनेट भुगतान होता है जिसे ई-भुगतान, इंटरनेट ट्रेडिंग और इंटरनेट-बैंकिंग भी कहा जाता है। अब इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग को इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, इंटरैक्टिव संचार चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को नए और पारंपरिक बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के प्रावधान के रूप में परिभाषित किया गया है। बैंकिंग ग्राहक एक बुद्धिमान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करते हुए इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर (पीसी), पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (पीडीए), स्वचालित टेलर मनुनिया भर में वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों के साथ, किसी भी बड़े या छोटे, विकसित या विकासशील राष्ट्र के लिए, जो कुछ भी हो रहा है उससे अलग रहना मुश्किल है। भारत जैसे देश के लिए, जो सबसे आशाजनक उभरते बाजारों में से एक है, ऐसा अलगाव लगभग

असंभव है। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जहां भारत निश्चित रूप से अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त रखता है, दूर रहना या विश्व रुझानों की एकरूपता अस्थिर है। सामान्य रूप से वित्तीय क्षेत्र और विशेष रूप से बैंकिंग उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी से सबसे अधिक खर्च करने वाला और लाभार्थी है। यह भारतीय बैंकिंग उद्योग के साथ अंतरराष्ट्रीय रुझानों को जोड़ने का प्रयास करता है। अंतिम लॉट में संभवतः सभी विदेशी बैंक और नए स्थापित निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं, जिन्होंने सभी कार्यों को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत कर दिया है। भारतीय बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी के स्तर में इन भिन्नताओं के साथ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के रुझानों को ध्यान में रखना और भारतीय बैंकों के साथ तुलनात्मक स्थिति को देखना भी उपयोगी है। वर्तमान लेख बैंकों की धारणा से शुरू होता है जब वे आईटी उन्नयन में आते हैं। भारतीय बैंकों की स्थिति के लिए उनकी प्रासंगिकता देखने के लिए आईटी क्षेत्र के सभी रुझानों पर चर्चा की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी विचार नब्बे के दशक की शुरुआत से, प्रत्येक भारतीय बैंक ने कुछ आईटी सुधार के प्रयास किए हैं। पहली और सबसे बड़ी मजबूरी है भयंकर प्रतिस्पर्धा। आईटी के लिए आवश्यक वास्तुकला पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित वास्तविकताओं पर विचार किया जाता है।

(1) आंतरिक आवश्यकता को पूरा करना: बैंकों की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं, जो उनकी प्रकृति और किसी विशेष खंड, शाखाओं के प्रसार और इसी तरह के व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के आधार पर अलग-अलग होती हैं। कई बार बैंकों के पास आवश्यक जानकारी होती है लेकिन वह बिखरी हुई होती है। ऑपरेटिंग इकाइयां शायद ही कभी अपने उच्च अधिकारियों द्वारा जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य को जानती हैं।

(2) डेटा हैंडलिंग में प्रभावी: जैसा कि पहले कहा गया है कि बैंकों के पास अधिकांश आवश्यक डेटा होते हैं लेकिन वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा डेटा के संग्रह और उसे उपयोग में लाने की लागत निषेधात्मक रूप से अधिक है। डेटा पीढ़ी की सटीकता और समयबद्धता प्रक्रिया में कारण बन जाती है। कम्प्यूटरीकरण पर सर्वोत्तम इरादों की कामना की जाती है क्योंकि लागत में कोई कमी नहीं।

लाभ

आईटी के लाभ : सूचना प्रौद्योगिकी परिष्कृत उत्पाद विकास, बेहतर बाजार बुनियादी ढांचे, जोखिमों के नियंत्रण के लिए विश्वसनीय तकनीकों के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है और वित्तीय मध्यस्थों को भौगोलिक दृष्टि से दूर और विविध बाजारों तक पहुंचने में मदद करता है। इंटरनेट ने बैंकों के वितरण चैनलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के वितरण के लिए इंटरनेट महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है। ग्राहक खातों को देख सकते हैं; कुछ चाबियों पर पंच करके खाता विवरण प्राप्त करें, धन हस्तांतरण करें और ड्राफ्ट खरीदें। स्मार्ट कार्ड यानी माइक्रोप्रोसेसर चिप वाले कार्ड ने परिदृश्य में नया आयाम जोड़ा है। बिजली बिल और टेलीफोन बिलों का संग्रह आसान हो गया है। निस्संदेह बैंकिंग सेवाओं में भारी बदलाव आया है और इसलिए बैंकों से ग्राहकों की अपेक्षा भी अधिक बढ़ गई है। मील का पत्थर भारत में, बैंकों के साथ-साथ अन्य वित्तीय संस्थाओं ने सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में प्रवेश किया और भारतीय वित्तीय नेट (INFINET) के साथ INFINET VSAT (वेरी स्मॉल अपरचर टर्मिनल्स) तकनीक का उपयोग करते हुए एक विस्तृत क्षेत्र उपग्रह आधारित नेटवर्क (WAN), जून 1999 में रिजर्व बैंक और इंस्टीट्यूट फॉर

डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था।

बैंकिंग क्षेत्र में हालिया विकास

1. **इंटरनेट:** इंटरनेट कंप्यूटरों का एक नेटवर्किंग है। इसमें मार्केटिंग संदेश को दुनिया भर में स्थानांतरित और प्राप्त किया जा सकता है। डेटा दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। कुछ ही समय में इंटरनेट की सुविधा हमारे लिए कई काम कर सकती है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: यह नेट इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के रूप में काम कर सकता है। इसकी पहुंच दूरस्थ डेटाबेस तक हो सकती है, जो विदेश का समाचार पत्र हो सकता है। हम इंटरनेट के माध्यम से अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। हम किसी से भी संपर्क कर सकते हैं जो इंटरनेट से जुड़ा है।

2. **सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर-बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (स्विफ्ट):** एक सहकारी समिति के रूप में स्विफ्ट का गठन मई 1973 में 15 देशों के 239 भाग लेने वाले बैंकों के साथ किया गया था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसने मई 1977 में काम करना शुरू किया। RBI और 27 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ भारत में 8 विदेशी बैंकों ने SWIFT की सदस्यता प्राप्त की है। SWIFT दुनिया भर में वित्तीय संदेशों को प्रसारित करने का तेज़, सुरक्षित, विश्वसनीय और लागत प्रभावी तरीका प्रदान करता है। स्विफ्ट अंतरराष्ट्रीय ख्याति के परिष्कृत संदेश प्रसारण की एक विधि है। यह फंड ट्रांसफर का अत्यधिक लागत प्रभावी, विश्वसनीय और सुरक्षित साधन है।

3. **ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम):** एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसे जमा, निकासी और अन्य वित्तीय लेनदेन करने के लिए ग्राहक स्वयं संचालित करता है। एटीएम ग्राहक सेवा में सुधार की दिशा में एक कदम है। ग्राहक को 24 घंटे एटीएम की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहक को एटीएम कार्ड जारी किया जाता है। यह एक प्लास्टिक कार्ड है, जिस पर ग्राहक का नाम लिखा होता है।

4. **बैंक नेट:** भारत में पहला राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क है, जिसे फरवरी 1991 में चालू किया गया था। यह आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक टी.एन.ए की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई द्वारा स्थापित संचार नेटवर्क है। लियरा। बैंक नेट के दो चरण हैं: बैंक नेट - I और बैंक नेट - II। बैंक नेट के संचालन और अनुप्रयोग के क्षेत्र: बैंकिंग लेनदेन के संदेश को कोड के रूप में शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरित किया जा सकता है। लेनदेन और सलाह का त्वरित निपटान। ग्राहक सेवा में सुधार - किसी भी सदस्य शाखा से धन की निकासी संभव है। आरबीआई को डेटा और अन्य विवरणों का आसान हस्तांतरण।

5. **फोन बैंकिंग:** ग्राहक अब बैंक के डिज़ाइन किए गए टेलीफोन नंबर को डायल कर सकते हैं और वह अपना आईडी नंबर डायल करके बैंक के नामित कंप्यूटर से कनेक्टिविटी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मशीन में प्रदान किया गया सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ इंटरएक्टिव है और उसे उसके लिए आवश्यक सेवा का कोड नंबर डायल करने के लिए कहता है और उसका उपयुक्त उत्तर देता है। सरल प्रश्नों और लेनदेन के लिए स्वचालित वॉयस रिकॉर्डर (एवीआर) और जटिल प्रश्नों और लेनदेन के लिए मानवयुक्त फोन टर्मिनलों का उपयोग करके, ग्राहक वास्तव में टेलीफोन पर संपूर्ण गैर-नकद सं. टेली-बैंकिंग: टेली बैंकिंग एक और नवाचार है, जिसने ग्राहक को 24 घंटे बैंकिंग की सुविधा प्रदान की।

6. **टेली-बैंकिंग:** बैंक कंप्यूटरों पर उपलब्ध वॉयस प्रोसेसिंग सुविधा पर आधारित है। कॉल करने वाला आमतौर पर ग्राहक बैंक को कभी भी कॉल करता है और अपने खाते या अन्य लेनदेन इतिहास में शेष राशि के बारे में पूछताछ कर सकता है। इस प्रणाली में, बैंक के कंप्यूटर एक मॉडम की मदद से एक टेलीफोन लिंक से जुड़े होते हैं। सॉफ्टवेयर में वॉयस प्रोसेसिंग की सुविधा दी गई है। यह सॉफ्टवेयर फोन करने वाले की आवाज की पहचान करता है और उसे उपयुक्त उत्तर प्रदान करता है। कुछ बैंक टेलीफोनिक ऑंसरिंग मशीन का भी उपयोग करते हैं लेकिन यह कुछ संक्षिप्त कार्यों तक ही सीमित है। यह केवल टेलीफोन ऑंसरिंग सिस्टम है और अब टेली-बैंकिंग है। टेली बैंकिंग लोकप्रिय हो रही है क्योंकि एटीएम पर पूछताछ अब बहुत लंबी होती जा रही है।

7. **इंटरनेट बैंकिंग:** इंटरनेट बैंकिंग ग्राहक को इंटरनेट पर बैंक की वेबसाइट के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन करने में सक्षम बनाता है। यह अपने कार्यालय या घर में बैठे हुए कंप्यूटर के माध्यम से खातों और बैंक उत्पादों और सेवाओं पर सामान्य जानकारी तक पहुँचने की एक प्रणाली है। इसे वर्चुअल बैंकिंग भी कहते हैं। यह कमोबेश बैंक को आपके कंप्यूटर पर ला रहा है। पारंपरिक बैंकिंग में किसी को नकद निकालने या चेक जमा करने या खातों के विवरण आदि का अनुरोध करने के लिए व्यक्तिगत रूप से शाखा से संपर्क करना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग ने बैंकिंग के तरीके को बदल दिया है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति बैंक की वेबसाइट के माध्यम से अपने कंप्यूटर पर इस प्रकार के सभी लेनदेन संचालित कर सकता है। ऐसे सभी लेनदेन एन्क्रिप्टेड हैं; फायरवॉल और फिल्टर सहित परिष्कृत बहुस्तरीय सुरक्षा वास्तुकला का उपयोग करना। आप निश्चित हो सकते हैं कि किसी का लेनदेन सुरक्षित और गोपनीय है।

8. **मोबाइल बैंकिंग:** मोबाइल बैंकिंग सुविधा इंटरनेट बैंकिंग का ही विस्तार है। बैंक सेलुलर सेवा प्रदाताओं के सहयोग से यह सेवा प्रदान करता है। इस सेवा के लिए, मोबाइल फोन या तो एसएमएस सक्षम होना चाहिए।

9. **एनआरआई बैंकिंग सेवाएं:** इस तकनीक को भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अपनाया गया है, बस कुछ ही उल्लेख करने के लिए। चूंकि बहुत से लोग काम करने के लिए विदेश जाते हैं, इसलिए उन्हें अपने परिवार का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। इसलिए तकनीक ने उनके लिए अपने प्रियजनों को आसानी से पैसे भेजना आसान बना दिया है।

10. **कहीं भी बैंकिंग:** प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ, अब दूरस्थ स्थानों से बैंक से वित्तीय विवरण प्राप्त करना संभव है। ऑटोमेटेड टेलर मशीनें ग्राहकों को दूरस्थ सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एटीएम की इंटर-स्टेशन कनेक्टिविटी के कारण अन्य स्टेशनों से निकासी संभव हो पाई है।

व्यावसायिक चुनौतियाँ:

1. बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवा और सुविधा पर ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करें।
2. ग्राहक प्रतिधारण।
3. प्रसार का प्रबंधन और परिचालन लाभ को बनाए रखना।
4. उद्योग में मौजूदा बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखना और उसमें सुधार करना।
5. बैंकिंग उद्योग में अन्य खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा।

महत्वपूर्ण प्रचलनात्मक चुनौतियाँ: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ग्रेड अप पर ध्यान केंद्रित करने वाली तकनीकों में लगातार चुनौतियाँ, उस कार्यान्वयन के मुद्दों पर ध्यान देना और समय पर रोल आउट करना। प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और व्यावसायिक जोखिमों का प्रबंधन। प्रौद्योगिकी को उसकी पूरी क्षमता से लाभ उठाने में सक्षम होने के लिए परिभाषित और कार्यान्वित कुशल प्रक्रियाएं देश भर में फैले कार्यबल के कौशल का उन्नयन विधाएं हैं बैंकिंग कर सकता है: कहीं भी, कभी भी।

गोपनीयता: आईटी का प्रभाव कंप्यूटर में संग्रहीत डेटा अब इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम आदि के माध्यम से आवश्यक होने पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इन सभी ने गोपनीयता और डेटा की गोपनीयता के मुद्दों को जन्म दिया है: कंप्यूटर, विशेष रूप से त्रि-थ्रूपुट, एकीकरण और पुनर्प्राप्ति क्षमताएं व्यक्तियों के मन में संदेह को जन्म देती हैं कि क्या व्यक्तियों की गोपनीयता का क्षरण हो रहा है। जब तक व्यक्तिगत डेटा आइटम केवल सीधे संबंधित लोगों के लिए उपलब्ध हैं, सब कुछ उचित जगह पर प्रतीत होता है, लेकिन विस्तृत व्यक्तिगत डोजियर बनाने के लिए डेटा को क्रॉस रेफर किए जाने की घटना गोपनीयता की समस्याओं को जन्म देती है। ग्राहकों को लगता है कि बैंकों द्वारा अपने लेनदेन के संबंध में गोपनीयता की अपर्याप्तता और संदेह के साथ कम्प्यूटरीकृत सिस्टम पर लिंक को बनाए रखा जा रहा है।

भारत में भविष्य का दृष्टिकोण भारतीय बैंक ऑनलाइन बैंकिंग प्रदान करने में अंतरराष्ट्रीय बैंकों से काफी पीछे हैं। वास्तव में, पर्याप्त आधारभूत संरचना या पर्याप्त संख्या में उपयोगकर्ताओं की उपस्थिति के बिना यह संभव नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अनुभव से पता चलता है कि नेट पर किए गए लेनदेन की संख्या बहुत सीमित है। प्रौद्योगिकी बैंकिंग के भविष्य की कुंजी रखने जा रही है। आईटी क्रांति के बिना बैंकिंग उपलब्धियां संभव नहीं हैं। इसलिए बैंकों को बदलाव के ट्रिगर का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आईटी अवधारणा का दृष्टिकोण भी अपनाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र से भी अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं के सॉफ्टवेयर पेश किए जा सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईटी बैंकिंग प्रणाली के समग्र पैटर्न को बदल देता है। आज बैंकिंग को आईटी के उपयोग के साथ फिर से परिभाषित

और पुनः इंजीनियर किया गया है और यह सुनिश्चित है कि बैंकिंग का भविष्य निरंतर उत्पाद और प्रक्रिया नवाचारों के साथ ग्राहकों को अधिक परिष्कृत सेवाएं प्रदान करेगा। इस प्रकार विक्रेता के बाजार से खरीदार के बाजार में एक आदर्श बदलाव आया है। इसलिए बैंक भी 'पारंपरिक बैंकिंग से सुविधा बैंकिंग' और 'मास बैंकिंग से वलास बैंकिंग' के लिए अपना दृष्टिकोण बदलते हैं। इसलिए बैंक अब ग्राहकों को मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लेकिन आईटी पूरी तरह से तभी उपयोगी हो सकता है जब वे वर्तमान परिवेश में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। भारत में यह तभी सफल हो सकता है जब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठीक से लागू किया जाए। डेटा की गोपनीयता और गोपनीयता बनाए रखने की भी आवश्यकता है। कई राष्ट्र गोपनीयता को मानव अधिकार का विषय मानते हैं और इसे उन लोगों की जिम्मेदारी मानते हैं जो कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंप्यूटर का उपयोग उस चरण तक नहीं घूमता है जहां लोगों के बारे में अलग-अलग डेटा एकत्र, एकीकृत और पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है। तुरंत। एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि डेटा का उपयोग केवल इच्छित उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसके लिए आईटी और अन्य साइबर कानूनों को ठीक से लागू करने की जरूरत है। यह आईटी की विकासात्मक भूमिका सुनिश्चित करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चक्रवर्ती के.सी., 'मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल बैंकिंग - उभरते प्रतिमान', भारत दूरसंचार भारत दूरसंचार 2009 सम्मेलन।
2. घोषाल सोरेन, 2010, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों द्वारा समावेशी विकास के लिए मोबाइल बैंकिंग।
3. नायर के.के.जी.के और प्रसाद पी.एन. 2002, विकासशील देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास: एक भारतीय राज्य से अनुभव, विकासशील देशों में सूचना प्रणाली का इलेक्ट्रॉनिक जर्नल।
4. डी यंग, आर। (2005), 'इंटरनेट आधारित बिजनेस मॉडल का प्रदर्शन: बैंकिंग उद्योग से साक्ष्य', जर्नल ऑफ बिजनेस, वॉल्यूम। 78 नंबर 3, पीपी 893-94
5. भारत में मोबाइल बैंकिंग - धारणा और सांख्यिकी।

मेवाड़ की लोक एवं पारम्परिक कलाओं में निहित प्रतीक रूपों का महत्व

डॉ. गिरिराज जाटव *

* नाथद्वारा, राजसमंद (राज.) भारत

प्रस्तावना - राजस्थान के ऐतिहासिक-सांस्कृतिक स्वरूप में मेवाड़ भू-भाग का अपना ही एक अलग महत्व है, गुहिलवंशीय मेवाड़ राज्य का नाम इतिहास में विशिष्टता के साथ लिया जाता है। आदिकाल से ही मानव ने अपनी अभिव्यक्ति का परिचय अपनी बुद्धिकौशलता से समय-समय पर दिया जिससे यहां के पुरातात्विक साक्ष्य मानव की अभिव्यक्ति की कहानी को दर्शाते दिखाई पड़ते हैं।

मेवाड़ का लोकमानस आदिकाल से ही कलाप्रेमी रहा है उसने अपने कला प्रेम को दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को न केवल अपने हाथों से बनाया बल्कि उन पर अलंकरणों से अपने कलाबोध का भी सुजन किया। पारम्परिक कलाओं के इस परिवेश में जब प्रतीक रूपों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि पारम्परिक कलाओं के इन भाव रूपों में प्रतीकात्मकता को बेहद महत्व दिया गया है। ये भाव रूप चाहे मानवीय हो या प्रकृति से जुड़े रूप-स्वरूप अथवा कथानक एवं विषयवस्तु के रूप में हो, इन सभी की दृश्यगत अभिव्यंजना के लिए प्रतीक रूपों को ही आधार मानकर पारम्परिक कलाओं को पूर्ण किया गया है।

लोक एवं पारम्परिक कलाओं की रचनात्मकता का कला में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रतीकात्मक चिन्हों का है जो अतिप्राचीन काल से प्रतीक स्वरूपों में रहा है। प्रतीक रूपों के समन्वय से लोक एवं पारम्परिक कलाओं की विषयानुरूप प्रवृत्ति बेहद वस्तुतः रही है। लोक कलाओं में कई रूप, प्रतिरूप व प्रतीक चिन्हों आदि का लौकिक भावरूप कलागत संबंध पुरातन संस्कृति से अनवरत चला आ रहा है।

कलाओं की इस परिधि में मानव ने अपने प्रारम्भिक दौर में सांकेतिक भाषा में अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति को आकारित किया जिसे हम प्रतीकात्मक भावरूप में देख सकते हैं, मानव ने अपने भावनात्मक पक्ष को दृढ़ता देते हुए लौकिक पक्ष को उजागर किया है जिस संबंध में प्रतीक रूपों जैसे सुर्य, चंद्रमा, तारे, वृत्त, त्रिभुज इत्यादि को देव रक्षक रूप में देखा जा सकता है।

इसी क्रम में मेवाड़ की स्थापत्यकला में भी प्रतीकों रूपों का बड़ी सहजता के साथ अंकन किया गया है जिस प्रकार सम्राट अशोक के समय में पाषाण से बनी लम्बी लटों को बोधिवृक्ष के प्रतीक रूप में उकेरा गया उसी प्रकार घोड़े तथा शेर को शक्ति के प्रतीक रूप में उकेरा गया है। स्थापत्यकला में भी प्रतीक चिन्हों को देखा जा सकता है, स्थापत्यकला में चान्द, सुरज, वृत्त, त्रिभुज, बहुकोणिय आकृतियां, स्वस्तिक, कमल आदि का प्रयोग किया गया है। स्थापत्य कला में सावन की रोस को रोड़े के माध्यम से बनाया जाता है, इन रोड़ों में मोर द्वारा सर्प को मारते दिखाया गया है। जो कि बुराई पर

अच्छाई की जीत का प्रतीक है।

मेवाड़ की लोक एवं पारम्परिक कलाओं में विभिन्न माध्यमों में प्रतीक रूपों की भावानुरूप सृजनात्मकता देखने को मिलती है जिसमें पाषाण शिल्प, मृणालिप, धातु कला के साथ वस्त्र छापांकन, मीनाकारी, सांझी, छठीपूजन, फड़चित्रण, पिछवई कला एवं वैवाहिक चित्रण, त्योहारिक चित्रण परम्परा आदि में विविध प्रतीक रूपों का भावानुरूप संयोजन किया गया है।

लोक एवं पारम्परिक कलाओं में कई प्रतीक रूपों को समायोजित कर विषयगत भावों को दर्शाया गया है इनमें प्रमुख रूप से लौकिक व वैदिक प्रतीक रूप प्रमुख हैं जो अपने मौलिक स्वरूप को बनाये हुए हैं, पाषाण प्रतिमाओं में पशु-पक्षी, वृक्ष, फूल-पत्तियां आदि से लोक भाव से जुड़े प्रतीकात्मकता के भावों को उजागर किया गया साथ ही ज्यामितीय प्रतीक रूपों को महत्व देकर परम्परा का निर्वाह किया जाता रहा है। मेवाड़ में बनने वाली मूर्तियों में कमल को लक्ष्मी, त्रिशूल को शक्ति, मुकुट को शासक के प्रतीक रूप में दर्शाया गया है साथ ही सीधा त्रिभुज प्रगति के लिए, उल्टा त्रिभुज अवनति के लिए, चतुरभुज, पंचभुज, षट्भुज, अष्टभुज आदि का प्रयोग तंत्र-मंत्र के लिए प्रतीक रूप में देखने को मिलते हैं।

मेवाड़ में प्रचलित लोक कलाओं में निहित रंगों का विषयानुरूप प्रतीकात्मक प्रयोग बरसी की कावड़ कला में देखा जा सकता है साथ ही जलचर व नभचर के रूप में प्रतीक रूपों का चित्रण भी किया जाता है। कावड़ में बने कला आधारों को हम मंदिरनुमा स्वरूप में देखते हैं ठीक इसी प्रकार मोलेला की मृणकला में रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग के साथ लोक देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के विविध आयुधों में मंदिरनुमा प्रतीकों का संयोजन देख सकते हैं, सुर्य-चांद, मगर, मछली, त्रिशूल, गदा, खप्पर, भाला, नाग आदि को प्रमुखता से रूपांकित किया गया है। नाग के स्वरूप को विविध भाव रूपों व कथानकों के साथ संयोजित कर कलागत भावों को प्रदर्शित करने में मोलेला के कलाकार सिद्धरत रहे हैं। इसी क्रम में काष्ठ से बने खिलौने, साज-सज्जा की वस्तुओं आदि पर फूल-पत्तियों, कमल पुष्प, सुर्य-चंद्रमा, मछली, चिड़िया तथा पशु आकृतियों से संयोजन कर प्रतीकात्मक भावों को उजागर करने की परम्परा रही। जिनका सीधा सम्बन्ध देवी-देवताओं के स्वरूप तथा मानव के सौन्दर्यगत भावों से जुड़ा दिखाई देता है। यही नहीं, नेत्रों के आकार-प्रकार तथा दैहिक लय को भी पत्र तथा पुष्प वैल्लिरियों की लय के साथ जोड़ कर सौन्दर्यगत भावरूपों को दर्शाया गया है।

जहां पाषाण, काष्ठ, धातु कला में प्रतीकों का महत्व रहा वही मेवाड़

की वस्त्र छापांकन व रंगांकन में भी लौकिक व प्राकृतिक प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान है, वस्त्र छापांकन में आकार संयोजन के साथ रंग संयोजन का विशेष महत्व है जो मुख्यतः प्राथमिक रंगों के साथ सफेद व श्याम रंगों से विविध प्रतीक रूपों को चित्रित करने का भाव बना रहा है। वस्त्रों पर रंगांकन में मुख्यरूप से चांद-तारे, स्वास्तिक, कमल, शंख फूल-पत्तियां आदि के साथ ज्यामितीय रूपाकारों जिसमें त्रिभुज, वृत्त, षटकोण, आयत, वर्ग, आदि के प्रयोग से छापांकन व रंगांकन को पूर्ण किया जाता है। यहां प्रचलित छापांकन व रंगांकन में रंग व रंगत तथा प्रतीक रूप के आधार पर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि लाल या पीला रंगत का वस्त्र किस समुदाय व वर्ग से संबंधित है। यहीं पहचान महिलाओं के वस्त्रों में संयोजित आकार प्रकार व बेल-बुटों के आधार पर की जाती है।

प्रतीकात्मकता के इसी क्रम में मेवाड़ में प्रचलित लोक व पारम्परिक कलाओं में प्रतीक रूपों का कुशलता से संयोजन देखा जा सकता है। ये प्रतीक रूप चाहे पुरातन कला से जुड़े रहे हो या लौकिक व पारम्परिक कला रूपों से, विषय व कलागत भावों की अभिव्यञ्जना के लिए सभी पारम्परिक कला माध्यमों में प्रतीक भावों का महत्वपूर्ण संयोजन दिखाई देता है। मेवाड़ की पारम्परिक कला में प्रतीक चिन्हों का प्रयोग वर्षों पूर्व से देखने को मिलता है आहाड़ कालीन सभ्यता से मिले मृदभाण्ड और धातुपात्रों पर प्रतीक चिन्ह के रूप में पानी से बनी लहरदार रेखाएं पाई गई हैं तो कहीं-कहीं वृत्त और त्रिभुज की आकृतियां भी बनी हैं। इन आकृतियों का भी अपना महत्व है जैसे वैष्णव मंदिरों में बनने वाले चित्रों एवं काष्ठ उपादानों में मुख्यतः कमल पुष्प व जमना नदी की लहरों को प्रतीकात्मकता से दर्शाया गया है।

मेवाड़ शैली की चित्रकला में प्रेमी-प्रमिकाओं को चंदा-चकोर, एक शाखा पर बैठे दो पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। बादल को संदेह वाहक के रूप में, कमल को लक्ष्मी के प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया गया है, स्वास्तिक को गति के रूप में, हाथ को ऐश्वर्य के रूप में, बांसुरी को कृष्ण के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। पारम्परिक कलाओं के तहत चित्रगत विधाओं में मेवाड़ की इन पारम्परिक कलाओं में कलाकार अपने प्रतीक

भावों को विविधता व रंगों के प्रयोग से दर्शाने के प्रयास से भावों के अनुरूप ही रंगों का प्रयोग कर पारम्परिक कला मूल्यों को विस्तारित करता है। मेवाड़ शैली में अनेक प्रतीकात्मक स्वरूप अपने भावोनुरूप चित्रित किये गये हैं जो अपनी विशिष्टता के लिए पहचाने जाते हैं।

इसी क्रम में पथवारी का आकार व उस पर रूपांकित लौकिक चित्रण का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि पथवारी का आकार-प्रकार जहां देवालय का प्रतीकात्मक आभास कराता है वहीं प्रतीक भाव में रूपांकित चित्रण व अलंकरण प्रतीकात्मक भाव रूपों की परम्परा का दिग्दर्शन कराते प्रतीत होते हैं। मेवाड़ में प्रचलित लोक व पारम्परिक कलाओं में प्रतीक रूपों का कुशलता से संयोजन देखा जा सकता है।

निःसंदेह इन लोक एवं पारम्परिक कलाओं में उपयोगित प्रतीकात्मकता का प्रेरणा स्थल मानव सभ्यताकालीन कलाएं तो हैं ही, वैदिक संस्कृति के तात्विक रूप एवं प्राकृतिक रूप-आकार व बिम्ब भी इन पारम्परिक कलाओं में भावाभिव्यञ्जना के रूप में प्रयोगित हुए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सम्मेलन पत्रिका, 1972, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ.सं. 160
2. गैरोला, वाचस्पति, 1963, भारतीय चित्रकला, मित्र प्रकाशन प्रा.लि. इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, वही, पृ.सं. 47
3. गोस्वामी, प्रेमचन्द, 1997, भारतीय कला के विविध स्वरूप, पंचशाली प्रकाशन, जयपुर, वही, पृ.सं. 68
4. सम्मेलन पत्रिका, 1972, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ.सं. 150।
5. माथुर, कमलेश, 2010, पारम्परिक कला एवं लोक संस्कृति, साहित्यकार, जयपुर, पृ.सं. 80
6. व्यास, राजशेखर, 1988, मेवाड़ की कला और स्थापत्य, राजस्थान प्रकाशन, जयपुर, पृ.सं. 70
7. माथुर, कमलेश, 1997, हस्तशिल्प कला के विविध आयाम, पंचशाली प्रकाशन, जयपुर, पृ.सं. 50

भारत के विभिन्न प्रांतों के नृत्य प्रधान लोकनाट्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. उषम वैष्णव*

*अतिथि व्याख्याता (विद्या सम्बल योजना) राजकीय महाविद्यालय, गोगुंदा, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति, सामाजिक-धार्मिक मान्यताएँ, रीति-रिवाज आदि भारत के विभिन्न प्रांतों में लोकनाट्य परंपराओं की विकास यात्रा की पोषक रही है। लोकनाट्य में नृत्य, संगीत एवं अभिनय के माध्यम से जीवंत अभिव्यक्ति होती है जो लोकमानस के सुख-दुःख, हर्ष-उल्लास, मनोरंजन, त्योहारों, उत्सवों आदि के अवसरों पर प्रकट होती है। 'वस्तुतः लोकनाट्य सामान्य जन (कलाकार) द्वारा सामान्य जन (आम आदमी) के लिए अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत सामान्य जीवन में सरल, सहज, स्वाभाविक, अनौपचारिक नृत्य, गीत और संगीतमय एवं लोकरंजक अभिव्यक्ति का नाम है।'¹

लोकनाट्य की परंपरा संस्कारों से ओत-प्रोत युगों पुरानी है। इसमें मानव जीवन के हर्षोल्लास, विषाद, सुख-दुःख, निराशा आदि की अभिव्यक्ति होती है। श्री राम नारायण अग्रवाल ने लोकनाट्य के संबंध में लिखा है कि 'नाटक के पंचम वेद के उदय के पूर्व भी यहाँ लोकधार्मी नाट्य परंपराएं अपना रूप ग्रहण कर चुकी थी जिन्होंने नाटक के पंचम वेद की वेदी की निर्माण शीला का काम किया।'²

भारत के विभिन्न राज्यों की गौरवशाली व समृद्ध परंपरा को अभिव्यक्त करने में विभिन्न लोकनाट्य परंपराओं जैसे- गुजरात में भवाई, केरल में यक्षगान, राजस्थान में ख्याल तथा गवरी, बंगाल में जात्रा, महाराष्ट्र में तमाशा, उत्तरप्रदेश में रामलीला तथा रासलीला, छत्तीसगढ़ में नाचा, बिहार में बिदेसिया और किरतनिया, आंध्रप्रदेश में कुचिपुडी, तंजौर में दसावतार, हिमाचल प्रदेश में कलियाला, मध्यप्रदेश में माच आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकनाट्य की उत्पत्ति लोकरंजन के लिए हुई है।

भारत के विभिन्न प्रांतों के लोकनाट्य को नृत्य, संगीत तथा अभिनय के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। (1) नृत्य प्रधान लोकनाट्य वह होते हैं जिसमें नृत्य की प्रधानता होती है जैसे- गवरी, रासलीला, कुरवंजी, विदेसियां, किरतनिया, अंकिया नाट, नाचा आदि है। (2) संगीत प्रधान लोकनाट्य में लोक संगीत एवं शास्त्रीय संगीत की बहुलता देखी जा सकती है जिसमें तमाशा, रामलीला, जात्रा आदि लोकनाट्य आते हैं। (3) अभिनय या स्वांग प्रधान लोकनाट्य में स्वांग (सांग) या नकल की प्रधानता होती है जिसमें एक या एक से अधिक पात्र मिलकर अभिनय करते हैं। इन लोकनाट्य में बहुरूपिया, भवाई, स्वांग, भगत, नकल, जट-जटनी आदि लोकनाट्य को लिया जा सकता है।

गवरी प्रमुख रूप से एक नृत्य नाटिका है जो राजस्थान के दक्षिणी जिलों की आदिवासी जनजातियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 'गवरी का

मूल उद्भव सामूहिक नृत्य से ही हुआ है। इस सम्बन्धी किवदंतियों में नृत्य की प्रधानता के कई तत्व मिलते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार कहे जाते हैं-

1. भस्मासुर मर्दन के बाद सभी देवताओं ने सामूहिक नृत्य का प्रायोजन किया। इसमें शिवजी ने भस्मासुर की शव का मुखोट धारण किया।
2. शिवजी की धुणी पर प्रतिदिन एक भील मूली लाया करता था। एक दिन शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे भगवा, चादर, खाण्डा एवं भस्मासुर की खोपड़ी देते हुये प्रतिवर्ष सामूहिक नृत्योल्लास करने के लिए कहा जो आगे जाकर गवरी रूप में प्रकट हुआ।
3. पार्वती के पीहर चले जाने पर शिवजी बड़े दुखी हुए। उनका मन बहलाने के लिये भीलों ने नृत्य का आयोजन किया। इसमें शिवजी ने भी भाग लिया। यही नृत्य गवरी का मूलधार बना।

उपर्युक्त कथा-किस्सों के मूल में नृत्य की प्रधानता पाई जाती है। सामूहिक आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति का नृत्य ही एक मात्र प्रमुख आधार रहा है। इस दृष्टि से गवरी में यदि सामूहिक नृत्य की प्रधानता देखी जाती है तो कोई आश्चर्य नहीं।'³

गवरी का मुख्य कथानक शिव-भस्मासुर है। विश्वनाथ शर्मा के अनुसार 'इसमें शिव-भस्मासुर और गौरी की मूल कथा है।'⁴ इस लोकनाट्य में नृत्य के साथ ही संवाद, वार्तालाप और गायन का अद्भुत संयोग दृष्टिगत होता है। यह लोकनाट्य प्रतिवर्ष रक्षाबंधन (श्रावण मास की पूर्णिमा) के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर लगातार सवा महीना खेला जाता है। इसके कलाकार विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। यह कलाकार सवा महीने तक ना तो स्नान करते हैं और ना ही घर जाते हैं। इस लोकनाट्य का प्रमुख केंद्र उदयपुर माना जाता है जहाँ पर जगह-जगह गवरी का आयोजन किया जाता है। गवरी लोकनाट्य में आदिवासी संस्कृति की झलक मिलती है। इसमें शिव-भस्मासुर के साथ ही अन्य कथानक भी बीच-बीच में मंचित किए जाते हैं।

'गवरी नृत्य नाटिका के प्रमुख अंक (कथानक) गणपति वंदना, भरवया-भंवरी, गोमा मीणा, कालूकीर, कान गुजरी, भिलावनी, देवी अम्बा, बादशाह की फौज, बंजारा दाणी, खेतुडी, खडल्या भूत, कालबेलिया, नट, शंकरिया, सोन मुर्गा, जोगिया की जमात आदि होते हैं। अंतिम कथानक नार-कालका माता व शिव-गौरी रहता है। ये सभी दृश्य गौण पात्रों द्वारा मंचित होते हैं। मुख्य पात्र राई, बुढ़िया, भोपा व पुजारी है जो मध्य में रहते हैं। इनके द्वारा पूरे दिन के मंचन में समय-समय पर योगदान होता है। इन समस्त छोटे-छोटे अंकों से भरपूर मनोरंजन भी होता है साथ ही सामाजिक जीवन से उठाए गए पहलू भी इसमें होते हैं।'⁵

इस तरह गवरी लोकनाट्य में जीवंत नृत्य के माध्यम से पौराणिक, ऐतिहासिक व वर्तमान की जीवन धर्मिता का अनोखा संगम दृष्टिगत होता है। यह लोकनाट्य मात्र मनोरंजन और आजीविका का साधन ना होकर धार्मिक कर्तव्य को प्रस्तुत करते हैं। 'गवरी धारण करने के पीछे मात्र मनोरंजन का उद्देश्य ही नहीं रहा और न आजीविका उपार्जन की भावना ही दृष्टिगोचर होती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने धार्मिक कर्तव्य की संपूर्ण थी तथा बाबा भैरवनाथ (शिव) को रिझाकर गांव की खुशहाली, जाति की सुरक्षा एवं रोग, शोक, दुःख, दरिद्र तथा दुर्भिक्ष से छुटकारा पाने का रहा है। नाटक की समाप्ति के बाद प्रतिदिन भैरव के देवरे पर रात्रि जागरण कर उसकी आराधना में लीन रहने के पीछे भी यही भावना बलवती रूप से देखी जाती है।'⁶ यह लोकनाट्य नृत्य की अद्भुत कलाबाजियों के साथ ही पौराणिक व तत्कालीन समस्याओं को भी अपने में समाहित करता चलता है।

बिदेसिया बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। इस लोकनाट्य का प्रारंभ भवानी माता की वंदना से किया जाता है। इसमें कलाकार भाव विभोर कर देने वाला नृत्य करते हैं तथा साथ ही मधुर संगीत की धुन, वाद्य यंत्रों की ताल भी विद्यमान रहती है। इसका सौंदर्य मंच पर देखते ही आकर्षित करने वाला होता है। नर्तक अपनी कुशलता से कथा को गूँथे रहता है। इस लोकनाट्य में लोक प्रचलित गीतों, पश्चिमी बिहार के ग्रामीण जीवन का यथार्थ वर्णन तथा मेघदूत से लेकर आधुनिक समय की विरहणी नायिकाओं का चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। 'पश्चिमी बिहार का बिदेसिया भोजपुरी क्षेत्र की विलक्षण अभिव्यंजना है। इसके प्रणेता एक प्रतिभाशाली ग्रामीण श्री भिखारी ठाकुर अर्धशिक्षित होते हुए भी भोजपुरी क्षेत्र की लय-ताल इंकृत भूमि से अनुप्राणित हुए।'⁷

बिहार के प्रमुख भोजपुरी लोकनाट्य के आचार्य भिखारी ठाकुर के कारण यह लोकनाट्य बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी मंचित किया जाता रहा है। इस लोकनाट्य को प्राणवान बनाने का तथा अखिल भारतीय चर्चा दिलाने का श्रेय भिखारी ठाकुर को ही जाता है। बिदेसिया शब्द का सामान्य प्रयोग विदेश गमन या प्रदेश में रहने वाले पति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 'इसमें नायक के विदेश गमन की कथा और फिर नायिका की विरह कथा का प्रदर्शन होता है।'⁸

भिखारी ठाकुर ने बिदेसिया की रंग-परिकल्पना में मंच को विशिष्ट स्थान दिया है। 'बिदेसिया की रंग शैली लोक प्रचलित संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को लेकर भी खासी चर्चित रही। मंच मुक्ताकाशी के रूप में प्रायः गाँव के किसी चौराहे या मंदिर के किसी प्रांगण में बांस के खम्भों से दस-बारह फुट ऊँचा बनाया जाता है। यह मंच चौकियों को जोड़कर बनाया जाता है जो चारों ओर से खुला होता है। मंच साधारण सज्जा वाला होता है और इसकी व्यवस्था में बैकग्राउंड व सिनयरी नहीं होतेय ग्रीनरूम के रूप में कोई अलग तम्बू (टेंट) मिल जाता है तो ठीक है, वरना तथाकथित मंच या रंगभूमि पर ही रूप-सज्जा और परिधान परिवर्तन हो जाता है घे पेट्रोमैक्स और डे-लाइट जलाकर स्थान-स्थान पर टांग दिए जाते हैं। यहीं खुला मंच भोजपुरी लोकनाट्य बिदेसिया की नींव रखता है।'⁹

भिखारी ठाकुर ने कई लोकनाट्य के कथानको का सृजन किया है जिसमें बिदेसिया, विधवा विलाप, दामाद वध, भाई विरोध, गंगास्थान, ननंद भोजाई संवाद आदि प्रमुख हैं। 'भिखारी ठाकुर की अपनी रचनात्मक क्षमता और सामाजिक विषयों, ताजा समस्याओं, विशेषकर नारी केंद्रित शोषण, व्यथा और गीतात्मक सौंदर्य और छंदों के कारण भोजपुरी बोली

की लायात्मकता के कारण इनकी शैली बिदेसिया कहलाने लगी।'¹⁰

अंकिया-नाट असम का जनप्रिय पारंपरिक लोकनाट्य है। यह विशेषरूप से नृत्य प्रधान लोकनाट्य है। यह नृत्य आज भी असम की ग्रामीण अंचलों में श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ खेला जाता है। इसे वैष्णव नाटक के रूप में भी जाना जाता है। इसके प्रणेता प्रसिद्ध वैष्णव संत श्री शंकर देव जी हैं जिन्होंने समाज में उच्च नैतिक आदर्शों को इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जैसा कि उसके नाम से ही विदित होता है अंकिया अर्थात् जो नाटक एक अंक का हो वह अंकिया कहलाता है। डॉ. सत्येंद्र नाथ ने इसके संबंध में कहा है कि अंकिया एक विशेषण शब्द है (अंक+इया), इसके साथ नाट शब्द जोड़कर अंकिया नाट शब्द प्रचलन में आया।

यह लोकनाट्य मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित होता है। इसमें भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण से संबंधित विभिन्न प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही इसमें मुकुट को धारण करने की परंपरा भी रही है जिसमें गणेश जी, रावण, गरुड, ब्रह्मा, असुर आदि चरित्रों के चेहरों के मुकुट धारण किए जाते हैं। इसमें एक सूत्रधार होता है जो कि गायक नर्तक, परिस्थिति व्याख्याकार, निर्देशक आदि सभी की भूमिका निभाता है।

'इस लोकनाट्य में शास्त्रीय परम्पराओं का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। सूत्रधार नांदी पाठ, पात्रों की सूचनाएं एवं अंत में भरत वाक्य सभी कुछ शास्त्रीय नियमों के अनुसार होते हैं।'¹¹ यह लोकनाट्य मंदिरों, मठों आदि में प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ लोगों की धार्मिक मान्यताएँ, धार्मिक भावनाएँ, आस्थाएँ जुड़ी हुई होती है। इसमें सर्वप्रथम गायन के पश्चात सूत्रधार नृत्यमयी अदायगी में प्रस्तुति देता है।

कुरवंजी एक नृत्य प्रधान लोकनाट्य है जो कि आंध्रप्रदेश के पहाड़ी आदिवासियों द्वारा खेला जाता है। 'दक्षिणी भारत में एक पहाड़ी जाति है कौरव, जिसके द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले नृत्य को कुरवंजी या अंजु नृत्य कहा जाता है।'¹²

यह नृत्य मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा मंचित किया जाता है। इसमें गणेश वंदना का उद्घोष होता है। इसके साथ ही इस लोकनाट्य का मंचन प्रारंभ हो जाता है। श्याम परमार इस लोकनाट्य के संबंध में लिखते हैं कि 'इसमें पुरुषों का अभाव रहता है। लगभग 6 या 7 स्त्री पात्र मिलकर इसका अभिनय करती है। रंगस्थल मंदिर का खुला प्रांगण तथा प्रेक्षकों के बीच में खुला स्थान होता है। परंपरागत रूप से कातियकार नाटक की उद्घोषणा करता है। उद्घोषण के पूर्व गणेश की वंदना की जाती है, तत्पश्चात नायिका अपनी सखी के साथ प्रवेश करती है। इस लोकनाट्य में गायक कभी भी मंच पर नहीं आता है। हास्य के लिए कभी-कभी सिंगी का पति सिंगा अपनी पत्नी को खोजता हुआ मंच पर आकर श्रोताओं का मनोरंजन करता है।'¹²

किरतनिया लोकनाट्य पूर्ण भक्ति भावना के साथ बिहार में मंचित किया जाता है। इसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। लोकनाट्य में नृत्य के साथ ही ढोलक, झांझ, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। कीर्तन शब्द का प्रयोग भगवान का नाम और उसकी लीला के गायन के लिए होता है। संभवतः जब उसमें चाक्षुक प्रदर्शन जोड़ दिया गया तो उसे किरतनिया संज्ञा मिली।'¹⁴

'कुछ विद्वान इस नाट्य को किरतनिया नाट्य ना मानकर नाच मानते हैं और कुछ नाट्य रूप में। परंतु मात्र नाम में अंतर आने से इसकी विषय वस्तु

में कुछ विशेष अंतर नहीं आता।¹⁵ किरतनिया लोकनाट्य में भगवान श्रीकृष्ण और राम से संबंधित विभिन्न प्रसंगों को आधार बनाकर लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है। इसमें परिजात हरण, रुक्मणी हरण, सीता स्वयंवर, राम विजय, अर्जुन भंजन, राम झूमर, केलीगोपाल, कालियदमन आदि बहुत से प्रसंग लोकप्रिय हैं। इस लोकनाट्य में भारतीय जीवन की धार्मिक, पौराणिक तथा सांस्कृतिक झलक दिखाई देती है। 'दरभंगा के महेश ठाकुर ने किरतनिया को विशेष प्रसिद्ध किया। इसमें कृष्ण एवं शिक्षा से संबंधित पौराणिक लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है।'¹⁶

रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकनाट्य का एक प्रमुख अंग है। आज देश-विदेश के विभिन्न हिस्सों में इसका मंचन किया जाता है। इस लोकनाट्य में नृत्य-संगीत की मधुरता के साथ ही श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं का मंचन किया जाता है। रासलीला का नायक कृष्ण और विदूषक मनसखा कहलाता है। यह मनसखा ग्वाल-बालों तथा गोपियों का मनसखरा होता है। रास के अभिनेता रासधारी कहलाते हैं।¹⁷

इस लोकनाट्य में गोपियां श्रीकृष्ण के साथ मिलकर नृत्य-गान करती हैं। इस लोकनाट्य में शृंगार, भक्ति रस तथा आध्यात्मिकता की प्रधानता रहती है। इसमें धर्म, उपदेश, प्रेम तथा मनोरंजन का अनोखा संगम देखा जा सकता है। इसके पात्रों में कृष्ण-राधा, गोपियां आदि होती हैं जो कि गंभीर संवादों के माध्यम से नृत्यगान तथा मंचन करती हैं। राधा-कृष्ण का द्वंद्व नृत्य इसकी प्रमुख विशेषता है।¹⁸

रासलीला के अंत में श्रीकृष्ण और राधा की युगल छवि की आरती की जाती है तथा सभी की मंगलकामना की जाती है। यह लोकनाट्य भारत की सांस्कृतिक पहचान को बनाए हुए हैं जिसमें आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक चेतना तथा प्रेम का सौंदर्य दिखलाई देता है। नृत्य, संगीत के द्वारा रास में रस की वर्षा होती है। इस कारण ही इसे रास कहा जा सकता है। श्रीमद्भागवत गीता के टीकाकार श्रीधर स्वामी ने 'रासो नाम बहु नतुकी युक्तः नृत्य विशेषः अर्थात् अनेक नर्तकियों द्वारा संपादित नृत्य विशेष ही रास कहा है।'¹⁹

नृत्य प्रधान लोकनाट्य में भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है साथ ही ये भारत की धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि परंपराओं के वाहक भी है। नृत्य प्रधान गवरी जहाँ राजस्थान की संस्कृति को प्रस्तुत करने वाली एक महत्वपूर्ण लोकनाट्य परंपरा है उसी प्रकार बिहार की महत्वपूर्ण लोकनाट्य परंपरा बिदेशिया और किरतनिया भी नृत्य आधारित लोकनाट्य हैं। अंकिया नाट लोकनाट्य परंपरा असम के लोक जीवन को प्रस्तुत करने वाली नृत्य पर आधारित नाट्य परंपरा है। रासलीला आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के समस्त हिस्सों में मंचित की जाती है। इस प्रकार भारत के विभिन्न प्रांतों के नृत्य प्रधान लोकनाट्य परम्पराओं में भारतीय जीवन और संस्कृति को नृत्य अभिनय के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. जयदेव तनेजा : आधुनिक भारतीय नाट्य विमर्श, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृ. 65
2. रामनारायण अग्रवाल : संगीत : एक लोकनाट्य परंपरा, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, 1976 पृ. 13
3. महेंद्र भाणावत : लोकरंग, अनुसंधान विभाग, भारतीय लोककला मण्डल, उदयपुर, 1971, पृ. 127
4. विश्वनाथ शर्मा : हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास, उषा पब्लिशिंग हाउस, जोधपुर, 1979 पृ. 139
5. वंदना जोशी : भील नृत्य नाटिका, गवरी, पृ. 57
6. महेंद्र भाणावत : लोकरंग, अनुसंधान विभाग भारतीय लोककला मण्डल, उदयपुर, 1971, पृ. 131-132
7. रेखा दास : बिहार के लोकनाट्य की प्रमुख शैलियों का विवेचन, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली 2003, पृ. 31
8. विश्वनाथ शर्मा : भारतीय और पाश्चात्य नाट्य सिद्धांत, कुसुम प्रकाशन, मुजफ्फरपुर 2003, पृ. 242
9. राकेश डबरिया : जनकृति अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, मई-जून 2017, वर्ष-3, अंक 25-26
10. गिरीश रस्तोगी : बीसवीं शताब्दी का हिंदी नाटक और रंगमंच, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली 2004, पृ. 26
11. श्रीराम शर्मा : लोक साहित्य सिद्धान्त और प्रयोग, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा 2008, पृ. 146
12. हरदीपकौर समरा : हिंदी नाटक और रंगमंच में लोकतत्त्व, अनुराधा प्रकाशन नई दिल्ली 2017, पृ. 78
13. श्रीराम शर्मा : लोक साहित्य सिद्धान्त और प्रयोग विनोद, पुस्तक मंदिर, आगरा 2008, पृ. 145
14. हरदीप कौर समरा : हिंदी नाटक और रंगमंच में लोकतत्त्व, अनुराधा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2017, पृ. 79
15. रेखा दास : बिहार के लोकनाट्य की प्रमुख शैलियों का विवेचन, संजय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 45
16. डॉ. लक्ष्मी नारायण भारद्वाज : रंगमंच लोकधर्मी नाट्यधर्मी, के. एल. पंचोरी, गाजियाबाद 1992, पृ. 20
17. शैलजा भारद्वाज : स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटक साहित्य में लोक तत्व, भारतीय कला प्रकाशन, दिल्ली 1998 पृ. 22
18. लक्ष्मी नारायण भारद्वाज : रंगमंच नाट्यधर्मी लोकधर्मी, के.एल. पंचोली. गाजियाबाद 1992 पृ. 2
19. हरदीप कौर समरा : हिंदी नाटक और रंगमंच में लोकतत्त्व, अनुराधा प्रकाशन. नई दिल्ली, 2017, पृ. 73

Advantages and Future of Digital Marketing

Dr. Balmukund Baghel *

*Principal, Govt. Polytechnic College, Narsinghpur (M.P.) INDIA

Abstract - Social media has also emerged as a simple and cheap medium of information exchange. Along with the use of computer in education, health office, whether listening to music, watching television, reading news, shopping online, To get information about an item, information about the company making the item, seller's information to make online payment, everything is becoming available in the hands of the person on the Internet i.e. on mobile, he does not need to wander anywhere, just the application should be running. Internet marketing, also known as digital marketing, has become an important means of connecting customers and accessing information in the field of business. And want to share the information related to their business with the public through internet, website etc.

Keywords- Social media, digital marketing, mail, NSE AND BSE, consumers, Product.

Introduction - The results of the concept of economic liberalization, privatization and globalization which started in the decade of 1991 are now being reflected in the ground very fast. Big changes are being seen in the field of information technology. There is hardly any area that is not using information technology, due to which the work has started getting done very fast, transparency has been promoted, people have started getting information faster and their life has become easier. Gradually, mobile technology is reaching the hands of every Indian living in India and being connected to the Internet, mobile technology is becoming a great tool of awareness. Now a person sitting in a remote area is exchanging messages with social media like Facebook, WhatsApp and is also slowly getting acquainted with the changes taking place in the global world and it takes a certain time to run these mediums. Also spends. Everyone is slowly joining this digital revolution. Social media has also emerged as a simple and cheap medium of information exchange. Along with the use of computer in education, health office, whether listening to music, watching television, reading news, shopping online, To get information about an item, information about the company making the item, seller's information to make online payment, everything is becoming available in the hands of the person on the Internet i.e. on mobile, he does not need to wander anywhere, just the application should be running. Internet marketing, also known as digital marketing, has become an important means of connecting customers and accessing information in the field of business. And want to share the information related to their business with the public through internet, website etc. And

this is the beginning of digital marketing. Today market gurus are resorting to channels like Facebook, WhatsApp, Instagram, and YouTube for market research, consumer interest, fashion information, advertising of their products.

What is Digital Marketing?

Digital marketing includes all marketing efforts using electronic devices or the Internet. Businesses take advantage of digital channels such as search engines, social media, email and their websites to connect with current and potential customers. It is known as 'online marketing', 'internet marketing' or 'web marketing'. Digital marketing is defined by the use of multiple digital strategies and channels to connect with customers where they spend most of their time online. From the website to the online branding assets of the business – digital advertising, email marketing, online brochures, and beyond – there is a spectrum of strategies that fall under the umbrella of "digital marketing".

I. Example- How digital marketing works, it is important to understand it through an example, from this it will be understood that how digital marketing actually works in the ground like NSE AND BSE STOCK EXCHANGE in stock market a public limited company listed in India Is Brightcom Group. The Brightcom Group is a digital marketing company founded in 2000 and headquartered in Hyderabad, India with offices in US, Argentina, Brazil, Chile, Uruguay, Mexico, UK, France, Germany, Sweden, Ukraine, Serbia, Israel, China, India, and Australia, and with representatives or partners in Poland, and Italy

This company Brightcom Group consolidates Ad-tech, New Media and IoT based businesses across the globe,

primarily in the digital eco-system. Clients include leading blue chip advertisers like Airtel, British Airways, Coca-Cola, Hyundai Motors, ICICI Bank, ITC, ING, Lenovo, LIC, Maruti Suzuki, MTV, P&G, Qatar Airways, Samsung, Viacom, Sony, Star India, Vodafone, Titan, and Unilever. Publishers include Facebook, LinkedIn, MSN, Twitter, and Yahoo! Brightcom works with agencies like Havas Digital, JWT, Mediacom, Mindshare, Neo@Ogilvy, Ogilvy One, OMD, Satchi&Satchi, TBWA, and ZenithOptiMedia, to name a few.

The Brightcom consumer products division is focused on the IoT. COMPANY's LIFE product is dedicated to the future of communication and information management in which everyday objects will be connected to the Internet, also known as the "Internet of Things" (IoT).

There are many companies in the world including India that are working to provide services of digital marketing and generating good revenue. If we talk about Bright Com Group, then in the last five years, the company has generated a large amount of revenue. This is as follows -

Yearly Results Of Bright com Group (In Rs. Cr.)	Mar '21	Mar '20	Mar '19	Mar '18	Mar '17
Net Sales/ Income from operations	2,855.80	2,692.32	2,580.24	2,420.74	2,451.32

SOURCE- <https://www.moneycontrol.com/financials/brightcomgroup/results/consolidated-yearly/LGS#LGS>

II. Digital Marketing Tactics- A digital marketer is a professional person or group of individuals who are fully aware of the modern tools and equipment of information technology, their reach and importance, using their experiences to help each digital marketing campaign achieve their broad goals. Does. And depending on the goals of their marketing strategy, marketers can support larger campaigns through the free and paid channels at their disposal. Suppose a company has to advertise its product which has just been launched in the market and also has to give information about other products made by the company, then it can give complete information by becoming a page in Facebook or for free service.

***search engine optimization:** the process of maximizing the number of visitors to a particular website by ensuring that the site appears high on the list of results returned by a search engine.

"The key to getting more traffic lies in integrating content with search engine optimization and social media marketing".

***Social Media Marketing:** Social media marketing is the use of social media platforms and websites to promote a product or service. The channels you can use in social media marketing include Face book, Twitter, LinkedIn,

Instagram, Snap chat, Pinterest, and Google+.

***Content marketing:** Content marketing is a form of marketing focused on creating, publishing, and distributing content for a targeted audience online

***Affiliate marketing:** Affiliate marketing is a type of performance-based marketing in which a business rewards one or more affiliates for each visitor or customer brought by the affiliate's own marketing efforts

***Native advertising:** Native advertising, also called sponsored content, is a type of advertising that matches the form and function of the platform upon which it appears. In many cases it functions like an advertorial, and manifests as a video, article or editorial.

***Marketing Automation:** Marketing automation refers to software platforms and technologies designed for marketing departments and organizations to more effectively market on multiple channels online and automate repetitive tasks.

***Pay-Per-Click (PPC):** Pay-per-click is an internet advertising model used to drive traffic to websites, in which an advertiser pays a publisher when the ad is clicked. Pay-per-click is commonly associated with first-tier search engines.

***Email Marketing:** Email marketing is the act of sending a commercial message, typically to a group of people, using email. In its broadest sense, every email sent to a potential or current customer could be considered email marketing. It involves using email to send advertisements, request business, or solicit sales or donations

***Inbound Marketing:** Inbound marketing is a business methodology that attracts customers by creating valuable content and experiences tailored to them. While outbound marketing interrupts your audience with content they don't always want, inbound marketing forms connections they are looking for and solves problems they already have.

***Online PR:** (E-PR, Digital PR) refers to the use of the internet to communicate with both potential and current customers in the public realm.

Advantages of Digital Marketing - With the changing times, it is necessary to change the business organizations, businessmen and all the institutions associated with the business world and they should definitely adopt digital marketing because it is the simplest. There is a cheap, modern means, the advantage is as follows –

I. Low cost - Marketing and advertising costs are one of the largest financial burdens that businesses have to bear. While large businesses do not have much trouble with marketing and advertising, but for small businesses, it is impossible or unbearable. The medium of digital platform is suitable and effective medium for such businesses. You can advertise on Facebook by creating a page for free.

II. Huge return on investment- Nothing matters more to a business than the return on the investment it makes. Digital marketing offers a substantial return on small investments.

III. Easy to measure- The success or otherwise of a digital

campaign can be easily traced. Compared to traditional methods where you have to wait weeks or months to evaluate the veracity of a campaign, with a digital campaign you can know almost immediately whether an ad is performing or not.

IV. Easy to adjust- The knowledge of the performance of an ad will inform a business on how to proceed. For an ad campaign that is performing well, it is easy to invest more in it with just a click. But for an ad that is not delivering as expected, it can be adjusted accordingly or stopped altogether with ease.

V. Target Audience - If you have made a product for a particular age group, you want to include that attribute in the advertisement as Target Audience, then it is easily possible in digital marketing.

VI. Brand development - Businesses can use their digital platforms to build their company's brand and reputation. A well-developed website, a blog featuring quality and useful articles, a social media channel that is highly interactive are some of the ways by which a business can build its brand.

VII. Global reach – a website allows you to find new markets and trade globally for only a small investment.

VIII. Personalisation – if your customer database is linked to your website, then whenever someone visits the site, you can greet them with targeted offers. The more they buy from you, the more you can refine your customer profile and market effectively to them.

IX. Social currency – digital marketing lets you create engaging campaigns using content marketing tactics. This content (images, videos, articles) can gain social currency - being passed from user to user and becoming viral.

X. Improved conversion rates – if you have a website, then your customers are only ever a few clicks away from making a purchase. Unlike other media which require people to get up and make a phone call, or go to a shop, digital marketing can be seamless and immediate.

Future of Digital Marketing- The widespread use of information technology in India has started from the last decade, in other words, information technology is just beginning in India and the first phase is going on now. Right now only the trailer is visible, the complete picture is yet to be made, so there is no doubt that there will be any hindrance in digital marketing, but this business is sure to grow at quadruple speed day by day. Applied in the industrial field 4.0 technology is yet to be fully realized, it is only just beginning to spark a revolutionary change in the field of digital marketing. Marketing is and will be beneficial.

Conclusion- Digital marketing is currently becoming an essential part of business, as awareness is increasing, businessmen and entrepreneurs are adopting it because it is the cheapest, simple, easy medium that is connected to the mobile, which can be seen with a single click. In conclusion, it can be said that digital marketing in India is still in its early stages and this field will see a revolutionary change in the next decade, which will provide support to the business and will prove to be a boon for the new-entrepreneurs. Digital marketing is beneficial and It will be beneficial, its future is very bright.

References:-

1. <https://www.moneycontrol.com/financials/brightcomgroup/results/consolidated-yearly/LGS#LGS>
2. <https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-digital-marketing>
3. The Economic Times <https://economictimes.india.com>
4. <https://money.bhaskar.com/>
5. The Financial Express: <https://www.financialexpress.com>
6. Bala M., Verma D." A Critical review of Digital Marketing," www.ijmrs.us,
7. Booms, B. H. and Bitner, M. J., 1981. Marketing strategies and organization structures for service firms. Marketing of services, 25(3), pp.47-52

Business Restructuring Strategies for Small and Medium Enterprises in India and Taxation Reforms : A Review

CA. Pankaj Shah* Dr. Rajendra Sharma**

*Research Scholar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

**Professor, PMB Gujarati Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

Introduction - Growth of any organization can be wither organic or inorganic wherein if the same is as a result of internal strategies of realignment of capital or operational within same structure it is regarded as organic. On the other hand if the growth is sought to be achieved through reorganization strategies by way of Mergers, Demergers, conversion of structure to increase the speed of growth the same would be inorganic.

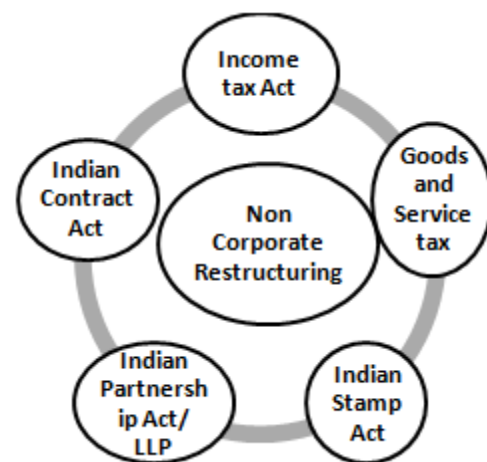
Business restructuring has been very popular and an interesting topic as the results of such exercise has resulted in value addition for the entrepreneurs by mending the ways of business, assets or structure. Past literatures study the determinants that affect firms on choosing restructuring strategies. In other words, firm's choices of restructuring strategies are subject to lots of factors. Restructuring of businesses is used as a management tool to address the financial and functional difficulties in times of recession and economic slowdown. From restructuring the entity aims at achieving efficiency and wealth maximization. But before designing the restructuring strategy a diagnosis of the hindrances in existing structure needs to be carried out. The diagnosis will be very useful in deciding the optimum organizational structure and taking strategic business decisions which together are part of restructuring process (Mavlutova, 2011).

Drivers of Business Restructuring (source: Joshi et al) (see in last page)

Joshi et al has discussed various drivers of restructuring in their review work.

Lot of research has been carried out on corporate part of this topic however less work has been with respect to Small and medium non corporate entities. This review concentrates on both corporate and non-corporate restructuring studied till date from various perspectives. This Review highlights that major research in corporate restructuring has been done on mergers and acquisitions of large and listed enterprises however the issues in fast track mergers and restructurings of small and medium enterprises required further research.

Non Corporate Restructuring

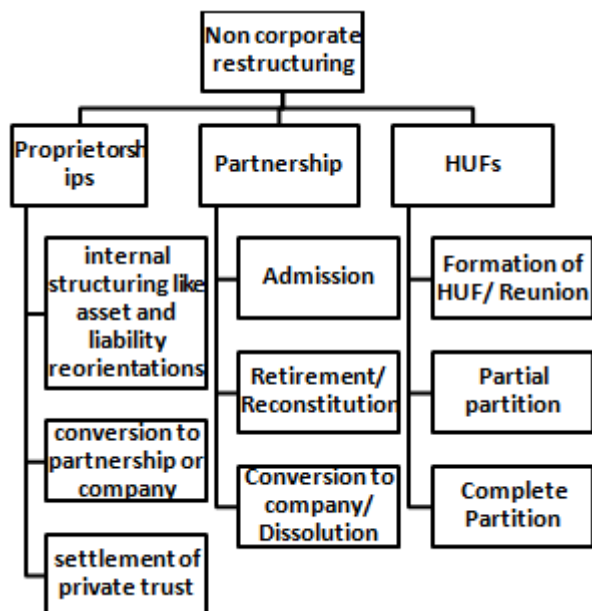


Not much has been researched on non corporate restructuring which essentially deals with proprietorships and partnerships which are key players in Micro small and medium enterprises sector. **Report of the Expert Committee on Micro, Small and Medium Enterprises** issued by Reserve Bank in the year 2019 has raised concerns over restructurings (mostly internal like debt restructuring, assignment, conversions, asset realignment) of these entities under the Insolvency and Bankruptcy Code and even suggested for assistance to them in form of mediation and debt counseling. The report also highlights the inherent risks in their structure where the business gets closed or discontinues due to death, illness of proprietors. Also in absence of any unique identifier in such cases the monitoring is also difficult for such SME non corporate. Partnerships are common MSME's where liability of partners is unlimited and every partner is an agent of other partner and of the firm. Interestingly unlike companies it is the partnership agreement/contract which prevails over statutory provisions of Indian Partnership Act. Restructuring is convenient in partnerships as the same can be executed by agreement between the partners to restructure the control, sharing of profits, decision making, entry and exit, borrowing powers, asset holding, etc.

It is interesting to note that the multinational startups

of India **Flipkart and Snapdeal** started their business as sole proprietorships and using effective restructuring strategies have expanded in leaps and bounds. Similarly **Mahindra and Mahindra, Maruti Suzuki, Renault India** and many other industry giants started as registered partnerships and restructured themselves.

Institute of Company Secretaries of India in publication on '**Setting Up Of Business Entities And Closure**' has discussed the legal facets of these structures and restructuring strategies. It highlights the characteristics of simplicity, quick formation and fast decision making and less legal formalities which are regulated by local administration and not by big regulators like Registrar of Companies, SEBI, RBI, etc. Further it is not mandatory for structures like partnerships to register and can start the operations immediately on executing the deed and opening of bank account. Restructurings of such non corporate can be done in following ways

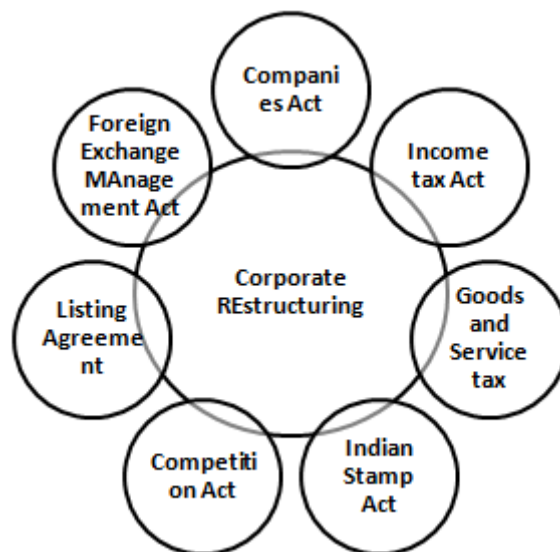


Ministry of External Affairs has brought out a publication on "**Doing Business in India - Guide for Indian Diaspora**" which has also discussed the non corporate like proprietorships, partnerships are popular structures for carrying out business ventures in India and there is a huge potential of restructurings to unleash the global opportunities after opening up of economy post year 1991 liberalization. Non residents can also invest through partnerships, liaison offices, branches and joint ventures to carry out business in India. **Report of State Bank of India issued in 2022** has revealed that Proprietorship firms and Partnership firms have been significantly benefitted due to debt restructuring under Extended Credit Loan Guarantee scheme launched in view of COVID.

With regard to proprietorship the capacity to sue and file recovery proceedings have been discussed in various jurisprudence in **Neeta Saha's** case in context of Insolvency

Code. The report of **Banking Law Reforms Committee** has also suggested for a proper uniform legal framework to bring certainty for proprietorships and partnerships. The Committee recognised the inevitable role of these entities acting predominantly as MSME and brought focus on the wider problems of these non corporate entity structures.

Corporate Restructuring



New Companies Act – a catalyst to restructuring- Companies Act 2013 is an important piece of enactment which regulates the companies and body corporate. Under the earlier Companies Act, 1956 ("1956 Act"), all mergers and amalgamations required court approval. The Companies Act, 2013 ("2013 Act") provides that mergers and amalgamations between two or more small companies or between holding companies and its wholly-owned subsidiary (or between such companies as may be prescribed) does not require court approval. **Zou and Simpson (2008)** have analyzed cross-border M&As using industry level data and found that economic policy reforms persuade the level of acquisition activity and the above finding may also be tested in Indian scenario in context of small and medium firms.

The impact of new Companies Act enacted in the year 2013 was analysed on Corporate restructuring by **Nirmala (2014)**. The paper discussed the progressive and forward looking provisions of new Act which provided an impetus to the corporate restructuring. Simpler and faster form of mergers were first time introduced in form of Fast track merger process which required less approvals and impact of this was reduction in costs and compliance. Cross border mergers earlier were only one sided that is foreign companies could merge in Indian companies but the new provisions of outbound merger where now under the new Act Indian companies could also be merged in foreign companies was seen as a solution for foreign investors looking for exit route apart from overseas listing and migration of ownership abroad through merger. Merger of

listed and unlisted companies provided under new Act has introduced a safeguard for smaller investors with clear valuation regulations. Similar valuation requirements have been introduced to give a shield of fairness to small shareholders in case of minority buyouts.

Savitha and Ganeshmurthy (2020) have highlighted the importance of corporate restructuring in today's times to be an important tool for increasing the wealth of shareholders through inorganic strategies like mergers, acquisitions, demergers. Such strategies are engines to expand vertically and horizontally as well as result in synergies by reducing cost and increasing efficiency. In modern times of competition owing to liberalization it is inevitable to restructure the Indian corporate legally, operationally, financially and from control perspective. Restructuring also acts as a safeguard from destruction or loss of control and preserve the value. The study has also focused on capital and debt restructuring and its effect. The success of restructuring affected from inherent limitations like complexity of stock markets, political and economic instability still lies in its implementation. The study has also considered the recent trends since the year 2015 explaining vital developments like relaxation of foreign investment norms by the Reserve Bank and introduction of Electronic Initial public offers by Securities and Exchange Board of India. The study has also drawn attention to the stumbling block for restructurings in telecom sector and Energy sector due to turbulence in mining and 2G spectrum issues.

Model of Corporate Restructuring

Nakamura (2005) is credited for designing a model of restructurings through mergers and acquisitions which is shown as follows. The below model gives an insight into the classes of restructuring from various basis. The study has discussed about all the models of restructuring in detail. (see in last page)

Tax considerations and impact

Rădulescu & Dîrvă (2018) have raised a very relevant question in their study as to the driving role of tax benefits from restructuring and its justification. The study discusses that tax is an important factor for keeping economy stable and tax strategies with restructuring may cause global instability. It discusses how tax evasion as a main objective of restructuring is dampened and anti abuse provisions are internationally been enacted to check the abuse. Restructuring should be done with objective of increasing value and have economic substance and not artificial devices to evade tax as directed by the European Court of Justice. The study throws much light on what constitutes purely artificial arrangements which are prohibited as aiming to evade tax through arrangements. Any transaction with commercial objective and substance being its driver would be prevented to be disregarded and would be upheld.

The literature review reveals that the work conducted by various researchers was in respect of earlier tax regime wherein the tax system was working on "look at" approach

however the legal evolvments are now geared with "look through" provisions. In **Petruzzi et al (1988)** and others stated that taxation is prone to be a reason for merger waves and advocated tax on dividend income arising from M&A. However **Bris et al** and others suggest that tax environment is the most important determinant of cross-country deals like alliances, joint ventures, mergers, acquisitions and takeovers. Of course, few accounting and economic researchers suggested that 'tax advantage' is one of the major reasons behind the progress in international deals. By contrast, the aforesaid researchers showed that a country's financial markets legal infrastructure, banking guidelines, taxation issues and political events would adversely affect deals, especially border-crossing investments and acquisitions (e.g. **Bris et al., 2008; Erel et al., 2012; Pablo, 2009; Rossi & Volpin, 2004; Schöllhammer & Nigh, 1984, 1986**).

Hasan has done specific research on tax implications of business reorganization schemes where he has explained the various methods of reorganizations. In his paper he has explained the favourable provisions of Income tax Act to encourage restructurings like

1. Capital gain exemptions on merger and amalgamations which qualify the conditions of the Act.
2. Availability of depreciation in hands of successor entity on restructuring
3. Availability of cost to previous owner and period of holding of previous owner to the successor entity as a result of succession
4. Carry forward of losses for fresh life of eight years after merger.

Various case laws have also been discussed in context of restructuring wherein arrangements and restructuring strategies were tested from tax neutrality perspective.

Recently restructuring through demerger of a passive infrastructure asset has been rejected by Gujarat High Court in case of VODAFONE ESSAR GUJARAT LTD (Company petition 189/2009) on the ground that the transfer of the passive infrastructure assets was not a demerger at all, but a gift of such assets to the transferee, as it was without consideration. It was held that the whole scheme was nothing but a device and a conduit intended solely to avoid payment of registration charges, income-tax and stamp duty. Accordingly the test is that the restructuring should have commercial rationale as primary objective to be disregarded as avoidance transaction.

Study of case studies of successful restructurings-In Kumawat and Bagari (2018) they have discussed the restructuring strategies of Sun Pharma which has a unique strategy to takeover and purchase badly performing companies and integrate them with it to yield synergies as it has done by buying out Ranbaxy for higher growth in short span of time. The hands were shaken at attractive valuation since Ranbaxy was suffering from regulatory issues from US FDA. The study also suggested that social

approval of a restructuring should be regulated by the government to ensure that employees and other factors of ecosystem are not worsened by restructuring.

Restructuring strategy through share repurchase or share buy back has been successfully implemented by Aptech Limited which is analysed by **Dave (2018)** whereby improvement in Earning per share (EPS) and market value was achieved by the Company. Whenever the shares of company are under valued a similar strategy can be adopted by carrying out a buy back which would improve the return on capital and ratios. In the instant case of restructuring of Aptech by buyback it is observed that the impact is not long term and is seen only in the year of restructuring though historically it is proved that the buyback has a positive impact on performance.

Sharma (2015) has carried out a study of Microsoft and Nokia deal where a part of Nokia was acquired by Microsoft under restructuring exercise aiming at reduction of losses for Nokia and to exploit the strengths and intangibles thereof by Microsoft. Before acquisition both the companies were working with Nokia making losses and Microsoft incurring high input costs but on acquisition of the business of supplier it created a win-win situation for both the companies. Access to technology and research, better capital structure, constant supply of inputs, certain tax benefits resulting from set off of carried forward losses with profits of business after merger has contributed to better governance and wealth maximization for the stakeholders.

One of the major corporate restructuring of Aditya Birla group has been discussed by **Rupam (2021)** where telecom deal of Vodafone and Idea are analysed with the Ultratech and Jaiprakash deal in cement sector. Aditya Birla group being nations top conglomerate with world's top cement facilities has carried out massive restructuring exercises from year 2015 to 2020 in cement and telecom sector. The merger of Vodafone and Idea was planned to combat with the competition posed by JIO for which a strong and large market share and reduction in costs was quintessential. This restructuring has improved their margin and infused growth of revenues resulting from optimization of capital employment and operational synergy. As regards the acquisition in Cement sector of Jaiprakash the Aditya Birla group has now access to the unexplored territories of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and adjoining areas. Operational synergies like technological upgradation, logistics and marketing network availability for Ultratech has contributed the AB group to become the leader of Cement business and achieve inorganic growth for long term. The vigilant approach of AB group by answering competition and economic threats from proactive restructuring has helped it outperform.

Corporate restructuring of Reliance is studied by **Dhingra and Aggrawal(2014)** which is one of the most aggressive group from restructuring point of view. All kinds

of restructuring strategies have been used by the group i.e. acquisition and merger of IPCL and Reliance Petrochemicals into Reliance Industries. Demerger and spin off of Reliance communications, Reliance energy, Reliance natural resources and Reliance capital from Reliance Industries Limited. It also used open offer strategy to buy out BSES. After the demise of Dhirubhai the effective family arrangement by division of group is also carried out in effective manner which has resulted wealthmaximization of shareholders of both groups. The study has suggested that besides the monetary aspect of restructuring due weightage has to be given to cultural and manpower integration post the restructuring for successful implementation.

One of the fastest growing group in India is Adani group which has also shown aggressive corporate restructuring in few years in a study by **Bansal and Bansal (2016)**. Initially the group cleared up its corporate structure to align it through asset transfers between distinct legal entities with separate businesses like Adani Enterprises and Adani Ports. For such strategies the company has used high leverage strategy with deconsolidation aim to make Adani power and Port business as distinct. The restructuring process has in most cases shown improved performance with better asset and capital restructuring. Restructuring of government electricity boards was also studied as they were making huge losses before Privatization reforms were enforced resulting in turnaround of such companies with better governance and operational efficiencies brought in by private sector.

Pandey and Verma (2012) have studied the Corus acquisition by Tata and implication from social and financial perspective. The human resource integration and financial viability have been evaluated through use of various statistical tools and analyses. The research reveals that the deal was aimed to increase the market share of Tata Steel by entering into international markets with the network of Corus and achieve cost efficiency through merger. The researchers have projected future revenues to predict significant increase in revenue of the combined entity. Also the threat created by high leverage and cultural integration of European and Indian management is also touched upon in the research.

D'Silva and Joseph (2013) had an occasion to study the debt restructuring strategy of Arvind Mills which resulted in improvement of margins and financial position of majority of group companies. The decline of business which has high capital employment sourced through debt resulted in financial crisis for the company which led to the decision of debt restructuring. In the debt restructuring the debt buyback was carried out at significant discount for some financial institutions while others agreed for rollover over a term. This restructuring reduced the finance cost significantly and resulted in revival of the company.

Maitra (2014) has analysed the Tech Mahindra and

Satyam merger to revive the software company after the massive Satyam scam which shook the corporate in India. The acquisition of Satyam by Mahindra Group being the highest bidder was followed by adopting a humane and empathetic policy for human resources which allowed autonomy of different verticals. This approach reduced the attrition level and even come back of old employees. The HR policy was the key driver of success of the integration of the deal and revival of Satyam.

Similarly **Nishith Desai (2020)** has in their paper on tax issues in M&A transactions have detailed the impact of various strategies and Income tax implications thereof. The paper also deals with cross border restructuring and transfer pricing implications, General anti avoidance Rules, anti abuse provisions applicable to restructuring transactions. Accounting and tax treatment of goodwill arising from restructuring is also studied and explained. Role of indemnity in such deals is also highlighted to meet against contingent tax liability in future after takeover.

Trends in Restructuring - Restructuring of Indian firms is in increasing trend to get the benefit of inorganic growth inspite of the turbulence created by Covid pandemic. Rather the pandemic has even more forced entities to restructure themselves to meet with the situation as the whole economy had suffered due to lockdown. A recent report by Price Waterhouse on Deals in India and outlook on restructuring activities has revealed interesting statistic which are shown in tabular form below:

Year	No. of deals		Value (in USD billion)	
	M&A	Private Equity	M&A	Private Equity
2017	432	932	29.50	30.70
2018	442	1069	47.70	41.10
2019	453	1104	33.50	40.40
2020	332	954	38.30	44.00
2021	806	1258	48.90	66.10

(source: PWC report February 2022)

Another interesting finding of the report is that the share of domestic restructuring is though higher than cross border restructuring including inbound and outbound but the cross border restructuring is increasing every year. In the year 2021 the total restructurings through Mergers and acquisitions were valued at 48.90 bn USD out of which share of domestic restructurings was 31.60 bn USD which is around 65 percent which was as high as 88 percent in the year 2017.

The report showcases a bright future for corporate restructuring in India. The report considers that Private Equity deals will perform well with technological advancement and new business models in economy. For realigning the assets of business in order to focus on business it is expected that demergers and divestitures shall take front seat. In times to come successful startups shall

be integrated by PE buyouts. Similarly more SME corporate are expected to hit primary markets for capital through Initial public offers. At Government level disinvestment appears to be important source to liquidate unproductive assets and improve performance of undertakings through better governance.

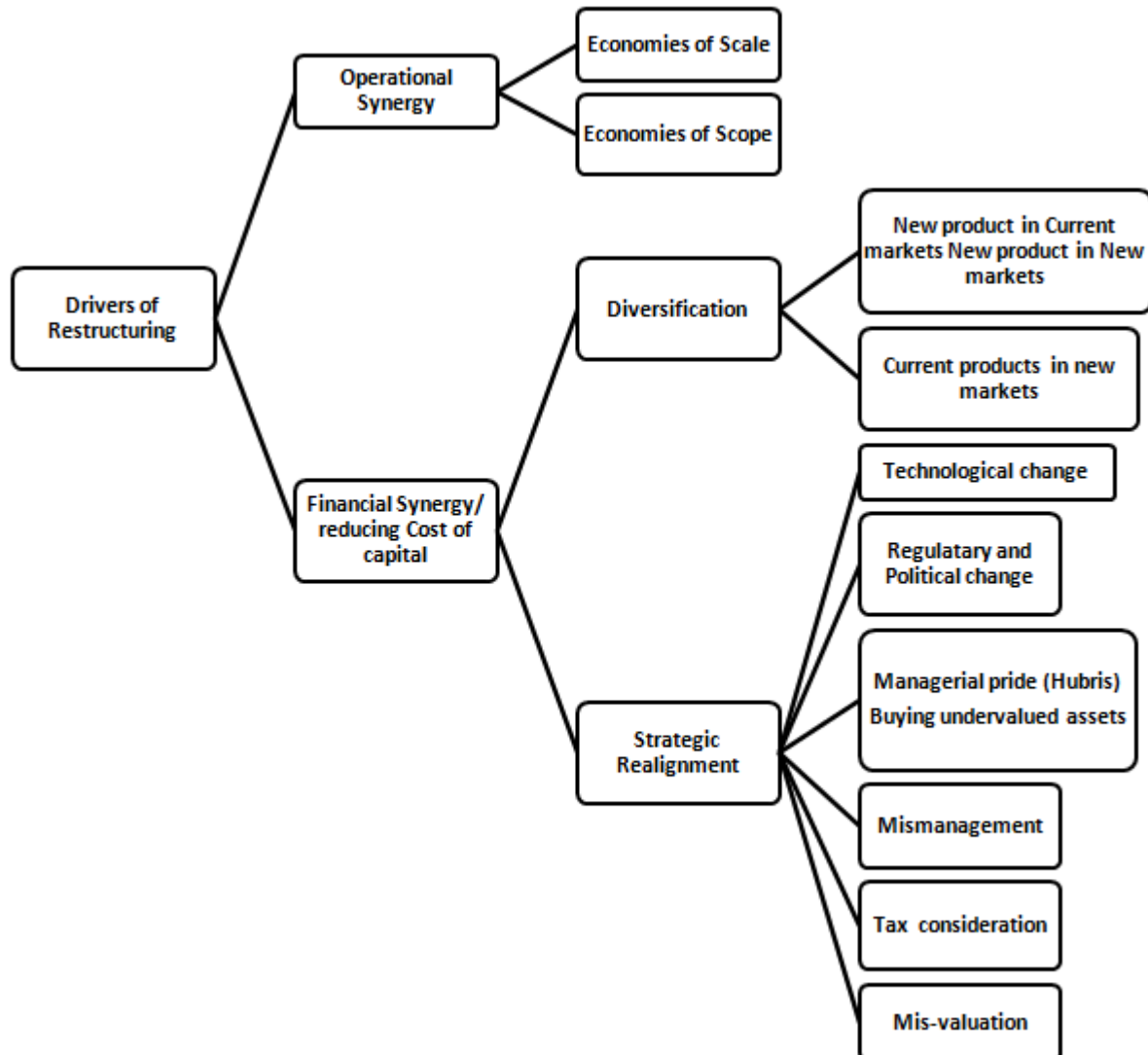
Conclusion - As has been discussed significant research has been done on restructurings since it creates value for the enterprise still there is abundant scope due to new legislations and regulations in Indian eco-system specially affecting the small and medium enterprises in India. Research is also carried out on failure of Sick Industries Act and Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) however the Insolvency and Bankruptcy Code has not been critically researched from restructuring perspectives and provides a great research opportunity. Further the newly introduced tax anti avoidance tool of GAAR has come into effect and exchequers approach and manner of application to corporate transactions shall pave the way for domestic and cross border transactions.

References:-

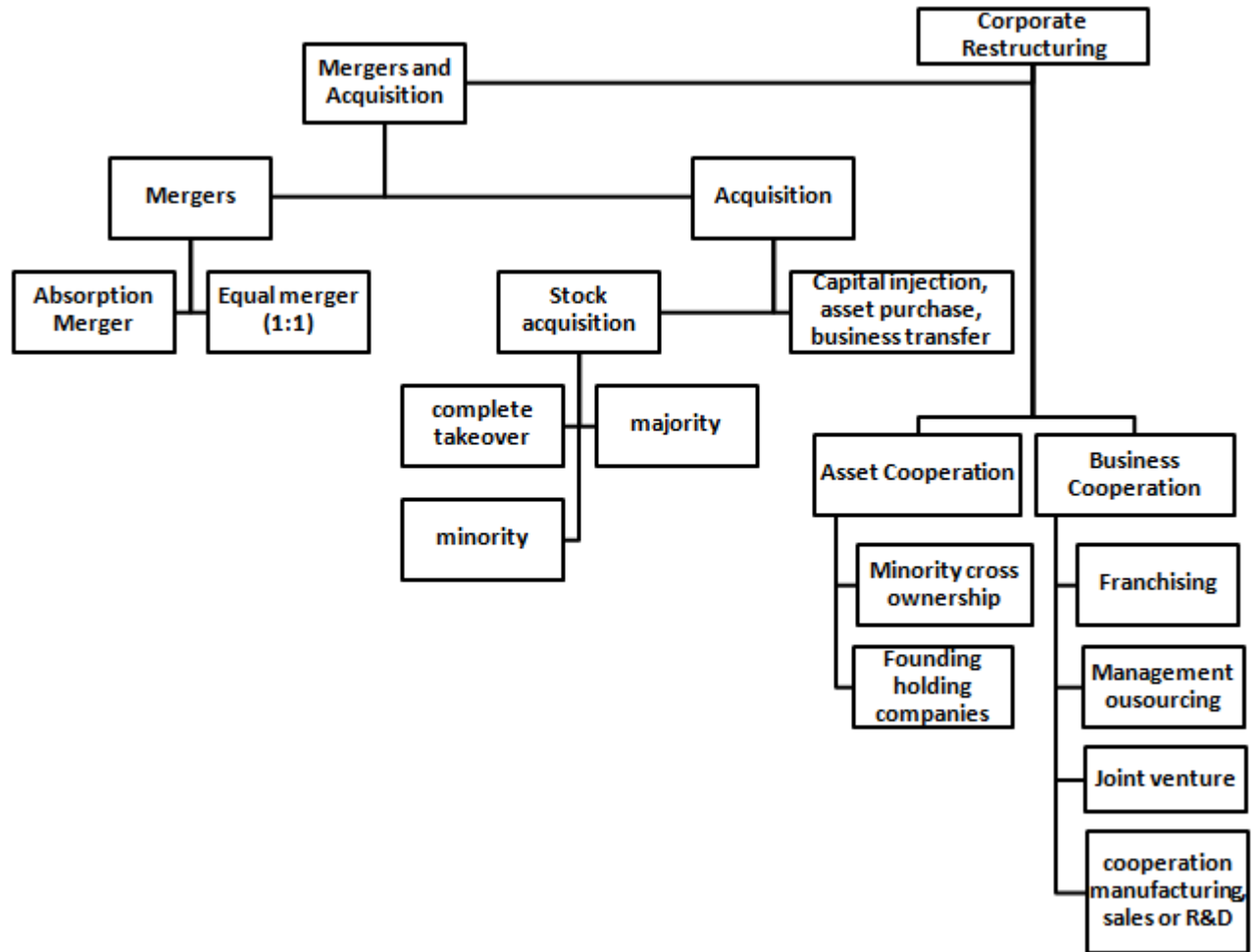
1. MAVLUTOVA, I. (2011). Business restructuring as a way to improve financial position of company. In Recent Researches in Economics. Proceedings of the 2nd International Conference on Finance and Accounting (ICFA'11) (pp. 29-31).
2. Zou, H., & Simpson, P. (2008). Cross-border mergers and acquisitions in China: An industry panel study, 1991–2005. *Asia Pacific Business Review*, 14(4), 491-512.
3. Nirmala M. (2014). Corporate Restructuring and Companies Act 2013- An Impact Analysis. *International Journal of Management and Social Science Research Review*, 1:5(26-29)
4. Savitha C., Ganeshmurthy K. (2020). Impact of Corporate Restructuring on Companies Business Operations in Hosur Region, *Solid State Technology*. 63:5
5. Nakamura, H.R., 2005. Motives, Partner Selection and Productivity Effects of M&As: The Pattern of Japanese Mergers and Acquisition. Thesis (Ph.D.), Institute of International Business, Stockholm School of Economics.
6. Rădulescu, A. S., & Dîrviă, C. (2018). Corporate Restructuring and Tax Arbitrage Strategies at International Level. *Revista de Management Comparat International*, 19(3), 264-273.
7. Petrucci, C. R. (1988). Mergers and the double taxation of corporate income. *Journal of Accounting and Public Policy*, 7(2), 97-111
8. Bris, A., Brisley, N., & Cabolis, C. (2008). Adopting better corporate governance: evidence from cross-border mergers. *Journal of Corporate Finance*, 14(3), 224-240

9. Pablo, E. (2009). Determinants of cross-border M&As in Latin America. *Journal of Business Research*, 62(9), 861-867.
10. Rossi, S., & Volpin, P. F. (2004). Cross-country determinants of mergers and acquisitions. *Journal of Financial Economics*, 74(2), 277-304
11. Schöllhammer, H., & Nigh, D. (1984). The effect of political events on foreign direct investments by German multinational corporations. *Management International Review*, 24(1), 18-40
12. Kumawat H, Bagari R (2018). Corporate Restructuring in India: A Case Study of Sun Pharmaceutical Industries Limited. *Emerging Trends and Innovations in Modern Management*. 172-178
13. Dave A. (2018). Corporate Restructuring and its impact on Operating and Financial Business Performance: A Case Study of Aptech Ltd. *International Journal For Innovative Research In Multidisciplinary Field*. Vol. 4(186-191)
14. Sharma, S. (2014). Case Study: Acquisition Of Nokia's Devices Business By Microsoft Corporation.
15. Rupam. (2021). A Case Study of Aditya Birla Group: (Major Corporate Restructuring of 2015-2020). Issue 1 *Int'l J. L. Mgmt. & Human.*, 4, 325.
16. Dhingra, D., & Aggarwal, N. (2014). Corporate restructuring in India: a case study of Reliance Industries Limited (RIL). *Global Journal of Finance and Management*, 6(9), 813-820.
17. Bansal, N., & Bansal, M. S. Corporate Restructuring: A Case Study of Adani Enterprises, India.
18. Pandey, Dr. Sanjay, Verma Vijay. Merger and Acquisitions in Steel Industries: An evaluation with respect to Tata Corus deal. *Research Journal of Economics and Business Studies*. ISSN: 2251-1555. 2012; 1(9):38-45.
19. D'silva, B., & Joseph, A. B. (2013). A study on the implications of corporate restructuring. *Prestige International Journal of Management & IT-Sanchayan*, 2(1), 39.
20. Maitra, R. (2018). Merger of Tech Mahindra and Satyam Computer Services Ltd. with special reference to HR Issues. *IOSR Journal of Business and Management* pp 03-06
21. https://www.nishithdesai.com/fileadmin/user_upload/pdfs/Research%20Papers/Tax_Issues_in_M_A.pdf
22. <https://www.pwc.com/gx/en/services/deals/trends/2022.html>
23. Joshi, Nisarg A and Desai, Jay and Trivedi, Arti, A Study of Literature Review on Corporate Restructuring (July 5, 2013). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2290034>
24. <https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=924>
25. Setting Up Of Business Entities And Closure, ICSI, Module 1
26. Doing Business in India - Guide for Indian Diaspora. Ministry of External Affairs, October 2014
27. https://sbi.co.in/documents/13958/10990811/060122-Impact_of_ECLG_Scheme.pdf
28. Neeta Saha v. Ram Niwas Gupta 191(IBC)156/2020
29. Report of Bankruptcy Law Reforms Committee Volume I: Rationale and Design. November 2015

Drivers of Business Restructuring (source: Joshi et al)



Model of Corporate Restructuring



गुर्दे की पथरियां : कारण, रोगलक्षण एवं उपचार

डॉ. आशीष खिमेसरा *

* वरिष्ठ शोधार्थी (अर्थशास्त्र) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - गुर्दे की पथरियां ऐसे छोटे एवं सख्त निक्षेप हैं जो गुर्दों के भीतर बन जाते हैं। ये खनिज एवं अम्ल लवणों से बनते हैं। निक्षेप अनेक कारणों से बन सकते हैं और गुर्दों से लेकर मूत्राशय तक मूत्रपथ के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकते हैं। प्रायः पथरियां तब बन जाती हैं जब मूत्र गाढ़ा हो जाता है। इस कारण खनिज क्रिस्टलीकृत यानी रवेदार होकर पथरियों के रूप में परस्पर जुड़ जाते हैं। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया को रोकने वाले रसायन न होने पर भी पथरियां बन जाती हैं। पथरियां बनने में बरसों का समय भी लग जाता है और वे काफी बड़े आकार की भी हो सकती हैं। कभी-कभी तो वे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि गुर्दे के बीच के भाग को पूरी तरह घेर लेती हैं और हिरण के सींग जैसी दिखाई देने लगती हैं। ऐसी ही पथरियों को 'स्टैग-हॉर्न कैल्कुली' कहा जाता है।

पथरियां छोटे आकार की होने पर गुर्दों से छिटक कर मूत्र पथ से निकलने लगती हैं और अन्ततः मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती हैं।

बड़ी पथरियां, अवश्य गुर्दे में बनी रहती हैं किन्तु कभी-कभी वे मूत्रवाहिनी नलिका तक पहुंच जाती हैं जिसके माध्यम से मूत्र गुर्दों से मूत्राशय तक पहुंचता है। मूत्रवाहिनी में पथरी के अटक जाने पर अत्यधिक दर्द होने लगता है। गुर्दे में बड़ी पथरी बन जाना सामान्यतः कष्टकर नहीं होता किन्तु उससे मूत्र संबंधी संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है।

मूत्राशय पथरी का उपचार, पथरी की स्थिति एवं उसके आधार के आधार पर अलग-अलग प्रकार का हो सकता है। पथरी के छोटे होने पर सिर्फ कुछेक दर्द निवारक दवाएं लेने की जरूरत पड़ती है, साथ ही पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है ताकि मूत्र के साथ पथरी निकल जाए। दूसरे मामलों में, पथरी के बड़े आकार के कारण शल्यक्रिया की जरूरत भी पड़ सकती है।

चिकित्सक, बार-बार गुर्दों की पथरी हो जाने के जोखिम से बचने के लिए उपचार भी सुझा सकता है। एक बार मूत्राशयी पथरी हो जाने पर 70 प्रतिशत से अधिक लोगों में दोबारा ऐसा होने की काफी आशंका बनी रहती है।

रोगलक्षण क्या हैं ? - गुर्दे की पथरी के रोगलक्षण तब तक प्रायः नहीं उभरते जब तक कि पथरी गुर्दे के भीतर हरकत न करने लगे या फिर मूत्रवाहिनी तक न पहुंच जाए। रोगलक्षण अचानक ही उभर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं -

1. तेज दर्द जो पीठ, पसलियों के नीचे से लेकर उदर के निचले भाग और उरूमूल तक पहुंच जाता है तथा जननांगों में भी होने लगता है। दर्द

तरंगों में उभर सकता है और उसकी तीव्रता में घट-चढ़ होती रहती है।

2. बार-बार मूत्र विस्र्जन और इस दौरान दर्द होना।
3. मूत्र का रंग गुलाबी, लाल या भूरे रंग का हो जाना जिससे मूत्र में रूधिर होने का संकेत मिलता है।
4. सफेदी लिए हुए या दुर्गन्धयुक्त मूत्र।
5. मतली एवं उलटी।
6. बार-बार मूत्र विस्र्जन की इच्छा होना।
7. सामान्य से अधिक बार मूत्र विस्र्जन।
8. संक्रमण होने पर ज्वर एवं कंपकंपी।
9. गुर्दे की पथरी के कारण होने वाला दर्द बदलता रहता है। दर्द का स्थान बदल सकता है या उसकी तीव्रता बढ़ सकती है। ऐसा मूत्र पथ में पथरी के गतिशील होने के कारण होता है।

मूत्र में गुर्दे की पथरी निकल जाने पर दर्द से शीघ्र राहत मिल जाती है। हालांकि मूत्रवाहिनी में पथरी के अटक जाने से मूत्र रुक जाता है। ऐसा होने पर गुर्दों में सूजन आ जाती है। इस स्थिति को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है।

चिकित्सक से कब मिलें ? - चिंताजनक संकेत एवं रोगलक्षण व्यक्त होने पर अपने चिकित्सक से अवश्य मिलें। निम्न में से किसी भी एक स्थिति में चिकित्सक का परामर्श लें -

1. इतना तीव्र दर्द अनुभव होना कि व्यक्ति एक जगह बैठ ही न पाए और किसी भी स्थिति में राहत महसूस न करें।
2. दर्द के साथ मतली और वमन न करें।
3. दर्द के साथ ज्वर और कंपकंपी हो।
4. मूत्र में रूधिर आ रहा हो।
5. मूत्र विस्र्जन में कठिनाई।

सुविधा होने पर, ऐसी स्थिति में तुरन्त किसी मूत्र विशेषज्ञ यानी 'यूरोलॉजिस्ट' को दिखाना उचित है जो शल्यक्रिया से मूत्रवाहिनी की पथरियों को निकाल सकता है। छोटे कर्बों और शहरों में सामान्य चिकित्सक द्वारा भी स्थिति को संभाला जा सकता है।

पथरियां बनती किस कारण हैं ? - गुर्दे की पथरियां बनने का कोई एक सुनिश्चित कारण नहीं है हालांकि कई ऐसे कारक हैं जो इस जोखिम को बढ़ा देते हैं। वे अक्सर तब बन जाती हैं जब मूत्र में क्रिस्टल यानी रवे बनाने वाले पदार्थ जैसे कैल्सियम, ऑक्सलेट एवं यूरिक एसिड अधिक होते हैं। साथ ही मूत्र में क्रिस्टलों को परस्पर जुड़ने से रोकने वाले पदार्थों की कमी होने पर भी

गुर्दे की पथरियां बनने की अनुकूल स्थिति बन जाती हैं।

पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ न लेने पर भी गुर्दे की पथरियां बनने का जोखिम बढ़ जाता है। शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाने पर गुर्दे पानी की बचत करके कम मूत्र बनाने लगते हैं जिससे परिणामस्वरूप मूत्र अत्यन्त गाढ़ा हो जाता है। गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग अगर पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकले पानी की पूर्ति के लिए पर्याप्त पानी नहीं पीते तो गुर्दों में पथरियां बनने लगती हैं।

कुछ कारक गुर्दे की पथरियों के जोखिम को बढ़ा देते हैं, जिनमें सम्मिलित हैं -

पारिवारिक पृष्ठभूमि - परिवार में किसी व्यक्ति को गुर्दे की पथरियां होने पर व्यक्ति का जोखिम बढ़ जाता है।

पूर्व पृष्ठभूमि - अगर एक या अधिक पथरियां पहले बन चुकी हों तो आगे भी पथरियां बन सकती हैं।

पुरुषों में अधिक जोखिम - पुरुषों में गुर्दे की पथरियां बनने का जोखिम अधिक रहता है, हालांकि अब ऐसा महिलाओं में भी काफी देखा जाने लगा है।

निर्जलीकरण से बचें - प्रतिदिन काफी मात्रा में पानी न पीने से गुर्दों की पथरियों का जोखिम बढ़ जाता है। गर्म जगहों में रहने वाले और वे लोग जिन्हें पसीना अधिक आता हो, उनके लिए दूसरों से अधिक जोखिम रहता है।

कतिपय आहार - आहार में प्रोटीन, नमक एवं चीनी की मात्रा अधिक रहने पर भी कुछ एक प्रकार की गुर्दे की पथरियां होने का जोखिम बढ़ जाता है। आहार में नमक (सोडियम) की मात्रा अधिक होने पर तो ऐसा खासतौर पर होता है। आहार में अत्यधिक नमक रहने पर गुर्दों को अधिक कैल्सियम की मात्रा फिल्टर करनी पड़ती है जिससे गुर्दों में पथरियां होने का जोखिम बढ़ जाता है।

मोटापा - उच्च स्तरीय बॉडी मास इंडेक्स (बी.एम.आई.), कमर की स्थूलता और शरीर का अधिक वजन भी गुर्दों की पथरियों का कारण बनते हैं।

पाचनतंत्र संबंधी रोग एवं सर्जरी - गैस्ट्रिक बायपास सर्जरी होने, आंत्रशोथ संबंधी रोग होने या जीर्ण डायरिया रहने पर पाचन की प्रक्रिया में बदलाव हो जाता है और कैल्सियम तथा जल का अवशोषण बाधित होने लगता है जिससे मूत्र में पथरियां बनाने वाले पदार्थों का स्तर बढ़ने लगता है।

अन्य स्थितियां - वृक्क-नलिका जन्य अम्लरक्तता (रीनल ट्यूब्युलर एसिडोसिस), सिस्टिन मेह (सिस्टिन्यूरिया), हाइपरपैराथाइरॉइडिज्म आदि रोग, कुछ औषधि उपचार तथा मूत्रपथ संक्रमण आदि से पथरियों की आशंका बढ़ जाती है।

गुर्दे की पथरियों के प्रकार - मूत्र के क्रिस्टलीकृत होने वाले अवशिष्ट पदार्थों के अनुसार मूत्राशय की पथरियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं। गुर्दे की पथरी के प्रकार की जानकारी मिल जाने पर उसके कारण का पता लगाना संभव है और यह भी कि भविष्य में उससे कैसा बचा जा सकता है। गुर्दे की पथरियों के प्रकार हैं -

1. कैल्सियम ऑक्सलेट एवं फॉस्फेट पथरियां - गुर्दे की अधिकांश कैल्सियम पथरियां कैल्सियम ऑक्सलेट से बनती हैं। ऑक्सलेट भोजन से प्राप्त होने वाला एक सामान्य पदार्थ है। कुछ फल एवं सब्जियों में, यहां तक कि मेवों और चॉकलेट में भी ऑक्सलेट का उच्च स्तर विद्यमान होता है।

मानव का यकृत भी ऑक्सलेट बनाता है। आहार संबंधी कारक, उच्च मात्रा में विटामिन डी, आंत्रशोथ संबंधी बायपास सर्जरी एवं कुछ एक उपापचय संबंधी विकारों से मूल में कैल्सियम या ऑक्सलेट की मात्रा गाढ़ी होने लगती है।

2. यूरिक एसिड पथरियां - जो लोग पर्याप्त मात्रा में पेय नहीं लेते या जिनके शरीर से काफी पानी बाहर निकल जाता है, जो उच्च प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं या जो गठियाग्रस्त हो, उन सभी में यूरिक एसिड पथरियां बनने की आशंका रहती है। आनुवंशिक कारणों से भी यूरिक एसिड पथरियां बनने का जोखिम बढ़ सकता है।

3. सिस्टीन पथरियां - इस प्रकार की पथरियां उन आनुवंशिक विकारों से बनती हैं जिनके कारण गुर्दे कुछ ऐमीनों अम्ल अधिक मात्रा में उत्सर्जित करने लगते हैं (सिस्टिन्यूरिया)।

4. स्ट्रुवाइट पथरियां - स्ट्रुवाइट पथरियां किसी संक्रमण जैसे कि मूत्र पथ के संक्रमण से बन जाती हैं। ये पथरियां बहुत जल्दी बढ़ती हैं और काफी बड़े आकार की हो जाती हैं। कभी-कभी तो इन पथरियों के बहुत कम रोगलक्षण व्यक्त होते हैं और किसी प्रकार का पूर्वसंकेत भी नहीं मिलता।

5. कैल्सियम पथरियां - कैल्सियम पथरियों को बनने से रोकने के लिए चिकित्सक थायजाइड मूत्रल औषधि या फिर फॉस्फेट युक्त औषधि लेने का निर्देश देते हैं।

6. यूरिक एसिड पथरियां - चिकित्सक, रक्त एवं मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा नियंत्रित रखने के लिए एलोप्यूरिनॉल एवं मूत्र की क्षारता के नियंत्रण के लिए भी किसी औषधि का सुझाव दे सकते हैं। कुछ एक मामलों में एलोप्यूरिनॉल एवं क्षारीय कारक लेने से यूरिक एसिड पथरियां घुल जाती हैं।

7. स्ट्रुवाइट पथरियां - स्ट्रुवाइट पथरियों की रोकथाम के लिए चिकित्सक ऐसे औषधि उपचार का सुझाव दे सकता है जिससे मूत्र में संक्रमण उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से मुक्त रहा जा सके। छोटी मात्रा में लम्बे समय तक एंटीबायोटिक औषधियां लेने से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चिकित्सक गुर्दे की पथरियों का इलाज करते समय सर्जरी से पहले एवं सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक औषधियां दे सकता है।

8. सिस्टिन पथरियां - सिस्टिन पथरियों का उपचार जटिल होता है। चिकित्सक व्यक्ति को अधिकाधिक पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि अधिक मूत्र बने। केवल इससे काम न बनने पर चिकित्सक इस प्रकार की औषधि सुझाता है जिससे मूत्र में सिस्टिन की मात्रा कम की जा सके।

परीक्षण एवं निदान - चिकित्सक को यह संदेह होने पर कि व्यक्ति गुर्दे की पथरी से ग्रस्त है, वह कुछ नैदानिक परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं का परामर्श देता है जैसे कि-

1. रक्त परीक्षण - रक्त परीक्षण से गुर्दों की कार्यप्रणाली का पता लगाना संभव है। साथ ही इससे रक्त में अत्यधिक यूरिक एसिड या कैल्सियम की जानकारी भी मिल जाती है। ऐसा करने पर गुर्दों के ठीक से काम करने पर भी नजर रखी जा सकती है और चिकित्सक को आरोग्य संबंधी अन्य जानकारी भी मिल जाती है।

2. मूत्र परीक्षण - मूत्र परीक्षण जैसे कि 24 घंटे के दौरान मूत्र संचय करके परीक्षण करने पर यह पता लगाया जा सकता है कि क्या व्यक्ति का मूत्र बहुत अधिक मात्रा में पथरी बनाने वाले खनिज उत्सर्जित कर रहा है और यह भी कि मूत्र में कहीं पथरी रोकने वाले द्रव्य बहुत कम मात्रा में तो नहीं हैं।

3. इमेजिंग परीक्षण - इमेजिंग यानी प्रतिबिम्बन परीक्षण से मूत्र पथ में

गुर्दे की पथरियों को देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया के अनेक विकल्प हैं, जैसे सरल उदर अल्ट्रासाउंड जो एक नॉनइन्वेसिव परीक्षण है, उदर प्रदेश के एक्स-रे, जिनमें छोटी गुर्दे की पथरियां नहीं भी दिखाई दे सकती और उच्च गतिवाली कम्प्यूटराइज्ड टोमोग्राफी (सी.टी.) जिसमें छोटी-छोटी पथरियां भी दिखाई देती हैं। अन्य प्रतिबिंबन विकल्पों में अंतःशिरा पाएलोग्राफी सम्मिलित है जिसमें बांह की एक शिरा में डाई का इंजेक्शन दिया जाता है और जैसे-जैसे डाई गुर्दों और मूत्राशय से गुजरती है उसे एक्स-रे में देखा जा सकता है।

बाहर निकली पथरियों का विश्लेषण – मूत्र के साथ बाहर निकली पथरियों को संभाल कर रख लेना चाहिए। प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण करके यह पता लगाया जा सकता है कि उनकी संरचना किस प्रकार की है। इससे चिकित्सक को यह तय करने में मदद मिलती है कि वस्तुतः रोगी में गुर्दे की पथरियां किस कारण बन रही हैं और साथ ही भविष्य में उन्हें रोकने की योजना भी बनाई जा सकती है।

उपचार विकल्प – गुर्दे की पथरियों का उपचार पथरियों के प्रकार एवं कारणों के अनुरूप अलग-अलग प्रकार का होता है।

छोटी पथरियां जिनसे लक्षण न उभरें – सामान्य छोटी गुर्दे की पथरियों में इन्वेसिव उपचार की जरूरत नहीं पड़ती। काफी संभावना यह रहती है कि छोटी पथरियां मूत्र के साथ बाहर निकल आएंगी। ऐसे में निम्न सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं –

1. पर्याप्त मात्रा में जल एवं तरल पदार्थ लेना – दिन भर में 2 से 25 लीटर पानी पीने से मूत्र प्रणाली ठीक रहती है। चिकित्सक यदि सहमत हो तो पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ अधिकांशतः जल-पीते रहें जिससे मूत्र साफ या लगभग साफ बना रहे।

2. दर्द निवारक – छोटी पथरियां होने पर बैचेनी संभव है। हल्के दर्द से राहत पाने के लिए चिकित्सक मंद दर्द निवारक जैसे इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक या नेप्रोक्सेन सोडियम लेने का परामर्श दे सकता है।

3. गोलियां – चिकित्सक ऐसी दवाएं दे सकता है जिनसे गुर्दे की पथरी मूत्र के साथ बाहर निकल सके। इस प्रकार की औषधियां जिन्हें अल्फा ब्लॉकर कहा जाता है, मूत्राशय की पेशियों को शिथिल करती हैं। परिणामतः गुर्दे की पथरी शीघ्र बाहर निकल जाती है और दर्द भी कम होता है।

बड़ी पथरियां जिनसे लक्षण उभरें – ऐसी गुर्दे की पथरियां जिनका पारम्परिक तरीकों से उपचार संभव नहीं हो पाता, इस कारण कि उनका आकार इतना बड़ा होता है कि स्वयंसे बाहर नहीं निकल पाती या इसलिए कि उनसे रक्तस्राव होने लगता है, गुर्दों की क्षति अथवा मूत्रपथ में संक्रमण होने पर इन्वेसिव उपचार अपनाने की जरूरत पड़ती है। ये हैं –

एक्स्ट्राकॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी – गुर्दों की कुछ पथरियों के साथ एवं आकार के अनुसार चिकित्सक उपचार के लिए एक्स्ट्राकॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी (ई.एस.डब्ल्यू.एल.) का सुझाव दे सकता है। ईएसडब्ल्यूएल में ध्वनि तरंगों के माध्यम से तीव्र कंपन (शॉक वेव्स) उत्पन्न किए जाते हैं जिनसे पथरियां छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती है जो मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं।

यह प्रक्रिया 45 से 60 मिनट तक चलती है और इसमें मामूली दर्द होता है। रोगी को राहत देने के लिए उसे बेहोश किया जा सकता है या मंदस्तर का एनेस्थेसिया दिया जा सकता है। ईएसडब्ल्यूएल से मूत्र में रक्त आना, पीठ या उदर में घाव होना, गुर्दों के आसपास एवं अन्य निकटवर्ती

अवयवों में रक्त स्राव हो सकता है। साथ ही पथ से पथरी के टुकड़ों के गुजरने समय तकलीफ भी हो सकती है। इस प्रक्रिया में कुछ अवांछित भी घटित हो सकता है। उपचार आरम्भ करने से पूर्व इस संबंध में चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए।

सर्जरी – गुर्दों की काफी बड़े आकार की पथरियां निकालने के लिए 'परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोटॉमी' की आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रक्रिया में सर्जरी से गुर्दे की पथरियां हटाने के लिए छोटे टेलीस्कोपों तथा सर्जरी के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। रोगी की पीठ में एक छोटा सा चीरा लगाकर उन्हें भीतर डाला जाता है। सर्जरी के दौरान सामान्य एनेस्थेसिया दिया जाता है और स्वास्थ्य लाभ होने तक एक-दो दिन अस्पताल में रुकना पड़ता है। चिकित्सक इस प्रकार की सर्जरी की अनुशंसा तभी करते हैं जब ईएसडब्ल्यूएल प्रक्रिया असफल रही हो या फिर रोगी की पथरी बहुत बड़े आकार की हो।

पथरी हटाने के लिए स्कोप का उपयोग – मूत्रवाहिनी या गुर्दे से छोटी पथरी हटाने के लिए चिकित्सक एक पतली कैमरा लगी प्रकाशयुक्त नलिका जिसे यूरेटेरोस्कोप कहा जाता है, मूत्र नलिका और मूत्राशय से होते हुए मूत्रवाहिनी तक पहुंचाता है। एक बार पथरी का संज्ञान होने पर विशेष उपकरणों द्वारा पथरी को फंसा कर निकाल लिया जाता है या फिर उसे अनेक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि वे मूत्रमार्ग से बाहर निकल आए। इसके बाद चिकित्सक एक छोटी नलिका (स्टेंट) को मूत्रवाहिनी में डाल देता है जिससे सूजन नहीं होती और स्वास्थ्य लाभ में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया के दौरान सामान्य या स्थानीय एनेस्थेसिया देने की जरूरत पड़ सकती है।

बचाव – गुर्दे की पथरियों के बचाव प्रबंधन में, जीवनशैली में बदलाव और औषधि उपचार दोनों का उपयोग किया जाता है। आप गुर्दे की पथरियों से अपने बचाव हेतु निम्न उपाय अपना सकते हैं –

दिनभर पानी पीते रहें – गुर्दे की पथरी की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चिकित्सक सामान्यतः प्रतिदिन 2.5 लीटर मूत्र विसर्जन की सलाह देते हैं। गर्म और शुष्क प्रदेश में रहने वाले और अक्सर व्यायाम करने वाले लोगों को अधिकाधिक पानी पीना चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में मूत्र विसर्जन हो। मूत्र का हल्का और पारदर्शक होना इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति पर्याप्त पानी पी रहा है।

ऑक्सलेट बहुल आहार कम लें – गुर्दे में कैल्शियम ऑक्सलेट पथरियां बनने की प्रवृत्ति होने पर चिकित्सक ऐसे खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह देते हैं जिनमें ऑक्सलेट लवण अधिक मात्रा में हों। ऐसा करने पर रोग के पुनः होने की आशंका कम हो जाती है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में ऑक्सलेट काफी अधिक रहता है, अतः इनका उपयोग कम करें –

1. काला चना	9. पालक
2. चौलाई	10. सरसों
3. करी पत्त	11. सहजन की फलियां
4. सरसों का साग	12. गोगु (पित्त या अंबादि)
5. कमल नाग	13. बादाम
6. आंवला, फालसा, स्ट्रॉबेरी एवं आलू-बुखारा (प्लम)	14. काजू
7. खुरमा, चुकन्दर और भिंडी	15. चॉकलेट
8. लालमिर्च	16. चाय
	17. कोको

ऐसा आहार अपनाएं जिसमें लवण और पशुओं की प्रोटीन कम मात्रा में हो- भोजन में नमक की मात्रा कम कर दें और अ-पशुस्रोतीय प्रोटीन पदार्थ लें जैसे - फलियां।

कैल्सियम सप्लीमेंट लेते समय सजगता अपनाएं - कैल्सियम समृद्ध आहार लेते रहे किन्तु कैल्सियम की पूर्य मात्रा लेते समय सावधानी बरतें। आहार से मिलने वाला कैल्सियम गुर्दे की पथरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कैल्सियम सप्लीमेंट लेने से पहले चिकित्सक की राय जरूर लें क्योंकि इसका सीधा संबंध गुर्दे की पथरियों के बढ़ते जोखिम से है। भोजन के साथ ही सप्लीमेंट लेने से इस खतरे को थोड़ा कम जरूर किया जा सकता है।

ऐसा आहार लें जिसमें यूरिक की मात्रा कम हो - यूरिक एसिड पथरियां होने या हाइपरयूरिकेमिया हो जाने पर जरूरी है कि ऐसा भोजन लिया जाए जिसमें यूरिक की मात्रा कम हो। ऐसा करने पर रक्त में विद्यमान यूरिक अम्ल को 10 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। नीचे ऐसे पदार्थ दिए गए हैं जो सीरम यूरिक अम्ल को बढ़ाते हैं -

1. पालक, गोभी, मटर एवं फलियां
2. मशरूम (खुंभी)
3. साबुत दालें
4. सूखी फलियां (चना, राजमा और लोबिया)
5. मसूर की दाल
6. भीतरी अंगों का मांस: लीवर, गुर्दे, बछड़ों के अग्न्याशय का मांस, मांस से निसृत पदार्थ, मुर्गे, हैम और सॉसेज
7. समुद्री मछलियां: सार्डीन, श्रिप (झींगी), मैकेरेल
8. अल्कोहल युक्त पेय
9. चाय, कॉफी, कोला पेय

शरीर में जल की मात्रा कम न होने दें। खूब पानी पिएं। दिनभर में कम से कम दस से बारह ग्लास। ऐसा करने पर यूरिक अम्ल के क्रिस्टल देह से बाहर मूत्र के साथ निकलते रहेंगे।

निष्कर्ष - औषधियों द्वारा मूत्र में विद्यमान खनिजों एवं लवण पर नियंत्रण पाया जा सकता है और उन व्यक्तियों को इससे लाभ पहुंचता है जिनमें कुछ विशिष्ट प्रकार की पथरियां पनपती हैं। चिकित्सक गुर्दे की पथरी के प्रकार के अनुरूप ही औषधि उपचार की सलाह देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Giannossi L., Summa V. A review of pathological biomineral analysis techniques and classification

- schemes. In: Aydinalp C., editor. *An Introduction to the Study of Mineralogy*. InTech, IMAA-CNR, Italy: InTechOpen; 2012.
2. Lopez M., Hoppe B. History, epidemiology and regional diversities of urolithiasis. *Pediatric Nephrology*. 2008;**25**(1):49-59. doi: 10.1007/s00467-008-0960-5.
3. Mikawlawng K., Kumar S., Vandana R. Current scenario of urolithiasis and the use of medicinal plants as antiurolithiatic agents in Manipur (North East India): a review. *International Journal of Herbal Medicine*. 2014;**2**(1):1-12.
4. Khan S. R., Pearle M. S., Robertson W. G., et al. Kidney stones. *Nature Reviews Disease Primers*. 2016;**2**:p. 16008. doi: 10.1038/nrdp.2016.8.
5. Sigurjonsdottir V. K., L. Runolfsdottir H., Indridason O. S., et al. Impact of nephrolithiasis on kidney function. *BMC Nephrology*. 2015;**16**(1):p. 149. doi: 10.1186/s12882-015-0126-1.
6. El-Zoghby Z. M., Lieske J. C., Foley R. N., et al. Urolithiasis and the risk of ESRD. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. 2012;**7**(9):1409-1415. doi: 10.2215/cjn.03210312.
7. Rule A. D., Roger V. L., Melton L. J., et al. Kidney stones associate with increased risk for myocardial infarction. *Journal of the American Society of Nephrology*. 2010;**21**(10):1641-1644. doi: 10.1681/asn.2010030253.
8. Worcester E. M., Coe F. L. Nephrolithiasis. *Primary Care*. 2008;**35**(2):369-391. doi: 10.1016/j.pop.2008.01.005.
9. Taylor E. N., Stampfer M. J., Curhan G. C. Obesity, weight gain and the risk of kidney stones. *Journal of the American Medical Association*. 2005;**293**(4):455-462. doi: 10.1001/jama.293.4.455.
10. Courbebaisse M., Prot-Bertoye C., Bertocchio J., et al. Nephrolithiasis of adult: from mechanisms to preventive medical treatment. *Revue Medicale Internationale*. 2017;**38**(1):44-52. doi: 10.1016/j.revmed.2016.05.013.
11. Kumar S. B. N., Kumar K. G., Srinivasa V., Bilal S. A review on urolithiasis. *International Journal of Universal Pharmacy and Life Sciences*. 2012;**2**(2):269-280.

बी.एड. प्रशिक्षुओं में मानवाधिकारों के प्रति लिंग आधारित जागरूकता का अध्ययन

सर्वोत्तम शर्मा *

* शिक्षक (डी.एल.एड. विभाग) एस.एस. कॉलेज, मुमुक्षु आश्रम, शाहजहाँपुर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता और समान का अधिकार ही मानव अधिकार है। समाज में मानवाधिकार का निर्विवाद महत्व है क्योंकि मूल अधिकार मानव को संविधान द्वारा प्रदत्त हैं जबकि मानव अधिकार व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, जो जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति के मन, वाणी व कार्य की स्वतन्त्रता का मूल स्रोत ही मानवाधिकार है। मानवाधिकारों के प्रति भारत का सम्बन्ध बहुत प्राचीनकाल से है। हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के समर्थक हैं, हमने विश्व को 'जियो और जीने दो' का आदर्श दिया है।

मानवाधिकार मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं, जिनमें मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व – शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा सामाजिक चेतना, न्याय एवं मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है। इसके द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास, ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिमार्जन किया जाता है उसे सभ्य, सुसंस्कृत की रक्षा करता है और सभ्यता के रथ को आगे बढ़ाता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की गूँज दिन-प्रतिदिन जगह-जगह सुनाई-दिखाई पड़ती है। इसका क्षेत्र नगर, राज्य से होकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक है। इन्हीं मानवाधिकारों का संरक्षण आज विश्व के समक्ष चुनौती है क्योंकि सम्पूर्ण मानवा जाति वर्तमान में अपने अधिकारों के शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न एवं आतंकवाद से प्रभावित है। मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ लेकिन यह व्यवहारिक रूप में नगण्य है। किसी भी राष्ट्र में शिक्षा तभी उपयोगी एवं सार्थक होती है जब तक कि शिक्षा को व्यवहारिक रूप न दिया जाए।

सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण – प्रस्तुत अध्ययन से सम्बन्धित विषयों में पूर्व में हुए शोध कार्यों का विवरण निम्नलिखित है:

1. राणा, दीवान सिंह (2017): 'बी0एड0 प्रशिक्षणार्थियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन'। उक्त शोधकार्य में भारत में बी.एड. स्तर के बच्चों के अधिकारों तथा श्रम उन्मूलन पर आधारित अध्ययन किया गया था। जिसमें भारत में युवाओं के प्रति हो

रहे अमानवीय व्यवहार को इंगित करते हुए उन्हें उनके अधिकार दिलाने तथा श्रम की कुप्रथा को दूर करने हेतु सुझाव दिये गये थे।

2. चौधरी, सोमेन्द्र कुमार शाह (2022): इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च : नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ऑनलाइन वर्जन। निबन्धवली में विवाह चुकारे, दहेज, अनचारी पुत्रियों, स्त्रियों के उत्तराधिकारी, भूमि अधि प्राप्ति अधिकारों का निषेध, प्रेम प्रसंग, नारीत्व और विवाह, नारियों की प्रताड़ना, नारीत्व की पहचान, सौन्दर्य प्रतियोगिता आदि पर लेख प्रस्तुत किए गए हैं। ये लेख भारतीय समाज में मानवाधिकारों विशेषतः महिलाओं की ज्वलंत एवं सर्वाधिक चिन्तनीय समस्याओं से जुड़ने का समुचित प्रयत्न है।

समस्या का परिभाषीकरण

बी0एड0 प्रशिक्षु – बी0एड0 प्रशिक्षुओं से तात्पर्य जनपद शाहजहाँपुर के सदर तहसील के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों में वित्तपोषित एवं स्व-वित्तपोषित में अध्ययनरत् बी0एड0 प्रशिक्षुओं से है।

मानवाधिकार – मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सब परिस्थितियों व पर्यावरण से है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने का व्यक्तित्व के संतुलित विकास एवं निर्माण हेतु अनिवार्य है।

जागरूकता – जागरूकता यानि बाहरी संसार और भीतरी संसार की सम्पूर्ण जानकारी, उचित-अनुचित की जानकारी, जीवन की सच्चाई की जानकारी, मानव जीवन के औचित्य और उद्देश्य की जानकारी को सीधे शब्दों में जागरूकता कहते हैं।

'जागरूकता वह अवस्था है जिससे व्यक्ति सचेत अथवा चेतन रहकर निरन्तर अपने आस-पास के वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करता रहता है।'

अध्ययन के उद्देश्य:

1. पुरुष तथा महिला बी0एड0 प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना:

1. पुरुष तथा महिला बी0एड0 प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध की कार्य विधि – प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा अनुसंधान की सर्वेक्षण (वर्णनात्मक) विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श – प्रस्तुत अनुसंधान में जनपद शाहजहाँपुर के समस्त वित्त पोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के

मानवाधिकारों के जागरूकता से है।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु न्यायदर्श का चयन लॉटरी प्रतिचयन विधि के आधार पर किया गया है इस हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची से कुल 06 महाविद्यालयों का चयन प्रतिदर्श के रूप में किया गया है। जिनसे कुल 240 विद्यार्थियों (100 छात्र एवं 140 छात्राएं) का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है।

तालिका संख्या - 1

बी.एड. प्रशिक्षुओं के प्रकार	छात्र	छात्रा	योग
पुरुष/महिला	100	140	240

उपकरण - प्रस्तुत अध्ययन में बी०एड० प्रशिक्षुओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता का अध्ययन के लिए डॉ० विशाल सूद तथा डॉ० आरती आनन्द द्वारा निर्मित मानवाधिकारों की जागरूकता का प्रयोग किया गया है उपकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न है:

A Human Rights Awareness test By Dr. Vishal Sood and Dr. (Mrs.) Arti Anand.

सांख्यिकीय तकनीकियाँ - शोधार्थी द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, प्रमाप विचलन, प्रमाप विभ्रम तथा टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या - पुरुष तथा महिला बी०एड० प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या-2 :

परिगणित मूल्य	बी.एड. प्रशिक्षुओं के प्राप्तांक	
	पुरुष	महिला
माध्य (Mean)	69.58	69.30
प्रमाप विचलन (S.D.)	10.142	9.564
बी.एड. प्रशिक्षुओं की संख्या	100	140
माध्य अन्तर ($M_1 - M_2$)	0.28	
माध्य का प्रमाप विभ्रम (SED)	1.296	
टी-मान (t-value)	0.216	
सारणी मूल्य (5%) (t-test)	1.97	
सार्थकता (Difference)	0.216 < 1.97 (निरर्थक)	
शून्य परिकल्पना (H_0)	स्वीकृत	

परिकल्पना परीक्षण के लिए पुरुष एवं महिला बी.एड. प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार जागरूकता के प्राप्तांकों के माध्य अंक अलग-अलग ज्ञात करके उनके बीच टी-अनुपात ज्ञात किया गया है। तालिका संख्या 2 से स्पष्ट है कि बी.एड. पुरुष प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार जागरूकता सम्बन्धी प्राप्तांकों का औसत 69.58 है जबकि महिला बी.एड. प्रशिक्षुओं का औसत 69.30 है। दोनों सम्बन्धी प्राप्तांकों का औसत 0.28 है। माध्य अन्तर का प्रमाप विभ्रम 1.296 है। परिगणित टी-अनुपात 0.216 है जो कि 5 प्रतिशत सार्थकता 54 स्तर पर सारणी मूल्य 1.97 से कम है। अतः अन्तर निरर्थक है। शून्य परिकल्पना स्वीकृत हुई है। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि पुरुष एवं महिला बी.एड. प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार जागरूकता में अन्तर नहीं है। दूसरे शब्दों में, पुरुष एवं महिला बी. एड. प्रशिक्षुओं के मानवाधिकार जागरूकता एक समान है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष

(अ) माध्यों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष - बी०एड० पुरुष प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का माध्य प्राप्तांक 69.58 है जबकि महिला बी०एड० प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का माध्य प्राप्तांक 69.30 है अतः स्पष्ट है पुरुष बी०एड० प्रशिक्षुओं का मानवाधिकार के प्रति जागरूकता महिला बी०एड० प्रशिक्षुओं की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है।

(ब) परिकल्पना परीक्षण के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष - पुरुष एवं महिला बी०एड० प्रशिक्षुओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः पुरुष एवं महिला बी०एड० प्रशिक्षुओं की मानवाधिकार के प्रति जागरूकता एक समान है।

अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता - शिक्षा किसी भी राष्ट्र की बुनियादी और प्राथमिक आवश्यकता है। इसकी पूर्ति कर पाना हर एक नागरिक का अधिकार है। शिक्षा का समुचित विकास हो, हर एक नागरिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर मनोवांछित शिक्षा तक पहुँचे। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्र की होती है। जिस प्रकार मनुष्य को जीने के लिए खाना, पानी एवं हवा जरूरी होती है उसी प्रकार जीवन को क्रियाशील बनाने के लिए शिक्षा जरूरी होती है परन्तु शिक्षा ऐसी हो जो छात्र को क्रियाशील एवं सभ्य बनाये।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

- कपूर, एस०के० (2012) : 'मानवाधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि', सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 2010, पृ० 690-691।
- कुलश्रेष्ठ, एस० (2003) : 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्ति और मानवाधिकार' ए जर्नल ऑफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेण्ट मुरैना, वाल्यूम (3), अंक 4, अक्टूबर-दिसम्बर 2003, पृ० 289।
- गैरिट, एच०ई० (1997) : 'शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी', कल्याणी पब्लिशर्स, लुधियाना।
- दीक्षित, ए०के० (2010) : 'मानवाधिकार और शिक्षा', नई शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक मासिक पत्रिका, जयपुर, वर्ष (59), अंक-6, जनवरी 2010, पृष्ठ 20-22।
- दुबे, आर० (2014) : 'मानवाधिकार तथा महिला जागरूकता', ए जर्नल आफ एशिया फॉर डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेण्ट, मुरैना वाल्यूम (14), अंक-001, 2014 पृष्ठ 149-152।
- पाण्डेय रामशुक्ल, 2008 : 'मानवाधिकार और मूल्य शिक्षण', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
- बेस्ट जॉन डब्ल्यू०, (1982) : 'रिसर्च इन एजुकेशन', प्रेन्टाइस हॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लि०, न्यू दिल्ली, 1982।
- मिश्रा एम०के० (2011) : 'मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय', एजुकेशनल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, लक्ष्मीनगर दिल्ली।
- लाल, आर०बी० (2013) : 'भारतीय शिक्षा का इतिहास', विकास एवं समस्याएँ आर०लाल बुक डिपो, मेरठ।
- शर्मा, आर०ए०, 'शिक्षा अनुसंधान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया', आर० लाल बुक डिपो, मेरठ 2013।
- Basu, D.D. : Human Rights in Constitutional Law, Prentice Hall of India, New Delhi, 1994, p.34.
- Bidyut Chakrabarty and Rajendra Kumar Pandey, Indian Government and Politics, Sage, New Delhi, 2008, pp. 217&220.
- Jatilak Guha Roy, "Human Rights Dimensions of Public Administration in India", in Bidyut Chakabarty and Mohit

- Bhattacharya (eds.) Public Administration : A reader, Oxford University Press, New Delhi, 2003, p.394.
14. P.d. Mathew, Law for the Protection of Human Rights in India, Legal Literary Series No. 38. Indian Social Institute. New Delhi, 2006, p.16.
15. V.S. Malimath, Report on the National Human Rights Commission of India.' in Kamal Hossain etc. al. (eds.). Human Rights Commission and Ombudsman Offices : National Experience throughout the World, Kluwer Law International, The Hague, 2000, p. 215.

नेपथ्य के नायक दीनबन्धु सर छोटूराम का संक्षिप्त जीवन वृत्त

डॉ. दीपक सिंह* राजेश कुमार**

* शोध पर्यवेक्षक (इतिहास विभाग) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला (अमरोहा) (उ.प्र.) भारत

** शोधार्थी (इतिहास विभाग) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला (अमरोहा) (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - दीनबन्धु सर छोटूराम जी आधुनिक काल के महापुरुषों में एक थे, जिन्हें उनके विचार एवं कार्यों के लिए युगों-युगों तक याद किया जायेगा। वे समय व समाज की स्थापित कुव्यवस्था से समझौता न कर उसमें आधारभूत परिवर्तन के हिमायती थे। वे आम लोगों के शोषण, दमन व उनकी दयनीय स्थिति के सुधार हेतु अनवरत प्रयास करते रहे। 24 नम्बर 1881 को सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर अपने विचार व कार्य से असाधारण बन गये। असाधारण होते हुए भी उन्होंने साधारण जीवनशैली को अपनाकर अपनी महानता का परिचय दिया। शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में उनका कार्य विस्मरणिय है उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मजदूरों, किसानों, महिलाओं व समस्त वंचितों के उत्थान में लगा दिया लेकिन प्रचार तंत्र व स्वयं को स्थापित करने की भावना से हमेशा दूर रहे, यही कारण है कि उनके बारे में पेशेवर लेखकों या अन्य शोधार्थियों ने उन पर पर्याप्त लेखन कार्य नहीं किया। जिस कारण वे नेपथ्य के नायक बनकर रह गये।

प्रस्तावना - पुरानी कहावत है कि बालक के पांच पालने में ही दिखने लगते हैं। व्यक्ति अपने काल और समाज की देन होता है। समय के साथ ही उसमें गुण व अवगुण विकसित होते हैं। काल और समाज की सीमाओं में जीना सामान्य व्यक्ति की नियति होती है, किन्तु समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समाज के साथ नहीं चलते वे प्रचलित व्यवस्थाओं में सहभागी बनकर उनसे लाभ उठाने के बजाये उसमें निहित विरोधाभास, शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हैं तथा रूढ़िगत वैचारिकी एवं मूल्यों के वाहक बनने की अपेक्षा उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन के सूत्रधार बनते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति स्वयं एवं अपने परिवार के लोगों को समाज में इस प्रकार स्थापित कर देते हैं कि उनके साथ-साथ परिवार को भी युगो-युगो तक याद किया जाता है।

दीनबन्धु सर छोटूराम जी आधुनिक काल के उन महापुरुषों में से एक थे, जिन्हें युग-युगान्तर तक याद किया जायेगा। इन्होंने काल एवं समाज की स्थापित व्यवस्था एवं वैचारिकी की न तो अधीनता स्वीकार की और न ही समझौता किया। ये प्रचलित समाज की अन्याय एवं शोषणकारी शक्तियों के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे। इस सन्दर्भ में एक अन्य पहलु जो ध्यान देने योग्य है, वह यह कि समाज एवं काल की चुनौतियाँ एक समान नहीं होती हैं और न ही काल विशेष में किसी समाज के सभी वर्गों व व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ समान होती हैं। जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों के जीवन के लक्ष्य समान नहीं होते हैं, और न ही उनकी प्राथमिकताएं समान होती हैं। इसलिए व्यक्ति के विचारों एवं कार्यों को समझने के लिए उनके जीवन की परिस्थितियों को समझना और उनकी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। इसी क्रम में प्रस्तुत लेख के माध्यम से नेपथ्य के नायक दीनबन्धु सर छोटूराम जी के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

अध्ययन पद्धति-प्रस्तुत लेख ऐतिहासिक पद्धति पर आधारित है, जिसका आधार उनसे सम्बद्ध प्रकाशित शोध-पत्र, लेख, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ व

डायरी है। साथ ही साथ अप्रकाशित लेखों व पत्रों का सहारा लिया गया है। सम्पूर्ण शोध-पत्र द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है।

दीनबन्धु सर छोटूराम का संक्षिप्त जीवनवृत्त- दीनबन्धु सर छोटूराम जी के पूर्वजों का मुख्य पेशा कृषि था। इनके परदादा चौ० प्राणनाथ ओहलान जी, दादा चौ० रामदास जी एवं पिताजी चौ० सुखीराम जी सभी कृषि से जुड़े रहे इनके दादा जी के पास जो 10 एकड़ जमीन थी वह बंजर थी, जिसमें थोड़ी बहुत उपज होती थी, जिससे परिवार का खर्च भी नहीं चल पाता था, जिस कारण परिवार लगातार साहुकारों के कर्ज के तले दबता चला गया था। चौ० सुखीराम जी के भाई चौ० राजेराम जी एवं चौ० रामबख्श जी भी कृषि से ही आजीवन जुड़े रहे। चौ० सुखीराम जी का विवाह श्रीमती सिरिया देवी जी के साथ हुआ जिन्होंने तीन पुत्र चौ० नेकीराम, चौ० रामस्वरूप चौ० रामरिखपाल व एक पुत्री छोटी को जन्म दिया।¹

चौ० रामरिखपाल का जन्म 24 नवम्बर 1881 ई० में गाँव गढ़ी सापंलामें हुआ था जो हरियाणा राज्य के जिले झज्जर में पड़ता है, जो पहले रोहतक जिले का भाग था। उस समय हरियाणा पंजाब प्रान्त का भाग था। चौ० रामरिखपाल अपने भाईयों में सबसे छोटे थे जिस कारण परिवार के लोग उन्हें प्यार से 'छोटू' कहकर पुकारते थे। जब ये लगभग 10 वर्ष के हुए तो इनका दाखिला 1 जनवरी 1891 ई० को सापंला की पाठशाला में कराया गया। इनके अध्यापक श्री मोहनलाल जी ने इनका नाम रामरिखपाल की जगह रजिस्टर में इनके घर का प्यार का नाम छोटूराम लिख दिया तथा कालान्तर में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए।² 1985 ई० में दीनबन्धु सर छोटूराम जी ने प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, किन्तु प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पूर्व ही 5 जून 1893 ई० को बाल्य अवस्था में ही चौ० नन्हाराम जी की पुत्री श्रीमती ज्ञानों देवी जी से इनका विवाह हो गया था। इन्होंने श्रीमती भगवानी और श्रीमती दो पुत्रियों को जन्म दिया कालान्तर में श्रीमती ज्ञानों देवी जी को लोग 'माई' कहकर सम्बोधित करते थे। प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दीनबन्धु सर छोटूराम जी को सरकारी छात्रवृत्ति मिली जिसने

इनके आगे पढ़ने के द्वार खोल दिये और सांपला से लगभग 30 किलोमीटर दूर झज्जर के माध्यमिक स्कूल में प्रवेश ले लिया। 8 वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर पुनः दीनबन्धु सर छोटूराम जी ने छात्रवृत्ति पर कब्जा कर लिया और आगे की पढ़ाई का मार्ग खोल दिया लेकिन आगे की पढ़ाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि परिवार के पास धन का अभाव था। इनके पिताजी ने इनकी पढ़ाई की लगन को देखते हुए इन्हें आगे पढ़ाने के लिए साहुकार से कर्ज लेने का प्रण किया और अपने साथ दीनबन्धु सर छोटूराम जी को लेकर सांपला के सेठ घासी के पास कर्ज लेने गये। सेठ घासी के रवैये को देखकर दीनबन्धु सर छोटूराम जी बहुत दुखी हुए तथा तभी प्रण किया कि मैं बड़ा होकर सूदखोरों के जाल में फंसे गरीब किसान, मजदूरों को निकालूंगा। लेकिन आगे पढ़ना है तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। सेठ से कर्ज लिया तथा चाचा चौ० राजेराम ने दिल्ली के मिशन स्कूल में प्रवेश दिलाया। इन्होंने 1901 ई० में 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थीं इसी के साथ इन्हें प्रथम श्रेणी में पास होने के कारण इन्हें छात्रवृत्ति दी गई थी। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में प्रवेश लिया तथा 1905 ई० में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट के बाद सेठ छज्जूराम का सहयोग इन्हें निरन्तर मिलता रहा।³ इसी कॉलेज से स्नातक उत्तीर्ण किया और आगे पढ़ने के लिए परास्नातक में प्रवेश लिया लेकिन इसी समय इनके पिता जी चौ० सुखीराम जी का देहान्त हो गया और परिवार के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया जिस कारण दीनबन्धु सर छोटूराम जी ने परास्नातक की पढ़ाई छोड़कर आजीविका के लिए कालाकांकर के राजा श्री रामपाल सिंह जी के यहाँ निजी सचिव के रूप में कार्य करने लगे। 1906 ई० में इन्होंने जाटों को एकत्र करने का प्रयास किया तथा मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में इनके सहयोग से अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना हुई। 1907 ई० में हिन्दोस्तान समाचार पत्र का सम्पादन किया, लेकिन कुछ ही समय बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और आगरा चले गये और 1908 में आगरा के सांयकालीन सत्र में लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया तथा 1910 ई० में इन्होंने एल०एल०बी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन्होंने पी०सी०एस० की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी, जिसमें इन्हें नायब तहसीलदार का पद मिला लेकिन इन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। दीनबन्धु सर छोटूराम जी ने एल०एल०बी० की परीक्षा पास करने के उपरान्त आगरा में ही अप्रेंटिसशिप करने लगे। ये आगरा के जाट छात्रावास में रहते थे तथा 1911 ई० में जाट छात्रावास के अधीक्षक बन गये चूंकि दीनबन्धु सर छोटूराम जी में नेतृत्व की क्षमता बचपन से ही थी तो छात्रावास के अधीक्षक पद पर इन्होंने अच्छा नेतृत्व दिया।⁴

1912 ई० में अप्रेंटिसशिप पूर्ण करने के बाद आगरा से रोहतक चले गये तथा रोहतक में एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने वकालत प्रारम्भ कर दी। वकालत को इन्होंने पेशा नहीं बल्कि जन सेवा बना दिया और भारत में पहली बार देहाती किसान, मजदूरों निर्धनों को कोर्ट में सम्मान मिलने लगा। यदि किसी के पास फीस के पैसे नहीं होते थे तो सर छोटूराम उनका मुकदमा मुफ्त में लड़ते थे। 1913 ई० में रोहतक में जाट ऐंग्लो-संस्कृत हाईस्कूल की स्थापना हुई। इस स्कूल की प्रबंध समिति में सर छोटूराम जी महामन्त्री पद पर आसीन हुए। आगे जाट हीरोज मैमोरियल हाईस्कूल की स्थापना हुई तथा बाद में इसमें जाट ऐंग्लो संस्कृत हाईस्कूल का विलय हो गया। विलय के बाद इसे जाट हीरोज मैमोरियल संस्कृत हाईस्कूल नाम दिया गया। इस प्रकार इन्होंने गरीब किसानों के बच्चों की शिक्षा हेतु मार्ग आसान कर दिया।⁵

दीनबन्धु सर छोटूराम जी ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी अथक प्रयास किये। 1916 ई० में गरीबों, मजदूरों, किसानों व मजदूरों की आवाज़ बुलंद करने के लिए एक क्रान्तिकारी उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र 'जाट गजट' का प्रकाशन किया, जिसके लेखों के द्वारा साहुकारों के द्वारा गरीब मजदूर, किसानों के होने वाले शोषण को खुलकर समाज व अंग्रेज सरकार के सामने रखा।⁶

इसी वर्ष ये सहकारी समिति के सचिव बने जिसमें रहते हुए गरीब किसानों का हित किया। इनके प्रभाव को अंग्रेज सरकार भी समझ रही थी, कमिश्नर हरकोर्ट बटलर ने इन्हें रैक्रूटिंग बोर्ड और एन्टी-कॉरप्शन बोर्ड का सचिव नियुक्त किया। इनके बोर्ड सचिव रहने पर कॉरप्शन पर काफी हद तक लगाम लगी जिससे गरीब मजदूर व किसानों को लाभ मिला और भ्रष्टाचारियों में भय उत्पन्न होने लगा था।⁷

जिस प्रकार महात्मा गाँधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया उसी प्रकार दीनबन्धु सर छोटूराम जी ने भी जाटों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी दौरान इन्होंने एक क्रान्तिकारी समाज सुधारक के रूप में अपना स्थान बना लिया था।⁸

वर्ष 1916 ई० में ये रोहतक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और इनके नेतृत्व में रोहतक में कांग्रेस मजबूत हुई। इनके लेख बहुत ही क्रान्तिकारी होते थे अंग्रेज सरकार को डर था कि इनके लेखों के कारण कोई बड़ा आन्दोलन न हो जाये इसलिये इन्हें अंग्रेज सरकार ने निर्वासित करना चाहा और निर्वासित करने हेतु इन पर अभियोग चलाया, लेकिन अंग्रेज सरकार को यह महसूस होने लगा यदि इन्हें निर्वासित किया गया तो जन आन्दोलन हो सकता है। इसलिए निर्वासित अभियोग को वापस ले लिया।⁹ सर छोटूराम जी ने विधार्थियों के हितों को देखते हुए अखिल भारतीय जाट विद्यार्थी परिषद् की स्थापना भी की थी।

दीनबन्धु सर छोटूराम जी ने अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत को एक ही श्रेणी का क्षत्रियमाना था और इसके लिए 'अजगर' शब्द का सम्प्रत्य दिया था। दीनबन्धु सर छोटूराम जी को 'राव सहाब' की पदवी से विभूषित किया गया।¹⁰ इन्होंने जमींदार एसोसिएशन की स्थापना की जिसके माध्यम से किसानों को होने वाली समस्याओं के निदान का प्रयास किया तथा किसानों को अपने हक के लिये लड़ने के लिये एक मंच प्रदान किया। 1918 ई० में महात्मा गाँधी जी ने खेड़ा (गुजरात) में किसानों की समस्याओं को लेकर आन्दोलन कर दिया था चूंकि दीनबन्धु सर छोटूराम जी जीवन भर किसानों के लिए संघर्ष करते रहे इन्होंने भी खेड़ा किसान सत्याग्रह में अपना सहयोग दिया था। इसी वर्ष इन्होंने पंजाब हाईकोर्ट में अपनी वकालत करने के लिए नामांकन कराया क्योंकि इन्हें लगता था कि किसान, गरीब आदि के हितों से जुड़े मामलों की पैरवी हाईकोर्ट में भी की जानी चाहिए, क्योंकि गरीब किसान वहाँ तक पैरवी करने में सक्षम नहीं हैं। 1919 ई० के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता श्री मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी यह वही अधिवेशन है जिसमें जलियांवाला हत्याकाण्ड की निन्दा की गई थी। इसी अधिवेशन में दीनबन्धु सर छोटूराम जी ने अंग्रेज सरकार की निन्दा करते हुए अपने भाषण में कहा था कि 'विदेशी शासन गोलियों से स्वराज्य की भावना को दबा नहीं सकता है।'¹¹

सर छोटूराम जी का धीरे-धीरे कांग्रेस की नीतियों से मोह भंग होने लगा। 1920 ई० में यह कहते हुए कि 'कोरे आदर्शवाद से काम नहीं चलता,

व्यवहारिकता भी आवश्यक है।', कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि इनका मानना था कि असहयोग आन्दोलन से किसान और मजदूरों का हित नहीं बल्कि अहित ही होगा।¹²

1920 ई० से 1923 ई० तक कांग्रेस से अलग होकर दीनबन्धु सर छोटूराम जी के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आये लेकिन 1923 ई० में सर फजले हुसैन ने इन्हें कर यूनियनिस्ट पार्टी में शामिल किया इसके बाद सर छोटूराम जी आजीवन चुनाव नहीं हारे। ये पंजाब सरकार में कृषि मंत्री, शिक्षामंत्री एवं विकास मंत्री भी रहे।¹³

1925 ई० में ये पंजाब लैजिस्लेटिव काउन्सिल के स्पीकर बने। इसी वर्ष इन्होंने राजस्थान के पुष्कर में एक ऐतिहासिक जलसा किया था। 1926 ई० में ये पुनः काउन्सिल के सदस्य चुने गये। 1929 ई० में इन्होंने इन्तकाल अराजी कानून लागू करवाया। जिससे किसानों के हितों की रक्षा हुई। कर्जा माफी कानून-1934, साहूकार पंजीकरण एक्ट-1934 जैसे कानूनों को लागू करवाकर किसान मजदूर को साहूकारों के चंगूल से मुक्त कराया। 1938 ई० में मुल्तान में खाली पड़ी सरकारी भूमि को 12 वर्षों के लिए 3 रुपये प्रति एकड़ की दर से दलितों को भू-स्वामी बना दिया। फलस्वरूप दलितों ने इन्हें 'दीनबन्धु' की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने 1937 ई० में सर की उपाधि भी प्रदान की गई थी।¹⁴

अंग्रेजों द्वारा इन्हें सर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। गिरवी जमीन की मुफ्त वापसी एक्ट-1938 के द्वारा किसानों को गिरवी रखी जमीन वापस दिलाई। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम-1938 के द्वारा किसानों को आड़तियों के शोषण से मुक्ति दिलाई। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम-1940 को पास करवाकर कर्मचारियों के सप्ताह में काम करने के अधिक-से-अधिक 61 घण्टे निर्धारित करवाये तथा साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था करवाई। इसके अलावा इस श्रमिक कानून में यह भी व्यवस्था करवाई कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी में नहीं लगाया जा सकता है। इन्हीं के प्रयास से मोर के शिकार पर पाबंदी लगी। 1942 ई० में लायलपूर की किसान सभा के अध्यक्ष चौ. हबीब उल्ला खाँ ने दीनबन्धु सर छोटूराम जी के लिए 'रहबरे आजम' उपाधि का प्रस्ताव रखा जिस पर सभा में मौजूद सभी ने प्रस्ताव को जोर-शोर से पास किया। इस प्रकार सर छोटूराम जी दलितों के दीनबन्धु और मुस्लिमों के रहबरे आजम बन गये।¹⁵

1942 ई० में ही इन्होंने दिल्ली में जाट महासभा का सम्मेलन आयोजित करवाया था। 1943 ई० में किसानों की सिंचाई व्यवस्था आदि को देखते हुये इन्होंने भाखड़ा बाँध के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की। 10 अगस्त 1944 को श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा फार्मूले का विरोध किया तथा 15 अगस्त 1944 को साम्प्रदायिकता का विवेचन वाला एक पत्र महात्मा गाँधी को भेजा। इसी वर्ष साम्प्रदायिकता के समर्थक मौ० अली जिन्ना को 24 घण्टे में पंजाब से बाहर करने का प्रस्ताव पास करवाया था। 8 जनवरी 1945 को भाखड़ा बाँध योजना पर अपने हस्ताक्षर किए और 9 जनवरी 1945 को अंतिम शब्द 'भगवान सबका भला करे' बोलकर सबको रोता हुआ छोड़कर परमपिता परमात्मा के पास चले गये। दीनबन्धु सर छोटूराम

जी ने अपना समस्त जीवन शोषित वर्ग दलित, महिलाओं, किसानों, गरीबों, मजदूरों के उत्थान के लिए लगा दिया था।¹⁶

निष्कर्ष—इस प्रकार हम देखते हैं कि दीनबन्धु सर छोटूराम जी किसानों, गरीबों मजदूरों और महिलाओं के रहनुमा, मानवतावाद के अनुयायी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रभक्त राजनेता और स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में परिलक्षित होते हैं। जिन्हें युगों-युगों तक याद किया जायेगा, लेकिन उन्हें इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे वास्तविक हकदार थे। इसीलिए हमने उन्हें नेपथ्य का नायक कहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दलाल डॉ० अनिल : प्रशासन सुधारक चौधरी छोटूराम, अर्थ विज्ञान पब्लिकेशन्स गुरुग्राम- 122002, 2017 पृ०सं० (xiv)
2. मलिक डॉ० शमशेर सिंह: दीनबन्धु सर छोटूराम एक कुशल प्रशासक एवं युग प्रवर्तक, अर्थ विज्ञान पब्लिकेशन्स गुरुग्राम-122002, 2019, पृ०सं०-(iii)
3. कादियाँ प्रभावती : दीनबन्धु चौधरी छोटूराम (नाटक), सूर्य प्रभा प्रकाशन नई दिल्ली 1993, पृ०सं०-2.
4. शास्त्री श्री महेन्द्र कुमार, शास्त्री श्री परमेश शर्मा, शास्त्री श्री राजपाल सिंह : जाट बलवान, मधुर प्रकाशन 2804 आर्यसमाज मन्दिर, बाजार सीताराम दिल्ली-110006 अप्रैल 1991, पृ०सं०-602
5. शास्त्री श्री महेन्द्र कुमार, शास्त्री श्री परमेश शर्मा, शास्त्री श्री राजपाल सिंह : फिर वही, पृ०सं०-602, 603.
6. मलिक डॉ० शमशेर सिंह: फिर वही, पृ०सं०-93.
7. शास्त्री श्री महेन्द्र कुमार, शास्त्री श्री परमेश शर्मा, शास्त्री श्री राजपाल सिंह : फिर वही, पृ०सं०-602
8. दलाल डॉ० अनिल, फिर वही, पृ०सं०-8, 9
9. शास्त्री श्री महेन्द्र कुमार, शास्त्री श्री परमेश शर्मा, शास्त्री श्री राजपाल सिंह : फिर वही, पृ०सं०-603.
10. मलिक डॉ० शमशेर सिंह : फिर वही, पृ०सं०-04.
11. आर्य डॉ० महेन्द्र सिंह, डूडी चौ० धर्मपाल सिंह, फौजदार किशन सिंह, नरवार डॉ० बिजेन्द्र सिंह: आधुनिक जाट इतिहास, किशन सिंह फौजदार जयपाल एजेन्सीज 13-अ, सुभाष पुरम, बोदला पुलिस चौकी के पीछे आगरा-282007 उ०प्र० 15 जनवरी 1998, पृ०सं०-304, 305.
12. मलिक डॉ० शमशेर सिंह : फिर वही, पृ०सं०-5, 6.
13. अहलावत दलीप सिंह: जाट वीरो का इतिहास, (रोहतक: दयानन्द मठ), पृ०सं०-919.
14. दलाल डॉ० अनिल : फिर वही, पृ०सं०-145-
15. जाखड़ राम सिंह : राव बहादुर सर छोटूराम दिग्दर्शन (रोहतक 1991), पृ०सं०-128.
16. हुड्डा भूपेन्द्र सिंह : विकास की उड़ान अभी बाकी है....., वाणी प्रकाशन 21-A दरियागंज नई दिल्ली-110002, 2008, पृ०सं०-260.

पंचायती राज में जनजाति महिलाओं की भागीदारी (सलुम्बर पंचायत समिति का एक अध्ययन)

प्रियंका सालवी *

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – राजनीतिक सहभागिता में विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं। मैक्गलोरस्की ने इसमें मतदान, जानकारी प्राप्त करना, वाद-विवाद एवं धर्मान्तरण, सभाओं में उपस्थित रहना, चन्दा देना, प्रतिनिधियों के साथ सम्पर्क रखना आदि विशिष्ट क्रियाएँ तथा दल की औपचारिक सदस्यता ग्रहण करना, चुनाव अभियान में भाग लेना, राजनीतिक भाषण देना या लिखना तथा सार्वजनिक एवं दलीय पदों के लिये चुनाव में भाग लेना आदि जैसे सक्रिय रूपों को सम्मिलित किया है। भारत में महिलाओं के स्थान विषय पर गठित समिति ने सन् 1974 में अनुशंसा की थी कि ऐसी पंचायतें बनाई जाएँ जिनमें केवल महिलाएँ ही हों। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द विमेन, सन् 1988 ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला परिषद तक 30 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुशंसा की थी। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण को पंचायतीराज संस्थानों में राव समिति द्वारा प्रस्तुत संतुतियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी गई। वर्तमान सृजनशील समाज में नारीवादियों द्वारा आत्मनिर्णय एवं स्वाशासन के लिए सामाजिक रूपांतरण की मांग प्रबल हुई है। इसकी अभिव्यक्ति भारतीय संसद में 110वें व 112वें संविधान संशोधन विधेयक, 2009 के रूप में हुई, जिनका संबंध क्रमशः पंचायतीराज और शहरी निकायों के सभी स्तरों में महिलाओं के लिए निर्धारित 33 प्रतिशत सीटों को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने से था।

महत्वपूर्ण अध्ययन

ब्रीआने, एफ. (2007) ने अपने शोध पत्र 'डिवोर्स एण्ड द पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन' में मिशिगन विश्वविद्यालय की 98 स्नातक महिलाओं को दो वर्गों विवाहिता एवं तलाकशुदा में विभाजित कर उनमें राजनीतिक सहभागिता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इसमें पाया गया है कि विवाहित महिलाओं की अपेक्षा तलाकशुदा महिलाएँ राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अधिक स्वतंत्र विचार एवं दृष्टिकोण रखती हैं और महिला सशक्तिकरण के प्रति भी जागरूक हैं। किंतु राजनीति में भागीदारी एवं सक्रियता के प्रति उनके दृष्टिकोण में भिन्नता नहीं है।

सुजेन सोले एण्ड जेनिफर एन (2008) ने अपने लेख 'आर गर्ल्स चेकिंग आउट जेन्डर एण्ड पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन इन ट्रांजिशनिंग डेमोक्रेसिस' के अंतर्गत इण्डोनेशिया के छः भागों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक सहभागिता का जेण्डर के आधार पर आनुभावीक अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन में स्पष्ट किया है कि लड़कियों की राजनीतिक भागीदारी एवं

सक्रियता पहले की तुलना में अभिवृद्धि हुई है। किंतु आज भी उनकी राजनीतिक रुचि, दृष्टिकोण तथा भागीदारी पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हुई है।

राठीड मधु (2002) 'पंचायती राज और महिला विकास' में महिलाओं पर किए गए अपने अध्ययन से भारत में पंचायती राज की दशा और दिशा अपने अध्ययन में निम्न निष्कर्ष निकाला है कि राजनैतिक अधिकार, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं के चलते अब महिलाओं में चेतना आ रही है, जागरूकता आ रही है और वह दिन नहीं जब वे वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर घर-परिवार, समाज एवं राष्ट्रीय कार्य में अहम भूमिका का निर्वाहन करेंगी।

पाल सुधीर एवं रणेन्द्र (2002) की पुस्तक में पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के संदर्भ में अध्ययन किया गया है पुस्तक का संदेश है कि मानवता के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी मिसाल हो, जब दो संवैधानिक कानूनों (73वाँ व 74वाँ स.स.) ने लाखों महिलाओं व दलितों को हाशिये से उठाकर हुकुमत की कुर्सी तक पहुँचा दिया हो, अब हाशिए पर रहने वाली महिलाएँ व दलित भी नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन लिंग भेद, गरीबी, अशिक्षा व जानकारी का अभाव, इनकी कठिनाईयाँ बढ़ा रहा है, प्रधानपतियों, सरपंचपतियों द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में नेतृत्व उत्तर भारत की खासियत है। दलित सरपंचों से आशा की जाती है कि वे हाथ जोड़कर बैठे रहे, कुछ विसंगतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। महिलाओं की दृष्टि बुनियादी आवश्यकताओं पर आधारित होती है महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है सशक्त भी हुई लेकिन अभी निर्णायक नहीं बन पाई है।

शमता सेठ (2002) 'पंचायती राज (राजस्थान में पंचायती राज का एक व्यवहारिक अध्ययन)' में राजस्थान में पंचायतीराज के कार्यकरण में जनप्रतिनिधियों के विभिन्न पहलुओं पर विचार, नई उभरते नेतृत्व के दृष्टिकोण, महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण व्यवस्था के औचित्य और उनकी भागीदारी जैसे प्रश्नों पर गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. सलुम्बर पंचायत समिति में जनजातीय महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना।
2. सलुम्बर पंचायत समिति में जनजातीय महिला जन प्रतिनिधियों की सहभागिता का अध्ययन करना।

तथ्य संकलन एवं निदर्शन – राजस्थान के उदयपुर जिले की सलुम्बर पंचायत समिति से 40 जनजातीय महिला जनप्रतिनिधि और 40 आम जनजाति महिलाओं का उत्तरदाताओं के रूप में चयन किया गया है। कुल 80 जनजातीय महिलाओं का चयन किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए उदयपुर जिले गिरवा एवं सलुम्बर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में जनजाति महिलाएँ एवं महिला जनप्रतिनिधियों को अध्ययन का आधार बनाया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से दो श्रेणी के उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। प्रथम श्रेणी में महिला जनप्रतिनिधि व द्वितीय श्रेणी में जनसमुदाय से जनजातीय महिलाएँ। निदर्शन के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत से सम्बंधित महिला उत्तरदाताओं से अनुसूचियों से साक्षात्कार किया गया है।

आयु एवं शैक्षणिक योग्यता– आयु के अनुसार विवरण में 45 से 50 वर्ष के उत्तरदाता 25 प्रतिशत है और 51 से 55 वर्ष के 25 प्रतिशत उत्तरदाता है तथा 56 से 60 वर्ष के सलुम्बर पंचायत समिति से 23 प्रतिशत उत्तरदाता है जबकि 61 से 65 वर्ष के 21 प्रतिशत उत्तरदाता है। शैक्षणिक योग्यता में 24 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं और 53 प्रतिशत महिलाएँ 5वीं तक पढ़ी हैं एवं 10 प्रतिशत महिलाएँ 8वीं तक पढ़ी हैं जबकि 14 प्रतिशत महिलाएँ 10 वीं पास हैं।

राजनीतिक दल की सदस्यता– सलुम्बर पंचायत समिति की कुल 80 जनजातीय महिलाओं का राजनीतिक दल की सदस्यता लेने के अनुसार विवरण में पाया गया कि सन् 1995 में 58 प्रतिशत और सन् 2000 में 64 प्रतिशत एवं सन् 2005 में 69 प्रतिशत तथा सन् 2010 में 73 प्रतिशत जबकि सन् 2015 तक 75 प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर ली।

मतदान– मतदान के अधिकार के प्रश्न पर पाया गया कि सन् 1995 में 65 प्रतिशत महिलाओं ने और सन् 2000 में 68 प्रतिशत महिलाओं ने एवं सन् 2005 में 70 प्रतिशत महिलाओं ने तथा सन् 2010 में 76 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 79 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया है।

राजनीतिक घटनाओं चर्चा– राजनीतिक घटनाओं पर समूह चर्चा करने के प्रश्न पर पाया गया कि सन् 1995 में 4 प्रतिशत महिलाएँ और सन् 2000 में 8 प्रतिशत महिलाएँ एवं सन् 2005 में 14 प्रतिशत महिलाएँ तथा सन् 2010 में 29 प्रतिशत महिलाएँ जबकि सन् 2015 तक 35 प्रतिशत जनजातीय महिलाएँ राजनीतिक घटनाओं पर समूह चर्चा करती थी।

ग्राम पंचायत की बैठकों में सहभागिता– ग्राम पंचायत की बैठकों में सहभागिता देने के प्रश्न पर पाया गया कि सन् 1995 में 51 प्रतिशत महिलाओं ने और सन् 2000 में 55 प्रतिशत महिलाओं ने एवं सन् 2005 में 60 प्रतिशत महिलाओं ने तथा सन् 2010 में 69 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 80 प्रतिशत महिलाओं ने ग्राम पंचायत की बैठकों में सहभागिता दी।

सामाजिक अंकेक्षण एवं सूचना का अधिकार– सामाजिक अंकेक्षण में भाग लेने के प्रश्न पर पाया गया कि सन् 1995 में 0 प्रतिशत महिलाओं ने और सन् 2000 में 0 प्रतिशत महिलाओं ने एवं सन् 2005 में 61 प्रतिशत महिलाओं ने तथा सन् 2010 में 74 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 80 प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक अंकेक्षण में भाग लिया है। सूचना के अधिकार को उपयोग में लेने के प्रश्न पर पाया गया कि सन्

1995 में 0 प्रतिशत महिलाओं ने और सन् 2000 में 0 प्रतिशत महिलाओं ने एवं सन् 2005 में 50 प्रतिशत महिलाओं ने तथा सन् 2010 में 5 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 24 प्रतिशत महिलाओं ने सूचना के अधिकार को उपयोग में लिया है।

ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्य की निगरानी– ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्य की निगरानी एवं गुणवत्ता पर चर्चा करने के प्रश्न पर पाया गया कि सन् 1995 में 3 प्रतिशत महिलाओं ने और सन् 2000 में 6 प्रतिशत महिलाओं ने एवं सन् 2005 में 30 प्रतिशत महिलाओं ने तथा सन् 2010 में 43 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 54 प्रतिशत महिलाओं ने ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्य की निगरानी एवं गुणवत्ता पर चर्चा की है।

शिक्षा के स्तर की निगरानी – जनजातीय महिलाओं द्वारा विद्यालयों में शिक्षा के स्तर की निगरानी करने के प्रश्न पर पाया गया कि सन् 1995 में 6 प्रतिशत महिलाओं ने और सन् 2000 में 11 प्रतिशत महिलाओं ने एवं सन् 2005 में 31 प्रतिशत महिलाओं ने तथा सन् 2010 में 45 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 74 प्रतिशत महिलाओं ने विद्यालयों में शिक्षा के स्तर की निगरानी की है।

निष्कर्ष:

1. 45 से 50 वर्ष के उत्तरदाता 25 प्रतिशत है और 51 से 55 वर्ष के 25 प्रतिशत उत्तरदाता है तथा 56 से 60 वर्ष के सलुम्बर पंचायत समिति से 23 प्रतिशत उत्तरदाता है जबकि 61 से 65 वर्ष के 21 प्रतिशत उत्तरदाता है।
2. शैक्षणिक योग्यता में 24 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं और 53 प्रतिशत महिलाएँ 5वीं तक पढ़ी हैं एवं 10 प्रतिशत महिलाएँ 8वीं तक पढ़ी हैं जबकि 14 प्रतिशत महिलाएँ 10 वीं पास हैं।
3. सलुम्बर से सन् 1995 में 58 प्रतिशत और सन् 2000 में 64 प्रतिशत एवं सन् 2005 में 69 प्रतिशत तथा सन् 2010 में 73 प्रतिशत जबकि सन् 2015 तक 75 प्रतिशत महिलाओं ने किसी न किसी राजनीतिक दल की सदस्यता प्राप्त कर ली।
4. सन् 1995 में 65 प्रतिशत महिलाओं ने और सन् 2015 तक 79 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया है।
5. सन् 1995 में 4 प्रतिशत महिलाएँ और सन् 2015 तक 35 प्रतिशत जनजातीय महिलाएँ राजनीतिक घटनाओं पर समूह चर्चा करती थी।
6. सन् 1995 में 51 प्रतिशत महिलाओं ने और सन् 2015 तक 80 प्रतिशत महिलाओं ने ग्राम पंचायत की बैठकों में सहभागिता दी।
7. सन् 1995 में 0 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 80 प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक अंकेक्षण में भाग लिया है।
8. 1995 में 0 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 24 प्रतिशत महिलाओं ने सूचना के अधिकार को उपयोग में लिया है।
9. सन् 1995 में 3 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 54 प्रतिशत महिलाओं ने ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्य की निगरानी एवं गुणवत्ता पर चर्चा की है।
10. सन् 1995 में 6 प्रतिशत महिलाओं ने जबकि सन् 2015 तक 74 प्रतिशत महिलाओं ने विद्यालयों में शिक्षा के स्तर की निगरानी की है।

सुझाव:

1. जनजातीय महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों को ग्राम सभा की बैठक में

- अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने को प्रेरित एवं उत्साहित का सकती है।
2. ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समितियों में जनजातीय महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है।
 3. ग्राम सभा में कुछ मूलभूत प्रश्न उठाकर, जैसे, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का क्रमवार चयन, सड़क निर्माण योजना में स्थान का निर्धारण रोजगार योजना से जोड़कर स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्य की परियोजना आदि में जनजातीय महिलाओं को प्राथमिकता दिलवा सकती हैं।
 4. ग्राम पंचायत में जनजातीय महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी पहल आदि पर चर्चा चला सकती हैं और निर्णायक भूमिका अदा कर सकती हैं।
- संदर्भ ग्रंथ सूची :-**
1. ब्रीआने एफ. (2007) 'डिवोर्स एण्ड द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ मिडल एण्ड वूमन' जर्नल ऑफ डिवोर्स एण्ड रिमैरिज, रूटलेस पब्लिशिंग, लंदन, वॉल्यूम-47, इश्यू-3,4, पृ.सं.-43-66
 2. सुजेने सोले एण्ड जेनिफर एन. (2008) 'आर गलर्स चेकिंग आउट जेण्डर एण्ड पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन इन ट्रांसिशनिंग डेमोक्रेसि' मिडवेस्ट पॉलिटिकल साइंस एसोसियशन, पॉलमर हाउस हिल्टन, शिकागो
 3. राठौड़ मधु, (2002) 'पंचायती राज और महिला विकास', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
 4. पाल, सुधीर एवं रणेन्द्र, (2002) 'पंचायत राज हाशिये से हुकुमत तक', आधार प्रकाशन, पंचकुला, हरियाणा
 5. शमता सेठ (2003) 'पंचायती राज (राजस्थान में पंचायती राज का एक व्यवहारिक अध्ययन)', हिमांशु पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003

मेवाड़ महाराणा फतेहसिंह का जीवन और व्यक्तित्व परिचय

विनीता पालीवाल *

* शोधार्थी (संस्कृत) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - 'स्वतंत्रता' किसी भी कार्य को करने में कर्ता स्वतंत्र होता है। एक सुनियोजित स्वतंत्रता कार्य को प्रगति के शिखरों पर पहुँचाती है। किन्तु अति किसी भी कार्य को भ्रमित कर सकती है।

मनुष्य अपने आपको स्वतंत्र व बन्धनों से रहित रखना चाहता है किन्तु यह पूर्णतः संभव नहीं है, क्योंकि सुनियोजित बन्धन से रहित समाज में अराजकता, आशान्ति, उपद्रव की पूर्णतः संभावना रहती है। अतः ईश्वर ने सम्पूर्ण संसार की गतिविधियों को नियंत्रित व सुनियोजित करने के लिए अपने ही अंशों से एक परम शक्ति को उत्पन्न किया, जिसे कोई ब्रह्म कहता है, तो कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर परन्तु वह भिन्न-भिन्न नामों वाला होते हुए श्रेष्ठ नियंत्रक, शासक व राजा होता है।

एक राजा के बिना समाज की कल्पना तो कर सकते हैं परन्तु एक श्रेष्ठ सुखद शांतिप्रद देवत्व स्वरूप, देवालय रूपी समाज की कल्पना असंभव है। मनुस्मृति में कहा गया है-

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतोविद्रते भ्यात्।

रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत्प्रभुः॥¹

इस प्रकार संसार, देश, नगर या कस्बे सभी की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक नियंत्रक व शासक की व्यवस्था की गई जो एक राजा के रूप में संसार में विख्यात हुआ।

राजा से समाज की गति व दिशा मिली। राजाओं की वंशावली होती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं का शासन होता गया संसार में अनेक राजाओं व उनके वंशों का उदय हुआ। कितने ही राजवंशों ने सम्पूर्ण विश्व पर अपनी अलग पहचान व विजय पताका फहराई और अपने कार्यों से सम्पूर्ण विश्व में अमर हो गए, ऐसे ही राजवंशों में एक राजवंश है, मेवाड़ का राजवंश जो आज भी विश्व में अपनी अजर-अमर पताका को फहरा रहा है।

मेवाड़ राजवंश की स्थापना ईसा की पांचवी शताब्दी में गुहिल नाम के एक प्रतापी राजा ने की थी। भारत की आजादी के समय वह विश्व का सबसे पुराना राजवंश था। लगभग 1400 वर्ष की अवधि में 75 शासकों की शृंखला ने निर्वहन रूप से मेवाड़ पर शासन किया।

मेवाड़ वंश में सभी राजा प्रतापी वीर तथा स्वाभिमान के धनी थे, महाराणा सांगा, कुंभा, उदयसिंह, प्रताप, अमरसिंह जिन्होंने न केवल अपनी वीरता बलिदान व स्वाभिमान चरित्र से सम्पूर्ण विश्व में यश की प्राप्ति की अपितु कला-विज्ञान, धर्म आदि क्षेत्रों में भी आदि पहचान बनाई है।

सूर्यवंशी इन राजाओं की वंश परम्परा में एक महान प्रतापी फतेहसिंह जी हुए हैं, जिन्होंने अपनी पहचान न केवल अपने वंश से अपितु अपने श्रेष्ठ कार्यों से सम्पूर्ण विश्व में अपनी पहचान बनाई है। महाराणा फतेहसिंह ने

वंश की मर्यादा और उनके प्रण को हमेशा अपने सिर पर ताज की तरह पहना है। अपने पूर्व महाराणाओं ने जो परम्परा चलाई उसका पूरा पालन फतेहसिंह जी ने किया है।

महाराणा का पूर्ण नाम- 108 श्री महाराणाधिराज राजेश्वर रवि कुल भूषण महि महिन्द्रा यावद्रया कुल कमल दिवाकर छत्तीस राजकुल सिंगार महाराणा श्री सर फतेहसिंह हिन्दू सूरज हिन्दूपति।

महाराणा फतेहसिंह का जन्म विक्रम सम्वत् 1906 पौषसुदी द्वितीय (16 दिसम्बर 1849) को हुआ था। ये शिवरती घराने से थे। महाराणा सज्जनसिंह के कोई राजकुमार (उत्तरधिकारी) नहीं होने के कारण शिवरती के घराने से महाराजा दलसिंह के पुत्र महाराणा फतेहसिंह को गोद लिया गया।

विक्रम सम्वत् 1941 पौष शुक्ल षष्ठ (23 दिसम्बर 1884) को गद्दी पर बैठे तथा माघ सुदी सप्तमी (23 जनवरी, 1885) को राज्याभिषेक हुआ।

जन्म - 16 दिसम्बर 1849

जन्म पिता- महाराज दलसिंह (शिवरती वंश)

पिता - सज्जन सिंह

वंश - सिसोदिया वंश (गोद लिये जाने के बाद)

प्रथम पत्नी- फूल कुमारी

द्वितीय पत्नी- ठाकुर चंदा कोल सिंह की पुत्री

पुत्र - महाराणा भूपाल सिंह

पुत्रियाँ- (अ) अंकार बाई (ब) किशोर कुंवर

मृत्यु - 24 मई 1930

महाराणा विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे, उन्होंने अपने शासनकाल में अनेकों महत्वपूर्ण कार्यों से मेवाड़ को प्रसिद्धि दिलवाई, महाराणा ने अपने शासनकाल अनेकों जनकल्याण व सुधार के कार्यों को किया जो आज भी अविस्मरणीय हैं। महाराणा के शासन व कार्यों से ही उनके व्यक्तित्व को समझा जा सकता है।

महाराणा द्वारा किये गये सुधार कार्य निम्न प्रकार से उल्लेखित हैं-

शिक्षा सम्बन्धी सुधार - मेवाड़ में शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में महाराणा फतेहसिंह का प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। महाराणा स्वयं अल्प शिक्षित थे परन्तु उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर बहुत अधिक ध्यान दिया। बारापाल व पड़ना में प्राईमरी स्कूल, खोले, अंग्रेजी स्कूलों व हिन्दी स्कूलों को क्रमोन्नत करके शिक्षा का प्रसार किया। महाराणा हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षा के लिए अलग से विभाग खोला, बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन

देने के लिए कन्यापाठ शाला को क्रमोन्नत करके विद्यालय में पठित विषयों के अतिरिक्त सिलाई, बुनाई इत्यादि कार्यों को भी सीखाने का कार्य करवाया।

महाराणा ने अपने शासनकाल में लगभग 47 प्राथमिक विद्यालय खोले, सामान्तों के बच्चों के पढ़ने के लिए 'भूपाल नोबल-स्कूल' की स्थापना की महाराणा ने भील बाहुल्य क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रोत्साहन देने हेतु प्राथमिक विद्यालय खोले। राज्य में शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा विभाग की व्यवस्था की गई महाराणा स्वयं इसके अध्यक्ष हैं।

स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार - महाराणा फतेहसिंह जी ने जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों को भी बहुत अच्छे से किया, लोकोपकार की भावना से प्रेरित होकर महाराणा ने उदयपुर शहर और जिलों में चिकित्सालय खोले। जहाँ सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के दवाईयाँ मुफ्त दी जाती थी। 'महाराणा ने लॉर्ड डफरिन व लेडी डफरिन के उदयपुर आगमन पर स्वर्गीय महाराणा सज्जनसिंह द्वारा स्थापित वाल्टर फिमेल हॉस्पिटल (जनाना अस्पताल) का लेडी डफरिन के हाथों शिलान्यास करवाया। चेचक जैसी भयंकर बीमारी की रोकथाम के लिए प्रचुर मात्रा में टीके लगवाये।'

अकाल राहत सम्बन्धी कार्य - अकाल जैसी विकराल समस्या से राजस्थान को हमेशा से ही सामना करना पड़ा है, अकाल के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, मेवाड़ रियासत में भी अनेक छोटे-बड़े अकाल होते रहे हैं परन्तु जब महाराणा फतेहसिंह गद्दी पर बैठे उस समय 1898-1899 में भयंकर अकाल पड़ा जिसे मेवाड़ के इतिहास में कुख्यात 'छपन्या काल' कहा गया। 1899 में राजपूताने के लगभग सभी भागों में अपर्याप्त वर्षा होने से धीरे-धीरे अकाल की स्थिति ने भयावह रूप ले लिया मनुष्यों, पशुओं सभी की स्थिति दयनीय थी, जनता को अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए महाराणा द्वारा अनेक राहत कार्यों को प्रारम्भ किया गया रेलवे लाईन निर्माण, तालाब व कुओं की खुदाई, सड़क निर्माण, अनाज वितरित करना, कानपुर व अलीगढ़ से 2 लाख रुपये का अनाज भी तत्काल मंगवाया गया, इस प्रकार महाराणा ने विपदाओं का सामना करते हुए भी जनता की सुरक्षा

को सर्वोपरि रखा।

सिंचाई सम्बन्धी सुधार- महाराणा ने न केवल शिक्षा व स्वास्थ्य अपितु सिंचाई सम्बन्धी कार्यों का भी विकास किया। महाराणा ने नहरों का निर्माण करवाया तालाबों व कुओं को बनवाया व मरम्मत करवाई। राशमी, भीलवाड़ा और राजनगर में तालाबों की मरम्मत करवाई। राजनगर झील से नहरे निकलवाई जिससे राज्य में गेहूं व अफीम की अच्छी फसल होने लगी।

फतहसागर झील का निर्माण करवाया। सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था अतः महाराणा ने एक सिंचाई विभाग की स्थापना करवाई जिसमें प्रतिवर्ष सिंचाई के कार्यों के लिए 1 लाख रुपये व करने का प्रावधान रखा गया।

इस प्रकार महाराणा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इनका व्यक्तित्व व जीवन मेवाड़ के वंश पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाता है।

अन्य सुधार / विकास कार्य - महाराणा ने अपने काल में मेवाड़ में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया। महाराणा मेवाड़ के आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक औद्योगिक व सांस्कृतिक प्रगति में पर्याप्त रुचि रखते थे। 1894 में उदयपुर चित्तौड़ रेलवे लाइन की स्थापना करवाई, डाक घरों का निर्माण करवाया, आवागमन के साधनों की प्रगति के उद्देश्य से सड़कों का निर्माण करवाया, नमक के उत्पादन पर लगाये जाने वाले 'मापा' कर को भी समाप्त कर दिया रियासत में इधर-उधर पक्की सड़कें बनवा कर स्थान-स्थान पर पुलिस की चौकियाँ और थाने बिठना दिये, जिससे मेवाड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना सुगम और भयरहित हो गया।

क्षत्रिय जाति में सुधार की दृष्टि से 'वाल्तरकृत राजपूत-हितकारिणी' सभा की स्थापना उदयपुर में भी करवाई, जिससे राजपूत सरदारों में बहु-विवाह बाल-विवाह तथा शादी एवं मृत्युभोज पर फिजूलखर्ची की रोक हुई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मनुस्मृति सप्तम अध्याय श्लोक सं. 3

कबीर के काव्य में प्रतीक विधान

डॉ. प्रभा शर्मा *

*सह आचार्य (हिन्दी) राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना - 'प्रतीक' अप्रस्तुत की समस्त आत्मा या धर्म या गुण का समन्वित रूप उपस्थित करता है। 'प्रतीक' हमारी चेतना में सोये हुए उस संदर्भ से संबंधित स्वरूप को जगाने में पूर्णतः समर्थ होता है। प्रतीक का कोषगत अर्थ है- 'चिह्न, प्रतिनिधि, प्रतिरूप, प्रतिमा, प्रतिकूल अंक, अवयव, अंश, भाग, वह रूप है जिस पर किसी का आरोप किया गया हो।' यह संकेत रूप में किसी अर्थ को व्यक्त करने वाला होता है। साहित्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। 'प्रतीक की शक्ति अभिप्रेत पर्यवसुकता को अधिक से अधिक तीव्रता के साथ जगा सकने की सफलता में है।'²

मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का आश्रय लेता है और ये शब्द मनुष्य के किसी न किसी भाव या विचार से जुड़े होते हैं। प्रत्येक शब्द एक निश्चित अर्थ का बोध कराता है और फिर वह शब्द उस अर्थ के साथ जुड़ जाता है। इसी प्रक्रिया से मानवीय भावों की अभिव्यक्ति संभव होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शब्द अपने परिचित अथवा मान्य अर्थ से इतर अर्थ का बोध कराता है। दूसरे शब्दों में - पुराने शब्दों में नये अर्थ की प्रतिष्ठा हो जाती है और इस प्रक्रिया को विलक्षणता लाना कहते हैं। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में - 'पुराने शब्द और नये अर्थ का यह संबंध गूढ़ होता है। इनका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि उनकी प्रत्यक्ष गति बाधित होकर अप्रत्यक्ष गति उनके भार को संभालती है। जिस शक्ति के बल से ये अर्थ द्योतन करते हैं, उसे विलक्षण नाम दिया जा सकता है। और वे शब्द विलक्षण होते हैं। इन्हीं विलक्षण शब्दों को हम 'प्रतीक' कहते हैं। किन्तु इसका यह आशय भी नहीं है कि लाक्षणिकता से युक्त प्रत्येक शब्द 'प्रतीक' की श्रेणी में आ सकता है।

मनुष्य अपने दैनिक जीवन की अनुभूतियों के भाव-चित्र अपने मानस-पटल पर अंकित करता रहता है। और फिर दूसरों के समक्ष उन्हें व्यक्त भी करता रहता है। यद्यपि अभिव्यक्ति के अनेक साधन (कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, चित्रकला, संगीत, कला आदि) हो सकते हैं। तथापि कई ऐसे प्रसंग, विषय अथवा दृश्य भी होते हैं। जिनकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा की अभिधा शक्ति असमर्थ रह जाती है और तब लक्षणा शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। आत्मा, परमात्मा, जगत, जीव, माया आदि ऐसे ही विषय हैं जिनकी अभिव्यंजना के लिए भाषा की अभिधा शक्ति सर्वथा असमर्थ रह जाती है। कतिपय विद्वानों के अनुसार भाषा की इस कमी की पूर्ति अलंकारों के प्रयोग से की जा सकती है क्योंकि अलंकारों के प्रयोग से कवि 'अप्रस्तुत' को प्रस्तुत कर लेता है तथा आत्मा-परमात्मा आदि ऐसे विषय हैं जो कि हमारी सभी ज्ञानेन्द्रियों के लिए अगम्य और अगोचर हैं जो कुछ हमने देखा ही नहीं उसका चित्रण साधारण शब्दों में कैसे सम्भव है?

प्रतीकों का प्रत्यक्ष उनके सृष्टा के गन्तव्य के साथ होता है। 'प्रतीक' मूलतः कवि का नितान्त अपना 'प्रयोग' होता है उसमें कवि का निजीपन जुड़ा होता है। जबकि लक्ष्यार्थ का आधार वाच्यार्थ होता है। इस दृष्टि से अलंकार लौकिक होता है। वे लौकिक अर्थ-भावों का ही बोध करा सकते हैं। उनसे आगे उनकी गति नहीं होती है। प्रतीकों की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए एक विद्वान आलोचक कहते हैं कि 'अधिकांश प्रतीकों की सहायता बहुधा ऐसे अवसरों पर ली जाती है जब हमारी भाषा पंगु और अशक्त सी बनकर मौन धारण करने लगती है और जब व्यक्ति के अनुभव व्यक्तिकरण के लिए शिला से टकराने वाले स्रोतों की भ्रांति फूटने के लिए आतुर हो जाते हैं।' कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रतीक का अर्थ अस्पष्ट होने के कारण प्रतीक को ही प्रस्तुत मान लिया जाता है। जो कि निःसन्देह घोर अनर्थ का द्योतक है। कदाचित इसी कारण से वैष्णव सम्प्रदायों में अनेक प्रकार की कुरीतियों का जन्म हुआ है। इसीलिए कबीर ने कहीं-कहीं इसी प्रकार की गूढ़ प्रतीकात्मक भाषा के प्रयोग का निषेध किया है।

'प्रतीक' सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं- वस्तुपरक प्रतीक और भावपरक प्रतीक। वस्तुपरक प्रतीकों का प्रयोग हम सामान्य जीवन एवं व्यवहार में करते हैं। जबकि भावपरक प्रतीकों का प्रयोग काव्य अथवा साहित्य में किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में प्रतीकों का प्रयोग वैदिक वाङ्मय में सबसे पहले मिलता है। वेदों में वर्णित विभिन्न देव-देवियाँ इसी प्रतीक पद्धति के द्योतक हैं। ऊँ को ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। वैदिक कवियों ने ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन करने के लिए सूर्य, वन, अग्नि, जल तथा चन्द्रमा आदि प्रतीकों का आश्रय लिया था।

कालक्रम की दृष्टि से वैदिक साहित्य के बाद बौद्ध ग्रन्थों में प्रतीकों का बहुल प्रयोग मिलता है। जातक कथाओं में प्रतीकों का सार्थक प्रयोग किया गया है। यही नहीं पुराणों में भी प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है। सूफी साहित्य भी प्रतीकों से मुक्त नहीं है। इसी क्रम में सिद्धों एवं नाथों का साहित्य भी उल्लेखनीय है जिसमें गुप्त अर्थों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भारतीय साहित्य में प्रतीक परम्परा का एक समृद्ध इतिहास है। कबीर ने भी अपनी वाणी में प्रतीकों का खूब प्रयोग किया है और यह निर्विवाद है कि कबीर की प्रतीक योजना पर सिद्धों, नाथों, विद्यापति, अमीर खुसरो आदि द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों का सुस्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। कबीर के प्रतीकों को स्थूलतः दो वर्गों में बाँटा जा सकता है- परम्परागत प्रतीक और मौलिक प्रतीक। परम्परागत प्रतीक का आशय ऐसे प्रतीकों से है जो कि परम्परा में घर कर चुके हैं। जिनके अर्थ प्रचलित हो चुके हैं। ऐसे कुछ प्रतीक हैं- सांपिन, नदी, बाजा, खसम, जमुना, चौरासी, चौंसठ, तीन, पाँच, किंगुरी आदि-आदि। मौलिक प्रतीकों में से

कुछ प्रतीक हैं- कंबरीकुई, बागइदेश, दुकान, माटी, ताना, सूत, धागा, मालवदेश, चुनरी, तेल, दिया। कबीर ने प्रतीकों के प्रयोग में एक स्वाभाविकता का परिचय दिया है।

कबीर की प्रतीक योजना का विश्लेषण करने पर मुख्यतः तीन प्रकार के प्रतीक देखने में आते हैं- साधनापरक, अध्यात्मपरक और भावपरक। कबीर ने अपने साधनापरक भावों की अभिव्यक्ति के लिए साधनापरक प्रतीकों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियाँ देखिए-

अवधू मेरा मन मतिवारा
उन्मनि चढ़ा गगन रस पीवै, त्रिभुवन भया उजियारा।
गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि महुवा, भव-भाठी करि भारा।
सुषमन नारी सहज समानी, पीवै पीवनहारा।³

इसी प्रकार अध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त करने के लिए कबीर ने अध्यात्मपरक प्रतीकों का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए निम्न पंक्तियाँ देखिए-

जब मैं आतम तत्ता विचारा।
तब निरवैर भया सबहिन थै, काम क्रोध गहि डारा।
व्यापक ब्रह्म सबनि मैं एकैं, को पंडित को जोगी।
राणाँ राव कवन सँ कहिए, कवन वैद को रोगी।
इनमें आप आप सबहिन मैं, आप आपसँ खेलै।
नाना भाँति गढ़े सब भाँडै, रूप धरे धरि मेलै।
सोच बिचारी सबै जग देखा, निरगुन कोई न बतावै।
कहे कबीर गुँनी अरु पंडित, मिलि लीला जस गावै।⁴

कबीर ने भावपरक प्रतीकों का प्रयोग उन स्थलों पर किया है जहाँ वह अपने आराध्य के साथ माता, पिता, स्वामी, राजा, जैसे सम्बन्ध स्थापित करते हैं। ऐसे स्थलों पर कबीर स्वभावतः ब्रह्म के प्रति सर्वात्म समर्पण के भाव को व्यक्त करते हैं। कहीं-कहीं तो वे विनय-भाव को चरम सीमा को पहुँच जाते हैं। इस दृष्टि से कबीर की निम्न पंक्तियों को देखिए जिसमें वे राम की 'मुतिया' तक बन जाते हैं:-

कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाउँ।
गलै राम की जेबड़ी, जित खैंचे तित जाउँ।
तो तो कर तो बाहुडौ, दुरि दुरि करै तो जाउँ।
ज्यूँ हरि राखै त्यूँ रहौ, जो देंवें सो खाउँ।⁵

आत्मसमर्पण की हद है इसी प्रकार अपने प्रभू के प्रति दाम्पत्य भाव की अभिव्यंजना के लिए भी कबीर ने भावपरक प्रतीकों का प्रयोग किया है। उदाहरण हेतु कबीर की निम्न पंक्तियाँ देखिए-

हरि मोरा पिउ मैं हरि की बहुरिया
राम बड़े मैं तनक लहुरिया
किएउं सिंगारू मिलन के ताई, हरि न मिले जग जीवन गुसाई।
धनि पिउ सकै संगि बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा।
धन्नि सुहागिनि जो पिय भावैं, कह कबीरि फिरि जनमि न आवै।⁶

वस्तुतः दाम्पत्य भाव की अभिव्यक्ति प्रेम व्यंजना ही मूल आधार रहती है। कबीर यह मानते हैं कि भगवान भावगम्य होते हैं और इसी कारण भक्तों ने विभिन्न भावों के माध्यम से प्रभू को प्राप्त करने का यत्न किया है। दाम्पत्य भाव भी एक प्रकार का भाव है, प्रभु प्राप्ति का एक प्रकार का मार्ग है। कबीर ने कान्ता भाव को सर्वोपरि महत्व दिया है। कबीर के कुछ प्रेम प्रतीक हैं- राजाराम, पीव, दुलहिन, बहुरिया, दूल्हा, बाल्हा आदि। कबीर के इस दाम्पत्य

प्रेम की प्रकृति विशुद्ध रूप से भारतीय है। यद्यपि उन्होंने अपने राम के प्रति दास्य और वात्सल्य के भाव भी व्यक्त किये हैं। किन्तु दाम्पत्य प्रेम के स्थलों पर उनकी प्रतिभा अपने चरम उत्कर्ष पर दीखती है। इसका एक विशेष कारण यह था कि कबीर ने दर्शन और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों के विवेचन के लिए दाम्पत्य प्रेम के प्रतीकों को सर्वाधिक अनुकूल पाया। उदाहरण के लिए उनकी निम्न पंक्तियाँ देखिये जिनमें संयोगवती नायिका के माध्यम से कवि ने दाम्पत्य भाव के माधुर्य को साकार कर दिया है-

अब तोहि जान न देहूं राम पियारे
ज्यूँ भावे त्यूँ होइ हमारे
बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बड़े घरि बैठे आये।
इत मन-मन्दिर रहौ जित चोंषे, कहैं कबीर परहु मति घोषै।⁷

कबीर के दाम्पत्य भाव के प्रतीकों की एक अन्यतम विशेषता यह है कि वे विशुद्ध रूप से स्वकीया परक हैं। उनके प्रतीकों की यह प्रकृति निश्चय ही भारतीयता के प्रभाव की द्योतक है। वे तो राम की बहुरिया बनकर अपने प्रियतम के मध्य पूर्ण अभेद की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। उनकी जीवन साधना का परम लक्ष्य तो निम्न पंक्तियों में समाया हुआ है-

नैना अंतरि आव तूँ ज्यूँ नैन झंपेन।
नां हों देखों और कूँ, नां तुझ देखन देउं।⁸

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर ने अपनी वाणी में प्रतीकों का प्रयोग इतनी स्वाभाविकता के साथ किया है वे उनकी वाणी का अंग बनकर रह गये हैं। अलंकारों की तरह ही प्रतीकों के प्रयोग में भी कवि की सचेष्टता नहीं दीख पड़ती है। यही कारण है कि कबीर की प्रतिभा का संस्पर्श पाकर भारतीय साहित्य की प्रतीक परम्परा की श्रीवृद्धि हुई है। एक विद्वान आलोचक के शब्दों में 'यद्यपि कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था किन्तु वे स्वभाव से कवि थे, वाणी उनकी दासी थी, अभिव्यक्ति पर उनका अधिकार था और उसके रूप पर उनके व्यक्तित्व की छाप रही। कबीर की प्रतीक योजना निःसंदेह उनके व्यक्तित्व की तरह सहज और स्वाभाविक है। तथापि प्रतीकों के प्रयोग से कवि को सबसे अधिक सफलता अध्यात्म और दर्शन के गूढ़ रहस्यों के विवेचन में मिली है। यहाँ भी दाम्पत्य भाव के अन्तर्गत कबीर की प्रतीक योजना अपने चरमोत्कर्ष पर दीखती है। जहाँ कहीं कवि अपने राम के प्रति अनन्यता और सर्वात्म समर्पण की बात कहता है, वहाँ उसके प्रतीक उसकी बात में एक मार्मिकता हृदय को छू देने की क्षमता और प्रभावोत्पादकता उत्पन्न हो जाती है। सूफियों और सिद्धों की तरह उनका दाम्पत्य भाव परकीया प्रेम से बहुत विलग है। दो शब्दों में कहा जाये तो 'कबीर के प्रेम प्रतीक लौकिक उत्सर्ग और अलौकिक आसक्ति की मनोहारी झांकी देकर परम्परा और प्रगति का सुयोग प्रतिस्थापित करते हैं।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी विश्वकोष, भाग 14, पृष्ठ 546
2. केदारनाथ सिंह - कल्पना और छायावाद, पृष्ठ 99
3. हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृष्ठ 225
4. डॉ. जयदेव सिंह, डॉ. वासुदेव सिंह, कबीर वाङ्मय, खण्ड-2, सबद पृष्ठ 142
5. कबीर ग्रन्थावली - पृष्ठ 20
6. डॉ. जयदेव सिंह, डॉ. वासुदेव सिंह, कबीर वाङ्मय, खण्ड-2, पृष्ठ 429
7. डॉ. जयदेव सिंह, डॉ. वासुदेव सिंह, कबीर वाङ्मय, खण्ड-2, पृष्ठ 10
8. कबीर ग्रन्थावली - पृष्ठ 19

Specific Performance of Contracts in India

Dr. Saptmuni Dwivedi *

*Faculty (Law) A.P.S. University, Rewa (M.P.) INDIA

Abstract - The doctrine of Specific Performance of Contracts is one of the efficacious remedies which are available under the equitable remedies in Specific Relief Act. It is only given when there is no alternate remedy available to the Plaintiff.

Introduction - What is a contract?

A contract is a legally binding or valid agreement between two parties¹. Following are the essential elements of a valid contract:

- i. Offer and acceptance¹;
- ii. An intention between the parties to create binding relations¹;
- iii. Consideration to be paid for the promise made¹;
- iv. Legal capacity of the parties to act¹;
- v. Consent of the parties¹; and
- vi. legality of the agreement¹.

[An agreement that lacks one or more of the elements listed above is not a valid contract. Each of these elements is dealt with in more detail in this section.]¹

What is Specific Performance of Contracts?

Specific performance is an order of a court which requires a party to perform a specific act, usually what is stated in a contract. It is an alternative to awarding damages and is classed as an equitable remedy commonly used in the form of injunctive relief concerning confidential information or real property. While specific performance can be in the form of any type of forced action, it is usually to complete a previously established transaction, thus being the most effective remedy in protecting the expectation interest of the innocent party to a contract. It is usually the opposite of a prohibitory injunction, but there are mandatory injunctions that have a similar effect to specific performance.²

Under common law, specific performance was not a remedy, with the rights of a litigant being limited to the collection of damages. However, the court of equity developed the remedy of specific performance as damages often could not adequately compensate someone for the inability to own a particular piece of real property, land being regarded as unique. Specific performance is often guaranteed through the remedy of a right of possession, giving the plaintiff the right to take possession of the property in dispute. However, in the case of personal performance

contracts, it may also be ensured through the threat of proceedings for contempt of court.³

Orders of specific performance are granted when damages are not an adequate remedy and in some specific cases, such as land sale. Such orders are discretionary, as with all equitable remedies, so the availability of this remedy depends on whether it is appropriate in the circumstances of the case.⁴

Basic rules regarding Specific Performance of Contracts:-

- i. Decree of specific performance is discretionary relief.⁵
- ii. There should be a valid contract.⁶
- iii. If damages are an adequate remedy, no specific performance would be ordered.⁷
- iv. For the act which requires continued supervision of the Court, no specific performance would be ordered.⁸
- v. No specific performance would be ordered for contracts for personal work or service.⁹
- vi. Equity will insist on the principle of mutuality.¹⁰
- vii. The person against whom the relief is claimed may take plea by way of defence under law relating to contract.¹¹

Enforcement of Specific Performance of Contract: when can be ensured?

According to Section 10 of the Specific Relief Act, 1963 following are the conditions in which the Specific Performance of Contract be enforced:

1. If there remains no possibility to ascertain the actual damage caused by the non performance of the act⁷;
2. When pecuniary compensation would not be an adequate relief⁷;
3. When pecuniary compensation cannot be got for non performance of the act⁷

Contracts that cannot be enforced?

There are certain type contracts that cannot be enforced, and those are:

- i. Contracts in which compensation in money is an

- adequate relief.¹²
 - ii. Contracts involving personal service.¹³
 - iii. Contracts with uncertain terms.⁷
 - iv. Contracts in its nature determinable.⁷
 - v. Contracts which or not valid in law.⁷
 - vi. Contracts involving continuous supervision of the Court.⁷
 - vii. Contracts to build or repair works (subject to some exceptions);¹⁴
 - viii. The Contract by Hindu parent or guardian to give a child in marriage cannot be specifically enforced.¹⁵
- In this way the specific performance of contracts is dealt in India.

References:-

Books Referred:-

1. Sanjiva Row's Commentary of Law Relating to the Contracts Act, 1872 and Tenders, By- Sanjiva Row Revised under the Guidance of Justice Devinder Gupta (Former Chief Justice Andhra Pradesh High Court) Assisted by P.N. Kumar, Advocate Supreme Court of India, Ex-time lecturer, University of Delhi, 11th Edition in Three Volumes, 2015, Delhi Law House.
2. Pollock & Mulla The Indian Contract Act, 1872 By- Nilima Bhadbhade, Lexis Nexis, Updated 14th Edition 2014
3. Pollock & Mulla The Specific Relief Act, 1963 By- Nilima Bhadbhade, Lexis Nexis, Updated 14th Edition 2014

Internet:-

1. <https://articlesonlaw.wordpress.com/2013/10/22/law-on-specific-performance-of-contract/>
2. http://www.lawhandbook.org.au/07_01_01_what_is_a_contract/
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_performance

Law Journals:-

1. 76 C.W.N 116
2. AIR 1939 All 64
3. AIR 1928 PC 75
4. AIR 1973 SC 2457
5. AIR 1976 SC 888
6. AIR 1960 All 72
7. ILR 1 Cal.74

Footnotes:-

1. http://www.lawhandbook.org.au/07_01_01_what_is_a_contract/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_performance
3. Ibid
4. Ibid
5. Sukumar vs Susheel, 76 C.W.N 116 See also Section 20 of S.R, Act cited from <https://articlesonlaw.wordpress.com/2013/10/22/law-on-specific-performance-of-contract/>
6. Ambica Prasad vs Naziran Bibi, AIR 1939 All 64 and Balram v Natku, AIR 1928 PC 75
7. <https://articlesonlaw.wordpress.com/2013/10/22/law-on-specific-performance-of-contract/>
8. Sec.14 (1) (d) cited from <https://articlesonlaw.wordpress.com/2013/10/22/law-on-specific-performance-of-contract/>
9. Supra
10. Supra
11. Sec.9 cited from https://articlesonlaw.wordpress.com/2013/10/22/law-on-specific-performance-of-contract
12. Section 14 (1) (a) of Specific Relief Act, 1963 and Devendar Singh vs Syed Khaja, AIR 1973 SC 2457
13. Vaish Degree College, Shamli vs Lakshmi Narayan, AIR 1976 SC 888
14. Union Construction Co. vs Chief Engineer, Eastern Command, Lucknow, AIR 1960 All 72
15. Gumpat Narain Singh in re, ILR 1 Cal.74

Law for Offences Against Religion in India

Dr. Sunil Kumar Pandey* Gayatri Yadav** Brijesh Soni***

*Principal, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

** Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

*** BA. LLB 9TH Sem., Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - India's sectarian culture is an essential component, and everyone has the fundamental right to practise their religion freely. Most Indians would agree that religion is the most significant factor in their lives, and most people around the world would agree. The Indian Constitution and numerous other laws guarantee the protection of religious convictions, but they also include sanctions for breaking those laws. Religion is a touchy subject because it affects a person's morality as well as their emotions and upbringing. When the shortcomings are acknowledged and fixed, progress is made. Any defects that are suggested as being present in religion are seen negatively. India is regarded as a divine location by both the globe and Indians, but there are numerous flaws or blunders occurring all around us that we fail to see or pay attention to.

Keywords- Fundamental, Constitution, Religion, Morality, Emotions.

Introduction - Sociology uses the term "religion" in a broader sense than what is found in religious texts. Thus, according to some sociologists, religion is a formalised set of values, symbols, and ideas that offers groups of men a response to the question of life's ultimate purpose. A. Green asserts that religion serves some universal purposes.

Individual suffering is explained by religion since man cannot survive on knowledge alone. He is a sensitive being. In moments of suffering and disappointment, religion helps man's emotions. Religion places trust in God and entertains the idea that an enigmatic force acts in unfathomable ways to give even his loss significance.

Social cohesiveness can be derived from religion, which is the ultimate source of social cohesion. The main prerequisite for society is the presence of social values, which allow people to regulate their own and other people's behaviour and ensure the survival of society.

Religion has served humanity through the spread of education and also inculcated the habit of charity among people who open many charitable institutions like hospitals, rest homes, temples and help the poor.

Religion in India is characterized by a diversity of religious beliefs and practices. The Indian subcontinent is the birthplace of four major religions of the world; namely Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism. Throughout India's history, religion has been an important part of the country's culture. Religious diversity and religious tolerance are both established by law and customs in the country; The Constitution of India has declared the right to freedom

of religion as a fundamental right. Northwest India was home to one of the oldest civilizations in the world, the Indus Valley Civilization. Today, India is home to about 90% of the global population of Hindus. Most Hindu temples and shrines are located in India, as are the birthplaces of most Hindu saints. India has the world's third largest Shia population and being the cradle of Ahmadiyya Islam, it is one of the world's countries with at least 2 million Ahmadi Muslims. Shrines of some of the most famous saints of Sufism such as Moinuddin Chishti and Nizamuddin Auliya are found in India, and attract visitors from all over the world. Civil matters relating to the community are dealt with by Muslim personal law, and the Constitutional 6th Amendment in 1985 established its primacy in family matters.

Religion in ancient India: The predominant religion in ancient India was Hinduism. The roots of Hinduism can be traced back to the Vedic period. Hinduism is considered the oldest of the major religions and originated in northern India. The early Aryan, or Vedic, culture was early Hinduism which resulted from interactions with non-Aryan cultures that we call classical Hinduism. The Mahabharata and the Ramayana, both sacred Hindu texts, serve as the main inspirational basis for a great deal of literary, artistic and musical creations in subsequent millennia. The epic period was a golden age in Indian philosophical thought because of its tolerance of different creeds and teachings. The most popular form of Indian medicine, Ayurveda, was developed by Vedic sages and astrology, Hindu astrology, was developed in India today. Yoga, an internationally renowned

meditation system, is one of the six systems of Hindu thought.

Religion under Constitution: Talking about its religious nature, India is a secular country and it does not have any state religion. However, it has over the years developed its own unique concept of secularism which is fundamentally different from the parallel American concept of secularism requiring complete separation of church and state.

India's own concept of secularism was well established through judicial decisions and state practice – the Preamble of the Constitution was amended by the Constitution (42nd Amendment) Act 1976, replacing the word 'secular' with 'socialist' was included, so that India could be declared as one. Sovereign Socialist Secular Democratic Republic.

Equality & Non-Discrimination: The Constitution of India includes a number of fundamental rights, provisions that emphasize full legal equality to its citizens irrespective of their religion and creed and prohibit any religion-based discrimination among them. Among these are the following provisions:

1. The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India – Article 14.
2. The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them in general or in the matter of access to or use of common and public places and facilities. Article 15.
3. There shall be equality of opportunity for all citizens in matters of employment or appointments under the State and no citizen shall be ineligible, or discriminated against, on grounds only of religion in respect of any employment or office held under the State Article 16.
4. The traditional religious concept of 'untouchability' has been abolished and its practice in any form is strictly prohibited.
5. If the State imposes compulsory service on citizens for public purposes, no discrimination shall be made in this regard only on the ground of religion – Article 23(2).

Articles 25 to 28 of the Constitution guarantee certain fundamental rights for the practice of religion. The distinguishing feature of the constitution is its relation to religion:

- (a) the absence of a State religion;
- (b) the absence of the right to convert from one religion to another;

I state neutrality in religion; Under Article 246 of the Constitution, read with Schedule VIII, various religious matters fall within the jurisdiction of the State – and both Parliament and the State Legislature, or either of them, can legislate on such matters. Under State List, entry 7 Pilgrimage outside India – Union List, entry 20; and burials and cemeteries, cremations and cremation grounds under the State List, entry 10, relating to family relations,

succession and all other personal laws under the Concurrent List, entry 5, to make donations, charitable institutions and endowments which 115 mentions Under Concurrent with entry 28.

Various official establishments for religion, both statutory and non-statutory, have been set up by the central and state governments in India. Among these are:

- (i) The Department of Religious Affairs in certain States including Jammu and Kashmir and Uttar Pradesh;
- (ii) Minorities Welfare Department in most of the States;
- (iii) Union Ministry of Minority Welfare
- (iv) Special bodies for managing certain religious affairs of particular communities.

Religion & Indian Penal Code: India is a secular country and the principle of secularism falls in line with the Preamble of the Constitution. **Chapter XV of the Indian Penal Code, 1860** discusses the provisions for offences relating to religion. In the case of **Kutti Chanami Moothan v. Ranapattar (1978) 19 Cri LJ 960**, it was held that 'It is the main principle of good government that everyone should be offered to proclaim his own religion and that no man should be suffered to insult the religion of another.'

Indian Penal Code contains five Sections- **Section 295, Section 295A, Section 296, Section 297** and **Section 298**. The offences relating to religion can be broadly classified into three categories:

1. Defilement of places of worship or objects of great respect (Section 295 and 297).
2. Outraging or wounding the religious feelings of persons (Section 295A and 298).
3. Disturbing religious assemblies (Section 296).

Defilement of Places of Worship or objects of Great Respect (veneration): **According to section 295 of the IPC, "Whoever destroys damages or desecrates any place of worship, or destroys any object declared by any class of people to be sacred, with intent to insult the religious feelings of any other class." With the intention of or with the knowledge that such destruction or defamation of any class is likely to be regarded as an insult to their religion, shall be guilty of and punishable with imprisonment which may extend to two years, or with fine , or with both."**

Section 295 obliges people to respect religious beliefs of persons of any religion. According to section 297 of IPC, "If any person (with intent to outrage the religious feelings of any person, or with intent to wound the religious feelings of any person, or knowing it to be likely to wound the religious feelings of any person) is likely to cause or destroy, or with the knowledge that it is likely to insult the religion of any person) any place of worship or sculpture, or in any place other than the performance of funeral rites or remains commits any trespass as a store for. Dies, or causes any disharmony to any human body, or disturbs any person assembled for the performance of funeral ceremonies, that person shall be punishable under the IPC shall be held

liable and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both."

Trespass into a place of worship or place of sepulture:

According to section 297, a person is liable when he commits trespass (criminal trespass not required) in a place of worship or a tomb. The word 'trespass' in this section means an unwarranted intrusion on any property which is under the control of another. Intercourse within a place of worship shall be liable under this section.

Indignity to Human corpse (body) and Disturbing and defaming Funeral Rites:

Any type of contempt to a human corpse disturbing the performance of funeral rites is a criminal offence under Section 297. 'Disturbance' means any type of active intrusion to the funeral ceremonies. In the case of **Basir-ul-Huq v. State of West Bengal**, the mother of 'A' died. He, along with others, took the body to the cremation grounds. In the meantime, the accused filed a complaint to the police stating that 'A' had throttled his mother to death. After that, he came with police on cremation grounds and disturbed the ceremonies. But, it was found that the death of A's mother had occurred naturally. 'A' filed a complaint against accused under Section 297. The accused was held guilty and was sentenced to three months of rigorous imprisonment.

Outraging religious feelings: Section 295A deals with 'deliberate and malicious activities intended to insult the religious beliefs of any section of its religion or religious beliefs'. According to this section, no person, with intent to insult the religion or religious feelings of any class of citizens of India by words (spoken, written or visible presentation or by any other means) makes an effort of any class, shall be liable and punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

Section 298 deals with 'uttering words, etc., with intent to wound the religious feelings of any person'. According to this section, any person (with intent to insult the religious feelings of any other person) who does the following activities shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or will be punished with both:

Disturbing Religious Assemblies: Section 296 deals with 'disturbing a religious assembly'. Any person who voluntarily causes obstruction to any assembly (which is lawfully engaged in the performance of worship) or religious ceremonies shall be liable under this section and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

This Section gives special protection to assembly worship. It does not extend over individual worship. An assembly of religion is regarded as lawful unless it interferes with the ordinary use of the streets by the public.

Misuse of Religious Freedom: The practice and interpretation of secularism in India from the very beginning

has been sensitive to the ground reality and has been in harmony with it. This sensitivity and accommodation makes India's religion-221 state relations both unique and fascinating. A study of India's particular models of secularism and religious freedom reveals an admirable balance of religious and secular interests. The judicial decisions of the High Courts in religious matters of various nature and types generally reflect the approach of impartiality and objectivity. There have been some aberrations, sometimes pointing to the presence of committed judges or those influenced by particular religious-political ideologies. Such aberrations certainly can be, and often are, freely criticized by conscientious objectors and legal critics. Sec. 295 to Sec. 298 of the Indian Penal Code deals with offenses relating to religion. There are specific legal provisions to protect the religious freedom of a particular person or a particular group but there are many cases which point out gross misuse of these legal provisions which are meant to protect religious freedom and punish the person who violates it.

Making grave in the public land: Sometimes some people occupy public land by installing an idol of a religious deity or a religious person. When some law-abiding persons oppose the occupation of land by such persons by these means, persons having vested interests with the intention of digging up public land in the name of religion may be liable for certain false charges under these provisions of the law. Makes allegations as mentioned in IPC. To protect religion. Very often some vested interests of the society take over the public parks, public utility places or the government. Land in the name of some religious activities. In India the matter is very sensitive as there may be conflict between different religious sects or persons of different castes or followers of different religious views. So the executive officers also save themselves and ignore these land grabbing activities in the name of some religious work.

To protect illegal encroachment: It is very common that people build some commercial complexes for government accommodation. Without approval of land or map-plan by the competent authorities. It is also common among people, they construct building against the provisions of the approved development plan of the city or area. They also construct a building against the provisions of the "Land Use as mentioned in the Development Plan of the City" to save such illegal encroachment or construction from demolition by the proper authorities. , When the authorities try to demolish such illegal or unauthorized constructions for encroachment, vested interests take advantage of these legal provisions, which are meant for the religious freedom of the individual or society. They spread rumors that a temple or tomb is being demolished illegally by the government. Or semi-govt. officials. They also falsely allege that this is a direct interference in their religious freedom which cannot be tolerated at any cost.

Judicial Trends: Indian Judiciary, one of the strongest

pillars of democracy, has played a vital role in protecting the basic structure of our Constitution. Has given judgment in interpretation from time to time and rendered balanced judgement.

The Supreme Court in **Narendra Prasadji v. State of Gujrat**, observed that the insertion of the expression “the other provisions of this part” in Article 25 is understandable, when it is borne in mind of the overlapping nature of the sensitive rights in Article 19(l)(a). While Article 25 covers the rights on all persons, Article 26 is confined to religious denominations or any section thereof. Article 19(l)(a) while Article 25 is confined to religious denominations or any section thereof. Article 19(1) confers the various rights under sub-clause (a) to (g) on citizens. Whenever there is a conflict between Article 25 and any other Article in Part III of the Constitution, the former has to bend before the latter. We have already seen how the right to propagate religion is subject to restrictions on the freedom of expression contained in Article 19(1) in the case of **Ramji Lai Modi v. State of U. P.**

Now we come to the landmark decision of the Supreme Court in Commr. , H. R. E. v L. T. Swamiar (AIR 1954 SC 282: 1954 SCR 1005: 1954 SCJ 335:67 LW 1220)5, where Mukherjea J. , described religion as follows:

“Religion is certainly a matter of faith with individuals or communities and it is not necessarily theistic. Buddhism and Jainism are well-known religions in India that do not believe in God or any intelligent first cause. Undoubtedly a religion religion has its basis in a. system of beliefs or principles that are believed by those who believe that religion to be conducive to their spiritual well-being, but it would not be correct to say that religion is nothing but a doctrine or belief A religion may not only prescribe a code of moral rules for its followers to accept, it may prescribe rituals and ceremonies, ceremonies and methods of worship that are considered integral to the religion, and these forms And observances may even extend to matters of food and dress.” The essence of religion in this is that faith must involve a spiritual connection. Otherwise, as Chinappa Ready J. S.P. Mittal v. Union of India (1983) 1 SCC 51: AIR 1983 SC 1 pointed out, “Secret societies devoted to secular pursuits and consisting in peculiar vows and rituals, associations and groups of persons who meet but for food and wine but which subject their members to extraordinary initiation ceremonies, villages and tribal shamanism”, may qualify for the status of a religion.

Suggestions & Conclusion: Crime against religion has taken a new form and is often seen in each community disregarding the other. Be it Babri Masjid or any other holy

place. The only way to come to terms with the disrespect and fear of secularism is to have a fresh look at the legal provisions. However some suggestions have been advanced which bring about changes in the existing law. A religion may prescribe only a code of moral rules for its followers to accept, it may prescribe rituals and observances, rituals and 290 methods of worship, which are to be considered an integral part of the religion, and those forms cases can be extended. Thus religion is essentially a matter of personal faith and belief. Every person has the right not only to entertain such religious beliefs and opinions as may be approved by his judgment or conscience but also to give expression to his beliefs and opinions by such manifest acts as are approved by his religion.

References:-

1. Durai, Hashika and Niranjana, K. and Niranjama, K., A Study on Religious Laws and Religious crimes in India (August26,2019). SSRN:<https://ssrn.com/abstract=3442697>
2. Tiwari, jyoti .,Law relating to offence against religion in India with special reference to Penal Provisions and Judicial behaviour(2017) . <http://hdl.handle.net/10603/367357>
3. Cultural India : History of india : Ancient India History : Religion In Ancient india – <https://www.culturalindia.net/indian-history/ancient-india/ancient-religion.html>
4. Offences Relating to religion under Indian Penal Code blog.ipleaders.in
5. Right To Freedom of religion under the Indian Constitution blog.ipleaders.in
6. Religion in india – [Wikipedia en.wikipedia.org](http://en.wikipedia.org)
7. Right to Freedom of religion(Article25-28) Indian polity – byjus.com

Websites:-

1. <http://www.thehindu.com>
2. <http://www.indiankanoon.org>
3. <http://www.en.wikipedia.org>
4. <http://www.india.gov.in>
5. journals.openedition.org
6. blog.ipleaders.in
7. <https://www.culturalindia.net>
8. <https://www.legalserviceindia.com>

Books:-

1. Constitutional Law Of India - Dr. J.N. Pandey
2. Indian Penal Code – Prof. S.N. Misra
3. The Constitution of India – Avtar Singh
4. Sociology – Dr. S.R. Myneni
5. Modern Hindu Law – Dr. U.P.D Kesari

Representation of Legal Language Standards and It's Development

Dr. Humera Qureishi* Ritu Singh**

*Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

** LL.B 5TH Sem., Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Legal language is now used globally and is specialized kind of language used by lawyers, Judges, and legal representatives in the field of law. Recent research found that there is more to legal language than lexicon. This paper defines some features of legal language as well as its influence from Latin language and some main characteristics of legal language, legal language standards.

Keywords- Legal Language, development, a dialect, lexicon, prestige, legal standards.

Introduction - "We live in and by the law. It makes us what we are" -Ronald Dworkin (1931-2013) (A North American legal philosopher)

Legal Language is the milestone showing the right path of law. Legal English is now a global phenomenon and is the major language of international business. It has a significant role because it is used by lawyers and other legal professionals in the course of their work. Legal language, in all its complexity and splendor, is here to serve as a communication tool in everyday law-related situations. This paper provides a new contribution to the discipline. Ordinary speakers are not aware that they, fairly commonly, use expressions in linguistic sphere known as binomials, binomial expressions or doublets. The phenomenon of binomials can be ascribed to the "tendency of successive thinking.

Legal Language More Than A Lexicon: Legal language contains a number of unusual features which are related to terminology, linguistic structure, linguistic conventions and punctuation. Like a standard dialect legal language is a prestige function. It separates lawyers from the common herd. The ability to use this language appropriately is enough to identify a lawyer. Lawyers have only their language as their principal tool and unifying feature.

When we talk about in present India, it's not just satisfactory. It requires a radical change. The law is an instrument of change and it is more followed by legal language. It gives the beauty in legal presentations of matter. It stands different from the common view mind-set and also the reason to conquer.

Influence from Latin legal terms : The use of Latin legal terms is a tradition that has been passed on throughout history, and is, therefore, difficult to remove entirely. Our modern legal system is a direct descendant of Europe's,

which in turn was influenced by the courts of ancient Rome, where Latin was the predominant language. Latin competency is an absolute requirement for full access to that jurisprudence. There are also a large number of Latin expressions in legal English, for example, ex parte (on behalf of), in situ (in its original or natural position) or ratio legis (the reason for, or principle behind, a law). Most of these Latin maxims originated from the Medieval era in the European states that used Latin as their legal language. These principles guides Courts all over the world in applying the existing laws in a fair and just manner to enable the Courts in deciding issues before it.

Features Of Legal Language²: Lawyer use this as main function with specializes vocabulary which they used to speak with other lawyers as a principle characteristic of legal language.

Clearly legal language serves as a prestige function as well lawyers and court serves as a final arbiter in all disputes.

Power is held by a few, and these are only lawyers, since legal language is largely impenetrable to those not socialized into it. Lawyers who write the contracts know what is in them and what they mean, but a lot of us do not. Evidence of the power and prestige that legal language gives an, opinion is evident in the use of legal phrases in advertising.

Most of the common features of legal English at the lexical level are: the use of highly technical vocabulary; the use of archaic or rarely used words or expressions; and the frequent repetitions of particular words. At the syntactic level, legal English also shows: nominalization and long sentences with multiple embedded clauses within the nominal groups. Legal language is bound to legal relationships and social conditions in general and has deep

national roots, despite increasing globalization.

It has a significant role because it is used by lawyers and other legal professionals in the course of their work. Legal language contains a number of unusual features which are related to terminology, linguistic structure, linguistic conventions and punctuation.

Legal Language And It's Development : Legal language has frequent use of common words with a common meaning like pray, part, before, considerations, actions etc. Legal language has length and complex sentences. Legal language has impersonal constructions, the legal language avoid a first and second personal expression means I and You, using the third person expression in the statute does make some communicative sense for example "Sex offenders shall register on with the police." Legal language is myth, because in reality nothing but ordinary language with a lot of technical terminologies appending to it. Legal language is full of Latin and France, for example the word versus the maxims, caveat emptor, sub silentio, suapronter, inter alia, Attorney General, Employers, and Mortgage etc. The legal language is wordy and redundancy, the language of law has also been described as wordy and redundancy which means accumulation of many words which means the same thing.

Legal language is no distinct language as such. It is the contextual variety of any language. However, if the world panorama is taken into consideration, English is used as the legal language all over the world.

It is interesting to note that the legal English used in the academic writing which is reflected in the law journals, thesis, dissertations, research papers and books is quite different from the Page | 3 legal English found in the court judgments and in the laws and contracts. The purpose of writing and the intended readers determine the linguistic style of the legal writing. The academic touch and discursive note is quite evident in the journals and books. Legal English in the judgments differs primarily because the intended reader is usually a lawyer or lawyers who will in turn interpret the meaning to their clients. It is more authoritative and is more direct as well. The legal English found in the laws, contracts, treaties and agreements differs as it has the binding effect on the readers who could be the beneficiaries. When two persons not necessarily belonging to the legal field interact on a legal theme or topic, then also it would be termed as legal language. There would be minimum legal words and maximum everyday words. It is quite interesting and equally imperceptive to note that there is significant difference in the written legal language and the spoken legal language. Spoken language in legal discourse is equally essential. It comprises of the interrogation of plaintiffs and defendants in a courtroom, the testimony of witnesses, the pleadings by attorneys, their arguments, the cross examination, or the instructions from a judge to a jury. Legal language is no distinct language as such. It is the contextual variety of any language. However, if the world

panorama is taken into consideration, English is used as the legal language all over the world. As legalese or legal language is not a separate or distinct language as such, the veteran linguist and Sahitya Akademi award winner Prof. Ganesh Devy claims that legal language is not a language but a register. It becomes imperative here to have a look at register and discuss how it is different from a language.

With The Views Of Legal Language Standards: *The legendary Aristotle once said, "Man is a social animal; a man cannot live alone".* Its implication was relevant back then and shall always remain in vogue as man is incomplete without the society he lives in and the society is incomplete without its expression. Law and literature are part and parcel of the same package deal.

The Standards Law determines principles, rules, measures regarding the establishment, activities, management, and inspection of standards and technical regulations for products, goods, services, processes, and the environment.

Legal language we can say the language of justice which shows the right path of law, which helps us to the right representation of law in front of court so, The language of justice (law) shouldn't be not so unfamiliar to the ears of those who are to obey it. Legal language once learned is easy to represent and also having useful standards.

Legal language is like road of life for whom aspiring to be iconic lawyer in the field of law. One must follow every milestone which is reaching to the standards of legal language to grasp it thoroughly.

When we deal from legal language standards which helps us with appropriate use of legal language. Legal language standards directs us to the path right away and ends with comprehension of legal ethics and its use.

Standards guide decisions but provide a greater range of choice or discretion.

Legal aspirants need to be able to identify rules, standards, and principles, and more importantly, to be able to argue the pros and cons of formulating legal norms in these standard forms. The main goal is to enable you to distinguish a rule from a standard and to see that principles operate in a different way than either rules or principles.

Lack of access to legal language—not only the comprehension of it, but also the ability to Use-it appropriately—forces the lay person to 'hire a lawyer for almost every important transaction in life. For example, buying a house, writing a will, getting a divorce, settling almost any dispute, almost always requires the services of 'a trained interpreter: that is,' an attorney.

In fact, legal language may function for all non-lawyers as standard English does for all non-standard speakers: that, i.e., as a means of control, not communication.

Further Research Is Needed: All of these comprehension studies need 'to be applied to, legal language, and in addition, new research must be done, specifically on the comprehension of legal language. We also need to analyze

the new revised other documents and test them, not only to see if they are more comprehensible, but also to see which features are -contributing to the increased comprehensibility. We might also look at the research in simplification done by people. This can be an exciting challenge to both the linguistic and legal communities, and we all stand to gain from it.

While practicing need excellent Legal Research skills to obtain a more positive outcome. Legal research will be unlike any research you have previously done because legal research requires you to use legal analysis. This analysis will tell you which issues to research and how to use the sources you find to solve the client's problem. Without understanding legal analysis, you may be able to perform the mechanical functions of research, but you will not be able to understand the results of the research. Another unique aspect of legal research is that often there will be no clear answer to the question you are researching. Instead, you will find pieces to a puzzle, and you will have to use legal analysis to fit the pieces together.

Main Characteristics And Development Of Legal Language³:

1. Foreign phrases are sometimes used instead of English phrases (e.g. Inter alia instead of among others where both are appropriate).
2. Punctuation is used insufficiently. Particularly in conveyances and deeds we can observe the conspicuous absence of punctuation. . In modern legal drafting punctuation is used to clarify their meaning.
3. Sentences have peculiar structures, for example, the provisions for termination hereinafter appearing or will at the cost of the borrower forthwith comply with the same. The influence of French grammatical structures is a contributory reason for this factor.
4. Older words like hereof, thereof, and whereof (and further derivatives, including -at, -in, -after, -before, -with, -by, -above, -on, -upon) are used in legal English pri-

marily to avoid repeating names or phrases. For example: the parties hereto instead of the parties to this contract.

Conclusion : The aim of this article is to portray the importance of legal language with some views on background of its influence from latin. (RITU SINGH, LL.B 3RD YEAR).

Learning English language is the 'road of life' for many people who aspire to be iconic lawyers in India. The language of justice (law) shouldn't be not so unfamiliar to the ears of those who are to obey it. Legal language once learned is easy to represent and also having useful standards.

The Development of Legal Language offers to several categories of readers fascinating reading on a number of aspects of legal language. This articles also shows some legal language standards and tells us about its principles and rules. Legal language is much ambiguous, wordy, and either overly precise or overly vague. This type of approach is more helpful and may demonstrate the state of the art in clear writing.

References:-

1. <http://ijciras.com/>(November 9'22, Wednesday, 6.25 pm)
2. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED318247.pdf> (November 14'22, Monday, 7pm)
3. https://lsolum.typepad.com/legal_theory_lexicon/2004/01/legal_theory_le_3.html(November 19'22, Saturday, 2pm)
4. https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/lao_e/wtacclao16a2_leg_1.pdf(November 20'22, Sunday, 1pm)
5. Prof. Ratan Jain(Legal Language 4th Edition), Central Law Agency
6. J.S.Singh(Legal Language & Writing)
7. <https://legodesk.com/legopedia/importance-legal-research-legal-practice/> (December 2' 22, Friday, 11am)

Trial of Summon Cases: A Critical Study

Dr. Sunil Kumar Pandey* Gayatri Yadav Aditi Saraiya*****

*Principal, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

** Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

*** BA. LLB 9TH Sem., Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - This paper discuss concerning the idea of trial on summon cases by the official, that deals concerning the procedure followed by the judicial official within the trial of summon cases. there's no distinction within the procedure between path of summons cases instituted on personal complaints and trial of summons cases instituted on police charge-sheets. Summons-case suggests that a case about AN offence, and not being a warrant-case. Warrant-case suggests that a case about AN offence that is punishable with: death, imprisonment for keeps or imprisonment for a term extraordinary 2 years. In summon case the suspect if taken to the official he must manufacture all the documents required and he has been asked to simply accept his plea or to require defense. When in a summons cases the accused appears or is brought before the Magistrate, the particulars of the offence of which he is accused shall be stated to him, and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defence to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge. It is necessary that the accused should have a clear statement made to him as to the particulars of the offence of which he is charged. An accused may not be convicted even on his admission of guilt if the prosecution report does not make out an offence under a statute. This analysis paper deals concerning the procedures followed by the official in trial on summon case and provisions about the trial on summon case.

Keywords- Trial, Summons, Case, Warrant, Arrest, Offence.

Introduction - The Criminal Procedure Code of 1973 is, as is clearly indicated by its title, a comprehensive enactment egg laying down the law with reference to criminal procedure. however it's value mentioning that the code isn't a pure adjective law of procedure; there square measure some provisions in it that take the character of substantive law. as an example, chapters VIII, X and XI that deals with „prevention of offences and chapter IX that deals with „maintenance of proceedings. As per the Code, criminal trials will be divided into 3 classes namely: warrant cases, summons cases and outline trials. the main target of this text shall be summons cases.

The term “summons cases” has been outlined, during a negative sense, below Section 2(w) of the CrPC as “a case with reference to associate degree offence, not being a warrant case”. On the opposite hand, a “warrant case” suggests that a case with reference to associate degree offence punishable with death, imprisonment always or imprisonment for a term prodigious 2 years. The two definitions, thus, result in the conclusion that the premise of classification between summons case and warrant cases is that the seriousness of the offence. This classification becomes applicable whereas determinant the sort of trial procedure to be adopted during a case. The trial procedure provided for summons cases is barren of a lot of formality and item as in warrant cases since the previous is

comparatively less serious in nature. Chapter XX (Ss. 251-259) of the Criminal Procedure Code delineates the procedure for trial of summons cases.

The following are the stages to be followed in respect of procedure relating to the trial of summons case:

- 1. Substance of accusation to be stated to the accused:** When in a very summons cases the defendant seems or is brought before the jurist, the particulars of the offence of that he's defendant shall be expressed to him, and he shall be asked whether or not he pleads guilty or has any defence to form, however it shall not be necessary to border a proper charge. it's necessary that the defendant ought to have a transparent statement created to him on the particulars of the offence of that he's charged. Associate in Nursing defendant might not be guilty even on his admission of guilt if the prosecution report doesn't decipher Associate in Nursing offence below a statute.
- 2. Conviction on plea of guilty:** If the defendant pleads guilty, the justice shall record the plea as nearly as attainable within the words utilized by the defendant and should, in his discretion convict him on it. If the defendant admits some or all of the fees alleged by the prosecution however pleads “not guilty”, the court is guaranteed to proceed per law by examining the witnesses of prosecution and defence.
- 3. Conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases:** Section 253 of CrPC provides a good less

complicated procedure for doing away with petty cases while not the presence of suspect within the court. wherever the suspect needs to plead guilty while not showing within the court, the suspect is meant to send Rs.1000/- by post or through a counselor-at-law to the adjudicator. The adjudicator will on his discretion convict the suspect.

4. Procedure when not convicted by the Magistrate:

If the judge doesn't convict the suspect underneath Section 252 or Section 253, the judge shall proceed to listen to the prosecution and take all proof as could also be created in support of the prosecution, and conjointly to listen to the suspect and take all such proof as he produces in his defence. The judge might, on the applying of the prosecution, issue summonns to any witness guiding him to attend or turn out proof. The judge is certain to examine all the witnesses and he's not authorized to limit the quantity of witnesses. The judge might, before conjury any witness on such application, need that the affordable expenses of the witness incurred in attending for the needs of trial be deposited in court.

5. Acquittal or conviction: If the official once considering proof finds the defendant acquitted, he shall record associate order of final decision. He may additionally conceive to unleash the bad person once admonition, or on probation of excellent conduct once underneath Section 360, or underneath Probation of bad person Act,1958 once considering the character of offence, character of bad person and circumstances of the case. A official could convict the defendant of any offence (amenable to the trial in an exceedingly summons case) that from the facts admitted or evidenced the defendant seems to own committed. this will solely be done if the official is happy that it might not prejudice the defendant. If the official, whereas discharging or acquitting the defendant, thinks that there was no cheap ground for creating accusation against the defendant person, he could decision upon the person creating such accusation to point out cause on why he shouldn't pay compensation to the defendant person once that the official could, for reasons to be recorded, build associate order fixing the compensation to be paid by such person to the defendant.

6. The court can convert a summons case into a warrant case: Section 259 of the CrPC provides that if within the course of the trial of a summons case regarding An offence punishable with imprisonment surpassing six months, it seems to the adjudicator that within the interests of justice, the offence ought to be tried in accordance with the procedure for trial of warrant cases, he could proceed to re-hear the case within the manner provided by the Code for the trial of warrant cases {and could|and should|and will} even recall any witness United Nations agency may be examined. The words "re-hear the case" indicate that the adjudicator ought to start the proceedings from the terribly begin or First State novo.

Trial of summon cases : There is no distinction within the

procedure between path of summons cases instituted on personal complaints and trial of summons cases instituted on police charge-sheets.

The only purpose wherever there's divergence between the 2 categories of cases was that in summons cases instituted on police charge- sheet, the official ought to see that copies of documents mentioned in Section 207 square measure stocked with to the suspect as before long as he seems or is made before the Court, and also the same isn't any additional sensible follow, as currently the suspect person/persons square measure entitled to the Copies no matter categorization.

When the suspect seems or is brought before the Court he ought to initial of all be questioned with relation to the contents of the grievance or the charge- sheet and he ought to be asked whether or not he pleads guilty or not. [Section 251].

If the suspect pleads guilty he might right away be guilty and sentenced beneath Section 252. If he doesn't plead guilty the case ought to be adjourned to a different date for the examination of the P.W.s.

After the P.W.s square measure examined the suspect ought to be questioned usually with relation to their proof. If the suspect cites any D.W.s or needs to allow proof himself, their proof ought to even be recorded and arguments ought to be detected. thenceforth a judgment of conviction or final decision follows. [Section 255].

When a prosecution is instituted for a petty offence which may be disposed of summarily, the official problems summons to the suspect leading him to look before the Court or to transmit by post or by a courier to the Court his plea of guilty if he needs to admit the offence.

The summons ought to additionally mention that if the suspect pleads guilty the desired quantity of fine not prodigious Rs. 100/- may be obligatory. [Section 206] If the official follows this procedure he might work the plea of guilty transmitted to the Court by the suspect even through post and convict and sentence him tho' the suspect isn't in person gift within the Court. [Section 253] A petty offence is one that is punishable solely with fine not prodigious Rs. 1,000/- .The procedure beneath Section 206 might also be followed within the case of offences falling beneath motorized vehicles Act.

Procedure followed by the magistrate in trial on summon case: Section 251 of the Code of Criminal Procedure provides that once, in a very summons-case, the defendant seems or is brought before the jurist, the particulars of the offence of that he's defendant should be equipped to him, and he should be asked whether or not he pleads guilty, or has any defence to create. However, in such cases, it's not necessary to border a proper charge against the defendant. all the same, the provisions of the Code regarding joinder to charges and joint trials would apply to the trial of summons- case.

If the defendant pleads guilty, the jurist should record

his plea as nearly as attainable within the words utilized by the defendant himself, and may, in his discretion, convict him on such a plea. Thus, though Associate in Nursing defendant pleads guilty, the jurist isn't absolute to convict him, if he thinks it necessary to possess proof of his guilt. If summons has been issued underneath S. 206 (namely, in cases of petty offences), and therefore the defendant wishes to plead guilty to the charge while not showing before the jurist, he should transmit to the jurist, by post or traveller, a letter containing his plea and conjointly the quantity of fine laid out in the summons.

On receiving a plea of guilty from the defendant, the jurist could, in his discretion, convict the defendant in his absence, and sentence him to pay the fine laid out in the summons. wherever a advocate authorised by the defendant pleads guilty on behalf of the defendant, the jurist should record the plea as early as attainable within the words of the advocate, and May, in his discretion, convict the defendant on such plea, and sentence him as explicit on top of.

If, however, the jurist doesn't convict the defendant as on top of, he should proceed to listen to the prosecution, and take all such proof as is also created in support of the prosecution, and conjointly hear the defendant and take all such proof as is also created by him in his defence. On Associate in Nursing application by the prosecution or the defendant, the jurist could, if he thinks work, issue a summons to any witness, directive him to attend or to provide any document or alternative factor. Before conjuring any such witness, the jurist could need that the cheap expenses of such witness in attending the trial be deposited within the Court.

After taking all the proof, if the jurist finds that the defendant isn't guilty, he should record Associate in Nursing order of final decision.

If, on the opposite hand, he finds the defendant guilty, he should pass a sentence on him in line with law, unless the jurist submits the complete proceedings to the Chief Judicial jurist, on the bottom that he cannot pass a sentence that is sufficiently severe within the circumstances, or if once conviction, the jurist orders the defendant to be free on probation or once admonition.

It is conjointly specifically only if a jurist could convict the defendant of any offence which may be tried underneath this Chapter, that from the facts admitted or verified, he seems to possess committed, no matter is also the character of the criticism or summons, if he's happy that the defendant wouldn't be prejudiced thereby. (S. 255)

Trial before Magistrates Court Summons triable:

Sections 251 to 259 of CrPC, 1973 visit the procedure for trial before Magistrates Court for Summons triable offences. Section 251: Substance of the accusation to be stated: within the 1st hearing, once the suspect seems or is brought before the justice, the justice would state the particulars of the offence of that he's suspect, and would raise him

whether or not he pleads guilty or has any defense to form. In Summons triable offences, formal charges don't seem to be framed like in Warrant triable offence.

Section 252: Conviction on plea of guilty: If the suspect pleads guilty, the justice would record the plea as nearly as doable within the words employed by the suspect and should, in his discretion convict him on that.

Section 253: Conviction on plea of guilty in absence of suspect in petty cases:

In offences involving penalization by approach of fine upto Rs.1000/- solely, the justice might issue a summons us 206 stating in this that if the suspect needs to plead guilty to the charge while not showing before the justice, he shall transmit to the justice, by post or by courier, a letter containing his plea and additionally the number of fine per the summons; or if he needs to seem by counsellor and to plead guilty to the charge through such counsellor, to authorize, in writing, the counsellor to plead guilty to the charge on his behalf and to pay the fine through such counsellor. For the needs of this section, "petty offence" means that any offence punishable solely with fine not prodigious one thousand rupees, however doesn't embrace any offence thus punishable beneath the motorized vehicles Act, 1939 (4 of 1939) 103, or beneath the other law that provides for convicting the suspect person in his absence on a plea of guilty.

Section 254: Procedure once not convicted: If the justice doesn't convict the suspect beneath section 252 or section 253, the justice then would proceed to listen to the prosecution case and would proceed to require all such proof as is also created by the prosecution in support of their case. The justice might, if he thinks work, on the appliance of the prosecution or the suspect, issue a summons to any witness directional him to attend or to supply any document or different factor. A justice might, before conjury any witness on such application, need that the affordable expenses of the witness incurred in attending for the needs of the trial be deposited in Court.

Section 255: final decision or conviction: If the justice, upon taking the proof named in section 254 and such any proof, if any, as he may, of his own motion, cause to be created, finds the suspect clean-handed, he would record associate order of final decision. If the justice finds the suspect guilty, and just in case the justice doesn't proceed in accordance with the provisions of section 325 or section 360, he would pass the sentence upon the suspect in step with law.

The provisions of Sections 325 and 360 ar declared hereunder. A justice might, beneath section 252 or section 255, convict the suspect of any offence triable beneath this Chapter, that from the facts admitted or tried, he seems to possess committed, no matter is also the character of the criticism or summons, if the justice is happy that the suspect wouldn't be prejudiced there by.

Section 256: Non-appearance or death of litigant

1. If the summons has been issued on criticism, and on

the day appointed for the looks of the suspect, or any day resultant to it to that the hearing is also adjourned, the litigant doesn't seem, the justice shall, even so something hereinbefore contained, acquit the suspect, unless for a few reason he thinks it correct to adjourn the hearing of the case to another day:

2. Provided that wherever the litigant is painted by a counsellor or by the officer conducting the prosecution or wherever the justice is of opinion that the non-public attending of the litigant isn't necessary, the justice might dispense together with his attending and proceed with the case.
3. The provisions of sub-section (1) shall, up to now as is also, apply additionally to cases wherever the non-appearance of the litigant is thanks to his death.

Section 257: Withdrawal of complaint: If a litigant, at any time before a final order is passed in any case beneath this Chapter, satisfies the justice that there are comfortable grounds for allowing him to withdraw his criticism against the suspect, or if there be over one suspect, against all or any of them, the justice might allow him to withdraw a similar, and shall with that acquit the suspect against whom the criticism is thus withdrawn.

Section 258: Power to prevent proceedings in bound cases: In any summons-case instituted otherwise than upon criticism, a justice of the primary category or, with the previous sanction of the Chief Judicial justice, the other Judicial justice, may, for reasons to be recorded by him, stop the proceedings at any stage while not saying any judgment and wherever such stoppage of proceedings is formed when the proof of the principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of final decision, and in the other case, unharness the suspect, and such unharness shall have the impact of discharge.

Section 259: Power of Court to convert summons-cases into warrant cases: once within the course of the trial of a

summons-case concerning associate offence punishable with imprisonment for a term prodigious six months, it seems to the justice that within the interests of justice, the offence ought to be tried in accordance with the procedure for the trial of warrantcases, such justice might proceed to re-hear the case within the manner provided by this Code for the trial of warrant-cases {and might|and should|and will} recall any witness UN agency may are examined.

Conclusion : I conclude by spoken communication that summons-case means that a case regarding Associate in Nursing offence, and not being a warrant-case. Warrant-case means that a case regarding Associate in Nursing offence that is punishable with: death, imprisonment for keeps or imprisonment for a term olympian 2 years. it's been aforesaid within the provisions that if the suspect has been inactive for his plea, he has got to settle for his plea or has got to defend him. justice of the primary category has the ability to transfer summon case into warrant case. If the suspect pleads guilty justice has got to record the plea within the words of the suspect and on his discretion will convict him for the offence. If the suspect isn't gift before tha justice, if he pleads guilty by the justice then he shall by the post to the justice, in letter stating his plea and fine fixed by the court for his offence has got to be sent.

References:-

1. <https://indiankanoon.org/search/?formInput=summons%20case>
2. http://devgan.in/criminal_procedure_code/chapter_20.php

Books:-

1. Code of Criminal Procedure By Ratanlal and Dhirajlal.
2. Code of Criminal Procedure By R.V. Kelkar

Statues:-

1. Criminal Procedure Code 1973
2. Constitution of India
3. Indian Evidence Act 1872.

Legal Language: An Introduction

Dr. Humera Qureishi* Rimsha Jahan**

*Assistant Professor, Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

** BA. LLB 5TH Sem., Career College of Law, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract - Legal language is not ordinary language it is a formal language that is used by persons related to Law fields or legal profession Ex:- Lawyers, Judges, Jurists, Parliament members etc. Legal Language is use to make written as well as oral communication. Legal Language is very much important to draft documents which is related to Law such as Contracts, Licenses, Indictments or Subpoenas, Briefs, Judgments, Laws of Parliament, Case Reports and Legal Correspondence etc.

Keywords- Legal Language, Legal Profession Language, Formal Language, Language of Laws.

Introduction - Legal language means the language which is used by person who belongs to legal profession. Every country and every state has their own rules and laws and every law is making by the use of legal language. Legal language is not easy to understand because it has its own specialization. legal language is not very much difficult for them who are from law fields and for legal experts but common people can face some difficulties to understand legal language because of the absence of knowledge of law. In India legal language involves the use of legal English, Hindi as well as other regional languages, wherever necessary. But legal language is absolutely superior from our common natural language on the basis of its lengthy and complex sentences. legal language derives its words from languages such as Latin and French which makes it harder for common people to understand. It is also said that command over language is the key to the legal profession. The accomplished use of legal language is essential for advocacy. Advocates use this legal language on various grounds like while discussing laws, to advise their clients and in courts. the legal rights and obligations are created, modified, and terminated through law-related documents like contracts or wills. The use of legal terms comprises the language of judges and lawyers, who rely on this language to communicate effectively and efficiently. spoken of legal language is used to persuade the judges and win the cases.

Characteristics of Legal Language: As we all know that legal language is not easy and common language. So Legal language sometimes become complicated for layman to understand because of legal words and phrases that is derived from Latin and French.

1. legal language accommodate some words such as employer and employee, mortgagor and mortgagee

which have opposite nature of relationship is determine by the use of alternative endings, such as (er or ee).

2. Punctuation is used to clarify meaning of words and sentences.
3. Latin and French words are mostly used in legal language.

List of Some Latin and French Words:

1. Ab initio (Latin):- from the beginning 'this contract is void ab initio'.
 2. Amicus Curiae (Latin):- "Friend of court", person who advices court but not involved in case.
 3. Locus Standi (Latin):- 'right of person to bring legal action of law or to appear in court'.
 4. Mens Rea (Latin):- 'Guilty Mind', person's intention to commit crime.
 5. Prima Facie (Latin):- at first impression.
 6. Sub Judice (Latin) :- under judicial consideration.
 7. Persona Non Grata (Latin):- The person is unwelcome or unacceptable.
 8. Ad Hoc (Latin) :- Made or done for a particular purpose. Example, Ad hoc arbitration is set up for parties to mutually agree to resolve their dispute.
 9. Eminence Grise (French):- a person who has power or influence without holding an official position.
 10. Force Majeure (French):- Irresistible compulsion.
 11. Proces-Verbal (French):- A written record of an official proceeding.
 12. Vis-à-vis (French):- In relation to; with regard to.
- Legal language have lengthiest and complexity in sentences because legal language is used to draft bills and documents or legal papers.
 - Legal language is formal language and its complete in nature. It is not difficult to understand for law persons such as, judges, lawyers, legal experts etc.

- In legal language capital forms of words widely used. Preamble of Indian constitution is a better example of use of capital words.

- Double and triplets, during the medieval period lawyers used a mixture of latin ,French and English .The usage of pairs of words from different languages led to the emergence of mixed language doublets in legal language.Among the examples of mixed language doublets are:

"Lands and tenements" (English/French)

"will and testament" (English/Latin)

"Breaking and entering" (English/French)

WE THE PEOPLE OF INDIA having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALIST,SECULAR,DEMOCRATIC,REPUBLICand to secure all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTYof thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY 26th of November, 1949, do

HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

Uses of Legal Language:Legal language is absolutely used for legal works such as in courts judges use legal language to pass the judgment. Advocates also use legal language in argument and there is no importance of common language advocates draft their client case diary in legal language. Documents like property papers, contracts, agreements, amendments, consent, and bills also draft in legal language. Legal language is also use to draft marriage certificates, death certificates, divorce papers, and other types of certificates. Advocates interpret legal language for layman because legal language is difficult to understand for common people. Legal language is almost use in every field of work and society because every person who is aware or not are connected with law whether he/she is legal person's or layman everyone do interact with law.

Importance of legal language: The main purpose of language is to communicate with others share opinions, ideas and feelings with other but language is also used according to profession so legal language is used in law by lawyers, judges and other law person. Legal language is one of the languages of communication between lawyers and their clients, lawyers and judges, a lawyer with another lawyer and other law person's. The concept of laws, judgments, drafting of a petition and preparing notes for arguments in court all need is to legal language. Legal language is effective in nature that represents words and sentences properly in court .legal language use to draft and make license, bills and contracts. A lawyer is always wants

to win argument and case of their client and a lawyer's most valuable and powerful weapon is the ability to play with words so legal language and legal words give emphatic power in argument. In law, there are some familiar words that have clearly contrasting meanings when used legally. For ex; in non-legal settings 'STAY ' is generally a synonym of 'REMAIN' but in the courtroom vocabulary the word 'STAY' is frequently referred to the 'POSTPONEMENT OR SUSPENSION OF A JUDICIAL PROCEEDING' . Likewise 'CONSIDERATION' in legal terms means 'A PRICE THAT THE PROMISEE AGREES TO PAY TO THE PROMISOR' but the non-legal meaning of the 'CONSIDERATION' is 'THOUGHTFULNESS'.

Issues with Legal Language (Case Laws): On 15th October, 2020, a Delhi based eminent lawyer in India that is Advocate Subhash Vijayran has recently filed the most unusual Public Interest Litigation which is most commonly known as PIL in the highest court of honor that is the Supreme Court of India under the name of SUBHASH VIJAYRAN V/S UNION OF INDIA. He wanted the courts to scrutinize within the judicial system. He wants the legislature and the executive of India to use more understandable English while drafting the laws, the bar council to also introduce plain English in law which is used in curricular and notices also to the Supreme Court to only allow crisp and accurate pleadings. He also begins the synopsis to the writ petition in the following way.

According to him 'The writing of most lawyers is (1) Wordy (2) Unclear (3) Pompous and (4) Dull. We use eight words to say what can be easily said in two words. We use arcane words and phrases to express common ideas.' In reply to the plea, the Supreme Court of India has asked the Ministry of Law and Justice and Bar Council of India to give a rejoinder or rather in a simple term to give a response to the plea.

In another judgement of the Supreme Court of India that is in the matter of SUBRAMANIAN SWAMY V/S UNION OF INDIA. It was clearly said that 'this batch of writ petitions preferred under the ARTICLE 32 OF THE CONSTITUTION OF INDIA exposit cavil in its quintessential conceptuality and percipient discord between venerated and exalted right to freedom of speech and expression of an individual, exploring manifold and multi-layered, limitless, unbounded and unfettered spectrums and the control, restrictions and constrictions under the assumed power of reasonableness ingrained in the statutory provisions relating to criminal law to receive and uphold one's reputation.'

In the year 2017, the Vidhi Centre for Legal Policy has produced a manual on plain-language drafting. One of the most famous Novelist George Orwell was perceptive of why the judgments are so verbose? And according to him 'when you are composing in a hurry — when you are dictating to a stenographer, for instance, or making a public speech it is natural to fall into a pretentious, Latinized style.' Usually, the judges don't write the judgments but they are the one

who recites or rather read it out loud in the courtroom to the stenographers.

Conclusion: Knowledge of law play significant role in legal language. If someone has lack of knowledge in the field of law they must make efforts to learn the law. As we all know that how much legal language important in every place such as for property, business, license, bills and documents etc. Every law person like lawyers, judges and other legal person should have the absolute knowledge of legal language but it is also important for layman to have knowledge about legal language because every person whether he/she is legal person or common people everyone do interaction with law in their regular life. Now a day mostly people choose law field so the legal language is very much important for them it makes a significant contribution to their success.

the powerful weapon of lawyers is their words with the help of effective words they can win argument and case but for this they have proper and absolute knowledge to play with words in legal language. Legal language is difficult to understand for common people but if they try to learn so they can learn legal language and understand the language in best way. Legal language is use to draft legal documents if documents is draft with not so much lengthiness and complexity so layman can easily understand legal language.

References:-

1. <https://blog.ipleaders.in/need-know-legal-language-legal-writing/>
2. <https://garhwalpost.in/importance-of-legal-english/>
3. Preamble - Constitution of India

भारत में ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

संजय सिंह* डॉ. देवी प्रसाद तिवारी**

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) टी. आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, रामपुर बाघेलान, सतना (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - आरआरबी की स्थापना 'ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के उद्देश्य से, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दृष्टि से की गई थी। खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों और उससे जुड़े और उसके आनुशंगिक मामलों के लिए'। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए के वर्गों के बीच संस्थागत ऋण की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। गरीबों को कम लागत वाली बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए, नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975) ने बैंकों के एक नए समूह की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो कि 'स्थानीय अनुभव और ग्रामीण समस्याओं से परिचितता को जोड़ती है, जो सहकारी समितियों के पास है। और व्यावसायिक संगठन की डिग्री, जमाराशियों को जुटाने की क्षमता, केंद्रीय मुद्रा बाजारों तक पहुंच और आधुनिक दृष्टिकोण जो वाणिज्यिक बैंकों के पास है'। ग्रामीण ऋण के लिए बहु-एजेंसी दृष्टिकोण इनपुट-गहन कृषि रणनीति (हरित क्रांति) की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी था, जिसने शुरू में 'मजबूत पर दांव लगाने' पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन सत्तर के दशक के मध्य तक अधिक व्यापक रूप से फैलने के लिए तैयार था। भारतीय देहात' इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण की क्षमता और आवश्यकता को पहचाना जाने लगा था, और यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां आरआरबी एक सार्थक भूमिका निभा सकते थे। इस पत्र में हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका और ग्रामीण विकास के प्रति उनकी जिम्मेदारियों पर चर्चा करने जा रहे हैं।

शब्द कुंजी - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि रणनीति, किसान, साहूकार आदि।

प्रस्तावना - ग्रामीण विकास को भारत जैसे देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में एक अभूतपूर्व भूमिका निभानी है, जहां अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्र देश में लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और अधिकतम लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी ग्रामीण से उत्पन्न होता है। ग्रामीण वित्त की आवश्यकता को साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों आदि जैसे ग्रामीण लोगों को सुरक्षा और निर्भरता प्रदान करने के लिए महसूस किया गया था, लेकिन वे किसानों और छोटे उद्यमियों का अत्यधिक ब्याज दर वसूल कर शोषण करते हैं और किसानों को अपना उत्पाद कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ग्रामीण लोगों को फसलों के अप्रत्याशित उत्पादन के जोखिम का भी सामना करना पड़ता है। वित्त की समस्या सहित वे बीज, उर्वरक, पानी की आपूर्ति और अन्य सुविधाओं की कमी से भी पीड़ित हैं जो ग्रामीण को चतुराई में ले जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है ताकि कृषि, व्यापार, वाणिज्य का विकास हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियाँ। ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद क्रेडिट

अंतराल को पाटना है और उन्हें ग्रामीण भारत में आर्थिक विकास के प्रभावी साधन माना जाता है। वे ग्रामीण समुदाय के लिए उत्पादक ऋण का विस्तार करेंगे और उनकी गतिविधि में और उनकी गतिविधि को विस्तारित करने के तरीके में उनका विशुद्ध रूप से ग्रामीण अभिविन्यास होगा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का इतिहास वर्ष 1975 का है। यह नरसिंहम समिति है जिसने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की नींव रखी। समिति ने 'क्षेत्रीय रूप से उन्मुख ग्रामीण बैंकों' की आवश्यकता महसूस की जो स्थानीय अनुभव के साथ ग्रामीण लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को संबोधित करेंगे, फिर भी वाणिज्यिक बैंकों के व्यावसायिकता के समान स्तर के साथ। 2 अक्टूबर को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जिनकी कुल अधिकृत पूंजी रु। 1 करोड़, जो बाद में बढ़कर रु। 5 करोड़। पांच वाणिज्यिक बैंक थे, अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करते हैं। ग्रामीण बैंकों की इक्विटी को केंद्र सरकार, प्रायोजक बैंक और संबंधित राज्य सरकार के बीच 50:35:15 के अनुपात में विभाजित किया गया था।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. भारत में ग्रामीण विकास के प्रति आरआरबी की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर चर्चा करना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण की क्षमता और आवश्यकता के लिए आरआरबी की भूमिका को समझना।
- ग्रामीण भारत में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभाने का अध्ययन करना।
- आरआरबी का अवलोकन करना।

अनुसंधान क्रियाविधि: शोध पत्र खोजपूर्ण शोध का एक प्रयास है, जो पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, लेखों और मीडिया रिपोर्टों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन के लिए उपलब्ध द्वितीयक आंकड़ों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। अध्ययन के उद्देश्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के लिए नियोजित शोध डिजाइन वर्णनात्मक प्रकार का है।

ग्रामीण विकास के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग की भूमिका: निम्नलिखित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई:

- बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण जनता के दरवाजे तक ले जाना, विशेष रूप से अब तक बिना बैंक वाले ग्रामीण क्षेत्रों में।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय आवश्यकता की पहचान करें।
- समाज के कमजोर वर्ग को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना, जिनके पास सस्ते ऋणों तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं थी और जो निजी साहूकारों पर निर्भर थे।
- पिछड़े या गैर-बैंकिंग क्षेत्रों में बैंकिंग और वित्तपोषण सुविधाओं को बढ़ाना।
- ग्रामीण बचतों को गतिशील बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए उन्हें दिशा देना।
- समाज के कमजोर वर्गों जैसे छोटे किसानों, ग्रामीण कारीगरों, छोटे उत्पादकों, ग्रामीण मजदूरों आदि को वित्त प्रदान करना।
- पुनर्वित्त के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय मुद्रा बाजार के प्रवाह के लिए एक पूरक चैनल बनाना।
- सहकारी समितियों, प्राथमिक ऋण समितियों, कृषि विपणन समितियों को वित्त प्रदान करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने की लागत को कम करना।
- अर्ध शहरी, ग्रामीण और अन्य अप्रयुक्त बाजार में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाना और सुधारना। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों द्वारा स्थानीय भाषा का ज्ञान एक महत्वपूर्ण योग्यता है।

आरआरबी के कार्य: प्रत्येक आरआरबी को बैंकिंग विनियमन अधिनियम में परिभाषित बैंकिंग के कारोबार को चलाने के लिए अधिकृत किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) में निर्दिष्ट अन्य व्यवसाय में भी संलग्न हो सकता है। विशेष रूप से आरआरबी को निम्नलिखित का व्यवसाय करने की आवश्यकता है:

- छोटे और सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों को व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, और सहकारी समितियों को कृषि विपणन समितियों, कृषि प्रसंस्करण समितियों, सहकारी कृषि समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों या किसानों की सेवा समितियों सहित ऋण और अग्रिम प्रदान करना। कृषि उद्देश्यों या कृषि कार्यों या अन्य संबंधित उद्देश्यों, और
- कारीगरों, छोटे उद्यमियों और व्यापार, वाणिज्य, उद्योग या अन्य

उत्पादक गतिविधियों में लगे छोटे-मोटे व्यक्तियों को इसके संचालन के क्षेत्र में ऋण और अग्रिम प्रदान करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरआरबी को वाणिज्यिक बैंकों के बराबर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने के दायरे में लाया है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अग्रिमों का चालीस प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए है। 40% प्राथमिकता लक्ष्य के भीतर, 25% कमजोर वर्ग को जाना चाहिए या उनकी कुल अग्रिम का 10% कमजोर वर्ग को जाना चाहिए।

भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वाले प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों में से एक है। भारतीय स्टेट बैंक के तहत भारत में 30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और यह पूरे भारत में 13 राज्यों में फैला हुआ है। डइख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या 2000 से अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक के अलावा कई अन्य बैंक भी भारत में ग्रामीण विकास के प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हैं। भारत में अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं: हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड: हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों, किसानों और कृषि अकुशल श्रमिकों और हरियाणा के छोटे ग्रामीण उद्यमियों की आर्थिक सहायता करना है। हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड जिसे हरकोबैंक भी कहा जाता है, हरियाणा राज्य के शीर्ष संगठनों में से एक है। HARCOBANK हरियाणा राज्य में एक विशेष आर्थिक स्थिति रखता है। हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड व्यक्तियों को कई प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय सहायता में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऋण, गैर-कृषि ऋण और बैंक जमा सुविधाएं शामिल हैं। भत्त्वठ।छड़ा तीन दशकों से अधिक समय से एक निवेशक के रूप में कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, कृषि आदि के विकास और प्रचार के लिए ऋण प्रदान करना है। नाबाई अन्य सभी संबंधित आर्थिक कार्यों का भी समर्थन करता है। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना। नाबाई संस्थागत विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदाताओं को पुनर्वित्त की सुविधा, ग्राहक वित्तीय निगमों के निरीक्षण, निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से ग्रामीण विकास में योगदानकर्ता की भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) को प्रमुख ग्रामीण विकास बैंक के रूप में स्थापित किया गया था।

सिंधनूर अर्बन सौहार्द को-ऑपरेटिव बैंक: सिंधनूर शहरी सौहार्द सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सिंधनूर शहरी सौहार्द सहकारी बैंक को आमतौर पर एसयूको बैंक के रूप में जाना जाता है।

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया: यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UBI) द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से एक के रूप में निभाई गई भूमिका अभूतपूर्व है। ग्रामीण सुधार और विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए यूबीआई ने शाखाओं के नेटवर्क का प्रचार किया है।

सिंडिकेट बैंक: सिंडिकेट बैंक की ग्रामीण क्षेत्र में जड़ें हैं। सिंडिकेट बैंक का विकास भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विकास के अनुसार हुआ था। सिंडिकेट बैंक ने भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सक्रिय रूप से प्रदर्शन किया है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। भारत में ग्रामीण उद्योगों का विकास और ग्रामीण व्यापार और

अर्थव्यवस्था का विकास काफी हद तक भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किए गए निवेश और वित्तीय सहायता पर निर्भर है।

तमिलनाडु में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: इंडियन बैंक ने दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रायोजित किया है, जैसे सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और पल्लवन ग्राम बैंक। सेलम में मुख्यालय के साथ पल्लवन ग्राम बैंक तमिलनाडु के 14 जिलों जैसे सेलम, नमक्कल, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, विल्लुपुरम, कुवलोर, कोयंबटूर, करूर, इरोड, नीलगिरी, वेल््लोर, तिरुवन्नामलाई, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में काम कर रहा है। इंडियन बैंक द्वारा प्रायोजित तीसरा आरआरबी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पुडुवई भारथिअर ग्राम बैंक है, जिसका मुख्यालय पुडुचेरी में है।

निष्कर्ष: बैंकों को अधिक मात्रा में सावधि ऋण प्रदान करके कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आम तौर पर गैर-कृषि क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कई तरह से मदद करता है। इसे ध्यान में रखते हुए, आरआरबी इस क्षेत्र के लिए ऋण के प्रतिशत में वृद्धि कर सकते हैं। यह निष्कर्ष ग्रामीण बैंकिंग संस्थानों और नीति निर्माताओं के लिए उपयुक्त क्रेडिट संरचना को विकसित करने और आकार देने में काफी उपयोग हो सकता है क्योंकि आरआरबी भारत में ग्रामीण ऋण संरचना का अभिन्न अंग हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में ग्रामीण बैंकिंग के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि गांधीजी ने कहा था, 'असली भारत गांवों में निहित है', और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के बिना आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को एक महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य लक्ष्य उन ग्रामीण लोगों को ऋण प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से पर्याप्त रूप से

मजबूत नहीं हैं, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों, खेतिहर मजदूरों और यहां तक कि छोटे उद्यमियों को भी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संसद (लोकसभा), 2004 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2004' पर विचार करने का प्रस्ताव।
2. प्रोफेसर दिलीप खानखोजे और डॉ. मिलिंद साठे, 2008। 'ग्रामीण बैंकों की दक्षता: भारत का मामला', अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान-सीसीएसई, वॉल्यूम - 1, नंबर 2।
3. रंगराजन, सी., 1995, '18वें बैंक अर्थशास्त्री सम्मेलन में उद्घाटन भाषण', भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, दिसंबर, XLIX (12), भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई।
4. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 1995-96, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, मार्च 1007, 34-35।
5. सत्यदेवी, सी., 2009। 'वित्तीय सेवाएं-बैंकिंग और बीमा', एस.चंद एंड कंपनी, आईएसबीएन: 81-219-3208-4।
6. सत्ये, एम., 1997, 'लेंडिंग कॉस्ट्स, मार्जिन्स एंड फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ रूरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस इन साउथ कोरिया', स्पेलबाउंड पब्लिकेशन्स, रोहतक, भारत।
7. सत्ये, एम., 2001, 'ऑस्ट्रेलियाई बैंकिंग में एक्स-एफिशिएंसी: एन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन', जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, 25, 613-630।
8. दूसरी नरसिम्हन समिति, 1997, बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति, भारत का राजपत्र-असाधारण अधिसूचना, भाग II, खंड 3 (ii), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

कृषि- हरित क्रान्ति एवं दूसरी हरित क्रान्ति की आवश्यकता

डॉ. पंकज जायसवाल *

* अध्यक्ष (भूगोल विभाग) साई पी.जी. कॉलेज, फतेहपुर, बाराबंकी (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – सदियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान होने के बाद भी आज देश दहशत के मुहाने पर खड़ा है। वे दिन लड़ गए, जब इस बात से हमारा सीना फूल जाता था कि हमारा देश रातों-रात हरित क्रान्ति से, आत्म निर्भर बन गया। अब हम आयात पर निर्भर न रहते हुए अपने यहां प्रचुर मात्रा में अन्न उपजाते हैं। वर्ष 2004 तक हम खद्यान्नों का निर्यात करते थे। किन्तु सन् 2005 में सरकार को लगा कि घरेलू भूख शांत करने के लिए कृषि उत्पादन में सुधार लाना होगा और उसने निर्यात को रोकने के लिए स्टियरिंग व्हील को उल्टी दिशा ही घुमा दिया। अब हम गेहूँ, दालों और खाद्य तेलों के विरुद्ध आयातक बन गये हैं।

खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के क्षेत्र में नई चुनौतियों और अवसरों के साथ 21 वीं सदी की शुरुआत हो चुकी है। प्रमुख चुनौतियां हैं- जलवायु परिवर्तन, पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण ईंधन उत्पादन के लिए खेतों का बदलता स्वरूप कृषि की प्रगति के लिए आवश्यक इकोलॉजी की होती क्षति और निर्बाध रूप से पनपते कीटनाशक। अब सौभाग्य से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र, विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी, सूचना संचार तथा अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में नई खोजों ने इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाए बिना एक लंबी हरित क्रान्ति के युग की शुरुआत की है। वस्तुतः अब हरित क्रान्ति से तात्पर्य कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है। इसमें सघन सिंचाई, अधिक उपज देने वाले बीजों (संकर बीज) का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक तथा आधुनिक यंत्रों के प्रयोग के फलस्वरूप सफलता प्राप्त होगी।

जैविक कृषि एवं पंचवर्षीय योजनाएं: जैविक कृषि पद्धति को नई जेनेटिक्स के साथ फसल पशुधन को शामिल करने की जरूरत है। पर इसके लिए वैश्विक बायोटेक्नोलॉजी विनियामक व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा जिसका आधार पर्यावरण सुरक्षा, उपभोक्ता का स्वास्थ्य तथा देश की बायो सुरक्षा होनी चाहिए। एक दूसरा क्षेत्र जिस पर बहुत अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है वह है तकनीक के विकास से लेकर उसके प्रचार-प्रसार तक महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करना।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया तथा कृषि पर विशेष ध्यान दिया, खासकर प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं के प्रसार पर अच्छी सफलता प्राप्त की। लेकिन अगली दो पंचवर्षीय योजना में कृषि में गिरावट आयी और खाद्य सुरक्षा के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा। अतः आत्म निर्भरता के लिए एक वर्षीय योजना का संचालन किया गया, जिसमें हरित क्रान्ति को अपनाने से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। आज भारतीय किसान भयावह आर्थिक संकट

के दौर से गुजर रहा है। ओला, तूफान, अतिवर्षा, पाला, चक्रवात, सूखा, बाढ़ आदि प्रतिकूल मौसम की मार से आज खेती उजड़ रही है। खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं हैं। सरकार कृषि नीति भूमि सुधार और भूमि वितरण को गम्भीरता से नहीं ले रही है, जिसकी वजह से किसानों की कृषि के प्रति उदासीनता बढ़ रही है।

तमाम सरकारी ढावों के बावजूद, आज भारतीय किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय और विपन्न है, आज धरती पुत्र किसान दीन और असहाय हो गया है। किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य न मिलना, सरकार द्वारा जल-संरक्षण व सिंचाई की जिम्मेदारी को ठीक से न निभाना, सरकार व कंपनियों द्वारा मिट्टी के प्राकृतिक उपजाऊपन व पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करने वाली महंगी कृषि तकनीक का प्रचार-प्रसार करना, सामाजिक कुरीतियों में वृद्धि तथा आपसी सहयोग की कमी। जब इस संकट के प्रतिकूल परिणाम किसानों के गहरे दुःख-दर्द व निराशा के रूप में सामने आने लगे तो इस संकट के इन बुनियादी कारणों को दूर करने के स्थान पर महंगी तकनीकों व जी.एम. जैसे कई खतरों की संभावनाओं से भरे बीजों को और भी व्यापक स्तर पर फैलाने की छूट सरकार देने लगी, इस तरह संकट का समाधान तो हो ही नहीं सकता था, परिणाम इसके विपरीत हुआ। कृषि और खाद्य अर्थव्यवस्था की विशेषज्ञ प्रोफेसर उत्सा पटनायक की यह चेतावनी सामयिक है कि 'भारत भूख का गणतंत्र बनता जा रहा है है, क्योंकि भूख से बढ़कर गरीबी का कोई सबूत नहीं है।'

हरित क्रान्ति एवं मानसून: इक्कीसवीं सदी के नये स्वरूप में देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, वर्तमान दौर आर्थिक समृद्धि का है, लेकिन कृषि प्रधान देश का यह दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारतीय कृषकों की हालत चिंतनीय है। बड़ी संख्या में कृषक भूमिहीन श्रमिकों के रूप में जीविकोपार्जन के लिए बाध्य हो रहे हैं, भारतीय कृषि समस्याओं से घिरी है। आज देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान केवल 20.2 प्रतिशत रह गया है, जबकि देश की 58 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। कृषि पर निर्भर जनसंख्या का लगभग 86 प्रतिशत भूमिहीन किसान है। लगभग 72 प्रतिशत कृषि जोते 2 हैक्टेयर से छोटी हैं और अधिकांश कृषक ऋणग्रस्त हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021-22 के लिए ऋण प्रवाह 16,50,000 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये और 30 सितम्बर 2021 तक इस लक्ष्य के मुकाबले 7,36,589.05 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। खाद्यान्न फसलों का 22 प्रतिशत व फलों व सब्जियों का 42 प्रतिशत बिना उपयोग के नष्ट हो जाता है। भारतीय कृषि अभी भी मानसून पर निर्भर है और मात्र 35 प्रतिशत भूमि ही सिंचित है।

रासायनिक उर्वरक व पौधा संरक्षण दवाइयों के उपयोग ने भूमि की उर्वरता घटाई है और फसलों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाये हैं, अभी भी कृषकों को अपनी फसल का लाभदायक मूल्य नहीं मिलता है। पीढ़ियां गुजरी पर समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, किसानों की हालत बढ़ से बढ़तर हो रही है।

अमेरिकी विदेश मंत्री कोइलजि राइस का यह बयान कि भारत और चीन के लोगों की बढ़ती खुराक विश्व खाद्य संकट के लिए जिम्मेदार है, यह भोजन के बुनियादी अधिकार के कत्ल की कोशिश है तथा दुनिया के विकासशील देशों के साथ क्रूर मजाक है। यह सच है कि घरेलू खाद्य संकट का ताना-बाना वैश्विक स्तर की कठिन परिस्थितियों में उलझा हुआ है तथा वैश्विक आपूर्ति की हालत भी चिंता जनक है, अब चालीस और पचास के दशक जैसे हालात नहीं रहे, जब खाद्य पदार्थों की बहुतायत थी और भारत सरकार यह मानने लगी थी कि कृषि क्षेत्र को नजर अंदाज किया जा सकता है। अनाज की कमी के लिए **निस्संदेह मौसम** का बदलाव भी प्रमुख कारण है। वर्षा की स्थिति डांवाडोल है और तापमान में भी बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव होता रहता है। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतें, देश और दुनिया को अनाज उत्पादन की कीमत पर जैविक ईंधन की खेती की ओर धकेल रही है। पानी के स्रोत भी तेजी से सिकुड़ रहे हैं। बीजों के स्टॉक के पुनरुत्पादन की कमी के चलते भारत संकरित प्रजातियों के उत्पादन की ओर आगे बढ़ रहा है। हरित क्रांति चूँकि सघन सिंचाई पर आधारित है अतः नदी घाटियों पर बड़े-बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली गईं, जिससे जहां एक ओर सिंचाई के क्षेत्र में विस्तार हुआ वहीं दूसरी ओर विद्युत के उत्पादन को भी बढ़ाया गया, जिससे ऊर्जा पूर्ति की जा सके। संकर बीजों के प्रयोग से न केवल उत्पादन में बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। चूँकि हरित क्रांति रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर निर्भर है अतः इनके उत्पादन करने वाले उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। उर्वरक उद्योग का विकास इसी के परिणाम स्वरूप ही हुआ।

हरित क्रांति-सिंचाई पर निर्भरता: हरित क्रांति की बदौलत अनाज उत्पादन में लगाई गई छलांग के चार दशक बाद, अब भारत बढ़ती आबादी के लिए खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषिगत संकट का सामना कर रहा है-ग्राह्य मचा रहा है। खाद्यान्न सुरक्षा के ऐसे हालात आतंकवाद और नक्सलवाद से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों के मामले में हमारी आत्मनिर्भरता पर भी संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि कृषि उत्पादन तेजी से घट रहा है। भारत और चीन में जिस रफतार से महंगाई बढ़ी है उस रफतार से फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। कृषि उपकरण, उन्नत बीज, कीटनाशक, बिजली, रासायनिक उर्वरक, डीजल, कृषि मजदूरों की मजदूरी और माल ढुलाई के भाड़े में लगातार आसमान छूती कीमतों के कारण कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है। साथ ही मौसम की मार ने समस्या को और अधिक विकराल बना दिया है। जब तक हम किसानों को सक्षम और खेती को मुनाफे का व्यवसाय न बना दे। परिस्थितियां बदलने वाली नहीं हैं। आज खेती कोई करना नहीं चाहता, जो कर रहा है वह मजबूरी में किसानों द्वारा फसल उत्पादन में एक बार में जो लागत लगती है वह निश्चित भी नहीं है कि वापस आयेगी। भारतीय कृषि की प्रकृति पर निर्भरता, सिंचाई के सीमित साधन तथा आज भी पूरा देश बिजली के अभाव से ग्रस्त है, इससे खेत खाली और परती रह जाते हैं या फसल पानी के अभाव में सूखकर नष्ट हो जाती है, खेती चौपट हो जाती है। भारत में आज भी इतनी कुव्वत है कि

अपना कृषि उत्पादन बढ़ा सके, लेकिन हमें ऐसी नीतियों की दरकार है, जिनका फोकस कृषि उत्पादन बढ़ाने पर हो, न कि उपजाऊ जमीन पर हवाई अड्डे बनाने और शहरी कॉलोनियां बनाने पर इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत विदेश से 1600 रुपये प्रति किंटल गेहूं खरीद रहा है, लेकिन अपने किसानों को वह 1200 रुपये देना भी उचित नहीं समझता है। इसका कर्ज माफी से इलाज नहीं हो सकता।

हरित क्रांति की पूंजी लागत पर निर्भरता : हरित क्रांति से जहां उत्पादन में वृद्धि हुई है वहीं दूसरे नकारात्मक प्रभाव भी परिलक्षित होते हैं। हरित क्रांति सिंचाई पर आधारित है अतः इसका प्रभाव वहीं तक सीमित है जहां यह सुविधा उपलब्ध है, उदाहरणस्वरूप पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तथा पूर्वी तटीय प्रदेश (महानदी, गोदावरी तथा कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र)। दूसरी ओर सिंचाई के विस्तार के लिए बड़े-बड़े बांध बनाए गए हैं जिनकी लागत (अधिक होने के साथ-साथ) और समय अधिक होता है तथा जिन्होंने सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को भी जन्म दिया है। सिंचाई के लिए नहरें निकाली गयीं हैं, नहरों से जहां एक ओर जल के उपयोग का कुप्रबंधन हुआ है (वाष्पन आदि द्वारा जल का नुकसान) वहीं दूसरी ओर अत्यधिक सिंचाई के कारण केशिकत्व के प्रभाव में मृदा में लवणता एवं ऊसरपन को जन्म दिया है। रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा में स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है साथ ही जैव विविधता में भी ह्रास हुआ है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न प्रकार के कीट-पतंगें तथा गिद्ध आदि का ज्ञात है इस संकल्पना के। अन्तर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाता है, चूँकि संकर बीज के रूप में गेहूं, चावल, मक्का एवं आलू का ही प्रयोग किया गया जिनका विकसित राष्ट्रों में विकास हो चुका था। अन्य फसलों के (विकास में) उत्पादनों को बढ़ावा न मिलने से फसलों का विविधिकरण न हो सका, परिणामस्वरूप दलहन व से तिलहन जैसी फसलों में हम आत्म निर्भर न हो सके। बीजा का में संकरण चूँकि जीनों के परिवर्तन पर आधारित है अतः इस विधि से फसलों ने अपने मूल स्वरूप को खो दिया है उदाहरण के तौर पर खाद्य (फसल) विशेष के स्वाद में परिवर्तन और साथ ही यंत्रीकरण से प्रदूषण को बढ़ावा मिला।

हरित क्रांति की संकल्पना पूंजी लागत पर निर्भर है, अतः छोटे एवं सीमांत किसान इससे वंचित रहे। आज पूरे देश के किसानों की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पीड़ित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में कमजोर किसानों द्वारा आत्महत्या, भुखमरी, बीमारी और कुपोषण से मौत के समाचार मिलते रहते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में यह सवाल बहुत प्रासंगिक बन गया है कि आखिर किस तरह की नीतियां व कार्यक्रम अपनाकर वर्तमान कृषि संकट को दूर किया जा सकता है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय कमजोर आर्थिक परिदृश्य में किसानों के लिए सस्ती तकनीक ही हर दृष्टि से उचित है, महंगी तकनीक बहुत शीघ्र ही व विशेषकर प्रतिकूल मौसम के दौर में, छोटे किसानों को कर्ज के ऐसे दुष्प्रक्रम में, धकेल देती है, जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। किसी गांव में सस्ती तकनीक से सही उत्पादकता कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए जरूरी है कि गांव व उसके आस-पास उपलब्ध संसाधनों का ही बेहतर से बेहतर उपयोग किया जाए व बाजार के महंगे इनपुट जैसे रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा व बड़ी कंपनी के महंगे बीजों, पर निर्भरता कम की जाए।

खेती की पुरानी और आधुनिक तकनीकों के बीच तालमेल बैठकर, यदि गांव में ऐसे कार्यक्रम अपनाए जाएं, जिनसे गांव में हरियाली, वृक्ष,

चारागाह बड़े, जल संरक्षण हो तो कम्पोस्ट, गोबर, गोमूत्र, पत्ती, फसल अवशेष आदि का बेहतर उपयोग करते हुए किसान बहुत कम खर्च में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कृषि व पशु पालन आधारित कुटीर उद्योग, खादी व लघु उद्योग का भी प्रसार हो, तो गांव का आर्थिक संकट अवश्य दूर होगा। यह सोच महात्मा गांधी की गांवों की आत्म निर्भरता की सोच के बहुत नजदीक है। यह सोच आज के भूमंडलीकरण के दौर में पहले से भी अधिक प्रासंगिक हो गई है! इसके लिए परंपरागत कृषि, सिंचाई, पशुपालन आदि से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इस सोच में परंपरागत बीजों व फसल चक्रों को बचाने का बहुत महत्व है, क्योंकि जलवायु, मिट्टी व पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त है व इस परिवेश के लिए उनकी अनुकूलता वर्षों के अनुभव से तय हुई है। सदाबहार हरित क्रान्ति के पहले कदम के तौर पर हमें किसानों को पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और वर्षा के जल के संग्रहण पर काम करना होगा। कुओं और तालाबों के निर्माण से उन क्षेत्रों में दोहरी फसलें ली जा सकेंगी, जहां अभी साल में सिर्फ एक ही फसल ली जा रही है। यह अनाज उत्पादन को दुगने से भी अधिक कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और पानी की कमी को देखते हुए हमें फसलों की ऐसी वैराइटी विकसित करने की जरूरत है, जो सूखे में भी उग सकें। एक बड़े पैमाने पर जेनेटिक विविधता फसलों की वैराइटियों में उपलब्ध है। इसे जीन और बीज बैंकों में संरक्षित किया जाना चाहिए, जिसके लिए झारखंड में अभियान चलाया जा रहा है। सबसे आखिरी बात यदि हमने कृषि के तौर-तरीके को नहीं बदला तो यह खेती चौपट हो जायेगी। किसानों को सुनिश्चित बाजार मिले और उत्पादन लागत इतनी हो कि मुनाफा कमाया जा सके। सबसे बड़ी बात, आसान कर्ज और फसल व अनाज के भंडारों के लिये बीमे की जरूरत है ताकि किसान सुरक्षित महसूस करें। और खेती-किसानी का आकर्षण बरकरार रहे। अच्छी खबर यह है कि इस देश में अनाज उत्पादन बगैर ज्यादा मुश्किलों के बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास फसलों की अच्छी वैराइटियां हैं और क्षमता भी, जिसका अभी तक पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। हमारे पास अच्छी कृषि तकनीकें और ऐसे किसान हैं, जो खेतों को बखूबी समझते हैं। हमारी असली समस्या है आलसी और अनुत्पादक मशीनरी की। किसानों की दशा सुधारने के लिए जरूरी है कि हम इन समस्याओं का निराकरण करें। किसानों की फसल उत्पादन की लागत घटाई जाये और उत्पाद का उचित मूल्य दिलाया जाये। देश की मण्डियों पर मजबूत आढ़तियों का कब्जा है। कमजोर और असंगठित किसानों के सामने अनेक समस्याएँ इनके द्वारा पैदा की जाती हैं। इन बिचौलियों-आढ़तियों को मालामाल बनाने वाली इस व्यवस्था को समाप्त

किया जाये। वर्तमान व्यवस्था इन्हें देकर किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है।

हरित क्रान्ति वास्तव में न तो हरित थी और न ही किसी प्रकार की क्रान्ति, बल्कि यह एकमात्र वृद्धि खाद्यानों का ही सूचक बनकर रह गया है, यही कारण है कि प्रथम हरित क्रान्ति में से की सीमाओं को देखते हुए द्वितीय हरित क्रान्ति की मांग उठने लगी है। इसके अन्तर्गत उन क्षेत्रों में कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो पहले से इससे वंचित रह गए हैं। फसलों के विविधिकरण पर जोर देते हुए कृषि तकनीक को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर मिश्रित उर्वरक एवं जैव उर्वरक को बढ़ावा दिया जाएगा तथा सिंचाई के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अतिरिक्त जल को शुष्क क्षेत्रों में पहुंचाकर समस्याओं के निदान पर बल दिया जाना है। कुल मिलाकर द्वितीय हरित क्रान्ति सतत् विकास की संकल्पना पर आधारित है। भविष्य में हमें पैदावार के अंतर को पाटने से आगे जाना होगा और तकनीकी ठहराव की समस्या से पार पाने के लिए तकनीक का विस्तार करना होगा। धरती के तापमान में वृद्धि की चुनौती और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अपने को ढालने की आवश्यकताओं को देखते हुए यह और भी जरूरी हो गया है, जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इससे तभी बचा जा सकेगा, यदि हम कुछ नयी प्रजातियों का पता लगा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपनी ईमानदार कोशिश से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रयासों को सुदृढ़ कर सदाबहार हरित क्रान्ति द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने की भी गारंटी दे सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. भूगोल और आप, अंक-4, नवम्बर दिसम्बर 2005
2. कुरुक्षेत्र, अंक-7, मई 2007
3. भूगोल और आप, अंक-7, संख्या-2, मार्च-अप्रैल 2008
4. योजना विशेषांक, मार्च 2008
5. कुरुक्षेत्र, अंक-9, जुलाई 2008
6. योजना, विशेषांक, अगस्त 2008
7. कुरुक्षेत्र, अंक-2, दिसम्बर 2011
8. कुरुक्षेत्र, अंक-2, दिसम्बर 2021
9. योजना विशेषांक, जनवरी 2022
10. कुरुक्षेत्र, अंक-3, जनवरी 2022
11. कृषि भूगोल, प्रोफेसर बी०एन० सिंह, 2007

छायावादी कविता और राम काव्य: एक परख (राम की शक्ति पूजा और कामायनी के प्रथम सर्ग का तुलनात्मक अध्ययन)

कवीन्द्र कुमार भारद्वाज *

*सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हाटपीपल्या, जिला-देवास (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - छायावादी काव्य को शक्ति काव्य भी कहा जाता है। कामायनी और 'राम की शक्ति पूजा' नामक रचनाएं इस तथ्य को उचित कथ्य देती हैं। प्रसाद और निराला का रचना परिवेश और रचना काल (रचनाओं के संदर्भ में) समान ही है। राम की शक्ति पूजा यदि 1936 में आती है तो कामायनी भी 1936 में प्रकाशित होती है। दोनों काव्यों में अपना रचना समय भी मुखरित हुआ है। यह सही है कि इनमें युगबोध यथार्थ के धरातल पर आकार मिथक के सांचे में ढल कर अपने संश्लिष्ट रूप में उभर कर सामने आया है। असल में यह यथार्थ के प्रति कवि की मौलिक देन है। डायलन टामस के अनुसार 'एक सफल रचना यथार्थ के प्रति कवि की मौलिक देन है।' (कल्पना और छायावाद में उद्धृत)

दोनों रचनाओं में अपना काल सीधे यथार्थ रूप में सामने नहीं आया है। दोनों रचनाओं के समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम पर था और विज्ञानवाद तथा उससे उपजा सांस्कृतिक खतरा, पश्चिम और पूर्व का द्वंद्व भी चरम पर था। यह सब वातावरण प्रतिकात्मक रूप में दोनों रचनाओं में खोजा जा सकता है। छायावादी कवियों की विशेषता के रूप में इन बातों के संबंध में प्रोफेसर केदारनाथ सिंह का यह कथन उचित है-—

'छायावाद कला का पुजारी था। उसके लिए यह संभव ही नहीं था कि वह बाह्य यथार्थ को अनगढ़ और अपरिष्कृत रूप में कला में उतार दे। अपनी भावना के अनुरूप में उसने अपने युग की वास्तविकता को कुछ इस प्रकार से रूपायित किया कि पाठक की परिचित दृष्टि चमत्कृत हो गई।' (कल्पना और छायावाद)

ऐसा ही चमत्कार पूर्ण काव्य कामायनी व शक्ति पूजा है। कामायनी प्रसाद की शिखर रचना है। प्रसाद ने अपनी काव्य यात्रा ब्रजभाषा की तलहटी से प्रारंभ की और उच्चता कामायनी में प्राप्त की। भाव संवेदना, शिल्प और भाषिक संरचना इन सभी धरातल पर प्रसाद की काव्य- कला विकसित होती गई और कामायनी में वह अपनी चरम स्थिति को प्राप्त हुई। प्रसाद का अपना एक विशिष्ट दर्शन है, उसके प्रति एक गहन आस्था है। उसमें संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। अपने जीवन दर्शन को उन्होंने कामायनी के माध्यम से परिभाषित एवं स्थापित किया है। इसके विपरीत निराला में ऐसा कोई विकास क्रम और प्रतिबद्धता नजर नहीं आती। वह हर बार अपने पूर्व संचित काव्यकला को विचार एवं भाषा के स्तर पर ध्वस्त कर एक नया सृजन करने को उत्सुक होते हैं। एक और यदि राम की शक्ति पूजा में संस्कृत निष्ठ समास पदावली का प्रयोग करते हैं तो इसके बाद की रचना कुकुरमुत्ता के वे ठेठ आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। एक और यदि वे

अभिजात्य मूल्यों वाली कविता का सर्जन करते हैं तो दूसरी ओर इसको चुनौती देते हुए भी रचना करते हैं। एक तरह से निराला में 'विरुद्धों का सामंजस्य' है। डॉ रामस्वरूप चतुर्वेदी भी लिखते हैं- 'रामचंद्र शुक्ल ने विरुद्धों का सामंजस्य का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, निराला उसका रचनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।' (हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास)

यह बात तय है कि प्रसाद परंपरा के कवि है तो निराला विद्रोह के। कामायनी छायावाद की प्रतिनिधि रचना है तो राम की शक्ति पूजा सशक्त छायावादी रचना है। यह बात और है कि यदि राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, यमुना के प्रति और तुलसीदास को एकत्रित रूप में सामने रखे तो कामायनी की आभा इस काव्य-चतुर्भुज की प्रखरता के आगे कम ही ठहरेगा, ऐसी ही मान्यता नामवरसिंह की भी है। (छायावाद)

खैर, कामायनी की शक्ति उसके संगठन में है। फिर भी यह बात सत्य है कि कामायनी में छायावाद संपूर्णता के साथ डेने फड़फड़ाता हुआ नजर आता है और राम की शक्ति पूजा में मात्र उसके डैनों का प्रसार है। एक तरह यदि श्रुति-श्रुति से 'आनंद' की ओर जाने का मार्ग है तो दूसरी ओर अस्त होते ही रवि से 'होगी जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन' की उक्ति के साथ आशा-रवि के उदय का संकेत है। एक और यदि विषाद और चिंता की रेखाओं से आनंद के भव लोक की यात्रा है तो दूसरी ओर हताशा, संशय से 'शक्ति की मौलिक कल्पना' कर जय का आश्वासन है। एक और यदि कामायनी अपनी वृत्ति से महाकाव्य है तो दूसरी ओर राम की शक्ति पूजा महाकाव्योचित औदात्य संपन्न लंबी कविता है। अब हम कामायनी के चिंता सर्ग और राम की शक्ति पूजा के आरंभिक अंशों को केन्द्र में रखकर ही तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि अभी तक हम विषयांतर थे। असल में विषय के सूत्र स्पष्ट हो इसलिए अभी तक हमने उसका विस्तृत फलक पर टेलीस्कोपिक अध्ययन किया है और अब हम सुख में सूत्रों के लिए माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करेंगे।

राम की शक्ति पूजा में कविता का आरंभ होता है - - - - -

'रवि हुआ अस्त : ज्योति के पत्र पर लिखा अमर,

रह गया, राम - रावण का अपराजेय समर'

दूसरी ओर चिंता सर्ग की आरंभिक पंक्तियां हैं। 'हिमगिरि के - - - - -' एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। दोनों और परिस्थितियां सामान्य हैं। एक तरफ से यदि अपराजेय समर जारी है तो दूसरी ओर प्रलय प्रवाह का दृश्य है। दोनों को देखने पर लगता है कि कोई त्रासदी प्रस्तुत की जा रही है। रवि का अस्त होना स्वयं निराशा का प्रतीक है, दूसरी ओर एक पुरुष का

भीगे नयनों से युक्त होना स्वयं हताशा - निराशा का प्रतीक है। निराला सिर्फ युद्ध की सूचना देते हैं तो प्रसाद भी मात्र प्रलय की सूचना देते हैं। दोनों कवियों का मन युद्ध और प्रलय की बाह्य स्थिति में ज्यादा रमता नहीं वे आंतरिकता की ओर बढ़ते हैं। वैसे ही छायावादी कवियों का मन सूक्ष्म की ओर अधिक था। आगे निराला युद्ध का भीषण वर्णन करते हैं -

**‘आज का तीक्ष्ण- शर-विधूत-क्षिप्र कर वेग-प्रखर,
शत शैल सम्वेदनशील, नील नभ गर्जित- स्वर’**

दूसरी तरफ प्रसाद निराला की तरह ही फलैश बैक में प्रलय की भयावहता का चित्रण करते हैं-

**‘बढ़ने लगा विलास-वेग सा वह अति भैरव जल- संघात
तरल तिमिर से प्रलय- पवन का होता आलि प्रतिघात’**

या फिर

**‘दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तटके / सघन गगन में
भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके ।’**

राम की शक्ति पूजा में राम धनुष की मूठ तत्परता से पकड़े हुए हैं लेकिन उनके अंगों से रुधिर की धारा बह रही है अर्थात् सामर्थ्य तो है किंतु समय की धारा विपरीत है-

**‘अनिमेष -राम- विश्वजिद्धिव्य -शर-अंग-भंग-भाव ,
विंदांग-बध्द- कोदण्ड- मुक्ति-शर रुधिर स्राव’**

दूसरी तरफ मृत्यु में भी सामर्थ्य है किंतु समय की धारा विपरीत है, वह चिंताकातर है - ‘चिंता कातर वदन हो रहा पौरुष जिसमें ओत-प्रोत’ निराला ने वातावरण का बहुत ही कम शब्दों में, संश्लिष्ट चित्रण किया है-

**‘हे अमानिशा , उगलता गगन घर अंधकार;
खो रहा दिशा: स्तब्ध है पवन चार
अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुधि विशाल
भूधर ज्यों ध्यान मग्न; केवल जलती मशाल’**

प्रसाद के पास बहुत स्पेस और अवकाश है, इसलिए उन्होंने संक्षिप्त गागर-सागर वाले तो नहीं वरन रंगात्मक चित्र उकेरे हैं। एक ही भाव की कई बार आवृत्ति भी हो रही है। प्रसाद पंच तत्वों के द्वंद को, पंच भूतों के तांडव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह नृत्य, पंचतत्व, निराला के यहां भी है लेकिन अप्रस्तुत रूप में अमानिषा उगलता गगन---- ‘में पांचों तत्व है गगन है, पवन है, जल है, भू है अग्नि तत्व के रूप में जलती हुई मशाल है। इन सब के संक्षिप्त प्रभाव का दारुण नर्तन भी है, जो न सिर्फ वातावरण है वरन राम के अंदर भी है। लेकिन मनु के आंतरिक लोक में ऐसा राम जैसा नर्तन नहीं है। पंचतत्व दोनों के यहां है यदि गहराई से सोचें तो निराला के पंचतत्व चित्रण की एक विशेषता यह भी है कि चार तत्व को स्थिर है लेकिन अग्नि तत्व मशाल के रूप में सजीव है, क्रियाशील है, एक तरफ से वह आशा और क्रियाशीलता का प्रतीक है। प्रसाद के यहां इतना सूक्ष्म विधान नहीं है।

राम के मन में संशय की स्थिति है, वह चिंता देती है -

‘स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय

रह- रह उठता जग-जीवन में रावण जयभय’

वहीं मनु के मन में भी संशय है कि वह प्रलय के थपड़े खाते हुए तट पर भी पहुंच पाएगा या नहीं-

**‘लगते प्रबल थपड़े, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं
कतरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी रही’**

मनु और राम दोनों देव प्रजाति के हैं। काव्य में दोनों को मानवीय धरातल पर उतारा है। चिंता कौन करता है? मानव, संशय ग्रस्त कौन होता है? ‘मानव’। देव ना तो चिंता करता है और ना ही संशय ग्रस्त होता है।

दोनों रचनाओं में मन की तहों का आंतरिक विश्लेषण है। ‘टढ़ जटा मुकुट विपर्यस्त प्रति लट से खुल ---’ द्वारा निराला बाह्य परिस्थितियों से राम की आंतरिक मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रसाद बाह्य परिस्थितियों का वर्णन करते हैं उसके परिणाम स्वरूप मनु चिंतन करता है और उस चिंतन के केंद्र में फिर मनोविकार आते हैं। यदि हम सीधे शब्दों में कहें तो निराला के यहां आंतरिक स्थिति बाह्य स्थिति को निर्मित करती है। लेकिन प्रसाद के यहां बाह्य स्थिति आंतरिक स्थिति को निर्मित करती है। राम की शक्ति पूजा और चिंता सर्ग को नाटकीय तत्वों का समावेश है। शक्ति पूजा में नाटकीय घटनाक्रम व नाटकीयता है ही, ‘चिंता’ में भी नाट्य-शब्दावलीयां एवं नाट्य- संवाद कौशल है। जैसे- ‘अरी व्याधि की सूत्र धरिणी ----’

नाट्य संवाद - ‘गया, सभी कुछ गया, मधुरतम सूर बालाओं का शृंगार’ पद तल द्वारा धरती के कंपन का भी दोनों में वर्णन है -

‘लौटे युग-दल- राक्षस पतदल पृथ्वी तलमल’

या

‘कांपती धरणी उन चरणों से, होकर प्रतिदिन ही आक्रांत’

ऊपर राक्षसों के पद-तल से धरती का कंपन है- और नीचे स्वयं बिलासी देवों के पद- तल से पृथ्वी का कंपन है। ऊपर राक्षसों द्वारा नाश की सूचना है तो नीचे स्वयं देवों का आत्महंतापन है। निराला और प्रसाद दोनों ही कथा - तत्व के रूप में मिथक का उपयोग करते हैं। प्रसाद इन मिथक का उपयोग भारतीय काव्य में प्रथम बार करते हैं जो कि वैदिक साहित्य ‘ब्राह्मण’ से लिया गया है। निराला का मिथक लोक-प्रसिद्ध है, लेकिन निराला का मिथक प्रभावज होते हुए भी अपने आप में कथ्य और शिल्प की दृष्टि को मौलिक ठहरता है। एक तरफ से दोनों के मिथक प्रयोग अद्वितीय हैं क्योंकि प्रसाद भी मिथक में मनोविश्लेषणवाद का पुट देते हैं। आधुनिक संदर्भ में उससे व्याख्यायित करते हैं।

दोनों ही रचनाओं में फलैशबैक पद्धति का उपयोग किया गया है। एक धरातल पर समान होते हुए भी अन्य धरातल पर वह भिन्न है। मनु फलैशबैक में या तो मधुर - स्मृति के अंक में जाते हैं या आत्मालोचना करते हैं। राम फलैशबैक में सीता को याद करते हैं, मनु को फलैशबैक निराशा देता है लेकिन राम को आशा की किरण। मनु कहता है -

**‘चिंता करता हूं मैं जितनी अतीत की सुख की ,
उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की।’**

लेकिन राम के संदर्भ में-

**‘फूटी स्मिति सीता- ध्यान -लीन राम के अधर,
फिर विश्व- विजय- भावना हृदय में आई भर’**

कहीं-कहीं प्रसाद रीतिकालीन प्रभाव से भी ग्रस्त थे - ‘

**कंकण स्वर्णित, रणित नूपुर थे ,हिलते थे छाती पर हार,
मुखरित था कलरव, गीतों में स्वर लय का होना अभिसार।’**

निराला ऐसे प्रयोग उक्त रचना में नहीं करते वर्णों रचना का ओज गतिशील रहता है।

शक्ति पूजा की प्रारंभ की पंक्तियां संस्कृत निष्ठ, समासयुक्त, क्रियापद रहित है। कई आलोचकों ने इसे प्रश्नगत भी किया है। उनका मानना है भाषा

टेलीग्राफिक भाषा लगती है। भाषा सधी हुई और त्रुटिरहित है। जबकि प्रसाद की भाषा पर कई आलोचकों ने आपत्तियां की हैं। प्रसाद व्याकरणिक भूलों भी करते हैं 'यह अलग बात है कि वे छंद रक्षार्थ करते हैं। उदाहरणार्थ- 'इस ग्रह कक्षा की हलचल-री तरल गरल की लघु लहरी'----।' नचती भरण - किरण - सी चारों और -(यह नया शब्द गढ़ा है)। प्रसाद प्रलय को ओज गुण संपन्न न करते हुए उसे स्त्रैण भाव देते हुए एक तरह से रोमांटिक वर्णन करते हैं -

'उधार गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी।

चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी।'

जबकि निराला युद्ध का वर्णन पूर्ण ओजस्विता और पौरुषता से करते हैं। निराला प्रायः संस्कृत के प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करते हैं जबकि प्रसाद वेदों, आरण्यकों के ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, जिनका अभी तक प्रयोग ही नहीं किया गया हो वह कई ऐसे अभिशप्त शब्दों को शाप - मुक्त करते हैं- जैसे वेला, इसके अलावा वे कई वेदों में प्रचलित लेकिन कम व्यवहृत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं -

-जैसे शंपा, शकल- निपात, मित्र आदि।

एक तरफ से प्रसाद जी अतीत प्रवासी बनते हैं और वहां से शब्द चुन-चुन कर लाते हैं। मनु अकेले संघात अवसाद झेलता है- जबकि राम के

साथ सहयोगी भी है। मनु की मूल चिंता सृजन की है। राम की रावण जय भय की है। इसके अलावा ऐसे अनेक बिंदु हैं जहां दोनों में विषमता है। और ऐसे अनेक समानता वाले बिंदु भी हैं। इस प्रकार की वह क्षमता और विषमता दिखाने से पृष्ठ संख्या ही बढ़ेगी, भाव बोध का धरातल नहीं। इसलिए एक महत्वपूर्ण विषमता दिखाते हुए मैं पत्र का समापन करूंगा कि प्रसाद नियतिवादी है उसके यहां नियति के अनुसार, काल-चक्र के अनुसार आशा की किरण जाती है- सौर चक्र में आवर्तन या प्रलय निशा का होता प्रात' दूसरी और निराला कर्मवादी है। राम की शक्ति पूजा के प्रारंभिक अंशों के तनाव को नियति वादी ढंग से निष्प्रभावी नहीं करते वरन वे शक्ति की मौलिक कल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कामायनी (चिंतासर्ग) - जयशंकर प्रसाद
2. राग- विराग (राम की शक्ति पूजा मूल कविता) - सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
3. कल्पना और छायावाद-केदारनाथ सिंह
4. छायावाद - नामवर सिंह
5. हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास - रामस्वरूप चतुर्वेदी

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन

डॉ. हरेन्द्र कुमार* अशोक कुमार**

*सोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

** शोध छात्र, अध्यापक प्रशिक्षण विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बडौत (बागपत) (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – शारीरिक स्वास्थ्य जीवन में सफलता और प्रसन्नता के लिए निरोग होना आवश्यक है। रोगी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता अतः शरीर को रोगी नहीं है तो वह शरीर को स्वस्थ शक्तिशाली बनाए रखने एवं रोगों से बचाव का प्रयास करें। रोग की शुरुआती अवस्था में निदान उपचार करवाएं लापरवाही करने से कोई भी रोग बढ़कर गंभीर घातक रूप ले सकता है। ज्यादातर व्यक्ति जब तक स्वस्थ रहते हैं स्वस्थ रहने के प्रति सुनिश्चित रहते हैं। स्वयं स्वस्थ रहने का प्रयास नहीं करते पर स्वास्थ्य के मूल्य का ज्ञान तभी होता है जब बीमार पड़ते हैं। तब पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता है। स्वास्थ्य मनुष्य का मूल अधिकार है। मूलभूत आवश्यकता भी स्वस्थ शरीर होने पर जीवन में गुणात्मकता बढ़ती है। सन 1970 में डब्ल्यूओएचओ की असेंबली में सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया। जिसके अंतर्गत निर्णय लिया गया कि सभी राष्ट्र मिलकर सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाएं। जिससे सामाजिक आर्थिक रूप से उत्पादक समाज समर्थ जीवन व्यतीत करें सपना टूट गया और लगता है कि यह लक्ष्य और भी दूर हो गया। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है आंखें चमकदार, बाल मुलायम, चमकदार होते हैं। मांस पेशियों में कसाव होता है और उसमें पर्याप्त शक्ति विद्यमान होती है। ऐसे व्यक्ति का वजन और लंबाई मानक के आसपास होते हैं। खुलकर भूख लगती है। रात को पर्याप्त आरामदायक नींद आती है। ऐसे व्यक्ति के अंगों का चालन सरलता से होता है और संतुलन बना रहता है। दृष्टि और स्वाद संवेदनाएं सामान्य होती है तथा नाड़ी श्वसन क्रिया और रक्तचाप ठीक होते हैं। बच्चों व युवाओं का सामान्य रूप से शारीरिक विकास होता है।

'दीर्घभायुर्युशः प्रज्ञायारोग्यमचपिपुष्कलम। सद्भिन्नचानुत्तमां लोके प्राप्नोतिविघना पठन॥'

प्राचीन चिकित्सा ग्रन्थ चरक संहिता के उर्पयुक्त श्लोक का अर्थ है कि परम आरोग्य का तात्पर्य केवल शारीरिक आरोग्यता से नहीं वरन् मानसिक आरोग्यता से भी है। मानसिक स्वास्थ्य की सबसे सरल परिभाषा यह है कि 'मन के अंदर शांति हो और दूसरों के प्रति सद्भाव हो।' विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ समिति (1956) ने मानसिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में कहा है 'मानसिक स्वस्थ व्यक्ति में ऐसी क्षमता होती है, जिससे वह दूसरों के साथ सम्यक् सद्भावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लेता है तथा अपनी सहभागिता देता है या सामाजिक पर्यावरण के परिवर्तन में सृजनात्मक योगदान प्रदान करता है' अर्थात् मानव व्यक्तित्व के विभिन्न रूप या अवयव

इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करें कि व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों का बड़ी सूझबूझ एवं प्रसन्नता के साथ सामना कर सके। अतः स्पष्ट है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ – बौद्धिक तथा भावात्मक क्रियाओं का कुशलता से सम्पन्न होना है।

स्वास्थ्य क्या है इसकी परिभाषा देना मुश्किल है वेबस्टर के अनुसार शरीर मन आत्मा का सामान्य होना बीमारी दर्द का आभास न होने पर व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है।

ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार स्वास्थ्य वह शारीरिक मानसिक स्थिति है। जिसमें व्यक्ति अपने कार्य समुचित रूप से संपादित करने में सक्षम होता है और उसमें रोग अपंगता नहीं होती। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बीमारी अपंगता का ना होना ही स्वास्थ्य है बल्कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक रूप से सामान्य होने की स्थिति जिसमें व्यक्ति स्वयं पारिवारिक सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सामाजिक आर्थिक रूप से उपयोगी सार्थक जीवन व्यतीत कर अपना जीवन योगदान दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान रूप से स्वस्थ माना जा सकता है। स्वास्थ्य को हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार वर्णन करता है।

चिकित्सा शास्त्र के अनुसार रोग-ग्रस्त नहीं होने पर ही मनुष्य को स्वस्थ समझा जाता है। वातावरण सिद्धांत के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति सक्रिय रूप से अपने वातावरण से संतुलन बनाए रखने में सक्षम होता है। उसके अनुसार बिना दर्द तकलीफ के निरंतर वातावरण से सामंजस्य बनाए रखने रखते हुए सामान्य कार्य करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होता है।

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यदि व्यक्ति सामाजिक मानसिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार सामान्य रूप से कार्य करता है तो वह साधारण कहा जा सकता है जीवन में सुखी रहने संतुष्टि तथा सफलता प्राप्त करने के लिए हर दृष्टिकोण से स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारी का ना होना ही नहीं बल्कि इसके अनेक आयाम हैं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक इन में आपस में घनिष्ठ संबंध है और यह एक दूसरे से प्रभावित होते हैं।

शारीरिक स्वास्थ्य जीवन में सफलता और प्रसन्नता के लिए निरोग होना आवश्यक है। रोगी व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता अतः शरीर को रोगी नहीं है तो वह शरीर को स्वस्थ शक्तिशाली बनाए रखने एवं रोगों से बचाव का प्रयास करें। रोग की शुरुआती अवस्था में निदान उपचार करवाएं लापरवाही करने से कोई भी रोग बढ़कर गंभीर घातक रूप ले सकता है।

ज्यादातर व्यक्ति जब तक स्वस्थ रहते हैं स्वस्थ रहने के प्रति सुनिश्चित रहते हैं। स्वयं स्वस्थ रहने का प्रयास नहीं करते पर स्वास्थ्य के मूल्य का ज्ञान तभी होता है जब बीमार पड़ते हैं। तब पछतावे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता है। स्वास्थ्य मनुष्य का मूल अधिकार है। मूलभूत आवश्यकता भी स्वस्थ शरीर होने पर जीवन में गुणात्मकता बढ़ती है। सन 1970 में डब्ल्यूओएचओ की असेंबली में सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य रखा गया। जिसके अंतर्गत निर्णय लिया गया कि सभी राष्ट्र मिलकर सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाएं। जिससे सामाजिक आर्थिक रूप से उत्पादक समाज समर्थ जीवन व्यतीत करें सपना टूट गया और लगता है कि यह लक्ष्य और भी दूर हो गया। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है आंखें चमकदार, बाल मुलायम, चमकदार होते हैं। मांस पेशियों में कसाव होता है और उसमें पर्याप्त शक्ति विद्यमान होती है। ऐसे व्यक्ति का वजन और लंबाई मानक के आसपास होते हैं। खुलकर भूख लगती है। रात को पर्याप्त आरामदायक नींद आती है। ऐसे व्यक्ति के अंगों का चालन सरलता से होता है और संतुलन बना रहता है। दृष्टि और स्वाद संवेदनाएं सामान्य होती हैं तथा नाड़ी श्वसन क्रिया और रक्तचाप ठीक होते हैं। बच्चों व युवाओं का सामान्य रूप से शारीरिक विकास होता है।

मानसिक स्वास्थ्य शरीर और मन का अभिन्न संबंध होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ मनोविकार मुक्त होना ही नहीं इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति विभिन्न स्थितियों पर परिस्थितियों में लचक बनाए रखे। जिससे वह समय अनुसार अपने को ढाल सके। ऐसे व्यक्ति स्वयं में निश्चित लक्ष्य बनाकर चलते हैं। वह व्यक्ति स्वयं दूसरे परिवार दोस्तों और समाज वातावरण और परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर शांति सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने में समर्थ होते हैं ज्यादातर व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर उपचार करवाते हैं। स्वस्थ रहने का प्रयास शक्तिवर्धक भोजन भी करते हैं और बचाव के लिए टीके लगवाते हैं तथा अन्य उपाय करते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर विरले ही व्यक्ति ध्यान देते हैं। कार्यक्षमता में कमी व्यवहार में अक्षम मान्यताओं के कारण कार्य क्षमता में कमी के कारण अनेको रोग होते हैं। मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति परेशान होते हैं। दूसरों को भी जीवन में और जटिल बना देते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के प्रयास करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मानसिक समस्याएं हैं तो किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श उपचार करवाना चाहिए।

अध्ययन का औचित्य

खंटवांग पी एन टी (2004) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया था। शंकर एसबी0 एवं जेबाराज आर0 (2006) ने अनाथ किशोरावस्था के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया। श्रीविद्या (2007) ने माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया। मिताल (2008) ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि का मानसिक स्वास्थ्य पर परिवेश के संबंध पर अध्ययन किया। कांग एवं चावला (2009) ने ग्रामीण परिवेश के किशोर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर अध्ययन किया। कौर बलविन्दर (2010) ने माध्यमिक स्तर के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि का अध्ययन किया। दीक्षित एवं शर्मा 2011 में किशोर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य चिंता एवं पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया। अर्चना (2011) ने मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में किशोरों की बुद्धि, नैतिक निर्णय व व्यक्तित्व का अध्ययन किया। आलम,

मेहताब (2012) ने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन किया। कटचर एस्लेबी (2012) में मानसिक स्वास्थ्य एवं विद्यालय वातावरण माध्यमिक शाला की देखभाल के तरीके का अध्ययन किया। बर्तवाल रमेश सिंह (2014) ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक बुद्धि के अध्ययन किया। विश्वनाथ (2014) किशोर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर लिंग परिवेश एवं परिवार के प्रकार के प्रभाव का अध्ययन किया। गिलवन्ड एवं शूरिब (2014) ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया। श्रीवास एवं कुमार (2014) ने माध्यमिक स्तर के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन किया अध्ययन में पाया। पुरकर शोभा एवं अनंत (2018) ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सह संबंध का अध्ययन किया। नायक प्रमोद कुमार एवं मिश्रा दुर्गावती (2018) में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं परिवेश एवं लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया। कौर गुरजीत एवं अन्य (2018) ने हरियाणा राज्य के उच्चतर माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी किशोरावस्था के विद्यार्थियों की समस्या एवं मानसिक स्वास्थ्य पर अध्ययन किया। उपाध्याय ए0के0 (2019) बी0एड0 एवं बी0एल0एड0 के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन अध्ययन पाया कि छात्राएं व्यक्तिगत समस्याएं एवं सामाजिक समस्याओं से ग्रसित पायी गयी वहीं छात्रों का अपने पाठ्यक्रम में पूर्णतः आत्मविश्वासी एवं जागरूक पाये गये।

प्रस्तुत अध्ययन मानसिक स्वास्थ्य पर अन्य चरों जैसे शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय वातावरण, सामाजिक बुद्धि, लिंग, परिवेश एवं परिवार के प्रकार, किशोरों की बुद्धि, नैतिक निर्णय व व्यक्तित्व के साथ हुए लेकिन अभी तक अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक का स्वास्थ्य अध्ययन नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों एवं और नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्षेत्र जहा अध्यापकों निवास करते हैं। इस आधार पर निवास क्षेत्र एवं लिंग वार अशासकीय अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

उद्देश्य :

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन।
3. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन।
4. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन।
5. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन।

6. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन।
7. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन।

परिकल्पना :

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
3. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
4. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
5. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
6. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
7. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध का सीमांकन : प्रस्तुत शोध अध्ययन मेरठ मंडल के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों तक सीमित है।

शोध विधि : प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श : प्रस्तुत शोध अध्ययन में मेरठ मंडल के समस्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापक शोध की जनसंख्या है। प्रस्तुत शोध में बागपत जनपद से 80 अध्यापकों को न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन की लाटरी विधि का प्रयोग किया गया ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश में कार्यरत 40-40 अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया।

उपकरण : प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शोध उपकरण प्रस्तुत अध्ययन हेतु तथ्यों के एकत्रीकरण हेतु प्रमाणिक मैटल हैल्थ इन्वेस्ट्री डा0 जगदीश एवं ए0 के0 श्रीवास्तव द्वारा निर्मित उपकरण का प्रयोग किया किया गया है।

प्रदत्तों का संकलन एवं अंकन : न्यादर्श के रूप में लिये गये अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापक को निर्देशित करने के उपरान्त मैटल हैल्थ इन्वेस्ट्री को उपकरण में मानसिक स्वास्थ्य के

1. सकारात्मक आत्म मूल्यांकन 2. वास्तविकता की धारणा 3. वास्तविकता का एकीकरण 4. स्वायत्तता 5. समूह-उन्मुख दृष्टिकोण 6. पर्यावरण स्वामित्व पर 56 कथन भरवा कर आंकड़ों को एकत्रित किया गया। मानसिक स्वास्थ्य अनुसूची में इनमें अध्यापकों से सकारात्मक कथनों के चार विकल्प जिसमें हमेशा, अधिकतर, कभी-कभी एवं कभी नहीं विकल्प पर जानकारी चाही गई। इन पर अंकन में 4,3,2,और 1 अंक प्रदान किये गये। नकारात्मक कथनों पर 1,2,3 और 4 अंक प्रदान किये गये।

प्रयुक्त सांख्यिकी : प्रस्तुत शोध अध्ययन में मध्यमान, मानक-विचलन, तथा टी-परीक्षण सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

तालिका-1 : अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों का टी-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण	40	165.89	13.2	2.088	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक
नगरीय	40	172.5	15.17		

तालिका संख्या 1 में परिगणित टी-अनुपात का मान 2.088 है जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है को अस्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अन्तर होता है। दोनों परिवेश में निवास करने का अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य पर परिवेश का प्रभाव अलग अलग होता है।

विवेचना: अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य पर ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश का प्रभाव नहीं होता है इसके कई कारण हो सकते हैं। आजकल जो सुविधाएं नगरों में पाई जाती हैं वही ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध होती हैं। साथ ही जीविकोपार्जन संबंधी सभी सुविधाएं ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में समान होती हैं। इसलिए ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश के अध्यापकों पर मानसिक स्वास्थ्य असमान पाए गए। उनमें प्रकार का अंतर पाया गया है।

तालिका-2: अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक का स्वास्थ्य के मध्यमानों का टी-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों	40	164.32	14.6	1.978	0.05 सार्थकता स्तर पर असार्थक NS
नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों	40	169.92	10.36		

तालिका संख्या 2 में परिगणित टी-अनुपात का मान है जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.99 से कम है। अतः अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। को स्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य

के मध्य में सार्थक अन्तर नहीं होता है।

विवेचना: अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अन्तर नहीं होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य कुछ बेहतर पाया गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे ग्रामीण की अपेक्षा नगरीय परिवेश में अधिक सुविधाओं एवं सूचना प्राप्ति के संसाधनों का उपलब्ध होना है। साथ ही नगरीय परिवेश के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में मोबाइल एवं तकनीकी साधनों का प्रयोग भी एक कारण है।

तालिका-3: अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों का टी-अनुपात दर्शाने वाली तालिकाफ

સમૂહ	N	M	SD	ટી-અનુપાત	સાર્થકતા સ્તર
ગ્રામીણ ક્ષેત્ર ક્વી મહિલા અધ્યાપિકઓ	40	172.32	16.36	2.044	0.05 સાર્થકતા સ્તર પર સાર્થક

तालिका संख्या 3 में परिगणित टी-अनुपात का मान 2.044 है जो कि मुक्तांश 78 पर 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.99 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। को अस्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर है।

विवेचना: इस आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश का अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। आजकल जो सुविधाएं नगरों में पाई जाती हैं वही ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध होती हैं। साथ ही जीविकोपार्जन संबंधी सभी सुविधाएं ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में समान होती हैं। इसलिए ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश के अध्यापकों पर मानसिक स्वास्थ्य असमान पाए गए। उनमें प्रकार का अंतर पाया गया है।

तालिका-4 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों का टी-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापको	40	164.32	14.6	2.307	0.05सार्थकता स्तर पर
ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकओ	30	172.32	16.36		असार्थक NS

तालिका संख्या 4 में परिगणित टी-अनुपात का मान 2.307 है जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.99 से अधिक है। अतः

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। को अस्वीकृत किया जाता है इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इस आधार कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य असमानता होती है।

विवेचना: अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य में अंतर पाया गया इस आधार पर कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश का पुरुष अध्यापकों एवं महिला अध्यापिकों पर ग्रामीण परिवेश का सार्थक प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश दोनों के मानसिक स्वास्थ्य समान प्रभाव पड़ता है।

तालिका-5: अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य मध्यमानों का टी-अनपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापको	40	169.92	1036	1.656	0.05सार्थकता
नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकओ	40	165.2	14.75		NS स्तर पर असार्थक

तालिका संख्या 5 में परिगणित टी-अनुपात का मान 1.656 है जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.99 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य मध्यमानों कोई सार्थक अन्तर नहीं है। को स्वीकृत होती है इससे स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य समानता होती है।

विवेचना: शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य सार्थक अन्तर नहीं होता है। इस आधार कहा जा सकता है कि नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के महिला अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य समान पाया गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं नगरीय परिवेश में अधिक सुविधाओं एवं सूचना प्राप्ति के संसाधनों का उपलब्ध होना है। साथ ही नगरीय परिवेश के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य को नगरीय परिवेश प्रभावित समान रूप से प्रभावित है।

तालिका-6 : अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य मध्यमानों का टी-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों	40	164.32	14.6	0.025	0.01 सार्थक स्तर पर सार्थक
ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों	40	165.2	14.75		

तालिका संख्या 6 में परिगणित टी-अनुपात का मान 0.025 है जो कि मुक्तांश 78 पर 0.01 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.99 से बहुत कम है। अतः शून्य परिकल्पना कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य कोई सार्थक अंतर नहीं होता है को स्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर पाया गया। अतः कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य में समानता होती है।

विवेचना: इस आधार कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य कोई सार्थक अंतर नहीं पाया है इस आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों का मानसिक स्वास्थ्य पर परिवेश का प्रभाव नहीं होता है।

तालिका-7: अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक का स्वास्थ्य के मध्यमानों का टी-अनुपात दर्शाने वाली तालिका

समूह	N	M	SD	टी-अनुपात	सार्थकता स्तर
ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों	40	172.32	16.36	2.307	0.05 सार्थकता स्तर पर सार्थक
नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों	40	164.32	14.6		

तालिका संख्या 7 में परिगणित टी-अनुपात का मान 2.307 है जो कि मुक्तांश 78 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.99 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य के मध्यमानों के मध्य में कोई सार्थक अंतर नहीं है को अस्वीकृत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में अंतर होता है। अतः कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में असमानता होती है।

विवेचना: इस आधार कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों एवं नगरीय

क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक का स्वास्थ्य मध्य में कोई अंतर नहीं है। ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश का अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य पर परिवेश का प्रभाव नहीं होता है।

निष्कर्ष:

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर पाया गया है।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।
3. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर पाया गया है।
4. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर पाया गया है।
5. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।
6. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।
7. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अंतर पाया गया है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य पर ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश का प्रभाव नहीं होता है इसके कई कारण हो सकते हैं। आजकल जो सुविधाएं नगरों में पाई जाती हैं वही ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध होती हैं। साथ ही जीविकोपार्जन संबंधी सभी सुविधाएं ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में समान होती हैं। इसलिए ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश के अध्यापकों पर मानसिक स्वास्थ्य असमान पाए गए। उनमें प्रकार का अंतर पाया गया है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य सार्थक अंतर नहीं होता है। इस आधार कहा जा सकता है कि नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र के महिला अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य समान पाया गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं नगरीय परिवेश में अधिक सुविधाओं एवं सूचना प्राप्ति के संसाधनों का उपलब्ध होना है। साथ ही नगरीय परिवेश के पुरुष अध्यापकों एवं नगरीय क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य को नगरीय परिवेश प्रभावित समान रूप से प्रभावित है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकों के मानसिक स्वास्थ्य में अंतर पाया गया इस आधार पर कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश का पुरुष अध्यापकों एवं महिला अध्यापिकों पर ग्रामीण परिवेश का सार्थक प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश दोनों के

मानसिक स्वास्थ्य समान प्रभाव पड़ता है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक का स्वास्थ्य मध्य में कोई अन्तर नहीं है। ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश का अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण क्षेत्र की महिला अध्यापिकाओं एवं नगरीय क्षेत्र के पुरुष अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य पर परिवेश का प्रभाव नहीं होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. Khantawong, P.N.T. (2004). Comparative study of mental health and academic achievement of drug users and non drug users in secondary schools students of Thailand. Ph.D. in Education. Panjab University, Chandigarh
2. Shankar, S. P. & Jebaraj, R. (2006). Mental health of Tsunami affected Adolescent orphan children". Edutracks, 6(2), p.38-40.
3. sinha, R. & Ahmad, S. (2007) : A comparative study of educational performance and motivation of granted and private school students. Indian Journal of Education Research, 26(1).
4. Mittal (2008) : Academic achievement of secondary level students in relation to their mental health and locality. Journal of Teacher ducation and Research, 8 (10), 10 16.
5. Kang, T. & Chawala, A. (2009) : Mental health: A study of rural adolescents. Journal of All India Association for Educational Research, 21 (1), 81 82
6. Kumar, S. & Sharma, K. (2009) : Educational special and academic achievement of senior secondary students. Indian Journal of Psychometry and Education, (IJPE), 40(1 2). (13)
7. Parmar, B.G. (2012) : Study of self-concept of class 9th students. Shodh Samiksha and Mulyankan, IV(39), 24 25
8. Kaur, Balvinder (2010). A Study of mental health emotional and spiritual intelligence of government and denominational secondary school teachers. Ph.D. in Education. Panjab University, Chandigarh.
9. Archana (2011). A study of mental health of adolescents in relation to moral judgement, intelligence and personality. Ph.d. in education. Department of Education and Community Service Punjabi University, Patiala.
10. Dixit, P. & Sharma, V. (2011) : Effect of family climate on mental health and anxiety of adolescents. Indian Journal of Psychometry Education, 42(2), 199.
11. Dua, R. & Sharma, N. (2012) : Influence of home environment on mental health. Bhartiya Shodh Patrika, Bhartiya Shiksha Shodh Sansthan, 32(1), 32.
12. kang, T. (2009) : Mental health a study of rural adolescent. Journal of All India Association for Educational Research, 21(1), 80
13. Kotwani, S.T. (2012) : A study of emotional intelligence of teacher and students. Shodh Samiksha and Mulyankan, IV(39), 55 56.
14. आलम, मेहताब (2012). कक्षा आठ में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर मानसिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक अभिरुचि के प्रभाव का अध्ययन. पी-एच.डी. शिक्षाशास्त्र. एम.जे.पी.आर. विश्वविद्यालय बरेली
15. Kutcher, S. Wei (2012) : Mental health and the school environment secondary school, promotion and pathways to care. Curropin sychiatry, 25(4), 311 316.
16. Chaturvedi, S. & Chaturvedi, A. (2013) : A study of general mental alertness with special reference to internal vs external locus of control. Bhartiya Shodh Patrika, Bhartiya Shiksha Shodh Sansthan, 32(1), 32.(3)
17. Viswanatha, P. (2014) : Impact of gender locality and type of family on mental health among adolescents. GJPA Global Journal for Research Analysis, 3(1), 68 70.
18. Bartwal, Ramesh Singh. (2014). To Study The Mental Health Of Senior Secondary Students In Relation To Their Social Intelligence. IOSR Journal of Humanities And Socia Science, 19(2) Retrvid from <http://iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol19-issue2/Version-1/B019210610.pdf> on 15/02/2106
19. Kaur, Jasbir & Arora, Babita. (2014). Study of academic achievement in relation to mental health of adolescent. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2(4).
20. Gilavand, Abdolreza & Shooriab, M. (2016). Investigating the Relationship between Mental Health and Academic Achievement of Dental Students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2(7).
21. सन्दीप श्रीवास एवं अरुण कुमार (2016) माध्यमिक स्तर के छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन Indian Streams Research Journal Volume - 6 | Issue - 11 | December – 2016
22. गुरजीत कौर रतीश नियर एवं एस संध्या रानी देवी 2017 जर्नल आफ नर्सिंग साइंस एंड प्रैक्टिस वॉल्यूम 17 इश्यू 2 जनवरी 2017
23. पुर कर शोभा एवं अनंत 2018 ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सह संबंध का अध्ययन किया अध्ययन रिसर्च लिंक अगस्त 2018 पेज नम्बर 23-25
24. प्रमोद कुमार नायक एवं दुर्गावती मिश्रा 2018 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं परिवेश एवं लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन रिसर्च लिंक अगस्त 2018 पेज नम्बर 32- 33
25. उपाध्याय आशीष कुमार (2019) बी0एड0 एवं बी0एल0एड0 के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के मध्य मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन Shodh Drishti (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal), Vol. 10, No. 12, December, P.1-4

Nature of Policies and Condition of Agrarian Society in Eastern India and Oudh

Shivam Singh* Dr. S.K. Diwedi**

*Research Scholar (History) Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

**Professor and H.O.D. (History) Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

Introduction - Indian history marks the growth of cultivation and organisation of land relations through land grants. After ancient time gradually agricultural expansion meant a greater and more regular use of advanced agricultural techniques, plough cultivation and irrigation technology. Institutional management of agricultural processes, control of means of production and new relations of production also played an important role in this expansion. With this expansion, new type of rural -tensions also emerged. Commercial activities in agricultural and non-agricultural commodities increased.

Ijara or Revenue Farming: The practice of Ijara or revenue farming on a fairly large scale, especially in the khalisa lands, constitutes an important development in the first-half of the eighteenth century. It appears that it had been a common practice with the jagirdars, whenever it suited their needs, to farm out the revenues of their jagirs to a banker or any other person commanding considerable local influence to collect the revenues successfully. But the revenue- farming in the khalisa lands was generally disapproved by the Mughal emperors and on the whole the practice was very limited. However, the relevant evidence on record indicates that revenue farming of the khalisa lands became very common in the first – half of the eighteenth century, especially after the death of Bahadur Shah. It was accompanied by certain developments which had already begun in the closing years of the seventeenth century. Whereas the practice gave rise to a new class of intermediaries as the collecting agency for the land revenue, it adversely the interests of hereditary intermediaries, known as the zamindars, and of all those who had some claim or title to the land.

Jagirdari System: Under the Mughals the imperial territory for purposes of land revenue administration, was divided somewhat unevenly into two broad categories of the khalisa and jagir mahals. The mahals earmarked as jagirs but not yet assigned constituted a sub- category and were known as mahal-i-pai-baqi. The bulk of the imperial territory consisted of jagir lands and the revenue of this lands was assigned to imperial servants known as the mansabdars in

lieu of their salaries according to their ranks in the imperial service. These assignees were entitled to collect the revenue of the mahals assigned to them as a jagir or iqta and in this capacity they were known as jagirdars or tiyuldars. Each mansabdar had a definite rank in the imperial service which was either a single zat rank or a double rank comprising zat and savar ranks. The pay scales of zat and savar ranks were separately laid down and the salary of mansabdars holding a certain rank was accordingly calculated in terms of dams. An area comprising a single mahal, a part of mahal or more than mahal, yielding an estimated income equal to the salary thus calculated, was assigned to him as his jagirdar. This estimated income was technically known as jama or jamadani and included land revenue as well as income from other heads of taxation such as hasil-sair, and peshkash. The income from transit duties and from the taxes on the commodities bought or sold in towns or markets constituted separate mahals, known as sair mahals, and these were often assigned as jagirs. The jagirdari system under the Mughals developed as a distinct institution and was governed by elaborate rules and regulations. The foundation of this unique institution were laid under Akbar but it was Shah Jahan who transformed the simple organisation into complex institution. Gradually the institution emerged as the most characteristic feature of the Mughal administrative system. Primarily, the system was evolved to secure the efficient and disciplined services of a body of men and at the same time to relieve the government of the enormous burden of the land revenue administration and the maintenance of the law and order in the rural areas. But by the end of 17th century it began to threaten the administrative and economic stability of the Empire.

The Madad-Maash Lands: Madad –e-Maash was a grant of land made in recognition of the need, piety, learning or family or the recipient. According to Abdul Fazl, persons belonging to four classes were eligible for the grants or Madad-e-mash lands. First, those who were seekers after the truth and who had renounced the world; secondly persons who strove to suppress sensual and carnal desires

and had chosen a life of self-abnegation and self-effacement; thirdly the needy and the poor who could not earn their livelihood on the account of physical disability or lack of material resources; and lastly persons claiming to be nobles, who foolishly deemed it below their dignity or social status to follow any trade or profession.

Revenue Administration

Fiscal History : Details regarding the land system in ancient times are not available making it somewhat difficult to ascertain the exact set-up of fiscal administration.

Aurangzeb's death (1707 A.D.) was followed by a period of anarchy and lawlessness, though the district was taken under the Nawabs of Avadh. In 1722 A.D., Sadat Khan became Viceroy of Avadh and assumed independence from the throne of Delhi, a considerable change came in this tract. He enforced a regular system, under which, a graded series of officers were appointed to collect land revenue from persons in actual possession of the land. An officer called *chakladar* was appointed in charge of *chakla* i.e., area larger than a modern district.¹ Under him were officers called *amils* who held smaller area, about the size of a *tahsil*. Below the *amils* were *kanungos*, to keep the entire account of a tract about the size of a *pargana* and to supply all information necessary for the realization of revenue from cultivators. Besides these there was a semi-military officer called *nazim* to coerce habitual defaulters and to protect the treasury. Under the new system revenue was regularly collected. Collection was difficult only in areas, inaccessible due to forests and rivers. The local chiefs could easily remain in arrears. It also failed where the local potentates were powerful enough to ignore the *kanungos* or the *amils*, to counterbalance the sway of the *chakladar*. The *amils* bargained with the local *rajahs* for absolute non-interference. This system was very soon changed by the Nawabs of Avadh and big farms were established which were leased to *rajahs* for 1-3 years on payment of premium the latter having rights of transfer by sale or repurchase without having to pay any more to the Nawab. Subsequently the office of *chakladar* was abolished.

A written undertaking (*qabuliyat*) or the counterpart of a *patta* for the sum to be paid, as well as a large amount in advance, was handed over to the viceroy.

The position occupied by the Hindu *rajahs* was that of tributaries rather than subjects. Naturally when the Nawab's power dwindled after the battle of Buxar in 1764 A.D. the local *rajahs* became independent.

Not long after the battle of Buxar, a British officer of the Lucknow government was placed in civil and military charge of this and other districts. A regular land-tax was imposed and rigidly collected through contractors, who rack-rented and pillaged the people. Besides internecine quarrels between the local rulers and the incursions of the *banjaras*, rendered agriculture a very precarious means of subsistence. Most of the land was thrown out of cultivation and many villages were deserted. The unstable conditions

prevailing in these parts left little scope for uniformity in the revenue administration. Except the few powerful landholders of the district none felt safe in person, or property. With such a feeling of insecurity, it was impossible for the area to flourish. The country was then in the most wretched condition and the revenue had shrunk to insignificant proportions. Routledge, the first collector, appointed *tahsildars* for the revenue collections on a fixed salary together with a percentage of the collections. This measure was opposed by *zamindars*, particularly the *raja* of Butwal.

Settlements: Initially the Company was concerned mainly with the realisation of maximum land revenue to finance its expeditions. The first year was spent in survey and gathering of necessary information to formulate the plan for administering the vast area acquired by it.

The first triennial settlement (1803-04) was made by the collector of Gorakhpur, who was directed to assess at fair rates and give specially favourable terms for cultivation of waste lands. The division by *tahsils* seems to have been introduced for the first time in 1804, when the district was divided into five sub-divisions each under the charge of a *tahsildar*. This officer was charged with the maintenance of police, protection of life and property throughout his *tahsil* and collection of revenue, through *Kanungos*. He was allowed a percentage of the revenue collected. After 1810, this practice was stopped and regular salaries were fixed. The second triennial settlement based on an estimate of the produce was made in 1805-06. Owing either to inherent defects in the system, or to natural calamities, or to both the operations led to many transfers of land and distress. The revenue on this occasion amounted to Rs.3,31,103.

The third Settlement effected with the *rajahs* on easier terms seems to have been sanctioned in 1810-11 only for two years. It was allowed to remain in force for a further period of three years ending with 1814-15.

The fourth settlement was started in 1815-16. and was formally sanctioned after the close of 1818. It continued for five years ending with 1819-20.

Operations for the fifth Settlement began in 1820-21, but before they could be completed. Regulation VII of 1822 came into being attempting to dispel the existing state of confusion as to the rights and liabilities by introducing a more accurate and elaborate system of record. The measure disclosed many villages which had been entered as revenue free by the revenue officials in collusion with the *zamindars*. This obviously led to considerable increase in the revenue demand, and to its revision for the first time on a systematic basis.

The First Regular Settlement : The first regular settlement in the district was undertaken according to Regulation IX of 1833. R.M. Bird, the first commissioner of Gorakhpur, was entrusted with the task. The operation was based on carefully compiled data, accompanied by a comprehensive records of rights. The demand of each village was

determined by classification and valuation of soil and crops both, fixing two third as the government's share. The work involved extensive time and labour, so that the Settlement could be completed till 1841-42, and was fixed for twenty years. The main difference between this and the former Settlements was that engagements were for the first time taken from sub-proprietors to the exclusion of the rajas, Whose rights were henceforth limited to malikana allowance. The only opposition came from the rajas, who resented the system of combined assessment with their inferiors and dependents. Disputes which formerly were settled by riots or by coercion, found their way into courts. The Settlement was extremely successful and collection easy.

The Second Regular Settlement : Operations began as early as 1856, but they were interrupted by the freedom struggle of 1857. T.M. Bird, the collector of Gorakhpur was entrusted with the job, but owing to his preoccupation with other works and the immensely large area of the district, which at that time included Basti and Deoria, he was not able to accomplish much. The work was entrusted to a number of assistants with discretion as to the method to be adopted. The final sanction was accorded by the end of 1873.² The assessment, calculated at two-thirds of the gross assets rose from Rs 15,53,607 in 1856 to Rs 16,75,789 at the termination of the period of thirty years for which the settlement was sanctioned. Little difficulty was experienced in the collection of revenue.

The Third Regular Settlement : The third settlement that of J.J. Digges La Touche. was ordered in 1883 and work was begun forthwith. He assessed the Bansgaon tahsil in 1884-85 A.W. Cruikshank who succeeded him, settled the major part of the district, including Gorakhpur and Maharajganj. Instructions given to the settlement officer laid down that the revenue of each village should be based, as possible on the actual rentroll. The gross total of the final demand amounted to Rs 25,03,777. The settlement was sanctioned for a period of thirty years from 1889 and it expired in 1919, little difficulty being experienced in realising the revenue demand.

The Fourth Regular Settlement : The revision work commenced in 1914, with K.N.Knox settling some parts of the district. The first Year's revenue amounted to Rs 34,94,247. The final demand of the district to be reached was Rs 37,17,780. With a very few exceptions the settlement worked well and remained in force till July 1952

when the U.P.Zamindari Abolition and land Reforms Act,1950, came into force.

It was the duty of the farmer to raise the crop and pay a share of his produce directly to the king without any intermediary. Taxation was justified in return for the protection afforded by the king. The rulers used to share from one-third to one-sixth of the produce during the ancient times. However, the Arthashastra of Kautilya prescribed one-quarter or even one-third for fertile lands. There is some reason to accept that one-quarter was the share mostly levied in the reign of Ashoka. The payment was generally made in kind.

The fiscal system of the ancient times continued during the Muslim rule as well. The Muslim rulers however, gave Arabic or Persian names to the existing institutions in some cases. Village was the unit of all life and village headman was called the 'gramadhipati'. His position continued to exist under the Muslims only with the introduction of a bigger unit called 'pargana' which comprised a group of village. The pargana headman being called the Chaudhary and the village accountant called the 'patwari'. Later the village headman, was renamed 'muqaddam' in place of gramadhipati and the pargana accountant became kanungo.

The Mughal emperor Akbar (1556-1605 A.D.) is the first Muslim king known to have brought this part directly under him and included it in Gorakhpur sirkar which contained 24 parganas spread over the districts of Basti, Gonda and Azamgarh in the subah of Avadh. According to Ain-i-Akbari this tract was in a cultivated state. Specific details are not available regarding the fiscal history of the district during the reigns of Akbar and his successors.³

In this way many policies and settlements were undertaken by rulers of medieval era and east India company for the sometimes to collect more land revenue and sometimes for the productivity of cheap raw material but as a whole these all helps in the enhancement of Indian agrarian society with some complexities.

References:-

1. From Akbar to Aurangzeb, W.H. Moreland, London 1923
2. Some Aspects of Muslim Administration, R.P Tripathi, Allahabad, 1936
3. The Agrarian system of Muslim India, W.H Moreland, Central book depot, Allahabad.

Russia - Ukraine War : A Geopolitical Problem

Dr. Kalyanmal Singada*

***Associate Professor (Geography) Mama Balaeshwar Dayal Govt. College, Kushalgarh (Raj.) INDIA**

Abstract - Ukrainian negotiators at talks with Russian officials demanded a ceasefire and humanitarian corridors to evacuate besieged citizens as Moscow's invasion forces surrounded and bombarded Ukrainian cities. Earlier, Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov had said that Moscow is ready for talks to end the fighting in Ukraine but will continue to press its effort to destroy Ukraine's military infrastructure. Ukraine's state emergencies agency said that at least 22 civilians have been killed in a Russian strike on a residential area in the city of Chernihiv, a city of 280,000 in Ukraine's north. It said the casualties could be higher as rescuers are continuing to look through debris for more bodies. The development comes even as talks between Russia and Ukraine were underway in Belarus. In other news, Major General Andrei Sukhovetsky, the commanding general of the Russian 7th Airborne Division, was killed in fighting in Ukraine earlier this week, news agency AP reported. His death was confirmed by a local officers' organization in the Krasnodar region in southern Russia. The circumstances of his death were not immediately clear.

Meanwhile, the International Criminal Court prosecutor has launched an investigation that could target senior officials believed responsible for war crimes, crimes against humanity or genocide amid a rising civilian death toll and widespread destruction of property during Russia's invasion of Ukraine. ICC Prosecutor Karim Khan announced the probe after dozens of the court's member states asked him to take action. After informing the court's judges of his decision to open an investigation that covers all sides in the conflict, Khan said, "Our work in the collection of evidence has now commenced."

Keywords- Russia, Ukraine, War, Belarus, invasion, civilians, criminal, military, genocide.

Introduction - President Vladimir Putin denied he would invade his neighbor, but then he tore up a peace deal and unleashed what Germany calls "Putin's war", pouring forces into Ukraine's north, east and south. As the number of dead climbs, Russia's leader stands accused of shattering peace in Europe. What happens next could jeopardise the continent's entire security structure. In a pre-dawn TV address on 24 February, President Putin declared Russia could not feel "safe, develop and exist" because of what he claimed was a constant threat from modern Ukraine. Immediately, airports and military headquarters were attacked, then tanks and troops rolled in from Russia, Russian-annexed Crimea and its ally Belarus. Now, warplanes have bombed major cities, and Russian forces have seized control of the key southern port city Kherson. Russia refuses to use the terms war or even invasion; many of its leader's justifications for it were false or irrational.[1,2]

He claimed his goal was to protect people subjected to bullying and genocide and aim for the "demilitarisation and de-Nazification" of Ukraine. There has been no genocide in Ukraine: it is a vibrant democracy, led by a president who is Jewish. "How could I be a Nazi?" said Volodymyr Zelensky, who likened Russia's onslaught to Nazi

Germany's invasion in World War Two. Ukraine's chief rabbi and the Auschwitz Memorial have also rejected Russia's slur.

How much of Ukraine does Russia control?



President Putin has frequently accused Ukraine of being taken over by extremists, ever since its pro-Russian president, Viktor Yanukovich, was ousted in 2014 after months of protests against his rule.

Russia then retaliated by seizing the southern region of Crimea and triggering a rebellion in the east, backing

separatists who have fought Ukrainian forces in a war that has claimed 14,000 lives.[3,4]

Late in 2021, Russia began deploying big numbers of troops close to Ukraine's borders, while repeatedly denying it was going to attack. Then Mr Putin scrapped a 2015 peace deal for the east and recognised areas under rebel control as independent.

Russia has long resisted Ukraine's move towards the European Union and the West's defensive military alliance, Nato. Announcing Russia's invasion, he accused Nato of threatening "our historic future as a nation".

It is now clear Russia is seeking to seize the big cities and overthrow Ukraine's democratically elected government. President Zelensky said he had been warned "the enemy has designated me as target number one; my family is target number two".

Russia's stated aim is that Ukraine be freed from oppression and "cleansed of the Nazis". Under this false narrative of a Ukraine run by fascists since 2014, Mr Putin has spoken of bringing to court "those who committed numerous bloody crimes against civilians".

His long-term ambitions for Ukraine are unknown. He denies seeking to occupy Ukraine and rejected a UK accusation in January that he was plotting to install a pro-Kremlin puppet. One unconfirmed intelligence report says he aims to split the country in two.

He faces stiff resistance from a deeply hostile population, but he has shown he is prepared to bomb civilian areas to fulfill his goals.

There is no immediate threat to Russia's Baltic neighbors, but Nato has bolstered their defenses just in case.[5,6]

Ahead of the invasion, Russia's public focus was always on the areas held by Russian-backed rebels in the east. But that changed when President Putin recognised their independence.

Not only did he make clear he saw them as no longer part of Ukraine, he revealed he backed their claims to far more Ukrainian territory. The self-styled people's republics cover little more than a third of the regions of Donetsk of Luhansk and the rebels covet the rest, too.

These are terrifying times for Ukrainians as bombs rain down on cities and civilians rush to Cold War-era bomb shelters.

Thousands have died already in what German Chancellor Olaf Scholz has dubbed "Putin's war" - civilians as well as soldiers. Russia's onslaught has prompted hundreds of thousands of people to flee across Ukraine's borders. Poland, Hungary, Romania, Moldova and Slovakia are seeing a big influx, while the EU suggests more than seven million people could be displaced.

Russia's military forces have kept up their punishing campaign to capture Ukraine's capital with fighting and artillery fire in Kyiv's suburbs, even as Russian and Ukrainian negotiators held a new round of talks. The attacks

around Kyiv came a day after Russia escalated its offensive by shelling areas close to the Polish border. In the eastern city of Kharkiv, firefighters doused the remains of a four-storey residential building on a street of apartments and shops. Ukrainian emergency services said a strike hit the building, leaving smouldering piles of wood and metal. It was unclear whether there were casualties. The surrounded southern city of Mariupol, where the war has produced some of the greatest human suffering, remained cut off despite earlier talks on creating aid or evacuation convoys. Mariupol, a city of about 400,000, has been subjected to days of heavy bombardment. Its people are running dangerously short of food and water, the city's deputy mayor Sergei Orlov, says, and there is "no electricity, no water supply, no heating, no sanitary system". People are being forced to melt snow to drink, and chop wood to cook and keep warm in sub-zero temperatures, he says.

Discussion- Russia's leader has even put his nuclear forces on high alert, days after threatening the West with "consequences the like of which you have never seen" if it stands in his way. Such scenes are horrifying for the entire continent, witnessing a major power invading a European neighbour for the first time in decades. Recalling the Cold War, Volodymyr Zelensky spoke of Ukraine battling to avoid a new iron curtain closing Russia off from the civilised world.

For Europe's leaders, this invasion has brought some of the darkest hours since World War Two. France's Emmanuel Macron has spoken of a turning point in Europe's history, while Germany's Olaf Scholz has warned that "Putin wants a Russian empire".

For the families of both armed forces, these are anxious days. Ukrainians have already suffered a gruelling eight-year war with Russian proxies. The military has called up all reservists aged 18 to 60 years old.[7,8]

This is not a war Russia's population was prepared for, either, as the invasion was rubber-stamped by a largely unrepresentative upper house of parliament. Thousands of anti-war protesters have been detained in a state whose main opposition leader was already behind bars. Independent Russian broadcasters Dozhd and Ekho Moskvy have also been taken off the air.

Nato's defensive alliance has made clear there are no plans to send combat troops to Ukraine itself. But member countries have provided weapons and field hospitals and the EU, for the first time in its history, is to buy and send arms and other equipment.

The paediatrics ward of this Kyiv hospital was forced to shelter in the basement as Russian forces attacked.

Nato has deployed several thousand troops in the Baltic states and Poland and for the first time is activating part of its much larger rapid reaction force. Nato will not say where but some could go to Romania, Bulgaria, Hungary and Slovakia.



At the same time, the West is targeting Russia's economy, financial institutions and individuals:

- The EU, US, UK, Japan and Canada are cutting off key Russian banks from the international Swift payment network, which allows the smooth and rapid transfer of money across borders
- The EU, UK and Canada have shut off their airspace to Russian airlines
- Personal sanctions are being imposed on President Putin and Foreign Minister Sergei Lavrov by the US, EU and UK, while 351 Russian MPs are being targeted by the EU
- Germany has halted approval on Russia's Nord Stream 2 gas pipeline, a major investment by both Russia and European companies
- Russia's state-run media Sputnik and Russia Today, seen as a Kremlin mouthpiece, are being banned across the EU
- The Russian city of St Petersburg will no longer be able to host this year's Champions League final and the Russian Grand Prix will not take place in Sochi.
- The International Paralympic Committee (IPC) has banned Russian and Belarusian athletes from competing, and has expelled them from the Games in Beijing.[9,10]

Ukrainian forces said they retook a strategically important suburb of Kyiv early, as Russian forces squeezed other areas near the capital and their attack on the embattled southern port of Mariupol raged unabated. Explosions and bursts of gunfire shook Kyiv, and black smoke rose from a spot in the north. Intensified artillery fire could be heard from the northwest, where Russia has sought to encircle and capture several suburban areas of the capital, a crucial target. Residents sheltered at home or underground under a 35-hour curfew imposed by city authorities that runs. Russian forces also carried on with their siege of Mariupol after the southern port city's defenders refused demands to surrender, with fleeing civilians describing relentless bombardments and corpses lying in the streets. But the Kremlin's ground offensive in other parts of the country advanced slowly or not at all due to lethal hit-and-run attacks by the Ukrainians. Ukrainian troops forced Russian forces out of the Kyiv suburb of Makariv after a fierce battle, Ukraine's Defense Ministry said. The regained territory allowed Ukrainian forces to retake control of a key highway and block Russian troops

from surrounding Kyiv from the northwest. Still, the Defense Ministry said Russian forces battling toward Kyiv were able to partially take other northwest suburbs, Bucha, Hostomel and Irpin, some of which had been under attack almost since Russia's military invaded. Officials in the city of Boryspil, which is close to Boryspil International Airport, are trying to calm the population amid alarm about a possible impending attack by Russian forces pursuing their offensive on the Ukrainian capital. Ukraine never join Nato but that the alliance turns the clock back to 1997 and reverses its eastward expansion. He has complained Russia has "nowhere further to retreat to - do they think we'll just sit idly by?"

He wants Nato to remove its forces and military infrastructure from member states that joined the alliance from 1997 and not to deploy "strike weapons near Russia's borders". That means Central Europe, Eastern Europe and the Baltics. But this goes beyond Nato. In the words of Germany's chancellor, Russia's leader "wants to take over Europe according to his world view".

Last year, President Putin wrote a long piece describing Russians and Ukrainians as "one nation", and he has described the collapse of the Soviet Union in December 1991 as the "disintegration of historical Russia".

He has claimed modern Ukraine was entirely created by communist Russia and is now a puppet state, controlled by the West. It was his pressure on Ukraine not to sign an association treaty with the EU in 2013 that sparked the protests that ousted its pro-Kremlin president. In President Putin's eyes, the West promised back in 1990 that Nato would expand "not an inch to the east", but did so anyway.

That was before the collapse of the Soviet Union, however, so the promise made to the Soviet President Mikhail Gorbachev only referred to East Germany in the context of a reunified Germany. Mr Gorbachev said later "the topic of Nato expansion was never discussed" at the time.[11]

Results:

- Nato is a defensive alliance with an open-door policy to new members, and its 30 member states are adamant that will not change.
- Ukraine's president wants a clear timeline, but there is no prospect of Ukraine joining for a long time, as Germany's chancellor has made clear.
- The idea that any current Nato country would give up its membership is a non-starter.
- There seems very little chance for the moment, even if the two sides have held talks on the border with Belarus.
- Russia insists Kyiv lays down its arms and demilitarises, and that will not happen.
- Beyond the war, any eventual deal would have to cover the status of eastern Ukraine as well as arms control with the West.



The Russian and US presidents have spoken several times via video link and over the phone. The US had offered to start talks on limiting short- and medium-range missiles, as well as on a new treaty on intercontinental missiles. Russia wanted all US nuclear arms barred from beyond their national territories. Russia had been positive towards a proposed “transparency mechanism” of mutual checks on missile bases - two in Russia, and two in Romania and Poland.[12]

Implications- The Russo-Ukrainian War is an ongoing war primarily involving Russia, pro-Russian forces, and Belarus on one side, and Ukraine and its international supporters on the other. Conflict began in February 2014 following the Revolution of Dignity, and focused on the status of Crimea and parts of the Donbas, internationally recognised as part of Ukraine. The conflict includes the Russian annexation of Crimea (2014), the War in Donbas (2014 –present), naval incidents, cyber warfare, and political tensions. While trying to hide its involvement, Russia gave military backing to separatists in the Donbas from 2014 onwards. Having built up a large military presence on the border from late 2021, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine on 24 February 2022, which is ongoing.

Following the Ukrainian Euromaidan protests and subsequent removal of pro-Russian Ukrainian President Viktor Yanukovich on 22 February 2014, pro-Russian unrest erupted in parts of Ukraine. Russian soldiers without insignia took control of strategic positions and infrastructure in the Ukrainian territory of Crimea. Unmarked Russian troops seized the Crimean Parliament and Russia organized a widely-criticised referendum, whose outcome was for Crimea to join Russia. It then annexed Crimea. In April 2014,

demonstrations by pro-Russian groups in the Donbas region of Ukraine escalated into a war between the Ukrainian military and Russian-backed separatists of the self-declared Donetsk and Luhansk republics. In August, unmarked Russian military vehicles crossed the border into the Donetsk republic. An undeclared war began between Ukrainian forces and separatists intermingled with Russian troops, although Russia denied the presence of its troops in the Donbas. The war settled into a stalemate, with repeated failed attempts at ceasefire. In 2015, a package of agreements called Minsk II were signed by Russia and Ukraine, but a number of disputes prevented them from being fully implemented. By 2019, 7% of Ukraine's territory was classified by the Ukrainian government as temporarily occupied territories, while the Russian government had indirectly acknowledged the presence of its troops in Ukraine. [13]

In 2021 and early 2022, there was a major Russian military build-up around Ukraine's borders. NATO accused Russia of planning an invasion, which it denied. Russian president Putin criticized the enlargement of NATO as a threat to his country and demanded Ukraine be barred from ever joining the military alliance. [14] He also expressed irredentist views, questioning Ukraine's right to exist and claiming Ukraine was wrongfully created by Soviet Russia. On 21 February 2022, Russia officially recognised the two self-proclaimed separatist states in the Donbas, and sent troops to the territories. Three days later, Russia invaded Ukraine after Russian president Vladimir Putin announced a “special military operation”. Much of the international community and organizations such as Amnesty International have condemned Russia for its actions in post-revolutionary Ukraine, accusing it of breaking international law and violating Ukrainian sovereignty. Many countries implement -ed economic sanctions against Russia, Russian individuals or companies, especially after the 2022 invasion. [15]

Conclusion- Explosions struck the capital, Kyiv, and an apparent rocket strike destroyed an administration building in Kharkiv, the second largest city, killing civilians. 16]

The remains of Russian military vehicles in the town of Bucha, close to Kyiv, Ukraine.

Members of the General Assembly approved the resolution during a special session of the General Assembly at the United Nations headquarters.





Russia claims its forces have captured Kherson, in Ukraine's south. Local authorities deny Kherson has fallen, but say Russian troops have encircled the city. Deaths mount as Russian attacks pound several cities, including northeastern Kharkiv and Mariupol, in the southeast. Russia's negotiator says a second round of talks will take place on Thursday, while Ukraine is casting doubt on the plan. The UN says more than 870,000 people have fled Ukraine in search of safety in other countries. [17]

In Mariupol, with communications crippled, movement restricted and many residents in hiding, the fate of those inside an art school flattened on Sunday and a theater that was blown apart four days earlier was unclear. More than 1,300 people were believed to be sheltering in the theater, and 400 were estimated to have been in the art school. Perched on the Sea of Azov, Mariupol is a crucial port for Ukraine and lies along a stretch of territory between Russia and Crimea. As such, it is a key target that has been besieged for more than three weeks and has seen some of the worst suffering of the war. It is not clear how close its capture might be. Ukraine's Defense Ministry said that their forces were still defending the city and had destroyed a Russian patrol boat and electronic warfare complex. Over the weekend, Moscow had offered safe passage out of Mariupol – one corridor leading east to Russia, another going west to other parts of Ukraine – in return for the city's surrender before daybreak Monday. Ukraine flatly rejected the offer well before the deadline. Mariupol had a prewar population of about 430,000. Around a quarter were believed to have left in the opening days of the war, and tens of thousands escaped over the past week by way of the humanitarian corridors. Other attempts have been thwarted by the fighting. Mariupol officials said on March 15 that at least 2,300 people had died in the siege, with some buried in mass graves. There has been no official estimate since then, but the number is feared to be far higher after six more days of bombardment. For those who remain, conditions have become brutal. The assault has cut off Mariupol's electricity, water and food supplies and severed communication with the outside world, plunging residents into a fight for survival. Fresh commercial satellite images showed smoke rising from buildings newly hit by Russian artillery. [9,10]

Those who have made it out of Mariupol told of a devastated city. "There are no buildings there anymore," said 77-year-old Maria Fiodorova, who crossed the border to

Poland on Monday after five days of travel. Olga Nikitina, who fled Mariupol for the western Ukrainian city of Lviv, where she arrived Sunday, said gunfire blew out her windows, and her apartment dropped below freezing. "Battles took place over every street. Every house became a target," she said. A long line of vehicles stood on a road in Bezimenne, east of Mariupol, as residents of the besieged city sought shelter at a temporary camp set up by Russian-backed separatists in the Donetsk region.

An estimated 5,000 people from Mariupol have taken refuge in the camp. Many arrived in cars with signs that said "children" in Russian. [11] A woman who gave her name as Yulia said she and her family sought shelter in Bezimenne after a bombing destroyed six houses behind her home. "That's why we got in the car, at our own risk, and left in 15 minutes because everything is destroyed there, dead bodies are lying around," she said. "They don't let us pass through everywhere - there are shootings." In all, more than 8,000 people escaped to safer areas Monday through humanitarian corridors, including about 3,000 from Mariupol, Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk said. Russian shelling of a corridor wounded four children on a route leading out of Mariupol, Zelenskyy said. Matthew Saltmarsh, a spokesperson for the U.N. refugee agency called the speed and scale of people fleeing danger in Ukraine "unprecedented in recent memory."

References:-

1. "Nato members 'send arms to Ukraine'". BBC News. 14 September 2014.
2. "Eu assistance to Ukraine". European Court of Auditors. 2016. Retrieved 28 August 2021.
3. "Belarus joins Russia's war on Ukraine". politico.eu. 1 March 2022.
4. McDermott, Roger N. (2016). "Brothers Disunited: Russia's use of military power in Ukraine". In Black, J.L.; Johns, Michael (eds.). *The Return of the Cold War: Ukraine, the West and Russia*. London. pp. 99–129. doi:10.4324/9781315684567. ISBN 9781138924093. OCLC 909325250.
5. "7683rd meeting of the United Nations Security Council. Thursday, 28 April 2016, 3 p.m. New York". Mr. Prystaiko (Ukraine)
6. "Putin describes secret operation to seize Crimea". Yahoo News. 8 March 2015. Retrieved 24 March 2015.
7. "Russia's Orwellian 'diplomacy'". unian.info. Retrieved 30 January 2019.
8. "Russian Lieutenant General Alexander Lentsov leading Russian groups in Debaltseve". YouTube, LifeNews. 18 February 2015. Retrieved 18 February 2015.
9. "UNIAN: 70 missing soldiers officially reported over years of war in Donbas". Ukrainian Independent Information Agency. 6 September 2019. Retrieved 6 September 2019.
10. "Militants held in captivity 180 Ukrainian servicemen".

- Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 16 March 2015.
11. Isaac Webb (22 April 2015). "An Eye for an Eye: Ukraine's POW Problem". The Moscow Times. Archived from the original on 18 May 2015. Retrieved 25 April 2015.
 12. "Donbas rebels still hold 300 Ukraine army servicemen and civilians prisoners". zik.ua. 2 May 2015.
 13. Pike, John. "Ukrainian Military Personnel". www.globalsecurity.org.
 14. "The overview of the current social and humanitarian situation in the territory of the Donetsk People's Republic as a result of hostilities between 23 and 29 January 2021". Human rights Ombudsman in the Donetsk People's Republic. Retrieved 3 February 2022.
 15. Bellal, Annyssa (2016). The War Report: Armed Conflict in 2014. Oxford University Press. p. 302. ISBN 978-0-19-876606-3. Retrieved 17 October 2016.
 16. "Conflict-related civilian casualties in Ukraine" (PDF). Snyder, Timothy (2018). The Road to Un freedom: Russia, Europe, America. New York: Tim Duggan Books. p. 197. ISBN 9780525574477. Almost everyone lost the Russo- Ukrainian war: Russia, Ukraine, the EU, the United States.

Management of *Partheniumhysterophorus* Through Vermicomposting

Dr. Neeta Sharma*

*Ph. D, Govt. College, Kota (Raj.) INDIA

Introduction - Vermitechnology is a bio-oxidation and stabilization of organic material involving the joint action of earthworms and microorganisms. Although microbes are responsible for biochemical degradation of organic matter, earthworms are the important drivers of the process, conditioning the substrate and altering biological activity (Rajpal *et al.*, 2011). One of the major benefits of green manures is their ability to suppress the weed (Naikwade *et al.*, 2012). Green manuring enriches diversity and reduces the opportunities for weeds to become adapted to a particular cropping pattern. Some green manures also secrete specific chemicals into the soil that inhibit weed seed germination (Eastmen *et al.*, 2001). Earthworm species convert the waste into better end product and provide solution to the problem of organic waste degradation (Nagavallema *et al.*, 2006; Aalok *et al.*, 2008; Manyuchi *et al.*, 2013; Pirsahab *et al.*, 2013; Saravanan and Aruna, 2013; Abrahamson and Bertoni, 2014). Earthworms have been long recognized by farmers as beneficial to soil (Singh, 2014) and as one of the major soil macro fauna which constitute an important group of secondary decomposers. Earthworms are key biological agents in the degradation of organic wastes (Ndegwa *et al.*, 2000 and Adhikari, 2012). For a long time composting is applied as a biological process of organic wastes in many parts of the world and in recent decades using some species of red worms in compost process as vermicomposting makes many advantages for the process of 5 biological degradation of organic wastes and finally obtaining fertilizers (Rostami, 2011). Organic wastes passing through the gut of the earthworm recycle the organic wastes which are excreted as casting or worm manure, an organic material rich in nutrients that look like fine- textured soil (Dickerson, 2001 and Yadav and Garg, 2011). *Eiseniafoetida*, is an organism that produces stable humus and nutrient available for the plants (Garg *et al.*, 2005; Beetz, 2010; and Kushwaha and Maurya, 2012). During the process to produce vermicompost, it is considered important to monitor the routine parameters, namely: temperature, moisture, pH and airing that predict stability, quality and the maturity of the

vermicompost (Borah *et al.*, 2007; Juarez *et al.*, 2011; Lalitha *et al.*, 2012; Manyuchi and Whingiri, 2014 and Sharma *et al.*, 2014).

Materials and method:

Vermicomposting with and without *Parthenium*: Vermicompost preparation (Including *Parthenium*)-*Partheniumhysterophorus* (Asteraceae) plants were collected from the sites of Baran road and Govt. College Kota for vermicomposting. 10 kg *Parthenium* plants (soft stem part) were mixed with 15 kg cow dung and were kept for initial degradation into the cemented tanks measuring 4.5*2.5*3 feet. The cemented tanks were covered with gunny bags and water was sprinkled every day. The stirring of the material in the cemented tank was carried out every day to remove methane gas and the other gases from the tank. The initial degradation was carried out for 4 days. On fifth day approx 500 earthworms (*Eiseniafoetida*) were released in each tank. Everyday water was sprinkled in the tank. After 45-50 days, watering was discontinued and the tank was observed for 5-6 days. The completed decomposed biomass was sieved to separate earthworms from vermicompost. This was considered as vermicompost for further analysis and efficiency study. Samples were taken at regular intervals for chemical analysis.

Vermicompost preparation without *Parthenium* Vermicompost (Cow dung and earthworms) was prepared by the same method as above but here *Parthenium* was not used.

Observations: Vermicomposting with and without *Parthenium* Observations were held on to find out quality of prepared N, P and K values in *Parthenium* based cowdung vermicompost as compared with only cow dung vermicompost. During observations it was seen that *Parthenium* plant was completely decomposed by the earthworms (*Eiseniafoetida*) and this earthworms species develops humus layer on upper surface of the soil. During quality testing of prepared vermicompost, it was indicated that the values of Nitrogen and phosphorus were maximum in prepared *Parthenium* based vermicompost in comparison to cow dung based vermicompost. Only the value of K was

lower in *Parthenium* based vermicompost. Observations indicated good values of N, P and K in *Parthenium* based vermicompost which was suitable for environment.

Table: Vermicomposting

Sample	%N	%P	%K
Parthenium & Cowdung Vermicomposting	1.397%	0.0952%	1.325%
Cowdung Vermicomposting	1.368%	0.0946%	1.482%

Results and Discussion: Vermicomposting with and without *Parthenium*: During the experiments on vermicomposting of *Parthenium*, the results have shown that *Parthenium* was converted into soluble and available ingredients that provided nutrients such as available N (nitrogen), P (phosphorus) and K (potassium) which can easily be absorbed by plants. The values of N, P, K contents in the vermicompost made from *Parthenium* were found to be 1.397% (N), 0.0952% (P) and 1.325% (K) which were approximately similar to the contents of cow dung vermicompost (1.368% (N), 0.0946% (P) and 1.482% (K)). No allelopathic effects were reported through the vermicomposting of *Parthenium*. A difference of + 0.029 (N), + 0.0006 (P) and - 0.157 (K) was found in the *Parthenium* vermicompost results, which shows a good quality of *Parthenium* vermicompost as compared to cow dung vermicompost and it can be degraded easily without toxifying the environment. Neither it affected the life cycle of *Eiseniafoetida*. Paul (2015) reported that vermicomposting have better options for converting organic solid wastes into nutrients having rich organic biofertilizers for improving the productivity of crops. The study also revealed that the earthworm's species *Eiseniafoetida* feed on any type of organic wastes and can convert it into organic compost. The vermicompost being easily and cheaply manufactured can be used as a source of additional income. In the present study feeding behavior of *Eiseniafoetida* showed better results of *Parthenium* vermicompost over cow dung vermicompost. Hence *Eiseniafoetida* is able to convert any waste into vermicompost with high nutritive values. Manyuchi and Whingiri (2014) in a study carried out at Harare Institute of Technology for a period of up to 50 days between April and May 2014, 106 used *Eiseniafoetida* as earthworm and the substrates comprised of food waste and cow dung of varying compositions. The completion of vermicomposting period was 30-50 days. Approximately the similar period of 45 to 60 days was found in the present study for completion of vermicomposting. Nagavallemaetal (2006) mentioned that when *Parthenium* mixed with cow dung as feed materials was used, there was an increase in population and size of earthworms during incubation for 90 days. Nutrient value was also higher in *Parthenium* vermicompost than cow dung vermicompost. In the present study also, the similar results were obtained where the nutrient values of N and P in *Parthenium* vermicompost were slightly higher {1.397% (N), 0.0952%

(P)} than cow dung vermicompost. While the values of 'K' was 1.325 which was slightly lower. Javaid *etal* (2007) also reported that *Parthenium* can be managed by using it as green manure. It is able to extract nutrients even from nutrient deficient soils. It has very high level of nitrogen (3%), phosphorus (0.2%), potassium (4.5%) and other macro and micro nutrients. In the present study results show high level of N, P, K (1.397%, 0.0952% and 1.325%) respectively in *Parthenium* vermicompost in comparison to cow dung vermicompost (N (1.368%), P (0.0946%), and K (1.482%). Except the value of "K" which was somewhat less. Adhikary (2012) reported that worm castings contain better available nutrient for plants than found in average potting soil mixes. Chemical analysis of the castings was conducted and it was found that it contains 5 times the available nitrogen, 7 times available potash and 1.5 times more calcium than that found in 15 cm layer of good top soil. On the basis of present study *Parthenium* vermicompost and cow dung vermicompost contain high values of N, P and K in comparison to top soil. Sharma *etal* (2014) found that daily temperature recorded in the vermicompost tanks was initially higher and gradually decreased with the decomposition process. Approximately similar results were obtained in the present study in which initial temperature was higher and gradually decreased with decomposition.

Conclusion: Disposal of *Parthenium* is a serious problem. Our trials have demonstrated the vermicomposting as an alternate technology for the recycling of *Parthenium*, using an epigenic earthworm *Eiseniafoetida* under laboratory conditions. Meanwhile the rejuvenation of degraded soils by protecting topsoil and sustainability of productive soils is a major concern at the international level. Provision of a sustainable environment in the soil by amending with good quality organic soil additives enhances the water holding capacity and nutrient supplying capacity of soil and also the development of resistance in plants to pests and diseases. By reducing the time of humification process and by evolving the methods to minimize the loss of nutrients during the course of decomposition, the fantasy becomes fact. Earthworms can serve as tools to facilitate these functions. They serve as 'farmer's friend' to produce upper humus layer of the soil, to fulfill the nutritional needs of crops. The utilization of vermicompost results in several benefits to farmers, industries, environment and over all national economy.

References:-

1. Aalok, A.; Tripathi, K. A. and Soni, P. 2008. Vermicomposting: A Better Option for Organic Solid Waste Management. J. Hum. Ecol. 24(1): 59-64.
2. Abrahamsson, S. and Bertoni, F. 2014. Compost politics: Experimenting with togetherness in vermicomposting. Environmental Humanities. 4: 125-148.
3. Adhikari, S. 2012. Vermicompost: the story of organic

- gold: Agriculture sciences. 3(7): 905-917.
4. Borah, M.; Mahanta, P.; Kakoty, S.; Saha, U. and Sahasrabudha, A. 2007. Study of quality parameters in vermicomposting. Indian journal of Biotechnology. 6: 410-413.
5. Boyetchko, S. M.; Bailey, K. L. and Floate, R. 2009. Current biological weed control agents- their adaptation and future prospects. Prairie Soils and Crop Journal. 2: 38-43.
6. Beetz, A. 2010. Worms for Bait or Waste ATTRA Processing (vermicomposting). A publication of ATTRA- National Sustainable Agriculture Information Services: 1-20.
7. Dickerson, W. G. 2001. Vermicomposting. Guide H-164. College of Agriculture & Home economics: 1-4.
8. Eastmen, R. B.; Kane, N. P.; Edwards, A. C.; Trytek, L.; Gunadi, B.; Stermer, L. A. and Mobley, R. J. 2001. The Effectiveness of Vermicomposting in Human Pathogen Reduction for USEPA Biosolids Stabilization. Compound Science and Utilization. 9(1): 38-49
9. Garg, V.; Chand, S.; Chhilar, A. and Yadav, A. (2005) Growth and Reproduction of *Eisenia foetida* in Various Animal Wastes during Vermicomposting. Applied Ecology and Environment Research. 3(2): 51-59.
10. Gnanavel, I. 2013. *Parthenium hysterophorus* L.: A major threat to Natural and Agro-System in India. Science International. 1(5): 124- 131.
11. Jae, K.; Bhalero, S. A. and Paul, M. S. 2014. Phytosociology of *Parthenium hysterophorus* and its Possible Management through some Potential Bio-agents. Int. J. of Life Sciences. 2(1): 49-52.
12. Javaid, A. and Shabbir, A. 2006. First report of Biological control of *Parthenium hysterophorus* by *Zygogramma bicolorata*. Pak. J. Phytopathol. 18(2): 199-200.
13. Jayanth, K. P.; Visalakshy, G. P. N.; Chaudhary, M. and Ghosh, S. K. 1998. Age related feeding by the *Parthenium* beetle *Zygogramma bicolorata* on Sunflower and its Effect on survival and reproduction. Biocontrol Science and Technology. 8(1): 117-123
14. Juarez, A. D.; Fuente, L. J. and Paulin, V. R. 2011. Vermicomposting as a process to stabilize organic waste and sewage sludge as an application for soil. Tropical and Sub-tropical Agro ecosystem. 14: 949-963.
15. Kishor, P.; Ghosh, K. A.; Singh, S. and Maurya, R. B. 2010. Potential use of *Parthenium hysterophorus* L. in Agriculture. Asian Jour. of Agri. res. 4(4): 220-225.
16. Knox, J.; Bhalerao, S. A. and Paul, S. M. 2014. Phytosociology of *Parthenium* and its possible management through some potential bioagents. Int. J. of Life Sciences. 2(1): 49-52
17. Kumar, A.; Verma, V. C.; Gond, S. K. and Kharwar, R. N. 2009. Biocontrol potential of *Cladosporium* sp. Against a noxious weed *Parthenium hysterophorus* L. J. Environ. Bio. 30(2): 307-312.
18. Kumar, J. 2011. Quality Management and Plant Protection Practices for Enhanced Competitiveness in Agricultural Export. Proceeding of ICAR: 1-233.
19. Kushwaha, B. V. and Maurya, S. 2012. Biological utilities of *Parthenium hysterophorus*. Journal of Applied and Natural Sciences. 4(1): 137-143.
20. Lalitha, P.; Shivani, K. and Rao, R. 2012. *Parthenium hysterophorus* An economical tool to increase the agriculture productivity. International Journal of life Sciences, Biotechnology and Pharma Research. 1: 113-127.
21. Manyuchi, M. M.; Phiri, A.; Muredzi, P. and Chirinda, N. 2013. Effect of Drying on Vermicompost Composition. Int. Jour. of Inventive Engineering and Sciences. 1(10): 1-3.
22. Manyuchi, M. M. and Whingiri, E. 2014. Effect of vermicomposting period, substrate quantity, cow dung composition and their interactions 132 on *Eisenia foetida* during vermicomposting. Int. Jour. Of Curr. Microbiology and Applied Sciences. 3(8): 1021-1028.
23. Masum, S. M.; Hasanzaman, M. and Ali, M. H. 2013. Threats of *Parthenium hysterophorus* on agro ecosystem and its management: a review. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 6(11): 684-697.
24. McFadyen, R. E. and Heard, T. 1988. Decision making based on host range tests. Report from Queensland Department of Natural Resources and CSIRO Entomology Australia: 83-85.
25. Muniyappa, T. V.; Ramachandra, P. and Krishnamurthy, K. 1980. Comparative Effectiveness and Economics of Mechanical and Chemical Methods of Control of *Parthenium hysterophorus* L. Ind. Jour. of Weed Sci. 12(2): 137-144.
26. Nagavallema, K. P.; Wani, S. P.; Stephane, L.; Padmaja, V. V.; Vineela, C.; Babu, R. M. and Sahrawat, K. L. 2006. Vermicomposting: Recycling wastes into valuable organic fertilizer. Open access Journal Published by ICRISAT. 2(1): 1-16.
27. Naikwade, V. P.; Sankpal, T. S. and Jadhav, B. B. 2012. Management of Waste by Composting Vermicomposting and Its use for Improvement of Growth, Yield and Quality of Fodder Maize. ARPN Journal of Science and Technology. 2: 184-194.
28. Ndegwa, M. P.; Thompson, A. S. and Das, C. K. 2000. Effect of stocking density and feeding rate on vermicomposting of biosolids. Bioresource Technology. 71: 5-12.
29. Palmer, W.; Heard, T. and Sheppard. 2009. A review of Australian classical biological control of weeds programs and research activities over the past 12 years. Biological control. 52: 271-287.
30. Pirsahab, M.; Khosravi, T. and Sharafi, K. 2013. Domestic Scale Vermicomposting for Solid waste

- management. Int. jour. of recycling of organic waste in Agri. 2(4): 1-5.
31. Rajpal, A.; Bhargava, R. and Chopra, K. A. 2011. Stabilization of anaerobic digester sludge through vermicomposting. Journal of Applied and Natural Sciences. 3(2): 232-237.
 32. Rostami, R. 2011. Vermicomposting. Semnan University of Medical Sciences and Zanjan. Environmental Sanative Co. Iraq: 131-142.
 33. Saravanan, S. and Aruna. D. 2013. Nutrient enrichment of vermicompost by probiotics Supplementation. European Jour. Exp. Biology. 3(4): 84-88.
 34. Singh, H. 2014. Agri. dept. to introduce Mexican beetle to control congress grass. Hindustan times. 31 August, 2014.
 35. Singh, S.; Yadav, A.; Balayan, R.; Malik, K. R. and Singh, M. 2004. Control of Ragweed Parthenium (Parthenium hysterophorus) and associated weeds. Weed technology. 18(3): 658-664.
 36. Upadhyay, R. K.; Baksh, H.; Patra, D. D.; Tewari, S. K.; Sharma, S. K. and Katiyar, R. S. 2011. Integrated weed management of medicinal plants in India. Int. J. Med. Arom. Plants. 1(2): 51-56.
 37. Winston, L. R.; Schwarzlander, M.; Hinz, L. H.; Dya, D. M.; Cock, J. M. and Julien, H. M. 2013. Biological control of weeds. Report from FHTET (Forest Control Technology Enterprise Team): 1-848.
 38. Yadav, A. and Garg, K. V. 2011. Recycling of organic wastes by employing Eisenia foetida. Bioresource Technology. 102(3): 2874- 2880

The Effect of Cosmic Rays on Weather

Shubhra Tiwari*

*Department of Physics, Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - After the discovery of radioactivity by Henri Becquerel, it was generally believed that atmospheric electricity (ionisation of the air) was caused only by radiation from radioactive elements in and on the ground or the radioactive gases they produce. Measurements of ionization rates at increasing heights above the ground showed a decrease that could be explained as due to absorption of the ionizing radiation by the intervening air.

For many years it was generally believed that cosmic rays were high-energy protons (gamma rays) with some secondary electrons produced by Compton scattering of the gamma rays. Experimental investigation demonstrated that the primary cosmic rays are mostly positively charged particles and the secondary radiations observed at ground level composed of primarily of a "Soft component" of electrons and protons and a "hard component" of penetrating particles, muons.

Cosmic rays and its composition: Cosmic rays may broadly be divided into two categories, primary and secondary. The cosmic rays that arise in extra solar astrophysical sources are primary cosmic rays, these primary cosmic rays can interact in the interstellar matter to create secondary cosmic rays of degraded energies. The loss of energy of primary cosmic rays occurs in form of accompanying soft and hard components of X-ray and gamma rays respectively.

The Sun also emits low energy cosmic rays associated with solar flares. The exact composition of primary cosmic rays, outside the Earth's atmosphere is dependent on which part of the energy spectrum is observed. In general almost 90% of all the incoming cosmic rays are protons about 9% are helium nuclei (alpha particles) and about 1% are electrons. The remaining fractions is made up of other heavier nuclei which are abundant end products of star's nuclear synthesis. Secondary cosmic rays consist of other nuclei which are not abundant nuclear synthesis end products primarily lithium, beryllium and boron.

In the past, it was believed that the cosmic ray flux had remained fairly constant over time. Recent research produced evidence for 1.5 to 2 fold millennium time scale changes in the cosmic ray flux in the past forty thousand years.

Cosmic ray Spallation: Cosmic ray spallation a form of naturally occurring nuclear fission and nucleosynthesis. Cosmic ray spallation refers to the formation of elements from the impact of cosmic rays on an object. Cosmic rays are highly energetic charged particles from outside the Earth ranging from stray electrons to alpha particles. These cause spallation when a cosmic ray impacts with matter, including other cosmic rays. The result of the collision is the expulsion of large number of nucleons (protons and neutrons) with accompanying high energy photon flux ($\lambda < 1\text{\AA}$) hit. This process goes on not only in deep space but in our upper atmosphere due to impact of cosmic rays. For example, process deep in space is gamma ray bursts (GRB) and its after glow consists of photons. In earth's atmosphere this process is known as Secondary Cosmic radiation.

Cosmic ray sources: Most cosmic rays originate from extrasolar sources within our own galaxy such as rotating neutron stars, super novae and blackholes. Observation have shown that cosmic rays with an energy above 10 GeV (10×10^9 eV) approach the earth surface isotropically (equally from all directions) it has been hypothesized that this is not due to an even distribution of cosmic ray sources, but instead is due to galactic magnetic fields causing cosmic rays to travel to spiral paths. This limits cosmic rays usefulness is positional astronomy as they carry no information of their direction of origin. At energies below 10 GeV there is a directional dependence, due to interactions of the changed component of the cosmic rays with the earth's magnetic field.

Solar Cosmic Rays: Solar cosmic rays or solar energetic particles (SEP) are cosmic rays that originate from the Sun. There are differences between cosmic rays of solar and galactic origin, mainly in that the galactic cosmic rays show an enhancement of heavy elements such as calcium, iron and gallium, as well as of cosmically rare light elements such as lithium and beryllium. The latter result from the cosmic ray spallation (fragmentation) of heavy nuclei due to collision in transit from the distant sources to the solar system. However, Solar cosmic rays spallation process is dominating in our atmosphere and is being the instrument to investigate the atmospheric X-ray produced from the intruded pollutants. The characteristic X-ray are easily

detectable in the lower atmosphere below troposphere where solar cosmic spallation fills the earth environment by the atmospheric X-ray of these elements present in air.

It is believed that Galactic and solar cosmic spallation in the atmosphere play an important role for the earth's environment, so called secondary cosmic radiations flux.

Secondary cosmic rays: An air shower is an extensive (many kilometer wide) cascade of ionized particles and electromagnetic radiation produced in the atmosphere when a primary cosmic ray (i.e. one of extra terrestrial origin) enters our atmosphere the term cascade means that the incident particle which could be a proton, a nucleus, an electron or (rarely) a positron strikes an atom in the air so as to produce many high energy ions (secondaries) which in turn create more and so on. The original particle having arrived with high energy and hence velocity near the speed of light, the products of the collision tend also to move generally downward while to some extent spreading side wise. The overall effect, when the energy of the primary is high enough is to produce a widespread flash of light due to Cerenkov effect and to excitation of air molecules. This can be detected with arrays of mirrors and photocells.

Cosmic rays and weather: While low energy cosmic rays such as the solar wind cause ionization in the upper atmosphere, muons cause most of the ionization in the lower atmosphere. When a muon ionize a gas molecule, it strips away an electron, making that molecule into a positive ion, or it may find an already ionized positive ion and neutralize it this is called recombination and so there is a fairly constant density of positive and negative ions in the atmosphere. But there is a difference between the types of molecules that become negative ions and the ones that are positive. On average, the negative ions are "mobile" than the there is an electric field in the atmosphere. On a normal quiet day this electric field is about 100 volts per meter. When a thunder shower forms, there is an as yet not completely understood mechanism that tends to lift the negative ions up while pushing the positive ones down. This changes the electric field strength to tens of thousands of volts/ meter. When the field strength becomes too high, a discharge occurs, lightning. Thus, without ionization,

thunder and lightning would not happen, so cosmic rays have a direct influence on the types of weather we can have on earth.

There is also evidence that there is a correlation between cosmic ray flux and low altitude cloud formation. Now correlation does not always imply causation and it is also known that the sun is slightly brighter if it is more active, which may also affect cloud formations on earth. But it is at least possible that cosmic rays could have something to do with it. There is a possible mechanism for this - elevated levels of ionization seem to facilitate the coagulation of such molecules as sulfuric acid (H_2SO_4) in the atmosphere into tiny droplets, which then form condensation nuclei for water vapour. The condensed droplets of water then form clouds.

Although Anthropogenic activity from the surface of the earth becomes a means for local environmental changes as it fills foreign pollutant in the atmosphere. The strike of secondary cosmic radiation creates characteristic X-rays abundance of these components in local atmosphere as well as their role can be understood by the detections of atmospheric X-rays carrying their local signatures. However, controlling of pouring these foreign pollutants may accorded for eco- balanced & healthy environment for our civilization survival on the planet our Earth.

References:-

1. Harrison, R.G., Stephenson, D.B., 2006 "Detection of galactic cosmic ray influence on clouds", Geophysical Research Abstracts, 8, 07661.
2. Kremer, J., et al, 1999, "Measurement of Ground-Level Muons at Two Geomagnetic Locations", Physical Review Letters, 83, 4241.
3. Simpson, J.A., 1983, "Elemental and Isotopic Composition of the Galactic Cosmic Rays", Annual Reviews of Nuclear and Particle Science, 33, 323.
4. Fermi, E., 1949, "On the origin of the cosmic radiations" Physical Review, 75, 1169.
5. Linsley, J. 1963, "Evidence for a primary cosmic ray particle with energy 10^{20} ev," Physical Review Letters, 10, 146.
6. Simpson, J.A., 1994, "A physicist in the world of geophysics and space", Journal of Geophysical Research, 99, 19159.

आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में उद्यमिता विकास कार्यक्रम

सोनिका सुर्यवंशी* मोरे ताराचन्द अम्बर**

* शोधार्थी, मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (वाणिज्य) मालवांचल विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – बड़वानी जिला मध्यप्रदेश का मुख्यतः आदिवासी बाहुल्य है। बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले की स्थापना वर्ष 1998 में हुई। इससे पूर्व यह जिला खरगोन जिले का ही एक भाग था। बड़वानी जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ विद्यमान हैं।

बड़वानी नगरी जो कभी सिद्धनगर के नाम से पहचाना जाता था। बड़वानी जिला खरगोन जिले के विभाजन से बना जिसका जिला मुख्यालय बड़वानी का क्षेत्रफल 5.427 किलोमीटर तथा सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1385881 है। बड़वानी जिले में नौ तहसील हैं जिनमें बड़वानी, सेंधवा अंजड़, ठीकरी, राजपुर, निवाली, पानसेमल, वरला, पाटी है। उद्योग दृष्टि से सेंधवा तहसील बड़ी है। इस जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य में गुजरात राज्य पूर्व में जिला खरगोन तथा उत्तर में जिला धार है। जिला पश्चिम में उच्चतम बिन्दु के साथ आकार में त्रिकोणीय है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम – प्रो. एन. पी. सिंह के अनुसार- उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न क्रियाएं संपन्न होती हैं

1. संभावित उद्यमियों में उद्यमिता की प्रेरणा जाग्रत करना।
2. उद्यमीय गुणों तथा कौशल का विकास करना।
3. दैनिक क्रियाओं में उद्यमीय व्यवहार उत्पन्न करना।
4. उद्यमीय कार्यों के द्वारा उन्हें अपना उपक्रम स्थापित विकसित करने में सहयोग प्रदान करना।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आशय ऐसे कार्यक्रम से है जिसके माध्यम से वर्तमान उद्यमिता को प्रेरित करना, नए नए उद्यमियों की खोज करना, लोगों में उद्यमिता के प्रति जागरूकता फैलाना आदि कार्य किए जाते हैं जो पूर्णतः उद्यमिता के लिए ही होते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि किसी व्यक्ति के चातुर्य, अभिप्रेरण तथा क्षमताओं के विकास के लिए तैयार किया जाता है। ताकि वह व्यक्ति उद्यमिता की भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सके।

अर्थात् सामान्यतः उद्यमिता विकास कार्यक्रम से तात्पर्य किसी ऐसे कार्यक्रम से है जिसका उद्देश्य जनसमूह में से सम्भावित उद्यमियों की खोज करना, उनमें उद्यमिता की भावना का विकास करना तथा तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना उपक्रम स्थापित व संचालित करने में सहयोग देना है। इन कार्यक्रमों द्वारा उद्यमियों के विकास हेतु योजना बनाकर प्रयास किये जाते हैं तथा उनके समुचित तथा समस्त विकास की

कोशिश की जाती है।

1. उद्यमी को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर उसकी बौद्धिक, तकनीकी एवं वैचारिक क्षमताओं को परिमार्जित किया जाता है।
2. उद्यमीय कार्यों के द्वारा उन्हें अपना उपक्रम स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाता है।
3. उद्यमी की अग्रान्तरिक शक्तियों का विकास कर तथा उद्यमिता की प्रेरणा जाग्रत कर साहसिकता का मार्ग अपनाने के लिये प्रेरित किया जाता है।
4. दैनिक क्रियाओं में उद्यमीय व्यवहार उत्पन्न करना तथा उसमें सुधार पर बल दिया जाता है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य – उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनसमूह में से सम्भावित उद्यमियों की खोज कर, उनमें उद्यमिता का विकास, तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी उपक्रम स्थापित व संचालित करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। साथ ही लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने एवं उद्यमियों की शंकाओं व समस्याओं का निदान व उपचार किया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना सामान्यतः यह माना जाता था कि उद्यमी पैदा होते हैं विकसित नहीं किये जा सकते हैं लेकिन उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा इस विचारधारा को परिवर्तित कर दिया है। जिन घरों में कभी व्यवसायों की कोई बात नहीं होती थी, वहाँ व्यवसायियों का निर्माण हो रहा है और यही उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य है।
2. उद्यमीय गुणों का विकास एक उद्यमी की सफलता उसके गुणों पर निर्भर करती है एवं इन गुणों का विकास उद्यमिता कार्यक्रम से सम्भव हो सकता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से उद्यमीय प्रेरणा वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण देकर उनमें उद्यमिता के आवश्यक गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है।
3. सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करना उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उद्यमियों को प्रदान की जाती है तथा इन योजनाओं का उपयोग कैसे किया जाये, इसकी विस्तृत सूचना कहाँ से व कैसे प्राप्त की जाये, कौन सा विभाग कौन की जानकारी प्रदान करेगा आदि उपयोगी जानकारी प्रदान करना भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है।
4. परियोजना निर्माण में उद्यमियों की सहायता उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों को परियोजना निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह उद्यमियों

को परियोजना निर्माण हेतु आवश्यक आधारभूत तथ्य, समंक, वित्तीय एवं सरकारी ज्ञान आदि प्रदान करके परियोजना निर्माण को सुगम बनाता है।

5. उद्यमिता के लाभ-दोषों से अवगत कराना किसी उपक्रम की स्थापना एवं संचालन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिये उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा उद्यमियों को लाभ-दोषों से अवगत कराया जाता है जिससे सम्भावित चुनौतियों को कम किया जा सकता है।

6. व्यवसाय संचालन व विपणन सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना व्यवसाय के सफल संचालन एवं उचित विपणन हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उद्यमियों द्वारा व्यवसाय कैसे किया जाता है, विभिन्न पक्षकारों के साथ मधुर सम्बन्ध कैसे बनाये जायें, बाजारों का विश्लेषण कैसे किया जाय, माल के विपणन के लिये विक्रय, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्द्धन की विधि क्या हो के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाती है।

7. लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करना उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की प्रेरणा देना है। लघु एवं कुटीर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं एवं इनके विकास हेतु स्थानीय समुदाय को शिक्षण-प्रशिक्षण देकर एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करके इन उद्योगों को विकसित करने के प्रयास किये जाते हैं।

राष्ट्र के विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का महत्व - उद्यमिता विकास कार्यक्रम की देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसके द्वारा देश का तीव्र आर्थिक एवं सन्तुलित विकास तथा औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। देश के विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के महत्व को अग्र बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

1. देश का तीव्र आर्थिक एवं सन्तुलित विकास उद्यमिता विकास कार्यक्रम देश के तीव्र आर्थिक एवं सन्तुलित विकास के लिये महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है क्योंकि इन कार्यक्रमों से प्रेरित होकर उद्यमी अविकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु तत्पर हो जाते हैं जिससे देश का सन्तुलित आर्थिक विकास होता है। प्रो. नर्कसे ने लिखा है कि, 'उद्यमी सन्तुलित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं।'

2. संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग देश के विकास के लिये उपलब्ध विभिन्न संसाधनों को अनुकूलतम उपयोग जरूरी होता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम में उद्यमियों को संसाधनों के श्रेष्ठतम उपयोग की विधि व तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे उत्पादन के विभिन्न संसाधनों को संयोजित कर बेहतर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, उद्यमी प्रत्येक संसाधन को मूल्य देकर प्राप्त करता है अतः वह सदैव इनके अधिकतम सदुपयोग के प्रति जागरूक बना रहता है।

3. पूंजी निर्माण में सहायक किसी देश की आर्थिक विकास पूंजी पर निर्भर करता है और इस पूंजी का निर्माण बचतों के माध्यम से होता है। उद्यमी इन बचतों को उद्योगों में अंश, ऋण पत्र आदि के रूप में उपयोग कर प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। यही इन बचतों को उत्पादक कार्यों में उपयोग करके पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करते हैं।

4. औद्योगिक वातावरण का निर्माण उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा देश में औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। जिसके द्वारा उद्यमी नये नये

उद्योग-धन्धों की स्थापना करते हैं, नवीन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, नये बाजारों की खोज एवं उन्हें विकसित करते हैं, विद्यमान उपक्रमों का विस्तार एवं नवीनीकरण करते हैं जिससे देश की औद्योगिक क्रियाओं में बढ़ोत्तरी होती है एवं औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है।

5. लघु व कुटीर उद्योगों का विकास देश के विकास में लघु व कुटीर उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने में सहायता प्रदान करना तथा उन्हें तकनीक, बाजार एवं कम लागत पर अधिक उत्पादन के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।

6. रोजगार के अवसरों में वृद्धि उद्यमिता विकास कार्यक्रम से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। देश में नवीन उद्योगों की स्थापना, संचालित उपक्रमों के विकास व विस्तार, नवीन व आधुनिक तकनीकी के प्रयोग आदि के परिणामस्वरूप रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। इसके द्वारा कृषि, सेवा, व्यापार आदि क्षेत्रों में भी रोजगार में वृद्धि होती है। रिब्सन के शब्दों में 'उद्यमी देश में रोजगार के अवसरों का सृजन करता है।'

7. उद्यमियों को कानूनी प्रावधान व नीतियों की जानकारी उद्यमी विकास कार्यक्रम उद्यमियों को आधारभूत कानूनी प्रावधान एवं प्रमुख सरकारी नीतियों से अवगत कराता है जिससे उपक्रम की स्थापना एवं उसका संचालन सुगम हो जाता है। इसी प्रकार केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा जो विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं उनके बारे में उद्यमियों को जानकारी प्रदान की जाती है जिससे इनका क्रियान्वयन एवं समन्वय आसानी से हो जाता है जो देश के विकास में सार्थक है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक व्यापक कार्यक्रम है जो उद्यमियों के विकास पर बल देता है ताकि उद्योग का विकास हो सके। दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उद्यमी विकास योजना एक ऐसी योजना है जो एक उद्यमी की भूमिका को प्रभावशाली बनाने के लिए जो आवश्यक गन चाहिए उन्हें हासिल करने में सहयोग करती है। यह उद्यमी के औद्योगीकरण का एक अस्त्र है तथा ये उद्यमिता के विकास में आने वाली बाधाओं व समस्याओं का समाधान करता है। एक उद्यम का विकास उद्यम विकास योजनाओं द्वारा किया जाता है। उद्यम विकास योजनाएँ इस सोच पर आधारित हैं कि व्यक्तियों का विकास करके उनके दृष्टि कोण को बदला जा सकता है ताकि वह अपने विचारों को एक संगठन की शक्ल दे सकें। आर्थर कोल ने इसकी सामाजिक उपादेयता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि 'उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अध्ययन से आर्थिक एवं सामाजिक क्रिया में सहायता मिलती है।'

उद्यमिता विकास का कार्यक्रम की देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके द्वारा देश का तीव्र आर्थिक एवं सन्तुलित विकास तथा औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। उद्यमियों को कानूनी प्रावधान व नीतियों की जानकारी एवं उद्यमियों की शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञानकोश।
2. <https://rajboardexam.in/>
3. ऑनलाईन डाटा।
4. उद्यमिता विकास, आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स, जयपुर।

Skill Development and Quality of Life in South Rajasthan

Bhawna Shrimali*

*Economics Student, Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract - A large portion of India's population depends on the primary sector for their livelihood because the country's economy is largely agricultural and rural. India's economy has advanced since gaining its independence, yet it is still in poor shape. Still unemployed is a sizable portion of the nation. Lack of skills is a big issue that even those in employment must deal with. Losing their jobs is a possibility for them. A number of skill development missions have been launched across the nation as part of the Indian government's and state governments' efforts to address this issue. In Rajasthan, numerous programmes are launched to train people in various fields. The goal of the current study is to ascertain how skill development affects the quality of life for those living in southern Rajasthan. To determine the impact, three blocks from the Udaipur district, Girwa, Kherwara and Gogunda were chosen at random. The hypothesis has been put to the test using a regression model and t-test. People's incomes have improved as a result of skill improvement, according to the research.

Key words- Agriculture development, quality of life of the people, income, development of skill.

Introduction - Numerous studies have shown that the Indian economy is primarily rural and agrarian. A sizable majority of the population works in the nation's primary sector. The Indian economy has advanced since independence in every industry. Additionally, the secondary and tertiary sectors are developing quickly. Numerous studies have shown that people are not acquiring jobs because they lack the necessary abilities. The problem of unemployment is escalating in India as a result of the country's rising population and the fact that employment opportunities are not growing at the same rate. Despite progress, the agricultural sector is still unable to support a reasonable standard of living due to the population's heavy reliance on it. Other economic sectors are unable to sufficiently utilize the man power of the economy so the problems remains unchanged.

The lack of skills among people is yet another important issue. People that work in any industry or company lack the skills necessary for that particular job, which keeps their production and productivity low and drives up the cost of production. Due to a lack of the necessary manufacturing abilities, business owners closed their factories because they were uninterested in hiring such individuals. As a result, people lost their jobs.

Thus, the shortage of skills became a significant barrier to the nation's goal of achieving full employment. Therefore, it is crucial to help people develop their skills in order to solve this issue. Because of this knowledge, the Indian

government has started a number of programmes to build skills. Numerous skill development initiatives, including make in India, the Skill Development Mission, Skill India, and the Government of Rajasthan's own initiatives, have been launched.

Due to the wide range of challenging skill requirements or challenges in these programmes and the large number of students enrolled in them, it is crucial to understand how skill development affects peoples' quality of life. This is the aim of the current investigation.

Review of available literature : We have gone through a deep study of the research work already done on the research problem. We have summarized some of them here:

Soham⁽¹⁾, Swati Batra⁽²⁾, Mohan⁽³⁾, Mankiew⁽⁴⁾, IGNOU⁽⁵⁾, SAR Bilgrami⁽⁶⁾ and many more explored how skill development affects a nation's overall development. They came to the conclusion that skill development is the process of raising people's consciousness and dependability in light of the changing global environment. Due to the constant evolution of modern technology, people are unsure about how to adapt their personal growth to the shifting market conditions. However, skill development provides people with the necessary tools to achieve just that. Employee production and productivity grow as a result of skill development, which has significantly enhanced overall output and productivity.

Additionally, it was found in this study that people's

general performance had increased as a result of skill improvement. A number of government and non government organizations have started to promote a variety of skills, including computer instruction, electrical equipment repair, binding and winding, screen printing, and hotel keeping. People and workers from various industries increase their performance as a result of these courses. Their income and standard of living have thereby improved. It was also observed that there is a lack of studies on role of skill tracking in western Rajasthan. Present study tries to fill this gap.

Objectives of the study – Following are the main objectives of the study;

1. To determine how skill growth affects people's income.
2. To ascertain how skill development and its determinants are related functionally.

Hypothesis

1. The growth of people's skills has little to no effect on their income.

Research methodology: Following research methodology has been adopted in the study;

1. Selection of the study area: The largest state in India is Rajasthan. Rajasthan's economy is rural and dependent on agriculture because a sizable portion of the population lives in villages and depends on agriculture for a living. Although the state is dependent on its industrial and service sectors, these industries remain underdeveloped in the state as a result of a lack of infrastructure. People are able to find employment in the market despite the lack of access to education, particularly skill education. Due to a lack of education and skill, those who are employed find it difficult to adapt to the changing market conditions. Rajasthan is divided into seven divisions namely Udaipur, Jaipur, Jodhpur, Bikaner, Ajmer, Kota and Bharatpur.

Udaipur division has been purposively selected for the study due to its geographical background. Udaipur district is randomly selected for the study.

2. Sample Design : The district of Udaipur is divided into 16 blocks. We have chosen three development blocks—Girwa, Kherwara, and Gogunda—using random selection. 40 participants in the skill development training were chosen at random. 120 persons have been chosen for the study as a result.

3. Use of statistical tools for study: To analyze the data that we collected, we employed t-tests and regression analysis.

4. Collection of data: The current study is based on primary data that the researcher herself acquired through a specially created schedule that she filled out by conducting personal interviews with the respondents.

Conclusions and discussions: The current investigation is broken into two parts. The first portion discusses the effect of skill improvement on respondents' income, while the second section is about model construction.

Section I - Development of skills and respondents'

income: Here, we have information on the respondents' earnings both before and after they developed their talents. The respondent's median income for each block has been determined. We used the student's t-test to determine the statistical significance of the change in revenue owing to skill growth.

Following hypothesis has been framed here;

H_0 - The improvement of skills does not significantly increase people's income.

H_A – The improvement of skills significantly increase people's income. It's shown in following table –

Table- 1 Statistical importance of income growth as a result of skill development

Block	Average income (in thousands)		D	S	T-value	P-value
	Before skill develop-ment	After skill develop-ment				
Girwa	11	19	8	4.260	12.68	0.0021
Kherwara	9	21	12			
Gogunda	11	22	11			

Source: computed

While the table value at 2 df is 2.92, the calculated value of the student's test in this case is 12.68. Our null hypothesis is rejected because the computed

Value is higher than the table value, and it can thus be said that skill growth has significantly increased the respondents' income. The same results, which are less than level of significance (0.05), are also shown by the p-value.

IInd section – Building of Model;

Here, we've tried to put together a model of skill growth and its factors. This model has been constructed;

$$Y_o = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + U_i$$

Here,

Y_o = Skill development.

X_1 = Variety of courses for development of skill.

X_2 = The quantity of students taking skill-development classes.

X_3 = Is the amount of the course fee subsidy.

X_4 = The number of institutions offering skill-development resources.

U_i = is a phrase for random disruption.

Following specification has been made here;

X_1 : The quantity of skill development courses and skill development are thought to be positively correlated. A large number of courses leads to the development of skills.

X_2 : The number of pupils and the degree of skill development are thought to be positively correlated.

X_3 : The quantity of student fee subsidies offered and skill development have been found to be positively correlated. High subsidies encourage students to sign up on their own for the course.

X_4 : The number of institutions offering skill education and the degree of skill development have a positive relationship.

Following multiple regression model has been estimated:

Table- 2 Regression model

Variable	β	t - value	R^2	adj R^2	p-value
X1	0.70	2.39*	0.79	0.78	0.0003
X2	0.76	2.99*			
X3	0.34	0.24			
X4	0.68	1.02			

Source: Computed, *Significant at 5 percent level of significance

Given the high value of the adjusted coefficient of determination and the coefficient of determination, our model is determined to be the best fit. The amount of skill improvement varies by 76 percent across all independent variables. Factors X1, X2, X3, X4, and X5 cause variances in skill development of 70, 76, 34, 68 percent, respectively. P- Value is less than the level of significance (0.05) so it can be said that all the independent variables are significantly affecting the dependent variable.

Policy Measures:

1. More skill development courses must be offered, and it is important to determine which industries require skill development. It will encourage individuals to partake in certain courses

2. There ought to be more institutions offering skill training. These institutions should be built in isolated rural locations as well, allowing locals to profit from the courses there.
3. The amount of assistance for skill-development programmes should be raised so that more people can benefit from them.
4. Infrastructure facilities should be expanded and distributed to rural areas as well so that individuals can gain access to skill-development opportunities.
5. Promoting public understanding of the value of skill development

References:-

1. Soham, "Skill Development and Rural Indians," Vol.II, pp. 24–29, 2019.
2. Swati Batra; Role of skill development in economic empowerment, 2019; Shodhak; Vol. IX; pp. 28–24.
3. Mankiew, "Skill Development and Socio-Economic Development", Social Change, Vol. XII, pp. 18–38, 2019.
4. IGNOU's 2020 "Report on Skill India"
5. SAR Bilgrami "Skill development between 2011-2021," in Contemporary research in India, Vol. XVI, pp. 28–32

Gendered Impact of COVID 19: In Special Reference to India

Dr. Saba Agwani*

*Assistant Professor (Geography) Government College, Gogunda, Udaipur (Raj.) INDIA

Introduction - The COVID – 19 pandemics has affected the entire world as well as India. The effect is more prominent and devastating on the vulnerable groups, including women and Girls. Within homes, women and girls who already do more than six times unpaid work than men, now shoulder added responsibilities of feeding and caring for children who are not going to schools as well as care work for the elderly, sick or disabled family members. Outside their homes, shrinking employment opportunities and the resultant loss in bargaining power has added up to the problems faced by women during pandemic. These problems are expected to put additional pressure on the existing ailing economy. Even before the pandemic began, the Indian economy had been affected by falling investments and low growth. Rural India, in particular, had been suffering from agrarian distress which had affected livelihoods significantly.

Here, in this paper, we try to view the impact of pandemic with gendered eye and highlight a few impacts on women and girls in India and makes recommendation to ensure that women and girls remain central to COVID-19 response planning and recovery efforts. For this study, quarterly Periodic Labour Force Survey (PLFS) of The National Statistics Office (NSO), The International Labour Organisation (ILO) estimated reports and The World Health Organization (WHO), has been referred.

Economic Impact: According to the International Labor Organisation (ILO), female employment around the world decline by 4.2% in 2020, compared to previous year, which is worse than the corresponding 3% decline in male employment around the world. This decline in women employment along with women's reduce participation in the labour force is a major setback to efforts over the past two decades at increasing gender equality. ILO, observed that more than 40 crore informal workers in India may get pushed in to deeper poverty due to pandemic and the situation is worse for women. The quarterly Periodic Labour Force Survey (PLFS) report October-December 2020, by the National Statistical Office (NSO) India given estimate of labour force indicators including Labour Force

Participation Rate (LFPR), unemployment rate and distribution of workers across industries.

Pre-COVID-19 trends suggest that the female unemployment rate has generally been higher than the male unemployment rate in the country (7.3% vs 9.8% during the October-December quarter of 2019, respectively).

Unemployment Rate in Urban Areas in India

Year	Male	Female	Total
2019	7.3	9.8	7.9
2020	9.5	13.1	10.3

Source: Quarterly PFLR, Report by National Statistical Office, India

Since the onset of the COVID-19 pandemic, this gap seems to have widened. During the October-December quarter of 2020, the unemployment rate for females was 13.1%, as compared to 9.5% for male. The Standing Committee on Labor (April 2021) also noted that the pandemic led to large-scale unemployment for female workers, in both organised and unorganised sectors.

Uneven Recovery: Globally, and in India, more women lost jobs during Covid-19. A recent report by the Centre of Sustainable Employment at Azim Premji University in India shows that during the first lockdown in 2020, only 7% of men lost their jobs, compared to 47% of women who lost their jobs and did not return to work by the end of the year. In the informal sector women fared even worse. This year between march and April 2021, in rural India, women in informal jobs, accounted 80% of job losses.

The ILO predicts that the employment recovery will be uneven, with discrepancies not only between countries but also between women and men. Employment-to-population ratios are not projected to recover to pre-pandemic levels for any income-level country grouping in 2021. ILO's projected increases in women's and men's employment-to-population ratios between 2020 and 2021 will not be enough to compensate for the previous year employment losses. Moreover, gender gaps in employment-to-population ratios will remain slightly greater than their pre pandemic level.

Increase in Care Work: The massive increases in women's economic inactivity resulted from at least two distinctive

characteristics of the COVID-19 crisis. First, this demand-and-supply crisis not only restricted job opportunities but also the ability to search for a job, in the absence of which workers could not be among those classed as unemployed, even when available for work. Second, the closure of schools and other care services, restrictions to mobility and, in many cases, the caring for those infected by the virus but suffering only mild symptoms, created an unprecedented demand for care within the home. Available evidence shows that most of this demand fell to women to fulfil, who even prior to what became termed the “lockdown” were already doing most of the unpaid care work. Indian women also spend more time doing unpaid care work at home than men. On an average, they spend 9.8 times more time than men on unpaid domestic chores and 4.5 hours a day caring for children, elders and the sick. During the pandemic, their share of unpaid care work grew by nearly 30%.

Increase in Domestic Violence: The COVID-19 lockdowns trapped women at home with their abusers, domestic violence rates spiked throughout the world. In India, reports of domestic violence, child marriage, cyber violence and trafficking of women and girls increased within the first few months of the pandemic. According to the National Commission of Women data, India recorded a 2.5 time increase in domestic violence between February and May 2020. Some women's organizations reported that in the first phases of the lockdown, they received more reports of domestic violence than they had in the last ten years for a similar period of time. Others indicated that many women were unable to report the violence, as they had less privacy and means to access help.

The Indian Government classified domestic violence shelter and support services as “essential” – an important step in COVID-19 response. During the first and second waves of the pandemic, 700 One-Stop-Crisis centres remained open in India, supporting over 300,000 women who suffered abuse and needed shelter, legal aid and medical attention. The current draft of the anti-trafficking bill that will be tabled soon in the Parliament is another welcome step, as it is set to increase penalties for perpetrators and make reporting of such crimes mandatory.

According to UNFPA's recently released State of the World Population (SWOP) report, COVID 19 may exacerbate the already concerning numbers around early marriage, violence and sex -ratio at birth. UNFPA's recent projections estimate that 31 million additional cases of gender-based violence can be expected to occur if the lockdown continues for at least six months. For every three months the lockdown continues, an additional 15 million extra cases of gender-based violence are expected. The projections further suggest that due to the disruption of programmes to prevent female genital mutilation in response to COVID-19, two million female genital mutilation cases may occur over the next decade that could have

been averted. COVID-19 will disrupt efforts to end child marriage, potentially resulting in an additional 13 million child marriages taking place between 2020 and 2030 that could otherwise have been averted. The health impacts of violence, particularly intimate partner/domestic violence, on women and their children, are significant. This can result in injuries and serious physical, mental, sexual and reproductive health problems.

Vaccination Disparity: Women are getting less vaccinated than men in India – 17% more men than women have been partially or fully vaccinated, and according to national data, there are only two states where more women are taking the vaccine. Because of the fact that women have less access to internet or smart phones, they may not be able to register for vaccination. Due to the prevailing patriarchal norms, women may find it difficult to go to the vaccination centres alone, and there may be preference for male family members to get vaccinated first. There are also myths that vaccines compromise women's fertility. Unvaccinated women are at a high risk of contracting the disease, especially in the wake of the new variants.

The Remedies and Recommendations: Major stakeholders have offered a number of recommendations to build out a gender-intentional response for women in India. Three key priorities here are;

1. There is a need for an explicit, gender-lensed perspective among policy makers for understanding and analysing the disproportionate effects of the coronavirus outbreak and the lockdown on women.
2. This can be supported by the generation of decentralised and sex-disaggregated data on various indicators to capture the gendered-impact of COVID and thus help inform policy.
3. Additionally, involving more women lawmakers and policymakers in post-pandemic recovery planning is also vital, both at a central and a local level, as well as tailoring schemes to be focused on women.

Other specific recommendations to speed up the recovery from COVID-19 and build women's resilience in the long-run could include:

1. **Universalising cash transfers for women over the foreseeable future**, and by ensuring that they have access to and control over these transfers. Additionally, existing budgets can be reallocated to fund emergency cash transfers where applicable.
2. **Providing women with work opportunities** can be done through improvements in livelihood schemes like the Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act (MGNREGA), which can be extended to urban centres, and also by increasing spending on the scheme, as both wages and number of days were reported as inadequate during COVID. The ICDS network can also be leveraged to provide full-time childcare services for working mothers.
3. **Ensuring food and nutrition security for women by universalising the public distribution system, and**

supplementing cash transfers with in-kind transfers of cereals, pulses, and other essential commodities, while allowing for free movement and delivery of these commodities.

4. Improving healthcare access for women by classifying reproductive and sexual health services (including gynaecology and obstetrics) as essential services, and creating mass publicity on access and availability of such essential goods. This can be ensured that the flow of necessary and essential reproductive health medicines is not restricted by future border closures and lockdowns.

5. Ensuring that women's safety is maintained by including measures to address increases in violence against girls and women within preparedness and response plans for disaster management by Governments and policy makers. Reaching women in distress could be classified as an essential service, and future crisis management could account for women and children suffering from abuse (e.g. easing mobility restrictions during lockdowns).

References:-

1. Amnesty International: India: Gender Distanced From COVID-19 Policy Measures.
2. Barua A. Gender Equality Dealt a Blow by COVID-19, Still Much Ground to Cover. Deloitte Insight.
3. CGAP: Digital Cash Transfers in Times of COVID-19 - Opportunities and Considerations for Women's Inclusion and Empowerment.
4. ILO, "ILOSTAT: Employment and Sex and Age" 2020.
5. ILO, "ILOSTAT: Labour Force Participation by Sex and Age" 2020.
6. ILO Brief: An Uneven and Gender Unequal COVID-19 Recovery: Update on gender and employment Trend. 2021.
7. Population Foundation of India (PFI). The Impact of COVID -19 on Women. Julu 2020.
8. Sinha, Deepa & Mitra, Sona: Women's employment amidst a pandemic: What are we missing?
9. Vaidyanathan, Gayathri: COVID-19: When a Contagion Comes, Women Bear a Heavy Burden

इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक का महिला कहानी लेखन और स्त्री समाज

डॉ. राजेन्द्र सिंह*

* सह आचार्य (हिन्दी) राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर (राज.) भारत

शोध सारांश – इक्कीसवीं सदी के प्रथम दशक की कहानी लेखिकाओं अपने परिवेश व अनुभव के आधार पर स्त्री समाज के बदलते स्वरूप का चित्रण किया है। शिक्षा एवं आर्थिक स्वातंत्र्य ने स्त्री में आत्मविश्वास को जागृत कर उसे एहसास करवाया है कि वह किसी भी दृष्टि से पुरुष से कम नहीं है। इन महिला कहानीकारों की कहानियों में निजी अस्मिता की कद्र करने वाली आधुनिक स्त्री अपनी समग्र संवेदना के साथ मौजूद है। वर्तमान समाज में शिक्षा के बावजूद भी स्त्री जीवन कई समस्याओं से घिरा हुआ है। इन समस्याओं और बदलते परिवेश के साथ-साथ स्त्री मन की अंतर्व्यथा को व्यक्त करने के लिए लेखिकाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों में उसके शोषित एवं प्रताड़ित यथार्थ स्वरूप को प्रस्तुत किया है। इस सदी के परिवेश में आ रहे परिवर्तन के कारण आज स्त्री का कार्य क्षेत्र घर के बाहर भी है तथा कामकाजी स्त्रियों का दोहरा शोषण भी एक समस्या है। चेतना के फलस्वरूप आज वह पुरुष के पीछे न चलकर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना चाहती है। स्त्री के विविध रूपों का अंकन भी महिला लेखन की एक उपलब्धि रही है। ये लेखिकाएं स्त्री के विवाहित, अविवाहित, परित्यक्ता, विधवा, नौकरी पेशा, वृद्ध, दलित, वेश्या आदि की समस्याओं के अंकन के साथ-साथ स्त्री की दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। उनके लेखन में उसकी समस्याएं, अभिलाषाएं आदि का समाज के समक्ष बेबाक रेखांकन है। आज की स्त्री भी समझौता नहीं करना चाहती वह परंपरागत मान्यताओं को नकारने लगी है। परिवर्तित मनः स्थिति का चित्रण करने में महिला लेखन पूरी तरह अग्रसर है। आलोच्यकाल का महिला कहानी लेखन पुरुष विरोधी ना होकर पूरक और पुरुष सत्ता का विरोधी है।

शब्द कुंजी – आधुनिकता, नाभकीय, विमर्श, वैचारिक, प्रतिबद्धता एवं पूरक।

प्रस्तावना – इक्कीसवीं सदी का प्रारंभिक परिवेश एवं चिंतन नए परिवर्तनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन परिवर्तनों के मूल में बदलती हुई आर्थिक प्रक्रिया में वैश्वीकरण की प्रचंड आंधी, बाजारवाद, उदारीकरण तथा सूचना क्रांति है। पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध का साहित्य विविध वादों तथा विमर्शों माना जाता है। जिनमें दलित, आदिवासी और नारी विमर्श साहित्य के ज्वलंत विषय रहे हैं। ये विमर्श नये नहीं थे परंतु इन पर चिंतन और विचार नये ढंग से होना शुरू हुआ। इस सदी तक आते-आते अनेक महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना मुकाम हासिल करती हुई मृग मरीचिका से लगते आयाम को छूकर अपना एक इतिहास रचने लगीं। सदी के अंतिम दशक की कहानी के क्षेत्र में अनेकानेक लेखिकाओं का आगमन हुआ। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिवेश में इनका कहानी लेखन ढेर सारे विमर्शों एवं विचारधाराओं के अंतर संघर्ष का रहा है। हिंदी कहानी और मध्यम वर्ग के सामाजिक परिवेश के प्रति प्रतिबद्धता का एक अनोखा रिश्ता रहा है। ममता कालिया ने अपनी कहानी संग्रह 'जांच अभी जारी है' में स्त्री की पीड़ा व छटपटाहट को चित्रित किया गया है। मेहरुन्निशा परवेज ने बीसवीं सदी के अंतिम दशक में दहता कुतुबमीनार, रिश्ते, अम्मा, समर इत्यादि कहानी संग्रह में महानगरीय स्त्री की घुटन और तलाकशुदा औरतों की त्रासदायक के सामाजिक ढांचे से मुक्ति की आकांक्षा तथा उनकी मनः स्थितियों का चित्रण किया है। इन लेखिकाओं ने आधुनिक जीवन को बदलते हुए संदर्भ में व्यक्त करते हुए स्त्री स्वतंत्रता एवं समानता को मुख्य विषय बनाया है। स्त्री- पुरुष समानता अर्थात् इंसान के तौर पर दोनों में कोई अंतर न हो। इस संदर्भ में राजकिशोर

का कथन है कि 'लेकिन किन यदि स्वतंत्रता और समानता मनुष्य की मूल चेतना का अंग है तो स्त्री को भी बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। इसलिए वह आज वे प्रश्न पूछ रही है जो युग- युगों से उसकी माताओं- दादियों-नानियों के सीने में दफन पड़े रहे हैं। इस अर्थ में परंपरा बनाम आधुनिकता का प्रश्न आज के उग्रतम प्रश्नों में है।'¹

विगत सदी के दौरान स्त्री लेखन ने पुरुष प्रधान समाज की दृष्टि बिंब, मिथक और मूल्यों मान्यताओं को लगातार तोड़ा है। स्त्रियों के रचना संसार में उस स्त्री की उपस्थिति कई ढंग से दर्ज हुई है जो अपनी नियति के बारे में स्वयं अपने ढंग से सोचती है, प्रश्न उठाती है, जूझती है और सामाजिक सरोकारों को अपनी समझ के अनुसार अपनाती है। वह परिस्थितियों से पलायन नहीं करती बल्कि संघर्ष कर आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत रहती है। जिससे उसमें स्वतंत्र अस्तित्व और अस्मिता का बोध भी जागृत हुआ है। आज की स्त्री को देवी या साध्वी या कुलटा की दृष्टि से न देखकर केवल मनुष्यत्व की दृष्टि से देखा जाए, इन लेखिकाओं का यही उद्देश्य है। प्रज्ञा शर्मा के अनुसार 'वर्तमान में महिलाओं की पारिवारिक स्थिति और उनके अधिकारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आने लगे हैं। जिसे पुरुष अपने पैर की जूती तथा दासी मानता था, वह नारी आज उसकी सहयोगी, सहचरी और मित्र है। आज सामान्यतः परिवारों में महिलाएं प्रबंधक की स्थिति में हैं न कि याचक की स्थिति में। आज शिक्षित स्त्रियों को न तो किसी प्रकार से शोषित किया जा सकता है और न ही उन्हें अपने अधिकारों का बलिदान करने की आवश्यकता रही है।'² नारी अस्मिता, स्वातंत्र्य, उत्थान और नारी

विमर्श और स्त्री चेतना को लेकर बड़ी संख्या में महिला कहानीकार, कहानी लेखन में सामने आने से बहुआयामी बातें खुलकर सामने आई हैं। 'बीसवीं सदी के अंतिम दशक के प्रारंभ में हिंदी साहित्य जगत में महिला कथाकारों का सक्रिय योगदान पुरुष लेखकों की अपेक्षा अधिक सजग और सत्य के निकट है। सर्वप्रथम इन महिला कथाकारों ने नारी को वस्तु न मानकर एक मानव माना है।'³

21वीं सदी के प्रथम दशक में नासिरा शर्मा, ममता कालिया, उर्मिला शिरीष, जया जादवानी, पंखुरी सिन्हा, प्रत्यक्षा, मनीषा कुलश्रेष्ठ, चंद्रकांता इत्यादि उल्लेखनीय महिला कहानीकार हैं। समय के साथ-साथ इन महिला कहानीकारों ने स्त्रियों की आकांक्षा के बदलते तेवर को अपनी कहानियों में रेखांकित किया है। इनकी कहानियों में स्त्रियों की जो समस्याएं चित्रित की गई हैं, वो सभी संदेह से परे हैं क्योंकि वे स्वयं एक स्त्री हैं। ये कहानियां स्त्री जीवन का यथार्थ हैं। जिनमें आदर्श रूप के साथ-साथ स्त्री सुलभ कमजोरियों का भी उल्लेख है। इस संदर्भ में रोहिणी अग्रवाल का कथन है 'कि स्त्री लेखन में उभरती नई स्त्री छवि देह का पाप-पुण्य, मर्यादा एवं शील-अश्लील जैसी गद्दी नयी संरचनाओं से मुक्त कर विशुद्ध बायोलॉजिकल तथ्य के रूप में देखती हैं।'⁴ आलोच्य कहानीकारों ने अपने परिवेश से प्रायः सभी विषयों की संवेदनाओं को चित्रित किया है। इस संदर्भ में नासिरा शर्मा का कथन उल्लेखनीय है कि 'अधिकतर लेखक परिवेश पर लिखते हैं क्योंकि उनकी भावभूमि की प्रामाणिकता उसी में निहित होती है और वही इंसानी इस स्वभाव की जटिलता और रहस्य खोलते हैं।'⁵

इन लेखिकाओं के पास तीखी दृष्टि और धारदार भाषा है। इनका समाज-दर्शन जीवन के यथार्थ की ठोस धरती पर टिका है। संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवारों के लेने से मनुष्य का अकेलापन उसे न केवल समाज से बल्कि परिवार से भी दूर कर रहा है। ऐसे में विवाह संस्था के सामने भी अनेक प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जिससे स्त्री-पुरुष घुटन व तनावपूर्ण जीवन जीने को मजबूर है। मनोहर श्याम जोशी का कथन है कि 'आधुनिकता की एक खास देन है- नाभकीय यानी सीमित परिवार। मियां, बीवी-बच्चे और कहीं अलग रहने वाले दादा-दादी और बसा।'⁶ स्त्री पुरुष की रूचि भिन्नता तथा जीने के तरीके के अंतर के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न होने पर तलाक की स्थिति बनने में देर नहीं लगती है। आज की नारी पति को देवता के रूप में नहीं बल्कि एक जीवनसाथी के रूप में देखती है। अनेक बार दांपत्य जीवन में हृदय से ज्यादा अहम का टकराव जिसकी परिणति रिश्तों की टूटन में होता है। सूर्यबाला की 'सिर्फ मैं' कहानी में मेधा एक शिक्षित युवती है, वह अपने प्रेमी को समझाती है कि 'अपनी पसंद मेरे ऊपर लादने की कोशिश मत करना। तुम कोई कवि या कलाकार तो नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे एक और बात कहना चाह रही थी कि अपना नाम मैं शादी के बाद भी मेधा शुक्ला ही रखूंगी। तुम चाहे 'मेधा पांडे' या 'मिसेस पांडे' किस्म की दकियानूसी जिद तो नहीं करोगे न ?'⁷ वह समाज की परम्परागत सोच के खिलाफ अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रखने के लिए कटिबद्ध दिखती है।

पुरुष प्रधान समाज में विधवाओं की दयनीय एवं त्रासदी को नासिरा शर्मा की 'आखिरी पहर' कहानी में मार्मिकता के साथ व्यक्त करती है। विवेच्य काल की महिला कहानी लेखिकाओं ने नारी शोषण के विविध रूपों को गहराई से अभिव्यक्त किया है। मैत्रेयी पुष्पा की 'फैसला' कहानी में रणवीर की पत्नी गांव के प्रधान बन जाती है। प्रधान बनने पर भी गांव के सारे फैसले रणवीर ही लेता है। उसका मानसिक शोषण उसके पति द्वारा ही होता

है। गांव के फैसले में वह भाग लेना चाहती है लेकिन रणवीर उसे गांव के फैसले में भाग नहीं लेने देता, जब वह एक बार गांव के फैसले में भाग लेने गई थी तब रणवीर उसे कहता है 'यह रोज-रोज की नौटंकी! रात दिन की नाटक बाजी! बताओ कब बंद करोगी ?'⁸

अनमेल विवाह, अवैध प्रेम, परस्पर वैचारिक समानता का अभाव, पारस्परिक अविश्वास अनेकानेक कारणों से दांपत्य संबंध में बिखराव हो रहा है। सूर्यबाला की 'न किन्नी न' कहानी दांपत्य संबंध के बिखराव को व्यक्त करती है। 'चार दिनों बाद लौटी तो बिल्कुल बदली, चुप-सी। जैसे कोई दुःखान्त फिल्म देखकर लौटी हो। भाई ने बताया, यवहां सब चुप शांत! तब वे अकेली कहां तक रोती-कलपती। मौसाजी को सख्त चिढ़ है-रोने कलपने, चीखने-चिल्ला ने से, जो हो गया, सो हो गया- जो स्थिति सामने है, उसे पूरी समझदारी से संभालना चाहिए, बसा।'⁹

इस सदी की महिला कहानीकार सूर्यबाला, नासिरा शर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, सुधा अरोड़ा, मेहरुन्निशा परवेज, ममता कालिया, चित्रा मुद्गल आदि ने अपनी कहानियों में नारी के यौन शोषण को गहराई से चित्रित किया है। नासिरा शर्मा की 'मेरा घर कहां' कहानी में नायिका सोना घर के मालिक के शोषण का शिकार बनती है। घर में नौकरानी का काम करने वाली सोना को छोटे साहब 'एक रात सोना गहरी नींद में सो रही थी, तो उसे सपने में लगा कि दो मजबूत बाहें उसे अपनी कसाव में पकड़ रही हैं। इतने दिनों बाद पति का स्पर्श उसे सोते में सुख दे रहा था। तभी ठंड की झुरमरी से वह उठी। अंधेरे में उस पर कोई झुका था। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे को छू रही थी।.....'कौन...कौन?' सहमी-सी, सोना बोली। 'चुप...किसी को पता नहीं चलेगा.....उठ चल मेरे कमरे में, वहां नरम बिस्तर है, आराम से लेटना.....उठ।'¹⁰ इन कहानीकारों की कहानियों में स्त्री-पुरुष संबंधों का कोई पक्ष या समस्या छूटी नहीं है। 'बड़े परदे का खेल' कहानी में वर्तमान में प्रेम के नाम लड़के, लड़कियों को अपना शिकार बनाते हुए दिखाया है। कहानी में राज मल्होत्रा नामक युवक रमा नाम की लड़की से प्यार के नाम पर छल करता है। रमा को शादी के बाद एक उषा नाम नामक लड़की मिलती है। वह रमा को राज द्वारा प्रताड़ित होने की बात बताती है। तब दोनों मिलकर राज को सबक सिखाती हैं। कहानी की निम्नांकित पंक्तियां दृष्टव्य हैं ' मैं संवेदना के धरातल पर टूटी, संताप के गहरे गर्त में डूबी उतरी भी और टूटने बिखरने की जगह मैंने तय किया कि जो मुझे मेरी भावुक की ईमानदारी के कारण अपमानित कर रहा हो उसको ही न ऐसा मजा चखाया जाए कि आगे इश्क करना भूल जाए।'¹¹ इनकी ही कहानी 'दुनिया' में भ्रूमंडलीकरण के दौर में संवेदना शून्य होते लोगों की मानसिक स्थिति को रेखांकित किया है। कहानी की पात्र शोभना को मां का खत मिलने के बावजूद वह बीमार है पिता से मिलना उचित नहीं समझती है 'गिल्ट! कैसा गिल्ट! मैंने तो बाबा को मारा नहीं, न उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा। आखिर वह बूढ़े थे ऊपर से बीमार। उन्हें जाना ही था। एक दिन इसी तरह सबको जाना है।'¹² यताजमहल' कहानी महानगरीय परिवेश में परिवार में रिश्तों की दूरियां और अकेलेपन से ग्रसित स्त्री जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। कहानी की नयना अकेलेपन से इस कदर पीड़ित रहती है कि उसे प्यार के दो पल जिधर नजर आए वह नैतिकता को भूलकर उसी तरफ झुकती चली जाती है 'प्यार किसी भी उम्र में हो उसका अपना तर्क होता है जो उम्र, जात-पांत, धर्म भाषा की सारी दीवारों को गिरा देने की शक्ति अपने में रखता है।'¹³

पंखुरी सिन्हा की 'समानांतर रेखाओं का आकर्षण' एक लड़की की

अपने से कम उम्र के लड़के के प्रति आकर्षण की कहानी है। कहानी में आधुनिक अंधे प्रेम का चित्रण है जो आकर्षण से आगे नहीं बढ़ता। यह कहानी एक स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व की कहानी है जो अपने प्रेम व आकर्षण को सबके सामने मानने की सामर्थ्य रखती है। इस कहानी की निम्न पंक्तियां उल्लेखनीय हैं 'मैं उसे उसी तरह चाहती रही। मैंने उसे बहुत चाहा है। वह मेरा उन्माद है, पागलपन है, द ल्योर ऑफ द वाइल्ड वेस्ट ...'¹⁴

ममता कालिया की कहानी 'एक अकेली तस्वीर' विवाह संस्था में विश्वास न रखने वाली स्त्री की कहानी है। जिसमें सामाजिक विसंगतियों का बोध तथा उनसे उबरने की बेचैनी पर दृष्टिपात कराने वाली कहानी है। स्त्री विवाह करके अपने अस्तित्व को भूलकर एक परिवार की बहू व पत्नी बनकर ही रह जाती है। कहानी की तनिया मानती है कि विवाह के बाद भी जब मन में असंतोष रहता है तो विवाह अनुचित ही है। तनिया अपने पापा से कहती है कि 'पापा हम सोचते हैं, शादी वगैरह हमें सूट नहीं करेगी।'¹⁵ 'राएवाली' स्त्री विमर्श की कहानी है जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि पत्नी आज भी पुरुष प्रधान समाज में पति के अधीनस्थ होकर ही अपना जीवन यापन करती है 'इस मौके पर चली गई तो वापस घुसने न दूंगा, पड़ी रहना सारी उमर बाप के द्वारे।'¹⁶

प्रत्यक्षा हिंदी की नई पीढ़ी की महत्वपूर्ण एवं संभावनाशील कहानीकार है। उनकी कहानियां नई पीढ़ी के मन की भावनाओं का गहराई से उद्घाटन करते हैं। 'सीढियों के पास वाला कमरा' कहानी परित्यक्ता महिलाओं के जीवन के संघर्ष पर आधारित है। लेखिका ने 'खुशबू शबनम रंग सितारे' कहानी में किशोरावस्था में होने वाले आकर्षण के चित्रण के साथ-साथ पुलिस के अनैतिक कार्य पर भी प्रश्न उठाए हैं। 'लाल परी / रेडिफमेल डॉट कॉम उर्फ ईमेल' कहानी में अंधे उम्र की नायिका आधुनिक संचार माध्यम इंटरनेट व ई-मेल के जरिए अपनी दबी हुई यौन भावनाओं को व्यक्त करती है। 'कैसे-कैसे दिन' कहानी स्त्री के एकाकीपन की पीड़ा को चित्रित किया गया है तथा पति के शकी स्वभाव का भी चित्रण है। 'आर यू श्योर इट वाज माई चाइल्ड' यह पंक्ति बार-बार कौंधती है। निताई यानी अनिर्बान दत्ता की चिट्ठी। नहीं मातृत्व तो पक्का होता है पर पितृत्व यह तो मां ही बताती है।'¹⁷ जया जादवानी ने नारी जीवन की त्रासदी को पूरी गहराई के साथ व्यक्त किया है। 'उससे पूछो' कहानी संग्रह की कहानी 'आरमीनिया की गुफा' के माध्यम से लेखिका ने स्त्री के अंतर्मन की व्यथा को चित्रित किया है कि वह पुरुष की संपत्ति होती है पहले पिता की बाद में पति की। एक ही जिस्म पर कितने सारे नाम.... और.....डॉ. ये तो चाकू से भी नहीं निकलते।'¹⁸

चंद्रकांता की कहानियां उनमें वर्तमान के विघटित मूल्यों, बदलते मानवीय रिश्तों और आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतियों आदि से उत्पन्न समस्याओं को इस तरह से चित्रित किया है कि वे कहानियां स्वयं भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति सी लगती हैं। उनकी कहानी 'गए वक्त का मुहावरा' में बांझ स्त्री की पीड़ा का चित्रण किया गया है। कहानी में सुनयना बच्चा गोद लेना चाहती है लेकिन पति लेने नहीं देता। अतः वह दुखी होकर आत्महत्या कर लेती है। 'चक्कर मांजी' कहानी में वृद्धावस्था की समस्या का चित्रण किया है। कहानी की स्त्री अपनी बेटी के घर रहती है। एक दिन फिसलकर पैर टूट जाता है। अस्पताल ले जाने के नाम पर दामाद कहता है 'अरे अब क्या अस्पताल वरपताला। कितने दिन जियेगी और अस्सी तो कब की पार कर चुकी।'¹⁹ इसी प्रकार मनीषा कुलश्रेष्ठ ने अपनी 'कठपुतलियां' कहानी में अनमेल विवाह और दहेज समस्या को उठाया है। कहानी की सुगना

का विवाह दहेज ना होने के कारण 30 वर्षीय दो बच्चों के बाप के साथ कर दिया जाता है। कहानी के सभी चरित्र परिस्थितियों के धागों में कठपुतलियों की तरह उलझे हुए हैं। इसी 'कठपुतलियां' कहानी संग्रह की कहानी 'परीभांति' में वृद्धावस्था में जीवन साथी के बिछड़ने की तकलीफ तथा एकांकी पन की पीड़ा को चित्रित किया गया है। 'कुछ भी तो रूमानि' नहीं कहानी संग्रह की 'कालिंदी' कहानी वेश्यावृत्ति के जीवन की पीड़ा को व्यक्त करने वाली कहानी है। एक वेश्या को अपना पेट पालने के लिए स्वयं को तो शारीरिक और मानसिक यातना से गुजरना ही पड़ता है। उसके बच्चों का भी भविष्य अंधकार में रहता है। बेटी को वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है। 'कस्टमर' शब्द उस गली के हम उम्र बच्चों के बीच एक डरावना शब्द था। एक पिशाच जो औरतों का गला दबाया करता था।'²⁰ इसी तरह उर्मिला शिरीष के 'पुनरागमन' कहानी संग्रह की गिरगिट कहानी में एक नौकरी पेशा स्त्री की दोहरी जिम्मेदारी का चित्रण किया गया है- 'नौकरी पेशा मां की मजबूरियां बच्चे कितना समझ पाते हैं ? उनकी शिकायतें, उनकी बातें, उनकी नाराजगी सब कहीं अनकही रह जाती हैं।'²¹ 'उसका अपना रास्ता' कहानी के माध्यम से आधुनिकता के मोह में पड़कर जीवन बर्बाद करने वाली युवा लड़कियों की सोच की और संकेत है। फैशन, विज्ञापन, मॉडलिंग की चकाचौंध की दुनिया से इतनी प्रभावित होती है कि वह अपना कैरियर तक दांव पर लगा देती है। जब समझ में आता है तब तक वो इतनी आगे निकल चुकी होती है कि लौट कर आने का कोई रास्ता शेष नहीं रहता है- 'मैं अपनी इस सफलता से बुरी तरह टूट गई हूँ अनु दी। अधिक दिनों तक इस तनाव को नहीं झेल पाऊंगी। आप वहां रात एक रात मेरे बीयर पीकर आने पर रात भर सो नहीं पाई थी और यहां मैं उस रात शराब के नशे में धुत होकर भी नहीं सो पायी।'²²

चंद्रकांता के सूरज उगने तक, काली बर्फ और बदलते हालात कहानी संग्रह के केंद्र में स्त्री ही अवस्थित है। इनकी कहानियों में पुरुष वर्चस्व के दबाव में घुटती पिसती स्त्री की मजबूरियां एवं उनकी छटपटाहट को देखा जा सकता है। नासिरा शर्मा ने अपनी ततैया, दहलीज, दिल आरा, आप नई हुकूमत आदि कहानियों में मुस्लिम समाज के कट्टरपंथियों से जुड़े सवाल और उनके विमर्श के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। सूर्यबाला की कहानी सांझवती, कात्यायनी संवाद और मनुष्य गंध कहानियों में युवा मन की दिशाहीनता और उसके मन की ही निराशा दिखाई देती है तो मालती जोशी की कहानियों में बदलते परिवेश एवं परंपरागत मूल्यों के प्रति आस्था दिखाई देती है। इस प्रकार इन कहानियों में परंपरागत स्त्री की जगह चेतना संपन्न आधुनिक संघर्षशील स्त्री दिखाई देती है। मैत्रेयी पुष्पा का कथन है कि 'मैंने साहित्य की लुकाठी के साथ खड़ा होना चाहा था क्योंकि इस क्षेत्र में स्त्री उत्कर्ष की बातें जोर-शोर से होती हैं पढ़ाई-लिखाई, अध्ययन-मनन के चलते मनोविश्लेषकों ने स्त्री पुरुष के मनोभावों और दैनिक सूत्रों के हिसाब से उनका स्वभावगत प्रतिपादन किया।'²³

स्त्री द्वारा लेखन केवल आधी दुनिया का न होकर संपूर्ण समाज में व्याप्त व्यवस्थागत विडंबनाओं का कथ्य है। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मृदुला गर्ग का कथन है कि 'स्त्री रचित लेखन पर बात करनी हो तो मैं उसके असली योगदान को रेखांकित करना चाहूंगी। यह कि उसके माध्यम से नए रूपक उभर कर आए हैं। रूपक शून्य में जन्म नहीं लेते, वे लंबे अनुभव और प्रतिरोध से उपजते हैं और स्त्री लेखन के नए मानक स्थापित करते हैं।'²⁴ यह सत्य है कि महिला कहानीकारों ने समाज में स्त्री की स्थिति को स्वयं ने अनुभव किया परिणामस्वरूप उनकी कहानियों में स्त्री पक्ष विशेषतः उभरकर आया

है। लेखिकाएं जहां संपूर्ण परिवेश को लेकर चली वहां पर भी उन पर स्त्रीवादी साहित्य का आरोप लगता रहा है। इस संदर्भ में अमृता ठाकुर का कथन उल्लेखनीय है 'स्त्री अगर निष्पक्ष होकर भी इन मुद्दों पर लिखती हैं तब भी उसमें स्त्री वाला पक्ष खोजा जाता है। पूर्वाग्रह काम करता है। लिखते समय भी कौन लिख रहा है वह कहीं न कहीं हावी होने लगता है।'²⁵

सदी के अंतिम दशक में भूमंडलीकरण, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से एक नया प्रस्थान बिंदु था। इस दशक के स्त्री लेखन ने पुरुष प्रधान समाज की दृष्टि बिंब, मिथक और मूल्य मान्यताओं को हर कोण से ज्यादा प्रभावी ढंग से तोड़ने का प्रयास किया है। उनकी रचना संसार में उस स्त्री की उपस्थिति अनेकानेक ढंग से दर्ज हुई है। वह अपनी नियति के बारे में स्वयं के ढंग से न केवल चिन्तन एवं मनन करती है अपितु प्रश्न करती है तथा जूझती हुई सामाजिक सरोकारों को अपनी समझ से ग्रहण करती है। इस समय की कहानियों में बाजार और अस्मिता संघर्ष के बहुकोणीय विस्तार में स्त्री अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत है। राकेश बिहारी का कथन है कि 'स्त्री को हमेशा से वस्तु या चीज मानने वाली पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने कभी यह सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि स्त्री देह में भी इच्छा और कामना की रेशमी शिराएं होती हैं जो किसी के प्रेम में तनना, सिकुड़ना चाहती हैं।'²⁶

वर्तमान सदी के आरंभिक कहानी लेखन में सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने की एक कोशिश दिखाई देती है। साहित्य में स्त्री विमर्श के नाम पर जो देह विमर्श हो रहा है वह है पश्चिम के उन्मुक्त यौनाचार का अंधानुकरण है कुछ एक स्त्रियों को पुरुषों जैसी हैसियत पा लेना स्त्री मुक्ति नहीं है। असली मुक्ति अपनी अस्मिता के प्रति सजग होना है। प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग के शब्दों में 'नारीवादी आंदोलन और उससे उपजे स्त्रीवादी विमर्श का दीर्घकालीन मंतव्य यही था कि जितनी जल्दी संभव हो स्त्री दोयम दर्जे की प्राणी ना रहे, उसे वे तमाम अधिकार प्राप्त हो जाए जो पुरुषों को है। उसके लिए बतौर आधी दुनिया, हमदर्दी मांगने की जरूरत ना रहे।'²⁷ स्त्री लेखन जीवन के उन पक्षों को उद्घाटित करता है जिसकी वजह से स्त्री उपेक्षित और वंचिता की हैसियत में रहती आई है। महिला लेखन पुरुष विरोधी विचारधारा नहीं है, पितृसत्तात्मक विरोधी है। प्रभा खेतान का मानना है कि 'स्त्री आंदोलन का पुनर्मूल्यांकन जरूरी हो गया है ताकि मुक्ति की सामाजिक परंपरा में एक और नया अध्याय जोड़ा जा सके..... हम स्त्रियों के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं जिस पितृसत्ता से हम युद्ध रत हैं उसके खिलाफ उन लोगों ने संघर्ष किया है। मानव मुक्ति के सिद्धांतों के संवर्धित और व्यवस्थित किया है।'²⁸

महिला लेखिकाओं का यह धर्म एवं कर्म बनता है कि वे स्त्री की स्थिति को समाज के सामने यथार्थवादी ढंग से पेश करें और वे ऐसा कर भी रही हैं। डॉ. रोहिणी अग्रवाल कथन है कि 'महिला लेखन की मूल में स्त्री चेतना का यही छोटा सा बीज है। इसलिए महिला लेखन न गाली है न चुनौती वरन् वह मनुष्य, नागरिक और सामाजिक प्राणी की हैसियत से स्त्री के मानवीय अधिकारों की संघर्षपूर्ण मांग करने वाला साहित्य है।'²⁹

सदी की आरंभिक महिला कहानीकारों की कहानियों में स्त्री के संघर्ष, अधिकार चेतना, स्वावलंबन, अस्तित्व वह अस्मिता की पहचान आदि अनेक स्त्री चेतना के तथ्य सामने आए हैं उनमें मुख्य मुद्दा वर्चस्व विहीन समाज की स्थापना का है। प्राकृतिक जैविक संरचना के आधारभूत अंतर को प्रतिद्वंद्वी रूप में न देखकर पूरक रूप में देखने का है। आशारानी व्होरा का मानना है कि यन अकेला पुरुष सार्थक है और नहीं अकेला स्त्री जीवन। जब दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं तो इनमें प्रतिद्वंद्विता या होड़ कैसी ? सृजन भी समानता

से संभव नहीं पूरकता से ही संभव है।' प्रसिद्ध हिंदी लेखिका रोहिणी अग्रवाल के शब्दों में '1990 के बाद की महिला रचनाकार एकाग्रचित होकर एक ऐसी स्त्री को गढ़ रही हैं जो स्त्री- स्त्री की दुश्मन जैसे परंपरापोषित (उपहासास्पद) मिथों को तोड़कर यूनिवर्सल सिस्टरहुड में आस्था रखती है।'³⁰

इस सदी के प्रथम दशक की कहानी लेखिकाओं अपने परिवेश व अनुभव के आधार पर स्त्री समाज के बदलते स्वरूप का चित्रण किया है। शिक्षा एवं आर्थिक स्वातंत्र्य ने स्त्री में आत्मविश्वास को जागृत किया है। उसे एहसास होने लगा है कि वह किसी भी दृष्टि से पुरुष से कम नहीं है। इन महिला कहानीकारों की कहानियों में निजी अस्मिता की कद्र करने वाली आधुनिक स्त्री अपनी समग्र संवेदना के साथ मौजूद है। वर्तमान समाज में शिक्षा के बावजूद भी स्त्री जीवन कई समस्याओं से घिरा हुआ है। बदलते परिवेश के साथ-साथ स्त्री मन की अंतर्व्यथा को व्यक्त करने के लिए लेखिकाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों में उसके शोषित एवं प्रताड़ित यथार्थ स्वरूप को प्रस्तुत किया है। इस सदी के परिवेश में आ रहे परिवर्तन के कारण आज स्त्री का कार्य क्षेत्र घर के बाहर भी है। घर की जिम्मेदारी कम नहीं हुई है। कामकाजी स्त्रियों का दोहरा शोषण भी एक समस्या है। चेतना के फलस्वरूप आज वह पुरुष के पीछे न चलकर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना चाहती है।

स्त्री के विविध रूपों का अंकन भी महिला लेखन की एक उपलब्धि रही है। इन लेखिकाओं ने स्त्री के विवाहित, अविवाहित, परित्यक्ता, विधवा, नौकरी पेशा, वृद्ध, दलित, वेश्या आदि की समस्याओं का अंकन किया है। महिला लेखन स्त्री की दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर है। उनके लेखन में उसकी समस्याएं, अभिलाषाएं आदि का समाज के समक्ष बेबाक रेखांकन है। आज की स्त्री भी समझौता नहीं करना चाहती वह परंपरागत मान्यताओं को नकारने लगी है। परिवर्तित मनः स्थिति का चित्रण करने में ये लेखिकाएं ने पूरी तरह सक्षम रही हैं। आलोच्यकाल का महिला कहानी लेखन पुरुष विरोधी ना होकर पुरुष सत्ता का विरोध है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राजकिशोर, स्त्री परंपरा और आधुनिकता, पृष्ठ 6।
2. प्रज्ञा शर्मा, महिला विकास और सशक्तिकरण, पृष्ठ 16।
3. महिला हिंदी कथाकार: विविध आयाम- डॉ. भारत भूषण एवं डॉ. कंचन गोयल (संपादक), चंडीगढ़ सप्तऋषि पब्लिकेशंस, संस्करण 2016, पृष्ठ 9 (भूमिका)।
4. रोहिणी अग्रवाल, स्त्री लेखन: स्वप्न एवं संकल्प पृष्ठ 326।
5. नासिरा शर्मा, राष्ट्र और मुसलमान, पृष्ठ 196।
6. मनोहर श्याम जोशी, 21वीं सदी, पृष्ठ 34।
7. सूर्यबाला, थाली भर चांद, पृष्ठ 117।
8. मैत्रेयी पुष्पा, ललमनियां, पृष्ठ 14।
10. नासिरा शर्मा, गूंगा आसमान, पृष्ठ 132।
11. नासिरा शर्मा, इनसानि नस्ल, पृष्ठ 46।
12. वही, पृष्ठ 96।
13. नासिरा शर्मा, दूसरा ताजमहल, पृष्ठ 18।
14. पंखुरी सिन्हा, किस्सा-ए-कोहनूर, पृष्ठ 27।
15. ममता कालिया, खुशकिस्मत, पृष्ठ 15।

16. वही, पृष्ठ 90।	24. सं. डॉ. संदीप रणभिरकर, स्त्री सृजनात्मकता का स्त्री पाठ, पृष्ठ 21।
17. प्रत्यक्षा, जंगल का जादू तिल-तिल, पृष्ठ 84।	25. आजकल पत्रिका, मार्च, 2016 पृष्ठ 22।
18. जया जादवानी, उससे पूछो, पृष्ठ 76।	26. वही, पृष्ठ 11।
19. चंद्रकांता, बदलते हालात में, पृष्ठ 17।	27. सं. डॉ. संदीप रणभिरकर, स्त्री सृजनात्मकता का स्त्री पाठ, पृष्ठ 21
20. मनीषा कुलश्रेष्ठ, कुछ भी तो रूमानी नहीं, पृष्ठ 27।	28. प्रभा खेतान, पितृसत्ता के नए रूप: स्त्री और भूमंडलीकरण, पृष्ठ 16-17
21. उर्मिला शिरीष, पुनरागमन, पृष्ठ 160।	29. वही, पृष्ठ 131
22. उर्मिला शिरीष, निर्वासन, पृष्ठ 140।	30. रोहिणी अग्रवाल, स्त्री लेखन: स्वप्न व संकल्प, पृष्ठ 204
23. मैत्रेयी पुष्पा, एक स्त्री का घोषणा पत्र, पृष्ठ 168।	

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समीक्षात्मक अध्ययन - मध्यप्रदेश राज्य के विशेष सन्दर्भ में

नेहा राठौर* डॉ. जी.एल. खांगोड़े**

* शोधार्थी, शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जीवनोपयोगी खाद्य सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र एवं राज्य सरकार के साझा प्रयासों से चलने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, जो कि मध्य प्रदेश में सुनियोजित एवं प्रभावपूर्ण ढंग से संचालित हो रही है तथा जिसका लाभ प्रदेश के लाखों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को प्राप्त हो रहा है।

इस योजना के द्वारा रियायती दरों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को खाद्यान्न का वितरण प्रदेश के सभी छोटे-बड़े, शहरों-ग्रामों में स्थापित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है तथा इसका प्रबंधन एवं निगरानी का कार्य विभिन्न शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है जिससे संपूर्ण मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।

शब्द कुंजी - खाद्यान्न, गुणवत्तापूर्ण, विश्लेषणात्मक, भण्डारण, सार्वजनिक, कल्याणकारी, प्रभावोत्पादकता, जीविकोपार्जन, सार्वजनिक, समीक्षात्मक, गरीबी रेखा, सर्वेक्षण, क्रियान्वयन, योजनाबद्ध, आवंटन, अर्थव्यवस्था, सब्सिडी, पारदर्शी, अत्यावश्यक, कुशलतम, आदि।

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है यहाँ की 72 प्रतिशत जनता कृषि तथा कृषि पर आधारित कार्य कर जीविकोपार्जन करती है, प्रदेश का मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण यहाँ भरपूर मात्रा में गेहूँ, सोयाबीन, धान तथा दलहन फसलों की खेती की जाती है जो कि मानव जाति के भोजन का सबसे महत्वपूर्ण आहार है, बावजूद इसके आज भी मध्यप्रदेश की 31.65 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों की संख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है जिसकी कुल संख्या 2 करोड़ 34 लाख है।

चूकी प्रदेश में सब के लिए अन्न की उपलब्धता की जवाबदेही प्रदेश सरकार की होती है इस लिए खाद्यान्न की पारदर्शिता पूर्ण खरीद, भण्डारण एवं जरूरत मंदो तक वितरण की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है इसलिए एक सुनियोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विकसित कर प्रभावपूर्ण तरीके से उसका संचालन करना की महती आवश्यकता होती है इसलिए भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी जो अब तक सतत निरंतर जारी है जिसका विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

शोध विषय का चयन - देश में तेजी से बढ़ती महंगाई के दौर में गरीब एवं अति गरीब वर्ग के लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अति आवश्यक वस्तुओं एवं खाद्यान्न की आपूर्ति के प्रति शोधकर्ता के मन में गहन चिंतन एवं संवेदना होने के कारण शोधार्थी द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समीक्षात्मक अध्ययन विषय को शोधार्थी द्वारा अध्ययन के रूप में चयन किया गया है।

उद्देश्य - प्रस्तुत अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निमानुसार है :

1. मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता ज्ञात करना।
2. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन व्यवस्था का अध्ययन करना।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को प्राप्त लाभ एवं जीवन स्तर ज्ञात करना।
4. मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि, समंको का संकलन तथा शोध क्षेत्र - किसी भी शोध कार्य को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने के लिए निश्चित शोध प्रविधि की आवश्यकता होती है जिसका अनुसरण कर उत्तम शोध कार्य किया जा सके इसी प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको की आवश्यकता होती है जिनके विश्लेषण के आधार पर ही किसी शोध कार्य को विश्वसनीयता बनाकर सटीक परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन को पूर्ण करने के लिए विश्लेषणात्मक शोध अध्ययन विधि का प्रयोग कर शोध विषय से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों, प्रकाशित शोध पत्र, अप्रकाशित शोधकार्य, सर्वेक्षण रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शासकीय एवं अशासकीय प्रकाशन आदि का अध्ययन एवं विश्लेषण कर प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का संकलन किया गया है प्रस्तुत शोध अध्ययन 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का समीक्षात्मक अध्ययन - मध्यप्रदेश राज्य के विशेष सन्दर्भ' में किया गया है प्रस्तुत शोध अध्ययन के शोध क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश राज्य का चयन शोधार्थी द्वारा किया गया है।

समस्या - किसी राज्य की सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त मात्रा में अपने राज्य

के नागरिकों के लिए खाद्यान्न उत्पादन, भण्डारण एवं वितरण की होती है, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08, 252 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक 870 कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है तथा उत्तर से दक्षिण तक 605 कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है, इतने विशाल राज्य में किसी योजना के क्रियान्वयन का समीक्षात्मक अध्ययन करना एक चुनौती पूर्ण कार्य है जो कि शोधार्थी के लिए के लिए एक जटिल समस्या थी जिसका निराकरण करने के लिए शोधार्थी द्वारा शोध विषय से संबंधित विभिन्न वेबसाइटों, प्रकाशित शोध पत्र, अप्रकाशित शोधकार्य, सर्वेक्षण रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शासकीय एवं अशासकीय प्रकाशन आदि का अध्ययन कर किया गया है।

शोध परिकल्पना :

1. मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है।
2. प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुनियोजित क्रियान्वयन हो रहा है।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

शोध क्षेत्र का सामान्य परिचय – प्रस्तुत शोध अध्ययन का शोध क्षेत्र मध्यप्रदेश है जो कि भारत गणराज्य का एक अति महत्वपूर्ण राज्य है, भौगोलिक रूप से देश में बीचो बीच स्थित होने के कारण इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न यह राज्य देश की कला एवं संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है वाणिज्य के दृष्टिकोण से भी मध्य प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर के पीथमपुर क्षेत्र में ऑटोमोबाइल उद्योगों की भरमार है।

मध्यप्रदेश में कुल 52 जिले तथा 10 संभाग हैं तथा प्रदेश की राजधानी भोपाल है एवं प्रदेश के जबलपुर जिले में उच्च न्यायालय स्थापित है, प्रदेश की सीमा सड़क मार्ग से 5 राज्यों से जुड़ी होने के कारण अन्य राज्यों से व्यावसायिक गतिविधियां सुगमता से संपन्न होती हैं, प्रदेश का मूल व्यवसाय कृषि तथा कृषि पर आधारित व्यवसाय है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय – निर्धन एवं गरीब परिवारों को सरस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की शुरुआत की गई अर्थात यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके द्वारा रियायती दरों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को खाद्यान्न का वितरण एवं प्रबंधन किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है जो कि पिछले कुछ वर्षों में देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

यह योजना पहली बार 14 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू की गई थी, और जून 1947 में वर्तमान स्वरूप में शुरू की गई थी। **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विश्लेषण** – भारत में गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारें अपने राज्य के गरीब

वर्ग के लोगों की पहचान सूचीबद्ध तरीके से करके उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना कर खाद्यान्नों की सुपुर्दगी देने और उचित मूल्य दुकान स्तर पर इनका पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से वितरण करने की पुख्ता व्यवस्था एवं क्रियान्वयन करवाती है।

अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो भारत में उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत द्वारा स्थापित और राज्य संकायों के साथ संयुक्त रूप से भारत के गरीबों को सब्सिडी वाली खाद्य वस्तुओं का वितरण करने के लिए संचालित की जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है, केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद भंडारण ढुलाई और अत्यधिक मात्रा में भण्डारण की जिम्मेदारी ली है, लक्षित परिवारों की प्रचलनात्मक जिम्मेदारियां राज्य सरकार की होती हैं, मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों का जिला वार विश्लेषण निम्नानुसार सारणी क्र. – 1.1 एवं आरेख क्रमांक : 1.1 में किया गया है। **सारणी क्र.- 1.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें) आरेख क्रमांक : 1.1**



संक्षिप्तीकरण एवं निर्वचन :

AARC अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana Ration Cards) – अंत्योदय अन्न योजना (AAY) भारत सरकार की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। यह एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है जिसे सन 2000 में भारत में लागू किया गया था। AAY राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और भारत में भूख को समाप्त करना है।

PHH RC अर्थात प्रायोरिटी हाउसहोल्ड (Priority Household Ration Cards) – प्राथमिकता घरेलू (PHH) राशन कार्ड – यह कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। प्रत्येक परिवार जिसके पास प्राथमिकता वाला राशन कार्ड है, वह प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है। जनजातीय समूहों से संबंधित ऐसे परिवार जिनके पास आश्रय नहीं है तथा जिन परिवारों में विधवा पेंशन धारक है।

विश्लेषण – सारणी 1.1 एवं आरेख क्र.- 1.1 के अध्ययन एवं विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में के कुल 1466019 राशन कार्ड जारी हैं जिसके अंतर्गत 5523652 सदस्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे हैं वही प्राथमिकता घरेलू (PHH) योजना अंतर्गत 11127213

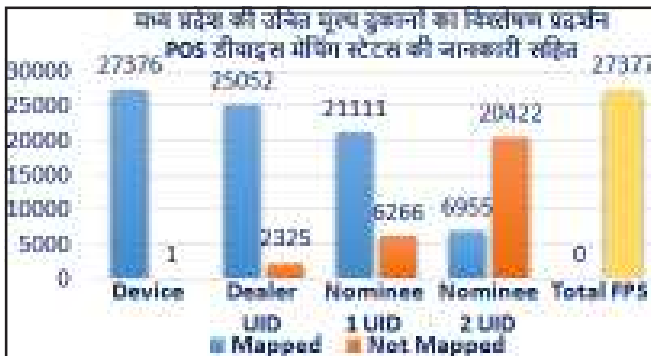
राशन कार्ड जारी है जिसमें 47418287 सदस्य उक्त योजना का लाभ ले रहे हैं इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 12593232 राशन कार्ड के अंतर्गत 52941939 सदस्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे हैं इससे यह सिद्ध होता है की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मध्य प्रदेश में प्रभावी ढंग क्रियान्वित हो रहे हैं और लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है।

मध्य प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य दुकान का विश्लेषण - मध्य प्रदेश राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकान के माध्यम जीवोपयोगी सामग्रियों का वितरण चै डीवाइस द्वारा किया जाता है इसलिए प्रस्तुत शोध कार्य में प्रदेश की शासकीय उचित मूल्य दुकानों एवं PDS डीवाइस मैपिंग का अध्ययन एवं विश्लेषण करना अति आवश्यक है।

अतः सारणी क्रमांक 2.1 एवं आरेख क्रमांक : 2.1 में प्रदेश की शासकीय उचित मूल्य दुकानों का विश्लेषण किया गया है।

सारणी क्रमांक 2.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

आरेख क्रमांक : 2.1



विश्लेषण - सारणी 2.1 एवं आरेख क्र. -2.1 के अध्ययन एवं विश्लेषण से ज्ञात हो रहा है कि मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुगम संचालन हेतु कुल 27377 उचित मूल्य की दुकान स्थापित होकर संचालित है जिसमें प्रत्येक दुकान पर एक POS डीवाइस आवंटित है जिसमें से अधिकतर मैपड (Mapped) भी हो चुकी है राज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु हर क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान पर्याप्त मात्रा में स्थापित है

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - यह योजना पहली बार 14 जनवरी 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू की गई थी, और जून 1947 में वर्तमान स्वरूप में शुरू की गई थी। भारत में राशन की शुरुआत 1940 के बंगाल के अकाल से हुई थी। हरित क्रांति से पहले, 1960 के दशक की शुरुआत में तीव्र भोजन की कमी के मद्देनजर इस राशन प्रणाली को पुनर्जीवित किया गया था। इसमें दो प्रकार, आरपीडीएस और टीपीडीएस शामिल हैं। 1992 में, पीडीएस गरीब परिवारों, विशेष रूप से दूर-दराज, पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करते हुए आरपीडीएस (पुनर्निर्मित पीडीएस) बन गया। 1997 में RPDS TPDS (लक्षित PDS) बन गया जिसने रियायती दरों पर खाद्यान्न के वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना की।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य:

1. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का मुख्य उद्देश्य निर्धन वर्ग के उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तुएं

प्रदान करना है ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभावों से उन्हें बचाया जा सके तथा नागरिकों में न्यूनतम पोषण की स्थिति को भी बनाए रखा जा सके।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से खाद्यान्न की कमी के प्रबंधन की प्रणाली के रूप में विकसित हुई है।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को पारदर्शिता पूर्वक समान रूप से जीवोपयोगी खाद्यान्न का वितरण करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्व को निम्न बिन्दुओं के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है:

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली न केवल खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखती है बल्कि उनके सामाजिक वितरण को भी सुनिश्चित करने में मदद करती है।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं अन्य जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए इसके द्वारा कुपोषण की समस्या से भी निपटा जा रहा है।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदेश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
4. समान रूप से पारदर्शिता पूर्वक खाद्यान्न का वितरण करने में सहायक
5. मूल्य वृद्धि के प्रभावों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बचाने में कारगर।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वयन - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना तथा प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्य सामग्री का त्वरित व सुरक्षित परिवहन एवं नियमित रूप से सामग्री की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वयन व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा प्रदेश को खाद्यान्न एवं राज्य योजना में आयोडीन नमक एवं डबल फोर्टीफाईड नमक का आवंटन, संचालनालय द्वारा खाद्यान्न का जिले वार उचित मूल्य दुकान वार उप आवंटन, खाद्यान्न, आयोडीन नमक एवं डबल फोर्टीफाईड नमक की प्रदेश के साविप्र हेतु प्रदाय केंद्रों पर सतत एवं अग्रिम उपलब्धता सुनिश्चित करना, द्वार प्रदाय योजना के तहत प्रदाय केंद्र से खाद्यान्न, आयोडीन नमक एवं डबल फोर्टीफाईड नमक उचित मूल्य दुकान तक राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी के रूप में पहुंचाने का कार्य शामिल है।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब वर्ग के लोगों के लिए खाद्यान्न वितरण की दरों में गेहूँ, चावल, नमक (आयोडीनयुक्त), नमक (DFS) 1 रुपये प्रति किलो है।

परिकल्पनाओं का सत्यापन - प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाओं का सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

परिकल्पना क्रमांक - H1: मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है।

सत्यापन - प्रस्तुत शोध अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश की 31.65 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन

करती है जिनके लिए इस बढ़ती महंगाई के दौर में अपने परिवार की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना संभव नहीं है ऐसी स्थिति में इस वर्ग लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली वरदान साबित हो रही है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है इसलिए इन लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अतः यह स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है अर्थात् यह परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।

परिकल्पना क्रमांक-H2: प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुनियोजित क्रियान्वयन हो रहा है।

सत्यापन - प्रस्तुत विषय का गहनता से गहन विश्लेषण करने से यह यह ज्ञात हुआ है कि वृहद् स्तर पर किसी भी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुनियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना अति आवश्यक होता है प्रस्तुत समीक्षात्मक अध्ययन में यह ज्ञात हुआ है कि मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता एवं शासन के विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की देख रेख में सुनियोजित एवं योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हो रहा है अतः अध्ययनकर्ता की यह परिकल्पना भी सत्य सिद्ध हुई है।

परिकल्पना क्रमांक -H3: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

सत्यापन - प्रस्तुत विषय के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण से यह यह ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से महज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जीवनोपयोगी खाद्यान्न पारदर्शिता पूर्वक उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अत्यधिक आर्थिक राहत एवं एवं पोषण प्राप्त हो रहा है जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, अतः अध्ययनकर्ता की यह परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई है।

निष्कर्ष - किसी भी सार्थक शोध कार्य की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब उसके सटीक एवं उपयोगी निष्कर्ष निकलकर सामने आए प्रस्तुत विषय का गहराई से विश्लेषण करने पर निम्नानुसार निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं :

1. मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्य पर खाद्यान्न एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुएं जरूरतमंदों को प्रदान की जा रही जिससे प्रदेश में इसकी प्रभावोत्पादकता सिद्ध हो रही है।
2. प्रस्तुत अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कुशलतम संचालन राज्य एवं केंद्र सरकार के साझा प्रयासों से हो रहा है और पात्र परिवार इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
3. अध्ययन से निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि बढ़ती महंगाई के दौर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन वर्ग के लोग इस योजना से सस्ती दरों पर अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं जिससे इनका जीवन में सुधार हो रहा है।

उपसंहार - प्रस्तुत विषय के गहन अध्ययन एवं विश्लेषण के उपरांत यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत में शुरु की गई केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके द्वारा रियायती दरों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को खाद्यान्न का वितरण एवं प्रबंधन किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है अर्थात् महंगाई के के कारण खाद्य वस्तुओं के बढ़ते मूल्य से राहत प्रदान कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार कर रही है इस योजना के अंतर्गत महज 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जीवनोपयोगी खाद्यान्न पारदर्शिता पूर्वक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों उपलब्ध कराया जा रहा है जिसका लाभ मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को प्राप्त हो रहा है।

सुझाव - एक उत्तम शोध अध्ययन द्वारा शोध विषय की कमियां एवं विशेषताओं से सम्बंधित सुझाव निकलकर सामने आना अत्यावश्यक होता है, प्रस्तुत अध्ययन से निम्नानुसार सुझाव निकलकर सामने आये हैं।

1. सरकार द्वारा चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रत्येक पात्र व्यक्ति को पूरा लाभ प्राप्त करना चाहिए।
2. यदि किसी उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा अवैध तरीके से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र परिवार को लाभ से वंचित किया जाता है तो सम्बंधित प्राधिकृत अधिकारी से इसकी शिकायत करना चाहिए।
3. समाज के अन्य जागरूक नागरिकों को चाहिए की वे निर्धन एवं असाक्षर वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें।
4. ऐसे लोग जो पात्र होते हुए भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ से वंचित हो रहे हैं स्थानीय प्रशासन एवं सरकार को इन्हें चिन्हित कर विशेष अभियान एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाकर इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
5. वर्तमान में केवल कुछ चुनिंदा वस्तुएं ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की जा रही हैं सरकार को अन्य घरेलू जीवनोपयोगी सामग्रियों को भी इस योजना में जोड़ना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डेय, प्रशांत कुमार, 2021, 'भारत में वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली' शोध ग्रन्थ, अवधेश प्रताप सिंह विश्व विद्यालय, रीवा मध्य प्रदेश।
2. दैनिक भास्कर, भोपाल, 31 अगस्त 2019, पेज - 09 'प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय तो गरीबी पर गरीबी अब भी देश में 27वें स्थान पर है'।
3. भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, वेबसाइट - www.dfpd.gov.in, दिनांक 12 अप्रैल 2019
4. मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली - विकिपीडिया (wikipedia.org)
5. भारत का राष्ट्रीय पोर्टल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली - आलेख शीर्षक, मुख्य पृष्ठ - खाद्य और सार्वजनिक वितरण - सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
6. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मध्य प्रदेश, शासन
7. मध्य प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा पोर्टल, मध्य प्रदेश।

सारणी क्र.- 1.1: मध्यप्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों के राशन कार्ड का जिला वार विश्लेषण

S.	District	AAY RC	AAY Member	PHH RC	PHH Member	Total RC	Total Member
1	AGAR MALWA	9096	34616	94478	404186	103574	438802
2	ALIRAJPUR	9553	50657	127199	664602	136752	715259
3	ANUPPUR	14917	48974	133662	536705	148579	585679
4	ASHOKNAGAR	20360	70300	119477	496732	139837	567032
5	BALAGHAT	71806	269716	266514	1128171	338320	1397887
6	BARWANI	37701	156241	236997	1089688	274698	1245929
7	BETUL	32426	125986	264902	1138011	297328	1263997
8	BHIND	14063	61945	184878	867609	198941	929554
9	BHOPAL	33137	132979	316689	1345225	349826	1478204
10	BURHANPUR	9985	31552	134365	614068	144350	645620
11	CHHATARPUR	34451	148740	254895	1159048	289346	1307788
12	CHHINDWARA	46089	186635	342060	1441487	388149	1628122
13	DAMOH	29870	97123	254311	971116	284181	1068239
14	DATIA	5480	20741	111971	497507	117451	518248
15	DEWAS	22972	96686	222238	992470	245210	1089156
16	DHAR	41972	167846	333497	1426489	375469	1594335
17	DINDORI	22813	71975	168229	605457	191042	677432
18	GUNA	34054	129644	182425	807299	216479	936943
19	GWALIOR	22364	83819	241463	1016406	263827	1100225
20	HARDA	6505	26281	78798	340905	85303	367186
21	HOSHANGABAD	16857	64038	175108	721594	191965	785632
22	INDORE	22766	94379	350788	1543066	373554	1637445
23	JABALPUR	45536	156653	347809	1299292	393345	1455945
24	JHABUA	26205	125136	205214	982099	231419	1107235
25	KATNI	9728	32922	216175	863827	225903	896749
26	KHANDWA	30034	117627	209602	885190	239636	1002817
27	KHARGONE	38404	160877	295630	1346384	334034	1507261
28	MANDLA	60182	208048	188911	721183	249093	929231
29	MANDSAUR	16696	58851	219937	914542	236633	973393
30	MORENA	12054	49183	262868	1227665	274922	1276848
31	NARSINGHPUR	22416	79653	185572	720059	207988	799712
32	NEEMUCH	10463	34950	134079	542852	144542	577802
33	NIWARI	8684	33169	70421	309471	79105	342640
34	PANNA	24694	95137	170366	732665	195060	827802
35	RAISEN	27060	104092	218584	890510	245644	994602
36	RAJGARH	28078	113397	254355	1125418	282433	1238815
37	RATLAM	18542	68319	220886	914122	239428	982441
38	REWA	65992	260932	332400	1485459	398392	1746391
39	SAGAR	45620	169040	428285	1715974	473905	1885014
40	SATNA	64213	227169	342094	1438510	406307	1665679
41	SEHORE	17745	77669	191232	895290	208977	972959
42	SEONI	37821	135063	233921	934841	271742	1069904
43	SHAHDOL	41996	132228	177607	697117	219603	829345
44	SHAJAPUR	12307	50364	126436	575386	138743	625750
45	SHEOPUR	31409	108696	86072	333179	117481	441875
46	SHIVPURI	51575	169853	217753	909279	269328	1079132
47	SIDHI	34060	120146	208234	893095	242294	1013241
48	SINGROULI	26812	95345	224573	975788	251385	1071133
49	TIKAMGARH	23594	89014	188481	782972	212075	871986
50	UJJAIN	22768	86547	252151	1094836	274919	1181383
51	UMARIA	30563	102713	107465	436454	138028	539167
52	VIDISHA	21531	89986	215156	966987	236687	1056973
Total		1466019	5523652	11127213	47418287	12593232	52941939

स्रोत - मध्य प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा पोर्टल के अनुसार

सारणी क्रमांक - 2.1 : मध्य प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों का विश्लेषण

Sr. No.	District	Total	Device		Dealer UID		Nominee 1 UID		Nominee 2 UID	
			Mapped	Not Mapped	Mapped	Not Mapped	Mapped	Not Mapped	Mapped	Not Mapped
1	Agar	273	273	0	287	8	241	32	19	254
2	Alirajpur	298	298	0	268	30	219	79	61	237
3	Anuppur	308	308	0	274	32	242	64	70	238
4	Ashoknagar	278	278	0	239	39	168	112	28	250
5	Balaghat	757	757	0	622	135	487	270	209	548
6	Barwani	491	491	0	482	9	413	78	128	362
7	Betul	660	660	0	551	109	412	248	138	522
8	Bhind	534	534	0	459	75	320	214	122	412
9	Bhopal	494	494	0	471	23	408	86	145	349
10	Burhanpur	239	239	0	235	4	233	6	100	139
11	Chhatarpur	657	657	0	625	32	463	194	97	560
12	Chhindwara	880	880	0	814	66	754	126	302	578
13	Damoh	550	550	0	511	39	461	89	171	379
14	Datia	318	318	0	277	41	200	118	80	238
15	Dewas	591	591	0	574	17	493	98	184	397
16	Dhar	839	839	0	739	100	767	72	381	448
17	Dindori	383	383	0	322	61	310	73	147	236
18	Guna	454	454	0	416	38	355	99	136	318
19	Gwalior	550	550	0	527	23	352	198	40	510
20	Harda	266	266	0	252	14	230	38	106	160
21	Indore	624	624	0	570	54	547	77	177	447
22	Jabalpur	985	985	0	930	55	887	98	235	750
23	Jhabua	395	395	0	360	35	325	70	138	257
24	Katni	478	478	0	378	102	369	109	142	336
25	Khandwa	485	485	0	463	22	413	72	182	303
26	Khangone	645	645	0	586	59	589	56	160	485
27	Mandla	532	531	1	499	33	489	43	197	335
28	Mandsaur	521	521	0	472	49	337	184	127	394
29	Morena	620	620	0	587	33	464	156	129	491
30	Narmadapuram	480	480	0	456	24	361	119	105	375
31	Narsinghpur	478	478	0	452	26	298	180	82	396
32	Neemuch	308	308	0	302	6	225	83	22	286
33	Niwari	158	158	0	144	14	142	18	30	128
34	Panna	428	428	0	371	57	204	224	130	298
35	Raisen	564	564	0	532	32	430	134	139	425
36	Rajgarh	667	667	0	618	49	443	224	208	459
37	Ratlam	521	521	0	517	4	437	84	96	425
38	Rewa	920	920	0	716	204	535	385	241	679
39	Sagar	986	986	0	899	87	897	89	184	802
40	Safna	822	822	0	693	129	635	187	167	655
41	Sehore	565	565	0	475	90	318	247	138	427
42	Seoni	702	702	0	700	2	607	95	334	368
43	Shahdol	448	448	0	386	62	426	22	85	363
44	Shajapur	374	374	0	351	23	266	108	27	347
45	Sheopur	262	262	0	262	0	189	73	45	217
46	Shivpuri	687	687	0	679	8	362	325	58	629
47	Sidhi	448	448	0	423	25	326	122	58	380
48	Singrauli	382	382	0	359	23	361	21	92	290
49	Tikamgarh	375	375	0	337	38	330	45	82	293
50	Ujjain	792	792	0	755	37	731	61	253	539
51	Umaria	261	261	0	251	10	242	19	119	142
52	Vidisha	646	646	0	606	40	400	246	88	558
Total		27377	27376	1	25052	2325	21111	6266	6955	20422

स्रोत - खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग मध्य प्रदेश, शासन के अनुसार

हानिकारक बांध और परियोजनाओं में कैद गंगा

डॉ. मुकेश मारु*

* संचालक, एम.टी.एम. कान्वेन्ट सेकेण्डरी स्कूल, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – माँ गंगा इस भारत भूमि का नाद, सनातन की आत्मा, और मनुष्य के जीवन का वो सेतु जो मोक्ष के विश्वास का प्रतिक है। जन्मो-जन्मो से इस भारत भूमि की आत्मा को सीचने के महान दायित्व के साथ धरा पर उतरी माँ गंगा को कोटि कोटि नमन है। वैसे देखा जाय तो गंगा एक नदी है किन्तु यदि हम भारत की संस्कृति और सनातन के मूल में जायेगे तो पायेगे जिस तरह एक शरीर की जीवन्तता का प्रतिक उसमें प्रवाहित श्वास है ठीक उसी प्रकार सनातन की संस्कृति की श्वास है 'गंगा' जो सिर्फ एक नदी नहीं अपितु युगों युगों से बहती एक मोक्ष धारा है। एक निनाद है जो हमें ईश्वर की विराट सत्ता का अहसास कराता है जिसे छुते ही एक पवित्रता का एक अद्भुत आनंद का जो हमारी आत्मा की गहराइयों तक हमें हमारी जीवन सार्थकता का अहसास कराता है।

अपने असाधारण आध्यात्मिक प्रवाह के कारण गंगा भारतीय सनातन संस्कृति के प्रवाह की प्रतीक है। आज भारत के वर्तमान स्वरूप और सनातन के विशाल वटवृक्ष की व्याख्या बगैर गंगा के संभव ही नहीं है। गंगा स्रष्टि के पालनहार भगवान् विष्णु के चरणों से निकलकर भगवान् शिव के मस्तक को छुते हुवे धरा पर आई अतः ये विष्णु के उपासकों के साथ साथ शिव के साथको के लिए भी मोया है। या यु कहे की हर सनातनी के लिए ईश्वर के बाद गंगा ही है जिसका अमृत पान जीवन की अंतिम इच्छा होती है।

सम्पूर्ण विश्व की और कोई नदी नहीं जिसे एक जलधारा के स्वरूप में नहीं अपितु एक पारलौकिक सत्ता के रूप में देखा जाता है इस विश्वास के साथ की गंगा हमारे सारे पापों का नाश कर हमें मोक्ष प्रदान करेगी। और ये यकी हो भी क्यों न जब भगवान् स्वयं गीता है कहते हैं की

‘रञ्जितसामअस्मि जाह्नवी’

अर्थात् नदियों में मैं ही जाह्नवी (गंगा) हु।

परन्तु आज हमारी द्रष्टि बदल गई है। माँ गंगा अब हमारे लिए एक नदी होती जा रही है, जिसके जल से हम सिर्फ हमारे आर्थिक लाभ को ही तलाशते रहते हैं। चाहे वो खेती के लिए सिर्फ जल हो, बिजली के लिए बाँध हो, हमारी फेक्तियों के गंदे रसायन को बहा ले जाने वाला एक माध्यम हो या हमारे शहर के गन्दे नालों को बहाने का एक जरिया, हमने गंगा को आज सिर्फ गन्दा और प्राणहीन करने की जैसे कसम ही खा रखी है। कई बार ऐसा लगता है की हम गंगा को समाप्त करके ही मानेगे। आज जिस गंगा के तट पर स्नान, आरती, ध्यान और सत्संग होने चाहिए वहा हम गंगा को डे रहे हैं मलमूत्र, कफ, थुक, दन्त धावन, और वो समस्त गंदगी जो गंगा की आत्मा को लगातार कष्ट दे रहा है। करोड़ों लोगों की आस्था का महान केंद्र जो इस भारत भूमि का सोभाग्य है, आज निहित स्वार्थ, नासमझी और अदुरदर्शिता

के कारण खतरे में पड़ गया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियाँ माँ गंगा के दर्शन और यहाँ तक की स्पर्श से भी वंचित रह जाएगी। यदि हम सर्वप्रथम माँ गंगा को बाधित करने का अध्ययन करेंगे तो पायेगे सर्वप्रथम वो बड़ी बाँध परियोजनाएँ जिसने गंगा की धारा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है।

1. मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना फेज 1 (9. मेगावाट) – इस परियोजना के कारण जलाशय में भागीरथी को रोककर सुरंग द्वारा पावर हाउस तक पहुँचाया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप भागीरथी लगभग 13 किलोमीटर तक सुख गई है।

2. मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना फेज 2 (3.4 मेगावाट) – मनेरी भाली द्वितीय चरण की परियोजना के अंतर्गत जोशियाड़ा झील में भागीरथी का प्रवाह पूरी तरह से रुक जाता है। यहाँ से भागीरथी 16 किलोमीटर सुरंग के माध्यम से बहकर धरासू में जाकर मिलती है। इस प्रकार भागीरथी की धारा यहाँ लगभग 30 किलोमीटर तक सुख गई है। अध्ययन करने पर हम पायेगे की मनेरी से धरासू तक लगभग 46 किलोमीटर के अपने मूल प्रवाह से अलग होकर लगभग 29 किलोमीटर सुरंग में बह रही है।

3. टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना फेज 1 (1000 मेगावाट) – भागीरथी और भिलागना के संगम पर स्थित यह विश्व का पाचवां सबसे बड़ा एवं भारत का सबसे उचा तथा विशालकाय बांध है। इस बांध से लगभग 42 किलोमीटर झील बनी है।

पर्यावरणविदों का ऐसा मानना है की जिस दिन भी किसी प्राकृतिक कारणों से ये बांध टूटता है तो ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर सहित कई शहर इसमें जलमग्न हो जायेगे। वर्तमान में टिहरी से और भी कई परियोजनाएँ संचालित हो रही हैं जो निम्नानुसार हैं।

4. कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (400 मेगावाट)

5. टिहरी पम्प स्टोरेज परियोजना – वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। 'भारत सरकार' ने यहाँ अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है।

टिहरी बाँध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75 प्रतिशत व राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत धन व्यय किया है।

यह परियोजना हिमालय के केंद्रीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आस-पास 6.8 से 8.5 तीव्रता के भूकंप आने का अनुमान लगाया गया है। इस कारण इस बाँध का भारी विरोध भी हो रहा है।

6. लोहारीनाग पाला जलविद्युत परियोजना – राष्ट्रीय ताप विद्युत

निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड द्वारा 600 मेगावाट (150 मेगावाट .4 यूनिट) की उत्पादन क्षमता रखने की योजना बनाई गई एक रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत उत्पादन परियोजना है। यह परियोजना भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में एनएच 34 के बगल में, सोनगढ़ नदी के संगम के नीचे, लोहारीनाग पाला में गंगा नदी की मुख्य धारा, भागीरथी नदी पर स्थित है। यह टेहरी बांध से लगभग 100 किलोमीटर (62 मील) ऊपर है।

आगामी 20-25 वर्षों में जब ये सभी परियोजनाएँ पूर्ण हो जाएंगी तब 27. किलोमीटर की दूरी में भागीरथी गंगा सिर्फ 35 किलोमीटर ही दिखाई देगी बाकि की 16. किलोमीटर सुरंगों में और लगभग 75 किलोमीटर

जलाशयों में समाप्त जाएगी।

गंगा हमारी सदियों से प्रवाहित अमृत धारा है, जिसे आज हमने हमारी विकास की अतृप्त इच्छा को भेट कर दिया है। यदि हम गंगा को साफ नहीं रख सकते तो उन्हें हमें बाँधने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम जगह जगह जो उनके शरीर पर तीर चला उन्हें घायल कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा की हम सबको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गंगा हमारी राष्ट्रीय धरोहर, प्रकाशक, साहित्य एवं द्रुक श्राव्य सेवा न्यास, नई दिल्ली।

मनरेगा योजना का ग्रामीण विकास एवं रोजगार के संदर्भ में मूल्यांकन

मनोज कुमार* डॉ. गौतमवीर**

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज, बुलन्दशहर (उ.प्र.) भारत

** एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज, बुलन्दशहर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण लोगों की जीविका में सुधार एक निरंतर चलने वाली एक सतत् प्रक्रिया है। भारत में ग्रामीण विकास की आधुनिक अवधारणा का जन्म 20वीं सदी में हुआ, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इससे पूर्व ग्रामीण व्यवस्था व विकास की अवधारणा भारत में अस्तित्वहीन थी। अपितु भारत में ग्रामीण सभ्यता वैदिक काल से ही विद्यमान हैं, जिनमें पंचायतों के रूप में ग्रामीण सरकारें कार्य करती थी। वैदिक ग्रन्थों, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इण्डिका और ऐसे ही अन्य यात्रा वृत्तन्तों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीनकाल से ही भारत में स्थानीय स्वशासन की उन्नत व्यवस्था थी, जो तृणमूल स्तर पर मुखोन्मुख एवं सहभागी लोकतंत्र का अनोखा उदाहरण थी।

स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के साथ-साथ ग्रामीण विकास एवं रोजगार हेतु अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए गए। ये योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पूरक रोजगार प्रदान करने और मजबूत सार्वजनिक पूंजी निर्माण के उद्देश्य से चलाई गई। परन्तु इनमें से कोई भी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम दिनों के निश्चित रोजगार की कोई गारंटी नहीं प्रदान करते और न ही ग्रामीण परिवारों की क्रयशक्ति में कोई उल्लेखनीय वृद्धि करते। अतः यह आवश्यकता थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवारों को न्यूनतम दिनों के निश्चित रोजगार की गारंटी दी जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 अस्तित्व में आया। इस कानून का निर्माण सितम्बर 2005 में किया गया तथा 02 फरवरी, 2006 को इसे पहली बार लागू किया गया।

नरेगा का उद्देश्य महात्मा गाँधी के विचारों एवं उनके सपनों के काफी करीब है। वे गाँवों को विकास की इकाई मानते थे। इन्हीं कारणों से 02 अक्टूबर, 2009 को बापू की 140वीं सालगिरह पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) का नाम परिवर्तित कर 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA)' कर दिया गया।

मनरेगा ग्रामीण गरीब जनता के लिए एक क्रान्तिकारी कदम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही यह मांग उठ रही थी कि काम के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया जाय। यह सभी सरकारों के लिए सोचनीय बात है कि उनके अधिकतम प्रयासों के बावजूद गरीबी एवं बेरोजगारी कभी नियंत्रण में नहीं आयी। यह ध्यान योग्य बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायित होते रहे हैं। मनरेगा का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन निर्वाह स्तर में

वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण है। इसके पीछे यह उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों को नवजीवन प्रदान करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्फूर्ति प्रदान करना तथा स्थानीय लोगों को शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकना।

मनरेगा कार्यक्रम जहाँ एक तरफ इच्छुक परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, वहीं दूसरी तरफ इसके क्रियान्वयन के द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढाँचों के निर्माण एवं विकास का कार्य भी सुनिश्चित किया जाता। इसके अन्तर्गत जल संरक्षण और जल संचयन, सूखा रोधी कार्य (वनरोपण एवं वनीकरण), सिंचाई नहरों का विकास, पारम्परिक जल निकायों तथा तालाबों, कुओं आदि का नवीनीकरण एवं निर्माण, भूमि विकास, टिकाऊ अस्तियों का सृजन आदि ग्रामीण ढाँचागत विकास के कार्यों को सम्पन्न किया जाता है। इस प्रकार मनरेगा ग्रामीण भारत के समावेशी विकास को दो प्रकार से प्रभावित करता है- प्रथम रोजगार सृजन कर मनरेगा ग्रामीण परिवारों की क्रयशक्ति में वृद्धि करने एवं जीवन निर्वाह स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हो सकता है। द्वितीय गाँवों में बुनियादी ढाँचे के निर्माण एवं विकास के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है।

साहित्य समीक्षा

Kannapioram (1992), द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मुलन योजना का ग्रामीण निर्धनता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार ग्रामीण गरीबी उन्मुलन योजना में सतत रोजगार के कारण ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार आया।

Jaswal Anshuman (2003), द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में किये जाने वाले दैनिक भुगतान के बारे में लाभार्थियों की जानकारी का अध्ययन किया। यह अध्ययन दिशा, अहमदाबाद में किया गया था। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि लाभार्थियों के जॉब कार्ड प्रायः सरपंच द्वारा अपने पास रख लिये जाते हैं जिससे लाभार्थियों को कार्य के बदले मिलने वाले भुगतान की जानकारी नहीं होती है एवं समान कार्य के लिए अलग-अलग गाँवों में भुगतान भिन्न-भिन्न दर से किया जाता है।

Dreze (2006), द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में एक अध्ययन किया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि राजस्थान में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में चलाये जा रहे कार्यों में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अनुकूल सुविधाएँ मौजूद नहीं हैं तथा कार्यस्थल पर उचित मेडिकल एवं कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए कोई सुविधाएँ नहीं हैं।

अधिकांश स्थानों पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत महिलाओं को अपने बच्चों को धूप में ही रखना पड़ता है या फिर उन्हें घर पर ही छोड़कर आना पड़ता है। जिससे उनकी पारिवारिक समस्याओं में वृद्धि होती है।

CAG (2007), ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पर किये अध्ययन में यह पाया कि मनरेगा के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की अत्यंत कमी है तथा इस कमी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए जिससे मनरेगा का सही क्रियान्वयन हो सके। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पंजीकृत परिवारों में से केवल 3.2 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बेरोजगारी भत्ता देने में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण है।

Anand (2008), ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर किये अध्ययन में पाया कि योजना के क्रियान्वयन में कई त्रुटियाँ थी जिनमें मुख्य रूप से कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिये कार्यस्थल पर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध न होना मुख्य था।

Garg (2008), ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने से उन्हें पारिवारिक समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ा किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति में सार्थक बदलाव हुआ।

Prasad, M.R. (2008), ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की गाँवों से पलायन करने की प्रवृत्ति पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा सार्थक स्तर पर पलायन को रोकने में मदद मिली है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ लाभार्थियों की आय पर सार्थक रूप से दृष्टिगोचर हुआ। नकारात्मक पहलू के रूप में यह तथ्य भी सामने आया कि कई जॉब कार्डधारियों को 15 दिनों तक कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ और न ही उन्हें कोई बेरोजगारी भत्ता ही प्राप्त हुआ।

Versha Joshi and Singh (2008), ने राजस्थान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात् पलायन की प्रवृत्ति में कुछ कमी जरूर आयी किन्तु इसे पूरी तरह रोक नहीं जा सका। अध्ययन से यह तथ्य भी सामने आया कि मनरेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् हितार्थियों की आय में बढ़ोतरी हुई तथा ग्रामीण द्वारा साहूकारों से लिये जा रहे कर्ज में भी कमी आयी है।

Ambasta (2008), ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध सरकारी कर्मचारियों के संबंध में एक अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में कर्मचारियों की कमी एक प्रमुख समस्या है तथा मनरेगा के सशक्त क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर, तालुका स्तर एवं गाँव स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

शोध उद्देश्य - किसी भी शोध कार्य में सफलता का सार्थक परिणाम प्राप्त

करने हेतु उस शोध का पूर्ण तथा निर्धारित लक्ष्य होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके आधार पर शोध कार्यों को एक व्यापक गति प्रदान की जाती है। प्रस्तुत अध्ययन बागपत जिले में मनरेगा योजना के द्वारा ग्रामीण रोजगार अभिवृद्धि के विश्लेषण पर आधारित है। जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. ग्रामीण रोजगार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं का विश्लेषण करना।
2. मनरेगा के संवैधानिक प्रावधान का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में मनरेगा की भूमिका का आंकलन करना।
4. बागपत जिले में मनरेगा द्वारा किये गये कार्यों का अध्ययन करना।
5. मनरेगा योजना की समस्याओं का पता लगाना।
6. मनरेगा योजना के सफल संचालन हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि

1. प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनगत इकाई के रूप में बागपत जिले में मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों, लाभार्थियों, मनरेगा योजनाओं से संबंधित अन्य ग्रामीण प्रतिनिधियों को इकाई के रूप में लिया गया है। उत्तरदाताओं की प्रकृति-प्रस्तुत अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण मजदूरों तथा मनरेगा योजना संचालनकर्ता का चुनाव बहुस्तरीय निर्देशन के द्वारा किया गया है। जिसके अंतर्गत जिले की तीन तहसील से एक-एक विकासखण्ड का चयन किया गया। विकासखण्डों में से 200 व्यक्तियों का चुनाव देव निर्देशन के द्वारा किया गया। तथ्य संकलन की पद्धति, प्रविधि एवं उपकरण-प्रस्तुत शोध कार्य हेतु तथ्यों का संकलन प्राथमिक समकों व द्वितीय समको द्वारा किया गया। उत्तरदाताओं की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक समकों का संकलन करने हेतु साक्षात्कार, अनुसूची तथा प्रश्नावली का प्रयोग किया गया साथ ही साथ शोध कार्य के दौरान अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों से समुहवार्ता व अवलोकन पद्धति के द्वारा प्राथमिक समकों का संकलन किया गया। साथ ही द्वितीय समको के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र में गरीबी उन्मुलन तथा मनरेगा से संबंधित विभिन्न शासकीय प्रपत्र व दस्तावेज, विभिन्न शोध पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित तथ्य शामिल है।

शोध अध्ययन क्षेत्र - हमारा भारतवर्ष अपनी विविधताओं के गौरवशाली इतिहास को समेटे हुये है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बागपत उत्तर प्रदेश के विभिन्न पौराणिक जनपदों में से एक प्रमुख जनपद है, क्योंकि जनपद बागपत का अतीत अत्यन्त गौरवशाली एवं महिमामंडित रहा है। बागपत भारत के उत्तर प्रदेश प्रान्त का एक जनपद है जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। साथ ही दिल्ली के पास होने के कारण भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत दर्ज प्रमुख भाग भी है। बागपत उत्तर प्रदेश के मेरठ मण्डल एक जनपद है जिसका निर्माण बसपा सरकार द्वारा 1997 ई0 में हुआ था। इससे पूर्व में यह मेरठ जनपद का भाग था। जनपद बागपत मुख्यालय बागपत नगर में स्थित है। यह नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगभग 40 कि०मी० तथा मेरठ नगर से लगभग 52 कि०मी० दूरी पर स्थित है। बागपत दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (709 बी) के मध्य स्थित है, इसके पूर्व में जिला मेरठ, पश्चिम में करनाल व सोनीपत (हरियाणा), उत्तर में मुजफ्फरनगर तथा दक्षिण में गाजियाबाद व दिल्ली स्थित है। जनपद बागपत न केवल अपने भूमि उपजाऊपन के कारण प्रसिद्ध अपितु भारतीय राजनीति परिप्रेक्ष्य

में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि किसान मसीहा व भारतवर्ष के स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौ० चरण सिंह जी की राजनैतिक कर्मस्थली रहा है। इन्होंने न केवल कृषि क्षेत्र अपितु औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी मान्यताएं थी कि देश के विकास के नींव ग्रामीण विकास के परिवेश पर खड़ी है। उनके शब्दों में- 'देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है।'

उत्तरदाताओं का चयन – प्रतिदर्श में शामिल मनरेगा लाभार्थियों में से अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है। क्योंकि जनपद बागपत कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है जबकि अन्य जातियों जिसमें अनुसूचित जाति, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित लोग शामिल हैं जिनकी संख्या सबसे अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनरेगा के अन्तर्गत सभी वर्गों यथा महिला, पुरुष तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य जातियों की भागीदारी है। मनरेगा लाभार्थियों में से अधिकांश लाभार्थी शिक्षित हैं, परन्तु उनमें से ज्यादातर लोगों ने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की है।

तालिका द्वारा प्रदर्शित आंकड़े – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 से पूर्व भी भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिये व ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं व कार्यक्रमों का संचालन किया जाता रहा है। क्या मनरेगा सरकार द्वारा संचालित अन्य रोजगारपरक योजनाओं से अधिक प्रभावी है। इसी उद्देश्य की जांच करने के लिये साक्षात्कार अनुसूची में प्रथम प्रश्न को शामिल किया गया। प्रथम प्रश्न के रूप में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या आपको मनरेगा के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित रोजगारपरक योजनाओं के विषय में जानकारी है? इस प्रश्न के उत्तर में 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हां' में जबाब दिया तथा 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'नहीं' में जबाब दिया। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में मिली प्रतिक्रिया तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या-1 : मनरेगा के अतिरिक्त अन्य रोजगारपरक योजनाओं के बारे में जानकारी की स्थिति का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	68	34
2	नहीं	132	66
	योग	200	100.00

इस प्रकार केवल 34 प्रतिशत लोग ही मनरेगा से अतिरिक्त अन्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखते हैं। परन्तु शोधकर्ता द्वारा जब उनसे पूरक प्रश्न के रूप में पूछा गया कि वे कौन-कौन सी रोजगारपरक योजनाएं हैं तो 'हाँ' में जबाब देने वाले उत्तरदाताओं ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, मजदूर लोन योजना, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना आदि के नाम बताये। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण लोगों को मनरेगा के अतिरिक्त अन्य रोजगारपरक योजनाओं के बारे में जानकारी का नितान्त अभाव है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 सरकार द्वारा संचालित अन्य रोजगारपरक योजनाओं से अधिक प्रभावी है। इसी उद्देश्य की जांच हेतु इसी से सम्बन्धित द्वितीय प्रश्न को भी साक्षात्कार अनुसूची में सम्मिलित किया गया। द्वितीय प्रश्न के रूप में उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार द्वारा संचालित अन्य रोजगारपरक

योजनाओं से आपकी आय में वृद्धि हुई? इस प्रश्न के उत्तर में 06 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' में जबाब दिया, 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'नहीं' में जबाब दिया तथा 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'पता नहीं' में जबाब दिया। इस प्रश्न में मिली प्रतिक्रिया को तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या-2: अन्य रोजगारपरक योजनाओं का आय वृद्धि पर प्रभाव का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	12	06
2	नहीं	84	42
3	पता नहीं	104	52
	योग	200	100.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा संचालित जितने भी रोजगारपरक कार्यक्रम या योजनाएं हैं उन सभी में मनरेगा अधिक सफल होती प्रतीत दिखाई दे रही है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को आवश्यक माना गया है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते मनरेगा कार्यक्रमों में महिलाओं की एक तिहाई सहभागिता को अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। ताकि महिलाएं भी आर्थिक क्षेत्र में स्वयं सबलता प्राप्त सकें।

इसी प्रावधान की व्यवहारिकता की जांच करने उद्देश्य से साक्षात्कार अनुसूची में तीसरे प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को शामिल किया गया। तीसरे प्रश्न के रूप में उत्तरदाताओं से शोधार्थी द्वारा पूछा गया कि क्या आपको मनरेगा कार्यक्रमों महिलाओं की एक तिहाई सहभागिता की अनिवार्यता की जानकारी है? इस प्रश्न के उत्तर में 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं 'हाँ' में जबाब दिया व 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'अनभिज्ञता' अर्थात् 'नहीं' में जबाब दिया। इस प्रश्न के लिये मिली प्रतिक्रिया को तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या-3: मनरेगा में महिलाओं की एक तिहाई सहभागिता के बारे में जानकारी का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	92	46
2	नहीं	108	54
	योग	200	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मनरेगा कार्यों में महिलाओं की एक तिहाई अनिवार्य सहभागिता का अधिकांशतः ग्रामीण पुरुष व महिलाएं ज्ञान रखते हैं

ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व सामाजिक सबलता में मनरेगा की प्रभावी भूमिका रही है। इस उद्देश्य की जांच करने हेतु इस विषय से सम्बन्धित चतुर्थ प्रश्न को साक्षात्कार अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। चतुर्थ प्रश्न के रूप में उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछा गया कि क्या मनरेगा से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है? इस प्रश्न के उत्तर में 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' में जबाब दिया व 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'नहीं' जबाब दिया तथा 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं 'पता नहीं' में जबाब दिया। इस प्रश्न में मिली प्रतिक्रिया को तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या-4: मनरेगा से महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधार

का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	124	62
2	नहीं	28	14
3	पता नहीं	48	24
	योग	200	100.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना ने न केवल महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया है अपितु उन्हें पारिवारिक व सामाजिक क्षेत्र में भी सफलता प्रदान की है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 का एक मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या को दूर कर निश्चित दिनों का श्रम रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ क्रयशक्ति में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार लाना है। साक्षात्कार प्रश्नावली में पांचवे प्रश्न मनरेगा अधिनियम के इसी उद्देश्य की जांच के लिए शामिल किया गया है।

पांचवे प्रश्न के रूप में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या मनरेगा कार्यक्रम से आपके जीवन स्तर में सुधार आया है? इस प्रश्न के उत्तर में 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' में जबाब दिया और उन्होंने स्वीकार किया मनरेगा के कारण उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इसी प्रकार केवल 08 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'नहीं' तथा 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'पता नहीं' कहा इसके लिए उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया को तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या-5: मनरेगा का जीवन स्तर पर प्रभाव- 1 का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	156	78
2	नहीं	16	08
3	पता नहीं	28	14
	योग	200	100.00

इस प्रश्न के लिए प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि ज्यादातर मनरेगा लाभार्थियों ने मनरेगा कार्यक्रम से जीवन स्तर में सुधार की बात स्वीकार की।

मनरेगा अधिनियम एक बहुदेशीय कार्यक्रम है इसके तहत कराये जाने वाले कार्यों एवं शामिल प्रावधानों से लोगों में कई प्रकार के सकारात्मक बदलावों का लक्ष्य रखा गया है। अतः यह जानना आवश्यक है कि क्या मनरेगा कार्यक्रम की वजह से इस प्रकार बदलाव हो रहा है। इसी बात की जांच के उद्देश्यों से साक्षात्कार प्रश्नावली में छठे प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को शामिल किया गया है।

छठे प्रश्न के रूप में अध्येता ने उत्तरदाताओं से पूछा कि मनरेगा कार्यक्रम से आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आया है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तरदाताओं को पांच विकल्प प्रदान किये गये, यथा- आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक एवं अन्य। इस प्रश्न के लिए उत्तरदाताओं से मिली प्रतिक्रिया को तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या-6 : मनरेगा का जीवन स्तर पर प्रभाव-2 का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	आर्थिक	48	24
2	सामाजिक	37	18.5
3	राजनीतिक	33	16.5

4	पारिवारिक	38	19
5	अन्य	44	22
	योग	200	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मनरेगा के कारण आर्थिक बदलाव को सर्वाधिक लोगों ने स्वीकार किया है। इसी प्रकार सामाजिक, राजनीतिक एवं पारिवारिक बदलावों को भी लोगों ने स्वीकार किया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 के अन्तर्गत लोगों को रोजगार प्रदान कराये जाने के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर लाभ प्राप्तकर्ता को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मजदूरी भुगतान को मुख्यतः पारदर्शी बनाने एवं अनियमितता से बचाव हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर सुधार किये गये। जिसके अन्तर्गत बैंक/डाकघरों के माध्यम से मजदूरी भुगतान की व्यवस्था की गई और इसके लिए मनरेगा लाभार्थियों के शून्य बैलेंस पर खाते खोलने का प्रावधान किया गया।

मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान के इस प्रावधान की व्यवहारिकता की जांच करने के उद्देश्य से साक्षात्कार प्रश्नावली में सातवें प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को शामिल किया गया। सातवें प्रश्न के रूप में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि- आप मनरेगा की मजदूरी का भुगतान कैसे प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये उत्तरदाताओं को चार विकल्प प्रदान किये गये यथा बैंक के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, सीधे हाथों-हाथ तथा अन्य इसके लिए उत्तरदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया को तालिका द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या-7: मनरेगा की मजदूरी के भुगतान का माध्यम

क्र.	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	बैंक के माध्यम से	178	89
2	पोस्ट ऑफिस के माध्यम से	14	07
3	सीधे हाथों-हाथ से	00	00
4	अन्य	01	04
	योग	200	100.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांशतः मनरेगा लाभार्थी अपनी मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय समावेशन में भी मनरेगा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सातवें प्रश्न के पूरक प्रश्न के रूप में साक्षात्कार प्रश्नावली में आठवें प्रश्न को शामिल किया गया। और यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या मनरेगा से पूर्व इन लोगों का खाता बैंक या डाकघर में था या 'नहीं'। अतः आठवें प्रश्न के रूप में उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या मनरेगा में कार्य करने से पूर्व बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता था?

इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में केवल 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'हाँ' में जबाब दिया 89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 'नहीं' में जबाब दिया इस प्रश्न के लिए उत्तरदाताओं से मिली प्रतिक्रियाओं को तालिका में दिखाया गया है।

तालिका संख्या-8: मनरेगा में कार्य करने से पूर्व लाभार्थियों के बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते की स्थिति का विवरण

क्र.	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	22	11
2	नहीं	178	89
	योग	200	100.00

आठवें प्रश्न के लिए प्राप्त प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता के पास मनरेगा से पूर्व बैंक या डाकघर में कोई खाता नहीं था। अतः मनरेगा ने इनके वित्तीय समावेशन में सकारात्मक भूमिका निभाई और बचत को प्रोत्साहित किया।

निष्कर्ष एवं सुझाव:

1. महात्मा गाँधी नरेगा में सिद्धान्त: कोई खामी नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो ग्रामीण विकास व ग्रामीण रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करना का उद्देश्य रखता है। अपितु इसका जिस तरह से क्रियान्वयन किया जा रहा है इस क्रियान्वयन प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं। अतः इस योजना के क्रियान्वयन प्रक्रिया की खामियों को दूर करने पर जोर दिया जाना चाहिए। ताकि यह अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके।
2. मनरेगा को लेकर यह आरोप लगाए जाते हैं कि इस योजना से कृषि मजदूरों की कमी हो गयी है जिससे खेती के सीजन में कृषि कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः मनरेगा में रोजगार दिवसों के सृजन के समय इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब खेती में कृषि मजदूरों की आवश्यकता हो उस समय मनरेगा से सम्बन्धित कार्यों को बन्द रखा जाय, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न होने पाये।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मनरेगा से सम्बन्धित जितने भी ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्य सम्पन्न होंगे उसमें देश में प्रचलित ठेकेदारी प्रथा व मशीनों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है लेकिन अवलोकन द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि मनरेगा कार्यों में ठेकेदारों व मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। जिस पर कठोरता से प्रतिबन्ध लगाया जाना आवश्यक है।
4. देश में निरन्तर बढ़ती महंगाई के सापेक्ष मनरेगा लाभार्थियों के प्रति दिवस की मजदूरी अत्यन्त अल्प है, जिसके कारण मनरेगा लाभार्थी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी बढ़ी मुश्किल से पूर्ण कर पा रहे हैं। अतः प्रति दिवस मजदूरी को महंगाई के साथ बढ़ाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही मनरेगा लाभार्थी सम्मानपूर्ण जीवनयापन कर सके इसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि मनरेगा के केन्द्रीय बजट को प्रतिवर्ष बढ़ाया जाए।
5. ग्रामीण महिलाएँ मनरेगा के अन्तर्गत पुरुषों के साथ सहभागी होकर कार्य कर रही हैं।
6. ग्रामीण महिलाओं के हाँथों में मनरेगा की मजदूरी के रूप में सीधे पैसे आने से परिवार में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ी है जिससे परिवार में उनकी पहचान बढ़ी है।
7. मनरेगा के अन्तर्गत उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलने से 'समान कार्य के लिए समान वेतन' की भावना को मजबूती मिली है।
8. इस प्रकार स्पष्ट है कि मनरेगा कार्यक्रम की वजह से महिला

सशक्तिकरण की भावना को बल मिला है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची: -

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी : हस्तपुस्तिका, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।
2. महात्मा गांधी, ग्राम स्वराज, (संकलनकर्ता-हरिप्रसाद व्यास), नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।
3. लक्ष्मीकांत, एम0, (2008), भारत की राजव्यवस्था, टाटा मैक्ग्रा हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली।
4. महीपाल, (2006), पंचायती राज : चुनौतियां और सम्भावनाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली।
5. नरेगा-2005, दूसरे साल की रिपोर्ट, (अप्रैल 2006 से मार्च 2007), ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. पाण्डुरंग वामनकाणे, (1973), धर्मशास्त्र का इतिहास, अनु0 अर्जुन चौबे कश्यप), हिन्दी समिति, लखनऊ।
7. शर्मा, रामशरण, (2005), 'प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. विद्यालंकार, सत्यकेतु, (2001), 'प्राचीन भारत की शासन व्यवस्था और राजशास्त्र', श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली।
9. चोपड़ा, सरोज, (2000), 'स्थानीय प्रशासन', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
10. कटारिया, सुरेन्द्र, (2007), 'पंचायत राज संस्थाएं : अतीत, वर्तमान और भविष्य', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर।
11. समाज की आर्थिक समीक्षा, (2007), 'जनपद- बागपत', कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागपत।
12. झा, सुबोधनाथ, (2010), उत्तर प्रदेश : देश और लोग नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली।
13. श्रीवास्तव, शिवानन्द, (1999), उत्तर प्रदेश पंचायत राज, हिन्दी पब्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद।
14. 11वीं पंचवर्षी योजना, (2007-12), योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

पत्र एवं पत्रिकाएं:-

1. अनीता मोदी, (2013), ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बढ़ते अवसर, कुरुक्षेत्र प्रकाशन विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली, फरवरी अंक।
2. अखिल कुमार मिश्र, (2008), कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली, फरवरी अंक।
3. अतुल कुमार तिवारी, (2009), नरेगा : ग्रामीण भारत में बदलाव लाने का अभियान, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली, दिसम्बर अंक।
4. अनीता मोदी, (2014), ग्रामीण विकास और पंचायतें, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, जनवरी अंक।
5. अलका आर्य, (2013), बेरोजगार हो रही हैं ग्रामीण महिलाएं, राष्ट्रीय सहारा, वाराणसी, अगस्त 3, पृष्ठ 10

भारत में समाजवादी क्रांति के उन्नायक डॉ. राममनोहर लोहिया

डॉ. मंजु मीणा*

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारत में समाजवादी क्रांति के उन्नायक, इसके सिद्धान्तों और कार्यक्रमों के जनक डॉ. राममनोहर लोहिया का भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में विशिष्ट स्थान है। लोहिया गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के भी अखण्ड समर्थक थे, लेकिन वे इसे गांधी का अधूरा दर्शन मानते थे। वे समाजवादी थे, लेकिन मार्क्स के विचारों को भी एकांगी मानते थे। ये जहां प्रखर राष्ट्रवादी थे, वहीं विश्व सरकार का सपना देखते थे। वे आधुनिकतम आधुनिक थे, लेकिन आधुनिक सभ्यता को बदलने का प्रयत्न करते रहते थे। वे अपने चिंतन में विद्रोही क्रांतिकारी और उग्र थे लेकिन शांति और अहिंसा के अनूठे उपासक थे।¹ उनका व्यक्तित्व चिंतन और चरित्र अद्भुत था।

लोहिया अपने आदर्श विचारों और मान्यताओं के लिये आजीवन संघर्षरत रहे। सुकरात जिस तरह अपने विचारों के लिये एथेन्स की गलियों में घूमते हुए बालक, युवा, वृद्ध सभी से न्याय धर्म कानून की बातें करते थे, उसी प्रकार लोहिया भी देश, विदेश में शहरों, कस्बों और मोहल्लों में शोषण और उत्पीड़न के विरोध में तथा रंगभेद, समानता, नारी के सम्मान आदि मुद्दों पर बहस छेड़ते थे।²

डॉ. लोहिया ने समाजवादी विचारों के उग्र प्रचारक के रूप में राजनीति में अपनी पृथक पहचान बनाई है। जर्मनी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत आते ही उन्होंने अपने आपको मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। आजीवन वे अपने विचारों के समाजवाद के उन्नयन में लगे रहे। डॉ. लोहिया के समाजवादी आंदोलन की संकल्पना के मूल में अनिवार्यतः विचार और कर्म दोनों की उपस्थिति थी। कर्म और विचार की इस संयुक्ति को उन्होंने अपने आचरण में भी जीवंत उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।

स्वतंत्रता आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व गांधीजी से वे प्रभावित थे। कांग्रेस के भीतर उनका अपना सोशलिस्ट गुप था तथा वे कांग्रेस के विदेश विभाग के भी प्रमुख रहे। स्वतंत्रता संघर्ष में वे कई बार जेल गये तथा सन् 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका आश्चर्यजनक रही है। इसमें उन्होंने गुप्त रेडियो केन्द्र की स्थापना की तथा 15 माह तक भूमिगत रहे। जब फरवरी 1947 में लोहिया की अध्यक्षता में कानपुर में 'कांग्रेस समाजवादी दल' का अधिवेशन हुआ तब इसमें दल के नाम से 'कांग्रेस' शब्द हटाने का निर्णय हुआ था। अतः 1948 में कांग्रेस के नासिक अधिवेशन के समय समाजवादी कांग्रेस से अलग हो गये। सन् 1952 में किसान मजदूर

प्रजापार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय होने से जब प्रजा समाजवादी दल अस्तित्व में आया तब डॉ. लोहिया इसके अध्यक्ष बने। डा. लोहिया ने इस अधिवेशन में भी समाजवादी विचारधारा के साथ गांधीवादी विचारधारा के समन्वय पर जोर दिया। वे गांधी के प्रबल समर्थक थे। उनका मत था कि गांधीवाद या मार्क्सवाद का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। इस तरह वे पूंजीवाद और समाजवाद के सहअस्तित्व पर जोर देते थे।

डॉ. लोहिया को गांधीवादी समाजवादी विचारक कहा जा सकता है। जब वे 1952 में समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे उन्हीं के प्रयत्नों से 1953 में एशियायी समाजवादी सम्मेलन का आयोजन हुआ। वे चाहते थे कि दुनियाभर के समाजवादी एकजुट होकर मजबूत संघ बनाए। सन् 1955 में उन्होंने भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की।³

सन् 1947 में आजादी मिलने पर देश के विभाजन में नेहरू की भूमिका से वे बहुत खिन्न हुए और नेहरू से सदा के लिए उनका रास्ता भिन्न हो गया। उनको नेहरू की विदेश नीति व राष्ट्र नीति पर विश्वास नहीं था। अतः देश में उन्होंने कांग्रेस के एक छत्र शासन के विरुद्ध गैर कांग्रेसवाद का अलख जगाया। कांग्रेस के प्रति उनमें इतना रोष व क्षोभ था कि दक्षिण पंथी और वामपंथियों दोनों को साथ लेना भी उन्हें बेहतर विकल्प प्रतीत हुआ। इस तरह भारत में गैर कांग्रेसवाद के वे प्रथम शिल्पी कहे जा सकते हैं। उनके प्रयासों से 1967 के निर्वाचन में कई राज्यों में कांग्रेस को पराजय मिली। वे नहीं रहे परन्तु उनका सपना सन् 1977 में साकार हुआ जब केन्द्र में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। वे मानते थे रोटी पलटी नहीं जावेगी तो वह जल जावेगी। अधिक समय की सत्ता का अधिनायकवादी होना अनिवार्य है।

डॉ. लोहिया के राजनीतिक विचारों की स्पष्ट झलक उनकी 'इतिहास चक्र' पुस्तक में दिखाई देती है। उनका विश्वास था कि इतिहास कठोरतापूर्वक बिना किसी आवेश एवं भावना के चक्राकार ढंग से गतिमान दिखाई देता है। वे हीगल और मार्क्स द्वारा की गई इतिहास की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। उनका सिद्धान्त अरस्तू के कालचक्र सिद्धान्त से मेल खाता है। इतिहास सीधी और सरल रेखा की तरह आगे नहीं बढ़ता अपितु उसकी गति चक्र की तरह टेढ़ी-मेढ़ी है। पश्चिम के विद्वान स्पेलगर, सोरोकिन, टायनवी आदि इस सिद्धान्त से सहमत हैं। समय चक्र के अनुसार एक देश जो उन्नति शिखर पर है वह पतन के गर्त में गिर सकता है। ऐसे ही कोई भी देश पतन की दशा से उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है। लोहिया के अनुसार राष्ट्रों

और सभ्यताओं का उत्थान, पतन सदैव होता रहता है। उदाहरण रूप में ब्रिटिश साम्राज्य का उत्थान, फरोह साम्राज्य का पतन, गुप्त राज्य का उत्थान और रोम साम्राज्य का पतन सभी को ज्ञात है।⁴

मानव इतिहास में उन्नत व संगठित जातियों तथा मिश्रित वर्गों में संघर्ष की प्रवृत्ति आम रही है। वर्ग और जाति के बीच की आंतरिक हलचल इतिहास का गुण व कारण रही है। वर्गों और जातियों एवं सभ्यताओं और विचार प्रेरक प्रवृत्तियों के मध्य संघर्ष शाश्वत रहा है। अतः पश्चिम की पूंजीवादी संस्कृति की शक्ति, समृद्धि और बौद्धिक श्रेष्ठता के दंभ को लोहिया सीरे से नकार देते हैं। उनका विश्वास रहा है कि अंततः मानव जाति में बहुवर्गीय एकता स्थापित करने में विश्व सफल रहेगा।⁵ वे आशावादी थे।

डॉ. लोहिया ने साम्य की वकालत करते हुए सामाजिक समता, आर्थिक समता और समान राजनीतिक अधिकारों के लिये 'सप्त क्रांति' द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन का आह्वान किया। सामाजिक न्याय की स्थापना और अन्याय के विरोध में इस संघर्ष के लिये डॉ. लोहिया ने एक साथ सात क्रांतियों का विचार किया। सप्त क्रांति के निम्न मुद्दे हैं।

1. अन्याय व असमानता के विरुद्ध लड़ाई
2. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रंगभेद व नस्लीकरण के भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष
3. खर्च की सीमा, निजी पूंजी से उत्पन्न आर्थिक भेदभाव समाप्ति के लिये संघर्ष
4. नर नारी के बीच समानता
5. संस्कारगत, जन्मगत व जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष
6. स्वतंत्रता प्राप्ति तथा विश्व लोक राज्य के लिये संघर्ष
7. निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के विरुद्ध लोकतंत्रीय पद्धतियों से संघर्ष सप्त क्रांति के ये विचार अप्रैल 1966 में संयुक्त समाजवादी दल के अधिवेशन में लोहिया ने प्रस्तुत किये थे। इनके आधार पर ही दल ने 1967 के चुनाव में भाग लिया था।

महिलाओं के प्रति वे बहुत संवेदनशील थे। वे मानते थे कि दुनिया में कोई महिला असुन्दर नहीं होती, फर्क इतना है कि कुछ महिलाएँ दूसरे की तुलना में ज्यादा सुन्दर होती हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो'। लोहिया मूलतः रंगभेद के प्रबल विरोधी थे। उनका मत था कि पश्चिम के गोरों की श्रेष्ठता का भ्रम गुलामी की मानसिकता की देन है। सन् 1951 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए रंगभेद नीति की उन्होंने कटु आलोचना करते हुए नीग्रो लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह भी दी। गैरों को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति को वे मानसिक रोग मानते थे।

डॉ. लोहिया ने रंगभेद के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जातिप्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। उनका मत था कि जाति के आधार पर जब तक कुछ लोग कमजोर और असहाय छोटी जाति के लोगों का शोषण करते रहेंगे तब तक विश्व में शांति व मानव प्रगति संभव नहीं होगी। वे आर्थिक विषमता को राष्ट्र के लिये कैंसर के समान भयानक रोग मानते थे। उन्होंने समाज की विकृत मनोवृत्तियों को पहचाना था तथा विलासिता और फिजूलखर्ची पर बहस शुरू की थी। बाजार की लूट समाप्त करने के लिये दाम बाँधे जाने की नीति की कल्पना की थी। वस्तुतः उन्होंने समाजवादी विचारधारा को गांधी की दृष्टि से देखने तथा व्यवहारिक रूप में भारतीयता की मिट्टी में रोपित

करने का रास्ता खोजा था। उनकी समग्र कल्पना को हम भारतीय समाजवाद की प्रथम व्यवस्था कह सकते हैं। जमीनी स्तर के आंदोलनों में उल्लेखनीय, राष्ट्रभाषा हिन्दी व भारतीय भाषाओं का प्रश्न उन्होंने पहली बार उठाया था। उन्होंने उद्घोषित किया कि अंग्रेजी महारानी पोशाक रानी है अतः उसका स्थान हिन्दी, उर्दू, तमिल, तेलगू आदि कोई भी देशी भाषा ले वे कट्टरपंथ के भी विरुद्ध थे चाहे वह भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वैचारिक ही क्यों न हो।⁶

राजनीतिक शक्ति के विकेन्द्रिकरण के लिए उन्होंने चौखम्बा राज्य का विचार प्रस्तुत किया। उनका समाजवादी राज्य चार स्तरीय होगा। इसमें शक्ति केन्द्र राज्य, ग्राम व नगर पंचायत तथा विश्व सरकार में विभाजित होगी। उन्होंने चौखम्बा राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्रतिपादित किया कि -

1. संपूर्ण सरकारी योजना व्यय का एक चौथाई स्वायत्त शासन संस्थाओं के माध्यम से खर्च किया जावे।
2. पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व ग्राम, मण्डल व नगर पंचायतों को दिया जावे तथा केवल सशस्त्र पुलिस राज्य के अधीन रहे।
3. कलेक्टर का पद समाप्त कर इसका दायित्व मण्डल के अधिकारियों तथा विभिन्न संस्थाओं में विभाजित किया जाना चाहिए।
4. बड़े उद्योगों व मूल्यों का नियंत्रण केन्द्र के पास रहेगा।
5. सिर्फ कृषि सहकारिता शिक्षा तथा भूराजस्व वसूली राज्य के अधीन होंगे।⁷

लोहिया राज्यपाल के पद को भी समाप्त करना चाहते थे। वे न्यायपालिका में भी सुलभ व सस्ते एवं शीघ्र न्याय के लिये, परिवर्तन के पक्षधर थे। इस तरह चौखम्बा राज्य गांधी की स्वावलम्बन व ग्राम स्वराज्य की धारण से मिलता जुलता है।

डॉ. लोहिया के एशियाई समाजवाद का विचार भी महत्वपूर्ण है। उनका मत था कोई विचार कितना भी उपयोगी व सुन्दर क्यों न हो सभी देशों में एक ही प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता है। विश्व के प्रत्येक देश की अपनी परिस्थिति, परिवेश, प्रकृति व संस्कृति होती हैं, इसी संदर्भ में चिंतन आवश्यक है। उनका दृष्टिकोण था कि एशियाई देशों का चरित्र यूरोप से भिन्न है। दो शताब्दियों से एशियाई पुराने निरकुंश शासन एवं सामन्तवादी व्यवस्था से छुटकारा पाकर नया जीवन जीने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। अतः सन् 1952 में लोहिया ने भारत में एशियाई सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना की जिसका 1953 में रंगून में महिला सम्मेलन हुआ। एशियाई राजनीति का चरित्र भिन्न होने से यहां पश्चिम ढंग का समाजवाद या प्रजातंत्र या मार्क्सवादी व्यवस्था उपयुक्त नहीं है।⁸

इस तरह लोहिया ने भारत तथा एशियाई देशों दोनों की जनता, जमीन व परिवेश के संदर्भ में नवीन समाजवाद के स्वरूप का प्रतिपादन किया। इसे वे सप्तक्रांति द्वारा लाना चाहते थे। इसके पांच उद्देश्य हैं - समानता, प्रजातंत्र, अहिंसा, विकेन्द्रिकरण तथा समाजवाद। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार जन की आय के असमान स्वरूप को नियंत्रित करना तथा खर्च की सीमा द्वारा सम्पन्नता व निर्धनता के जीवन स्तर को मानवोचित बनाना है। इसके लिये उन्होंने 1967 में संसद में खर्च की सीमा नामक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा था। आर्थिक विकेन्द्रिकरण का समर्थन करते हुए वे मशीनों पर

आधारित उद्योग नीति के समर्थक थे। वे राष्ट्रीयकरण के साथ ही नियंत्रण को भी विकेंद्रित करना चाहते थे, जिससे सरकार को असीमित शक्तियाँ नहीं मिल जावें। उनका यह आर्थिक चिन्तन समता और शोषण रहित लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लक्ष्य से प्रभावित था। वस्तुतः उन्होंने समाजवाद को पश्चिम की धारणा के स्थान पर, भारत की परिस्थितियों के अनुकूल ढाला। इसके लिये उन्होंने आर्थिक सिद्धान्तों में अतिवाद के स्थान पर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। उनकी चिन्ता यह रही कि भारत की बहुसंख्यक जनता का हित छोटी मशीनों पर आधारित उद्योगों से ही संभव है।⁹ सबको काम मिले। सबको अवसर प्राप्त हो।

डॉ. लोहिया का व्यक्तित्व बहुमुखी था। उन्होंने कांग्रेस में रहकर भी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहते हुए कांग्रेस की समाजवादी विचारधारा से जुड़े खनने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यहां यह उल्लेख अप्रासंगिक नहीं होगा कि उन्होंने अपना घर नहीं बसाया, शरीर, मन, बुद्धि, पुरुषार्थ आदि प्रकृति ने जैसा कुछ दिया सभी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। वे निजी जीवन में सुख, वैभव, पद, परिवार सभी से निरसक्त वे स्वयं त्यागी व स्वभाव से क्रांतिकारी थे। उन्होंने कई क्रांतियों के लिये आह्वान किया जो अहिंसक स्वरूप में थी।

संसद सदस्य के रूप में डॉ. लोहिया ने कई बुनियादी सवाल उठाए थे। पंडित नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेते हुए जब उन्होंने कहा कि 'देश में 22 करोड़ व्यक्ति तीन आने के खर्च पर रोज गुजारा करते हैं और प्रधानमंत्री के कुत्ते पर 3 रुपया रोज खर्च आता है, तथा प्रधानमंत्री पर पच्चीस तीस हजार रुपया रोज खर्च होता है।' तब सदन अचम्भित रह गया था। वस्तुतः आय-व्यय की जनता व सत्ता तथा सम्पन्न वर्ग में जो दूरी है, उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह चर्चा उठाई गई थी। संसद की बौद्धिक चर्चाओं में यह महत्वपूर्ण मानी जाती है।¹⁰

डॉ. लोहिया ने राज्य संबंधित अपने समाजवाद की व्याख्या में चौखम्बा राज्य, सप्त क्रांतियाँ तथा अन्य कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुझाव प्रस्तुत किये हैं। इनमें उनके मौलिक चिन्तन व नई दृष्टि का परिचय मिलता है। उनके

विचारों से असहमत हुआ जा सकता है, परन्तु उनके तर्कों व निहित सद्भावपूर्ण सत्ता व समाज के प्रति मार्गदर्शन की मौलिक सूझबूझ को खारिज नहीं किया जा सकता है।

डॉ. लोहिया ने सर्वथा नवीन दृष्टि से भारतीय समाजवादी चिन्तन की आधारशिला रखी और उसे क्रियान्वित करने का सक्रिय प्रयास भी किया। स्वतंत्र भारत की आर्थिक व सामाजिक नीतियों के निर्माण में वे एक ऐसे समाजवादी चिंतक के रूप में याद रहेंगे जिस पर मार्क्स का उतना प्रभाव नहीं है जितना गांधी का प्रभाव देखने को मिलता है। यह स्वीकार करना होगा कि स्वतंत्र भारत की आर्थिक औद्योगिक नीतियां उनके सुझावों से प्रभावित रही हैं। भारत में समाजवादी चिन्तन के उद्भयन में उनका योगदान अविस्मरणीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शरद डॉ. ओंकार : लोहिया के विचार : पृष्ठ 236
2. शर्मा डॉ. ओंकारसिंह : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन (2011) पृष्ठ 192.
3. परते डॉ. गौरीसिंह : समाजवाद में डॉ. राममनोहर लोहिया का योगदान : ए जरनल ऑफ एशिया फार डेमोक्रेसी एण्ड डेवलपमेन्ट : वाल्यूम XIII (1) 2013 पृष्ठ-98
4. शर्मा विश्वनाथ प्रसाद : भारतीय राजनीतिक विचार, पृष्ठ 529
5. शर्मा विश्वनाथ प्रसाद : भारतीय राजनीतिक विचार, पृष्ठ 529
6. लोहिया डॉ. राममनोहर : वील ऑफ हिस्ट्री, पृष्ठ 111.
7. लोहिया डॉ. राममनोहर : आस्पैक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी : पृष्ठ 10
8. शर्मा डॉ. गोविन्द प्रसाद : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन : पृष्ठ 197-198
9. ठाकुर कृष्णानंदन : राममनोहर लोहिया आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, पृष्ठ 212
10. शर्मा डॉ. गोविन्द प्रसाद : आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन : पृष्ठ 201

भारत में ग्रामीण राजनीतिक जागरूकता: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अनिल कुमार* धर्मपाल सिंह**

* असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) सनातन धर्म महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) सनातन धर्म महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत जैसे विकास शील देश में जिसकी लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम युवा वर्ग की है उस देश के युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो ग्रामीण परिवेश की सामान्य जनता को राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक एवं सचेत करें। क्योंकि जागरूकता के अभाव में उदासीनता की गिरिपत में लिप्त आलस्य के जँजाल में फँसे हुए नागरिकों के भरोसे कैसे देश के विकास की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी?

देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन का असर ग्रामीण स्तर की सोपानीय व्यवस्था पर भी पड़ रहा है और वह अब जागरूकता की ओर अग्रसर हो रही है। ग्रामीण स्तर पर होने वाले चुनावी माहौल में मतदाताओं को जागरूकता के अभाव में अधिक मतों को जोड़ने की होड़ में साम्प्रदायिक हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। अतः ग्रामीण स्तर के मतदाताओं अथवा नागरिकों को अपने परिवार/समाज में व्याप्त आंतरिक मतभेदों को उजागर नहीं करना चाहिए अन्यथा इसका फायदा राजनेता/प्रत्याशी उठाने की कोशिश करता है। और भोली-भाली जनता को बहला-फुसला कर उनका वोट बैंक हासिल कर लेता है और आम जनता हर बार ठगी सी नजर आती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जाति एवं वर्ग समूहों की सभा एवं संगोष्ठी के आधार पर मतों एवं समर्थकों को एकत्रित किया जाता है। जिससे समाज में एकरूपता लाई जा सके और इस एकरूपता का श्रेय वहाँ उपस्थित प्रबुद्ध जनों को जाता है।

ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में ग्राम सभा की व्यवस्था के साथ चुनाव में मतदान के साथ नेतृत्व की विलक्षणता भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

पंचायती राज संस्थाओं को जनतान्त्रिक व्यवस्थाओं में जनसहभागिता, मतदान व्यवहार एवं राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के कारण इन्हें संस्थात्मक शान्तिपूर्ण क्रान्ति की संज्ञा प्रदान की गयी है।

भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि तथा मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन, निर्वाचन तन्त्रों, राजनीतिक दलों की सहभागिता मतदान व्यवहार एवं रूझान तथा भविष्य की दिशा एवं दशा का तथा भारतीय राजनीति में उभरती हुई नई प्रवृत्तियों का भविष्य भी उज्ज्वल बताया गया है।

संचार क्रान्ति के माध्यमों ने जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है, जिसके बिना उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि वैश्वीकरण एवं उदारीकरण ने सभी क्षेत्रों में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

शब्द कुंजी – भारतीय लोकतन्त्र, ग्रामीण परिवेश, मतदाता, राजनीतिक जागरूकता।

प्रस्तावना – आज डिजिटल इण्डिया, डिजिटल गाँव की तरफ कदम बढ़ा रहा है। जिसमें ग्रामीण भारत की आधारभूत संरचना में बदलाव भी आ रहा है। जिसके लिए हाशिए पर खड़े लोगों का विकास जरूरी हो जाता है। तभी आज का उदीयमान ग्रामीण भारत अपनी क्षमताओं से सम्पन्न होकर कल का शक्तिशाली भारत बनेगा।

आजादी के कई दशकों बाद भी ग्रामीण परिवेश में जिस तरह की उम्मीदें लगायी जा रही थी। उसके अनुरूप राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है। जबकि इसमें सरकार और जनता दोनों पक्ष समान रूप से भागीदार हैं। क्योंकि कभी तो शासन सत्ता आम जनता को गुमराह करती रहती है और कभी उसे सचेत एवं जागरूक होने के मौके ही नहीं देना चाहती तथा राजकार्यों की अनदेखी करती चली जाती है। इसी अनदेखी का लाभ शास्त्र शासन सत्ता उठाती रहती है।

इसीलिए भारतीय बुद्धि जीवियों ने संविधान में निर्वाचन आयोग की स्थापना करके भारत के व्यस्क नागरिकों को मतदान करने का राजनीतिक

अधिकार प्रदान किया है जिससे ग्रामीण परिवेश में राजनीतिक संचार का समावेश उत्पन्न हो सके। इसी स्वरूप को साकार करने के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतो का गठन किया गया, ताकि ग्रामीण अंचलो को भी स्वायत्ता शासन सत्ता का मौका मिल सके और सामान्य जन समुदाय भी ग्राम पंचायतो के गठन के माध्यम से शासनिक एवं प्रशासनिक क्रिया विधि को समझ सके। इन सब उपायों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं के मतदान स्तर को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस भी मनाया जाने लगा ताकि अजागरूक एवं नव व्यस्कता की दहलीज पर कदम रखने वाले युवा वर्ग को अपने मत के मूल्य से अवगत कराया जा सके, और उनमें अधिक से अधिक राष्ट्रीय चेतना का संचार किया जा सके। भारत सरकार तथा निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जनजागरूकता से सम्बन्धित जनादेश भी प्रचारित-प्रसारित किये जाते रहे हैं जिससे नवयुवकों में राजनीतिक जागरूकता के प्रति एक उत्साह एवं लग्न की भावना का समावेश उत्पन्न हो सके।

साहित्यावलोकन

एस0सी0 डूबे (1958) ने 'इण्डियाज चैजिंग विलैज' में भारतीय ग्रामीण परिवेश के निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन, हैदराबाद के शमीरपुर गाँव में किया। और अपने अध्ययन में पाया है, कि देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन का असर ग्रामीण स्तर की सोपानीय व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। परन्तु कुछ जनसमुदाय की मानसिकता अभी भी पहले की तरह ही बनी हुई है। किन्तु बदलते परिवेश के प्रभाव के कारण यह प्रतीत हो रहा है, कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण पहले की अपेक्षा कुछ कम कर पा रहे हैं। लेकिन वे अभी भी अपनी वही पुरानी मानसिकता को कायम रखना चाहते हैं। और निम्न वर्ग को अभी भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वे अब जागरूकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

रावी चक्रवर्ती (1962) ने अपने अध्ययन में राजस्थान राज्य के एक गाँव में ग्रामीण स्तर पर अपनायी जाने वाली मतदान व्यवहार प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करके अध्ययन किया और उनका चुनावी अध्ययन गाँव में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जनसमुदाय, जातिवर्ग, विरोधी दल, भू-माफियाओं के द्वारा चुनावी दौर में मतदान व्यवहार में अपनाये जाने वाले हर प्रकार के कार्य व्यवहार का अध्ययन किया है। और अपने अध्ययन में पाया है कि गाँव जोकि एक इकाई के रूप में है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की मतदान सामग्रियों का प्रबन्ध करते हैं और जब कभी भी हमें गाँव की चुनावी प्रक्रियाओं में मतों को जोड़ने के लिए मतदान की आवश्यकता पड़ती है। जो ग्रामीण स्तर पर चुनावी माहौल में होने वाले साम्प्रदायिक दलों को रोकने के लिए भारी संख्या में विभिन्न प्रकार के बलों का प्रयोग भी किया जाता है। इसीलिए उनका भी अध्ययन किया जाना आवश्यक हो जाता है।

रामाश्रय राय (1965) रामाश्रय महोदय ने अपने अध्ययन में पाया है कि किसी प्रकार से राजनीतिक पार्टियाँ विरोधी पार्टियों की आपसी कलह/अन्दरूनी फूट का फायदा उठाकर अपने आप को राजनीतिक शिखर पर पहुँचाती हैं। अतः सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने आन्तरिक मतभेदों को उजागर नहीं होने देना चाहिए।

राय जी के इस अध्ययन में फर्रुखाबाद चुनाव क्षेत्र में काँग्रेस पार्टी के हारने के कारणों का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया है कि ग्रामीण स्तर के मतदाता के मतदान करते समय जाति, धर्म, वर्ग आदि का फायदा प्रमुख विरोधी दल/पार्टियाँ उठा लेती हैं। अतः ग्रामीण स्तर के मतदाता को भी राजनीतिक जागरूकता के प्रति सचेत होना ही पड़ेगा नहीं तो उसका फायदा आम जनता को भूमित करने वाले दल/प्रत्याशी उठा लेते हैं।

नारायण इकबाल ने (1978) ने 'भारत में प्रबुद्ध वर्ग और चुनाव में इकबाल साहब ने राजस्थान में पंचायती राजनेताओं की भूमिका तथा ग्रामीण प्रबुद्ध वर्ग और चुनाव प्रचार में उनके विशेष प्रभाव का विस्तृत विवरण दिया है।'

शकुन्तला शर्मा (1994) ने अपनी पुस्तक में स्थानीय राजनीति एवं पंचायती राज व्यवस्था का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। तथा ग्रामीण नेतृत्व की रूपरेखा के साथ-साथ ग्रामीण शक्ति की संरचना का विवरण जोकि विशेष महत्त्व रखती है को भी अध्ययन में समाहित किया है। तथा पंचायती राज व्यवस्था के विकास के साथ-साथ नेतृत्व, चुनाव और मतदान

के विषय में भी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ताकि ग्रामीण परिवेश के मतदाता सचेत एवं जागरूकता का परिचय देते हुए स्थानीय शासन प्रणाली में एकरूपता को प्रदर्शित करें।

जार्ज मैथ्यू (1994) 'पंचायती राज व्यवस्था से आन्दोलन की ओर' ने अपने अध्ययन में कर्नाटक, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल में प्रचलित स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का विश्लेषण कर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है और अपने अध्ययन में पाया है कि न्यायपालिका भी स्थानीय स्वशासन की ऐसी इकाई को अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूती के साथ कार्य निर्वहन में मुख्य योगदान दे सकती हैं। इसके साथ ही मैथ्यू साहब ने पंचायती राज व्यवस्था के संरचनात्मक ढाँचे को अधिक प्रभावशाली और रचनात्मक बनाने के लिए सुझाव पर भी बल दिया है तथा पंचायती राज संस्थाओं में नियमित निर्वाचनों को संस्थात्मक शान्तिपूर्ण क्रान्ति की संज्ञा प्रदान की है। इन्होंने इसे जनतान्त्रिक व्यवस्थाओं में जनसहभागिताओं तथा मतदान व्यवहार एवं राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक माना है।

धर्मचन्द्र जैन (2000) 'भारतीय लोकतन्त्र' इसमें धर्मचन्द्र जी ने बताया है कि भारतीय लोकतन्त्र की सार्थकता एवं स्वतन्त्रता, निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था पर निर्भर करती है। जिसके लिए प्रतिस्पर्धित दलिय व्यवस्था को भी आवश्यक माना गया है। इसमें 1952 से लेकर 1962 के बीच उपस्थित भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि तथा मुख्य प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है और निर्वाचन तन्त्रों, राजनीतिक दलों की सहभागिता मतदान व्यवहार एवं रुझान तथा भविष्य की दिशा और दशा का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है तथा भारतीय राजनीति में उभरती हुई नई प्रवृत्तियों का भविष्य उज्ज्वल बताया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती हुई जनचेतना के फलस्वरूप राजनीतिक जागरूकता के स्तर में दिनोंदिन वृद्धि हो रही है।

अजय कुमार यादव (1998) 'सामाजिक चेतना में जनसंचार माध्यमों की भूमिका' प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता ने सामाजिक चेतना एवं जागरूकता में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का अध्ययन किया है कि यह माध्यम किस प्रकार समाज को प्रभावित करते हैं। इसमें शोधकर्ता ने अनुसूची एवं साक्षात्कार पद्धति के प्रयोग द्वारा समाज के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से इस अध्ययन से सम्बन्धित सवालों को जाना और निष्कर्षतः पाया है कि संचार के माध्यमों ने चाहे वे रेडियो, टी0वी0, मोबाइल, समाचार-पत्र या फिर मीडिया हो, सभी ने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है। अतः वर्तमान में संचार माध्यमों के बगैर किसी भी राष्ट्र/राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि आज वैश्वीकरण के युग में जनसंचार के माध्यमों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभायी हैं।

जागरूकता शब्द का अर्थ - जागरण की वह अवस्था जिसमें सब बातों का ज्ञान हो या सचेत की अवस्था से लगाया जाता है। अर्थात् जागरूकता शब्द से तात्पर्य है जागृत या सचेतता की वह अवस्था जिसमें किसी विषय या वस्तु का किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह या संस्था का कालान्तर में घटित घटनाओं की समुचित जानकारी की प्राप्ति से होता है। जिनको वर्तमान काल में महत्ता प्रदान की जाती है।

यह अच्छे परिणामों के लिए आपके रास्ते को प्रभावित करने की क्षमता है। यह न केवल राजनेताओं के लिए है, बल्कि मानव संसाधन पेशेवरों के

लिए भी एक महत्वपूर्ण कौशल है।

जागरूकता का अर्थ है, खुद को और खुद की क्षमताओं को पहचानना, शक्ति और क्षमताओं के आधार पर अपना अस्तित्व बनाना एवं जागरूक रहकर निरन्तर गतिशील रहना है।

जागरूकता की परिभाषा – लोगों में सावधान होने की अवस्था का पाया जाना ही जागरूकता कहलाता है। जैसे- हमें लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। या हमें मतदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है।

जीन हर्टले के अनुसार – राजनीतिक जागरूकता का अर्थ केवल व्यक्तियों और संगठनों के अस्तित्व के सन्दर्भों के प्रति सजग रहने से ही नहीं है। बल्कि इससे अधिक व्यापक है। हमें उन महत्वपूर्ण घटनाओं व प्रभावों के प्रति भी सजग होना चाहिए जो हमें भविष्य में अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

जागरूकता की विशेषताएँ – जागरूकता ही किसी व्यक्ति विशेष, समाज अथवा राष्ट्र की वह धुरी है। जिसके प्रभाव में वह स्वयं को, समाज को या राष्ट्र को उज्ज्वल भविष्य प्रदान कर सकता है। जागरूकता के द्वारा ही मनुष्य अतीत में घटित घटनाओं से ज्ञान प्राप्त कर वर्तमान कालीन घटनाओं का समुचित आकलन करके भविष्य कालीन योजनाओं का निर्माण करता है। इसीलिए इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता है। अतः जागरूकता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा।

जागरूकता का उद्देश्य – जागरूकता का उद्देश्य है, जागते रहने की अवस्था। सामान्यतः शारीरिक एवं मानसिक रूप से सजग व्यक्ति को जागरूक समझा जाता है। अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग व्यक्ति, जिसमें विषय/वस्तुओं को परखने और निर्णय लेने की क्षमता हो। जो तथ्यों की जानकारी लेने वाला हो, वैसे व्यक्ति को जागरूक समझा जाता है।

सामाजिक जागरूकता – सामाजिक जागरूकता से तात्पर्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जागरूकता की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है क्योंकि समाज में कई प्रकार की अनैतिकताएँ व्याप्त हैं। इन अनैतिकताओं का क्षेत्र इस समय इतना व्यापक है कि इससे समाज का कोई भी वर्ग चाहे वह समृद्ध, गरीब ग्रामीण, शहरी कोई भी अछूता नहीं है। समाज की इन अनैतिकताओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी है, जिससे कि आज के समय में जागरूकता की आवश्यकता है।

जागरूकता को ठीक तरह से परिभाषित कर पाना सरल नहीं है। सामान्य रूप से इसे तन और मन के प्रति सजगता से जोड़कर देखा जाता है। परन्तु गहन अर्थ में जागरूकता का अर्थ सांसारिकता तक सीमित नहीं है। ज्ञानियों के अनुसार इसका आशय चेतना की स्थिति से है जागरूकता का अर्थ जागते रहने की अवस्था से है।

सामान्यतः शारीरिक एवं मानसिक रूप से सजग व्यक्ति को जागरूक समझा जाता है अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग व्यक्ति, जिसमें चीजों को परखने और निर्णय लेने की क्षमता हो। जो तथ्यों की जानकारी रखने वाला हो, वैसे व्यक्ति को जागरूक समझा जाता है।

सामान्यतः व्यक्ति इसे अलग-अलग रूप में देखता और समझता है। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, वैधानिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी अलग-अलग व्याख्या की गयी है।

राजनीतिक जागरूकता – राजनीतिक जागरूकता अच्छे परिणामों के लिए अच्छे रास्तों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता कहलाती है। राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक होने से आपको प्रेरक सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करती है जोकि आपके समाज/लोगों/संगठन में अच्छे परिणाम प्रदान करने में मदद करती है।

सामाजिक राजनीतिक जागरूकता – सामाजिक राजनीतिक चेतना किसी व्यक्ति की समाज को आकार देने वाली राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकतों और उसमें किसी की स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमताओं को संदर्भित करती है।

भारत में ग्रामीण राजनीतिक जागरूकता – भारतीय ग्रामीण समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भारतीय राजनीति की एक अदभुत विशेषता है। अतः भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारम्भ होने के पश्चात् यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएँ और लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फल स्वरूप भारतीय ग्रामीण समाज में राजनीतिक जागरूकता तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, किन्तु कुछ घटकों के कारण कुछ क्षेत्रों में आज भी प्रशासन पर जागरूकता के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने भी स्वीकार किया है कि जनजागरूकता जिस रूप में आगे बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़ पाई है।

अजागरूकता – बात चाहे सामाजिक जागरूकता की हो या कानूनी या फिर राजनीतिक जागरूकता की दरअसल किसी योजना की सफलता न केवल सूचना और विभिन्न सेवाओं तक पहुँच व उपलब्धता पर निर्भर करती है। बल्कि उस कार्यक्रम के सम्बन्ध में जागरूकता पर भी निर्भर करती है। यदि आम आदमी में उन योजनाओं के प्रति सजगता एवं जागरूकता नहीं है तो इसकी सफलता की गारन्टी बहुत कम ही रहती है। देश में आजादी के बाद ऐसी कई योजनाएँ हमारे सामने उदाहरण स्वरूप हैं जोकि आम आदमी के हित में लागू की गईं जिनका क्रियान्वयन यदि जमीनी स्तर पर मजबूती से किया जाता तो काफी सकारात्मक परिणाम होते लेकिन ऐसी योजनाएँ केवल इसलिए शतप्रतिशत कामयाब नहीं हो पाईं क्योंकि लाभ उठाने वाले ही जागरूक नहीं थे।

ऐसी ही हाल वर्तमान की कुछ योजनाओं का भी है। सरकार ने आम आदमी के लिए योजनाओं की झड़ी लगा रखी है जिसका फायदा उठाया जाए जो समाज और देश का विकास सम्भव है। लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इनका जमीनी स्तर पर कोई लाभ नजर नहीं आता है। ग्रामीण विकास में वैश्विक स्तर पर देश को एक अलग पहचान दिलाने वाली मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार ने किस हद तक/कदर अपना जाल बिछा रखा है। यह किसी से छिपा नहीं है। यह वही मनरेगा है जिसकी तारीफ भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कर चुके हैं। हालांकि देश के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और इसका प्रभाव जमीन पर भी नजर आता है परन्तु ऐसे क्षेत्र न तो हमारी नजर में आते हैं और न ही उसे मीडिया का कोई विशेष कवरेज मिल पाता है।

पंचायती राज – संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का प्रावधान है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधान मण्डल को स्थानीय स्वशासन से सम्बन्धित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। पंचायती राज यह भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है, स्थानीय लोगों द्वारा निवारित निकायों के माध्यम से स्थानीय

मामलों का प्रबन्धन करना है, अतः पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है और भारतीय ग्रामीण परिवेश की जनता को राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक करने के लिए पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाता है।

1. 2010 से हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
2. वर्ष 1993 में 24 अप्रैल को 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू हुआ था।
3. पंचायती राज दिवस का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन और लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण को सम्मान देना है।
4. भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय सामाजिक न्याय और सेवाओं के कुशल वितरण के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण सक्षमता और जवाबदेहीता के उद्देश्य के साथ कार्य करता है।

स्थानीय शासन, पंचायती राज संस्थाएँ और पंचायती राज पुरस्कार

1. महात्मा गाँधी ने गाँवों को छोटे गणराज्यों के रूप में देखा था और सच्चे लोकतन्त्र की पहचान हरेक गाँव व उसके वासियों की सक्रिय भागीदारी में महसूस की थी।
 2. गाँव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय शासन जन साधारण के सबसे पास का शासन है। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतान्त्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य है।
 3. पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय सरकारी संस्थाएँ हैं जो सुशासन, सामाजिक समावेश, लिंग गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
 4. ग्रामीण जनसंख्या के जीवन को बदलने वाले सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्वशासन का मजबूत होना बहुत जरूरी है।
 5. इस दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय देशभर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को उनके अच्छे कार्यों के लिए विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत करता है। ये पुरस्कार निम्न प्रकार हैं—
- दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार
 - नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार
 - बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार
 - ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार
 - ई-पंचायत पुरस्कार (केवल राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को)

राष्ट्रीय मतदाता दिवस –अंग्रेजी केलेण्डर के अनुसार नव वर्ष के प्रथम माह यानि की जनवरी महीने में हम अपना गणतन्त्र दिवस मनाते हैं। और इसी महीने में एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कहा जाता है। जिसका उद्देश्य युवा भारतीय मतदाताओं को लोकतान्त्रिक, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार ने सन् 2011 ई0 से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा गणतन्त्र राष्ट्र बनने से एक दिन पूर्व चुनाव आयोग की

स्थापना हुई थी।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विचार एक आम वोटर कैप्टन चाँद ने वर्ष 2010 में दिया था और चुनाव आयोग ने इस सुझाव को स्वीकार करके 2011 से 25 जनवरी को इसे मनाना प्रारम्भ कर दिया है। गत वर्ष हमने 13 वाँ मतदान दिवस मनाया है। संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकों की मतदान करने की प्रारम्भिक आयु 21 वर्ष थी। किन्तु 61 वे संविधान संशोधन (1988) के राजीव गाँधी सरकार द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है। क्योंकि विश्व के अधितर देशों में मतदान की आयु 18 वर्ष को अपनाया गया है।

भारत की लगभग आधी आबादी 35 वर्ष की उम्र के नीचे है। और इसका एक बड़ा हिस्सा 18 वर्ष का पड़ाव पार कर चुका है। इसीलिए उन्हें जागरूक करना और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इस युवा वर्ग को अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति एहसास कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसी प्रकार से हम अन्य लोगों की भागीदारी को भी लोकतन्त्र में बढ़ा सकते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'मन की बात' रेडियोप्रसारण पर सन् 2018 के नये वर्ष के भाषण में उन्होंने नये पात्र मतदाताओं का स्वागत करते हुए जोकि 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष के हो गये हैं उन्होंने, उन्हें 'न्यू इण्डिया वोटर्स' की संज्ञा प्रदान की, और उन्हें मतदान सूची में पंजीकृत होने के लिए आग्रह भी किया और कहा कि इसी शताब्दी के मतदाता के रूप में आपको भी गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि आपका वोट नए भारत के लिए आधार साबित होगा। वोट की शक्ति लोकतन्त्र की सफलता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मतदान सबसे प्रभावी माध्यम है। इस वर्ष (2022) में उ0प्र0 विधान सभा चुनावों में लगभग लाखों नये वोटर्स ने अपना मतदान प्रारम्भ किया है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह पूरे भारत में कई स्थानों पर मनाया जाता है। और हर वर्ष नये पात्र मतदाता प्रतिज्ञा लेते हैं तथा पहचान पत्र प्राप्त करते हैं। उन्हें एक पुस्तिका भी दी जाती है जो उन्हें अपने अधिकारों और दायित्वों की जानकारी देती है और उन्हें मतदाता जागरूकता दिवस का प्रतीक चिन्ह व अन्य सामग्री भी प्रदान की जाती है। अतः ऐसे दिवसों को जश्न के रूप में मनाना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि इससे देश में लोकतन्त्र की ताकत और लोगों का राष्ट्र निर्माण में योगदान बढ़ जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर देश के युवाओं को आयोजित स्थलों पर मतदान के प्रति यह शपथ दिलायी जाती है कि उन्हें किसी भी प्रकार के प्रलोभनों में न फँसते हुए अपने मतदान का प्रयोग स्वविवेक के आधार पर पूर्ण निष्ठा एवं निष्पक्षता के आधार पर करना चाहिये।

निष्कर्ष – ग्रामीण परिवेश को राजनीतिक शक्ति का मूल माना जाता है जिसमें से कुछ ग्रामीण जन तो राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहे हैं और कुछ को इसकी मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है।

अतः अब तक जो राजनीतिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। इसके पीछे आमजन की इस धारणा को माना जाता है कि 'कोई हो नृप हमें का हानि' के तटस्थ भाव के कारण ग्रामीण भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं का धीरे-धीरे ह्रास होता चला गया और आमजन का राजनीतिक विकास अवरुद्ध हो गया। किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात ग्राम पंचायतों का राजनीतिकरण करके नये आयामों को जोड़कर आमजन को राजनीति की ओर मोड़ा है।

गाँधीजी ने कहा था कि भारत गाँवों में बसता है और ग्रामीण स्तर पर बढ़ी साक्षरता दर द्वारा आयी जन चेतना में सूचना एवं संचार क्रान्ति ने बड़ा योगदान दिया है। किन्तु संचार क्रान्ति के कारण मानव मूल्यों, आदर्शों, एवं नैतिकता के स्तर में ह्रास भी हुआ है। इसके प्रति असन्तोष भी बढ़ा है। इसी प्रकार आम जन की नेताओं के प्रति बढ़ती आकांक्षाओं के पूरा न होने के कारण उनके प्रति आक्रोश भी उभरता है। जिसमें ग्रामीणों की अथवा ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना भी शामिल है।

अतः ग्रामीण जन समुदाय को अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा परोसे जाने वाले लोकलुभावने वादों एवं मुफ्त की रेवडियों में न बैठते हुए, समझदारी का परिचय देते हुए और अपने परिवेश के विकास को महत्त्व देते हुए अपना मतदान व्यवहार करने का निर्णय लें। किसी भी देश के सत्त विकास के लिए समाज के सभी घटकों, शोषित, वंचित, कमजोर व निम्न वर्गों की महिलाओं, बच्चों, बड़े-बुजुर्गों आदि का समुचित विकास जरूरी है। अर्थात् 'गाँव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा' के नारे के साथ ग्रामीण परिवेश सुखी एवं समृद्ध बनेंगे।

आज राजनीति का अपराधीकरण एवं अपराधी का राजनीतिकरण होता जा रहा है। यद्यपि भारतीय जनतन्त्र में ग्रामीण स्तर पर भी कुछ खामियाँ नजर आती हैं। जिनमें जनजागरूकता अथवा राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। क्योंकि भारत अभी भी गाँवों का देश है जहाँ ग्रामीण जन समुदाय ही भारतीय राज्य का केन्द्र बिन्दु माना जाता है। आधुनिक युग में अच्छे सुशासन की अवधारणा कई चरणों से गुजरी है और इसमें अभी और सुधार होना बाकी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दुबे, एस0सी0 (1958) 'इण्डियाज चैजिंग विलेज' स्टुडेंट्स एण्ड कैंगन पाल लि0 पृ0संख्या-172
2. चक्रवर्ती, रानी (1962) 'ए स्टडी इन वोटिंग बिहेवियर कोल्थ दि डिवलाइन आफ द लेफ्ट इन कोलकाता: मछीपारा कॉस्टीट्यूएन्सी' इकानामिक वीकली वाल्यूम-14, अंक-34 ए, पृ0संख्या-1381, 1386
3. राय, रामाश्री (1965) 'पैटर्न्स आफ पॉलिटिकल इनस्टाबिलिटी: ए स्टडी आफ द मिड टर्म इलेक्शन्स' इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली 6 (वार्षिकी अंक), पृ0संख्या-36-54
4. शर्मा, शकुन्तला (1994) 'ग्रास रूट पालिटिक्स एण्ड पंचायत राज' नई दिल्ली दीप एण्ड दीप प्रकाशन, पृ0संख्या-79-84
5. मैथ्यू, जार्ज (1994) 'पंचायती राज व्यवस्था से आन्दोलन की ओर' नई दिल्ली, कंसैप्ट पब्लिकेशन, पृ0संख्या-20-22
6. जैन, धर्मचन्द्र (2000) 'भारतीय लोकतन्त्र' प्रिंसबेल पब्लिशर्स जयपुर पृ0संख्या-80
7. कुमार यादव, अजय (1998) 'सामाजिक चेतना में जनसंचार माध्यमों की भूमिका' जगतपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगतपुर वाराणसी, पृ0संख्या-26-45
8. भारती, प्रियंका (2016) 'भारत में ग्रामीण राजनीति' भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, मेरठ, सत्र-जनवरी-जून-2016, पृ0संख्या-16
9. भार्गव, अलका (2016) 'भारत में ग्रामीण राजनीति का उभरता हुआ स्वरूप (2000-2015)' भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, मेरठ सत्र-जनवरी-जून-2016, पृ0संख्या-127
10. सिंह, कामना (2016) 'ग्रामीण भारत की राजनीति: परिवर्तन एवं कारक' भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, मेरठ, सत्र-जनवरी-जून-2016, पृ0संख्या-130
11. कुमारी, सरिता (2018) 'उदीयमान ग्रामीण भारत की एक तस्वीर: सफलताओं के बीच चुनौती' भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, मेरठ
12. प्रसाद, केदार (2018) 'प्रजातान्त्रिक आस्था एवं भारत: ग्रामीण समाज के सन्दर्भ में' भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, मेरठ, सत्र-जुलाई-दिसम्बर-2018, पृ0संख्या-214
13. सिंह, सरिता (2021) 'ग्रामीण भारत में ई0 गवर्नेंस: विश्लेषणात्मक अध्ययन' भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, मेरठ, सत्र-जुलाई-दिसम्बर, पृ0संख्या-221

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

विक्रम सिंह *

* शोधार्थी, डी०ए०वी० (पी०जी०) कॉलेज, बुलन्दशहर, चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारत सरकार ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना और आर्थिक तोर पर सक्रिय बनाना इनमें से एक है। स्वयं सहायता समूह निर्धन व्यक्तियों का स्वेच्छिक संगठन होता है। इसमें शामिल लोग आमतौर पर समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं। वे स्वयं सहायता और सामुदायिक प्रयासों के जरिए अपने मसलों और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को रेखांकित किया है।

शब्द कुंजी – महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण महिलाएँ।

प्रस्तावना – विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ महिलाओं को हाशिए पर छोड़कर विकास संभव हुआ हो। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की कुल आबादी की आधी महिलाओं को सशक्त बनाए बिना सशक्त भारत का सपना पूरा नहीं किया सकता। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से महिलाओं ने एक नई पहचान बनाई है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में सहयोग की भावना का विकास किया है। महिलाओं में आत्मविकास व आत्म-गौरव का विकास हुआ है। घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी-छोटी बचत इकट्ठा करके ऋण लेकर बैंक कर्मचारियों से सम्पर्क कर लघु उद्यम स्थापित करके समूह की बैठकों की कार्य वृद्धि करने से उन्हें गर्व की अनुभूति होती है।

महिला सशक्तिकरण को दुनिया के लगभग सभी समाजों में स्त्री पुरुष भेदभाव को कम करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा है। सशक्तिकरण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में वे जागरूक बनें।

प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र में पुस्तकालय अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

ऑकड़ों का संकलन – द्वितीय समकों का संकलन विषय से सम्बन्धित पूर्व में किए गए प्रकाशित शोध ग्रंथों पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से किया है इसके अतिरिक्त इंटरनेट की माध्यम से भी तथ्य संकलित किये गये हैं।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की स्थिति का अध्ययन,
2. महिला सशक्तिकरण पर स्व सहायता समूह के प्रभाव का अध्ययन,
3. स्वयं सहायता समूह की प्रगति की समीक्षा करना।

साहित्य की समीक्षा – सोमनाथे, सिलवाल (2013) के अध्ययन के अनुसार हमारे देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है, महिलायें राष्ट्र की उन्नति एवं विकास में पुरुषों जितना ही महत्व रखती हैं, उन्होंने अपने आर्थिक स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान देते हुये यह सिद्ध कर दिया है कि देश के विकास में पुरुष एवं महिलायें विकास रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं। विगत दशकों में कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ, जिसमें महिलाओं ने स्वात्मनिर्भरता दिखाते हुए राष्ट्र के विकास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहभागी बनने लगी हैं।

सिंह, कुशल व गौतम (2007) ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष दिया है कि महिलाओं का एक अत्यधिक बड़ा प्रतिशत स्व सहायता समूहों की सदस्यता के बाद सकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। महिलाओं की समूह में भागीदारी उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने, आत्मविश्वास अर्जित करने, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण करने योग्य बनाता है।

लोकेश (2009) के अनुसार स्व सहायता समूहों के पास देश में सामाजिक, आर्थिक क्रांति लाने की शक्ति है। यह आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रस्थिति, निर्णय निर्माण को परिवर्तित करने में योगदान कर सकता है और महिलाओं की बाहरी गतिविधियों में वृद्धि करता है।

पुहाजेन्दी एवं बादात्या (2002) ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि स्व सहायता समूह के सदस्यों ने अपनी आर्थिक अवस्था को उनकी तुलना में जो समूह के सदस्य नहीं हैं अधिक उन्नत अनुभव किया है।

स्वयं सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण अभियान – 1984 में पहली बार प्रो० यूनुस के ग्रामीण बैंक मॉडल पर (एसएचजी) स्वयं सहायता समूह के गठन के जरिये सामाजिक लामबंदी और व्यावसायिक विकास के सिद्धांत को अपनाया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबाई) ने गैरसरकारी संगठनों के साथ मिल कर एसएचजी और बैंक के बीच संपर्क का कार्यक्रम चलाया।

उसने एसएचजी के लिये प्रोत्साहन के परिवेश का बनाया और विकसित किया। भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 1990 में एसएचजी को वैकल्पिक ऋण प्रवाह मॉडल के प्रारूप में मंजूरी दी। इस तरह भारत में विकास बैंकिंग का रूपांतरण हुआ। एसएचजी को जमा और ऋण संपर्क के लिये बैंकों के समूह आधारित ग्राहक के तौर पर मंजूर किया गया। इससे एसएचजी के सदस्यों के लिये ऋण मुक्त कर्ज तथा कार्य या परियोजना के विवरण के बिना समूहों को ऋण देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रो0 एसआर हाशिम समिति (1997) ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा की इस समिति ने व्यक्तिगत लाभार्थी के बजाय समूह आधारित व्यवसाय विकास के दृष्टिकोण की ओर ध्यान केन्द्रित करने की सिफारिश की।

इसके बाद समेकित ग्रामीण प्रबंध अनेक आर्थिक गतिविधियों के मिश्रण के जरिये करते हैं। इन गतिविधियों के लिये नकदी के प्रवाह, मौसम और सहायता की जरूरतें भी अलग-अलग होती हैं। एसएचजी के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों से जोड़ने पर भी ध्यान दिया गया। एसएचजी आंदोलन को संस्थागत रूप देना जरूरी समझा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने **प्रो राधाकृष्ण समिति** की सिफारिशों के अनुरूप एसजीएसवाई में बदलाव कर तीन जून 2011 को **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एनआरएलएम)** आरंभ किया। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा शिद्दत से ध्यान देकर इस काम में तेजी लाना था। एसजीएसवाई का एनआरएलएम में पूर्ण रूपांतरण एक अप्रैल 2013 को हो गया। अब एनआरएलएम के नाम के आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) जोड़ दिया गया है। इस तरह इस योजना को मौजूदा समय में डीएवाई-एनआरएलएम के नाम से जाना जाता है।

दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह अपने-अपने ढंग से काम कर रहे थे लेकिन 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (आजीविका) के तहत समस्त राष्ट्र के स्वयंसहायता समूहों को एक निश्चित पहचान बनाने और काम करने के ढंग में एकरूपता मिली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इस अति महत्वपूर्ण योजना के तहत स्वयंसहायता समूहों और उनके उच्चस्तरीय संघों का गठन किया जाता है, जिससे ग्रामीण महिलाएं, ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठित होती हैं। यह संरचना उनके सामाजिक-आर्थिक विकास का माध्यम बनती है।

'आजीविका मिशन और इसके तहत कार्यरत विभिन्न राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' (जिन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है), के प्रयासों के फलस्वरूप, आज पूरे देश में 75 लाख स्वयंसहायता समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनमें आठ करोड़ से अधिक महिलाएं सदस्य हैं। आजीविका मिशन के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अभी तक देश के 707 जिलों में इन समूहों का गठन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों की स्थिति-

देश के कुल आच्छादित जिले	कुल संगठित स्वयं सहायता समूह	कुल सदस्य
707	7534852	82186548

स्रोत: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पोर्टल



आंकड़े गतिशील हैं, समूहों के गठन के अनुसार इनमें परिवर्तन दर्शाया जाता है।

स्वयं सहायता समूहों का त्रि-स्तरीय ढांचा (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

स्वयं सहायता समूहों का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव- स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म-गौरव इत्यादि में वृद्धि होती है क्योंकि घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी-छोटी बचत इकट्ठी करके, ऋण लेकर, बैंक कर्मचारियों से संपर्क, लघु उद्यम स्थापित करके, समूह की बैठकों की कार्यवाही संचालित करके महिलाओं में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होता है-

1. **स्वनिर्णय की शक्ति-** समूह की गतिविधियों के संचालन, बैठकों में भाग लेने से महिलाओं की स्वनिर्णय की क्षमताओं का विकास होता है जो धीरे-धीरे परिवार और समुदाय में उनकी सोच को आवाज मिलती है।

2. **जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता-** समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है। घर की चारदीवारी में रहने वाली महिलाएं इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र, गैर-सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों इत्यादि से संपर्क में आती हैं जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं। सूचना एवं संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं की सशक्त करती है।

3. **सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता-** अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने वाली महिलाओं की सामुदायिक कार्यों में सहभागिता, पंचायत की बैठकों में उपस्थिति अधिक सक्रिय होती है। अन्य महिलाओं की अपेक्षा ये महिलाएं अपनी बात समुदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रख पाती हैं।

4. **आर्थिक आत्मनिर्भरता-** स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनती हैं जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं। अध्ययनों से स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कम होते हैं।

5. **कौशल विकास-** हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं किन्तु इन्हीं कार्यों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है। इन समूहों को सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे महिलाओं की स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है।

6. लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास- इन समूहों में सामान्यतया सभी सदस्य एक जैसी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा इनकी कार्यवाही में लोकतांत्रिक प्रविधियों को अपनाया जाता है जिससे महिलाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत होता है। इसका प्रभाव गांव में राजनीतिक संस्थाओं यथा ग्राम सभा, पंचायत इत्यादि पर भी पड़ता है। महिलाओं की विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है।

निष्कर्ष- निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समूह की क्रियाओं में भाग लेकर महिलाएँ विभिन्न कार्यों से जुड़कर विकास के नये आयाम से जुड़ गयी हैं तथा समूह के स्तर पर नेतृत्व करने के साथ-साथ परिवार एवं समुदाय के स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता भी उभरी है। महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य ही यह है कि उनको अपने अधिकारों के प्रति सशक्त किया जाय और परिवार में निर्णय के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जाये।

इस प्रकार ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभिन्न तथ्यों से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं पर किये गये घरेलू हिंसा तथा शोषण में उल्लेखनीय कमी आयी है, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी हद तक सुधार भी आया है। अतः स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सशक्तिकरण की दिशा की ओर उन्मुख किया है।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने के प्रयास में जुटी है। इसी दिशा में महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने व विकास कार्य में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित

करने के प्रयास जारी हैं। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण निर्धन महिलाओं द्वारा स्वेच्छा से गठित समूह है, जिससे समूह की सदस्य महिलाएँ अपनी इच्छा से जितनी चाहे बचत आसानी से करती हैं। उनका अंशदान एक सम्मिलित निधि में करने तथा समूह के सदस्यों उत्पादक अथवा आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण के रूप में देने के लिए परस्पर सहमत होती है। ग्रामीण विकास के लिए आर्थिक मदद तथा सामाजिक परिवर्तन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अतः सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह इसीलिए आवश्यक है, ताकि ग्रामीण महिलाएँ संगठित होकर आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में स्वयं के प्रयासों से कुछ कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रेमनारायण विनायक वाणी 2011 : गरीबी उन्मूलन महिला सशक्तिकरण भारत बुक सेंटर पृ0सं0 147
2. सुबह सिंह यादव : ग्रामीण बैंकिंग एवं विकास, सबलाइम पब्लिकेशन, जयपुर, पृ0सं0 285-325
3. पुहाजेन्दी एवं बादात्या : ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्वसहायता समूह योजना का महत्व अध्याय-6
4. लोकेश : ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्वसहायता समूह योजना का महत्व अध्याय-6
5. सोमनाथे, सिलवाल : लघु एवं कुटीर उद्योग के क्षेत्र में महिला उद्यमी की भूमिका Int. J. Ad. Social Sciences 1(2): Oct. - Dec. 2013 ; Page 63-65.
6. योजना अक्टूबर 2008 पृ0सं0 18
7. योजना सितम्बर 2021 पृ0सं0 20-23
8. कुरुक्षेत्र अप्रैल 2022 पृ0सं0 42-43
9. www.bbc.com



डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत सशक्तिकरण के मापदंड, बाधाएं और समाधान

क्र.	सशक्तिकरण के मापदंड	बाधाएं और समाधान
1	सर्वव्यापी सामाजिक लामबंदी	योजनाओं का लाभ उठाने के लिए गरीबों की पहचान और समावेशन एक चुनौती रहा है। समावेशी सामुदायिक उद्यमिता सुनिश्चित करने के मकसद से ग्रामीण गरीबों की पहचान के लिए समुदाय विशेषज्ञों के विकास और उनकी सेवाएं लेने की कोशिश की जानी चाहिए। समुदाय विशेषज्ञ की गांव और समूह की गतिकी को सबसे अच्छे ढंग से समझने में समक्ष होते हैं। वे पंचायती राज संस्थाओं और अन्य प्रमुख हितधारकों को एसएचजी नेटवर्क की सहायता के लिए राजी कर सकते हैं। इससे सेवाओं तक पहुंच और उनमें सुधार लाने में मदद मिलेगी तथा अधिक प्रगति के लिए सामाजिक एकजुटता भी बढ़ेगी।
2	गरीबों की संस्थाओं को प्रोत्साहन	महासंघों के विधिक ढांच का लेकर सैद्धांतिक स्पष्टता का अभाव सीएलएफ की तय भूमिका और स्वरूप में विचलन तथा व्यावसायिक गतिविधियों के प्रबंधन में इन समूह स्तरीय महासंघों की कम कुछ प्रमुख बाधाएं हैं। इन्हें दूर करने के लिये वीओ और सीएलएफ स्तर पर कुशल और प्रशिक्षित प्रबंधन कर्मियों और मानव संसाधन को आकर्षित करने और जोड़े रखने के लिये जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। वाई स्तर पर एसएचजी ग्राम स्तर पर वीओ और उप-प्रखंड स्तर पर सीएलएफ के तीन स्तरीय ढांचे के जरिये उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग से आजीविका समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे महिला एसएचजी के प्रतिबद्ध कैडर का निर्माण होगा, शराब सेवन जाति/वर्ग टकराव, बाल श्रम और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराईयां घटेंगी तथा ग्राम सभाओं में भागीदारी बढ़ेगी।
3	प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन	समुचित प्रशिक्षण योजना, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सामग्री और विशेषज्ञ प्रशिक्षण सरमानों के अभाव से एसएचजी की क्षमता निर्माण की कोशिश प्रभावित होती है। विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण को जरूरत के आकलन, वक्त पर प्रशिक्षण तथा एसएचजी उनके नेताओं समुदाय विशेषज्ञों और सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण महत्वपूर्ण है। इससे पंचायती राज संस्थाओं समेत सभी हितधारक व्यावसायिक विकास के साथ ही सामुदायिक सशक्तिकरण में एसएचजी की संभावनाओं के बारे में जागरूक बनेंगे।
4	सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन	एसएचजी के सभी स्तरों पर समान वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के अभाव में बैंक खातों में वृद्धि, वित्तीय साक्षरता में सुधार तथा सामुदायिक सदस्यों को समावेशन क्षमता प्रभावित होती है। वित्तीय समावेशन के मांग और आपूर्ति दोनों ही पक्षों पर ध्यान देना वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहन पूंजीगत सहायता मुहैया कराना तथा वित्तीय संस्थानों में संपर्क की जरूरत है।
5	सामुदायिक स्तर पर सहायक ढांचा	सामूहिक आजीविका गतिविधियों के समग्र विकास के लिए व्यवसाय के परिवेश का सृजन, कौशल विकास और मूल्य श्रृंखला की पहचान की जानी चाहिये। इसके साथ ही समूचे राज्य में समुचित समूह निर्माण और एसएचजी पारिस्थितिकी में सक्षम मानव संसाधन की तैनाती की आवश्यकता है। इसके अलावा कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों में महिलाओं की क्षमता में सुधार से सार्वजनिक और बाजार संस्थाओं तथा योजनाओं तक उनकी पहुँच बनेगी। सरकार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और पंचायती राज संस्थाओं को साथ समुचित संपर्क तथा बाहरी संवेदनशील और तकनीकी सहायता ढांचे के प्रावधान से सामुदायिक संगठनों को बनाये रखने में मदद मिलेगी।
6	योजनाओं का सम्मिलन	गरीबों की संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तालमेल लाने के लिये जमीनी स्तर पर योजनाओं का सम्मिलन वक्त की जरूरत है। केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ ही राज्यों की योजनाओं के सम्मिलन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। गैर-सरकारी और अन्य सिविल सोसायटी संगठनों के साथ भागीदारी तथा पंचायती राज संस्थाओं के संग जुड़ाव से आपसी लाभ के कामकाजी रिश्ते कायम होंगे। इससे सरकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ेगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हो सकेगा।

Emotional Intelligence and Teacher Effectiveness of Primary School's Teachers

Dr. Satish Chand*

*Asst. Professor (Teacher Education) Km. Mayawati Govt. Girls (P.G.) College, Badalpur G.B. Nagar (U.P.) INDIA

Abstract - The Present study was undertaken to emotional intelligence and teacher effectiveness of primary school's teachers. A representative sample of 95 teachers of Primary level in Baghpat District was draw using stratified Random sampling. The tools used were emotional intelligence scale by Anul Kool hegde, Sanjay Rethe & Upender Dhar and teacher effectiveness scale by Dr. Pramod Kumar & D.N. Mutha. The finding revealed that significance difference was found that Low and high emotional intelligence teachers on the basis of teacher effectiveness.

Introduction - According to American Commission on Teacher Education (1974) "The quality of a nation depends upon the quality of its citizens and the quality of the citizens depends upon the quality of their education. Further, the quality of their education depends more than any other single factors, upon quality of their teachers". No people can rise above the level of teacher. Teachers can either make or mar the society. Teacher's personality, behavior, interests and attitude affect the student's behavior patterns and thus ultimately shape their personality (NPE, 1986 and POA 1992)

Teacher effectiveness can be regarded not as a stable characteristic of the teacher as an individual but as a product of the interaction between certain teacher characteristic and other factors that vary according to the situation in which the teacher works. Teacher effectiveness is defined in terms of what the teachers-pupils do.

1)Adaptability, 2) Considerateness, 3) Enthusiasm, 4) Good Judgment, 5) Honesty and 6) Magnetism were the typical characteristics listed by Commonwealth Teaching Training Study (Charters & Waples, 1929).

The six most frequently mentioned characteristics of best teachers listed by high school pupils were (1) has teaching skills (2) is cheerful, good natured, patient, not irritable (3) is friendly, companionable, not aloof. (4) is trends are discernable. The first is concerned with pupil growth-acquisition of ultimate and proximate goals exhibited through their knowledge, skills and attitudes. Second is related to the handing the process variables involved in teacher, such as presenting, asking responding, providing feedback etc. Brascamp and Brandepnburg (1984) writes that an effective teacher is one who has the ability of knowledge and organization of the subject matter: skills in

instruction, personal qualities and attitudes that are useful when working with students. In the opinion of Mohod and Mohod (2003) effective teacher are those who are both competent and committed professional practitioners. A teacher should have commitment to learner, commitment to society, commitment to basic human values, commitment to learner, commitment to society, commitment to basic human values, commitment to profession, and commitment to achieve excellence, care and concern for doing everything in the classroom, in the college and community in the best possible manner. All these qualities make a person an effective teacher.

Society believes that academic intelligence is the way to get ahead and completely ignores that human beings are not meant to be were think tanks. Does your instinct tell you that there is something wrong with such societal attitude? The answer is: value "the head" and devalue "the heart"

Is the human mind made up of two parts? The researches in Neurobiology have shown that human beings operate from two minds the rational mind and the emotional mind. The harmony between the emotional and the rational mind is what constitutes emotional intelligence and is the key to a richer and more fulfilling life.

So what is the relationship between emotion and intelligence? Goleman (1995) asserted that the constructs of "emotion" and "intelligence" act in harmony with one another and are not incongruous at all. Emotions are often presented as disorganized interruptions of mental activity (Salovey & Mayer, 1990) Instead of interfering with rational thought, Mandlr (1984) suggested that intense emotional situations actually stimulate intelligence by helping individuals priorities thought processes. Emotions have

been thought to link logical thought processes rather than disrupting them (Mayer & Salovey, 1993)

Emotional Intelligence is defined by Mayer and Salovey as follows: Emotional Intelligence is the ability to perceive emotions, to access and generate emotions, so as to assist thought to understand emotions and emotional knowledge to reflectively regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth. Hendric Weisinger opines "Quite simply, emotional intelligence is the intelligence use of emotions. It is emotionally intelligent when you intentionally make emotions work for you by using them to help, guide your behavior and thinking in ways that enhance your results."

Need And Significance Of The Study: Every successful educational enterprise required optimum utilization of human capabilities available to the system. Consequently, every such enterprise or activity needs periodic assessment and review. This has to be followed by search for better conceptual understanding, implementation strategies and practices. It is now well understood and appreciated that the role of teachers shall continually change in the 21st century for obvious reasons. While it will be necessary for the teachers and the teacher preparation systems to ensure regular acquisition of new skills and up gradation of existing skills, the assessment of the performance of teachers shall also remain an essential pre-condition for enhancing the efficacy of educational processes.

Predictors of teacher effectiveness, which have been researched and investigated include, nature, adaptability, attitudes towards children, working conditions, mental ability, professional preparedness, influence opportunity, job satisfaction and others. In addition, various independent variables such as sex, locality, organization, grade, experiences between effective and ineffective teachers with respect to their level of Emotional intelligence has been observed in most of these studies. Effective teachers had scored significantly higher mean values than ineffective teachers on all the individual dimensions of job satisfaction, including nature of work, salary, supervision, promotion and working conditions.

Objective Of The Study: The following are the objectives of the study:

1. To compare the teaching effectiveness of male teachers having high and low emotional intelligence.
2. To compare the teaching effectiveness of female teachers having high and low emotional intelligence
3. To compare the teaching effectiveness of male and female teachers having low emotional intelligence.
4. To compare the teaching effectiveness of male and female teachers having high emotional intelligence.

Hypothesis Of The Study:

1. There is no significant difference in the teacher effectiveness (various areas) of the male teachers differing in their level of emotional intelligence.
2. There is no significant difference in the teacher

effectiveness (various areas) of the female teachers differing in their level of emotional intelligence

3. There is no significant difference in the teacher effectiveness (various areas) of the male and female teachers having low emotional intelligence.
4. There is no significant difference in the teacher effectiveness (various areas) between the male and female teachers having high emotional intelligence.

Methods Of The Study: The proposed research is quantitative in nature. In this research, the researcher will try to analyze the impact of Emotional Intelligence and Sex on Teaching effectiveness of the primary school teachers.

Keeping in view the objectives of the study, the "descriptive method" was found to be most appropriate for this study.

Population: Population of the study will include all the primary school teachers, teaching in various Parishadiya primary school in Baghpat District of U.P.

Sample And Sampling Technique: Keeping in view of this problem, researcher used multi stage stratified random sampling technique while selecting the sample for the present study, to make sure that the areas, races, socio-economic status will be appropriately represented.

At the first stage out of total population of Parishadiya Primary schools in Baghpat District of U.P. a sample of 50 schools were selected randomly.

Keeping in view, proper representation of both the sexes (male and female) and localities (rural and urban), out of the total population of teachers teaching in secondary classes of these schools, a sample of 100 teachers were selected randomly.

Tools Employed: In the present study, to accord the objectives following tools were used:

1. Emotional Intelligence scale Constructed by Anukool Hegde, Sanjyot Pethe and Upinder Dhar.
2. Teaching effectiveness test constructed by Pramod Kumar and D.N. Mutha

Statistical Technique: Mean S.D. T-test and other suitable technique has been applied for the data analysis and interpretation of the study.

Result and Discussion

Table No.-1 (See in last page)

Table-1 Indicate that the male Teachers with high emotional intelligence are more effective teachers academically, significantly superior in our profession more Social, much better in emotionally good moral and more effective personality in comparison to low emotional intelligence teachers.

Table No.-2 (See in last page)

Table-2 Show that female teaches with high emotional intelligence are more effective in Academically more significantly superior in our profession, more social more emotionally effective, have good moral traits and have good effective personality in comparison to low emotional intelligence teacher.

Table No.-3 (See in last page)

Table No. 3 Show that there is a significant difference between the effectiveness of male and female teachers. Female teachers are more effective academically than male teachers Also show there is no significant difference in effectiveness on professional aspect and social aspect of male and female teachers effectiveness

Also indicat that there is a significant difference on emotional aspect moral aspect and personality of male and female teachers effectiveness.

Table No.-4 (See in last page)

Table 4 Show that male and female teachers having high emotional intelligence does not differ in effectiveness on Academic aspect, Social aspect, Moral; aspect and personality aspect.

Table Also indicate a significance difference between having high emotional intelligence male and female teachers on professional aspect and emotional intelligence.

Major Findings:

1. Significance difference was found out between male teachers with high emotional intelligence and low emotional intelligence group teachers on the basis of teacher effectiveness.
2. Significance difference was found out between female teachers with high emotional intelligence and low emotional intelligence group teachers in the basis of teacher effectiveness Areas like, professional area, social area, emotional area, moral area and personality area.
3. Significance difference was found out between male and female teacher having low emotional intelligence on the basis of teacher effectiveness areas live. Academic area, professional area, social area, emotional area, moral area and personality area.
4. Significance difference was found out between male and female teachers having high emotional intelligence on the basis of professional area and emotional areas of teacher effectiveness but no significance difference was found in academic area, social area, moral area and personality area of teacher effectiveness.

Conclusion: A reflects that teacher effectiveness of male and female teachers increases with the increase in scores of emotional intelligence i.e teachers with high emotional intelligence are more effective teacher as compared to teachers with low emotional intelligence. It concludes that

emotional intelligence has positive effect on teacher effectiveness.

It is further revealed that females with high emotional intelligence are better and effective teachers that male with high emotional intelligence. Similarly females with low or moderate emotional intelligence are effective teachers than their counterparts.

References:-

1. **Anjum Sibia. Ashok K Srvvasiava and Girishwar Misra (2003).** Emotional Intelligence: Western and Indian perspectives. Indian Psychological Abstract and Reviews, Vol. 10 No. 1 P. 1-42.
2. **Atreya, Nai Shanker, (1989).** A study of teacher values and job satisfaction in relation to their teaching effectiveness at degree-college level. Ph.D. Edu., Agra Univ.
3. **Jones, M.L., (1956)** Analysis of certain aspects of teaching ability, Journal of Experimental Education. 25. pp 103-108.
4. **Joshi, J.K. (1997).** Emotions- The term and its meaning. Emotions vis-a-vis Advent of Psychology. Ph.D. Edu., Kumaun, Nainital.
5. **King L.A. (1998)** Ambivalence over emotional expression and reading emotions institutions and faces Journal of personality and Social Psychology, 74. 753-762
6. **Kukreti B.R. (1993)** How to measure teacher effectiveness: A review, Indian Psychological Review, Vol, 40 no. 9-10, pp 1-10.
7. **Kumar. D. (2001)** Study of Emotional intelligence of Primary School Teacher in relation to their gender, age caste. Teaching experience and school. Ph.D. Edu. Kumaun Univ., Nanital.
8. **Nutan Kumar S. Thingujam (2002)** Emotional Intelligence: What is the Evidence? Psychological studies. Vol. 417. No. (1-3). P. 54-67
9. **Singh, D. (2001),** Emotional Intelligence at Work: A Professional Guide, Sage Publication, New Delhi.
10. **Symonds. P.M. (1954)** Characteristics of effective teachers based on pupils evaluation. Journal of Experimental education. 231 pp. 289-310.
11. **Tewari. K.K. (2001).** Study of Emotional Intelligence and Adaptability of employees of Private Sector in relation to their gender and professional experience. Ph.D. Edu., Kumaun Univ. Nainital.

Table No.-1: Group and areas wise comparison of teacher effectiveness of male Teachers

Teachers Effectiveness Area	Emotional Intelligence Group							
	Low level Emotional Intelligence Group I			High Level Emotional Intelligence Group II			t-value	Level of significance
	N	M	SD	N	M	SD		
Academic Area	23	14.50	0.90	27	16.12	1.02	5.96	Significant at 0.01 level
Professional Area	23	94.70	3.32	27	104.53	3.11	10.93	0.01 Level
Social Area	23	42.91	2.25	27	49.26	0.86	12.76	0.01 Level
Emotional Area	23	29.75	1.80	27	33.01	2.10	5.91	0.01 Level
Moral Area	23	39.33	2.10	27	42.89	2.15	5.90	0.01 Level
Personality Area	23	45.72	4.04	27	52.51	2.48	7.01	0.01 Level

Table No.-2 : Group and areas wise comparison of teacher effectiveness of Female Teachers

Teachers Effectiveness Area	Emotional Intelligence Group							
	Low level Emotional Intelligence Group I			High Level Emotional Intelligence Group II			t-value	Level of significance
	N	M	SD	N	M	SD		
Academic Area	20	15.20	0.70	25	16.14	0.95	3.81	Significant at 0.01 level
Professional Area	20	95.42	3.39	25	106.50	2.18	14.48	0.01 Level
Social Area	20	42.42	2.50	25	49.42	1.54	10.96	0.01 Level
Emotional Area	20	3.93	2.45	25	34.77	1.85	4.29	0.01 Level
Moral Area	20	4.92	2.60	25	43.42	2.20	3.05	0.01 Level
Personality Area	20	48.48	4.14	25	52.55	1.42	4.34	0.01 Level

Table No.-3 : Effect of ses on area wise teacher effectiveness of male and female teachers having low emotional intelligence

Teachers Effectiveness Area	Low Level Emotional Intelligence Teachers							Level of significance
	Male			Female			t-value	
	N	M	SD	N	M	SD		
Academic Area	23	14.50	0.90	20	15.20	0.70	2.86	Significant at 0.01 level
Professional Area	23	94.70	3.22	20	95.42	3.39	0.71	0.01 Level
Social Area	23	42.91	2.25	20	42.42	2.50	0.67	0.01 Level
Emotional Area	23	29.75	1.80	20	31.93	2.45	3.28	0.01 Level
Moral Area	23	39.33	2.10	20	41.92	2.60	3.55	0.01 Level
Personality Area	23	45.72	4.04	20	48.48	4.14	2.20	0.01 Level

Table No.-4 : Effect of sex on area wise teacher effectiveness of male and female teachers having high level emotional intelligence

Teachers Effectiveness Area	High Level Emotional Intelligence Teachers							
	Male			Female			t-value	Level of significance
	N	M	SD	N	M	SD		
Academic Area	27	16.12	1.02	25	16.14	0.95	0.73	Not Significant
Professional Area	27	104.53	3.11	25	106.50	2.18	2.68	Significant 0.01 Level
Social Area	27	49.26	0.86	25	49.42	1.54	0.17	Not Significant
Emotional Area	27	33.01	2.10	25	34.77	1.85	3.21	Significant 0.01 Level
Moral Area	27	42.89	2.15	25	43.42	2.20	0.87	Not Significant
Personality Area	27	52.51	2.48	25	52.55	1.42	0.072	Not Significant

अलाउद्दीन खिलजी की सुधारवादी शासन व्यवस्था: ऐतिहासिक समीक्षा

मुकेश चन्द*

* सहायक आचार्य, इतिहास (विद्यासंबल योजना) राजकीय महाविद्यालय, सैपऊ, धौलपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – भारत के इतिहास में खिलजी वंश का स्थान एक महत्वपूर्ण वंश के रूप में है। अन्य वंशों की भांति, खिलजी वंश की भी अपनी अलग विशेषताएं थीं। खिलजी वंश में अनेकों शासक हुए, परन्तु अलाउद्दीन खिलजी जिनके बारे में बरनी जैसे अनेकों इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है, शासक के रूप में विशिष्ट व्यक्तित्व और दूरदृष्टि के धनी थे। अलाउद्दीन खिलजी भारत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। वह दिल्ली का सुल्तान था। अपनी महत्वाकांक्षाओं के दबाव में वह अपने ससुर, खिलजी वंश के संस्थापक जलाल-उद-दीन खिलजी की हत्या करके एक शक्तिशाली मुस्लिम शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. - 1316 ई. के बीच शासन किया। अपने शासन के दौरान, अलाउद्दीन खिलजी ने जारन-मंजूर, सिविस्तान, किली, दिल्ली और अमरोहा में मंगोलों के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, गुजरात, चित्तौड़, मालवा, जालोर और सिवाना जैसे हिंदू राज्यों पर भी हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी अपनी महान सैन्य और प्रशासनिक शक्ति के लिए जाना जाता था। मलिक काफूर, एक हिंदू, ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिलजी प्रशासन को जारी रखा। भारतीय इतिहास में उनको उनकी शासन व्यवस्था, कुशल नेतृत्व और प्रबंधन, बाजार व्यवस्था और प्राप्त अनेकों उपाधियों के लिए याद किया जाता है।

प्रस्तुत शोधपत्र में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है।

शब्द कुंजी – सुधारवादी, शासन, व्यवस्था, खिलजी, वंश, हमला, बाजार व्यवस्था।

प्रस्तावना – खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के वास्तविक जन्म-वर्ष के बारे में अलग-अलग मान्यताएं हैं। अधिकांश विचारक और इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1250 ई. में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ। इसके विपरीत, हाजी-उद-दबीर के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266-1267 ई. में कलात, जाबुल प्रान्त, अफगानिस्तान में हुआ। उनकी मृत्यु 2 जनवरी, 1316 ई. को लगभग 49-50 वर्ष की आयु में जलोदर रोग के कारण भारत की वर्तमान राजधानी दिल्ली में हुई। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के सबसे पहले शासक जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। अलाउद्दीन खिलजी को उनकी शासन व्यवस्था, दूर-दृष्टि और महत्वाकांक्षाओं के कारण खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान माना जाता था। अलाउद्दीन के मन में दिल्ली को प्राप्त करने की लालसा थी तथा वह अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली पर शासन करना चाहता था।

अलाउद्दीन को अपने जीवनकाल में अनेकों उपाधियाँ प्रदान की गईं जैसे-सिकन्दर-ए-सानी, यामीन-उल-खिलाफत, अमीर-उल-मोमिनीन, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, भारत का समुद्रगुप्त, भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट, जर्मनी का बिस्मार्क आदि प्राप्त हुईं जो इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि वह एक कुशल शासक थे और उनका शासन प्रबंधन उच्च कोटि का था।

अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था – अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था को निम्न बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है-

1. अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तिगत राजनीतिक आदर्श।

- राजनीति और धर्म की पारस्परिक भिन्नता।
- खलीफा की सत्ता को मान्यता, परंतु प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं।
- शासन व्यवस्था में इस्लाम के सिद्धांतों, उलेमा वर्ग और खलीफा शब्द की उपेक्षा।
- निरंकुश राजतन्त्र में विश्वास।
- बलबन की जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग।
- पदों के वितरण का आधार-योग्यता।
- दीवाने-ए-रियासत विभाग राजधानी के आर्थिक मामलों की देख-रेख एवं व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण हेतु अधिकृत।
- जनसाधारण की देखभाल, बाजारों पर नियंत्रण और नाप तौल के निरीक्षण हेतु अधिकृत मुहतसिब।
- संगठित गुप्तचर पद्धति प्रमुख वरीद-ए-मुमालिक एवं नियुक्त सूचनादाता मुनहियन।
- केन्द्र द्वारा खालसा अथवा रक्षित प्रदेशों का शासन।

अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार – अलाउद्दीन खिलजी को प्रमुख रूप से उनके द्वारा किये गए आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार निम्न लिखित हैं-

- राज्य की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ नियमन।
- बिस्वा का पैमाइश की मानक इकाई के रूप में निर्धारण।
- बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रारम्भ।
- बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना

- सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना और प्रजा को सुविधा और राहत प्रदान करना।
- सरकारी ऋण उपलब्ध करवाना।
 - व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर माल क्रय करने और उसे बाजार लाकर निर्धारित मूल्य पर बेचने का प्रावधान।
 - भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण।
 - प्रति बिस्वा उपज के आधे भाग का निर्धारण राज्य के हिस्से या लगान के रूप में।
 - वस्तुओं की सस्ती कीमतें।
 - बाजार में निश्चित कीमतों की स्थिरता।
 - शनिंग-व्यवस्था का प्रचलन।
 - अनाज को लम्बे समय तक सुरक्षा प्रदान करने हेतु शासकीय अन्न भंडारों की समुचित व्यवस्था।
 - सराय-ए-अदल निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का सरकारी सहायता प्राप्त बाजार।
 - वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण उत्पादन लागत के अनुसार।

अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रमुख विद्रोह - अलाउद्दीन खिलजी को यद्यपि समय-समय पर अनेकों उपाधियों से नवाजा गया, परंतु उनके शासन काल में हुए निम्न लिखित चार विद्रोह इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां सर्वसम्मत नहीं थीं और उनके शासन काल में अनेकों लोग जिनमें उनके सगे-संबंधी भी सम्मिलित थे, उनसे प्रसन्न और सहमत नहीं थे और जिन्होंने समय-समय पर उनके विरुद्ध निम्न लिखित विद्रोह किए-

- नव मुसलमानों का विद्रोह (1299 ई.)
- अकत खां का विद्रोह (1299 ई.)
- उमर खाँ एवं मंगू खाँ का विद्रोह (1303 ई.)
- हाजी मौला का विद्रोह (1303 ई.)

अलाउद्दीन खिलजी की विजय उपलब्धियां - अलाउद्दीन खिलजी को राज्य के व्यापक विस्तार के लिए भारतीय इतिहास में याद किया जाता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं असीमित थीं और वह सम्पूर्ण भारत पर विजय प्राप्त कर उस पर शासन करना चाहते थे। उनके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में जितनी भी विजय प्राप्त हुई, उनको प्रमुख रूप से निम्न लिखित दो वर्गों में रखा जा सकता है-

1. उत्तर भारत की विजय

- गुजरात विजय (1299 ई.)
- रणथम्भौर की विजय (1299-1301 ई.)
- चित्तौड़ की विजय (1303 ई.)
- मालवा की विजय (1305 ई.)
- सिवाना की विजय (1308 ई.)
- जालौर की विजय (1311 ई.)

2. दक्षिण भारत की विजय

- देवगिरी की विजय (1306-07 ई.)
- वारंगल (तेलंगाना) के काकतीय राज्य पर विजय (1309 ई.)
- द्वारसमुद्र के होयसल राज्य की विजय (1310 ई.)
- मदुरा के पांड्य राज्य की विजय (1311 ई.)

5. देवगिरी पर दूसरा आक्रमण (1313 ई.)

अलाउद्दीन खिलजी: महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य:

- 1290 ई. में दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अपने दरबार में 'अमीर-ए-तुजुक', अर्थात्, किसी समारोह में देखरेख करने वाले अधिकारी के प्रधान का पद दिया।
- 1291 ई. में जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में कडा-मानिकपुर के प्रान्तपति (राज्यपाल) मलिक छज्जू ने आक्रमण कर दिया, तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस विद्रोह का दमन बड़े सफलतापूर्वक किया, जिससे प्रभावित होकर जलालुद्दीन ने उसे कडा-मानिकपुर का प्रान्तपति नियुक्त कर दिया।
- 1293 ई. में मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण कर उसने अमूल्य सम्पत्ति हासिल की, इस सम्पत्ति से उसने 8000 घुड़सवारों की शक्तिशाली सेना तैयार की थी। इस सैनिक अभियान से प्रसन्न होकर अलाउद्दीन को उसके चाचा जलालुद्दीन ने आरिज-ए-ममालुक एवं अवध का सूबेदार बनाया दिया।
- 1296 ई. में जलालुद्दीन खिलजी से पूछे बिना गोपनीय ढंग से अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण करके विपुल धन-सम्पदा एवं हाथियों की प्राप्ति की।
- जलालुद्दीन की धोखे से हत्या करने के बाद 19 जुलाई 1296 ई. को कडा-मानिकपुर में अलाउद्दीन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया।
- अलाउद्दीन खिलजी ने 22 अक्टूबर, 1296 ई. को अपना राज्याभिषेक दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में करवाया और वह दिल्ली का सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद उसने यसिकंदर-ए-सानी की उपाधि धारण की।
- 1299 ई. में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया।
- अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों पर स्वयं के लिए 'द्वितीय सिकन्दर' का उल्लेख किया।
- अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के दो पुत्रों अर्कली खाँ और रुक्नुद्दीन इब्राहीम की हत्या कर दी।
- अलाउद्दीन ने गद्दी पर बैठते ही अपने राज्य की सीमाओं को फैलाना शुरू कर दिया।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य:

- खिलजी वंश की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कर ज्ञान संवर्धन करना।
- अलाउद्दीन खिलजी का संक्षिप्त जीवन इतिहास प्रस्तुत कर उनके बारे में ज्ञान में वृद्धि करना।
- अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को प्रस्तुत करना।
- अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था को समग्र रूप से विवेचित करना।

सम्बंधित समीक्षित साहित्य

'अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे महान शासक था और अपने साम्राज्य को सुदूर दक्षिण तक विस्तारित करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। उनके द्वारा गुप्त तरीके से की गई जलालुद्दीन की हत्या को भुलवाने के लिए और लोगों का समर्थन प्राप्त करने हेतु उन्होंने प्रजा और अपने मंत्रियों में मुक्त हस्त से धन और स्वर्ण का वितरण किया। अलाउद्दीन

मुगल बादशाह अकबर की तरह अशिक्षित था, परंतु विद्वान और महत्वाकांक्षी था जो किसी भी तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार रूप देना जानता था।¹

‘मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के लोकप्रिय शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल के दौरान अनेकों सैन्य चुनौतियों का बहादुरी से सामना किया। इन चुनौतियों में मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा, आंतरिक विद्रोहों का दमन, सल्तनत की सीमाओं का विस्तार आदि शामिल थीं। इन चुनौतियों का सफलता पूर्वक सामना करने के हेतु उनके द्वारा अनेकों महत्वपूर्ण सैन्य सुधार लागू किए, जिनमें उल्लेखनीय सुधार थे— एक स्थायी सेना की स्थापना, सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही, घोड़ों के लिए ब्रांडिंग प्रणाली, और सामरिक किलों का निर्माण।

इन सुधारों ने उनकी शक्ति को मजबूत करने, सल्तनत के क्षेत्र के विस्तार करने, सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और दिल्ली सल्तनत को स्थिर और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खिलजी की सैन्य रणनीतियाँ और निर्णय, जिसमें उनकी आक्रामक विस्तारवादी नीति और रक्षा, खुफिया जानकारी, एकत्रीकरण और संसाधन उपयोग पर विशेष जोर शामिल है, ने उनकी सैन्य सफलताओं में योगदान दिया और सल्तनत की सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता को नया रूप प्रदान किया।²

‘इतिहास इस बात का गवाह है कि मध्यकालीन भारत के अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महान बाजार सुधारक थे। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता-भोजन की आसान पूर्ति करने हेतु उन्होंने सबसे पहले खाद्यान्नों की सस्ती कीमत पर उपलब्ध करवाया। सुल्तान ने प्रत्येक बाजार को एक दूसरे से अलग करके सख्त मूल्य नियंत्रण तंत्र लागू किया। सुल्तान ने दिल्ली में अनाज, कपड़ा, चीनी, सूखे मेवे, जड़ी-बूटियाँ, मक्खन, तेल, घोड़े, मवेशी और यहाँ तक कि दासों के क्रय करने हेतु अलग-अलग शॉपिंग सेंटर स्थापित किये।³

‘अलाउद्दीन खिलजी काल को सामान्यतः उनके सैन्य पुनर्गठन के क्षेत्र में दिए गए योगदान के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। राजतन्त्र को सुदृढ़ बनाने में संबंधित राजा द्वारा किया जाने वाला शासन और प्रदत्ता प्रशासन और राजा द्वारा प्राप्त विजय उपलब्धियाँ दो प्रमुख स्तम्भों का कार्य करती हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रशासन और विजय दो प्रमुख स्तम्भ थे जिनको सैन्य प्रबंधन ने निरंतर मजबूती प्रदान की। अलाउद्दीन से पहले, सुल्तानों के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, और उन्हें अधीनस्थ राज्यपालों और सामंतों द्वारा समर्थित सेनाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। अलाउद्दीन इस प्रमुख कमी का समाधान करने में सक्षम था। विद्रोहों और मंगोल आक्रमणों को होने से रोकने के लिए उन्होंने केन्द्र में विशाल सेना स्थाई रूप से रखी थी।⁴

प्राक्कल्पना:

1. खिलजी वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वंश है।
2. अलाउद्दीन खिलजी इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे।
3. अलाउद्दीन की नेतृत्व क्षमता, शासन व्यवस्था और नीतियों के कारण उनको अनेकों उपाधियाँ प्राप्त हुई।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु गुणात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया है। अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति और प्राक्कल्पना के सिद्धिकरण हेतु लेखक द्वारा इतिहास की पुस्तकों, शोध-प्रबंधों और प्रकाशित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधपत्रों एवं अध्ययनों से द्वितीयक तथ्यों को संकलित कर, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है।

निष्कर्ष – अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी शासक था जिसने उत्तर भारत के कई राज्यों को जीतकर उन पर शासन किया था तथा दक्षिण में भी उसने कई राज्य जीते, और साथ ही उनसे वार्षिक कर वसूलकर अपने राजकोष में वृद्धि की थी। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था। उनकी शासन व्यवस्था, अवसरवादिता, महत्वाकांक्षाएं, प्रजा-कल्याण की भावना, साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में निरंतर अग्रसरता, बाजार सुधार, सैन्य प्रबंधन, दूर-दृष्टि, विद्रोहों और आक्रमणों को रोकने और उनका बहादुरी से सामना करने की योग्यता खिलजी वंश के अन्य शासकों से भिन्न थीं। विभिन्न क्षेत्रों में किये गए सुधारों के लिए उनका नाम भारत के इतिहास में हमेशा अंकित रहेगा।

उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्यों एवं वर्णन के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निष्कर्षतः यह कहना उचित होगा कि अलाउद्दीन खिलजी भारत के मध्यकालीन इतिहास के महान शासक थे जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर प्रजा और साम्राज्य के हित में अनेकों ऐसे कार्य किये जिनको पूर्व में अन्य सम्राटों और शासकों द्वारा कभी नहीं किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जसबीर कौर (2019). करैक्टर एंड अचीवमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिस्ट्री, 1(1), 33-34.
2. बिलाल अहमद मुगलू (2022). दि मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ खिलजी। जर्नल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, 2(2), फरवरी-मार्च, 2022.
3. जावेद अहमद मूची एवं तकवीम उल हुसैन खान (2018). मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मूवमेंट एजुकेशन एंड सोशल साइंस, 7(2), जनवरी-जून, 2018.
4. हर्षित एवं नवीन कुमार (2018). ए रिव्यू ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। यूनिवर्सल रिसर्च रिपोर्ट्स, 5(1), जनवरी-मार्च, 2018.

A Comprehensive Analysis of Human Rights Laws and Acts in India: Safeguarding Dignity and Equality

Hemant Kumar*

*Assistant Professor (Law) Govt. Law College, Alwar (Raj.) INDIA

Abstract - India's commitment to safeguarding human rights is reflected in its comprehensive legal framework, comprising laws and acts designed to protect the dignity and equality of its citizens. The Indian Constitution, adopted in 1950, serves as the foundational document guaranteeing fundamental rights, including the right to equality, freedom, and protection against discrimination. Assessing the role of institutions like the National Human Rights Commission and the judiciary in upholding human rights, the study highlights the intersectionality of rights, including those of gender, LGBTQ+ communities, and religious and ethnic minorities. Despite these legislative efforts, challenges persist, and the effective implementation of these laws remains crucial. Ongoing discourse and legal amendments continue to shape India's human rights landscape, emphasizing the nation's commitment to upholding the principles of dignity and equality for all its citizens. This research paper undertakes a thorough examination of the legal landscape governing human rights in India, with a focus on the evolution, implementation, and challenges faced by key legislations.

Keywords: citizens' rights, NHRC, legal protection, Economic Disparities, complex legal procedures.

Introduction: A Framework for Human Rights in India:

In the realm of human rights, India stands as a diverse and vibrant nation committed to upholding the principles enshrined in its Constitution and international conventions. This introduction sets the stage for a comprehensive analysis of the legal framework governing human rights in India, exploring the historical evolution, constitutional foundations, and the intricate web of legislations and acts designed to protect and promote the dignity and equality of its citizens. India's commitment to human rights emanates from its historical struggle for independence, where the quest for freedom was inherently intertwined with the demand for justice and equality. The drafting of the Constitution in 1950 marked a watershed moment, laying the groundwork for a robust legal framework that would safeguard fundamental rights. Today, the nation grapples with a myriad of challenges and opportunities as it navigates the delicate balance between tradition and modernity, diversity and unity, and individual freedoms and collective responsibilities. The rationale behind this research stems from the imperative to critically examine the efficacy of India's human rights laws in practice. Despite a strong legal foundation, the real-world impact of these laws is shaped by a complex interplay of factors, including institutional mechanisms, socio-cultural dynamics, and evolving global standards. As India strives to assert its role on the global stage, understanding the nuances of its human rights framework becomes paramount.

Evolution of Human Rights Legislation in India: Navigating the Historical Trajectory:

The evolution of human rights legislation in India is a journey intricately woven into the nation's socio-political fabric, reflecting its commitment to fundamental values and justice. Post-independence, the Constituent Assembly, led by luminaries like Dr. B.R. Ambedkar, laid the foundation for an inclusive and egalitarian society through the adoption of the Constitution in 1950. This transformative document not only guaranteed civil and political rights but also recognized economic, social, and cultural rights, setting India on a unique path in the realm of human rights.

The subsequent decades witnessed pivotal legislative developments. The Protection of Human Rights Act, enacted in 1993, marked a watershed moment, establishing the National Human Rights Commission (NHRC) to address violations and protect citizens' rights. Simultaneously, the Right to Information Act, enacted in 2005, empowered citizens to access information, promoting transparency and accountability. Judicial activism played a crucial role in interpreting and expanding the ambit of human rights. Landmark decisions by the Supreme Court, such as the Kesavananda Bharati case, have fortified the constitutional foundations of fundamental rights. Amendments to laws, like the Criminal Law Amendment Act in 2013 post the Nirbhaya case, exemplify legislative responsiveness to contemporary challenges. As India continually grapples with evolving societal dynamics, the evolution of human rights

legislation reflects an ongoing commitment to creating an equitable and just society.

Key Human Rights Laws and Acts: Safeguarding Dignity and Equality: The legal framework governing human rights in India is a mosaic of legislations designed to uphold the principles enshrined in the Constitution and international conventions. This section explores the key laws and acts that form the backbone of human rights protection in the country, unraveling their provisions, amendments, and judicial interpretations.

1. The Protection of Human Rights Act, 1993: At the forefront of India's human rights legal landscape stands The Protection of Human Rights Act, 1993. Enacted in response to growing concerns about human rights violations, this legislation marked a significant stride towards institutionalizing safeguards. The Act led to the establishment of the National Human Rights Commission (NHRC) at the national level and State Human Rights Commissions (SHRCs) at the state level. These bodies serve as watchdogs, investigating complaints, conducting inquiries, and promoting awareness on human rights issues.

2. The Right to Information Act, 2005: Transparency and accountability are intrinsic to the protection of human rights. The Right to Information (RTI) Act, enacted in 2005, exemplifies India's commitment to empowering its citizens. The legislation grants individuals the right to access information held by public authorities, fostering transparency and curbing corruption. By enabling citizens to scrutinize governmental actions, the RTI Act strengthens democratic governance and promotes a culture of accountability. However, challenges such as delays in responding to information requests and concerns about the safety of whistleblowers underscore the need for continuous refinement and robust enforcement.

3. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989: Recognizing the historical injustices faced by marginalized communities, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, was enacted to prevent atrocities against these communities. The legislation delineates specific offenses, including social and economic boycotts, and prescribes stringent penalties for perpetrators. It also mandates the establishment of special courts for the speedy trial of cases. While the act represents a crucial step towards addressing caste-based discrimination, its implementation has faced challenges. Instances of misuse and dilution of provisions have sparked debates, emphasizing the delicate balance between protecting the rights of marginalized communities and preventing potential misuse.

4. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015: Children, as a vulnerable segment of society, require special protection. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, aims to provide comprehensive legal provisions for the care, protection, and rehabilitation of children. It aligns with international con-

ventions on the rights of the child and ensures that the justice system recognizes the unique needs and vulnerabilities of juvenile offenders. Nevertheless, challenges persist in ensuring the effective rehabilitation of juvenile offenders and addressing the root causes that lead to their involvement in criminal activities.

5. Other Relevant Legislations: Beyond the highlighted acts, India's legal framework for human rights includes an array of legislations addressing specific aspects. The Mental Healthcare Act, 2017, endeavors to protect the rights of individuals with mental illnesses, emphasizing the principles of dignity, autonomy, and non-discrimination. The Domestic Violence Act, 2005, seeks to address gender-based violence, providing legal recourse to victims of domestic abuse. Furthermore, judicial pronouncements, such as the Vishakha guidelines on workplace sexual harassment and the evolving jurisprudence on privacy rights, contribute to shaping the human rights landscape.

While these legislations collectively form a robust framework, challenges persist in their implementation and enforcement. Gaps in awareness, delays in legal proceedings, and issues related to accessibility hinder the optimal realization of human rights protections envisioned by these laws.

Implementation and Enforcement: Navigating Challenges in Upholding Human Rights: The effectiveness of human rights laws in India hinges on the robustness of implementation and enforcement mechanisms.

1. National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commissions (SHRCs): The NHRC, established under The Protection of Human Rights Act, 1993, plays a pivotal role in investigating complaints of human rights violations and promoting awareness. Empowered with quasi-judicial powers, the NHRC has the authority to conduct inquiries, summon evidence, and recommend compensation to victims. However, challenges persist in ensuring the timely disposal of cases, and concerns have been raised regarding the need for more teeth in its enforcement powers. At the state level, SHRCs mirror the role of the NHRC within their jurisdictions. Their effectiveness, however, varies, with some states demonstrating robust mechanisms while others grapple with resource constraints and inadequate powers. Strengthening these institutions is crucial to ensuring a uniform and effective human rights protection framework across the country.

2. Role of Judiciary in Upholding Human Rights: The judiciary, particularly the Supreme Court of India, has been instrumental in shaping human rights jurisprudence. Landmark decisions have expanded the scope of fundamental rights and established principles that resonate globally. In cases like *Maneka Gandhi v. Union of India*, the court emphasized that the right to life and personal liberty extends to a life of dignity, free from torture or cruel treatment. Public interest litigations (PILs) have been an important avenue

for citizens to seek judicial intervention in matters of human rights, yet their impact varies.

3. Challenges in Implementation and Enforcement: While India's legal framework for human rights is comprehensive, numerous challenges hinder effective implementation. One significant challenge is the backlog of cases, leading to delays in justice delivery. Overburdened courts, complex legal procedures, and resource constraints contribute to the sluggish pace of legal proceedings.

Another critical issue is the uneven awareness and accessibility of legal remedies, particularly among marginalized communities. This necessitates robust awareness campaigns and legal aid programs to ensure that all citizens can avail themselves of the protective measures offered by human rights laws. Furthermore, instances of custodial violence, extrajudicial killings, and the misuse of laws, such as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, underscore the need for stringent enforcement measures and ongoing sensitization of law enforcement agencies. Collaborative efforts between the police, judiciary, and human rights bodies are imperative to bridge the implementation gap and build a culture of respect for human rights.

Intersectionality and Human Rights: Navigating Complex Realities: The landscape of human rights in India is characterized by diversity, and the concept of intersectionality becomes crucial in understanding the layered challenges faced by various segments of society.

1. Gender Equality and Women's Rights: Gender-based discrimination remains a pervasive challenge in India, impacting the realization of women's rights. While constitutional provisions guarantee equality, the ground reality is complex. Issues such as gender-based violence, unequal access to education and employment, and discriminatory cultural practices persist. The Vishakha guidelines and subsequent legislations aimed at addressing workplace harassment represent positive steps, yet the implementation remains inconsistent. Intersectionality further exacerbates the challenges faced by women belonging to marginalized communities. Dalit women, for instance, endure not only gender-based discrimination but also caste-based oppression. Efforts to address gender inequality must adopt an inclusive approach that considers the intersecting vulnerabilities faced by women from diverse backgrounds.

2. LGBTQ+ Rights: The recognition of LGBTQ+ rights in India has witnessed significant legal advancements, notably with the decriminalization of consensual same-sex relations in the historic Navtej Singh Johar v. Union of India judgment. However, societal attitudes and stigma persist, impacting the lived experiences of the LGBTQ+ community. Discrimination in employment, healthcare, and education remains a challenge, necessitating comprehensive legal protection and awareness campaigns. Intersectionality within the LGBTQ+ community adds another layer of com-

plexity. Transgender individuals, for instance, face unique challenges, including discrimination, violence, and lack of legal recognition. Recognizing the diverse experiences within the LGBTQ+ spectrum is crucial for crafting inclusive policies and protective measures.

3. Rights of Religious and Ethnic Minorities: India's rich tapestry of religious and ethnic diversity brings forth unique challenges concerning human rights. Minorities, whether religious or ethnic, often face discrimination, marginalization, and, in extreme cases, violence. Instances of communal tensions and targeted violence underscore the need for protective measures that ensure the rights of minorities are safeguarded. The intersectionality of religious identity and socioeconomic status further complicates the impact of these policies, with vulnerable communities facing heightened vulnerability.

4. Rights of Persons with Disabilities: The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, marks a significant step towards recognizing and protecting the rights of individuals with disabilities. However, the intersectionality of disability with other identities, such as gender and socioeconomic status, demands a nuanced approach. Women with disabilities, for instance, face compounded discrimination and often encounter barriers in accessing healthcare, education, and employment.

Emerging Human Rights Challenges: Navigating the Contemporary Landscape: As India traverses the complexities of a rapidly evolving socio-political landscape, several emerging human rights challenges demand nuanced solutions and proactive measures. This section delves into key contemporary issues that pose intricate challenges to the protection of human rights in the country.

1. Technology and Privacy Concerns: The proliferation of technology, while bringing unprecedented connectivity and convenience, has given rise to intricate privacy concerns. The intersection of technology and human rights poses challenges related to surveillance, data breaches, and the potential misuse of personal information. The advent of biometric systems, facial recognition, and digital surveillance raises questions about the right to privacy guaranteed by the Constitution.

2. Migrant and Refugee Rights: The movement of populations, both internal and across borders, poses intricate challenges to human rights protections. Internal migrants often face challenges related to access to basic amenities, employment, and social inclusion. The plight of refugees and asylum seekers, particularly in the context of global crises, necessitates a compassionate and rights-based approach.

3. Addressing Economic Disparities: Economic disparities continue to be a significant human rights challenge, impacting access to education, healthcare, and basic amenities. The intersectionality of socioeconomic status with other identities, such as caste and gender, exacerbates the challenges faced by marginalized communities.

The right to an adequate standard of living, as articulated in international human rights instruments, necessitates a concerted effort to address economic inequalities.

4. Challenges in Ensuring Cybersecurity and Combating Cybercrime: The increasing digitization of society brings forth new challenges related to cybersecurity and cybercrime. Ensuring the security of digital spaces is crucial for protecting individuals from online harassment, data breaches, and cyber-attacks. However, measures taken to enhance cybersecurity must be carefully calibrated to avoid encroachments on civil liberties, including freedom of expression and privacy. The absence of clear legal frameworks and international norms in the realm of cyberspace poses challenges in addressing cybercrimes effectively.

Comparative Analysis with Global Human Rights Standards: Striving for Excellence: A comparative analysis of India's human rights framework against global standards is essential to benchmark its progress, identify areas for improvement, and foster a culture of continuous enhancement. This section examines India's compliance with international conventions and norms, exploring both successes and challenges in aligning with the broader global human rights landscape.

1. India's Compliance with International Conventions: India is a signatory to several international human rights conventions, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), and the Convention on the Rights of the Child (CRC). These conventions lay down fundamental principles and standards that member states are expected to uphold.

2. Opportunities for Global Collaboration: International collaboration offers a valuable avenue for sharing best practices, learning from global experiences, and enhancing the effectiveness of human rights protections. India's engagement with international forums, such as the United Nations Human Rights Council (UNHRC), presents opportunities for dialogue and cooperation. Embracing recommendations from global human rights entities can contribute to a more robust framework that aligns with international standards.

3. Challenges in Achieving Full Compliance: Several challenges impede India's full compliance with global human rights standards. The implementation gap between international obligations and domestic practices remains a persistent concern. Instances of custodial violence, extrajudicial killings, and violations of freedom of expression have drawn international scrutiny, underscoring the imperative for enhanced enforcement mechanisms. The issue of ratifying certain crucial conventions, such as the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), presents a gap in alignment with global standards.

4. Intersectionality and Global Standards: A nuanced exploration of intersectionality, considering the unique challenges faced by various groups, is pivotal in aligning with

global human rights standards. Ensuring that legal protections account for the intersecting vulnerabilities of marginalized communities reflects a commitment to inclusivity and equality, principles enshrined in international conventions. India's compliance with global standards requires not only legal reforms but also cultural shifts that foster inclusivity and eradicate discrimination. A comprehensive approach to human rights that recognizes the intersectionality of identities is crucial for achieving alignment with international norms.

5. Balancing Cultural Sensitivity and Human Rights: A challenge faced by many countries, including India, is the delicate balance between respecting cultural diversity and upholding universal human rights. Cultural relativism must not serve as a shield for practices that violate fundamental rights. Striking this balance requires a nuanced approach that respects cultural diversity while firmly upholding the universality of human rights.

6. Recommendations for Strengthening Global Alignment: To enhance India's alignment with global human rights standards, several recommendations emerge. Firstly, the ratification of crucial conventions, such as the CAT, should be prioritized to signal a commitment to eradicating torture and inhumane treatment. Secondly, there is a need for greater transparency and cooperation with international human rights bodies. Thirdly, fostering a culture of inclusivity and addressing intersectionality requires not just legal reforms but also comprehensive awareness campaigns and educational initiatives. Civil society, alongside the government, plays a pivotal role in driving these cultural shifts.

Future Prospects and Recommendations: Charting a Course for Human Rights Excellence: As India stands at the cusp of a dynamic future, fortifying its human rights landscape requires a strategic and forward-looking approach. This section outlines comprehensive recommendations that encompass legal reforms, institutional strengthening, awareness campaigns, and global collaboration to foster a society where human rights are not just protected but actively championed.

1. Strengthening Enforcement Mechanisms: Enhancing the effectiveness of human rights enforcement mechanisms is imperative. This involves addressing judicial backlog, streamlining legal procedures, and ensuring timely justice delivery. Investing in the modernization of the judiciary, including the integration of technology, can contribute to expediting legal proceedings. Additionally, providing adequate resources and autonomy to institutions such as the National Human Rights Commission (NHRC) and State Human Rights Commissions (SHRCs) is crucial.

2. Addressing Implementation Gaps: The gap between legislative intent and on-the-ground implementation requires targeted interventions. Conducting regular audits of human rights compliance, particularly in law enforcement agencies, can identify systemic issues and pave the way for corrective measures.

3. Advocacy for Legislative Reforms:Legislative reforms are integral to aligning India's human rights framework with global standards. Ratifying crucial international conventions, such as the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), should be prioritized. Amendments to existing laws, guided by international best practices, can enhance legal protections and address evolving challenges.

4. Public Awareness and Sensitization Campaigns:A rights-conscious society is essential for the effective protection of human rights. Comprehensive public awareness campaigns, utilizing various mediums including digital platforms, can disseminate information about rights, legal remedies, and avenues for redressal. Integrating human rights education into school and college curricula can instill a culture of respect for rights from an early age.

5. Intersectionality and Inclusive Policies:Recognizing the intersectionality of rights is central to crafting inclusive policies. Policies should address the unique challenges faced by women, LGBTQ+ communities, religious and ethnic minorities, and persons with disabilities. The government should actively seek input from representatives of these communities in the policy-making process to ensure diverse perspectives are considered.

6. Strengthening International Collaboration:India's engagement with the international community on human rights issues should be characterized by openness, transparency, and a commitment to learning from global best practices. Collaborating with international entities, participating in dialogues, and embracing constructive criticism contribute to a more robust human rights framework. Actively participating in global forums, such as the United Nations Human Rights Council (UNHRC), not only provides India with opportunities to showcase its achievements but also allows for valuable exchanges of knowledge and experiences.

7. Monitoring Emerging Challenges:The proactive monitoring of emerging human rights challenges, such as those arising from technological advancements, economic disparities, and migration, is essential. Establishing dedicated task forces or commissions to assess the impact of

these challenges on human rights and proposing adaptive strategies ensures that the legal framework remains responsive to evolving realities.

Conclusion: In conclusion, India's human rights laws and acts play a pivotal role in safeguarding the principles of dignity and equality. While significant progress has been made, challenges persist, demanding ongoing scrutiny and reform. The judiciary's role in upholding these rights is crucial, serving as a check against potential violations. Continued efforts to address societal issues, such as gender inequality and discrimination, are vital for the effective realization of human rights. It is imperative that India remains committed to enhancing its legal frameworks, fostering public awareness, and ensuring enforcement mechanisms, thereby fortifying the foundation for a society where every individual's rights and dignity are respected. The key human rights laws and acts in India reflect a commitment to foundational principles of justice, equality, and dignity. However, their effectiveness hinges on addressing challenges in implementation, ensuring awareness and accessibility, and adapting to the evolving dynamics of human rights in contemporary society.

References:-

1. Adawal, Shankar, (2009) "Human Rights" The Reality and Challenges (Delhi: Academic Excellence India).
2. Austin, Granville, (1999) The Indian Constitution: Corner Stone of Nation, Delhi Oxford University Press.
3. Basu, D.C. Introduction to the Constitution of India. New Delhi: Prentice-Hall.
4. Chaube, Kinkar, Shibani (2009), "The Making and Working of the Indian Constitution", New Delhi: National Book Trust, India.
5. Chiranjivi, (1999), Nirmal J., "Human Rights in India, Historical, Social and Political Perspectives", published by Oxford University Press, New Delhi.
6. Iyer, V.R. Krishna (1990) Human Rights and Human Wrongs, Delhi: B.R. Publishing Group.
7. <https://nhrc.nic.in/>
8. <https://wcd.nic.in/womendevlopment/national-policy-women-empowerment>

Role of Nutrition in Sports Performance

Dr. Pravita Khatri*

*Associate Professor (Physical Education) JAV Girls Degree College, Baraut (Baghpat) (U.P.) INDIA

Abstract - Human body is a complex machinery which requires different kind of components to function properly. These components include food, air and water. Nutrition is the basic necessity for growth and development of human body. It affects the buildup of a person. Nutrients, obtain from food provide the building materials for the sportsman growth; development and maturation plus the energy elements for routing energy expenditure and maintained of high level performance.

Nutrition in diet is the base for the game performance of player, by the size of the body, power and tolerance is affected. It is important that sportsman to get proper and balanced diet for achieving his goals and aim in sports.

Introduction - Nutrition is the basic necessity of the human body for growth and development. By the development growth of cells, tissues, organs and system, a 'human body' built up. The procedure/process occurring by nutrition continuously remains activated from the beginning of creation of cell to generation of human body till death.

The branch of science which deals with food and the method in which it is being used by our body is known as nutrition. For various kinds of activities, some amount of energy is required and this energy is being provided by food components which are taken or eaten by human beings. Our health is being affected to a lot of extent by the kind of food we consume.

Our body requires various kinds of nutrients and all these nutrients are required in optimum quantity to keep our body working. Such a diet which can provide all the necessary nutrients in required quantity is known as balanced diet.

Nutrition in Sports : Nutrients from ingested food provide the building materials for the sportsman growth, development and maturation plus the energy elements for routine energy expenditure and maintenance of high level performance. The main point for sportsman nutrition is a balanced diet, balanced in all of the nutrients to provide the necessary fuels and building materials. The selection of diet is always depend upon the individuality.

Normally nutrition plays a very imported role in a person's health. But in a field of sports, there is a permanent role of nutrition sufficient and balanced diet is giving upto the athlete not only to make him., fit but also to provide him extra energy to overcome the body tiredness and loss of energy during game.

Nutrition is diet is the base for the game performance

of player. By this, the size of body, power and tolerance is affected. It is very much important for a player to get proper and balanced diet for achieving his goals and aim in sports. In today's world, there are many food groups incorporated for the better performance of player. Like any common man, a player also requires normal quality of basic food groups. These nutrients are protein, carbohydrate, fat vitamins and minerals. But a player requires extra food for extra requirement of energy normally a player requires 5000 K. Cal. energy. The ratio of carbohydrate, protein and fat in diet should be 4:1:1. A player requires vitamin and mineral in addition to basic nutrients like carbohydrate, protein and fat. Sometime some players face some problems, such as height reduction during practices. These type of problems can overcome by nutrients in food.

For a healthy low fat diet that provides at least 60% of calories from carbohydrate the whole grain cereals should provide the majority of calories followed by fruit and vegetables, dairy meat and poultry. Finally, fat and simple carbohydrate should provide minimal calories. For an individual, who exercise regularly, the need for a sound diet based on the previously participations in regular exercise for extended periods of time, place additional nutritional demands on the body and depending on the types of excessive performed, minor nutritional modifications can improve exercise performance as well as recovery from exercise.

The performance of player is affected by deficiency of nutrients. The requirement of nutrients and diet depend upon their activities and sports, they play. For example, a swimmer's requirement will be different from a runner.

Sports Specific Requirements : As well all know that there are lots of sports. These sports are further divided in many

more categories. Every category of every sport have different body movements and requirements, there comes a specificity of diet of each player. Even in the same category of same game, the requirements of diet/nutrients vary from player to player. This verification is due to their weight, age and different activities in same game.

Unfortunately, there are not deep researches on all these requirements. There are lots of verification of activities in a sport even though, there is no specificity of nutrients for players of different games. There are some researches done by E.R. Basbirk, Buke and Deabis, Welionsky which give us some clear picture of specific requirements.

According to different sports, there are different types of requirements. The main manipulation is required for main nutrients i.e., energy, which is derived by 3 main nutrients; Protein; fat and carbohydrate. It is recommended that every athlete/player should get percentage calorie from following food groups.

Carbohydrate – 55 – 56%

Fat – 29 – 30%

Protein – 10 – 15%

Requirement of Carbohydrates for Athletes: Many coaches, sport writers, trainers and scientists have defined carbohydrates percentage and quantity according to activities of sports. According to the literature of Fox and Bowers, every player's diet should contain 55-60% of CHO, by which they get 2750-3000 K.Cal. The major part of energy should be from carbohydrates.

The conclusion of all the literature written by Fox, Foss, Bower and Shaper is that a player should take 55-60% of carbohydrates. A player with the requirements of 5000 K.Cal, will get 2750-3000 K.Cal. By the amount of 688-750 gms. of carbohydrates

Requirements of Protein for Athletes: The requirements of protein varies from player to player. Source of protein provides good energy to players. The requirements of milk protein is 0.1gm/kg. During practice, player requires 1.5gm/kg body wt. The player should get 10-20% of total energy from this. A player with the requirements of 5000 KCal. Should get his 10-20% energy from 125-188gm. of protein.

Requirement of Fat for Athletes: The recommended allowance of fat for a normal person is 25-30%. This is same for the players but the fixed quantity of fat should

provide 1250 K.Cal., 1500 K.Cal./per day. for this, the amount of fat should be between 139-167gm.

Requirements of Vitamins, Minerals and Water for Athletes: In addition to three most important nutrients i.e. carbohydrates, protein and fat, there are also other nutrients such as vitamins. These are also important for athletes. Vitamins can improve the performance of athlete. The deficiency of vitamins can lead to poor performance of athletes.

Minerals: There are lots of minerals such as calcium, sodium, magnesium etc. Minerals are equally essential to body as other macronutrients. The requirement of minerals remains same for all athletes. These maintain balance in players. These are essential as building material and for body regulatory reactions.

Water: Water is basic necessity for athletes. Water is made available by drinking, by consumption of water, by food as the water is an integral part of food. Water is lost from body in urine, stool, sweat, insensible perspiration, diffusing through skin and by humidification of expired air. Increase water and salt intake should be encouraged under hot conditions, as salt helps hold the water in body. The addition of salt intake replenishes that excreted in urine and excreted sweat

References :-

1. Astrand, P.O. (1988), "Nutrition Today", 3:9:4.
2. Bogert, L.J. Briggs, G.M. and Colloway DH (1988), "Nutrition and Physical Fitness", Saunders Philadelphia Pennsylvania.
3. Novick, M.M. and Taylor B (1980), "Training and Conditioning of Athletes", Lea & Febiger Philadelphia, Pennsylvania.
4. Pike R and Brown ML (1987), "Nutrition and Integrated Approach", Wiley New York.
5. Yoshimura H. (1981), "Nutrition for Athletes: A Handbook for coaches", American Ass. Health Physical Education & Recreation, Washington, DC.
6. Yoshimura H. (1986), "Nutrition Require Survival", Cold Attitude Proc. Symnp Arctic Biol, Mod. 5th Ed.
7. Buskirk, E.R. (1985), "Nutrition for the Athlete", Sports Medicine ed. By Akan JR Yan MD University Health Services, University of Wisconsin, Mechal Centre, Wisconsin.

महिला मानवाधिकार - एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. वर्चसा सैनी*

* असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) जे० के० पी० पी० जी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मानवाधिकार वर्तमान में ज्वलन्त मुद्दे, चुनौती एवं समस्या के रूप के विश्वव्यापी बने हुए हैं। वस्तुतः मानवाधिकार को लिंगभेद के आधार पर महिला मानवाधिकार की अवधारणा के रूप में व्याख्या नहीं जा सकती है। चूंकि मानवाधिकार तो मानव के गरिमामय जीवन जीने के आधार होते हैं। इस आधार पर प्रकृति द्वारा निर्मित व प्रदत्त मानव के दोनों रूपों अर्थात्, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए मानवाधिकार नितांत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं। किन्तु सदियों से समस्त वैश्विक समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लैंगिक असमानता के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम शक्तिशाली तथा क्षमतावान माना जाता रहा है। परिणामतः महिलाओं की प्रस्थिति, अधिकार एवं स्वतंत्रता का पलड़ा हमेशा से ही निम्न रहा।

वस्तुतः मानवाधिकारों की श्रेणी में आने वाले समस्त अधिकारों जो मानव को प्राप्त होते हैं। महिलाओं को भी समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वे भी मानव हैं। महिलावादी चिन्तन, महिला आन्दोलनों तथा महिलावादी सोच एवं विचारधारा ने महिला मानवाधिकारों की आवश्यकता, आधार, अवधारणात्मक विचारबंध तथा वास्तविकता के धरातल पर उतारने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप आज महिला मानवाधिकार का मुद्दा सर्वाधिक ज्वलन्त एवं चर्चित बन गया है।

महिलावादी चिंतकों ने समाज में महिला पुरुषों की सापेक्ष स्थिति, परिवार, कानून, राजनीति एवं जेण्डर के बारे में व्यास चुप्पी पर प्रश्न उठाए, साथ ही जेण्डर परिप्रेक्ष्य से सत्ता, अधिकार, प्रभुत्व, दमन, राजनीति आदि को पुनः परिभाषित करने की ओर ध्यान आकर्षित किया। परिणामस्वरूप महिला मानवाधिकार की अवधारणा की आधारभूत संरचना का विकास प्राप्त हुआ। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में महिला मानवाधिकार पर केन्द्रित किया गया है।

महिला मानवाधिकार से अभिप्राय यह है कि महिला एक मानव है, वह पुरुष के समान ही बुद्धि की अधिकारिणी है। अतः वे सब अधिकार जो मानव को प्राप्त हैं, उसे भी प्राप्त होने चाहिए अर्थात् एक मानव होने के नाते गरिमामय जीवन यापन हेतु पर्याप्त दशाएं मानवाधिकार के रूप में महिला को प्राप्त होना महिला मानवाधिकार है किन्तु चूंकि महिला को प्रकृति द्वारा विशेष क्षमताओं एवं गुणों से सम्पन्न बनाया गया है उनके लिए महिलोचित दशाओं की आवश्यकता भी होती है। अतः महिला को महिला मानव होने के लिए महिलाओं को व्यक्तित्व के विकास, गरिमामय तथा न्यूनतम जीवन

स्तर की गारंटी देने वाले अधिकार महिला मानवाधिकार होते हैं। इनमें महिलाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, शैक्षणिक अधिकार सम्मिलित होते हैं। अतः महिला मानवाधिकार एक महिला को एक व्यक्ति या महिला मानव के रूप में अपना जीवन यापन करने की परिस्थितियाँ हैं।

महिला मानवाधिकारों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार गिना सकते हैं-

- **महिलोचित मानवाधिकार**- महिला मानवाधिकार महिलाओं को उनके महिलोचित गुणों के कारण प्राप्त होते हैं।
- **बहुआयामी**- ये अधिकार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक, शारीरिक आदि सभी तरह के होते हैं।
- **सर्वव्यापी**- इसका अर्थ है कि महिला मानवाधिकार सभी महिलाओं के लिए होते हैं। चाहे ये युद्ध बंदी हो, श्रमिक हो या कोई और जाति, रंग नस्ल या प्रजाति के
- **संरक्षित एवं व्यवहारिक**- महिला मानवाधिकारों को राज्य द्वारा वैधानिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। साथ ही महिला मानवाधिकार समाज में व्यवहारिक धरातल पर लाने योग्य होते हैं।
- **मानवतावादी एवं कल्याणकारी**- महिला मानवाधिकार एक मानव के रूप में मानवीय जीवन जीने की आधारभूत प्रस्थिति प्रदान करते हैं। एक महिला को जननी के रूप में प्राप्त मानवाधिकार समग्र समाज के कल्याण से सम्बद्ध होते हैं।

इस प्रकार महिला मानवाधिकार की अवधारणा, व्यापक, कल्याणकारी, महिलोचित, मानवतावादी एवं व्यवहारिक है।

महिला मानवाधिकार - चिन्तन एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य-प्राचीन राजनीतिक चिन्तन में केवल प्लेटों ने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात करता है।¹ महिला अधिकारों के विचार का प्रारम्भ 15वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांसीसी महिला क्रिश्चियन डे पिजन की पुस्तक 'लेलिवर डोला सिटे डेस डेमस' में हो गया था। 17वीं शताब्दी के दौरान अनेक महिला लेखकों फ्रांस की Marieds Gournay ने अपनी पुस्तक Egalite des Hommes et des femmes (1641) एन्ना मारिया The Learned Maid तथा Whether a maid may be a scholar तथा एफ्रा बहन के नाटक Jealous Bridegroom ब्रिटिश महिला Mary Astell ने A

serious proposal to the ladies for the advancement of their true and greatest interest के अन्तर्गत किश्चियन डे पिजन का अनुसरण किया।² जॉआतुआं कोन्दर्से भी महिला-पुरुष समानता का प्रबल पक्षधर था। मर्सी वारेन और एबिगेल् एडम्स के नेतृत्व में महिलाओं ने पहली बार मताधिकार और सम्पत्ति के अधिकार सहित सामाजिक समानता की मांग करते हुये जॉर्ज वाशिंगटन और टॉमस जैफर्सन पर इन मुद्दों को संविधान में शामिल करने के लिए जोर डाला।³

इसी काल में महिला अधिकारों से संबंधित दो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित हुये। इनमें से पहला था- ओलिम्पी द गूजे, दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज मेरी वोल्सटन क्राफ्ट Vindication of the Rights of women 1792 थी। 19वीं व 20वीं शताब्दी के नारीवादी आंदोलनों की बुनियादी रूपरेखा इस पुस्तक में ही दिखाई देती है।⁴ महिला अधिकारों की विचारधारा को काल्पनिक समाजवादी जैसे सेंट साइमन, फूरियर तथा रॉबर्ट आवेन के चिन्तन के माध्यम से भी गति मिली।

विलियम थाम्पसन (1975-1844) की पुस्तकों Appeal on the Half of the Human Race, Women, Against the pretensions of the other Half, व Men to Retain then in Political Shence civil and Domestic slavery में सामने आया।⁵ जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक 'ऑन दी सब्जेक्शन ऑफ विमिन', एंगेल्स की पुस्तक 'फेमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एण्ड ऑरिजन ऑफ स्टेट', अगस्त बेबेल ने अपनी पुस्तक 'नारी और समाजवाद', 'सीमोन द बूवोय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'दी सेकण्ड सेक्स' में उन्होंने सिद्ध किया कि महिला पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। बेटी फ्रीडेन की पुस्तक 'दी फेमिनाइन मिस्टीग', सुशान बैसनेट ने अपनी पुस्तक 'फेमिनिस्ट एक्सपीरियेंसेज', 'दी सेकण्ड स्टेज' में अमेरिकी महिलाओं में व्याप्त असंतोष का जिक्र किया है। साथ ही केटमिलेट की 'सेक्सुअल पोलिटिक्स' और शुलामिथ फायरस्टोन की 'दी डायलेक्टिक ऑफ सेक्स - दी केस फोर फेमिनिस्ट रिवोल्यूशन', टाई-ग्रसएट किन्सन का 'अमेजन आडिसी' तथा मेरी डेली की 'गाइनाकोलोजी : दी मेटाडिपिक्स ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म सेक्सुअल पोलिटिक्स'। इस प्रकार महिला मानवाधिकारों की प्राप्ति में महिलावादी चिंतन ने निश्चित ही एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।⁶

भारत में भी महिला अधिकारों के प्रति समानता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण प्राचीनकाल से ही रहा है। यद्यपि व्यवहार इसके विपरीत रहा है। प्राचीन चिन्तन में मनु ने महिलाओं को एक ओर पूजनीय स्थान दिया वहीं दूसरी ओर अधिकारों से वंचित भी किया है। कौटिल्य ने महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने के अधिकार दिये हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ज्योतिबा फूले, विवेकानन्द, तिलक, गाँधी आदि के द्वारा महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार, महिला सशक्तिकरण एवं अधिकारों के प्रति न केवल सकारात्मक मत अभिव्यक्त किये वरन् इस दिशा में व्यवहार के धरातल पर ठोस प्रयास भी किये।

संयुक्त राष्ट्र संघ और महिला मानवाधिकार - 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में भी महिला एवं पुरुष को समान दर्जा एवं अधिकार

प्रदान किये गये हैं। मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु किये गए प्रयासों के द्वारा भी महिलाओं को भी समान अधिकार मिले हैं, किन्तु महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए भी विशेष रूप से अनेक अभिसमय पारित किये गये हैं। जो इस प्रकार हैं-

1. **महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर अभिसमय 1952** - इसके द्वारा महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरुषों के समान चुनाव में वोट देने, राष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित सरकारी संरचनाओं का चुनाव लड़ने तथा राष्ट्रीय कानून द्वारा सरकारी दफतरो एवं सरकारी कार्यों में भागीदारी का अधिकार दिया गया।⁷

2. **विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर समझौता 1957** - प्रत्येक समझौते में कहा गया है कि पुरुष व महिला को अपनी राष्ट्रीयता प्राप्त करने, परिवर्तित करने एवं बनाये रखने का समान अधिकार है।⁸

3. **विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु एवं विवाह के पंजीकरण पर समझौता 1962** - पुरुष एवं महिला को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म की सीमा के विवाह का एवं परिवार प्रारंभ करने का अधिकार देता है।

4. **महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के समाप्ति पर घोषणा, 1967** - इस के द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव को संबंधी सभी परम्पराओं, कानूनों, नियमों व व्यवहारों को समाप्त करने तथा समान कानूनी संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से समानता के सिद्धान्तों को सदस्य देशों के संविधान में सम्मिलित करने की अपेक्षा की।⁹

5. **आपातकाल एवं सशस्त्र संघर्ष में महिला एवं बच्चों के संरक्षण पर घोषणा, 1974** - महिलाओं व बच्चों पर किसी प्रकार का आक्रमण व बमबारी पूर्णतः निषेध होगी। उन पर किसी भी प्रकार के रासायनिक या जैविक हथियारों का प्रयोग 1925 के जेनेवा प्रोटोकॉल तथा 1949 के जेनेवा अभिसमय एवं मानवता से संबंधित कानूनों का हनन माना जायेगा।

6. **महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने सम्बन्धी कन्वेंशन, 1979** - यह अभिसमय महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रता प्रदान करता है।¹⁰

महिला मानवाधिकारों के संवर्धन हेतु किये गये विश्व सम्मेलन - संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किये गए प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी महत्वपूर्ण हैं। जो इस प्रकार हैं-

1. प्रथम विश्व सम्मेलन, मैक्सिको (1975)
2. द्वितीय विश्व सम्मेलन, कोपनहेगन (1985)
3. तृतीय विश्व सम्मेलन, नैरोबी (1985)
4. चतुर्थ विश्व सम्मेलन, बीजिंग (1995)
5. बीजिंग+ वर्ष 2000

संगठनात्मक तंत्र - संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु न केवल कानूनी स्तर वरन् संगठनात्मक तंत्र विकसित करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए अनेक महिला अधिकरणों एवं आयोगों का गठन किया गया। जो इस प्रकार हैं-

1. **महिलाओं की प्रस्थिति सम्बन्धी आयोग**-यह आयोग महिलाओं की स्थिति तथा अधिकारों से सम्बन्धित प्रत्येक मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के लिए

सिफारिशें एवं रिपोर्टों को तैयार करता है।

2. महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव-उन्मूलन समिति - यह समिति महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पालन पर निगरानी रखती है।

3. महिलाओं के निमित्त संयुक्त विकास निधि (यूनीफेम) - यह एक स्वैच्छिक निधि है जो महिलाओं के मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने वाले नये ढंग के कार्यक्रमों को समर्थन एवं तकनीकी सहायता देती है।

4. महिलाओं की प्रगति के निमित्त अंतराष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (इन्स्ट्रा) - यह संस्थान महिलाओं की प्रगति, नयी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है।

5. यू.एन. वूमन¹¹ - यू.एन. वूमन महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता हेतु, महिलाओं तथा लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव का निष्कासन करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रहा है। इस के चार विभाग कार्य कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं-

1. डिवीजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वूमन (DAW)
2. इंटरनेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वूमन (INSTRW)
3. आफिस ऑफ द स्पेशल एडवांसमेंट ऑफ वूमन (OSAGI)
4. यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट फण्ड फॉर वूमन (UNIFEM)

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महिला मानवाधिकारों की अवधारणा का विकास एवं क्षेत्र व्यापक हो रहा है। महिला मानवाधिकार का विचार एवं सिद्धान्त या अवधारणा के रूप में प्रफलन एक लम्बे सफर के उपरान्त हो पाया है। महिला को एक मानव के रूप में पहचान तथा उसके अधिकारों के संदर्भ में चेतना के सफर में अनेक महिला विद्वानों तथा विचारकों का अतिविशिष्ट योगदान रहा है। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अग्रणी रही है। जहाँ से समग्र विश्व में महिला प्रस्थिति में सुधार हेतु कानूनी एवं व्यवहारिक प्रयासों को सुदृढ़ता तथा सार्वभौमिकता प्राप्त हुई। यद्यपि महिला मानवाधिकार व्यवहार के धरातल पर अभी भी प्रश्नवाचक बने हुए है, किन्तु फिर भी इसका बिगुल बज गया है और निश्चित ही विश्व में

क्रान्तिकारी परिवर्तन होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bryson, Valeric, Feminist Political Theory, Parag on House New York, 1992, Page-1
2. Agosin, Majorie, women gender and Human rights : A global perspective, Rawat publication, Jaipur, 2003, Page, 20-21
3. सक्सैना, प्रगति, द्वारा अनुवादित जॉन स्टूअर्ट मिलकृत **महिलाओं की पराधीनता**, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002, पृ. 11
4. जोशी मधुबी द्वारा अनुवादित जर्मन ग्रीयर कृत **विद्रोही महिला**, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ. 68
5. माहेश्वरी, सरला, **नारी प्रश्न**, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1998, पृ. 16-17
6. श्रीवास्तव, सुधारानी, भारत में मानवाधिकार की अवधारणा, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2003, पृ. 107
7. V.P.Srivastava, Human Rights : Issues and implem entation (Vol-1), Indian Publishers, Delhi, 2004, page 431
8. [http://www.untreaty.un.org/English/Treatyevent2001/](http://www.untreaty.un.org/English/Treatyevent2001/Index.htm) Index.htm. Accessed on 5.11.14
9. Digumarti Bhaskara, Rao, International Encyclopiedia of Human Right : International instruments of Human Rights, Discovery Publisher, New Delhi, 2001, Page 113
10. <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/> Accessed on 20.11.13
11. <http://www.unwomen.org/en/about.us/about.unwomen> accessed on 02.05.2016

Religion and Social Change: Exploring the Influence of Religion on Social Movements and Reforms in India

Dr. Sandhya Jaipal*

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

Abstract - Religion in India is a multifaceted phenomenon that pervades every aspect of social life. The country's religious diversity is both a source of cultural richness and a complex backdrop against which social movements and reforms have emerged. Religion has been a formidable force in shaping the socio-cultural landscape of India. This paper aims to unravel the influence of religion on social change by exploring various movements and reforms that have been significantly shaped by religious ideologies and institutions. Understanding this relationship is crucial for comprehending the broader dynamics of social change in India. This research paper explores the intricate relationship between religion and social change in India by examining the influence of religious beliefs and institutions on social movements and reforms. Through historical and contemporary lenses, this paper investigates how Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, and other religious traditions have spurred significant social changes, from caste reform and Dalit movements to women's rights and secularism. The analysis is grounded in an interdisciplinary approach, drawing from sociology, history, religious studies, and political science.

Keywords: Religion, Social Change, Social Movements, Reforms, India, Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Dalit Movement, Women's Rights.

Historical Context: India's history is replete with instances where religion has played a pivotal role in social transformation. The ancient and medieval periods saw the rise of religious movements that challenged existing social orders and introduced new paradigms.

The Bhakti Movement: The Bhakti movement, which flourished between the 7th and 17th centuries, was a major religious reform movement that emphasized personal devotion to a deity and the equality of all devotees. This movement challenged the rigid caste hierarchy and Brahminical hegemony, promoting a more inclusive form of spirituality.

Prominent figures like Kabir, Mirabai, and Guru Nanak espoused the principles of love, equality, and social justice. Guru Nanak, the founder of Sikhism, explicitly denounced caste discrimination and promoted the idea of universal brotherhood. The Bhakti movement thus laid the groundwork for subsequent social reforms by advocating for a more egalitarian society.

The Sufi Movement: Parallel to the Bhakti movement, the Sufi movement within Islam also contributed to social change. Sufi saints like Khwaja Moinuddin Chishti and Nizamuddin Auliya propagated messages of love, tolerance, and inclusiveness. Their teachings transcended religious boundaries and attracted followers from various social strata, thereby fostering communal harmony and social

cohesion.

Colonial Era and Religious Reform Movements: The advent of British colonial rule in India brought about significant socio-economic and political changes. During this period, several religious reform movements emerged, addressing social issues and seeking to modernize religious practices.

The Brahmo Samaj: Founded by Raja Ram Mohan Roy in 1828, the Brahmo Samaj was a pioneering socio-religious reform movement that aimed to rid Hinduism of idolatry, caste discrimination, and other regressive practices. Roy's advocacy for widow remarriage, women's education, and the abolition of sati (the practice of a widow self-immolating on her husband's funeral pyre) marked significant strides towards social reform. The Brahmo Samaj played a crucial role in laying the foundation for modern Indian society by promoting rationalism and social justice.

The Arya Samaj: Swami Dayananda Saraswati founded the Arya Samaj in 1875 with the objective of purifying Hinduism and returning to the Vedic principles. The Arya Samaj opposed caste-based discrimination, child marriage, and promoted education, particularly for women. Dayananda's call for Swaraj (self-rule) and his emphasis on social equality resonated with the growing nationalist sentiments and influenced the Indian independence movement.

The Aligarh Movement: The Aligarh Movement, initiated by Sir Syed Ahmed Khan in the late 19th century, aimed to modernize Muslim education and promote social reform. Khan established the Mohammedan Anglo-Oriental College, which later became Aligarh Muslim University. The movement emphasized the importance of scientific education and rational thinking while seeking to harmonize Islamic traditions with modern values. Sir Syed's efforts significantly contributed to the socio-economic upliftment of Muslims in India, fostering a spirit of progress and modernity.

The Ramakrishna Movement: The Ramakrishna Movement, inspired by the teachings of Ramakrishna Paramahansa and led by his disciple Swami Vivekananda, emerged in the late 19th century. This movement aimed to revive Hindu spirituality and promote social service. Vivekananda's emphasis on universalism, social service, and education sought to address social issues like poverty and caste discrimination. The Ramakrishna Mission, established by Vivekananda, became a significant force in promoting social reform and interfaith harmony.

The Prarthana Samaj: The Prarthana Samaj, founded in 1867 by Dr. Atmaram Pandurang, was influenced by the Brahmo Samaj and aimed to reform Hindu religious practices in Maharashtra. It promoted monotheism, denounced caste discrimination, and advocated for women's rights, including widow remarriage and female education. The Prarthana Samaj played a crucial role in social reform in western India, contributing to the broader movement for social justice and modernization within Hindu society.

The Theosophical Society: The Theosophical Society, founded by Helena Blavatsky and Henry Steel Olcott in 1875, aimed to explore the spiritual truths underlying all religions. In India, the society, led by Annie Besant, supported social reforms such as women's education and the upliftment of the oppressed. Besant's involvement in the Indian independence movement and her promotion of universal brotherhood and spiritual enlightenment made the Theosophical Society an influential force in India's socio-religious landscape.

The Singh Sabha Movement: The Singh Sabha Movement, initiated in the late 19th century, aimed to reform Sikhism by returning to the teachings of the Gurus and purging Hindu influences. The movement sought to revive Sikh identity, promote education, and address social issues such as caste discrimination within the Sikh community. The establishment of educational institutions and the publication of religious texts helped to consolidate Sikh identity and contributed to the broader movement for social and religious reform in India.

Religion and Social Movements in Modern India: In the 20th century, India's struggle for independence from British rule was deeply intertwined with religious ideologies and leaders who mobilized masses for social and political

change.

Mahatma Gandhi and Nonviolent Resistance: Mahatma Gandhi's philosophy of nonviolence (Ahimsa) and truth (Satya) was rooted in his Hindu beliefs, yet it resonated with universal ethical principles. Gandhi's integration of religion into the political sphere inspired millions to join the freedom struggle. His campaigns against untouchability, his support for interfaith harmony, and his vision of a self-reliant India (Swaraj) reflected the profound impact of religious values on social reform.

Dr. B.R. Ambedkar and the Dalit Movement: Dr. B.R. Ambedkar, a prominent Dalit leader and the chief architect of the Indian Constitution, used his deep understanding of Buddhism to challenge the caste system and advocate for the rights of the oppressed. Ambedkar's conversion to Buddhism in 1956, along with millions of his followers, was a significant act of defiance against the entrenched caste hierarchy in Hinduism. His efforts laid the foundation for the Dalit movement, which continues to fight for social justice and equality.

The Lingayat Movement: The Lingayat movement, with historical roots in the 12th century, saw a modern revival in the late 20th and early 21st centuries. Lingayats, followers of Basava, advocate for recognition as a distinct religion separate from Hinduism, emphasizing their unique practices and beliefs. The movement has sought to address caste discrimination and promote social equality. Lingayat leaders have engaged in political activism to gain official recognition, reflecting the ongoing negotiation of religious identity and social justice in India.

The Neo-Buddhist Movement: The Neo-Buddhist movement, initiated by Dr. B.R. Ambedkar in 1956, continues to influence Dalit communities seeking liberation from caste oppression. Ambedkar's conversion to Buddhism, along with millions of followers, marked a significant departure from Hinduism's caste-based discrimination. The movement promotes Buddhist values of equality and non-violence, inspiring ongoing efforts for social and economic empowerment among Dalits. Neo-Buddhist organizations actively engage in education, social reform, and political advocacy to uplift marginalized communities.

The Swadhyaya Movement: The Swadhyaya movement, founded by Pandurang Shastri Athavale in the mid-20th century, emphasizes self-study, devotion, and community service based on Hindu scriptures. The movement encourages individual and collective self-improvement through religious practices, fostering social cohesion and moral values. Swadhyaya's focus on social welfare activities, such as rural development, education, and healthcare, has led to tangible improvements in local communities. The movement's approach integrates spiritual growth with social responsibility, contributing to holistic social change.

The Naxalite Movement and Tribal Religion: The Naxalite

movement, while primarily a political and armed insurgency, has intersected with religious and cultural identities of tribal communities in India. Tribal religions and their practices have been integral to the social fabric of these communities. The Naxalite movement's focus on land rights, social justice, and opposition to state oppression resonates with the tribal populations' struggles. Understanding the role of tribal religions in this context provides insight into the socio-religious dimensions of the Naxalite insurgency.

The Ahmadiyya Movement: The Ahmadiyya Muslim Community, founded in the late 19th century by Mirza Ghulam Ahmad, emphasizes peaceful coexistence, education, and social welfare. In modern India, the Ahmadiyya movement has faced persecution and challenges due to its beliefs, which differ from mainstream Islamic doctrine. Despite this, the community remains active in promoting interfaith dialogue, humanitarian efforts, and educational initiatives. The movement's resilience and commitment to social service highlight its role in contributing to social change and religious pluralism in India.

Religion and Women's Rights: The intersection of religion and gender has been a contentious issue in India. Religious doctrines and practices have often reinforced patriarchal norms, but they have also been instrumental in advocating for women's rights.

Reformist Movements: The 19th and early 20th centuries saw several reformist movements aimed at improving the status of women in Indian society. Social reformers like Ishwar Chandra Vidyasagar, who drew upon Hindu scriptures to argue for widow remarriage, and Syed Ahmed Khan, who advocated for women's education within the Islamic framework, played crucial roles in challenging gender inequalities.

Contemporary Movements: In contemporary India, women's rights movements continue to engage with religious frameworks to address issues such as marital laws, inheritance rights, and gender-based violence. The struggle for the abolition of practices like triple talaq (instant divorce in Islam) and the fight for the entry of women into religious spaces (e.g., the Sabarimala Temple) highlight the ongoing negotiations between religion and gender justice.

Secularism and Religious Pluralism: India's post-independence era has been characterized by the challenge of balancing secularism with religious pluralism. The Indian Constitution enshrines the principles of secularism, ensuring equal treatment of all religions by the state. However, the interplay between religion and politics has often led to tensions and conflicts.

The Role of Secularism: Secularism in India does not imply the absence of religion but rather the equal respect for all religions. This unique model of secularism has facilitated religious diversity and coexistence. Yet, it has also been tested by communal riots, political mobilization along religious lines, and debates over the Uniform Civil Code.

Religious Pluralism: Religious pluralism in India has been

both a source of social harmony and conflict. The ability of diverse religious communities to coexist and contribute to India's cultural mosaic is a testament to the country's pluralistic ethos. However, instances of religious intolerance and communal violence underscore the challenges that persist in maintaining this delicate balance.

Conclusion: Religion has been a potent force in shaping social change in India. From the Bhakti and Sufi movements to the reformist efforts of the Brahmo Samaj and Arya Samaj, religious ideologies have inspired significant social transformations. In modern times, leaders like Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar have harnessed religious principles to mobilize masses and advocate for social justice. The ongoing struggles for women's rights and the challenges of secularism and religious pluralism continue to reflect the complex interplay between religion and social change in India. Religion and Social Movements in Modern India illustrate the diverse and complex ways in which religion continues to shape social change in modern India. Each movement, with its unique religious and social agenda, contributes to the broader narrative of India's evolving socio-religious landscape. By examining these movements, we gain a deeper understanding of the ongoing interplay between religion and social reform in contemporary Indian society. Understanding this relationship is crucial for addressing contemporary social issues and fostering a more inclusive and equitable society. As India navigates the 21st century, the lessons from its rich history of religiously inspired social movements can provide valuable insights for future reforms and social progress.

References:-

1. Roy, Raja Ram Mohan. "The English Works of Raja Ram Mohan Roy." Sahitya Akademi, 1982.
2. Dayananda Saraswati, Swami. "Satyarth Prakash (The Light of Truth)." Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha, 1875.
3. Gandhi, Mahatma. "Hind Swaraj or Indian Home Rule." Navajivan Publishing House, 1938.
4. Ambedkar, B.R. "Annihilation of Caste." Navayana Publishing, 1936.
5. Vidyasagar, Ishwar Chandra. "Bidhaba Bibaha (Widow Remarriage)." Calcutta University, 1855.
6. Khan, Syed Ahmed. "The Aligarh Movement." Oxford University Press, 1979.
7. Jaffrelot, Christophe. "Dr. Ambedkar and Untouchability: Analysing and Fighting Caste." Permanent Black, 2005.
8. Omvedt, Gail. "Dalit Visions: The Anti-caste Movement and the Construction of an Indian Identity." Orient Blackswan, 1995.
9. Nanda, Meera. "Prophets Facing Backward: Postmodern Critiques of Science and Hindu Nationalism in India." Rutgers University Press, 2003.
10. Hasan, Zoya. "Politics of Inclusion: Castes, Minorities, and Affirmative Action." Oxford University Press, 2009.

वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा

डॉ. अंजली जयपाल*

* सह-आचार्य, स.घ. राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर (राज.) भारत

शोध सारांश – वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। यह एक ऐसा जीवनकाल है जिसमें व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह अवस्था जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देश में, वृद्धावस्था की समस्याएँ और भी जटिल हो जाती हैं। इस शोध पत्र में वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह शोध पत्र वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है। इसमें वृद्धावस्था की समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा के प्रकार, सरकारी योजनाओं, परिवार और समाज की भूमिका, निजी सुरक्षा योजनाओं, और भावी चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई है।

शब्द कुंजी – वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी योजनाएँ, परिवार, समाज, निजी सुरक्षा, चुनौतियाँ।

वृद्धावस्था की समस्याएँ – वृद्धावस्था में आने वाली समस्याएँ मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक, और आर्थिक होती हैं। शारीरिक समस्याओं में गठिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और अन्य पुरानी बीमारियाँ शामिल हैं। मानसिक समस्याओं में अवसाद, अकेलापन, और स्मृतिलोप प्रमुख हैं। आर्थिक समस्याएँ अक्सर पेंशन, बचत, और स्वास्थ्य देखभाल की कमी से जुड़ी होती हैं।

शारीरिक समस्याओं के कारण वृद्ध व्यक्तियों को दैनिक कार्यों में कठिनाई होती है। उनकी चलने-फिरने की क्षमता कम हो जाती है और वे अधिकतर समय बिस्तर पर बिताने को मजबूर हो जाते हैं। इस स्थिति में उन्हें निरंतर देखभाल और सहायता की आवश्यकता होती है।

मानसिक समस्याएँ वृद्धावस्था में और भी गंभीर हो जाती हैं। अवसाद और अकेलापन सामान्य मानसिक समस्याएँ हैं जो वृद्धावस्था में अधिक देखने को मिलती हैं। परिवार और समाज से दूरी, दोस्तों का न होना, और सामाजिक गतिविधियों में कमी के कारण वृद्ध व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। इससे उनका जीवन असंतुलित हो जाता है।

आर्थिक समस्याएँ वृद्धावस्था में सबसे गंभीर होती हैं। वृद्ध व्यक्तियों के पास अक्सर नियमित आय का स्रोत नहीं होता है। पेंशन और बचत पर निर्भरता होती है, जो अक्सर अपर्याप्त होती है। स्वास्थ्य देखभाल की उच्च लागत और चिकित्सा सेवाओं की सीमित उपलब्धता आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा देती है।

सामाजिक सुरक्षा के प्रकार – वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इनमें सरकारी पेंशन योजनाएँ, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धाश्रम, और अन्य सामाजिक सेवाएँ शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना और उन्हें आर्थिक, शारीरिक, और मानसिक समस्याओं से मुक्त रखना है।

सरकारी पेंशन योजनाएँ वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक

सहायता होती हैं। इन योजनाओं के तहत वृद्ध व्यक्तियों को एक निश्चित राशि हर महीने प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पेंशन योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक समस्याओं से मुक्त रखना है।

स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ वृद्धावस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इन योजनाओं के तहत वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों द्वारा ली जाती है। इससे वृद्ध व्यक्तियों को उच्च चिकित्सा लागत की चिंता से मुक्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।

वृद्धाश्रम वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित स्थान होता है जहाँ वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों को शांति और सम्मान के साथ बिता सकते हैं। वृद्धाश्रमों में वृद्ध व्यक्तियों को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जैसे कि भोजन, चिकित्सा, और मनोरंजन की सुविधाएँ। वृद्धाश्रम का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है।

सरकारी योजनाएँ – भारत सरकार ने वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई हैं। इनमें प्रमुख हैं – राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनएसएपी), वृद्धावस्था सहायक योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीवीवीवाई)। इन योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनएसएपी) के तहत वृद्ध व्यक्तियों को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक समस्याओं से मुक्त करना और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। एनएसएपी के तहत प्राप्त होने वाली पेंशन राशि वृद्ध व्यक्तियों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है।

वृद्धावस्था सहायक योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक

सहायता प्रदान करना और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के तहत वृद्ध व्यक्तियों को एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। वृद्धावस्था सहायक योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीवीवीवाई) के तहत वृद्ध व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर नियमित आय प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें वित्तीय समस्याओं से मुक्त रखना है। पीवीवीवाई के तहत वृद्ध व्यक्तियों को एक निश्चित आय की गारंटी मिलती है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

परिवार और समाज की भूमिका – वृद्धावस्था में परिवार और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। परिवार वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा होता है। परिवार के सदस्य वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करते हैं और उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। समाज भी वृद्ध व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के विभिन्न संगठनों और समूहों द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए विभिन्न गतिविधियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे वे सामाजिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं।

परिवार वृद्ध व्यक्तियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार के सदस्य वृद्ध व्यक्तियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। परिवार के सदस्य वृद्ध व्यक्तियों के साथ समय बिताते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता करते हैं। परिवार का समर्थन वृद्ध व्यक्तियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है।

समाज भी वृद्ध व्यक्तियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज के विभिन्न संगठनों और समूहों द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए विभिन्न गतिविधियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये गतिविधियाँ और कार्यक्रम वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाए रखते हैं और उन्हें मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। समाज का समर्थन वृद्ध व्यक्तियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है।

निजी सुरक्षा योजनाएँ – सरकारी योजनाओं के अलावा, निजी सुरक्षा योजनाएँ भी वृद्धावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनमें निजी पेंशन योजनाएँ, स्वास्थ्य बीमा, और जीवन बीमा शामिल हैं। निजी सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

निजी पेंशन योजनाएँ वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता होती हैं। इन योजनाओं के तहत वृद्ध व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। निजी पेंशन योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक समस्याओं से मुक्त रखना है।

स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ वृद्धावस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इन योजनाओं के तहत वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों द्वारा ली जाती है। इससे वृद्ध व्यक्तियों को उच्च चिकित्सा लागत की चिंता से मुक्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।

जीवन बीमा योजनाएँ वृद्धावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन

योजनाओं के तहत वृद्ध व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। जीवन बीमा योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें वित्तीय समस्याओं से मुक्त रखना है।

भविष्य की चुनौतियाँ – वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भविष्य में कई चुनौतियाँ आ सकती हैं। इनमें प्रमुख हैं – वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सीमित उपलब्धता। इन चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है ताकि वृद्ध व्यक्तियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।

वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के कारण सामाजिक सुरक्षा की मांग बढ़ जाती है। इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर अधिक दबाव पड़ता है और उनकी प्रभावशीलता में कमी आ सकती है। वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाना आवश्यक है।

स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ जाती हैं और उनके उपचार के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत के कारण वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और उनकी लागत को कम करना आवश्यक है ताकि वृद्ध व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सीमित उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ सभी वृद्ध व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। इन योजनाओं की पहुँच को बढ़ाना और उनकी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। सभी वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुँचाना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।

निष्कर्ष – वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह वृद्ध व्यक्तियों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का माध्यम है। सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस शोध पत्र में किया गया है। इसमें वृद्धावस्था की समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा के प्रकार, सरकारी योजनाओं, परिवार और समाज की भूमिका, निजी सुरक्षा योजनाओं, और भावी चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की गई है। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक, शारीरिक, और मानसिक समस्याओं से मुक्त रखना है। वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ और प्रभावी बनाना आवश्यक है ताकि वृद्ध व्यक्तियों को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2023, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
2. 'वृद्धावस्था और स्वास्थ्य', राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार।
3. 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीवीवीवाई)', जीवन बीमा निगम, भारत।
4. 'वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य', भारतीय मनोरोग संस्थान।
5. 'वृद्धावस्था में पारिवारिक और सामाजिक समर्थन', समाजशास्त्र अनुसंधान केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय।
6. 'भारत में वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा', भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर)।

भारत में कृषि विकास और भूमि उपयोग परिवर्तन

डॉ. दिनेश कुमार कठुतिया*

* शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत 2015 में लगभग 1.3 बिलियन लोगों के साथ दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है (FOA 2017UN-Pop, 2017)। भारत जलवायु, स्थलाकृति, वनस्पतियों, जीवों, भूमि उपयोग और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में अत्यधिक विविधता से युक्त है (FOA, 2017B)। पिछले 140 वर्षों के दौरान, भारत ने वनों की कटाई, कृषि भूमि में परिवर्तन और शहरी विस्तार सहित उल्लेखनीय भूमि उपयोग और भूमि-कवर परिवर्तनों का अनुभव किया है (Roy et al., 2015; Tian et al., 2014)। आधे से अधिक क्षेत्र कृषि भूमि के रूप में उपयोग किया जाता है, जिससे भारत कृषि वस्तुओं का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है (FAO, 2017a; Teluguntla et al., 2015)। 2016 में, कृषि क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद के रूप में मापी गई कुल अर्थव्यवस्था का 23% हिस्सा लिया और देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 59% रोजगार प्रदान किया (FOA, 2017B)। भारत की दो तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है (World Bank, 2016) और अपेक्षाकृत उच्च गरीबी दर के साथ, यह विश्व बैंक की गरीबी रेखा +1.90 प्रति दिन से नीचे रहने वाली सबसे बड़ी आबादी (175.7 मिलियन) का घर है (World Bank, 2018)।

पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (Chand & Parappurathu, 2012)। फिर भी, देश के कई हिस्सों में अभी भी फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं (Brahmanand et al., 2013; Sharma, 2016)। ये अंतराल कई जटिल कारकों जैसे जीविकोपार्जन खेती, रासायनिक इनपुट्स की अपर्याप्त पहुंच, उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तकनीकों की कमी से समझाए जा सकते हैं (Bhattacharyya et al., 2015; George, 2014; ICAR, 2015)। भारत की खाद्य उत्पादन आवश्यकताओं को 2050 तक 1.6 बिलियन से अधिक जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ पशु-उत्पादित वस्तुओं की उच्च मांग जैसी बदलती आहार प्राथमिकताओं के कारण आने वाले दशकों में काफी बढ़ाना होगा (UN-Pop, 2017)। यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। वर्तमान में, भारत दुनिया की 18% आबादी को भोजन प्रदान करता है, लेकिन विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का केवल 2.4% पर कब्जा करता है (Bhattacharyya et al., 2015; Teluguntla et al., 2015)। Mauser et al. (2015) जैसे अध्ययन भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रबंधन प्रथाओं में सुधार और नई फसल किस्मों की अपनाने में बड़े संभावनाएं देखते हैं। इन सुधारों को साकार करने के लिए, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (R&D) में आगे निवेश की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, कृषि के तीव्र विकास के कारण संभावित नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता (e.g., Ramankutty et al., 2018; Rockström et al., 2017; Springmann et al., 2018; Srivastava et al., 2016; Tilman et al., 2017; Tilman & Clark, 2014)। भारत जैव विविधता के मामले में अभी भी सबसे समृद्ध राष्ट्रों में से एक है, और शेष वन क्षेत्र (कुल क्षेत्र का 22%) महत्वपूर्ण कार्बन भंडार का प्रतिनिधित्व करता है जिसे जलवायु परिवर्तन शमन के एक साधन के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता है (Nadagoudar, 2016; Roy et al., 2015; Swaminathan & Bhavani, 2013; Tian et al., 2014)। IPCC (2014) के अनुसार, भारत को अत्यधिक तापमान और वर्षा की घटनाओं की उच्च आवृत्ति से प्रभावित होने की संभावना है। चक्रीय मानसून प्रणाली को वैश्विक जलवायु प्रणाली के एक टिपिंग तत्व के रूप में पहचाना गया है, जिसका अर्थ है कि मजबूत जलवायु परिवर्तन वैश्विक रूप से वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को काफी हद तक बदल सकता है (Lenton et al., 2008; Steffen et al., 2018)। ऐसे प्रणालीगत बदलाव के साथ, भारत के कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकते हैं।

इसलिए, आज भारत के सामने मुख्य चुनौतियों में से एक है बढ़ती जनसंख्या के जीवन स्तर को बनाए रखना और सुधारना, जबकि बदलते उपभोग पैटर्न को संतुष्ट करते रहना और नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों को सीमित करना (Nadagoudar, 2016; Roy et al., 2015; Swaminathan & Bhavani, 2013; Tian et al., 2014)। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास एजेंडा (United Nations General Assembly, 2015) ने खाद्य असुरक्षा, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन के मानव विकास मुद्दों पर नकारात्मक प्रभावों को पहचानते हुए उन्हें सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में प्राथमिकता दी है। जबकि एसडीजी 2 (जीरो हंगर) खाद्य सुरक्षा को संबोधित करता है, एसडीजी 15 (पृथ्वी पर जीवन) के तहत अन्य चीजों के अलावा जैव विविधता के संरक्षण की मांग की जाती है और एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) जलवायु अनुकूलन और शमन प्रयासों पर केंद्रित है। हालांकि, एसडीजी को प्राप्त करने के लिए नीतियों को सूचित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अक्सर क्षेत्र-विशिष्ट मूल्यांकन होते हैं और अक्सर बहु-क्षेत्रीय मूल्यांकनों में पहचाने गए अंतर्संबंधों की उपेक्षा करते हैं (Obersteiner et al., 2016; Tagar et al., 2016)। Pradhan et al. (2017) और Gao and Bryan (2017) द्वारा एसडीजी के बीच अंतःक्रियाओं और ट्रेड-ऑफ्स का व्यवस्थित

विश्लेषण करने के पहले प्रयास किए गए थे।

स्थानिक रूप से स्पष्ट सिमुलेशन मॉडल भविष्य के कृषि विकास की गतिशीलता, संबंधित भूमि उपयोग परिवर्तन और परिणामी पर्यावरणीय प्रभावों का पता लगाने के लिए उपयोगी उपकरण हैं (Alexander et al., 2017; Li et al., 2017; Prestele et al., 2016)। भारत के लिए, Schaldach, Priess, et al. (2011) ने भूमि उपयोग परिवर्तन पर जैवईंधन विकास के प्रभावों का आकलन करने के लिए एक स्थानिक रूप से स्पष्ट भूमि उपयोग मॉडल का उपयोग किया है। जबकि भारत को उप-क्षेत्र के रूप में शामिल करने वाले कई वैश्विक अध्ययन भूमि उपयोग परिवर्तन के जैव विविधता (e.g., Delzeit et al., 2017; Kok et al., 2018; Newbold et al., 2016) या कार्बन स्टॉक (e.g., Popp et al., 2014) पर प्रभावों से निपटते हैं, केवल कुछ अध्ययन उपलब्ध हैं जो दोनों प्रभाव श्रेणियों पर प्रभावों को संबोधित करते हैं (e.g., Eitelberg et al., 2016; Molotoks et al., 2018)।

इस पेपर में, हम भारत में भविष्य के कृषि विकास के परिदृश्यों के एक सेट का विश्लेषण करते हैं और भूख को रोकने के लिए खाद्य उत्पादन (एसडीजी 2), जलवायु शमन (एसडीजी 13), और जैव विविधता (एसडीजी 15) के बीच संभावित ट्रेड-ऑफ्स का आकलन करते हैं। हमारे विश्लेषण के लिए हम एकीकृत मॉडलिंग फ्रेमवर्क को अनुकूलित और लागू करते हैं जो एक आर्थिक मॉडल को विभिन्न स्थानिक रूप से स्पष्ट मॉडलों के साथ जोड़ता है। चूंकि संयुक्त राष्ट्र एजेंडा ने 2030 को एसडीजी को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए एक लक्ष्य वर्ष के रूप में परिभाषित किया है, हमने परिदृश्यों के लिए इस वर्ष को समय क्षितिज के रूप में चुना है। निम्नलिखित अनुभाग में लागू मॉडलों और परिदृश्य मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारे सिमुलेशन परिणामों और हमारे मुख्य निष्कर्षों पर चर्चा की जाती है।

सामग्री और विधियाँ

मॉडलिंग फ्रेमवर्क – मॉडलिंग फ्रेमवर्क के घटकों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि वस्तुओं और व्यापार नीति विश्लेषण मॉडल (IMPACT; Robinson et al., 2015), स्थानिक रूप से स्पष्ट भूमि उपयोग मॉडल लैंडशिफ्ट (LandSHIFT; Schaldach, Alcamo, et al., 2011), और जैव विविधता (Alkemade et al., 2009) और कार्बन स्टॉक (Houghton, 2003) के लिए स्थानिक प्रभाव आकलन मॉडल शामिल हैं। IMPACT जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले कृषि उत्पादन, खाद्य मांग, और वैश्विक खाद्य प्रणाली पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। लैंडशिफ्ट का उपयोग वैश्विक कृषि उत्पादन में वृद्धि से प्रेरित भूमि उपयोग परिवर्तन को अनुकरण करने के लिए किया जाता है। जैव विविधता और कार्बन स्टॉक प्रभाव मॉडलों का उपयोग जैव विविधता और कार्बन भंडारण पर भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रभावों का आकलन करने के लिए किया जाता है।

परिणाम

2030 तक कृषि विकास – IMPACT मॉडल का उपयोग करके कृषि उत्पादन और फसल की पैदावार में परिवर्तन का अनुकरण किया जाता है। कृषि अनुसंधान एवं विकास और जलवायु परिवर्तन में निवेश के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि और वैश्विक और क्षेत्रीय मांग में बदलाव से प्रेरित फसल की पैदावार, सभी परिदृश्यों में बढ़ने का अनुमान है।

संदर्भ परिदृश्यों (REF_HGEM –0REF_NoCC) की तुलना से पता चलता है कि, समग्र रूप से भारत को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन का लगभग सभी मॉडल वाली फसलों की पैदावार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपवाद शीतोष्ण जड़ें और कंद हैं, जो बदलती जलवायु से लाभान्वित होते हैं। सभी फसलों की स्थानिक रूप से एकत्रित पैदावार जलवायु परिवर्तन परिदृश्य (41%) के लिए 2010 से 2030 तक बिना जलवायु परिवर्तन परिदृश्य (48%) की तुलना में कम वृद्धि दर्शाती है। कुल फसल उत्पादन की वृद्धि दर को देखने पर एक समान प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जलवायु परिवर्तन के तहत, बिना जलवायु परिवर्तन मार्ग (50%) की तुलना में कम उत्पादन (43%) होता है। दोनों परिदृश्यों के तहत विभिन्न फसल समूहों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कुछ फसलें तेजी से महत्वपूर्ण हो जाएंगी जबकि अन्य की खेती कम की जाएगी। पैदावार और उत्पादन में वृद्धि नकदी फसलों, जैसे सब्जियों और कपास, साथ ही गेहूँ के लिए सबसे अधिक है। इसके विपरीत, निवेश परिदृश्य, जो REF_HGEM की जलवायु मान्यताओं का पालन करते हैं, लेकिन कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश के त्वरित स्तर के साथ, NoCC संदर्भ परिदृश्य की तुलना में अधिक उपज में वृद्धि होती है। 2030 तक, मेड और हाईआरई परिदृश्यों के लिए कुल मिलाकर फसलों की पैदावार में क्रमशः 43% और 54% की वृद्धि हुई है। आधार वर्ष 2010 की तुलना में एमईडी और हाईआरई के लिए कुल उत्पादन में क्रमशः 46% और 55% की वृद्धि का अनुमान है। विशेष रूप से हाईआरई परिदृश्य में, मक्का और गेहूँ की उपज और उत्पादन में वृद्धि विशेष रूप से मजबूत है। संदर्भ परिदृश्यों की तुलना मेड परिदृश्य से करने पर, हम देखते हैं कि कृषि अनुसंधान एवं विकास में मामूली उच्च निवेश जलवायु परिवर्तन के सभी नकारात्मक प्रभावों को रोकने में सक्षम नहीं हैं। हालाँकि, उच्चआरई परिदृश्य कृषि पर प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने से कहीं अधिक है।

2030 तक, भारत में पशुधन का उत्पादन सभी परिदृश्यों में भारी वृद्धि करेगा। संदर्भ परिदृश्यों में, हम 2010 में 4.56 मिलियन पशुधन इकाइयों (LU) से क्रमशः REF_HGEM के तहत 12.45 मिलियन LU और REF_NoCC तहत 12.62 मिलियन LU तक की वृद्धि पाते हैं। इसके विपरीत, मेड के तहत, पशुधन संख्या बढ़कर 14.91 मिलियन एल्यू हो जाती है, जबकि हाईआरई के तहत हम 24.78 मिलियन एल्यू पाते हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पशुधन उत्पादन केवल चरागाहों और चरागाहों पर स्वतंत्र रूप से चरने पर निर्भर नहीं है। मिश्रित या औद्योगिक पशुधन प्रणालियों में पशुओं को फसलों या फसल उपोत्पादों के साथ खिलाना और पशुओं को अस्तबल में रखना शामिल है (अल्केमेड एट अल., 2013)।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bhagowati, B., & Ahamad, K. U. (2018). A review on lake eutrophication dynamics and recent developments in lake modeling. *Ecohydrology & Hydrobiology*.
2. Bhattacharyya, R., Ghosh, B., Mishra, P., Mandal, B., Rao, C., Sarkar, D., Das, K., Anil, K., Lalitha, M., Hati, K., & Franzluebbers, A. (2015). Soil degradation in India: Challenges and potential solutions. *Sustainability*, 7(4), 3528–3570. <https://doi.org/10.3390/su7043528>
3. Biggs, R., Simons, H., Bakkenes, M., Scholes, R.

- J., Eickhout, B., van Vuuren, D., & Alkemade, R. (2008). Scenarios of biodiversity loss in southern Africa in the 21st century. *Global Environmental Change*, 18(2), 296–309.
4. Bondeau, A., Smith, P. C., Zaehle, S., Schaphoff, S., Lucht, W., Cramer, W., Gerten, D., Lotze-Campen, H., Müller, C., Reichstein, M., & Smith, B. (2007). Modelling the role of agriculture for the 20th century global terrestrial carbon balance. *Global Change Biology*, 13(3), 679–706.
5. Brahmanand, P. S., Kumar, A., Ghosh, S., Chowdhury, S. R., Singandhupe, R. B., Singh, R., Nanda, P., Chakraborty, H., Srivastava, S. K., & Behera, M. S. (2013). Challenges to food security in India. *Current Science*, 841–846.
6. Brooker, R. W., Karley, A. J., Newton, A. C., Pakeman, R. J., & Schöb, C. (2016). Facilitation and sustainable agriculture: A mechanistic approach to reconciling crop production and conservation. *Functional Ecology*, 30(1), 98–107.
7. Chand, R., & Parappurathu, S. (2012). Temporal and spatial variations in agricultural growth and its determinants. *Economic and Political Weekly*, 47(26–27), 55–64.
8. Crosetto, M., Tarantola, S., & Saltelli, A. (2000). Sensitivity and uncertainty analysis in spatial modelling based on GIS. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 81(1), 71–79.
9. Del Grosso, S. J., Gollany, H. T., Reyes-Fox, M. (2016). Simulating soil organic carbon stock changes in agroecosystems using CQESTR, DayCent, and IPCC Tier 1 methods. *Synthesis and Modeling of Greenhouse Gas Emissions and Carbon Storage in Agricultural and Forest Systems to Guide Mitigation and Adaptation*, (advagricsystmodel6), 89-110.
10. Dellink, R., Chateau, J., Lanzi, E., & Magné, B. (2017). Long-term economic growth projections in the Shared Socioeconomic Pathways. *Global Environmental Change*, 42, 200–214.
11. Delzeit, R., Zabel, F., Meyer, C., & Václavík, T. (2017). Addressing future trade-offs between biodiversity and cropland expansion to improve food security. *Regional Environmental Change*, 17(5), 1429–1441.

Temporal Analysis of Trend and Variability of Annual Rainfall in Balia Catchment, Kumaun Himalaya

Vaseem Ahmad* Bhagwati Joshi**

*Research Scholar (Geography) S.B.S. Govt. P.G. College, Rudrapur, Udham Singh Nagar (Uttarakhand) INDIA

**Assistant Professor (Geography) S.B.S. Govt. P.G. College, Rudrapur, Udham Singh Nagar (Uttarakhand) INDIA

Abstract - The Indian Himalayan state Uttarakhand is a critical state in terms of water resources, and tectonically alive plays a significant role as a major source of water. The present study focuses on the temporal trend and variability of annual rainfall in Balia Catchment of Kumaun Himalaya from 1990 to 2021. The changes in precipitation directly impact water availability, agriculture, vegetation, and the local economy. The research is based on secondary data sources and analyzed using various statistical techniques, including average rainfall, maximum and minimum rainfall, standard deviation, coefficient of variation, skewness, and kurtosis. During the study period the maximum rainfall was registered nearly (4700 mm) in 2015, while the minimum rainfall about (1450 mm) was occurred in 2020 after 1991 (1468.25 mm). The mean annual rainfall has been inconsistent, indicating irregular distribution. The high variability in rainfall is also evident, with periods of heavy monsoons alternating with dry periods, making the region's rainfall pattern unpredictable. In addition, the study highlights substantial intra-annual variability, with wide differences between maximum and minimum rainfall values in some years. The study highlighted and emphasized the need for adaptive water resource management strategies in response to climate-induced changes in precipitation in Himalaya.

Keywords: Temporal Trends, Rainfall Variability, Climate Change, Water Resources, Kumaun Himalaya.

Introduction - The Himalayas are one of the youngest mountain systems in the world, with an extremely fragile ecosystem which is facing extreme variability in precipitation due to climate change. Rainfall is the significant controlling factor of weather and climate. Rainfall variability reveals the alterations and fluctuations in rainfall patterns, which affect water resources, agriculture and socio-economic structure in a particular region. Hence, precipitation or rainfall analysis produce significant information related to hydrological changes. Variability is the degree to which the amount of precipitation deviates in space and time, which implies changes in the climate of a region, and trend analysis, can focus on general patterns of change over time, helping with comparisons temporal and spatial to derive future predictions. Several significant studies have been carried out to observe the changes in rainfall pattern with environmental change over the India. Sharma, et al. (2017) have analyzed the trend and variability of annual rainfall in Punjab and Himachal Pradesh between the years 1901 and 2012 and found spatial and temporal variability is high, Thakural et al.(2018) noticed that due to climate change decreasing trend in the annual rainfall in Himalayan region of Uttarakhand, Yadav et al. (2013) analyzed Pre-monsoon precipitation variability and noted drying tendency for last two decades over the Kumaun Himalaya, Kundu et al. (2015) analyzed long-term precipitation trends in Madhya Pradesh, identifying notable spatial and temporal changes.

Kumar et al. (2010) and Singh et al. (2005) explored broader rainfall patterns across India, revealing fluctuations in basin-scale rainfall. Malik et al. (2019) and Mondal et al. (2015) utilized innovative methods to assess seasonal and annual rainfall trends across India, with a focus on the 20th century, Sushant et al. (2015) investigated the Cauvery Basin, showing variability in rainfall distribution.

Uttarakhand, located in the Himalayan region of India, is an important state in terms of water resources and its ecosystem is highly fragile to environmental changes, particularly to climate change. This area is an important source of water supply not only for the local population but for the entire region. Due to the effects of anthropogenic activities and climate change, the region is witnessing changes in rainfall patterns. These changes have a direct impact on the water availability, agriculture, vegetation, and livelihoods of the region. Hence, the Changes in rainfall patterns pose a major challenge for the management of water resources over the Himalayan River catchments.

Study Area: Balia Catchment (Fig.1) situated in Kumaun Himalaya, Uttarakhand has been selected as the area of study. Geographically lies between 29°17'11.98" to 29°24'12.24" N latitude and 79°26'28.45" to 79°32'22.32" E longitude, and encompasses an area of nearly 80.23 km². The study region has sub- subtropical to cool temperate climate with annual rainfall ranging from 100 to 300 cm, and The altitudinal range from 566 to 2324 m. Balia River

originates from the outflow of Capital Lake and is the principal tributary of River Gaula. The area is characterized by diversified terrain and geomorphic landscape which is reflected in varying magnitudes of slopes and their aspects, variety of soils, natural vegetation and hydrological parameters & climatic complexities. Apart from the urban area, the total population of the watershed was 11778 in 2001 and 15275 as per 2011 census of India, which is inhabited by 15 revenue villages. The watershed constitutes one of the densely populated tracts of the Human Himalaya with a population density of 190 persons/km². Whereas, the availability of per capita cultivated land is merely 0.144 ha, and more than 89% of operational land holdings are of less than one hectare. This shows acute pressure on the land & other natural resources in the region. As in other parts of Kumaun Himalaya, the traditional resource use pattern is changing fast mainly in response to the growth of the population.

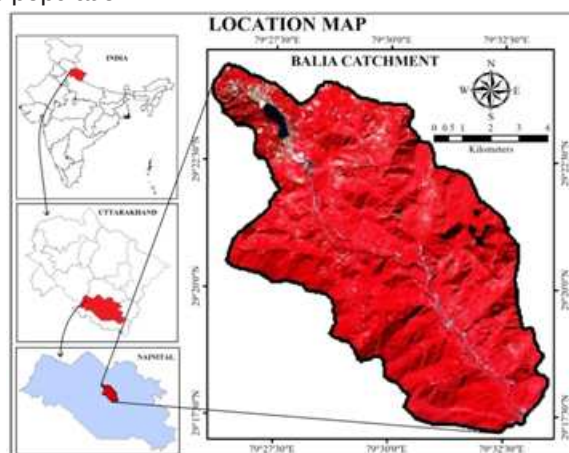


Fig. 1: Location map of study area (Source: Topographical Sheet & Satellite Data)

Objective: The principal objective of the present study is to analyze the temporal trend and variability of annual rainfall in the Balila catchment from (1990 to 2001).

Data Source and Methodology: The present study is mainly based on secondary data, which has been obtained from the irrigation department of Nainital. For the location map topographical sheet of survey of India, satellite images from Landsat -8 of the United States Geological Survey (USGS) and GIS techniques were used. Analytical and inductive research methods have been used. Data has been analyzed through both these methods and Microsoft Excel, 2019 software was used, various statistical techniques and indicators such as average annual rainfall, maximum and minimum rainfall, mean, range, standard deviation (SD), coefficient of variation, skewness and kurtosis have been used.

Result and Discussion:

Temporal Trend and variability of Annual Rainfall: The table-1 and Fig. 2 & 3 shows the annual rainfall data for the Balila Catchment Area, from 1990 to 2021. The data reveals considerable fluctuations in the amount and the rate of change year-to-year. Over these 32 years, the total rainfall amounts

to 86,971.75 mm, with an average annual rainfall of 2,717.87 mm. In 2015, the highest rainfall was recorded at 4,700.07 mm, followed closely by 4,570.63 mm in 2014 and 4,473.38 mm in 2011. The lowest rainfall was observed in 1991, with 1,468.25 mm, followed by 2020 (1,450.9 mm) and 2019 (1,520.5 mm). Significant changes over the previous year are evident, with the most substantial positive change occurring in 1998 (+1,557.88 mm or 117.72%) and the highest negative change in 1994 (-1,006.45 mm or -42.76%). This variability indicates very unstable rainfall patterns, with high and low rainfall years. In terms of percentage change over the previous year, the highest positive increase was in 2021 (67.69%), while the sharpest decline was in 2016 (-30.85%). Such data highlights the complexity of rainfall dynamics in this region, indicating potential impacts on water resource management and agricultural planning.

Table-1: Annual Rainfall Change From 1990 to 2021 in Balila Catchment

S.	Year	Annual Rainfall (in mm)	Change in Rainfall	
			(in mm)	(in %)
1	1990	2366.3	—	—
2	1991	1468.25	-898.05	-37.95%
3	1992	1577	108.75	7.41%
4	1993	2353.5	776.5	49.24%
5	1994	1347.05	-1006.45	-42.76%
6	1995	1679.01	331.96	24.64%
7	1996	1531.48	-147.53	-8.79%
8	1997	1323.33	-208.15	-13.59%
9	1998	2881.21	1557.88	117.72%
10	1999	2746.2	-135.01	-4.69%
11	2000	3657.26	911.06	33.18%
12	2001	2366.88	-1290.38	-35.28%
13	2002	2405.23	38.35	1.62%
14	2003	2680	274.77	11.42%
15	2004	2275.66	-404.34	-15.09%
16	2005	2893.77	618.11	27.16%
17	2006	2534.01	-359.76	-12.43%
18	2007	3251.58	717.57	28.32%
19	2008	2805.93	-445.65	-13.71%
20	2009	2930.04	124.11	4.42%
21	2010	4312.83	1382.79	47.19%
22	2011	4473.38	160.55	3.72%
23	2012	3439.53	-1033.85	-23.11%
24	2013	4265.93	826.4	24.03%
25	2014	4570.63	304.7	7.14%
26	2015	4700.07	129.44	2.83%
27	2016	3250.33	-1449.74	-30.85%
28	2017	3418.56	168.23	5.18%
29	2018	2062.4	-1356.16	-39.67%
30	2019	1520.5	-541.9	-26.28%
31	2020	1450.9	-69.6	-4.58%
32	2021	2433	982.1	67.69%
		Total	86971.75	154.13%
		Average	2717.87	9.63

Source: Computed by researcher based on data

obtained from Irrigation Department, Nainital

Fig. 2 & 3 (see in last page)

Table 2 presents a temporal analysis of annual rainfall trends and variability in the Balia catchment, over 32 years (1990-2021). The study has displayed major statistical indicators like average yearly rainfall, maximum and minimum rainfall, annual rainfall range, standard deviation of annual rainfall, coefficient of variation, skewness, and kurtosis in the study area.

Table-2: (see in last page)

As per table 2, the mean rainfall shows variability across the years, with the highest value recorded in 2015 (391.67 mm) and the lowest in 1997 (110.28 mm). Significant fluctuations in average rainfall are observed, indicating irregular rainfall distribution over the years. A few years like 2015, 2010, and 2014 show relatively higher mean rainfall, pointing to periods of more significant rain events. Maximum rainfall is observed in 2014 (1788.16 mm), while 1990 and several other years (e.g., 2001, 2002, 2003) show zero minimum rainfall, indicating dry periods in these years. This large difference between maximum and minimum rainfall highlights substantial intra-annual rainfall variability. Rainfall range is calculated as the difference between maximum and minimum rainfall in the year. The largest range is seen in 2014 (1788.16 mm), while the smallest occurs in 1997 (299.79 mm). Years with higher rainfall ranges (such as 2010, 2015, 2014) suggest uneven distribution of rainfall within those years.

Standard deviation (SD) helps in understanding the spread or variability of rainfall. The highest SD is recorded in 2010 (548.23), while the lowest is in 1997 (88.34). Higher SD values in years like 2014, 2015, and 2010 indicate greater fluctuation in rainfall distribution, whereas lower SD (e.g., 1997) signifies more consistent rainfall patterns. The coefficient of deviation (**CV**) (%) which is a normalized measure of dispersion shows values over 100% for many years, suggesting significant variation in rainfall. The highest CV is noted in 1995 (152.47%) and the lowest in 2021 (105.56%). This indicates that some years had highly inconsistent rainfall (like 1995), while others were relatively more stable (like 2021). Skewness indicates the asymmetry of rainfall distribution. Positive skewness values are observed in most years, with the highest value of 1.83 in 2016. Positive skewness suggests that the rainfall distribution is skewed to the right, meaning extreme high-rainfall events occurred more frequently than extreme low-rainfall events. Kurtosis measures the peakedness of the distribution. Higher values of kurtosis are seen in years like 2015 (4.62), 2016 (4.11), and 2020 (4.26), indicating the presence of heavy rainfall events (outliers). Low kurtosis values, such as -1.25 in 2021, suggest a more uniform rainfall distribution with fewer extreme events.

Conclusion: It is concluded that the Balia Catchment which is integral part of Kumaun Himalaya exhibits high variability in rainfall. The analyzed data show substantial inter-annual and intra-annual variability in rainfall over the study period (1990-2021), several years witnessing extreme fluctuations, while others remain relatively stable. Positive skewness and kurtosis values across few years indicate frequent extreme rainfall events, which may be important for understanding flood risks in the region. The observed fluctuations in rainfall suggest that the study region has irregular weather patterns, which may be linked to broader climate changes. The data underscores the need for adaptive strategies to manage water resources and mitigate the risks of climate change. The study provides valuable insights to policymakers, and stakeholders for more efficient water management, sustainable agriculture, and livelihoods.

References:-

1. Kumar, V., Jain, S. K., & Singh, Y. (2010). Analysis of long-term rainfall trends in India. *Hydrological Sciences Journal–Journal des Sciences Hydrologiques*, 55(4), 484-496.
2. Kundu, S., Khare, D., Mondal, A., & Mishra, P. K. (2015). Analysis of spatial and temporal variation in rainfall trend of Madhya Pradesh, India (1901–2011). *Environmental Earth Sciences*, 73, 8197-8216.
3. Malik, A., Kumar, A., Guhathakurta, P., & Kisi, O. (2019). Spatial-temporal trend analysis of seasonal and annual rainfall (1966–2015) using innovative trend analysis method with significance test. *Arabian Journal of Geosciences*, 12, 1-23.
4. Mondal, A., Khare, D., & Kundu, S. (2015). Spatial and temporal analysis of rainfall and temperature trend of India. *Theoretical and applied climatology*, 122, 143-158.
5. Sharma, M. R., Brar K. K. & Chandel, V. B. S. (2017). Long Term Analysis of Trend and Variability in Annual Rainfall in Punjab and Himachal Pradesh. *The Deccan Geographer*, Vol. 55, pp. 1-16
6. Sushant, S., Balasubramani, K., & Kumaraswamy, K. (2015). Spatio-temporal analysis of rainfall distribution and variability in the twentieth century, over the Cauvery Basin, South India. *Environmental management of river basin ecosystems*, 21-41.
7. Thukral, L. N., Kumar, S., Jain, S. K., & Ahmad T., (2018). The Impact of Climate Change on Rainfall Variability: A Study in Central Himalayas. V. P., Singh et al. (Eds.) *Climate Change Impacts*, Water Science and Technology Library 82, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
8. Yadav, R.R., et al. Pre-Monsoon Precipitation Variability in Kumaon Himalaya, India a Perspective of -300 Years. *Quaternary International*, xxx, pp.1-7

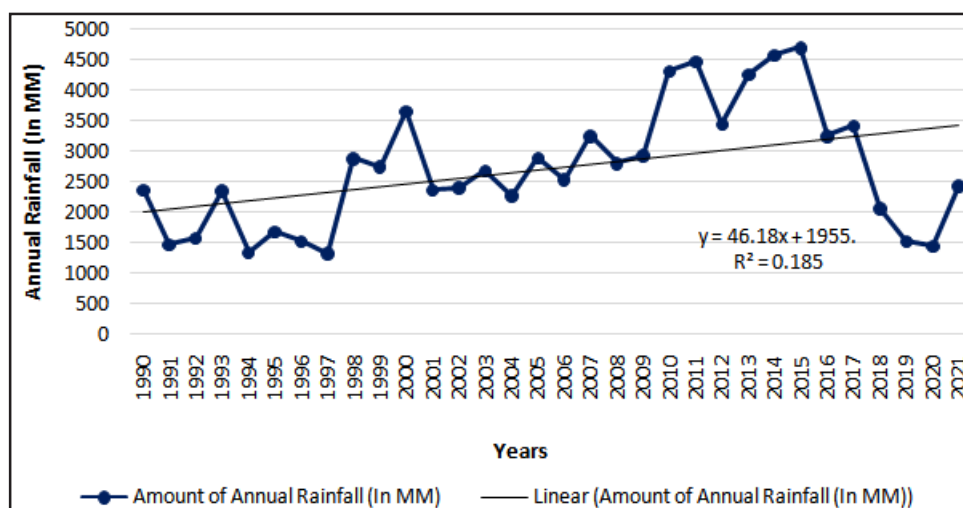


Fig. 2: Annual Trend of Rainfall in Balia Catchment(1990-2021)

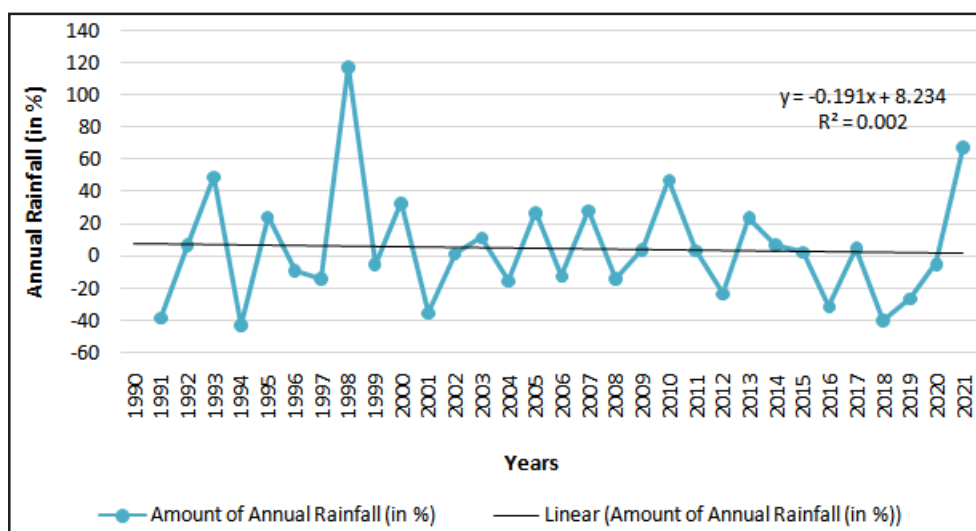


Fig. 3: Pattern of Annual Rainfall Change from (1990-2021) in Balia Catchment

Table-2: Key Indicators of Annual Rainfall from (1990 to 2021)

S.	Year	Mean Rainfall	Max. Rainfall	Min. Rainfall	Rainfall Range	Standard Deviation	Coeff. of Deviation	Skew-ness	Kurtosis
1	1990	197.20	785.50	0.00	785.50	223.88	113.53	1.46	2.87
2	1991	122.35	561.25	0.00	561.25	162.06	132.45	1.61	3.41
3	1992	131.42	495.25	0.00	495.25	165.47	125.91	1.15	0.48
4	1993	196.13	972.50	0.00	972.50	287.62	146.65	1.73	3.58
5	1994	112.25	450.05	0.50	449.55	161.98	144.30	1.35	0.94
6	1995	139.92	623.61	0.00	623.61	213.33	152.47	1.33	0.92
7	1996	127.62	551.26	0.00	551.26	178.01	139.48	1.43	1.68
8	1997	110.28	299.79	0.00	299.79	88.34	80.11	0.63	-0.05
9	1998	240.10	876.19	0.00	876.19	265.21	110.46	1.24	1.45
10	1999	233.85	961.92	0.00	961.92	313.00	133.84	1.16	0.72
11	2000	304.77	1185.41	0.00	1185.41	412.11	135.22	1.15	0.41
12	2001	197.24	823.54	0.00	823.54	291.54	147.81	1.38	1.15
13	2002	200.44	655.82	0.00	655.82	240.51	119.99	1.06	-0.13
14	2003	223.42	716.63	0.00	716.63	246.25	110.22	1.07	0.33
15	2004	189.64	728.22	0.00	728.22	231.87	122.27	1.17	0.90
16	2005	241.15	1259.27	0.00	1259.27	373.59	154.92	1.81	3.95
17	2006	211.17	728.39	0.00	728.39	240.29	113.79	0.85	-0.14
18	2007	270.97	986.79	0.00	986.79	296.86	109.55	1.10	1.14
19	2008	233.83	752.33	0.00	752.33	295.44	126.35	0.74	-1.34
20	2009	244.17	932.88	0.00	932.88	309.08	126.58	1.09	0.28
21	2010	359.40	1528.36	0.00	1528.36	548.23	152.54	1.22	0.26
22	2011	364.45	1354.15	0.00	1354.15	503.15	138.06	1.17	0.17
23	2012	286.63	1607.82	0.00	1607.82	472.54	164.86	1.84	4.40
24	2013	355.49	1546.86	0.00	1546.86	468.79	131.87	1.37	2.02
25	2014	380.89	1788.16	0.00	1788.16	504.33	132.41	1.76	4.33
26	2015	391.67	1711.96	2.54	1709.42	468.18	119.53	1.74	4.62
27	2016	270.86	1433.23	0.00	1433.23	423.50	156.35	1.83	4.11
28	2017	284.88	1362.10	0.00	1362.10	392.21	137.68	1.67	3.85
29	2018	171.87	682.60	1.40	681.20	224.77	130.78	1.16	0.61
30	2019	126.71	485.20	1.00	484.20	146.56	115.67	1.37	1.71
31	2020	124.86	575.60	0.00	575.60	162.76	130.36	1.78	4.26
32	2021	202.75	611.00	0.00	611.00	214.02	105.56	0.54	-1.25

Source: Computed by researcher

जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं साम्प्रदायिकता: ज्वलंत समस्याएँ

डॉ. डी.पी. चंद्रवंशी*

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) शा.जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर, जिला - बिलासपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना - जब व्यक्ति राष्ट्र और समाज को महत्व न देकर अपने जाति को सर्वोपरि मानने लगता है, अपने जाति के स्वार्थ के कुचक्र में फँसकर नाना प्रकार के आडम्बरो से समाज में विष का भ्रम जाल फैला जाता है। तब माना जाता है कि वह व्यक्ति जातिवाद का शिकार हो गया है। काका कालेलकार जातिवाद के संबंध में लिखते हैं 'जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है, जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदण्डों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भातृत्व की उपेक्षा करती है।'

देश की एकता और अखण्डता के लिए समाज को तोड़ने की कुत्सित भावना क्षेत्रवाद का घृणित प्रयास है। क्षेत्रवाद की भावना ने ही देश को विभाजन के कगार पर खड़ा कर भारत और पाकिस्तान में तब्दील कर दिया। आत भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय राज्य की मांग सहज उठा है। समय-समय पर देश में तनाव व संघर्ष की घटनाएँ होते रहते हैं।

भारत की ज्वलंत समस्याओं में से एक समस्या साम्प्रदायिकता है। साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में सबसे बाधक तत्व हैं। भारतीय साहित्यकारों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर सदा बल दिया है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं 'साम्प्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक।'¹

जातिवादी भारतीय समाज के लिए साधक नहीं बाधक - वर्तमान समय में जाति के नाम पर शिक्षण संस्थाएँ, औद्योगिक संस्थाएँ, मंदिर, धर्मशाला, औषधालय आदि के नाम पर बंटे हुए हैं। डॉ. एन. प्रसाद कहते हैं - 'जातिवाद राजनीतिकता में रूपान्तरिक एक जाति के प्रति निष्ठा है।' जाति भक्ति एक जाति के सदस्यों की वह संकुचित भावना है जो राष्ट्र को सामान्य स्थिति में रहने नहीं देती है। जातिवाद की भावना समान जाति के सदस्यों को उत्थान, एकता एवं सामाजिक स्थिति को उंचा उठाने में मदद करते हैं। इससे सामाजिक प्रस्थिति विषम होने लगती है। इस विषय में के.एम. पणिकर कहते हैं- 'राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है' आपने अन्यत्र लिखा है जब तक उपजाति की अवधारणा पायी जाती है तब तक जातिवाद अपरिहार्य है क्योंकि यह एक ऐसी स्थायी निष्ठा है जो हिन्दुओं ने उत्तराधिकार में प्राप्त की है।'² जातिवाद के विकास के पोषक तत्वों में प्रमुखतः अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध, यातायात एवं संदेशवाहक साधनों का विकास, जातीय स्थिति को अन्य जातियों से उंचा उठाने की लालसा, संस्कृतिकरण, जातीय संगठन, राजनीतिक कारण सम्मिलित हैं। जातिवाद से अनेक गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं जिसमें प्रमुखतः जातिवाद प्रजातंत्र विरोधी है। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल,

वंश, लिंग, जन्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।'³ किन्तु जातिवाद इस सिद्धांत का विरोधी है। जातिवाद मूलतः स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा का विरोधी है। जातिवाद राष्ट्रीय एकता के मार्ग का बाधक तत्व है, जातिवाद के कारण छोटे-छोटे जातीय समूह संगठित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की सामुदायिक भावना बहुत अधिक संकुचित हो जाती है। जातिवाद औद्योगिक कुशलता में भी बाधक है, नैतिक पतन के लिए उत्तरदायी है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच भेदभाव की दीवार खड़ा करता है, समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, अनेकानेक समस्याओं का उदय कारक है।

जातिवाद का निराकरण भी किया जा सकता है इसके अंतर्गत अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित कर जातीय बंधन से मुक्त समाज की स्थापना किया जा सकता है। उचित शिक्षा व्यवस्था से समाज में जातिवाद को दूर किया जा सकता है, जाति व्यवस्था को समाप्त करके, जातीय संगठनों को समाप्त करके, व्यावहारिक कानूनों का निर्माण कर, जातिगत राजनीति को समाप्त करके, समाज में आर्थिक विकास की गति प्रदान कर इस ज्वलंत समस्या का निराकरण किया जा सकता है।

क्षेत्रवाद समाज के लिए घातक :

रजनी कोठारी लिखती हैं - 'नेताओं और भारत से सहानुभूति रखने वाले राजनीतिक पर्यवेक्षकों की आशंकाओं के बावजूद पुनर्गठन से भारत का राजनीतिक नवशा अधिक सुसंगत हो गया और राष्ट्र की एकता को भी खास नुकसान नहीं पहुंचा। बल्कि इससे लाभ यह हुआ कि झगड़े का कारण दूर हुआ और राज्यों का कामकाज ऐसी भाषा में होना संभव हुआ। जिसे जनसाधारण समझ सके। बल्कि बाद के अनुभव से तो यह कहा जा सकता है कि भाषा जोड़ने वाली शक्ति सिद्ध हुई। यदि इसमें कोई शंका की बात है तो यही कि उपभाषाओं और स्थानीय संस्कृतियों के आधार पर राज्यों के टुकड़े न हो जाएँ।'⁴

क्षेत्रवाद या प्रान्तवाद पर्यायवाची शब्द हैं। जिसका आशय स्थानीयावाद, पृथक्करणवाद और अलगाववाद है। हेडविंग हिट्ज लिखते हैं- 'क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के विशेष अनुराग तथा पक्षपात पूर्ण धाराओं से संबद्ध है।' वर्तमान में क्षेत्रवाद का वैज्ञानिक अर्थ के स्थान पर संकुचित अर्थ में प्रयोग हुआ है इस लिए ही इसने राष्ट्रीय संकट को जन्म दिया है। संकुचित अर्थ में क्षेत्रीयता एक क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपने आप को दूसरे क्षेत्र के लोगों से श्रेष्ठ समझना तथा अपने आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। दूसरे शब्दों में क्षेत्रवाद अन्य क्षेत्रों में उसे प्राथमिकता देने की पक्षपात पूर्ण भावना है।

क्षेत्रवाद से समाज में अनेक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष, राज्य व केन्द्र के बीच संघर्ष, स्वार्थी तत्वों का उदय, भाषावाद का उदय, राष्ट्रीय एकता एवं प्रजातांत्रिक मूल्यों पर खतरा आदि। इन सबके कारण राष्ट्र में अस्थिरता उत्पन्न होने के साथ-साथ अनेक नित नई समस्याएँ जन्म लेने लगती हैं।

क्षेत्रवाद जैसी संकुचित मनोवृत्ति को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भावना का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय इतिहास पर बल, क्षेत्रीयता के आधार पर निर्मित राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध, यातायात के सुगम साधन, क्षेत्रीयता के आधार पर निर्मित शिक्षण संस्थाओं के चयन पर रोक, राष्ट्रभाषा का समग्र प्रसार, आर्थिक असंतुलन का उन्मूलन, दबावपूर्ण राजनीति का दमन आदि कारणों से क्षेत्रवाद का उन्मूलन किया जा सकता है। इससे क्षेत्रवाद और प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी न होकर सहयोगी सिद्ध होंगे।

साम्प्रदायिकता राष्ट्र के लिए नासूर – भारत में समय-समय पर बाह्य आक्रांताओं का आक्रमण होता आया है। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिखों के बीच सामंजस्य की समस्या ने साम्प्रदायिकता को जन्म दिया है, जो समाज के लिए नासूर बन गया है। जिसका दर्द पीढ़ियों तक बना रहता है और आगामी पीढ़ी के लिए भी घातक सिद्ध हो रहेगे रेण्डम हाउस डिवशनरी के अनुसार – 'साम्प्रदायिकता अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है।'⁵

साम्प्रदायिकता धार्मिक समूहों से संबंधित होता है। सभी लोगों का अपना सम्प्रदाय, पंथ, मत सबसे उत्तम लगता है। और सभी उसी ओर सबको आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। श्री कृष्ण दत्त भट्ट लिखते हैं – 'अपने धार्मिक सम्प्रदाय से भिन्न अथवा सम्प्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दयादृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना 'साम्प्रदायिकता' है, जिसका आधार वह वास्तविकता या काल्पनिक भय की आशंका है कि उस सम्प्रदाय हमारे अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देने या हमें जान-माल की क्षति पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं।'⁶

साम्प्रदायिकता एक श्रेष्ठ सिद्धि की समूहगत लड़ाई है। साम्प्रदायिकता में अन्य धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों के प्रति घृणा तिरस्कार एवं उपेक्षा के भाव पाये जाते हैं। ये विरोधी भाव नहीं साम्प्रदायिक तनाव और संघर्ष पैदा करते हैं। साम्प्रदायिकता के कारण स्नेह व सहयोग के स्थान पर सामाजिक व राजनीतिक अलगाव पैदा करती है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता वह दुर्बल मनोवृत्ति है जो एक वर्ग विशेष के लोगों में आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पायी जाती है जिसके फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव एवं संघर्ष पैदा होते हैं।

साम्प्रदायिकता का निराकरण हेतु केन्द्रीय स्तर पर 16 अक्टूबर सन् 1969 को राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया जिसमें देश के सभी राजनीतिक दलों को जनसाधारण में साम्प्रदायिक सद्भाव जाग्रत करने के लिए विचार विमर्श किया। प्रजातांत्रिक मूल्यों में प्रत्येक व्यक्ति को महत्व दिया जाए। हिन्दुस्तान टाइम्स ने 31 अक्टूबर सन् 1968 के अंक में 'श्रमजीवी और साम्प्रदायिकता का विनाश' नामक लेख में बताया कि भारत में अल्पसंख्याओं की समस्याओं के कारण साम्प्रदायिकता की समस्याओं का विकास होता है। सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था कर साम्प्रदायिकता का उन्मूलन किया जा सकता है। प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त कर सामाजिक तनाव को दूर किया जा सकता है। साम्प्रदायिक सहिष्णुता का प्रचार प्रसार किया जाए। नैतिक शिक्षा दी जाए, साम्प्रदायिकता के आधार पर चुनाव निषिद्ध किया जाए।

निष्कर्ष – कहा जा सकता है कि भारत की अखण्डता को सुदृढ़ करने के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद और साम्प्रदायिकता को भूलकर हम एक है कि भावना को लेकर चलना होगा। स्वार्थी तत्व अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद और साम्प्रदायिकता का सहारा लेते हैं जिसे जनमानस द्वारा अस्वीकार करना होगा तभी राष्ट्र में बंधुत्व की भावना का विकास होगा। व्यक्ति व्यक्ति के जीवन को इस प्रकार संस्कारित किया जाए कि प्रखर राष्ट्रीयता जाग्रत हो जाए। राष्ट्र भक्ति के भाव जागें और वे संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दिनकर रामधारी सिंह, 'संस्कृति के चार अध्याय', पृष्ठ 638
2. पणिकर के.एम., 'हिन्दू सोसायटी एण्ड क्रॉस रोड' पृष्ठ 22
3. भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 (1)
4. कोठारी रजनी 'भारत में राजनीति' पृष्ठ 83-84
5. द रेण्डम हाउस डिवशनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1867, पृ. 297
6. भट्ट श्री कृष्णदत्त, सामाजिक विघटन और भारत, पृष्ठ 478-479

राजस्थान के ग्रामीण आदिवासी व गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता का स्तर

डॉ. भूपेन्द्र सिंह चौहान* वरुण सिंह देवड़ा**

* प्रोफेसर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

** शोधार्थी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

शोध सारांश – प्रत्येक खिलाड़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कौशल के अनुरूप खेलते हुए अपना शत-प्रतिशत देवें किंतु कई बार खिलाड़ी उच्च मनोबल कायम नहीं रख पाते हैं। उनके प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहता है। वे दृढ़ता पूर्वक निरंतर अभ्यास के लिए उपलब्ध भी नहीं रहते हैं। उनके प्रयासों में शिथिलता आ जाती है इसी कारण उनका प्रदर्शन भी गिरता है। राजस्थान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण आदिवासी एवं ग्रामीण गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता का स्तर ज्ञात करने का प्रयास इस शोध कार्य में किया गया है। शोध बताता है कि गैर आदिवासी एथलीट्स में खेलों के प्रति दृढ़ता का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। वे खेलों में अपना भविष्य देखते हैं और इसी कारण उनमें इसके प्रति अधिक संजीदगी और समर्पण का भाव रहता है।

शब्द कुंजी – एथलीट्स, आदिवासी, गैर आदिवासी, दृढ़ता का स्तर।

प्रस्तावना – राजस्थान एक आदिवासी बहुल राज्य है जहां ग्रामीण स्तर पर बहुत सी खेल प्रतिभाएं व्याप्त हैं। यहां के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में मेडल भी जीते हैं। यहां के एथलेटिक्स खिलाड़ी विश्व भर में राज्य व देश का नाम ऊंचा कर चुके हैं। फिर क्या कारण है कि संभाग स्तर पर एथलेटिक्स खिलाड़ियों में खेलों के प्रति इतना रुझान नहीं रहता है। वह समर्पण के भाव के साथ सतत अभ्यास नहीं करते हैं। उनके द्वारा खेलों को बहुत ही हल्के में लिया जाता है और अनुशासन के साथ नियमित रूप से अभ्यास से नहीं किया जाता। एक दृढ़ निश्चय खिलाड़ियों में नहीं होता है जिस कारण वह प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। जब तक खिलाड़ियों में उच्च स्तरीय दृढ़ता नहीं होगी वह उच्चतम स्तर तक प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे और कमतर प्रदर्शन भी उन्हें संतुष्ट कर देगा।

वीनर (1986) खिलाड़ियों में आत्मविश्वास एवं दृढ़ता की भावना बड़ा अंतर लेकर आती है। कई चीजें एवं उपलब्धियां जो पहले खिलाड़ी को प्रेरित करती हैं समय के साथ-साथ उनसे मिलने वाली प्रेरणा क्षीण होने लगती है। ऐसे में खिलाड़ी का खेल के प्रति लगाव ही उसे प्रेरणा देता है। खिलाड़ी में जब यह दृढ़ भावना होती है कि वह परिस्थितियों के आगे हथियार नहीं डालेगा और निरंतर सीखता रहेगा तभी वह उच्च स्तरीय प्रदर्शन में निरंतरता ला पाता है।

पॉलमर और वीमीयर (2003) खिलाड़ियों में आत्मविश्वास एवं दृढ़ता उनके प्रदर्शन में निरंतरता लाती है। दृढ़ता की भावना खिलाड़ियों में बचपन से ही विकसित की जानी चाहिए तभी वह डटकर मुकाबला करने करना सीखते हैं और हार नहीं मानते। वे सदैव प्रयासरत रहते हैं और प्रैक्टिस कर प्रतिद्वंद्वी को कड़ी टक्कर देते हैं। फिर चाहे इस क्रम में उन्हें हार ही क्यों न झेलनी पड़े वह स्वयं को किसी भी तरह कमजोर नहीं मानते और प्रतियोगिताओं में उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। इसी कारण दृढ़ता का बड़ा महत्व है।

रियान और डेसी (2007) खिलाड़ी को बाहरी साधन एवं सुविधाओं से प्रेरणा मिलती है साथ ही साथ खिलाड़ी का स्वयं का भी एक स्वभाव होता है जिसके कारण कि वह स्व प्रेरित रहता है। दृढ़ इच्छा शक्ति हाने पर खिलाड़ी बाहरी परिस्थितियां यदि प्रतिकूल भी रहती हैं तो भी हताश नहीं होता है और नियमित अभ्यास के लिए सदैव प्रेरित रहता है, खेलना मात्र ही उसे बड़ा संतोष देता है।

क्रेग सिंगल (2015) दृढ़ता एक ऐसा विलक्षण गुण है जिसके कारण खिलाड़ी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहता है। खेल में मिलने वाली परेशानियों, चुनौतियों, हार या पिछड़ने से वह घबराता नहीं है तथा सदैव खेलने को तत्पर रहता है। यह एक ऐसी भावना है जो खिलाड़ी को प्रत्येक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है और उसकी हिम्मत टूटने नहीं देती।

मोहम्मद और बेहजाद (2017) ईरान में 268 एथलीट्स पर एक शोध कार्य कर बताया कि खिलाड़ियों में दृढ़ इच्छाशक्ति और मनोबल महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। खिलाड़ी के प्रदर्शन में इसका बड़ा महत्व है। जिन खिलाड़ियों में अभिमान की भावना नहीं होती और जो सहज होकर हार को भी स्वीकार कर लेते हैं और विशुद्ध रूप से खेल में ही आनंद लेते हैं वे लंबे समय तक खेलते हैं और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। ऐसे ही ऊर्जावान, स्व प्रेरित और दृढ़ इच्छाशक्ति वाले खिलाड़ियों की आवश्यकता रहती है।

मार्टा, रिकार्डो और रुथ (2021) ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान इटली के 18 से 65 आयु वर्ग के 179 खिलाड़ियों पर शोध किया एवं यह जानने का प्रयास किया कि वह किस प्रकार दृढ़ता पूर्वक अपना खेल के प्रति समर्पण बनाए रखते हैं। इन विकट परिस्थितियों में भी खिलाड़ी अपना अभ्यास जारी रखते हैं। अपनी फिटनेस पर घर पर रहते हुए भी पूरा ध्यान देते हैं। इन चयनित खिलाड़ियों की औसत आयु 28.64 वर्ष थी जिनमें की 90 पुरुष और 89 महिलाएं थी। उल्लेखनीय है कि पुरुषों में दृढ़ता का स्तर

महिलाओं की अपेक्षा सार्थक रूप से अधिक पाया गया वह खेल के प्रति अधिक प्रतिबद्ध थे तथा उनके प्रयासों में ज्यादा संजीदगी और समर्पण का भाव था।

शोध परिकल्पना :

H 1.0 :आदिवासी व गैर आदिवासी एथलीट्स की दृढ़ता में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।

H 1.1 :आदिवासी व गैर आदिवासी एथलीट्स की दृढ़ता में सार्थक अन्तर होता है।

शोध विश्लेषण – प्रस्तुत शोध कार्य के अंतर्गत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी तथा गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता के स्तर को जानने का प्रयास किया गया है। उनमें दृढ़ता का स्तर ज्ञात करने के लिए एक स्वनिर्मित प्रश्नावली की रचना की गई जिस की प्रामाणिकता जांचने के उपरांत उसे शोध कार्य के लिए प्रयोग किया गया। प्रश्नावली में कुल 15 प्रश्न एथलीट्स से पूछे गए जिससे कि उनकी दृढ़ता से संबंधित जानकारी अर्जित हो। इन प्रश्नों को 5 स्तरीय लिंकर्ट स्केल पर मापा गया।

तालिका 1: आदिवासी एवं गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता की भावना

क्र.	आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता की भावना	गैरआदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता की भावना
1	34	38
2	35	38
3	35	40
4	35	41
5	36	41
6	36	42
7	37	42
8	39	42
9	40	44
10	40	45
11	40	45
12	42	47
13	42	47
14	42	48
15	43	48
16	44	50
17	44	50
18	45	51
19	45	52
20	45	52
21	45	55
22	46	55
23	47	55
24	47	55
25	48	56
26	48	56
27	48	57

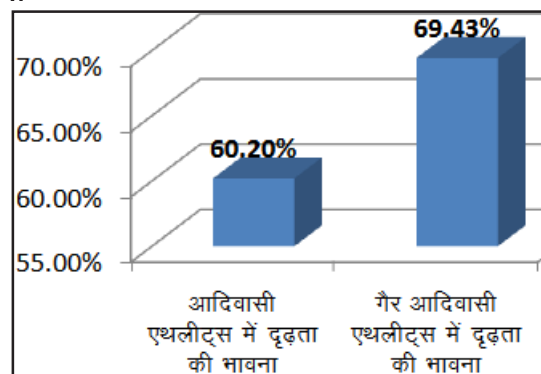
28	48	57
29	49	58
30	49	60
31	50	60
32	50	60
33	51	60
34	51	61
35	54	62
36	54	62
37	55	62
38	55	63
39	56	63
40	56	63

शोध में प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकतम 75 में से आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता के 42.15 अंक ही थे। वहीं गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता की भावना हेतु औसत अंक 75 में से 52.08 रहे। यह तो स्पष्ट हो गया कि गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता का स्तर आदिवासी एथलीट्स की अपेक्षा काफी अधिक है।

यह अधिकता क्या सार्थक भी है यह जानने के लिए जेड परीक्षण किया गया। परीक्षण के अनुसार जेड का मान 5.36 है जो कि उसके सारणी मान 1.96 से अधिक है जो यह दर्शाता है कि अंतर सार्थक है तथा गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता की भावना सार्थक रूप से आदिवासी एथलीट्स की तुलना में अधिक है।

दृढ़ता की भावना	औसत अंक	मनक विचलन	जेड मान	पी मान
आदिवासी एथलीट्स	45.15	4.83	5.36	0.00
गैर आदिवासी एथलीट्स	52.08	6.59		

आदिवासी तथा गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता की तुलनात्मक भावना



पेक्ष रूप से देखा जाए तो गैर आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता का स्तर अर्थ 69.43% है जबकि आदिवासी एथलीट्स में दृढ़ता का स्तर 60.20% ही है।

निष्कर्ष : निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के एथलीट्स खिलाड़ियों विशेषकर आदिवासी एथलीट्स खिलाड़ियों में दृढ़ता की भावना विकसित करने की जरूरत है जिससे कि उनमें खेल के प्रति समर्पण, संजीदगी

और निष्ठा का भाव जागृत हो। वह खेल को अधिक तन्मयता एकाग्रता के साथ खेले और खेल में उनका प्रदर्शन बेहतर हो। इस हेतु यह भी बहुत जरूरी है कि खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जावे। उनके प्रदर्शन में जब भी कमी आवे या गिरावट आवे तो उन्हें सार्थक रूप से प्रेरित करना चाहिए। प्रशिक्षण के स्तर में भी सुधार लाना चाहिए। खिलाड़ियों की कमियों को बारीकी से मापते हुए उसके अनुरूप सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए; जिससे कि खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए उच्च मनोबल प्राप्त करें और उसकी दृढ़ता का स्तर भी बढ़े।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ryan R. M. and Deci E. L. (2007) Intrinsic and extrinsic motivation in exercise and sport, *Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport*, Champaign, IL: Human Kinetics. pp. 1–19.
2. Weiner B. (1986) An attributional theory of motivation and emotion. *New York: Springer*.
3. Palmer S. and Wehmeyer M. (2003) Promoting self – determination in early elementary school. *Remedial and Special Education*.
4. Craig Sigl (2015) How to develop strong determination, <https://www.sportsmomsurvivalguide.com/how-to-develop-strong-determination/>
5. Mohammad Keshtidar and Behzad Behzadnia (2017) Prediction of intention to continue sport in athlete students: A self-determination theory approach, *PLoS One* 12(2).
6. Marta Leyton-Roman, Ricardo de la Vega and Ruth Jimenez-Castuera (2021) Motivation and Commitment to Sports Practice During the Lockdown Caused by Covid-19, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.622595/full>
- 7.

मालवा के खिलचीपुर राज्य के दिवान दुर्जनसाल एवं दिवान महाराजा शेरसिंह के समय का ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. ओमप्रकाश गेहलोत*

* सहायक प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – दिवान दुर्जनसाल ई.स. 1800 (वि.सं. 1856) में गद्दी पर बैठे। दिवान दुर्जनसाल ने चार विवाह किये। इनकी रानीयाँ थी क्रमशः चाँदकंवर, नवलकंवर, लक्ष्मणकंवर एवं चाँदकंवर। दिवान राजा दुर्जनसाल ने सन् 1806 (वि.सं. 1863) में माधुसिंह को नदी पार दीपगढ़ (सोमवारिया) की जागीर प्रदान की थी। दिवान राजा दुर्जनसाल की रानी नवलकुंवर ने सन् 1823 (वि.सं. 1880) नरसिंह भगवान के मन्दिर का निर्माण किले के सामने करवाया था। रानी चाँदकंवर ने भी किले के महल के सामने सन् 1839 (वि.सं. 1896) में एक मन्दिर का निर्माण कार्य करवाया था।¹

मूला नैणसी की ख्यात के अनुसार मराठा शासक सिंधिया ने जब खींचीयों से उनका राज्य छीन लिया। अतः अपनी शक्ति का प्रभाव बढ़ाने के लिए राजा दुर्जनसाल ने अमीरखां पठान को अपनी सेवा में लिया। राजस्थान के संदर्भ में कर्नल टॉड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है कि संवत् 1856 में महाराष्ट्र के गणेशपंत और लखवादादा के मध्य में बनास नदि के तट पर कठिन संघर्ष हुआ। इस युद्ध में गणेशपंत की सहायता जार्ज टामस नामक सेनापति कर रहा था। दूसरी ओर लखवादादा की सहायता खींची राजा दुर्जनसाल कर रहे थे। इसी के साथ-साथ मेवाड़ का राणा अपने 500 सैनिकों के साथ में युद्ध के मैदान में खड़ा था, ताकि गणेशपंत को सहायता न प्राप्त हो सके, वह उसकी छावनी के चारों ओर घूम रहा था, परंतु अंग्रेज सेनापति ने उसके प्रयास को निष्फल कर दिया। जब दुर्जनसाल 1819 ई. में निःसंतान मर गए। उस परिस्थिति में उनकी माता और उनकी रानी ने उनके भाई बलवंत सिंह को गोद लिया और उसको शासन सत्ता प्रदान कर की। इस संबंध में भा.रा.मं.के ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। इसका विरोध अमानसिंह नामक व्यक्ति ने किया। उसने अंग्रेजों से गद्दी पर अपना अधिकार होने का दावा पेश किया। अतः अंग्रेजों ने उसको तो स्वीकार नहीं किया, परंतु अमानसिंह के पुत्र को उत्तराधिकार के योग्य माना, इस प्रकार अगला शासक शेरसिंह बना।²

जब तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध के पश्चात दुर्जनसाल के बच्चे की मृत्यु हो गई। तवारिख ए मालवा के अनुसार गोद लेने के सवाल पर विवाद हुआ। राजमाता और दादी ने जैतपुरा के बलवंतसिंह और बावडीखेड़ा के अमानसिंह को गद्दी के दावेदार के रूप में स्वीकार किया। इन दोनों में गद्दी को प्राप्त करने का संघर्ष हुआ एवं मामला ग्वालियर के सिंधिया के पास पहुँचा। ग्वालियर के सिंधिया ने उक्त समस्या के समाधान के लिए कंपनी को लिखा। अमानसिंह खींचीयों को पसंद नहीं था। अतः उसका पुत्र शेरसिंह अगला शासक स्वीकार

किया गया एवं इस संबंध में ब्रिटिश सरकार को नजराना प्रस्तुत किया गया।³

राव दुर्जनसाल के समय में खिलचीपुर और ग्वालियर राज्य के मध्य में संबंध खराब हो गए। जब सिंधिया से युद्ध हुआ, तो उदयपुर के महाराणा ने खिलचीपुर का साथ दिया। अंग्रेज शासक भी खिलचीपुर से सहानुभूति रखते थे, अतः राव दुर्जनसाल ने तत्कालीन सभी शक्तियों से कुटनीतिक रूप से संबंध स्थापित करके तत्कालीन परिस्थितियों में राज्य को लाभ पहुँचाया। दिवान दुर्जनसाल के पश्चात् सन् 1820 ई. में दिवान महाराजा शेरसिंह गद्दी पर बैठे। इन्होंने तीन विवाह क्रमशः रतनकंवर, बगतावरकंवर और अभेकंवर से किए थे। भारत राजमंडल के ग्रंथ के अनुसार इनके कोई पुत्र न होने की स्थिति में उन्होंने अमरसिंह को गोद लिया था।⁴

भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी सत्ता में आ चुकी थी। ईस्ट इण्डिया कंपनी के भोपाल के पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से सन् 1819 में तय हुआ, कि खिलचीपुर स्टेट 13136 रु (ब्रिटिश सिक्के) महाराजा सिंधिया को देंगे। सन् 1844 में महाराजा जयाजीराव के समय में तय हुआ कि खिलचीपुर स्टेट यह राशि उनको देने के बजाय प्रजा के विकास हेतु खर्च कर दे। इस प्रकार जयाजीराव के समय में इस कर से खिलचीपुर को मुक्त कर दिया गया। विकास कार्य-दीवान महाराज शेरसिंह ने सन् 1845 (वि.सं. 1902) में दो महलों का जिनमें एक पाँच मंजिला एवं दूसरा सात मंजिला का निर्माण करवाया। दिवान महाराज शेरसिंह ने सन् 1852 में नदी पुल के पार नर्मदेश्वर महादेव मन्दिर का निर्माण करवाया। महाराज की राणी बगतावरकंवर ने भी सन् 1876 (वि.सं. 1933) में भगवान कल्याणराई के मन्दिर का निर्माण कार्य करवाया। इनकी राणी अभेकंवर भी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। इन्होंने सन् 1882 (वि.सं. 1939) में गंगा तीर्थ की यात्रा की थी। खिलचीपुर दिवान महाराज शेरसिंह ने क्षेत्र के निवासियों की पशुधन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए चैत्र मास में मेले लगाने की शुरुवात करवाई। सैनिक विद्रोह-(1857 ई. से 1859 ई.) 1857 के विद्रोह के समय दिवान शेरसिंह ने ब्रिटिश सरकार की बड़ी मदद की, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के मध्य भारत का तत्कालीन एजेंट बहुत प्रसन्न हुआ। इस संबंध में उसने भारत के गवर्नर जनरल को अवगत करवाया था। विद्रोह की समाप्ति के उपरांत पॉलिटिकल एजेंट ने गवर्नर जनरल को पुनः उस संबंध में याद करवाया था।⁵

अतः स्पष्ट होता है कि दिवान शेरसिंह ने अपनी सूझ बूझ से अंग्रेजों को हमेशा प्रसन्न रखा और इसी कारण खिलचीपुर द्वारा ग्वालियर स्टेट को

दिया जाने वाला कर भी समाप्त कर दिया। विप्लव के समय में खिलचीपुर ने अपनी स्वमीभक्ति का परिचय दिया व अंग्रेजों की सुरक्षा करने व उनको रास्ता देने में विभिन्न प्रकार से मदद की। इस मदद के पश्चात् मध्य भारत के पॉलिटिकल एजेंट ने खुशी जाहीर की व भारत के गवर्नर जनरल को इस संबंध में लिखा था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. खिलचीपुर रियासत के बड़वा की हस्त लिखित पोथी बड़वा –शेरसिंह पृ.क्र.79/11
2. चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम, देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्वितीय संस्करण 2005 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट, जोधपुर पृष्ठ संख्या 114
3. Survey of khichi chauhan history, Prof.A.H.Nijami and Raghunath singh kheechi Editor- khichi chauhan shodh sadhana P.O.Indroka via teori 342306 Jodhpur page no.305
4. चौहान कुल कल्पद्रुम (चौहान राजपूत की शाखाओं का इतिहास एवं वंशवृक्ष) भाग-प्रथम, देसाई लल्लुभाई भीमभाई द्वितीय संस्करण 2005 प्रकाशक-राजस्थानी ग्रंथागार सोजती गेट, जोधपुर पृष्ठ संख्या 114
5. Survey of khichi chauhan history, Prof.A.H.Nijami and Raghunath singh kheechi Editor- khichi chauhan shodh sadhana P.O.Indroka via teori 342306 Jodhpur page no.305,306

Consumerism and Changing Lifestyles : A Sociological Analysis of Post-Liberalization India

Sonali Goyal*

*Associate Professor (Sociology) Sri Govind Singh Gurjar Govt. College, Nasirabad, Distt. Ajmer (Raj.) INDIA

Abstract - This study examines how economic liberalisation and globalisation have significantly impacted urban consumer behaviour and lifestyle trends in India after 1991, with an emphasis on young people and the growing middle class. The 1991 reforms caused significant changes in ambitions, value systems, and consumption patterns by opening India's economy to international trade and foreign investment. This study looks at how micro-level changes in identity, social interaction, and daily life have been brought about by changes in macroeconomic policy.

Using a mixed-methods research methodology, focus groups, qualitative interviews, and quantitative surveys (n=300) were all included. Contextualising the findings involved using secondary data from sociological research and national consumer surveys. The growth of digital and e-commerce platforms, the extension of brand consciousness, and the impact of influencer culture and advertising on buying decisions are all examined in this study. Key findings indicate that urban adolescents are increasingly associating material possessions and branded commodities with modernity, success, and self-worth.

Significant changes in eating patterns, fashion preferences, and leisure pursuits are among the other lifestyle shifts identified by the study. Individualistic attitudes are displacing traditional collectivist beliefs, which is changing social institutions and family interactions. Decreased in-person interactions and increased connectivity have resulted from a greater reliance on digital media for contact.

The article also discusses issues of identity confusion, excessive consumerism, and the growing socioeconomic gap brought on by ostentatious consumption. It highlights how crucial ethical advertising and consumer education that is culturally relevant are to reversing detrimental social effects.

A better grasp of how consumer culture has emerged as a defining factor in urban India is made possible by this sociological examination. In order to accommodate the reality of a globalised marketplace, it promotes laws and educational initiatives that uphold cultural values.

Keywords: Consumerism, Lifestyle, Globalization and Culture, Urbanization, Consumption.

Introduction - An important shift in the social and cultural fabric of India was brought about by the economic reforms that were started in 1991. As a result of market deregulation, trade policy liberalisation, and the introduction of international brands, India entered a period of consumer capitalism (Brosius, 2010; Fernandes, 2006). The impact of these changes is particularly noticeable in urban India, where the middle class and youth have become significant consumer groups..

The middle class in India has significantly expanded in size and purchasing power, making it a major consumer force, according to NCAER (2022). Consumption has changed how people form their identities and their social goals, especially for young adults. According to studies, young people who have experienced post-liberalization tend to associate material success with self-expression and social mobility (Mazzarella, 2003).

This change has been accelerated by digital technology and the mass media. Influencer marketing, internet platforms, and television are influencing consumer goals and fostering a homogenised culture of want (Appadurai, 1996). As a result of an increasing preference for personal preference over social conventions, nuclear families are displacing traditional joint family forms (Uberoi, 2005).

This study investigates how consumer behaviour, intergenerational relationships, and lifestyle patterns have changed in urban India as a result of post-liberalization policies and cultural globalisation.

Research Methodology

Research Design: A convergent parallel mixed-methods design is used in the study to integrate qualitative depth with quantitative breadth.

Locale and Sample: The study was carried out in the cities of Rajasthan (Jaipur, Kota).

Quantitative sample: Using stratified random sampling, 300 respondents (between the ages of 18 and 40) were chosen.

Qualitative sample: 4 focus groups and 20 in-depth interviews.

Tools for Data Collection: Including Likert-scale items on lifestyle choices, frequency of shopping, and brand preferences, the questionnaire was structured.

The interview agenda was centred on aspirations, media impact, family values, and identity perceptions. Sociological literature, advertising reports, and consumer expenditure surveys are examples of secondary sources.

Statistical Analysis: Chi-square and t-tests for testing hypotheses; descriptive statistics (mean, standard deviation); and thematic analysis for qualitative data.

Results and Discussion

Table 1: Brand Orientation among Respondents by Age Group

Age Group	Branded Preference (%)	Non-branded Preference (%)	p-value
18–25	81	19	0.002*
26–40	67	33	

(*p < 0.05 indicates significance)

Particularly among young people between the ages of 18 and 25, there is a clear preference for branded goods. This bolsters Hypothesis 1, which holds that younger generations are more likely to consume digital and branded goods. This represents the internalisation of global consumerist ideas, where identity and brand connection become entangled, according to Mankekar (1999).

Table 2: Lifestyle Changes Among Urban Youth

Indicator	Before 2000s (%)	Post-2010 (%)
Eating out weekly	18	63
Online shopping (monthly)	5	71
Individual financial autonomy	22	76
Leisure via digital media	13	81

There is a discernible change in lifestyle choices that are driven by consumerism. Consumption, entertainment, and food habits have all changed in favour of convenience and aesthetic appeal, which is in line with Giddens' (1991) theory that lifestyle is a way to express one's identity.

Emerging Themes from Focus Groups and Interviews:

Material aspiration and identity: Branded goods were seen by many participants as markers of social standing and modernity. Peer influence and digital culture: Two significant factors that were mentioned as influencing decisions were peer trends and influencer marketing. Changing family dynamics: There have been reports of less intergenerational reliance and more autonomy. Debt and mental health issues: Some young people experienced anxiety and financial hardship as a result of feeling under pressure to consume in order to maintain an appearance of success.

These trends are consistent with Ritzer's (2011) concept of "McDonaldization," which holds that modern consumerism is shaped by predictability, control, and consistency. Identity issues frequently arise from the contradiction between traditional values and contemporary commercial logic, especially for young people traversing hybrid cultural environments (Fernandes, 2006).

Conclusion: The report emphasises how India has become a consumption-oriented nation as a result of economic liberalisation, especially among urban young and the growing middle class. Value systems, lifestyle choices, and social interactions have changed as a result of branded products, internet platforms, and international cultural flows. Aspirational living and greater autonomy have been brought about by consumerism, but it has also brought about problems like identity confusion, materialism, and the deterioration of traditional family ties.

Hypothesis 2 is validated—consumerism has indeed contributed to increased individualism and redefined family dynamics.

In order to balance aspirational goals with ethical spending, the report advocates for consumer education. Frameworks for policy must guarantee moral advertising and protect against exploitative consumption, particularly among young people who are more susceptible.

Future studies should evaluate the reach and resistance of consumer culture across socioeconomic strata by examining populations in rural and semi-urban areas.

References:-

- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Brosius, C. (2010). *India's Middle Class: New Forms of Urban Leisure, Consumption and Prosperity*. Routledge.
- Fernandes, L. (2006). *India's New Middle Class: Democratic Politics in an Era of Economic Reform*. University of Minnesota Press.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Polity Press.
- Mankekar, P. (1999). *Screening Culture, Viewing Politics: An Ethnography of Television, Womanhood, and Nation in Postcolonial India*. Duke University Press.
- Mazzarella, W. (2003). *Shoveling Smoke: Advertising and Globalization in Contemporary India*. Duke University Press.
- NCAER (2022). *Indian Middle Class Survey*. National Council of Applied Economic Research.
- Ritzer, G. (2011). *The McDonaldization of Society* 6. SAGE Publications.
- Uberoi, P. (2005). *The Family in India: Beyond the Nuclear versus Joint Debate*. In Veena Das (Ed.), *Handbook of Indian Sociology*.